

बीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

४०१


क्रम संख्या

८-८४ १६२


काल नं०

खण्ड

No 11 $\frac{1}{10}$ →



सस्ता साहित्य मण्डल का
चिह्नचिह्न ग्रन्थ



मेरी कहानी

[पण्डित जवाहरलाल नेहरू की आत्म-कथा]


हिन्दी-सम्पादक

श्री हरिभाऊ उपाध्याय

प्रकाशक

सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली

अक्टूबर १९३६; पहली बार, ३०००,
नवंबर १९३६; दूसरी बार ३०००
कीमत चार रुपये ।



४०९
२-५५
२-५५

मुद्रक—

हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस,

पोस्ट-बॉक्स नं० ७८, दिल्ली



कमला नेहरू

कमला को

—जिसकी अब याद ही रह गई—

मेरी ओर से

आज, जब कि पूर्व-प्रकाशित सूचना के अनुसार इस पुस्तक को पाठकों के हाथों में पहुँचे एक महीना हो जाना चाहिए था, मैं अपना यह प्रारम्भिक निवेदन लिखने बैठा हूँ। समझ में नहीं आता, इस देरी के लिए किस प्रकार क्षमा माँगूँ। एक तो वैसे ही स्वास्थ्य कुछ बहुत अच्छा नहीं रहता, फिर दूसरी ओर जिम्मेदारियों का बोझ भी मिर पर था, तो इस अधमरे शरीर को थका देने के लिए काफी था। ऐसी दशा में पं० जवाहरलाल जी की 'आत्मकथा' के अनुवाद और सम्पादन के काम की जिम्मेदारी मेरे लिए दुःसाहस की बात थी। लेकिन पागल भावुकता का क्या इलाज ? पूज्य बापूजी—महात्माजी—की 'आत्मकथा' के अनुवाद का जब सुअवसर मिला तो उसको मैंने अपना अहोभाग्य समझा। अब अपने मान्य राष्ट्रपति की जीवन-कथा के अनुवाद का मुसंयोग आने पर इस गौरव से अपने को वञ्चित रखने की कल्पना ही कैसे हो सकती थी ? इसलिए जब 'सस्ता साहित्य मण्डल' ने काँग्रेस-इतिहास के दोनों संस्करणों के अनुवाद और संपादन के बाद ही यह जिम्मेदारी भी उठाने के लिए मुझसे कहा तो मैंने फौरन उसे स्वीकार कर लिया और इस खयाल से कि काम जल्दी और समय पर खत्म हो जाय, अनुवाद में शक्ति से अधिक मेहनत करने लगा। नतीजा यह हुआ कि आगे चलकर शरीर ने जवाब दे दिया और गाड़ी अधबीच में ही रुक गई। लेकिन काम को जल्दी खत्म करने और पुस्तक जल्दी प्रकाशित करने की चिन्ता होना स्वाभाविक ही था। और स्वास्थ्य इतना अधिक गिर गया था, कि मैं डर गया। लेकिन मेरे मित्र प्रो० गोकुललालजी असावा तथा भाई शंकरलालजी वर्मा (मन्त्री, प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी, अजमेर) ने तुरन्त ही मुझे इस चिन्ता-भार से बचा लिया। प्रो० गोकुललालजी तो 'काँग्रेस-इतिहास' की तरह शुरू से ही इस काम में भी मेरी मदद कर रहे थे। इसबार इस समय भाई शंकरलालजी भी मेरी मदद पर आ गये। यह इन दोनों के सहयोग और सहायता का ही परिणाम है कि पुस्तक का काम जल्दी पूरा हो गया। इसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूँ।

अनुवाद के सिलसिले में मुझे भाई श्रीकृष्णदत्तजी पालीवाल (असेम्बली सदस्य) भाई गोपीकृष्णजी विजयवर्गीय (प्रधान मंत्री, इन्दौर-राज्य-प्रजा-मण्डल) और श्री चन्द्रगुप्तजी वाष्ण्य (अजमेर) से भी सहायता मिली है, और फ्रेञ्च उद्धारणों का अंग्रेजी भाषान्तर स्वयं मूल लेखक तथा पूज्य डॉ० हरि रामचन्द्रजी दिवेकर (गवालियर) ने किया है। इसके लिए मैं इन सबका अत्यन्त आभारी हूँ।

भाई श्री त्रियोगी हरिजी ने कविता-क्षेत्र से अलग हट-जाने पर भी, मेरे अनुरोध पर, इस पुस्तक की कविता के हिन्दी-अनुवादों का संशोधन करने की कृपा की है। श्री मुकुटबिहारी वर्मा (स० सम्पादक हिन्दुस्तान) ने इस काम को अपना ही काम समझकर प्रूफ-संशोधन और कहीं-कहीं भाषा-संबन्धी संशोधन आदि में शुरू से ही सहायता दी है। अतः इन दोनों का भी मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ।

कुछ शब्द अनुवाद की भाषा के सम्बन्ध में भी। मैं सरल और बोल-चाल की भाषा—जिसे पूज्य बापूजी ने 'हिन्दी-हिन्दुस्तानी' नाम दिया है, और जो असली राष्ट्रभाषा कही जा सकती है—लिखने का पक्षपाती हूँ। इस पुस्तक के जरिये मैं उसका एक नमूना पेश करना चाहता था। लेकिन अफ़सोस है कि प्रकाशन की जल्दी और अपनी बीमारी की वजह से मैं शुरू से अखीर तक उसे निबाह न सका। फिर भी जहाँ तक सम्भव हो सकता था उसके सरल बनाने और भाषान्तर के सही होने का पूरा खयाल रक्खा गया है। इतना सब कुछ करने पर भी कहीं-कहीं गलतियाँ और मतभेद की आशंका रहना मुमकिन है। इसलिए कृपालु पाठकों से मेरा अनुरोध है कि जो भूले उनकी निगाह में आवे उनपर मेरा ध्यान दिलाने की मिहरबानी करें, जिससे दूसरे संस्करण में उनका सुधार किया जा सके।

अनुवाद की भाषा में प्रचलित हिन्दी, उर्दू और अँग्रेजी शब्दों का खुलकर प्रयोग हुआ है। सम्भव है, कुछ रूढ़ी-चुस्त लोगों को वह पसन्द न आवे। लेकिन अनुवाद का पहला फार्म खुद पंडित जवाहरलालजी ने देख लिया था और उसकी भाषा को उन्होंने पसन्द किया था। उससे मुझे काफ़ी उत्साह मिला था। अब यदि सारी पुस्तक पंडितजी को पसन्द आ गई तो मुझे बड़ा संतोष मिलेगा; क्योंकि मैं, वर्तमान भारत की बहुतेरी आवश्यकताओं को, पंडितजी की राय में बोलता हुआ पाता हूँ।

गांधी-आश्रम, हुंडी (अजमेर)।

गांधी जयन्ती १९३६.

हरिभाऊ उपाध्याय

प्रस्तावना

यह सारी किताब, सिर्फ एकाध आखिरी बात और चन्द मामूली रद्दोबदल के अलावा, जून १९३४ से फ़रवरी १९३५ के बीच, जेल में ही लिखी गई है। इसके लिखने का खास मक़सद यह था कि मैं किसी निश्चित काम में लग जाऊँ, जो कि जेल-जीवन की तनहाई के पहाड़-से दिन काटने के लिए बहुत जरूरी होता है। साथ ही मैं पिछले दिनों की हिन्दुस्तान की उन घटनाओं की ऊहापोह भी कर लेना चाहता था, जिनसे मेरा ताल्लुक रहा है ताकि उनके बारे में मैं स्पष्टता के साथ सोच सकूँ। आत्म-जिज्ञासा के भाव से मैंने इसे शुरू किया और, बहुत हद तक, यही क्रम बराबर जारी रखवा है। पढ़नेवालों का खयाल रखकर ही मैंने सब-कुछ लिखा हो, सो बात नहीं है; लेकिन अगर पढ़नेवालों का ध्यान आया भी, तो अपने ही देश के लोगों का आया है। विदेशी पाठकों का खयाल करके लिखता तो शायद मैंने इससे मुस्तलिफ़ रूप में इसे लिखा होता, या दूसरी ही बातों पर ज्यादा जोर दिया होता। उस हालत में, जिन कुछ बातों को इसमें मैंने यों ही टाल दिया है, उनपर जोर देता, और दूसरी जिन कुछ बातों को कुछ विस्तार से लिखा है उन्हें महज़ सरसरी तौर पर लिखता। मुमकिन है कि बाहरवालों की उनमें से ज्यादातर बातों से दिलचस्पी न हो जिन्हे मैंने तफ़्सील में लिखा है, और वे उनके लिए अनावश्यक या इतनी खुली हुई बातें हों जिनके लिए बहस-मुबाहसे के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है; लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के हिन्दुस्तान में उनका कुछ-न-कुछ महत्व जरूर है। इसी तरह हमारे देश के राजनैतिक मामलों और व्यक्तियों के बारे में बार-बार जो कुछ लिखा गया है वह भी सम्भवतः बाहरवालों के लिए दिलचस्पी का विषय न हो।

मुझे उम्मीद है कि पाठक, इसे पढ़ते हुए, इस बात का खयाल रखेंगे कि यह किताब ऐसे समय में लिखी गई है जो मेरी जिन्दगी का खास तौर पर कष्टपूर्ण समय था। इसमें यह असर साफ़ तौर पर झलकता है। अगर इसकी वजाय और किसी मामूली वक्त में यह लिखी गई होती तो यह कुछ और ही तरह लिखी जाती और कहीं-कहीं शायद ज्यादा संयत होती। मगर मैंने यही मुनासिब समझा कि यह जैसी है वैसी ही इसे रहने दूँ, क्योंकि दूसरों को शायद वही रूप ज्यादा पसन्द हो, जिससे उन भावों का ठीक-ठीक परिचय मिलता हो जो इस किताब को लिखते वक्त मेरे दिमाग में उठते थे। इसमें, जहाँतक मुमकिन हो सकता था, मैंने अपना मानसिक विकास अंकित करने का प्रयत्न किया है, हिन्दुस्तान के आधुनिक इतिहास का विवेचन

नहीं। यह बात कि यह किताब ऊपर से देखने पर उक्त विवेचन-सी मालूम होती है, पाठक को गुमराह कर सकती है, और इसलिए वह इसे उससे कहीं अधिक महत्त्व दे सकता है, जितने की कि यह मुस्तहक है। इसलिए मैं यह चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि यह विवरण सर्वथा एकागी—इकतर्फा—है, और निश्चित रूप से, व्यक्तिगत है। अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाओं की बिलकुल उपेक्षा कर दी गई है, और कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों का, जिनका कि घटनाओं के निर्माण में हाथ रहा है, उल्लेख तक नहीं हो पाया है। किन्हीं बीती हुई घटनाओं के असली विवेचन में ऐसा करना अक्षम्य होता, किन्तु एक व्यक्तिगत विवरण इसके लिए क्षमापात्र हो सकता है। जो लोग हमारे नजदीक भूतकाल की घटनाओं का ठीक-ठीक अध्ययन करना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए किसी दूसरे साधनो का सहारा लेना होगा। लेकिन यह हो सकता है कि यह विवरण और ऐसी दूसरी कथायें उन्हें छूटी हुई कड़ियों को जोड़ने और कठोर तथ्य का अध्ययन करने में सहायक हो सके।

मैंने अपने कुछ साथियों की, जिनके साथ मुझे बरसों काम करने का सौभाग्य रहा है, और जिनके प्रति मेरे हृदय में सबसे अधिक आदर और प्रेम है, खुली चर्चा की है; साथ ही, कुछ समुदायों और व्यक्तियों की भी शायद और भी कड़ी आलोचना की है। मेरी यह आलोचना उनमें के अधिकतर के प्रति मेरे आदर को घटा नहीं सकती। लेकिन मुझे ऐसा लगा, कि जो लोग सार्वजनिक कामों में पड़ते हैं, उन्हें आपस में एक-दूसरे के और जनता के साथ, जिमकी कि वे सेवा करना चाहते हैं, स्पष्टवादिता से काम लेना चाहिए। दिखावटी शिष्टाचार और असमञ्जस और कभी-कभी परेशानी में डालनेवाले प्रश्नों को टाल देने में न तो हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकते हैं, और न अपने सामने की समस्याओं का मर्म ही जान सकते हैं। आपस के मनभेदों और उन सब बातों के प्रति, जिनमें मतैक्य है, आदर और वस्तु-स्थिति का, चाहे वह किननी ही कठोर क्यों न हो, मुकाबिला ही हमारे वास्तविक सहयोग का आधार होना चाहिए। लेकिन मेरा विश्वास है कि मैंने जो कुछ भी लिखा है, उसमें किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार के द्वेष या दुर्भाव का लेशमात्र भी नहीं है।

सरसरी तीर पर या अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा करने के सिवा, मैंने भारत की मौजूदा समस्याओं के विवेचन को जान-बूझकर टाला है। जेल में मैं न तो इस स्थिति में था कि इनकी अच्छी तरह विवेचना कर सकूँ, न मैं अपने मन में यही निश्चय कर सकता था कि क्या किया जाना चाहिए। जेल से छूटने के बाद भी मैंने इसमें उस सम्बन्ध में कुछ बढ़ाना ठीक नहीं समझा। मैं जो कुछ लिख चुका था,

उसके यह अनुकूल नहीं जान पड़ा । इस तरह मेरी यह 'कहानी' एक व्यक्तिगत, और ऐसे अतीत के, जो वर्तमान के नजदीक किन्तु जो उसके सम्पर्क से सतर्कता-पूर्वक दूर है, अपूर्ण विवरण का रेखा-चित्रमात्र रह गई है ।

बेडनवीलर,

२ जनवरी, १९३६ ।

जवाहरलाल नेहरू

विषय-सूची

१—कश्मीरी घराना	...	३
२—बचपन	...	६
३—थियोसॉफी	...	१६
४—हॅरो और केम्ब्रिज	...	२२
५—हिन्दुस्तान की युद्धकालीन राजनीति	...	३५
६—मेरी शादी और हिमालय की एक घटना	...	४८
७—गांधीजी मंदान में : सत्याग्रह और अमृतसर	...	५१
८—मेरा निर्वासन	...	६०
९—किसानों में भ्रमण	...	६६
१०—असहयोग	...	७८
११—मेरी पहली जेल-यात्रा	...	९२
१२—अहिंसा और तलवार का उसूल	...	१०१
१३—लखनऊ ज़िला-जेल	...	१११
१४—फिर बाहर	...	१२१
१५—संदेह और संघर्ष	...	१२८
१६—नाभा का नाटक	...	१३४
१७—कोकनाड़ा और मुहम्मदअली	...	१४३
१८—पिताजी और गांधीजी	...	१५१
१९—साम्प्रदायिकता का दौरादौरा	...	१६४
२०—म्युनिसिपैलिटी का काम	...	१७४
२१—योरप में	...	१८२
२२—आपसी मतभेद	...	१९२
२३—ब्रसेल्स में पीड़ितों की सभा	...	१९६
२४—हिन्दुस्तान में वापसी और फिर राजनीति में	...	२०५
२५—छाठी-प्रहारों का अनुभव	...	२१६
२६—ट्रेड-यूनियन-काँग्रेस	...	२२४
२७—बिश्नोभ का वातावरण	...	२३५
२८—स्वाधीनता और उसके बाद	...	२४७

२६—सविनय भंग शुरू	...	२५६
३०—नैनी-जेल में	...	२६५
३१—यरवडा में संधि चर्चा	...	२७६
३२—युक्तप्रांत में कर-बंद्दी	...	२८६
३३—पिताजी का देहान्त	...	२९८
३४—दिल्ली का समझौता	...	३०२
३५—कराची-काँग्रेस	...	३१४
३६—लंका में विश्राम	...	३२६
३७—समझौता-काल में दिक्कतें	...	३३१
३८—गोलमेज़ कान्फरेन्स	...	३४४
३९—युक्तप्रांत में किसानों सम्बन्धी दिक्कतें	..	३५८
४०—सुलह का खात्मा	...	३७७
४१—गिरफ्तारियाँ, आर्डिनेन्स और मुमानियतें	...	३८६
४२—ब्रिटिश शासकों की हू-हू	...	३९१
४३—बरेली और देहरादून-जेल में	...	४०५
४४—जेल में मानसिक उतार-चढ़ाव	...	४१८
४५—जेल में पशु-पक्षी	...	४२७
४६—संघर्ष	...	४३५
४७—मज़हब क्या है ?	...	४४६
४८—ब्रिटिश सरकार को दो रुखी नीति	...	४६०
४९—लम्बी सजा का अन्त	...	४७७
५०—गांधीजी से मुलाक़ात	...	४८२
५१—लिबरल दृष्टिकोण	...	४९४
५२—डोमीनियन स्टेट्स और आज़ादी	...	५०३
५३—हिन्दुस्तान—नया और पुराना	..	५१५
५४—ब्रिटिश शासन का कच्चा चिट्ठा	...	५२३
५५—अन्तर्जातीय विवाह और लिपी का प्रश्न	...	५४४
५६—साम्प्रदायिकता और प्रतिक्रिया	...	५५४
५७—दुर्गम घाटी	...	५७२
५८—भूकम्प	...	५८२
५९—अलीपुर-जेल	...	५९६

६०—पूरब और पच्छिम मे लोकतन्त्र	...	६०२
६१—नैराश्य	...	६०६
६२—विकट समस्यायें	...	६२३
६३—हृदय-परिवर्तन या बल-प्रयोग	...	६५३
६४—फिर देहरादून-जेल में	...	६७४
६५—ग्यारह दिन	...	६८३
६६—फिर जेल में	..	६८६
६७—कुछ ताज़ी घटनायें	...	६९७
६८—उपसंहार	...	७२५
—कुल और	...	७२६
--परिशिष्ट	...	७३१


क—२६ जनवरी १९३०, पूर्ण स्वाधीनता-दिवस, का प्रतिज्ञा-पत्र ।

ख—यरवड़ा सेंट्रल जेल, पूना से सर तेजबहादुर सप्र और श्री जयकर को ता० १५ अगस्त को काँग्रेस नेताओं द्वारा लिखा गया पत्र, जिसमें सुलह की शर्तें थीं ।

ग—२६ जनवरी १९३१, स्वाधीनता दिवस को पढ़ा गया स्मारक प्रस्ताव ।

—निर्देशिका	...	७३६
-------------	-----	-----

मेरी कहानी



पण्डित मोतीलाल नेहरू

कश्मीरी घराना

“अपने आपके बारे में लिखना है तो अच्छा काम, मगर है मुश्किल। क्योंकि अपनी बुराई या निन्दा लिखना खुद हमें बुरा मालूम होता है, और यदि अपनी तारीफ़ करें, तो पाठकों को उसे छनना नागवार गुज़रता है।”

—अब्राहम कोली

मा-बाप धनी-मानी और बेटा इकलौता हो तो, यो भी उसके खराब हो जाने का अन्देशा रहता है, फिर हिन्दुस्तान में तो और भी ज्यादा। और जब लडका एंसा हो जो शुरू के ११ साल तक अपने मा-बाप का अकेला ही बच्चा रहा हो, तो फिर खराबी से उसके बचने की आशा और भी कम रह जाती है। मेरे दो बहने हैं, जो उम्र में मुझसे बहुत ही छोटी हैं और हम हरेक के बीच में काफी साल का फर्क है। इस तरह अपने बचपन में मैं बहुत-कुछ अकेला ही रहा। मुझे कोई हम-उम्र साथी न मिला—यहाँ तक कि मुझे स्कूल का भी कोई साथी नसीब न हुआ; क्योंकि मैं किसी किडर-गार्टन या बच्चों के मदरसे में पढ़ने नहीं भेजा गया। मेरी पढ़ाई की जिम्मेदारी खानगी मास्टर्स या अध्यापिकाओं पर थी।

मगर हमारे घर में किसी तरह अकेलापन न था। हमारा परिवार बड़ा था, जिसमें चाचा-ताऊ और दूसरे नज़दीक के रिश्तेदार बहुत थे, जैसा कि हिन्दू-परिवारों में आम तौर पर हुआ करता है। मगर मुश्किल यह थी कि मेरे तमाम चचेरे भाई उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे और वे सब हाईस्कूल या कॉलेज में पढ़ते थे। उनकी नज़र में मैं उनके कामों या खेलों में शरीक होने लायक नहीं हुआ था। इस तरह इतने बड़े परिवार में, मैं और भी अकेलापन महसूस करता था और ज्यादातर अपने ही खयालों और खेलों में ही मुझे अकेले अपना वक्त काटना पड़ता था।

हम लोग कश्मीरी हैं। २०० बरस से ज्यादा हुए होंगे, १८वीं सदी के शुरू में हमारे पुरखे दौलत और नामवरी हासिल करने के इरादे से कश्मीर की सुन्दर तराइयों से नीचे के उपजाऊ मैदानों में आये। वे मुगल सल्तनत की गिरावट के दिन थे। औरंगज़ेब मर चुका था और फ़र्हखसियर बादशाह था। हमारे जो पुरखा सबसे पहले आये, उनका नाम था राजकौल। कश्मीर के संस्कृत और फ़ारसी के विद्वानों में उनका बड़ा नाम था। फ़र्हखसियर जब कश्मीर गया, तो उसकी उनपर नज़र पड़ी।

और शायद उसीके कहने से उनका परिवार दिल्ली आया, जो कि उस समय मुगलों की राजधानी थी। यह १७१६ के आस-पास की बात है। राजकौल को एक मकान और कुछ जागीर दी गई। मकान नहर के किनारे था, इसीसे उनका नाम नेहरू पड़ गया। कौल जो उनका खानदानी लक़ब था वह बदलकर कौल-नेहरू हो गया और, आगे चलकर, वह कौल गायब हो गया और हम महज़ नेहरू रह गये।

उसके बाद ऐसा डाँवाडोल ज़माना आया कि जिससे हमारे कुटुम्ब के जीवन में कई उतार-चढ़ाव आये, जिसमें वह जागीर भी तहस-नहस हो गई। मेरे परदादा लक्ष्मीनारायण नेहरू, दिल्ली के नाम-मात्र के बादशाह के दरबार में कम्पनी-सरकार के पहले वकील हुए। मेरे दादा, गंगाधर नेहरू, १८५७ के ग़दर के कुछ पहले तक दिल्ली के कोतवाल थे। १८६१ में ३४ साल की भर-जवानी में ही वह मर गये थे।

१८५७ के ग़दर की वजह से दिल्ली से हमारे परिवार का सब सिलसिला टूट गया। हमारे खानदान के तमाम कागज़-पत्र और दस्तावेज़ तहस-नहस हो गये। इस तरह अपना सब-कुछ खो चुकने पर हमारा परिवार दिल्ली छोड़नेवाले और कई लोगों के साथ वहाँ से चल पड़ा और आगरे में जाकर बस गया। उस समय मेरे पिताजी का जन्म नहीं हुआ था। लेकिन मेरे दो ताऊ जवान थे और कुछ-कुछ अंग्रेज़ी जानते थे। इस अंग्रेज़ी जानने की बदौलत मेरे छोटे ताऊ और परिवार के कुछ दूसरे लोग एक बुरी और अचानक आफ़त से बच गये। हमारे परिवार के कुछ लोगों के साथ वह दिल्ली से कहीं जा रहे थे। उनके साथ उनकी एक छोटी बहन भी थी, जिसका रूप-रंग गोरा और बहुत अच्छा था, जैसा कि अक्सर कश्मीरी बच्चों का हुआ करता है। इतिफ़ाक़ से कुछ अंग्रेज़ सिपाही उन्हें रास्ते में मिले। उन्हें शक हुआ कि, हो न हो, यह लड़की किसी अंग्रेज़ की है और ये लोग इसे भगाये लिये जा रहे हैं। उन दिनों सरसरी तौर पर मुक़दमा करके सज़ा ठोक देना एक मामूली बात थी, इसलिए मेरे ताऊ तथा परिवार के दूसरे लोग किसी नज़दीकी पेड़ पर ज़रूर फांसी पर लटक दिये गये होते। मगर खुश-क्रिस्मती से मेरे ताऊ के अंग्रेज़ी जानने ने मदद की, जिससे इस फँसले में कुछ देरी हुई। इतने ही में उधर से एक शख्स गुज़रा, जो मेरे ताऊ बग़ैरा को जानता था, उसने उनकी और दूसरों की जान बचाई।

कुछ बरसों तक वे लोग आगरा रहे और वही ६ मई १८६१ को मेरे पिताजी का जन्म हुआ। मगर वह पैदा हुए थे मेरे दादा के मरने के तीन महीने बाद। मेरे दादा की एक छोटी तस्वीर हमारे यहाँ है जिसमें वह मुगलों का दरबारी लिबास

१. एक अजीब और मज़ेदार दैवयोग है कि कवि-सम्राट् रवीन्द्रनाथ ठाकुर भी इसी दिन, उसी महीने और उसी साल पैदा हुए हैं।

पहले और हाथ में एक टेढ़ी तलवार लिये हुए हैं। उसमें वह एक मुगल सरदार-से दिखाई देते हैं, हालांकि उनकी सुरत-शकल कश्मीरियों की-सी ही थी।

तब हमारे परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी मेरे दो ताऊओं पर आ पड़ी, जो कि उम्र में मेरे पिता से काफ़ी बड़े थे। बड़े ताऊ वंशीधर नेहरू थोड़े-ही दिन बाद ब्रिटिश सरकार के न्याय-विभाग में नौकर हो गये। जगह-जगह उनका तबादला होता रहा, जिससे वह परिवार के ओर लोगों से बहुत-कुछ जुदा पड़ गये। छोटे ताऊ नन्दलाल नेहरू राजपूताना की एक छोटी रियासत खेतड़ी के दीवान हुए और वहाँ दस बरस तक रहे। बाद में उन्होंने क़ानून का अध्ययन किया और आगरे में वकालत शुरू की। मेरे पिता भी उन्हींके साथ रहे और उन्हींकी छत्र-छाया में उनका लालन-पालन हुआ। दोनों का आपस में बड़ा प्रेम था और उसमें बन्धु-प्रेम, पितृ-प्रेम और वात्सल्य का अनोखा मिश्रण था। मेरे पिता सबसे छोटे होने के कारण स्वभावतः मेरी दादी के बहुत लाडले थे। वह बूढ़ी थीं और बड़ी दबंग भी। कोई उनकी बात न सुने, यह उन्हें गवारा नहीं होता था। उनको मरे अब कोई पचास वर्ष हो गये होंगे; मगर बूढ़ी कश्मीरी स्त्रियाँ अब भी उनको याद करती हैं और कहती हैं कि वह बड़ी जोरदार औरत थीं। अगर किसीने उनकी मर्जी के खिलाफ़ कोई काम किया, तो वह उसके लिए भयंकर साबित होती थी।

मेरे ताऊजी नये हाइकोर्ट में जाया करते थे और जब वह हाइकोर्ट इलाहाबाद चला गया तो हमारे परिवार के लोग भी वहीं जा बसे। तबसे इलाहाबाद ही हमारा घर बन गया है और वहीं, बहुत साल के बाद, मेरा जन्म हुआ। ताऊजी की वकालत धीरे-धीरे बढ़ती गई और वह इलाहाबाद-हाइकोर्ट के बड़े वकीलों में गिने जाने लगे। इस बीच मेरे पिताजी कानपुर और इलाहाबाद के स्कूल और कॉलेज में शिक्षा पाते रहे। शुरू-शुरू में उन्होंने महज़ फ़ारसी और अरबी की तालीम पाई थी। उनकी अंग्रेज़ी शिक्षा बारह-तेरह बरस की उम्र के बाद शुरू हुई। मगर उस उम्र में भी वह फ़ारसी के अच्छे जानकार समझे जाते थे और अरबी में भी कुछ दखल रखते थे। और इसी कारण उनसे उम्र में बहुत बड़े लोग भी उनके साथ इज्जत से पेश आते थे। छोटी उम्र में इतनी लियाक़त हो जाने पर भी स्कूल और कॉलेज में वह ज्यादातर हँसी-खेल और धूमामस्ती के लिए मशहूर थे। उन्हें संजोदा विद्यार्थी किसी तरह नहीं कह सकते थे। पढ़ने-लिखने की बनिस्बत खेल-कूद और शारत का शौक बहुत था। कॉलेज में वह सरकश लड़कों के अगुआ समझे जाते थे। उनका झुकाव पश्चिमी लिबास की तरफ़ हो गया था, और सो भी उस वक़्त जब कि हिन्दुस्तान में कलकत्ता और बम्बई जैसे बड़े शहरों को छोड़कर इसका चलन नहीं हुआ था। वह तेज़-मिज़ाज़

और अक्खड़ थे, तो भी उनके अंग्रेज़ प्रोफ़ेसर उनको बहुत चाहते थे और अक्सर मुश्किलों से बचा लिया करते थे। वह उनकी स्पिरिट को पसन्द करते थे। उनकी बुद्धि तेज़ थी और कभी-कभी एकाएक जोर लगाकर वह क्लास में भी अपना काम ठीक चला लेते थे। अर्से बाद अक्सर वह अपने एक प्रोफ़ेसर का जिज्ञ प्रेम-भरे शब्दों में किया करते थे। वह थे मि० हैरिसन, जो म्योर सेन्ट्रल कॉलेज इलाहाबाद के प्रिन्सिपल थे। उनकी एक चिट्ठी भी उन्होंने बड़े जतन से सम्हालकर रक्खी थी। वह उन दिनों की है, जब कि वह कॉलेज में पढ़ते थे।

कॉलेज की परिक्षाओं में वह पास होते चले गये। कोई खास नामवरी उन्होंने हासिल नहीं की। आखिर को बी० ए० के इम्तिहान में बैठे। मगर उसके लिए उन्होंने कुछ मेहनत या तैयारी नहीं की थी और जो पहला परचा किया तो उससे उन्हें बिल्कुल संतोष नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, जब पहला ही परचा बिगड़ गया है तो अब पास होने की क्या उम्मीद ? उन्होंने बाकी परचे किये ही नहीं और जाकर ताजमहल की सैर करने लगे। (उन दिनों विश्वविद्यालय की परीक्षाये आगरा में हुआ करती थी) मगर बाद को उनके प्रोफ़ेसर ने उन्हें बुलाया और बहुत बिगड़े। उनका कहना था कि पहला परचा तुमने ठीक-ठीक किया है और बेवकूफी की जो आगे के परचे नहीं किये। खैर, इस तरह पिताजी की कॉलेज-शिक्षा हमेशा के लिए खतम हो गई और बी० ए० पास करना आखिर रही गया।

अब उन्हें काम-धधा जमाने की फ़िक्र हुई। सहज ही उनकी निगाह वकालत की ओर गई, क्योंकि उस समय वही एक पेशा ऐसा था कि जिसमें बुद्धिमान और होशियार आदमियों के लिए काम की गुञ्जाइश थी और जिसकी चल जाती उसके पौ-बारह होते थे। अपने भाई की मिसाल उनके सामने थी ही। बस हाइकोर्ट-वकील के इम्तिहान में बैठे और उनका नम्बर सबसे पहला रहा। उन्हें एक स्वर्णपदक भी मिला। कानून का विषय उन्हें दिल से पसन्द था और उसमें सफलता पाने का उन्होंने निश्चय कर लिया था।

उन्होंने कानपुर की जिला-अदालतों में वकालत शुरू की, और चूँकि वह सफलता पाने के लिए बहुत लालायित थे, इसलिए जी तोड़कर मेहनत की। फिर क्या था, उनकी वकालत अच्छी चमक उठी। मगर हाँ, हँसी-खेल और मौज़-मजा उनका उसी तरह जारी रहा और अबतक भी उनका कुछ वक्त उसमें चला जाता था। उन्हें कुश्ती और दंगल का खास शौक था। उन दिनों कानपुर कुश्तियों और दंगल के लिए मशहूर था।

तीन साल तक कानपुर में उम्मीदवार के तौर पर काम करने के बाद पिताजी

इलाहाबाद आये और हाइकोर्ट में काम करने लगे। पण्डित नन्दलाल एकाएक गुञ्जर गये। इससे पिताजी को जबरदस्त धक्का लगा। वह उनके लिए भाई ही नहीं, पिता के समान थे, और उन दोनों में बड़ा प्रेम था। उनके जाने से परिवार का मुखिया, जिसपर सारी आमदनी का दारोमदार था, उठ गया। परिवार की और पिताजी की यह बहुत बड़ी हानि थी। अब इतने बड़े कुनबे के भरण-पोषण का प्रायः सारा भार इस नौजवान के कंधे पर आ पड़ा।

वह अपने पेशे में जुट पड़े। सफलता पर तो तुले हुए थे ही। इसलिए कई महीनों तक दूसरी सब बातों से जी हटाकर इसीमें लगे रहे। ताऊजी के करीब-करीब सब मुकदमे उन्हें मिल गये और उन्हें उनमें अच्छी कामयाबी भी मिल गई। इससे अपने पेशे में भी बहुत जल्दी कामयाबी मिली। मुकदमे घड़ाघड़ आने लगे और रुपया खूब मिलने लगा। छोटी उम्र में ही उन्होंने वकालती सफलता में नामवरी हासिल करली और इसके लिए उन्होंने अपनी निष्ठुर प्रेयसी वकालत में अधिक-से-अधिक तल्लीन होकर इसकी कीमत भी चुकाई थी। उनके पास न सार्वजनिक और न खानगी कामों के लिए वक्त रहता था—यहाँ तक कि छुट्टियों के दिन भी वह वकालत के काम में ही लगाते थे। काँग्रेस उन दिनों मध्यम श्रेणी के अंग्रेजी-दाँ लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में लगी थी। वह उसकी शुरू की कुछ बैठकों में गये भी थे और, जहाँ तक विचारों से सम्बन्ध है, उसके प्रति अपनी हवि और भक्ति प्रकट भी कर चुके थे। लेकिन उसके कामों में वह कोई खास दिलचस्पी नहीं लेते थे। अपने पेशे में ही इतने डूबे रहते थे कि उसके लिए उन्हें वक्त नहीं था। हाँ, एक बात और थी। इसके सिवा, उन्हें यह निश्चय न था कि राजनैतिक और सार्वजनिक कार्यों का क्षेत्र उनके लिए उपयुक्त भी होगा या नहीं; उस समय तक इन विषयों पर उन्होंने न तो ज्यादा ध्यान ही दिया था, न कुछ उन्हें इसकी अधिक जानकारी ही थी। वह ऐसे किसी आन्दोलन और संगठन में शामिल होना नहीं चाहते थे, जिसमें उन्हें किसी दूसरे के इशारे पर नाचना पड़ता हो। यो बचपन और जवानी के शुरू की तेजी देखने में कम हो गई थी, पर दरअसल उसने नया रूप ले लिया था। अधिकार की नई इच्छा उनमें जग गई थी। वकालत की ओर उसे लगा देने से उन्हें कामयाबी मिली, जिससे उनका गर्व और आत्मावलम्बन का भाव बढ़ गया। पर फिर भी विचित्रता यह थी कि एक ओर वह लड़ाई लड़ना, दिक्कतों का मुकाबिला करना पसन्द करते थे और दूसरी ओर उन दिनों राजनैतिक क्षेत्र से अपनेको बचाये रखते थे। और बात यह है कि उन दिनों काँग्रेस में लड़ाई का मौक़ा ही बहुत कम था। फिर भी, उस क्षेत्र से उनका परिचय नहीं था और उनका दिमाग अपने पेशे की बातों में और उसके लिए कड़ी मेहनत करने में लगा

रहता था। उन्होंने सफलता की सीढ़ी को जोर से पकड़ लिया था और एक-एक कदम ऊपर चढ़ते जाते थे—किसीकी मेहरबानी से नहीं, जैसा कि उनका विश्वास था, और न किसीकी खिदमत करके, बल्कि खुद अपने संकल्प और बुद्धि के बल पर।

साधारण अर्थ में वह ज़रूर ही राष्ट्रवादी थे। मगर वह अंग्रेजों और उनके तौर-तरीक के क्रद्वर्दा भी थे। उनका यह खयाल बन गया था कि हमारे देशवासी ही नीचे गिर गये हैं और वे जिस हालत में हैं, बहुत-कुछ, उसीके लायक हैं। जो राज-नैतिक लोग बातें-ही-बातें किया करते हैं, करते-धरते कुछ नहीं, उनसे वह मन-ही-मन कुछ नफ़रत-सी करते थे, हालाँकि वह यह नहीं जानते थे कि इससे ज्यादा वे और कर क्या सकते थे। हाँ, एक और खयाल भी उनके दिमाग में था, जोकि उनकी काम-याबी के नशे से पैदा हुआ था। वह यह कि जो राजनीति में पड़े हैं, उनमें ज्यादा-तर—सब नहीं—वे लोग हैं, जो अपने जीवन में नाकामयाब हो चुके हैं।

पिताजी की आमदनी दिन-दिन बढ़ती जाती थी, जिससे हमारे रहन-सहन में बहुत परिवर्तन हो गया था। जहाँ आमदनी बढ़ी नहीं कि खर्च भी उसके साथ बढ़ा नहीं। रुपया जमा करना मेरे पिताजी को ऐसा मालूम पड़ता था मानों जब और जितना चाहें रुपया कमाने की अपनी शक्ति पर तुहमत लगाना है। खिलाड़ी की स्पिरिट और हर तरह से बढ़ी-चढ़ी रहन-सहन के शौकीन तो वह थे ही, जो-कुछ कमाते थे, सब खर्च कर देते थे। नतीजा यह हुआ कि हमारा चाल-ढाल धीरे-धीरे पश्चिमी सॉचि में ढलता गया।

मेरे बचपन में हमारे घर का यह हाल था।

१. १४ नवम्बर १८८६, मार्गशीर्ष बदी सप्तमी संवत् १९४६, को इलाहाबाद में मेरा जन्म हुआ था।

बचपन

मेरा बचपन इस तरह बुजुर्गों की छत्रच्छाया में बीता। उसमें कोई महत्त्व की घटना नहीं हुई। मैं अपने चचेरे भाइयों की बातें सुनता, मगर हमेशा सबकी सब मेरी समझ में आ जाती हों सो बात नहीं। अक्सर ये बातें अंग्रेज और यूरोशियन लोगों के ऐंदू स्वभाव और हिन्दुस्तानियों के साथ अपमानजनक व्यवहारों के बारे में हुआ करती थीं और इस बात पर भी चर्चा हुआ करती कि प्रत्येक हिन्दुस्तानी का फ़र्ज होना चाहिए कि वह इस हालत का मुकाबिला करे और इसे हरगिज बरदाश्त न करे। हाकिमों और लोगों में टक्करें होती रहती थीं और उनके समाचार आये दिन सुनाई पड़ते थे। उनपर खूब बहस भी होती थी। यह एक मशहूर बात थी कि जब किसी अंग्रेज ने किसी हिन्दुस्तानी को क़त्ल कर दिया तो उसको जूरी, जिनमें उन्हींके देश-वाले रहते थे, बरी कर देते। रेलगाड़ियों में यूरोपियनों के लिए डब्बे रिजर्व रहते थे और गाड़ी में चाहे कितनी ही भीड़ हो—और जबरदस्त भीड़ रहा ही करती थी—कोई हिन्दुस्तानी उनमें सफ़र नहीं कर सकता था, चाहे भले ही वे खाली पड़े रहें। जो डब्बे रिजर्व नहीं रहते थे, उनपर भी अंग्रेज लोग अपना क़ब्ज़ा जमा लेते थे और किसी हिन्दुस्तानी को नहीं घुसने देते थे। सार्वजनिक बगीचों और दूसरी जगहों में भी बेञ्चे और कुसियां रिजर्व रखी जाती थीं। विदेशी हाकिमों के इस बर्ताव को देखकर मुझे बड़ा रंज होता और जब कभी कोई हिन्दुस्तानी उलटकर वार कर देता तो मुझे बड़ी खुशी होती। कभी-कभी मेरे चचेरे भाइयों में से कोई या उनके कोई दोस्त खुद भी ऐसे झगड़ों में उलझ जाते, तब हम लोगों में बड़ा जोश फ़ैल जाता। हमारे परिवार भर में मेरे एक चचेरे भाई बड़े दबंग थे। उन्हें अक्सर अंग्रेजों से और ज्यादातर यूरोशियनों से झगड़ा मोल लेने का बड़ा शौक था। यूरोशियन तो अपनेको शासकों की जाति का बताने के लिए अंग्रेज अफ़सरों और व्यापारियों से भी ज्यादा बुरी तरह पेश आते। ऐसे झगड़े खासकर रेल के सफ़र में हुआ करते थे।

हालांकि देश में विदेशी शासकों का रहना और उनका रंग-ढंग मुझे नागवार मालूम होने लगा था, तो भी, मुझे जर्हातक याद है, किसी अंग्रेज के लिए मेरे दिल में बुरा भाव नहीं था। मेरी अध्यापिकायें अंग्रेज थीं और कभी-कभी मैं देखता था कि कुछ अंग्रेज भी पिताजी से मिलने के लिए आया करते थे। बल्कि यों कहना चाहिए कि अपने दिल में तो मैं अंग्रेजों की इज्जत ही करता था।

शाम को रोज़ कई मित्र पिताजी से मिलने आया करते थे। पिताजी आराम से पड़ जाते और दिन-भर की थकान मिटाते। उनकी ज़बरस्त हँसी से सारा घर भर जाता। इलाहाबाद में उनकी हँसी एक मशहूर बात हो गई थी। कभी-कभी मैं परदे की ओट से उनकी और उनके दोस्तों की ओर झाँकता और यह जानने की कोशिश करता कि देखें ये बड़े लोग इकट्ठे होकर आपस में क्या-क्या बातें करते हैं। मगर जब कभी ऐसा करते हुए मैं पकड़ा जाता तो मैं खींचकर बाहर लाया जाता और मैं, सहमा हुआ, कुछ देर तक पिताजी की गोदी में बैठाया जाता। एक बार मैंने उन्हें 'क्लेरेट' या कोई दूसरी लाल शराब पीते हुए देखा। 'विहस्की' को मैं जानता था। अक्सर पिताजी और उनके मित्रों को पीते देखा था। मगर इस नई लाल चीज़ को देखकर मैं सहम गया और माँ के पास झपटा गया और कहा कि "माँ, माँ, देखो तो, पिताजी खून पी रहे हैं !"

मैं पिताजी की बहुत ही इज्जत करता था। मैं उन्हें बल, साहस और होशियारी की मूर्ति समझता था। और दूसरों के मुँकाबले में इन बातों में बहुत ही ऊँचा और बढ़ा-चढ़ा पाता था। मैं भी अपने दिल में यह आशा लगाये था कि बड़ा होने पर पिताजी की तरह होऊँगा। लेकिन जहाँ मैं उनकी इज्जत करता था और उन्हें बहुत ही चाहता था, वहाँ मैं उनसे डरता भी था। नौकर-चाकरों पर और दूसरों पर बिगड़ने हुए मैंने उन्हें देखा था। उस समय वह बड़े भयंकर मालूम होते थे। और मैं मारे डर के काँपने लगता था। नौकरों के साथ जो यह बर्ताव उनका होता था उसके प्रति मेरे मन में उनपर कभी-कभी गुस्सा भी आ जाया करता था। उनका स्वभाव दरअसल भयंकर था, और उनकी आयु के ढलते दिनों में भी उनका-सा गुस्सा मुझे किसी दूसरे में देखने को नहीं मिला। लेकिन खुशकिस्मती से उनमें हँसी-मजाक का माद्दा बड़े जोर का था और वह इरादे के बड़े पक्के थे। इससे आम तौर पर अपने-आप पर ज़ब्त रख सकते थे। ज्यों-ज्यों उनकी उम्र बढ़ती गई, उनकी अपने-आप पर क़ाबू पाने की ताक़त बढ़ती गई। और फिर शायद ही कभी उनकी इस पुरानी आदत का परिचय मिलता।

उनकी तेज़-मिजाजी की एक घटना मुझे याद है। बचपन ही में मैं उसका शिकार हो गया था। कोई ५-६ वर्ष की मेरी उम्र रही होगी। एक रोज़ मैंने पिताजी की मेज़ पर दो फ़ाउण्टेन-पेन पड़े देखे। मेरा जी ललचाया। मैंने दिल में कहा—पिताजी एक साथ दो पेनो का क्या करेंगे? एक मैंने अपनी जेब में डाल ली। बाद में बड़े जोरों की तलाश हुई, कि पेन कहाँ चला गया? तब तो मैं घबराया। मगर मैंने बताया नहीं। आखिर पेन मिल गया और मैं गुनहगार करार

दिया गया। पिताजी बहुत गुस्सा हुए और मेरी खूब जी भर के मरम्मत की। आखिर पिटकर शर्म से अपना-सा मुँह लिये मैं माँ की गोद में दौड़ा गया। इतना पिटा था कि कई दिन तक मेरे बदन पर क्रीम और मरहम लगाने पड़े थे।

लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि इस सज़ा के कारण पिताजी के प्रति मेरे मन में कोई बुरा भाव पैदा हुआ हो। मैं समझता हूँ, मेरे दिल ने यही कहा होगा कि सज़ा तो तुझे बाजिब ही मिली है, मगर थी जरूरत से ज्यादा। लेकिन पिताजी के लिए मेरे दिल में वैसी ही इज्जत और मुहब्बत बनी रही—हाँ, अब एक डर उसमें और शामिल हो गया था। मगर मा के साथ ऐसा न था। उससे मैं बिलकुल नहीं डरता था। क्योंकि मैं जनता था कि वह मेरे सब कुछ किये-धरे को माफ़ कर देगी और उसके इस ज्यादा और बेहद प्रेम के कारण मैं उसपर थोड़ा-बहुत हावी होने की भी कोशिश करता था। पिताजी की बनिस्बत मैं मा को ज्यादा पहचान सका था और वह मुझे पिताजी से अपने ज्यादा नज़दीक मालूम होती थी। मैं जितने भरोसे के साथ माताजी से अपनी बात कह सकता था, उतने भरोसे के साथ स्वप्न में भी पिताजी से कहने का खयाल नहीं कर सकता था। वह सुडील, क़द में छोटी और नाटी थी और मैं जल्द ही करीब-करीब उनके बराबर ऊँचा हो गया था और अपनेको उनके बराबर समझने लगा था। वह बहुत सुन्दर थी। उनका सुन्दर चेहरा और छोटे-छोटे खूब-सूरत हाथ-पाँव मुझे बहुत भाते थे। मेरी मा के पूर्वज कोई दो पुश्त पहले ही कश्मीर में नीचे मैदान में आये थे

एक और शरूस जो लड़कपन में मेरे भरोसे के आदमी थे, वह पिताजी के मुशी मुबारकअली थे। वह बदायूँ के रहनेवाले थे और उनके घर के लोग खुशहाल थे। मगर १८५७ के ग़दर ने उनके कुनबे को बरबाद कर दिया और अंग्रेज़ी फौज ने उसको एक हद तक जड़-मूल से उखाड़ फेंका था। इस मुसीबत ने उन्हें हरेक के प्रति, और खासकर बच्चों के प्रति, बहुत नम्र और सहन-शील बना दिया था, और मेरे लिए तो वह, जब कभी मैं किसी बात से दुःखी होता या तकलीफ़ महसूस करता तो, सान्त्वना के निश्चित आधार थे। उनके बढ़िया सफ़ेद दाढ़ी थी और मेरी नौ-जवान आंखों को वह बहुत पुराने और प्राचीन जानकारी के खज़ाने मालूम होते थे। मैं उनके पास लेटे-लेटे घण्टों अलिफ़लैला के और दूसरे किस्से-कहानियाँ या १८५७ और १८५८ की बातें सुना करता। बहुत दिन बाद, मेरे बड़े होने पर, मुंशीजी इन्तकाल कर गये। उसकी प्यारी सुखद स्मृति अब भी मेरे मन में बसी हुई है।

हिन्दू पुराणों और रामायण-महाभारत की कथायें भी मैं सुना करता था, जोकि मेरी मा और ताड़ियाँ सुनाया करती थीं। मेरी एक ताई, पण्डित नन्दलालजी की

विधवा पत्नी, पुराने हिन्दू ग्रन्थों की बहुत जानकारी रखती थीं। उनके पास इन कहानियों का तो मानों खजाना ही भरा था।

धर्म के मामले में मेरे खयालात बहुत धूंधले थे। मुझे वह स्त्रियों से सम्बन्ध रखनेवाला विषय मालूम होता था। पिताजी और बड़े चचेरे भाई धर्म की बात को हँसी में उड़ा दिया करते थे और इसपर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। हाँ, हमारे घर की औरतें अलबत्ता पूजा-पाठ और व्रत-त्यौहार किया किया करती थी। हालाँकि मैं इस मामले में घर के बड़े-बूढ़े अदामियों की देखा-देखी उनके तात्कालिक आचरण की कोशिश किया करता था, फिर भी कहना होगा कि मैं उनका रस लिया करता था। कभी-कभी मैं अपनी मा या ताई के साथ गंगा नहाने जाया करता, और कभी इलाहाबाद या काशी या दूसरी जगह मन्दिरों में भी या किसी नामी और बड़े साधु-संन्यासी के दर्शन के लिए भी जाया करता। मगर इन सबका बहुत कम असर मेरे दिल पर हुआ।

फिर त्यौहार के दिन आते थे—होली जबकि सारे शहर में रंगरेलियों की धूम मच जाती थी और हम लोग एक दूसरे पर रंग की पिचकारिया चलाते थे; दिवाली, रोशनी का त्यौहार होता, जबकि सब घरों पर धीमी रोशनीवाले मिट्टी के हज़ारों दीये जलाये जाते; जन्माष्टमी, जिसमें कि जेल में पैदा हुए श्रीकृष्ण की आधीरात को वर्षगांठ मनाई जाती (लेकिन उस समय तक जागते रहना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता था); दशहरा और रामलीला, जिसमें कि स्वाँग और जूलूसों के द्वारा रामचन्द्र और लंका-विजय की पुरानी कहानी की नक़ल की जाती थी और जिन्हें देखने के लिए लोगों की बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी होती थी। सब बच्चे मुहर्रम का जुलूस भी देखने जाते थे, जिसमें रेशमी अलम होते थे और सुदूर अरब में हसन और हुसैन के साथ घटित घटनाओं की यादगार में शोकपूर्ण मरसिये गाये जाते थे। दोनों ईद पर मुंशीजी बड़िया कपड़े पहनकर बड़ी मसजिद में नमाज के लिए जाते और मैं उनके घर जाकर मीठी सेवेया और दूसरी बड़िया चीज़े खाया करता। इनके सिवा रक्षाबन्धन, भैया-दूज वगैरा छोटे त्यौहार भी हम हम लोग मनाते थे।

कश्मीरियों के कुछ खास त्यौहार भी होते हैं, जिन्हें उत्तर में बहुतेरे दूसरे हिन्दू नहीं मनाते। इनमें सबसे बड़ा नौरोज़ याने वर्ष-प्रतिपदा का त्यौहार है। इस दिन हम लोग नये कपड़े पहनकर बन-ठनकर निकलते और घर के बड़े लड़के-लड़कियों को हाथ-स्वर्च के तौर पर कुछ पैसे मिला करते थे।

मगर इन तमाम उत्सवों में मुझे एक सालाना जलसे में ज्यादा दिलचस्पी रहती थी, जिसका खास मुझीसे ताल्लुक था—याने मेरी वर्ष-गांठ का उत्सव।

इस दिन में बड़े उत्साह और रंग में रहता था। सुबह ही एक बड़ी तराजू में मैं गेंहूँ और दूसरी चीजों के थैलों से तोला जाता और फिर वे चीजें गरीबों को बाँट दी जाती और बाद को नये-नये कपड़ों से सजा-धजाकर मुझे भेंट और तोहफे नज़र किये जाते। फिर तीसरे पहर दावत दी जाती। उस समय मैं अपनेको मानो उस सारे जलसे का सरदार ही पाता था। मगर मुझे इस बात का बड़ा दुःख था कि वर्ष-गाँठ साल में एक बार ही क्यों आती है? वास्तव में मैंने इस बात का आन्दोलन खड़ा करने की कोशिश की कि वर्ष-गाँठ के मौके बरस में एक बार ही क्यों और अधिक क्यों न आया करें? उस वक्त मुझे क्या पता था कि एक समय ऐसा भी आयगा जब ये वर्ष-गाँठें हमको अपने बुढ़ापे के आने की दुःखदायी याद दिलाया करेगी।

कभी-कभी हम सब घर के लोग अपने किसी भाई या किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त की शादी में बरात भी जाया करते। उस सफ़र में बड़ी धूम रहती। शादी के उत्सव में हम बच्चों की तमाम पाबन्दियाँ ढीली हो जाती थी और हम आज्ञादी से आ-जा सकते थे। शादीखाने में कई कुटुम्बों के लोग आकर रहते थे और उनमें बहुतेरे लड़के और लड़कियाँ भी होती थीं। ऐसे मौकों पर मुझे अकेलेपन की शिकायत नहीं रहती थी और जी भरकर खेलने-कूदने और शरारत करने का मौका मिल जाता था। हाँ, कभी-कभी बड़े-बूढ़ों की डाँट-फटकार भी ज़रूर पड़ जाती थी।

हिन्दुस्तान में क्या गरीब और क्या अमीर सब जिस तरह शादियों में धूम-धाम और फ़िज़ूल-खर्ची करते हैं उसकी सब तरह बुराई ही की जाती है और वह ठीक भी है। फ़ज़ूल-खर्ची के अलावा उसमें बड़े भड़े ढंग के प्रदर्शन भी होते हैं, जिनमें न कोई सुन्दरता होती है न कला। (कहना नहीं होगा कि इसमें अपवाद भी होते हैं) इन सबके असली गुनहगार हैं मध्यम वर्ग के लोग। गरीब भी क़र्ज़ लेकर फ़ज़ूल-खर्ची करते हैं। मगर यह कहना बिलकुल बेमानी है कि उनकी मुफ़लिसी उनकी इन सामाजिक कुप्रथाओं के कारण है। अक्सर यह भुला दिया जाता है कि गरीब लोगों की ज़िन्दगी बड़ी उदास, नीरस और एक ढर्रे की होती है। जब कभी कोई शादी का जलसा होता है, तो उसमें उन्हें अच्छा खाने-पीने और गाने-बजाने का कुछ मौका मिल जाता है, जो कि उनकी मेहनत-मशक्कत के रेगिस्तान में एक झरने का काम देता है। रोज़मर्रा के जी उबा देनेवाले काम-काज और जीवन-क्रम से हटकर कुछ आराम और आनन्द की छटा दीख जाती है, और जिनको हँसने-खेलने के इतने कम मौके मिलते हैं उनको ऐसा कौन निठुर बेपीर होगा जो इतना भी आनन्द, आराम और

तसल्ली न मिलने देना चाहेगा ? हाँ, फजूल-खर्ची को आप शोक से बन्द कर दीजिए और उनकी शाहखर्ची भी—कैसे बड़े और बेमानी लपज है ये जो उस थोड़े-से प्रदर्शन के लिए इस्तैमाल किये जाते हैं, जिसे गरीब लोग अपनी गरीबी में भी दिखाते हैं—कम कर दीजिए, लेकिन मेहरबानी करके उनके जीवन को ज्यादा उदास और हँसी-खुशी से खाली मत बनाइए ।


यही बात मध्यमश्रेणी के लोगो के लिए भी है । फजूल-खर्ची को छोड़ दें तो ये शादियाँ एक तरह के सामाजिक सम्मेलन ही हैं, जहाँकि दूर के रिश्तेदार और पुराने साथी व दोस्त बहुत दिनों के बाद मिल जाते हैं । हमारा देश बड़ा लम्बा-चौड़ा है; यहाँ अपने संगी-साथियों व दोस्तों से मिलना आसान नहीं है । सबका साथ और एक जगह मिलना तो और भी मुश्किल है । इसीलिए यहाँ शादी के जलसो को लोग इतना चाहते हैं । एक और चीज इसके मुकाबले की है और कुछ बातों में तो, और सामाजिक सम्मेलन की दृष्टि से भी, वह उससे आगे निकल गई है । वह है राजनैतिक सम्मेलन, अर्थात् प्रांतीय परिषदें, या कांग्रेस की बैठके ।

और लोगो की बनिस्बत, खासकर उत्तर भारत में, कश्मीरियों को एक खास मुभीता है । उनमें परदे का रिवाज या मर्द-औरतो को एक-दूसरे से न मिलने-जुलने देने का रिवाज कभी नहीं रहा है । मैदान में आने पर, वहाँके रिवाज के मुताबिक, दूसरो से और गैर-कश्मीरियों से जहाँतक ताल्लुक है, उन्होंने इस रिवाज को एक हद तक अपना लिया है । उत्तर में जहाँ कि कश्मीरी अधिक बसते हैं, उन दिनों यह सामाजिक उच्चता का एक चिन्ह समझा जाता रहा था । मगर अपने आपस में उन्होंने स्त्री और पुरुषो के सामाजिक जीवन को वैसा ही आजाद रक्खा है । कोई भी कश्मीरी किसी भी कश्मीरी के घर में आजादी से आ-जा सकता है । कश्मीरियों की दावतो और उत्सवों में स्त्री-पुरुष आपस में एक-दूसरे के साथ मिलते-जुलते और बैठते हैं । हाँ, अक्सर स्त्रियाँ अपना एक झुण्ड बनाकर बैठती हैं, लड़के-लड़कियाँ बहुत-कुछ बराबर की हैसियत से मिलते-जुलते हैं । लेकिन हाँ, यह तो कहना ही पड़ेगा कि आधुनिक पश्चिम की आजादी उन्हें नहीं थी ।

इस तरह मेरा बचपन गुज़रा । कभी-कभी, जैसा कि बड़े कुटुम्बों में हुआ ही करता है, हमारे कुटुम्ब में भी झगड़े हो जाया करते थे । जब वे बढ़ जाते तो पिताजी के कानो तक पहुँचते । तब वह गुस्सा होते और कहते कि ये सब औरतों की बेवकूफी के नतीजे हैं । मैं यह तो नहीं समझ पाता था कि दरअसल क्या घटना हुई है । मगर मैं इतना ज़रूर समझता था कि कोई बुरी बात हुई है । क्योंकि लोग एक-दूसरे से बिगड़कर बदमज़गी से बोलते थे और आपस में मिलना टालते थे । ऐसी हालत में

में बड़ा दुःखी हो जाता। पिताजी जब कभी बीच में पड़ते तो हम लोगो के देवता कूच कर जाते थे।

उन दिनों का एक छोटा वाक्या मुझे अभीतक याद है। मैं ६-७ वर्ष का रहा होऊंगा। मैं रोज़ घुड़-सवारी के लिए जाया करता था। मेरे साथ घुड़-सेना का एक सवार रहता था। एक रोज़ शाम को मैं घोड़े से गिर पड़ा और मेरा टट्टू—जो अरबी नस्ल का एक अच्छा जानवर था—खाली घर लौट आया। पिताजी टेनिस खेल रहे थे। काफ़ी घबराहट और हलचल मच गई और वहाँ जितने लोग थे सबके-सब, जो भी सवारी मिली उसे लेकर, मेरी तलाश में दौड़ पड़े। पिताजी उन सबके आगे थे। वह रास्ते में मुझे मिले और वे सब मेरे साथ इस तरह पेश आये मानों मैंने कोई बड़ी बहादुरी का काम किया हो।



थियोसॉफ्री

जबकि मैं दस साल का था, हम लोग एक नये और काफ़ी बड़े मकान में आ गये, जिसका नाम पिताजी ने 'आनन्द-भवन' रखवा था। इस मकान में एक बड़ा बाग था और एक तैरने का बड़ा-सा हौज़। वहाँ ज्यों-ज्यों नई-नई चीज़ें दिखाई पड़ती त्यों-त्यों मेरी तबीयत लहुरा उठती। इमारत में नये-नये हिस्से जोड़े जा रहे थे और बहुतेरा खुदाई और चुनाई का काम हो रहा था। वहाँ मज़दूरों को काम करते हुए देखना मुझे अच्छा लगता था।

मैं कह चुका हूँ कि मकान में तैरने के लिए एक बड़ा हौज़ था। मैं तैरना जान गया और पानी में गिरते मुझे जरा भी डर मालूम नहीं होता था। गर्मी के दिनों में कई बार मौका-बे-मौका मैं उसमें नहाया करता। शाम को पिताजी के कई दोस्त तैरने आया करते, वह एक नई चीज़ थी और वहाँ तथा मकान में बिजली की बत्तियाँ लगाई गई थी। ये इलाहाबाद में उन दिनों नई बातें थीं। इन नहानेवालों के झुण्ड में मुझे बड़ा आनन्द रहता था और उनमें जो तैरना नहीं जानते थे उनमें से किसीको आगे धक्का देकर या पीछे खींचकर डराने में बड़ा ही लुत्फ़ आता था। मुझे डाक्टर तेजबहादुर सभू का क्रिस्ता याद आता है, जबकि उन्होंने इलाहाबाद-हाइकोर्ट में नई-नई वकालत शुरू की थी। वह तैरना नहीं जानते थे और न जानना ही चाहते थे, वह पन्द्रह इञ्च पानी में पहली सीढ़ी पर ही बैठ जाते थे और कसम खाने को एक सीढ़ी नीचे नहीं उतरते थे, और अगर कोई उन्हें आगे खींचने की कोशिश करता तो ज़ोर से चिल्ला उठते थे। मेरे पिताजी खुद भी तैराक नहीं थे, मगर वह किसी तरह हाथ-पैर फटफटाकर और जो कड़ा करके हौज़ के आर-पार चले जाते थे।

उन दिनों बोअर-युद्ध हो रहा था। उसमें मेरी दिलचस्पी होने लगी। बोअरों की तरफ़ मेरी हमदर्दी थी। इस लड़ाई की खबरों को पढ़ने के लिए मैं अखबार पढ़ने लगा।

इसी समय एक घरेलू बात में मेरा चित्त रम गया। वह थी मेरी एक छोटी बहन का पैदा होना। मेरे दिल में एक अर्से से एक रंज छिपा रहता था और वह यह कि मुझे कोई भाई या बहन नहीं हैं जबकि और कइयों के हैं। जब मुझे यह मालूम हुआ कि मेरे भाई या बहन होनेवाली हैं, तो मेरी खुशी का पार न रहा। पिताजी उन दिनों योरपं थे। मुझे याद है कि मैं उस वक़्त बरामदे में बैठा-बैठा कितनी

उत्सुकता से इस बात की राह देख रहा था। इतने में एक डॉक्टर ने आकर मुझे बहन होने की खबर दी और कहा—शायद मजाक में— कि तुमको खुश होना चाहिए कि भाई नहीं हुआ, जो तुम्हारी जायदाद में हिस्सा बँटा लेता। यह बात मुझे बहुत चुभी और मुझे गुस्सा भी आ गया—इस खयाल पर कि कोई मुझे ऐसा कमीना खयाल रखनेवाला समझे।

पिताजी की योरप-यात्रा ने कश्मीरी ब्राह्मणों में अन्दर-ही-अन्दर एक तूफान खड़ा कर दिया। योरप से लौटने पर उन्होंने किसी किस्म का प्रायश्चित्त करने से इन्कार कर दिया। कुछ साल पहले एक दूसरे कश्मीरी, पण्डित बिशतनरायण दर, जो बाद में कांग्रेस के सभापति हुए थे, इंग्लैण्ड गये थे और वहाँ से बैरिस्टर होकर आये थे। लौटने पर बेचारो ने प्रायश्चित्त भी कर लिया, नो भी पुराने खयाल के लोगो ने उनको जाति से बाहर कर दिया और उनसे किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रक्खा। इससे बिरादरी में करीब-करीब बराबर के दो टुकड़े हो गये थे। बाद को कई कश्मीरी युवक विलायत पढ़ने गये और लौटकर सुधारक-दल में मिल गये, लेकिन उन सबको विधिवत प्रायश्चित्त तो करना ही पड़ा। यह प्रायश्चित्त-विधि क्या थी, एक तमाशा होता था, जिसमें किसी तरह की धार्मिकता नहीं थी। उसके मानी सिर्फ रस्म अदा करना या एक समूह की बात को मान लेना होता था। और दिल्लगी यह कि एक दफा प्रायश्चित्त कर लेने के बाद ये सब लोग हर तरह के नबीन सुधारों के कामो में शरीक होते—यहाँ तक कि अब्राह्मण और अहिन्दू के यहाँ भी जाते-आते और खाना खाते थे।

पिताजी एक कदम और आगे बढ़े और उन्होंने किसी रस्म या नाममात्र के लिए भी किसी प्रकार के प्रायश्चित्त को करने से इन्कार कर दिया। इससे बड़ा तहलका मचा, खासकर पिताजी की तेजी और किसी कदर अक्खड़पन के कारण। आखिर कितने ही कश्मीरी पिताजी के साथ हो गये और एक तीसरा दल बन गया। थोड़े ही साल के अन्दर जैसे-जैसे खयालात बदलते गये और पुरानी पाबन्दियाँ हटती गईं, ये सब दल एक में मिल गये। बहुत-से कश्मीरी लड़के-लड़कियाँ इंग्लैण्ड और अमेरिका पढ़ने गये और उनके लौटने पर प्रायश्चित्त का कोई सवाल पैदा नहीं हुआ। खान-पान का परहेज करीब-करीब सब उठ गया। मुट्ठीभर पुराने लोगो को, खासकर बड़ी-बूढ़ी स्त्रियो को, छोड़कर गैर-कश्मीरियो, मुसलमानो तथा गैर-हिन्दुस्तानियो के साथ बँठकर खाना खाना एक मागूली बात हो गई। दूसरी जाति-वालो के साथ स्त्रियो का परदा उठ गया और उनके मिलने जुलने की रूकावट भी हट गई। १९३० के राजनैतिक आन्दोलन ने इसको एक जोर का आखिरी धक्का दिया। दूसरी बिरादरीवालो के साथ शादी-ब्याह करने का रिवाज अभी बहुत बढ़ा

नहीं है—हालाँकि दिन-दिन बढ़ती पर है। मेरी दोनों बहनों ने ग़ैर-कश्मीरियों के साथ शादी की है और हमारे कुटुम्ब का एक युवक हाल ही एक हंगेरियन लड़की ब्याह लाया है। अन्तर्जातीय विवाह पर ऐतराज धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि ज्यादातर जाति-शुद्धि की दृष्टि से किया जाता है। कश्मीरियों में यह अभिलाषा पाई जाती है कि वे अपनी जाति की एकता को और आर्यत्व के प्रकट चिन्हों को कायम रखें। उन्हें डर है कि यदि वे हिन्दुस्तानी और ग़ैर-हिन्दुस्तानी समाज के समुद्र में कूदें तो इन दोनों बातों को खो देगे। इस विशाल देश में हम कश्मीरियों की सख्या दरिया में खसखस के बराबर है।

सबसे पहले कश्मीरी ब्राह्मण जिन्होंने आधुनिक समय में, कोई सौ बरस पहले, पश्चिमी देशों की यात्रा की, वह थे मिर्जा मोहनलाल 'कश्मीरी' (वह अपनेको ऐसा ही कहा करते थे)। वह बड़े खूबसूरत और जहीन थे। दिल्ली के मिशन कॉलेज में पढ़ते थे। एक ब्रिटिश मिशन कानुल गया तो उसके साथ फारसी के दुभाषिया बनकर वह गये। बाद को तमाम मध्य-एशिया और ईरान की उन्होंने सैर की और जहाँ कहीं गये उन्होंने अपनी एक-एक शादी की। मगर आम तौर पर ऊँचे दर्जे के लोगों के यहाँ। वह मुसलमान हो गये थे और ईरान में शाही घराने की एक लड़की से शादी करली थी, इसीलिए उनको मिर्जा की उपाधि मिली थी। वह योरप भी गये थे और तत्कालीन तरुण महारानी विक्टोरिया से भी मिले थे। उन्होंने अपनी यात्रा का बड़ा रोचक वर्णन और सुन्दर सस्मरण लिखे हैं।

जब मैं कुल ११ वर्ष का था तो मेरे लिए एक नये शिक्षक आये, जिनका नाम था एफ० टी० ब्रुक्स। वह मेरे साथ ही रहते थे। उनके पिता आयरिश थे और मा फ़्रांसीसी या बेलजियन थी। वह एक पक्के थियोसॉफ़िस्ट थे और मिसेज़ ब्रेसेण्ट की सिफ़ारिश से आये थे। कोई ३ साल तक वह मेरे साथ रहे। कई बातों में मुझपर उनका गहरा असर पड़ा। उस समय एक और मेरे शिक्षक थे—एक बूढ़े पण्डितजी, जो मुझे हिन्दी और सस्कृत पढ़ाने के लिए रखे गये थे। कई वर्षों की मेहनत के बाद भी पण्डितजी मुझे कुछ कम पढ़ा पाये थे—इतना थोड़ा, कि मैं अपने नाम-मात्र के सस्कृत-ज्ञान की तुलना अपने लैटिन-ज्ञान के साथ ही कर सकता हूँ, जोकि मैंने हँरो में पढ़ी थी। कुसूर तो इसमें मेरा ही था, भाषाये पढ़ने में मेरी गति अच्छी नहीं थी और व्याकरण में तो मेरी रुचि बिल्कुल ही नहीं थी।

एफ० टी० ब्रुक्स की सोहबत से मुझे किताबें पढ़ने का चाव लगा और मैंने कई अंग्रेजी किताबें पढ़ डाली—अलबत्ते बिना किसी उद्देश के। बच्चों और लड़कों सम्बन्धी अच्छा साहित्य मैंने देख लिया था। लेविस केरोल की किताबें और

'दि जंगल बुक्स' और 'किम' मुझे बहुत पसन्द थीं। गस्टेव डोरे के चित्र, जो 'डॉन क्विक्सॉट' में थे, मुझे बहुत लुभावने मालूम हुए और फ़िड्ज़ॉफ़ ननसेन की 'फ़ारदेस्ट नार्थ' ने तो मेरे लिए अद्भुतता और साहस की एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया। स्कॉट, डिकन्स और थैकरे के कई उपन्यास मुझे पढ़े याद हैं। एच० जी० वेल्स के रोमान्सेज़, मार्क ट्वेन और शर्लाक होम्स की कहानियाँ भी पढ़ी हैं। 'प्रिज़नर्स ऑफ़ ज़ेन्दा' को पढ़कर मुझे रोमाञ्च ही उठा था और ज़िरोम के० ज़िरोम की 'थ्री मेन इन ए बोट' से बढ़कर हास्य-रस की पुस्तक मेने नहीं पढ़ी। दूसरी किताबें भी मुझे याद हैं। वे हैं डू मॉरियर की 'ट्रिलबी' और 'पीटर इबटसन'। काव्य-साहित्य से भी मुझे दिलचस्पी हो गई थी, जोकि कई परिवर्तनों के हो चुकने के बाद अब भी मुझमें कुछ हद तक कायम है।

बुक्स ने विज्ञान के रहस्यों से भी मेरा परिचय कराया। हमने विज्ञान की एक प्रयोगशाला खड़ी करली थी और मैं प्रारम्भिक वस्तु-विज्ञान और रसायन-शास्त्र के प्रयोग घण्टों किया करता था, जो बड़े दिलचस्प मालूम होते थे।

अपनी पढाई के अलावा बुक्स साहब ने एक और बात का असर मुझपर डाला, जो कुछ समय तक बड़े जोर के साथ रहा। वह थी थियोसॉफी। हर हफ्ते उनके कमरे में थियोसॉफिस्टों की सभा हुआ करती। मैं भी उसमें जाया करता और धीरे-धीरे थियोसॉफी की भाषा और विचार-शैली मेरे हृदयंगम होने लगी। वहाँ आध्यात्मिक विषयों पर तथा 'अवतार', 'कामशरीर' और दूसरे 'अलौकिक शरीरों' और 'तेजोबलय' तथा 'कर्म-तत्त्व' इन विषयों पर चर्चा होती और मंडम ब्लेवेट्स्की तथा दूसरे थियोसॉफिस्टों से लेकर हिन्दू धर्म-ग्रन्थों, बुद्ध-धर्म के धम्मपद, पायथागोरस, तयाना के अपोलोनियस और कई दार्शनिकों और ऋषियों के ग्रन्थों का जिक्र आया करता था। वह सब कुछ मेरी समझ में तो नहीं आता था। परन्तु वह मुझे बहुत रहस्य-पूर्ण और लुभावना मालूम होता था और मैं खयाल करता था कि सारे विश्व के रहस्यों की कुंजी यही है। यही से जिन्दगी में सबसे पहले मैं अपनी तरफ से धर्म और परलोक के बारे में सोचने लगा था। खासतौर से, हिन्दू-धर्म, मेरी नज़र में ऊँचा उठ गया था—उसके कर्म-काण्ड और व्रत-उत्सव नहीं; बल्कि उसके महान् ग्रन्थ, उपनिषद् और भगवद्गीता। मैं उन्हें समझ तो नहीं पाता था, परन्तु वे मुझे बहुत विलक्षण ज़रूर मालूम होते थे। मुझे 'कामशरीरों' के सपने आते और मैं बड़ी-बड़ी दूर तक आकाश में उड़ता जाता। बिना किसी साधन के यों ही ऊँचे आकाश में उड़ते जाने के सपने मुझे जीवन में अक्सर आया करते हैं। कभी-कभी तो वे बहुत साफ और सच्चे मालूम होते हैं और नीचे विशाल विश्व-पटल में सारा जन-प्रदेश

मुझे दिखाई पड़ता है । मैं नहीं जानता कि फूड तथा दूसरे आधुनिक स्वप्न-शास्त्री इस सपने का क्या अर्थ लगाते होंगे ।

उन दिनों मिसेज़ बेसेन्ट इलाहाबाद आई थी और थियोसॉफी-सम्बन्धी कई विषयों पर भाषण दिये थे । उनके सुन्दर भाषणों से मेरा दिल हिल उठता था और मैं चकाचौंध होकर घर आता था—अपने-आपको भूले जाता था, जैसे कि कोई सपने में हो । मैं उस समय १३ साल का था, तो भी मैंने थियोसॉफिकल सोसायटी का मेम्बर बनना तय कर लिया । जब मैं पिताजी से इजाज़त लेने गया तो उन्होंने उसे हँसकर उड़ा दिया । वह इस मामले को इधर या उधर कोई महत्त्व देना नहीं चाहते थे । उनकी इस उदासीनता पर मुझे दुःख हुआ । यों तो वह मेरी निगाह में बहुत बातों में बड़े थे । फिर भी मुझे लगा कि उनमें आध्यात्मिकता की कमी है । यों सच पूछिए तो वह बहुत पुराने थियोसॉफिस्ट थे । वह सबसे थियोसॉफिकल सोसायटी में शरीक हुए जबकि मैडम ब्लेवेट्स्की हिन्दुस्तान में थी । धार्मिक-विश्वास की बनिस्बत कुतूहल के कारण शायद वह उसके मेम्बर बने थे । मगर शीघ्र ही वह उसमें से हट गये । हाँ, उनके कुछ मित्र, जो उनके साथ सोसायटी में शरीक हुए थे, कायम रहे और सोसायटी के उच्च आध्यात्मिक पदों पर ऊँचे चढ़ते गये ।

इस तरह मैं १३ वर्ष की उम्र में थियोसॉफिकल सोसायटी का मेम्बर बना और खुद मिसेज़ बेसेन्ट ने मुझे प्रारम्भिक दीक्षा दी, जिसमें कुछ उपदेश दिया और कुछ गूढ़ चिन्हों के बारे में कहा—जो कि शायद फ्रीमसनरी ढग के थे । उस समय मैं पुलकित हो उठा था । मैं थियोसॉफिकल कन्वेंशन में बनारस गया था और कर्नल अलकॉट को देखा था, जिनकी डाढ़ी बड़ी उमदा थी ।

३० बरस पहले अपने बचपन में कोई कैसा लगना होगा और कैसा क्या अनुभव करता होगा, इसका खयाल करना बहुत मुश्किल है । मगर मुझे यह अच्छी तरह खयाल पड़ता है कि अपने थियोसॉफी के इन दिनों में मेरा चेहरा स्थिर, गम्भीर और उदास दिखाई पड़ता था, जैसा कि कभी-कभी पवित्रता का मूकक होता है और थियोसॉफिस्ट स्त्री-पुरुषों का अक्सर दिखाई पड़ता है । मैं अपने मन में समझता था कि मैं औरों से ऊँची सतह पर हूँ और अवश्य ही मेरा रग-ढग ऐसा था कि जिससे मुझे अपने हम-उम्र लड़कें-लड़कियों अपनी संगत के लायक न समझते होंगे ।

ब्रुक्स साहब के मुझसे अलहदा होते ही थियोसॉफी से भी मेरा सम्पर्क छूट गया और बहुत ही थोड़े अर्थों में थियोसॉफी मेरी ज़िन्दगी से बिलकुल हट गई । इसकी कुछ वजह तो यह थी कि मैं इंग्लैण्ड पढ़ने चला गया था । मगर इसमें कोई शक नहीं कि ब्रुक्स साहब की संगति का मूसपर गहरा असर हुआ है और मैं उनका

और थियोसॉफ्री का बहुत ऋणी हूँ। लेकिन मुझे कहते दुःख होता है कि थियोसॉफिस्ट सबसे मेरी निगाह में कुछ नीचे उतर गये हैं और ऊँचे व बड़े-बड़े होने के बजाय मामूली आदमी-से दिखाई देते हैं, जोकि खतरे की बनिस्बत आराम को ज्यादा पसन्द करते हैं। शहीदों के रास्ते जाने की बनिस्बत फूलों पर चलना पसन्द करते हैं। लेकिन, हाँ, मिसेज बेसेन्ट के लिए मेरे दिल में हमेशा बड़ा आदर रहा है।

एक दूसरी मार्क की घटना, जिसने मेरे जीवन पर उस समय असर डाला, रूस-जापान की लड़ाई थी। जापानियों की रोज-बरोज होनेवाली फ़तह से मेरा दिल उत्साह से उछलने लगता और रोज में अखबारों में ताजी खबरें पढ़ने का मुन्तज़िर रहता। मैंने जापान-सम्बन्धी कई किताबें मँगवाई और उनमें से थोड़ी-बहुत पढ़ी भी। जापान के इतिहास ने तो मानो मुझे भूलभुलैयाँ में डाल दिया, लेकिन पुराने जापान की सरदारों की कहानियाँ मैं चाव से पढ़ता और लेफ़्केडियो हर्न का गद्य मुझे रुचिकर लगता था।

मेरा दिल राष्ट्रीय भावों से भरा रहता था। मैं योरप के पंजे से एशिया और हिन्दुस्तान को आजाद करने के भावों में डूबा रहता, और बहादुरी के बड़े-बड़े मनमूबे बाँधा करता, कि कैसे हाथ में तलवार लेकर मैं हिन्दुस्तान को आजाद करने के लिए लड़ूँगा।

मैं चौदह साल का था। हमारे घर में रद्दोबदल हो रहे थे। मेरे बड़े चचेरे भाई अपने-अपने काम-धंधों में लग गये थे और अलहदा रहने लगे थे। मेरे मन में नये-नये विचार और गोल-मोल कल्पनायें मंडराया करती थीं और स्त्रियों के प्रति मेरी दिलचस्पी कुछ बढ़ने लगी थी, लेकिन अब भी मैं लड़कियों की बनिस्बत लड़कों के साथ मिलना ज्यादा पसन्द करता था और लड़कियों के साथ मिलना-जुलना अपनी शान के खिलाफ़ समझता था। कभी-कभी कश्मीरी दावतों में—जहाँ सुन्दर लड़कियों का अभाव नहीं रहता था—या दूसरी जगह, उनपर कहीं निगाह पड़ गई या बदन छू गया तो मुझे रोमाञ्च हो उठता था।

मई १९०५ में, जब मैं पन्द्रह साल का था, हम इंग्लैण्ड रवाना हुए। पिताजी, मा, मेरी छोटी बहन, और मैं चारों एकसाथ गये।

हॅरो और कोम्ब्रिज

मई के अखीर मे हम लोग लन्दन पहुँचे । डोवर से ट्रेन में जाते हुए रास्ते में सूशीमा में जापानी जल-सेना की भारी विजय का समाचार पढ़ा । मेरी खुशी का ठिकाना न रहा । दूसरे ही दिन डर्बी की घुड़दौड़ थी । हम लोग उसे देखने गये । मुझे याद है कि लन्दन में आने के कुछ दिनों बाद ही एम० ए० अन्सारी (डाक्टर अन्सारी) से मेरी भेंट हुई । उन दिनों वह एक चुस्त और होशियार नौजवान थे । उन्होंने वहाँ के विद्यालयों में चमत्कारिक सफलता प्राप्त की थी और उन दिनों लन्दन के एक अस्पताल में हाउस-सर्जन थे ।

हॅरो में दाखिल होने के लिए मेरी उम्र कुछ बढ़ी थी; क्योंकि मैं उन दिनों १५ बरस का था । इसलिए यह मेरी खुशकिस्मती ही थी कि मुझे वहाँ जगह मिल गई । मेरे परिवार के लोग पहले तो योरप के दूसरे देशों की यात्रा को चले गये और फिर वहाँ से कुछ महीनों बाद हिन्दुस्तान लौट गये ।

दससे पहले मैं अजनबी आदमियों में बिलकुल अकेला कभी नहीं रहा था । इस-लिए मुझे बहुत ही सूना-सूना मालूम पड़ता था और घर की याद सताती थी । लेकिन यह हालत ज्यादा दिनों तक नहीं रही । कुछ हद तक मैं स्कूल की जिन्दगी में हिल-मिल गया और काम तथा खेल-कूद में मशगूल रहने लगा । लेकिन मेरा पूरा मेल कभी नहीं बैठा । हमेशा मेरे दिल में यह खयाल बना रहता कि मैं इन लोगों में से नहीं हूँ और दूसरे लोग भी मेरी बाबत यही खयाल करते होंगे । कुछ हद तक मैं सबसे अलग, अकेला ही रहा । लेकिन कुल मिलाकर मैं खेलों में पूरा-पूरा हिस्सा लेता था । खेलों में मैं चमका-चमकाया तो कभी नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है कि लोग यह मानते थे कि मैं खेल से पीछे हटनेवाला भी न था ।

शुरू में तो मुझे नीचे के दर्जे में भर्ती किया गया, क्योंकि मुझे लैटिन कम आती थी, लेकिन फ़ौरन ही मुझे तरक्की मिल गई । गालिबन कई बातों में और खासकर आम बातों की जानकारी में मैं अपनी उम्र के लोगों से आगे था । इसमें शक नहीं कि मेरी दिलचस्पी के विषय बहुतेरे थे और मैं अपने ज्यादातर सहपाठियों से ज्यादा किताबें और अखबार पढ़ता था । मुझे याद है कि मैंने अपने पिताजी को लिखा था कि अंग्रेज़ लड़के बड़े मट्ठे होते हैं; क्योंकि वे खेलों के सिवा और किसी विषय पर बात ही नहीं कर सकते । लेकिन मुझे इसमें अपवाद भी मिले थे, खास कर ऊपर के दर्जे में ।

इंग्लैण्ड के आम चुनाव में मुझे बहुत दिलचस्पी थी। जहाँतक मुझे याद है, यह चुनाव १९०५ के अखीर में हुआ और उसमें लिबरलों की बड़ी भारी जीत हुई। १९०६ के शुरू में हमारे दर्जे के मास्टर ने हमसे नई सरकार की बाबत सवाल पूछे, और मुझे यह देखकर बड़ा अचरज हुआ कि उस दर्जे में मैं ही एक ऐसा लड़का था जो उस विषय पर बहुत-सी बातें बता सका—यहाँ तक कि मैंने कॅम्ब्रॅल-बॅनरमन के मंत्रि-मण्डल के सदस्यों की करीब-करीब पूरी फेहरिस्त बता दी।

राजनीति के अलावा जिस दूसरे विषय में मुझे बहुत दिलचस्पी थी, वह था हवाई जहाजों की शुरुआत। वह जमाना राइट ब्रदर्स और सान्तोस ड्यूमों का था। इनके बाद ही फौरन फग्मन, लैथम और ब्लीरियाट आये। जोश में आकर मैंने हॅरो से पिताजी को लिखा था कि मैं हवाई-जहाज द्वारा उड़कर हफ्ते के अखीर में आपसे हिन्दुस्तान में मिल सकूँगा।

इन दिनों हॅरो में चार या पाँच हिन्दुस्तानी लड़के थे। दूसरी जगह रहनेवालों से मिलने का तो मुझे बहुत ही कम मौका मिलता था। लेकिन हमारे अपने ही घर में—हेडमास्टर के यहाँ—महाराजा बड़ौदा के एक पुत्र हमारे साथ थे। वह मुझसे बहुत आगे थे और क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी होने की वजह से लोक-प्रिय थे। मेरे जाने के बाद फौरन ही वह वहाँ से चले गये। पीछे महाराजा कपूरथला के बड़े लड़के परमजीतासह आये, जो आजकल टीकासाहब हैं। वहाँ उनका मेल बिलकुल नहीं मिला। वह दुखी रहने थे और दूसरे लड़को से बिलकुल नहीं मिलते-जुलते थे। लड़के अक्सर उनका तथा उनके तौर-तरीको का मजाक उड़ाते थे। इससे वह बहुत चिढ़ते थे और कभी-कभी उनको धमकी देते कि जब कभी तुम कपूरथला आओगे तब तुम्हें देख लूँगा। यह कहना बेकार है, कि इस घुड़की का कोई अच्छा असर नहीं होता था। इससे पहले वह कुछ समय तक फ्रांस में रह चुके थे और फ्रान्सीसी भाषा में धारा-प्रवाह बोल सकते थे। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह थी कि अंग्रेजी पब्लिक स्कूलों में विदेशी भाषाओं के सिखाने के तरीके कुछ ऐसे थे, कि फ्रान्सीसी भाषा के दर्जे में उनका यह ज्ञान उनके कुछ काम नहीं आता था।

एक दिन एक अजीब घटना हुई। आधी रात को हाउस-मास्टर साहब यकायक हमारे कमरों में घुस-घुसकर तलाशी लेने लगे। पीछे हमें मालूम हुआ कि परमजीत-सिंह की सोने की मूठ की खूबसूरत छड़ी खो गई है। तलाशी में वह नहीं मिली। इसके दो या तीन दिन बाद लार्ड्स-मैदान में ईटन और हॅरो का मैच हुआ और उसके बाद फौरन ही वह छड़ी उनके मकान में रखी मिली। जाहिर है कि किसी साहब ने मैच में उससे काम लिया और उसके बाद उसे लौटा दिया।

हमारे छात्रावास तथा दूसरे छात्रावासों में थोड़े-से यहूदी भी थे। यो वे मझे में बिला खरखशा रहते थे, लेकिन तह में उनके खिलाफ़ भाव जरूर काम करता था किये लोग "बदमाश यहूदी" है और कुछ दिन बाद ही, लगभग अनजान में, मे भी यही सोचने लगा कि इनसे नफ़रत करना ठीक ही है। लेकिन दरअसल मेरे दिल में यहूदियों के खिलाफ़ कभी कोई भाव न था और अपने जीवन में आगे जाकर यहूदियों में मुझे कई अच्छे दोस्त मिले।

धीरे-धीरे में हॅरो का आदी हो गया और मुझे वहाँ अच्छा लगने लगा। लेकिन न जाने कैसे में यह महसूस करने लगा कि अब यहाँ मेरा काम नहीं चल सकता। विश्वविद्यालय मुझे अपनी तरफ खीच रहा था। १९०६ और १९०७ भर हिन्दुस्तान से जो खबरें आती थीं उनसे में बहुत बेचैन रहता था। अग्नेजी अखबारों में बहुत ही कम खबरें मिलती थीं, लेकिन जितनी मिलती थी उनसे ही यह मालूम हो जाता था कि देश में—बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में—बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं। लाला लाजपतराय और सरदार अजीतसिंह को देश-निकाला दिया गया था। बंगाल में हाहाकार-सा मचा हुआ मालूम पड़ता था। पूना से तिलक का नाम बिजली की तरह चमकता था और स्वदेशी तथा बहिष्कार की आवाज गूँज रही थी। इन सब बातों से मेरे ऊपर भारी असर पड़ा। लेकिन हॅरो में एक भी शक़्स ऐसा न था जिससे में इस बारे में बातें कर सकता। छुट्टियों में में अपने कुछ चचेरे भाइयों तथा दूसरे हिन्दुस्तानी दोस्तों से मिला और तभी मुझे अपने जी को हलका करने का मौका मिला।

स्कूल में अच्छा काम करने के लिए मुझे एक इनाम जो मिला वह जी० एम० ट्रिबेलियन की गैरिबाल्टी-विषयक एक पुस्तक थी। इस पुस्तक में मेरा मन ऐसा लगा कि मैंने फौरन ही इस माला की बाकी दो किताबें भी खरीद ली और उनमें गैरिबाल्टी की पूरी कहानी बड़ी सावधानी के साथ पढ़ी। हिन्दुस्तान में भी इसी तरह की घटनाओं की कल्पना मेरे मन में उठने लगी। मैं आज्ञादी की बहादुराना लड़ाई के सपने देखने लगा और मेरे मन में इटली और हिन्दुस्तान अजीब तरह-से मिल-जुल गये। इन खयालों के लिए हॅरो कुछ छोटी और तग जगह मालूम होने लगी, और मैं विश्व-विद्यालय के ज्यादा बड़े क्षेत्र में जाने की इच्छा करने लगा। इसीलिए मैंने पिताजी को इस बात के लिए राजी कर लिया और मैं हॅरो में सिर्फ़ दो बरस रहकर वहाँ से चला गया। यह दो बरस का समय वहाँ के निश्चित साधारण समय से बहुत कम था।

यद्यपि मैं हॅरो से खुद अपनी मरजी से जाना चाहता था, फिर भी मुझे यह अच्छी तरह याद है कि जब अलग होने का समय आया तब मुझे बड़ा दुःख हुआ और मेरी आँखों में आँसू आ गये। मुझे वह जगह अच्छी लगने लगी थी और वहाँ

से सदा के लिए अलग होने ने मेरे जीवन के एक अध्याय को समाप्त कर दिया। परन्तु फिर भी मुझे कभी-कभी यह खयाल आ जाता है कि हॅरो छोड़ने पर मेरे मन में असली दुःख कितना था? क्या कुछ हदतक यह बात न थी कि मैं इसलिए दुःखी था, क्योंकि हॅरो की परम्परा और उसके गीत के अनुसार मुझे दुःखी होना चाहिए था? मैं भी इन परम्पराओं के प्रभाव से अपनेको बचा नहीं सकता था, क्योंकि उस स्थान के साथ अपना मेल बिठा सकने के खयाल से मैंने उनका विरोध कभी नहीं किया था।

१९०७ के अक्टूबर के शुरू में मैं केम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में पहुँच गया। उस वक्त मेरी उम्र १७ या १८ बरस के करीब थी। मुझे इस बात से बेहद खुशी हुई कि अब मैं अण्डर-ग्रेजुएट हूँ, स्कूल के मुक्काबिले में यहाँ मुझे जो चाहूँ सो करने की काफ़ी आजादी मिलेगी। मैं लड़कपन के बन्धनों से मुक्त हो गया और यह महसूस करने लगा कि आखिर मैं भी अब बड़ा होने का दावा कर सकता हूँ। मैं ऐठ के साथ केम्ब्रिज के विशाल भवनों और उसकी तंग गलियों में चक्कर काटा करता और अगर कोई जान-पहचानवाला मिल जाता तो बहुत खुश होता।

केम्ब्रिज में मैं तीन साल रहा। ये तीनों साल शान्ति-पूर्वक बीते; इनमें किसी प्रकार के विघ्न नहीं पड़े। तीनों साल धीरे-धीरे धीमी-धीमी बहनेवाली कॅम नदी की तरह चले। ये साल बड़े आनन्द के थे। इनमें बहुत-से मित्र मिले, कुछ काम किया, कुछ खेले और मानसिक क्षितिज धीरे-धीरे बढता रहा। मैंने प्राकृतिक विज्ञान का ट्राइपस कोर्स लिया। मेरे विषय थे रसायन शास्त्र, भूगर्भ-शास्त्र और वनस्पति-शास्त्र; परन्तु मेरी दिलचस्पी इन्हीं विषयों तक महदूद न थी। केम्ब्रिज या छुट्टियों में लन्दन में अथवा दूसरी जगहों में मुझे जो लोग मिले, उनमें से बहुत-से ग्रन्थों के बारे में, साहित्य और इतिहास के बारे में, राजनीति और अर्थशास्त्र के बारे में विद्वत्तापूर्वक बातचीत करने थे। पहले-पहल तो ये बड़ी-बड़ी बातें मुझे बड़ी मुश्किल मालूम हुई, परन्तु जब मैंने कुछ किताबें पढ़ी तब सब बातें समझने लगा, जिसे मैं कम-से-कम अन्त तक बात करते हुए भी इन साधारण विषयों में से किसीके बारे में अपना घोर अज्ञान जाहिर नहीं होने देता था। हम लोग नीत्शे और बर्नार्ड शॉ की ग्रामिकाओं तथा लॉवेज़ डिकिन्सन की नई-से-नई पुस्तकों के बारे में बहुत-सा बहस किया करता था। उन दिनों केम्ब्रिज में नीत्शे की धूम थी। हम लोग अपनेको बड़ा चलता-पुर्जा समझते थे और स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध तथा सदाचार आदि विषयों पर बड़ी शान के साथ बातें करते थे और बातचीत के सिलसिले में ईवान ब्लॉक, ईवलोफ, एड्रिस, काफ्ट एबिग और ओटो वीनिगर के हवाले देने जाते थे। हम लोग यह महसूस

करते थे कि इन विषयों के सिद्धान्तों के बारे में, विशेषज्ञों को छोड़कर, साधारणतः जितना जानने की जरूरत है उतना हम जानते हैं।

वास्तव में, हम बातें जरूर बढ़-बढ़कर मारते थे, लेकिन स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध के बारे में हममें से ज्यादातर डरपोक थे और कम-से-कम मैं तो जरूर डरपोक था। मेरा इस विषय का ज्ञान, केम्ब्रिज छोड़ने के बाद भी बहुत बरसों तक, केवल सिद्धान्त तक ही सीमित रहा। ऐसा क्यों था, यह कहना कुछ कठिन है। हममें से अधिकांश का स्त्रियों की ओर जोर का आकर्षण था और मुझे इस बात में सन्देह है कि उनके सहवास में हममें से कोई किसी प्रकार का पाप समझता था। यह निश्चित है कि मैं उसमें कोई पाप नहीं समझता था। मेरे मन में कोई धार्मिक रुकावट नहीं थी। हम लोग आपस में कहा करते थे—स्त्री-पुरुषों के सम्बन्धों का न सदाचार से सम्बन्ध है न दुराचार से। वह तो इन आचारों से परे है। यह सब होने पर भी एक प्रकार की झिझक तथा इस सम्बन्ध में आम तौर पर जिन तरीकों से काम लिया जाता था उनके प्रति मेरी अरुचि ने मुझे इससे बचा रक्खा। उन दिनों मैं निश्चित-रूप से एक झोंपू लड़का था। शायद यह इसलिए ही कि मैं बचपन में अकेला रहा था।

उन दिनों जीवन के प्रति मेरा आम दृष्ट एक अस्पष्ट प्रकार के भोग-वाद का था, जो कुछ अंश तक युवावस्था के लिए स्वाभाविक था और कुछ अंश तक ऑस्कर वाइल्ड और वान्डर पेटर के प्रभाव के कारण था। आनन्दानुभव और आराम की जिन्दगी की स्वाहिश को भोग-वाद जैसा बड़ा नाम देना है तो आसान और तबीयत को खुश करनेवाली बात, लेकिन मेरे मामले में इसके अलावा कुछ और बात भी थी; क्योंकि मैं खास तौर पर आराम की जिन्दगी की तरफ रुजू न था। मेरी प्रकृति धार्मिक नहीं थी और धर्म के दमनकारी बन्धनों को मैं पसन्द नहीं करता था। इसलिए मेरे लिए यह स्वाभाविक था कि मैं किसी दूसरे स्टैंडर्ड की खोज करता। उन दिनों मैं सतह पर ही रहना पसन्द करता था, किसी मामले की गहराई तक नहीं जाता था, इसीलिए जीवन का मौन्दर्य-मय पहलू मुझे अपील करता था। मैं चाहता था कि मैं सुयोग्यता के साथ जीवन-यापन करूँ। गंवारू ढंग से उसका उपभोग तो मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरा रूझान जीवन का सर्वोत्तम उपभोग करने और उसका पूर्ण तथा विविध आनन्द लेने की ओर था। मैं जीवन का उपभोग करता था और इस बात से इन्कार करता था कि मैं उसमें पाप की कोई बात क्यों समझूँ? साथ ही खतरे और साहस के काम भी मुझे अपनी ओर आकर्षित करते थे। अपने पिताजी की तरह मैं भी हमेशा कुछ हद तक जुआरी था। पहले रुपये का जुआरी, और फिर बड़ी-बड़ी बाज़ियों का—जीवन की बड़ी-बड़ी समस्याओं का। १९०७

तथा १९०८ में हिन्दुस्तान की राजनीति में उथल-पुथल मची हुई थी और मैं उसमें वीरता के साथ भाग लेना चाहता था। ऐसी दशा में मैं आराम की जिन्दगी तो बसर कर ही नहीं सकता था। ये सब मिश्रित और कभी-कभी परस्पर-विरोधी इच्छायें मेरे मन में अजीब खिचड़ी पकाती, एक भँवर-सी पैदा कर देती। उन दिनों ये सब बातें अस्पष्ट तथा गोल-मोल थीं। परन्तु इससे उन दिनों मैं परेशान न था, क्योंकि इनका फैसला करने का समय तो अभी बहुत दूर था। तबतक जीवन—शरीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का—आनन्दमय था। हमेशा नित-नये क्षितिज दिखाई पड़ते थे। इतने काम करने थे, इतनी चीजें देखनी थी, इतने नये क्षेत्रों की खोज करनी थी! जाड़े की लम्बी रातों में हम लोग अँगीठी के सहारे बैठ जाते और धीरे-धीरे इतमीनान के साथ रात में आपस में बातें तथा विचार-विनिमय करते—उस समय तक जबतक अँगीठी की आग बुझकर हमें जाड़े से कँपाकर बिछौने पर भेज न देती थी। कभी-कभी वाद-विवाद में हमारी आवाज़ मामूली न रहकर तेज़ हो जाती और हम लोग बहस की गरमा-गरमी से जोश में आ जाते थे। लेकिन यह सब कहने भर को था। उन दिनों हम लोग जीवन की समस्याओं के साथ गम्भीरता के स्वाँग करके खँलते थे; क्योंकि उस वक्त तक वे हमारे लिए वास्तविक समस्यायें न हो पाई थी और हम लोग ससार के झमेलों के चक्कर में नहीं फँस पाये थे। वे दिन महायुद्ध से पहले के, बीसवीं शताब्दी के शुरू के थे। कुछ ही दिनों में हमारा वह संसार मिटने को था—इसलिए कि इससे ऐसे दूसरे संसार को जगह मिले जो दुनिया के युवकों के लिए मृत्यु और विनाश एवं पीड़ा तथा दिली रज से भरा हुआ हो। लेकिन उन दिनों यह ससार भविष्य के परदे में छिपा हुआ था और हमें अपने चारों तरफ एक सुनिश्चित तथा उन्नतिशील व्यवस्था दिखाई देती थी जो उन लोगों के लिए, जो उसमें रह सकते थे, आनन्दप्रद थी।

मैंने भोग-वाद तथा वैसी ही दूसरी और उन अन्य अनेक भावनाओं की चर्चा की है, जिन्होंने उन दिनों मेरे ऊपर अपना असर डाला। लेकिन यह सोचना ग़लत होगा कि मैंने उन दिनों इन विषयों पर भली-भाँति माफ़ तौर पर विचार कर लिया था, या मैंने उनकी बाबत स्पष्टतया निश्चित विचार करने की कोशिश करने की ज़रूरत भी समझी थी। वे तो कुछ अस्पष्ट तरंगें-मात्र थी जो मेरे मन में उठा करती थी और जिन्होंने अपने इसी दौरान में अपना थोड़ा या बहुत प्रभाव मेरे ऊपर अंकित कर दिया। इन बातों के ध्यान से मैं उन दिनों बिलकुल परेशान नहीं होता था। उन दिनों तो मेरी जिन्दगी काम और विनोद से भरी हुई थी। सिर्फ एक चीज़ ऐसी ज़रूर थी जिससे मैं कभी-कभी विचलित हो जाता था। वह थी हिन्दुस्तान की राज-

नैतिक कश्मकश। केम्ब्रिज में जिन किताबों ने मेरे ऊपर राजनैतिक असर डाला उनमें मेरीडिथ टाउनसेण्ड की 'एशिया और योरप' मुख्य है।

१९०७ में कई साल तक हिन्दुस्तान बेचैनी और कष्टों से मानों उबलता रहा। १८५७ के गदर के बाद पहली मर्तबा हिन्दुस्तान फिर लड़ने पर आमादा हुआ था। वह विदेशी शासन के सामने चुपचाप सिर झुकाने को तैयार न था। तिलक के कार्य-कलाप और कारावास की तथा अरविन्द घोष की खबरों से और बंगाल की जनता जिस ढंग से स्वदेशी और बहिष्कार की प्रतिज्ञायें ले रही थी उनसे इंग्लैण्ड में रहनेवाले तमाम हिन्दुस्तानियों में खलबली मच जाती थी। हम सब लोग बिना किसी अपवाद के तिलक-दल या गरम दल के थे। हिन्दुस्तान में यह नया दल उन दिनों इन्हीं नामों से पुकारा जाता था।

केम्ब्रिज में जो हिन्दुस्तानी रहते थे उनकी एक सोसायटी थी, जिसका नाम था मजलिस। इस मजलिस में हम लोग अक्सर राजनैतिक मामलों पर बहस करते थे, लेकिन ये बहसे कुछ हद तक बेवजूद थीं। इसमें पार्लैमेण्ट की अथवा यूनिवर्सिटी-यूनियन की बहस की शैली तथा अदाओं की नकल करने की जितनी कोशिश की जाती थी उतनी विषय को समझने की नहीं। मैं अक्सर मजलिस में जाया करता था, लेकिन तीन साल में मैं वहाँ शायद ही बोला हूँ। मैं अपनी भिन्नक और हिचकिचाहट को दूर नहीं कर सका। कॉलेज में "मेग्पाइ और स्टम्प" नाम की जो वाद-विवाद की सभा थी उसमें भी मुझे इसी कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस सभा में यह नियम था कि अगर कोई मेम्बर पूरी मियाद तक न बोले तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा, और मुझे अक्सर जुर्माना देना पड़ता था।

मुझे यह याद है कि एडविन मॉण्टेगु, जो पीछे जाकर भारत-मन्त्री हो गये थे, बहुत बार इस सभा में आया करते थे। वह ट्रिनिटी कॉलेज के पुराने विद्यार्थी थे और उन दिनों केम्ब्रिज की ओर से पार्लैमेण्ट के मेम्बर थे। पहले-पहल श्रद्धा की अर्वाचीन परिभाषा मैंने उन्हींसे सुनी। जिस बात के बारे में तुम्हारी बुद्धि यह कहे कि वह सच नहीं हो सकती, उसमें विश्वास करना ही सच्ची श्रद्धा है, क्योंकि तुम्हारी तर्क-शक्ति ने भी उसे पसन्द कर लिया तो फिर अन्धश्रद्धा का सवाल ही नहीं रहता। विश्वविद्यालय के विज्ञान के अध्ययन का मुझपर बहुत प्रभाव पड़ा और विज्ञान उन दिनों जिस तरह अपने सिद्धान्तों और निश्चयों को ला-कलाम समझता था वैसे ही समझने लगा था, क्योंकि उन्नीसवीं और बीसवीं शदी के शुरू के विज्ञान को आजकल के विज्ञान के बखिलाफ़ अपने निर्णयों की बाबत और ससार की बाबत बड़ा हतमीनाम था।

मजलिस में और निजी बातचीत में हिन्दुस्तान की राजनीति पर बहस करते

हुए हिन्दुस्तानी विद्यार्थी अक्सर बड़ी गरम तथा उग्र भाषा काम में लते थे, यहाँ तक कि बंगाल में जो हिंसाकारी कार्य शुरू होने लगे थे उनकी भी तारीफ़ कर जाते थे। लेकिन पीछे मने देखा कि यही लोग कुछ तो इण्डियन सिविल सर्विस के मेम्बर हुए, कुछ हाइकोर्ट के जज हुए, कुछ बड़े धीर-गम्भीर वकील तथा ऐसे ही लोग बन गये। इन आराम-गृह के आग-बबूलों में से बिरलों ने ही पीछे जाकर हिन्दुस्तान के राज-नैतिक आन्दोलनों में कारगर हिस्सा लिया होगा।

हिन्दुस्तान के उन दिनों के कुछ नामी राजनीतिज्ञों ने केम्ब्रिज में हम लोगों के पास आने की कृपा की थी। हम उनकी इज्जत तो करते थे, लेकिन हम उनसे इस तरह पेश आते थे मानों हम उनसे बड़े हैं। हम लोग महसूस करते थे कि हमारी शिक्षा-दीक्षा उनसे कहीं बढ़ी-चढ़ी थी और हम चीजों को उनके व्यापक रूप में देख सकते थे। जो लोग हमारे यहाँ आये उनमें विपिनचन्द्र पाल, लाला लाजपतराय और गोपालकृष्ण गोखले भी थे। विपिनचन्द्र पाल से हम अपने बैठने के एक कमरे में मिले। वहाँ हम सिर्फ़ एक दर्जन के करीब थे। लेकिन उन्होंने इतने जोर-जोर से बातें की मानों वह दस हजार की सभा में भाषण दे रहे हो। उनकी आवाज़ इतनी भारी थी कि मैं उनकी बात को बहुत ही कम समझ सका। लालाजी ने हमसे अधिक विवेक-पूर्ण ढंग से बातचीत की और उनकी बातों का मुझपर बहुत असर पड़ा। मैंने पिताजी को लिखा कि विपिनचन्द्र के मुक्काबिले में मुझे लालाजी का भाषण अधिक अच्छा लगा। इससे वह बड़े खुश हुए, क्योंकि उन दिनों उन्हें बंगाल के आग-बबूला राजनीतिज्ञ अच्छे नहीं लगते थे। गोखले ने केम्ब्रिज में एक सार्वजनिक सभा में भाषण दिया। उस भाषण की मुझे सिर्फ़ यही खास बात याद है कि भाषण के बाद अब्दुलमजीद ख्वाजा ने एक सवाल पूछा था। हॉल में खड़े होकर उन्होंने जो सवाल पूछना शुरू किया तो पूछते ही चले गये, यहाँ तक कि हममें से बहुतों को यही याद नहीं रहा कि सवाल शुरू किस तरह हुआ था और वह किस सम्बन्ध में था।

हिन्दुस्तानियों में हरदयाल का बड़ा नाम था। लेकिन वह मेरे केम्ब्रिज में पहुँचने से कुछ पहले आक्सफ़ोर्ड में थे। अपने हंदो के दिनों में मैं उनसे लन्दन में एक या दो बार मिला था।

केम्ब्रिज में मेरे समकालीनों में से कई ऐसे निकले जिन्होंने आगे जाकर हिन्दुस्तान की काँग्रेस की राजनीति में प्रमुख भाग लिया। जे० एम० सेनगुप्त मेरे केम्ब्रिज पहुँचने के कुछ दिन बाद ही वहाँ से चले गये। सैफुद्दीन किचलू, सैयद महमूद और तसद्दुक़अहमद शेरवानी कम-बढ़ मेरे समकालीन थे। एस० एम० सुलेमान भी, जो इन दिनों इलाहाबाद-हाइकोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं, मेरे समय में केम्ब्रिज में थे।

मेरे दूसरे समकालीनों में से कोई मिनिस्टर बना और कोई इण्डियन सिविल सर्विस का सदस्य ।

लन्दन में हम श्यामजी कृष्ण वर्मा और उनके इण्डिया-हाउस की बाबत भी सुना करते थे, लेकिन मुझे न तो वह कभी मिले और न मैं कभी उस हाउस में ही गया । कभी-कभी हमें उनका 'इण्डियन सोशलॉजिस्ट' नाम का अखबार देखने की मिल जाता था । बहुत दिनों बाद, सन् १९२६ में, श्यामजी मुझे जिनेवा में मिले थे । उनकी जेबें 'इण्डियन सोशलॉजिस्ट' की पुरानी कापियों से भरी रहती थीं और वह प्रायः हरेक हिन्दुस्तानी की, जो उनके पास जाता था, ब्रिटिश-सरकार का भेजा हुआ भेदिया समझते थे ।

लन्दन में इण्डिया-ऑफिस ने विद्यार्थियों के लिए एक केन्द्र खोला था । इसकी बाबत तमाम हिन्दुस्तानी यही समझते थे कि यह हिन्दुस्तानी विद्यार्थियों के भेद जानने का एक जाल है और इसमें बहुत कुछ सच्चाई भी थी । फिर भी यह बहुतसे हिन्दुस्तानियों को बरदाश्त करना पड़ता था, चाहे मन से हो या बेमन से, क्योंकि उसकी सिफारिश के बिना किसी विश्वविद्यालय में दाखिल होना औरमुमकिन हो गया था ।

हिन्दुस्तान की राजनैतिक स्थिति ने मेरे पिताजी को अधिक सक्रिय राजनीति की ओर खींच लिया था और मुझे इस बात से खुशी हुई थी, हालाँकि मैं उनकी राजनीति से सहमत नहीं था । यह स्वाभाविक ही था कि वह माडरेटों में शामिल हुए, क्योंकि उनमें से बहुतों को वह जानते थे और उनमें से बहुत-से वकालत में उनके साथी थे । उन्होंने अपने सूत्र की एक कान्फ़ेस का सभापतित्व भी किया था और बंगाल तथा महाराष्ट्र के गरम-दलवालों की तीव्र आलोचना की थी । वह संयुक्त-प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के सभापति भी बन गये थे । १९०७ में जिस समय सूरत में कांग्रेस में गोलमाल होकर वह भंग हुई और अन्त में सोलहों आना माडरेटों की हो गई, उस समय वह उपस्थित थे ।

सूरत के कुछ ही दिनों बाद एच० डबलू० नेविन्सन कुछ समय तक इलाहाबाद में पिताजी के अतिथि बनकर रहे । उन्होंने हिन्दुस्तान पर जो किताब लिखी उसमें पिताजी की बाबत लिखा कि "वह मेहमानों की खातिर-तवाजो को छोड़कर और सब बातों में माडरेट हैं ।" उनका यह अन्दाज कतई ग़लत था; क्योंकि पिताजी अपनी राजनीति को छोड़कर और किसी बात में कभी माडरेट नहीं रहे और उनकी प्रकृति ने धीरे-धीरे उनको उस बची-खुची नरमी से भी दूर भगा दिया । प्रचण्ड भावों, प्रबल बिकारों, घोर अभिमान और महती इच्छा-शक्ति से सम्पन्न वह माडरेटों की

उन्नति से बहुत ही दूर थे। फिर भी १९०७ और १९०८ में और कुछ साल बाद तक वह बेशक माडरेटों में भी माडरेट थे और गरम-दल के सरल खिलाफ थे, हालांकि बेरा खयाल है कि वह तिलक की तारीफ करते थे।

ऐसा क्यों था ? कानून और विधि-विधान ही उनके बुनियादी पाये थे, सो उनके लिए यह स्वाभाविक ही था कि वह राजनीति को वकील और विधानवादी की दृष्टि से देखते। उनकी स्पष्ट विचारशीलता ने उन्हें यह दिखाया कि कड़े और गरम शब्दों से तबतक कुछ होता-जाता नहीं जबतक कि इन शब्दों के मुताबिक काम न हो और उन्हें किसी कारगर काम की कोई सम्भावना नज़दीक में दिखाई नहीं देती थी। उनको यह नहीं मालूम होता था कि स्वदेशी और बहिष्कार के आन्दोलन हमें बहुत दूर तक ले जा सकेंगे। इसके अलावा इन आन्दोलनों की पुस्त में वह धार्मिक राष्ट्रीयता थी जो उनकी प्रकृति के प्रतिकूल थी। वह प्राचीन भारत के पुनरुद्धार की आशा नहीं लगाते थे। ऐसी बातों को न तो वह कुछ समझते ही थे, न इनसे उन्हें कोई हमदर्दी ही थी। इसके अलावा बहुतसे पुराने सामाजिक रीति-रिवाजों को, जात-पात वगैरा को, वह क्रतई नापसन्द करते थे और उन्हें उन्नति-विरोधी मानते थे। उनकी दृष्टि पश्चिम की ओर थी। पश्चात्य ढंग की उन्नति की ओर उनका बहुत अधिक आकर्षण था और वह समझते थे कि ऐसी उन्नति हमारे देश में इंग्लैण्ड के संसर्ग से ही आ सकती है।

१९०७ में हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता का जो पुनरुत्थान हुआ वह सामाजिक दृष्टि से ज़रूर पीछे घसीटनेवाला था। हिन्दुस्तान की नई राष्ट्रीयता, पूर्व के दूसरे देशों की तरह, अवश्य ही धार्मिकता को लिये हुए थी। इस दृष्टि से माडरेटों का सामाजिक दृष्टिकोण अधिक उन्नतिशील था। परन्तु वे तो चीटी के सिर्फ मुट्ठीभर मनुष्य थे जिनका आम जनता से कोई सम्बन्ध न था। वे समस्याओं पर अर्थशास्त्र की दृष्टि से अधिक विचार नहीं करते थे, महज उस ऊपरी मध्यम वर्ग के लोगो के दृष्टिकोण से विचार करते थे जिसके कि वे आशिक प्रतिनिधि थे और जो अपने विकास के लिए जगह चाहता था। वह जाति के बन्धनों को ढीला करने और उन्नति को रोकनेवाले पुराने सामाजिक रिवाजों को दूर करने के लिए छोटे-छोटे सामाजिक मुधारों की पैरवी करते थे।

माडरेटों के साथ अपना भाग्य जोड़कर पिताजी ने आक्रामक ढंग अस्त्यार किया। बंगाल और पूना के कुछ नेताओं को छोड़कर अधिकांश गरम-दलवाले नौजवान थे और पिताजी को इस बात से बहुत चिढ़ थी कि ये कल के छोकरे अपने मन-माफ़िक काम करने की हिम्मत करते हैं। विरोध से वह अधीर हो जाते थे, विरोध को सहन नहीं कर सकते थे, जिन लोगों को वह बेवकूफ समझते थे उनको तो फूटी आँख भी नहीं देख सकते थे। और इसलिए वह जब कभी मौका मिलता उनपर दूट पड़ते थे।

मेरा खयाल है कि केम्ब्रिज छोड़ देने के बाद मैंने उनका एक लेख पढ़ा था, जो मुझे बहुत बुरा मालूम हुआ था और मैंने उन्हें एक गुस्ताखाना खत लिखा, जिसमें मैंने यह भी झलकाया कि इसमें शक नहीं कि आपकी राजनैतिक कार्यवाहियों से ब्रिटिश सरकार बहुत खुश हुई होगी। यह एक ऐसी बात थी जिसे सुनकर वह आपे से बाहर हो सकते थे, और वह सचमूच बहुत नाराज हुए भी। उन्होंने करीब-करीब यहाँ तक सोच लिया था, कि मुझे फ़ौरन इंग्लैण्ड से वापस बुला लें।

जब मैं केम्ब्रिज में रहता था तभी यह सचाल उठ खड़ा हुआ था कि मुझे कौन-सा 'कैरियर' चुनना चाहिए। कुछ समय के लिए इण्डियन सिविल सर्विस की बात भी सोची गई। उन दिनों तक उसमें एक खास आकर्षण था। परन्तु चूँकि न तो पिताजी ही उसके लिए बहुत उत्सुक थे न मैं ही, इसलिए वह विचार छोड़ दिया गया। मेरा खयाल है कि इसका मुख्य कारण यह था कि उसके लिए अभी मेरी उम्र कम थी और अगर मैं उस इम्तिहान में बैठना चाहता तो मुझे जपनी डिग्री लेने के बाद भी तीन-चार साल और वहाँ ठहरना पड़ता। मैंने केम्ब्रिज में जब अपनी डिग्री ली तब मैं २० बरस का था और उन दिनों इण्डियन सिविल सर्विस के उम्र की मियाद २२ बरस से लेकर २४ बरस तक थी। इम्तिहान में कामयाब होते पर इंग्लैण्ड में एक साल और बिताना पड़ता है। मेरे परिवार के लोग मेरे इंग्लैण्ड में इतने दिनों तक रहने के कारण ऊब गये थे और चाहते थे कि मैं जल्द ही घर लौट जाऊँ। मेरे पिताजी पर एक बात का और भी जोर पड़ा, और वह बात यह थी कि अगर मैं आई० सी० एम० हो जाता तो मुझे घर से दूर-दूर जगहों में रहना पड़ता। पिताजी और मा दोनों ही यह चाहते थे कि इतने दिनों तक अलग रहने के बाद मे उनकें पास ही रहूँ। बस, पासा पुस्तकें पेशे के यानी वकालत के पक्ष में पड़ा और मैं इनर टैम्पल में भरती हो गया।

यह अजीब बात है कि राजनीति में गरम-दल की ओर झुकाव बढ़ता जाने पर भी आई० सी० एम० में शामिल होने को और इस तरह हिन्दुस्तान में ब्रिटिश-शासन-मशीन का एक पुरजा बनने के खयाल को मैंने ऐसा बुरा नहीं समझा। आगे के सालों में इस तरह का खयाल मुझे बहुत त्याज्य मालूम होता।

१९१० में अपनी डिग्री लेने के बाद मैं केम्ब्रिज से चला आया। ट्राइपस के इम्तिहान में मुझे मामूली सफलता मिली, दूसरे दर्जे में सम्मान के साथ पास हुआ। अगले दो साल मैं लन्दन के इधर-उधर घूमता रहा। मेरी कानून की पढ़ाई में बहुत समय नहीं लगता था और बैरिस्टरी के एक के बाद दूसरे इम्तिहान में मैं पास होता रहा, हाँ; उसमें मुझे न तो सम्मान मिला न अपमान। बाकी वक्त मैंने यों ही

बिताया। कुछ आम किताबें पढ़ी, फॉबियन और समाजवादी विचारों की ओर एक बस्पष्ट आकर्षण हुआ और उन दिनों के राजनैतिक आन्दोलन में भी दिलचस्पी हुई। आयर्लैण्ड के और स्त्रियों के मताधिकार के आन्दोलन में मेरी खास दिलचस्पी थी। मुझे यह भी याद है कि १९१० की गर्मी में जब मैं आयर्लैण्ड गया तो सिनफ़िन-आन्दोलन की शुरुआत ने मुझे अपनी तरफ़ खींचा था।

इन्हीं दिनों मुझे हैंरो के पुराने दोस्तों के साथ रहने का मौक़ा मिला और उनके साथ मेरी आदतें खर्चीली हो गईं। पिताजी मुझे खर्च को काफ़ी रूपया भेजते थे, लेकिन मैं अक्सर उससे भी ज्यादा खर्च कर डालता था। इसलिए उन्हें मेरे बारे में बड़ी चिन्ता हो गई थी और उन्हें अन्देशा हो गया कि कहीं मैं बुरे रास्ते तो नहीं पड़ गया हूँ। परन्तु मैं दरहकीकत ऐसी कोई खास बात नहीं कर रहा था। मैं तो सिर्फ़, उन खुशहाल परन्तु कुछ हद तक खाली-दिमाग अंग्रेज़ों की नक़ल-भर कर रहा था जो 'मैन अबाउट टाउन' कहलाते थे। यह कहना बेकार है कि इस उद्देश-हीन आराम-तलाबी की जिन्दगी से मेरी किसी तरह की कोई तरक्की नहीं हुई। मेरे पहले के हौसले ठंडे पड़ने लगे और खाली एक चीज़ जो बढ़ रही थी वह था मेरा घमण्ड।

छुट्टियों में मैंने कभी-कभी योरप के जुदा-जुदा देशों की भी सैर की। १९०९ की गर्मी में जब काउन्ट जैपलिन अपने नये हवाई जहाज़ में कौन्स्टेन्स झील पर फ़ीडरिच शॉफ़िन से उड़कर बर्लिन आये तब मैं और पिताजी दोनों वही थे। मेरा खयाल है कि वह उसकी सबसे पहली लम्बी उड़ान थी। इसलिए उस अवसर पर बड़ी खुशी मनाई गई और खुद क्रैसर ने उसका स्वागत किया। बर्लिन के टेम्प्लॉफ़ फ़ील्ड में जो भीड़ इकट्ठी हुई थी वह दस लाख से लेकर बीस लाख तक कूती गई थी। जैपलिन ठीक समय पर आकर बड़ी वज़ादारी के साथ हमारे आसपास चक्कर लगाने लगा। ऐडलॉ होटल ने उस दिन अपने सब निवासियों को काउन्ट जैपलिन का एक-एक सुन्दर चित्र भेंट किया था। वह चित्र अबतक मेरे पास है।

कोई दो महीने बाद हमने पैरिस में वह हवाई जहाज़ देखा जो उस शहर पर पहले-पहल उड़ा और जिसने एफ़िल टावर के चक्कर पहले लगाये। मेरा खयाल है कि उड़ाने का नाम काम्टे डि लैम्बर्ट था। अठारह बरस बाद जब लिडबर्ग अटलांटिक के उस पार से दमकते हुए तीर की तरह उड़कर पैरिस आया था तब भी मैं वहाँ था।

१९१० में केम्ब्रिज से अपनी डिग्री लेने के बाद फौरन ही जब मैं सैर-सपाटे के लिए नारवे गया हुआ था तब मैं बाल-बाल बचा। हम लोग पहाड़ी प्रदेश में पैदल घूम रहे थे। बुरी तरह थके हुए एक छोटे-से होटल में अपने मुकाम पर पहुँचे

और गरमी के मारे नहाने की इच्छा प्रकट की। वहाँ ऐसी बात पहले किसीने न सुनी थी। होटल में नहाने के लिए कोई इन्तजाम न था। लेकिन हमको यह बता दिया गया कि हम लोग पास की एक नदी में नहा सकते हैं। अतः मेज के या मुँह पोंछने के छोटे-छोटे तौलियों से, जो होटल ने हमें उदारतापूर्वक प्रदान किये थे, सुसज्जित होकर हम में से दो, एक में और एक नौजवान अंग्रेज़, पड़ोस के हिम-सरोवर से निकलती और दहाड़ती हुई तूफानी धारा में जा पहुँचे। मैं पानी में धुस गया। वह गहरा तो न था लेकिन ठंडा इतना था कि हाथ-पैर जमे जाते थे और उसकी ज़मीन बड़ी रपटीली थी। मैं फिसल कर गिर गया। बरफ़ की तरह ठंडे पानी से मेरे हाथ-पैर निर्जीव हो गये। मेरा शरीर और सारे अवयव सुन्न पड़ गये, मेरे पैर जम न सके, तूफानी धारा मुझे तेज़ी से बहाये ले जा रही थी, परन्तु मेरा अंग्रेज़ साथी किसी तरह बाहर निकलकर मेरे साथ भागने लगा और अन्त में किसी तरह मेरा पैर पकड़ने में कामयाब हुआ और मुझे बाहर खींच लिया। इसके बाद हमें यह मालूम हुआ कि हम कितने बड़े खतरे में थे, क्योंकि हमसे दो-तीन सौ गज की दूरी पर यह पहाड़ी धारा एक विशाल चट्टान के नीचे गिरती थी जिसका जल-प्रपात उस जगह की एक दर्शनीय चीज़ थी।

१९१२ की गरमी में मैंने बैरिस्टरी पास करली और उसी साल शरद् ऋतु में मैं, कोई सात साल से ज्यादा इंग्लैंड में रहने के बाद, आखिर को हिन्दुस्तान लौट आया। इस बीच छुट्टी के दिनों में दो बार मैं घर गया था। परन्तु अब मैं हमेशा के लिए लौटा और मुझे शक है कि जब मैं बम्बई में उतरा तो कुछ ऐसा अभिमानी-सा था कि मेरे क़द्र किये जाने की बहुत कम गुजाइश थी।

हिन्दुस्तान की युद्धकालीन राजनीति

१९१२ के आखिर में राजनैतिक दृष्टि से हिन्दुस्तान बहुत सुस्त था। तिलक जेल में थे, गरम दलवाले कुचल दिये गये थे। किसी कारगर नेतृत्व के न होने से वे चुपचाप पड़े हुए थे। बंग-भंग दूर होने पर बंगाल में शान्ति हो गई थी और सरकार को कौंसिलों की मिन्टो-मॉरले योजना के मातहत माडरेटों को अपनी तरफ खींचने में पूरी तरह कामयाबी मिल गई थी। प्रवासी भारतीयों की समस्या के बारे में, खास तौर पर दक्षिण अफ्रीका में रहनेवाले भारतीयों की दशा के बारे में, कुछ दिलचस्पी ज़रूर थी। काँग्रेस माडरेटों के हाथ में थी। साल भर में एक बार उसका जलसा होता था और वह कुछ ढीले-ढाले प्रस्ताव पास कर देती थी। उसकी तरफ लोगों का ध्यान बहुत ही कम जाता था।

१९१२ की बड़े दिन की छुट्टियों में मे डेलीगेट की हैसियत से बांकीपुर की काँग्रेस में शामिल हुआ। बहुत हद तक वह अंग्रेज़ी जाननेवाले उच्च श्रेणी के लोगों का मजमा था, जिसमें सुबह पहनने के कोट और सुन्दर इस्तरी किये हुए पतलून बहुत दिखाई देते थे। वस्तुतः वह एक प्रकार का सामाजिक उत्सव था, जिसमें किसी प्रकार की राजनैतिक उत्तेजना या खींच-तानी न थी। गोखले, जो हाल ही अफ्रीका से लौटकर आये थे, उसमें शामिल हुए थे। उस अधिवेशन के प्रमुख पुरुष वही थे। उनकी तेज-स्विता, उनकी सचाई और उनकी शक्ति से वहाँ आये उन थोड़े-से व्यक्तियों में वही एक ऐसे मालूम होते थे जो राजनीति और सार्वजनिक मामलों पर संजीदगी से विचार करते थे और उनके सम्बन्ध में गहराई से सोचते थे। मेरे ऊपर उनका अच्छा प्रभाव पड़ा।

जब गोखले बांकीपुर से लौट रहे थे तब एक खास घटना हो गई। वह उन दिनों पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य थे। उस हैसियत से उन्हें अपने लिए एक फर्स्ट-क्लास का डब्बा रिज़र्व कराने का हक था। उनकी तबीयत ठीक न थी और लोगों की भीड़ से तथा बेमेल साधियों से उनके आराम में खलल पड़ता था। इसलिए वह चाहते थे कि उन्हें एकान्त में चुपचाप पड़ा रहने दिया जाय और काँग्रेस के अधिवेशन के बाद वह उत्सुक थे कि सफ़र में उन्हें शान्ति मिले। उन्हें उनका डब्बा मिल गया, लेकिन बाक़ी गाड़ी कलकत्ता लौटनेवाले प्रतिनिधियों से ठसाठस भरी हुई थी। कुछ समय के बाद भूपेन्द्रनाथ बसु, जो बाद में जाकर इंडिया कौंसिल के मेम्बर

हुए, गोखलेजी के पास गये और यों ही बातचीत में उनसे पूछने लगे कि क्या मैं आपके डब्बे में सफ़र कर सकता हूँ ? यह सुनकर पहले तो गोखले कुछ चौंके, क्योंकि वसु महाशय बड़े बातूनी थे, लेकिन फिर स्वभाव-वश वह राजी हो गये । चन्द मिनट बाद वसु फिर श्री गोखले के पास आये और उनसे कहने लगे कि अगर मेरे एक और दोस्त आपके साथ इसी कम्पार्टमेंट में चले चले तो आपको तकलीफ़ तो न होगी ? गोखले ने फिर चुप-चाप 'हाँ' कर दिया । ट्रेन छूटने से कुछ समय पहले वसु साहब ने फिर उसी ढंग से कहा कि मुझे और मेरे साथी को ऊपर की बर्थों पर सोने में बहुत तकलीफ़ होगी, इसलिए अगर आपको तकलीफ़ न हो तो आप ऊपर की बर्थ पर सो जायँ और हम दोनों नीचे की दोनों बर्थों पर सो जायँ । मेरा खयाल है कि अन्त में यही हुआ और बेचारे गोखले को ऊपरी बर्थ पर चढ़कर जैसे-तैसे रात बितानी पड़ी ।

मेरे हाइकोर्ट में वकालत करने लगा । कुछ हद तक मुझे अपने काम में दिलचस्पी आने लगी । योरप से लौटने के बाद शुरू-शुरू के महीने बड़े आनन्द के थे । मुझे घर आने और वहाँ आकर पुरानी मेल-मुलाकातों को ताज़ा कर लेने से खुशी हुई । परन्तु धीरे-धीरे, अपनी तरह के अधिकांश लोगों के साथ-साथ, मुझे जिस तरह की ज़िन्दगी बितानी पड़ती थी, उसकी सब ताज़गी गायब होने लगी और मैं यह महसूस करने लगा कि मैं बेकार और उद्देश-हीन जीवन की नीरस खाना-पूरी में ही फँस रहा हूँ । मेरे मन में अपनी परिस्थितियों से जो असन्तोष था उसके लिए मैं समझता हूँ कि मेरी दोगली या कम-से-कम खिचड़ी शिक्षा जिम्मेदार थी । इंग्लैण्ड की अपनी सात बरस की ज़िन्दगी में मेरी जो आदतें और जो भावनाये बन गई थी वे जिन चीज़ों को मैं यहाँ देखता था उनसे मेल नहीं खाती थी । मोभाग्य से मेरे घर का वायु-मण्डल बहुत अनुकूल था और उससे कुछ शान्ति भी मिलती थी । परन्तु उतना भी काफ़ी न था । उसके बाद तो वही बार-लाइनेरी, वही क्लब और दोनों में वही साथी, जो आम तौर पर उन्हीं कानूनी पेशे सम्बन्धी पुराने विषयों पर ही बार-बार बातें करते थे । निस्सन्देह यह वायु-मण्डल ऐसा न था जिससे बुद्धि को कुछ स्फूर्ति मिले और मेरे मन में जीवन के नितान्त नीरसपन या मनहूसी का भाव घर करने लगा । वहाँ विनोद या प्रमोद की बातें कहने को भी न थी ।

ई० एम० फॉर्स्टर ने हाल ही में लाबेज़ डिक्सन की जो जीवनी लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि डिक्सन ने एक बार हिन्दुस्तान के बारे में कहा था कि, "ये दोनों जातियाँ (यूरोपियन और हिन्दुस्तानी) एक दूसरे से क्यों नहीं मिल सकती ? महज़ इसलिए कि हिन्दुस्तानियों से अँग्रेज़ ऊब जाते हैं; यही सीधा और कठोर

सत्य है।" यह सम्भव है कि बहुतसे अंग्रेज यही महसूस करते हों और इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। दूसरी पुस्तक में फ्रांस्टर ने कहा है, कि हिन्दुस्तान में हरेक अंग्रेज यही महसूस करता है और उसीके मुताबिक बर्ताव करता है कि वह जीते हुए देश पर कब्जा बनाये रखनेवाली सेना का एक सदस्य है और ऐसी हालत में दोनों जातियों में परस्पर सहज और संकोचहीन सम्बन्ध स्थापित होना असंभव है। हिन्दुस्तानी और अंग्रेज दोनों ही एक-दूसरे के सामने बनते हैं और स्वभावतः दोनों एक-दूसरे के सामने असुविधा महसूस करते हैं। दोनों एक-दूसरे से ऊबे रहते हैं और जब दोनों ही एक-दूसरे से अलग होते हैं तो उन्हें खुशी होती है और वे आजादी के साथ साँस लेते तथा फिर से स्वभाविक रूप में चलने-फिरने लगते हैं।

आम तौर पर अंग्रेज उन एक ही किस्म के हिन्दुस्तानियों से मिलते हैं जिनका हाकिमों की दुनिया से ताल्लुक रहता है। वास्तव में भले और बढ़िया लोगों तक उनकी पहुँच ही नहीं होती और अगर ऐसा कोई शरूस उन्हें मिल भी जाय, तो वे उससे जी खोलकर बात करने को तैयार नहीं कर पाते। हिन्दुस्तान में ब्रिटिश शासन ने, सामाजिक मामलों में भी, हाकिमों की श्रेणी को ही महत्व देकर आगे बढ़ाया है। इनमें हिन्दुस्तानी और अंग्रेजी दोनों ही तरह के हाकिम आ जाते हैं। इस वर्ग के लोग खास तौर पर मट्टे और तंग खयाल के होते हैं। एक सुयोग्य अंग्रेज नौजवान भी हिन्दुस्तान में आने पर शीघ्र ही एक प्रकार की मानसिक और सांस्कृतिक तन्त्रा में प्रस्त होकर तथा समस्त सजीव विचारों और आन्दोलनों से अलग हो जाता है। दफ्तर में, दिन-भर हमेशा चक्कर लगाती रहनेवाली अथाह और अनन्त फाइलों में, सिर खपाने के बाद ये हाकिम थोड़ा-सा व्यायाम करते हैं। फिर वहाँ से अपने समाज के लोगों से मिलने-जुलने को क्लब में चले जाते हैं, वहाँ क्विस्की पीते हैं तथा इंग्लैंड से आये हुए 'पंच' आदि सचित्र साप्ताहिक पत्र पढ़ते हैं। किताब तो वे शायद ही पढ़ते हों। पढ़ते भी होंगे तो अपनी किसी पुरानी मनचाही किताब को ही। इसपर भी अपने इस क्रमशः मानसिक हास के लिए वे हिन्दुस्तान पर दोष मढ़ते हैं, यहाँ की आबोहवा को कोसते हैं और आम तौर पर आन्दोलन करनेवालों को बददुआ देते हैं जो उनकी दिक्कतें बढ़ाते हैं। लेकिन यह महसूस नहीं कर पाते कि उनके मानसिक और सांस्कृतिक क्षय का कारण वह मजबूत नौकरशाही तथा स्वेच्छा-चारी शासन-प्रणाली है जो हिन्दुस्तान में प्रचलित है और वह खुद जिसका एक छोट्टा-सा पुर्जा है।

इतनी छुट्टियाँ और फर्लौ मिलने पर भी जब अंग्रेज हाकिमों की यह हालत है तो हिन्दुस्तानी अफसर जो उनके साथ या उनके मातहत काम करते हैं वे उनसे बेहतर कैसे

हो सकते हैं, क्योंकि वे तो अंग्रेजी नमूने की नकल करने की कोशिश करते हैं। साम्राज्य की राजधानी नई दिल्ली में ऊँचे हिन्दुस्तानी और अंग्रेज़ हाकिमों के पास बैठकर तरक्की, छुट्टी के क़ायदों, तवादलों और नौकर तथा नौकरों की रिक्वतखोरी तथा बेईमानियों वगैरा के किस्सों को सुनने से ज्यादा जी घबरानेवाली बात शायद ही कोई हो।

शायद कुछ हद तक कलकत्ता, बम्बई जैसे शहरों को छोड़कर बाकी सब जगहों में इस हाकिमाना और 'सविस' के वातावरण ने हिन्दुस्तान की मध्य श्रेणी के लगभग तमाम लोगों की जिन्दगी पर, खास तौर पर अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों के जीवन पर, चढ़ाई करके उसे अपने रंग में रंग दिया है। पेशेवर लोग—जैसे वकील, डाक्टर तथा दूसरे लोग भी—उसके शिकार हो गये, और अर्द्धसरकारी विश्वविद्यालयों के शिक्षा-भवन भी उससे न बच सके। ये सब लोग अपनी एक अलग दुनिया में रहते हैं जिसका सर्व-साधारण से तथा मध्यम श्रेणी के नीचे के लोगों से क़तई कोई ताल्लुक नहीं है। उन दिनों राजनीति इसी ऊपर की तह के लोगों तक महदूद थी। बंगाल में १९०६ के राष्ट्रीयता के आन्दोलन ने ज़रा इस वस्तुस्थिति को झकझोर कर बंगाल के मध्यम श्रेणी के नीचे के लोगों में और कुछ हद तक जनता में भी नई जान डाल दी। आगे चलकर गाँधीजी के नेतृत्व में यह सिलसिला और तेज़ी से बढ़ने को था।

१. मैंने इस पुस्तक में सब जगह महात्मा गाँधी के बजाय गाँधीजी लिखा है, क्योंकि वह खुद 'महात्मा गाँधी' के बदले 'गाँधीजी' कहा जाना पसन्द करते हैं। परन्तु अंग्रेज़ लेखकों के लेखों व पुस्तकों में मैंने इस 'जी' की विचित्र व्याख्यायें देखी हैं। कुछ ने कल्पना कर ली है कि वह प्यार का शब्द है और गाँधीजी के मानी हैं, 'नन्हे से प्यारे गाँधी'। यह बिलकुल वाहियात है और इससे यही मालूम होता है कि ऐसा लिखनेवालों को भारतीय जीवन के बारे में कितना अज्ञान है। हिन्दुस्तान में 'जी' एक सबसे ज्यादा मामूली शब्द है जो मर्द, औरत, लड़के, लड़की, बच्चे सबके नाम के आगे अन्धाधुन्ध लगा दिया जाता है। उसमें सम्मान का भाव ज़रूर रहता है, जैसे कि 'मिस्टर' और 'मिसेज़' में रहता है। दरबारी मुद्दावरों में और नामों के आगे-पीछे के शब्दों तथा सम्मान्य उपाधियों में हिन्दुस्तानी भाषा बहुत भरपूर है। 'जी' बिलकुल शुद्ध होते हुए भी इन सबसे ज्यादा सरल और घरेलू है, हालाँकि अपने बहनोंई रणजीत एस० पण्डित से मुझे मालूम हुआ कि 'जी' की वंश-परम्परा बहुत पुरानी तथा प्रतिष्ठित है। वह संस्कृत के 'आर्य' शब्द से (नाज़ियों का आर्यन नहीं) निकला है जिसके मानी हैं सक्कन या कुलीन। प्राकृत में यही आर्य 'अज' हो गया। उससे सरल 'जी' निकला।

परन्तु राष्ट्रीय संग्राम जीवनप्रद होने पर भी वह एक संकीर्ण सिद्धान्त होता है और वह अपनेमें इतनी अधिक शक्ति तथा इतना अधिक ध्यान लगवा लेता है कि दूसरे कामों के लिए कुछ नहीं बचता।

इसलिए इंग्लैण्ड से लौटने के बाद उन शुरू के सालों में, मैं जीवन से असन्तोष अनुभव करने लगा। अपने वकालत के पेशे में मुझे पूरा उत्साह नहीं था। राजनीति के मानी मेरे मन में यह थे कि विदेशी शासन के खिलाफ आक्रमणकारी राष्ट्रीय आन्दोलन हो। लेकिन उस समय की राजनीति में इसके लिए कोई गुजाइश नहीं थी। मैं कांग्रेस में शरीक हो गया और उसकी बैठकों में जाता रहता। फिजी में हिन्दुस्तानी मजदूरों के लिए शर्तबन्दी कुली-प्रथा के खिलाफ या दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने के खिलाफ यानी ऐसे खास मौकों पर जब कभी कोई आन्दोलन खड़ा होता तो मैं अपनी पूरी ताकत से उसमें जुटकर खूब मेहनत करता। लेकिन ये काम तो सिर्फ कुछ समय के लिए ही होते थे।

शिकार जैसे दूसरे कामों में मैंने अपना जी बहलाना चाहा, लेकिन उनकी तरफ मेरी खास रगबत या झुकाव न था। बाहर जाना और जंगलों में घूमना तो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन इस बात की ओर मैं कम ध्यान देता कि कोई जानवर मारू। सच बात तो यह है कि मैं जानवरों को मारने के लिए कभी मशहूर नहीं हुआ, हालांकि एक दिन कश्मीर में थोड़े-बहुत इतिफाक से ही एक रीछ के मारने में मुझे कामयाबी मिल गई थी। शिकार के लिए मेरे मन में जो थोड़ा-बहुत उत्साह था वह भी एक छोटे-से बारहसिंगे के साथ जो घटना हुई उससे ठंडा पड़ गया। यह छोटा-सा निर्दोष अहिंसक पशु चोट से मरकर मेरे पैरों पर गिर पड़ा और अपनी आँसूभरी बड़ी-बड़ी आँखों से मेरी तरफ देखने लगा। तबसे उन आँखों की मुझे अकमर याद आ जाती है।

उन शुरू के सालों में श्री गोखले की भारत-सेवक-समिति की ओर भी मेरा आकर्षण हुआ था। मैंने उसमें शामिल होने की बात तो कभी नहीं सोची। कुछ तो इसलिए कि उनकी राजनीति मेरे लिए बहुत ही नरम थी और कुछ इसलिए कि उन दिनों अपना पेशा छोड़ने का मेरा कोई इरादा न था। परन्तु समिति के सम्बन्धों के लिए मेरे दिल में बड़ी इज्जत थी; क्योंकि उन्होंने निर्वाह मात्र पर अपने-को स्वदेश की सेवा में लगा दिया था। मैंने दिल में कहा कि कम-से-कम यह एक ऐसी समिति है जिसके लोग एकाग्र-चित्त होकर लगातार सीधे काम करते हैं, फिर चाहे वह काम सोलहों आने ठीक दिशा में भले ही न हो।

मगर एक छोटे-से मामले में, जिसका राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं था, श्री

श्रीनिवास शास्त्री ने मेरे दिल को बड़ा धक्का पहुँचाया। वह इलाहाबाद में विद्यार्थियों की एक सभा में भाषण दे रहे थे। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि अपने शिक्षकों और प्रोफेसरों की इज्जत करो, उनकी आज्ञा मानो और वैध अधिकारियों द्वारा जो क्रायवे-क्रानून बना दिये जायें उनका सावधानी के साथ पालन करो। उनकी ये भली-भली बातें मुझे ज़रा भी पसन्द न आईं। ये सब पुरानी और मामूली बातें थीं और सो भी अवाञ्छनीय; क्योंकि उनमें सत्तावाद पर अधिक जोर दिया गया था। मैंने सोचा कि शायद यह इसलिए ही कि हिन्दुस्तान में अर्द्ध सरकारी वातावरण फैला हुआ है। मगर श्री शास्त्री ने आगे बढ़कर विद्यार्थियों को आदेश दिया कि वे एक-दूसरे के अकर्मों और कुकर्मों की रिपोर्ट अधिकारियों को तुरन्त कर दें। दूसरे शब्दों में वे एक-दूसरे का भेद लेते रहें और भेद देनेवालों का काम करें। यद्यपि श्री शास्त्री ने इन सरल शब्दों का व्यवहार नहीं किया था, लेकिन मुझे उनके मानी साफ़ दिखाई दे रहे थे। मैं एक बड़े नेता की इस दोस्ताना सलाह को सुनकर दंग रह गया। मैं उन दिनों नया-नया ही इंग्लैण्ड से लौटा था, और वहाँ मेरे स्कूल व कॉलेज में मेरी जिस शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था, वह यही थी कि अपने साथी के साथ कभी विश्वासघात मत करो। सौजन्य के नियमों के खिलाफ़ इससे बड़ा पाप और कोई न था कि आप छिपकर सुनें और भेद देकर अपने साथी को विपत्ति में डालें। इस सिद्धान्त को यकायक इस तरह सोलहों आने उलटा जाता देखकर मुझे बहुत बेचैनी हुई और मैंने यह अनुभव किया कि मुझे जो सदाचार सिखाया गया है उसमें और श्री शास्त्री के सदाचार में ज़मीन-आस्मान का अन्तर है।

विश्व-व्यापी महा-युद्ध में हमारा ध्यान लग गया, हालाँकि वह हमसे बहुत दूर हो रहा था। शुरू में उससे हमारे जीवन पर ऐसा ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा और हिन्दुस्तान ने तो उसकी बीभन्सता का पूरा रूप अनुभव भी नहीं किया। राजनीति के बरसाती नाले बहते और लोप हो जाते थे। ब्रिटिश डिफ़ेन्स आफ़ रिपब्लिक एक्ट की तरह जो भारत-रक्षा नामक कानून बना था, वह देश को जोर से जकड़े हुए था। लड़ाई के दूसरे साल से ही षडयन्त्रों की और गोलियों से मारे जाने की खबरें आने लगीं। उधर पंजाब में रंगरूटों की ज़बरन भरती की खबरें सुनाई देती थीं।

यद्यपि लोग जोर-जोर से राजभक्ति का राग बलापते थे तो भी अंग्रेज़ों के साथ उनकी बहुत ही कम हमदर्दी थी। जर्मनी की जीत की खबरें सुनकर माडरेट और गरम-दलवाले दोनों को ही खुशी होती थी। यह नहीं कि किसीको जर्मनी से कोई प्रेम था, बल्कि यह इच्छा थी कि हमारे प्रभुओं को नीचा देखना पड़े।

असल में यह ऐसा ही खुशी का भाव था, जैसा कमजोर और असहाय मनुष्यों के मन में अपनेसे जबरदस्त के दूसरे से पीटे जाने की खबर सुनकर होता है। मेरा खयाल है कि हममें से अधिकांश इस लड़ाई के बारे में मिश्रित भाव रखते थे। जितने राष्ट्र लड़ रहे थे, उनमें मेरी हमदर्दी सबसे ज्यादा फ्रान्स के साथ थी। मित्र राष्ट्रों की ओर से बेहयाई के साथ जो प्रचार लगातार किया गया, उसका कुछ असर जरूर पड़ा, यद्यपि हम लोग उसकी सब बातें सही न मानने की काफ़ी कोशिश करते थे।

धीरे-धीरे फिर राजनैतिक जीवन बढ़ने लगा। लोकमान्य तिलक जेल से बाहर आ गये और उन्होंने तथा मिसेज बेसेन्ट ने होमरूल-लीगें कायम की। मैं दोनों लीगों में शामिल हुआ, लेकिन काम में खास तौर पर मिसेज बेसेन्ट की लीग के लिए ही किया। हिन्दुस्तान के राजनैतिक मंच पर मिसेज बेसेन्ट दिन-दिन अधिक भाग लेने लगी। काँग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में कुछ अधिक जोश भर गया और मुस्लिम लीग काँग्रेस के साथ-साथ चलने लगी। वायु-मण्डल में बिजली-सी दौड़ गई और हम-जैसे अधिकांश नवयुवकों का दिल फड़कने लगा। नज़दीक भविष्य में हम बड़ी-बड़ी बातें होने की उम्मीद करने लगे। मिसेज बेसेन्ट की नज़रबन्दी से पढ़े-लिखे लोगों में बहुत उत्तेजना बढ़ी और उसने देश-भर में होमरूल-आन्दोलन में जान डाल दी। होमरूल-लीगों में न सिर्फ वे पुराने गरम-दलवाले ही शामिल हुए जो १९०७ से काँग्रेस से बाहर रखे जाते थे, बल्कि मध्यम श्रेणी के लोगों में से बहुत-से नये कार्यकर्ता भी आये। लेकिन आम जनता को इन लीगों ने छुआ तक नहीं।

मिसेज बेसेन्ट की नज़रबन्दी से बुढ़ों में खलबली मच गई, जिनमें कई माडरेट लीडर भी थे। मुझे याद है कि नज़रबन्दी से कुछ दिन पहले तक अखबारों में श्री श्रीनिवास शास्त्री के वक्तृत्वपूर्ण भाषणों को पढ़कर हम लोगों के दिल कैसे हिल जाते थे। लेकिन नज़रबन्दी से ठीक पहले या उसके बाद से श्री शास्त्री चुप हो गये। जब काम का वक्त आया तब वह हमें बिलकुल छोड़ गये और एक ऐसे वक्त पर, जब सबसे ज्यादा नेतृत्व की जरूरत थी, उनकी चुप्पी पर हममें बहुत मायूसी और नाराज़गी फैली। तबसे मेरे दिल में यह विश्वास घर कर गया है कि श्री शास्त्री कर्मवीर नहीं हैं और संकट-काल उनकी प्रतिभा के अनुकूल नहीं पड़ता।

लेकिन दूसरे माडरेट लीडर आगे बढ़ते गये। उनमें से कुछ तो बाद को पीछे हट गये, कुछ जहाँ पहुँच चुके थे वहीं डटे रहे। मुझे याद है कि यूरोपियन डिफेंस फ़ोर्स के ढंग पर सरकार हिन्दुस्तान में मध्यम-वर्ग के लोगों में से जिस नये इण्डियन डिफेंस फ़ोर्स का संगठन कर रही थी, उनके बारे में बड़ी बहसे होती थी। कई मामलों

में इस हिन्दुस्तानी डिफेंस फ़ोर्स के साथ वह व्यवहार नहीं किया जाता था, जो यूरो-पियन डिफेंस फ़ोर्स के साथ किया जाता था, और हममें से बहुतों को यह महसूस हुआ कि जबतक ये सब अपमान-जनक भेद-भाव न मिटा दिया जाय तबतक हमें इस फ़ोर्स से सहयोग न करना चाहिए। लेकिन बहुत बहस के बाद आखिर हम लोगों ने संयुक्त-प्रान्त में सहयोग करना ही तय किया, क्योंकि यह सोचा गया कि इन हालतों से भी हमारे नौजवानों के लिए यह अच्छा है कि वे फीजी शिक्षा ग्रहण करें। मैंने इस फ़ोर्स में दाखिल होने के लिए अपनी अर्जी भेज दी और उस तजवीज को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इलाहाबाद में एक कमिटी भी बना ली। इसी समय मिसेज बेसेन्ट की नज़रबन्दी हुई और उस क्षण के जोश में मैंने कमिटी के मेम्बरो को, जिनमें पिताजी, डॉक्टर तेजबहादुर सप्रू, श्री सी० वाई० चिन्तामणि तथा दूसरे माडरेट लीडर शामिल थे, इस बात के लिए राजी कर लिया कि वे अपनी मीटिंग रद्द कर दें और सरकार की नज़रबन्दी वाली हरकत के विरोध-स्वरूप डिफेंस फ़ोर्स के सिलसिले में दूसरे सब काम भी बन्द कर दें। तुरन्त ही इस मतलब का एक आम नोटिस निकाल दिया गया। मेरा खयाल है कि लड़ाई के वक़्त में ऐसा लड़ाकू काम करने के लिए इनमें से कुछ लोग पीछे बहुत पछताये।

मिसेज बेसेन्ट की नज़रबन्दी का नतीजा यह हुआ कि पिताजी तथा दूसरे माडरेट लीडर होमरूल-लीग में शामिल हो गये। कुछ महीने बाद इन माडरेट नेताओं में से कुछ ने होमरूल-लीग से इस्तीफ़ा दे दिया। मेरे पिताजी उसके मेम्बर बने रहे और उसकी इलाहाबाद वाली शाखा के सभापति भी बन गये।

धीरे-धीरे पिताजी कट्टर माडरेटों की स्थिति से अलग हटते जा रहे थे। उनकी प्रकृति, जो सत्ता हमारी उपेक्षा करती थी और हमारे साथ हिंकारत का बर्ताव करती थी, उससे ज्यादा दबने और उसीसे अपील करने के खिलाफ़ बगावत करती थी; परन्तु पुराने गरम-दल के नेता उन्हें आकर्षित नहीं करते थे। उनकी भाषा और उनके ढंग उन्हें कर्ण-कटु मालूम होते थे। मिसेज बेसेन्ट की नज़रबन्दी की घटनाओं का उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ा, लेकिन आगे कदम रखने से पहले वह अब भी हिचकते थे। अक्सर वह उन दिनों यह कहा करते थे कि माडरेटों के तरीक़ों से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन साथ ही जबतक हिन्दू-मुस्लिम सवाल का हल नहीं मिलता तबतक दूसरा भी कोई कारगर काम नहीं किया जा सकता। वह वादा करते थे कि अगर इसका हल मिल जाय तो मैं आपमें से तेज-से-तेज के साथ कदम मिलाकर चलने को तैयार हूँ। हमारे ही घर में आल-इंडिया कांग्रेस-कमिटी की मीटिंग में वह ज्वाइण्ट कांग्रेस-लीग-योजना बनी जिसे १९१६ ईस्वी में कांग्रेस ने लखनऊ में मंजूर किया। इस बात से

पिताजी बड़े खुश हुए; क्योंकि इससे सम्मिलित उद्योग का रास्ता खुल गया । उस समय वह माडरेट दल के अपने पुराने साथियों से बिगाड़कर भी हमारे साथ चलने को तैयार थे । भारत-मंत्री की हैसियत से एडविन मान्टेगु ने हिन्दुस्तान में जो दौरा किया उसके पहले और दौरे के दमियान माडरेट और पिताजी साथ-साथ रहे । लेकिन मान्टेगु-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद तुरन्त ही मत-भेद शुरू हो गया । १९१८ में लखनऊ में सूबे की एक विशेष कान्फ्रेंस हुई । पिताजी इसके सभापति थे । इसी-में वह, सदा के लिए, माडरेटों से अलग हो गये । माडरेटों को डर था कि यह कान्फ्रेंस मान्टेगु-चेम्सफोर्ड प्रस्तावों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करेगी । इसलिए उन्होंने उसका बायकाट कर दिया । इसके बाद इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ उसका भी उन्होंने बायकाट किया । तबसे अबतक वे कांग्रेस से बाहर हैं ।

माडरेटों ने जो ढंग अख्तियार किया वह यह था कि वे कांग्रेस के अधिवेशनों तथा दूसरे आम जलसों से चुपचाप अलग होकर दूर रहें और बहुमत के खिलाफ होने पर वहाँ जाकर अपना दृष्टि-कोण भी न रखें और न उसके लिए लड़ें । यह ढंग बहुत ही भद्रा और अनुचित मालूम हुआ । मेरा खयाल है कि देश में अधिकांश लोगों का यही आम खयाल था, और मुझे विश्वास है कि हिन्दुस्तान की राजनीति में माडरेटों का प्रभाव जो प्रायः सोलहों आने जाता रहा, वह एक हद तक उनके इस डरपोकपन के कारण भी हुआ । मेरा खयाल है कि अकेले श्री शास्त्री ही एक ऐसे माडरेट नेता थे जो कांग्रेस के शुरू के उन कुछ जलसों में भी शामिल हुए जिनका माडरेट दल ने बायकाट कर दिया था और उन्होंने अपने अकेले का दृष्टि-कोण वहाँ रक्खा । इसकी बदौलत पब्लिक की निगाह में उनकी इज्जत बढ़ गई ।

लड़ाई के शुरू के सालों में मेरे अपने राजनैतिक और सार्वजनिक कार्य साधारण ही थे और मैं आम सभाओं में व्याख्यान देने से बचा रहा । अभी तक मुझे पब्लिक में व्याख्यान देने में डर व झिझक मालूम होती थी । कुछ हद तक इसकी वजह यह भी थी कि मैं यह महसूस करता था कि सार्वजनिक व्याख्यान अंग्रेजी में तो होने नहीं चाहिएँ और हिन्दुस्तानी में देर तक बोलने की अपनी योग्यता में मुझे सन्देह था । मुझे वह छोटी-सी घटना याद है जो उस समय हुई जब मुझे इस बात के लिए मजबूर कर दिया गया कि मैं पहले-पहल इलाहाबाद में सार्वजनिक भाषण दूँ । सम्भवतः यह १९१५ में हुआ । लेकिन तारीख के बारे में मैं ठीक-ठीक नहीं कह सकता । इसके अलावा पहले क्या हुआ और फिर क्या यह तरतीब भी मुझे साफ-साफ याद नहीं है । प्रेस का मुँह बन्द करनेवाले एक क़ानून के विरोध में सभा होनेवाली थी और उसमें

मुझे यह मीका मिली था। मैं बहुत थोड़ा बोला, सो भी अंग्रेजी में। ज्यों ही मीटिंग खत्म हुई मुझे इस बात से बड़ी सकुचाहट हुई कि डॉक्टर तेजबहादुर सप्रू ने मंच पर पब्लिक के सामने मुझे छाती से लगाकर प्यार से चूमा। मैंने जो-कुछ या जिस तरह कहा उसपर वह खुश हुए हों सो बात नहीं; बल्कि उनकी इस वेहद खुशी का सबब सिर्फ यह था कि मैंने आम सभा में व्याख्यान दिया और इस तरह सार्वजनिक कार्य के लिए एक नया रंगरूट मिल गया। उन दिनों सार्वजनिक काम दर-असल महत्त्व व्याख्यान देना ही था।

मुझे याद है कि उन दिनों हमें, इलाहाबाद के बहुतसे नौजवानों को, यह भी आशा थी कि डॉक्टर सप्रू मुमकिन है कि राजनीति में कुछ आगे कदम रक्खें। शहर में माडरेट दल के जितने लोग थे उन सबमें उन्हींसे इस बात की सबसे ज्यादा संभावना थी; क्योंकि वह भावुक थे और कभी-कभी मौके पर उत्साह की लहर में बह जाते थे। उनके मुकाबले में पिताजी बहुत ठंडे मालूम होते थे, हालाँकि उनकी इस बाहरी चादर के नीचे काफ़ी आग थी। लेकिन पिताजी की दृढ़ इच्छा-शक्ति के कारण हमें उनसे बहुत कम उम्मीद रह गई थी, और कुछ वक्त के लिए हमें सचमुच डॉक्टर सप्रू से ज्यादा उम्मीदें थी। इसमें तो कोई शक नहीं कि अपनी लम्बी सार्वजनिक सेवाओं के कारण पण्डित मदनमोहन मालवीय हमें अपनी तरफ खींचते थे और हम लोग उनसे देर-देर तक बातें करते तथा उनपर यह जोर डालते थे कि वह जोर के साथ मुल्क का नेतृत्व करें।

उस ज़माने में, घर में राजनैतिक सवाल चर्चा और बहस के लिए शान्तिमय विषय नहीं था—उसकी चर्चा अवसर होती थी, लेकिन चर्चा होते ही तनातनी होने लगती थी। गरमदल की तरफ जो मेरा बढ़ता हुआ झुकाव था उसे पिताजी बड़े गौर से देख रहे थे; खास तौर पर बातूनी राजनीति के बारे में मेरी नुक्ताचीनियों को और कार्य के लिए की जानेवाली मेरी लगातार माँग को। मुझे भी यह बात साफ़-साफ़ नहीं दिखाई देती थी कि क्या काम होना चाहिए और पिताजी कभी-कभी खयाल करते थे कि मैं सीधे उस हिंसात्मक काम की तरफ़ जा रहा हूँ जिसको बंगाल के नौजवानों ने अस्वकार किया था। इससे वह बहुत ही चिन्तित रहते थे, जब कि दरअसल मेरा आकर्षण उस तरफ़ न था। हाँ, यह खयाल मुझे हर वक्त घेरे रहता था कि हमें मौजूदा हालत को चुपचाप नहीं बरदाश्त करना चाहिए, और कुछ-न-कुछ ज़रूर करना चाहिए। राष्ट्रीय दृष्टि से किसी काम को सफल करना बहुत आसान नहीं दिखाई देता था। लेकिन मैं यह महसूस करता था कि स्वाभिमान और स्वदेशाभिमान दोनों ही यह चाहते हैं कि विदेशी हुकूमत के खिलाफ़ अधिक लड़ाकू और आक्रामक रवैया अस्वकार

किया जाय। पिताजी खुद माडरेटों की विचार-मद्धति से असन्तुष्ट थे और उनके मन के भीतर द्वन्द्व-युद्ध मच रहा था। वह इतने हठी थे कि जबतक इस बात का पूरा-पूरा विश्वास न हो जाय कि ऐसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं तबतक वह एक स्थिति को छोड़कर दूसरी को कभी न अपनाते। आगे रखे जानेवाले हरेक कदम के मानी यह थे कि उनके मन में कठिन और कठोर द्वन्द्व हो, लेकिन अपने मन से इस तरह लड़ने के बाद जब वह कोई कदम आगे रख देते तब फिर पीछे पैर नहीं हटाते थे। उन्होंने आगे जो कदम बढ़ाया वह किसी उत्साह के झोके में नहीं बल्कि बौद्धिक विश्वास के फलस्वरूप, और एकबार आगे कदम रख लेने के बाद उनका सारा अभिमान उन्हें पीछे मुड़कर देखने से भी रोकता था।

उनकी राजनीति में बाह्य परिवर्तन मिसेज़ बेसेण्ट की नजरबन्दी के वक्त से आया और तबसे वह कदम-ब-कदम आगे ही बढ़ते गये और अपने माडरेट दोस्तों को पीछे छोड़ते गये। अन्त में १९१९ में पंजाब में जो दुःखान्त काण्ड हुआ उसने उन्हें हमेशा के लिए अपने पुराने जीवन और अपने पेशे से अलग काट फेंका और उन्होंने गाँधीजी के चलाये नये आन्दोलन के साथ अपने भाग्य की डोर बाँध दी।

लेकिन यह बात तो आगे जाकर होने को थी और १९१५ से १९१७ तक तो वह यह तय ही नहीं कर पाये कि क्या करना चाहिए। एक तो उनके अपने मन में तरह-तरह की शंकायें उठ रही थीं, दूसरे वह मेरी वजह से चिन्तित थे। इसलिए वह उन दिनों के सार्वजनिक प्रश्नों पर शान्ति-पूर्वक बात-चीत नहीं कर सकते थे। अक्सर यह होता था कि बात-चीत में वह गुस्सा हो जाते और हमें बात जहाँ-की-तहाँ खतम कर देनी पड़ती।

मे गाँधीजी से पहले-पहल १९१६ में बड़े दिन की छुट्टियों में लखनऊ-काँग्रेस में मिला। दक्षिण अफ्रीका में उनकी बहादुराना लड़ाई के लिए हम सब लोग उनकी तारीफ करते थे, लेकिन हम नौजवानों में बहुतों को वह बहुत दूर और अलग तथा राजनीति से दूर व्यक्ति मालूम होने थे। उन दिनों उन्होंने काँग्रेस या राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने से इन्कार कर दिया था और अपनेको प्रवासी भारतीयों के मसले की सीमा तक बाँध रक्खा था। इसके बाद ही चम्पारन में निलहे गोरों से होने-वाले किसानों के दुःख दूर करने में उन्होंने जैसा साहस दिखाया और उस मामले में उनकी जो जीत हुई, उससे हम लोग उत्साह से भर गये। हम लोगों ने देखा कि वह हिन्दुस्तान में भी अपने इस तरीके से काम लेने को तैयार हैं और उससे सफलता की भी आशा होती थी।

लखनऊ-काँग्रेस के बाद उन दिनों इलाहाबाद में सरोजिनी नायडू ने जो कई

वक्तृत्वपूर्ण भाषण दिये, उनसे भी, मुझे याद है, मेरा दिल हिल उठता था। वे भाषण शुरू से आखिर तक राष्ट्रीयता और देश-भक्ति से सराबोर होते थे और उन दिनों में विशुद्ध राष्ट्रीयता-वादी था। मेरे कालेज के दिनों के गोलमोल समाजवादी भाव पीछे जा छिपे थे। १९१६ में रोजर केसमेण्ट ने अपने मुकदमे में जो आश्चर्यजनक भाषण दिया उसने हमें यह बताया कि गुलाम जातिवालों के भाव कैसे होने चाहिए। आयर्लैण्ड में ईस्टर के दिनों में जो बगावत हुई उसकी विफलता ने भी हमें अपनी तरफ खींचा; क्योंकि क्या वह सच्चा साहस नहीं था, जो निश्चित विफलता पर हंसता हुआ संसार के समाने यह ऐलान करता था कि एक राष्ट्र की अजेय आत्मा को कोई भी शारीरिक शक्ति नहीं कुचल सकती ?

ये ही उन दिनों मेरे भाव थे। परन्तु नई किताबों के पढ़ने से मेरे दिमाग में समाजवादी विचारों के अंगारे भी फिर जलने लगे थे। उन दिनों वे भाव अस्पष्ट थे। उतने वैज्ञानिक नहीं थे जितने कि दयापूर्ण और हवाई थे। युद्धकाल में तथा उसके बाद भी मुझे बर्ट्रैंड रसल के लेख तथा ग्रंथ बहुत पसन्द आते थे।

इन विचारों और इच्छाओं से मेरे मन का भीतरी संघर्ष तथा अपने वकालत के पेशे के प्रति मेरा असन्तोष और भी बढ़ गया। यों में उसे चलाता रहा; क्योंकि उसके सिवा मैं करता भी क्या ? लेकिन मैं अधिकाधिक यह महसूस करने लगा कि, एक ओर खास तौर पर, आक्रामक ढंग का सार्वजनिक कार्य है, जो मुझे पसन्द है, और दूसरी तरफ यह वकालत का पेशा, ये दोनों एकसाथ निभ नहीं सकते। सवाल सिद्धान्त का न था, लेकिन समय और शक्ति का था। न जाने क्यों कलकत्ता के नामी वकील सर रासबिहारी घोष मुझसे बहुत खुश थे। वह मुझे इस त्रिपय में बहुत नेक सलाह दिया करते थे। खास तौर पर उन्होंने मुझे यह सलाह दी कि मैं अपने पसन्द के किसी कानूनी विषय पर एक किताब लिखूँ। क्योंकि उनका कहना था कि जूनियर वकील के लिए अपनेको 'ट्रेन' करने का यही सबसे अच्छा रास्ता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस किताब के लिखने में वह मुझे विचारों की भी मदद देंगे और उस किताब का संशोधन भी कर देंगे। लेकिन मेरे वकील के जीवन में उनकी यह सब दिलचस्पी बेकार थी, क्योंकि मेरे लिए इससे ज्यादा अखरनेवाली इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं हो सकती थी कि मैं कानूनी किताब लिखने में अपना समय और शक्ति बरबाद करूँ।

बुढ़ापे में सर रासबिहारी बहुत ही चिड़चिड़े हो गये थे। फ्रीरन ही उन्हें गुस्सा आ जाता था, जिससे उनके जूनियरों पर उनका बड़ा आतंक-सा रहता था। मुझे वह फिर भी अच्छे लगते थे। उनकी कमियाँ और कमजोरियाँ भी बिलकुल

अनाकर्षक नहीं मालूम होती थीं। एक मर्तबा में और पिताजी शिमला में उनके मेहमान थे। मेरा खयाल है कि यह बात १९१८ की है, ठीक उस समय की जब कि माण्टेगु-चेम्सफोर्ड-रिपोर्ट छपकर आई थी। उन्होंने एक दिन शाम को कुछ मित्रों को खाने के लिए बुलाया और उनमें खापड़ साहब भी थे। खाना खाने के बाद सर रासबिहारी और खापड़ आपस में जोर-जोर से बातें तथा एक-दूसरे पर हमला करने लगे; क्योंकि वे राजनीति में भिन्न-भिन्न फिर्कों के थे। सर रासबिहारी घुटे हुए माडरेट थे और खापड़ उन दिनों प्रमुख तिलक-शिष्य माने जाते थे, यद्यपि पीछे जाकर वह कपोत की तरह कोमल और माडरेटों के लिए भी अत्यधिक माडरेट हो गये। खापड़ ने गोखले की आलोचना शुरू की। कुछ साल पहले ही गोखले का देहान्त हो चुका था। खापड़ कहने लगे कि गोखले ब्रिटिश सरकार के एजेण्ट थे और उन्होंने लन्दन में मेरे ऊपर भेदिये का काम किया। सर रासबिहारी उसे कैसे बरदाश्त कर सकते थे? वह जोर से बोले कि गोखले पुरुषोत्तम थे और मेरे खास मित्र थे। मैं किसी को उनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहने दूंगा। तब खापड़ श्रीनिवास शास्त्री की बुराई करने लगे। सर रासबिहारी को यह भी अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन उन्होंने कोई नाराजगी नहीं दिखलाई। जाहिर है कि वह शास्त्रीजी के उतने प्रशंसक नहीं थे जितने गोखले के। यहाँतक कि उन्होंने यह कहा कि जबतक गोखले जीवित थे मैं रुपये-पैसे से भारत-सेवक-समिति की मदद करता था, लेकिन उनकी मौत के बाद मैंने रुपया देना बन्द कर दिया है। इसके बाद खापड़ उनके मुकाबिले में तिलक की तारीफ करने लगे। बोले, "तिलक निस्सन्देह महापुरुष, एक आश्चर्यजनक पुरुष, महात्मा है।" "महात्मा!" रासबिहारी बोले—“मैं महात्माओं से नफरत करता हूँ। मैं उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता।”

मेरी शादी और हिमालय की एक घटना

मेरी शादी १९१६ में, दिल्ली में, वसन्त-पंचमी को हुई थी। उस साल गर्मी में हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताये। मैंने अपने परिवार को तो घाटी में छोड़ दिया और अपने एक चचेरे भाई के साथ कई हफ्ते तक पहाड़ों में घूमता रहा तथा लदाख रोड तक बढ़ता चला गया।

संसार के उच्च प्रदेश में उन संकीर्ण और निर्जन घाटियों में घूमने का यह मेरा पहला अनुभव था, जो कि तिब्बत के मैदान की तरफ ले जाती हैं। जोज़ीला-घाटी की चोटी से हमने देखा तो हमारी एक तरफ नीचे की ओर पहाड़ों की घनी हरियाली थी, और दूसरी तरफ खाली कड़ी शिला की चट्टान। हम उस घाटी की सँकड़ी तह के ऊपर चढ़ते चले गये, जिसके दोनों ओर पहाड़ हैं। एक तरफ बरफ से ढकी हुई चोटियाँ चमक रही थी और उनमें से छोटे-छोटे ग्लेशर—हिम-सरोवर—हमसे मिलने के लिए, नीचे को रेंग रहे थे। हवा ठंडी और कटीली थी। लेकिन दिन में घूप अच्छी पड़ती थी और हवा इतनी साफ थी कि अक्सर हमें चीजों की दूरी के बारे में भ्रम हो जाता था। वे दरअसल जितनी दूर होती थी, हम उन्हें उससे बहुत कम दूर समझते थे। धीरे-धीरे सूनापन बढ़ता गया, पेड़ों और वनस्पतियों तक ने हमारा साथ छोड़ दिया—सिर्फ नंगी चट्टान और बरफ और हिम और कभी-कभी कुछ खुशनुमा फूल रह गये। फिर भी प्रकृति के इस जंगली और सुनसान निवासों में मुझे अजीब सन्तोष मिला। मेरे उत्साह और उमंग का ठिकाना न था।

इस यात्रा में मुझे एक बड़ा स्फूर्तिदायी अनुभव हुआ। जोज़ीला-घाटी से आगे सफ़र करते हुए एक जगह, जो मेरे खयाल में मनायन कहलाती थी, हमसे कहा गया कि अमरनाथ की गुफा यहाँ से सिर्फ आठ मील दूर है। यह ठीक था कि बीच में बुरी तरह हिम व बरफ से ढका हुआ एक बड़ा पहाड़ पड़ता था, जिसे पार करना था। लेकिन उससे क्या? आठ मील होते ही क्या है? तजुबों के अभाव में भी जोश में आकर हमने तय किया कि हम गुफा तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। अतः हमने अपने डेरे-तम्बू, जो ११ हजार ५०० फीट की ऊँचाई पर थे, छोड़ दिये और एक छोटे-से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ वहाँ का एक गड़रिया था।

हम लोगों ने रस्सियों के सहारे कई हिम-सरोवरों पर चढ़कर उन्हें पार किया। हमारी मुश्किलें बढ़ती गईं और सांस लेने में भी कठिनाई मालूम होने लगी। हमारे कुछ भारवाहियों के मुँह से खून निकलने लगा, हालांकि उनपर बोझ बहुत नहीं था। इधर बर्फ पड़ने लगी और हिम-सरोवर भयानक रूप से रपटीले हो गये। हम लोग बुरी तरह थक गये और एक-एक क़दम आगे बढ़ने के लिए खास कोशिश करनी पड़ती थी। लेकिन फिर भी हम यह मूर्खतापूर्ण उद्योग करते ही गये। हमने अपना खीमा मुबह चार बजे छोड़ा था और बारह घंटे तक लगातार चढ़ते रहने के बाद हमें एक सुविशाल हिम-क्षेत्र देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह दृश्य बहुत ही सुन्दर था। उसके चारों ओर हिमाच्छादित पर्वत-चोटियाँ थीं। मानों देवताओं का कोई मुकुट अथवा अर्द्धचन्द्र हो। परन्तु ताज़ा बरफ और कुहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया। पता नहीं कि हम कितनी ऊँचाई पर थे, लेकिन मेरा खयाल है कि हम लोग कोई १५-१६ हजार फीट की ऊँचाई पर ज़रूर होंगे, क्योंकि हम अमरनाथ की गुफा से बहुत ऊँचे थे। अब हमें इस हिम-क्षेत्र को, जो सम्भवतः आध मील लम्बा होगा, पार करके दूसरी तरफ नीचे गुफा को जाना था। हम लोगों ने सोचा कि चढाई खत्म होने से हमारी मुश्किलें भी खत्म हो गई होंगी इसलिए बहुत थके होने पर भी हम लोगों ने हँसते-हँसाते यात्रा की यह मंजिल भी तय करना शुरू किया। लेकिन इसमें बड़ा धोखा था, क्योंकि यहाँ दरारें बहुत-सी थीं और ताज़ा गिरने-वाली बरफ खतरनाक दरारों को ढक देती थी। इस नई बरफ ने ही मेरा क़रीब-क़रीब खात्मा कर दिया होता। क्योंकि मैंने ज्योंही उसके ऊपर पैर रक्खा त्योंही वह धसक गई और मैं धम से नीचे एक विशाल दरार में, जो मुँह बाये हुए थी, जा गिरा। यह दरार बहुत बड़ी थी और कोई भी चीज़ उसमें बिलकुल नीचे पहुँचकर हजारों वर्ष बाद तक भूगर्भशास्त्रियों की खोज के लिए इतमीनान के साथ सुरक्षित रह सकती थी। लेकिन रस्सी नहीं छूटी और मैं दरार की बाजू को पकड़े रहा और ऊपर खींच लिया गया। इस घटना से हम लोगो के होश तो ढीले हो गये थे। पर फिर भी हम लोग आगे चलते ही गये। लेकिन दरारों की तादाद और उनकी चौड़ाई आगे जाकर और भी बढ़ गई। इनमें से कुछको पार करने के कोई साधन भी हमारे पास न थे, इसलिए अन्त में हम लोग थके-मादे हताश होकर लौट आये और इस प्रकार अमरनाथ की गुफा अनदेखी ही रह गई।

कश्मीर के पहाड़ों तथा ऊँची-ऊँची घाटियों ने मुझे ऐसा मुग्ध कर लिया कि मैंने एकबार फिर वहाँ जाने का संकल्प किया। मैंने कई योजनायें सोची और कई यात्राओं के मनसूबे बाँधे और उनमें से एकके तो खयाल ही से मेरी खुशी का ठिकाना

न रहा। वह थी तिब्बत की आश्चर्यमयी झील मानसरोवर और उसके पास का हिमा-च्छादित कैलाश। यह अठारह बरस पहले की बात है और मैं आज भी कैलाश तथा मानसरोवर से उतना ही दूर हूँ जितना पहले कभी था। मैं फिर कश्मीर न जा सका, हालाँकि वहाँ जाने की मेरी बहुत इच्छा रही। लेकिन मैं राजनीति और सार्वजनिक कामों के जंजाल में अधिकाधिक उलझता गया। पहाड़ों पर चढ़ने या समुद्रों को पार करने के बदले मेरी सैलानी तबीयत को जेलों में जाकर ही संतोष करना पड़ा। लेकिन अब भी मैं वहाँ जाने के मनसूबे गढ़ा करता हूँ, क्योंकि वह तो एक ऐसे आनन्द की बात है जिसे कोई जेल में भी नहीं रोक सकता। इसके अलावा, जेलों में ये स्कीमें सोचने के सिवा और कोई करे भी क्या? अतः मैं उस दिन का स्वप्न देख रहा हूँ जब मैं हिमालय पर चढ़कर उसे पार करूँगा और उस झील तथा कैलाश के दर्शन करके अपना मनोरथ पूरा करूँगा। परन्तु इस बीच में जीवन की घड़ियाँ बीतती जा रही हैं, जवानी अघेड़पन में तबदील हो रही है, और कभी-कभी मैं यह सोचता हूँ कि मैं इतना बुढ़ा हो जाऊँगा कि कैलाश और मानसरोवर जा ही नहीं सकूँगा; परन्तु यद्यपि यात्रा का अन्त न भी दिखाई दे तब भी यात्रा करने में हमेशा आनन्द ही आता है।

मेरे अन्तर्पट पर इन गिरि-श्रृंगों की पड़ती छाया—
साध्य-गुलाबों से रंजित है जिनकी भीषण दुर्गमता;
फिर भी मेरे प्राण मुग्ध पलकों पर बैठे अकुलाते,
शांत शुभ्र हिम के ये प्यासे, हैं कैसी पागल ममता !

१. वास्टर डि ला मेथर के एक पद्य का भावानुवाद। मूल पद्य इस प्रकार है:—

“Yea, in my mind these mountains rise,
Their perils dyed with evening's rose;
And still my ghost sits at my eyes
And thirsts for their untroubled snows.”

गांधीजी मैदान में : सत्याग्रह और अमृतसर

यूरोपियन महायुद्ध खतम हुआ तबतक हिन्दुस्तान का जोश-खरोश दब चुका था। उद्योगवाद फैल गया था और पूजीवादी वर्ग धन और सत्ता में बढ़ गया था। चौटी पर के मुट्ठीभर लोग मालामाल हो गये थे और उनके जी इस बात के लिए ललचा रहे थे कि बचत की इस दौलत को लगाने के लिए मौके और सत्ताये मिलें ताकि वे ज्यादा दौलतमंद हो जायें। मगर आम लोग इतने खुशकिस्मत न थे और वे उस बोझ को कम करने की टोह में थे जिसके तले वे कुचले जा रहे थे। मध्यम-वर्ग के लोगों में यह आशा फैल रही थी कि अब शासन-सुधार होंगे ही, जिनसे स्वराज के कुछ ज्यादा अधिकार मिलेंगे और उसके द्वारा उन्हें अपनी बढ़ती के नये रास्ते मिलेंगे। राजनैतिक आन्दोलन, जो कि शान्तिमय और बिल्कुल वैध था, कामयाब होता हुआ दिखाई देता था और लोग विश्वास के साथ आत्म-निर्णय और स्वशासन व स्वराज की बातें करते थे। इस अशान्ति के कुछ आसार जनता में भी, और खासकर किसानों में भी, दिखाई पड़ते थे। पंजाब के देहाती इलाकों में जबरदस्ती रंगरूट भर्ती करने की दुःखदायी बातें लोग अभीतक बुरी तरह याद करते थे और कोमागाटा-मारुवाले तथा दूसरे लोगों पर षड़यंत्र के मुकदमे चलाकर जो दमन किया गया था उसने उनकी चारों ओर फैली हुई नाराजगी को और भी बढ़ा दिया था। जगह-जगह लड़ाई के मैदानों से जो सिपाही लोटे थे वे अब पहले जैसे 'जो हुकुम' नहीं रह गये थे। उनकी जानकारी और अनुभव बढ़ गया था और उनमें भी बहुत अशान्ति थी।

मुसलमानों में भी, तुर्किस्तान और खिलाफत के मसले पर जैसा रुख अख्तियार किया गया उसपर, गुस्सा बढ रहा था और आन्दोलन तेज हो रहा था। तुर्किस्तान के साथ सुलहनामे पर अभी दस्तखत नहीं हो चुके थे, मगर ऐसा मालूम होता था कि कुछ बुरा होनेवाला है, सो जहाँ एक ओर वे आन्दोलन कर रहे थे तहाँ दूसरी ओर इन्तज़ार भी कर रहे थे।

सारे देशभर में इन्तज़ार और आशा की हवा ज़ोरों पर थी। लेकिन उस आशा में चिन्ता और भय समाये हुए थे। इसके बाद रील्ट-बिल का दौर हुआ, जिसमें कानूनी कार्रवाई के बिना भी गिरफ्तार करने और सज़ा देने की धारारें रक्खी गई थीं। सारे हिन्दुस्तान में चारों ओर उठे हुए क्रोध की लहर ने उसका स्वागत किया था। यहाँतक कि माडरेट लोगों ने भी अपनी पूरी ताकत से उसका विरोध

किया था। और सच तो यह है कि हिन्दुस्तान के सब विचार और दल के लोगों ने एक-स्वर से उसका विरोध किया था। फिर भी सरकारी अफसरों ने उसको तुरत-फुरत कानून बनवा ही डाला। और खास रियायत, पूछो तो, यह की गई कि उसकी मीयाद महज तीन वर्ष की रखदी गई।

१५ बरस पहले इस बिल पर और इसकी बदौलत जो हलचल मची उस-पर ज़रा निगाह दौडाता निरूपयोगी न होगा। रौलट-कानून बन तो गया, मगर, जहाँतक मैं जानता हूँ, अपनी ३ वर्ष की ज़िन्दगी में वह कभी काम में नहीं लाया गया, हालाँकि वे तीन साल शान्ति के नहीं बल्कि ऐसे उपद्रव के साल थे, जो १८५७ के ग़दर के बाद हिन्दुस्तान ने पहले-पहल देखा था। इस तरह ब्रिटिश सरकार ने लोकमत के घोर विरोधी होते हुए एक ऐसा कानून बना डाला जिसका उसने कुछ उपयोग भी नहीं किया और बदले में उलटा एक तूफान मोल ले लिया। इससे यह बहुत-कुछ खयाल किया जा सकता है कि इस कानून को बनाने का उद्देश सिर्फ़ झगड़ा मोल लेना था।

एक और मज़ेदार बात मुनिए। आज १५ साल के बाद ऐसे कितने ही कानून बन गये हैं जो रोज़-ब-रोज़ बरते भी जाते हैं और जो रौलट-बिल से भी ज्यादा सख्त हैं। इन नये कानूनों और नये आर्डिनेन्सों के मुकाबिले में, जिनके मातहत हम आज ब्रिटिश हुकूमत की निधामत का आनन्द लूट रहे हैं, रौलट-बिल तो करीब-करीब आज़ादी का परवाना ही समझा जा सकता है। हाँ, एक फर्क जरूर है। १९१९ से हमे मॉन्टेगु-चैम्सफोर्ड-योजना नामक स्वराज की एक बड़ी किस्त मिल चुकी है और अब, सुनते हैं, एक और बड़ी मिलनेवाली है। हम तरक्की जो कर रहे हैं!

१९१९ के शुरू में गांधीजी एक सख्त बीमारी से उठे थे। रोग-झय्या से उठते ही उन्होंने वाइसराय से प्रार्थना की थी कि वह इस बिल को कानून न बनने दे। इस अपील की उन्होंने, दूसरी अपील की तरह, कोई परवा न की और, उस हालत में, गांधीजी को अपनी तबीयत के खिलाफ़ इस आन्दोलन का अगुआ बनना पडा, जो उनके जीवन में पहला भारत-व्यापी आन्दोलन था। उन्होंने सत्याग्रह-सभा शुरू की, जिसके मेम्बरों से यह प्रतिज्ञा कराई गई थी कि उनपर लागू किये जाने पर वे रौलट-कानून को तथा उन आपत्तिजनक कानूनों को जिनका निर्देश समय-समय किया जायगा, न मानेंगे। दूसरे शब्दों में उन्हें खुल्लम-खुल्ला और जान-बूझ कर जेल जाने की तैयारी करनी थी।

जब मैंने अखबारों में यह खबर पढ़ी तो मुझे बड़ी तसल्ली हुई। आखिर इस उलझन से एक रास्ता मिला तो। वार करने के लिए एक हथियार तो मिला जो सीधा, खुला और बहुत करके राम-बाण था। मेरे उत्साह का पार न रहा और मैं फौरन ही

सत्याग्रह-सभा में सम्मिलित होना चाहता था। लेकिन मैंने उसके नतीजे पर—कानून तोड़ना, जेल जाना वगैरा पर—शायद ही गौर किया हो, और अगर मैंने गौर किया भी होता तो मुझे उनकी परवा न होती। मगर एकाएक मेरे सारे उत्साह पर पाला पड़ गया और मैंने समझ लिया कि मेरा रास्ता आसान नहीं है। पिताजी इस नये खयाल के घोर विरोधी थे। वह नये-नये प्रस्तावों के बहाव में बह जानेवाले न थे। कोई नया कदम आगे बढ़ाने के पहले वह उसके नतीजे को बहुत अच्छी तरह सोच लिया करते थे, और जितना ही ज्यादा उन्होंने सत्याग्रह के प्रश्न और उसके प्रोग्राम के बारे में सोचा उतना ही कम वह उन्हें जँचा। थोड़े-से लोगों के जेल जाने से क्या फायदा होगा? उससे सरकार पर क्या असर होगा और क्या दबाव पड़ेगा? इन आम बातों के अलावा असल बात तो थी हमारा जाती सवाल। उन्हें यह बात बहुत बेहदा दिखाई देती थी कि मैं जेल जाऊँ। जेल जाने का सिलसिला अभी पड़ा नहीं था और यह खयाल ही उनको बहुत नागवार मालूम होता था। पिताजी अपने बच्चों से बहुत ही मुहब्बत रखते थे। यद्यपि वह प्रेम का दिखावा नहीं करते थे तो भी उनके अन्दर प्रेम बहुत छिपा रहता था।

बहुत दिनों तक मानसिक संघर्ष चलता रहा और चूँकि हम दोनों जानते थे कि यह बड़ी-बड़ी बाज़ियाँ लगाने का सवाल है, जिनमें हमारे सारे जीवन में बड़ी उथल-पुथल होने की संभावना है, दोनों ने इस बात की कोशिश की कि जहाँतक हो सके एक-दूसरे की भावनाओं और बातों पर खयाल रखें। मैं चाहता था कि जहाँतक हो सके कोशिश करूँ कि उनकी तकलीफ न भुगतनी पड़े। मगर मुझे अपने दिल में यक़ीन हो गया था कि मुझे जाना तो सत्याग्रह के ही रास्ते है। हम दोनों के लिए वह मुसीबत का समय था और कई रात मैंने अकेले बड़ी चिन्ता और बेचैनी में काटीं। मैं सोचता रहता कि इसमें से कोई रास्ता निकले। बाद को मुझे मालूम हुआ कि पिताजी रात को सचमुच फर्श पर सोकर खुद यह अनुभव कर लेना चाहते थे कि जेल में मेरी क्या गत होगी; क्योंकि उनके खयाल में मुझे आगे-पीछे जेल जरूर जाना पड़ेगा।

पिताजी ने गांधीजी को बुलाया और वह इलाहाबाद आये। दोनों की बड़ी देर तक बातें होती रही। उस समय मैं मौजूद न था। इसका नतीजा यह हुआ कि गांधीजी ने मुझे सलाह दी कि जल्दी न करो और ऐसा काम न करो जो पिताजी को बहुत नागवार हो। मुझे इससे दुःख ही हुआ; मगर उसी समय देश में ऐसी घटनायें घट गईं जिनसे सारी हालत ही बदल गई और सत्याग्रह सभा ने अपनी कार्रवाई बन्द कर दी।

सत्याग्रह-दिबस याने सारे हिन्दुस्तान में हड़ताले और तमाम काम-काज बन्द—दिल्ली और अमृतसर में पुलिस और फौज का गोली चलाना और बहुतसे आदमियों

का मारा जाना—अमृतसर और अहमदाबाद में भीड़ के द्वारा हिंसा-काण्ड हो जाना—जालियांवाला-बाग का हत्या-काण्ड—पंजाब में फौजी कानून के भीषण अपमानजनक और जी दहलानेवाले कारनामे । पंजाब मानों दूसरे प्रान्तों से अलग काट दिया गया हो । उसपर मानों एक गहरा परदा पड़ गया था जिससे बाहरी दुनिया की आँखें उसतक नहीं पहुँच पाती थीं । वहाँ से मुश्किल से कोई खबर मिलती थी और न कोई वहाँ जा सकता था न कोई वहाँ से आ ही सकता था ।

कोई इक्का-दुक्का किसी तरह उस नरक-कुण्ड से बाहर आ पहुँचता, तो वह इतना भयभीत हो जाता था कि साफ़-साफ़ हाल नहीं बता सकता था । हम लोग जो कि बाहर थे, असहाय और असमर्थ थे, छोटी-बड़ी खबर का इन्तजार करते रहते थे, और हमारे दिलों में कटुता भरती जा रही थी । हममें से कुछ लोग फौजी कानून की परवा न करके खुल्लमखुल्ला पंजाब के उन हिस्सों में जाना चाहते थे । लेकिन हमें ऐसा नहीं करने दिया गया और, इस दर्म्यान्, कांग्रेस की तरफ से दुखियों और पीड़ितों को सहायता पहुँचाने तथा जाँच करने के लिए एक बड़ा संगठन बनाया गया ।

ज्योंही खास-खास जगहों से फौजी कानून वापस लिया गया और बाहर वालों को जाने की छुट्टी मिली, मुख्य-मुख्य कांग्रेसी और दूसरे लोग पंजाब में जा पहुँचे और सहायता तथा जाँच के काम में अपनी सेवायें अर्पित की । पीड़ितों की सहायता का काम मुख्यतः पण्डित मदनमोहन मालवीय और स्वामी श्रद्धानन्दजी की देखभाल में होता था और जाँच का काम मुख्यतः मेरे पिताजी और देशबन्धु दास की देख-रेख में । गांधीजी उसमें बहुत दिलचस्पी ले रहे थे और दूसरे लोग अक्सर उनसे सलाह-मशवरा लिया करते थे । देशबन्धु दास ने अमृतसर का हिस्सा खास तौर पर अपनी तरफ़ लिया और वहाँ मैं उनके साथ उनकी सहायता के लिए तैनात किया गया । मुझे उनके साथ और उनके नीचे काम करने का वह पहला मौक़ा था । वह अनुभव मेरे लिए बड़ा क़ीमती था और इससे उनके प्रति मेरा आदर बढ़ा । जालियाँवाला-बाग से और उस भयकर गली से जिसमें लोगों को पेट के बल रेंगाया गया था, सम्बन्ध रखनेवाले बयान, जो बाद को कांग्रेस-जाँच-रिपोर्ट में छपे थे, हमारे सामने लिये गये थे । हमने कई बार खुद जाकर उस बाग़ को देखा था और उसकी हर चीज़ की जाँच बड़े ग़ौर से की थी ।

यह कहा गया था, मैं समझता हूँ मि० एडवर्ड थामसन के द्वारा, कि जनरल डायर का यह खयाल था कि बाग़ से निकलने के दूसरे दरवाज़े भी थे और यही कारण है जो उसने इतनी देर तक गोलियाँ जारी रखी । यदि डायर का यही खयाल था और दरअसल उसमें दरवाज़ा रहा होता, तो भी इससे उसकी जिम्मेदारी कम नहीं हो

जाती। मगर यह ताज्जुब की बात मालूम होती है कि उसे ऐसा खयाल रहा। कोई भी शस्त्र इतनी ऊँची जगह पर खड़ा होकर, जहाँ कि वह खड़ा था, उस सारी जगह को अच्छी तरह देख सकता था कि वह किस तरह चारों ओर से बड़े ऊँचे-ऊँचे मकानों से घिरी हुई और बन्द है। सिर्फ़ एक तरफ़ कोई सौ फ़ीट के करीब कोई मकान न था, सिर्फ़ ५ फ़ीट ऊँची दीवार थी। गोलियाँ दनादन चल रही थीं और लोग चट-पट मर रहे थे। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ पड़ा तो हजारों आदमी उस दीवार की ओर झपटे और उसपर चढ़ने की कोशिश करने लगे। तब गोलियाँ उस दीवार की ओर निशाना लगाकर चलाई गईं—जैसा कि हमारे बयानों तथा दीवार पर लगे गोलियों के निशानों से मालूम होता है—ताकि कोई उसपर से चढ़कर भाग न सके। और जब यह सब खतम हो चुका, तो क्या देखा गया कि मुद्दों और घायलों के ढेर दीवार के दोनों ओर पड़े हुए थे।

उस साल (१९१९) के अन्त में मैं अमृतसर से देहली रात की गाड़ी से रवाना हुआ था। जिस डिब्बे में मैं चढ़ा उसकी तमाम जगहें भरी हुई थीं, सिर्फ़ ऊपर की एक 'बर्थ' खाली थी। सब मुसाफिर सो रहे थे। मैंने उस खाली बर्थ को ले लिया। दूसरे दिन सुबह मुझे मालूम हुआ कि वे तमाम मुसाफिर फ़ौजी अफसर थे। वे आपस में जोर-जोर से बातें कर रहे थे, जो मेरे कानों तक आही पहुँचती थीं। उनमें से एक बड़ी तेज़ी के साथ, मगर विजय के घमंड में, बोल रहा था और फ़ौरन ही मैं समझ गया कि यह वही जालियाँवाला-बाग के 'सूरमा' डायर सा० है। वह अपने अमृतसर के अनुभव सुना रहा था। उसने बताया कि कैसे सारा शहर उसकी दया के भरोसे हो रहा था। उसने सोचा, एक बार इस सारे बागी शहर को खाक में मिला दूँ। मगर कहा, कि फिर मुझे रहम आ गया और मैं रुक गया। हष्टर-कमिटी में अपना बयान देकर वह लाहौर से वापस आ रहा था। उसकी बातचीत और उसकी संग-दिली को देखकर मेरे दिल को बड़ा धक्का लगा—वह देहली स्टेशन पर उतरा तो गहरी गुलाबी धारियोंवाला पायजामा और ड्रेसिंग-गाउन पहने हुए था।

पंजाब-जाँच के ज़माने में मुझे गांधीजी को बहुत-कुछ समझने का मौका मिला। बहुत बार उनके प्रस्ताव कमिटी को अजीब मालूम होते थे और कमिटी उन्हें पसंद नहीं करती थी। मगर करीब-करीब हमेशा ही अपनी दलीलों से कमिटी को वह समझा लिया करते थे और कमिटी उन्हें मंज़ूर कर लिया करती थी। और बाद की घटनाओं से मालूम हुआ कि उनकी सलाह में दूरन्देशी थी। तबसे उनकी राजनैतिक अंतर्दृष्टि में मेरी श्रद्धा बढ़ती गई।

पंजाब की दुर्घटनाओं और उनकी जाँच के कार्य का मेरे पिताजी पर ज़बरदस्त

असर हुआ। उनकी तमाम कानूनी और वैधानिक बुनियाद उसके द्वारा हिल गई थी और उनका मन उस परिवर्तन के लिए धीरे-धीरे तैयार हो रहा था जो एक साल बाद आनेवाला था। अपनी पुरानी माडरेट स्थिति से वह पहले ही बहुत-कुछ आगे बढ़ चुके थे। उन दिनों इलाहाबाद से नरम दल का अखबार 'लीडर' निकल रहा था, उससे उनको संतोष नहीं था और उन्होंने १९१९ के शुरू में 'इण्डिपेन्डेंट' नाम का दैनिक पत्र इलाहाबाद से निकाला। यों तो इस अखबार को बड़ी सफलता मिली, लेकिन शुरू से ही उसमें एक बात की बड़ी कमी रही। उसका प्रबन्ध अच्छा नहीं था। उससे सम्बन्ध रखनेवाले करीब-करीब सभी लोगों पर—क्या डाइरेक्टर, क्या सम्पादक और क्या प्रबन्ध-विभाग के लोग—इस कमी की जिम्मेदारी आती है। मैं खुद भी एक डाइरेक्टर था, मगर इस काम का मुझे कुछ भी तजुरबा न था और उसके रगड़े-झगड़ों की चिन्ता से मैं दिन-रात परेशान रहता था। मुझे और पिताजी दोनों को पंजाब जाना और ठहरना पड़ा था। हमारी इस लम्बी गैरहाजिरी में पत्र की हालत बहुत गिर गई और उसकी माली हालत भी बहुत बिगड़ गई। उस हालत से वह कभी उभर न सका। हालांकि १९२०-२१ में उसकी हालत बीच-बीच में कुछ बेहतर हो जाती थी, लेकिन ज्यों ही हम जेल गये त्योंही उसकी हालत अबतर होने लगी। आखिर १९२३ के शुरू में उसकी जिन्दगी खतम हो गई। अखबार के मालिक बनने के इस अनुभव ने मुझे इतना भयभीत कर दिया कि उसके बाद से मैंने किसी अखबार का डाइरेक्टर बनने की जिम्मेदारी नहीं ली! हां, जेल में तथा बाहर और-और कामों में लगे रहने के कारण भी मैं ऐसा नहीं कर सकता था।

१९१९ के बड़े दिनों में पिताजी अमृतसर-काँग्रेस के सभापति हुए। उन्होंने माडरेट नेताओं के नाम एक दिल हिला देनेवाली अपील की, कि वे अमृतसर के अधिवेशन में शामिल हों। चूक फौजी-कानून की वजह से एक नई हालत पंदा हो गई थी, उन्होंने लिखा—'पंजाब का ज़रूमी और पीड़ित दिल आपको बुला रहा है। क्या आप उसकी पुकार न सुनेंगे?' मगर उन्होंने उसका वैसा जवाब नहीं दिया जैसा कि वह चाहते थे। वे लोग शामिल न हुए। उनकी आंखें उन नये सुधारों की ओर लगी हुई थीं जो माण्टेगु-चेम्सफोर्ड सिफ़ारिशों के फल-स्वरूप आनेवाले थे। उनके इन्कार कर देने से पिताजी के दिल को बड़ा सदमा पहुँचा और इससे उनके और माडरेटों के दिल की खाई और चौड़ी हो गई।

अमृतसर-काँग्रेस पहली गांधी-काँग्रेस हुई। लोकमान्य तिलक भी आये थे और उन्होंने उसकी कार्रवाई में प्रमुख भाग लिया था। मगर इसमें कुछ शक नहीं कि प्रतिनिधियों में अधिकांश, और इससे भी ज्यादा बाहर की भीड़, अगुवा बनने के

लिए गांधीजी की ओर देख रहे थे। हिन्दुस्तान के राजनैतिक क्षितिज में 'महात्मा गांधी की जय' की आवाज़ बुलंद होने लगी थी। अली-बन्धु हाल ही नज़रबन्दी से छूटे थे और सीधे अमृतसर-कांग्रेस में आये थे। राष्ट्रीय आन्दोलन एक नया रूप धारण कर रहा था और उसकी नीति निर्माण हो रही थी।

शीघ्र ही मौलाना मुहम्मदअली खिलाफत-डेपुटेशन में योरप चले गये। इधर हिन्दुस्तान में खिलाफत-कमिटी दिन-पर-दिन गांधीजी के असर में आने लगी और उनके अहिंसात्मक असहयोग के विचारों से नाता जोड़ने की फ़िराक में थी। दिल्ली में जनवरी १९२० में खिलाफत के नेताओं और मौलवियों और उलेमा की एक शुरू-शुरू की मीटिंग मुझे याद है। खिलाफत-डेपुटेशन वाइसराय से मिलने जानेवाला था और गांधीजी भी साथ जानेवाले थे। उनके दिल्ली पहुँचने से पहले, जो एड्रेस वाइसराय को दिया जानेवाला था, उसका मसविदा उन्हें रिवाज के मुताबिक भेजा जा चुका था। जब गांधीजी पहुँचे और उन्होंने उसका मज़मून पढ़ा तो उसे बहुत नापसन्द किया और यह भी कहा कि अगर इसमें बहुत-कुछ रद्दोबदल नहीं किया गया तो मैं डेपुटेशन में शरीक न हो सकूँगा। उनका ऐतराज यह था कि इस मज़मून में गोल-मोल बातें कहीं गई हैं। इसमें शब्द तो बहुत हैं मगर यह साफ़ तौर पर नहीं कहा गया कि मुसलमानों की कम-से-कम मांगें क्या हैं। उन्होंने कहा कि इससे न तो वाइसराय के साथ इन्साफ़ होता है और न ब्रिटिश-सरकार के साथ; न लोगों के साथ और न अपने साथ। उन्हें ऐसी बड़ी-चढ़ी मांगें पेश न करनी चाहिएं जिनपर कि वे अड़ना न चाहते हों। कम-से-कम मांग बिलकुल साफ़ शब्दों में हो, जिसमें किसी प्रकार शक-शुभा न हो और फिर मरने तक उसपर डँटे रहो। अगर आप लोग सचमुच कुछ किया चाहते हो तो यही सच्चा और सही राज-मार्ग है।

यह दलील हिन्दुस्तान के राजनैतिक और दूसरे हलकों में एक नई चीज़ थी। हम लोग बड़ी-चढ़ी और गोल-मोल बातें और लच्छेदार भाषा के आदी थे और दिमाग में हमेशा सौदा करने की तजवीज़ें चला करती थी। आखिर गांधीजी की बात कायम रही और उन्होंने वाइसराय के प्राइवेट-सेक्रेटरी को पत्र लिखा, जिसमें बताया कि पिछले मज़मून में क्या खामियां हैं और वह किस तरह गोल-मोल है, और कुछ नया मज़मून भी अपनी तरफ से भेजा, जो उसमें जोड़ा जानेवाला था। इसमें उन्होंने कम-से-कम मांग पेश की थी। वाइसराय का जबाब दिलचस्प था। उन्होंने नये मज़मून का जोड़ा जाना मंजूर नहीं किया और कहा, मेरी राय में पहला मज़मून ही बिलकुल ठीक है। मगर गांधीजी ने सोचा कि इस चिट्ठी-

पत्नी से उनकी और खिलाफत कमिटी की स्थिति साफ हो जाती है और वह डेपुटेशन के साथ चले गये ।

यह जाहिर था कि सरकार खिलाफत-कमिटी की मांगें मंजूर नहीं करेगी और लड़ाई छिड़े बिना न रहेगी । अब मौलवियों और उलेमाओं में देर-देर तक बातें होती रहतीं । अहिंसात्मक असहयोग पर और खासकर अहिंसा पर चर्चा होती रहती । गांधीजी ने उनसे कह दिया कि मैं अगुवा बनने के लिए तैयार हूँ, मगर शर्त यह है कि आप लोग अहिंसा को उसके पूरे मानी में अपना लें । इसके बारे में कोई कमजोरी, लाग-लपट और छिपाव मन में न होना चाहिए । मौलवियों के लिए इस चीज को मान लेना आसान न था, लेकिन वे रजामन्द हो गये । हाँ, उन्होंने यह अलबत्ता साफ कर दिया कि वह इसे धर्म के तौर पर नहीं बल्कि नीति के तौर पर मानेंगे; क्योंकि उनके मजहब में नेक काम के लिए तलवार उठाना मना नहीं है ।

१९२० में राजनैतिक और खिलाफत-आन्दोलन दोनों एक ही दिशा में और एकसाथ चले । और कांग्रेस के द्वारा गांधीजी के अहिंसात्मक असहयोग के मंजूर कर लिये जाने पर आखिर को दोनों एकसाथ मिल गये । पहले खिलाफत-कमिटी ने उस कार्यक्रम को अपनाया और १ अगस्त लड़ाई जारी करने का दिन मुकर्रर हुआ ।

उस साल के शुरू में मुसलमानों की एक मीटिंग (मैं समझता हूँ कि मुस्लिम-लीग की कौंसिल होगी) इलाहाबाद में सैयद रजाअली के मकान में इस कार्यक्रम पर विचार करने के लिए हुई । मौलाना म्हम्मदअली तो योरप थे, मगर मौलाना शौकतअली उसमें मौजूद थे । मुझे उस सभा की याद है, क्योंकि मैं उससे बहुत नाउम्मीद हुआ था । हाँ, शौकतअली अलबत्ता उत्साह में थे; बाकी सब लोग दुःखी और परेशान थे । उनमें यह हिम्मत न थी कि वे उसको नामंजूर कर दें, किन्तु फिर भी उनका इरादा किसी खतरे में पड़ने का न था । मैंने दिल में कहा—क्या यही लोग एक क्रान्तिकारी आन्दोलन के अगुआ होंगे और ब्रिटिश सत्तनत को चुनौती देंगे ? गांधीजी ने एक भाषण दिया, जिसे सुनकर वे, ऐसा मालूम होता था कि, पहले से भी ज्यादा घबरा गये । उन्होंने एक डिक्टेटर जैसा भाषण दिया । उसमें नम्रता थी, मगर साथ ही हीरे की तरह कटा-छँटा साफ और सस्ती लिये हुए था । उसकी भाषा सुहावनी और मीठी थी, जिसमें कठोर निश्चय और अजहद सरगर्मी भरी हुई थी । उनकी आँखों में मृदुलता और शान्ति थी, मगर उनमें से जबरदस्त कार्य-शक्ति और दृढ़-निश्चय की लौ निकल रही थी । उन्होंने कहा कि यह मुकाबिला बड़ा जबरदस्त होगा और सामना भी बड़े जबरदस्त से है । अगर आप लड़ना ही चाहते हैं तो आपको अपना सब-कुछ बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए और पूरी कड़ाई

के साथ अहिंसा और अनुशासन का पालन करना चाहिए। जब लड़ाई का ऐलान कर दिया जाता है तो फ़ौजी क़ानून का दौर हो जाता है। हमारे अहिंसात्मक युद्ध में भी, यदि हम चाहते हों, कि हमारी फ़तह हो तो, हमें अपनी तरफ़ से डिक्टेटर बनाने होंगे और फ़ौजी क़ानून जारी करने होंगे। आपको यह हक़ है कि आप मुझे ठोकर मारकर निकाल दें, मेरा सिर उतार लें और जब कभी और जैसी चाहें सजा दे दें। लेकिन जबतक आप मुझे अपना अगुआ मानते हैं तबतक आपको मेरी शर्तों का पाबन्द ज़रूर रहना होगा। आपको डिक्टेटर की राय पर चलना होगा और फ़ौजी क़ानून के निज़ाम में रहना होगा। लेकिन डिक्टेटर बना रहना बिल्कुल आपके सद्भाव, आपकी मंजूरी और आपके सहयोग पर अवलम्बित रहेगा। ज्योंही आप मुझसे उकता जायें, त्योंही आप मुझे उठाकर फेंक दें, पैरों-तले रौद दें, और मैं चू तक न कहूँगा।

इसी आशय की कुछ बातें उन्होंने कहीं और यह फ़ौजी मिसाल और उनकी ज़बरदस्त सरगर्मी देखकर वहाँ बहुतसे श्रोताओं के बदन में चीटिया रेंगने लगीं। मगर शौकतअली वहाँ मौजूद थे, जो अधकचरे लोगों में जोश भरा करते थे। और जब रायें लेने का समय आया तो उनमें से बहुतों ने चुपचाप, मगर झंपते हुए, उस प्रस्ताव के, यानी लड़ाई शुरू करने के, हक में हाथ उँचे कर दिये।

जब हम सभा से लौट रहे थे तो मैंने गांधीजी से पूछा, कि क्या इसी तरीक़े से आप एक महान् युद्ध को शुरू करोगे? मैंने तो यहाँ जोश और उत्साह की, गरमागरम भाषा की, आँखों से आग की चिनगारी निकलने की आशा रखी थी, लेकिन उसके बजाय मुझे यहाँ पालतू, डरपोक और अघेड़ लोगों का जमघट दिखाई पड़ा। और फिर भी इन लोगों ने—आम राय का इतना असर था कि—लड़ाई के हक़ में राय दे दी। निश्चय ही मुस्लिम लीग के इन मेम्बरों में से बहुत कम ने आगे लड़ाई में योग दिया था; बहुतों को तो सरकारी कामों में पनाह मिल गई थी। मुस्लिम लीग उस समय या बाद भी मुसलमानों के किसी भी बड़े तबक़े की प्रतिनिधि नहीं रह गई थी। हाँ, १९२० की खिलाफ़त-कमिटी अलबत्ता एक ज़ोरदार और उससे कहीं ज्यादा प्रातिनिधिक संस्था थी और इसी कमिटी ने जोश और उत्साह के साथ लड़ाई के लिए क़मर कस ली।

१ अगस्त गांधीजी ने असहयोग की शुरुआत का दिन रक्खा था—हालांकि अभी काँग्रेस ने न तो इसको मंज़ूर ही किया था और न इसपर विचार ही किया था। इसी दिन लोकमान्य तिलक का बम्बई में देहान्त हो गया। उसी दिन सुबह गांधीजी सिन्ध के दौरे से बम्बई पहुँचे थे। मैं उनके साथ था, और हम सब उस ज़बरदस्त जलूस में शरीक हुए थे जिसमें सारी बम्बई के लाखों आदमी अपने-अपने उस महान् और मान्य नेता को अपनी श्रद्धाञ्जलि देने के लिए दौड़ पड़े थे।

मेरा निर्वासन और उसके परिणाम

मेरी राजनीति वही थी जो मेरे वर्ग यानी मध्यम-वर्ग की राजनीति थी। हाँ, उस समय, और बहुत हदतक अब भी, जिस राजनीति का शोर है, वह मध्यम-वर्ग के लोगों की राजनीति थी। क्या नरम और क्या गरम दोनों विचार के लोग मध्यम-वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे और अपने-अपने ढंग से उनकी बेहबूदी चाहते थे। माडरेट लोग खास करके मध्यम वर्ग की ऊपरी श्रेणी के मुट्ठीभर लोगों में से थे जो कि आम तौर पर ब्रिटिश शासन की बदौलत फले-फूले थे, और एकाएक ऐसे परिवर्तन नहीं चाहते थे जिससे उनकी मौजूदा स्थिति और स्वार्थों को धक्का लगे। ब्रिटिश सरकार से और बड़े ज़मींदारों से उनके घने सम्बन्ध थे। गरम विचार के लोग भी मध्यम वर्ग के ही थे; परन्तु निचली सतह के। कल-कारखानों के मजदूर, जिनकी संख्या महायुद्ध के कारण बेहद बढ़ गई थी, कुछ-कुछ जगहों में ही मूकामी तौर पर संगठित हो पाये थे और उनका प्रभाव नहीं के बराबर था। किसान अपढ़, अज्ञान, मुफलिस, गंवार, दुःखी और मुसीबत के मारे थे। भाग्य के भरोसे दिन काटने और सरकार, ज़मींदार, साहूकार, छोटे-बड़े हुक्काम, पुलिस, वकील, पंडे-पुरोहित, जो भी होते सब उनपर सवारी गाँठते और उनको चूसते थे।

किसी अखबार का कोई पाठक शायद ही उन दिनों खयाल करता होगा कि हिन्दुस्तान में करोड़ों किसान और लाखों मजदूर हैं, या उनकी कोई वकत है। अंग्रेजों के अखबार बड़े अफ़सरों के कारनामों से भरे रहते। उनमें शहरों और पहाड़ों पर रहनेवाले अंग्रेजों के सामाजिक जीवन की, यानी उनकी पार्टियों की, उनके नाच-गान और नाटकों की, लम्बी-लम्बी खबरें छपा करतीं। उनमें हिन्दुस्तानियों के दृष्टिकोण से हिन्दुस्तान की राजनीति की चर्चा प्रायः बिलकुल नहीं की जाती थी, यहाँतक कि कांग्रेस के अधिवेशन के समाचार भी किसी ऐसे-वैसे पन्ने के एक कोने में और सो भी कुछ सतरोँ में, दिये जाते थे। कोई खबर तभी किसी काम की समझी जाती जब कोई हिन्दुस्तानी, चाहे वह बड़ा हो या मामूली, कांग्रेस को या उसके दावों को बुरा-भला कह बैठता या नक्ताचीनी कर बैठता। कभी-कभी किसी हड़ताल का थोड़ा चिक्क आ जाता, और देहात को तो महत्त्व तभी दिया जाता जब वहाँ कोई दंग-फ़साद हो जाता।

हिन्दुस्तानी अखबार भी अंग्रेजों के अखबारों की नक़ल करने की कोशिश करते।

लेकिन वे राष्ट्रीय आन्दोलन को उनसे कहीं ज्यादा महत्त्व देते थे। यों तो वे भी हिन्दुस्तानियों को छोटी-बड़ी नौकरियाँ दिलवाने, उनकी तरक्की और तबदीली में, और जब किसी जानेवाले अफसर की बिदाई में कोई पार्टी दी जाती थी, 'जिसमें लोगों में बड़ा उत्साह होता था, दिलचस्पी लेते थे। जब कभी नया बन्दोबस्त होता तो क़रीब-क़रीब हमेशा ही लगान वगैरा बढ़ जाता, जिससे शोर मच जाता था; क्योंकि उसका असर ज़मींदारों की जेब पर भी पड़ता। बेचारे किसान जो ज़मीन जोतते थे, उनकी तो कोई बात भी नहीं पूछता था। ये अखबार ज़मींदार और कल-कारखानेवालों के होते थे। यह हालत थी उन अखबारों की जो 'राष्ट्रीय' कहे जाते थे।

यही क्यों, खुद काँग्रेस का भी शुरू के दिनों में यह एक मतालबा था कि जहाँ-जहाँ अभी बन्दोबस्त नहीं हो पाया है वहाँ स्थायी बन्दोबस्त कर दिया जाय, जिससे ज़मींदारों के हक़ की रक्षा हो सके, और उसमें किसानों का कहीं जिक्र तक न रहता था।

पिछले बीस वर्षों में राष्ट्रीय आन्दोलन की बढ़ती के कारण हालत बहुत बबल गई है और अब अंग्रेज़ों के अखबारों को भी हिन्दुस्तान के राजनैतिक प्रश्नों के लिए जगह देनी पड़ती है। क्योंकि ऐसा न करें तो हिन्दुस्तानी पाठकों के टूट जाने का अदेशा रहता है। परन्तु यह बात वे अपने खास ढंग से ही करते हैं। हिन्दुस्तानी अखबारों की दृष्टि कुछ विशाल हो गई है। वे किसानों और मज़दूरों की भलाई की भी बातें किया करते हैं, क्योंकि एक तो आज-कल यह फ़ैशन हो गया है और दूसरे उनके पाठकों में कल-कारखानों और गाँव-सबन्धी बातों के जानने की तरफ दिलचस्पी बढ़ रही है। परन्तु दरअसल तो अब भी वे पहले की तरह हिन्दुस्तानी पूँजी-पतियों और ज़मींदा-वर्ग के हितों का ही ध्यान रखते हैं, जोकि उनके मालिक होते हैं। कितने ही हिन्दुस्तानी राजा-महाराजा भी अखबारों में अपना रूपया लगाने लगे हैं और वे हर तरह कोशिश करते हैं कि उन्हें अपने रूपयों का मुआवज़ा मिल जाय। फिर भी इनमें से बहुत से अखबार 'काँग्रेसी' कहलाते हैं, हालाँकि वे जिनके ताबे में हैं उनमें से बहुतेरे काँग्रेस के मेम्बर भी न होंगे। किन्तु काँग्रेस शब्द लोगों को बहुत प्यारा हो गया है और कितने ही लोग और सस्यायें उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तैमाल करते हैं। जो अखबार ज़रा आगे बढ़े, विचारों का प्रतिपादन करते हैं उन्हें या तो बड़े-बड़े जुरमानों का, यहां तक कि बड़े सरूत प्रेस-कानूनों के ज़रिये दबा दिये जाने या सेसर किये जाने का भी, ख़ौफ़ बना रहता है।

१९२० में मुझे इस बात का बिलकुल पता न था कि कारखानों में या खेतों में काम करनेवाले मज़दूरों की हालत क्या है, और मेरा राजनैतिक दृष्टिकोण

बिल्कुल मध्यमवर्ग के जैसा था। फिर भी मैं इतना जरूर जानता था कि उनमें गरीबी बहुत है और उनके दुःख भयंकर हैं और मैं सोचता था कि राजनैतिक दृष्टि से हिन्दुस्तान आजाद हो जाय तो उसका पहला लक्ष्य यह हो कि इस गरीबी के मसलें को हल करे। मगर मुझे सबसे पहली सीढ़ी तो राजनैतिक आजादी ही दिखाई दी, जिसमें मध्यमवर्ग की प्रधानता हुए बिना नहीं रह सकती। गांधीजी के चम्पारन (बिहार) और खेड़ा (गुजरात) के किसान-आन्दोलन के बाद किसानों के प्रश्न पर मैं ज्यादा ध्यान देने लगा। फिर भी मेरा ध्यान तो १९२० में राजनैतिक बातों में और असहयोग के आगमन में लग रहा था, जिसकी चर्चा से राजनैतिक वायुमण्डल भरा हुआ था।

उन्हीं दिनों एक नई बात मे मेरी दिलचस्पी पैदा हो रही थी, जिसे कि आगे चलकर एक महत्त्व का काम करना था। मैं, अपनी खुद की प्रायः कोई इच्छा न रहते हुए, किसानों के सम्पर्क में फेंक दिया गया, और यह भी एक अजीब तरीके से हुआ।

मेरी मा और कमला (मेरी पत्नी) दोनों की तन्दुरुस्ती खराब थी और मई १९२० के शुरू में मैं उनको मसूरी ले गया। पिताजी उस वक्त एक बड़े राज के मामले में मशगूल थे, जिसमें कि दूसरी ओर के वकील देशबन्धु दास थे। हम सेवाय-होटल में ठहरे हुए थे। उन दिनों अफगान और ब्रिटिश राज-प्रतिनिधियों के दम्पति मसूरी में सुलह की बातें हो रही थी (यह १९१९ में हुए छोटे अफगान युद्ध के बाद की बात है, जब कि अमानुल्ला तख्त पर बैठा था) और अफगान प्रतिनिधि सेवाय-होटल में ठहरे हुए थे। लेकिन वे एक तरफ ही रहते थे, खाना भी अकेले खाते थे और किसीसे मिलते-जुलते न थे। मुझे उनमें खास दिलचस्पी नहीं थी और इस महीने-भर में मैंने उस प्रतिनिधि-मंडल के एक भी आदमी को नहीं देखा और अगर देखा भी हो तो मैं किसीको पहचानता न था। लेकिन क्या देखता हूँ, कि एक दिन एकाएक शाम को पुलिस-सुपरिन्टेन्डेंट वहाँ आया और मुझे स्थानीय सरकार का खत दिखाया, जिसमें मुझसे यह वादा चाहा गया था कि मैं अफगान-प्रतिनिधि-मण्डल से कोई सरोकार न रखूँ। मुझे एक बड़ी अजीब बात मालूम हुई; क्योंकि इस महीने-भर में मैंने उन्हें कभी देखा तक नहीं और न मुझे उसका मौका ही मिल सकता था। सुपरिन्टेन्डेंट इस बात को जानता था, क्योंकि वह प्रतिनिधि-मण्डल की हलचलों पर गौर से निगाह रखता था और वहाँ दरअसल खुफिया लोगों का एक खासा जमघट लगा रहता था। मगर ऐसा वादा करना मेरे मिजाज के खिलाफ था और मैंने उनको ऐसा कह भी दिया। उसने मुझे डिस्ट्रिक्ट-मजिस्ट्रेट से, जो कि

देहरादून का सुपरिन्टेन्डेंट था, मिलने के लिए कहा और उससे मैं मिला। चूँकि मैं बराबर कहता रहा कि मैं ऐसा वादा नहीं कर सकता, मुझे मसूरी से चले जाने का हुकम मिला, जिसमें कहा गया कि मैं २४ घंटे के अन्दर देहरादून जिले से बाहर चला जाऊँ। इसके मानी यही थे कि मैं कुछ घंटों में ही मसूरी छोड़ दूँ। मुझे यह अच्छा तो नहीं लगा कि अपनी बीमार माँ और पत्नी दोनों को वहाँ छोड़कर जाऊँ, लेकिन उस वक्त मुझे उस हुकम की खिलाफत करनी मुनासिब मालूम नहीं हुआ, क्योंकि उस समय सबिनय भंग तो था नहीं, इसलिए मैं मसूरी से चल दिया।

मेरे पिताजी की सर हारकोर्ट बटलर से, जो कि उस समय युक्तप्रान्त के गवर्नर थे, अच्छी मुलाकात थी। उन्होंने दोस्ताना तरीके पर सर हारकोर्ट को पत्र लिखा, कि मुझे यकीन है कि ऐसा वाहियात हुकम आपने न दिया होगा; यह शिमला के किसी मन-चले आदमी की कार्रवाई मालूम होती है। सर हारकोर्ट ने जवाब दिया, कि हुकम में कोई ऐसी खराब बात नहीं है जिसके मानने से जवाहरलाल की शान में कोई फर्क आ जाता। इसके जवाब में पिताजी ने उनसे अपना मतभेद प्रकट किया और लिखा कि जवाहरलाल का जानबूझकर हुकम तोड़ने का कोई इरादा नहीं है; पर अगर उसकी माँ या पत्नी की तन्दुरुस्ती के लिए जरूरी हुआ तो वह जरूर मसूरी जायगा, चाहे आपका हुकम रहे या न रहे। और ऐसा ही हुआ भी। मेरी माँ की हालत ज्यादा खराब हो गई और पिताजी व मैं दोनों तुरन्त मसूरी के लिए रवाना हो गये। उसके ठीक पहले हमें उस हुकम की मन्सूखी का एक तार मिला।

दूसरे दिन सुबह मसूरी पहुँचने पर सबसे पहले जो शक्स मैंने होटल के आंगन में देखा वह अफगान था और मेरी छोटी बच्ची को गोद में लिये हुए था! मुझे मालूम हुआ कि वह वहाँ का एक मिनिस्टर और अफगान प्रतिनिधि-मण्डल का एक सदस्य था। बाद को पता चला कि मसूरी से मेरे निकाले जाने का हुकम मिलते ही उन अफगानों ने अखबारों में उसके समाचार पढ़े और उनकी दिलचस्पी यहाँ तक बढ़ी कि प्रतिनिधि-मण्डल के प्रधान हर रोज़ फूल और फलों की एक डलिया मेरी माँ को भेजा करते।

बाद को पिताजी और मैं प्रतिनिधि-मंडल के एक-दो सदस्य से मिले भी थे, और उन्होंने हमें अफगानिस्तान आने का प्रेमपूर्वक निमंत्रण दिया था। मगर अफसोस है कि हम उससे कुछ फ़ायदा न उठा पाये; और पता नहीं वहाँकी नई हुकूमत में वह निमंत्रण अब कायम रहा है या नहीं।

मसूरी से निकाल दिये जाने के फल-स्वरूप मुझे दो हफ्ते इलाहाबाद रहना पड़ा और इसी अर्से में मैं किसान-आन्दोलन में जा फँसा और ज्यों-ज्यों दिन आते गये त्यों-त्यों मैं उसमें अधिकाधिक ही फँसता गया, जिसने मेरे बिचारों और दृष्टिकोण

पर काफी असर डाला। कभी-कभी मेरे मन में यह विचार उठा है कि अगर मैं न तो मसूरी से निकाला जाता और न इलाहाबाद में ठहरा होता, या उन्हीं दिनों कोई दूसरा काम होता, तो क्या हुआ होता? बहुत मुमकिन है कि मैं किसानों की ओर तो किसी-न-किसी तरह आगे-पीछे खिंचा होता; परन्तु मेरा उनके पास जाने का तरीका और इसलिए उसका असर भी कुछ और ही होता।

जून १९२० के शुरू में, जहाँतक मुझे याद है, कोई दो सौ किसान परताबगढ़ के देहात से पचास मील पैदल चलकर इलाहाबाद आये—इस इरादे से कि वे अपने दुःखों और मुसीबतों की तरफ वहाँ के खास-खास राजनैतिक पुरुषों का ध्यान आकर्षित करे। रामचन्द्र नामक उनके एक अगुआ थे, जो वहाँ के रहनेवाले न थे। मैंने सुना कि किसानों का यह जत्था जमना के घाट पर डेरा डाले हुए है। मैं कुछ मित्रों के साथ उनसे मिलने गया। उन्होंने बताया कि किस तरह ताल्लुकेदार जोर-जुल्म से वसूलयाबी करते हैं, कैसा उनका अमानुष व्यवहार है, और कैसी हालत उनकी हो गई है जिसको कि अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने हमसे प्रार्थना की कि हम उनके साथ चले और उनकी हालत की जाँच करें। उनको डर था कि ताल्लुकेदार उनके इलाहाबाद आने पर जरूर बहुत बिगड़ेंगे और उसका बदला लिये बिना न रहेंगे, इसलिए वे चाहते थे कि उनकी जान बचाने के लिए हम उनके साथ रहे। वह हमारे इन्कार को मानने के लिए किसी तरह तैयार न थे और सचमुच हमसे बुरी तरह चिपट गये। आखिर को मैंने उनसे वादा किया कि मैं दो-तीन रोज़ बाद जरूर आऊँगा।

मैं कुछ साथियों को लेकर वहाँ पहुँचा। कोई तीन दिन वहाँ हम लोग गाँव में रहे। वे रेलवे से और पक्की सड़क से बहुत दूर थे। उस दौरे में मैंने कई नई बातें देखीं। हमने देखा कि सारे देहाती इलाके में उत्साह की लहर फैल रही है और उनमें अजीब जोश उमड़ा पड़ता है। जरा जबानी कहला दिया और बड़ी-बड़ी सभाओं के लिए लोग इकट्ठे हो जाते। एक गाँव से दूसरे गाँव और दूसरे से तीसरे गाँव इस तरह सब गाँवों में संदेशा पहुँच जाता और देखते-देखते सारे गाँव खाली हो जाते और खेतों में दूर-दूर तक सभास्थान पर आते हुए मर्द, औरत और बच्चे दिखाई देते। और इससे भी ज्यादा तेजी से 'सीताराम, सीता'रा आ'आ म' की धुन की आवाज़ आकाश में गूँज उठती और चारों तरफ दूर-दूर तक फैल जाती और दूसरे गाँव से उसीकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती और बस, लोग पानी की धारा की तरह दौड़ते चले आते। मर्द-औरत फटे-टूटे चिपड़े पहने थे; मगर उनके चेहरों पर जोश और उत्साह था और आँख चमकती हुई दिखाई देती थीं—मानों कोई बिचित्र बात होने को थी, जिसके द्वारा जादू की तरह आनन-फानन में उनकी तमाम मुसीबत का खात्मा हो जायगा।

उन्होंने हमपर बहुत प्रेम बरसाया और वे हमें आशा तथा प्रेमभरी आँखों से देखते थे—मानो हम कोई शुभ संदेश सुनाने आये हों, या उनके रहनुमा हों, जो उन्हें उनके मंजिले-मकसूद तक पहुँचा देंगे। उनकी मुसीबतों को और उनकी अपार कृतज्ञता को देखकर मैं दुःख और शर्म के मारे गड़ गया। दुःख तो हिन्दुस्तान की जबरदस्त गरीबी और जिल्लत पर; और शर्म मेरी अपनी आराम की खिदगी पर, और शहरों की न-कुछ राजनीति पर, जिसमें हिन्दुस्तान के इन अधनंगे करोड़ों पुत्र-पुत्रियों के लिए कोई जगह न थी। नगे-भूखे, दलित-पीड़ित हिन्दुस्तान का एक नया चित्र मेरी आँखों के सामने खड़ा होता हुआ दिखाई दिया। और हम लोग जो दूर शहर से उन्हें देखने कभी-कभी आ जाते हैं, उनके प्रति उनकी श्रद्धा को देखकर मैं परेशानी में पड़ गया और उसने मुझमें यह नई जिम्मेदारी का भाव पैदा कर दिया जिसकी कल्पना से मेरा दिल दहल उठा।

मैंने उनके दुःख की सकड़ों कहानियाँ सुनीं। कैसे लगान का बोझ दिन-दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे वे कुचले जा रहे हैं। किस तरह खिलाफ-कानून लागू लगाये जाते हैं और जोरी-जुल्म से वसूली की जाती है, जमीन और कच्चे झोपड़ों से किस तरह उनको बेदखल किया जाता है, कैसे उनपर मार पड़ती है, कैसे चारों तरफ जमींदारों के एजेण्ट, साहूकारों और पुलिस के गिद्धों से घिरे रहते हैं, किस तरह कड़ी धूप में मशक़त करते हैं और अन्त में यह देखते हैं कि उनकी सारी पैदावार उनकी नहीं है—दूसरे ही उठा ले जाते हैं और उसका बदला उन्हें मिलता है ठोकरों, गालियों और भूखे पेट से। जो लोग वहाँ आये थे उनमें से बहुतों के जमीन नहीं थीं और जिन्हे जमींदारों ने बे-दखल कर दिया था, उन्हें सहारे के लिए न अपनी जमीन थी न अपना झोपड़ा। यों जमीन उपजाऊ थी मगर उसपर लगान आदि का बोझ बहुत भारी था। खेत छोटे-छोटे थे और एक-एक खेत पाने के लिए कितने ही लोग मरते थे। उनकी इस तड़प से फ़ायदा उठाकर जमींदारों ने, जो कि कानून के मुताबिक एक हद से ज्यादा लगान नहीं बढ़ा सकते थे, कानून को ताक पर रखकर भारी-भारी नज़राना वगैरा बढ़ा दिये थे। बेचारे किसान कोई चारा न देख रुपया उधार लाते और नज़राना वगैरा अदा करते और फिर जब क़र्ज़ और लगान तक न दे पाते तो बेदखल कर दिये जाते, और उनका सब-कुछ छिन जाता था।

यह तरीका पुराना चला आ रहा है और किसानों की दिन-ब-दिन बढ़नेवाली दरिद्रता का सिलसिला भी एक लम्बे अरसे से चला आ रहा है। तब फिर क्या बात हुई जिससे मामला इस हद तक बढ़ गया और देहात के लोग इस तरह उमड़ पड़े ? निश्चय ही इसका कारण उनकी आर्थिक दशा थी। परन्तु यह हालत तो सारे

अवध में एकसी थी। और यह किसानों का १९२०-२१ का बवन्डर तो सिर्फ़ परताबगढ़, रायबरेली और फैजाबाद ज़िले में ही फैला हुआ था। इसका आंशिक कारण तो था, रामचन्द्र नामक विलक्षण व्यक्ति का अगुआ हो जाना, जोकि बाबा रामचन्द्र कहलाता था।

रामचन्द्र महाराष्ट्रीय था और कुली-प्रथा के अन्दर मजदूर बनकर फ़िजी चला गया था। वहाँ से लौटने पर धीरे-धीरे वह अवध के जिलों की तरफ़ आ गया। तुलसीदास की रामायण गाता हुआ और किसानों के कष्टों और दुःखों को सुनता हुआ वह इधर-उधर घूमने लगा। वह पढ़ा-लिखा थोड़ा था और कुछ हद तक उसने किसानों से अपना ज्ञाती फ़ायदा भी कर लिया। मगर हाँ, उसने भारी संगठन-शक्ति का परिचय दिया। उसने किसानों को आपस में समय-समय पर सभा करना और अपनी तकलीफ़ों पर चर्चा करना सिखलाया और हर तरह उनके आपस में एके का भाव पैदा किया। कभी-कभी बड़ी भारी-भारी सभायें होतीं और उससे उन्हें एक बल का अनुभव होता। यों 'सीताराम' एक पुरानी और प्रचलित धुन है, मगर उसने उसे करीब-करीब एक युद्ध-घोष का रूप दे दिया और ज़रूरत के वक़्त लोगों को बुलाने का तथा जुदा-जुदा गाँवों को आपस में बाँधने का चिन्ह बना दिया। फ़ैजाबाद, परताबगढ़ और रायबरेली राम और सीता की पुरानी कथाओ से भरे पड़े हैं। इन ज़िलों का समावेश पुराने अयोध्या-राज में होता था। तुलसीदास की रामायण वहाँ लोगों के घर-घर गाई जाती है। कितने ही लोगों को इसके हज़ारों दोहे, चौपाई बर-ज़बान थे। इस रामायण का गान और अच्छे-अच्छे प्रसंगों पर मौजूं दोहे-चौपाइयों की मिसाल देना बाबा रामचन्द्र का एक खास तर्ज था। कुछ हद तक किसानों का संगठन करके उसने उनके सामने बहुतेरे गोल-मोल और ऊट-पटांग वादे भी किये, जिनसे उन्हें बड़ी-बड़ी आशायें बँधीं। उसके पास किसी-किसम का कोई कार्यक्रम नहीं था और जब उनका जोश आखिरी सीमा तक पहुँच गया तो उसने उसकी जिम्मेदारी को दूसरों पर डालने की कोशिशें कीं। यही कारण है जो वह कितने ही किसानों को इलाहाबाद लाया कि वहाँके लोग उस आन्दोलन में दिलचस्पी ले।

एक साल तक और रामचन्द्र ने आन्दोलन में प्रधान रूप से भाग लिया और दो-तीन बार जेल भी गया। मगर बाद में जाकर वह बड़ा ग़ैर-जिम्मेदार और अविश्वसनीय साबित हुआ।

किसान-आन्दोलन के लिए अवध खास तौर पर अच्छा क्षेत्र था। वह ताल्लुक-दारों की, जो कि अपनेको 'अवध का राजा' कहते हैं, भूमि थी और अब भी है। जमींदारी-प्रथा का सबसे बिगड़ा हुआ रूप वहाँ मिलता है। जमींदारों के लगाये करों

के बोझ असह्य हो रहे थे और बे-जमीन मजदूरों की तादाद बढ़ रही थी। वहाँ यों सिर्फ़ एक ही किस्म के किसान थे। और इसीसे वे सब मिलकर एक-साथ कोई कार्रवाई कर सके।

हिन्दुस्तान को मोटे तौर पर दो भागों में बाँट सकते हैं। एक जमींदारी इलाक़ा जिसमें बड़े-बड़े जमींदार हैं, और दूसरा वह जहाँ किसान जमीन के मालिक हैं। मगर कहीं-कहीं दोनों एक-दूसरे से मिल जाते हैं। बंगाल, बिहार और संयुक्त-प्रांत जमींदारी इलाक़ा हैं। किसानों इलाक़े के लोगों की हालत इनसे अच्छी है, हालाँकि वहाँ भी उनकी हालत कई बार दयाजनक हो जाती है। पंजाब और गुजरात के (जहाँ जमीन के मालिक किसान हैं) किसानों की हालत जमींदारी इलाक़े से कहीं अच्छी है। जमींदारी इलाक़े के ज्यादातर हिस्से में कई किस्म के काश्तकार थे, दखीलकार, ग़ैर-दखीलकार और शिकमी वगैरा। इन जुदा-जुदा काश्तकारों के स्वार्थ अक्सर आपस में टकराते और इस कारण मिलकर एकसाथ कोई जोरदार काम नहीं किया जा सकता। लेकिन अवध में १९२० में तो दखीलकार काश्तकार थे और न हीनहायत काश्तकार ही थे। वहाँ सिर्फ़ आरज़ी काश्तकार थे, जो बे-दखल होते रहते थे और जिनकी जमीनें ज्यादा नज़राना या लगान देने पर दूसरों को दे दी जाया करती थी। इस तरह चूँकि वहाँ खास तौर पर एक ही तरह के काश्तकार थे, वहाँ एकसाथ काम करने के लिए संगठन करना और भी आसान था।

अवध में आरज़ी पट्टे की भी कोई गारंटी देने का रिवाज नहीं था। जमींदार शायद ही कहीं लगान की रसीद देते थे। और कोई भी जमींदार कह सकता था कि लगान अदा नहीं किया गया और काश्तकार को बे-दखल कर सकता था। उस बेचारे के लिए यह साबित करना ग़ैर-मुमकिन था कि लगान अदा कर दिया। लगान के अलावा बहुतेरी बेजा लागें लगी हुई थी। मुझे मालूम हुआ कि उस ताल्लुके में तरह-तरह की कोई पचास ऐसी लागें लगी हुई हैं। मुमकिन है यह बात बढ़ाकर कहीं गई हो। मगर ताल्लुकेदार जिस तरह खास-खास मौकों पर—जैसे अपने कुटुम्ब में किसीकी शादी हो तो, लड़कें बिलायत पढ़ने गये हों तो, गवर्नर या दूसरे बड़े अफसर को पार्टी दी गई हो तो, एक मोटर या हाथी खरीदा गया हो तो—उनके खर्च का ख़या बसूल करते थे, यह कितनी दुष्टता थी। यहाँतक कि इन लागों के मोटरोंना (मोटर-टैक्स), हथियाना (हाथी के खरीदने का खर्च) वगैरा नाम पड़ गये थे।

ऐसी हालत में कोई ताज्जुब नहीं जो अवध में इतना बड़ा किसान-आन्दोलन उठ खड़ा हुआ हो; बल्कि मुझे उस वक्त ताज्जुब तो इस बात पर हुआ कि बिना शहरवालों की मदद के या राजनैतिक पुरुषों अथवा ऐसे ही दूसरे लोगों की प्रेरणा

के कैसे बिलकुल अपने-आप वह इतना बढ़ गया । यह किसान-आन्दोलन कांग्रेस से बिलकुल अलहदा था । देश में जो असहयोग-आन्दोलन आरम्भ हो रहा था, उसका इससे कोई ताल्लुक न था । बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि इन दोनों विशाल और जोरदार आन्दोलनों का मूल-कारण एक-सा था । हाँ, १९१९ में गांधीजी ने जो बड़ी-बड़ी हड़तालें कराई थी, उनमें किसानों ने भी हिस्सा लिया था, और उनके बाद से उनका नाम देहातियों में जादू का काम करता था ।

मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य तो इस बात पर हुआ कि हम शहरवालों को इतने बड़े किसान-आन्दोलन का पता तक नहीं था । किसी अखबार में उसपर एक सतर भी नहीं आती थी । उन्हें देहात की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी । मैंने इस बात को और भी ज्यादा महसूस किया कि हम अपने लोगों से किस तरह दूर पड़े हुए हैं, और उनसे अलग अपनी छोटी-सी दुनिया में किस तरह रहते और काम तथा आन्दोलन करते हैं ।

किसानों में भ्रमण

तीन दिन तक मैं गांवों में घूमता रहा। और एक बार इलाहाबाद आकर फिर वापस गया। हम गाँव-गाँव घूमे—किसानों के साथ खाते, उन्हींके साथ उनके कच्चे झोंपड़ों में रहते, घण्टों उनसे बात-चीत करते और कभी-कभी छोटी-बड़ी समाओं में व्याख्यान भी देते। शुरू में हम एक छोटी मोटर में गये थे। किसानों में इतना उन्साह था कि सैकड़ों ने रात-रात भर काम करके खेतों के रास्ते कच्ची सड़क तैयार की, जिससे मोटर ठेठ दूर-दूर के गाँवों में जा सके। अक्सर मोटर अड़ जाती और बीसों आदमी खुशी-खुशी दौड़कर उसे उठाते। आखिर को हमें मोटर छोड़ देनी पड़ी और ज्यादातर सफ़र पैदल ही करना पड़ा। जहाँ कहीं हम गये, हमारे साथ पुलिस के लोग, खुफिया और लखनऊ के डिप्टी कलेक्टर रहते थे। मैं समझता हूँ, खेतों में हमारे साथ दूर-दूर तक पैदल चलते हुए उनपर एक प्रकार की मुसीबत आ गई होगी। वे सब थक गये थे। हमसे और किसानों से बिलकुल उकता उठे थे। डिप्टी कलेक्टर थे लखनऊ के एक नाजुक-मिजाज नौजवान और पम्प-शू पहने हुए थे। कभी-कभी वह हमसे कहते कि ज़रा धीरे चले। मैं समझता हूँ आखिर हमारे साथ चलना उन्हें दुश्वार हो गया और वह रास्ते में ही कहीं रह गये।

जून का महीना था, जिसमें सबसे ज्यादा गर्मी पड़ा करती है। बारिश के पहले की तपिश थी। सूरज की तेज़ी बदन को झुलसाये देती थी और आँखों को अंधा बना देती थी। मुझे धूप में चलने की बिलकुल आदत न थी और इंग्लैंड से लौटने के बाद हर साल गर्मियों में मैं पहाड़ पर चला जाया करता था। किन्तु इस बार मैं दिन भर खुली धूप में घूमता था और सिर पर धूप से बचने को हँट भी न था। सिर्फ़ एक छोटा तौलिया सिर पर लपेट लिया था। दूसरी बातों में मैं इतना मशगूल था कि धूप का कुछ खयाल भी नहीं रहा; और इलाहाबाद लौटने पर जब कहीं मैंने देखा तो मेरे चेहरे का रंग कितना पक्का हो गया था। और फिर मुझे याद पड़ा कि सफ़र में क्या-क्या बीती। लेकिन इस बात पर मैं अपने-आपसे खुश हुआ; क्योंकि मुझे मालूम हो गया कि बड़े-बड़े मजबूत आदमियों के बराबर मैं धूप को बर्दाश्त कर सका और जो मैं उससे डरता था उसकी ज़रूरत नहीं थी। मैंने देख लिया है कि मैं कड़ी-से-कड़ी गर्मी और कड़े-से-कड़े जाड़े को बिना ज्यादा तकलीफ़ के बर्दाश्त कर सकता हूँ। इससे मुझे अपने काम में तथा जेल-जीवन बिताने में बड़ी मदद मिली। इसकी वजह

यह थी कि मेरा शरीर आम तौर पर मजबूत और काम करने लायक था और मैं हमेशा कसरत किया करता था। इसका सबक मैंने पिताजी से सीखा था, जो थोड़े-बहुत कसरती थे और करीब-करीब अपने आखिरी दिनों तक जिन्होंने रोजाना कसरत जारी रखी थी। उनके सिर पर चाँदी-से सफ़ेद बाल हो गये थे, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थीं और वह विचार करते-करते बूढ़े और धके-से दिखाई देते थे। मगर उनका बाकी शरीर मृत्यु के एक-दो साल पहले तक उनसे बीस बरस कम उम्र के आदमी का-सा जान पड़ता था।

जून १९२० में परताबगढ़ जाने के पहले भी मैं गाँवों से अक्सर गुजरता था। वहाँ ठहरता था और किसानों से बात-चीत भी करता था। बड़े-बड़े मेलों के अवसर पर गंगा-किनारे हज़ारों देहातियों को मैंने देखा था और उनमें होमरूल का प्रचार किया था। लेकिन उस समय मैं यह अच्छी तरह न जानता था कि दरअसल वे क्या हैं, और हिन्दुस्तान के लिए उनका क्या महत्व है। हममें से ज्यादातर लोगों की तरह मैं भी उनके बारे में कोई विचार न करता था। यह बात मुझे इस परताबगढ़ की यात्रा में मालूम हुई, और तबसे हिन्दुस्तान का जो चित्र मैंने अपने दिमाग में बना रखा है उसमें हमेशा के लिए इस नंगी-भूखी जनता का स्थान बन गया है। सम्भवतः उस हवा में एक किस्म की बिजली थी। शायद मेरा दिमाग उसका असर अपने पर पड़ने देने के लिए तैयार था। और उस समय जो चित्र मैंने देखे और जो छाप मुझ-पर पड़ी वह मेरे दिल पर हमेशा के लिए अमिट हो गई।

इन किसानों की बदौलत मेरी झोंप निकल गई और मैं सभाओं में बोलना सीख गया। तबतक मैं शायद ही किसी सभा में बोला होऊँ। अक्सर हमेशा हिन्दुस्तानी में बोलने की नीबत आती थी और उसके खयाल से मैं दहशत खाया करता था। लेकिन मैं किसान सभाओं में बोलने को कैसे टाल सकता था? और इन सीधे-सादे शरीर लोगों के सामने बोलने में झंपने की भी क्या बात थी? मैं वक्तूत्व-कला तो जानता न था। इसलिए उनके साथ एक-दिल होकर बोलता और मेरे दिल और दिमाग में जो-कुछ होता था वह सब उनसे कह देता था। लोग चाहे थोड़े हों चाहें हज़ारों की तादाद में हों, मैं हमेशा बातचीत के या ज़ाती ढंग से ही उनके सामने बोलता; और मैंने देखा कि चाहे कुछ कमी भी उसमें रह जाती हो लेकिन मेरा काम चल जाता था। मेरे व्याख्यान में प्रवाह काफ़ी रहता था। मैं जो-कुछ कहता था शायद उसका बहुत-कुछ हिस्सा उनमें से बहुतरे समझ नहीं पाते थे। मेरी भाषा और मेरे विचार इतने सरल न थे कि वे समझ सकते। बहुत लोग तो मेरा भाषण सुन ही नहीं पाते थे; क्योंकि भीड़ तो भारी होती थी और मेरी आवाज़ दूर तक नहीं पहुँच

पाती थी। लेकिन जब कि वे किसी एक शस्त्र पर भरोसा और श्रद्धा कर लेते हैं, तब इन सब की ज्यादा परवाह उन्हें नहीं रहती।

मैं अपनी माँ और पत्नी से मिलने मसूरी गया तो, मगर मेरे दिमाग में किसान-ही-किसान भरे थे और मैं फिर उनमें जाने के लिए उत्सुक था। ज्योंही मैं मसूरी से वापस लौटा, गाँवों में घूमने चला गया; और मैंने देखा कि किसान-आन्दोलन बढ़ता जा रहा था। उन पीड़ित किसानों के अन्दर अपने-आपपर एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। वे छाती तानकर और सिर ऊँचा करके चलने लगे थे। जमींदारों के कारिन्दों और पुलिस का डर उनके दिल में कम होता चला जाता था। और यदि किसीका खेत बे-दखल होता था तो कोई दूसरा किसान उसे लेने के लिए आगे नहीं बढ़ता था। जमींदारों के नौकर जो उन्हें मारा-पीटा करते थे और कानून के खिलाफ़ उनसे बेगार और लाग लिया करते थे, वह कम हो गया था; और जब कभी कोई ज्यादाती होती तो फौरन उसकी रिपोर्ट होती और तहकीकात की कोशिश की जाती। इससे जमींदारों के कारिन्दों और पुलिस की ज्यादातियों की कुछ रोक हुई। ताल्लुकदार घबराये और अपना बचाव करते और प्रान्तीय सरकार ने अवध-कायदाकारी-कानून में सुधार करने का वादा किया।

ताल्लुकदार और बड़े जमींदार जमीन के मालिक कहलाते हैं। वे अपने को "लोगों के स्वभाविक नेता" कहने में अपना फ़ख्र समझते हैं। वे यों तो ब्रिटिश सरकार के लाइसे और बिगडैल बेटे हैं, लेकिन सरकार उनके लिए शिक्षा और लालन-पालन की जो विशेष व्यवस्था की थी या करने की भूल की थी उसके द्वारा उसने उनके सारे वर्ग को बुद्धि और दिमाग में बिलकुल बोदा और निकम्मा बना दिया। वे अपने किसानों के लिए कुछ भी नहीं करते थे जैसा कि दूसरे देशों के जमींदार अक्सर थोड़ा-बहुत किया करते हैं, और जमीन और लोगों को महज चूस कर अपना पेट भरने वाले रह गये थे। उनके पास सबसे बड़ा काम यह रह गया था कि वे मुकामी अफ़सरों की खुशामत-दरामद करते रहें—जिनकी कि मेहरबानी के बिना उनकी हस्ती ज्यादा दिन ठहर नहीं सकती थी। और वे हमेशा अपने खास स्वार्थों और हकों की रक्षा का लगातार मतालबा करते रहते थे।

जमींदार शब्द से ज़रा धोखा हो जाता है और किसी-किसीको यह खयाल हो सकता है कि तमाम जमींदार बड़ी-बड़ी जमीनों के मालिक हैं। जिन सूबों में रयतवारी तरीका है वहाँ जमींदार के मानी हैं खुद खेती करने वाला जमीन-मालिक। उन प्रान्तों में भी जहाँ जमींदारी-प्रथा है, जमींदारों में कम जमीन के मालिक, मध्यम दर्जे के हज़ारों जमीन-मालिक, और वे हज़ारों लोग भी जो हद दर्जे की गरीबी में दिन काटते

हैं और किसी तरह काश्तकारों से अच्छी हालत में नहीं हैं, आ जाते हैं। संयुक्त-प्रान्त में, जहाँ तक मुझे याद है, पन्द्रह लाख के करीब वे लोग हैं जिनकी गिनती जमींदार-वर्ग में की जाती है। गालिबन इनमें से ९० फी सदी के ऊपर की हालत गरीब-से-गरीब काश्तकार की हालत से मिलती-जुलती है और दूसरे ९ फी सदी की हालत किसी ऊँदर अच्छी है। बड़े समझे जानेवाले जमीन-मालिक सारे सूबे में पाँच हजार से ज्यादा नहीं हैं और इसके कोई ५१ दरहकीकृत बड़े जमींदार और ताल्लुक़ेदार कहलाने लायक हैं। बाज़-बाज़ बड़े काश्तकार की हालत तो छोटे गरीब जमींदारों से कहीं अच्छी है। गरीब जमीन-मालिक और मध्यम दर्जे के जमींदार बुद्धि में पिछड़े हुए हैं। मगर हैं आम तौर पर बहुत अच्छे लोग—स्त्री व पुरुष दोनों। और यदि उनकी शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध अच्छा हो तो वे बढ़िया नागरिक बन सकते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलनों में खास हिस्सा लिया है। मगर ताल्लुक़ेदारों और बड़े जमींदारों ने नहीं—हाँ, कुछ अच्छे अपवादों को छोड़कर। और तो और पर उनमें कुलीन वर्ग की खूबियाँ भी नहीं पाई जातीं। एक वर्ग की हैसियत से शरीर और बुद्धि दोनों में वे गिर गये हैं। अब-तक तो उनका खात्मा ही होना चाहिए था। अब वे तभी तक जीवित रह सकेंगे कि जबतक ब्रिटिश सरकार ऊपर से उनको सहारा लगाती रहेगी।

पूरे १९२१ भर में देहाती इलाकों में आता-जाता रहा। लेकिन मेरा कार्य-क्षेत्र बढ़ता गया—यहाँतक कि सारे युक्त-प्रान्त में फैल गया। असहयोग सरगर्मी से शुरू हो गया था और उसका सन्देश दूर-दूर के गाँवों में पहुँच चुका था। हर जिले में काँग्रेस-कार्यकर्त्ताओं का एक झुण्ड इस नये सन्देश को लेकर देहात में जाता, और उनके साथ वे किसानों की शिकायतें दूर करने की बात भी मोटे तौर पर जोड़ देते थे। स्वराज एक ऐसा व्यापक शब्द था जिसमें सब-कुछ आ जाता था, फिर भी ये दोनों आन्दोलन—असहयोग और किसान—बिलकुल अलहदा-अलहदा थे; हालाँकि हमारे प्रान्त में ये दोनों बहुत कुछ एक-दूसरे में मिल-जुल जाते थे और एक-दूसरे पर असर डालते थे। काँग्रेस के इस प्रचार का यह फल हुआ कि मुकदमेबाज़ी एकबारगी कम हो गई और गाँवों में पञ्चायतें कायम होकर उनमें मुकदमे फ़ैसल होने लगे। काँग्रेस का असर शान्ति के हक़ में खास तौर पर ज्यादा गिरा क्योंकि जहाँ भी कोई काँग्रेस-कार्यकर्त्ता जाता वहाँ इस नये अहिंसा के सिद्धान्त पर खास तौर पर जोर देता। हो सकता है कि लोगों ने न तो इसकी कद्र की हो, न इसे पूरा समझा ही हो; लेकिन इसने किसानों को मार-काट पर पड़ने से रोका जरूर है।

यह कोई कम बात न थी। किसान जब उभड़ते हैं तो मार-काट कर बैठते हैं और उनका उभाड़ किसानों की और मालिकों की खासी लड़ाई ही बन जाती है। और

उन दिनों अवध के हिस्से के किसानों के जोश का पारा बहुत ऊँचा चढ़ा हुआ था और वे सब-कुछ कर डालने पर आमादा थे। एक चिनगारी पड़ने की देर थी कि आग धधक उठती। फिर भी उन्होंने गजब की शान्ति रक्खी। मुझे सिर्फ़ एक ही मिसाल याद आती है कि जिसमें एक ताल्लुक़ेदार पीटा गया। ताल्लुक़ेदार अपने घर में बैठा था—उसके यार-दोस्त आसपास बैठे थे। एक किसान उसके पास गया और उसके गाल पर एक थप्पड़ जमा दिया। किसान का कहना था कि वह अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था और बदचलन था।

एक और क्रिस्म का हिंसा-कार्य आगे जाकर हुआ, जिससे सरकार के साथ टक्करें हुईं। मगर ये टक्करें तो होकर ही रहती; क्योंकि सरकार संगठित किसानों की बढ़ती हुई ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ढेर-के-ढेर किसान बिना टिकट रेल में सफ़र करने लगे—खास तौर पर तब जब कि उन्हें अपनी बड़ी-बड़ी सभाओं में समय-समय पर जाना पड़ता था। कभी-कभी तो उनकी तादाद ६० से ७० हज़ार तक हो जाती। उन्हें हटाना मुश्किल था। और वे खुल्लमखुल्ला रेलवे की हुकूमत का मुकाबिला करने लगे, जैसा कि पहले कभी न देखा न सुना गया था। वे रेलवे कर्मचारियों से कहते कि—‘साहब, अब पुराना ज़माना चला गया।’ किसके भड़काने से वे बिना टिकट झुण्ड-के-झुण्ड सफ़र करते थे, मैं नहीं जानता। हाँ, हमने उन्हें ऐसी कोई बात नहीं सुझाई थी। हमने तो अचानक सुना कि वे ऐसा कर रहे हैं। बाद को जाकर जब रेलवेवालों ने कड़ाई की तब यह सिलसिला बन्द हो गया।

१९२० की शरद् ऋतु में (जब मैं कलकत्ते में काँग्रेस के विशेष अधिवेशन में गया हुआ था) कुछ मामूली-सी बात पर कुछ किसान नेता गिरफ़्तार कर लिये गये। खास परताबगढ़ में उनका मुक़दमा चलाया जानेवाला था। लेकिन मुक़दमे के दिन किसानों की एक बड़ी भीड़ से अदालत का हाता भर गया और वहाँ से जेल तक के रास्ते भर एक लाइन बन गई, जहाँ कि नेता लोग रक्खे गये थे। मजिस्ट्रेट घबरा गया और उसने मुक़दमा दूसरे दिन के लिए मुलतवी कर दिया। लेकिन भीड़ बढ़ती गई और उसने जेल को करीब-करीब घेर लिया। किसान लोग मुट्ठी-भर चने खाकर कुछ दिन बड़े मजे से रह सकते हैं। आखिर को किसान नेता छोड़ दिये गये। शायद जेल में उनका मुक़दमा कर दिया गया था। मैं यह तो भूल गया कि यह घटना कैसे हुई, लेकिन किसानों ने उसे अपनी एक बड़ी विजय समझा और वे यह सोचने लगे कि महज़ अपनी भीड़ के बल पर ही हम अपना चाहा करा लिया करेंगे। मगर सरकार के लिए यह स्थिति असह्य थी। और एक ऐसा ही मौका जल्दी पेश आया; लेकिन उसका अंत दूसरी तरह हुआ।

१९२१ की जनवरी के शुरू की बात है। मैं नागपुर-कांग्रेस से लौटा ही था कि मुझे रायबरेली से तार मिला, कि जल्दी आओ; क्योंकि वहाँ उपद्रव की आशंका थी। दूसरे दिन मैं गया। मुझे मालूम हुआ कि कुछ दिन पहले कुछ प्रमुख किसान पकड़े गये थे और वहाँ जेल में रक्खे गये थे। किसानों को परताबगढ़ की सफलता और उस समय जो नीति उन्होंने अख्त्यार की थी वह याद थी ही। चुनांचे किसानों की एक बड़ी भीड़ रायबरेली जा पहुँची। मगर इस बार सरकार उन्हें ऐसा नहीं करने देना चाहती थी और इसलिए उसने जायद पुलिस और फ़ौज का इंतज़ाम कर रक्खा था कि उन्हें आगे न बढ़ने दे। कस्बे के ठीक बाहर एक छोटी नदी के उस पार किसानों का मुख्य भाग रोक दिया गया। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ़ से लोग लगातार चले आ रहे थे। स्टेशन पर आते ही मुझे इस स्थिति की खबर मिली और मैं फौरन नदी की तरफ़ गया, जहाँ फ़ौज किसानों का सामना करने के लिए रक्खी गई थी। रास्ते में मुझे ज़िला-मजिस्ट्रेट का जल्दी में लिखा एक पुर्जा मिला, कि मैं वापस लौट जाऊँ। उसीकी पीठ पर मैंने जवाब लिखा और पूछा, कि किस क़ानून की किस दफ़ा की रू से मुझे वापस जाने के लिए कहा गया है; और जबतक इसका जवाब नहीं मिलेगा तबतक मैं अपना काम जारी रखना चाहता हूँ। जैसे ही मैं नदी तक पहुँचा कि दूसरे किनारे पर से गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। मुझे पुल पर ही फ़ौजवालों ने रोक लिया। मैं वहाँ इन्तज़ार कर ही रहा था कि एका-एक कितने ही डरे और घबराये हुए किसानों ने मुझे आ घेरा, जोकि नदी के इस किनारे खेतों में छिप रहे थे। तब मैंने वहाँ उसी जगह कोई दो हजार किसानों की सभा करके उनके डर को दूर और उत्तेजना को कम करने की कोशिश की। कुछ क्रम आगे ही एक छोटे नाले के उस पार उनके भाइयों पर गोलियों का बरसना और चारों ओर फ़ौज-ही-फ़ौज दिखाई देना—यह उनके लिए एक असाधारण स्थिति थी। मगर फिर भी सभा बहुत सफलता के साथ हुई, जिससे किसानों का डर कुछ कम हो गया। तब ज़िला-मजिस्ट्रेट उस जगह से लौटे जहाँ से गोलियाँ चलाई जा रही थीं और उनके अनुरोध पर मैं उनके साथ उनके घर गया। वहाँ उन्होंने किसी-न-किसी बहाने कोई दो घण्टे तक मुझे रोक रक्खा—ज़ाहिर है कि उनका इरादा मुझे किसानों से और शहर के अपने मित्रों से दूर रखने का था।

बाद को हमें पता चला कि गोली-काण्ड से बहुतेरे आदमी मारे गये। किसानों ने तितर-बितर होने से या पीछे हटने से इन्कार कर दिया था; मगर यों वे बिलकुल शान्त बने रहे थे। मुझे बिलकुल यक़ीन है कि अगर मैं, या हममें से कोई, जिन-पर वे भरोसा रखते थे, वहाँ होते और उन्होंने उनसे कहा होता तो वे जरूर

वहाँ से हट गये होते। जिन लोगों का वे विश्वास नहीं करते थे उनका हुक्म मानने से उन्होंने इन्कार कर दिया। किसीने तो दर-असल मजिस्ट्रेट को सुझाया भी था, कि मेरे आने तक कुछ ठहर जावें; किन्तु उन्होंने नहीं सुना। जहाँ वह खुद नाकामयाब हो चुके थे, वहाँ भला वह किसी आन्दोलनकारी को क्योंकर सफल होने दे सकते थे? विदेशी सरकारों का, जिनका कि दारोमदार अपने रीब पर होता है, यह तरीका नहीं हुआ करता।

रायबरेली जिले में उन्हीं दिनों दो बार किसानों पर गोलियाँ चलीं, और उसके बाद तो हरेक प्रमुख किसान-कार्यकर्ता या पञ्चायत के मेम्बर के लिए मानों डर का राज्य ही फैल गया। सरकार ने उस आन्दोलन को कुचल डालने का पक्का इरादा कर लिया था। उन दिनों कांग्रेस की प्रेरणा से किसानों के अन्दर चरखा चलाने की प्रवृत्ति हो रही थी। इसलिए चरखा तो मानो राजद्रोह का प्रतीक हो गया था, और जिसके घर चरखा पाया जाता उसीकी आफत आ जाती। चरखे अक्सर जला भी दिये जाते थे। इस तरह सरकार ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करके तथा दूसरे तरीकों से रायबरेली और परताबगढ़ जिले के देहाती इलाकों के किसान और कांग्रेस दोनों आन्दोलनों को कुचलने की कोशिश की। ज्यादातर मुख्य-मुख्य कार्यकर्ता दोनों आन्दोलनों में एक ही थे।

कुछ दिन बाद, १९२१ में, फैजाबाद जिले में दूर-दूर तक दमन का मन्त्रा चखाया गया। वहाँ एक अनोखे ढंग से झगड़ा खड़ा हुआ। कुछ देहात के किसानों ने जाकर एक ताल्लुकदार का माल-असबाब लूट लिया। बाद को पता लगा कि उन लोगों को एक दूसरे जमींदार के नौकरों ने भड़का दिया था, जिसका ताल्लुकदार से कुछ झगड़ा था। उन गरीबों से सचमुच यह कहा गया था कि महात्मा गांधी चाहते हैं कि वे लूट ले; और उन्होंने 'महात्मा गांधी की जय' बोलते हुए इस आदेश का पालन किया।

जब मैंने यह सुना तो मैं बहुत बिगड़ा और दुर्घटना के एक या दो ही दिन में घटना स्थल पर जा पहुँचा, जो अकबरपुर (फैजाबाद जिला) के पास ही था। मैंने उसी दिन एक सभा बुलाई और कुछ ही घण्टों में ५-६ हजार लोग कई गाँवों से, कोई १०-१० मील की दूरी से, वहाँ इकट्ठे हो गये। मैंने उन्हें बुरी तरह आड़े हाथों लिया, कि किस तरह उन्होंने अपने-आपको तथा हमारे काम को बक्का पहुँचाया, और शर्मिन्दगी दिलाई और कहा कि जिन-जिनने लूट-पाट की है वे सबके सामने अपना गुनाह कबूल करें। (उन दिनों मैं गांधीजी के सत्याग्रह की स्पिरिट से, जैसा-कुछ मैं उसे समझता था, भरा हुआ था।) मैंने उन लोगों से, जो लूट-मार में शरीक थे, हाथ ऊँचा उठाने

के लिए कहा, और कहते ताज्जुब होता है कि बीसों पुलिस-अफसरों के सामने कोई दो दर्जन हाथ ऊपर उठ गये। इसके मानी थे यक्रीनन उनपर आफ़त आना।

जब उनमें से बहुतेरे लोगों से मैंने खानगी में बातचीत की और उन्होंने सीधे-सादे ढंग से सुनाया कि किस तरह उन्हें गुमराह किया गया था, तो मुझे उनकी हालत पर बड़ा दुःख हुआ और इस बात पर अफ़सोस होने लगा कि मैंने नाहक ही इन सीधे-भोले लोगों को लंबी-लंबी सजायें पाने की हालत में ला रक्खा। लेकिन जिन लोगों को सजा भुगतनी पड़ी वे दो या तीन दर्जन नहीं थे। सरकार के लिए इतना अच्छा मौक़ा भला कहीं खोने जैसा था ? उस ज़िले के किसान-आन्दोलन को कुचलने के लिए इस-अवसर का पूरा-पूरा फ़ायदा उठाया गया। एक हज़ार से ऊपर गिरफ़्तारियाँ हुईं और ज़िला-जेल ठसाठस भर गई। कोई एक साल तक मुक़दमे चलते रहे। कितने ही मुक़दमे के दौरान में जेल ही में मर गये। दूसरे कितनों ही को लम्बी-लम्बी सजायें दी गईं और पिछले दिनों जब मैं जेल गया तो वहाँ उनमें से कुछ से मुलाक़ात हुई थी। क्या लड़के और क्या जवान, सब अपनी जवानी जेल में काट रहे थे !

हिन्दुस्तान के किसान में टिके रहने की शक्ति बहुत कम है। ज्यादा दिनों तक मुक़ाबिला करने की ताक़त नहीं रहती। अकालों और बीमारियों के दौर में लाखों मर जाते हैं। ऐसी दशा में यह ताज्जुब की बात है कि एक साल भर तक उन्होंने सरकार और जमींदार दोनों के सम्मिलित दबाव का मुक़ाबिला करने की ताक़त का परिचय दिया। लेकिन वे कुछ-कुछ थकने लग गये थे और सरकार उनके आन्दोलन पर दृढ़तापूर्वक हमले करती रहती थी, जिससे अन्त में उनकी हिम्मत उस समय के लिए तो टूट गई। फिर भी उनका आन्दोलन धीमी रफ़्तार से चलता रहा—हाँ, पहले जैसे बड़े-बड़े प्रदर्शन नहीं होते थे, लेकिन अधिकांश गाँवों में पुराने कार्यकर्ता बच रहे थे जिनपर डर का कोई असर न हुआ था और जो छोटे रूप में काम करते रहे। यहाँ यह याद रखना चाहिए कि यह सब हुआ था काँग्रेस के १९२१ के जेल जाने के कार्यक्रम बनने के पहले। किन्तु इसमें भी किसानों ने, पिछले साल के दमन के बावजूद, बहुत-कुछ हाथ बंटया था।

सरकार किसान-आन्दोलन से डर गई थी और उसने किसानों-सम्बन्धी क़ानून को पास करने की जल्दी की। इसके द्वारा किसानों की हालत सुधरने की आशा हुई थी। किन्तु जब देखा कि आन्दोलन काबू में आ चुका है तो उसको नरम बना दिया गया। इसके द्वारा जो मुख्य परिवर्तन किया गया वह था अवध के किसानों को हीन-हयात ज़मीन पर अधिकार दे देना। यह दिखाई तो दिया था उनके लिए

लुभावना, लेकिन अन्त में साबित यह हुआ कि उनकी हालत में उससे कुछ भी सुधार नहीं हुआ ।

अवध में किसानों की हलचलें जब-तब होती रहती थीं, लेकिन छोटे पैमाने पर । मगर, १९२९ में जो मंदी सारे संसार में आई उससे चीजों के भाव गिर गये और इसलिए फिर एक संकट-काल आ खड़ा हुआ ।

असहयोग

अवध के किसानों की उथल-पुथल का यहाँ कुछ ब्योरे के साथ मैंने वर्णन किया है, क्योंकि उसने भारत की समस्या पर से परदा उठाकर उसका मूल-स्वरूप मेरे सामने खड़ा कर दिया, जिसकी तरफ कि राष्ट्रीय विचार वालों ने शायद ही कुछ तवज्जो की हो। हिन्दुस्तान के जुदे-जुदे भागों में किसानों की हलचले बार-बार होती रहती हैं, जो कि गहरी अशान्ति के लक्षण हैं। अवध के कुछ हिस्सों में जो किसान-आन्दोलन १९२०-२१ में हुआ वह उसी तरह का था—हालांकि वह अपने ढंग का निराला था, जिससे कई रहस्य सामने आये। उसकी शुरुआत का सम्बन्ध किसी तरह न तो राजनीति से था, न राजनैतिक पृष्ठों से, बल्कि शुरू से आखिर तक बाहरी और राजनैतिक लोगों का उसपर कम-से-कम असर था। सारे हिन्दुस्तान की दृष्टि से वह एक मुकामी मामला था, और इसलिए उसकी तरफ बहुत-कम ध्यान दिया गया था। यहाँ तक कि संयुक्त-प्रान्त के अखबारों ने भी उसकी तरफ बहुत-कुछ लापरवाही ही दिखाई। उनके सम्पादकों और उनके अधिकांश शहराती पाठकों के लिए अर्ध-नंगे किसानों की जमात के उन कामों में कोई असली राजनैतिक या दूसरे प्रकार की खूबी न थी।

पंजाब और खिलाफत-सम्बन्धी अन्यायों की रोज चर्चा होती थी और असहयोग, जिसके बल पर उन अन्यायों की दूर करने की कोशिश की जानेवाली थी, लोगों की ज़बान पर एक ही विषय था। सब लोगों का ध्यान उसी में लगा हुआ था। अलबत्ते शुरू में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के बड़े प्रश्न, यानी स्वराज, पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था। गांधीजी गोल-मोल और बड़े-बड़े उद्देशों को पसन्द नहीं करते हैं—वह हमेशा किसी खास और निश्चित बात पर सारी ताकत लगाना ज्यादा पसन्द करते हैं। फिर भी स्वराज की बातें वायु-मण्डल में और लोगों के दिमागों में बहुत-कुछ घूमती रहती थी, और जगह-जगह जो सभा-सम्मेलन होते थे उनमें बार-बार उनका जिक्र आया करता था।

१९२० के सितम्बर में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ—पंजाब और खिलाफत के और खासकर असहयोग के प्रश्न पर अपना निर्णय देने के लिए। लाला लाजपतराय उसके सभापति थे, जो लम्बे अरसे तक देश से बाहर रहने के बाद हाल ही अमेरिका से लौटे थे। उन्हें असहयोग की यह नई योजना नापसन्द

थी और उन्होंने उसका विरोध किया था। हिन्दुस्तान की राजनीति में वह आम तौर पर गरम-दल के माने जाते थे, लेकिन उनकी साधारण जीवन-दृष्टि निश्चित रूप से वैध और माडरेट थी। सदी के शुरू के उन दिनों परिस्थिति ने—न कि हादिक विश्वास या इच्छाने—उन्हें लोकमान्य तिलक तथा दूसरे गरम-दलवालों का साथी बना दिया था। लेकिन उनका दृष्टि-कोण निश्चय ही सामाजिक तथा आर्थिक था, जो कि उनके अरसे तक विदेशों में रहने से और भी मजबूत हो गया था, और उसके कारण उनकी दृष्टि अधिकांश हिन्दुस्तानी नेताओं की बनिस्बत ज्यादा व्यापक थी।

विल्फ्रेड स्केवन ब्लण्ट ने अपनी 'डायरियों' में गोखले और लालाजी के साथ हुई मुलाकातों (१९०९ से लगभग) का हाल लिखा है। दोनों के बारे में उसने बहुत सस्त लिखा है, क्योंकि उसकी राय में वे बहुत फूक-फूक कर चलते थे और वास्तविकता का सामना करते हुए डरते थे। लेकिन फिर भी लालाजी दूसरे बहुत-से हिन्दुस्तानी नेताओं से कहीं ज्यादा उनका मुकाबिला करते थे। ब्लण्ट पर जो छाप पड़ी उससे तो हम यह समझ सकते हैं कि उस समय हमारी राजनीति की और हमारे नेताओं की नाड़ी कितनी धीमी चलती थी और उनका असर एक सुयोग्य और अनुभवी विदेशी सज्जन पर क्या पड़ा। लेकिन पिछले २० वर्षों में उनकी नब्ब की चाल में बड़ा फ़र्क पड़ गया है।

इस विरोध में लाला लाजपतराय अकेले न थे। उनके साथ बड़े-बड़े और प्रभाव-शाली लोग भी थे। काँग्रेस के करीब-करीब सभी पुराने महारथियों ने गांधीजी के असहयोग-प्रस्ताव का विरोध किया था। देशबन्धु दास उस विरोध के अगुआ थे—इसलिए नहीं कि वह उसकी स्पिरिट को नापसन्द करते थे—क्योंकि वह उस हद तक बल्कि उससे भी आगे जाने को तैयार थे—बल्कि खासकर इसलिए कि नई कौंसिलों के बहिष्कार पर उन्हें ऐतराज था।

पुरानी पीढ़ी के बड़े-बड़े नेताओं में एक मेरे पिताजी ही ऐसे थे जिन्होंने उस समय गांधीजी का साथ दिया उनके लिए ऐसा करना हँसी-खेल न था। उनके पुराने साथियों ने जो-जो ऐतराज किये थे उनमें से बहुतेरों को वे ठीक समझते थे और उनका उनपर बहुत असर भी हुआ था। उनकी तरह वह भी एक अज्ञात दिशा में एक अजीब नये तरीके से आगे बढ़ने में हिचकिचाते थे, जहाँ जाकर किसीके लिए अपने पुराने तौर-तरीके कायम रखना मुश्किल ही था। फिर भी उनके दिल में एक अनिवार्य कोशिश थी कोई कारगर उपाय करने की ओर—और असहयोग के प्रस्ताव में ऐसे निश्चित उपाय की योजना थी, अलबत्ते वह ठीक उसी तरह की न थी जैसी कि

पिताजी चाहते थे। पक्का इरादा करने में उन्हें बहुत वक्त लगा था। बड़ी देर-देर तक उन्होंने गांधीजी और देशबन्धु से बातें की थीं। उन्हीं दिनों संयोग से वह और दास बाबू दोनों बहुत-कुछ एकसाथ पढ़ गये थे, क्योंकि एक बड़े मुफ्त्सिल मुकदमे में वे दोनों एक-दूसरे के खिलाफ पैरवी के लिए खड़े हुए थे। वे दोनों इस मसले को बहुत-कुछ एक-सा नुक्ते-निगाह से देखते थे और उसके अन्त के बारे में भी उनका बहुत कम मतभेद था। फिर भी, वह थोड़ा-सा ही मतभेद काफ़ी था उनसे विशेष काँग्रेस के मुख्य प्रस्ताव का परस्पर-विरोधी पक्ष लिखाने के लिए। तीन महीने बाद वे फिर नागपुर-काँग्रेस में मिले, और तबसे आगे चलकर दोनों एकसाथ चलते रहे और एक-दूसरे के अधिक नज़दीक आते चले गये।

उन दिनों, कलकत्ता की विशेष काँग्रेस के पहले, मैं उनको बहुत कम समझ पाया था। परन्तु जब कभी मैं उनसे मिलता मैंने देखा कि वह बराबर इस समस्या का मुकाबिला करने में लगे रहते थे। इस सवाल के राष्ट्रीय स्वरूप के अलावा इसका जाती पहलू भी था। असहयोग के मानी होते थे उनका वकालत छोड़ देना, जिसके मानी होते थे उनका अपने पुराने जीवन से बिलकुल नाता तोड़ लेना और एक बिलकुल नये जीवन में अपनेको ढालना—यह कोई आसान बात नहीं थी, खासकर उस समय जब कि कोई अपनी ६० वी वर्षगाँठ मनाने की तैयारी कर रहा हो। पुराने राज-नैतिक सायियों से, अपने पेशे से, उस सामाजिक जीवन से जिसके वह अब तक आदी थे, सबसे ताल्लुक तोड़ना था और कितनी ही खर्चीली आदतों को छोड़ देना था, जो अबतक पड़ी हुई थी। फिर रुपये और खर्च-वर्च का सवाल भी कम महत्व का न था, और यह जाहिर था कि अगर वकालत की आमदनी चली गई तो उन्हें अपने रहन-सहन का स्टैंडर्ड बहुत कम करना होगा।

लेकिन उनकी बुद्धि, उनका जबरदस्त स्वाभिमान, और उनका गर्व—ये सब मिलाकर उन्हें एक-एक कदम नये आन्दोलन की तरफ ही बढ़ाते गये यहाँतक कि अन्त में वह सोलहों आना उसमें कूद पड़े। उन कई घटनाओं से, जिनका अन्त पञ्जाब-काण्ड में हुआ, और उसके बाद जो-कुछ हुआ उससे उनके दिल में जो गुस्सा भरता जा रहा था उसको, जो अन्याय और अत्याचार वहाँ हुए थे उनकी याद को, और जो राष्ट्रीय अपमान हुआ उसकी कटुता को, बाहर निकलने का कोई मार्ग चाहिए था। लेकिन वह महज़ उत्साह की लहर में बह जानेवाले न थे। उन्होंने आखिरी फैसला तभी किया और गांधीजी के आन्दोलन में तभी कूदे जब उनके दिमाग ने, और एक मँजे हुए वकील के दिमाग ने, सारा आगा-पीछा अच्छी तरह सोच लिया।

गांधीजी के मानवी गुणों को देखकर वह उनकी तरफ खिंचे थे और इसमें कोई

शक नहीं कि इस बात ने भी उनपर असर डाला था। जिस शक्त को वह नापसन्द करते थे उससे उनका साथ कोई भी ताकत नहीं करा सकती थी, क्योंकि उनकी रुचि और अरुचि दोनों बड़ी तेज होती थी। लेकिन यह मिलाप था अनोखा—एक तो साधु, वंरागी, धर्मात्मा, जीवन में प्राप्त होनेवाले आनन्द-विलास और शारीरिक सुखों को लात मारनेवाला, और दूसरा कुछ भोग-प्रिय, जिसने जीवन के कितने ही आनन्दों का स्वागत और उपभोग किया और इस बात की बहुत कम परवा की कि आगे क्या होगा ! मनोविश्लेषण-शास्त्र की भाषा में कहें तो यह एक अन्तर्मुख का एक बहिर्मुख के साथ मिलाप था। फिर भी उन दोनों के बीच एक प्रेम-बन्धन और एक हित-सम्बन्ध था, जिसने दोनों को एक-दूसरे की तरफ खींचा और बाँध रक्खा—यहाँतक कि जब आगे चलकर दोनों की राजनीति में अन्तर पड़ गया तब भी दोनों में गाढ़ी मित्रता रही।

वाल्टर पेटर ने अपनी एक किताब में बताया है कि कैसे एक साधु और एक दुनियादार, एक धार्मिक प्रकृति का और दूसरा उसके विरुद्ध स्वभाव का, एक-दूसरे के विरोधी स्थानों से शुरू करके, जुदे-जुदे रास्तों से सफ़र करते हुए, पर फिर भी दोनों ऐसी जीवन-दृष्टि रखते हुए जो अपने उत्साह और सरगमियों में जीतों से उच्च और उदार रहती है, अक्सर एक-दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह समझते और पहचानते हैं—बनिस्बत इसके कि उनमें से हरेक दुनिया के किसी साधारण मनुष्य को समझें और पहचानें—और कभी-कभी तो वे दरअसल एक-दूसरे के हृदय को स्पर्श भी करते हैं।

कलकत्ता के विशेष अधिवेशन ने कांग्रेस की राजनीति में गाँधी-युग को शुरू किया, जो तबसे अबतक कायम है—हां, बीच में एक छोटा-सा जमाना (१९२२ से १९२९ तक) ज़रूर ऐसा गया जिसमें उन्होंने अपने-आपको पीछे रख लिया था और स्वराज-पार्टी को, जिसके नेता देशबन्धु दास और मेरे पिताजी थे, अपना काम करने दिया था। तबसे कांग्रेस की सारी दृष्टि ही बदल गई; विलायती कपड़े चले गये और देखते-देखते सिर्फ खादी-ही-खादी दिखाई देने लगी; कांग्रेस में नये किस्म के लोग—प्रतिनिधि—दिखाई देने लगे, जो खास करके मध्यम-वर्ग की निचली श्रेणी के थे। हिन्दुस्तानी और कभी-कभी तो उस प्रान्त की भाषा जहाँ अधिवेशन होता था अधिकाधिक बोली जाने लगी, क्योंकि कितने ही डेलीगेट अँग्रेज़ी नहीं जानते थे। राष्ट्रीय कामों में विदेशी भाषा का व्यवहार करने के खिलाफ़ भी लोगों के भाव तेज़ी से बढ़ रहे थे, और कांग्रेस की सभाओं में साफ़ तौर पर एक नई खिन्दगी, नया जोश, और एक सरगमी दिखाई देती थी।

अधिवेशन खतम होने के बाद गांधीजी 'अमृत बाजार पत्रिका' के महारथी सम्पादक श्री मोतीलाल घोष से मिलने गये, जोकि मृत्युशय्या पर पड़े हुए थे। मैं उनके साथ गया था। मोती बाबू ने गांधीजी के आन्दोलन को आखीर्वाद दिया और साथ में कहा—“मैं तो अब दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ। मैं, और तो क्या कहूँ, कहीं भी जाऊँ, मुझे एक बात का बहुत सन्तोष है कि वहाँ ब्रिटिश साम्राज्य न होगा—अब मैं इस साम्राज्य की पहुँच के परे हो जाऊँगा !”

कलकत्ता से लौटते समय मैं गांधीजी के साथ रवीन्द्रनाथ ठाकुर और उनके निहायत प्यारे बड़े भाई 'बड़ो दादा' से मिलने गान्ति-निकेतन गया। वहाँ हम कुछ दिन रहे। मुझे याद है कि सी० एफ० एण्डरूज ने कुछ किताबें मुझे वहाँ दी थी, जो मुझे दिलचस्प मालूम हुई थीं और जिनका मुझपर बहुत असर भी पड़ा था। उनका विषय था आफ्रिका में साम्राज्यवाद के आधिक स्वरूप। इनमें से मॉरिल की लिखी एक किताब—ब्लैक मेन्स बर्डन—ने मेरे दिल को बहुत हिला दिया था।

इन्हीं दिनों या इसके कुछ दिन बाद, एण्डरूज साहब ने एक पुस्तक लिखी, जिसमें हिन्दुस्तान के लिए स्वाधीनता की पंरवी की गई थी। मैं समझता हूँ कि उसका नाम था 'इंडिपेंडेन्स—दि इमीजिएट नीड'। यह एक बहुत ऊँचे दर्जे का मजमून था, जो कि सिली के हिन्दुस्तान-विषयक कुछ लेखों और पुस्तकों के आधार पर लिखा गया था। और मुझे ऐसा लगा कि स्वाधीनता का प्रतिपादन इतनी अच्छी तरह किया गया है कि उसका कोई जवाब नहीं हो सकता—यही नहीं, बल्कि मुझे वह हमारे हार्दिक भावों का चित्र खींचती हुई मालूम हुई। उसकी भाषा बड़ी सीधी-सादी और सरगर्मी लिये हुई थी। मानो हमारे दिल को हिला देनेवाली गहरी प्रेरणायें और अघखिली अभिलाषायें साफ़ तौर पर मूर्त बनती हुई दिखाई दी। न तो वह आर्थिक आधार पर लिखी गई थी और न उसमें समाजवाद ही था; उसमें शुद्ध राष्ट्रीयता, हिन्दुस्तान की जितलत के प्रति मन में सहानुभूति और इससे छुटकारा पाने की और हमारे इस बरसों के अधःपतन का ख़ात्मा कर देने की जबरदस्त ख्वाहिश थी। यह कितनी विचित्र बात है कि एक विदेशी, और सो भी वह जो हमपर हुकूमत करनेवाली जाति का है, हमारे अन्तस्तल की पुकार को इस तरह प्रतिध्वनित करे ! असहयोग तो, जैसा कि सिली ने बहुत पहले कह दिया है, “यह भावना है कि हमारे लिए विदेशियों को अपनी हुकूमत हमपर जमाये रखने में सहायता पहुँचाना शर्मनाक है।” और एण्डरूज ने लिखा है—“आत्मोद्धार का एक ही मार्ग है, कि अपने अन्दर से कोई जबरदस्त हलचल—उभाड़—पैदा हो। ऐसे उभाड़ के लिए जिस बारूद की जरूरत है वह खुद हिन्दुस्तान की रूढ़ में ही पैदा होनी चाहिए। वह बाहर से किसीके देने, मांगने, मिलने, ऐलान

करने और रिआयनें देने से नहीं आ सकती। वह अपने अन्दर से ही आनी चाहिए। '.....' इसलिए जब मैंने देखा कि ऐसे ही आन्तरिक शक्ति, वह बारूद, दरअसल भक् से धड़ाका कर चुकी है—जब महात्मा गांधी ने भारत के हृदय में मन्त्र फूँका—'आजाद हो जाओ, गुलाम मत बने रहो' और हिन्दुस्तान की हस्तन्त्री उसी स्वर में झनझना उठी—तो मेरे मन और आत्मा को उस असह्य बोझ से छुटकारा पाने की निहायत ख्शी हुई। एक आकस्मिक हलचल के साथ उसकी बेड़ियाँ ढीली होने लगी और आजादी का रास्ता खुल गया।'

अगले तीन मास में सारे देश भर में असहयोग की लहर बढ़ती चली गई। नई कौन्सिलों का बहिष्कार करने की जो अपील की गई थी उसमें आश्चर्यजनक सफलता मिली। यह बात नहीं कि सभी लोग वहाँ जाने से रुक गये, या रुक सकते थे, और इस तरह तमाम सीटें खाली रखी जा सकती थीं। बल्कि मुट्ठीभर वोटर भी चुनाव कर सकते थे और अवरोध चुनाव भी हो सकता था। लेकिन, हाँ यह सच है कि अधिकांश वोटर—मतदाता—वोट देने नहीं गये, और वे सब उम्मीदवार जिन्हें देश की पुकार का खयाल था, कौन्सिलों के लिए खड़े नहीं हुए। चुनाव के दिन सर वेलेन्टाइन शिरोल दैवयोग से इलाहाबाद में थे और खुद चुनाव के मुकामो पर देखने गये थे। वह बायकाट की पूर्णता को देखकर दग रह गये। एक देहाती चुनाव-स्टेशन पर, जो कि इलाहाबाद शहर से १५ मील दूर था, उन्होंने देखा कि एक भी वोटर वोट देने नहीं गया था। हिन्दुस्तान पर लिखी अपनी एक पुस्तक में उन्होंने अपने इस अनुभव का जिक्र किया है।

यद्यपि देशबन्धु दास तथा दूसरे लोगों ने कलकत्ता-अधिवेशन में बहिष्कार की उपयोगिता पर सन्देह प्रकट किया था, तो भी आखिर को उन्होंने कांग्रेस के फ्रैसले को माना। चुनाव हो जाने के बाद मतभेद भी दूर हो गया और नागपुर-कांग्रेस (१९२०) में फिर बहुत से पुराने कांग्रेसी नेता असहयोग के मञ्च पर आकर मिल गये। उस आन्दोलन की कामयाबी ने बहुतेरे डाँवाडोल और सन्देह रखनेवालों को कायल कर दिया था।

फिर भी, कलकत्ता के बाद, कुछ पुराने नेता कांग्रेस से पीछे हट गये, जिनमें एक मशहूर और लोकप्रिय नेता थे श्री जिन्ना। सरोजिनी नायडू ने उन्हें 'हिन्दू-मुस्लिम एकता का राज-दूत' कहा था और पिछले दिनों में उन्हींकी बदीलत मुस्लिम-लीग का कांग्रेस के नजदीक आना बहुत-कुछ मुमकिन हुआ था, मगर कांग्रेस ने बाद में जो रूप धारण किया—असहयोग को तथा अपने नये विधान को अपनाया, जिससे वह ज्यादातर जनता का संगठन बन गई, वह उन्हें कतई नापसन्द था। उनके मतभेद का

कारण यों तो राजनैतिक बताया गया था; परन्तु वह मुख्यतः राजनैतिक न था। उस समय की कांग्रेस में ऐसे बहुत-से लोग थे जो राजनैतिक विचारों में जिज्ञा साहब से पीछे ही थे। पर बात यह है कि कांग्रेस के इस नये रंग-रूप से उनका स्वभाव मेल नहीं खाता था। उस खादीधारी भम्भड़ में जो हिन्दुस्तानी में व्याख्यान देने का मतालबा करती थी, वह अपने को बिलकुल बे-मेल पाते थे। बाहर लोगों में जो जोश था वह उन्हें पागलों की उछल-कूद-सा मालूम होता था। उनमें और भारतीय जनता में उतना ही फ़र्क था जितना कि सेवाइल रो और बॉण्ड स्ट्रीट में और झोंपड़ोंवाले हिन्दुस्तानी गाँवों में है। एक बार उन्होंने खानगी में सुझाया था कि सिर्फ मेट्रिक पास ही कांग्रेस में लिये जावें। में नहीं कह सकता कि उन्होंने दरअसल संजीदगी के साथ ही यह बढ़िया बात सुझाई थी। परन्तु यह सच है कि उनके साधारण दृष्टिकोण के वह मुआफिक ही थी। इस तरह वह कांग्रेस से दूर चले गये और हिन्दुस्तान की राजनीति में अकेले-से पड़ गये। दुःख की बात है कि आगे जाकर एकता का यह पुराना एलची उन प्रतिगामी लोगों में मिल गया जो मुसलमानों में बहुत ही सम्प्रदाय-वादी थे।

माइरेटों या यों कहे कि लिबरलों का तो कांग्रेस से कोई ताल्लुक ही न रहा था। वे उससे सिर्फ दूर ही नहीं हट गये, बल्कि सरकार में घुल-मिल गये, नई योजना के अन्दर मिनिस्टर और बड़े-बड़े अफसर बने और असहयोग तथा कांग्रेस का मुक़ाबिला करने में सरकार की मदद की। वे जो-कुछ चाहते थे, करीब-करीब सब उन्हें मिल गया था—यानी कुछ सुधार दे दिये गये थे, और इसलिए अब उन्हें किसी आन्दोलन की जरूरत न थी। सो, एक ओर देश जहाँ जोश-खरोश से उबल रहा था, और अधिकाधिक क्रान्तिकारी बनता जा रहा था, तहाँ वे खुले आम क्रान्ति-विरोधी, खुद सरकार के एक अंग बन गये। वे लोगों से कटकर बिलकुल अलग जा पड़े और तब से हर मसले को हाकिमों के दृष्टि-बिन्दु से देखने की उनकी आदत पड़ गई, जो अबतक कायम है। सच्चे अर्थ में उनकी अब कोई पार्टी नहीं रह गई है—सिर्फ चन्द लोग रह गये हैं, सो भी कुछ बड़े शहरों में। श्री श्रीनिवास शास्त्री शाही राजदूत और ब्रिटिश सरकार की प्रेरणा से भिन्न-भिन्न ब्रिटिश उपनिवेशों में तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में घूमे और जहाँ-जहाँ गये उन्होंने कांग्रेस को और खुद अपने ही देश-वासियों को उस सरकार से लड़ाई लड़ते रहने के लिए बुरा-भला कहा।

फिर भी यह न समझिए कि लिबरल लोग सुखी थे। खुद अपने ही लोगों से कटकर अलहदा पड़ जाना, जहाँ दुश्मनी नहीं दिखाई या सुनाई देती हो वहाँ भी दुश्मनी समझना कोई आनन्ददायी अनुभव नहीं कहा जा सकता। जब सारी जनता उभड़

उठती है तो वह अपनेसे अलहदा रहनेवालों के प्रति मेहरबान नहीं रह सकती । हालांकि गांधीजी की बार-बार की चेतावनियों ने असहयोग को मुखालिफों के लिए उससे कहीं अधिक मृदुल और सौम्य बना दिया था जितना कि दूसरी हालत में वह हो सकता था । लेकिन फिर भी महज उस वायुमण्डल ने ही उनका दम बन्द कर दिया था जो उसका विरोध करते थे, जिस तरह कि वह उन लोगों को बल और स्फूर्ति देता था और उनमें जीवन तथा कार्य-शक्ति का सञ्चार करता था जो कि उसके हामी थे । जनता के उभाड़ और सच्चे क्रान्तिकारी आन्दोलनों के हमेशा ऐसे दोहरे असर होते हैं; वे उन लोगों को जो जनता में से होते हैं या जो उनकी तरफ ही जाते हैं, उत्साहित करते हैं और उनको आगे लाते हैं, और साथ ही उन लोगों के विचारों को दबाते हैं और उनको पीछे हटा देते हैं जो उनसे मतभेद रखते हैं ।

यही कारण है जो कुछ लोगों की यह शिकायत थी कि असहयोग में तो सहन-शीलता का अभाव है और उससे अन्धे की तरह एक-सी राय देने और एक-से काम करने की प्रवृत्ति पैदा होती है । इस शिकायत में सच्चाई तो थी, लेकिन वह थी इस बात में कि असहयोग जनता का एक आन्दोलन था और उसका अगुआ था ऐसा दबंग शख्स जिसे हिन्दुस्तान के करोड़ों लोग भक्ति-भाव से देखते थे । मगर इससे भी गहरी सच्चाई तो थी जनता पर हुए उसके असर में । ऐसा अनुभव होता था मानों किसी क्रंद से या बोझ से वह छुटकारा पा गई हो और आजादी का एक नया भाव आ गया हो ! जिस भय से वह अबतक दबी और कुचली जा रही थी वह पीछे हट गया था और उसकी कमर सीधी और सिर ऊँचा हो गया था । यहाँतक कि दूर-दूर के बाजारों में भी राह चलते लोग काँग्रेस और स्वराज (क्योंकि नागपुर-काँग्रेस ने स्वराज को अपना ध्येय बना लिया था) की, पंजाब की घटनाओं की, तथा खिलाफत की बातें करते थे । लेकिन 'खिलाफत' शब्द के अजीब मानी देहात के लोग समझते थे । लोग समझते थे कि यह 'खिलाफ' से बना है और इसलिए वे इसके मानी करते थे 'सरकार के खिलाफ' ! हाँ, वे अपने खास-खास आर्थिक कष्टों पर भी बातचीत करते थे । बेशुमार सभायें और सम्मेलन होते और उनसे उनमें बहुत-कुछ राजनैतिक शिक्षा फैली ।

हममें से बहुत लोग जो काँग्रेस-कार्यक्रम को पूरा करने में लगे हुए थे, १९२१ में मानों एक किस्म के नशे में मतबाले हो रहे थे । हमारे जोश, आशावाद और उछलते हुए उत्साह का ठिकाना न था । हमें वैसा आनन्द और सुख का स्वाद आता था जैसा किसी शुभ काम के लिए धर्म-युद्ध करनेवाले को होता है । हमारे मन में न शंकाओं के लिए जगह थी, न हिचक के लिए; हमें अपना रास्ता अपने

सामने बिलकुल साफ़ दिखाई देता था, और हम आगे बढ़ते चले जाते थे, दूसरों के उत्साह से उत्साहित होते तथा दूसरों को और आगे धक्का देते थे। हमने जी-जान लगाकर काम करने में कोई बात उठा न रक्खी, इतनी बड़ी मेहनत हमने कभी न की थी; क्योंकि हम जानते थे कि सरकार से मुकाबिला सीधे ही होनेवाला है, और इससे पहले कि सरकार हमें उठाकर अलग कर दे, हम ज्यादा-से-ज्यादा काम कर डालना चाहते थे।

इन सब बातों से बढ़कर हमारे अन्दर आजादी का और आजादी के गर्व का भाव आ गया था। यह पुराना भाव कि हम पीड़ित हैं और हमारा कोई काम पूरा नहीं पड़ सकता, बिलकुल चला गया था। अब न तो काना-फूसी होती थी और न गोल-मोल कानूनी भाषा इस्तैमाल की जात थी, कि जिससे अधिकारियों के साथ झगड़ा मोल लेने से अपनेको बचाया जा सके। हम वही कहते थे जो हम मानते थे और महसूस करते थे, और उसे खुल्लमखुल्ला उनके की चोट कहते थे। हमें उसके नतीजे की क्या परवा थी? क्या जेल? उसकी तो हम राह ही देख रहे थे। उससे तो हमारे उद्देश-सिद्धि में मदद ही पहुँचनेवाली थी। बेशुमार भेदिया और खुफिया पुलिस के लोग जो हमें घेरे रहते थे और हम जहाँ जाते वहाँ साथ रहते थे, उनकी हालत दयाजनक हो गई थी। क्योंकि हमारे पास उनके पता लगाने के लिए कोई छिपी बात ही न थी। हमारी सारी बाज़ी खुली थी।

हमको इस बात का ही सिर्फ़ सन्तोष न था कि हम एक कारगर राजनैतिक काम कर रहे हैं, जिससे हमारी आँखों के सामने भारत की तसवीर बदलती जा रही है, और जो जैसा कि हमारा विश्वास था, हिन्दुस्तान की आजादी बहुत नज़दीक ला रहा है, बल्कि हमारे अन्दर एक नैतिक उच्चता का भाव भी पैदा हो गया था, कि हमारे साध्य और साधन दोनों हमारे म्खालिफ़ों के मुकाबिले में अच्छे और ऊँचे हैं। हमें अपने नेता पर और उसके बताये लासानी तरीक़े पर फ़ख़ था। और कभी-कभी हम अपनेको सत्पुरुष मानने का दावा करने लगते थे। लड़ाई के जारी होते हुए भी और हमारे खुद उसमें लिप्त होते हुए और उसे बढ़ावा देते हुए भी एक आन्तरिक शान्ति का अनुभव होता था।

ज्यों-ज्यों हमारा नैतिक तेज, हमारा सत्व, बढ़ता गया, त्यों-त्यों सरकार का घटता गया। उसकी समझ में नहीं आता कि यह हो क्या रहा है। ऐसा जान पड़ता था कि हिन्दुस्तान में उनकी परिचित पुरानी दुनिया एकाएक डहे जा रही है। दूर-दूर तक एक नई आक्रामक स्पिरिट और आत्माबलम्बन और निर्भयता के भाव फैल रहे हैं और भारत में ब्रिटिश हुकूमत का बहूत बड़ा सहारा—रौब—सरेबस्त

गिरता जा रहा है। थोड़ा-थोड़ा दमन करने से आन्दोलन उलटा बढ़ता जाता था और सरकार बहुत देर तक बड़े-बड़े नेताओं पर हाथ डालने से हिचकती ही रही। वह नहीं जानती थी कि इसका नतीजा आखिर क्या होगा। हिन्दुस्तानी फ़ौज पर भरोसा रक्खा जा सकता है या नहीं? पुलिस हमारे हुकमों पर अमल करेगी या नहीं? दिसम्बर १९२१ में लांडे रीडिंग ने तो कही दिया था कि हम 'हैरान और परेशान हो रहे हैं।'

१९२१ की गर्मियों में युक्तप्रान्त की सरकार की ओर से ज़िला-अफ़सरों के नाम एक मजोदार गुप्त गश्ती-चिट्ठी भेजी गई थी। वह बाद को एक अखबार में भी छप गई थी। उसमें दुख के साथ यह कहा गया था कि इस आन्दोलन में प्रारम्भिक सूत्र हमेशा दुश्मन यानी कांग्रेस के हाथों में हैं, और इसे कमबलती ही समझना चाहिए। और प्रारम्भिक सूत्र सरकार के हाथों में आ जाय, इसके लिए उसमें तरह-तरह के उपाय बताये गये थे, जिनमें एक था निकम्मी 'अमन सभाओं' को कायम करना। यह माना जाता था कि असहयोग से लड़ने का यह तरीका लिबरल मिनिस्ट्रों का सुझाया हुआ था।

कितने ही ब्रिटिश अफ़सरों के होश-हवास गुम होने लगे थे। दिमागी परेशानी कम न थी। दिन-दिन प्रबल होनेवाला विरोध और हुकूमत का मुक़ाबिला करने की स्पिरिट हाकिमों के सिर पर घने मानसूनी बादलों की तरह मँडरा रहे थे; परन्तु फिर भी चूक उसके साधन शान्तिमय थे, उन्हें उसका मुक़ाबिला करने, उसपर हावी होने या जोर के साथ धर दबाने का कोई मौका नहीं मिलता था। औसत दर्जे के अंग्रेज़ इस बात को नहीं मानते थे, कि हम कांग्रेसी सच्चे दिल से अहिंसा चाहते हैं। वे समझते थे कि यह सब घोखा-धड़ी है—किसी गहरी छिपी साजिश को छिपाने का बहाना-मात्र है, जो किसी-न-किसी दिन एक हिंसात्मक उत्पात के रूप में फूट पड़ने-वाली है। अंग्रेज़ों को बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि पूर्व एक रहस्यमय देश है, और वहाँ के बाज़ारों और तंग गलियों में दिन-रात छिपी साजिशें होती रहती हैं। इसलिए वे इन रहस्यमय समझे जानेवाले देशों के मामलों को सीधा नहीं देख सकते। वे एक पूर्वी पुरुष को जो स्पष्ट और रहस्य से खाली है, समझने की कभी कोशिश ही नहीं करते। वे उससे एक दूरी पर ही रहते हैं, उसके बारे में जो कुछ खयाल बनाते हैं वे भेदियों और खुफिया पुलिस के द्वारा पेटभर के मिली ख़बरों के आधार पर, और फिर उसके सम्बन्ध में अपनी कल्पना की उड़ान को खुला छोड़ देते हैं। अप्रैल १९१९ के शुरू में पंजाब में ऐसा ही हुआ। अधिकारियों में और आम तौर पर अंग्रेज़ लोगों में एकाएक दहशत फैल गई। उन्हें हर जगह खतरा-ही-खतरा, एक बगावत, एक दूसरा ग़दर जिसमें भयानक मारकाट

होगी, दिखाई देने लगा और हर सूरत से आँखें मुंदकर आत्म-रक्षा की सहज वृत्ति ने उनसे बे-बे भंयकर काण्ड करा डाले जिनके अमृतसर का जालियाँवाला बाग और रेंगनेवाली गली ये प्रतीक और दूसरे नाम हो गये ।

१९२१ का साल बड़ी तनातनी का साल था, और उसमें बहुत-सी ऐसी बातें हुईं जिनसे हाकिमों को चिढ़ने, बिगड़ने और घबराने या डर जाने की गुंजाइश थी । जो कुछ दर-असल हो रहा था वह तो बुरा था ही, परन्तु जो-कुछ खयाल कर लिया गया वह उससे भी बुरा था । मुझे एक घटना याद है, जिससे इस कल्पना की घुड़दौड़ का नमूना मिल जायगा । मेरी बहन सरूप की शादी इलाहाबाद में १० मई १९२१ को होनेवाली थी । देशी तिथि के हिसाब से पंचांग में शुभ-दिन देखकर यह तारीख मुकर्रर की गई थी, गांधीजी तथा दूसरे कांग्रेसियों को, जिनमें अली-बन्धु भी थे, निमंत्रण दिया गया था, और उनकी सुविधा का खयाल करके उसी समय के आस-पास कार्य-समिति की बैठक भी इलाहाबाद में रख ली गई थी । स्थानीय कांग्रेसी चाहते थे कि बाहर से आये हुए नामी-गिरामी नेताओं की मौजूदगी से फायदा उठाया जाय और इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पर एक ज़िला-कान्फरेन्स का आयोजन किया । उन्हें उम्मीद थी कि आस-पास के देहात से किसान लोग बहुत बड़ी तादाद में आ जायेंगे ।

इन राजनैतिक सभाओं की बदौलत इलाहाबाद में खूब चहल-पहल और जोश छाया हुआ था । इससे लोगों के दिलों में अजीब घबड़ाहट छा गई । एक रोज़ एक बैरिस्टर-दोस्त से मैंने सुना कि इस आयोजन से कितने ही अंग्रेजों के होश ठिकाने न रहे और उन्हें डर हो गया कि शहर में एकाएक कोई बवंडर खड़ा हो जाने-वाला है । हिन्दुस्तानी नौकरों पर से उनका विश्वास हट गया और वे अपनी जेब में पिस्तौल रखने लगे । खानगी में यहाँ तक कहा गया कि इलाहाबाद का क़िला इस बात के लिए तैयार रक्खा गया था कि ज़रूरत पड़ने पर तमाम अंग्रेजों को पनाह के लिए वहाँ भेज दिया जाय । मुझे यह सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ और इस बात को समझ न सका कि कोई क्यों इलाहाबाद जैसे सोये हुए और शान्ति-मय शहर में ऐसे किसी बवंडर का अन्देशा रखे, खासकर उसी समय जब कि खुद अहिंसा का दूत ही वहाँ आ रहा हो । ओफ़ ! यहाँ तक कहा गया कि १० मई, और यही तारीख इत्तिफ़ाक़ से मेरी बहन की शादी की नियत हुई थी, १८५७ को मेरठ में ग़दर शुरू हुआ था और उसका सालाना जलसा करने की ये तैयारियाँ हो रही हैं ।

१९२१ में खिलाफत-आन्दोलन को बहुत प्रधानता दी गई थी, इससे कितने ही मौलवी और मुसलमानों के मजहबी नेताओं ने इस राजनैतिक लड़ाई में बड़ा हाथ

बँटाया था। उन्होंने इस हलचल पर एक निश्चित मजहबी रंग चढ़ा दिया था और मुसलमान लोग आम तौर पर उससे बहुत प्रभावित हुए थे। बहुत-से पश्चिमी रंग में रंगे हुए मुसलमान भी, जिनकी कोई खास रगबल मजहब की तरफ नहीं थी, डाढ़ी रखने तथा शरीयत के दूसरे फरमानों की पाबन्दी करने लगे थे। बढ़ते हुए पश्चिमी असर के और नये खयालात के सबब से मौलवियों का जो असर और रीब घटता जा रहा था वह फिर बढ़ने और मुसलमानों पर अपनी धाक जमाने लगा। अली-भाइयों ने भी, जो खुद भी मजहबी तबीयत के आदमी थे, इस सिलसिले को और ताकत दी, और इसी तरह गांधीजी ने भी, जो मौलवियों और मौलानाओं को बहुत ही इज्जत दिया करते थे।

इसमें कोई शक नहीं कि गांधीजी बराबर आन्दोलन के धार्मिक और आध्यात्मिक पहलू पर जोर दिया करते थे। उनका धर्म शास्त्राज्ञा से जकड़ा हुआ न था, परन्तु उसकी यह मंशा जरूर थी कि जीवन को देखने की दृष्टि धार्मिक हो। इसलिए सारे आन्दोलन पर उसका बहुत प्रभाव पड़ा था और, जहाँ तक जनता से ताल्लुक है, उसने एक धर्मोद्धार का रूप धारण कर लिया था। कांग्रेस के बहुसंख्यक कार्यकर्त्ता स्वभावतः अपने नेता का अनुकरण करने लगे और कितने ही तो उनकी तरह भाषा भी बोलने लगे। और फिर भी कार्य-समिति में गांधीजी के मुख्य-मुख्य साथी थे—मेरे पिताजी, देशबन्धु दास, लाला लाजपतराय, और दूसरे लोग—जो साधारण अर्थ में धार्मिक पुरुष न थे, और जो राजनैतिक मसलों का राजनैतिक जमीन पर बैठकर ही विचार करते थे। अपने व्याख्यानों और बयानों में वे धर्म को नहीं लाया करते थे। मगर वह जो कुछ कहते थे उससे उनके प्रत्यक्ष उदाहरण का ज्यादा असर होता था—क्या उन्होंने वह सब बहुत-कुछ नहीं छोड़ दिया था, जिसको दुनिया क्रीमती समझती है, और पहले से ज्यादा सादी रहन-सहन नहीं अस्वकार कर ली थी? यह बात खुद ही धर्म का एक चिन्ह समझ ली गई, और इसने भी धर्मोद्धार के वायुमण्डल को फैलाने में मदद की।

राजनीति में, क्या हिन्दू और क्या मुसलमान दोनों तरफ धार्मिकता की इस बढ़ती से कभी-कभी मुझे परेशानी होती थी। मुझे वह बिलकुल पसन्द न थी। मौलवी, मौलाना और स्वामी तथा ऐसे ही दूसरे लोग जो-कुछ अपने भाषणों में कहते थे उसका बहुतांश मुझे बहुत कुफल पैदा करनेवाला मालूम होता था। उनका सारा इतिहास, सारा समाज-शास्त्र और अर्थ-शास्त्र मुझे गलत दिखाई देता था और हर चीज को जो मजहबी मरोड़ दी जाती, उससे स्पष्ट विचार करना शक जाता था। कुछ-कुछ तो गांधीजी के भी शब्द-प्रयोग मेरे कानों को खटकते थे—जैसे 'राम-

राज्य', जिसे वह फिर लाना चाहते हैं। लेकिन उस समय मुझमें दखल देने की शक्ति न थी, और मैं इसी खयाल से तसल्ली कर लिया करता था कि गांधीजी ने उनका प्रयोग इसलिए किया है कि इन शब्दों को सब जानते हैं और जनता इन्हें समझ लेती है। उनमें जनता के हृदय तक पहुँच जाने की विलक्षण स्वभाव-सिद्ध शक्ति थी।

लेकिन मैं इन बातों की झञ्झट में ज्यादा नहीं पड़ता था। मेरे पास काम इतना ज्यादा था और हमारे आन्दोलन की प्रगति इस तेजी से हो रही थी कि ऐसी छोटी-छोटी बातों की परवा करने की जरूरत न थी, क्योंकि उस समय मैं उन्हें वैसा ही न-कुछ समझता था। किसी बड़े आन्दोलन में हर किस्म के लोग रहते हैं, और जब तक हमारी असली दिशा सही है, कुछ भँवरों और चक्करों से कुछ बिगड़ नहीं सकता। और खुद गांधीजी को लें तो वह ऐसे शरस थे जिन्हें समझना बहुत मुश्किल था, कभी-कभी तो उनकी भाषा औसत दर्जे के आधुनिक आदमी की समझ में प्रायः नहीं आती थी। लेकिन हम यह मानते थे कि हम उन्हें इतना जरूर अच्छी तरह समझ गये हैं कि वह एक महान् और अद्वितीय पुरुष और शानदार नेता हैं और जब कि हमने उनपर कम-से-कम उस समय तो श्रद्धा रखी थी; तो मानों हमने कोरे कागज पर ही दस्तखत करके उनके हवाले कर दिया था। अक्सर हम आपस में उनके इन खब्तों और विचित्रताओं की चर्चा किया करते थे और कुछ-कुछ दिल्लगी में कहा करते कि जब स्वराज आ जायगा तब इन खब्तों को इस तरह आगे न चलने देंगे।

इतना होने पर भी हममें से बहुत-से लोग राजनैतिक तथा दूसरे मामलों में उनके इतने प्रभाव में थे कि धर्म के क्षेत्र में भी बिलकुल आज़ाद बने रहना असंभव था। जहाँ सीधे हमले से कामयाबी की उम्मीद न थी वहाँ ज़रा चक्कर खाकर जाने से बहुत हद तक उस प्रवृत्ति की ताकत कम हो जाती थी। धर्म के बाहरी आचार कभी मेरे दिल में जगह न कर पाये, और सबसे बड़ी बात तो यह कि मुझे इन धार्मिक कहलानेवाले लोगों के द्वारा जनता का चूसा जाना बहुत नापसन्द था, मगर फिर भी मैंने धर्म के प्रति नरमी अख्त्यार करली थी। अपने ठेठ बचपन से लेकर किसी भी समय की बनिस्वत १९२१ में मेरा मानसिक झुकाव धार्मिकता की तरफ ज्यादा हुआ था। लेकिन तब भी मैं उसके बहुत नज़दीक नहीं पहुँचा था।

जिस बात का मैं आदर करता था वह थी उस आन्दोलन का नैतिक और सदाचार-सम्बन्धी पहलू और सत्याग्रह। मैंने अहिंसा के सिद्धान्त को सोलहों आने नहीं माना था, या हमेशा के लिए नहीं अपना लिया था; लेकिन हाँ, वह मुझे अपनी तरफ़ अधिकाधिक खींचता चला जाता था और यह विश्वास मेरे दिल में पक्का बैठता जाता था कि हिन्दुस्तान की जैसी परिस्थिति बन गई है, हमारी जैनी परम्परा और

जैसे संस्कार हैं उन्हें देखते हुए यही हमारे लिए सही नीति है। राजनीति को आध्यात्मिकता के—तंग और मजबूती मानी में नहीं—सचि में ढालना मुझे एक उन्दा खयाल मालूम हुआ। निस्सन्देह एक उच्च ध्येय को पाने के लिए साधन भी वैसे ही उच्च होने चाहियें—यह एक अच्छा नीति-सिद्धान्त ही नहीं, बल्कि निर्भ्रम व्यावहारिक राजनीति भी थी; क्योंकि जो साधन अच्छे नहीं होते वे अक्सर हमारे उद्देश्य को ही विफल बना देते हैं और नई समस्याएँ और नई दिक्कतें पैदा कर देते हैं; और ऐसी दशा में, एक व्यक्ति या एक क्रौम के लिए, ऐसे साधनों के सामने सिर झुकाना—दलदल में से गुजरना, कितना बुरा, कितना स्वाभिमान को गिरानेवाला मालूम होता था ! उससे अपनेको गंदा बनाये बिना कोई कैसे बच सकता था ? यदि हम सिर झुकाते हैं, या पेट के बल रेंगते हैं, तो कैसे हम अपने गौरव को कायम रखते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं ?

उस समय मेरे विचार ऐसे थे। और असहयोग-आन्दोलन ने मुझे वह चीज दी जो मैं चाहता था—क्रौमी आजादी का ध्येय और (जैसा मैंने समझा) निचले दर्जे के लोगों के शोषण का अन्त कर देना, और ऐसे साधन जो मेरे नैतिक भावों के मुआफिक्र थे और जिन्होंने मुझे ज्ञानी आजादी का भान कराया। यह ज्ञाती तसल्ली मुझे इतनी ज्यादा मिली कि नाकामयाबी के अन्देश की भी मैं ज्यादा गिनती न करता था, क्योंकि ऐसी असफलता तो थोड़े समय के लिए ही हो सकती थी। भगवद्गीता के आध्यात्मिक भाग को मैं न तो समझता था और न उसकी तरफ़ मेरा खिंचाव ही हुआ था, लेकिन हाँ, उन श्लोकों को पढ़ना पसन्द करता था, जो शाम को गांधीजी के आश्रम में प्रार्थना के समय पढ़े जाते थे, और जिनमें यह बताया गया है कि मनुष्य को कँसा होना चाहिए; शान्त, स्थिर, गंभीर, अचल, निष्काम भाव से कर्म करनेवाला और फल के विषय में अनासक्त। मैं खुद बहुत शान्त-स्वभाव या अनासक्त नहीं हूँ, इसलिए शायद यह आदर्श मुझे अच्छा लगा होगा।

मेरी पहली जेल-यात्रा

उन्नीस सौ इक्कीस का साल हमारे लिए एक असाधारण साल था। राष्ट्रीयता और राजनीति और रहस्यवादिता और धर्मान्धता का एक ही अजीब मिश्रण हो गया था। इस सबकी तह में किसानों की अशान्ति और बड़े शहरों का बढ़ता हुआ मजदूर-वर्गीय आन्दोलन था। राष्ट्रीयता और एक अस्पष्ट किन्तु देशव्यापी जबरदस्त आदर्श-वाद ने इन सब भिन्न-भिन्न और कभी-कभी परस्पर-विरोधी असन्तोषों को मिला देने का प्रयत्न किया, और इसमें बड़ी हद तक कामयाबी भी मिली। परन्तु इस राष्ट्रीयता को कई शक्तियों से बल मिला था। उसकी तह में थी हिन्दू राष्ट्रीयता, मुस्लिम राष्ट्रीयता—जिसका ध्यान कुछ-कुछ हिन्दुस्तान की सीमा के बाहर भी खिंचा हुआ था—और हिन्दुस्तानी राष्ट्रीयता, जो जमाने की स्पिरिट के अधिक अनुकूल थी। उस समय ये सब एक-दूसरे में मिल-जुलकर साथ-साथ चलने लगी थी। हर जगह 'हिन्दू-मुसलमान की जय' थी। यह देखने लायक बात थी कि किस तरह गांधीजी ने सब वर्गों और सब गिरोहों के लोगों पर जादू-सा डाल दिया था, और उन सबको एक ही दिशा में चलनेवाला पचरंगी दल बना दिया था। वास्तव में वह 'लोगों की अस्पष्ट अभिलाषाओं का एक मूर्त रूप' (जो वाक्य कि एक दूसरे ही नेता के विषय में कहा गया है) बन गये थे।

इससे भी ज्यादा निराली बात यह थी कि ये सब अभिलाषायें और उमंगें उन विदेशी हाकिमों के प्रति घृणा-भाव से कहीं मुक्त थीं, जिनके खिलाफ वे इस्तेमाल हों रहीं थीं। राष्ट्रीयता मूल में ही एक विरोध-रूपी भाव है, और यह जीता और पनपता है दूसरे राष्ट्रीय समुदायों के—खासकर किसी शासित देश के, विदेशी शासकों के खिलाफ घृणा और क्रोध के भावों पर। १९२१ में हिन्दुस्तान में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ घृणा और क्रोध ज़रूर था, मगर इसी हालतवाले दूसरे मुल्कों के मुकाबिले में यह निहायत ही कम था। इसमें शक नहीं कि यह बात हुई है गांधीजी के अहिंसा के तात्पर्यों और फलितार्थों पर जोर देते रहने के कारण ही। इसका यह भी कारण था कि सारे देश में आन्दोलन चालू होने के साथ ही यह भावना आ गई थी कि हमारे बन्धन टूट रहे हैं, हमारा बल बढ़ रहा है, और नज़दीक भविष्य में कामयाब हो जाने का व्यापक विश्वास पैदा हो गया था। जब हमारा काम अच्छी तरह चल रहा हो और जब हम जल्दी ही सफल हो जानेवाले हों तो गुस्सा होने और नफरत करने से फायदा ही क्या है? हमें लगा कि उदार बनने में हमारा कुछ बिगाड़ नहीं।

मगर हमारे अपने ही कुछ देशवासियों के प्रति, जो हमारे खिलाफ हो गये थे और राष्ट्रीय-आन्दोलन का विरोध करते थे, हम अपने दिलों में इतने उदार नहीं थे, हालांकि जो-जो काम हम करते थे वे उचित ही थे और खूब आगा-पीछा सोचकर करते थे। उनके प्रति घृणा या क्रोध का तो कोई सवाल ही न था, क्योंकि उनकी कोई बकत नहीं थी, और हम उनकी उपेक्षा कर सकते थे। मगर हमारे दिल की गहराई में उनकी कमजोरी, मौका-परस्ती तथा उनके द्वारा राष्ट्रीय सम्मान और स्वाभिमान के गिरा दिये जाने के कारण हिकारत भरी हुई थी।

इस तरह हम चलते रहे—अस्पष्टता से किन्तु उत्कटता के साथ, और हम इस आनन्द में मस्त थे कि हमने अपना हथियार चला दिया है। मगर लक्ष्य के बारे में तो स्पष्ट विचार का बिलकुल अभाव था। अब तो इस बात पर ताज्जुब ही होता है कि हमने सैद्धान्तिक पहलुओं को, अपने आन्दोलन के बुनियादी उसूलों को, और जिस निश्चित चीज को हमें प्राप्त करना है उसे किस बुरी तरह से भुला दिया था। बेशक, हम स्वराज के बारे में बहुत बढ़-चढ़कर बातें करने थे, मगर शायद हर व्यक्ति जैसा चाहता वैसा उसका मतलब निकाला करता था। ज्यादातर नवयुवकों के लिए तो इसका मतलब था राजनैतिक आजादी या ऐसी ही कोई चीज, और लोकतन्त्री ढंग की शासन-प्रणाली, और यही बात हम अपने सार्वजनिक भाषणों में कहा करते थे। बहुत लोगों ने यह भी सोचा था कि इससे लाजमी तौर पर मजदूरों और किसानों के वे बोझ जिनके तले वे कुचले जा रहे हैं हलके हो जायेंगे। मगर यह जाहिर था कि हमारे ज्यादातर नेताओं के दिमाग में स्वराज का मतलब आजादी से बहुत छोटी चीज थी। गांधीजी इस विषय पर बड़े मजे से अस्पष्ट रहते थे और इस बारे में साफ विचार कर लेनेवालों को वह बढ़ावा नहीं देते थे। मगर हाँ हमेशा, अस्पष्टता से ही किन्तु निश्चित रूप से, पद-दलित लोगों को लक्ष्य करके बोला करते थे, और इससे हम कइयों को बड़ी तसल्ली होती थी, हालांकि उसीके साथ वह ऊँची श्रेणीवालों को भी कई प्रकार के आश्वासन दे डालते थे। गांधीजी का जोर किसी सवाल को बुद्धि से समझने पर कभी नहीं होता था, बल्कि चरित्रबल और पवित्रता पर रहता था; और उन्हें हिन्दुस्तान के लोगों को दृढ़ता और चरित्रबल देने में आश्चर्यजनक सफलता मिली भी। फिर भी ऐसे बहुत-से लोग थे, जिनमें न अधिक दृढ़ता बढ़ी न चरित्रबल बढ़ा, मगर जो समझ बँठे थे कि ढीला-डाला शरीर और कुम्हलाया हुआ चेहरा ही पवित्रता की प्रतिमूर्ति है।

जनता की यह असाधारण चुस्ती और मजबूती ही हममें विश्वास भर देती थी। हिम्मत हारे पिछड़े और दबे हुए लोगों ने अचानक अपनी कमर सीधी की और

अपना सिर ऊँचा किया, और एक देशव्यापी सुनियंत्रित और सम्मिलित उपाय में जुट पड़े ! हमने समझा कि इस उपाय से ही जनता को अदम्य शक्ति मिल जायगी । मगर उपाय के साथ उसके मूलस्थ विचार की आवश्यकता का खयाल हमने छोड़ दिया । हमने भुला दिया कि एक जाग्रत विचार-विज्ञान और उद्देश्य के बिना, जनता की शक्ति और उत्साह बहुत-कुछ धुधुआकर रह जायगा । किसी हद तक हमारे आन्दोलन में धर्मोद्धार या पुनरुद्धार-वाद के बल ने हमें आगे बढ़ाया । और वह यह भावना थी कि राजनैतिक या आर्थिक आन्दोलनों के लिए या अन्यायों को दूर करने के लिए अहिंसा का प्रयोग करना एक नया ही संदेश है, जो हमारा राष्ट्र संसार को देगा । सभी जातियों और सभी राष्ट्रों में जो यह विचित्र मिथ्या विश्वास फैल जाता है कि हमारी ही जाति एक विशेष प्रकार से संसार में सबसे ऊँची है, उसीमें हम फँस गये थे ; अहिंसा, युद्ध या सब प्रकार की हिंसात्मक लड़ाइयों में, शास्त्रास्त्रों के बजाय एक नैतिक शस्त्र का काम दे सकती है । यह सिर्फ नैतिक उपाय ही नहीं है, बल्कि कारगर भी है । मेरे खयाल से, हममें से शायद ही कोई मशीनरी और वर्तमान सभ्यता विषयक गांधीजी के पुराने विचारों से सहमत था । हम समझते थे कि खुद वह भी अपने विचारों को कल्पना-सृष्टि या मनोराज्य और वर्तमान परिस्थितियों में ज्यादातर अव्यवहार्य समझते होंगे । निश्चय ही, हममें से ज्यादातर लोग तो आधुनिक सभ्यता की नियामतों को त्यागने की तैयार न थे, हालांकि हमें चाहे यह महसूस हुआ हो कि हिन्दुस्तान की परिस्थिति के मुताबिक उनमें कुछ परिवर्तन कर देना ठीक होगा । खुद मैं तो बड़ी मशीनरी और तेज सफ़र को हमेशा पसन्द करता रहा हूँ । फिर भी इसमें सन्देह नहीं हो सकता कि गांधीजी के आदर्श का बहुत लोगों पर असर पड़ा और वह मशीनों और उनके सब परिणामों को तोलने-जोखने लगे । इस तरह, कुछ लोग तो भविष्यकाल की तरफ़ देखने लगे और दूसरे कुछ भूतकाल की तरफ़ निगाह डालने लगे । और कुतूहल की बात यह है कि दोनों ही तरह के लोगों ने सोचा कि हम जिस सम्मिलित उपाय में लगे हुए हैं वह मिलकर करने ही योग्य है, और इसी स्पिरिट के बदीलत खुशी-खुशी बलिदान करना और आत्मत्याग के लिए तैयार होना आसान हो गया

मैं आन्दोलन में दिलोजान से जुट पड़ा और दूसरे बहुत-से लोगों ने भी ऐसा ही किया । मैंने अपने दूसरे कामकाज और सम्बन्ध, पुराने मित्र, पुस्तकें और अखबार तक, सिवा उस हद तक कि जितना उनका चालू काम से ताल्लुक था, सब छोड़ दिये । हाँ, उस समय तक प्रचलित किताबों को कुछ-कुछ पढ़ना कायम रक्खा था और संसार में क्या-क्या घटनायें घटती जाती हैं इसको जानने की कोशिश करता था । मगर अब

नो इसके लिए वक्त ही नहीं था। हालाँकि पारिवारिक मोह जबरदस्त था, मगर मैं अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपनी लड़की, सबको करीब-करीब भूल ही गया था। बहुत अरसे के बाद मुझे मालूम हुआ कि उन दिनों मैं उनकी कितनी कठिनाई और कितने कष्टों का कारण बन गया था। और मेरी पत्नी ने मेरे प्रति कितने विलक्षण धैर्य और सहनशीलता का परिचय दिया था। दफ्तर और कमिटी की मीटिंगें और लोगों की भीड़ ही मानो मेरा घर बन गया। “गाँवों में जाओ” यही सबकी आवाज थी, और हम कोसों खेतों में चलकर जाते थे, दूर-दूर के गाँवों में पहुँचते थे, और किसानों की सभाओं में भाषण देते थे। मैं रोम-रोम में जनता की सामूहिक भावना का और जनता को प्रभावित करने की शक्ति का अनुभव करता था। मैं थोड़ा-थोड़ा भीड़ का मानस, शहर की जनता और किसानों के फ़र्क को समझने लगा, और मुझे धूल और तकलीफ़ों और बड़े-बड़े मजमों के धक्कम-धक्कों में मज्जा आने लगा, हालाँकि उनमें अनुशास के न होने से मैं अक्सर चिढ़ जाता था। उसके बाद तो कभी-कभी मुझे विरोधी और क्रोधित मजमों के सामने भी जाना पड़ता है जिनकी तेज़ी इतनी बढ़ती हुई थी कि एक चिनगारी भी उन्हें भड़का सकती थी, और शुरू के तजुबों से और उससे उत्पन्न आत्म-विश्वास से मुझे बड़ी मदद मिली। मैं हमेशा सीधा मजमे के सामने जाता और उसका भरोसा करता था, और अभी तक तो उसने मेरे प्रति सद्ब्यवहार और गुण-ग्राहकता का ही परिचय दिया है, चाहे हममें मत-भेद ही रहा हो। मगर मजमों का स्वभाव चंचल होता है और सम्भव है भविष्य में मुझे कुछ और ही अनुभव मिले।

मैं मजमों को अपना समझता था और मजमे मुझे अपना लेते थे, मगर उनमें मैं अपने-आपको भुला नहीं देता था। मैं अपनेको उससे हमेशा अलग ही समझता रहा। मैं अपनी अलग मानसिक स्थिति से उन्हें समीक्षक-दृष्टि से देखता था, और मुझे ताज्जुब होता था कि मैं, जो कि अपने आसपास जमा होनेवाले इन हज़ारों आदमियों से हर बात में भिन्न था, अपनी आदतों में, इच्छाओं में, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में बहुत भिन्न था, इन लोगों की सदिच्छा और विश्वास कैसे हासिल कर सका? क्या इसका सबब यह था कि इन लोगों ने मुझे मेरी असलियत से कुछ जुदा समझा? जब वे मुझे ज्यादा पहचानने लगेंगे, क्या तब भी वे मुझे चाहेंगे? क्या मैं लम्बी-चौड़ी बातें बना-बनाकर उनकी सदिच्छा प्राप्त कर रहा हूँ? मैंने उनके सामने सच्ची और खरी बातें कहने की कोशिश की, कभी-कभी मैंने उनसे सख्ती से बातचीत की, और उनके कई प्रिय विश्वासों और रीतियों की नुकताचीनी की, फिर भी वे मेरी इन सब बातों को बरदास्त कर लेते थे। मगर मेरा यह विचार

न हटा कि उनका मुझपर प्रेम, मैं जैसा कुछ हूँ उसके लिए नहीं, बल्कि मेरी बाबत उन्होंने जो-कुछ सुन्दर कल्पना कर ली थी उसके कारण था। यह झूठी कल्पना कितने समय तक टिकी रह सकती थी? और वह टिकी रहने भी क्यों दी जाय? जब उनकी वह कल्पना झूठ निकलेगी और उन्हें असलियत मालूम होगी, तब क्या होगा?

मुझमें तो कई तरह का अभिमान है, मगर मजमों के इन भोले-भाले लोगों में तो ऐसे किसी अभिमान का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है? उनमें कोई दिखावा न था, और न कोई अशिष्टता ही थी, जैसा कि मध्यम वर्ग के कई लोगों में, जो अपने को उनसे अच्छा समझते हैं, होती है। हाँ, वे कुन्द-जहन बेशक थे और व्यक्तिगत रूप से ऐसे न थे कि उनमें कोई दिलचस्पी लें; मगर समुदाय-रूप में उनको देखकर तो असीम करुणा का भाव पैदा होता और उनके आनेवाले दुःखान्त जीवन का दृश्य आँखों के सामने खड़ा हो जाता था।

मगर हमारी कान्फ्रेंसों का तो, जहाँ हमारे चुने हुए कार्यकर्ता (जिनमें मैं भी शामिल था) व्याख्यान-मंच पर अपना करतब दिखाते थे, हाल ही दूसरा था। वहाँ कफ़ी दिखावा होता था, और हमारे धुआँधार भाषाणों में अशिष्टता की कोई कमी न थी। हममें से सभी थोड़े-बहुत इस मामले में कुसूरवार रहे होंगे, मगर खिलाफ़त के कई छोटे नेता तो इसमें सबसे ज्यादा बढ़े हुए थे जहाँ बहुत लोग जमा हों उनके सामने व्याख्यान-मंच पर स्वाभाविक बर्ताव रखना आसान नहीं है; और इस तरह लोगों के सामने आने का पहले किसीको तजुर्बा भी नहीं था। इसलिए हमारे खयाल के मुताबिक़ नेताओं को जैसे रहना चाहिए उसी तरह से हम अपने-आपको विचार-पूर्ण और गम्भीर, चंचलता और छिछोरपन से बिल्कुल बरी, दिखाते थे। जब हम चलते, या बात करते या हँसते थे, तो हमें यह खयाल रहता था कि हजारों आँखें हमें घूर रही हैं और उसीको ध्यान में रखते हुए हम सब-कुछ करते थे। हमारे भाषण अक्सर बड़े वक्तृत्वपूर्ण होते थे, मगर अक्सर ही वे ज्यादातर बे-मुद्दा भी होते थे। दूसरे लोग जैसा अपनेको समझें वैसा अपने-आपको समझना मुश्किल ही है। इसलिए जब मैं अपने-आपकी नुक़ता-चीनी न कर सका तो मैंने दूसरों के तर्ज-अमल पर ग़ौर करना शुरू किया, और इसी काम में मुझे ख़ूब मजा आया और फिर मुझे यह भयंकर खयाल भी आता था कि शायद मैं भी दूसरों को इतना ही वाहियात दिखाई देता होऊँगा।

१९२१ भर कांग्रेस-कार्यकर्ताओं की व्यक्तिगत गिरफ्तारी और सजायबी होती रही, मगर सामूहिक गिरफ्तारियाँ न हुईं। अली-बन्धुओं को हिन्दुस्तानी फ़ौज में असन्तोष पैदा करने के लिए लम्बी-लम्बी सजायें दी गई थीं। जिन शब्दों के लिए

उन्हें सजा मिली थी, उनकी सैकड़ों व्याख्यान-मंचों से हजारों आदिमियों ने दोहराया। अनेक कुछ भाषणों के कारण राजद्रोह का मुकदमा चलाये जाने की धमकी मुझे गर्मियों में दी गई थी। मगर उस वक्त ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। साल के अखीर में मामला अज्ञहद बढ़ गया। युवराज हिन्दुस्तान आनेवाले थे, और उनकी आमद के मुतालिक की जानेवाली तमाम कार्रवाइयों का बहिष्कार करने की घोषणा कांग्रेस ने कर दी थी। नवम्बर के अखीर तक बंगाल में कांग्रेस के स्वयंसेवक गैरकानूनी करार दे दिये गये, और फिर युक्तप्रान्त के लिए भी ऐसी ही घोषणा निकल गई। देशबन्धु दास ने बंगाल को एक बड़ा जोशीला संदेश दिया—“मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे हाथों में हथकड़ियां पड़ी हुई हैं। और मेरा सारा शरीर लोहे की बखनी जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यह है गुलामी की वेदना और यन्त्रणा। अरे, सारा हिन्दुस्तान एक बड़ा जेलखाना ही है ! कांग्रेस का काम हर हालत में जारी रहना चाहिए—इसकी पर्वाह नहीं कि मैं पकड़ लिया जाऊँ या खला रहूँ, इसकी पर्वाह नहीं कि मैं मर जाऊँ या जिन्दा रहूँ।” युक्त प्रान्त में भी हमने सरकार की चुनौती को स्वीकार कर लिया। हमने न सिर्फ यही ऐलान किया कि हमारा स्वयंसेवक-संगठन कायम रहेगा, बल्कि दैनिक अखबारों में अपने स्वयंसेवकों की नामावलियाँ भी छपवा दी। पहली फेहरिस्त में सबसे ऊपर मेरे पिताजी का नाम था। वह स्वयंसेवक तो नहीं थे, मगर सिर्फ सरकार की हुकम-उदूली करने के लिए ही वह शामिल हो गये थे और उन्होंने अपना नाम दे दिया था। दिसम्बर के शुरू ही में, हमारे प्रान्त में युवराज के आने के कुछ ही दिन पहले, सामूहिक गिरफ्तारियाँ शुरू हुईं।

हमने जान लिया कि आखिर अब तो पासा पड़ चुका है; कांग्रेस और सरकार का अनिवार्य सघर्ष अब होने ही वाला था। अभी तक भी जेल एक अपरिचित जगह थी और वहाँ जाना भी एक नई बात थी। एक दिन मैं इलाहाबाद के कांग्रेस-दफ्तर में ज़रा देर तक बक़ाया काम निपटा रहा था। इतने ही में एक क्लर्क ज़रा उत्तेजित होता हुआ आया, और उसने कहा कि पुलिस तलाशी का वारण्ट लेकर आई है, और दफ्तर के मकान को घेर रही है। निःसन्देह मैं भी थोड़ा उत्तेजित तो हो गया, क्योंकि मेरे लिए भी इस तरह की यह पहली ही बात थी, मगर दूढ़ दिखाई देने की इच्छा, पूरी तरह शान्त और निश्चिन्त प्रतीत होने तथा पुलिस के आने और जाने से प्रभावित न होने की अभिलाषा प्रबल थी। इस लिए मैंने एक क्लर्क से कहा कि जब पुलिस-अफ़सर दफ्तर के कमरों में तलाशी ले तो तुम उसके साथ-साथ रहो, और बाक़ी के कारकुनों से कहा कि सब अपना-अपना काम बिना खरखसा करते रहो और पुलिस की तरफ़ ध्यान न दो। कुछ देर बाद एक मित्र और एक साथी कार्य-कर्ता, जो

दफ्तर के बाहर ही गिरफ्तार कर लिये गये थे, एक पुलिस-मैन के साथ, मेरे पास मुझे से बिदा लेने आये। मुझे इन नई घटनाओं को मामूली घटनायें समझना चाहिए, यह अभिमान मुझमें इतना भर गया था कि मैं अपने साथी कार्यकर्ता के साथ बिल्कुल रुखाई से पेश आया। उनसे और पुलिस-मैन से मैंने कहा कि मैं जब तक अपनी चिट्ठी, जिसे मैं लिख रहा था, पूरी न कर लूँ, तब तक जरा ठहरे रहें। जल्दी ही शहर में और भी लोगों के गिरफ्तार होने की खबर आई। आखिरकार मैंने यह तय किया कि मैं घर जाऊँ और देखूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। मैंने देखा कि पुलिस, जो एक-न-एक दिन आने ही वाली थी, हमारे उस लम्बे-चौड़े घर के एक हिस्से की तलाशी ले रही है और मालूम हुआ कि वह, पिताजी और मुझे, दोनों को गिरफ्तार करने आई है।

युवराज के आगमन के बहिष्कार-सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए हमारा और कोई कार्य इतना उपयुक्त न होता। युवराज जहाँ-जहाँ ले जाये गये, वहाँ-वहाँ उन्हें हड़तालें और सूनी सड़कें ही मिली। जब वह इलाहाबाद आये तो वह एक सुनसान शहर मालूम पड़ा। कुछ दिनों बाद कलकत्ता ने भी कुछ समय के लिए अचानक अपना सारा कारोबार बन्द कर दिया। युवराज के लिए यह सब एक मुसीबत थी। मगर उनका कोई क्रूर न था, और न उनके खिलाफ कोई दुर्भावना थी। हाँ, हिन्दुस्तान की सरकार ने अलबत्ते उनके व्यक्तित्व का बेजा फायदा उठाने की कोशिश की थी, इसलिए कि अपनी गिरती हुई प्रतिष्ठा को बनाये रख सके।

इसके बाद तो, खासकर युक्तप्रान्त और बंगाल में, गिरफ्तारियों और सजाओं की धूम मच गई। इन प्रान्तों में सभी खास-खास कांग्रेसी नेता और काम करनेवाले पकड़ लिये गये, और मामूली स्वयंसेवक तो हजारों की तादाद में जेल गये। शुरू-शुरू में तो ज्यादातर शहर के ही लोग थे, और जेल जाने के लिए स्वयंसेवकों की तादाद मानों खत्म ही न होती थी। युक्तप्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के लोग सब-के-सब (५५ व्यक्ति), जब वे कमिटी की एक मीटिंग कर रहे थे, एकसाथ गिरफ्तार कर लिये गये। कई ऐसे लोगों को भी, जिन्होंने अभी तक कांग्रेस या राजनैतिक हलचल में कोई हिस्सा नहीं लिया था, जोश चढ़ाया, और वे गिरफ्तार होने की ज़िद करने लगे। ऐसी भी मिसालें हुईं कि कुछ सरकारी क्लर्क, जो शाम को दफ्तर से लौट रहे थे, इसी जोश में बह गये, और घर के बजाय जेल में जा पहुँचे। नवयुवक और बच्चे पुलिस की लाशियों के भीतर घुस जाते थे और बाहर निकलने से इन्कार कर देते थे। हम जेल के अन्दर से, शाम-की-शाम, अपने परिचित नारे और आवाजें सुनते थे, जिनसे हमें पता लगता था कि बाहर पुलिस की लाशियों-पर-लाशियाँ आ रही हैं। जेलें

भर गई थीं, और जेल-अफसर इस असाधारण बात से परेशान हो गये थे। कभी-कभी ऐसा भी होता था कि लारी के साथ जो वारण्ट आता था उसमें सिर्फ़ लाये जाने वालों की तादाव ही लिखी रहती थी, नाम नहीं लिखे होते थे या न लिखे जा सकते थे। और वास्तव में लिखी तादाव से भी ज्यादा व्यक्ति लारी में से निकलते थे, तब जेल-अधिकारी यह नहीं समझ पाते थे कि इस अजीब परिस्थिति में क्या करना चाहिए और जेल-मैनुअल में इसकी बाबत कोई हिदायत नहीं थी।

धीरे-धीरे सरकार ने हर किसीको गिरफ्तार कर लेने की नीति छोड़ दी; सिर्फ़ खास-खास कार्यकर्ता चुनकर पकड़े जाने लगे। धीरे-धीरे लोगों के उत्साह की पहली बाढ भी उतर गई, और सभी भरोसे के कार्यकर्ताओं के जेल चले जाने से अनिश्चय और लाचारी की भावना फैल गई। यह परिवर्तन भी यों ऊपरी ही था। वातावरण में तो फिर भी तेजी और चारों ओर तनातनी के भाव मौजूद थे और ऐसा जान पड़ता था कि अन्दर-ही-अन्दर क्रांति की तैयारी हो रही है। दिसम्बर १९२१ और जनवरी १९२२ में, यह अन्दाज़ किया जाता है कि, कोई ३० हजार आदमियों को असहयोग के सम्बन्ध में सजायें मिली। मगर हालांकि ज्यादातर प्रमुख व्यक्ति और काम करनेवाले जेल चले गये, इस सारी लड़ाई के नेता महात्मा गांधी फिर भी बाहर थे, जो रोज़ाना लोगों को अपने सदेश देते और हिदायतें जारी करते रहते थे, जिनसे लोगो को स्फूर्ति मिलती थी और कई अवाञ्छनीय बातें होने से बच जाती थी। सरकार ने उनपर अभीतक हाथ नहीं डाला था, क्योंकि उसे डर था कि शायद इसका नतीजा खराब होगा और कहीं हिन्दुस्तानी फ़ौज और पुलिस बिगड़ तो नहीं जायगी।

अचानक १९२२ की फ़रवरी के शुरू में ही सारा दृश्य बदल गया, और जेल में ही हमने बड़े आश्चर्य और भय के साथ सुना कि गांधीजी ने हमारी लड़ाई के आक्रामक कार्य बन्द करवा दिये हैं और सत्याग्रह मुलतवी कर दिया है। हमने पढ़ा कि यह इसलिए किया गया कि चौरीचौरा नामक गाँव के पास लोगों की एक भीड़ ने बदले में पुलिस-स्टेशन में आग लगा दी थी और उसमें करीब आधे दर्जन पुलिसवालों को जला डाला था।

जब हमें मालूम हुआ कि ऐसे वक़्त में जब कि हम अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे थे और सभी मोर्चों पर आगे बढ़ रहे थे, हमारी लड़ाई बन्द कर दी गई है, तो हम बहुत बिगड़े। मगर जेल में हमारी मायूसी और नाराज़गी से किसीको कुछ भी फ़ायदा नहीं हो सकता था। सत्याग्रह बन्द हो गया, और उसके साथ ही असहयोग भी जाता रहा। कई महीनों की दिक्कत और परेशानी के बाद सरकार को

बाराह की साँस मिली, और पहली बार उसे अपनी तरफ से हमला शुरू करने का मौका मिला । कुछ हफ्तों बाद उसने गांधीजी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें एक लम्बी कैद की सजा दे दी ।

अहिंसा और तख्तार का उस्तूख

चौरीचौरा-काण्ड के बाद हमारे आन्दोलन के एकाएक मुस्तवी किये जाने से, मेरा खयाल है, गांधीजी को छोड़कर काँग्रेस के बाकी तमाम नेताओं में बहुत ही नाराजगी फैली थी। मेरे पिताजी जो उस वक्त जेल में थे, उसपर बहुत ही बिगड़े थे। क्रुदरतन् नौजवान काँग्रेसियों को तो यह बात और भी ज्यादा बुरी लगी थी। हमारी बढ़ती हुई उम्मीदें धूल में मिल गईं। इसलिए उसके खिलाफ़ इतनी नाराजगी का फैलना स्वाभाविक ही था। आन्दोलन के मुस्तवी किये जाने से जो तकलीफ़ हुई उससे भी ज्यादा तकलीफ़ मुस्तवी करने के जो कारण बताये गये उनसे तथा उन कारणों से पैदा होनेवाले नतीजों से हुई। हो सकता है कि चौरीचौरा एक खेदजनक घटना हो, वह थी भी खेद-जनक और अहिंसात्मक आन्दोलन के भाव के बिलकुल खिलाफ़, लेकिन क्या हमारी आजादी की राष्ट्रीय लड़ाई कम-से-कम कुछ वक्त के लिए महज इसलिए बन्द हो जाया करेगी कि कहीं बहुत दूर के किसी कोने में पड़े गाँव में किसानों की उत्तेजित भीड़ ने कोई हिंसात्मक काम कर डाला? अगर इस तरह अचानक खून-खराबी का यही अटल नतीजा होना है तब तो इस बात में कोई शक नहीं कि अहिंसात्मक लड़ाई की विद्या और उसके मूल सिद्धान्त में कुछ कमी है; क्योंकि हम लोगों को इसी तरह की किसी-न-किसी अनचाही घटना के न होने की गारन्टी करना और-मुमकिन मालूम होता था। क्या हमारे लिए यह लाजिमी है कि आजादी की लड़ाई में आगे कदम रखने से पहले हम हिन्दुस्तान के तीस करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अहिंसात्मक लड़ाई का उस्तूल और उसका अमल सिखा दें और, यही क्यों, हममें से ऐसे कितने हैं जो यह कह सकते हैं कि पुलिस से बहुत ज्यादा उत्तेजना मिलने पर भी हम लोग पूरी तरह शान्त रह सकेंगे? लेकिन अगर हम इसमें कामयाब भी हो जायें तो जो बहुत-से भड़कानेवाले एजेन्ट और चुगलखोर वगैरा हमारे आन्दोलन में आ घुसते हैं, और या तो खुद ही कोई मारकाट कर डालते हैं या दूसरों से करा देते हैं, उनका क्या होगा? मगर अहिंसात्मक लड़ाई के लिए यही शर्त रही कि वह तभी चल सकती है जब कहीं कोई जरा भी खून-खराबी न करे, तब तो अहिंसात्मक लड़ाई हमेशा असफल ही रहेगी।

हम लोगों ने अहिंसा के तरीके को इसीलिए मंजूर किया था; और काँग्रेस ने भी इसीलिए उसे अपना साधन बना लिया था, कि हमें यह विश्वास था कि वह

तरीका कारगर है। गांधीजी ने उसे मुल्क के सामने महज इसीलिए नहीं रक्खा था कि वह सही तरीका है, बल्कि इसलिए भी कि हमारे मतलब के लिए वह सबसे ज्यादा कारगर था। यद्यपि उसका नाम नकार में है, तो भी वह है बहुत ही बल और प्रभाव रखनेवाला तरीका, और ऐसा तरीका जो जालिम की ख्वाहिश के सामने चुपचाप सिर झुकाने के बिलकुल खिलाफ था। वह तरीका कायरो का तरीका नहीं था जिसमें लड़ाई से मुंह छिपाया जाय; बल्कि बुराई और क्लामी गुलामी की मुखालिफ्त करने के लिए बहादुरों का तरीका था। लेकिन अगर किन्हीं भी थोड़े से शस्त्रों के—मुमकिन है वे दोस्ती का लबादा ओढ़े हुए हमारे दुश्मन हों—हाथ में यह ताकत हो कि वे ऊटपटांग बेतहाशा कामों से हमारे आन्दोलन को रोक या खत्म कर सकते हैं, तो बहादुराना-से-बहादुराना और मजबूत-से-मजबूत तरीके से भी आखिर क्या फायदा ?

धारा-प्रवाह बोलने की और लोगों को समझाने की ताकत गांधीजी में कसरत से मौजूद है। अहिंसा का और शांतिमय असहयोग का रास्ता अख्तियार कराने के लिए उन्होंने अपनी ताकत से पूरा-पूरा काम लिया था। उनकी भाषा सीधा-सादी थी, उसमें बनावट बिलकुल न थी। उनकी आवाज और उनकी मुख-मूद्रा शान्त और साफ थी। उसमें विकार का नामोनिशान भी न था, लेकिन बरफ की उस बाहरी ओढ़नी के पीछे एक ठोस जोश, उमंग और जलती हुई ज्वाला की गरमी थी। उनके मुख से शब्द उड़-उड़ कर ठेठ हमारे दिलो-दिमाग के भीतरी-से-भीतरी कोने में घर कर गये, और उन्होंने वहाँ एक अजीब खलबली पैदा कर दी। उन्होंने जो रास्ता बताया था वह कड़ा और मुदिकल था, लेकिन था बहादुरी का, और ऐसा मालूम पड़ता था कि वह आजादी से मकसद पर हमें जरूर पहुँचा देगा। १९२० में 'तलवार का उसूल' नाम के एक नामी लेख में उन्होंने लिखा था :—

“मैं यह विश्वास जरूर रखता हूँ कि अगर सिर्फ बुजदिली और हिंसा में से ही चुनाव करना हो तो मैं हिंसा को चुनने की सलाह दूँगा। मैं यह पसन्द करूँगा कि हिन्दुस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए हथियारों की मदद ले, बनिस्बत इसके कि वह कायरो की तरह खुद अपनी बेइज्जती का असहाय शिकार हो जाय या बना रहे। लेकिन मेरा विश्वास है कि अहिंसा हिंसा से कहीं ऊँची है, सजा की बनिस्बत माफ़ी देना कहीं ज्यादा बहादुरी का काम है। 'क्षमा वीरस्य भूषणम्'। क्षमा से वीर की शोभा बढ़ती है। लेकिन सजा न देना उसी हालत में क्षमा होती है जब सजा देने की ताकत हो। किसी असहाय जीव का यह कहना कि मैंने अपने से बलवान को क्षमा किया, कोई मानी नहीं रखता। जब एक चूहा बिल्ली को अपने शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने देता है तब वह बिल्ली को क्षमा नहीं करता।...लेकिन मैं यह नहीं

समझता कि हिन्दुस्तान असहाय है। न मैं यही समझता हूँ कि मैं बिल्कुल असहाय हूँ...।

“कोई मुझे समझने में शकलती न करे। ताकत शारीरिक बल से नहीं आती, वह तो अदम्य इच्छा-शक्ति से ही आती है।

“कोई यह न समझे कि मैं हवाई और खयाली आदमी हूँ। मैं तो अमली आदर्श-वादी होने का दावा करता हूँ। अहिंसा-धर्म महज ऋषि और महात्माओं के लिए ही नहीं है, वह तो आम लोगों के लिए भी है। जैसे पशुओं के लिए हिंसा प्रकृति का नियम है वैसे ही अहिंसा हम मनुष्यों की प्रकृति का कानून है। पशुओं की आत्मा सोती पड़ी रहती है और वह शारीरिक बल के अलावा और कानून को जानती ही नहीं। इन्सान का गौरव चाहता है कि वह ज्यादा ऊँचे कानून की ताकत, आत्मा की ताकत, के सामने सिर झुकावे।”

“इसीलिए मैंने हिन्दुस्तान के सामने आत्मन्याय का, अपनी कुर्बानी का, पुराना नियम पेश करने की जुरंत की है। क्योंकि सत्याग्रह और उसकी शाखायें, असहयोग और सविनय प्रतिरोध, कष्ट-सहन के नियम के दूसरे नामों के अलावा और कुछ नहीं है। जिन ऋषियों ने, हिंसा में से अहिंसा का नियम ढूँढ निकाला, वे न्यूटन से ज्यादा प्रतिभाशाली थे। वे खुद वेलिंगटन से ज्यादा थोड़ा थे; वे हथियार चलाना जानते थे, लेकिन अपने अनुभव से उन्होंने उन्हें बेकार पाया और थकी हुई दुनिया को यह सिखाया कि उसका छुटकारा हिंसा के जरिये नहीं होगा बल्कि अहिंसा के जरिये होगा।

“अपनी सक्रिय दशा में अहिंसा के मानी है जान-बूझकर तकलीफें उठाना। उसके मानी यह नहीं है कि आप बुरा करनेवाले की ख्वाहिश के सामने चुपचाप अपना सिर झुका दें, बल्कि उसके मानी यह है कि हम जालिम की ख्वाहिश के खिलाफ अपनी पूरी आत्मा को भिड़ा दें। अपनी हस्ती के इस कानून के मुताबिक काम करते हुए, महज एक शरूस के लिए भी यह मुमकिन है कि वह अपनी इज्जत, अपने मजहब और अपनी आत्मा को बचाने के लिए, किसी अन्यायी साम्राज्य की ताकत को ललकार दे और उसके साम्राज्य के पुनरुद्धार या पतन की नींव डाल दे।

“और इसीलिए मैं हिन्दुस्तान से अहिंसा का रास्ता अख्तियार करने के लिए इसलिए नहीं कहता कि वह कमजोर है। मैं चाहता हूँ कि वह अपनी ताकत और अपने बल-भरोसे को जानते हुए अहिंसा पर अमल करे... मैं चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान यह पहचान ले कि उसके एक आत्मा है, जिसका नाश नहीं हो सकता और जो तमाम शारीरिक कमजोरियों पर फतह पा सकती है और तमाम दुनिया के शारीरिक बलों का मुकाबिला कर सकती है...।”

“इस असहयोग को मैं ‘सिनफिन’-आन्दोलन से अलग समझता हूँ; क्योंकि इसका जिस तरह से खयाल किया गया है उस तरह से वह हिंसा के साथ-साथ कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं तो हिंसा के सम्प्रदाय को भी दावत देता हूँ कि वे इस शान्तिमय असहयोग की परीक्षा तो करें। वह अपनी अन्दरूनी कमज़ोरी की वजह से नाकामयाब न होगा। हाँ, अगर ज्यादा तादाद में लोग उसे अस्त्रियार न करें तो वह नाकामयाब हो सकता है। वही वक्त असली खतरे का वक्त होगा; क्योंकि उस वक्त वे उच्चात्मा जो अधिक समय तक राष्ट्रीय अपमान सहन नहीं कर सकते, अपना गुस्सा नहीं रोक सकेंगे। वे हिंसा का रास्ता अस्त्रियार करेंगे। जहाँतक मैं जानता हूँ, वे अपना वा गुलामी से मुक्त का छुटकारा किये बिना ही बरबाद हो जायेंगे। अगर हिन्दुस्तान तलवार के पक्ष को ग्रहण करले तो मुमकिन है कि शायद वह क्षणिक विजय पा ले। परन्तु उस वक्त हिन्दुस्तान के लिए मेरे हृदय में गर्व न होगा। मैं तो हिन्दुस्तान से इसलिए बंधा हुआ हूँ कि मेरे पास जो-कुछ है वह सब मैंने उसीसे पाया है। मुझे पक्का और पूरा विश्वास है कि दुनिया के लिए हिन्दुस्तान का एक भिगन है।”

इन दलीलों का हमारे ऊपर बहुत असर पड़ा, लेकिन हम लोगों की राय में और कुल मिलाकर कांग्रेस की राय में अहिंसा का तरीका न तो मजहब या अकाट्य सिद्धान्त या धर्म का तरीका था, और न हो ही सकता था। हमारे लिए तो वह ज्यादा से-ज्यादा एक ऐसी नीति या एक ऐसा सहल तरीका ही हो सकता था जिससे हम कुछ नतीजों की उम्मीद करते थे, और उन्हीं नतीजों से अखीर में हम उसकी बाबत फैसला करते। अपने-अपने लिए लोग उसे भले ही मजहब बना लें या निविवाद धर्म मान लें, परन्तु कोई भी राजनैतिक संस्था, जबतक वह राजनैतिक है, ऐसा नहीं कर सकती।

चौरीचौरा और उसके नतीजे ने हम लोगों को, एक साधन के रूप में, अहिंसा के इन पहलुओं की जाँच करने को मजबूर कर दिया और हम लोगों ने यह महसूस किया कि अगर आन्दोलन मुलतवी करने के लिए गांधीजी ने जो कारण बताये हैं वे सही हैं तो हमारे मुखालिफों के पास हमेशा वह ताकत रहेगी, जिससे वे ऐसी हालतें पैदा कर दें जिनसे लाजिमी तौर पर हमें अपनी लड़ाई छोड़ देनी पड़े! आया यह कसूर खुद अहिंसा के तरीकें का था या उसकी उस व्याख्या का जो गांधीजी ने की? लेकिन आखिर वही तो उस तरीके के जन्मदाता थे? उनसे ज्यादा इस बात का बेहतर जज और कौन हो सकता था कि वह तरीका क्या है और क्या नहीं है? और बिना उनके हमारे आन्दोलन का क्या ठिकाना होगा?

लेकिन बहुत बरसों के बाद, १९३० की सत्याग्रह की लड़ाई शुरू होने से ठीक

पहले, हमें यह देखकर बड़ा सन्तोष हुआ कि गांधीजी ने इस बात को साफ़ कर दिया। उन्होंने कहा कि कहीं इन्के-दुक्के हिंसात्मक काण्ड हो जायें तो उसकी वजह से हमें अपनी लड़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी घटनाओं की वजह से, जो कहीं-न-कहीं हुए बिना नहीं रह सकती, अहिंसा का तरीका काम नहीं कर सकता तो चाहिए था कि वह हर मौके के लिए सबसे अच्छा तरीका नहीं है। और गांधीजी इस बात को मानने के लिए तयार नहीं थे। उनकी राय में तो जब वह तरीका सही तरीका है तो वह सब मौकों के लिए मौजूं होना चाहिए, और कम-से-कम संकुचित दायरे में ही सही लेकिन विरोधी आबोहवा में भी उसे अपना काम करते रहना चाहिए। इस व्याख्या ने अहिंसात्मक लड़ाई का क्षेत्र बढ़ा दिया। लेकिन यह व्याख्या गांधीजी के मन के विकास की गवाही देती है, या क्या, यह मैं नहीं जानता।

असल बात तो यह है कि फरवरी १९२२ में सत्याग्रह का मुलतवी किया जाना महज चौरीचौरा की वजह से नहीं हुआ, हलांकि ज्यादातर लोग यही समझते थे। वह तो असल में एक आखिरी निमित्त हो गया था। गांधीजी अक्सर अपनी अन्तः-प्रेरणा या सहज-बुद्धि से प्रेरित होकर काम करते हैं। ऐसा मालूम होता है, जैसे कि महान् लोक-प्रिय नेता अक्सर किया करते हैं, गांधीजी ने बहुत असें से जनता के नजदीक रहकर एक नई इन्द्रिय पैदा कर ली है, जो उनको यह बता देती है कि जनता क्या महसूस कर रही है और वह क्या कर सकती है तथा क्या नहीं कर सकती। वह इस सहज-प्रेरणा को सुनते है और तुरन्त उसीके मुताबिक रूप अपने कार्य को दे देते है और उसके बाद अपने चकित और नाराज साथियों के लिए अपने फ़ैसलों को कारणों का जामा पहनाने की कोशिश करते हैं। यह जामा अक्सर बिलकुल नाकाफ़ी होता है, जैसे कि चौरीचौरा के बाद मालूम होता था। उस वक्त हमारा आन्दोलन, बावजूद उसके ऊपरी दिखाई देनेवाले और लम्बे-चोड़े जोश के, अन्दर से तितर-बितर हो रहा था। तमाम संगठन और अनुशासन का लोप हो रहा था। करीब-करीब हमारे सब अच्छे आदमी जेल में थे, और उस वक्त तक आम लोगों को खुद अपने बल पर लड़ाई चलते रहने की बहुत ही कम, नहीं के बराबर, शिक्षा मिली थी। जो भी अजनबी आदमी चाहता, कांग्रेस-कमिटी का चार्ज ले सकता था, और दरअसल बहुत-से ऐतराज के काबिल लोग, जिनमें लोगों को उकसाने तथा भड़कानेवाले सरकारी एजेंट तक शामिल थे, घुस आये थे और कुछ मुकामी कांग्रेस और खिलाफत-कमिटियों पर हावी हो गये थे। ऐसे लोगों को रोकने का उस वक्त कोई चारा न था।

इसमें कोई शक नहीं कि कुछ हद तक इस तरह की बात इस किस्म की लड़ाई

में बहुत कुछ लाजिमी है। नेताओं के लिए यह लाजिमी है कि वे सबसे पहले खुद जेल जाकर लोगों को रास्ता दिखावें और दूसरों पर यह भरोसा करें कि वे लड़ाई चलाते रहेंगे। ऐसी दशा में जो कुछ किया जा सकता है वह सिर्फ इतना ही कि जनता को कुछ मामूली सीधे-सादे काम करना और उससे भी ज्यादा कुछ किस्म के कामों से बचते रहना सिखा दिया जाय। १९३० में इस तरह की तालीम देने में हमने पहले ही कुछ साल लगा दिये थे। इसीसे उस वक्त और १९३२ में सविनय-भंग-आन्दोलन बहुत ही ताकत के साथ और संगठित रूप में चला था। १९२१ और १९२२ में इस बात की कमी थी। उन दिनों लोगों के जोशोखरोश के पीछे और कुछ न था। इसमें कोई शक नहीं कि अगर आन्दोलन जारी रहता तो कई जगह भयंकर हत्याकांड हो जाते। इन हत्याकांडों को सरकार बदतर हत्याकाण्डों द्वारा कुचलती। डर का राज कायम हो जाता, जिससे लोग बुरी तरह पस्त-हिम्मत हो जाते।

गांधीजी के दिमाग में जिन असरों और सबबों ने काम किया वे सम्भवतः यही थे। उनकी मूल बातों को, तथा अहिंसा-शास्त्र के मुताबिक काम करना वाञ्छनीय था। हत बात को, मान लेने के बाद कहना होगा कि उनका फंसला सही ही था। उनकी ये सब खराबियाँ रोककर नये सिरे से रचना करनी थी। एक दूसरी और बिल्कुल जुदा दृष्टि से देखने पर उनका फंसला गलत भी माना जा सकता है, लेकिन उस दृष्टि-कोण का अहिंसामक तरीके से कोई ताल्लुक न था। आप एक साथ दायें और बायें दोनों रास्तों पर नहीं चल सकते। इसमें कोई शक नहीं कि अपने उस आन्दोलन को उस अवस्था में और उस खास इक्की-दुक्की वजह से सरकारी हत्याकाण्डों द्वारा कुचल डालने का निमंत्रण देने से भी राष्ट्रीय आन्दोलन खत्म नहीं हो सकता था। क्योंकि ऐसे आन्दोलनों का ऐसा तरीका है कि वे अपनी चिंता की भस्म में से ही फिर उठ खड़े होते हैं। अक्सर थोड़े वक्त के लिए हार जाने से भी समस्याओं को भली-भांति समझने में और लोगों को पक्का तथा मजबूत करने में मदद मिलती है। असली बात पीछे हटना या दिखावटी हार नहीं है, बल्कि सिद्धान्त और आदर्श है। अगर जनता इन उसूलों का तेज कम न होने दे तो नये सिरे से ताकत हासिल करने में देर नहीं लगती। लेकिन १९२१ और १९२२ में हमारे उसूल और हमारा मकसद क्या था? एक धुंधला स्वराज, जिसके पीछे उसका कोई साफ़ विचार-विज्ञान तो न था, लेकिन था सिर्फ अहिंसात्मक लड़ाई का एक खास शास्त्र। अगर लोग किसी बड़े पैमाने पर इक्के-दुक्के हिंसा-काण्ड कर डालते तो अपने आप पिछला यानी अहिंसा का तरीका खत्म हो जाता, और जहाँ तक पहली बात, यानी स्वराज, से ताल्लुक है उसमें ऐसी कोई बात न थी जिसके लिए लोग अड़ते। आम तौर पर लोग इतने मजबूत न थे कि

वे ज्यादा अरसे तक लड़ाई चलाये जाते, और विदेशी शासन के खिलाफ करीब-करीब सर्वव्यापी असंतोष और कांग्रेस के साथ सब लोगों की हमदर्दी के बावजूद लोगों में काफ़ी कुम्बत या संगठन न था। वे टिक नहीं सकते थे। जो हज़ारों लोग जेल गये वे भी क्षणिक जोश में आकर और यह उम्मीद करते हुए कि तमाम किस्सा कुछ दिनों में तय हो जायगा।

इसलिए यह हो सकता है कि १९२२ में सत्याग्रह को मुलतबी करने का जो फैसला किया गया वह ठीक ही था, हालाँकि उसके मुलतबी करने का तरीका और भी बेहतर हो सकता था और उसकी वजह से लोगों में एक प्रकार की पस्त-हिम्मती आ गई।

मगर मुमकिन है कि इस बड़े आन्दोलन को इस तरह एकाएक बोटल में बन्द करने से उन दुःखान्त काण्डों के होने में मदद मिली जो देश में बाद को जाकर हुए। राजनीतिक संग्राम में फुटकर और बेकार हिंसाकाण्डों की ओर बहाव तो रुक गया, लेकिन इस तरह दबाई गई हिंसा-वृत्ति अपने निकलने का रास्ता तो ढँढती ही; और शायद बाद के सालों में इसी बात ने हिन्दू-मुस्लिम झगड़ों को बढ़ाया। असहयोग और सविनय-भंग या सिविल नाफरमानी की हलचल को आम लोगों की जो भारी मदद मिली उससे तरह-तरह के साम्प्रदायिक नेता, जो ज्यादातर राजनीति में प्रति-क्रियावादी थे, लोगों की निगाह से गिरकर दबे पड़े थे। लेकिन उस हलचल के बन्द होने पर अब वे बाहर निकल आये। बहुत-से दूसरे लोगों ने भी—जैसे खुफिया के एजेण्टों तथा उन लोगों ने जो हिन्दू-मुसलमानों में फिसाद कराके हाकिमों को खुश करना चाहते थे—हिन्दू-मुस्लिम बैर बढ़ाने में मदद की। मोपलाओं के उत्पात से तथा जिस निहायत बेरहमी से उसे कुचला गया उससे उन लोगों को एक अच्छा हथियार मिला जो फिरकेवाराना झगड़े पैदा कराना चाहते थे। रेलवे के बन्द डिब्बों में मोपला कर्दियों का भुनना तो बहुत ही बीभत्स था। यह मुमकिन हो सकता है कि अगर सत्याग्रह बन्द न किया गया होता और उसे सरकार ने ही कुचला होता तो फिरकेवाराना कड़वापन इतना न बढ़ता और बाद को जो फिरकेवाराना दंगे हुए उनके लिए बहुत ही कम ताकत बाक़ी रहती।

सत्याग्रह बन्द करने से पहले एक घटना हुई, जिसके नतीजे बिलकुल दूसरे हो सकते थे। सत्याग्रह की पहली लहर से सरकार भौंचक रह गई और डर गई। इसी वक्त बाइसराय लार्ग रीडिंग ने एक आम स्पीच में यह कहा कि कि मैं हैरान व परेशान हूँ। उन दिनों युवराज हिन्दुस्तान में थे और उनकी मौजूदगी से सरकार की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई थी। दिसम्बर १९२१ के शुरू में जो धड़ाधड़ गिरफ्तारियाँ हुई थीं।

उत्तरे बाद ही फौरन उसी महीने में सरकार ने एक कोशिश की कि कांग्रेस से किसी किस्म का राजीनामा कर लिया जाय। यह बात खास तौर पर कलकत्ते में युवराज की आमद को मद्देनजर रखकर की गई थी। बंगाल-सरकार के प्रतिनिधियों में और देशबन्धुदास में, जो उन दिनों जेल में थे, कुछ आपसी बात-चीत हुई। मालूम पड़ता है कि इस तरह की तजवीज की गई कि सरकार और कांग्रेस के प्रतिनिधियों में एक छोटी-सी गोलमेज-कानफ्रेंस की जाय। लेकिन यह तजवीज इसलिए गिर गई, गांधीजी ने इस बात पर जोर दिया कि मौलाना मुहम्मदअली को भी, जो उस वक्त कराची की जेल में थे, इस कानफ्रेंस में मौजूद रहना चाहिए और सरकार इस बात के लिए राजी न थी।

इस मामले में गांधीजी का यह रुख दास बाबू को पसन्द नहीं आया और कुछ वक्त बाद जब वह जेल से छूटकर आये तब उन्होंने खुलेआम गांधीजी की आलोचना की और कहा कि उन्होंने सख्त गलती की है। हम लोग उन दिनों जेल में थे, इसलिए हममें से ज्यादातर वे सब बातें नहीं जान सकते जो इस मामले में हुईं, और तमाम बातों को जाने बिना कोई फ़ैसला करना मुश्किल है। लेकिन यह मालूम होता है कि उस हालत में उस कानफ्रेंस से कोई फायदा नहीं हो सकता था। असल में सरकार महज यह कोशिश कर रही थी कि किसी तरह कलकत्ते में युवराज की आमद का वक्त बिला खरखना निकल जाय। इससे तो जो बुनियादी मामले हमारे सामने थे वे ज्यों-के-त्यों बने रहते। नौ बरस बाद, जब राष्ट्र और कांग्रेस पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर थी तब, गोलमेज-कानफ्रेंस हुई और उससे कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन इसके अलावा भी मुझे ऐसा मालूम होता है कि गांधीजी ने मुहम्मदअली की मौजूदगी पर जोर देकर बिल्कुल ठीक ही किया। कांग्रेस के लीडर की हैसियत से ही नहीं, बल्कि खिलाफत की हलचल के लीडर की हैसियत से भी, और उन दिनों कांग्रेस के प्रोग्राम का खिलाफत एक अहम मुद्दा था, उनकी मौजूदगी लाजिमी थी। जिस नीति या चाल में अपने साथी को छोड़ना पड़े वह कभी सही हो ही नहीं सकती। सरकार की एक इसी बात से कि वह उन्हें जेल से छोड़ने को तैयार न थी, इस बात का पता चल जाता है कि कानफ्रेंस से किसी किस्म के नतीजे की उम्मीद करना बेकार था।

मुझे और पिताजी को अलग-अलग जुर्मों में अलग-अलग अदालतों ने ६-६ महीने की सजायें दी थीं। मुक़दमे महज एक स्वांग थे और अपने रिवाज के मुताबिक हम लोगों ने उनमें कोई हिस्सा नहीं लिया था। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे सब ब्याख्यानों में और दूसरी हलचलों में सजा देने के लिए काफ़ी मसाला बूढ़ निकालना बहुत आसान था। लेकिन सजा दिलाने के लिए जो मसाला दरअसल पंसद किया

गया वह मजबूदार था। पिताजी पर एक शीर-क्रान्ती जमात का मेंबर होने—कांग्रेस-स्वयंसेवक होने—के जुर्म में मुकदमा चलाया गया था और इस जुर्म को साबित करने के लिए एक फार्म पेश किया गया जिसमें हिन्दी में उनके दस्तखत दिखाये गये थे। बिना शक दस्तखत उन्हींके थे, लेकिन असल में हुआ यह कि इससे पहले उन्हींके कभी हिन्दी में दस्तखत नहीं किये थे। इसलिए बहुत ही कम लोग उनके हिन्दी के दस्तखत पहचान सकते थे। अदालत में एक फटे-हाल महाशय पेश किये गये, जिन्होंने हलफिया बयान दिया कि दस्तखत मोतीलालजी के ही हैं। वह महाशय बिलकुल अपढ़ थे और जब उन्हींके दस्तखतों को देखा तब वह फार्म को औधा पकड़े हुए थे। पिताजी अदालत में मेरी लड़की को बराबर अपनी गोद में लिये रहे। इससे उनके मुकदमे में उसे पहली मर्तबा अदालत का तजुर्बा हुआ। उस वक्त उसकी उम्र चार बरस की थी।

मेरा जुर्म यह था कि मैंने हड़ताल कराने के लिए नोटिस बाँटे थे। उन दिनों यह कोई जुर्म न था—यद्यपि मेरा खयाल है कि इस वक्त ऐसा करना जुर्म है, क्योंकि हम बड़ी तेजी के साथ डोमिनियन स्टेटस (ओपनिवेशिक स्वराज) की तरफ बढ़ते जा रहे हैं—फिर भी मुझे सजा दे दी गई! तीन महीने बाद जब मैं, पिताजी तथा दूसरे लोगों के साथ, जेल में था तब मुझे इत्तिला मिली कि कोई मुकदमों की जाँच करनेवाले अफसर इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मुझे जो सजा दी गई वह गलत है और इसलिए मुझे छोड़ा जायगा। मुझे इस बात से बड़ा अचरज हुआ, क्योंकि मेरे मुकदमे की जाँच कराने के लिए मेरी तरफ से किसीने कोई कार्रवाई नहीं की थी। ऐसा मालूम पड़ता है कि सत्याग्रह मुलतवी हो जाने पर जाँच करनेवाले जजों में मुकदमों की जाँच करने का एकाएक जोश उमड़ आया हो। मुझे पिताजी को जेल में छोड़कर बाहर जाने में बहुत दुःख हुआ।

मैंने तय कर लिया कि करीब-करीब फ़ौरन ही अहमदाबाद जाकर गांधीजी से मिलूंगा। लेकिन मेरे वहाँ पहुँचने से पहले वह गिरफ्तार हो चुके थे। इसलिए उनसे मैं साबरमती-जेल में ही जाकर मिल सका। उनके मुकदमे के वक्त मैं अदालत में मौजूद था। वह एक चिरस्मरणीय प्रसंग था और हममें से जो लोग उस वक्त वहाँ मौजूद थे वे शायद उसे कभी भूल नहीं सकते। जज एक अंग्रेज था। उसने अपने व्यवहार में काफ़ी शरफ़त और भावना दिखाई। अदालत में गांधीजी ने जो बयान दिया वह दिलों पर बहुत ही असर डालनेवाला था। हम लोग वहाँ से जब लौटे तब हमारे दिल हिलोरे ले रहे थे और उनके खिन्दा वाक्यों और उनके चमत्कारी भावों और बिचारों की छाप हमारे मन पर लगी हुई थी।

मैं इलाहाबाद लौट आया। मुझे एक ऐसे वक्त पर जेल से बाहर रहना बहुत-ही सुनसान और दुःखप्रद मालूम हुआ जब मेरे इतने दोस्त और साथी जेल के सीखियों के अन्दर बन्द थे। बाहर जाकर मैंने देखा कि काँग्रेस का संगठन ठीक-ठीक काम नहीं कर रहा है और मैंने उसे ठीक करने की कोशिश की। खास तौर पर मैंने विलायती कपड़े के बायकाट में दिलचस्पी ली। सत्याग्रह के वापस ले लिये जाने पर भी हमारे कार्यक्रम का वह हिस्सा अब भी चालू था। इलाहाबाद के कपड़े के करीब-करीब तमाम व्यापारियों ने यह वादा किया था कि वे न तो विलायती कपड़ा हिन्दुस्तान में ही किसीसे खरीदेंगे न विलायत से ही मंगावेंगे। इस मतलब के लिए उन्होंने एक मण्डल भी कायम कर लिया था। मण्डल के कायदों में यह लिखा हुआ था कि जो अपना वादा तोड़ेगा उसे जुर्माने की सजा दी जायगी। मैंने देखा कि कपड़े के कई बड़े-बड़े व्यापारियों ने अपना वादा तोड़ दिया है और वे विदेशों से विलायती कपड़ा मंगा रहे हैं। यह उन लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइसाफी थी जो अपने वादे पर डटे हुए थे। हम लोगों ने कहा-सुनी की, लेकिन कुछ नतीजा न निकला और कपड़े के दूकानदारों का मण्डल किसी कारगर काम के लिए बिलकुल बेकार साबित हुआ। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि वादा तोड़नेवाले दूकानदारों की दूकानों पर धरना दिया जाय। हमारे काम के लिए धरने का इशारा-भर काफ़ी था। बस, जुर्माने दे दिये गये और नये सिरे से फिर वादे कर लिये गये। जुर्मानों से जो रकम आयी वह दूकानदारों के मण्डल के पास गया।

दो-तीन दिन बाद अपने कई साथियों के साथ मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। ये साथी वे लोग थे जिन्होंने दूकानदारों के साथ बातचीत करने में हिस्सा लिया था। हमारे ऊपर जबरदस्ती रकम ऐंठने और लोगों को डराने का जुर्म लगाया गया। मेरे ऊपर, राजद्रोह समेत, कुछ और भी जुर्म लगाये गये। मैंने अपनी कोई सफ़ाई नहीं दी, अदालत में सिर्फ़ एक लम्बा बयान दिया। मुझे कम-से-कम तीन जुर्मों में सजा दी गई, जिनमें जबरदस्ती रकम ऐंठना और लोगों को दबाने के जुर्म शामिल थे। लेकिन राजद्रोहवाला मामला नहीं चलाया गया। क्योंकि शायद यह सोचा गया कि मुझे जितनी सजा मिलनी चाहिए थी वह पहले ही मिल चुकी है। जहाँतक मुझे याद है, मुझे तीन सजायें दी गईं, जिनमें दो अठारह-अठारह महीने की थीं और एक-साथ चलने की थीं। मेरा खयाल है कि कुल मिलकर मुझे एक साल नौ महीने की सजा दी गई थी। यह मेरी दूसरी सजा थी। मैं छः हफ्ते के करीब जेल से बाहर रहकर फिर वहीं चला गया।

लखनऊ-ज़िला-जेल

१९२१ में हिन्दुस्तान में राजनैतिक अपराधों के लिए जेल जाना कोई नई बात नहीं थी। खासकर बंग-भंग-आन्दोलन के वक्त से तो बराबर ऐसे लोगों का तांता लगा रहा जो जेल जाते थे और जिनको अक्सर बड़ी लम्बी-लम्बी सजायें भी होती थी। बगैर मुकदमे चलाये नजरबन्दियाँ भी होती थी। लोकमान्य तिलक को, जो अपने समय के हिन्दुस्तान के सबसे बड़े नेता थे, उनकी ढलती हुई उम्र में छः साल कैद की सजा दी गई थी। पिछले महायुद्ध के कारण तो नजरबन्दियों और जेल भेजने का यह सिलसिला और भी बढ़ गया, और पड़्यन्त्रों के मामले बहुत होने लगे, जिनमें आमतौर पर मौत की या आजीवन कैद की सजायें दी जाती थीं। अली-बन्धु और मौ० अबुलकलाम आज़ाद भी लड़ाई के ज़माने में नजरबन्द हुए थे। लड़ाई के बाद ही फ़ौरन पंजाब में फ़ौजी कानून जारी हुआ, जिनमें लोग बड़ी तादाद में जेल गये और बहुत लोगो को पड़्यन्त्र के या सरसरी मुकदमों में सजायें दी गईं। इस तरह हिन्दुस्तान में राजनैतिक सजा होना एक काफ़ी आम बात हो गई थी, मगर अभी तक खुद जान बूझ-कर कोई जेल न जाता था। लोग अपना काम करते थे और उस सिलसिले में उन्हें राजनैतिक सजा अपने-आप मिल जाती थी; या शायद इसलिए मिल जाती थी कि खुफिया पुलिस उनको नापसन्द करती थी। लेकिन, ऐसा होने पर, अदालत में पैरवी करके उससे बचने की पूरी कोशिश की जाती थी। हाँ, दक्षिण-अफ़्रीका में अलबत्ते सन्याग्रह की लड़ाई में गांधीजी और उनके हज़ारों अनुयायियों ने इससे उलटी ही मिसाल पेश की थी।

मगर फिर भी १९२१ में जेलखाना करीब-करीब एक अज्ञात जगह थी, और बहुत कम लोग जानते थे कि सजायाफ़त आदमी को अपने अन्दर हड़प जानेवाले डरावने फाटक के भीतर क्या होता है। अन्दाज़ से हम कुछ-कुछ ऐसा समझते थे कि जेल के अन्दर बड़े-बड़े खतरनाक जीव होंगे, जिनके लिए कुछ भी कर गुजरना तो बायें हाथ का खेल था। हमारे खयाल से जेल एकान्त, बेइज्जती और कष्टों की जगह थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके साथ अनजान जगह होने का खौफ़ लगा हुआ था। १९२० से जेल जाने का बार-बार ख़िक़ सुनते रहते के कारण, और उसमें अपने कई साथियों के चले जाने से, हम इस खयाल के आदी हो गये, और उसके बारे में आशंका और अनिच्छा की जो भावना अक्सर अपने-आप पैदा हो जाती थी

उसकी तेजी कम हो गई। परन्तु दिमागी तैयारी पहले से कितनी भी की हो, जब हम लोहे के फाटक में पहले-पहल दाखिल होते थे तो वह क्षोभ और उद्वेग से नहीं बचा सकती थी। उस जमाने से, जिसे आज तेरह साल हो गये, आज तक मेरे अन्दाज से हिन्दुस्तान के कम-से-कम ३ लाख स्त्री-पुरुष उन फाटकों में राजनैतिक अपराधों के लिए दाखिल हो चुके हैं, हालांकि बहुत करके इलजाम फौजदारी आईन की किसी दूसरी ही दफा की रू से लगाया गया है। इनमें से हजारों तो कई बार अन्दर गये और बाहर आये हैं। उन्हें यह अच्छी तरह मालूम हो ही जाता है कि अन्दर वे किन बातों की उम्मीद रखें; और जहाँतक कोई आदमी विचित्र रूप से असाधारण नीरसता और उदासी के साथ कष्ट-सहन और भयंकर एकसापन की जिन्दगी के लायक अपने-आपको बना सकता है, वहाँ तक उन्होंने वहाँ की अजीब जिन्दगी के मुआफिक अपने को बनाने की कोशिश की है। हम उसके आदी हो जाते हैं, क्योंकि इन्सान करीब-करीब हर बात का आदी हो जाता है, और फिर भी जब नई बार हम उस फाटक के अन्दर दाखिल होते हैं तो फिर वही कुछ पुरानी क्षोभ और उद्वेग की भावना आ जाती है और नब्ब उछलने लगती है और आँखें बरबस बाहर की हरियाली और चौड़े मैदानों, चलते-फिरते लोगों और गाड़ियों और जान-पहचानवालों के चेहरो की तरफ, जिन्हें अब बहुत असें तक देखने का मौका नहीं मिलेगा, आखिरी नजर डालने लगती हैं।

जेल की मेरी पहली मियाद के दिन, जो तीन महीने के बाद ही अचानक-सी खत्म हो गई, मेरे और जेल-कर्मचारियों दोनों ही के लिए क्षोभ और बेचैनी के दिन थे। जेल के अफसर इन नई तरह के अपराधियों की आमद से घबरा-से गये थे। इन नये आनेवालों की महज तादाद ही, जो दिन-ब-दिन बढ़ती ही जाती थी, एक गैर-मामूली थी। उन्हें एक ऐसी बाढ़-सी मालूम होती थी कि कहीं अपनी पुरानी क्रायम हदों को बहा न ले जाय। इससे भी ज्यादा चिन्ता की बात यह थी कि नये आनेवाले लोग बिलकुल निराले ढंग के थे। यों आदमी तो सभी वर्ग के थे, मगर मध्यम-वर्ग के बहुत ज्यादा थे। लेकिन इन सब वर्गों में एक बात-सामान्य थी। वे मामूली सजायाफता लोगों से बिलकुल दूसरी तरह के थे और उनके साथ पुराने तरीके से बर्ताव नहीं किया जा सकता था। अधिकारियों ने यह बात मानी तो, मगर मौजूदा क्रायदों की जगह दूसरे क्रायदे न थे; और न पहले की कोई मिसालें थी, न कोई पहले का तजुर्बा। मामूली काँप्रेसी कंठी न तो बहुत दबू था और न नरम। और जेल के अन्दर होते हुए भी अपनी तादाद ज्यादा होने से उसमें यह खयाल भी आ गया था कि हममें कुछ ताकत है। बाहर के आन्दोलन से, और जेलखानों के अन्दर के मामलों में पब्लिक की नई

द्वलचस्पी पैदा हो जाने के कारण, यह और भी मजबूत हो गया था। ऐसे कुछ-कुछ तेज़ हलके होते हुए भी हमारी आम नीति जेल-अधिकारियों से सहयोग करने की थी। अगर हम लोग उनकी मदद न करते तो अफसरों की तकलीफें बहुत ज्यादा हो गई होतीं। जेलर अक्सर हमारे पास आया करता था, और कुछ बैरकों में, जिनमें हमारे स्वयंसेवक थे, चलकर उन्हें शान्त करने या किसी बात के लिए राज़ी करने को कहता था।

हम अपनी खुशी से जेल आये थे, और कई स्वयंसेवक तो प्रायः बिना बुलाये खुद जबरदस्ती भीतर घुस आये थे। इस तरह यह सवाल तो था ही नहीं कि कोई भाग जाने की कोशिश करता। अगर कोई बाहर जाना चाहता तो वह अपनी हरकत के लिए अफसोस जाहिर करने पर या आयन्दा ऐसे काम में न पड़ने का इक़रार लिखने पर आसानी से बाहर जा सकता था। भागने की कोशिश करने से तो किसी हद तक बदनामी होती थी, और ऐसा काम सन्याग्रह जैसे राजनैतिक कार्य से अलग हो जाने के बराबर था। हमारे लखनऊ-जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट ने यह बात अच्छी तरह समझ ली थी, और वह जेलर से (जो कि खानसाहब था) कहा करता था कि अगर आप कुछ कांग्रेस-स्वयंसेवकों को भाग जाने देने में कामयाब हो सके, तो मैं आपको खानबहादुर बनाने के लिए सरकार से सिफारिश कर दूंगा।

हमारे साथ के ज्यादातर क़ेदी जेल के भीतरी चक्कर की बड़ी-बड़ी बैरकों में रक्खे जाते थे। हममें से अठारह, जो जिन्हे मेरे अनुमान से अच्छे बरताव के लिए चुना गया था, एक पुराने वीविंग-शेड में रक्खा गया था, जिसके साथ एक बड़ी खुली हुई जगह थी। मेरे पिताजी, मेरे दो चचेरे भाई और मैं, इन लोगों के लिए एक अलग सायबान था, जो करीब-करीब २०×१६ फीट था। हमें एक बैरक से दूसरी बैरक में जाने-आने की काफ़ी आजादी थी। बाहर के रिस्तेदारों से मुलाकात बहुत बार करने की इजाज़त थी। अखबार आते थे, और नई गिरफ्तारियों और हमारी लड़ाई की बढ़ती की ताज़ी घटनाओं की रोजाना खबरों से जोश का वातावरण रहता था। आपसी बातचीत और बहस में बहुत वक्त जाता था, और मैं पढ़ना या दूसरा ठोस काम कुछ नहीं कर पाता था। मैं सुबह का वक्त अपने सायबान को अच्छी तरह साफ़ करने और धोने में, पिताजी के और अपने कपड़े धोने में और चर्खा कातने में गुज़ारा करता था। वे जाड़े के दिन थे, जोकि उत्तर-हिन्दुस्तान का सबसे अच्छा मौसम है। शुरू के कुछ हफ्तों में हमें अपने स्वयंसेवकों के लिए, या उनमें से जो पढ़ना नहीं जानते थे उनके लिए हिंदी उर्दू और दूसरे प्रारम्भिक विषय पढ़ाने के लिए क्लास खोलने की इजाज़त मिल गई थी। तीसरे पहर हम वाली-बॉल खेला करते थे।

१. अखबारों में एक वाहियात खबर निकली है, और हालांकि उसका खयडन

धीरे-धीरे बन्धन बङ्कने लगे। हमें अपने अहाते से बाहर जाने और जेल के उस हिस्से में जहाँ हमारे ज्यादातर स्वयंसेवक रक्खे गये थे, पहुँचने से रोक दिया गया। तब पढ़ाई के क्लास अपने-आप बन्द हो गये। करीब-करीब उसी वक़्त में जेल से छोड़ दिया गया।

मैं मार्च के शुरू में बाहर निकला, और छः या सात हफ़्ते बाद, अप्रैल में, फिर लौट आया। तब क्या देखता हूँ कि हालतें बहुत बदल गई थी। पिताजी को बदलकर नैनीताल-जेल में भेज दिया गया था, और उनके जाने के बाद फ़ौरन ही नये कायदे लागू कर दिये गये थे। बड़े वीविंग शेड के, जहाँ पहले मैं रक्खा गया था, सारे क़ैदी भीतरी जेल में बदल दिये गये और वहाँ बैरकों में रख दिये गये थे। हरेक बैरक करीब-करीब जेल के अन्दर की जेल ही थी, और एक बैरक वालों को दूसरी बैरक वालों से मिलने-जुलने या बात-चीत करने की इजाज़त न थी। मुलाक़ात और ख़त अब कम किये जाकर महीने भर में एक कर दिये गये। खाना बहुत मामूली कर दिया गया, हालाँकि हमें बाहर से खाने की चीज़ें मंगाने की इजाज़त थी।

जिस बैरक में मैं रक्खा गया उसमें करीब पचास आदमी रहते होंगे। हम सबको एक-साथ ठूस दिया गया, हमारे बिस्तरे एक-दूसरे से तीन-चार फ़ीट के फ़ासले पर थे। खुश-किस्मती से उस बैरक का करीब-करीब हरेक आदमी मेरा जाना हुआ था। और कई मेरे दोस्त भी थे। मगर दिन-रात एकान्त का बिलकुल न मिलना तो नागवार होता गया। हमेशा उसी झुण्ड को देखना-दिखाना, वही छोटे-छोटे झगड़े-टंटे चलते रहना, और इन सबसे बचकर शान्ति का कोई कोना भी बिलकुल न मिलना। हम सबके सामने नहाते, सबके सामने कपड़े धोते, कसरत के लिए बैरको के चारों तरफ़ चक्कर लगाकर दौड़ते, और बहस और बात-चीत इस हद तक करते कि जिससे दिमाग़ थक जाता और सोच-समझकर बात भी करने की ताक़त न रह जाती थी। यह कौटुम्बिक जीवन का एक नीरस—सौगुना नीरस दृश्य था, जिसमें उसका आनन्द, शोभा और सुख-सुविधा का अंश बहुत थोड़ा था; और यह सब ऐसे लोगों के साथ कि जो सब तरह के स्वभाव और हँचियों के थे। हम सबके मन क्रिया जा चुका है फिर भी वह समय-समय पर प्रकाशित होती रहती है। वह यह कि उस वक़्त के यू० पी० के गवर्नर सर हारकोर्ट बटलर ने जेल में मेरे पिताजी के पास शेम्पेन शराब भेजी। सच तो यह है कि सर हारकोर्ट ने पिताजी के लिए जेल में कुछ नहीं भेजा। और न किसी दूसरे ने ही शेम्पेन या दूसरी कोई नशीली चीज़ भेजी। वास्तव में, कांग्रेस के असहयोग को अपना लेने के बाद, १९२० से उन्होंने शराब वगैरा पीना छोड़ दिया था, और उस वक़्त वह कोई ऐसी चीज़ नहीं पीते थे।

में इस बात का बड़ा उद्वेग रहता था, और मैं तो अक्सर अकेला रहने के लिए तरसता रहता था। कुछ सालों के बाद तो जेल में मुझे खूब एकान्त और अकेलापन मिल गया, जबकि महीनों तक लगातार मुझे किसी-किसी जेल-अधिकारी के सिवा और किसी की सूरत दिखाई न देती थी। तब फिर मेरे मन में उद्वेग रहने लगा—मगर इस बार अच्छे साथियों की ज़रूरत महसूस करता था। अब मैं कभी-कभी १९२२ में लखनऊ-ज़िला-जेल में इकट्ठा रहने की हालत को रस्क के साथ याद करता था। फिर भी मैं यह खूब अच्छी तरह जानता था कि दोनों हालतों में से मुझे अकेलापन ही ज्यादा पसन्द है, बशर्ते कि मुझे पढ़ने लिखने की सुविधा हो।

फिर भी मुझे कहना होगा कि उस वक्त के साथी निहायत अच्छे और खुश-मिज़ाज थे। और हम सबकी अच्छी बगी। मगर मेरा खयाल है कि हम सभी कभी-कभी एक-दूसरे से तंग-से आ जाते थे और अलहदा होकर कुछ एकान्त में रहना चाहते थे। ज्यादा-से-ज्यादा जो एकान्त में पा सकता था वह यही था कि मैं बेंक छोड़ कर अहाते के खुले हिस्से में आ बैठता था। इन दिनों बारिश का मौसम था और बादल होने के कारण बाहर बैठा जा सकता था। मैं गरमी का, और कभी कभी बूदा-बूंदी का भी मुकाबिला कर लेता था, और ज्यादा-से-ज्यादा वक्त बेंक के बाहर बिताया करता था।

खुले हिस्से में लेटकर मैं आकाश और बादलों को निहारता करता था, और जितना पहले कभी नहीं किया इतना महसूस करने लगा कि ये बादल कितने ग़ज़ब के सुन्दर-सुन्दर रंग बदलते हैं—

“अहो ! मेघमालाओं का यह

पल-पल रूप पलटना;

कितना मधुर स्वप्न है लेटे—

लेटे इन्हें निरखना।”

लेकिन वह समय मेरे लिए सुख और आनन्द-मय न था, वह तो हमारे लिए भार-रूप था। मगर जो वक्त मैं इन बरसाती बादलों को, जो हमेशा बदलते रहते थे, देखने में गुज़ारता था वह आनन्द से भरा रहता था और मुझे राहत मालूम होती थी। मुझे ऐसा आनन्द होता मानों मैंने कोई आविष्कार किया हो, और ऐसी भावना पैदा होती मानों मैं क़ैद से छुटकारा पा गया हूँ। मैं नहीं जानता कि खास उसी बारिश ने मुझ पर इतना बड़ा असर क्यों डाला; इससे पहले या बाद की किसी साल की भी बारिश

१. अंग्रेज़ी में मूल पद्य इस प्रकार है—

“To watch the changing clouds, like clime in clime;

Oh ! sweet to lie and bless the luxury of time.”

मे इस तरह मुझे प्रभावित नहीं किया। मैंने कई बार पहाड़ों पर और समुद्र पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य देखे थे, उनकी शोभा की तारीफ़ की थी और उस समय का आनन्द लूटा था एवं उनकी महान् भव्यता और सुन्दरता से उस समय आन्दोलित हो उठता था। मगर मैं उनको देखकर यही खयाल कर लेता कि ये तो रोज़ाना की बातें हैं, और दूसरी बातों की तरफ़ ध्यान देने लगता। मगर जेल में तो सूर्योदय और सूर्यास्त दिखाई ही नहीं देते थे। क्षितिज हम से छिपा हुआ था और सूरज देर से गरम किरणें लेकर हमारी रक्षक दीवारों के ऊपर से निकलता था। उसमें कहीं रंग का नामोनिशान नहीं होता था, और हमारी आँखें सदा उन्हीं मटमैली दीवारों और बैरकों का नज़ारा देखते-देखते पथरा गई थीं। वे तरह-तरह के प्रकाश, छाया और रंगों को देखने के लिए भूखी थी ही, और जब बारिश के बादल अठखेलियाँ करते हुए गुज़रने लगे, तरह-तरह की शकलें बनाते हुए भिन्न-भिन्न प्रकार के रंगों के चमत्कार दिखाने लगे, तो मैं ताज्जुब और खुशी से उन्हें निहारने लगा और देखते-देखते मानों आनन्द में पागल हो जाता। कभी-कभी बादलों के बीच में से कुछ हिस्सा अलग हो जाता था और वर्षाऋतु का एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। उस खाली जगह में से गहरा नीला आस्मान नज़र आता था जो कि अनन्त का ही एक हिस्सा मालूम होता था।

हमारे ऊपर रुकावटें धीरे-धीरे बढ़ने लगी, और ज्यादा-ज्यादा सख्त क्रायवें लागू किये जाने लगे। सरकार ने हमारे आन्दोलन की नाप कर ली थी, वह हमें यह महसूस करा देना चाहती थी कि उसका मुकाबिला करने की ज़रूरत करने के सबब से वह हमपर किस कदर नाराज़ है। नये क्रायदों के चालू करने या उनके अमल में लाने के तरीक़ों से जेल-अधिकारियों और राजनैतिक कैदियों के बीच झगड़े होने लगे। कई महीनों तक करीब-करीब हम सबने—हम लोग उसी जेल में कई सौ थे—विरोध के तौर पर मुलाक़ातें करना छोड़ दिया था। ज़ाहिरा यह खयाल किया गया कि हममें से कुछ लोग झगड़ा खड़ा करानेवाले हैं, इसलिए हममें से सात आदमियों को जेल के एक दूर के हिस्से में बदल दिया गया जो कि खास बैरकों से बिल्कुल अलहदा था। इस तरह जिन लोगों को अलग किया गया उनमें, मैं, पुरुषोत्तम-दास टण्डन, महादेव देसाई, जार्ज जोसफ़े, बालकृष्ण शर्मा और देवदास गांधी थे।

हमें एक छोटे अहाते में भेजा गया, और वहाँ रहने में कुछ तकलीफ़ें भी थीं। मगर कुल मिलकर मुझे तो इस तवदीली से खुशी ही हुई। यहाँ भीड़-भाड़ नहीं थी; हम ज्यादा शान्ति और ज्यादा एकान्त से रह सकते थे। पढ़ने या दूसरे काम के लिए वक्त ज्यादा मिलता था। हम जेल के दूसरे हिस्सों के अपने साथी-कैदियों से

अलहदा कर दिये गये और बाहरी दुनिया से भी अलहदा कर दिये गये; क्योंकि अब सब राजनैतिक कैदियों के लिए अखबार भी बन्द कर दिये गये थे ।

हमारे पास अखबार नहीं आते थे, मगर बाहर से कोई-कोई खबर अन्दर टपक आती थी, जैसे कि जेलों में हमेशा टपका करती है । हमारी महावारी मुलाकातों और खतों से भी हमें बाज़-बाज़ ऐसी-वैसी खबरें मिल जाती थीं । हमको पता लगा कि हमारा आन्दोलन बाहर कमजोर हो रहा है । वह चमत्कार युग गुजर गया था और कामयाबी धुधले भविष्य में दूर जाती हुई मालूम हुई । बाहर, काँग्रेस में दो दल हो गये थे—परिवर्तनवादी और अ-परिवर्तनवादी । पहला दल, जिनके नेता देशबन्धु दास और मेरे पिताजी थे, चाहता था कि काँग्रेस अगले केन्द्रीय और प्रान्तीय काँग्रेसों के चुनावों में हिस्सा ले और हो सके तो इन काँग्रेसों पर कब्जा कर ले; दूसरा दल, जिसके नेता राजगोपालाचार्य थे, असहयोग के पुराने कार्यक्रम में कोई भी परिवर्तन किये जाने के विरुद्ध था । उस समय गाँधीजी तो जेल में ही थे । आन्दोलन के जिन सुन्दर आदर्शों ने हमें ज्वार की लहरों की चोटी पर बैठे हुए की तरह आगे बढ़ाया था वे छोटे-छोटे झगड़ों और सत्ता प्राप्त करने की साज़िशों के द्वारा दूर उछाले जाने लगे । हमने यह महसूस किया कि जोश गुजर जाने के बाद रोजाना का काम चलाने की बनिस्बत उत्साह और जोश के वक्त में बड़े-बड़े और हिम्मत के काम कर जाना कितना आसान है । बाहर की खबरों से हमारा जोश ठण्डा होने लगा, और इसके साथ-साथ जेल से दिल पर जो अलग-अलग तरह के असर पैदा होते हैं उनके कारण हमारा वहाँ रहना और भी दूभर हो गया । मगर, फिर भी, हमारे अन्दर यह एक तसल्ली का खयाल रहा कि हमने अपने स्वाभिमान और गौरव को सुरक्षित रक्खा है, और हमने ठीक काम ही किया है, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो । आगे क्या होगा यह तो साफ़ दिखाई नहीं देता था, मगर आगे कुछ भी हो, हमें ऐसा मालूम होता था कि हम कईयों की किस्मतों में तो जिन्दगी का ज्यादा हिस्सा जेलों में गुजारना ही बदा है । इसी तरह की बातें हम आपस में किया करते थे, और मुझे खास तौर पर याद है कि मेरी जाज़ जोसफ़ से एक बार बात-चीत हुई थी जिसमें हम इसी नतीजे पर पहुँचे थे । उन दिनों के बाद जोसफ़ हमसे दूर-ही-दूर होते चले गये हैं, और यहाँ तक कि हमारे कार्यों के एक जबरदस्त आलोचक भी बन गये हैं । क्या पता कि लखनऊ-ज़िला-जे के सिविल वार्ड में शरद-ऋतु की एक शाम की हुई उस बात-चीत की याद उनको कभी आती है या नहीं ?

हम रोजाना कुछ काम और कसरत करने में जुट पड़े । कसरत के लिए हम उस छोटे-से अहाते के चारों तरफ दौड़कर चक्कर लगाया करते थे, या दो बँलों की तरह

से दो-दो आदमी मिलकर अपने सहन के कुएँ से एक बड़ा चमड़े का डोल खींचा करते थे। इस तरह हम अपने अहाते के एक छोटे-से शाक-भाजी के बाग में पानी दे देते थे। हममें से ज्यादातर लोग रोज़ाना थोड़ा-थोड़ा सूत कातते थे। मगर उन जाड़े के दिनों और लम्बी रातों में पढ़ना ही मेरा खास काम था। करीब-करीब हमेशा जब-जब सुपरिन्टेन्डेंट आता तो वह मुझे पढ़ता हुआ ही देखता था। यह पढ़ते रहने की आदत शायद उसे खटकी और उसने इसपर एक बार कुछ कहा भी। उसने यह भी कहा कि मैंने तो अपना साधारण पढ़ना बारह साल की उम्र में ही खत्म कर दिया था ! बेशक, पढ़ना छोड़ देने से उस बहादुर अंग्रेज़ कर्नल को यह फायदा ही हुआ कि उसे बेचैनी पैदा करनेवाले विचार आये ही नहीं, और शायद इसीसे बाद में उसे मुक्त-प्रान्त की जेलों के इन्स्पेक्टर-जनरल की जगह पर तरक्की पा जाने में मदद मिली।

जाड़े की लम्बी रातों और हिन्दुस्तान के साफ़ आस्मान ने हमारा ध्यान तारों की तरफ़ खींचा और कुछ नक्षत्रों की मदद से हमने कई तारे पहचान लिये। हर रात हम उनके उगने का इन्तज़ार करते थे और अपने पुराने परिचितों के दर्शन के संतोष से उनका स्वागत करते थे।

इस तरह हम अपना वक्त गुजारते थे। दिन गुज़रते-गुज़रते हफ़्ते हो जाते और हफ़्ते महीने हो जाते। हम अपनी रोज़मर्रा की रहन-सहन के आदी हो गये। मगर बाहर की दुनिया में असली बोझ तो हमारे महिला-वर्ग पर—हमारी माताओं, पत्नियों और बहिनों पर पड़ा। वे इन्तज़ार करते-करते थक गईं, और जब कि उनके प्यारे जेल के सीखचों में बन्द थे उन्हें अपनेको आज़ाद रखना एक लानत मालूम होती थी।

दिसम्बर १९२१ में, हमारी पहली गिरफ्तारी के बाद ही, इलाहाबाद के हमारे मकान, आनन्द-भवन, में पुलिसवालों ने अक्सर आना-जाना शुरू किया। वे उन जुर्मनों को वसूल करने आते थे, जो पिताजी पर और मुझपर किये गये थे। काँग्रेस की नीति यह थी कि जुर्माना न दिया जाय। इसलिए पुलिस रोज़-रोज़ आती और कुछ-न-कुछ फर्नीचर कुर्क करके उठा ले जाती। मेरी चार साल की छोटी लड़की इन्दिरा इस बार-बार की लगातार लूट पर बहुत नाराज़ होती थी। उसने पुलिस का विरोध किया और अपनी सख्त नाराज़गी जाहिर की। मुझे आशंका है कि ये शुरू की बातें आमतौर पर पुलिस-दल के बारे में भावी विचारों पर असर डाल सकती हैं।

जेल में पूरी कोशिश की जाती थी कि हमें मामूली गैर-राजनैतिक क़ैदियों से अलग रखा जाय। मामूली तौर पर राजनैतिक क़ैदियों के लिए अलग जेलें मसूस कर दी जाती थीं। मगर पूरी तरह अलहदा किया जाना तो नामुमकिन था, और हम उन क़ैदियों से अक्सर मिल लेते थे, और उनसे तथा खुद तज़ुबों से हमने जान लिया

कि उन दिनों वास्तव में जेल की जिन्दगी कैसी होती थी। उसे मार-पीट और खोर की रिश्ततखोरी और भ्रष्टता की एक कहानी ही समझना चाहिए। खाना बिलकुल अजीब तौर पर खराब था; मैंने कई मर्ताबा उसे खाने की कोशिश की मगर उसे बिलकुल न खाये जाने लायक पाया। कर्मचारी आमतौर पर बिलकुल अयोग्य थे और उन्हें बहुत कम तनख्वाहें मिलती थी। मगर उनके लिए कैदियों या कैदियों के रिश्तेदारों से हर मुमकिन मौके पर रुपया ऐंठकर अपनी आमदनी बढ़ाने का रास्ता पूरी तरह खुला था। जेलर और उनके असिस्टेंटों और वार्डरों के फ़र्ज और जिम्मेदारियाँ, जेल-मैनुअल में लिखे मुताबिक, इतनी ज्यादा और इतनी क्रिस्म की थी कि किसी भी आदमी के लिए उन्हें ईमानदारी या योग्यता के साथ पूरा करना नामुमकिन था। युक्तप्रान्त में (और सम्भवतः दूसरे प्रान्तों में भी) जेल-शासन की सामान्य नीति का क़दी के सुधार या उसे अच्छी आदतें या उपयोगी धन्धे सिखाने से कोई ताल्लुक न था। जेल की मशक़त का मक़सद सज़ायाफ़ता आदमी को तंग करना था' और यह कि उसको इतना भयभीत कर दिया जाय और दबाकर पूरी तरह ताबे में कर लिया जाय, जिससे जब वह जेल से छूटे तो दिल में उसका डर और खौफ़ लेकर जावे और आयन्दा जुर्म करने और फिर जेल लौटने से बाज़ आवे।

पिछले कुछ बरसों में कुछ सुधार जरूर हुए हैं। खाना थोड़ा सुधरा है, और

१. युक्तप्रान्त के जेल-मैनुअल की धारा ६८७ में, जो अब नये संस्करण से हटा दी गई है, लिखा था:—

“जेल में मशक़त करना, सिर्फ़ काम देने के लिए ही नहीं बल्कि ख़ासकर सज़ा देने के लिए समझा जाना चाहिए। इसका भी ज्यादा ख़याल न किया जाय कि उससे ख़ूब पैसा पैदा किया जा सकता है। सब से ज्यादा जरूरी बात यह है कि जेल का काम तकलीफ़-देह और मेहनत का होना चाहिए और उससे बदमाशों को खौफ़ पैदा हीना चाहिए।”

इसके मुकाबिले में रूस के एम० एफ० एस० आर० की तार्जिमात फौजदारी की नीचे लिखी धारा देखने योग्य है :—

धारा ६—“सामाजिक सुरक्षा के उपायों का यह मक़सद नहीं है कि शारीरिक यातनायें दी जायँ, न यह है कि मनुष्य के गौरव को गिराया जाय, और न यह मक़सद है कि बदला लिया जाय या दण्ड दिया जाय।”

धारा २६—“सज़ायें देना बूँक सुरक्षा का ही एक उपाय है, वह तकलीफें देने के उसूल से बिलकुल बरी होना चाहिए, और उससे अपराधी को गैरज़रूरी या फ़ालतू तकलीफ़ न पहुँचनी चाहिए।”

कपड़े वगैरा भी सुधरे हैं। यह भी ज्यादातर राजनैतिक कैदियों के छूटने के बाद उनके बाहर आन्दोलन करने के कारण हुआ है। असहयोग के कारण वार्डरों की तनख्वाहों में भी काफी तरक्की हुई है, ताकि वे 'सरकार' के वफादार बने रहें। लड़कों और छोटी उम्र के कैदियों को पढ़ना-लिखना सिखाने के लिए भी अब थोड़ी-सी कोशिश की जाती है। मगर अच्छे होते हुए भी, इन सुधारों से असली सवाल कुछ भी हल नहीं होता है और अब भी ज्यादातर वही पुरानी स्पिरिट चली आ रही है।

ज्यादातर राजनैतिक कैदियों को मामूली कैदियों के साथ किये जाने वाले इस नियमित व्यवहार को ही सहना पड़ा। उन्हें कोई विशेष अधिकार या व्यवहार नहीं मिला, मगर दूसरों से ज्यादा तेज-तरार और समझदार होने के कारण उनसे आसानी से कोई बेजा फायदा नहीं उठा सकता था, न उनसे रुपया ऐंठा जा सका। इस सबब से आपही कर्मचारी उन्हें पसन्द नहीं करते थे, और जब मौका आता तो उनमें किसी को भी जेल के कायदे टूटने पर सख्त सजा दी जाती थी। ऐसे ही कायदे तोड़ने के लिए एक छोटे लड़के को, जिसकी उम्र १५ या १६ साल की थी और जो अपने को 'आजाद' कहता था, बेंत लगाये जाने की सजा दी गई। वह नंगा किया गया और बेंत की टिकटी से बांध दिया गया, और जैसे-जैसे बेंत उसपर पड़ते थे और उसकी चमड़ी फाड़कर घुस जाते थे, वह 'महात्मा गांधी की जय' चिल्लाता था, हर बेंत के साथ वह लड़का यही नारा लगाता रहा, जबतक कि वह बेहोश न हो गया। बाद में वही लड़का उत्तर भारत के आतंककारी कार्यों के दल का एक नेता बना।

फिर बाहर

श्राद्धमी को जेल में कई बातों का अभाव मालूम होता है, मगर शायद स्त्रियों के बोलने और बच्चों के हँसने की आवाज़ का अभाव तो सबसे ज्यादा महसूस होता है। जो आवाज़ें वहाँ आम तौर पर सुनाई देती हैं वे कोई बड़ी खुशगवार नहीं होती हैं। वे ज्यादातर कठोर और डराने की होती हैं। भाषा जंगली होती है और उसमें गाली-गलौज भरी रहती है। मुझे याद है कि मुझे एकबार एक नया अभाव मालूम हुआ। मैं लखनऊ-ज़िला जेल में था और अचानक मुझे महसूस हुआ कि सात या आठ महीने से मैंने कुत्ते का भौंकना नहीं सुना है।

जनवरी १९२३ के आख़री दिन, लखनऊ-जेल के हम सब राजनैतिक कैदी छोड़ दिये गये। उस समय लखनऊ में एकसौ और दोसौ के बीच 'स्पेशल क्लास' के कैदी होंगे। दिसम्बर १९२१ या १९२२ के शुरू में जिन लोगों को एक साल या कम की सज़ा मिली थी, वे सब तो अपनी सज़ा पूरी करके चले गये थे; सिर्फ़ वे जिनकी लम्बी सज़ायें थी, या जो दुबारा आ गये थे, रह गये थे। इस अचानक रिहाई से हम सबको बड़ा ताज़्जुब हुआ; क्योंकि आम रिहाई की पहले से कोई खबर न थी। प्रान्तीय कौंसिल ने राजनैतिक कैदियों की आम रिहाई कर देने के पक्ष में एक प्रस्ताव भी पास किया था, मगर सरकार की कार्य-कारिणी ऐसी माँगों की सुनवाई बहुत कम करती है। लेकिन इस समय ऐसा हुआ कि सरकार की निगाह में यह वक्त मौजू था। कांग्रेस सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं कर रही थी, और कांग्रेसवाले आपसी झगड़ों में ही फँसे हुए थे। जेल में भी नामी-गिरामी कांग्रेसवाले ज्यादा नहीं थे, इसलिए यह रिहाई कर दी गई।

जेल के फाटक से बाहर निकलने में हमेशा राहत का भाव और आनन्दपूर्ण उत्साह रहता है। ताज़ी हवा और खुले मैदान, सड़कों पर के चलते हुए दृश्य, और पुराने मित्रों से मिलना-जुलना, ये सब दिमाग में भर आते हैं और कुछ-कुछ दीवाना बना देते हैं। बाहर की दुनिया को देखने से पहले-पहल जो असर होता है उसमें प्रायः पागलों कासा एक आनन्द छाया रहता है। हमारा दिल उछलने लगा, मगर यह भाव रहा थोड़ी देर के लिए ही, क्योंकि कांग्रेस-राजनीति की दशा काफ़ी निराशाजनक थी। ऊँचे आदर्शों की जगह षड्यंत्र होने लगे थे, और कई गुट उन सामान्य तरीकों से कांग्रेस-सन्ध पर कब्ज़ा करने की कोशिश करने लगे थे, जिनसे कुछ भी भुबुल भावना रखनेवाले लोगों की निगाह में राजनीति एक घृणित शब्द बन गया है।

मेरे मन का झुकाव तो काँग्रेस-प्रवेश के बिलकुल खिलाफ था, क्योंकि इसका झरूरी नतीजा यह मालूम होता था कि समझौता करने की चालें करनी पड़ेंगी और अपना लक्ष्य हमेशा नीचा करना पड़ेगा। मगर सब पूछो तो देश के सामने कोई दूसरा राजनैतिक प्रोग्राम ही न था। अपरिवर्तनवादी 'रचनात्मक कार्यक्रम' पर जोर देते थे, जो कि दरअसल सामाजिक सुधार का कार्यक्रम था और जिसका मुख्य गुण यह था कि उससे हमारे कार्यकर्ताओं का जनता से सम्पर्क पैदा हो जाय। मगर इससे उन लोगों को तसल्ली नहीं हो सकती थी जो राजनैतिक कार्य में विश्वास करते थे, और यह कुछ अनिवार्य ही था कि सीधे संघर्ष की लहर के बाद, कि जो कामयाब न हुई हो, काँग्रेस-प्रवेश का कार्यक्रम आगे आवे। यह कार्यक्रम भी देशबन्धु दास और मेरे पिताजी ने, जो कि इस नये आन्दोलन के नेता थे, सहयोग और रचना के लिए नहीं बल्कि बाधा डालने और मुकाबिला करने की दृष्टि से सोचा था।

देशबन्धु दास काँग्रेस में भी राष्ट्रीय संग्राम को जारी रखने के उद्देश से वहाँ जाने के पक्ष में हमेशा रहे थे। मेरे पिताजी का भी लगभग यही दृष्टिकोण था। १९२० में जो उन्होंने काँग्रेस का बहिष्कार मंजूर किया था, वह कुछ अंशों में अपने दृष्टिकोण को गांधीजी के दृष्टिकोण के अधीन कर देने के रूप में था। वह लड़ाई में पूरी तरह शामिल हो जाना चाहते थे, और उस समय ऐसा करने का एक ही रास्ता था कि गांधीजी के नुस्खे को सोलहों आना आजमाया जाय। कई नौजवानों के दिमाग में यह भरा हुआ था कि जिस तरह सिनफीन ने पार्लेमेण्ट की सीटों पर कब्जा कर लिया और फिर वे कामन्स-सभा में दाखिल नहीं हुए, उसी तरह यहाँ भी किया जाय। मुझे याद है कि मैंने १९२० की गर्मियों में गांधीजी पर बहिष्कार के इस तरीके की अख्तियार करने के लिए जोर दिया था, मगर ऐसे मामलों में वह झुकने-वाले नहीं थे। मुहम्मदअली उन दिनों खिलाफत-सम्बन्धी एक डेपुटेशन के साथ योरप में थे। लौटने पर उन्होंने भी बहिष्कार के इस तरीके पर अफसोस जाहिर किया था। उन्हें सिनफीन-मार्ग ज्यादा पसन्द था। मगर दूसरे व्यक्ति इस मामले में क्या विचार रखते हैं, इस बात की कोई बक़त न थी; क्योंकि आखिरकार गांधीजी का दृष्टिकोण ही क्रायम रहने को था, वही आन्दोलन के जन्मदाता थे, इसलिए यह खयाल किया गया कि तफ़सील के मामले में उन्हींको पूर्ण स्वतन्त्रता रहनी चाहिए। सिनफीन तरीके के बारे में उनके खास ऐतराज (हिंसा से उसका सम्बन्ध होने के अलावा) यह था कि जनता यह सीधी बात ज्यादा आसानी से समझ सकती है कि बोट देने के मुकामों का और बोट देने का बहिष्कार कर दिया जाय, मगर सिनफीन तरीके को मुश्किल से समझेगी। चुनाव करवा लेने और फिर काँग्रेसियों में न जाने से जनता के

दिमाग में उलझान पैदा हो जायगी। इसके सिवा, अगर एक बार हमारे लोग चुन दिये गये तो वे कौंसिलों की तरफ ही खिचेंगे और उन्हें उसके बाहर रहना मुश्किल होगा। हमारे आन्दोलन में इतना अनुशासन और शक्ति नहीं है कि देर तक उन्हें बाहर रक्खा जा सके, और धीरे-धीरे अपनी स्थितियों से गिरकर लोग कौंसिलों के चरिये सरकारी आश्रय का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फायदा उठाने लगेंगे।

इन दलीलों में सचाई काफ़ी थी, और सचमुच १९२४-२६ में जब स्वराज-पार्टी कौंसिलों में गई तब बहुत-कुछ ऐसा हुआ भी। फिर भी कभी-कभी विचार आ ही जाता है, कि अगर काँग्रेस १९२० में कौंसिलों पर कब्ज़ा करना चाहती तो क्या हुआ होता? इसमें शक नहीं हो सकता कि चूँकि उस समय खिलाफ़त-कमिटी भी साथ थी, वह प्रान्तीय तथा केन्द्रीय दोनों ही कौंसिलों की करीब-करीब हर सीट को जीत सकती थी। आज (अगस्त, १९३३ में) यह फिर चर्चा है कि काँग्रेस असेम्बली के लिए उम्मीदवार खड़े करे, और एक पार्लमेण्टरी-बोर्ड भी बन गया है। मगर १९२० के बाद से हमारे सामाजिक और राजनैतिक जीवन में कई बड़ी-बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं, अतः अगले चुनाव में काँग्रेस को कितनी ही कामयाबी क्यों न मिले वह उतनी नहीं हो सकती जितनी १९२० में हो सकती थी।

जेल से छूटने पर कुछ दूसरे लोगों के साथ मैंने भी कोशिश की कि विरोधी दलों में कुछ समझौता हो जाय। किन्तु हमें कुछ भी सफलता न मिली, और मैं परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी झगड़ों से ऊब उठा। तब मैं तो युक्तप्रान्तीय काँग्रेस-कमिटी के मन्त्री की हैसियत से काँग्रेस को संगठित करने के काम में लग गया। पिछले साल के धक्के के बाद करने के लिए काम बहुत था। मैंने बहुत मेहनत की, मगर उसमें मेरा कोई खास उद्देश न था। असल में मेरे दिमाग के लिए कोई काम न था। मगर जल्दी ही मेरे सामने एक नई तरह का काम आ खड़ा हुआ। मेरी रिहाई के कुछ हफ्तों के अन्दर ही मैं इलाहाबाद-म्युनिसिपैलिटी की सदारत पर बैठा दिया गया। यह चुनाव इतना अचानक हुआ कि घटना के पेंतालीस मिनट पहले तक इस बाबत किसीने भी मेरे नाम का जिक्र नहीं किया था, बल्कि मेरा खयाल तक नहीं किया था। मगर अन्तिम घड़ी में काँग्रेस-पक्ष ने यह अनुभव किया कि मैं ही उनके दल में एक ऐसा आदमी हूँ जिसका कामयाब होना निश्चित था।

उस साल ऐसा हुआ कि देशभर में बड़े-बड़े काँग्रेसवाले ही म्युनिसिपैलिटियों के प्रेसिडेंट बन गये। देशबन्धु दास कलकत्ता के पहले मेयर बने, बिट्टलभाई पटेल बम्बई-कार्पोरेशन के प्रेसिडेंट बने, सरदार बल्लभभाई अहमदाबाद के बने। युक्तप्रान्त में ज्यादातर बड़ी म्युनिसिपैलिटियों में काँग्रेसी ही चयन हुए थे।

अब तो मुझे म्युनिसिपैलिटी के सभी मुस्तलिफ़ कामों में दिलचस्पी पैदा होने लगी और मैं उसमें ज्यादा-ज्यादा वक्त देने लगा। उसके कई सवालों ने तो मुझे लुभा ही लिया। मैंने इस विषय का खूब अध्ययन किया और म्युनिसिपैलिटी का सुधार करने के मैंने बहुत बड़े-बड़े मनसूबे बांधे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि आजकल हिन्दुस्तानी म्युनिसिपैलिटियों की रचना जिस तरह की गई है उसके रहते हुए उनमें बड़े सुधारों या उन्नति के लिए बहुत कम गुंजाइश है। फिर भी काम करने के लिए और म्युनिसिपल-तंत्र को साफ़-सूफ़ करने और सुगम बनाने की गुंजाइश तो थी ही, और मैंने इसी बात के लिए काफी मेहनत की। उन्हीं दिनों मेरे पास कांग्रेस का काम भी बढ़ रहा था, और प्रान्तीय सेक्रेटरी के अलावा मैं अखिल-भारतीय सेक्रेटरी भी बना दिया गया था। इन मुस्तलिफ़ कामों के सबब अक्सर मुझे रोज़ाना पन्द्रह-पन्द्रह घंटे तक काम करना पड़ता था, और दिन ख़त्म होने पर मैं अपनेको बिलकुल थका हुआ पाता था।

जेल से घर लौटने पर मेरी आँखों के सामने जो पहला खत आया वह इलाहाबाद-हाइकोर्ट के तत्कालीन चीफ़ जस्टिस सर प्रिमवुड मियर्स का था। यह खत मेरे छूटने से पहले लिखा गया था, मगर ज़ाहिरा यह जानते हुए लिखा गया था कि रिहाई होने वाली है। उनकी सौजन्यपूर्ण भाषा और उनसे अक्सर मिलते रहने के उनके निमन्त्रण से मुझे थोड़ा ताज्जुब-सा हुआ। मैं उन्हें नहीं जानता था। वह इलाहाबाद में अभी १९१९ में ही आये थे, जबकि मैं वकालत के पेशे से दूर होता जाता था। मेरा खयाल है कि उनके सामने मैंने सिर्फ़ एक ही मुकदमे की बहस की थी, और हाइकोर्ट में मेरा वह आखिरी ही मुकदमा था। किसी-न-किसी कारण से, मुझे ज्यादा जाने-बूझे बिनत-ही, मेरी तरफ़ उनका कुछ अधिक झुकाव होने लगा। उनको यह आशा थी, उन्होंने मुझे बाद में बताया, कि मैं खूब तरक्की करूंगा। और इसलिए मुझे अंग्रेज़ों के दृष्टि-कोण को समझाने में वह मुझपर अपनी नेक सलाह का असर डालना चाहते थे। वह बड़ी बारीकी से काम कर रहे थे। उनकी राय थी, और अब भी कई अंग्रेज़ ऐसा ही समझते हैं, कि हिन्दुस्तान के साधारण 'गरम' राजनीतिज्ञ ब्रिटिश-विरोधी इसलिए हो गये हैं कि सामाजिक दायरे में अंग्रेज़ों ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया है। इसीसे नाराज़गी, कड़वापन, और 'गरम-पन' पैदा हो गया है। यह कहा जाता है, और इसे कई जिम्मेदार लोगों ने भी दोहराया है, कि मेरे पिताजी को एक अंग्रेज़ क्लब में नहीं चुना गया इसीसे वह ब्रिटिश-विरोधी और 'गरम' विचार के हो गये। यह बात कतई बेबुनियाद है और एक बिलकुल दूसरी तरह की घटना का विकृत रूप है। मगर कई

१. इस घटना का ज्यादा हाल जानने के लिए अध्याय ३८ का फुटनोट देखिए।

अंग्रेजों को ऐसी मिसालें, चाहे वे सही हों या गलत राष्ट्रीय आन्दोलन की उत्पत्ति का सीधा और काफ़ी कारण मालूम होती हैं। दरहकीकत, मेरे पिताजी को और मुझे इस मामले में कोई खास शिकायत थी ही नहीं। व्यक्तिगत रूप से अंग्रेज हमेशा हमसे शिष्टता से पेश आते थे और उनसे हमारी अच्छी बनती है, हालांकि सभी हिन्दुस्तानियों की तरह बेशक हमें अपनी जाति की गुलामी का भान रहा और वह हमें बहुत ज्यादा खटकती रही। मैं मानता हूँ कि आज भी मेरी अंग्रेजों से बहुत अच्छी पटती है, बशर्ते कि वह कोई अधिकारी न हो और मुझे बड़ा बनकर अपना नाम चाहता हो, और इतने पर भी हमारे सम्बन्धों में खुश-मिजाजी की कमी नहीं होती। शायद नरम दलवालों तथा अन्य लोगों की बनिम्बत, जो हिन्दुस्तान में अंग्रेजों से राजनैतिक सहयोग करते हैं, मेरा अंग्रेजों से ज्यादा मेल खाता है।

सर ग्रिमवुड का इरादा था कि दोस्ताना मेल-जोल, स्पष्टवादिता और शिष्टता-पूर्ण बर्ताव के द्वारा कटुता के इस मूल कारण को निकाल डालें। मेरी उनसे कई बार मुलाकात हुई। किसी-न-किसी म्यूनिसिपल टैक्स पर ऐतराज करने के बहाने वह मुझसे मिलने आया करते थे और दूसरी बातों पर बहस किया करते थे। एक मर्तबा उन्होंने हिन्दुस्तान के लिबरलो पर खूब हमला किया। वह उन्हें डरपोक ढीले, मौका-परस्त—जिनमें न चरित्र-बल है, न दमखम—कहने लगे, और उनकी भाषा में कठोरता और घृणा आ गई। उन्होंने कहा—“क्या आप समझते हैं कि हमारे दिल में उनके लिए कोई इज्जत है?” मुझे ताज्जुब होता था कि वह मुझसे इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं; शायद उनका खयाल था कि ऐसी बातों से मैं खुश होऊँगा। इसके बाद बात-चीत फेरकर वह नई कौसिलों, उनके मंत्रियों और मन्त्रियों को देश-सेवा करने का कितना बड़ा मौका हासिल है इन बातों की चर्चा करने लगे। देश के सामने सबसे ज़रूरी सवाल तालीम का है। क्या किसी शिक्षा-मन्त्री को, जिसे अपनी इच्छा के अनुसार काम करने की आज़ादी हो, लाखों आदमियों की किस्मत सुधारने का मौका नहीं है, क्या यह जिन्दगी का सबसे बड़ा मौका नहीं है? उन्होंने कहा फर्ज कीजिए कि आप जैसा कोई आदमी, जिसमें समझदारी, चरित्र-बल, आदर्श और आदर्शों को अमल में लाने की ताकत हो, प्रान्त की शिक्षा का जिम्मेदार हो, तो क्या आप अर्भुत काम करके नहीं दिखा सकते? और उन्होंने कहा कि मैं हाल में ही गवर्नर से मिला हूँ, और विश्वास रखिए कि आपको अपनी नीति पर चलने की पूरी आज़ादी रहेगी। फिर, शायद यह अनुभव करके कि वह ज़रूरत से ज्यादा आगे बढ़ गये हैं, उन्होंने कहा कि वह सरकारी तौर पर किसी की तरफ़ से कोई वादा तो नहीं कर सकते, मगर जो तजवीज़ उन्होंने रखी है वह उनकी आती ही है।

सर भिमबुड ने बेड़ी सफाई और टेढ़े-मेढ़े तरीके से जो पस्ताव रक्खा उसकी तरफ मेरा ध्यान तो गया। मगर सरकार का मन्त्री बनकर उसका साथ देने का विचार मैं कर भी नहीं सकता था। वास्तव में इस खयाल से ही मैं नफरत करता था। मगर, उस समय और उसके बाद भी, कुछ ठोस, निश्चित और रचनात्मक काम करने का मौका पाने की मेने अवसर तमन्ना की है। विध्वंस, आन्दोलन और असहयोग तो मानव-प्राणी की दैनिक प्रवृत्तियाँ नहीं हो सकती। फिर भी हमारी क्रिस्मत में यही लिखा है कि हम संघर्ष और विनाश के रेगिस्तान में से गुजरने के बाद ही उस देश में पहुँच सकते हैं जहाँ हम रचना कर सकते हैं, और सम्भव है कि हममें से ज्यादातर लोग अपनी शक्तियों और जीवन को उन परिवर्तनशील रेगिस्तानों में से गुजरने की स्रुत जद्दोजहद करते हुए ही बिता देंगे, और रचना का काम हमारे बच्चों या बच्चों के बच्चों के हाथ से होगा।

उन दिनों, कम-से-कम युक्तप्रान्त में तो, मन्त्रि-पद बहुत सस्ते हो गये। दो नरम-दली मन्त्री, जो असहयोग के जमाने में काम कर रहे थे, हट गये थे। जब काँग्रेस के आन्दोलन ने मौजूदा निजाम को तोड़ना चाहा, तब सरकार ने काँग्रेस से लड़ने के लिए नरम-दली मन्त्रियों से फायदा उठाने की कोशिश की। मन्त्रि-मण्डल के लोग उन दिनों उनको मान देते थे और उनके प्रति अ-दर प्रदर्शित करते थे, क्योंकि उस मुश्किल वक्त में उन्हें सरकार का हिमायती बनाये रखने के लिए यह जरूरी था। शायद वे समझते थे कि यह मान और इज्जत उन्हें बतौर हक के दिये गये हैं, मगर वे नहीं जानते थे कि यह तो काँग्रेस से सामूहिक आक्रमण के परिणाम-स्वरूप सरकार की एक चालमात्र थी। जब वह आक्रमण हटा लिया गया, तो सरकार की निगाह में नरम-दली मन्त्रियों की कीमत बहुत, गिर गई, और साथ ही वह मान और इज्जत भी जाती रही। मन्त्रियों को यह अखरा, मगर उनका कुछ बस न चला, और जल्दी ही उन्हें इस्तीफा दे देना पड़ा। तब नये मन्त्रियों के लिए तलाश होने लगी, और इसमें जल्दी कामयाबी नहीं हुई। कौंसिल में जो मुट्ठीभर नरम-दली लोग थे वे अपने साथियों की, जो बगैर किसी लिहाज के निकाल बाहर किये गये थे, हमदर्दी के सबब दूर ही रहे। दूसरे लोगों में से जो ज्यादातर जमींदार थे, शायद ही कुछ ऐसे हों जो मामूली तौर पर भी तालीम-याफ्ता कहे जा सकें। काँग्रेस द्वारा कौंसिलों का बहिष्कार होने से उनमें एक अजीब किस्म का गिरोह दाखिल हो गया था।

एक बात प्रसिद्ध है कि इसी समय, या कुछ वक्त बाद, एक शख्स को मन्त्री बनने के लिए कहा गया। उसने जवाब दिया कि मैं बहुत होशियार आदमी होने का फ़ख्र तो नहीं करता, मगर मैं अपने को मामूली समझदार और शायद औसत दर्जे

के लोगों से कुछ ज्यादा ही समझदार समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि मेरी ऐसी शोहरत भी है; क्या सरकार चाहती है कि मैं मन्त्री-पद मंजूर कर लूँ और दुनिया में अपने-आपको सस्त बेवकूफ़ जाहिर करूँ ?

यह विरोध कुछ उचित भी था। नरम-दली मन्त्री संकुचित विचार के थे, राजनीति या सामाजिक मामलों में उनकी निगाह दूर तक नहीं जाती थी। मगर यह तो उनके बेकार उसूलों का क्रसूर था। परन्तु एक पेशेवर की हैसियत से उनकी लियाक़त अच्छी थी, और अपने दफ़्तर का रोज़मर्रा का काम वे ईमानदारी से करते थे। उनके बाद जो मंत्री बने उनमें से कुछ ज़मींदार-वर्ग में से आये, और उनकी शिक्षा, ज्ञान के मानी में भी बहुत ही सीमित थी। मैं समझता हूँ कि उन्हें ठीक तौर पर सिफ़्र साक्षर कह सकते थे, इससे ज्यादा नहीं। कभी-कभी ऐसा मालूम पड़ता था कि मवर्नर ने इन भले आदमियों को हिन्दुस्तानियों को बिलकुल नाकाबिल साबित करने के लिए ही चुना और ऊँची जगह पर मुक़र्रर कर दिया था। उनके बारे में यह कहना बिलकुल मुनासिब होगा कि—

दिया भाग्य ने इसी हेतु-तुझको यह ऊँचा उद्भव है,

जिससे दुनिया कहे भाग्य को कुछ भी नहीं असंभव है।'

तालीम-याफ़्ता हों या नहीं, मगर इन मन्त्रियों की तरफ़ ज़मींदारों के बोट तो थे ही, और वे बड़े अफ़सरो को बढ़िया गार्डन-पाटियाँ भी दे सकते थे। भूख से तड़पते हुए किसानों से जो रुपया उनके पास आता था, उसका इससे अच्छा इस्तेमाल और क्या हो सकता था !

१. रिचर्ड गार्नेट के एक पद्य का अनुवाद। मूल पद्य इस प्रकार है—

“Fortune advanced thee that all might aver
That nothing is impossible to her.”

सन्देह और संघर्ष

मैं बहुत-से कामों में लग गया, और इस तरह मैंने उन मसलों से बचने की कोशिश की जो मुझे परेशानी में डाले हुए थे। लेकिन उनसे बचना मुमकिन न था। जो सवाल बार-बार मेरे मन में उठते थे, और जिनका कोई संतोषजनक जवाब मुझे नहीं मिलता था, उनसे मैं कहीं भाग सकता था? बात यह है कि वह १९२०-२१ की तरह मेरी आत्मा का सोलहों आने प्रतिबिम्ब नहीं था। इन दिनों जो काम मैं करता था वह सिर्फ इसलिए कि मैं अपने अन्तर्द्वन्द्व से बचना चाहता था। उस वक्त जो आवरण मुझपर पड़ा हुआ था अब उससे मैं निकल आया था, और अपने चारों तरफ हिन्दुस्तान में और हिन्दुस्तान से बाहर जो कुछ हो रहा था उसपर निगाह डाल रहा था। मैंने बहुत-से ऐसे परिवर्तन देखे जिनकी तरफ अभीतक मेरा खयाल ही नहीं गया था। मैंने नये-नये विचार देखे, और नये-नये संघर्ष, और मुझे प्रकाश की जगह उलटे बढ़ती हुई अस्पष्टता दिखाई दी। गांधीजी के नेतृत्व में मेरा विश्वास बना रहा, लेकिन उनके प्रोग्राम के कुछ हिस्सों की मैं बारीकी से छान बीन करने लगा। पर वह तो थे जेल में। हम लोग जब चाहते तब उनसे मिल नहीं सकते थे, और न उनकी सलाह ही ले सकते थे। उन दिनों जो दो पार्टियाँ—कौंसिल-पार्टी और अपरिवर्तनवादी—काम कर रही थीं उनमें से कोई भी मुझे अपनी तरफ नहीं खींच रही थी। कौंसिल-पार्टी जाहिरा तौर पर सुधारवाद और विधानवाद की तरफ झुक रही थी, और मुझे लगा कि यह मार्ग तो हमें एक अन्धी गली में ले जाकर पटक देगा। अपरिवर्तनवादी गांधीजी के कट्टर अनुयायी माने जाते थे, लेकिन महान् पुरुषों के दूसरे सब अनुयायियों की तरह वे भी उनके उपदेशों के सार को न मानकर उनके अक्षरों के अनुसार चलते थे। उनमें सजीवता और संचालक-शक्ति नहीं थी, और अमल में उनमें से ज्यादातर लोग लड़ाकू नहीं थे और सीधे-सादे समाज-सुधारक थे। लेकिन उनमें एक गुण था। आम किसानों से उन्होंने अपना सम्बन्ध बनाये रक्खा था, जबकि कौंसिलों में जानेवाले स्वराजी सोलहों आने पार्लियामेंटों की पेंतरेबाजियों में ही लगे रहे।

मेरे जेल से छूटते ही देशबन्धु दास ने मुझे स्वराजियों के मत का बनाने की कोशिश की। यद्यपि मुझे दिखाई नहीं देता था कि मुझे क्या करना चाहिए, और उन्होंने अपनी बकालत खर्च करदी, तो भी मेरा दिल उनके अनुकूल न हुआ। यह बात विचित्र किन्तु ध्यान देने योग्य थी, जिससे कि मेरे पिताजी के स्वभाव का पता भी

लगता था, कि उन्होंने मुझपर कभी इस बात के लिए जोर या असर डालने की कोशिश नहीं की कि मैं स्वराजी हो जाऊँ, यद्यपि वह खुद स्वराज-पार्टी के लिए उन दिनों बहुत उत्सुक थे। साफ़ जाहिर है कि अगर मैं उनके आन्दोलन में उनके साथ हो जाता तो उन्हें बड़ी खुशी होती, लेकिन मेरे लिए उनके दिल में इतना ज्यादा खयाल था कि जहाँतक इस मामले से ताल्लुक था उन्होंने सब कुछ मेरी मर्जी पर ही छोड़ दिया; मुझसे कभी कुछ नहीं कहा।

इन्हीं दिनों में मेरे पिताजी और देशबन्धु दास में बहुत गहरी दोस्ती पैदा हो गई। यह दोस्ती राजनैतिक मित्रता से कहीं ज्यादा गहरी थी। इस दोस्ती में मेने जो मुहब्बत की गहराई और अपना-पन देखा उसपर कम अचरज न हुआ, क्योंकि बड़ी उम्र में तो गहरी दोस्तियाँ शायद ही कभी पैदा होती हों। पिताजी के मेल-मुलाकातियों की तादाद बहुत बड़ी थी। उनके साथ हँस-खेलकर जिन्दगी काटने का उनमें विशेष गुण था। लेकिन वह दोस्ती बहुत सोच-विचारकर ही करते थे, और जिन्दगी के पिछले सालों में तो वह जीवन के मांगल्य में विश्वास खो बैठे थे। लेकिन उनके और देशबन्धु के बीच में तो कोई बाधा न ठहर सकी, और दोनों एक-दूसरे को तहे-दिल से चाहने लगे। मेरे पिताजी देशबन्धु से नौ बरस बड़े थे। फिर भी शारीरिक दृष्टि से वही ज्यादा ताकतवर और तन्दुरुस्त थे। हालांकि दोनों की कानूनी शिक्षा और वकालत की कामयाबी का पिछला इतिहास एक-सा ही था, फिर भी दोनों में कई बातों में बड़ा फर्क था। देशबन्धु दास वकील होने पर भी कवि थे। उनका दृष्टिकोण भावुकता-मय—कवियों का सा—था। मेरा खयाल है कि उन्होंने बंगाली में बहुत अच्छी कविताएँ भी लिखी हैं। वह बड़े अच्छे वक्ता थे, तथा उनकी प्रकृति धार्मिक थी। मेरे पिताजी उनसे अधिक अमली और रूखे-से थे, उनमें संगठन करने की बहुत बड़ी शक्ति थी, और मजहब का उनमें नामो-निशान भी न था। वह हमेशा लड़ाके रहे थे, हर वक्त चोट खाने और करने को तैयार। जिन लोगों को वह बेवकूफ समझते थे उनको क़तई बरदाश्त नहीं कर सकते थे। कम-से-कम खुशी से तो नहीं करते थे। और वह अपने विरोध को भी बरदाश्त नहीं कर सकते थे। कोई उनका विरोध करता तो उन्हें वह ऐसी चुनौती मालूम पड़ती जिसका बुरी तरह मुकाबला करना ही चाहिए। मालूम होता था कि मेरे पिताजी और देशबन्धु यद्यपि कई बातों में एक-दूसरे से भिन्न थे, फिर भी एक-दूसरे के साथ अच्छा मेल खा गया। पार्टी के नेतृत्व के लिए इन दोनों का मेल बहुत ही उम्दा और कारगर साबित हुआ। इनमें हरेक, कुछ हद तक, दूसरे की कमी को पूरा करता था। दोनों को आपस में एक-दूसरे पर पूरा भरोसा था। यहाँतक कि दोनों ने एक-दूसरे को यह अस्त्रियार दे दिया

था कि किसी भी किस्म का बयान या ऐलान निकालते वक्त दूसरे के नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए पहले से पूछने या सलाह लेने की कोई जरूरत न थी।

स्वराज-पार्टी को मजबूती के साथ कायम करने में और देश में उसकी ताकत और धाक जमाने में इस जाती दोस्ती का बहुत कुछ हाथ था। शुरू से ही इस पार्टी में छिन्न-भिन्न होनेवाली प्रवृत्तियां थीं, क्योंकि कौंसिलों के जरिये अपनी जाती तरक्की की गुंजाइश होने की वजह से बहुत-से मौका-परस्त और ओहदों के भूखे लोग उसमें आ घुसे थे। उसमें कुछ असली माडरेट भी थे, जिनका झुकाव सरकार के साथ ज्यादा सहयोग करने की तरफ था। चुनाव के बाद ज्योंही ये प्रवृत्तियां सामने आने लगीं, त्योंही पार्टी के नेताओं ने उनकी निन्दा की। मेरे पिताजी ने ऐलान किया कि मैं पार्टी के शरीर से सड़े हुए अंग को काटने में न हिचकूंगा, और उन्होंने अपने इसी ऐलान के अनुसार काम किया भी।

१९२३ से आगे अपने पारिवारिक जीवन में मुझे बहुत सुख व संतोष मिलने लगा, हालाँकि मैं पारिवारिक जीवन के लिए बिलकुल वक्त न दे सकता था। अपने पारिवारिक संबंधों में मैं बड़ा भाग्यशाली रहा हूँ। जबरदस्त कशमकश और मुसीबतों के वक्त मैं मुझे अपने परिवार में शान्ति और सान्त्वना मिली है। मैंने महसूस किया कि इस दिशा में मैं खुद कितना अपात्र निकला। यह सोचकर मुझे कुछ शर्म भी मालूम हुई। मैंने महसूस किया कि १९२० से लेकर मेरी पत्नी ने जो उत्तम व्यवहार किया उसका मैं कितना ऋणी हूँ। स्वाभिमानी और मृदुल स्वभाव की होते हुए भी उसने न सिर्फ मेरी सनकों ही को बरदाश्त किया, बल्कि जब-जब मुझे शान्ति और तसल्ली की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब-तब वह उसने मुझे दी।

१९२० से हमारे रहन-सहन के ढंग में कुछ फर्क पड़ गया था। वह बहुत सादा हो गया था, और नौकरों की तादाद भी बहुत कम कर दी थी। फिर भी उससे किसी आवश्यक आराम में कोई कमी नहीं हुई थी। किसी हद तक तो गैर-जरूरी चीजों को अलग करने के लिए, और कुछ हद तक चालू खर्च के लिए रुपया इकट्ठा करने के वास्ते, बहुत-सी चीजें, धोड़े-गाड़ियां और घर-गृहस्थी की वे सब चीजें जो हमारे रहन-सहन के नये ढंग के लिए मौजूद नहीं थी, बेच दी गई थी। हमारे फर्नीचर का कुछ हिस्सा तो पुलिस ने ही लेकर बेच दिया था। इस फर्नीचर की और मालियों की कमी से घर की सफाई और खूबसूरती जाती रही, और बाग जंगल-सा हो गया। कोई तीन साल तक घर व बाग की तरफ नहीं के बराबर ध्यान दिया गया था। बहुत हाथ खोलकर खर्च करने के आदी होने की वजह से पिताजी कई बातों की

किफ़ायतशारी को पसन्द नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने तय किया कि वह, घर बैठे-बैठे, लोगों को क़ानूनी सलाह देकर कुछ पैसे पैदा किया करें।

जो वक़्त सार्वजनिक कामों से बचा रहता उसमें वह यह काम करते थे। उनके पास वक़्त बहुत कम बचता था, फिर भी वह इस हालत में भी काफ़ी कमा लेते थे।

खर्च के लिए पिताजी पर अवलम्बित रहने की वजह से मैं बहुत ही दुःख और ग्लानि महसूस करता था। जबसे मैंने वकालत छोड़ी थी, तबसे असल में मेरी कोई निजी आमदनी नहीं रही—सिर्फ़ उस न-कुछ आमदनी को छोड़कर, जो शेअरों के मुनाफ़े—डिवीडेंड—के रूप में मिलती थी। मेरा और मेरी पत्नी का खर्च ज्यादा न था। सच बात तो यह है कि मुझे यह देखकर काफ़ी अचरज हुआ कि हम लोग इतने कम खर्च में अपना काम चला लेते हैं। इसका पता मुझे १९२१ में लगा, और उससे मुझे बड़ी तसल्ली हुई। खादी के कपड़ों और रेल के तीसरे दर्जे के सफ़र में ज्यादा खर्च नहीं पड़ता। उन दिनों पिताजी के साथ रहने की वजह से मैं पूरी तरह यह महसूस नहीं कर सका कि इनके अलावा भी घर-गृहस्थी के ऐसे बहुत बे-शुमार खर्च हैं जिनका जोड़ बहुत ज्यादा बँटता है। कुछ भी हो, रुपया न रहने के डर ने मुझे कभी नहीं सताया। मेरा खयाल है कि ज़रूरत पड़ने पर मैं काफ़ी कमा सकता हूँ, और हम लोग अपना काम अपेक्षाकृत कम खर्च में चला सकते हैं।

पिताजी के ऊपर हमारा कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं था। इतना ही नहीं, अगर उनको इस बात का इशारा भी मिल जाता कि हम अपनेको उन-पर एक बोझ समझते हैं तो उन्हें बड़ा दुःख होता। फिर भी मैं जिस हालत में था उसको पसन्द नहीं करता था, और अगले तीन साल तक मैं इस मामले पर सोचता रहा, लेकिन मुझे उसका कोई हल नहीं मिला। मुझे ऐसा काम ढूँढ लेने में कोई मुश्किल न थी जिससे मैं कमाई कर लेता, लेकिन ऐसा काम कर लेने के मानी थे कि पब्लिक का जो काम मैं कर रहा था उसे या तो बन्द कर दूँ या कम कर दूँ। इस वक़्त तक मैं जितना समय दे सकता था वह सब मैंने काँग्रेस और म्युनि-सिपैलिटी के काम में लगाया। मुझे यह बात पसन्द नहीं आई कि मैं रुपया कमाने के लिए उस काम को छोड़ दूँ। इसलिए बड़े-बड़े औद्योगिक फ़र्मों ने मुझे रुपये की दृष्टि से बड़े-बड़े लाभदायक काम सुझाये, मगर उनको मैंने नामंजूर कर दिया। शायद वे इतना ज्यादा रुपया महज़ मेरी लियाक़त के खयाल से उतना नहीं देना चाहते थे, जिसना कि मेरे नाम का फ़ायदा उठाने की दृष्टि से। मुझे बड़े-बड़े उद्योग-धन्धे वालों के साथ इस तरह का सम्बन्ध करने की बात अच्छी नहीं लगी। मेरे लिए यह बात बिलकुल ग़ैर-मुमकिन थी कि मैं फिर से वकालत का पेशा अस्त्यार

करता, क्योंकि वकालत के लिए मेरी अरुचि बढ़ गई थी, और वह बढ़ती ही चली गई।

१९२४ की काँग्रेस में एक बात यह उठी थी कि प्रधान-मन्त्रियों को तनख्वाह दी जानी चाहिए। मैं उस वक्त भी काँग्रेस का एक प्रधान-मन्त्री था, और मैंने इस विचार का स्वागत किया था। मुझे यह बात बिलकुल शलत मालूम होती थी, कि किसीसे एक तरफ़ तो यह उम्मीद की जाय कि वह अपना पूरा वक्त देकर काम करे और दूसरी तरफ़ उसे कम-से-कम पेट भरने भर को भी कुछ न दिया जाय। नहीं तो हमें ऐसे ही आदमियों के भरोसे सार्वजनिक काम छोड़ना पड़ेगा, जिनके पास खर्चे का निजी इन्तज़ाम हो। लेकिन इस तरह की फुरसतवाले लोग राजनैतिक दृष्टि से हमेशा वाञ्छनीय नहीं होते, और न आप उनको उनके काम के लिए जिम्मेदार ही ठहरा सकते हैं। मगर काँग्रेस ज्यादा नहीं दे सकती थी, क्योंकि हमारी वेतन की दर बहुत कम थी। लेकिन हिन्दुस्तान में सार्वजनिक फण्डों से तनख्वाह लेने के खिलाफ़ एक अजीब और बिलकुल अनुचित धारणा फैली हुई है, हालांकि सरकारी नौकरी के बाबत यह बात नहीं है, और इसलिए पिताजी ने इस बात पर बहुत ऐतराज किया कि मैं काँग्रेस से तनख्वाह लूं। मेरे सहकारी मंत्री महाशय को रुपयों की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन वह भी काँग्रेस से तनख्वाह लेना शान के खिलाफ़ समझते थे। इसलिए मुझे भी उसके बिना ही रहना पड़ा, हालांकि मैं उसमें कोई बेज्जज़ती की बात नहीं समझता था और सोलहों आने तनख्वाह लेने को तैयार था।

सिर्फ़ एक मर्त्तबा मैंने इस मामले में पिताजी से बातें कीं, और उनसे कहा कि रुपये के लिए परावलम्बी रहना मुझे कितना नापसन्द है। मैंने यह बात जहाँतक हो सकता था वहाँतक बड़े संकोच से और घुमा-फिराकर कही, जिससे उन्हें बुरा न लगे। उन्होंने मुझे बताया कि “तुम्हारे लिए अपना सारा या ज्यादातर वक्त पब्लिक के काम के बजाय थोड़ा-सा रुपया कमाने में लगाना बड़ी बेवकूफी होगी, जबकि मैं (पिताजी) थोड़े दिनों की मेहनत से आसानी से उतना रुपया कमा सकता हूँ जितना तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के लिए सालभर काफ़ी होगा।” दलील ज़ोरदार थी, लेकिन उससे मुझे सन्तोष नहीं हुआ। फिर भी मैं उसके मुताबिक़ ही काम करता रहा।

इन कौटुम्बिक मामलों में और रुपयें-पैसे की परेशानियों में १९२३ से लेकर १९२५ तक के साल बीत गये। इस बीच में राजनैतिक हालत बदल रही थी, और करीब-करीब अपनी मर्जी के खिलाफ़ मुझे भिन्न-भिन्न समूहों में अपनेको शामिल करना पड़ा, और काँग्रेस में भी मुझे जिम्मेदारी का पद लेना पड़ा। १९२३ में एक

अजीब हालत थी। देशबन्धु दास पिछले साल गया-काँग्रेस के सभापति थे। उस हैसियत से वह १९२३ के लिए अ० भा० काँग्रेस कमिटी के पदेन अध्यक्ष थे। लेकिन इस कमिटी में कसरत राय उनके व स्वराजी नीति के खिलाफ़ थी, यद्यपि वह बहुमत बहुत थोड़ा-सा था और दोनों दल करीब-करीब बराबर थे। १९२३ की गर्मियों में बम्बई में अ० भा० काँग्रेस कमिटी की बैठक में मामला यहाँ तक बढ़ गया कि देशबन्धु दास ने कमिटी की अध्यक्षता से इस्तीफ़ा दे दिया और एक छोटा-सा मध्यवर्ती दल आगे आया और उसीने नई कार्य-समिति बनाई। अ० भा० काँग्रेस कमिटी में इस मध्यवर्ती दल के कोई समर्थक न थे, और यह दो मुख्य पार्टियों में से किसी-न-किसी की कृपा पर ही जीवित रह सकता था। किसी भी एक दल से मिलकर वह दूसरे को थोड़े-से बहुमत से हरा सकता था। डॉक्टर अन्सारी नये अध्यक्ष बने और मैं एक मन्त्री।

फौरन ही हमें दोनों तरफ़ से मुसीबतों का सामना करना पड़ा। गुजरात ने जो उन दिनों अपरिवर्तनवादियों का एक मज़बूत क़िला था, केन्द्रीय कार्यालय की कुछ हिदायतों को मानने से इन्कार कर दिया। गर्मियों के अखीर में उसी साल नागपुर में अ० भा० काँग्रेस कमिटी की बैठक की गई। नागपुर में इन दिनों झण्डा-सत्याग्रह चल रहा था। यहीं हमारी कार्य-समिति का, जो अभाग्य मध्यवर्ती दल की प्रतिनिधि थी, थोड़े वक्त तक बदनाम जिन्दगी बिताने के बाद खातमा हो गया। इस समिति को इसलिए हटाना पड़ा कि असल में खास तौर पर वह किसीकी भी प्रतिनिधि नहीं थी; और वह उन्हीं लोगों पर हुकूमत चलाना चाहती थी, जिनके हाथ में काँग्रेस-संगठन की असली ताकत थी। कार्य-समिति के इस्तीफ़ा देने का कारण यह हुआ कि उसने केन्द्रीय कार्यालय का हुकम न मानने के लिए गुजरात कमिटी पर लानत का जो प्रस्ताव रक्खा था वह गिर गया। मुझे याद है कि अपना इस्तीफ़ा देते हुए मुझे कितनी खुशी हुई और मैंने कितने संतोष की साँस ली। पार्टी की पैतरेबाज़ियों के इस थोड़े से ही अनुभव से मैं बिलकुल उकता गया, और मुझे यह देखकर बड़ा धक्का लगा कि कुछ मशहूर काँग्रेसी भी इस तरह साजिश कर सकते हैं।

इस मीटिंग में देशबन्धु दास ने मुझपर यह इलज़ाम लगाया कि तुम कठोर-हृदय हो। मैं समझता हूँ कि उनका खयाल सही था। तुलना के लिए जिस पैमाने से काम लिया जाय उसीपर सब कुछ निर्भर रहता है। अपने बहुत-से दोस्तों और साथियों के मुकाबले में मैं कठोर-हृदय हूँ। फिर भी मुझे अपने बाबत हर वक्त यह डर रहता है कि कहीं मैं भावुकता या क्रोध की लहर में डूब या बह न जाऊँ। बरसों मैंने इस बात की कोशिश की है कि मैं कठोर-हृदय हो जाऊँ। लेकिन मुझे डर है कि इस मामले में मुझे जो कामयाबी मिली वह सिर्फ़ ऊपरी रही है।

नाभा का नाटक

स्वराजिस्टों और अपरिवर्तनवादियों की कशमकश चलती रही और स्वराजिस्टों की ताकत धीरे-धीरे बढ़ती गई। १९२३ के सितम्बर में दिल्ली में कांग्रेस का जो खास अधिवेशन हुआ, उसमें स्वराजिस्टों का जोर और बढ़ गया। इस कांग्रेस के बाद ही मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जो बड़ी अजीब थी और जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी।

सिख, और उनमें से खासकर अकाली, पंजाब में बार-बार सरकार के संघर्ष में आ रहे थे। उनमें एक धार्मिक आन्दोलन उठ खड़ा हुआ था, और उसने यह काम हाथ में लिया कि बदचलन महन्तों को निकाल कर उपासना के स्थानों पर और उनकी सम्पत्ति पर कब्जा करके गुरुद्वारों को इस खराबी से छुड़ाया जाय। सरकार ने इसमें दखल दिया और संघर्ष हो गया। गुरुद्वारा-आन्दोलन कुछ-कुछ असहयोग से उत्पन्न हुई जागृति के सबब से पैदा हुआ था, और अकालियों के तरीके अहिंसात्मक सत्याग्रह के ढंग पर बनाये गये थे। यों संघर्ष कई जगहों पर हुए, मगर सबसे बड़ी लड़ाई गुरु-का-बाग की थी, जहाँ बीसियों सिखों ने, जिनमें कई पहले फौज में काम किये हुए सिपाही भी शामिल थे, हाथ तक उठाये बिना या अपने कर्त्तव्य से पीठ फेरे बिना पुलिस की पाशाविक मार का सामना किया। इस साबित-क्रदमी और हिम्मत के अजीब दृश्य से सारा हिन्दुस्तान चकित हो उठा। सरकार ने गुरुद्वारा-कमिटी को गैरकानूनी करार दे दिया, और यह लड़ाई कुछ बरसों तक जारी रही, और अन्त में सिख कामयाब हुए। स्वभावतः कांग्रेस की इसमें हमदर्दी थी, और उसने कुछ वक्त तक अमृतसर में अकाली-आन्दोलन से निकट सम्पर्क बनाये रखने के लिए बतौर माध्यम के खास कर्मचारी मुकर्रर किया था।

जिस घटना का मैं जिक्र करनेवाला हूँ उसका इस आम सिख-आन्दोलन से कोई ताल्लुक नहीं था। मगर इसमें शक नहीं कि वह घटना इस सिख-हलचल के सबब से ही हुई। पंजाब की दो सिख रियासतों, पटियाला और नाभा, के नरेशों में बड़ा गहरा जाती झगड़ा था, जिसका नतीजा यह हुआ कि भारत-सरकार ने महाराजा नाभा को गद्दी से उतार दिया। नाभा रियासत की हुकूमत करने को एक अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया गया। सिखों ने महाराजा नाभा के गद्दी से उतारे जाने का विरोध किया, और उसके विरुद्ध नाभा में और बाहर दोनों जगह आन्दोलन उठाया। इस

आन्दोलन के बीच में, जैतो नामक स्थान पर, एक धार्मिक उत्सव को नये एडमिनिस्ट्रेटर ने रोक दिया। इसका विरोध करने के लिए, और रोके हुए उत्सव को जारी रखने के घोषित उद्देश से, सिखों ने जैतो को जत्थे भेजने शुरू किये। पुलिस इन जत्थों को रोकती, मारती, गिरफ्तार करती और आम तौर पर जंगल की एक बीहड़ जगह में ले जाकर छोड़ देती थी। मैं समय-समय पर इस मार का हाल पढ़ा करता था जब मुझे दिल्ली में विशेष कांग्रेस के बाद ही मालूम हुआ कि दूसरा जत्था जा रहा है, और मुझे वहाँ चलने और वहाँ क्या होता है यह देखने का आमंत्रण मिला, तो मैंने खुशी से उसको मंजूर कर लिया। इसमें मेरा सिर्फ एक ही दिन खर्च होता था, क्योंकि जैतो दिल्ली के पास ही है। कांग्रेस के मेरे दो साथी भी—आचार्य गिडवानी और मद्रास के के० सन्तानम्—मेरे साथ गये। ज्यादातर फासला जत्थे ने क्रायदे से कतार में चलकर तय किया। यह सोचा गया था कि मैं नजदीक के रेलवे स्टेशन तक रेल से जाऊँ और फिर जैतो के पास नाभा की सरहद में, जिस वक़्त वहाँ जत्था पहुँचनेवाला हो, सड़क के रास्ते से पहुँच जाऊँ। हम एक बैलगाड़ी से आये और ठीक वक़्त पर पहुँचे, और जत्थे के पीछे-पीछे उससे अलग रहते हुए चले। जैतो पहुँचने पर जत्थे को पुलिस ने रोक दिया, और उसी वक़्त मुझे भी एक हुकम मिला, जिसपर अंग्रेज़ एडमिनिस्ट्रेटर के दस्ताखत थे कि मैं नाभा के इलाके में दाखिल न होऊँ, और अगर मैं दाखिल हो गया होऊँ तो फौरन वापस चला जाऊँ। गिडवानी और सन्तानम् को भी ऐसे ही हुकम दिये गये, मगर उनमें उनके नाम नहीं लिखे हुए थे, क्योंकि नाभा के अधिकारियों को उनके नाम ही नहीं मालूम थे। मेरे साथियों ने और मैंने पुलिस-अफसर से कहा कि हम जत्थे में शामिल नहीं हैं, सिर्फ तमाशबीन की तरह हैं, और नाभा के किसी भी कानून को तोड़ने का हमारा इरादा नहीं है। इसके सिवा जब हम नाभा के इलाके में ही थे तो उसमें दाखिल न होने का सवाल ही नहीं हो सकता था, और स्पष्टतः हम उसे एकदम छोड़कर सूक्ष्म हवा में उड़कर तो नहीं चले जा सकते। जैतो से दूसरी गाड़ी सायद कई घण्टे बाद जाती थी। इसलिए, हमने उससे कहा कि अभी तो हम यहीं रहना चाहते हैं। बस, हम फौरन गिरफ्तार कर लिये गये और हवालात में ले जाकर बन्द कर दिये गये। हमको हटाने के बाद, उस जत्थे का वही हाल हुआ जो और जत्थों का होता था।

सारे दिन हम हवालात में बन्द रखे गये और शाम को हमें विधिवत् स्टेशन ले जाया गया। सन्तानम् को और मुझको एक ही हथकड़ी डाली गई—उनकी बाई कलाई मेरी दाहिनी कलाई से फाँद दी गई थी, और हथकड़ी की जंजीर हमें ले चलनेवाले पुलिसवाले ने पकड़ ली। गिडवानी के भी हथकड़ी डाली गई और वह

हमारे पीछे-पीछे चले। जंतो के बाजारों में हमारे इस तरह चलने से मुझे बारबार कुत्तों के जंजीर पकड़कर ले जाये जाने की याद आती थी। चलते वक़्त ही पहले तो हम झल्ला उठे, मगर फिर हमें इस घटना की मजबूरी का खयाल आया, और इसका भी हम मज्जा लेने लगे। उसके बाद की रात हमने अच्छी नहीं गुजारी। रात को हमारा कुछ वक़्त तो धीमी चालवाली रेल के तीसरे दर्जे के डिब्बे में बीता जो ठसाठस भरा हुआ था। रास्ते में शायद आधी रात को गाड़ी भी बदलनी पड़ी थी। और रात का कुछ हिस्सा नाभा की एक हवालात में गुजरा। इस सारे समय और अगले दिन तीसरे पहर तक, जबकि हम अन्त में नाभा-जेल में रख दिये गये, वह मुस्तर्का हथकड़ी और भारी जंजीर हमारे साथ ही रही। हम दोनों में से एक भी दूसरे के सहयोग के बिना हिल-डुल नहीं सकता था। एक दूसरे आदमी के साथ सारी रात और दूसरे दिन काफ़ी देर तक हथकड़ी से जुड़ा रहना एक ऐसा अनुभव है जिसका अब फिर मज्जा लेना में पसन्द न कल्लंगा।

नाभा-जेल में हम तीनों एक बहुत ही रद्दी और गन्दी कोठरी में रक्खे गये। वह छोटी-सी और सीलवाली कोठरी थी, जिसकी छत इतनी नीची थी कि उस तक हमारा हाथ करीब-करीब पहुँच जाता था। हम जमीन पर ही सोये और में बीच-बीच में एकाएक हड़बड़ाकर जाग उठता था, और तब मालूम होता कि मेरे मुँह पर से कोई चूहा या चुहिया गुजरी थी।

दो-तीन दिन बाद अपने मुकदमे के लिए हमें अदालत में ले जाया गया, और बहुत ही ऊटपटाँग जाबते से वहाँ रोज़-रोज़ कार्रवाई चलने लगी। मजिस्ट्रेट या जज बिलकुल अपढ़ मालूम पड़ता था। निःसन्देह अंग्रेज़ी तो वह जानता ही न था, मगर मुझे शक है कि वह अपनी अदालत की जबान उर्दू लिखना भी शायद ही जानता हो। हम उसे एक हफ्ते से ज्यादा देखते रहे, और इस असे में उसने एक भी लाइन नहीं लिखी। अगर उसे कुछ लिखना होता था तो वह सरिस्तेदार से लिखवाता था। हमने कई छोटी-छोटी अज़ियाँ पेश की। वह उस वक़्त उनपर कोई हुकम नहीं लिखता था। वह उन्हें रख लेता था और दूसरे दिन उन्हें निकालता था। उनपर किसी और के ही लिखे हुए नोट रहते थे। हमने बाक्रायदा अपनी सफ़ाई नहीं दी। असहयोग-आन्दोलन में हमें अपनी पैरवी न करने की इतनी आदत हो गई थी, कि जहाँ पैरवी करने की छुट्टी थी वहाँ भी हमें सफ़ाई देने का खयाल तक प्रायः बुरा लगता था। मैंने एक लम्बा बयान पेश किया, जिसमें मैंने सारे वाक़यात लिखे, और खासकर एक अंग्रेज़ की असल-दारी होते हुए भी नाभा-रियासत के तरीके कैसे हैं इसपर अपनी राय भी जाहिर की।

हमारा मुकदमा दिन-ब-दिन बढ़ता ही गया, हालांकि वह एक काफ़ी सीधा

मामला था। अब अचानक एक नई बात और हुई। एक दिन शाम को, उस रोज़ की अदालत उठ जाने के बाद भी हमें उसी मकान में बिठा रक्खा। और बहुत देर में, करीब ७ बजे, हमें एक दूसरे कमरे में ले गये जहाँ एक शक्स मेज के सामने बैठा था। और वहाँ और भी कई लोग थे। एक आदमी—जो वही पुलिस-अफ़सर था जिसने हमें जैतो में गिरफ़्तार किया था—खड़ा हुआ और एक बयान देने लगा। मैंने पूछा कि यह कौन-सी जगह है और यहाँ क्या हो रहा है? मुझे इत्तला दी गई कि यह अदालत है और हमपर षड्यन्त्र करने का मुकदमा चलाया जा रहा है। यह कार्रवाई उससे बिलकुल भिन्न थी जिसको अभीतक हम देखते थे, और जो नाभा में न दाखिल होने के हुकम की उदूली के सिलसिले में चल रही थी। जाहिरा यह सोचा गया कि इस हुकम-उदूली की ज्यादा-से-ज्यादा सजा तो सिर्फ़ ६ माह ही है इसलिए यह हमारे लिए काफ़ी न होगी, लिहाजा और कुछ ज्यादा संगीन इलज़ाम लगाना ज़रूरी है। साफ़ है कि सिर्फ़ तीन आदमी षड्यन्त्र के लिए काफ़ी नहीं थे, इसलिए एक चौथे आदमी को जिसका हमसे क़तई कोई ताल्लुक न था गिरफ़्तार किया गया और उसपर भी हमारे साथ ही मुकदमा चलाया गया। इस अभागे आदमी को, जो एक सिख था, हम नहीं जानते थे, हाँ हमने उसे जैतो जाते वक्त खेत में सिर्फ़ देखा भर था।

मेरे बैरिस्टरपन को यह देखकर बड़ा धक्का लगा। किस अचानक ढंग से एक षड्यन्त्र का मुकदमा चलाया जा रहा है! मामला तो बिलकुल झूठा था ही, मगर शिष्टता का तक्राजा था कि कुछ तो ज़ाबते की पाबन्दी होनी चाहिए। मैंने जज से कहा कि हमें इसकी पहले से कुछ भी इत्तला नहीं दी गई और हम अपनी सफ़ाई का इन्तज़ाम भी करना चाहेंगे। मगर इसकी उसने कुछ भी चिन्ता न की। यह नाभा का निराला तरीक़ा था। अगर हमें सफ़ाई के लिए कोई वकील करना हो तो वह नाभा का ही होना चाहिए। जब मैंने कहा कि मैं बाहर का कोई वकील करना चाहूँगा, तो मुझे जवाब मिला कि नाभा के क़ायदों में इसकी इजाज़त नहीं है। इससे नाभा के ज़ाबते की विचित्रताओं का हमें और भी ज्ञान मिला। हमें एक तरह की नफरत हो गई, और हमने जज से कह दिया कि जो उसके जी में आवे करे, हम लोग इस कार्रवाई में कोई हिस्सा न लेंगे। किन्तु मैं इस निर्णय पर पूरी तरह जमा न रह सका। अपने बारे में अत्यन्त आश्चर्यजनक झूठी बातें सुनकर चुप रहना मुश्किल था, और इसलिए कभी-कभी हम गवाहों के बारे में मुहत्तसर तौर पर मगर बा-मौका अपनी राय जाहिर करते जाते थे। हमने अदालत को असली बाक़यात के बारे में एक तहरीरी बयान दिया। यह दूसरा जज, जो षड्यन्त्र का मुकदमा चला रहा था, पहले से ज्यादा शिक्षित और समझदार था।

ये दोनों मुकदमे चलते रहे, और हम दोनों अदालतों में जाने का रोजाना इन्तज़ार किया करते थे, क्योंकि इससे जेल की गंदी कोठरी से तबतक के लिए छुटकारा तो हो ही जाता था। इसी दमियान एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से जेल का सुपरिन्टेन्डेन्ट हमारे पास आया और उसने हमसे कहा कि अगर हम अफ़सोस जाहिर कर दें और नाभा से चले जाने का इक़रार लिख दें, तो हमपर से मुकदमा उठा लिया जा सकता है। हमने कहा कि हम किस बात का अफ़मोस जाहिर करें ? हमने कोई ऐसी बात नहीं की है। बल्कि रियासत को हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। हम किसी किस्म का वादा करने को भी तैयार नहीं थे।

गिरफ्तारी के करीब दो हफ़्ते बाद आखिर हमारे मुकदमे ख़त्म हुए। यह सारा वक़्त इस्तगासे में ही लगा, क्योंकि हम तो अपनी पैरवी कर ही नहीं रहे थे। ज्यादा वक़्त तो देर-देर तक इन्तज़ार करने में गया, क्योंकि जहाँ कहीं ज़रा-सी भी कठिनाई पैदा होती थी वही कार्रवाई मुल्तवी करदी जाती थी या उसकी वाबत किसी अन्दरूनी अफ़सर से, जो शायद अग्रेज एडमिनिस्ट्रेटर ही था, पूछने की ज़रूरत होती थी। आख़री दिन, जबकि इस्तगासे की तरफ़ से मामला ख़त्म किया गया, हमने भी अपने तहरीरी बयानात दे दिये। पहले जज ने कार्रवाई ख़त्म करदी, और यह जानकर हमें बड़ा ताज़्जुब हुआ कि वह थोड़ी ही देर में फिर वापस आ गया और उसके साथ उर्दू में लिखा हुआ एक बड़ा भारी फ़ैसला था। यह जाहिर है कि यह भारी फ़ैसला इतने थोड़े से अरसे में ही नहीं लिखा जा सकता था। यह फ़ैसला हमारे बयानात देने के पहले ही तैयार हो गया था। फ़ैसला पढ़कर सुनाया नहीं गया। हमें सिर्फ़ इतना कह दिया गया कि हमें नाभा इलाक़े में से चले जाने के हुक़म की उदूली करने के जुर्ब में छः माह की सज़ा, जो इस जुर्म की ज्यादा-से-ज्यादा सज़ा थी, दी गई है।

उसी रोज़ षडयन्त्र के मुकदमे में भी हमें, ठीक-ठीक में भूल गया हूँ, या तो अठारह माह की या दो साल की सज़ा मिली। यह सज़ा छः माह की सज़ा के अलावा हुई। इस तरह हमें कुल दो या ढाई साल की सज़ा दे दी गई।

हमारे मुकदमे के दौरान में बहुत बातें ध्यान देने लायक हुईं, जिनसे हमें देशी-रियासतों की तर्ज-हुकूमत या देशी रियासतों में अंग्रेज़ों की तर्ज-हुकूमत का कुछ हाल मालूम हुआ। सारी कार्रवाई एक स्वाँग-जैसी थी। इसीसे शायद किसी अख़बारवाले या बाहरवाले को अदालत में आने नहीं दिया गया। पुलिस जो चाहती थी करती थी और अक्सर जज या मजिस्ट्रेट की भी पर्वाह नहीं करती थी, और उसकी हिदायतों की सचमुच ख़िलाफ़-वर्जी भी करती थी। बेचारा मजिस्ट्रेट तो यह सब बरदाश्त कर लेता था, मगर हम इसे बरदाश्त क्यों करते ? कई मौकों पर मुझे खड़ा होना पड़ा

और जोर देना पड़ा कि पुलिस को मजिस्ट्रेट के कहने के मुताबिक अमल करना चाहिए और उसका हुकम मानना चाहिए। कभी-कभी पुलिस भद्दी तरह से कागजों को छीन लेती थी, और चूँकि मजिस्ट्रेट अपनी ही अदालत में उसपर कोई कार्रवाई करने या व्यवस्था क्रायम रखने में असमर्थ था, इसलिए हमें थोड़ा-थोड़ा उसका काम करना पड़ता था ! बेचारा मजिस्ट्रेट बड़े पशोपेश में था। वह पुलिस से भी डरता था, और हमसे भी कुछ-कुछ डरा हुआ दिखाई देता था; क्योंकि अखबारों में हमारी गिरफ्तारी की खूब चर्चा हो रही थी। जब हमारे जैसे थोड़े-बहुत नामी राजनैतिक लोगों के साथ यह हाल हो सकता था, तो जो लोग कम प्रसिद्ध हैं उनके साथ तो क्या बर्ताव होता होगा ?

मेरे पिताजी को देशी रियासतों का हाल कुछ-कुछ मालूम था, इसलिए वह नाभा में मेरी यकायक गिरफ्तारी से बहुत परेशान हुए। उन्हें सिर्फ गिरफ्तारी का वाक्या मालूम हुआ; मगर इसके अलावा और कोई खबर बाहर न जा पाई। अपनी परेशानी में उन्होंने मेरे समाचार जानने के लिए वाइसराय को भी तार दे डाला। नाभा में मुझसे मिलने के बारे में उनके रास्ते में बहुत मुश्किलें खड़ी कर दी गईं। मगर आखिर उन्हें जेल में मुझसे मुलाकात करने की इजाजत मिल गई। परन्तु वह मेरी कोई मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैं अपनी सफ़ाई भी पेश नहीं कर रहा था और मैंने उनसे प्रार्थना की कि वह इलाहाबाद वापस चले जायँ और कोई चिन्ता न करें। वह लौट गये, लेकिन कपिलदेव मालवीय को, जो हमारे एक युवक साथी वकील हैं, नाभा में मुकदमे की कार्रवाई पर ध्यान रखने को छोड़ गये। नाभा की अदालतों को थोड़े दिन देखकर कपिलदेव की कानून और जाबते-सम्बन्धी जानकारी में काफ़ी इजाज़ा हुआ होगा। पुलिस ने खुली अदालत में उनके कुछ कागजात जबर-दस्ती छीन लेने की भी कोशिश की थी।

ज्यादातर देशी-रियासतें पिछड़ी हुई हैं और उनकी हालत जागीरों की भी हो रही है, यह सब जानते हैं। वहाँ अकेला राजा सब कुछ कर सकता है। उनमें न तो क्राबलियत होती है और न लोक-हित का भाव। वहाँ बड़ी-बड़ी अजीब बातें हुआ करती हैं, जो कभी प्रकाश में भी नहीं आतीं। मगर उनकी नाक्राबलियत से ही किसी-न-किसी तरह यह बुराई कम हो जाती है, और उनकी बदकिस्मत प्रजा का बोझ कुछ हलका हो जाता है। क्योंकि इस कारण से वहाँ के कार्यकारी मण्डल में भी कमजोरी रहती है, जिससे जुल्म और बेइन्साफ़ी करने में भी नाक्राबलियत से काम लिया जाता है। इससे जुल्म ज्यादा बरदाश्त करने लायक नहीं हो जाता, बल्कि हाँ इससे वह कम गहरा और व्यापक हो जाता है। मगर देशी-रियासत में जब अंग्रेजी सरकार खुद

हुकूमत अपने हाथ में ले लेती है, तब उसका एक विशिष्ट नतीजा यह होता है कि यह हालत नहीं रहती। जागीर की सी दशा कायम रखी जाती है, एकतन्त्री-पन भी ज्यों-का-त्यों रहता है, पुराने सब कानून और ज़ाबता ही राज्य माना जाता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संगठन और मत-प्रकाशन (और इनमें सब कुछ शामिल है) इनपर सारे बन्धन कायम रहते हैं, मगर एक तबदीली ऐसी हो जाती है जिससे सारी हालत बदल जाती है। कार्यकारिणी सत्ता ज्यादा मजबूत हो जाती है, और क़ायदे और उनकी पाबन्दी बढ़ जाती है। इससे जागीरों में और एकतन्त्री शासन में रहनेवाले सब बन्धन सख्त हो जाते हैं। धीरे-धीरे अंग्रेज़ी हुकूमत पुराने रिवाजों और तरीकों में बेशक कुछ परिवर्तन करती है, क्योंकि इनसे अच्छी तरह हुकूमत और व्यापारिक प्रवेश करने में रुकावटें आती हैं। मगर शुरू-शुरू में तो वह लोगों पर अपना प्रभुत्व मजबूत करने के लिए उन पुराने रिवाजों और तरीकों से पूरा फायदा उठाती है। इधर लोगों को अब जागीर-तंत्रता और एकतन्त्रता ही नहीं, बल्कि एक मजबूत कार्यकारिणी द्वारा उनकी सख्त पाबन्दी भी बरदाश्त करनी पड़ती है।

मैंने नाभा में कुछ ऐसा ही हाल देखा। रियासत का इन्तज़ाम एक अंग्रेज़ एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में था, जो इंडियन सिविल सर्विस का मेम्बर था, और उसे एकतन्त्री शासक के पूरे अल्त्यारात थे। वह सिर्फ़ भारत-सरकार के मातहत था, और फिर भी हर मर्तबा हमें, अपने अत्यन्त सामान्य हक़ों के छीनने की पुष्टि में, नाभा के क़ायदे-कानूनों का हवाला दिया जाता था। हमें जागीरतंत्र और आधुनिक नौकरशाही-तंत्र के मिश्रण का मुकाबला करना पड़ा, जिसमें बुराईयाँ दोनों की शामिल थीं, लेकिन अच्छाईयाँ एक की भी न थीं।

इस तरह हमारा मुकदमा खत्म हुआ और हमें सज़ा हो गई। फ़ैसलों में क्या लिखा था यह हमें मालूम नहीं, मगर इस सारभूत बात से कि हमें लंबी सज़ा मिली है हमारी झल्लाहट कुछ कम हुई। हमने फ़ैसलों की नकलें मांगी, मगर हमें जवाब मिला कि इसके लिए बाक़ायदा अर्ज़ी दो।

उसी शाम को जेल में सुपरिन्टेन्डेन्ट ने हमें बुलाया, और उसने हमें ज़ाबता-फ़ौजदारी की रू से एडमिनिस्ट्रेटर का एक आर्डर दिखाया जिसमें हमारी सजायें मुलतवी कर दी गई थीं। उसमें कोई शर्त नहीं रखी गई थी, और इसका कानूनी नतीजा यह था कि जहाँतक हमारा ताल्लुक था हमारी सजायें खत्म हो गईं। फिर सुपरिन्टेन्डेन्ट ने एक दूसरा हुकूम, जिसका नाम एक्ज़ीक्यूटिव आर्डर था, दिखाया। यह भी एडमिनिस्ट्रेटर का जारी किया हुआ था। उसमें यह हिदायत थी कि हम नाभा छोड़कर चले जायें, और खास इज़ाज़त लिये बिना रियासत में न लौटें। मैंने

दोनों हुकमों की नकलें मांगीं, मगर वे हमें नहीं दी गईं। तब हमें रेलवे-स्टेशन भेज दिया गया, और हम वहाँ छोड़ दिये गये। नाभा में हम किसीको भी नहीं जानते थे, और रात को शहर के दरवाजे भी बन्द हो गये थे। हमें पता लगा कि अभी अम्बाला को एक गाड़ी जाने वाली है और हम उसीमें बैठ गये। अम्बाला से मैं दिल्ली और वहाँ से इलाहाबाद चला गया।

इलाहाबाद से मैंने एडमिनिस्ट्रेटर को पत्र लिखा कि मुझे दोनों हुकमों की नकलें भेज दीजिए, जिससे मुझे मालूम हो सके कि सचमूच वह किस तरह के हुकम हैं, और साथ ही दोनों फैसलों की नकलें भी। उसने किसी चीज की भी नकल देने से इन्कार कर दिया। मैंने बताया कि शायद मुझे अपील करनी पड़े, मगर वह इन्कार ही करता रहा। कई बार कोशिश करने पर भी मुझे इन फैसलों को, जिनके द्वारा मुझे और मेरे दो साथियों को दो या ढाई साल की सजा मिली, पढ़ने का मौका नहीं मिला। क्योंकि मुझे जानना चाहिए कि ये सजायें अब भी मेरे नाम पर लिखी हुई होंगी, और जब कभी नाभा के अधिकारी या ब्रिटिश सरकार चाहें उसी वक्त मुझपर लागू की जा सकेंगी।

हम तीन तो इस तरह 'मौकफ़ी' की हालत में छोड़ दिये गये, मगर मैं इस बात का पता नहीं लगा सका कि षड्यन्त्र के चौथे आदमी, उस सिख का क्या हुआ, जो दूसरे मुक़दमे के लिए हमारे साथ जोड़ दिया गया था। बहुत मुमकिन है कि वह छोड़ा न गया हो। उसकी मदद में किसी जोरदार दोस्त या पब्लिक की आवाज़ न थी, और कई दूसरे आदमियों की तरह रियासती जेल में जाकर वह अंधकार में पड़ गया होगा। मगर हम उसे नहीं भूले। हमसे जो कुछ बना वह हम करते रहे, किन्तु उससे कुछ हुआ नहीं। मेरा खयाल है कि गुरुद्वारा-कमिटी ने भी इस मामले में दिलचस्पी ली थी। हमें पता लगा कि वह पुराने 'कोमागाटा मारू' दल का एक आदमी था, और वह लम्बे असें तक जेल में रहकर हाल में ही छूटकर आया था। पुलिस वाले ऐसे आदमियों को बाहर रहने देने का उसूल नहीं मानते, और इसलिए उन्होंने बनावटी इलज़ाम में हमारे साथ उसे भी फाँस लिया।

हम तीनों—गिडबानी, सन्तानम् और मैं—नाभा-जेल की कोठरी से एक दुःखदायी साथी संग में ले आये। वह था विषमज्वर का कीटाणु, क्योंकि हम तीनों पर ही विषमज्वर का हमला हुआ। मेरी बीमारी जोर की थी और शायद खतरनाक भी थी, मगर उसकी मियाद दोनों से कम थी, और मैं सिर्फ तीन या चार हफ्ते ही बिस्तर पर रहा। मगर बाक़ी दोनों तो लम्बे अरसे तक बहुत गंभीर हालत में बीमार पड़े रहे।

इस नाभा की घटना के बाद एक और भी बात हुई। शायद छः या ज्यादा महीने बाद गिडवानी अमृतसर में सिख-गुरुद्वारा-कमिटी से सम्पर्क रखने के लिए काँग्रेस-प्रतिनिधि का काम करते थे। कमिटी ने जैतो को पांच सौ आदमियों का एक खास जत्था भेजा, और गिडवानी ने दर्शक की तरह से नाभा की सरहद तक उसके साथ-साथ जाने का निश्चय किया। नाभा की हद में दाखिल होने का उनका कोई इरादा न था। सरहद के पास जत्थे पर पुलिस ने गोली चलाई, और मेरे खयाल से बहुत आदमी घायल हुए और मरे। गिडवानी घायलों की मदद करने गये और पुलिस ने झपटकर उनको पकड़ लिया और ले गई। उनके खिलाफ अदालत में कोई कार्रवाई न की गई। उन्हें करीब-करीब एक साल तक जेल में योंही पटक रक्खा, और बाद में बहुत खराब तन्दुरुस्ती की हालत में वह छोड़ दिये गये।

गिडवानी की गिरफ्तारी और उनका जेल में रक्खा जाना मुझे कार्य-कारिणी सत्ता का एक भयंकर दुरुपयोग मालूम हुआ। मैंने एडमिनिस्ट्रेटर को (जोकि वही अंग्रेज आई० सी० एस० था) खत लिखा, और उससे पूछा कि गिडवानी के साथ ऐसा क्यों किया गया? उसने जवाब में लिखा कि उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने नाभा के इलाके में बिला इजाजत न आने के आर्डर की खिलाफवर्ती की थी। मैंने चुनौती दी कि कानून के मुताबिक भी यह ठीक न था, और साथ ही लिखा कि घायलों को मदद देते हुए आदमी गिरफ्तार करना मुनासिब न था। और, मैंने उस आर्डर की नकल मुझे देने या आमतौर पर शाया कर देने के लिए भी एडमिनिस्ट्रेटर को लिखा। मगर उसने ऐसा करने से इन्कार किया। मेरा इरादा हुआ कि मैं खुद भी नाभा जाऊँ और एडमिनिस्ट्रेटर को मेरे साथ भी वही बर्ताव करने दूँ जैसा गिडवानी के साथ हुआ। अपने साथी के साथ वफादारी का तो यही तकाजा था। मगर मेरे कई दोस्तों ने ऐसी राय न दी और मेरा इरादा बदलवा दिया। सच तो यह है कि मैंने अपने दोस्तों की सलाह का बहाना ले लिया, और उसमें अपनी कमजोरी को छिपा लिया। क्योंकि, आखिरकार यह मेरी अपनी कमजोरी और नाभा-जेल में दुबारा जाने की अनिच्छा ही थी जिसने मुझे वहाँ जाने से रोका, और मुझे अपने साथी को इस तरह छोड़ देने की कुछ-कुछ शर्म हमेशा रहती है। इस तरह, जैसा कि हम सब अक्सर करते हैं, अक्लमदी को बहादुरी पर त्रज्जीह मिली।

कोकनाडा और मुहम्मदअली

दिसम्बर १९२३ में कांग्रेस का सालाना अधिवेशन कोकनाडा (दक्षिण) में हुआ । मौलाना मुहम्मदअली उसके सदर थे, और जैसी कि उनकी आदत थी, सभापति की हैसियत से उन्होंने अपनी लम्बी-चौड़ी स्पीच पढ़ी । लेकिन वह थी दिलचस्प । उसमें उन्होंने यह दिखाया कि मुसलमानों में किस तरह राजनीतिक व साम्प्रदायिक भावना की वृद्धि होती गई । उन्होंने बताया कि १९०८ में आगाखान के नेतृत्व में जो डंपूटेशन वाइसराय से मिला था और जिसकी कोशिशों से ही सरकार ने पहली बार अलहदा निर्वाचन के हक में घोषणा की थी वह एक कैसी जबर्दस्त चाल थी जिसके मूल में खास सरकार का ही हाथ था ।

मुहम्मदअली ने मुझे, मेरी इच्छा के बहुत खिलाफ, अपनी सदरत के साल में अखिल-भारतीय कांग्रेस-कमिटी का सेक्रेटरी बनने के लिए राजी किया । भावी नीति के सम्बन्ध में मुझे साफ-साफ पता न था, ऐसी हालत में मैं नहीं चाहता था कि कोई व्यवस्था-सम्बन्धी जिम्मेदारी अपने ऊपर लूँ ।

लेकिन मैं मुहम्मदअली को इन्कार नहीं कर सकता था; क्योंकि हम दोनों ने महसूस किया कि कोई दूसरा सेक्रेटरी शायद नये सदर के साथ उतनी अच्छी तरह से काम न कर सके जितना कि मैं । उनकी रुचि और अरुचि दोनों तेज थी और सौभाग्य से मैं उन लोगों में से था जो उनकी 'रुचि' में आते थे । हम दोनों प्रेम और परस्पर की गुणग्राहकता के धागे से बँधे हुए थे । वह प्रबल धार्मिक—और मेरी समझ से बुद्धि-विरुद्ध धार्मिक—थे और मैं वैसा नहीं था । मगर मैं उनकी सरगर्मी, अतिशय कार्य-शक्ति और प्रखर बुद्धि से आकर्षित था । वह बड़े चपल दिल्लगीबाज थे । लेकिन कभी-कभी उनका भयकर व्यंग दिल को चोट पहुँचा देता था और इससे उनके बहुरे दोस्त कम हो गये थे । कोई बढ़िया टिप्पणी मन में आई तो उनके लिए उसे मन में रख लेना असंभव था—फिर उसका नतीजा चाहे कुछ हो ।

उनके सभापति-काल में हम दोनों की गाड़ी ठीक-ठीक चली—हालाँकि कई छोटी-छोटी बातों में हमारा इखलाफ रहता था । हमारे अखिल-भारतीय कांग्रेस-कमिटी के दफ्तर में मैंने एक नया रिवाज डाला था । किसीके भी नाम के आगे-पीछे कोई प्रत्यय या पदवी वगैरा न लिखी जाय । महात्मा, मौलाना, शेख, सैयद,

मुन्वी, मौलवी और आजकल के श्रीयुत और श्री और मिस्टर तथा एस्क्वायर वगैरा जो बहुत-से ऐसे शब्द हैं और इनका प्रयोग इतना बहुतायत से और अक्सर गैरजरूरी होता है कि मैं इसकी एक अच्छी मिसाल पेश करना चाहता था। लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया। मुहम्मदअली ने बहुत बिगड़कर मुझे एक तार भेजा, जिसमें सदर की हैसियत से मुझे हिदायत दी थी कि मैं पुराने तरीके से ही काम लूँ, और खास तौर पर गांधीजी को हमेशा महात्मा लिखा करूँ।

एक और विषय था जिसमें अक्सर हमारी बहस हुआ करती, और वह था ईश्वर। मुहम्मदअली एक अजीब तरीके से अल्लाह का जिक्र काँग्रेस के प्रस्तावों में भी ले आया करते थे, या तो शुक्रिया अदा करने की शकल में या किसी किस्म की दुआ की शकल में। मैं इसका विरोध किया करता। वह जोर से बिगड़ते और कहते, तुम बड़े नास्तिक हो। मगर फिर भी आश्चर्य है कि वह थोड़ी देर बाद मुझे कहते कि एक मजहबी आदमी के जरूरी गुण तुममें हैं, हालांकि तुम्हारा जाहिरा बर्ताव और दावा इसके खिलाफ़ है। और मैंने कई बार मन में सोचा है कि उनका कहना कितना सच था। शायद यह इस बात पर हसर रखता है कि कोई मजहब या मजहबी के क्या मानी करता है।

मैं उनके साथ हमेशा मजहब के मामले में बहस करना टालता था। क्योंकि मैं जानता था, इसका नतीजा यही होता कि हम दोनो एक-दूसरे पर चिढ़ उठते, और मुमकिन था कि उनका जी दुःख जाता। किसी भी मत के कट्टर माननेवाले से इस किस्म की बहस करना हमेशा मुश्किल होता है। बहुतसे मुसलमानों के लिए तो यह शायद और भी मुश्किल हो; क्योंकि उनके यहाँ विचारों की आज़ादी मजहबी तौर पर नहीं दी गई है। विचारों की नज़र से देखा जाय तो उनका सीधा मगर तंग रास्ता है और उसका अनुयायी ज़रा भी दाहिने-बायें नहीं जा सकता। हिन्दुओं की हालत इससे कुछ अलग है, सो भी अक्सर नहीं। व्यवहार में चाहे वे कट्टर हो, उनके यहाँ बहुत पुराने बुरे और पीछे घसीटनेवाले रस्म-रिवाज माने जाते हैं, फिर भी वे हमेशा धर्म के विषय में निहायत क्रान्तिकारी और मौलिक विचारों की चर्चा करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। मेरा खयाल है कि आधुनिक आर्यसमाजियों की दृष्टि आम तौर पर इतनी विशाल नहीं होती। मुसलमानों की तरह वे अपने सीधे और तंग रास्ते पर ही चलते हैं। विद्या-बुद्धि में चढ़े-बढ़े हिन्दुओं के यहाँ ऐसी कुछ दार्शनिक परम्परा चली आ रही है जो धार्मिक प्रश्नों में भिन्न-भिन्न विचार-दृष्टियों को स्थान देती है, हालांकि व्यवहार पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ कि इसका आंशिक कारण यह है कि हिन्दू-जाति में तरह-तरह के और अक्सर परस्पर-

बिरोधी प्रमाण और रिवाज पाये जाते हैं। इस सम्बन्ध में यहाँतक कहा जाता है कि हिन्दू-धर्म को साधारण अर्थ में मज़हब नहीं कह सकते। और फिर भी कितने ग़ज़ब की दृढ़ता उसमें है ! अपने-आपको जिन्दा रखने की कितनी ज़बरदस्त ताक़त ! भलेही कोई अपनेको नास्तिक कहता हो, जैसाकि चार्वाक था, फिर भी कोई यह नहीं कह सकता कि वह हिन्दू नहीं रहा। हिन्दू-धर्म अपने बच्चों को उनके न चाहते हुए भी पकड़ रखता है। मैं एक ब्राह्मण पंदा हुआ था और मालूम होता है कि ब्राह्मण ही रहूँगा, फिर मैं धर्म और सामाजिक रस्म-रिवाज के बारे में कुछ भी कहता और करता रहूँ। हिन्दुस्तानी दुनिया के लिए मैं पण्डित ही हूँ, चाहे मैं इस उपाधि को नापसन्द ही करूँ। मुझे याद है कि एक बार मैं एक तुर्की विद्वान से स्वीज़रलैंड में मिला था। उन्हे मैंने पहले से ही एक परिचय-पत्र भेज दिया था, जिसमें मेरे लिए लिखा था—‘पण्डित जवाहरलाल नेहरू।’ लेकिन मिलने पर वह हैरान हुए और कुछ मायूस भी। क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा, कि ‘पण्डित’ शब्द से मैं समझा था कि आप कोई बड़े विद्वान् धार्मिक वयोवृद्ध पण्डित होंगे।

हाँ, तो, मुहम्मदअली और मैं मज़हब पर बहस नहीं करते थे। लेकिन उनमें खामोश रहने का गुण न था। और कुछ साल बाद (मैं समझता हूँ, १९२५ में या १९२६ के शुरू में) वह अपनेको ज्यादा न रोक सके। एक रोज़ जब मैं उनके घर, दिल्ली में, उनसे मिला तो वह भभक उठे और बोले कि मैं तुमसे मज़हब पर ज़रूर बहस करना चाहता हूँ। मैंने उन्हे समझाने की कोशिश की। कहा—आपके मेरे नुकते-निगाह एक-दूसरे से बहुत जुदा हैं और हम एक-दूसरे पर कोई ज्यादा असर न डाल सकेगे। लेकिन वह कब सुनते ? उन्होंने कहा—“नहीं, हम बातें कर ही ले। मैं समझता हूँ, तुम मुझे कठमुल्ला मानते हो। मगर मैं तुम्हे बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं हूँ।” उन्होंने कहा कि मैंने मज़हब पर बहुतसी किताबें पढ़ी हैं और गहराई से सोचा है। उन्होंने आहमारियाँ बताईं, जो अलग-अलग मज़हबों पर लिखी किताबों से और खासकर इस्लाम और ईसाई धर्म-सम्बन्धी किताबों से भरी हुई थी और जिनमें कुछ आधुनिक किताबें—जैसे एच. जी. वेल्स की ‘गॉड, दि इनविज़िबल किंग’—भी थी। महायुद्ध के दिनों में जब वह लम्बे असें तक नज़रबन्द रहे थे, उन्होंने कुरान के कई पारायण किये और कितने ही भाष्यों को पढ़ा। उन्होंने कहा कि इस सारे अध्ययन के फल-स्वरूप मैंने देखा कि कुरान में जो कुछ लिखा गया है उसका ९७ फीसदी युक्ति-संगत है, और कुरान को छोड़कर भी उसकी पुष्टि की जा सकती है। ३ फीसदी यो सरेदस्त तो युक्ति-संगत नहीं दिखाई देता है मगर यह ज्यादा मुमकिन है कि जो कुरान ९७ फीसदी बातों पर साफ तौर पर सही है वह बाकी ३ फीसदी में भी सही होगा।

बजाय इसके कि मेरी दुर्बल तर्क-शक्ति सही हो और कुरान गलत, वह इस नतीजे पर पहुँचे कि कुरान के सही होने का पक्ष भारी है और इसलिए उन्होंने कुरान को १०० फ्रीसदी सही मान लिया।

इस दलील का तर्क स्पष्ट न था, लेकिन मैं बहस करना न चाहता था। किन्तु इसके बाद जो-कुछ हुआ उसे देखकर तो मैं दंग रह गया। मुहम्मदअली ने कहा कि कोई भी कुरान को अपने दिमाग का दर्वाजा खोलकर और एक जिज्ञासु की भावना से पढ़ेगा तो जरूर ही वह उसकी सच्चाई का क्रायल हो जायगा। उन्होंने यह भी कहा कि बापू (गांधीजी) ने उसे बड़े गौर से पढ़ा है और वह जरूर इस्लाम की सच्चाई के क्रायल हो गये होंगे। लेकिन उनके दिल की मगरूरी उन्हें इसको जाहिर करने से मना करती है।

मुहम्मदअली अपने इस साल के सभापति-काल के बाद से धीरे-धीरे काँग्रेस से दूर हटने लगे। या, जैसा कि वह कहते, काँग्रेस उनसे दूर हटने लगी। मगर यह हुआ बहुत धीरे-धीरे। कई साल आगे तक यों वह काँग्रेस में और अ० भा० काँग्रेस कमिटी में आते रहे और उनमें जोर-शोर से हिस्सा लेते रहे, लेकिन खाई चौड़ी होती ही गई और अनबन बढ़ती ही गई। शायद किसी खास व्यक्ति या व्यक्तियों पर इसका दोष नहीं लगाया जा सकता। मगर देश की वास्तविक परिस्थिति जैसी बन गई थी उसमें ऐसा हुए बिना रह नहीं सकता था। लेकिन यह हुआ बहुत ही बुरा। और इससे हम बहुतों के जी को बड़ा दुःख हुआ। क्योंकि जातिगत मामले में कैसा ही इस्लाम रहा हो, सयासी मामले में हमारा-उनका कम मतभेद था। भारतीय स्वाधीनता का विचार उन्हें भी बहुत भाता था। और चूँकि उनकी-हमारी राजनैतिक दृष्टि एक थी, इसलिए हमेशा इस बात की सम्भावना रहती थी कि जातिगत या यों कहें कि साम्प्रदायिक प्रश्न पर उनके साथ कोई ऐसी तजवीज हो सकती थी जो दोनों के लिए सन्तोषजनक हो। राजनैतिक दृष्टि से उन प्रतिगामी लोगों से जो अपनेको जातिगत स्वार्थों के रक्षक मनाते हैं, उनकी कोई बात मेल नहीं खाती थी।

हिन्दुस्तान के लिए यह दुर्भाग्य की बात हुई कि १९२८ की गर्मियों में वह यहाँ से योरप चले गये। उस वक़्त इस जातिगत समस्या को सुलझाने के लिए बड़े जोर की कोशिश की गई थी और वह करीब-करीब कामयाबी की हद तक जा पहुँची थी। अगर मुहम्मदअली यहाँ होते तो कयास होता है कि मामला और ही शकल अस्त्यार करता। लेकिन जबतक वह वापस लौटे तबतक यहाँ सब टूट-टाट चुका था; और लाजिम्मी तौर पर उन्होंने अपनेको हमारे दूसरी तरफ पाया।

दो साल बाद, १९३० में, जब सत्याग्रह-आन्दोलन जोर पर था और हमारे

भाई-बहन धड़ाधड़ जेल जा रहे थे, मुहम्मदअली ने कांग्रेस के निर्णय की परवा न कर गोलमेज-परिषद् में जाना पसन्द किया। उनके जाने से मेरे जी को बड़ा दुःख हुआ। मैं मानता हूँ कि वह भी अपने दिल में दुःखी ही हुए होंगे। और लन्दन में उन्होंने जो कुछ किया उससे इसका काफ़ी प्रमाण मिलता है। उन्होंने महसूस किया कि उनकी असली जगह हिन्दुस्तान में और लड़ाई के मैदान में है, न कि लन्दन के कान्फ़ेन्स-भवन में। और अगर वह हिन्दुस्तान वापस आये होते तो मुझे यकीन है कि वह सत्याग्रह में शरीक हो गये होते। सेहत उनकी बहुत ही बिगड़ गई थी और बरसों से बीमारी उनपर हावी हो रही थी। लन्दन में जाकर उन्होंने बड़ी चिन्ता के साथ कुछ-न-कुछ काम की चीज़ पाने की जो कोशिश की, और खासकर ऐसे समय जबकि उन्हें आराम और इलाज की ज़रूरत थी, उससे उनके आखिरी दिन और नज़दीक आ गये। नैनी-जेल में मुझे उनके मरने की खबर से बड़ा धक्का लगा।

दिसम्बर १९२९ में लाहौर-कांग्रेस के वक्त आखिरी दफ़ा में उनसे मिला था। मेरे सभापति-पद से दिये भाषण के कुछ हिस्से से वह नाराज़ थे और उन्होने बड़े जोर से उसकी आलोचना भी की। उन्होंने देखा कि कांग्रेस सरपट दौड़ी जा रही है और राजनैतिक दृष्टि से बहुत तेज़ होती जा रही है। वह खुद भी कम तेज़ न थे, और इसलिए खुद पीछे रह जाना और दूसरे का मैदान में आगे बढ़ जाना उन्हें पसन्द न था। उन्होने मुझे गम्भीर चेतावनी दी—“जवाहर ! मैं तुम्हें चेताये देता हूँ कि तुम्हारे आज के ये संगी-साथी सब तुमको अकेला छोड़ देंगे। जब कोई मुसीबत का और आन-बान का मौका आयेगा उसी वक्त ये तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। याद रखना, खुद तुम्हारे काँग्रेसी ही तुम्हें फासी के तख्ते पर भेज देंगे।” कैसी मनहूस भविष्यवाणी थी !

कोकनाडा-कांग्रेस (१९२३) में मेरे लिए एक खास दिलचस्पी की बात थी; क्योंकि वहीं हिन्दुस्तानी-सेवादल की बुनियाद रखी गई। स्वयंसेवक-दल इससे पहले नहीं थे सो बात नहीं। वे इन्तज़ाम भी करते थे और जेल भी जाते थे। मगर उनमें अनुशासन और आन्तरिक एकता का भाव बहुत कम था। डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हार्डीकर को यह बात सूझी कि राष्ट्रीय कार्यों के लिए क्यों न एक अच्छा अनुशासन-बद्ध स्वयंसेवक-दल बना लिया जाय, जो कांग्रेस की आम रहनुमाई में अपना काम करे ? उन्होने इसमें सहयोग देने के लिए मुझसे आग्रह किया और मैंने बड़ी खुशी से उसे मंज़ूर किया; क्योंकि यह खयाल मुझे जँच गया था। इसकी शुरुआत कोकनाडा में हुई। बाद को हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि बड़े-बड़े काँग्रेसियों की तरफ़ से भी सेवादल के सवाल पर कैसा विरोध-भाव प्रकट हुआ था। कुछ लोगों ने कहा कि कांग्रेस के लिए ऐसा करना खतरनाक होगा। यह तो कांग्रेस में फ़ौजी शक्ति को धुसेड़ देना

है। और यह फ़ौजी शक्ति मुमकिन है कि काँग्रेस की मुल्की सत्ता को ही धर दबाये ! दूसरे कुछ लोगों का यह खयाल दिखाई दिया कि स्वयंसेवकों के लिए तो सिर्फ़ इतना ही अनुशासन काफ़ी है कि वे ऊपर से मिले आदेशों का पालन करते रहें। कुछ के खयाल में उन्हें कदम मिलाकर चलने की भी ऐसी ज़रूरत नहीं। कुछ लोगों के दिल में भीतर-भीतर यह खयाल था कि तालीम और कवायद-याफ़ता स्वयंसेवकों का रखना एक तरह से काँग्रेस के अहिंसा-सिद्धान्त से मेल नहीं खाता है। लेकिन हार्डीकर इस काम में भिड़ ही गये और बरसों की मेहनत के बाद उन्होंने प्रत्यक्ष दिखला दिया कि ये तालीम-याफ़ता स्वयंसेवक कितने ज्यादा कार्यकुशल और अहिंसात्मक भी हो सकते हैं।

कोकनाडा से लौटने के बाद ही, जनवरी १९२४ में, मुझे इलाहाबाद में एक नये ढंग का तज़ुर्बा हुआ। मैं अपनी याददास्त से यह लिख रहा हूँ और मुमकिन है कि तारीखों के सम्बन्ध में कुछ भूल और गड़बड़ हो जाय। मैं समझता हूँ, वह कुम्भ या अर्द्धकुम्भ के मेले का साल था। लाखों यात्री संगम यानी त्रिवेणी नहाने आते हैं। गंगा-घाट यों कोई एक मील चौड़ा है, मगर जाड़े में धारा सिकुड़ जाती है, और दोनों तरफ़ बालू का बड़ा मैदान छोड़ देती है जोकि यात्रियों के ठहरने के लिए बड़ा उपयोगी हो जाता है। अपने इस बहाव-क्षेत्र में गंगा अक्सर अपना रास्ता बदलती रहती है। १९२४ में गंगा की धारा इस तरह हो गई थी कि यात्रियों के लिए नहाना अवश्य ही खतरनाक था। कुछ पाबन्दियाँ और अहत्यात लगाकर और एक वक़्त में नहानेवालों की संख्या मुक़रर करके यह खतरा कम किया जा सका था।

मुझे इस मामले में किसी किस्म की दिलचस्पी न थी; क्योंकि ऐसे पर्वों के अवसर पर गंगा नहाकर मैं पुण्य कमाना तो चाहता ही न था। लेकिन मैंने अखबारों में पढ़ा कि इस मामले में पं० मदनमोहन मालवीय और प्रान्तीय सरकार के बीच एक बहस छिड़ गई है, क्योंकि प्रान्तीय सरकार ने एक ऐसा फरमान निकाल दिया था कि कोई संगम पर न नहाने पावे। मालवीयजी ने इसपर ऐतराज़ किया; क्योंकि धार्मिक दृष्टि से तो संगम पर नहाने का ही महत्व था। इधर सरकार का अहत्यात रखना भी ठीक ही था कि जिससे जान का खतरा न रहे। लेकिन हस्ब-मामूल उसने निहायत ही बेवकूफी और चिढ़ा देनेवाले ढंग से इस सम्बन्ध में कार्रवाई की थी।

कुम्भ के दिन सुबह ही मैं संगम पर मेला देखने गया। मेरा कोई इरादा नहाने का न था। गंगा-किनारे पहुँचने पर मैंने सुना कि मालवीयजी ने ज़िला-मजिस्ट्रेट को

एक सौजन्य-पूर्ण आखिरी चेतावनी दे दी है, जिसमें त्रिवेणी में नहाने की इजाजत मांगी गई है। मालवीयजी गरम हो रहे थे और वातावरण में क्षोभ फैला हुआ था। जिला-मजिस्ट्रेट ने इजाजत नहीं दी तब मालवीयजी ने सत्याग्रह करने का निश्चय किया, और कोई दो सौ लोगों को साथ लेकर वह संगम की तरफ बढ़े। इन घटनाओं से मेरी दिलचस्पी थी, और मैं उसी वक्त जोश में आकर सत्याग्रही दल में शामिल हो गया। मैदान के उसपार लकड़ियों का एक ज़बरदस्त घेरा बना दिया गया था कि लोग संगम तक पहुँचने से बचें। जब हम इस उँचे घेरे तक पहुँचे तो पुलिस ने हमें रोका और एक निसैनी, जो हम साथ लिये हुए थे, छीन ली। हम तो थे अहिंसात्मक सत्याग्रही, इसलिए उस घेरे के पास बालू में शान्ति के साथ बैठ गये। सुबहभर और दोपहर के भी कुछ घण्टे हम उसी तरह बैठे रहे। एक-एक घण्टा बीतने लगा। धूप तेज़-तेज़ होने लगी। बालू गरमाने लगी, और इधर हम सबकी भूख भी बढ़ने लगी। पंदल और घुड़सवार पुलिस हमारे दोनों तरफ़ खड़ी थी। मैं समझता हूँ कि बाका-यदा घुड़-सेना भी वहाँ मौजूद थी। हम बहुतेरों का धीरज छूटने लगा, और हमने कहा कि अब तो कुछ-न-कुछ करना ही चाहिए। मैं मानता हूँ कि अधिकारी भी उकता उठे थे। और उन्होंने कदम आगे बढ़ाने का निश्चय किया। घुड़-सेना को कुछ आर्डर दिया। इस समय मुझे लगा (मैं नहीं कह सकता वह सही था) कि वे हमपर घोड़े फेंकेंगे, और यों हमको बुरी तरह खदेड़ेंगे। घुड़सवारों से इस तरह पीटे जाने का खयाल मुझे अच्छा न लगा और वहाँ बैठे-बैठे मेरा जी भी उकता उठा था। मैंने झट से अपने नज़दीकवाले को मुझाया कि हम इस घेरे को ही क्यों न फाँद जायें ! और मैं उसपर चढ़ गया। तुरन्त ही बीसो आदमी उसपर चढ़ गये और कुछ लोगों ने तो उसकी बल्लियाँ भी निकाल डाली, जिससे एक खासा रास्ता बन गया। किसीने मुझे एक राष्ट्रीय झण्डा दे दिया। जिसे मैंने उस घेरे के सिरे पर खोस दिया जहाँ कि मैं बैठा हुआ था मैं अपने पूरे रंग में था और खूब मगन हो रहा था और लोगों को उसपर चढ़ते और उसके बीच में घुसते हुए और घुड़सवारों को उन्हें हटाने की कोशिश करते देख रहा था। यहाँ मुझे यह ज़रूर कहना चाहिए कि घुड़सवारों ने जितना हो सका इस तरह अपना काम किया कि किसीको चोट नहीं पहुँची। वे अपने लकड़ी के डग्डों को हिलाते थे और लोगों को उनसे धक्का देते थे। मगर किसीको चोट न पहुँचाई। उस समय मुझे क्रान्तिकारियों के घेरे जाने के दृश्य का कुछ-कुछ स्मरण हो आया।

आखिर को मैं दूसरी तरफ़ उतर पड़ा। इतनी मेहनत के कारण गर्मी बढ़ गई थी, सो मैंने गंगा में गोता लगा लिया। जब वापस आया तो मुझे यह देखकर अचरज

हुआ कि मालवीयजी और दूसरे अबतक जहाँ-के-तहीं बैठे हुए हैं और घुड़सवार और पैदल पुलिस सत्याग्रहियों और घेरे के बीच कंधे-से-कंधा भिड़ाकर खड़ी हुई थी। सो मैं (जरा टेढ़े-मेढ़े रास्ते से निकलकर) फिर मालवीयजी के पास जा बैठा। हम कुछ देर तक बैठे रहे, और मैंने देखा कि मालवीयजी मन-ही-मन बहुत भिन्नाये हुए थे और ऐसा मालूम होता था कि वह अपने मन को बहुत मसोस रहे थे। एकाएक बिना किसीको कुछ पता दिये उन पुलिसवालों और घोड़ों के बीच अद्भुत रीति से निकलकर उन्होंने गोता लगा लिया। यों तो किसी भी शरूस के लिए इस तरह गोता लगाना आश्चर्य की बात होती, लेकिन मालवीयजी जैसे बूढ़े और दुर्बल-शरीर व्यक्ति के लिए तो ऐसा करना बहुत ही स्तम्भित कर देने वाला था। खैर; हम सबने उनका अनुकरण किया। हम सब पानी में कूद पड़े। पुलिस और घुड़सेना ने हमें पीछे हटाने की थोड़ी-बहुत कोशिश की, मगर बाद को ठहर गई। थोड़ी देर बाद वह वहाँ से हटा ली गई।

हमने सोचा था कि सरकार हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद सरकार मालवीयजी के खिलाफ कुछ करना नहीं चाहती थी, और इसलिए बड़े के पीछे हम छुटभैया भी अपने-आप बच गये।

पिताजी और गांधीजी

१९२४ के शुरू में यकायक खबर आई कि गांधीजी जेल में बहुत ज्यादा बीमार हो गये हैं जिसकी वजह से वह अस्पताल पहुँचा दिये गये हैं और वहाँ उनका ऑपरेशन हुआ है। इस खबर को सुनकर चिन्ता के मारे हिन्दुस्तान सन्न हो गया। हम लोग डर से परेशान थे और दम-सा साधे खबरों का इन्तज़ार करते थे। अखीर में संकट गुजर गया और देश के तमाम हिस्सों से लोगों की टोलियाँ उन्हें देखने के लिए पूना पहुँचने लगी। इस वक्त तक वह अस्पताल में ही थे। कँदी होने की वजह से उनके ऊपर गारद रहती थी, लेकिन दोस्तों को महदूद तादाद में उनसे मिलने की इजाज़त थी। मैं और पिताजी उनसे अस्पताल में ही मिले।

अस्पताल से वह वापस जेल नहीं लेजाये गये। जब उनकी कमजोरी दूर हो रही थी तभी सरकार ने उनकी बाक़ी सजा रद्द करके उन्हें छोड़ दिया। उस वक्त वह जो छः साल की सज़ा उन्हें मिली थी उसमें से करीब-करीब दो साल की काट चुके थे। अपनी तन्दुबस्ती ठीक करने के लिए वह बम्बई के नज़दीक समुद्र के किनारे जुहू चले गये।

हमारा परिवार भी जुहू जा पहुँचा और वही समुद्र के किनारे एक छोटे-से बंगले में रहने लगा। हम लोगों ने कुछ हफ्ते वहीं गुज़ारे और मुझे बहुत अर्स के बाद अपने मन के मुताबिक छुट्टी मिल गई, क्योंकि मैं वहाँ मजे से तैर सकता था, दौड़ सकता था और समुद्र-तट की बालू पर घुड़दौड़ कर सकता था। लेकिन हमारे वहाँ रहने का असली मतलब छुट्टियाँ मनाना नहीं था, बल्कि गांधीजी के साथ देश की समस्याओं पर चर्चा करना था। पिताजी चाहते थे कि गांधीजी को यह बता दें कि स्वराजी क्या चाहते हैं और इस तरह वह गांधीजी की सक्रिय हमदर्दी नहीं तो कम-से-कम उनका निष्क्रिय सहयोग जरूर हासिल कर लें। मैं भी इस बात से चिन्तित था कि जो मसले मुझे परेशान कर रहे हैं उनपर कुछ रोशनी पड़ जाय। मैं यह जानना चाहता था कि उनका आगे का कार्यक्रम क्या होगा।

जहाँतक स्वराजियों से ताल्लुक है वहाँतक उनको जुहू की बात-चीत से गांधीजी को अपनी तरफ कर लेने में या किसी हद तक भी उनपर असर डालने में कोई कामयाबी नहीं मिली। यद्यपि बात-चीत बड़े दोस्ताना ढंग से और बहुत ही शराफ़त के साथ होती थी, लेकिन यह बात तो रही ही कि आपस में कोई समझौता नहीं हो

सका । यह तय रहा कि उनकी राय एक-दूसरे से नहीं मिलती और इसी मतलब के बयान अखबारों में छपा दिये गये ।

मैं भी जूह से कुछ हद तक मायूस होकर लौटा; क्योंकि गांधीजी ने मेरे एक भी शक को दूर नहीं किया । अपने मामूली तरीके के मुताबिक उन्होंने भविष्य की बात सोचने या बहुत लम्बे अर्से के लिए कोई कार्यक्रम बनाने से साफ इन्कार कर दिया । उनका कहना था कि हमें धीरज के साथ लोगों की सेवा का काम करते रहना चाहिए, कांग्रेस के रचनात्मक और समाज-सुधार करने वाले कार्यक्रम को पूरा करना चाहिए और लड़ाकू काम के वक्त का रास्ता देखना चाहिए । लेकिन हमारी असली मुश्किल तो यह थी कि ऐसा वक्त आने पर कहीं चौरीचौरा जैसा काण्ड तो नहीं हो जायगा, जो सारा तख्ता ही उलट दे और हमारी लड़ाई को रोक दे ! इस वक्त गांधीजी ने हमारे इस शक का कोई जवाब नहीं दिया । न वह हमारे मकसद—ध्येय—के बारे में ही पूरी तरह निश्चित थे । हममें से बहुत से अपने मन में यह बात साथ-साथ जान लेना चाहते थे कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं ? फिर चाहे कांग्रेस इस मामले पर कोई बाज़ाबन्ता ऐलान करे या न करे । हम जानना चाहते थे कि क्या हम लोग आजादी के लिए, और कुछ हद तक समाज-रचना में हेर-फेर के लिए अड़ेंगे या हमारे नेता इससे बहुत कम किसी बात पर राजीनामा कर लेंगे ! कुछ ही महीने पहले संयुक्त-प्रान्त की सूबा कान्फ्रेंस में अपने उस भाषण में, जो मैंने सदर की हैसियत से दिया था, मैंने आजादी पर जोर दिया था । यह कान्फ्रेंस १९२३ के बसन्त में मेरे नाभा से लौटने से कुछ दिन बाद हुई थी । उन दिनों मैं उस बीमारी से ठीक हो ही रहा था जो नाभा ने मेरी भेंट की थी, इसलिए मैं कान्फ्रेंस में शामिल नहीं हो सका, लेकिन मेरा वह भाषण जो मैंने चारपाई पर बुखार में पड़े हुए लिखा था वहीं पहुँचा दिया गया था ।

जबकि हम कुछ लोग कांग्रेस में आजादी के मसले को साफ करा लेना चाहते थे तब हमारे लिबरल दोस्त हम लोगों से इतनी दूर बह गये थे—या शायद हमी लोगों ने उन्हें दूर बहा दिया था—कि वे सरेआम साम्राज्य की ताकत और उसकी शानोशौकत पर नाज करते थे, फिर चाहे वह साम्राज्य हमारे देशभाइयों के साथ पापीश का-सा बर्ताव करे और उसके उपनिवेश या तो हमारे भाइयों को अपना गुलाम बनाकर रक्खें या उनको अपने मुल्क में घुसने ही न दें । श्री० शास्त्री शाही राजदूत बन गये थे और सर तेजबहादुर सप्रू ने १९२३ में लंदन में होनेवाली इम्पीरियल कान्फ्रेंस में बड़े फख्र के साथ कहा था, कि 'मैं अभिमान के साथ कह सकता हूँ कि वह मेरा ही मुल्क है जो साम्राज्य को साम्राज्य बनाये हुए है ।'

एक बहुत बड़ा समुद्र हमें इन लिबरल लीडरों से अलग किये हुए था। हम लोग अलग-अलग दुनिया में रहते थे, अलग-अलग भाषाओं में बात करते थे और हमारे हवाबों में, अगर लिबरल कभी हवाब देखते हों तो, कोई चीज ऐसी न थी जो एक-सी हो। तब क्या यह जरूरी न था कि हम अपने मकसद की बाबत साफ और सही फंसला करलें ?

लेकिन उस वक़्त ऐसे खयालात थोड़े ही लोगों तक महदूद थे। ज्यादातर आदमी बहुत साफ और ठीक-ठीक सोचना पसन्द नहीं करते थे—खास तौर पर किसी राष्ट्रीय हलचल में, जोकि अपनी प्रकृति से ही कुछ हद तक अस्पष्ट और रहस्यमय होती है। १९२४ के शुरू के महीनों में जनता का खयाल ज्यादातर उन स्वराजियों की तरफ था जो सूबे की कौंसिलों और असेम्बली में गये थे। भीतर से विरोध करने और कौंसिलो को तोड़ने की लम्बी-चीड़ी बातें मारने के बाद यह दल क्या करेगा ? हाँ, कुछ मजेदार बातें तो हुईं। असेम्बली ने उस साल का बजट ठुकरा दिया, हिन्दुस्तान की आजादी की शर्तें तय करने के लिए गोलमेज में बहस करने की माँग करनेवाला प्रस्ताव पास हो गया। देशबन्धु के नेतृत्व में बंगाल-कौंसिल ने भी बहादुरी के साथ सरकारी खर्चों की माँगो को ठुकरा दिया। लेकिन असेम्बली और सूबे की कौंसिलों में, दोनों में ही, वाइसराय और गवर्नर ने बजट पर सही करदी, जिससे वे कानून बन गये। कुछ व्याख्यान हुए, कौंसिलो में कुछ उत्तेजना पैदा हुई, स्वराजियो में थोड़ी देर के लिए अपनी फतह पर खुशी छा गई, अखबारों में अच्छे-अच्छे हेडिंग आये, लेकिन इनके अलावा और कुछ नहीं हुआ। इससे ज्यादा वे कर ही क्या सकते थे ? ज्यादा-से-ज्यादा वे फिर यही काम करते, लेकिन उनका नयापन चला गया था। जोश खत्म हो गया था और लोग बजटों और कानूनों को वाइसराय या गवर्नरों द्वारा सही होते देखने के आदी हो गये थ। इसके बाद का कदम अवश्य ही कौंसिलों में जो स्वराजी मेम्बर थे उनकी पहुँच के बाहर था। वह तो कौंसिल-भवन से बाहर का था।

इस साल १९२४ के बीच में किसी महीने में अहमदाबाद में अखिल-भारतीय काँग्रेस कमिटी की बैठक हुई। इस बैठक में, आशा से बाहर, स्वराजियों में और गांधीजी में बहुत गहरी खटपट हो गई और कुछ अचानक विलक्षण हालात पैदा हो गये। शुरुआत गांधीजी की तरफ से हुई। उन्होंने काँग्रेस के विधान में एक खास परिवर्तन करना चाहा। वह वोट देने के हक़ को और मेम्बरी से ताल्लुक रखने वाले नियम को बदल देना चाहते थे। इस वक़्त तक जो कोई काँग्रेस-विधान की पहली धारा को, जिसमें यह लिखा हुआ था कि काँग्रेस का उद्देश शान्तिमय उपायों से स्वराज लेना है, मंजूर करता और चार आने देता वही मेम्बर हो जाता था। अब गांधीजी

चाहते थे कि सिर्फ वही लोग मेम्बर हो सकें जो चार आने के बजाय निश्चित मिकदार में अपने हाथ का कता हुआ सूत दें। इससे वोट देने का हक बहुत कम हो जाता था और इसमें कोई शक नहीं कि अ० भा० कांग्रेस कमिटी को कोई हक न था कि वह इस हक को इस हद तक कम करती। लेकिन जब विधान के अक्षर गांधीजी की मर्जी के खिलाफ पड़ते हैं तब वह उन हरफों की शायद ही कभी परवा करते हैं। मैं इसे विधान के साथ इतनी जबरदस्त ज्यादाती समझता था कि उसे देखकर मुझे बड़ा धक्का लगा और मैंने कार्य-समिति से कहा कि मंत्री-पद से मेरा इस्तीफा ले लीजिए। लेकिन इसी बीच में कुछ नई बातें और हो गईं जिनकी वजह से मैंने इसपर जोर नहीं दिया। अ० भा० कांग्रेस कमिटी की बैठक में देशबन्धु दास और पिताजी ने जोर-शोर से इस प्रस्ताव का विरोध किया और अखीर में वे उसके खिलाफ अपनी पूरी नाराजगी जाहिर करने की गरज से वोट होने से कुछ पहले अपने अनुयायियों की काफी तादाद के साथ उठकर चले गये। उसके बाद भी कमिटी में कुछ लोग ऐसे रह गये जो उस तजवीज के खिलाफ थे। प्रस्ताव कसरत राय से पास हो गया, लेकिन बाद में वह वापस ले लिया गया, क्योंकि मेरे पिताजी और देशबन्धु के अटल विरोध से और स्वराजियों के उठकर चले जाने से गांधीजी पर बड़ा भारी असर पड़ा, उनकी भावुकता जग गई और एक मेम्बर की किसी बात से वह इतने विचलित हो गये कि अपनेको सम्हाल न सके। यह जाहिर था कि उनको बहुत गहरी तकलीफ हुई थी। उन्होंने बड़ी भावुकता के साथ कमिटी के सामने अपने खयालात जाहिर किये, जिन्हें सुनकर बहुत-से मेम्बर रोने लगे। यह एक असाधारण और दिल हिला देने वाला दृश्य था।

१. यह सब हाल जेल में याददास्त के भरोसे लिखना पड़ा था। अब मुझे मालूम हुआ है कि मेरी याददास्त गलत निकली और अ० भा० कांग्रेस कमिटी में जिन बातों पर बहस हुई उनमें से एक ख़ास बात को मैं भूल गया और इस तरह वहाँ जो कुछ हुआ उसकी बाबत मैंने गलत धारणा पैदा कर दी। जिस बात से गांधीजी विचलित हुए थे वह तो एक नौजवान बंगाली (आतंकवादी) गोपीनाथ साहा से ताल्लुक रखनेवाला वह प्रस्ताव था जो मीटिंग में पेश हुआ और अखीर में गिर गया। जहाँ तक मुझे याद है, उस तजवीज में उसके हिंसात्मक काम की तो निन्दा की गई थी लेकिन उसके उद्देश के साथ हमदर्दी जाहिर की गई थी। तजवीज से भी ज्यादा रंज गांधीजी को उन तकलीफों से हुआ जो उस तजवीज के सिलसिले में दी गईं। उनसे गांधीजी को यह खयाल हो गया कि कांग्रेस में भी बहुत-से लोग अहिंसा के मामले में संजीदा नहीं हैं और इसी खयाल से वह दुखी हुए। इसके बाद फौरन ही 'दंग इचिबया' में इस मीटिंग

मैं यह कभी नहीं समझ सका कि गांधीजी हाथ-कते सूत पर ही वोट का हक देनेवाली उस अनोखी बात के बारे में इतनी हठ क्यों करते थे ? क्योंकि वह यह तो जरूर ही जानते होंगे कि उसकी बुरी तरह मुखालिफत की जावेगी। शायद वह यह चाहते थे कि कांग्रेस में सिर्फ ऐसे शख्स रहें जो उनके खादी वर्गों के रचनात्मक कार्यक्रम में ऐतबार रखते हों और दूसरों के लिए वह या तो यह चाहते थे कि वे लोग भी उस कार्यक्रम को मान लें नहीं तो कांग्रेस से निकाल दिये जायें। लेकिन अगवें कसरत राय उनके साथ थी फिर भी उन्होंने अपना संकल्प ढीला कर दिया और दूसरे दल से समझौता करने लगे। मुझे यह देखकर हैरत हुई कि अगले तीन-चार महीनों में इस मामले में उन्होंने कई बार अपनी राय बदली। ऐसा मालूम पड़ता था कि खुद उनकी समझ में कुछ नहीं आता था कि वह कहाँ हैं और किधर जाना चाहते हैं ? उनके बारे में मैं ऐसा खयाल कभी नहीं करता था कि उनकी भी कभी ऐसी हालत हो सकती है। इसीलिए मुझे अचम्भा हुआ। मेरी राय में वह मामला खुद को बाबत लिखते हुए उन्होंने कहा—“चारों प्रस्तावों पर मेरे साथ बहुमत जरूर था, लेकिन वह इतना कम था कि मुझे तो उस कसरत राय को भी कम राय मानना चाहिए। असल में दोनों दल करीब-करीब बराबर थे। गोपीनाथ साहा वाले प्रस्ताव से मामला संजीदा हो गया। उसपर जो तकरारें हुईं, उसका जो नतीजा हुआ और उसके बाद मैंने जो बातें देखीं उन सबसे मेरी आंखें खुल गईं।…… गोपीनाथ साहा वाली तजवीज के बाद शराफत बिदा हो गई। ऐसे मौके पर मुझे अपना अखीरी प्रस्ताव पेश करना पड़ा। ज्यों ज्यों कार्रवाई होती गई त्यों-त्यों मैं और भी संजीदा होता गया। मेरे जी में ऐसी आई कि इस दुःखमय दृश्य से मैं भाग जाऊँ। मुझे जो प्रस्ताव मेरे सपुर्द था उसे पेश करते हुए डर लगता था…… मैं नहीं जानता कि मैंने यह बात साफ करदी थी या नहीं कि किसी वक्ता के प्रति मेरे दिल में मैल या दुश्मनी नहीं थी। लेकिन मेरे दिल में जिस बात का रंज था वह कांग्रेस के ध्येय या अहिंसा की नीति के प्रति लोगों की उपेक्षा और उनकी वह अनजाने गैर-जिम्मेदारी थी…… ऐसे प्रस्ताव का समर्थन करने को कांग्रेस में सत्तर मेम्बर तैयार थे, यह एक ऐसी बात थी कि जिसे देखकर मैं दंग रह गया।” गांधीजी के भाष्य के साथ यह वाक्या बहुत ही पुरमाने है। उससे उस अत्यन्त महत्त्व का पता चलता है जो गांधीजी अहिंसा को देते हैं और इस बात का भी पता चलता है कि उसमें गड़बड़ करने की, अनजान में, अप्रत्यक्ष रूप से की गई कोशिश का भी उनपर कैसा बुरा असर होता है। इसके बाद उन्होंने जो बहुत-सी बातें कहीं वे भी गालिबन तह में इसी तरह के खयालात की वजह से कहीं। उनके तमाम कामों और उनको तमाम कार्य-नीति की जड़ असल में अहिंसा ही थी और अहिंसा ही है।

कोई ऐसा बहुत जरूरी नहीं था। वोट देने का अख्यार हासिल करने के लिए कुछ मशक्कत कराने का खयाल बहुत अच्छा था, लेकिन वह जिस संकुचित रूप में लोगों के सामने आया उससे उसका कुछ मतलब खत्म हो गया।

मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि गांधीजी को इन मुश्किलों का सामना इसलिए करना पड़ा कि वह अजनबी हालत में गुजर रहे थे। सत्याग्रह की सीधी लड़ाई के खास मैदान में उनका मूकाबला कोई नहीं कर सकता था। उस मैदान में उनको सहज-बुद्धि अचूक उन्हें सही कदम रखने के लिए प्रेरित किया करती थी। जनता में सामाजिक सुधार कराने के लिए चुपचाप खुद काम करने और दूसरों से काम कराने में भी वह बहुत होशियार थे। वह दिल खोल लड़ाई या सच्ची शान्ति को समझ सकते थे। इन दोनों के बीच की हालत को वह नहीं समझ सकते थे।

कौंसिलों के भीतर विरोध करने और लड़ाई लड़ने के स्वराजी प्रोग्राम से वह बिलकुल उदासीन थे। उनकी राय थी कि अगर कोई साहब कौंसिलों में जाना चाहते हैं तो वे वहाँ सरकार की मुखालिफत करने न जायें, बल्कि बेहतर कानून बनवाने वगैरा के लिए सरकार से सहयोग करने के लिए जायें। अगर वे ऐसा नहीं करना चाहते तो बाहर ही रहें। स्वराजियों ने इनमें से एक भी सूरत अख्यार नहीं की। और इसीलिए उनके साथ व्यवहार करने में मुश्किल पड़ती थी।

लेकिन आखिर में गांधीजी ने स्वराजियों से अपना ठीक-ठाक कर लिया। कता हुआ सूत भी, चार आने के साथ-साथ, वोट का हक हासिल करने का एक साधन मान लिया गया। उन्होंने कौंसिलों में स्वराजियों के काम को लगभग अपना आशीर्वाद दे दिया। लेकिन वह खुद उससे बिलकुल अलग रहे। यह कहा जाता था कि वह तो राजनीति से अलहदा हो गये हैं और ब्रिटिश सरकार और उसके अफसर यह समझते थे कि उनकी लोकप्रियता कम हो रही है और उनकी ताकत खत्म हो चुकी है। यह कहा जाता था कि दास और नेहरू ने गांधीजी को पीछे भगा दिया है; वे ही राजनैतिक मैदान पर काबू किये हुए मालूम होते थे। पिछले पंद्रह बरसों में, इस तरह की बातें समय के अनुसार मौजूं हेर-फेर के साथ बार-बार दुहराई गई हैं और उन्होंने हर मर्तबा यह दिखा दिया है कि हमारे शासक हिन्दुस्तानी लोगों के खयालात के बारे में कितनी कम जानकारी रखते हैं। जबसे गांधीजी हिन्दुस्तान के राजनैतिक मैदान में आये तबसे उनकी लोकप्रियता में कभी कमी नहीं आई, कम-से-कम जहाँ-तक आम लोगों का ताल्लुक है उनकी लोकप्रियता बराबर बढ़ती चली गई है। और यह सिलसिला अभी तक ज्यों का त्यों जारी है। लोग गांधीजी की इच्छाओं को पूरा भले ही न कर सकें, क्योंकि आदमी की तबीयत अक्सर कमजोर होती है, लेकिन उनके

दिलों में गांधीजी के लिए मुहब्बत भरी ही हुई है। जब मुल्क के हालात मुआफिक होते हैं तब लोग विशाल जन-साधारण के आन्दोलनों के रूप में उठ खड़े होते हैं, नहीं तो चुपचाप मुंह छिपाये पड़े रहते हैं। नेता का काम यह नहीं है कि वह न-कुछ में जादू की-सी लकड़ी फेरकर जनता की हलचलें पैदा करदे। हाँ, जब हालात ऐसी पैदा हो जाय तो वह उनका फायदा उठा सकता है, उन हालात से फायदा उठाने के लिए तैयारी कर सकता है, लेकिन वह उन हालात को पैदा नहीं कर सकता।

लेकिन यह बात सच है कि पढ़े-लिखे लोगों में गांधीजी की लोकप्रियता घटती-बढ़ती रहती है। जब आगे बढ़ने का जोश आता है तब वे उनके पीछे-पीछे चलते हैं, और जब उसकी लाजिमी प्रतित्रिया होती है तब वे गांधीजी की नुक्ताचीनी करने लगते हैं। लेकिन इस हालात में भी उनकी बहुत ज्यादा तादाद गांधी जी के सामने सिर झुकाती है। कुछ हद तक तो यह बात इसलिए है कोई दूसरा कारगर प्रोग्राम ही नहीं है। लिबरलों या उन्हीसे मिलते-जुलते दूसरे उन जैसे प्रतिसहयोगी वागैरा को कोई पूछता नहीं, और जो लोग आतंक-कारी हिंसा में विश्वास रखते हैं उनका आजकल की दुनिया में कोई स्थान नहीं रहा। उन्हें लोग बेकार तथा पुराने और पिछड़े हुए समझते हैं। इधर समाजवादी कार्यक्रम को लोग अभी बहुत कम जानते हैं, और इससे कांग्रेस में ऊँची श्रेणियों के जो लोग हैं उनको डर मालूम होता है।

१९२४ के बीच मे थोड़े वक्त के लिए जो राजनैतिक अनबन हो गई थी उसके बाद मेरे पिताजी और गांधीजी मे पुरानी दोस्ती फिर कायम हो गई और वह और भी ज्यादा बढ़ गई। एक-दूसरे से उनकी राय चाहे जितनी ही खिलाफ होती, लेकिन दोनों के दिल में एक-दूसरे के लिए बहुत ज्यादा खयाल और इज्जत थी। दोनों में आखिर ऐसी क्या बात है, जिसकी दोनो इज्जत करते थे ? 'विचार-प्रवाह' (Thought-currents) नाम की एक पुस्तिका मे गांधीजी के लेखो का संग्रह छापा गया था। इस पुस्तिका की भूमिका पिताजी ने लिखी थी। उस भूमिका मे हमें उनके मन की झलक मिल जाती है। उन्होंने लिखा है कि:—

“मैंने महात्माओं और महान् पुरुषो की बाबत बहुत सुना है, लेकिन उनसे मिलने का आनन्द मुझे कभी नहीं मिला। और मैं यह मंजूर करता हूँ कि मुझे उनकी असली हस्ती के बारे में भी कुछ शक है। मैं तो मनुष्यों में और मनुष्योचित गुणों तथा कार्यों में विश्वास करता हूँ। इस पुस्तिका में जो विचार-प्रवाह, संकलित किये गये हैं वे एक ऐसे ही मनुष्य के दिमाग से निकले हैं और मनुष्योचित हैं। वे मानव-प्रकृति के दो बड़े गुणों के नमूने हैं—यानी श्रद्धा और बल के.....”

“जिस आदमी में न श्रद्धा है न बल, वह पूछता है, इस सबका नतीजा क्या

होगा ? यह जवाब कि मीत होगी या जीत, उसे अपील नहीं करता..... इस बीच में वह विनीत और छोटा-सा व्यक्ति, अजेय शक्ति और अचल भ्रद्धा के मजबूत पैतानों पर सीधा खड़ा हुआ, अपने देश के लोगों को मातृभूमि के लिए अपनी कुर्बानी करने और तकलीफ सहने का अपना संदेश देता चला जा रहा है। लाखों लोगों के हृदयों में इस संदेश की प्रतिध्वनि आती है।.....”

उन्होंने स्विनबर्न की नीचे लिखी पंक्तिया देकर अपनी भूमिका खत्म की है:—

नहीं हमारे पास रहे क्या मानव ऊंचे नामी—

मानव, जोकि परिस्थितियों के हों शासक औ' स्वामी ! १

जाहिर है कि वह इस बात पर जोर देना चाहते थे कि वह गांधीजी की तारीफ़ इसलिए नहीं करते कि वह कोई साधु या महात्मा हैं, बल्कि इसलिए कि वह मनुष्य हैं। वह खुद मजबूत तथा कभी न झुकनेवाले थे, इसलिए गांधीजी की आत्म-शक्ति की तारीफ़ करते थे। क्योंकि यह साफ़ मालूम होता था कि दुबले-पतले शरीरवाले एक छोटे-से आदमी में इस्पात की-सी मजबूती भी है, कुछ चट्टान जैसी चीज़ है जो शारीरिक ताकतों के सामने नहीं झुकती, फिर चाहे ये ताकतें, कितनी ही बड़ी क्यों न हों, और यद्यपि उनकी शकल-सूरत, उनका नंगा शरीर, उनकी छोटी धोती, ऐसी न थी कि किसीपर बहुत धाक जमे, लेकिन उनमें कुछ शाहीपन और ऐसी बाद-शाहियत ज़रूर है जो दूसरों को खुशी-खुशी से उनका हुक्म बजा लाने को मजबूर कर देती है। यद्यपि वह जान-बूझकर नम्र और विनीत रहने की निश्चित कोशिश करते थे, फिर भी शक्ति व अधिकार उनमें लबालब भरे हुए थे और वह इस बात को जानते भी थे, और कभी-कभी तो वह ऐसे शाही हो जाते थे कि जो हुक्म निकालते वह पूरा ही करना पड़ता। उनकी शान्त लेकिन गहरी आँखें आदमी को जकड़ लेती और उसके दिल के भीतर तक की बातें खोज लेतीं। उनकी साफ़-सुथरी आवाज मीठी गूँज के साथ दिल के अन्दर घुसकर हमारे भावों को जगाकर अपनी तरफ़ खींच लेती। उनकी बात सुननेवाला चाहे एक शस्त्र हो या हज़ार हो, उनका चुम्बक का-सा आकर्षण उन्हें अपनी तरफ़ खींचे बिना नहीं रहता और हरेक सुननेवाला बोलनेवाले के साथ एक-सा हो जाने का अनुभव करता है। इस भाव का दिमाग़ से बहुत कम ताल्लुक होता था। गांधीजी दिमाग़ को अपील करने की बिलकुल उपेक्षा करते हों सो बात नहीं, फिर भी इतना निश्चित है कि दिमाग़ व

१. मूल पद्य इस प्रकार है :—

Have we not men with us Royal,
Men the masters of things ?....

लकं को दूसरा नम्बर मिलता था। मन्त्र-मुग्ध करने का यह जादू न तो वाग्मिता के बल से होता था और न रेशमी मुलायम वाक्धावली के मोहक प्रभाव से। उनकी भाषा हमेशा सरल होती थी, और साथ ही विषय से ताल्लुक रखनेवाली भी। गौर-जल्लरी शब्दों का इस्तमाल शायद ही कभी होता हो। महज उनकी सोलहों आने पूरी सच्चाई और उनका व्यक्तित्व ही दूसरों को जकड़ लेता है। उनसे मिलने पर यह खयाल जम जाता है कि उनके भीतर प्रचण्ड शक्ति का भंडार भरा हुआ है। शायद यह भी हो कि उनके चारों तरफ उनकी बाबत जो धारणायें बन गई हैं वे भी उचित आबोहवा पैदा करने में मदद देती हैं। हो सकता है कि कोई अजनबी आदमी, जिसे उन धारणाओं का पता न हो और गांधीजी के आसपास की हालतों से जिसका मेल न खाता हो, वह उनके जादू के असर में न आवे या इस हद तक न आवे; लेकिन फिर भी गांधीजी के बारे में सबसे ज्यादा कमाल की बात यही थी और यही है कि वह अपने मुखालिफों को या तो सोलहों आने अपनी तरफ कर लेते हैं या कम-से-कम उनको निःशस्त्र जल्लर कर देते हैं।

यद्यपि गांधीजी प्राकृतिक सौन्दर्य की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन मनुष्य की बनाई चीजों में वह कला या खूबसूरती नहीं देख सकते। उनके लिए ताजमहल जबर-दस्ती ली हुई बेगार की प्रतिमूर्ति के सिवा और कुछ नहीं। उनमें सूंघने की शक्ति भी बहुत कम है। फिर भी उन्होंने अपने तरीके से उन्हींमें जीवन-यापन की कला खोज निकाली है और अपनी ज़िन्दगी को कला-मय बना दिया है। उनका हरेक इशारा सार्थक और खूबी लिए हुए होता है, और खूबी यह है कि बनावट कानामो-निशान नहीं। उनमें न कहीं नुकीलापन है, न कटीलापन। उनमें उस गँवाएपन या साधारणपन का निशान तक नहीं जिसमें, दुर्भाग्य से, हमारे बीच के दर्जे के लोग डूबे रहते हैं। भोतरी शान्ति हासिल करके वह दूसरों को भी शान्ति देते हैं और ज़िन्दगी के कँटीले रास्ते पर मजबूत और निडर कदम रखते हुए चले जाते हैं।

मगर मेरे पिताजी गांधीजी से कितने भिन्न थे ! लेकिन उनमें भी व्यक्तित्व का बल था और बादशाहियत की मात्रा थी। स्विनबर्न की वे पंक्तियाँ उनके लिए भी लागू होती हैं। जिस किसी समाज में वह जा बैठते उसके केन्द्र और धुरीण वही बन जाते। जैसाकि एक अंग्रेज़ जज ने पीछे कहा था, वह जहाँ-कहीं भी जाकर बैठते वहीं मुखिया बन जाते। वह न तो नम् ही थे न मुलायम ही, और गांधीजी के उलटा, वह उन लोगों की खबर लिये बिना नहीं रहते थे जिनकी राय उनके खिलाफ़ होती थी। उन्हें इस बात का भान रहता था कि उनका मिजाज शाही है। वह अपने खिलाफ़ या तो पूरी भक्ति पैदा करते थे या कड़ा विरोध। उनसे

कोई शस्त्र उदासीन या तटस्थ नहीं रह सकता था। हरेक को या तो उन्हें पसन्द या नापसन्द करना पड़ता। चौड़ा ललाट, चुस्त होठ और सुनिश्चित ठोड़ी। इटली के अजायबघरों में रोमन शहंशाहों की जो अर्द्ध-मूर्तियाँ हैं उनसे उनकी शकल बहुत काफ़ी मिलती थी। इटली में बहुत-से मित्रों ने जो उनकी तस्वीर देखी तो उन्होंने भी इस मेल का जिक्र किया था। खास तौर पर उनकी ज़िन्दगी के पिछले सालों में जबकि उनका सिर सफ़ेद बालों से भर गया था, उनमें एक खास किस्म की शानो-शौकत और भव्यता आ गई थी जो इस दुनिया में आजकल बहुत ही कम दिखाई देती है। वह मेरी तरह न थे, उनके सिर के बाल अख़ीर तक बने रहे।

मैं समझता हूँ कि शायद मैं उनके साथ पक्षपात कर रहा हूँ, लेकिन इस ओछे-पन और कमजोरी से भरी हुई दुनिया में उनकी शरीफ़ाना हस्ती की रह-रहकर याद आती है। मैं अपने चारों तरफ़ उनकी सी अजीब ताकत और उनकी-सी शानो-शौकत को खोजता हूँ, लेकिन बेकार।

मुझे याद है कि १९२४ में मैंने गांधीजी को पिताजी का एक फोटो दिया था। इन दिनों गांधीजी की और स्वराजियों की रस्साकशी हो रही थी। इस फोटो में पिताजी के मूछें न थी और उस वक़्त तक गांधीजीने उन्हें हमेशा सुन्दर मूछों-सहित देखा था। इस फोटो को देखकर गांधीजी चौक गये और बहुत देर तक उसे देखते रहे, क्योंकि मूछे न रहने से मुँह व ठोड़ी की कठोरता और भी प्रकट हो गई थी, और कुछ सूखी-सी हंसी हसते हुए उन्होंने कहा कि अब मैंने यह जान लिया कि मुझे किसका मुकाबिला करना है। उनकी आँखों ने और निरन्तर हँसी ने चेहरे पर जो रेखायें बना दी थी उन्होंने चेहरे की कठोरता को कम कर दिया था फिर भी कभी-कभी आँखें चमक उठती थीं।

पिताजी असेम्बली के काम में उसी तरह तैरने लगे जैसे बतक पानी में। वह उनकी कानूनी और विधान-ज्ञान-सम्बन्धी तालीम के लिए मौजूँ था। सत्याग्रह तथा उसकी शाखाओं के खेल के नियम तो वह नहीं जानते थे, लेकिन इस खेल के नियम-उपनियमों से पूरी तरह वाकिफ़ थे। उन्होंने अपनी पार्टी में कठोर अनुशासन रक्खा और दूसरे दलों और व्यक्तियों को भी इस बात के लिए राजी कर लिया कि वे स्वराज-पार्टी की मदद करें। लेकिन जल्दी ही उन्हें अपने ही लोगों से मुसीबत का सामना करना पड़ा। स्वराज-पार्टी को अपने शुरू के दिनों में कांग्रेस में ही अ-परिवर्तनवादियों से लड़ना पड़ा था, और इसलिए कांग्रेस के भीतर पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए बहुतसे ऐसे-बैसे लोग भर्ती कर लिये गये थे। इसके बाद चुनाव हुआ, जिसके लिए रुपये की जरूरत थी। रुपये पैसेवालों से ही आ सकते थे, इसलिए इन

पैसेवालों को खुश रखना पड़ता था। उनमें से कुछ को तो स्वराजी उम्मीदवार होने के लिए भी कहा गया था। एक अमेरिकन साम्यवादी ने कहा है कि राजनीति वह नाजुक कला है जिसके जरिये गरीबों से वोट और अमीरों से चुनाव के लिए रुपये यह कहकर लिये जाते हैं कि हम तुम्हारी एक-दूसरे से रक्षा करेंगे !

इन सब बातों से पार्टी शुरू से ही कमजोर हो गई थी। कौंसिल और असेम्बली के काम में इस बात की रोज ही जरूरत पड़ती थी कि दूसरों से और ज्यादा माडरेट दलों के साथ समझौते किये जायें। और कोई भी उसूल या प्रचार की प्रचंड आकांक्षा इन समझौतों से सुरक्षित नहीं रह सकती थी। धीरे-धीरे पार्टी का मिजाज और उसका अनुशासन बिगड़ने लगा और उसके कमजोर तथा मौके से फायदा उठानेवाले मेम्बर मुश्किलें पैदा करने लगे। स्वराज-पार्टी खुल्लम-खुल्ला यह ऐलान करके कौंसिलों में गई थी कि हम "भीतर जाकर मुखालिफत करेंगे"। लेकिन इस खेल को तो दूसरे भी खेल सकते थे और सरकार ने स्वराजी मेम्बरों में फूट व विरोध पैदा करके इस खेल में अपना हाथ डालने की ठान ली। पार्टी के कमजोर भाइयों के रास्ते में तरह-तरह के तरीकों से खास रियायतों और ऊँचे ओहदों के लालच दिये जाने लगे। उन्हें सिर्फ इन चीजों में से जिसे वे चाहें उसे चुन लेना था। उनकी लियाकत, उनकी मीठी विवेकशीलता तथा उनकी राजनीति-चतुरता आदि गुणों की तारीफें होने लगीं। उनके चारों तरफ एक आनन्द-मय तथा सुखप्रद वातावरण पैदा कर दिया गया, जो खेतों व बाजार की धूल और शोरीगुल से बिलकुल जुदा था।

स्वराजिस्टों का आम लहजा नीचे गिर गया। कोई शख्स किसी सूबे में से तो कोई असेम्बली में से विरोधी पक्ष की तरफ खिसकने लगे। पिताजी बहुत चिल्लाये और गरजे। उन्होंने कहा, मैं मड़े हुए अंग को काट फेंकूंगा। लेकिन जब सड़ा हुआ अंग खुद ही शरीर छोड़कर चले जाने को उन्मुक हो तब इस धमकी का कोई बड़ा असर नहीं हो सकता था। कुछ स्वराजिस्ट मिनिस्टर हो गये और कुछ बाद को सूबों में कार्यकारिणी के मेम्बर। उनमें से कुछ ने अपना अलग दल बना लिया और अपना नाम रक्बा प्रति-सहयोगी। इस नाम को शुरू में लोकमान्य तिलक ने बिलकुल दूसरे मानी में इस्तैमाल किया था। इन दिनों में तो इसके मानी यही थे कि मौका मिलते ही जो ओहदा मिले उसे हड़प लो और उससे जितना फायदा उठा सकते हो उठाओ। इन लोगों के धोखा दे जाने पर भी स्वराज-पार्टी का काम चलता रहा। लेकिन घटना-चक्र ने जो शकल अख्तियार की उससे पिताजी व देशबंधु दास को कुछ हद तक नफरत हो गई। कौंसिलों और असेम्बली के अन्दर उन्हें अपना काम बेफायदा-सा मालूम होने लगा, जिसकी वजह से वे उससे ऊबने लगे। मानों उनकी

इस ऊब को बढ़ाने के लिए उत्तरी हिन्दुस्तान में हिन्दू-मुस्लिम झगड़ा बढ़ रहा था, जिसकी वजह से कभी-कभी दंगे भी हो जाते थे।

कुछ काँग्रेसी जो हमारे साथ १९२१ और २२ में जेल गये थे, अब सूबे की सरकारों में मिनिस्टर हो गये थे या दूसरे ऊँचे ओहदों पर पहुँच गये थे। १९२१ में हमें इस बात का फ़ख़ था कि हमें एक ऐसी सरकार ने गैर क़ानूनी करार दिया है और वही हमें जेल भेज रही है, जिसके कुछ सदस्य लिबरल थे जो पुराने काँग्रेसी भी थे। भविष्य में हमे यह तसल्ली और होने को थी कि कम-से-कम कुछ सूबों में हमारे अपने पुराने साथी ही हमें गैर-क़ानूनी करार देकर जेल में भेजेंगे। ये नये मिनिस्टर और कार्यकारिणी के मेम्बर इस काम के लिए लिबरलों से कहीं ज्यादा कुशल थे। वे हमें जानते थे, हमारी कमजोरियों को जानते थे, और यह भी जानते थे कि उनसे कैसे फायदा उठाया जाय। वे हमारे तरीकों से भली-भाँति वाकिफ़ थे तथा जन-समूहों और उनके मनोभावों का भी उन्हें कुछ तज़ुर्बा ज़रूर था। दूसरी तरफ़ जाने से पहले उन्होंने नाजियों की तरह क्रांतिकारी हलचल के साथ नाता जोड़ा था। और काँग्रेस के अपने पुराने साथियों का दमन करने में वे इन तरीकों से अनभिज्ञ पुराने हाकिमों या लिबरल मिनिस्ट्रों से कहीं ज्यादा क्षमतापूर्वक अपने इस ज्ञान का उपयोग कर सकते थे।

दिसम्बर १९२४ में काँग्रेस का जलसा बेलगाँव में हुआ और गांधीजी उसके समापति थे। उनके लिए काँग्रेस का सभापति होना तो एक भोण्डी-सी बात थी, क्योंकि वह तो बहुत असें से उसके स्थायी सभापति से भी बढ़कर थे। उनका सदर की हैसियत से दिया हुआ भाषण मुझे पसन्द नहीं आया। मुझे उसमें ज़रा भी स्फूर्ति नहीं मिली। जलसा खत्म होते ही, गांधीजी के कहने पर, मैं फिर अगले साल के लिए अ० भा० काँग्रेस कमिटी का कार्यकारी मंत्री चुन लिया गया। मेरी इच्छाओं के बावजूद धीरे-धीरे मैं काँग्रेस का अर्द्ध-स्थायी मंत्री बनता जा रहा था।

१९२५ की गर्मियों में पिताजी बीमार थे। उनका दमा बहुत ज्यादा तकलीफ़ दे रहा था। वह परिवार के साथ हिमालय में डलहौजी चले गये। बाद को कुछ असें के लिए मैं भी उन्हींके पास जा पहुँचा। हम लोगों ने हिमालय के भीतर डलहौजी से चम्बा तक का सफ़र किया। जब हम लोग चम्बा पहुँचे तब जून का कोई दिन था, और हम लोग पहाड़ी रास्तों पर सफ़र करके कुछ थक गये थे। इसी समय एक तार आया, उससे मालूम हुआ कि देशबन्धु मर गये। बहुत देर तक पिताजी शोक के भार से झुककर बैठे रहे, उनके मुँह से एक शब्द तक न निकला। यह आघात उनके लिए बहुत ही निर्दयता-पूर्ण था। मैंने उन्हें इतना दुःखी होते हुए कभी नहीं देखा था। वह

एक शरुस जो उनके लिए दूसरे सब लोगों से ज्यादा घनिष्ठ और प्यारा साथी हो गया था यकायक उन्हें छोड़ कर चला गया और सारा बोझ उनके कंधों पर छोड़ गया ! वह बोझा वैसे ही बढ़ रहा था, वह तथा देशबंधु दोनों ही उससे तथा लोगों की कमजोरियों से ऊब रहे थे । फरीदपुर-कान्फेन्स में देशबंधु ने जो अखीरी भाषण दिया वह एक थके हुए-से शरुस का भाषण था ।

हम दूसरे ही दिन सुबह चम्बा से चल दिये और पहाड़ों पर चलते-चलाते डलहौजी पहुँचे, वहाँ से कार द्वारा रेलवे स्टेशन पर, फिर इलाहाबाद और वहाँ से कलकत्ता ।

साम्प्रदायिकता का दौरा

नाभा-जेल से लौटने पर १९२३ की वसन्त-ऋतु में मैं बीमार पड़ गया। मियादी बुखार से मेरी यह कुस्ती मेरे लिए एक नया तजुर्बा था। मुझे शारीरिक कमजोरी से या बुखार से चारपाई पर पड़ा रहने या बीमार पड़ने की आदत न थी। मुझे अपनी तन्दुरुस्ती पर कुछ घमण्ड था और हिन्दुस्तान में आम तौर पर जो बीमार बने रहने का रिवाज-सा पड़ा हुआ था उसके मैं खिलाफ़ था। अपनी जवानी और अच्छे शरीर की वजह से मैंने बीमारी पर पार पा लिया, लेकिन संकट के टल जाने पर मुझे कमजोरी की हालत में चारपाई पर पड़े रहना पड़ा और अपनी तन्दुरुस्ती भी धीरे-धीरे हासिल करनी पड़ी। इन दिनों मैं अपने आस-पास की चीजों और अपने रोज़-मर्रा के कामों से अजीब विराग-सा महसूस करता था और उन्हें काफी दूरी से देखता रहता था। मुझे ऐसा मालूम पड़ता था कि जंगल में मैं पेड़ों की आड़ में से बाहर निकल आया हूँ और अब तमाम जंगल को अच्छी तरह देख सकता हूँ। मेरा दिमाग़ जितना साफ़ और ताक़तवर इन दिनों था उतना पहले कभी न था। मैं समझता हूँ कि यह तजुर्बा या इस तरह का कोई दूसरा तजुर्बा उन सब लोगों को हुआ होगा जिन्हें सख्त बीमारी में होकर गुज़रना पड़ा है। लेकिन मेरे लिए तो वह एक तरह का आध्यात्मिक अनुभव-सा हुआ। मैं आध्यात्मिक शब्द का इस्तेमाल उसके संकीर्ण धर्म के मानी में नहीं करता। इस तजुर्बे का मुझपर बहुत काफ़ी असर पड़ा। मैंने महसूस किया कि मैं अपनी राजनीति के भावुकता-मय वायुमण्डल से ऊपर उठ गया हूँ, और जिन ध्येयों तथा शक्तियों ने मुझे कार्य के लिए प्रेरित किया उन्हें ज्यादा स्पष्टता के साथ देख सकता हूँ। इस स्पष्टता के फल-स्वरूप मेरे दिल में तरह-तरह के तर्क-वितर्क उठने लगे, जिनका कोई माकूल जवाब नहीं मिलता था। लेकिन मैं जिन्दगी और राजनीति दोनों मामलों को मज़हबी निगाह से देखने के दिन-पर-दिन ज्यादा ही खिलाफ़ होता गया। मैं अपने उस तजुर्बे की बाबत ज्यादा नहीं लिख सकता। वह एक ऐसा खयाल था जिसे मैं आसानी से जाहिर नहीं कर सकता। यह बात ग्यारह वर्ष पहले हुई थी और अब तो उसकी मेरे मन पर बहुत ही हलकी छाप रह गई है। लेकिन इतनी बात मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे ऊपर और मेरे विचार करने के तरीके पर उसका टिकाऊ असर पड़ा और अगले दो या तीन साल मैंने अपना काम कुछ हद तक उसी विरक्त भाव से किया।

हाँ, बेशक कुछ हद तक तो यह बात उन घटनाओं की वजह से हुई जो बिल्कुल मेरी ताकत के बाहर थीं और जिनमें मैं फिट नहीं होता था। कुछ राजनैतिक परिवर्तनों का जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ। उससे भी ज्यादा असल बात थी हिन्दू-मुसलमानों के ताल्लुकात में दिन-पर-दिन ज्यादा बढ़नेवाली खराबी, जो खास तौर पर उत्तरी हिन्दुस्तान में अपना असर दिखा रही थी। बड़े-बड़े शहरों में कई दंगे हुए, जिनमें हद दर्जे की पशुता और क्रूरता दिखाई दी थी। शक और गुस्से की आबोहवा ने ऐसे नये-नये झगड़े पैदा कर दिये जिनके नाम भी हममें से ज्यादातर लोगों ने पहले कभी नहीं सुने थे। इससे पहले झगड़ा पैदा करनेवाली वजह थी गो-कुशी और वह भी खासकर बकरीद के दिन। हिन्दू और मुसलमानों के त्यौहारों के भिड़ जाने पर भी तनातनी हो जाती थी। मसलान्, जब मुहर्रम उन्ही दिनों आ पड़े जिनमें रामलीला होती थी तो झगड़े का अन्देशा हो जाता था। मुहर्रम पिछले रंज की याद दिलाता था जिससे रंज और आँसू पैदा होते थे। रामलीला खुशी का त्यौहार था जिसमें बुराई के ऊपर भलाई की विजय का उत्सव मनाया जाता था। दोनों एक-दूसरे से चस्पा नहीं हो सकते थे, लेकिन खुश-किस्मती से ये त्यौहार तीस साल में सिर्फ एक दफ़ा साथ-साथ पड़ते थे। रामलीला तो सौर मास के अनुसार नियत चैत बदी ९ को मनाई जाती है जब कि मुहर्रम चन्द्रमास के मुताबिक कभी इस महीने में और कभी उस महीने में मनाये जाते हैं।

लेकिन अब तो झगड़े का एक सबब ऐसा पैदा हो गया जो हमेशा मौजूद रहता था और हमेशा खड़ा हो सकता था। यह था मसजिदों के सामने बाजा बजाने का सवाल। नमाज के वक़्त बाजा बजाने या ज़रा भी आवाज़ आने पर मुसलमान ऐतराज करने लगे—कहते, इससे नमाज़ मे खलल पड़ता है। हर शहर में बहुत-सी मसजिदें हैं और उनमें हर रोज़ पाँच मर्तबा नमाज़ पढ़ी जाती है और शहरों में जलूसों की, जिनमें शादी वग़ैरा के जलूस भी शामिल हैं, तथा दूसरे शोरोगुल की कमी नहीं। इसलिए झगड़ा होने का अन्देशा हर वक़्त मौजूद रहता था। खास तौर पर जब मसजिदों में शाम को होनेवाली नमाज़ के वक़्त जलूस निकलते और बाजों का शोरगुल होता तब ऐतराज किया जाता था। इतिफ़ाक से यही वह वक़्त है जबकि हिन्दुओं के मन्दिर में शाम की पूजा यानी आरती होती है और शंख बजाये जाते हैं तथा मन्दिरों के धंटे बजते हैं। इसी आरती-नमाज़ के झगड़े ने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया।

यह बात अचभे की-सी मालूम होती है कि जो सवाल एक-दूसरे के जख़्बात का आपस में थोड़ा-सा ख़याल करके और उसके मुताबिक थोड़ा-सा इधर-उधर कर

देने से तय हो सकता है, उसकी वजह से इतना कड़वापन पैदा हो और दंगे हों; लेकिन मजहबी जोश तर्क, विचार या आपसी खयाल से कोई ताल्लुक नहीं रखता, और जब दोनों को क्राबू करनेवाली एक तीसरी पार्टी एक को दूसरे के खिलाफ भिड़ सकती है तब उस जोश को भड़काना बहुत ही आसान होता है ।

उत्तरी हिन्दुस्तान के थोड़े-से शहरों में होनेवाले इन दंगों को जरूरत से ज्यादा महत्व दे दिया जाता है; क्योंकि हिन्दुस्तान के ज्यादातर शहरों और सूबों में और तमाम गाँवों में हिन्दू-मुसलमान अमन के साथ रहते रहे थे; उनके ऊपर इन दंगों का कोई कहने लायक असर नहीं पड़ा । लेकिन अखबारों ने स्वभावतः ही मामूली-से-मामूली और टुच्चे-से-टुच्चे झगड़े को भी बहुत ज्यादा शोहरत दी । हाँ, यह बिल्कुल सच है कि शहरों के आम लोगों में भी फिरकेवाराना तनातनी और कटुता बढ़ती गई । चोटी के फिरकेवाराना लीडरों ने उसे और भी बढ़ाया और वह साम्प्रदायिक राजनैतिक माँगों की कड़ाई के रूप में जाहिर हुई । हिन्दू-मुसलिम झगड़े से मुसलमानों के दकियानूमी लीडर, जो राजनीति में प्रतिगामी दल के हैं और जो असहयोग के इतने बरसों में कानों में पीछे पड़े हुए थे, बाहर निकले और इस प्रक्रिया में सरकार ने उनकी मदद की । उनकी तरफ से रोज-ब-रोज नई-नई और पहले से ज्यादा दूर तक जानेवाली साम्प्रदायिक माँगें पेश होती जो हिन्दुस्तान की आजादी और कौमी एकता की जड़ को काटती थी । हिन्दुओं की तरफ भी जो लोग राजनीति में प्रतिगामी थे वे ही हिन्दुओं के साम्प्रदायिक नेता थे और हिन्दुओं के हकों की रखवाली करने के बहाने वे निमित्त-रूप से सरकार के हाथों की कठपुतली बन गये । उन्होंने जिन बातों पर जोर दिया उन्हें हासिल करने में उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली । जिन तरीकों से वे काम ले रहे थे उनसे वे लाख कोशिश करने पर भी काम-याब नहीं हो सकते थे । हाँ, उन्होंने मुल्क का फिरकेवाराना मिजाज बिगाड़ने में जरूर कामयाबी हासिल की ।

काँग्रेस बड़े असमंजस में पड़ गई । वह तो कौमी जज्बात की प्रतिनिधि-स्वरूप थी, उन्हींका उसे खयाल रहता था, इसलिए इस साम्प्रदायिक मनमुटाव का उसपर असर पड़ना लाजिमी था । कई काँग्रेसी राष्ट्रीयता की चादर ओढ़े हुए सम्प्रदायवादी साबित हुए । लेकिन काँग्रेस के नेता मजबूत बने रहे और कुल मिलाकर उन्होंने किसी की भी तरफदारी करने से साफ़ इन्कार कर दिया । हिन्दू-मुसलमानों के मामलों में ही नहीं बल्कि और फिरकों के मामलों में भी, क्योंकि अब तो सिख वगैरा कम तादाद वाली जातियाँ भी जोर-जोर से अपनी माँगें पेश कर रही थी । लाजिमी तौर पर इस बात का नतीजा यह हुआ कि दोनों तरफ के सिरे के लोग काँग्रेस की बुराई करने लगे ।

बहुत दिन पहले असहयोग के शुरू होते ही या उससे भी पहले गांधीजी ने हिन्दू-मुस्लिम मसले को हल करने की तदबीर बताई थी। उनका कहना था कि यह मसला तो तभी हल हो सकता है जब बड़ी जाति उदारता और सदभावना से काम ले। इसलिए वह मुसलमानों की हरेक माँग को पूरा करने को राजी थे। वह उनसे सौदा नहीं करना चाहते बल्कि उन्हें अपनी तरफ़ पूरी तरह मिला लेना चाहते हैं। चीजों की कीमतों को ठीक-ठीक कूतकर उन्होंने दूरदर्शिता के साथ जो असली काम की बात थी उसे पकड़ लिया। लेकिन दूसरे लोग, जो समझते थे कि वे हरेक चीज़ का बाज़ार-भाव जानते हैं लेकिन असल में किसी भी जिस की सही कीमत से वाकिफ़ न थे, बाज़ार के सौदा करने के तरीक़े से चिपके रहे। उन्हें वह खर्च तो साफ़-साफ़ दिखाई दिया जो असली जिस को खरीदने में देना पड़ रहा था, और उससे उन्हें दर्द भी होता था, लेकिन जिस जिस को वे शायद खरीद लेते उसकी असली कीमत की वे कुछ भी क़द्र नहीं कर सकते थे।

दूसरों की नुक़्ताचीनी करना और उनपर दोष मढ़ देना आसान है और अपनी तदबीरों की नाकामयाबी के लिए कोई-न-कोई बहाना ढूँढने के लिए तो दूसरों के सिर कसूर थोपने के लालच को रोकना प्रायः दुश्वार ही हो जाता है। हम कहते हैं—कसूर हमारे खयाल का या काम में किसी किसम की ग़लती का थोड़े ही था, वह तो दूसरे लोगो ने जान-बूझकर जो रोड़े अटकाये उनका था। हमने सरकार को और फिरकेवाराना लीडरों को दोष दिया। फिरकेवाराना लीडरों ने हमारा कसूर बताया। इसमें कोई शक़ नहीं कि हम लोगों के रास्ते में सरकार तथा उसके साथियों ने अड़चनें डालीं, और जान-बूझकर लगातार रोड़े अटकाये। इसमें कोई शक़ नहीं कि ब्रिटिश सरकार ने क्या पहले से और क्या अब अपनी कार्य-नीति का आधार हम लोगों में फूट पैदा करने पर ही रक्खा है। फूट डालकर राज्य करो, यह हमेशा से साम्राज्यों का तरीक़ा रहा है, और उनकी इस नीति की कामयाबी की मात्रा से, जिन लोगों का वे उससे शोषण करते हैं उनके ऊपर, शासको की उच्चता की मात्रा साबित होती है। हमें इस बात की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। कम-से-कम हमें उसपर कोई अचम्भा नहीं होना चाहिए। उसकी उपेक्षा करनी या पहले से ही उसका इन्तज़ाम न कर लेना, खुद हमारे विचारों की ही एक ग़लती है।

लेकिन हम उसका भी क्या इन्तज़ाम करें? यह तो तय है कि दूकानदारों की तरह से सौदा करने और आम तौर पर उन्हीकी चालों से काम लेने से कुछ फायदा नहीं हो सकता; क्योंकि हम कितना भी क्यों न दें, हमारी बोली कितनी भी ज्यादा क्यों न हो, एक ऐसा तीसरा दल हमेशा मौजूद है जो हमसे ज्यादा बोली बोल

सकता है और इससे भी ज्यादा यह कि वह जो कुछ कहता है उसे पूरा कर सकता है। अगर हम लोगों में कोई एक राष्ट्रीय या सामाजिक दृष्टिकोण नहीं है तो हम अपने समान बैरी पर सब मिलकर एकसाथ चढ़ाई नहीं कर सकते। अगर हम मौजूदा राजनैतिक और आर्थिक ढाँचे की भाषा में ही सोचें और तय करें कि उसी में सिर्फ इतना ही इधर-उधर कुछ हेर-फेर कर लेंगे, उसका सुधार या 'भारतीय करण' कर लेंगे, तो फिर संयुक्त प्रहार के लिए असली प्रलोभन का अभाव ही रहेगा। क्योंकि उस हालत में हमारा मकसद जो कुछ पल्ले पड़े उसके बटवारे का रह जाता है, जिसमें तीसरी और हमपर क्राबू रखने वाली पार्टियाँ या शक्ति का लाजिमी तौर पर बोलबाला रहता है और वही जिसे इनाम देना पसन्द करती है उसको जो इनाम चाहती है देती है। हाँ, लेकिन एक बिलकुल दूसरे ढंग के राजनैतिक ढाँचे की बात सोचने पर और इससे भी ज्यादा बिलकुल दूसरे सामाजिक ढाँचे की बात सोचकर ही हम संयुक्त उपाय की मजबूत नींव डाल सकते हैं। हमारी आजादी की माँग की तह में जो खयाल काम कर रहा था वह यह था कि हम लोगो को यह महसूस करा दें कि हम मौजूदा व्यवस्था का वह हिन्दुस्तानी संस्करण नहीं चाहते, जिसमें परदे के पीछे ब्रिटेन का ही नियन्त्रण रहे, और 'डोमिनियन स्टेट्स' के मानी यही है। लेकिन हम लोग तो बिलकुल ही दूसरी किस्म के राजनैतिक ढाँचे के लिए लड़ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि राजनैतिक स्वाधीनता के मानी तो राजनैतिक आजादी ही थे। उसमें आम लोगों के लिए कोई आर्थिक या सामाजिक रद्दोबदल शामिल न थी, लेकिन उसके यह मानी जरूर थे कि रुपये-पैसे-सम्बन्धी आर्थिक जंजीरें, जो हमें लन्दन शहर से जकड़े हुए हैं, दूर हो जायँगी और उनके दूर हो जाने पर हमारे लिए सामाजिक ढाँचे को बदलना बहुत आसान हो जायगा। उन दिनों में ऐसा सोचता था। अब मैं इसमें इतना और बढ़ा देना चाहता हूँ कि मेरे खयाल में राजनैतिक आजादी भी हमें अकेली नहीं मिलेगी, जब वह हमें हासिल होगी तब वह अपने साथ बहुत-कुछ सामाजिक आजादी को भी लेती आवेगी। लेकिन हमारे करीब-करीब सभी नेता मौजूदा राजनैतिक और, बिलाशक, सामाजिक ढाँचे के फौलादी चौखटे के तंग दायरों में ही सोचते रहे। साम्प्रदायिक या स्वराज्य-सम्बन्धी हरेक मसले का सामना करते समय उनके पीछे यही खयाल होता था। इसीसे वे लाजिमी तौर पर ब्रिटिश सरकार से मात खाते रहे। क्योंकि उस ढाँचे पर तो उस सरकार का पूरा-पूरा क्राबू था। लेकिन वे इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते थे। क्योंकि सीधी लड़ाई का प्रयोग करने के बावजूद अभी भी उनका तमाम दृष्टिकोण क्रान्तिकारी न होकर मुख्यतः सुधारवादी था, और वह समय

बहुत पहले चला गया जब हिन्दुस्तान में कोई भी राजनैतिक या आर्थिक या फिरके-वाराना मसला सुधारवादी तरीकों में सन्तोष-जनक रूप से हज़म हो सकता था। हालात की माँग थी कि क्रान्तिकारी दृष्टिकोण से, योजना निर्माण करके, क्रान्तिकारी उपाय किया जाय। लेकिन नेताओं में ऐसा कोई न था जो इन माँगों को पूरा करता।

इसमें कोई शक नहीं कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में स्पष्ट आदर्शों और ध्येयों की कमी ने साम्प्रदायिक ज़हर को फैलाने में मदद दी। जनता को स्वराज्य की लड़ाई का उनकी रोज़मर्रा की तकलीफ़ों से कोई ताल्लुक दिखाई नहीं दिया। वे कभी-कभी अपनी सहज-बुद्धि से प्रेरित होकर खूब लड़े। लेकिन वह हथियार इतना कमज़ोर था कि उसे आसानी से कुण्ठित किया जा सकता था और दूसरी तरफ़ दूसरे कामों के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता था। उसके पीछे कोई तर्क तथा विवेक न था और प्रतिक्रिया के समय में फिरकेवाराना लीडरों को इस काम में कोई मुश्किल नहीं पड़ती थी कि वे इसी जज़बे को मज़हब के नाम पर उभाड़कर उसका इस्तेमाल करे। ताहम यह बात बड़ी अचम्भे की है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों में बुर्जुआ यानी मध्यम श्रेणी के लोगों को मज़हब के नाम पर उन प्रोग्रामों और माँगों के लिए भी जनता की हमदर्दी काफ़ी हद तक मिल गई, जिनका जनता से ही नहीं, निचली मध्यम श्रेणी के लोगों से भी कोई ताल्लुक न था। हरेक फिरकेवाराना जमात जनता से ही जो भी फिरकेवाराना माँग पेश करती है उसकी जाँच किये जाने पर अख़ीर में यही मालूम होता है कि वह माँग नौकरियों की माँग है और ये नौकरियाँ तो मध्यम श्रेणी के मुट्ठी-भर ऊपर के लोगों को ही मिल सकती हैं। बेशक, यह माँग भी की जाती है कि कौंसिलों में, जोकि राजनैतिक ताक़त का मुकाम है, स्पेशल और ज्यादा जगहें दी जायें, मगर इस माँग का भी यही मतलब है कि इससे खासकर दूसरों से बड़े बनकर उन्हें अपनाने की सत्ता मिलेगी। इन छोटी सियासी माँगों से ज्यादा-से-ज्यादा मध्यम श्रेणी के ऊपरी तह के थोड़े-से लोगों को कुछ फ़ायदा पहुँचता था। लेकिन उनसे अक्सर राष्ट्रीय उन्नति और एकता के रास्ते में नई अड़चने पैदा होती थी। फिर भी बड़ी चालाकी के साथ इन माँगों को अपने मज़हबी फिरके के आम लोगों की माँग के रूप में दिखाया जाता था। असल में उनका नंगापन छिपाने के लिए उनपर मज़हबी जोश की चादर लपेट दी जाती थी।

इस तरह जो लोग राजनीति में प्रतिगामी थे वे ही साम्प्रदायिक नेताओं का रूप धरकर राजनैतिक मैदान में आये और उन्होंने जो बहुत-सी कार्रवाइयाँ कीं वे असल में जातिगत पक्षपात से प्रेरित होकर उतनी नहीं की जितनी राजनैतिक तरक्की को रोकने के लिए कीं। राजनैतिक मामलों में उनसे हमें हमेशा मुखालफ़त की ही

उम्मीद थी, लेकिन फिर भी उस बुरी हालत का यह खासतौर पर दर्दनाक पहलू था कि लोग स्वराज के विरोध में इस हद तक जा सकते हैं। मुस्लिम फिरकेवाराना लीडरों ने तो सबसे ज्यादा विचित्र और आश्चर्यजनक बातें कहीं और की। ऐसा मालूम होता था कि हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता की, उसकी आजादी की, उन्हें जरा भी परवाह नहीं है। हिन्दुओं के साम्प्रदायिक नेता यद्यपि जाहिरा तौर पर राष्ट्रीयता के नाम पर बोलते थे लेकिन असल में उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं था। चूँकि वे कोई असली उपाय नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सरकार की खुशामद करके उसे राजी करने की कोशिश की, लेकिन वह भी बेकार गई। हिन्दू-मुसलमान दोनों के नेता साम्यवाद या ऐसी ही "सत्यानासी" हलचलों की बुराई करते थे। स्थापित स्वार्थों के हकों में खलल डालने वाली हर तजवीज के मामले में इनकी एक राय देखते बनती थी। मुसलमानों के फिरकेवाराना नेताओं ने ऐसी बहुत-सी बातें कही और बहुत-सी हरकतें कीं जिनसे राजनैतिक और आधिक स्वाधीनता को नुकसान पहुँचता था। लेकिन व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में उनका व्यवहार पब्लिक और सरकार के सामने कुछ थोड़ी-बहुत गौरव लिये हुए होता था। लेकिन हिन्दू साम्प्रदायिक नेताओं की बावत यह बात नहीं कही जा सकती।

काँग्रेस में बहुत-से मुसलमान थे। उनकी तादाद बहुत बड़ी थी, जिनमें बहुत-से काबिल शरूस भी थे। इतना ही नहीं, हिन्दुस्तान के सबसे ज्यादा मशहूर और सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुसलमान नेता काँग्रेस में शामिल थे। उनमें से बहुत-से काँग्रेसी मुसलमानों ने नैशनलिस्ट मुस्लिम पार्टी नाम का एक दल बनाया और उन्होंने फिरकेवाराना मुसलमान नेताओं का मुकाबिला किया। शुरू में तो उन्हें इस काम में कामयाबी भी मिली, और ऐसा मालूम पड़ता था कि पढ़े-लिखे मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा उनके साथ था, लेकिन ये सब-के-सब मध्यम वर्ग की ऊपरी श्रेणी के लोगों में से थे और उनमें कोई ऐसा प्रचण्ड व्यक्तित्व न था। वे अपने-अपने काम-धंधों में लग गये और आम लोगों से उनका सम्बन्ध हट गया ! बल्कि सच तो यह है कि वे लोग अपनी कौम के आम लोगों के पास कभी गये ही नहीं। उनका तरीका अच्छे-अच्छे कमरों में बैठकर मीटिंगें करके आपसमें राजीनामा कर लेने और पैकट करने का तरीका था और इस खेल में उसके रक़ीब यानी फिरकेवाराना नेता उनसे कहीं ज्यादा होशियार थे। इन फिरकेवाराना नेताओं ने नैशनलिस्ट मुसलमानों को धीरे-धीरे एक स्थिति से हटाकर दूसरी स्थिति पर लगाया और इसी तरह एक-के-बाद-एक स्थिति से वे उन्हें हटाते गये और जिन उसूलों के लिए वे शुरू में अड़े थे उनको वे इन से एक-एक करके छुड़वाते गये। नैशनलिस्ट मुसलमान हमेशा, कभी पीछे न ज्यादा

हटना पड़े इस डर से, खुद-ब-खुद कुछ पीछे हटते गये और 'कम बुराई' को चुनने की नीति को अख्यार करके अपनी हालत मजबूत करने की कौशिश करते रहे। लेकिन इस नीति का नतीजा हमेशा यही हुआ कि उन्हें हमेशा पीछे हटना पड़ा और हमेशा 'कम बुराई' के बाद उससे ज्यादा बुरी दूसरी 'कम बुराई' मंजूर करनी पड़ी। फल-स्वरूप ऐसा वक्त आ गया कि उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं रह गई जिसे वे अपनी कह सकते। उनके आधारभूत सिद्धान्तों में भी एक के सिवा और कोई बाकी नहीं रहा। यह एक उसूल हमेशा से उनकी जमात का लंगर रहा है और वह है शामिलता चुनाव। लेकिन 'कम बुराई' को चुनने की नीति ने फिर उनके सामने यही घातक चुनाव पेश कर दिया और उस अग्नि-परीक्षा से तो बच आये लेकिन अपना लंगर वहीं छोड़ गये। इसलिए आज उनकी यह हालत है कि जिन उसूलों या अमल की बुनियाद पर उन्होंने अपनी जमात बनाई थी उन सबको वे खो बैठे। इन्ही उसूलों और अमल को उन्होंने पहले बड़े फ़ख़ के साथ अपने जहाज के मस्तूल पर लगाया था, लेकिन अब उनमें से उनके पास उनके नाम के सिवा और कुछ नहीं रहा।

शरूमी हैसियत से तो ये लोग, बिला शक, अब भी काँग्रेस के अहम नेताओं में से है, लेकिन जमात की हैसियत से नेशनलिस्ट मुसलमानों के गिरने और मिटने की कहानी बहुत ही दयनीय है। इसमें बहुत बरस लगे और उस कहानी का अखीरी अध्याय पिछले साल, १९३४ में, ही लिखा गया है। १९२३ में और उसके बाद उनकी जमात बहुत मजबूत थी और वे फिरकेवाराना लोगों के मुकाबले में लड़ाकू ढंग भी अख्यार किया करते थे, और सच बात तो यह है कि कई मौकों पर गांधीजी तो सम्प्रदायवादी मुसलमानों की कुछ माँगों को सख्त नापसन्द करते हुए भी पूरा करने को तैयार हो जाते थे लेकिन उनके साथी नेशनलिस्ट मुसलमान नेता गांधीजी को ऐसा करने से रोकते और उन माँगों की मुखालफ़त बड़ी सख्ती के साथ करते थे।

१९२० से लेकर १९२९ तक के बीच के सालों में आपस में बात-चीत और बहस-मुबाहिसा करके हिन्दू-मुस्लिम मसलों को हल करने की कई कोशिशें की गईं। ये कोशिशें एकता-सम्मेलनों के नाम से मशहूर हैं। इन सम्मेलनों में सबसे ज्यादा मशहूर वह था जो १९२४ में मौलाना मुहम्मदअली ने काँग्रेस के सदर की हैसियत से बुलाया और जो गांधीजी के इक्कीस दिन के अनशन की छाया में दिल्ली में हुआ। इन सम्मेलनों में बहुत-से भले और सच्चे आदमी शरीक हुए थे और उन्होंने समझौता करने की बहुत सख्त कोशिश की, कुछ अच्छे व भले प्रस्ताव भी पास किये गये, लेकिन असली मसला हल हुए बिना ही रह गया। ये सम्मेलन उस मसले को हल कर ही नहीं सकते थे; क्योंकि समझौता बहुमत से नहीं हो सकता था। वह तो

वास्तविक एक-राय से ही तय हो सकता है और किसी-न-किसी दल के ऐसे कट्टर लोग हमेशा मौजूद रहते थे जो समझते थे कि समझौता तभी हो सकता है जब सब लोग सोलहों आने हमारी बात मान लें। सचमुच कभी-कभी तो यह शक होने लगता था कि कुछ नामी-नामी फिरकेवाराना नेता वाकई निपटारा चाहते भी हैं या नहीं? उनमें से बहुत-से राजनैतिक मामलों में प्रतिगामी थे और उनमें तथा उन लोगों में जो राजनीति में काया-पलट चाहते थे, कोई भी बात सामान्य न थी।

लेकिन असली मुश्किलें तो ज्यादा गहरीं थी और वे महज शस्त्रों की खराबी की वजह से ही नहीं थी! अब तो सिक्ख भी अपने फिरके की मांगें जोर-जोर से मांगने लगे थे, जिसकी वजह से पंजाब में भी एक तैरामामूली और विकट तिकोना खिचाव पैदा हो गया था। सचमुच पंजाब ही तमाम मामले की जड़ बन गया और वहाँ हरेक फिरके में दूसरे के डर की वजह से जोश और दुर्भाव का वायु-मण्डल बन गया। कुछ सूबों में किसान और ज़मींदारों के व बंगाल में हिन्दू-ज़मींदार और मुसलमान-किसानों के किस्से फिरकेवाराना बुरके में सामने आये। पंजाब और सिंध में साहूकार और रुपयेवाले लोग आम तौर पर हिन्दू हैं और कर्ज से दबे हुए लोग मुसलमान खेती-हर। वहाँ कर्ज से दबे हुए लोगों में उनकी जान के ग्राहक बोहरों के खिलाफ़ जो भाव होते हैं उन तमाम भावों ने साम्प्रदायिक लहर को बढ़ाया। आम तौर पर मुसलमान गरीब थे और मुसलमानों के फिरकेवाराना लीडरों ने गरीबों में अमीरों के खिलाफ़ जो बुरे भाव होते हैं उसका इस्तेमाल अपने साम्प्रदायिक हेतुओं के लिए किया। यद्यपि आश्चर्य की बात तो यह है कि इन हेतुओं से गरीबों की भलाई का कतई कोई ताल्लुक न था, लेकिन इसकी वजह से फिरकेवाराना मुसलमान लीडर कुछ हद तक जरूर आम लोगों के प्रतिनिधि थे और इसकी वजह से उन्हें ताकत भी मिली। आर्थिक दृष्टि से हिन्दुओं के साम्प्रदायिक नेता अमीर साहूकारों और पेशेवर लोगों के प्रतिनिधि थे—इसलिए हिन्दू जन-साधारण में उनकी पीठ पर कोई न था, यद्यपि कुछ मौकों पर जन-साधारण की सहानुभूति उन्हें मिल जाती थी।

इसलिए यह मसला कुछ हद तक आर्थिक फिरकाबन्दी के मसलों में हिलता-मिलता जा रहा है, हालाँकि रंज की बात तो यह है कि लोगों ने अभी इस बात को महसूस नहीं किया। हो सकता है कि यह बात बढकर स्पष्ट रूप से आर्थिक वर्गों के झगड़ों की शकल अस्त्यार करले, लेकिन अगर वह वक़्त आया तो आजकल के फिरकेवाराना लीडर, जो फिरके के अमीरों के प्रतिनिधि हैं, दौड़कर अपने भेद-भाव को मिटा देंगे जिससे कि वे मिलकर अपने वर्ग के बैरी का मुकाबला कर सकें। यो तो जुदा हालतों में भी इन जातिगत झगड़ों को निपटाकर राजनैतिक एकता कर लेना उतना मुश्किल

न होना चाहिए, बशर्तें—लेकिन बहुत बड़ी शर्त है—कि तीसरी पार्टी न मौजूद हो।

दिल्ली का 'एकता-सम्मेलन' मुश्किल से खत्म हो पाया था कि इलाहाबाद में हिन्दू-मुसलमानों में दंगा हो गया। यों और दंगो को देखते हुए, यह दंगा कोई बड़ा दंगा न था, क्योंकि उसमें हताहतों की तादाद बहुत न थी, लेकिन अपने घर के शहर में इस तरह के दंगे के होने से मुझे रंज जरूर होता था। मैं दूसरे लोगों के साथ इलाहाबाद दौड़ पड़ा। लेकिन यहाँ पहुँचते-पहुँचते मालूम हुआ कि दंगा खत्म हो गया। हाँ, उसके फल-स्वरूप जो आपसी बैर-भाव बढ़ा और मुकदमेबाजी चली वह बहुत दिनों तक बनी रही। मैं यह भूल गया हूँ कि यह झगड़ा क्यों हुआ? उस साल या शायद उसके बाद इलाहाबाद में रामलीला के उत्सव के सिलसिले में ही कुछ टप्पा हो गया था। रामलीला के उत्सव में बड़े भारी-भारी जुलूस भी निकला करते थे—लेकिन चूँकि मसजिदों के सामने बाजा बजाने में कुछ बन्धन लगा दिये गये, उसके विरोध-स्वरूप, लोगों ने रामलीला मनाना ही छोड़ दिया। करीब-करीब आठ वर्ष से इलाहाबाद में रामलीला नहीं हुई है। यह त्यौहार इलाहाबाद जिले के लाखों लोगों के लिए साल-भर में सबसे बड़ा त्यौहार था। लेकिन अब वहाँ उसकी दुःखद याद-भर रह गई है। बचपन में जब मैं रामलीला देखने जाया करता था तबकी याद मुझे अच्छी तरह बनी हुई है। उसको देखकर हम लोगों को कितनी खुशी, कितना जोश होता था और जिले-भर से तथा दूसरे कसबों से लोगों की भारी भीड़ें उसे देखने को आती थी। त्यौहार हिन्दुओं का था, लेकिन वह खुलेआम मनाया जाता था इसलिए मुसलमान भी उसे देखने के लिए भीड़ में शामिल हो जाते थे और चारों तरफ़ सब लोग खूब खुशियाँ मनाते और मौज करते थे। व्यापार चमक उठता था। इसके बहुत दिनों बाद बड़ा हो जाने पर जब मैं रामलीला देखने गया तो मुझे कोई जोश न आया तथा जुलूस और स्वींगों से मेरा जी ऊब गया। कला और आमोद-प्रमोद के बारे में मेरी रुचि का माप-दंड ऊँचा हो गया था। लेकिन उस वक्त भी मैंने यह देखा कि आदमियों की भारी भीड़ उसको देख-देखकर बहुत खुश होती थी और उसे पसन्द करती थी। उनके लिए तो वह वक्त मौज करने का वक्त था, और अब आठ या नौ बरसों से इलाहाबाद के बच्चों को—बच्चों को ही क्यों, बड़े लोगों को भी—उस उत्सव को देखने का कोई मौका नहीं मिलता। उनकी जिन्दगी में रोजमर्रा के नीरस काम से खुशी के जोश का जो एक उज्ज्वल दिन साल में उन्हें मिल जाया करता था वह भी न रहा, और यह सब बिलकुल नाश्चीज़ बेकार के झगड़े-टप्टों की वजह से। बेशक मजहब और मजहब की स्पिरिट को ऐसी बहुतसी बातों के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। ओफ़, वे कितने आनन्द-नाशक साबित हुए हैं !

म्युनिसिपैलिटी का काम

दो साल तक मैं इलाहाबाद-म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन की हैसियत से काम करता रहा। लेकिन रोज-ब-रोज इस काम से मेरी तबीयत उचटती-सी जाती थी। मेरी चेयरमैनी की मियाद कायदे से दो-तीन साल की थी, लेकिन दूसरा साल अच्छी तरह शुरू ही हुआ था कि मैंने उस जिम्मेदारी से अपना पिण्ड छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दी। मैं उस काम को पसन्द करता था और उसमें मैंने अपना काफी वक्त और काफी ध्यान लगाया था। कुछ हद तक उसमें मुझे कामयाबी भी मिली और अपने साथियों का भी सद्भाव मैंने प्राप्त किया था। सूबे की सरकार ने भी मेरे म्युनिसिपैलिटी-सम्बन्धी कुछ कामों को इतना पसन्द किया कि उसने मेरे राजनैतिक कामों की वजह से अपनी नाराजगी को भूलकर उनकी तारीफ की। लेकिन फिर भी मैं यह पाता था कि मैं चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ और कोई वाकई कहने लायक काम करने से मुझे रोका जाता है तथा मेरे रास्ते में अड़चनें डाली जाती हैं।

इसके मानी यह नहीं है कि कोई साहब जान-बूझकर मेरे काम में अड़ने लगाते थे, बल्कि सच बात तो यह है कि लोगों ने राजी-खुशी से मुझे जितना सहयोग दिया वह आश्चर्यजनक था। लेकिन एक तरफ सरकारी मशीन थी और दूसरी तरफ म्युनिसिपैलिटी के मेम्बरो और पब्लिक की उदासीनता थी। सरकार ने म्युनिसिपैलिटी के शासन का फौलादी चौखटे में जैसा ढाँचा बनाया वह आमूल परिवर्तन या नवीन सुधारों को रोकने वाला था। राजस्व-सम्बन्धी नीति ऐसी थी कि म्युनिसिपैलिटी को ~~होने~~ सरकार के भरोसे रहना पड़ता था। मौजूदा म्युनिसिपल कानूनो के मुताबिक सामाजिक विकास की और टैक्स लगाने सम्बन्धी कायापलट करने वाली योजनाओं की इजाजत न थी। जो योजनायें कानून के मुताबिक की जा सकती थी उनपर अमल करने के लिए भी सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती थी, और उस स्वीकृति को वही लोग माँग सकते थे तथा वही उसकी राह देख सकते थे जो बड़े आशावादी हों और जिनके सामने बहुत बड़ी जिन्दगी पड़ी हो। मुझे यह देखकर हैरत हुई कि जब कोई सामाजिक पुनर्रसंघटन का या राष्ट्र-निर्माण का मामला आ पड़ता है तब सरकारी मशीन कितनी धीरे-धीरे, मार-मारकर और ढील-पील के साथ चलती है, लेकिन जब किसी राजनैतिक मुखालिफ को दबाना हो या गिराना हो तब जरा भी ढील और गलती नहीं रहती। इन दोनों कामों में सरकार के रुख की दुर्भात देखने लायक होती थी।

स्थानीय स्वराज्य से ताल्लुक रखने वाली सूबे की सरकार के महकमे मिनिस्टर के मातहत होते हैं, लेकिन आम तौर पर ये मिनिस्टर देवता म्युनिसिपैलिटी के मामलों में ही नहीं बल्कि पब्लिक मामलों में भी बिलकुल कोरे थे। सच बात तो यह है कि उनको कोई पूछता ही न था। खुद उनके महकमे के कारकुन ही उनका कोई खयाल नहीं करते थे। उसे तो इंडियन सिविल सर्विस के स्थायी हाकिम चलाते थे और इन हाकिमों पर हिन्दुस्तान के ऊँचे हाकिमों की इस प्रचलित धारणा का बहुत असर था कि सरकार का काम तो खास तौर पर पुलिस का यानी अमन-चैन रखने का काम है। अधिकारी-पन और माँ-बाप-पन के थोड़े-से खयाल ने भी इस धारणा पर कुछ हद तक असर डाला था। लेकिन बड़े पैमाने पर सामाजिक सेवा के कार्यों की जरूरत को कोई भी महसूस नहीं करता था।

म्युनिसिपैलिटियाँ हमेशा ही सरकार के कर्ज से दबी रहती हैं और इसलिए पुलिस की निगाह के अलावा सरकार जिस दूसरी निगाह से म्युनिसिपैलिटी को देखती है वह है कर्ज देने वाले बांधरे की निगाह। आया कर्ज की किस्तें वायदे पर अदा हो रही हैं? आया म्युनिसिपैलिटी कर्ज अदा करने की ताकत भी रखती है? उसके पास काफ़ी रोकड़-बाकी है या नहीं? ये सब सवाल जरूरी और माकूल हैं, लेकिन अक्सर यह बात भुला दी जाती है कि म्युनिसिपैलिटी को कुछ खास काम भी करने हैं—जैसे तालीम, सफाई वगैरा, और वह महज एक ऐसी अजुमन नहीं है जिसका काम रुपये कर्ज लेकर उन्हें तयशुदा मियादों पर अदा करते रहना हो। हिन्दुस्तान की म्युनिसिपैलिटियाँ शहर की भलाई के लिए जो काम करती हैं वे वैसे ही बहुत कम हैं, लेकिन वे थोड़े-से काम भी रुपये की तंगी होते ही फौरन कम कर दिये जाते हैं और आम तौर पर सबसे पहले यह बला शिक्षा के ऊपर पड़ती है। म्युनिसिपैलिटी के मदरसों में हाकिम लोगों की कोई जाती दिलचस्पी नहीं, उनके बाल-बच्चे तो उन बिलकुल अप-टू-डेट और खर्चीले प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं जिन्हें अक्सर सरकार से ग्राण्ट मिलती है।

ज्यादातर हिन्दुस्तानी शहरों को दो हिस्सों में बाटा जा सकता है। एक तो घना बसा हुआ खास शहर, दूसरा लम्बा-चौड़ा फैला हुआ बंगले-बंगलियों का रकबा। इन हरेक बगलों में काफ़ी बड़ा अहाता या बाग भी होते हैं। इस रकबे को अप्रेज़ आम तौर पर 'सिविल लाइन' कहकर पुकारते हैं। अप्रेज़ अफ़सर और ध्यापारी तथा ऊपरी मध्यम श्रेणी के पेशेवर और हाकिमों के दर्जे के हिन्दुस्तानी इन्हीं सिविल-लाइनों में रहते हैं। म्युनिसिपैलिटी की आमदनी ज्यादातर शहर खास से होती है न कि सिविल-लाइन से। लेकिन म्युनिसिपैलिटियाँ खर्च जितना शहर खास पर करती हैं उससे कहीं

ज्यादा सिविल-लाइनों पर करती हैं; क्योंकि सिविल-लाइनों के कहीं बड़े रकबे में ज्यादा सड़कों की ज़रूरत होती है। इन सड़कों की सफ़ाई और उनपर छिड़काव कराना होता है। उनपर रोशनी का इन्तज़ाम करना होता है तथा उनकी मरम्मत भी करानी पड़ती है। इसी तरह उनमें नालियों का, पानी पहुँचाने का और सफ़ाई का इन्तज़ाम भी ज्यादा जगह में करना होता है। मगर शहर खास की हमेशा बुरी तरह से लापरवाही की जाती है और, बिला शक, शहर के गरीबों की गलियों की तो अक्सर कोई परवाह ही नहीं की जाती। शहर खास में अच्छी सड़कें तो बहुत ही कम होती हैं और उसकी तंग गलियों में रोशनी का इन्तज़ाम ज्यादातर बहुत नाकाफ़ी होता है। उसमें नालियो और सफ़ाई का भी काफी माकूल इन्तज़ाम नहीं होता। शहर खास के लोग बेचारे धीरज के साथ इन सब बातों को बरदाश्त कर लेते हैं। कभी कोई शिकायत नहीं करते, और जब वे शिकायत करते हैं तब भी ऐसा कोई नतीजा नहीं निकलता, क्योंकि करीब-करीब सभी बड़े और छोटे-छोटे शोर मचानेवाले लोग तो सिविल-लाइनों में ही रहते हैं।

टैक्स के बोझ को कुछ दिन तक गरीबों और अमीरों पर बराबर-बराबर डालने के लिए और कुछ सुधारों के कुछ काम करने के लिए मैं ज़मीनों की कीमत के आधार पर टैक्स लगाना चाहता था। लेकिन ज्योही मैंने यह तजवीज पेश की त्योंही एक सरकारी अफसर ने उसकी मुखालफ़त की। मैं समझता हूँ कि वह अफसर ज़िला मजिस्ट्रेट था जिसने यह कहा कि ऐसा करना ज़मीन के कब्जे के बारे में जो बहुत-सी शर्तें व क़ानून हैं उनके खिलाफ पड़ेगा। जाहिर है कि ऐसा टैक्स सिविल-लाइन के बंगलों में रहनेवालों को ज्यादा देना पड़ता। लेकिन सरकार उस चुग़ी को बहुत पसन्द करती है जिससे व्यापार कुचला जाता है, तमाम चीजों की—जिनमें खाने की चीजें भी शामिल हैं—कीमतें बढ़ जाती हैं और जिसका बहुत ज्यादा बोझ गरीबों पर आकर पड़ता है। और सामाजिक दृष्टि से सबसे ज्यादा अनुचित और हानिकारक यह टैक्स हिन्दुस्तान की ज्यादातर म्युनिसिपैलिटीयों की आमदनी की खास बुनियाद है—यद्यपि मैं समझता हूँ, वह धीरे-धीरे बड़े-बड़े शहरों से उठता जाता है।

म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन की हैसियत से मुझे इस तरह एक हृदयहीन सत्तावादी सरकारी मशीन से काम लेना पड़ता था जो बड़ी मशक्कत के साथ पुरानी लीक पर चर-मर करती चलती थी और अड़ियल टट्टू की तरह ज्यादा तेज़ी से या दूसरी तरफ़ चलने से इन्कार करती थी। दूसरी तरफ़ मेरे साथी मेम्बर लोग थे। उनमें से ज्यादातर लीक-लीक ही चलना पसन्द करते थे। उनमें से कुछ तो आदर्शवादी थे। इन लोगों ने अपने काम में उत्साह दिखाया। लेकिन कुल मिलाकर मेम्बरों में न तो

कल्पना-शक्ति ही थी, न तबदीली या बेहतरीन करने की धुन । पुराने तरीके काफ़ी अच्छे हैं, फिर क्या जरूरत है कि ऐसे प्रयोगों से काम लिया जाय जो मुमकिन है कि पूरे न पड़ें ? आदर्शवादी और जोशीले मेम्बर भी धीरे-धीरे उन नीरस रोजमर्रा की बातों के नशीले असर के शिकार हो गये । लेकिन हाँ, एक बात ऐसी जरूर थी जिस-पर हमेशा यह भरोसा किया जा सकता था कि वह मेम्बरों में नया जोश पैदा कर देगी; और वह थी नौकरियों तथा ठेके वगैरा देने के मामले । लेकिन इसमें दिलचस्पी रखने से हमेशा ही काम में अच्छाई नहीं बढ़ती थी ।

हर साल सरकारी प्रस्ताव, हाकिम लोग और कुछ अखबार म्युनिसिपैलिटियों और ज़िला-बोर्डों की नुकताचीनी करते हैं और उनकी बहुत-सी कमियों की तरफ़ इशारा करते हैं, और इससे यह नतीजा निकाला जाता है कि लोक-तन्त्री संस्थायें हिन्दुस्तान के लिए मौजूद नहीं हैं । उनकी कमियां तो जाहिर हैं, लेकिन उस ढाँचे की तरफ़ कतई ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके अन्दर उन्हें अपना काम करना पड़ता है ! यह ढाँचा न तो लोक-तन्त्री ही है न एक-तन्त्री । वह तो इन दोनों की दोगली सन्तान है और उसमें दोनों की ही खराबियां मौजूद हैं । यह बात तो मंजूर की जा सकती है कि केन्द्रीय-सरकार को मुकामी या स्थानिक संस्थाओं पर देखभाल तथा नियन्त्रण करने के कुछ अस्त्यार जरूर होने चाहिएँ, लेकिन स्थानीय लोक-संस्थाओं के लिए यह तभी लागू हो सकता है जब केन्द्रीय सरकार खुद लोक-तन्त्री और पब्लिक की जरूरतों का खयाल रखने वाली हो । जहाँ ऐसा न होगा, वहाँ या तो केन्द्रीय सरकार और स्थानीय शासन-संस्था में रसाकशी होगी या मुकामी संस्था चुपचाप केन्द्रीय सरकार के हुक्म बजाया करेगी । इस तरह केन्द्रीय सरकार ही असल में स्थानिक संस्थाओं से जो चाहेगी सो करायगी । लेकिन तारीफ़ यह है कि वह जो कुछ करेगी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी ! अस्त्यार तो उसीको होंगे, लेकिन जवाबदेही उसकी न होगी ! जाहिर है कि यह हालत सन्तोष-जनक नहीं कही जा सकती; क्योंकि उससे पब्लिक के नियन्त्रण की वास्तविकता जाती रहती है । म्युनिसिपल बोर्डों के मेम्बर केन्द्रीय सरकार को खुश रखने की जितनी कोशिश करते हैं उतनी पब्लिक के अपने चुननेवालों को खुश रखने की नहीं; और जहाँतक पब्लिक से ताल्लुक है, वह अक्सर बोर्ड के कामों की तरफ़ से बिलकुल उदासीन रहती है । समाज की भलाई से असली ताल्लुक रखने वाले मामले तो बोर्ड के सामने मुश्किल से ही कभी आते हैं—खास तौर पर इसलिए, क्योंकि वे बोर्ड के काम के दायरे से बाहर हैं, और बोर्ड का सबसे ज्यादा जाहिर काम है पब्लिक से टैक्स बसूल करना । और यह काम उसे ऐसा ज्यादा लोकप्रिय नहीं बना सकता ।

स्थानिक संस्थाओं के लिए वोट देने का हक भी थोड़े ही लोगों तक महदूद है। वोट देने का यह अस्त्र्यार और भी ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, जो वोटर होने की योग्यता को घटाकर किया जा सकता है। बम्बई-कापॉरिशन जैसे बड़े-बड़े शहरों के कापॉरिशन तक के मेम्बरों का चुनाव भी बहुत महदूद वोटरों द्वारा होता है। कुछ समय पहले खुद कापॉरिशन में वोट देने का अस्त्र्यार ज्यादातर लोगों को देने का प्रस्ताव गिर गया था। जाहिर है कि ज्यादातर मेम्बर अपनी हालत से खुश थे और वे उसमें हेर-फेर करने या उसे खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं समझते थे।

वजह कुछ भी हो, लेकिन यह बात जरूर है कि हमारी स्थानिक संस्थायें आम तौर पर कामयाबी और क्षमता के चमकते हुए नमूने नहीं हैं, यद्यपि वे जैसी हैं वैसी हालत में भी बहुत आगे बढ़े हुए लोकतन्त्री देशों की कुछ म्युनिसिपैलिटियों से टक्कर ले सकती हैं। आमतौर पर उनमें भ्रष्टता नहीं है। महज सुव्यवस्था की कमी है। उनकी खास कमजोरी है पक्षपात, और उनके दृष्टिकोण सब गलत हैं। यह सब स्वाभाविक है, क्योंकि लोकतन्त्र तो तभी कामयाब हो सकता है जब उसके पीछे सुबिज्ञ लोकमत और ज़िम्मेदारी का भान हो। उसकी जगह पर हमें हुकूमत का सर्व-व्यापी वायुमण्डल मिलता है और लोकतन्त्र के साथ जिन बातों की जरूरत है वे नहीं पाई जातीं। आम जनता को तालीम देने का कोई इंतजाम नहीं है; न इस बात की कभी कोशिश की गई है कि जानकारी की बुनियाद पर पब्लिक की राय बनाई जाय। लाजिमी तौर पर ऐसी हालत में पब्लिक का खयाल शक्ती या फिरकेवाराना या दूसरे टुच्चे-टुच्चे मामलों की तरफ चला जाता है।

म्युनिसिपैलिटी के इंतजाम में सरकार की दिलचस्पी इस बात में रहती है कि राजनीति उससे बाहर रक्की जाय। अगर राष्ट्रीय हलचल से हमदर्दी रखनेवाला कोई प्रस्ताव पास किया जाता है तो सरकार की त्पौरियाँ चढ़ जाती हैं। जिन पाठ्य पुस्तकों में राष्ट्रीयता की बू हो उन्हें म्युनिसिपैलिटी के मदरसों में नहीं पढ़ाने दिया जाता। इतना ही नहीं, उनमें राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीरें भी नहीं लगाने दी जातीं। म्युनिसिपैलिटियों से राष्ट्रीय झण्डा उतारना पड़ता है, न उतारें तो म्युनिसिपैलिटी तोड़ दी जाती है। ऐसा मालूम होता है कि हाल ही में कई सूबों की सरकारों ने इस बात की कोशिश की है कि कापॉरिशनों और म्युनिसिपैलिटियों में जितने काँग्रेसी मौकर हों उन सबको निकाल बाहर किया जाय। मामूली तौर पर इस मतलब को पूरा कराने के लिए इन संस्थाओं पर सरकारी दबाव काफ़ी होता है; क्योंकि उसके साथ-साथ यह धमकी भी दी जाती है कि उन्हें न निकाला गया तो सरकार म्युनिसिपैलिटियों को तालीम वगैरा के लिए जो इमदाद देती है उसे बन्द कर देगी। लेकिन

कहीं-कहीं तो—खास तौर पर कलकत्ता-कार्पोरेशन के लिए तो—कानून ही ऐसा बना दिया है जिससे उन सब लोगों को जो असहयोग या सरकार के खिलाफ किसी और सियासी हलचल में जेल गये नौकरी न मिलने पावे। इस मामले में सरकार का मतलब महज राजनैतिक होता है। काम के लिए उस शरू की लायकी या नालायकी का कोई सवाल नहीं।

इन थोड़ी-सी मिसालों से यह जाहिर हो जाता है कि हमारी म्युनिसिपैलिटियों और हमारे ज़िला-बोर्डों को कितनी आज़ादी मिली हुई है और उसमें लोकतन्त्रता की कितनी कमी है। यह तो तय ही है कि वे लोग सीधी सरकारी नौकरी नहीं चाहते। ऐसी हालत में अपने इन राजनैतिक मुखालिफों को तमाम म्युनिसिपल और ज़िला-बोर्डों की नौकरी से अलग रखने की जो कोशिश हो रही है उसपर कुछ ग़ौर करने की ज़रूरत है। यह कूता गया है कि पिछले चौदह वर्षों में करीब तीन लाख लोग जुदा-जुदा मौकों पर जेल हो आये हैं और यदि राजनैतिक दृष्टि से न देखें तो इसमें किसीको शक नहीं हो सकता कि इन तीन लाख लोगों में हिन्दुस्तान के सबसे ज्यादा सज़जन और आदर्शवादी, सबसे ज्यादा सेवा-व्रती और स्वार्थ-हीन शरू शामिल हैं। इन लोगों में जोश है, आगे बढ़ने की ताक़त है और किसी उद्देश की पूर्ति के लिए सेवा का आदर्श है। इस तरह किसी भी पब्लिक महकमे या सार्वजनिक हित की संस्था के लिए अपने काम के लिए आदमी ढूँढने का सबसे अच्छा सामान इन्हींमें मिल सकता था। फिर भी सरकार ने कानून बनाकर इस बात की पूरी-पूरी कोशिश की है कि वे लोग नौकर न होने पावें, जिससे न सिर्फ़ उन्हींको सज़ा मिले बल्कि उन लोगों को भी जो उनसे हमदर्दी रखते हैं। सरकार खुद ऐसे लोगों को पसन्द करती है और आगे बढ़ाती है जो बिलकुल जी-हुज़ूर हों, और उसके बाद यह शिकायत करती है कि हिन्दुस्तान की स्थानिक संस्थायें ठीक तरह से काम नहीं करती; और यद्यपि यह कहा जाता है कि राजनीति स्थानिक संस्थाओं के काम की हद से बाहर है, फिर भी सरकार को इस बात में कोई ऐतराज़ नहीं कि वे सरकार की मदद के लिए राजनीति में हिस्सा लें। स्थानीय बोर्डों के स्कूलों के मास्टर्स को यह डर दिखाकर, कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया जायगा, मजबूर किया गया कि गाँवों में जाकर सरकार के पक्ष में प्रचार करें।

पिछले पन्द्रह वर्षों में काँग्रेस-कार्यकर्ताओं को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। उन्हें बड़ी भारी-भारी ज़िम्मेदारियां झेलनी पड़ी हैं और आखिर उन्होंने ऐसी सरकार से टक्कर ली जो बड़ी ताक़तवर और सुरक्षित है। और यह नहीं कि उसमें उन्हें कामयाबी भी न मिली हो। लेकिन तालीम के इस कड़े क्रम ने उन्हें

आत्म-निर्भरता, प्रबन्ध-पटुता और डटे रहने की ताकत दी है। जिन गुणों को एक हुकूमत की स्फिरिट से भरी हुई सरकार की लम्बी और नामर्द करने वाली तालीम ने छीन लिया था उन्हींको हमारी हलचलों ने हिन्दुस्तानियों में फिर से डाल दिया है। हाँ, निस्सन्देह, तमाम सार्वजनिक आन्दोलनों की तरह काँग्रेस की हलचलों में भी बहुत-से नामाकूल, बेवकूफ, निकम्मे और इससे भी बदतर लोग आये और हैं। लेकिन इस बात में भी मुझे कोई शक नहीं है कि औसतन काँग्रेस-कार्यकर्ता अपनी बराबर योग्यता रखनेवाले किसी दूसरे शस्त्र के मुकाबले में ज्यादा होशियार और सजीव साबित होगा।

इस मामले का एक और भी पहलू है, जिसको शायद सरकार और उसके सलाहकारों ने नहीं समझ पाया है। वह यह है कि असली क्रान्तिकारी तो इस बात का खुशी से स्वागत करते हैं जो सरकार काँग्रेस-कार्यकर्ताओं को ही कोई नौकरी नहीं मिलने देती और उनके लिए काम तथा नौकरी के तमाम रास्तों को रोक देती है। औसत काँग्रेसी इस बात के लिए बदनाम है कि वे क्रान्तिकारी नहीं होते और कुछ वक्त अर्ध-क्रान्तिकारी काम करने के बाद वे अपनी उसी पुराने ढर्रे की ज़िन्दगी और हालतों को शुरू कर देते हैं। वे फिर अपने घन्धे या पेशे या मुकामी राजनैतिक मामलों में फँस जाते हैं। बड़े-बड़े मामले उनके दिमाग से ओझल होने लगते हैं और उनमें जो थोड़ा-बहुत क्रान्तिकारी जोश था वह ठंडा पड़ जाता है। उनके पुट्टों पर चरबी चढ़ने लगती है और उनकी आत्मा सुरक्षितता चाहती है। मध्यश्रेणी के कार्यकर्ताओं के इस लाजिमी झुकाव की वजह से ही आगे बढ़े हुए तथा क्रान्तिकारी खयालों के काँग्रेसियों ने हमेशा से इस बात की कोशिश की है कि उनके साथी स्थानिक तोड़ों और कौंसिलों के विधानों के जंजाल में पूरे समय के कामों में न फँसने पावें जो उन्हें काँग्रेस का कारगर काम करने से रोकते हैं।

मगर अब खुद सरकार ही कुछ हद तक मदद कर रही है; क्योंकि वह काँग्रेसियों के लिए कोई काम पाना मुश्किल बनाये दे रही है, जिससे यह मुमकिन है कि उनके क्रान्तिकारी उत्साह का कुछ हिस्सा ज़रूर कायम रहेगा या हो सकता है कि बड़ भी जाय।

एक साल या उससे कुछ ज्यादा दिनों तक म्युनिसिपैलिटी का काम करने के बाद मैं यह महसूस करने लगा कि मैं यहाँ अपनी शक्तियों का सबसे अच्छा उपयोग नहीं कर रहा हूँ। मैं ज्यादा-से-ज्यादा जो कुछ कर सकता था वह यह था कि काम जल्दी निबटे और वह पहले से ज्यादा होशियारी के साथ किया जाय। मैं कोई कहने लायक तबदीली तो करा नहीं सकता था। इसलिए मैं चैयरमैन से इस्तीफ़ा देना

चाहता था। लेकिन बोर्ड के तमाम मेम्बरो ने मुझ पर जोर दिया कि मैं चेयरमैन बना रहूँ। मेरे इन साथियों ने मेरे साथ हमेशा शराफत व मेहरबानी का बर्ताव किया था। इस कारण मेरे लिए उनकी बात न मानना मुश्किल हो गया। लेकिन अपनी चेयरमैनी के दूसरे साल के अखीर में मैंने इस्तीफा दे ही दिया।

यह १९२५ की बात है। उस साल वसन्त-ऋतु में मेरी पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। कई महीनों तक वह लखनऊ के अस्पताल में पड़ी रही। उस साल काँग्रेस कानपुर में हुई थी। मुझे मुद्दत तक दुःखी दिल के साथ कभी इलाहाबाद, कभी कानपुर और कभी लखनऊ तथा वहाँ से वापस चक्कर लगाने पड़े थे। (मैं इन दिनों भी काँग्रेस का प्रधान-मंत्री था।)

डाक्टरों ने सिफारिश की कि कमला का इलाज स्वीज़रलैण्ड में कराया जाय। मुझे यह बात पसंद आई; क्योंकि मैं खुद भी हिन्दुस्तान से बाहर चला जाना चाहता था। मेरा दिमाग साफ नहीं था। कोई साफ रास्ता नहीं दिखाई देता था। मैंने सोचा कि अगर मैं हिन्दुस्तान से दूर पहुँच जाऊँ तो चीजों को और अच्छी दृष्टि से देख सकूँगा और अपने दिमाग के अन्धेरे कोनों में रोशनी पहुँचा सकूँगा।

मार्च १९२६ के शुरू में हम लोग जहाज में बम्बई से वेनिस के लिए रवाना हुए। मैं, मेरी पत्नी और हमारी बेटो। उसी जहाज में हमारे साथ मेरी बहन और बहनोई रणजीत एस० पण्डित भी गए। उन लोगों ने अपनी योरप-यात्रा का इंतजाम हम लोगों के योरप जाने का सवाल पैदा होने से बहुत पहले ही कर रक्खा था।

योरप में

मुझे योरप छोड़े तेरह साल से भी ज्यादा हो चुके थे और ये साल लड़ाई और क्रान्ति तथा भारी परिवर्तन के साल थे। जिस पुरानी दुनिया को मैं जानता था वह लड़ाई के खून और उसकी बीभत्सता में डूब चुकी थी और एक नई दुनिया मेरा रास्ता देख रही थी। मुझे उम्मीद थी कि योरप में छः या सात महीना या ज्यादा-से-ज्यादा साल के अखीर तक रह पाऊँगा। लेकिन दरअसल हम लोग वहाँ ठहरे एक साल और नौ महीने।

यह वक्त मेरे शरीर और दिमाग दोनों के लिए चैन व आराम का वक्त था। ज्यादातर हमने यह वक्त स्वीजरलैण्ड के जिनेवा में और मोन्टाना के पहाड़ी सेनेटोरियम में बिताया था। मेरी छोटी बहन कृष्णा भी १९२६ की गर्मियों के शुरू में हिन्दुस्तान से हमारे पास आ गई और जबतक हम लोग योरप में रहे तबतक हमारे साथ रही। मैं अपनी पत्नी को ज्यादा असें के लिए नहीं छोड़ सकता था, इसलिए दूसरी जगहों में मैं बहुत थोड़े वक्त के लिए ही जा सका। कुछ दिनों बाद जब मेरी पत्नी की तबियत कुछ ठीक हो गई तब हम लोगों ने कुछ दिनों तक फ्रांस, इंग्लैण्ड और जर्मनी की सैर की। जिस पहाड़ी की चोटी पर हम लोग ठहरे थे उसके आस-पास चारों ओर बरफ थी। वहाँ मैं यह महसूस करता था कि मैं हिन्दुस्तान तथा यूरोपियन संसार से बिलकुल अलहदा हो गया हूँ। हिन्दुस्तान में होनेवाली बातें खास तौर पर बहुत दूर मालूम होती थीं। मैं महज दूर से देखने वाला एक तमाशबीन बन गया था जो अखबार पढ़ता था, जो बातें होती थीं उन्हें समझकर उनपर गौर करता था, नये योरप तथा उसकी राजनीति और उसके अर्थशास्त्र तथा उसके कहीं ज्यादा आज्ञादाना मानव-सम्बन्धों को देखा करता था। जब मैं जिनेवा में था तब स्वभावतः मुझे राष्ट्र-संघ के कामों में और अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-दफ्तर में भी दिलचस्पी रही थी।

लेकिन जाड़ा आते ही, जाड़े के खेलों में मेरा मन लग गया। कुछ महीने तक इन खेलों में ही मेरी खास दिलचस्पी रही और इन्हींमें मैं लगा रहा। बरफ़ पर एक किस्म के खड़ाऊँ पहनकर तो मैं पहले भी चलता तथा खिसकता था, लेकिन लकड़ी के आठ फीट लम्बे और चार इंच चौड़े जोड़े को पैरों से बाँध कर बरफ़ पर चलने का तजुर्बा मेरे लिए बिलकुल नया था और मैं उसपर मुग्ध हो गया। बहुत दिनों तक तो

मुझे इस खेल में काफी तकलीफ़ मालूम हुई, लेकिन बार-बार गिरने पर भी मैं हिम्मत के साथ जुटा रहा और अखीर में मुझे खूब मज़ा आने लगा ।

सब मिलाकर इन दिनों हमारी ज़िन्दगी में कोई खास घटना नहीं हुई । दिन बीतते गये और धीरे-धीरे मेरी पत्नी ताक़त व तन्दुरुस्ती हासिल करती गई । वहाँ हम लोगों को बहुत कम हिन्दुस्तानियों से मिलने का मौक़ा मिला । सच बात तो यह है कि उस पहाड़ी बस्ती में रहनेवाले थोड़े-से लोगों को छोड़कर और किसीसे हमें मिलने का मौक़ा नहीं मिला । लेकिन हम लोगों ने योरप में जो एक और तीन-चौथाई साल बिताया उसमें हमें बहुत-से ऐसे पुराने क़ान्तिकारी और हिन्दुस्तान से निकाले हुए भाई मिले जिनके नामों से मैं वाकिफ़ था ।

उनमें से श्यामजी कृष्ण वर्मा जिनेवा में एक मकान की सबसे ऊँची मंजिल पर अपनी बीमार पत्नी के साथ रहते थे । ये दोनों बुढ़े मियाँ-बीवी अकेले ही रहते थे । उनके साथ दिन-भर रहकर काम करनेवाले नौकर न थे, इसलिए उनके कमरे गन्दे पड़े रहते थे, जिनमें दम-सा घुटता था । हर चीज़ के ऊपर धूल की मोटी तह जमी हुई थी । श्यामजी के पास काफ़ी रुपया था, लेकिन वह रुपया खर्च करने में विश्वास नहीं करते थे । वह ट्राम में बैठकर जाने के बदले कुछ पैसे बचा लेना ज्यादा पसन्द करते थे । जो कोई उनसे मिलने जाता उसको वह शक की निगाह से देखते थे और जबतक इसकी उलटी बात साबित न हो जाय तबतक यही मान बैठते थे कि आनेवाले महाशय या तो ब्रिटिश सरकार के एजेंट हैं या उनके धन के ग्राहक हैं । उनकी जेबें उनके 'इण्डियन सोशियॉलोजिस्ट' नाम के अखबारों की पुरानी कापियों से भरी रहती थीं । वह उन्हे खींचकर निकालते और वह कुछ जोश के साथ उन लेखों को दिखाते जो उन्होंने कोई बारह बरस पहले लिखे थे । वह ज्यादातर पुराने वक्तों की बातें किया करते थे । हैम्स्टीड में इण्डिया-हाउस में क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने उनके भेद लेने के लिए कौन-कौन शख्स भेजे और उन्होंने किस तरह उन्हें पहचानकर उनको चकमा दिया, आदि । उनके कमरों की दीवारें पुरानी किताबों से भरी अलमारियों से सटी हुई थीं । उन किताबों को पढ़ता-पढ़ाता कोई नहीं था, इसलिए उनपर धूल जमी हुई थी और वे जो कोई वहाँ जा पहुँचता उसकी तरफ़ दुःखभरी निगाहों से देखती-सी मालूम होती थी । किताबें और अखबार फर्श पर भी इधर-उधर पड़े रहते थे । ऐसा मालूम पड़ता था मानों वे कई दिनों और हफ्तों से, मुमकिन है महीनों से, इसी तरह पड़े हुए हैं । उस तमाम जगह में शोक की छाप-सी, हास की हवा-सी छाई हुई थी । ज़िन्दगी वहाँ ऐसी मालूम पड़ती थी जैसे कोई अनचाहा अजनबी घुस आया हो । अँधेरे और सूनसान बरामदों में चलते हुए ऐसा डर-सा मालूम पड़ता था कि किसी कोने में कहीं

मौत की छाया तो नहीं छिपी हुई है। जानेवाले उस मकान में से निकलकर आराम की लम्बी साँस लेते और बाहर की हवा से खुश होते थे।

श्यामजी अपनी दौलत की बाबत कुछ इन्तज़ाम, पब्लिक के कामों के लिए कोई ट्रस्ट, कर देना चाहते थे। शायद वह विदेशों में शिक्षा पाने वाले हिन्दुस्तानियों के लिए कुछ इन्तज़ाम करना पसन्द करते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं भी उनके उस ट्रस्ट का एक ट्रस्टी हो जाऊँ। लेकिन मैंने उस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेने की कोई स्वाहिश नहीं जाहिर की। मैं नहीं चाहता था कि मैं उनके आर्थिक मामलों के चक्कर में फँसूँ। इसके अलावा मैंने यह भी महसूस किया कि अगर मैंने कहीं ज़रूरत से ज्यादा दिलचस्पी जाहिर की तो उन्हें फौरन ही यह शक हो जायगा कि उनकी दौलत पर मेरा दाँत है। यह तो किसीको नहीं मालूम था कि उनके पास कितनी दौलत है। यह अफ़वाह भी उड़ी थी कि जर्मनी में सिक्के की क्रीमत गिरने पर उनको बहुत नुकसान हुआ था।

कभी-कभी नामी-गरामी हिन्दुस्तानी जिनेवा में होकर गुज़रते थे। जो लोग राष्ट्र-संघ में शामिल होने के लिए आते थे, वे तो हाकिमी क्रिस्म के लोग होते थे और यह जाहिर है कि श्यामजी ऐसे लोगों के पास तक नहीं फटक सकते थे। लेकिन मजदूर-दफ़्तर में कभी-कभी नामी गैर-सरकारी हिन्दुस्तानी आ जाते थे, जिनमें मशहूर कांग्रेसी भी होते थे। श्यामजी इन लोगों से मिलने की कोशिश करते। श्यामजी से मिलकर उन लोगों पर जो असर होता वह बड़ा ही दिलचस्प होता था। लाज़िमी तौर पर श्यामजी से मिलते ही ये लोग घबरा उठते थे और न सिर्फ पब्लिक में ही उनसे मिलने से बचने की कोशिश करते थे, बल्कि खानगी में भी उनसे मिलने के लिए किसी-न-किसी बहाने से माफ़ी माँग लेते थे। वे लोग ममझते थे कि श्यामजी से ताल्लुक रखने या उनके साथ देखा जाने में ख़ैर नहीं है।

इसलिए श्यामजी और उनकी पत्नी को एकाकी जिन्दगी बितानी पड़ती थी। उनके न तो बाल-बच्चे ही थे, न कोई रिश्तेदार या दोस्त ही; उनका कोई साथी भी नहीं था। शायद किसी भी मनुष्य-प्राणी से उनका सम्पर्क नहीं था। वह तो पुराने ज़माने की एक यादगार थे। सचमुच उनका जमाना गुज़र चुका था। मौजूदा ज़माना उनके लिए मौजूद नहीं था। इसलिए दुनिया उनकी तरफ़ से मुंह फेरकर मजे से चली जा रही थी। लेकिन फिर भी उनकी आँखों में पुराना तेज़ था, और यद्यपि उनमें और मुझमें एक-सी कोई चीज़ नहीं फिर भी उनके प्रति मैं अपनी हमदर्दी व इज्जत को नहीं रोक सकता था।

हाल ही में अख़बारों में खबर छपी कि वह मर गये और उनके कुछ दिन बाद

ही वह भली गुजराती महिला भी, जो दूसरे मुल्कों में देश-निकाले में भी जिन्दगी-भर उनके साथ रही थी, मर गई। अखबारों की खबरों में यह भी कहा गया था कि उन्होंने (उनकी पत्नी ने) विदेशों में हिन्दुस्तान की औरतों की तालीम के लिए बहुत-सा रुपया छोड़ा है।

एक और मशहूर शख्स जिनका नाम मैंने अक्सर सुना था लेकिन जो मुझ पहले-पहल स्वीजरलैण्ड में मिले, राजा महेन्द्रप्रताप थे। उनकी आशावादिता आनन्ददायिनी थी। मेरा खयाल है कि अब भी वह आशावादी है। वह बिलकुल हवा में रहते हैं और असली हालत से कतई कोई ताल्लुक रखने से इन्कार करते हैं। मैंने जब उन्हें पहले-पहल देखा तो थोड़ा-सा चौंक पड़ा। वह एक अजीब तरह की पोशाक पहने हुए थे, जो तिब्बत के ऊँचे मैदानों के लिए भले ही मौजू हों या साइबेरिया के मैदानों में भी लेकिन वह उन दिनों की गर्मियों में वहाँ बिलकुल बेमौजू थी। वह पोशाक एक क्रिस्म की आधी फीजी पोशाक-सी थी। वह ऊँचे रूसी बूट पहने हुए थे और उनके कोट में बहुत-सी बड़ी-बड़ी जेबें थीं जो फोटो तथा अखबार इत्यादि से भरी हुई थीं। इन चीजों में जर्मनी के चान्सलर बेथमैनहॉल्लवेग का एक खत था। कंसर की एक तस्वीर थी, जिसपर उसके अपने दस्तखत थे। तिब्बत के दलाई लामा का लिखा हुआ भी एक खूबसूरत खर्चा था। इसके अलावा अनगिनत कागजात और तस्वीरें थीं। उन जेबों में कितनी चीजें भरी हुई थीं, यह देखकर हैरत होती थी। उन्होंने हमसे कहा कि एक दफा चीन में उनका एक डिस्पैच-बक्स खो गया, जिसमें उनके बड़े क्रीमती कागजात भरे हुए थे, तबसे उन्होंने इसीमें ज्यादा सुरक्षितता समझी है कि वह हमेशा अपने कागजात को अपनी जेबों में ही रक्खें। इसीसे उन्होंने इतनी ज्यादा जेबें बनवाई थीं।

महेन्द्रप्रतापजी के पास जापान, चीन, तिब्बत और अफगानिस्तान की और उन यात्राओं में जो घटनायें हुई उनकी कहानियों की भरमार थी। उनको अपनी जिन्दगी तरह-तरह की हालतों में बितानी पड़ी, जिनका हाल बड़ा दिलचस्प था। उस वक़्त उनको सबसे ज्यादा जोश "आनन्द-समाज" (A Happiness Society) के लिए था, जो खुद उन्होंने कायम की थी और जिसका मूल-मन्त्र था—“खुश रहो”। मालूम पड़ता है कि इस संस्था को लटाविया (या लियुवानिया) में बहुत काम-याबी मिली।

उनका प्रचार का तरीका यह था कि वह वक़तन-फवक़तन जिनेवा या दूसरी जगह होनेवाली कान्फ़ेन्सों के मेम्बरों के पास पोस्टकार्ड पर छपे हुए अपने बहुत-से सन्देश भेज दिया करते थे। इन पोस्टकार्डों पर उनके दस्तखत रहते थे, लेकिन जो

नाम रहता था वह विचित्र, लम्बा और विविध। महेन्द्रप्रताप को तो उन्होंने म० प्र० यही रहने दिया था, लेकिन उसके साथ और बहुत-से नाम जोड़ दिये गये थे, जो जाहिरा तौर पर जिन देशों की उन्होंने सैर की थी उनमें से उनके मनचाहे देश के नाम के द्योतक थे। इस तरह वह इस बात पर जोर देते थे कि वह अपनेको जाति, मजहब और क्रौम के बन्धनों से ऊपर समझते हैं। इस विचित्र नाम के नीचे आखिरी विशेषता "मनुष्य-जाति का सेवक" बिलकुल मौजू था। महेन्द्रप्रताप की बातों को ज्यादा महत्व देना मुश्किल था। वह तो मध्यकालीन उपन्यासों के एक पात्र-से, डॉन क्विजोट-से, मालूम होते थे, जो गलती से बीसवीं सदी में आ भटके थे। लेकिन वह थे सोलहों आने सच्चे और अपनी धुन के पक्के।

पेरिस में हमने बुढ़िया मैडम कामा को भी देखा। जब हमारे पास आकर उन्होंने हमारे चेहरे की तरफ गौर से देखा, और हमारी तरफ अँगुली उठाकर एका-एक हमसे यह पूछा कि आप कौन हैं, तब वह कुछ-कुछ खंखार और डरावनी-सी मालूम हुई। आपके जवाब से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता; शायद उनको इतना ऊँचा सुनाई देता है कि वह आपकी बात सुन ही नहीं पाती। वह अपनी धारणायें बना लेती है, और फिर उन्हीपर अड़ी रहती है, चाहे वाक्यात उन धारणाओं के खिलाफ ही हों।

इनके अलावा मौलवी उबेदुल्ला थे, जो मुझे कुछ वक्त के लिए इटली में मिले। वह मुझे चालाक जँचे, लेकिन उनकी लियाकत पुराने ज़माने की राजनैतिक चालबाजियों में जो होशियारी होती थी वैसी थी। वह नये विचारों के सम्पर्क में न थे। हिन्दुस्तान की 'संयुक्त राज्यों' या 'हिन्दुस्तान के संयुक्त प्रजातन्त्र' की उन्होंने एक स्कीम बनाई थी, जो हिन्दुस्तान की साम्प्रदायिक समस्या को हल करने की एक काफ़ी अच्छी कोशिश थी। उन्होंने इस्ताम्बूल में, जो उन दिनों तक कुस्तुन्तुनिया ही कहलाता था, अपनी कुछ पुरानी हलचलों की बाबत भी मुझसे कुछ कहा, लेकिन उनको मैंने इतना महत्व नहीं दिया, इसीलिए मैं जल्दी ही उन सब बातों को भूल गया। कुछ महीने बाद वह लाला लाजपतराय से मिले और ऐसा मालूम पड़ता है कि उन्हें भी उन्होंने वही बातें कह सुनाईं। लालाजी पर उनका बहुत असर पड़ा, उससे वह बहुत ही चिन्तित हो गये थे। यहाँतक कि उस साल हिन्दुस्तान की कौंसिलों के चुनाव में उन बातों का बड़ा अहम हिस्सा रहा। उनके बिलकुल अनुचित विचित्र नतीजे तथा मतलब निकाले गये। इसके बाद मौलवी उबेदुल्ला हेजाज चले गये और कई पिछले सालों से मुझे उनकी बाबत कोई खबर नहीं मिली।

उनसे बिलकुल दूसरी किस्म के मौलवी बरकतउल्ला साहब थे। उनसे मैं बर्लिन में

मिला। वह बड़े मजेदार और बूढ़े थे। बड़े उत्साही और बहुतही भले। वह बेचारे कुछ सीधे-सादे थे, बहुत तीव्र-बुद्धि न थे। फिर भी वह नये खयालात को अपनाने और आजकल की दुनिया को समझने की कोशिश करते थे। १९२७ में सेनफ्रान्सिस्को में उनकी मौत हुई। जबकि हम लोग स्वीजरलैंड में थे। उनकी मौत की खबर सुनकर मुझे बहुत रंज हुआ।

बर्लिन में ऐसे बहुत-से लोग थे जिन्होंने लड़ाई के वक्त में हिन्दुस्तानियों का एक दल बना लिया था। वह दल तो बहुत पहले ही टुकड़े-टुकड़े हो गया। उन लोगों की आपस में नहीं बनी और वे एक-दूसरे से लड़ पड़े, क्योंकि हर शस्त्र दूसरे पर विश्वास-घात करने का शक करता था। ऐसा मालूम होता है कि सब जगह देश से निकाले हुए राजनैतिक कार्यकर्ताओं का यही हाल होता है। बर्लिन के इन हिन्दुस्तानियों में से बहुत-से तो मध्यश्रेणी के लोगों के उन बँटे-बिठाये पेशों में लग गये। महायुद्ध के बाद जर्मनी में इस तरह के पेशे अक्सर नहीं मिल सकते थे। अब जो उनमें हिलग गये उनमें क्रान्तिकारी-पन का कोई चिन्ह नहीं रहा। यहाँतक कि वे राजनीति से भी दूर रहने लगे।

लड़ाई के जमाने के इस पुराने दल की कहानी मनोरंजक है। इनमें ज्यादातर तो वे लोग थे जो १९१४ की उन मनहूस गर्मियों में जर्मनी के जुदा-जुदा विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे थे। ये लोग जर्मनी के विद्यार्थियों के साथ उहींकी-सी अहिन्दगी बिताते थे, उनके साथ बियर (शराब) पीते थे और उनकी (जर्मनी की) संस्कृति को सहानुभूति तथा सम्मान के साथ देखते थे। लड़ाई से उनको कुछ मतलब न था, लेकिन उस वक्त जर्मनी के ऊपर राष्ट्रीय उन्माद का जो तूफान आया उससे विचलित हुए बिना नहीं रह सके। उनकी भावना तो वास्तव में ब्रिटिश-विरोधी थी, न कि जर्मनों की पक्षपाती। अपने हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता ने उन्हें ब्रिटेन के दुश्मनों की ओर झुका दिया। लड़ाई शुरू होने के बाद फौरन ही कुछ और थोड़े-से हिन्दुस्तानी, जो इनसे कहीं ज्यादा क्रान्तिकारी थे, स्वीजरलैंड से जर्मनी में जा पहुँचे। इन लोगों ने अपनी एक कमिटी बना ली और हरदयाल को बुला भेजा। वह उन दिनों संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर थे। हरदयाल कुछ महीने पीछे आ गये, लेकिन इस वक्त तक यह कमिटी काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई थी। कमिटी पर यह महत्व जर्मन-सरकार ने लाद दिया था। जर्मन-सरकार क्रुदरतन यह चाहती थी कि वह तमाम ब्रिटिश-विरोधी जज़बात को अपने फ़ायदे के लिए इस्तैमाल करे। उधर हिन्दुस्तानी यह चाहते थे कि वे अपने क़ीमी मक़सदों को पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति का फ़ायदा उठावें। वे यह नहीं चाहते थे कि महज़ जर्मनी के ही फ़ायदे के लिए अपनेको इस्तै-

माल होने दें। इस मामले में उनकी बहुत चल नहीं सकती थी, लेकिन वे यह महसूस करते थे कि उनके पास कोई ऐसी चीज़ जरूर है जिसे लेने के लिए जर्मन-सरकार बहुत उत्सुक है। इस बात से उन्हें जर्मन-सरकार से सौदा करने को एक हथियार मिल गया। उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि हिन्दुस्तान की आजादी का जर्मन-सरकार अहद करे और इत्मीनान दिलाये कि उस अहद पर कायम रहेगी। ऐसा मालूम होता है कि जर्मनी के वैदेशिक दफ्तर ने इन लोगों से बाकायदा मुलहनामा किया, जिसमें उन्होंने यह वादा किया कि अगर जर्मन लोगों की फ़तह हुई तो जर्मन-सरकार हिन्दुस्तान की आजादी को मंजूर कर लेगी। इसी अहद और इसी शर्त तथा कई छोटी शर्तों की बुनियाद पर इस हिन्दुस्तानी दल ने यह वादा किया कि हम लड़ाई में जर्मनी की मदद करेंगे। जर्मनी की सरकार हर तरह से इस कमिटी की इज्जत करती थी, और उसके प्रतिनिधियों के साथ करीब-करीब विदेशी राजदूतों की बराबरी का बर्ताव किया जाता था।

खास तौर पर बेतजुर्बा नौजवानों के इस छोटे-से दल को यकायक जो इतना महत्व मिल गया, उसमें उनमें से कई का सिर फिर गया। वे यह महसूस करने लगे कि हम कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं, वे बहुत ही बड़ी और युगान्तरकारी कारंवाइयों में लगे हुए हैं। उनमें से बहुतों को बड़े जोशीले मौकों का सामना करना पड़ा और वे बाल-बाल बचे। लेकिन लड़ाई के पिछले हिस्से में उनकी अहमियत खुल्लम-खुल्ला कम होने लगी, और उनकी उपेक्षा शुरू हो गई। हरदयाल को, जो अमेरिका से आये थे, बहुत पहले ही सलाम कर लिया गया था। कमिटी से उनकी बिलकुल नहीं बनी, और कमिटी तथा जर्मन सरकार दोनों ही उनको विश्वास-पात्र नहीं मानते थे, उन्होंने उन्हें चुपचाप खिसका दिया। कई साल बाद जब १९२६ और १९२७ में मैं योरप में था, तब मुझे यह देखकर अचम्भा हुआ कि योरप में रहनेवाले ज्यादातर हिन्दुस्तानियों के दिलों में हरदयाल के खिलाफ़ कितनी कटुता और कितनी नाराजगी है। उन दिनों वह स्वीडन में रहते थे। मैं उनसे नहीं मिला।

लड़ाई खत्म होते ही बर्लिनवाली हिन्दुस्तानी कमिटी का बुरी तरह खात्मा हो गया। उन लोगों की तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया था, जिससे उनके लिए जिन्दगी बिलकुल नीरस हो गई थी। उन्होंने बहुत बड़ा जुआ खेला था, और उसमें हार गये थे। लड़ाई के सालों में उन्हें जो महत्व मिला, और जैसे बड़े-बड़े वाक्यात हुए, उनके बाद तो हर हालत में जिन्दगी भारभूत मालूम होती। लेकिन उन बेचारों को तो मुंह-मांगे इस तरह की बेफ़िक्री की जिन्दगी भी नहीं नसीब हो सकती थी। वे हिन्दुस्तान में लौट नहीं सकते थे, और लड़ाई के बाद के हारे हुए जर्मनी में रहने के

लिए कोई आराम की जगह थी नहीं। उन बेचारों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उनमें से कुछेक को ब्रिटिश सरकार ने बाद में हिन्दुस्तान में आने की इजाजत दे दी, लेकिन बहुतों को तो जर्मनी में ही रहना पड़ा। उनकी हालत बड़ी नाजुक थी। जाहिर है कि वे किसी भी राज्य के नागरिक न थे। उनके पास वाजिब पासपोर्ट तक नहीं थे। जर्मनी के बाहर तो सफ़र करना मुमकिन था ही नहीं, जर्मनी में रहने में भी बहुतसी मुश्किलें थीं, वे वहाँ की पुलिस की मेहरबानी से ही रह सकते थे। उनकी जिन्दगी बहुत ही चिन्ता और मुसीबत से भरी थी। रोज़-बरोज उन्हें कोई-न-कोई फ़िक्र सवार रहती थी। हर वक्त उन्हें इसी बात के लिए परेशान रहना पड़ता था, कि क्या खायें और कैसे जियें ?

१९३३ के शुरू से नाज़ियों के दौर-दौरे ने उनकी बदनसीबी को और भी बड़ा दिया। अगर वे सोलहों आने नाज़ियों के मत को मान लें तो दूसरी बात है। जो लोग नॉर्डिक नहीं हैं, और खास तौर पर एशियायी हैं, ऐसे विदेशियों का आजकल जर्मनी में स्वागत नहीं होता। उन लोगों को ज्यादा-से-ज्यादा उस वक्त तक वहाँ ठहरने भर दिया जाता है जब तक कि वे ठीक तरह से रहें। हिटलर ने कई बार यह ऐलान किया है कि वह हिन्दुस्तान में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी शासन का तरफ़दार है। इसमें शक नहीं कि यह बात वह ब्रिटेन की सद्भावना प्राप्त करने को कहता है, इसीलिए वह ऐसे किसी हिन्दुस्तानी को शह नहीं देना चाहता जिसने ब्रिटिश सरकार को नाराज़ कर दिया हो।

बर्लिन में हमें जो देश-निकाले हुए हिन्दुस्तानी मिले उनमें से एक चम्पकरमन पिल्ले थे। वह पुराने युद्धकालीन दल के एक मशहूर मेम्बर थे। वह कुछ धूमधाम-पसन्द थे, और नौजवान हिन्दुस्तानियों ने उन्हें एक बुरासा खिताब दे रक्खा था। वह सिर्फ़ राष्ट्रीयता की भाषा में ही सोच सकते थे। किसी भी सवाल को उसके सामाजिक और आर्थिक पहलू से देखने से वह दूर भागते थे। जर्मनी के राष्ट्रवादी 'स्टील हेल्मेट्स' से उनकी खूब पटती थी। वह जर्मनी में उन थोड़े-से हिन्दुस्तानियों में से थे, जिनकी नाज़ियों से खूब छनती थी। कुछ महीने हुए, जेल में मंने खबर पढ़ी कि बर्लिन में उनका देहान्त हो गया।

हिन्दुस्तान के एक मशहूर घराने के वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय बिलकुल दूसरी किस्म के आदमी थे। आम तौर पर लोग उन्हें चट्टो के नाम से जानते थे। वह बहुत ही काबिल और बड़े मन्त्र के आदमी थे। हमेशा मुसीबतों में रहते। उनके कपड़े बिलकुल फटे-पुराने थे, और अक्सर उन्हें अपने खाने का इन्तज़ाम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। लेकिन उनके मज़ाक और उनकी खुशदिली ने उनका साथ कभी नहीं

छोड़ा। जब मैं इंग्लैण्ड में पढ़ रहा था, तब वह मुझसे कुछ साल आगे थे। जब मैं हैरो में दाखिल हुआ, तब वह ऑक्सफोर्ड में थे। तबसे वह कभी हिन्दुस्तान को नहीं लौटे। कभी-कभी घर की याद उनको सताने लगती और वह हिन्दुस्तान को लीटने के लिए ब्याकुल हो उठते। उनके तमाम पारिवारिक बन्धन खत्म हो चुके थे। और यह तय है कि अगर वह कभी हिन्दुस्तान आये तो फौरन ही वह दुःखी होने लगेंगे, और यह पावेंगे कि यहाँ उनका मेल नहीं मिलता। लेकिन इतने वर्षों के बीत जाने और लम्बे-लम्बे सफ़र करने के बावजूद घर का खिंचाव तो रहता ही है। देश से निकाला हुआ कोई भी शख्स अपनी इस बीमारी से, जिसे मैजिनी 'आत्मा का तर्पेदक' कहता था, नहीं बच सकता।

मैं यह जरूर कहूँगा कि मुझे दूसरे मुल्कों में जितने देश-निकाले हुए हिन्दुस्तानी मिले, उनमें ज्यादातर लोगों का मेरे ऊपर अच्छा असर नहीं पड़ा, यद्यपि मैं उनकी कुर्बानियों की तारीफ़ करता था और जिन वाक़ई और असली मौजूदा मुसीबतों में वे फँसे हुए थे और उन्होंने जो तकलीफ़ें सही थीं और जो सहनी पड़ रही थीं, उनसे मेरी पूरी हमदर्दी थी। मैं उनमें से ज्यादा लोगों से नहीं मिला, क्योंकि उनकी तादाद बहुत काफी है और वे दुनिया-भर में फँले हुए हैं। उनमें से नाम भी तो हमने बहुत कम के सुने हैं, बाक़ी तो हिन्दुस्तान की दुनिया से बिलकुल अलग हो गये हैं और अपने जिन हिन्दुस्तानी भाइयों की खिदमत करने की उन्होंने कोशिश की वे उन्हें भूल गये हैं। उनमें से जिन थोड़े-से लोगों से मैं मिला उनमें वीरेन्द्र चट्टोपाध्याय और एम० एन० राय के बुद्धि-वैभव का मुझपर अच्छा असर पड़ा। राय से मैं कोई आध घण्टे तक मास्को में मिला था। उन दिनों वह प्रमुख कम्यूनिस्ट थे, लेकिन कम्यूनिस्ट इंटर-नेशनल ब्रांड के कट्टर कम्यूनिज्म से बाद के उनके कम्यूनिज्म में फर्क हो गया था। मैं समझता हूँ कि चट्टो बाकायदा कम्यूनिस्ट न थे, सिर्फ़ उनका झुकाव कम्यूनिज्म की तरफ़ था। अब तो राय को हिन्दुस्तानी जेलों में पड़े हुए तीन साल से भी ज्यादा हो गये हैं।

इनके अलावा और भी बहुत-से हिन्दुस्तानी थे जो योरप के मुल्कों में घूमते-फिरते थे। ये लोग क्रान्तिकारियों की जुबान में बात-चीत करते, बड़े-बड़े जीवट की और अजीब बातें सुझाते, कौतूहल-भरे विचित्र सवाल पूछते। ऐसा मालूम पड़ता था कि इन लोगों पर ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस (खुफिया महकमे) की छाप लगी हुई थी।

हाँ, हम बहुतसे यूरोपीयनों और अमेरिकनों से भी मिले। जिनेवा से हम कई बार बील नॉर्वे में रोमा रोलां को देखने के लिए विला आँला गये। उनके पास पहली मर्त्तबा जाते वक़्त हम गांधीजी से परिचय-पत्र लेते गये थे। एक नौजवान जर्मन कवि

धीर नाटककार की याद भी में बहुत बहुमूल्य समझता हूँ। इसका नाम था अन्स्टे टॉलर। अब नाट्रियों के शासन में वह जर्मन नहीं रहा। यही बात न्यूयार्क के नागरिक-स्वाधीनता-संघ के रोजर बाल्डविन के लिए है। जिनेवा में नामी लेखक घनगोपाल मुकर्जी से भी हमारी दोस्ती हो गई थी। वह अमेरिका में बस गये हैं।

योरप जाने से पहले मैं हिन्दुस्तान में फ्रैंक बुशमैन से मिला था। यह आक्सफोर्ड-ग्रूप-मूवमेंट के है। इन्होंने अपनी हलचल के सम्बन्ध में कुछ साहित्य मुझे दिया। उसे पढ़कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यकायक मजहब बदल देना या गुनाहों का इकबाल करते फिरना और आम तौर पर धर्म का पुनरुद्धार करना मेरी निगाह में ऐसी बातें हैं जिनका बुद्धि-वाद के साथ मेल नहीं खाता। मैं यह नहीं समझ सका कि जो शस्त्रा जाहिरा तौर पर साफ-साफ बुद्धिमान मालूम होते थे वे ऐसे अजीब मनोभावों के शिकार कैसे हो जाते हैं और उनपर इन मनोविकारों का इस हद तक असर कैसे पड़ जात है? मेरा कौतूहल बढ़ा। जिनेवा में फ्रैंक बुशमैन मुझे फिर मिले और उन्होंने मुझे न्योता दिया कि रूमानिया में उनकी जो अन्तर्राष्ट्रीय गृह-पार्टी होनेवाली है उसमें मैं शामिल होऊँ। मुझे अफसोस है कि मैं वहाँ नहीं जा सका और नजदीक से इस नई भावपूर्णता को नहीं देख सका। इस तरह मेरा कौतूहल अभी तक अतृप्त ही है और मैं इस आक्सफोर्ड-ग्रूप-मूवमेंट की बढ़ती की जितनी खबरें पढ़ता हूँ उतना ही आश्चर्य करता हूँ।

आपसी मतभेद

हमारे स्वीजरलैण्ड में पहुँचने के बाद फ़ौरन ही इंग्लैण्ड में आम हड़ताल हो गई थी, जिससे मुझे बहुत उत्तेजना हुई। मेरी हमदर्दी पूरी तरह हड़तालियों के साथ थी। कुछ दिनों के बाद जब हड़ताल बुरी तरह खत्म हुई तब मुझे ऐसा मालूम पड़ा मानों खुद मुझपर चोट पड़ी है। कुछ महीने बाद मुझे कुछ दिनों के लिए इंग्लैण्ड जाने का मौका मिला। वहाँ कोयले की खानों के मजदूरों की लड़ाई अभी तक चल रही थी और रात में लन्दन आधे अन्धेरे-से में रहता था। एक खान में भी मैं कुछ समय के लिए गया। मेरा खयाल है कि वह जगह डरबीशायर में होगी। मर्दों, औरतों और बच्चों के पीले और पिचके हुए चेहरे मैंने अपनी आँखों से देखे। इससे भी ज्यादा आँखें खोलनेवाली बात यह हुई कि मैंने हड़ताल करनेवाले मजदूरों और उनकी औरतों पर मुकामी या काउण्टी की अदालतों में मुकदमे चलते हुए देखे। इन अदालतों के मजिस्ट्रेट खुद उन कोयलों की खानों के डाइरेक्टर या मैनेजर थे। उन्हीं-की अदालतों में मजदूरों का मुकदमा हुआ और उन्हें ज़रा-ज़रा-से जुर्मों के लिए कुछ खास तौर पर बनाये गये कानूनों के मुताबिक सजा दे दी जाती थी। एक मुकदमे से मुझे खास तौर पर गुस्सा आया। अदालत के कटघरे में तीन या चार औरतें ऐसी लाई गईं जिनकी गोद में बच्चे थे। उनका जुर्म यह था कि उन्होंने हड़ताल करनेवालों की जगह पर काम करने जानेवाले मजदूर-द्रोहियों को धिक्कारा था। ये नीजवान मातायें और उनके नन्हें-नन्हें बच्चे दुःखी हैं और उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता, यह बात साफ़-साफ़ दिखाई देती थी। लम्बी लड़ाई से वे बहुत ही कमज़ोर हो गईं थी। उनकी हालत बहुत बिगड़ गई थी। उनमें उन मजदूर-द्रोहियों के प्रति कटुता आ गई थी जो उनके मुँह का कौर छीनते हुए मालूम होते थे।

अमीर श्रेणी के लोग गरीब दर्जे के लोगों के साथ कैसा इन्साफ़ करते हैं, इसकी बाबत अक्सर हम लोग बहुत-सी बातें पढा करते हैं; और हिन्दुस्तान में तो इस तरह के इन्साफ़ों के किस्से रोज़मर्रा की बातें हैं। लेकिन, किसी भी वजह से हो, मैं यह उम्मीद नहीं करता था कि इंग्लैण्ड में भी ऐसे 'इन्साफ़' का इतना बुरा नमूना मुझे देखने को मिलेगा। इस वजह से उससे मेरे मन में भारी धक्का लगा। एक और बात जिसे देखकर मुझे कुछ अचरज हुआ यह थी कि हड़ताल करनेवालों में डर की आबहवा फैली हुई थी। निश्चित रूप से पुलिस और हाकिमों ने उन्हें बुरी तरह डरा

दिया था जिससे वे बेचारे सब बातों को, में समझता हूँ कि उनके साथ जो बेइज्जती का बर्ताव किया जाता था उसे भी, चुपचाप सह लेते थे। यह सही है कि एक लम्बी लड़ाई के बाद वे बुरी तरह थक गये थे। उनकी हिम्मत उनका साथ छोड़ने को ही थी। दूसरे मजदूर-संघों के उनके साथी मजदूरों ने उनका साथ छोड़ ही दिया था। लेकिन गरीब हिन्दुस्तानी मजदूरों के मुकाबिले में फिर भी दुनिया-भर का फर्क था। ब्रिटिश खानों के मजदूरों का संगठन तो अभीतक बहुत मजबूत था। सचमुच मुल्क-भर के मजदूरों की ही नहीं, दुनिया-भर के मजदूर-संघों की हमदर्दी उनके साथ थी। उनके विषय में काफ़ी प्रचार हो रहा था। इसके अलावा भी उनके पास तरह-तरह के साधन थे। हिन्दुस्तानी मजदूरों को इनमें से एक भी बात नसीब नहीं। लेकिन फिर भी दोनों मुल्कों के मजदूरों की उस डर-भरी, भयभीत, निगाह में एक अजीब एकसापन था।

उस साल हिन्दुस्तान में असेम्बली और प्रान्तीय कौंसिलों का हर तीसरे साल होनेवाला चुनाव था। मुझे उन चुनावों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वहाँ जो घमासान वाग्युद्ध हुआ उसकी कुछ आवाज़ें स्वीज़रलैण्ड में भी पहुँच गईं। स्वराज-पार्टी इन दिनों तक कौंसिलों में बाकायदा कांग्रेस-पार्टी हो गई थी। इसकी मुखालिफ्त करने के लिए, मुझे मालूम हुआ कि, पं० मदनमोहन मालवीय और लाला लाजपतराय ने एक नई पार्टी बनाई थी। इस पार्टी का नाम रक्खा गया था नेशनलिस्ट-पार्टी। मेरी समझ में यह नहीं आया और अभीतक में नहीं समझ सका कि नई पार्टी और पुरानी पार्टी में किन बुनियादी उसूलों का फर्क था। सच बात तो यह है कि आजकल कौंसिलों की ज्यादातर पार्टियों में कोई कहने लायक फर्क नहीं है—उतना ही फर्क है जितना ईसरी और ईसरिया के नामों में। कोई असली उसूल उन्हें एक-दूसरे से अलग नहीं करता था। स्वराज-पार्टी ने पहले-पहल कौंसिलों में एक नया और लड़ाकू रख अख्तियार किया और दूसरों के मुकाबिले में वह ज्यादा गरम नीति से काम लेने की पक्ष-पाती थी। लेकिन यह फर्क तो मात्रा का फर्क था, किस्म का नहीं।

नई नेशनलिस्ट-पार्टी अधिक माडरेट यानी नरम दृष्टि-कोण की प्रतिनिधि थी। वह निश्चित रूपसे स्वराज-पार्टी से ज्यादा सरकार की ओर झुकी हुई थी। इसके अलावा वह सोलहों आने हिन्दू-पार्टी भी थी, जो हिन्दू-सभा के घनिष्ठ सह-योग के साथ काम करती थी। पं० मालवीयजी का इस पार्टी का नेतृत्व करना तो आसानी से समझ में आ सकता था, क्योंकि वह उनके सार्वजनिक रुत को अधिक-से-अधिक प्रदर्शित करती थी। पुराने ताल्लुकात की वजह से वह कांग्रेस में ज़रूर बने हुए थे, लेकिन उनका दिमागी दृष्टि-कोण लिबरलों या माडरेटों के दृष्टि-कोण

से ज्यादा भिन्न न था। कांग्रेस ने असहयोग और सीधी लड़ाई के जो नये ढंग अस्त्यार किये थे, वे उन्हें पसन्द न थे। कांग्रेस की नीति को तय करने में भी उनका कोई खास हाथ न था। यद्यपि लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे और कांग्रेस में हमेशा उनका स्वागत किया जाता था, लेकिन दरअसल वह नई कांग्रेस के नहीं थे। वह उसकी छोटी कार्य-कारिणी, —कार्य-समिति—के मेम्बर नहीं थे। और वह कांग्रेस के आदेशों पर भी अमल नहीं करते थे, खासकर उन आदेशों पर जो कौंसिलों के बारे में दिये जाते थे। वह हिन्दू-सभा के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता थे, और हिन्दू-मुसलमानों के मामलों में उनकी नीति कांग्रेस की नीति से जुदा थी। कांग्रेस के प्रति उनको वैसी भावुकता-पूर्ण आसक्ति थी, जैसी किसी एक संस्था से किसीका करीब-करीब शुरू से ही सम्बन्ध होने पर हो जाती है। कुछ हद तक इसलिए भी उन्हें कांग्रेस से प्रेम था, क्योंकि आजादी की लड़ाई की दिशा में भी उनकी भावुकता उन्हें खींच ले जाती थी और वह यह देखते थे कि कांग्रेस ही एक ऐसी संस्था है जो उसके लिए कोई कारगर काम कर रही है। इन वजूहात से उनका दिल अक्सर कांग्रेस के साथ रहता था, खास तौर पर लड़ाई के वक्त में; लेकिन उनका दिमाग दूसरे कैंपो में था। लाजिमी तौर पर इसका नतीजा यह हुआ कि खुद उनके भीतर लगातार एक अन्तर्द्वन्द्व होता रहता था। कभी-कभी वह एक-दूसरे के खिलाफ दिशाओं में, पूर्व-पश्चिम दोनों तरफ, एकसाथ चलने की कोशिश करते थे। नतीजा यह होता था कि लोगों की बुद्धि गड़बड़ी में पड़ जाती थी। लेकिन राष्ट्रीयता ऐसी गोलमालों की खिचड़ियों से ही भरी हुई है और मालवीयजी केवल नैशनलिस्ट है, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों से उनका कोई वास्ता नहीं। वह पुराने कट्टर पंथ के समर्थक थे और हैं। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से वह सनातन-धर्म के माननेवाले हैं। हिन्दु-स्तानी राजे, ताल्लुकेदार तथा बड़े-बड़े जमींदार ठीक ही उन्हें अपना हितचिन्तक मित्र समझते हैं। वह सिर्फ एक ही तबदीली चाहते हैं, पर उसे जरूर तहेदिल से चाहते हैं। वह हैं हिन्दुस्तान से विदेशी शासन का कतई हट जाना। उन्होंने अपनी जवानी में जो कुछ पढ़ा और जो राजनैतिक तालीम पाई थी उसका अब भी उनके दिमाग पर बहुत असर है और वह लड़ाई के बाद की, बीसवीं सदी की, सजीव और क्रान्तिकारी दुनिया को अर्ध-स्थिर उन्नीसवीं सदी के चश्मे से, टी० एच० ग्रीन और जान स्टुअर्ट मिल और ग्लैंडस्टन व मॉर्ले की निगाहों से तथा हिन्दू-संस्कृति और समाज-विज्ञान के तीन-चार वर्ष पुराने पृष्ठ-भाग से, देखते हैं। यह एक विचित्र मेल है, जिसमें परस्पर-विरोधी बातें भरी हुई हैं। लेकिन परस्पर-विरोधी बातों को हल करने की अपनी खुद की शक्ति में उनका विश्वास आश्चर्य-जनक है। उठती जवानी

से ही विविध क्षेत्रों में उनके द्वारा भारी सार्वजनिक सेवायें होती आई हैं। काशी-हिन्दू-विश्व-विद्यालय जैसी विशाल संस्था कायम करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। उनकी सचाई और उनकी लगन बिलकुल साफ़ दिखाई देती है। उनकी भावण-शक्ति बहुत ही बा-असर है। उनका स्वभाव मीठा है और उनका व्यक्तित्व दिल को अपनी तरफ़ कर लेनेवाला है। इन सब बातों से हिन्दुस्तान के लोगों को, खास तौर पर हिन्दुओं को, वह बहुत प्यारे हैं, और यद्यपि बहुत-से लोग राजनीति में उनसे सहमत नहीं हैं, न उनके पीछे ही चलते हैं, लेकिन वह उनसे प्रेम तथा उनकी इज्जत जरूर करते हैं। अपनी अवस्था और बहुत लम्बी सार्वजनिक सेवा की वजह से वह हिन्दुस्तान की राजनीति के नेस्टर या वृद्ध-वशिष्ठ हैं, लेकिन ऐसे जो समय से पीछे मालूम देते हैं और जो आजकल की दुनिया से बिलकुल अलग-से हैं। उनकी आवाज़ की तरफ़ लोगों का ध्यान अब भी जाता है, लेकिन वह जो भाषा बोलते हैं उसे अब बहुत-से लोग न तो समझते ही हैं न उसकी परवाह ही करते हैं।

इन बातों से मालवीयजी के लिए यह स्वाभाविक ही था कि वह स्वराज-पार्टी में शामिल न होते। वह पार्टी राजनैतिक दृष्टि से उनके लिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ी हुई थी, और उसमें कांग्रेस की नीति पर डटे रहने का कड़ा अनुशासन जरूरी था। वह चाहते थे कि कोई ऐसी पार्टी हो जो ज्यादातर उग्र न हो और जिसमें राजनैतिक और फिरकेवाराना दोनों मामलों में मन-मुताबिक काम करने की ज्यादा छूट मिले। ये दोनों बातें उन्हें उस नई पार्टी में मिल गईं जिसके वह जन्मदाता और नेता थे।

लेकिन यह बात आसानी से समझ में नहीं आती कि लाला लाजपत राय क्यों नई पार्टी में शामिल हुए, यद्यपि उनका झुकाव भी कुछ-कुछ दाहिनी तरफ़ और ज्यादा फिरकेवाराना नीति की तरफ़ था। उस साल गमियों में मैं जिनेवा में लालाजी से मिला था और मुझसे उनकी जो बातें वहाँ हुईं उनसे तो यह नहीं मालूम पड़ता था कि वह कांग्रेस-पार्टी के खिलाफ़ लड़ाकू रुख अख्तियार करेंगे। यह क्यों हुआ, इस बात का अभी तक मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन चुनाव की लड़ाई के दौरान मैं उन्होंने कुछ स्पष्ट इलज़ाम लगाये, जिनसे यह पता चल जाता है कि उनके मन में क्या-क्या चल रहा था। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर इलज़ाम लगाया कि वे हिन्दुस्तान से बाहर के लोगों के साथ साजिश कर रहे हैं। उन्होंने एक यह भी इलज़ाम लगाया कि काबुल में कांग्रेस की शाखा खोलकर इन्होंने कुछ साजिश की है। मेरा खयाल है कि जन्होंने अपने इन इलज़ामों की बाबत कोई खास बात कभी नहीं बताई। बार-बार प्रार्थना करने पर भी वह तफ़सील में कोई सबूत न दे सके।

मुझे याद है कि जब मैंने स्वीज़रलैण्ड में हिन्दुस्तानी अखबारों में लालाजी के

इलजामों को पढ़ा तो मैं दंग रह गया। कांग्रेस के मंत्री की हैसियत से मैं कांग्रेस की बाबत सब बातें जानता था। काबुल की कांग्रेस-कमिटी का कांग्रेस से सम्बन्ध कराने में मेरा अपना हाथ था। उसकी शुरुआत देशबन्धु दास ने की थी। यद्यपि मुझे उस वक्त यह नहीं मालूम था, अब भी नहीं मालूम है, कि लालाजी के पास उन इलजामों की क्या तफसील थी, फिर भी मैं उनके स्वरूप को देखकर यह कह सकता हूँ कि जहाँतक कांग्रेस से ताल्लुक है इन इलजामों की कोई बुनियाद नहीं हो सकती। मैं नहीं जानता कि इस मामले में लालाजी कैसे गुमराह हो गये। मुमकिन है कि तरह-तरह की अफवाहों का उन्होंने ऐतबार कर लिया हो, और मेरा खयाल है कि हालही में मौलवी उबेदुल्ला के साथ उनकी जो बातचीत हुई थी उससे उनके ऊपर ज़रूर असर पड़ा होगा। हालांकि उस बातचीत में मुझे कोई बात ऐसी ग़र-मामूली नहीं मालूम होती थी, लेकिन चुनाव के वक्त में ग़रमामूली हालत पैदा हो जाती है। उनमें एक ऐसी अजीब बात होती है कि लोगों का मिज़ाज बिगड़ जाता है और वे मामूली पैमानों के मुताबिक काम नहीं करते। इन चुनावों को मैं जितना ही ज्यादा देखता हूँ उतनी ही ज्यादा मेरी हँसत बढ़ती जाती है, और मेरे मन में उनके खिलाफ एक ऐसी अरुचि पैदा हो रही है जो लोकतंत्री भाव के क़तरई खिलाफ है।

लेकिन, शिकायतों की बात जाने दीजिए, मुल्क के बढ़ते हुए फिरकेवाराना मिज़ाज को देखकर, नैशनलिस्ट-पार्टी का या ऐसी ही किसी और पार्टी का खड़ा होना लाज़िमी था। एक तरफ मुसलमानों के दिलों में हिन्दुओं की ज्यादा तादाद का डर था, दूसरी तरफ हिन्दुओं के दिलों में इस बात पर बहुत नाराज़गी थी कि मुसलमान उन-पर बाँस जमाते हैं। बहुत-से हिन्दू यह महसूस करते थे कि मुसलमानों का रुख बहुत-कुछ 'जो-कुछ पास पल्ले है उसे रख दे नहीं तो ठीक कर दूंगा' जैसा है और वे दूसरी तरफ़ सरकार की तरफ़ मिलने की धमकी देकर ज़बरदस्ती खास रिआयतें ले लेने की भी बहुत ज्यादा कोशिश करते थे। इसी वजह से हिन्दू-महासभा को कुछ अहमियत मिल गई, क्योंकि वह हिन्दू राष्ट्रियता की प्रतिनिधि थी। अब हिन्दुओं की हिन्दू-साम्प्रदायिकता मुसलमानों की साम्प्रदायिकता के मुकाबले पर आ डटी थी। महासभा की लड़ाकू हरकतों का यह नतीजा हुआ कि मुसलमानों की यह साम्प्रदायिकता और भी जोर पकड़ गई। इसी तरह घात-प्रतिघात होता रहा और इस प्रक्रिया में मुल्क का फिरकेवाराना पारा बहुत चढ़ गया। खास तौर पर यह सवाल देश के अल्पसंख्यक दल और बहुसंख्यक दल के झगड़ें का सवाल था। लेकिन अजीब बात तो यह थी कि मुल्क के कुछ हिस्सों में बात बिल्कुल उलटी थी। पंजाब और सिन्ध में हिन्दू और सिक्ख दोनों की तादाद मिलकर भी मुसलमानों से कम थी। और इन सूबों के अल्प-

संख्यक हिन्दू और सिक्खों को भी वैर-भाव रखनेवाली बहुसंख्या से कुचले जाने का उतना ही डर था जितना मुसलमानों को हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों में। या अगर बिलकुल ठीक-ठीक बात कही जाय तो यों कहिए कि दोनों दलों के मध्यश्रेणी वाले नौकरी की फिराक में लगे हुए लोगों को यह डर था कि कहीं ऐसा न हो जाय कि नौकरियाँ मिलने ही न पावें; और कुछ हद तक स्थापित स्वार्थ रखनेवाले जमींदारों और साहूकारों वगैरा को यह डर था कि कहीं ऐसे आमूल परिवर्तन न कर दिये जायें जिसमें हमारे स्वार्थों का सत्यानाश हो जाय।

साम्प्रदायिकता की इस बढ़ती से स्वराज-पार्टी को बहुत नुकसान पहुँचा। उसके कुछ मुसलमान मेम्बर उसे छोड़कर चले गये और मुसलमानों की फिरके-बाराना जमातों में जा मिले, और उसके कुछ हिन्दू मेम्बर खिसककर नेशनलिस्ट-पार्टी में जा मिले। जहाँतक हिन्दू लीडरों से ताल्लुक था, मालवीयजी और लाला लाजपतराय का मेल बहुत ताक़तवर मुकाबिला था और साम्प्रदायिकता के तूफान के केन्द्र पंजाब में उनका बहुत असर था। स्वराज-पार्टी या कांग्रेस की तरफ चुनाव लड़ने का खास बोझ मेरे पिताजी के ऊपर पड़ा। उस बोझ को उनसे बँटाने के लिए देशबंधु दास भी अब नहीं रहे थे। उन्हें लड़ाई में मज्जा आता था। किसी भी हालत में वह लड़ाई से जी नहीं चुराते थे, और मुखालिफ़ की ताक़त को बढ़ते हुए देखकर उन्होंने चुनाव की लड़ाई में अपनी तमाम ताक़त लगा दी। उन्होंने गहरी चोटें खाईं और दीं। दोनों पार्टियों में से किसीने भी किसीका कुछ लिहाज़ नहीं किया। शिष्टता भी छोड़ दी। इस चुनाव के पीछे भी उसकी याद बड़ी कड़वी बनी रही।

नेशनलिस्ट पार्टी को बहुत काफी मात्रा में कामयाबी मिली। लेकिन इस कामयाबी ने निश्चित रूप से असेम्बली के राजनैतिक लहजे को नीचा कर दिया। आकर्षण-केन्द्र और भी ज्यादा दाहिनी ओर चला गया। स्वराज-पार्टी खुद कांग्रेस का दाहिना पक्ष था। अपनी ताक़त बढ़ाने के लिए उसने बहुत-से संदिग्ध लोगों को पार्टी में घुस आने दिया। इस वजह से उसकी श्रेष्ठता में कमी हो गई। नेशनलिस्ट-पार्टी ने और भी नीचे जाकर उसी नीति से काम लिया। खिताबधारी लोगों, बड़े जमींदारों, मिल-मालिकों तथा दूसरे लोगों का एक अजीब भानमती का पिटारा उसमें आ इकट्ठा हुआ। इन लोगों का भला राजनीति से क्या ताल्लुक? उस साल १९२६ के अखीर में हिन्दुस्तान में एक भारी दुःखद घटना से अन्धेरा-सा छा गया। इस घटना से हिन्दुस्तान भर घृणा व रोष से काँप उठा। उससे पता चलता था कि फिरकेबाराना जोश हमारे लोगों को कितना नीचे गिरा सकता था। स्वामी भद्रानन्द को, जबकि वह बीमारी से चार पाई पर पड़े हुए थे, एक मजहब के अन्धे ने क़त्ल कर दिया। जिस पुरुष ने गोरखों

की संगीनों के सामने अपनी छाती खोल दी थी और उनकी गोलियों का सामना किया था उसकी ऐसी मौत ! करीब-करीब आठ बरस पहले इसी आर्य-समाजी नेता ने दिल्ली की विशाल जामा मसजिद की बेदी पर खड़े होकर हिन्दुओं और मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जमात को एके का और हिन्दुस्तान की आजादी का उपदेश दिया था । उस विशाल भीड़ ने 'हिन्दू-मुसलमानों की जय' के शोर से उनका स्वागत किया था और मसजिद से बाहर गलियों में उन्होंने उस ध्वनि को अपने खून की एक शामिल मुहर लगादी थी । और अब अपने ही देश-भाई द्वारा मारे जाकर उनके प्राण-पखेरू उड़ गये ! हत्यारा यह समझता था कि वह एक ऐसा अच्छा काम कर रहा है जो उमे बहिस्त को ले जायगा ।

विशुद्ध शारीरिक साहस का, किसी भी अच्छे काम में शारीरिक तकलीफ सहने और मौत तक की परवाह न करनेवाली हिम्मत का, मैं हमेशा से प्रसन्न रह रहा हूँ । मेरा खयाल है कि हममें से ज्यादातर लोग उस तरह की हिम्मत की तारीफ करते हैं । स्वामी श्रद्धानन्द में इस निडरता की मात्रा आश्चर्यजनक थी । लम्बा कद, शाही शकल, संन्यासी के वेश में बहुत उमर हो जाने पर भी बिलकुल सीधी चमकती हुई आँखें और चेहरे पर कभी-कभी दूसरो की कमजोरियों पर आनेवाली चिडचिडाहट या गुस्से की छाया का गुजरना, मैं इस सजीव तस्वीर को कैसे भूल सकता हूँ ? अक्सर वह मेरी आँखों के सामने आ जाती है ।

ब्रसेल्स में पीड़ितों की सभा

१९२६ के अखीर में मैं इतिफाक से बर्लिन में था और वहीं मुझे यह मालूम हुआ कि हाल ही में ब्रसेल्स शहर में पददलित कौमों की एक कान्फेंस होनेवाली है। यह खयाल मुझे बहुत पसन्द आया और मैंने घर यानी हिन्दुस्तान को लिखा कि कांग्रेस को ब्रसेल्स-कांग्रेस में अधिकारी-रूप से हिस्सा लेना चाहिए। कांग्रेस ने मेरी यह बात पसन्द की और मुझे ब्रसेल्स-कान्फेंस के लिए हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय महासभा का प्रतिनिधि बना दिया गया।

ब्रसेल्स की यह कांग्रेस १९२७ की फरवरी के शुरू में हुई। मुझे पता नहीं कि यह खयाल पहलेपहल किसको सूझा ? उन दिनों बर्लिन एक ऐसा केन्द्र था जो देशनिकाले हुए राजनैतिक लोगों और दूसरे मुल्कों के उग्र विचार के लोगों को अपनी तरफ खींचता था। इस मामले में बर्लिन धीरे-धीरे पेरिस के बराबर पहुँच रहा था। वहाँ कम्यूनिस्ट-दल भी काफ़ी मजबूत था। पददलित कौमों में आपस में तथा इन कौमों में और मजदूर उग्र-दलों में एक-दूसरे के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कुछ काम करने का खयाल उन दिनों लोगों में फैला हुआ था। लोग अधिकाधिक यह महसूस करते जाते थे कि साम्राज्य-वाद नाम की चीज़ के खिलाफ आजादी की लड़ाई सबके लिए एक-सी है, इसलिए यह मुनासिब मालूम होता है कि इस लड़ाई की बाबत मिलकर गौर किया जाय और जहाँ हो सके वहाँ मिलकर काम करने की कोशिश भी की जाय। इंग्लैण्ड, फ्रान्स, इटली वगैरा जिन राष्ट्रों के पास उपनिवेश थे वे कुदरतन इस बात के खिलाफ थे कि ऐसी कोई कोशिश की जाय। लेकिन लड़ाई के बाद जर्मनी के पास तो उपनिवेश रहे नहीं थे, इसलिए जर्मनी की सरकार दूसरी ताकतों के उपनिवेशों और आधीन देशों में आन्दोलन की इस बढ़ती को एक हितैषी की तटस्थता से देखती थी। यह उन कारणों में से एक था जिसने बर्लिन को एक केन्द्र बना दिया था। उन लोगों में सबसे ज्यादा मशहूर व क्रियाशील वे चीनी थे जो वहाँ की कम्यूनिस्ट-पार्टी के बायें दल (गरमदल) के थे। यह पार्टी उन दिनों चीन में तूफान की तरह जीतती जा रही थी और उसकी बेरोक गति के आगे पुराने जमाने की ज़मींदारियाँ बगैरा ज़मीन में लुढ़कती नज़र आ रही थीं। चीन के इस नये चमत्कार के सामने साम्राज्यवादी ताकतों ने भी अपनी तानाशाही आदतों को और धौंस-डपट को छोड़ दिया था। ऐसा मालूम पड़ता था कि अब चीन के एके और उसकी आजादी के मसले के हल हो जाने में ज्यादा देर नहीं

लगेगी। कम्यूनितेंग खुशी से फूलकर कुप्पा हो गई थी। लेकिन उसके सामने जो मुश्किलें आने को थीं उन्हें भी वह जानती थी। इसलिए वह अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार द्वारा अपनी ताकत बढ़ाना चाहती थी। गालिल्वन इस पार्टी के बायें दल के लोगों ने ही, जो दूसरे मुल्कों के कम्यूनिस्टों या कम्यूनिस्टों से मिलते-जुलते लोगों से मिलकर काम करते थे, इस तरह के प्रचार पर जोर दिया था, जिससे वे दूसरे मुल्कों में चीन की राष्ट्रीय परिस्थिति को और घर पर पार्टी में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकें। उस वक्त पार्टी ऐसे दो या तीन परस्पर प्रतिस्पर्धी और कट्टर शत्रु-दलों में नहीं बँट गई थी। उस वक्त वह बाहर से देखने वाले सब लोगों को संयुक्त सामना करती हुई मालूम होती थी।

इसलिए कम्यूनितेंग के यूरोपियन प्रतिनिधियों ने पद-दलित कौमों की कान्फ्रेंस करने के खयाल का स्वागत किया, शायद उन्होंने ही कुछ और लोगों से मिलकर इस खयाल को पहले-पहल जन्म दिया। कुछ कम्यूनिस्ट और कम्यूनिस्टों से मिलते-जुलते लोग भी शुरू से इस खयाल के समर्थक थे, लेकिन कुल मिलाकर कम्यूनिस्ट लोग कान्फ्रेंस के मामले में अलग, पीछे ही, रहे। लेटिन अमेरिका से भी क्रियात्मक मदद और सहायता आई, क्योंकि उन दिनों वह संयुक्तराज्य के आर्थिक साम्राज्यवाद के मारे कुड़मुड़ा रहा था। मैक्सिको की नीति उग्र थी। उसका सभापति भी उग्र दल का था। वह इस बात के लिए उत्सुक था कि संयुक्तराज्य के खिलाफ लेटिन अमेरिका के गुट की रहनुमाई करे। इसलिए मैक्सिको ने ब्रसेल्स कांग्रेस में बड़ी दिलचस्पी ली। वहाँ की सरकार एक सरकार की हैसियत से तो कांग्रेस में हिस्सा नहीं ले सकती थी, लेकिन उसने अपने एक प्रमुख राजनीतिज्ञ को भेजा कि वहाँ वह एक हितैषी दर्शक की हैसियत से मौजूद रहे।

ब्रसेल्स में जावा, इण्डो चाइना, फिलस्तीन, सीरिया, मिश्र, उत्तरी अफ्रीका के अरब और अफ्रीका के हब्शी लोगों की कौमी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इनके अलावा बहुत-से मजदूरों के उग्रदलों ने भी अपने प्रतिनिधि भेजे थे। बहुत-से ऐसे लोग भी जिन्होंने एक युग से मजदूरों की लड़ाइयों में खास हिस्सा लिया था, वहाँ मौजूद थे। कम्यूनिस्ट भी वहाँ थे। उन्होंने कांग्रेस की कारवाई में काफी हिस्सा लिया, लेकिन वे वहाँ कम्यूनिस्टों की हैसियत से न आकर कई मजदूर-संघ या बैसी ही संस्थाओं के प्रतिनिधि होकर आये थे।

जार्ज लेन्सबरी उस कांग्रेस के सभापति चुने गये और उन्होंने बहुत ही जोरदार भाषण दिया। यह बात इस बात का सबूत थी कि कांग्रेस कोई ऐसी-वैसी सभा न थी और न उसने अपना भाग्य ही कम्यूनिस्टों के साथ जोड़ दिया था। लेकिन इस बात में

कोई शक नहीं कि वहां एकत्र लोग कम्यूनिस्टों के प्रति मित्र-भाव रखते थे और यद्यपि उनमें और कम्यूनिस्टों में कई बातों में समझौता भले ही न हो सकता हो फिर भी काम करने के लिए कई बातें ऐसी भी थीं जिनमें मिलकर काम किया जा सकता था ।

वहाँ जो स्थायी संस्था साम्राज्यवाद-विरोधी लीग कायम की गई उसका भी सभापतित्व लेन्सबरी साहब ने स्वीकार कर लिया, लेकिन फोरम ही उन्हें अपनी इस जल्दबाजी पर पछताना पड़ा, या शायद ब्रिटिश मजदूर-दल के उनके साथियों ने उनकी इस बात को पसन्द नहीं किया । उन दिनों यह मजदूर-दल 'सम्राट का विरोधी दल' था और जल्दी ही बढ़कर 'सम्राट-सरकार' बनने को था । अब भला मंत्री-मण्डल के भावी सदस्य खतरनाक और क्रान्तिकारी राजनीति में कैसे पैर फँसा सकते थे ? मिस्टर लेन्सबरी ने पहले तो काम में बहुत मशगूल रहने का बहाना करके लीग की सदारत से इस्तीफा दे दिया, बाद को उन्होंने उसकी मेम्बरी भी छोड़ दी । मुझे इस बात से बहुत अफ़सोस हुआ कि जिस शास्त्र के व्याख्यान की दो-तीन महीने पहले मैंने इतनी तारीफ की थी उसमें यकायक ऐसी तब्दीली हो गई ।

कुछ भी हो, काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति साम्राज्य-विरोधी लीग के संरक्षक हैं । उनमें एक तो आइन्स्टीन साहब हैं और दूसरी श्रीमती सनयातसेन, और मेरा खयाल है कि रोमा रोलाँ भी । कई महीने बाद आइन्स्टीन ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि फिलस्तीन में अरबों और यहूदियों के जो झगड़े हो रहे थे उनमें लीग ने अरबों का पक्ष लिया था और यह बात उन्हें नापसन्द थी ।

ब्रसेल्स-काँग्रेस के बाद लीग की कमिटियों की कई मीटिंगें वक्तन-फवक्तन भिन्न-भिन्न जगहों में हुईं । इन सबसे मुझे अधीनस्थ और औपनिवेशिक प्रदेशों की कुछ समस्याओं को समझने में बड़ी मदद मिली । उनकी वजह से पश्चिमी संसार में मजदूरों के जो भीतरी संघर्ष चल रहे हैं उनकी तह तक पहुँचने में भी मुझे आसानी हुई । उनकी बाबत मैंने बहुत-कुछ पढ़ा था, और कुछ तो मैं पहले से ही जानता था, लेकिन मेरे उस ज्ञान के पीछे कोई असलियत नहीं थी, क्योंकि उनसे मेरा कोई जाती ताल्लुक नहीं पड़ा था । लेकिन अब मैं उनके सम्पर्क में आया और कभी-कभी मुझे उन मसलों का भी सामना करना पड़ा जो इन भीतरी संघर्षों में प्रकट होते हैं । दूसरी इंटरनेशनल और तीसरी इंटरनेशनल नाम की मजदूरों की जो दो दुनिया हैं उनमें मेरी हमदर्दी तीसरी के साथ थी । लड़ाई से लेकर अबतक दूसरी इंटरनेशनल ने जो कुछ किया उससे मुझे अरुचि हो गई और हमको तो हिन्दुस्तान में इस इंटरनेशनल के सबसे जबर्दस्त हिमायती ब्रिटिश मजदूर दल के तरीकों का जाती तजुर्बा हो चुका

था। इसलिए लाजिमी तौर पर कम्यूनिज्म की बाबत मेरा खयाल अच्छा हो गया; क्योंकि उसमें कितने भी ऐब क्यों न हों, कम्यूनिस्ट कम-से-कम साम्राज्यवादी और पाखण्डी तो-न थे। कम्यूनिज्म से मेरा यह सम्बन्ध उसके सिद्धान्तों की वजह से नहीं था, क्योंकि मैं कम्यूनिज्म की कई सूक्ष्म बातों की बाबत ज्यादा नहीं जानता था। उस वक़्त उससे मेरी जान-पहचान सिर्फ उसकी मोटी-मोटी बातों तक ही महसूस थी। ये बातें और वे भारी-भारी परिवर्तन जो रूस में हो रहे थे मुझे आकर्षित कर रहे थे। लेकिन अक्सर कम्यूनिस्टों से मैं उनके डिक्टेटराना ढंग तथा उनके नये लड़ाकू और कुछ हदतक गँवारू तरीके से और जो लोग उनसे सहमत न हों उन सबकी बुराई करने की उनकी आदतों की वजह से चिढ़ जाता था। उनके कहने के मुताबिक तो मेरा यह मनोभाव मेरी बुर्जुआओं की-सी, अमीराना, तालीम और लालन-पालन की वजह से था।

एक अजीब बात यह भी थी कि साम्राज्य-विरोधी लीग की कमिटियों की बैठकों में बहस के छोटे-छोटे मामलों में मैं मामूली तौर पर एंग्लो-अमेरिकन मेम्बरों की तरफ़ रहता था। किस तरीके से काम किया जाय, कम-से-कम इस मामले में तो हम लोगों के दृष्टि-कोण एक-से ही थे। मैं और वे लोग ऐसी सब तजवीजों के खिलाफ़ थे जो लम्बी-चौड़ी और आलंकारिक हों और जो घोषणापत्रों जैसी मालूम पड़ती हों। हम लोग तो छोटी-सी और सीधी-सादी-सी चीज़ चाहते थे। लेकिन यूरोपीय महाद्वीप के देशों की परम्परा इसके खिलाफ़ थी। अक्सर कम्यूनिस्टों में और गैर-कम्यूनिस्टों में भी मत-भेद हो जाया करता था। मामूली तौर पर हम लोग समझते पर राजी हो जाते थे। इसके बाद हममें से कुछ लोग अपने-अपने घर लौट आये और उसके बाद होनेवाली कमिटियों की मीटिंगों में शामिल नहीं हो सके।

साम्राज्यवादी शक्तियों के वैदेशिक और औपनिवेशिक दफ़्तर ब्रसेल्स-काँग्रेस से कुछ खौफ़ खाते थे। ब्रिटिश वैदेशिक विभाग के नामी लेखक 'अंगुर' ने अपनी एक किताब में इस काँग्रेस का कुछ सनसनीदार और कहीं-कहीं हास्यास्पद हाल दिया है। गालबन खुद काँग्रेस में खुफियाओं की भरमार थी। बहुतसे प्रतिनिधि भी कई खुफियादलों के प्रतिनिधि थे। इसकी हमें एक मज्जेदार मिसाल मिली। मेरे एक अमेरिकन दोस्त उन दिनों पेरिस में रहते थे। उनसे एक दिन फ़्रांस की खुफिया पुलिस के एक साहब मिलने के लिए आये। वह महज कुछ मामलों की बाबत दोस्ताना तरीके से कुछ बातें पूछना चाहते थे। जब वह साहब अपनी बातें पूछ चुके तब उन अमेरिकन सज्जन से बोले—आपने मुझे पहचाना या नहीं, मैं तो आपसे पहले भी मिल चुका हूँ। अमेरिकन ने उन्हें बड़े शौर से देखा; लेकिन उन्हें यह मंजूर

करना पड़ा कि मुझे याद नहीं आता कि मैंने आपको कब और कहाँ देखा। तब खुफिया पुलिस के उन साहब ने उन्हें बताया, कि मैं आपसे ब्रसेल्स-काँग्रेस में नीग्रो प्रतिनिधि की हैसियत से मिला था, उस वक़्त मैंने अपना चेहरा और अपने हाथ बग़ैरा सब बिलकुल काले कर लिये थे।

साम्राज्य-विरोधी-संघ की एक बैठक कोलोन में हुई और मैं भी उसमें शामिल हुआ। जब कमिटी की बैठक ख़त्म हो गई तब हमसे यह कहा गया कि चलो, नज़दीक ही ड्रुसेल्डॉफ़ में सेक्को-वेन्ज़ेटी के सिलसिले में जो जलसा हो रहा है उसमें चलें। जब हम उस सभा से वापस आ रहे थे तब हमसे कहा गया कि पुलिस को अपने-अपने पासपोर्ट दिखाइए। हममें से ज्यादातर लोगों के पास अपना-अपना पासपोर्ट था, लेकिन मैं अपना पासपोर्ट कोलोन के होटल में छोड़ गया था। क्योंकि हम लोग ड्रुसेल्डॉफ़ तो सिर्फ़ कुछ घण्टों के लिए ही आये थे। इसपर मुझे पुलिस-थाने में ले जाया गया। मेरी खुशकिस्मती से इस मुसीबत में मुझे दो साथी भी मिल गये। वे थे एक अंग्रेज़ और उनकी बीवी। ये दोनों भी अपने पासपोर्ट कोलोन में छोड़ आये थे। हमें वहाँ कोई एक घण्टा ठहरना पड़ा होगा, इस बीच में शायद फोन से सब बातें दर्यापस्त कर ली गईं। इसके बाद पुलिसवालों ने बड़ी महरबानी करके हमें जाने की इजाज़त दी।

पिछले सालों में यह साम्राज्य-विरोधी-लीग कम्यूनिज़म की तरफ़ ज्यादा झुक गई। लेकिन जहाँतक मुझे मालूम है, उसने किसी भी वक़्त अपनी अलग हस्ती को नहीं खोया। मैं तो उसके साथ अपना सम्पर्क दूर से पत्रों द्वारा ही रख सकता था। १९३१ में काँग्रेस और सरकार के बीच दिल्ली में जो समझौता हुआ और उसमें मैंने जो हिस्सा लिया उसकी वज़ह से यह लीग बहुत ज्यादा नाराज़ हो गई और उसने मुझे बिलकुल निकाल बाहर किया, या ठीक-ठीक यों कहिए कि उसने मुझे निकालने के लिए एक प्रस्ताव भी पास किया। मैं यह मंज़ूर करता हूँ कि मैंने उसे नाराज़ी का काफ़ी मसाला दिया था, लेकिन फिर भी वह मुझे स्थिति साफ़ करने का कुछ मौक़ा दे सकती थी।

१९२७ की गर्मियों में मेरे पिताजी योरप आये। मैं उनसे वेनिस में मिला और उसके बाद के कुछ महीनों तक अक्सर हम लोग साथ-साथ रहे। हम सब लोगों ने—मेरे पिताजी, पत्नी, छोटी बहन और मैंने—नवम्बर में थोड़े दिनों के लिए मास्को की यात्रा की। उन दिनों सोवियट सरकार की दसवीं सालगिरह मनाई जा रही थी। हम लोग मास्को में बहुत ही थोड़े दिनों के लिए, सिर्फ़ तीन-चार दिन के ही लिए, गये थे; क्योंकि हमने यकायक वहाँ जाना तय किया था। लेकिन हमें इस बात की

खुशी है कि हम वहाँ गये; क्योंकि उसकी इतनी झाँकी भी काफ़ी थी। इतनी जल्दी में किया गया वह दौरा हमें नये रूस की बाबत न तो ज्यादा सिखा ही सकता था न उसने सिखाया ही, लेकिन उसने हमें अपने अध्ययन के लिए एक बुनियाद दे दी। पिताजी के लिए ये सब सोवियट और समाष्टिवादी विचार बिलकुल नये थे। उनकी तमाम तालीम क़ानूनी और बिधान-सम्बन्धी थी और वे उस ढाँचे में से आसानी से नहीं निकल सकते थे। लेकिन मास्को में उन्होंने जो कुछ देखा उसका उनके ऊपर निश्चित रूप से असर पड़ा था।

जब पहले-पहल साइमन-कमीशन की बाबत ऐलान हुआ तब हम लोग मास्को में ही थे। हमने उसकी बाबत पहले-पहल मास्को के एक अख़बार में पढ़ा। इसके कुछ दिनों बाद पिताजी लन्दन में—प्रिवी-कौंसिल में—हिन्दुस्तान के एक मामले की अपील में सर जान साइमन के साथ-साथ वकील थे। यह एक पुरानी जमींदारी का मुक़दमा था जिसमें शुरू-शुरू में बहुत साल पहले मैंने भी पैरवी की थी। उस मुक़दमे में मुझे कुछ दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन एक मर्तबा मैं सर जान साइमन के कहने पर पिताजी के साथ-साथ कुछ सलाह-मशवरे में शामिल होने के लिए साइमन साहब के चेम्बर में गया था।

१९२७ का साल भी ख़त्म हो रहा था, और योरप में हम बहुत ज्यादा ठहर चुके थे। अगर पिताजी योरप न आते तो शायद हम पहले ही घर लौट गये होते। हमारा एक इरादा यह भी था कि घर लौटते वक़्त कुछ समय दक्षिण-पूर्वी योरप, टर्की और मिश्र में भी बितावें। लेकिन उस वक़्त उसके लिए समय नहीं रहा था और मैं इस बात के लिए उत्सुक था कि कंग्रेस का जो अगला जलसा मदरास में बड़े दिन की छुट्टियों में होने को था उसमें शामिल हो सकूँ। इसलिए मैं, मेरी पत्नी, मेरी बहन व मेरी पुत्री दिसम्बर के शुरू में मारसेलीज़ से कोलम्बो के लिए रवाना हो गये। पिताजी तीन महीने और योरप में ही रहे।

हिन्दुस्तान में बापसी और फिर राजनीति में

योरप से मैं बहुत अच्छी शारीरिक और मानसिक हालत लेकर लौट रहा था ।

मेरी पत्नी अभी पूरी तरह चंगी तो नहीं हुई थी, लेकिन वह पहले से बहुत बेहतर थी । इसलिए मुझे उनकी तरफ से किसी किस्म की फिक्र नहीं रही थी । मैं ऐसा महसूस करता था कि मुझमें शक्ति और जीवन लबालब भरा हुआ है; और इससे पेशतर भीतरी द्वन्द्व और मनसूबों के बिगड़ जाने का जो खयाल मुझे अक्सर परेशान करता रहता था, यह इस वक्त न रहा था । मेरा दृष्टि-बिन्दु व्यापक हो गया था और बजात खुद राष्ट्रीयता का मकसद मुझे निश्चित रूप से तंग और नाकाफ़ी मालूम होता था । इममें कोई शक नहीं कि राजनैतिक स्वतन्त्रता, आजादी, लाजिमी थी, लेकिन वह तो सही दिशा में कदमभर है । जबतक सामाजिक आजादी न होगी और समाज का तथा राज का बनाव समाजवादी न होगा तबतक न तो मुत्क ही ज्यादा तरक्की कर सकता है, न उसमें रहनेवाले लोग ही । मैं यह महसूस करने लगा कि मुझे दुनिया के मामलात ज्यादा साफ़ दिखाई दे रहे हैं । आजकल की दुनिया को जोकि हर वक्त बदलती रहती है, मैंने अच्छी तरह समझ लिया है । चालू मामलों और राजनीति के बारे में ही नहीं, लेकिन सांस्कृतिक और वैज्ञानिक तथा और भी ऐसे विषयों पर जिनमें मेरी दिलचस्पी थी, मैंने खूब पढ़ा । योरप और अमेरिका में जो बड़े-बड़े राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे थे, उनके अध्ययन में मुझे बड़ा लुत्फ़ आता था । यद्यपि सोवियट रूस के कई पहलू अच्छे नहीं मालूम होते थे, फिर भी वह मुझे जोरों से अपनी ओर खीचता था और ऐसा मालूम होता था कि वह दुनिया को आशा का सन्देश दे रहा है । १९२५ के आसपास योरप एक तरीके से एक जगह जमकर बैठने की कोशिश कर रहा था । महान् आर्थिक संकट तो उसके बाद ही आने को था । लेकिन मैं वहाँ से यह विश्वास लेकर लौटा कि जमकर बैठने की यह कोशिश तो उपरी है और निकट-भविष्य में योरप में और दुनिया में भारी उथल-पुथल होने वाली है, तथा बड़े-बड़े विस्फोट होनेवाले है ।

मुझे फ़ौरन ही सबसे पहले करने का काम यह दिखाई देता था कि हम देश को दुनिया में होनेवाली इन घटनाओं के लिए शिक्षित व उद्यत करें, उसे उनके लिए जहाँतक हमसे हो सके वहाँतक तैयार रखें । यह तैयारी ज्यादातर खयालों की तैयारी थी, जिसमें सबसे पहली बात तो यह थी कि हमारी राजनैतिक आजादी के

मक़सद के बारे में किसीको कुछ शक नहीं होना चाहिए। यह बात सबको साफ़-साफ़ समझ लेनी चाहिए कि हमारे लिए सम्भवनीय एकमात्र राजनैतिक ध्येय यही हो सकता है और यह औपनिवेशिक-पद के बारे में जो अस्पष्ट और गोलमोल बातें की जाती हैं उससे बिलकुल जुदा है। इसके अलावा सामाजिक ध्येय भी था। मैंने महसूस किया कि कांग्रेस से यह उम्मीद करना कि अभी इस तरफ वह ज्यादा दूर जा-सकेगी बहुत ज्यादा होगा। कांग्रेस तो महज़ एक राजनैतिक राष्ट्रीय संस्था है जिसे दूसरे तरीकों पर सोचने का अभ्यास न था। लेकिन फिर भी, इस दिशा में भी शुरुआत की जा सकती है। कांग्रेस से बाहर मज़दूर-मंडलों में और नीजवानों में वे खयालत कांग्रेस से ज्यादा दूर तक फैलाये जा सकते थे। इसके लिए मैं अपनेको कांग्रेस के दफ़्तर के काम से अलग रखना चाहता था। इसके अलावा मेरे मन में कुछ-कुछ यह खयाल भी था कि मैं कुछ महीने सुदूर भीतर के गाँवों में रहकर उनकी हालत का अध्ययन करने में बिताऊँ। लेकिन होनहार ऐसा न था और घटनाओं ने तय कर लिया था कि वे मुझे कांग्रेस की राजनीति में घसीट लेंगी।

हम लोगों के मदरास में पहुँचने के बाद फौरन ही मैं कांग्रेस के भँवर में फँस गया। कार्य-समिति के सामने मैंने कई प्रस्ताव पेश किये। आज़ादी के बारे में, लड़ाई के खतरे के बारे में, साम्राज्य-विरोधी-संघ के बारे में और ऐसे ही कुछ और प्रस्ताव पेश किये। करीब-करीब ये सब प्रस्ताव मंजूर हुए और वे कार्य-समिति के सरकारी प्रस्ताव बना लिये गये। कांग्रेस के खुले अधिवेशन में भी वे प्रस्ताव मुझे ही पेश करने पड़े और मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे सब-के-सब करीब-करीब एक राय से पास हो गये। आज़ादी के प्रस्ताव का तो मिसेज़ एनी बेसेण्ट तक ने समर्थन किया। इस चारों ओर के समर्थन से मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन मेरे दिल में यह खयाल बेचैनी पैदा करता था कि या तो लोगों ने उन प्रस्तावों को समझा ही नहीं है कि वे क्या है या उन्होंने उनके मानी तोड़-मरोड़कर बिलकुल दूसरे लगा लिये हैं। कांग्रेस के बाद फौरन ही आज़ादी के प्रस्ताव के बारे में जो बहस उठ खड़ी हुई उससे यह ज़ाहिर हो गया कि असल में यही बात थी।

मेरे ये प्रस्ताव कांग्रेस के हस्बमालूम प्रस्तावों से कुछ भिन्न थे। वे एक नये दृष्टिकोण को व्यक्त करते थे। इसमें शक नहीं कि बहुत-से कांग्रेसी उन्हें पसन्द करते थे, कुछ लोग कुछ हद तक उन्हें नापसन्द करते थे लेकिन इतना नापसन्द नहीं करले थे कि उनकी मुखालिफ़त करें। गालिबन ये पिछले लोग यह समझते थे कि प्रस्ताव महज़ तात्त्विक हैं, उनके पास होने न होने से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, और उनसे पिण्ड छुड़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनको पास कर दिया जाय और और

ज्यादा महत्वपूर्ण काम की तरफ ध्यान दिया जाय। इस तरह उन दिनों आज़ादी का प्रस्ताव कांग्रेस में उठनेवाली एक सजीव और अदम्य प्रेरणा को व्यक्त नहीं करता था जैसा कि उसने एक या दो साल बाद किया। उस वक़्त तो वह एक बहु-व्यापी और बढ़ते जानेवाले भाव को ही व्यक्त करता था।

गांधीजी मदरास में ही थे। वह कांग्रेस के खुले अधिवेशन में आते थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के नीति-निर्माण में कोई हिस्सा नहीं लिया। वह जिस कार्य-समिति के मेम्बर थे उसकी बैठकों तक में भी शामिल न हुए। जबसे कांग्रेस में स्वराज-पार्टी का जोर हुआ तबसे कांग्रेस के प्रति उनका अपना राजनैतिक रुख यही रहता था। लेकिन हाँ, उनसे समय-समय पर सलाह ली जाती थी और कोई भी महत्वपूर्ण बात उनको बताये बिना नहीं की जाती थी। मुझे नहीं मालूम कि मैंने कांग्रेस में जो प्रस्ताव पेश किये उन्हें वह कहाँ तक पसन्द करते थे। मेरा झुकाव तो इस खयाल की तरफ़ है कि वह उन्हें नापसन्द करते थे—उन प्रस्तावों में जो कुछ कहा गया था उसकी वजह से उतना नहीं जितना उनकी आम प्रवृत्ति और दृष्टिकोण की वजह से। लेकिन उन्होंने किसी भी अवसर पर उनकी नुक्ताचीनी नहीं की। मेरे पिताजी तो उन दिनों योरप ही थे।

आज़ादी के प्रस्ताव की अवास्तविकता तो कांग्रेस की उसी बैठक में उसी वक़्त जाहिर हो गई थी जबकि साइमन-कमीशन की निन्दा और उसके बायकाट के लिए अपील करने सम्बन्धी दूसरे प्रस्ताव पर विचार हुआ। इस प्रस्ताव के फलस्वरूप यह तजवीज़ की गई कि सब दलों की एक कान्फ़ेन्स बुलाई जाय, जो हिन्दुस्तान के लिए एक शासन-विधान बनावे। यह जाहिर था कि जिन माडरेट दलों का सहयोग लेने की कोशिश की गई थी, वे आज़ादी के लिहाज़ से कभी बातों को देख ही नहीं सकते थे। वे तो ज्यादा-से-ज्यादा उपनिवेशों के-से पद के किसी स्वरूप तक जा सकते थे।

मुझे फिर कांग्रेस का सेक्रेटरी होना पड़ा। इसके कुछ कारण तो ज्ञाती थे। उस साल के प्रेसिडेंट डाक्टर अन्सारी मेरे पुराने और प्यारे दोस्त थे। उनकी स्वाहिश थी कि मैं ही सेक्रेटरी बनूँ और मुझे भी यह खयाल था कि जब मेरे इतने प्रस्ताव पास हुए हैं तब मेरा फ़र्ज़ है कि मैं यह देखूँ कि उनके मुताबिक़ काम हो। यह सच है कि सर्व-दल-सम्मेलन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पास हुआ था उसने कुछ हद तक मेरे प्रस्तावों के असर को मार दिया था, फिर भी बहुत कुछ रह गया था। इसके अलावा मेरे मन्त्रि-पद मंजूर कर लेने का असली कारण तो यह डर था कि कांग्रेस सब दलों की कान्फ़ेन्स के जरिये या दूसरी वजह से कहीं माडरेट स्थिति की तरफ़, राजीनामे और समझौते की तरफ़, न झुक जाय। उन दिनों ऐसा मालूम होता था कि कांग्रेस

दुविधा में पड़ी हुई है, कभी वह उग्रता की तरफ बढ़ती तो कभी नरमी की तरफ हटती। मैं चाहता था कि जहाँतक मुझसे हो सके वहाँतक इस दुविधा में झूलती हुई कांग्रेस को नरमी की तरफ न झुकने दूँ और उसे आजादी के ध्येय पर डटाये रहूँ।

राष्ट्रीय कांग्रेस के सालाना जलसों के मौकों पर बहुत-से दूसरे जलसे भी हमेशा हुआ करते हैं। मदरास में इस तरह का एक जलसा 'रिपब्लिकन कान्फ्रेंस' नाम का हुआ। इसका पहला (व आखरी) जलसा उसी साल वहीं हुआ। मुझसे कहा गया कि मैं उसका सभापति बन जाऊँ। मुझे यह खयाल पसन्द आया, क्योंकि मैं अपने-को रिपब्लिकन (प्रजातन्त्र-वादी) समझता हूँ। लेकिन मुझे शिक्षक इस बात की थी कि मुझे यह नहीं भालूम था कि इस कान्फ्रेंस को करानेवाले साहब कौन हैं और मैं यों ही बरसाती मेंढकों की तरह पैदा होनेवाली चीजों से अपना सम्बन्ध नहीं करना चाहता था। अखीर मैं जाकर मैं उसका सभापति बना। लेकिन बाद को मुझे इसके लिए पछताना पड़ा; क्योंकि ऐसे बहुत-से मामलो की तरह यह रिपब्लिकन कान्फ्रेंस भी भरी हुई पैदा होनेवाली साबित हुई। कई महीनों तक मैंने इस बात की कोशिश की कि उसने जो प्रस्ताव पास किये थे उनकी प्रतियाँ मुझे मिल जायें। लेकिन मेरी सब कोशिश बेकार गई। यह देखकर हँरत होती है कि हमारे कितने ही लोग नई-नई चीजें कायम करना पसन्द करते हैं और फिर उनकी तरफ से उदासीन होकर उन्हें उनके भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। इस समालोचना में बहुत-कुछ सचाई है कि हम लोग किसी काम को उठाकर उसे पूरा करना, उसपर डटे रहना, नहीं जानते।

कांग्रेस के बाद हम लोग मदरास से रवाना नहीं हो पाये थे कि खबर मिली कि दिल्ली में हुकीम अजमलख़ा की मृत्यु हो गई। कांग्रेस के भूतपूर्व सभापति की हैसियत से वह उसके बुजुर्ग राजनीतियों में से थे। लेकिन वह उसके अलावा कुछ और भी थे। कांग्रेस के नेताओं में उनकी अपनी खास जगह थी। यद्यपि जिस पुराने अनुदार तरीके से उनका लालन-पालन हुआ, उसमें नयेपन का तो कहीं पता तक न था और मुगलों के जमाने की शाही दिल्ली की संस्कृति में वह सराबोर थे, फिर भी उनकी शराफत को देखकर, उनकी आहिस्ता-आहिस्ता बातें सुनकर, और उनके रूखे-सूखे मजाकों को सुनकर तबीयत खुश हो जाती थी। अपने शिष्टाचार में वह पुराने जमाने के रईसों के नमूने थे। उनकी नज़र और उनके तौर-तरीके शाही थे। उनका चेहरा भी मुगल-सम्राटों की मूर्तियों से बहुत-कुछ मिलता-जुलता था। ऐसे शरू मांमूली तौर पर राजनीति की धक्का-मुक्की में शामिल नहीं होते और जबसे आन्दोलनकारियों की नई नस्ल ने उन्हें परेशान करना शुरू किया तबसे हिन्दुस्तान में रहनेवाले अंग्रेज़ इस पुराने ढर्रे के लोगों की याद कर-करके लम्बी साँसें लेते हैं। अपनी शुरु की खिन्दगी

में हकीम अजमलख़ाँ का भी राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं था। वह हकीमों के एक नामी परिवार के मुखिया थे, इसलिए वह अपने पेशे में बहुत मशगूल रहते थे। लेकिन लड़ाई के पिछले सालों के ज़माने की घटनाओं और उनके पुराने दोस्त और साथी डॉक्टर एम० ए० अन्सारी का असर उन्हें काँग्रेस की तरफ ढकेल रहा था। उसके बाद की घटनाओं ने, पंजाब के मार्शल-लाँ और खिलाफत के सवाल ने, तो उनके ऊपर गहरा असर डाला और वह राज़ी-खुशी से गांधीजी के असहयोग के नये तरीक़े के हामी हो गये। काँग्रेस में अपने साथ वह एक निराला गुण तथा कई बहुमूल्य ख़ुबियाँ लाये। वह पुराने ढर्रे के लोगों और नये लोगों के बीच में दोनों को मिलाने-वाली कड़ी बन गये, और उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन को पुराने ढर्रे के लोगों की मदद दिला दी। इस तरह उन्होंने नयों और पुरानों में एक तरह का मेल मिला दिया और आन्दोलन की आगे बढ़नेवाली टुकड़ी को ताकत और मज़बूती पहुँचाई। हिन्दू और मुसलमानों को भी उन्होंने एक-दूसरे के बहुत नज़दीक ला दिया; क्योंकि दोनों ही उनकी इज़्जत करत थे और दोनों पर ही उनकी मिसाल का असर पड़ता था। गांधीजी के लिए तो वह एक ऐसे विश्वास-पात्र मित्र हो गये, जिनकी सलाह हिन्दू-मुसलमानों के मामले में उनके लिए 'ब्रह्म-वाक्य' थी। मेरे पिताजी और हकीमजी कुदरतन् एक-दूसरे के दोस्त हो गये।

पिछले साल हिन्दू-महासभा के कुछ नेताओं ने मुझपर यह इलज़ाम लगाया था कि अपनी सदोष शिक्षा तथा फ़ारसी संस्कृति के असर के कारण मैं हिन्दुओं के भावों से अनभिज्ञ हूँ। मैं किस संस्कृति से सम्पन्न हूँ या मेरे पास कोई संस्कृति है भी या नहीं, यह कहना मेरे लिए कुछ मुश्किल है। बदकिस्मती से फ़ारसी ज़बान को तो मैं जानता भी नहीं। लेकिन यह सही है कि मेरे पिताजी हिन्दुस्तानी-फ़ारसी संस्कृति की आबोहवा में बड़े हुए थे। यह संस्कृति उत्तरी भारत को दिल्ली के पुराने दरबार से बिरासत में मिली थी और इन बिगड़े हुए दिनों में भी दिल्ली और लखनऊ उसके खास केन्द्र हैं। कश्मीरी ब्राह्मणों में समय के अनुकूल हो जाने की अद्भुत शक्ति है। हिन्दुस्तान के मैदान में आने पर जब उन्होंने उन दिनों यह देखा कि ऐसी संस्कृति का बोलबाला है, तो उन्होंने उसे अख्तियार कर लिया और उनमें फ़ारसी और उर्दू के भारी पण्डित पैदा हुए। उसके बाद उन्होंने उतनी ही तेज़ी के साथ बढ़नेवाली व्यवस्था के अनुसार भी अपनेको बदल लिया। जब अंग्रेज़ी भाषा का जानना और यूरोपियन संस्कृति के अंशों को ग्रहण करना ज़रूरी हो गया तब उन्होंने इन्हें भी ग्रहण कर लिया। लेकिन अब भी हिन्दुस्तान में कश्मीरियों में फ़ारसी के कई नामी विद्वान हैं। इनमें से दो के नाम लिये जा सकते हैं, सर तेज़बहादुर सप्रू और राजा नरेन्द्रनाथ।

इस तरह मेरे पिताजी और हकीमजी में ऐसी बहुत-सी बातें थीं जो एक-दूसरे से मिलती-जुलती थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने पुराने खानदानी रिश्ते भी ढूँढ निकाले। उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। वे एक-दूसरे को 'भाई साहब' कहकर पुकारते थे। राजनीति तो उनके बहुत-से प्रेम-बन्धनों में से सिर्फ एक और सबसे कम बन्धन था। अपनी घर-गृहस्थी की आदतों में हकीमजी बहुत ही पुराण-पंथी थे। वह या उनके परिवार के लोग पुरानी आदतों को नहीं छोड़ सकते थे। उनके परिवार में जैसा विकट परदा किया जाता था वैसा मैंने कभी कहीं नहीं देखा था। फिर भी हकीम-साहब को इस बात का पूर्ण विश्वास था कि जबतक किसी मुल्क की औरतें अपनी आजादी हासिल न करलें तबतक वह मुल्क हरगिज़ तरक्की नहीं कर सकता। मेरे सामने वह इस बात पर बहुत जोर देते थे और कहते थे कि टर्की की आजादी की लड़ाई में वहाँ की औरतों ने जो हिस्सा लिया है उसे मैं बहुत ही काबिल-तारीफ़ समझता हूँ। उनका कहना था कि खास तौर पर टर्की की औरतों की बदौलत ही कमालपाशा को कामयाबी मिली।

हकीम अजमलख़ाँ के शरीरान्त से काँग्रेस को भारी धक्का लगा। उसके मानी थे कि काँग्रेस का एक सबसे ताक़तवर मददगार जाता रहा। तबसे लेकर अबतक हम सब लोगों को दिल्ली जाने पर वहाँ किसी चीज़ की कमी मालूम होती है; क्योंकि हमारी दिल्ली का हकीम साहब से और बिल्लीमारान में उनके मकान से बहुत गहरा सम्बन्ध था।

राजनैतिक दृष्टि से १९२८ का साल एक भरा-पूरा साल था। देशभर में तरह-तरह की हलचलों की भरमार थी। ऐसा मालूम पड़ता था कि एक नई प्रेरणा, एक नया जीवन, जो तरह-तरह के सभी समूहों में एक-सा मौजूद था, लोगों को आगे की तरफ़ बढ़ा रहा है। जिन दिनों मैं देश से बाहर था शायद उन दिनों धीरे-धीरे यह तबदीली हो रही थी और मेरे लौटने पर मुझे वह बहुत बड़ी तबदीली मालूम हुई। १९२६ के शुरू में हिन्दुस्तान जैसा-का-तैसा शान्त और निष्कर्म बना हुआ था। शायद उस वक्त तक उसकी १९२१-२२ की मेहनत की थकान दूर नहीं हुई थी। १९२८ में वह तरौताजा, क्रियाशील और रुकी हुई शक्ति से पूर्ण है, इस बात का सबूत हर जगह मिलता था। कारख़ानों के मजदूरों में भी और किसानों में भी। मध्यमवर्ग के नौजवानों में भी और आमतौर पर पढ़े-लिखे लोगों में भी।

मजदूर-संघों की हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सात-आठ साल पहले जो आल-इंडिया ट्रेड-यूनियन काँग्रेस कायम हुई थी वह एक मजबूत और प्रातिनिधिक जमात थी। न सिर्फ़ उसकी तादाद और उसके संगठन में ही काफ़ी तरक्की हुई थी,

बल्कि उसके विचार भी ज्यादा लड़ाकू और ज्यादा गरम हो गये थे। हड़तालें अबसर होती थीं और मजदूरों में वर्ग-चेतनता का ख्याल जोर पकड़ रहा था। कपड़े की मिलों में और रेलों में काम करने वाले मजदूर सबसे ज्यादा संगठित थे और इनमें से भी सबसे ज्यादा मजदूर और सबसे ज्यादा संगठित सघ थे बम्बई की गिरनी-कामगार-यूनियन और जी० आई० पी० रेलवे-यूनियन। मजदूरों के संगठन के बढ़ने के साथ-साथ लाज़िमी तीरं पर पश्चिम से घरेलू लड़ाई-झगड़ों के बीज भी आये। हिन्दुस्तान के मजदूर-संघों की हलचल को क्रायम हुए देर न हुई कि वे आपस में होड़ करने और दुश्मनी रखनेवाले दलों में बँट गये। कुछ लोग दूसरी इंटरनेशनल के हामी थे; कुछ तीसरी इंटरनेशनल के क्रायल। यानी एक दल का दृष्टिकोण नरमी की तरफ़, सुधार-वादी, था और दूसरा दल वह था जो खुल्लम-खुल्ला क्रांतिकारी था तथा आमूल परिवर्तन चाहता था। इन दोनों के बीच में कई क्रिस्म की रायें थीं, जिनमें मात्रा का भेद था, और जैसा कि आम जनता के संगठन में होता है इसमें मौका-परस्ती भी आ घुसी थी।

किसान भी करवट बदल रहे थे। उनकी यह जागृति संयुक्तप्रान्त में और खास-तीर पर अबध में दिखाई देती थी, जहाँ अपने ऊपर होनेवाले अन्यायों का विरोध करने के लिए किसानों की बड़ी-बड़ी सभायें आये दिन होने लगी थीं। लोग यह महसूस करने लगे थे कि अबध के जोत-सम्बन्धी जिस कानून ने किसानों को हीन-हयाती मौरूसी दी थी और जिससे बहुत ज्यादा उम्मीद की जाती थी उससे किसानों की दुःखमय ज़िन्दगी में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ा था। गुजरात के किसानों ने तो एक बड़े पैमाने पर संघर्ष शुरू कर दिया, क्योंकि गवर्नमेन्ट ने यह चाहा कि मालगुजारी बढ़ा दी जाय। गुजरात में किसान खुद अपनी ज़मीन के मालिक हैं, जहाँ सरकार सीधे किसानों से ताल्लुक रखती है। यह संघर्ष सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में हुआ बारडोली का सत्याग्रह था। इस लड़ाई में किसानों की बहादुरी की विजय हुई, जिसे देखकर तमाम हिन्दुस्तान वाह-वाह करने लगा। बारडोली के किसानों को बहुत काफी कामयाबी मिली। लेकिन उनकी लड़ाई की असली कामयाबी तो इस बात में थी कि उसने हिन्दुस्तान-भर के किसानों पर बड़ा अच्छा असर डाला। हिन्दुस्तान के किसानों के लिए बारडोली आशा और शक्ति और विजय का प्रतीक और चिन्ह हो गई।

१९२८ के हिन्दुस्तान की एक और बहुत खास बात थी नौजवानों के आन्दोलन की बढ़ती। हर जगह युवक-संघ क्रायम हो रहे थे और युवक-कान्फ़ेन्सें की जा रही थीं। ये संघ और कान्फ़ेन्स तरह-तरह के थे। कोई अर्द्ध-धार्मिक थे तो कोई क्रांतिकारी विचारों और उनके शास्त्रों पर विचार करनेवाले। लेकिन उनकी

उत्पत्ति कुछ भी हो, और उनका आधिपत्य किसीके हाथ में हो, युवकों की ऐसी सभार्ये ह्येशा अपने-आप आजकल की सजीव सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर विचार करने लगती थीं और आम तौर पर उनका झुकाव यही था कि एकदम काया-पलट करदी जाय ।

महज राजनैतिक विचार से देखा जाय तो यह साल साइमन-कमीशन के बायकाट के लिए और (बायकाट के रचनात्मक पहलू के नाम से पुकारे जाने वाले) सर्व-दल-सम्मेलन के लिए मशहूर है । इस बायकाट में नरम-दलवालों ने काँग्रेस का साथ दिया और उसमें गजब की कामयाबी हुई । जहाँ-जहाँ कमीशन गया वहाँ-वहाँ विरोधी जन-समूहों ने "साइमन गो बैक" (साइमन लौट जाओ) के नारे लगाकर उसका स्वागत किया और इस तरह हिन्दुस्तान के तमाम लोगों की बहुत बड़ी तादाद न सिर्फ सर जॉन साइमन का नाम ही जान गई बल्कि अंग्रेजी के "गो बैक" ये दो शब्द भी उसे मालूम हो गये । बस, अंग्रेजी के इन्हीं दो शब्दों में उनका ज्ञान खतम हो जाता है । ऐसा मालूम पड़ता है कि इन शब्दों से कमीशन के मेम्बरों के कान भड़कते थे और अपनी उसी भड़कन की वजह से वे चौक पड़ते थे । कहते हैं कि एक मर्तबा जब वे नई दिल्ली के वेस्टर्न होस्टल में ठहरे हुए थे तब उन्हें रात के अंधेरे में "साइमन गो बैक" का नारा सुनाई देने लगा । इस तरह रात में भी पीछा किये जाने पर मेम्बर लोग बहुत चिढ़े, जबकि असल बात यह थी कि वह आवाज उन गीदड़ों की थी जो शाही राजधानी के ऊजड़ प्रदेशों में रहते हैं ।

विधान के खास-खास उसूलों के तय करने में सर्व-दल-सम्मेलन को कुछ भी मुश्किल नहीं हुई । ये उसूल लोकतंत्रीय पार्लमेन्टरी ढंग के थे और कोई भी उनकी रूप-रेखा बना सकता था । असली मुश्किल और एकमात्र कठिनाई तो साम्प्रदायिक या अल्पमत वाली कौमो के सवाल की वजह से पैदा हुई और चूँकि कान्फेन्स में तमाम कट्टर-से-कट्टर फिरकेवाराना जमात के नुमाइन्दे थे, उनमें किसी तरह का राजीनामा निहायत ही मुश्किल हो गया । असल में वह पुरानी और बेकार कान्फेन्सों की तरह ही थी । पिताजी जो उस वक्त योरप से लौटे थे, उन्होंने इस सम्मेलन में बड़ी दिलचस्पी ली । अन्त में आखिरी तरकीब के तौर पर एक छोटी-सी कमिटी मुकर्रर कर दी गई । पिताजी इस कमिटी के सभापति बनाये गये । इस कमिटी का काम था कि वह विधान का मसविदा तैयार करे और साम्प्रदायिक प्रश्न पर पूरी रिपोर्ट दे । इस कमिटी को लोग 'नेहरू-कमिटी' कहने लगे और कमिटी की रिपोर्ट 'नेहरू-रिपोर्ट' के नाम से पुकारी जाने लगी । सर तेजबहादुर सप्रू भी इस कमिटी के मेम्बर थे, और वह उसकी रिपोर्ट के एक हिस्से के लिए जिम्मेदार भी थे ।

में इस कमिटी का मेम्बर नहीं था, लेकिन कांग्रेस के मंत्री की हैसियत से मुझे इसके लिए बहुत काम करना पड़ा। मैं बड़े असमंजस में था, क्योंकि मैं समझता था कि जब असली सवाल सत्ता को जीतने का हो तब तर्कसिलवार कागजी विधान तैयार करना बिलकुल बेकार बात है। मेरी दूसरी मुश्किल यह थी कि इस खिचड़ी कमिटी ने हमारा ध्येय लाजिमी तौर पर 'डोमिनियन स्टेट्स' तक ही महदूद कर दिया था, और दरअसल तो वह ध्येय इससे भी कम था। मेरी नज़र में तो कमिटी की असली अहमियत इस बात में थी कि वह साम्प्रदायिक उलझन में से निकलने का कोई रास्ता ढूँढ निकाले। मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि किसी पैक्ट या समझौते द्वारा यह सवाल हमेशा के लिए हल हो जायगा। यह सवाल हल तो तभी हो सकेगा जब कि लोगों का ध्यान इधर से हटकर सामाजिक और आर्थिक मसलों की तरफ़ लग जाय। लेकिन इस बात की सम्भावना थी कि अगर दोनों तरफ़ के लोगों की काफ़ी तादाद थोड़े वक्त के लिए भी कोई पैक्ट करले तो हालत कुछ सुधर जाती और लोगों का ध्यान दूसरे मसलों की तरफ़ लग जाता। इसलिए मैंने कमिटी के काम में रोड़े अटकाने के बजाय उसको जितनी मदद मैं दे सकता था उतनी मदद दी।

एक बार तो यह मालूम पड़ा कि अब कामयाबी मिली। सिर्फ़ दो-तीन बात तय करने को रह गई थी और इनमें असली महत्वपूर्ण सवाल पंजाब का था, जहाँ हिन्दू-मुस्लिम और सिक्खों का निकोना तनाव था। कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में पंजाब के सवाल पर बिलकुल नये ढंग से गौर किया और उसने इस मामले में जो सिफ़ारिशों की उनकी पुष्टि जन-संख्या के बँटवारे सम्बन्धी कुछ नये अंकों से की। लेकिन यह सब बिलकुल बेकार था। दोनों तरफ़ डर और शक का राज रहा और दोनों में जो थोड़ा-सा फ़र्क रह गया था उसे पूरा करने लिए दो-एक क़दम आगे तक नहीं बढ़ा गया।

अपनी कमिटी की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सर्व-दल-सम्मेलन लखनऊ में हुआ। इसमें हम लोग फिर एक दुविधा में पड़ गये; क्योंकि इधर तो हम यह चाहते थे कि हमारी वजह से फिरकेवाराना सवाल के हल होने में किसी किस्म की अड़चन न पड़े, बशर्ते कि वह सवाल हल हो सकता हो और उधर हम इस बात के लिए तैयार न थे कि आज़ादी के सवाल पर झुक जायें। हमने अर्ज़ किया कि सम्मेलन इस सवाल के बारे में अपने हरेक अंग को पूरी आज़ादी दे दे, जिससे इस मामले में जिसका जो जी चाहे सो करें। कांग्रेस आज़ादी पर डटी रहे, और जो लोग उससे अपनी नीति के अनुसार काम लेना चाहते हैं वे 'डोमिनियन स्टेट्स' पर। लेकिन पिताजी रिपोर्ट को पास कराने पर तुले हुए थे। वह ज़रा भी दबने को तैयार न थे। शायद उन परिस्थितियों में वह झुकना चाहते तो भी नहीं झुक सकते थे। सम्मेलन

में आज़ादी चाहनेवालों का एक बड़ा दल था। इस दल ने मुझे कहा कि मैं दल की तरफ से सम्मेलन में एक बयान दूँ, जिसमें यह कहूँ कि आज़ादी के ध्येय को कम करने के लिए जो कुछ भी किया जायगा उस सबसे हमारा कोई सरोकार न रहेगा। लेकिन हमने यह बात भी और साफ़ कर दी कि हम सम्मेलन के रास्ते में रोड़े न अटकावेंगे; क्योंकि हम फिरकेवाराना समझौते के रास्ते में अड़चनों नहीं डालना चाहते थे।

ऐसे बड़े सवाल पर इस तरह का रुख अख्यार करना बहुत कारगर नहीं साबित हो सकता था। ज्यादा-से-ज्यादा यह रुख नकारात्मक था। हमने उसी दिन हिन्दुस्तान का आज़ादी-संघ (इंडिपेण्डेन्स फ़ार इण्डिया लीग) कायम करके अपने इस रुख को विधेयात्मक स्वरूप भी दे दिया।

प्रस्तावित विधान में जो मौलिक अधिकार कायम किये गये थे, उनमें अवध के ताल्लुक़ेदारों के कहने पर एक धारा यह भी रख दी गई कि उनके ताल्लुक़ों में उनके स्थापित अधिकारों की गारण्टी रहेगी कि वे नहीं छीने जायेंगे। सर्व-दल-सम्मेलन की इस बात से मुझे एक और ज्यादा बड़ा धक्का लगा। इसमें कोई शक ही नहीं कि तमाम विधान व्यक्तिगत सम्पत्ति के खयाल की बुनियाद पर बनाया गया था, लेकिन बड़ी-बड़ी अर्द्ध-सामन्ती-सी रियासतों में उनकी मिलकियत के हकूक को विधान की अटल धारा बना देना मुझे बहुत ही बुरा मालूम हुआ। इससे यह बात साफ़ हो गई कि काँग्रेस के नेता और उनसे भी ज्यादा ग़ैर-काँग्रेसी अपने ही साथियों में सामाजिक दृष्टि से जो ज्यादा आगे बढ़े हुए समूह थे उनके मुक़ाबिले में बड़े-बड़े ज़मींदारों का साथ पसन्द करते थे। यह साफ़ था कि हमारे नेताओं के और हमारे बीच में एक बहुत बड़ी खाई है। और ऐसी हालत में मुझे अपने लिए यह बात बहुत ही बेहूदा मालूम होती थी कि मैं प्रधान-मन्त्री का काम करता रहूँ। मैंने इस बुनियाद पर अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहा कि मैं हिन्दुस्तान की आज़ादी के लिए जो संघ कायम किया गया है उसके संचालकों में से एक हूँ। लेकिन कार्य-समिति इस बात से सहमत न हुई। उसने मुझे और सुभाष बाबू से, जिन्होंने मेरे साथ-साथ उसी बिना पर इस्तीफ़ा दे देना चाहा था, यह कहा कि हम लोग संघ का काम मज्जे से कर सकते हैं, उस काम में और काँग्रेस की नीति में कोई विरोध नहीं है। सच बात तो यह है कि काँग्रेस ने तो पहले ही आज़ादी के ध्येय का ऐलान कर दिया है। इसपर मैं फिर राज़ी हो गया। यह बात आश्चर्यजनक है कि उन दिनों मुझे अपना इस्तीफ़ा वापस करने के लिए कितनी जल्दी राज़ी कर लिया जाता था। यह बात कई मर्त्तबा हुई और क्योंकि कोई भी पार्टी वास्तव में एक-दूसरे से अलग हो जाने के खयाल को पसन्द नहीं करती थी, इसलिए उससे बचने के लिए हमें जो बहाना मिलता उसीका हम आश्रय ले लेते।

गांधीजी ने इन तमाम पार्टियों की कान्फ्रेंसों और कमिटियों की मीटिंगों में कोई हिस्सा नहीं लिया था। यहाँ तक कि वह लखनऊ-कान्फ्रेंस के वक्त वहाँ मौजूद भी नहीं थे।

इस बीच में साइमन-कमीशन हिन्दुस्तान में दौरा कर रहा था और काले झंडे लिये हुए "गो बैक" के नारे लगानेवाली मुखालिफ़ भीड़ हर जगह उसका स्वागत कर रही थी। कभी-कभी भीड़ और पुलिस में मामूली झगड़ा भी हो जाता था। लाहौर में बात बहुत बढ़ गई और यकायक मुल्कभर में गुस्से की लहर-सी दौड़ गई। लाहौर में साइमन-विरोधी जो प्रदर्शन हुआ वह लाला लाजपतराय के नेतृत्व में हुआ। जब वह सड़क के किनारे हज़ारों प्रदर्शन-कारियों की ओर खड़े हुए थे तब एक नौजवान अंग्रेज़ पुलिस अफ़सर ने उनपर हमला किया और उनकी छाती पर डंडे लगाये। लालाजी का तो कहना ही क्या, भीड़ की तरफ़ से भी किसी किस्म का झगड़ा खड़ा करने की कोई कोशिश नहीं हुई थी। फिर भी जबकि वह एक तरफ़ शान्ति से खड़े हुए थे तब पुलिस ने उनको और उनके कई साथियों को बहुत बुरी तरह मारा। गलियों में अथवा सड़कों पर होनेवाले आम प्रदर्शनों में हिस्सा लेनेवाले हर शस्त्र को यह खतरा रहता है कि पुलिस से मुठभेड़ हो जायगी और यद्यपि हमारे प्रदर्शन करीब-करीब हमेशा ही सोलहों आने शान्त होते थे फिर भी लालाजी इस खतरे को ज़रूर जानते होंगे और उन्होंने जान-बूझकर वह खतरा उठाया होगा, लेकिन फिर भी जिस ढंग से उनपर हमला किया गया उससे और उस हमले की अनावश्यक पाशविकता से हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों को धक्का लगा। वे दिन वे थे जब हम पुलिस द्वारा लाठियों की मार खाने के आदी न थे। उस वक्त तक इस प्रकार बार-बार होनेवाली पाशविकता के आदी न होने के कारण हम उससे बहुत बुरा मानते थे। हमारे सबसे बड़े नेता, पंजाब के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा लोकप्रिय व्यक्ति के साथ ऐसे बुरे व्यवहार का होना बिल्कुल पैशाचिकता मालूम पड़ी और उस व्यवहार को देखकर हिन्दुस्तान-भर में, खासकर उत्तरी हिन्दुस्तान में, एक निर्जीव क्रोध फैल गया। हम लोग कितने असहाय और कितने घृणा-योग्य हैं, कि हम अपने नेताओं की इज्जत की भी रक्षा नहीं कर सकते !

लालाजी को शारीरिक चोट भी कम भीषण नहीं लगी, क्योंकि उनकी छाती पर लाठियाँ मारी गई थीं और वह बहुत दिनों से दिल की बीमारी से पीड़ित थे। शालिबन अगर ये चोट किसी तन्दुरुस्त नौजवान के लगी होती तो इतनी घातक न साबित होती। लेकिन लालाजी न तो नौजवान थे, न तन्दुरुस्त ही। कुछ हफ़्तों बाद लालाजी की जो मीत हुई उसपर इन शारीरिक चोटों का क्या असर पड़ा, निश्चित रूप से यह बताना

तो मुमकिन नहीं है, हालाँकि उनके डाक्टरों की यह राय थी कि इन चोटों के कारण उनकी मृत्यु जल्दी हो गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बात में कोई शक नहीं है कि शारीरिक चोटों से लालाजी को जो मानसिक आघात पहुँचा उसका उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ा। वह बहुत ही नाराज और सन्तप्त हो गये—इसलिए नहीं कि उनका ज्ञाती अपमान हुआ था, बल्कि इसलिए कि उनपर किये गये हमले में राष्ट्रीय अपमान सम्मिलित था।

हिन्दुस्तान के मन में इसी राष्ट्रीय अपमान का खयाल काम कर रहा था और जब उसके कुछ दिनों बाद ही लालाजी की मृत्यु हुई तब लोगों ने लाञ्छिमी तौर पर उसका ताल्लुक उनपर किये गये हमले से जोड़ा और इस खयाल से लोगों के दिलों में जो गुस्सा और रोष आया वह खुद-ब-खुद एक प्रकार के अभिमान के रूप में बदल गया। इस बात को समझ लेना जरूरी है, क्योंकि इस बात को समझ कर ही हम पीछे होने वाली बातों को, भगतसिंह की कहानी, उत्तरी भारत में भगतसिंह को यकायक जो आश्चर्यजनक लोकप्रियता मिली, उसको, समझ सकेंगे। उन कामों की तह में जो मूल स्रोत होते हैं, उनको जो बातें प्रेरित करनी हैं, उनको समझ लेने की कोशिश किये बिना किसी शस्त्र या किसी काम की निन्दा करना बहुत ही आसान और वाहियात है। इससे पहले भगतसिंह को लोग अच्छी तरह नहीं जानते थे और उन्हें जो लोकप्रियता मिली वह कोई हिंसात्मक या आतंकवाद का काम करने की बजह से नहीं मिली। आतंकवादी तो हिन्दुस्तान में करीब-करीब तीस बरस से रह-रह कर अपना काम कर रहे हैं और बंगाल में आतंकवाद के शुरू के दिनों को छोड़कर और कभी किसी भी आतंकवादी को, भगतसिंह को जो लोकप्रियता हासिल हुई उसका सोचा हुआ भी नहीं मिला। यह एक ऐसी जाहिर बात है जिससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। उसे तो मानना ही पड़ेगा। इसी तरह साफ़ और जाहिर बात यह है कि यदि आतंकवाद बीच-बीच में कभी-कभी जोर पकड़ जाता है फिर भी हिन्दुस्तान के नीजवानों के लिए अब उसमें कोई आकर्षण नहीं रहा। पन्द्रह बरस तक आहिंसा पर जोर दिये जाने से हिन्दुस्तान का सारा वातावरण बदल गया है, जिसके फल-स्वरूप अब जन-साधारण राजनैतिक लड़ाई के साधन के तौर पर आतंकवाद के खयाल के पहले से कहीं ज्यादा उदासीन या विरोधी तक हो गये हैं। जिस दर्जे के लोगों में से आम तौर पर आतंकवादी निकलते हैं उस दर्जे के लोगों पर यानी निचली सतह के मध्यम श्रेणी के लोगों पर और पढ़े-लिखों पर भी हिंसा के साधन के खिलाफ़ काँग्रेस ने जो प्रचार किया है उसका भारी असर पड़ा है। उनकी वे क्रियाशील और उतावली शक्तियाँ जो क्रान्तिकारी काम करने की ही बातें सोचा करती हैं, अब

यह पूरी तरह महसूस करने लगी है कि क्रान्ति आतंकवाद के जरिये से नहीं हो सकती और आतंकवाद तो एक ऐसा बेकार और जर्जरित तरीका है जो असली क्रान्तिकारी लड़ाई के रास्ते में रोड़े अटकाता है। हिन्दुस्तान में और दूसरे मुल्कों में भी अब तो आतंकवाद मरा-सा हो रहा है। और वह सरकारी दमन की वजह से नहीं, बल्कि आधारभूत कारणों और संसारव्यापी घटनाओं की वजहों से। सरकारी दमन तो सिर्फ दबाना या बोटल में बन्द कर देना भर जानता है, वह जड़ से उखाड़कर नहीं फेंक सकता। मामूली तौर पर आतंकवाद किसी देश में होनेवाली क्रान्तिकारी प्रेरणा के बचपन का द्योतक होता है। वह अवस्था गुजर जाती है और उसके साथ-साथ अहम घटना के रूप में आतंकवाद भी गुजर जाता है, मुकामी कारणों या वैयक्तिक ज्यादतियों के कारण कभी-कभी कुछ आतंकवादी कार्य भले ही होते रहे। बिलाशक हिन्दुस्तान की क्रान्ति का बचपन बीत चुका और इसमें कोई शक नहीं कि उसके फलस्वरूप यहाँ कभी-कभी हो जानेवाली आतंकवादी घटनायें भी धीरे-धीरे बन्द हो जायँगी। लेकिन इसके मानी यह नहीं है कि हिन्दुस्तान में सब लोगों ने हिंसात्मक साधन में विश्वास करना छोड़ दिया है। यह ठीक है कि उनमें से ज्यादातर लोग अब वैयक्तिक हिंसा और आतंकवाद में विश्वास नहीं करते, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि बहुत-से अब भी यह सोचते हैं कि एक समय ऐसा आ सकता है जब संगठित हिंसात्मक साधनों से काम लेना आजादी हासिल करने के लिए जरूरी हो जाय—ठीक वैसे ही जैसे कि दूसरे मुल्कों में जरूरी हो गया था। आज तो यह सवाल महज़ एक तात्त्विक विवाद का सवाल है। समय ही उसे कसौटी पर कस सकता है। जो हो; आतंकवादी साधनों से इसका कोई सरोकार नहीं।

इस तरह भगतसिंह ने अपने हिंसात्मक कार्य के लिए लोकप्रियता प्राप्त नहीं की, बल्कि इसलिए प्राप्त की कि कम-से-कम उस समय लोगों को ऐसा मालूम हुआ कि उसने लालाजी की ओर लालाजी के रूप में क्रीम की इज्जत रक्खी है। भगतसिंह एक प्रतीक बन गये। उनके काम को लोग भूल गये, केवल प्रतीक उनके मन में रह गया, जिसके फलस्वरूप पंजाब के हरेक गाँव व कस्बे में और उससे कुछ कम बाकी के उत्तरी भारत में उनका नाम घर-घर में गूँजने लगा। उनकी बाबत बेशुमार गीत बने और उन्होंने जो लोकप्रियता पाई वह सचमुच अजीब थी।

साइमन-कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में होनेवाली मार-पीट के कुछ दिनों बाद लाला लाजपत राय दिल्ली में अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमिटी की एक बैठक में शामिल हुए। उनके शरीर पर चोटों के निशान बने हुए थे और उनसे होनेवाली तकलीफों को वह भुगत रहे थे। यह मीटिंग लखनऊ के सर्व-दल-सम्मेलन के बाद हुई

थी और किसी-न-किसी रूप में उसमें आजादी के सवाल पर बहस उठ खड़ी हुई थी। मुझे यह तो याद नहीं रहा कि ठीक-ठीक बहस किस बात पर उठ खड़ी हुई थी, लेकिन मुझे यह याद है कि मैं वहाँ देर तक बोला और मैंने यह कहा कि अब समय आ गया है जब कांग्रेस को यह तय कर लेना चाहिए कि आया वह उस क्रान्तिकारी दृष्टिकोण को पसन्द करती है जिसमें हमारे राजनैतिक और सामाजिक भवन में कायापलट करने की जरूरत है, या सुधारवादियों के ध्येय और साधनों को। इस भाषण में ऐसी कोई महत्व की बात नहीं थी। मैं उस भाषण की बात को भूल भी गया होता, लेकिन वह इसलिए याद बनी रही कि लालाजी ने कमिटी में मेरे उस भाषण का जवाब दिया और उसके कुछ हिस्सों की नुक्ताचीनी की। उन्होंने एक चेतावनी इस आशय की दी कि हम लोगों को ब्रिटिश मजदूर-दल से कोई उम्मीद न रखनी चाहिए। जहाँतक मुझसे ताल्लुक है, इस चेतावनी की कोई जरूरत न थी; क्योंकि मैं ब्रिटिश-मजदूरों के जो अधिकारी नेता हैं उनका प्रशंसक नहीं हूँ। अगर मैं उन्हें हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई का समर्थन करते या साम्राज्यवाद-विरोधी कोई ऐसा कारगर काम करते देखता जो समाजवाद की तरफ ले जानेवाला होता तो मुझे तो आश्चर्य होता।

कांग्रेस कमिटी की बैठक में मैंने जो भाषण दिया था, लाहौर लौटकर लालाजी ने उसकी समालोचना शुरू कर दी। उन्होंने अपने हफ्तेवार अखबार 'पीपुल' में मेरी स्पीच से उठनेवाली बहुत-सी बातों के सम्बन्ध में एक लेखमाला लिखनी शुरू की। इस लेखमाला का सिर्फ एक ही लेख छपा था, दूसरा लेख दूसरे हफ्ते के अंक में छपने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। उनका वह पहला अधूरा लेख, जो शायद छापने के लिए लिखा गया उनका अन्तिम लेख था, मेरे लिए एक शोकपूर्ण दिलचस्पी का विषय था।

लाठी-प्रहारों का अनुभव

लाल लाजपतराय पर हमला और बाद में उनकी मृत्यु हो जाने से साइमन-कमीशन आगे जहाँ-जहाँ गया वहाँ-वहाँ उसके खिलाफ प्रदर्शनों का जोर और भी बढ़ गया। वह लखनऊ में आनेवाला था, और वहाँ भी काँग्रेस-कमिटी ने उसके 'स्वागत' की भारी तैयारियाँ की थीं। कई दिन पहले से ही बड़े-बड़े जुलूस, सभायें और प्रदर्शन किये गये, जो प्रचार के लिए और असली प्रदर्शन से पहले रिहर्सल के तौर पर थे। मैं भी लखनऊ गया और इनमें से कई कार्यों में मौजूद भी रहा। इन प्रारंभिक प्रदर्शनों की, जो पूरी तरह से व्यवस्थित और शान्त थे, कामयाबी ने अधिकारियों को झुंझला दिया, और उन्होंने खास-खास जगहों में जुलूसों को रोकना और उनके निकाले जाने के खिलाफ हुकम देना शुरू किया। इसी सिलसिले में मुझे नया अनुभव हुआ, और मेरे शरीर पर भी पुलिस के डण्डे और लाठी की मार पड़ी।

जुलूस, आमद-रफ्त में रुकावट पड़ने न देने का सबब जाहिर करके, बन्द किये गये थे। हमने फैसला किया कि इस मामले में शिकायत का कोई मौक़ा न दिया जाय, और जहाँतक मुझे याद है, सोलह-सोलह आदमियों की छोटी-छोटी टुकड़ियाँ बनाकर उन्हें अलग-अलग एकान्त रास्तों से सभा की जगह पर भेजने का इन्तज़ाम किया। क़ानून की बारीकी से देखा जाय तो बेशक यह हुकम का तोड़ना ही था, क्योंकि झण्डा लेकर सोलह आदमियों का निकलना एक जुलूस ही था। सोलह आदमियों के एक झुण्ड के आगे-आगे मैं था, और एक बड़े फ़ासले के बाद ऐसा ही एक और दल आया, जिसके नेता मेरे साथी गोविन्दवल्लभ पन्त थे। वह सड़क सुनसान-सी थी। मेरा दल शायद दोसौ गज़ ही गया होगा, कि हमने अपने पीछे घोड़ों के टापों की टपटपाहट सुनी। जब हमने पीछे मुँह किया तो देखा कि घुड़सवारों का एक दल, जिसमें शायद दो या तीन दर्ज़न व्यक्ति थे, हमारे ऊपर तेज़ी से चढ़ा चला आ रहा है। वे फ़ौरन ठीक हमारे पास आ पहुँचे, और उनके घोड़ों की जुड़ी हुई कतार ने सोलह आदमियों के हमारे छोटे-से झुण्ड को तितर-बितर कर दिया। फिर घुड़सवारों ने हमारे स्वय-सेवकों को बड़े डण्डों से मारना शुरू किया, और स्वयसेवक सहसा सड़क की बाजू की तरफ़ भागे, और कुछ तो छोटी दुकानों में भी घुस गये। सवारों ने उनका पीछा किया, और उन्हें पीट-पाटकर गिरा दिया। जब मैंने घोड़ों को ऊपर चढ़ते हुए देखा, तब मेरी भी स्वाभाविक वृत्ति ने मुझे प्रेरित किया कि मैं बच जाऊँ। वह हिम्मत

तोड़नेवाला दृश्य था। मगर फिर, मेरा खयाल है कि, किसी दूसरी स्वाभाविक वृत्ति ने मुझे अपनी जगह पर ही खड़ा रखा, और मैं पहले हमले को बरदाश्त कर गया, जिसे मेरे पीछे के स्वयंसेवकों ने रोक लिया था। अचानक मैंने देखा कि मैं सड़क के बीच में अकेला हूँ; मुझसे कुछ ही गज की दूरी पर सब तरफ पुलिसवाले थे, जो हमारे स्वयंसेवकों को पीट गिराते थे। अपने-आप ही मैं, कम नुमाया होने के खातिर, सड़क की बाजू की तरफ धीरे-धीरे चलने लगा। मगर मैं फिर रुक गया और मैंने अपने दिल में कुछ विचार किया, और यह फैसला किया कि हट जाना मेरे लिए अच्छा न होगा। यह सब सिर्फ कुछ ही पल में हो गया, मगर मुझे उस समय के विचार-संघर्ष और निर्णय का अच्छी तरह स्मरण है। यह निर्णय मेरी राय में मेरे उस स्वाभिमान का परिणाम था जो मुझे कायर की तरह काम करते नहीं देख सकता था। फिर भी कायरता और हिम्मत के बीच की रेखा बहुत बारीक थी, और मैं कायरता की तरफ भी जा सकता था। मैंने ऐसा निर्णय किया ही था कि मैंने मुड़कर देखा कि एक घुड़सवार मेरे ऊपर घोड़ा छोड़ता चला आ रहा है और अपना नया लम्बा डण्डा घुमा रहा है। मैंने उससे कहा—'लगाओ', और अपना सिर ज़रा हटा लिया। यह भी सिर और मुँह को बचाने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति ही थी। उसने मेरी पीठ पर धमाधम दो प्रहार किये। मुझे चक्कर आने लगा और मेरा सारा शरीर थरथराने लगा, मगर मुझे यह जानकर आश्चर्य और सन्तोष हुआ कि मैं फिर भी खड़ा ही रहा। फौरन ही पुलिस-दल पीछे हटा लिया गया, और उसे हमारे सामने सड़क रोकने को कहा गया। हमारे स्वयंसेवक फिर इकट्ठे हो गये, जिनमें से कई के खून निकल रहा था और कई की खोपड़ियाँ फूटी हुई थी। हमसे पन्त और उनका दल भी आ मिला, वह भी पीटा गया था। अब हम सब पुलिस के सामने बैठ गये। इस तरह लगभग एक घण्टे तक बैठे रहे और अँधेरा हो गया। एक तरफ तो कई बड़े-बड़े अफसर इकट्ठे हो गये, और दूसरी तरफ जैसे-जैसे खबर फैली वैसे-वैसे लोगो की बड़ी भीड़ इकट्ठी होने लगी। आखिरकार अधिकारी हमें अपने रास्ते से जाने देने पर राजी हो गये, और उसी रास्ते से हम गये, और हमारे आगे-आगे हमराह की तरह से पुलिस के घुड़सवार भी चले, जिन्होंने हमपर हमला किया था और हमें मारा था।

इस छोटी-सी घटना का हाल मैंने कुछ तफसील से लिखा है, क्योंकि इसका मुझपर खास असर हुआ। मुझे जो शारीरिक कष्ट हुआ वह मेरी इस खुशी के खयाल के आगे याद ही नहीं रहा कि मैं भी लाठी के प्रहारों को बरदाश्त करने और उनके सामने टिके रहने के लायक मजबूत हूँ। और जिस बात से मुझे ताज्जुब हुआ वह यह कि इस सारी घटना में, और जबकि मैं पीटा जा रहा था तब भी मेरा दिमाग ठीक-

ठीक काम करता रहा, और मैं अपने अन्दर की भावनाओं का ज्ञानपूर्वक विश्लेषण करता रहा ! इस रिहर्सल ने मुझे दूसरे दिन सवेरे बड़ी मदद दी, जबकि हमारा और भी सख्त इम्तिहान होनेवाला था । क्योंकि दूसरे दिन सवेरे ही साइमन-कमीशन आने-वाला था, और उसी वक्त हमारा बड़ा प्रदर्शन होनेवाला था ।

उस समय मेरे पिताजी इलाहाबाद में थे, और मुझे अंदेशा था कि जब वह दूसरे दिन सवेरे अखबारों में मुझपर होनेवाले हमले का हाल पढ़ेंगे तो वह और परिवार के दूसरे लोग भी चिन्तित हो जावेंगे । इसलिए मैंने रात को उन्हें टेलीफोन कर दिया कि सब खैरियत है और आप लोग किसी किस्म की फ़िक्र न करें । मगर उन्हें फ़िक्र तो हुई । और जब वह चैन से न रह सके तो, आधी रात के करीब, उन्होंने लखनऊ आना तय किया । आखरी ट्रेन छूट चुकी थी, इसलिए वह मोटर से रवाना हुए । रास्ते में मोटर में कुछ गड़बड़ हो गई, और वह १४६ मील का सफ़र पूरा करके सवेरे करीब ९ बजे बिलकुल थके-माँदे लखनऊ पहुँचे ।

यह करीब-करीब वह वक्त था जबकि हम जुलूस में स्टेशन जाने की तैयारी कर रहे थे । हमारे कुछ भी करने से जितना लखनऊ उभड़ न सकता था, उतना कल की घटनाओं से उभड़ गया, और सूरज उगने से भी पहले बड़ी तादाद में लोग स्टेशन पर पहुँच गये । शहर के मुस्लिफ हिस्सों से बेशुमार छोटे-छोटे जुलूस आये, और कांग्रेस-आफिस से बड़ा जुलूस चार-चार की लाइन में रवाना हुआ, जिसमें कई हजार आदमी थे । हम बड़े जुलूस में थे । ज्योंही हम स्टेशन के पास पहुँचे, हमें पुलिस ने रोक दिया । वहाँ स्टेशन के सामने करीब आध मील लम्बा और इतना ही चौड़ा बड़ा भारी खुला मैदान था (यहाँ अब नया स्टेशन बन गया है), और उस मैदान की एक बाजू पर हमें कतार से खड़ा कर दिया गया । हमारा जुलूस वही खड़ा रहा, हमने आगे बढ़ने की बिलकुल कोशिश नहीं की । उस जगह सब दूर पैदल और घुड़सवार पुलिस, और फ़ौज भी, आकर भर गई थी । हमदर्दी रखनेवाले तमाशबीनों की भीड़ भी बढ़ गई थी, और कई जगह दो-दो तीन-तीन आदमी खुली जगह में जा खड़े हुए थे । अचानक दूर पर हमें एक दल आता हुआ दिखाई दिया । वह घुड़सवारों की दो या तीन लम्बी लाइनें थी, जो सारे मैदान को घेरे हुए थी और हमारी तरफ़ दौड़ रही थी, और मैदान में जो कई लोग जा खड़े हुए उन्हें मारती-कुचलती हुई आ रही थी । घोड़े को छोड़ते हुए सवारों का हमला एक बड़ा अच्छा दृश्य था, बशर्ते कि रास्ते में खड़े हुए बेखारे बेखबर तमाशबीनों के साथ, जो घोड़ों के पैरों-तले आ गये, दर्दनाक बाक्रया न हो जाता । इन हमला करनेवाली लाइनों के पीछे वे लोग ज़मीन पर पड़े हुए थे, जिनमें कुछ तो उठ भी नहीं सकते थे और कुछ दर्द से कराह रहे थे ।

उस मैदान का सारा नजारा जंग के मैदान का-सा हो गया था। मगर उस नजारे को देखने या कुछ सोच-विचार करने का हमें ज्यादा वक्त नहीं मिला; घुड़सवार फौरन हमारे ऊपर आ गये और उनकी आगे की कनार हमारे जुलूस के आगे खड़े हुए लोगों से एक ही छलंग में टकरा गई। हम वहीं डटे रहे, और चूँकि हम हटते हुए नहीं दिखाई दिये, उन्हें उसी दम घोड़ों को रोक देना पड़ा। घोड़े पिछले पैरों पर खड़े रह गये, उनके अगले पैर हमारे सिरों पर लटकते हुए हिल रहे थे। और फिर हमपर पैदल और घुड़सवार दोनों की मार और लाठियाँ खटाखट पड़ने लगीं। वह बहुत भयकर मार थी, और पिछले दिन जो मेरे दिमाग की विचार-शक्ति कायम रही थी वह जाती रही। मुझे सिर्फ इतना आसान रहा कि मुझे अपनी जगह पर ही खड़ा रहना चाहिए, और गिरना या पीछे हटना नहीं चाहिए। मार से मैं आधा अन्धा-सा हो गया, और कभी-कभी मन-ही-मन गुस्सा और उलटकर मारने का खयाल भी मुझको आया। मैंने सोचा कि अपने सामने के पुलिस-अफसर को गिराकर घोड़े पर खुद चढ़ जाऊँ। यह कितना आसान है। मगर लंबे अर्से की तालीम और अनुशासन ने काम दिया, और मैंने, अपने सिर को मार से बचाने के सिवा, हाथ तक नहीं उठाया। इसके अलावा, मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर हमारी तरफ से कुछ भी मुक्काबिला हुआ तो एक भीषण दुर्घटना हो जायगी, जिसमें हमारे आदमी बड़ी तादाद में गोलियों से भून दिये जायेंगे।

हमें वह समय भयंकर रूप से लम्बा मालूम पड़ा, मगर शायद वह सिर्फ कुछ ही मिनटों का खेल था। उसके बाद धीरे-धीरे एक-एक क्रम हमारी लाइन, टूटे बरतार, पीछे हटने लगी। इससे मैं कुछ-कुछ अलग और दोनों तरफ से ज्यादा खुला हुआ रह गया। मुझपर और मार पड़ी और फिर मैं अचानक पीछे से उठा लिया गया और वहाँ से दूर ले जाया गया, जिससे मुझे बड़ी झुंझलाहट हुई। मेरे कुछ नौजवान साथियों, ने यह कयास करके कि मुझपर घातक हमला किया जा रहा है, मुझे इस तरह एकाएक बचा लेना तय कर लिया था।

हमारे जुलूस के लोग अपनी असली लाइन से करीब एक सौ फीट पीछे फिर कतार से खड़े हो गये। पुलिस भी पीछे हट गई और हमसे पचास फीट के फासले पर एक लाइन में खड़ी हो गई। इस तरह हम खड़े रहे, और साइमन-कमीशन, जो इस सारे झगड़े की जड़ था, हमसे बहुत दूर करीब आधे मील की दूरी पर स्टेशन से चुपचाप निकल गया। इतना करने पर भी वह काले झंडों या प्रदर्शन करनेवालों से बचकर न निकल सका। इसके बाद ही, हम पूरा जुलूस बनाकर कॉमिंस-दफ्तर आये, और वहाँ से अलग-अलग चले गये। मैं अपने पिताजी के पास गया, जो बड़ी चिन्ता से मेरा इन्तज़ार कर रहे थे।

अब जब सामायिक उत्तेजना चली गई थी तो मुझे सारे शरीर में दर्द और भारी थकान मालूम होने लगी। जिस्म का करीब-करीब हर हिस्सा दर्द करता था, और सब जगह अंधी चोटों और मार के निशान हो गये थे। मगर खैर थी कि मेरे किसी नाजूक जगह पर चोट नहीं आई थी। परन्तु हमारे कई साथी इतने खुशकिस्मत न थे। उन्हें बुरी तरह चोटें आई थी। गोविन्दवल्लभ पन्त पर, जो मेरे पास खड़े थे, ज्यादा मार पड़ी, क्योंकि वह छः फीट से भी ज्यादा ऊँचे-पूरे थे, और उस वक्त जो चोटें उनके आईं उनके सबब से बहुत असें तक उन्हें इतना दर्द और तकलीफ रही कि वह कमर भी सीधी नहीं कर सकते थे और न कुछ ज्यादा काम-काज ही कर सकते थे। उसके बाद मुझे अपनी जिस्मानी हालत और बरदाश्त की ताकत का कुछ ज्यादा घमण्ड हो गया। मगर मार पड़ने की याद से ज्यादा तो मुझे कई मारनेवाले पुलिस-वालों, खासकर अफसरों, के चेहरों की याद बनी हुई है। ज्यादातर असली ठोक-पीट तो यूरोपियन सारजेण्टों ने की, हिन्दुस्तानी मामूली सिपाही तो हलके-हलके ही काम चला रहे थे। उन चेहरों में हिकारत और खून की प्यास करीब-करीब पागलपन की हद तक भरी हुई थी, और उनमें हमदर्दी या इन्सानियत का नामोनिशान भी न था। ठीक उसी वक्त, शायद, हमारी तरफ के चेहरे भी देखने में उतने ही नफरत-भरे होंगे, और हमारे ज्यादातर अहिंसात्मक होने से, हमारे विरोधियों के लिए हमारे दिल और दिमाग में कोई प्रेम भर नहीं गया होगा, और न हमारे चेहरो की सुन्दरता बढ़ गई होगी। लेकिन फिर भी एक-दूसरे के खिलाफ हमें कोई शिकायत न थी; हमारा कोई जाती झगड़ा न था, न कोई दुर्भाव था। उस वक्त हम अजीब और जबरदस्त ताकतों के प्रतिनिधि थे, जो हमें अपने अधीन बनाये हुए थीं और जो हमें इधर और उधर फेंकती जाती थी और जिन्होंने हमारे दिलों और दिमागों पर बड़ी खूबी से कब्जा करके हमारी अभिलाषाओं और भावनाओं को उभाड़ दिया था और हमें अपना अन्धे हथियार बना लिया था। हम अन्धे की तरह जद्दोजहद करते थे, और यह नहीं जानते थे कि यह किस लिए करते हैं या कहाँ चले जा रहे हैं? कार्य की उत्तेजना ने हमें टिकाये रक्खा था, मगर जब वह चली गई तो फौरन यह सवाल पैदा हुआ कि आखिर यह सब किस लिए किया जा रहा है?—किस मकसद के लिए?

ट्रेड यूनियन काँग्रेस

उस साल देश की राजनीति में ज्यादातर साइमन-कमीशन के बायकाट और सर्व-दल-सम्मेलन का ही बोलबाला रहा। लेकिन मेरी अपनी दिलचस्पी ज्यादातर दूसरी तरफ रही और मैंने काम भी ज्यादातर उन्हीं दिशाओं में किया। काँग्रेस के कार्यवाहक प्रधान-मंत्री की हैसियत से मैं उसके संगठन की देखभाल करने और उसे मजबूत बनाने में लगा रहा। खास तौर पर मेरी दिलचस्पी इस बात में थी कि मैं लोगों का ध्यान सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों की तरफ खींचूं। आजादी के सिलसिले में मद्रास में हम जिस हद तक पहुँच गये थे उस स्थिति को भी पुष्ट रखना था। खास तौर पर इसलिए कि सर्व-दल-सम्मेलन का तमाम झुकाव हम लोगों को पीछे खींचने की तरफ था। इस उद्देश को सामने रखकर मैंने देश में बहुत सफर किया और कई बड़ी-बड़ी आम सभाओं में व्याख्यान दिये। मेरा खयाल है कि १९२८ में मैं चार सूबों की राज-नैतिक कान्फेन्सों का सभापति बना। ये सूबे थे दक्षिण में मलाबार और उत्तर में पंजाब, दिल्ली और संयुक्तप्रान्त। इसके अलावा बम्बई और बंगाल में मैं युवक-संघों और विद्यार्थियों की कान्फेन्सों का सभापति बना। वक्तन-फवक्तन मैं संयुक्तप्रान्त के देहात में भी गया और कभी-कभी कारखानों के मजदूरों की सभाओं में भी मैंने व्याख्यान दिये। मेरे व्याख्यानों में सार तो हमेशा ज्यादातर एक ही रहता था, यद्यपि उसका रूप मुकामी हालतों के मुताबिक बदल जाता था, और जिन बातों पर मैं जोर देता था वे उस तरह की होती थी कि जिस किस्म के लोग सभाओं में आते थे। हर जगह मैंने राजनैतिक आजादी और सामाजिक स्वाधीनता पर जोर दिया और यह कहा कि राजनैतिक आजादी सामाजिक स्वाधीनता की सीढ़ी है। यानी, आर्थिक स्वाधीनता हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि पहले राजनैतिक आजादी हो। खास तौर से काँग्रेस के कार्यकर्ताओं और पढ़े-लिखे लोगों में मैं समाजवाद की विचार-धारा फैलाना चाहता था। क्योंकि ये लोग ही राष्ट्रीय आन्दोलन की असली रीढ़ थे और यही ज्यादातर निहायत संकुचित राष्ट्रीयता की बात सोचा करते थे। इनके व्याख्यानों में प्राचीन काल के गौरव पर बहुत जोर दिया जाता था, और इस बात पर भी कि विदेशी सरकार ने हमें क्या-क्या भौतिक और आध्यात्मिक हानियाँ पहुँचाई हैं। हमारे लोगों को घोर कष्ट सहने पड़ रहे हैं, हमारे ऊपर दूसरों का राज्य रहना बड़ी बेइज्जती की बात है; इसलिए हमारी क्रांती इज्जत यह चाहती है कि हम आजाद हों और हमारे

लिए आवश्यक है कि हम लोग मातृभूमि की बेदी पर अपनी बलि चढ़ावें। ये बातें सुपरिचित थीं। हर हिन्दुस्तानी के दिल में उनकी आवाज गूँज उठती थी। मेरे मन में भी राष्ट्रीयता का यह भाव भड़क उठता था और मैं उससे गद्गद् हो जाता था—यद्यपि मैं हिन्दुस्तान के ही नहीं, कहींके भी पुराने जमाने का अन्धा प्रशंसक कभी नहीं रहा। लेकिन यद्यपि उनमें सच्चाई जरूर थी, फिर भी बार-बार इस्तेमाल में आने की वजह से वे बासी और लचर होती जाती थीं और उनको लगातार बार-बार दुहराते रहने का नतीजा यह होता था कि हम अपनी लड़ाई के सबसे ज्यादा जरूरी पहलुओं तथा दूसरे मसलों पर गौर नहीं कर पाते थे। इन बातों से जोश जरूर आता था, लेकिन उनसे विचारों को प्रोत्साहन नहीं मिलता था।

हिन्दुस्तान में मैं समाजवाद के मैदान में सबसे पहले नहीं आया, बल्कि सच बात तो यह है कि मैं कुछ पिछड़ा हुआ रहा। जहाँ और बहुत-से लोग सितारे की तरह चमकते आगे बढ़ गये वहाँ मैं तो बहुत-सी तकलीफ़ के साथ कदम-कदम आगे बढ़ा। विचार-धारा की दृष्टि से मजदूरों की ट्रेड यूनियनों का आन्दोलन निश्चित रूप से समाजवादी था और ज्यादातर युवक-संघों की भी यही बात थी। जब मैं दिसम्बर १९२७ में योरप से लौटा तब एक किस्म का अस्पष्ट और गोल-मोल समाजवाद हिन्दुस्तान की आबोहवा का एक हिस्सा बन चुका था और व्यक्तिगत समाजवादी तो उससे भी पहले हिन्दुस्तान में बहुत-से थे। ये लोग ज्यादातर स्वप्नदर्शी थे। लेकिन धीरे-धीरे उनपर मार्क्स के उमूलों का असर बढ़ता जाता था और उनमें से कुछ तो अपनेको सौ फीसदी मार्क्सवादी समझते थे। योरप और अमेरिका की तरह हिन्दुस्तान में भी, सोवियट यूनियन में जो कुछ हो रहा था उससे और खासकर पाँच-साला योजना से, इस प्रवृत्ति को बहुत बल मिला।

एक समाजवादी कार्यकर्ता की हैसियत से मेरी अहमियत सिर्फ इस बात में थी कि मैं एक मशहूर कांग्रेसी था और कांग्रेस में बड़े ओहदों पर था। मेरे अलावा और भी बहुत-से कांग्रेसी थे जो मेरी ही तरह सोचने लग गये थे। यह प्रवृत्ति सबसे ज्यादा युक्तप्रान्त की सूबा कांग्रेस कमिटी में पाई जाती थी, जिसमें हमने १९२६ में ही एक नरम समाजवादी कार्यक्रम बनाने की कोशिश की थी। हमारे सूबे में जमींदारी और ताल्लुकेदारी प्रथा है, इसलिए सबसे पहले हमें जिस सवाल का सामना करना पड़ा वह था ज़मीन का सवाल। हम लोगों ने ऐलान किया कि मौजूदा जमींदारी-प्रथा रद्द होनी चाहिए और सरकार और काश्तकार के बीच में किसी दूसरे की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों को फूँक-फूँक कर कदम रखना पड़ा, क्योंकि हमें एक ऐसी आबोहवा में काम करना था जो उस वक्त तक इस तरह के खयालत की आदी नहीं थी।

इसके बाद, १९२९ में, युक्तप्रान्त की सूबा कांग्रेस कमिटी एक कदम और आगे बढ़ गई और उसने निश्चित रूप से समाजवाद के ढंग पर अ० भा० कांग्रेस कमिटी से एक सिफारिश की, जिसके फल-स्वरूप जब १९२९ की गर्मियों में बम्बई में अ० भा० कांग्रेस-कमिटी की बैठक हुई तब उसमें युक्तप्रान्त की तजवीज का दीबाचा मंजूर कर लिया गया और इस तरह उस तजवीज में समाजवाद का जो उसूल मौजूद था वह भी मंजूर कर लिया गया। युक्तप्रान्त की तजवीज में जो तफसीलवार कार्यक्रम दिया गया था उसपर विचार करने की बात अगली बैठकों के लिए मुलतवी करदी गई। ऐसा मालूम पड़ता है कि ज्यादातर लोग अ० भा० कांग्रेस-कमिटी और संयुक्तप्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के इन प्रस्तावों को बिलकुल भूल ही गये और वे यह समझ बैठे हैं कि पिछले एक-दो सालों से साम्यवाद की चर्चा कांग्रेस में यकायक उठ खड़ी हुई है। फिर भी इतना तो सही ही है कि अ० भा० कांग्रेस-कमिटी ने उस प्रस्ताव पर अच्छी तरह विचार किये बिना ही उसे पास कर दिया था और ज्यादातर मेम्बरों ने शायद यह महसूस नहीं कर पाया कि वे क्या कर रहे हैं ?

‘इण्डिपेण्डेन्स फॉर इण्डिया लीग’ (हिन्दुस्तान की आजादी चाहनेवालों का संघ) की संयुक्तप्रान्त वाली शाखा में सूबे के खास-खास कांग्रेसियों के अलावा और कोई न था और यह शाखा निश्चित रूप से समाजवाद को माननेवाली थी; इसलिए वह साम्यवाद की तरफ और कांग्रेस-कमिटी से, जिसमें सब तरह के लोग थे, कुछ आगे चली गई। बल्कि सच बात तो यह है कि ‘आजादी-संघ’ का एक ध्येय यह भी था कि सामाजिक स्वाधीनता होनी चाहिए। हम लोग हिन्दुस्तान-भर में संघ को मजबूत बनाकर यह चाहते थे कि आजादी और समाजवाद का प्रचार करने में उस संगठन से काम लिया जाय। किन्तु दुर्भाग्य से कुछ हद तक युक्त-प्रान्त को छोड़कर और कही संघ का कार्य ठीक तौर से नहीं चला और इससे मुझे बहुत मायूसी हुई। इसका सबब यह नहीं था कि देश में हमारे मददगारों की कमी थी, बल्कि बात यह थी कि हमारे ज्यादातर कार्यकर्ता कांग्रेस में भी प्रमुख कार्य करनेवाले थे और चूँकि कांग्रेस ने कम-से-कम उसूलन् तो आजादी को अपना ध्येय बना लिया था इसलिए वे अपना काम कांग्रेस के संगठन के जरिये कर सकते थे। दूसरा सबब यह था कि जिन लोगों ने शुरू-शुरू में आजादी-संघ कायम किया उनमें से कुछ ने गभीरता-पूर्वक यह नहीं सोचा कि संस्था के रूप में हमें इस संघ को मजबूत बनाना है; वे तो यह समझते थे कि यह संस्था तो महज इसलिए है कि कांग्रेस-कार्य-समिति पर इसका दबाव पड़ता रहे और कार्य-समिति के चुनाव पर असर डालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाय। इसलिए ‘आजादी-संघ’ मुरझा गया और ज्यों-ज्यों कांग्रेस ज्यादा लड़ाकू होती गई त्यों-त्यों उसने तमाम

ज़िंदा-दिल लोगों को अपनी ओर खींच लिया और संघ कमजोर होता गया। १९३० में जब सत्याग्रह की लड़ाई आई तब यह संघ कांग्रेस में मिलकर ग्रायब हो गया।

१९२८ के पिछले छः महीनों में और १९२९ में मेरी गिरफ्तारी की चर्चा अक्सर होती रहती थी। मुझे पता नहीं कि इस सिलसिले में अखबारों में जो कुछ छपता था उसके पीछे, और ऐसे दोस्तों से जो मालूम पड़ता था कि जिस बात को वे कहते हैं उसके बाबत अच्छी तरह जानते हैं, मुझे जो निजी चेतावनियाँ मिला करती थीं उनके पीछे, असलियत क्या थी। लेकिन इन चेतावनियों ने मेरे दिल में एक किस्म की अनिश्चितता पैदा कर दी, और मैं यह महसूस करने लगा कि मैं किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता हूँ। मुझे खास तौर पर दूसरी कोई चिन्ता न थी; क्योंकि मैं यह जानता था कि भविष्य में मेरे लिए कुछ भी हो, लेकिन मेरी जिन्दगी रोज़मर्रा के कामों की निश्चित जिन्दगी नहीं हो सकती। इसलिए मैं सोचता था कि मैं अनिश्चितता का और एकाएक होनेवाले हेर-फेरों का तथा जेल जाने का जितनी जल्दी आदी हो जाऊँ उतना ही अच्छा है। और मेरा खयाल है कि कुल मिलाकर मैं इस खयाल का आदी होने में सफल हुआ। मेरे घरवालों ने भी इस खयाल के आदी होने में कामयाबी हासिल की, हालांकि जितनी कामयाबी मुझे मिली उन्हें उससे बहुत कम मिली। इसीलिए जब-जब मैं गिरफ्तार हुआ, तब-तब मुझे उसमें खास बात मालूम नहीं हुई। हाँ, अगर मैं एकाएक गिरफ्तार होने के खयाल का आदी न हो जाता तो ऐसा न होता। इस तरह गिरफ्तारी की खबरो में नुकसान-ही-नुकसान न था, फायदा भी था। उन्होंने मेरी रोज़मर्रा की जिन्दगी में कुछ जोश और तीस्त्रापन पैदा कर दिया। आजादी का हरेक दिन बेशक्रीमत मालूम होने लगा, मानो वह एक दिन मुताफ़े में मिला हो। सच वाकया तो यह है कि १९२८ और १९२९ में मैं जी भरकर काम करता रहा और अखीर में मेरी गिरफ्तारी १९३० के अप्रैल में जाकर हुई। उसके बाद जेल से बाहर जो थोड़े-से दिन मैंने कई बार बिताये उनमें अवास्तविकता की काफ़ी मात्रा थी। मुझे ऐसा मालूम पड़ता था कि मैं अपने ही घर में एक अजनबी हूँ, जो थोड़े दिनों के लिए वहाँ आया हूँ। इसके अलावा मेरे हर काम में अनिश्चितता रहने लगी, क्योंकि कोई यह नहीं कह सकता था कि मेरे लिए कल क्या होनेवाला है। यह आशंका तो हर वक्त बनी रहती थी कि न जाने जेल में वापस जाने का बुलावा कब आ जाय।

ज्यों-ज्यों १९२८ का अखीर आता गया, त्यों-त्यों कलकत्ता-कॉंग्रेस नज़दीक आती गई। उसके सभापति मेरे पिताजी चुने गये थे। उनका दिलो-दिमाग उस वक्त सर्व-दल-सम्मेलन तथा उसके लिए उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की थी उससे सराबोर

था। वह चाहते थे कि उसे काँग्रेस से पास करा लिया जाय। वह यह जानते थे कि मैं उनकी इस बात से सहमत न था, क्योंकि मैं आजादी के प्रश्न पर कोई समझौता करने को राजी न था। इस बात पर वह नाराज़ थे। इस मामले पर हम लोगों ने बहुत बहस नहीं की। लेकिन हम दोनों के मन में मानसिक संघर्ष का भाव निश्चित-रूप से काम कर रहा था और हम लोग यह जानते थे कि हम एक-दूसरे के खिलाफ़ जा रहे हैं। मत-भेद तो हम लोगों में इससे भी पहले अक्सर हुआ करता था, ऐसा भारी मत-भेद कि जिसके फल-स्वरूप हम अलग-अलग पक्षों में रहते थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे पहले या इसके बाद भी और किसी भी मौके पर हम लोगों में इतनी तनातनी नहीं हुई जितनी कि इस वक्त थी।

हम दोनों ही इस बात से कुछ हद तक दुःखी थे। कलकत्ते में तो मामला इस हद तक बढ़ गया कि पिताजी ने यह बात साफ-साफ़ कहदी कि अगर काँग्रेस में उनकी बात नहीं चली, यानी अगर काँग्रेस ने, सर्व-दल-सम्मेलन की रिपोर्ट के पक्ष में जो तज़वीज पेश की जायगी उसे, कसरत राय से मंजूर नहीं किया, तो वह काँग्रेस का सभापति रहने से इन्कार कर देंगे। यह बात बिलकुल वाजिब थी और विधान की दृष्टि से उन्हें यह तरीका अख्तियार करने का पूरा हक़ था। फिर भी उनके बहुत-से उन मुखालिफों के लिए वह बहुत-ही परेशानी की बात थी जो यह नहीं चाहते थे कि इस बात के लिए मामला इस हद तक बढ़ जाय। मेरा ख्याल है कि काँग्रेस में और दूसरी संस्थाओं में भी अक्सर यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि लोग नुक्ताचीनी और बुराई तो करते हैं, लेकिन खुद जिम्मेदारी लेने से जी चुराते हैं। हमें हमेशा यह उम्मीद बनी रहती है कि हमारी नुक्ताचीनी की वजह से दूसरी पार्टी हमारे माफिक अपनी नीति बदल देगी और नाव को खेने की जिम्मेदारी हमारे सिर नहीं पड़ेगी। जहाँ जिम्मेदारी हम लोगों को सौपी ही नहीं जाती और जहाँ कार्य-कारिणी को न तो हम हटा ही सकते हैं न उससे जवाब ही तलब कर सकते हैं, जैसा कि आजकल हिन्दुस्तान की सरकार के मामले में है, वहाँ बिलाशक सीधी मार को छोड़कर हमारे पास सिवा नुक्ताचीनी करने के कोई मार्ग नहीं और वह नुक्ताचीनी लाजिमी तौर पर नकारात्मक होगी; फिर भी अगर हम इस नकारात्मक आलोचना को कारगर बनाना चाहते हैं तो उसके पीछे हमारे मन में यह इरादा होना चाहिए, हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए, कि जब-कभी हमें मौका मिलेगा तब सब इन्तज़ाम और जिम्मेदारी हम अपने हाथ में ले लेंगे—फिर चाहे वे महकमे मुत्की हो या फ़ौजी, भीतरी हों या बाहरी। महज़ आंशिक अख्तियार माँगना, जैसा कि लिबरल लोग फ़ौज़ के मामले में करते हैं, इस बात का इक़बाल करना है कि हम सरकार का

काम नहीं चला सकते। इस इकबाल से हमारी नुक्ताचीनी का बज़न घट जाता है।

गांधीजी के आलोचकों में यह बात अस्तर पाई जाती है कि वे उनकी नुक्ताचीनी करते हैं, बुराई करते हैं, लेकिन जब उनसे उनके फलस्वरूप यह कहा जाता है कि फिर लीजिए इस काम को आप ही चलाइए, तब उनके पैर उखड़ जाते हैं। काँग्रेस में ऐसे बहुत-से शास्स रहे हैं जो उनके बहुत-से कामों को नापसंद करते हैं और इसलिए बड़े जोरों के साथ उनकी नुक्ताचीनी करते हैं, लेकिन जो इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि उन्हें काँग्रेस से निकाल दें। यह रख समझ में तो आसानी से आ जाता है, लेकिन यह किसी भी पक्ष के साथ इंसाफ नहीं करता।

कलकत्ता-काँग्रेस में भी कुछ-कुछ इसी किस्म की मुश्किल पैदा हुई। दोनों दलों में समझौते की बात-चीत चली और यह बाहिर किया गया कि समझौते का एक रास्ता निकल आया है, लेकिन अखीर में वह गिर गया। ये सब बातें बड़े गोल-माल में डालनेवाली थीं और बहुत अच्छी भी नहीं थी। काँग्रेस के खास प्रस्ताव में, जैसा कि वह अखीर में पास हुआ, सर्वदल-सम्मेलन की रिपोर्ट को मंजूर कर लिया गया; लेकिन उसमें ब्रिटिश सरकार से भी यह कह दिया गया कि अगर उसने एक साल के अन्दर इस विधान को मंजूर नहीं किया तो काँग्रेस फिर अपने आजादी के ध्येय को ग्रहण कर लेगी। असल में इस प्रस्ताव ने सरकार को एक शाइस्ता चुनौती देकर उसे साल-भर की मियाद दी थी। इसमें कोई शक नहीं कि यह प्रस्ताव हमें आजादी के ध्येय से नीचे घसीट लाया था, क्योंकि सर्वदल-सम्मेलन की रिपोर्ट ने तो पूरे डोमिनियन स्टेटस की भी माँग नहीं की थी। फिर भी यह प्रस्ताव इस अर्थ में बुद्धिमत्तापूर्ण था कि उसने एक ऐसे वक्त में काँग्रेस में फूट नहीं होने दी जब कि कोई भी फूट के लिए तैयार न था और उसने १९३० में जो लड़ाई शुरू हुई उसके लिए सब काँग्रेसियों को एकसाथ रक्खा। यह बात तो बिलकुल साफ थी कि ब्रिटिश सरकार सालभर के अन्दर सब दलों द्वारा बनाये गये विधान को मंजूर नहीं करेगी। सरकार से लड़ाई होना लाजिमी था, और उस वक्त मुल्क की जैसी हालत थी उसमें सरकार से किसी किस्म की लड़ाई उस वक्त तक कारगर नहीं हो सकती थी जबतक उसे गांधीजी की रहनुमाई न मिले।

मैंने काँग्रेस के खुले जलसे में इस प्रस्ताव का विरोध किया था। यद्यपि यह मुखालिफ़त मैंने कुछ-कुछ बेमन से की थी, ताहम इस बार भी मुझे प्रधानमंत्री चुना गया। कुछ भी हो, मैं मंत्री-पद पर बना रहा और काँग्रेस के क्षेत्र में ऐसा मालूम पड़ता था कि मैं वही काम कर रहा हूँ जो ब्रे का नामी 'बिकर' करता था। काँग्रेस की गद्दी पर कोई भी सभा-पति बैठे, मैं हमेशा उस संगठन को सम्हालने के लिए उसका मंत्री बनाया जाता था।

भारिया कोयले की खानों के क्षेत्र के बीचों-बीच है। कलकत्ता-कांग्रेस से कुछ दिन पहले यहीं हिन्दुस्तान-भर की ट्रेड यूनियन कांग्रेस हुई। उसके पहले दो दिन मैंने उसमें हाज़िर रहकर उसकी कार्यवाही में भाग लिया और उसके बाद मुझे कलकत्ते चले आना पड़ा। मेरे लिए ट्रेड यूनियन-कांग्रेस में शामिल होने का यह पहला ही मौक़ा था और मैं वस्तुतः एक नया आदमी था, यद्यपि किसानों में मैंने जो काम किया था और हाल ही में मजदूरों में जो काम मैंने किये थे उनकी बज़ह से मैं जनता में काफ़ी लोक-प्रिय हो गया था। वहाँ जाकर मैंने देखा कि सुधारवादियों में और उनसे आगे बढ़े हुए तथा क्रान्तिकारी लोगों में पुरानी कशमकश जारी है। बहस की खास बातें ये थी कि किसी इन्टरनेशनल से तथा साम्राज्य-विरोधी संघ से और अखिल-विश्व-शान्ति-संघ से अपना ताल्लुक जोड़ा जाय या न जोड़ा जाय और जिनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर आफिस की जो कान्फ़ेन्स होने जा रही है उसमें अपने प्रतिनिधि भेजना मुनासिब होमा या नहीं? इन सवालों से भी कहीं ज्यादा ज़रूरी यह बात थी कि कांग्रेस के दोनों हिस्सों के दृष्टिकोण में बहुत भारी फर्क था। एक हिस्सा तो मजदूर-संघ के पुराने लोगों का था, जो राजनीति में माडरेट था और जो सचमुच इस बात को शक की निगाह से देखता था कि उद्योग-धंधों के मजदूरों और मिल-मालिकों के झगड़ों में राजनीति को मिलाया जाय। उनका विश्वास था कि मजदूरों को अपनी शिकायतें दूर करने से आगे नहीं जाना चाहिए और उसके लिए भी उन्हें फूँक-फूँक-कर क्रदम रखना चाहिए। इन लोगों का उद्देश्य यह था कि धीरे-धीरे मजदूरों की हालत को सुधारा जाय। इस दल के नेता थे एन० एम० जोशी, जोकि जिनेवा में अक्सर हिन्दुस्तान के मजदूरों के प्रतिनिधि बनाकर भेजे जा चुके थे। दूसरा दल इनसे कहीं ज्यादा लड़ाकू था। राजनैतिक लड़ाई में उसका विश्वास था और वह खुल्लमखुल्ला अपने क्रान्तिकारी दृष्टिकोण का ऐलान करता था। कुछ कम्युनिस्टों का या कम्युनिस्टों से मिलते-जुलते लोगों का इस दल पर असर था। हाँ, यह दल उनके नियंत्रण में नहीं था। बंबई में कपड़ों के कारखानों के मजदूर इस दल के हाथ में थे। और उनकी रहनुमाई में बम्बई के कपड़े के कारखानों में मजदूरों की एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी, जो कुछ हद तक कामयाब भी हुई थी। बम्बई में गिरनी कामगार यूनियन नाम की एक नई और जबरदस्त यूनियन कायम हुई थी, जिसका बम्बई के मजदूरों पर प्राधान्य था। आगे बढ़े हुए दल के असर में एक और ताकतवर संघ जी० आई० पी० रेलवे के मजदूरों का था।

जबसे ट्रेड यूनियन कांग्रेस कायम हुई है तभीसे उसकी कार्यकारिणी और उसका दफ्तर एन० एम० जोशी और उनके नज़दीकी साथियों के हाथ में रहा है और

मजदूर-संघों के आन्दोलन को पैदा करने का श्रेय उन्हींको है। यद्यपि उग्र दल का मजदूर जनता पर ज्यादा जोर है, पर ऊपर से दल की नीति पर असर डालने का उन्हें कोई मौका नहीं मिला। यह हालत संतोषजनक नहीं कही जा सकती और न उससे सच्चे हालात का पता ही चल सकता है। इनके आपस में बड़ा असन्तोष और झगड़ा था और उग्र दल के लोग चाहते थे कि वे ट्रेड यूनियन-काँग्रेस की ताकत को अपने काबू में कर लें। इसके साथ ही साथ मामलों को बहुत ज्यादा बढ़ाने की अनिच्छा भी थी, क्योंकि लोगों को फूट हो जाने का डर था। ट्रेड यूनियन-आन्दोलन हिन्दुस्तान में अभी अपनी जवानी की तरफ बढ़ रहा था। वह कमजोर था और जो लोग उसे चला रहे थे उनमें से ज्यादातर खुद मजदूर नहीं थे। ऐसी हालतों में हमेशा बाहरवालों में यह प्रवृत्ति होती है कि मजदूरों को इस्तेमाल करके अपना मतलब गाँठें। हिन्दुस्तान की ट्रेड यूनियन काँग्रेस में और मजदूर-संघों में यह प्रवृत्ति साफ़-साफ़ दिखाई देती थी। ताहम, सालों काम करके एन० एम० जोशी ने यह साबित कर दिया था कि वह मजदूर-संघों के सच्चे और उत्साही हितैषी है और जो लोग राजनैतिक दृष्टि से उन्हें नरम और फिसड्डी समझते थे वे भी यह मानते थे कि हिन्दुस्तान के मजदूरों के आन्दोलन में उन्होंने जो सेवायें की हैं वे कद्र के लायक हैं। नरम या आगे बढ़े हुए दोनों दलों में से बहुत ही कम आदमियों के लिए यह बात कही जा सकती थी।

झरिया में मेरी अपनी हमदर्दी आगे बढ़े हुए दल के साथ थी। लेकिन मैं नया-नया ही वहाँ पहुँचा था इसलिए ट्रेड यूनियन काँग्रेस की इस घरेलू लड़ाई में मेरा दिमाग चकराता था, अतएव मैंने यही तय किया कि मैं इन झगड़ों से अलग रहूँ। मेरे झरिया से चले आने के बाद ट्रेड यूनियन काँग्रेस के ओहदेदारों का सालाना चुनाव हुआ और कलकत्ते में मुझे यह मालूम हुआ कि अगले साल के लिए मैं उसका सभापति चुना गया हूँ। मेरा नाम नरम दलवालों ने पेश किया था, गालिबन इसलिए कि जिस दूसरे उम्मीदवार का नाम उग्र दल ने पेश किया था उसको हराने का सबसे ज्यादा मौका मेरा नाम पेश करने में ही था। इन महाशय ने रेलों के कर्मचारियों में वास्तविक काम किया था, इसलिए अगर मैं चुनाव के दिन झरिया में मौजूद होता तो मुझे विश्वास है कि मैं उन कार्यकर्ता उम्मीदवार के मुकाबिले में अपना नाम वापस लेलेता। मुझे यह बात खास तौर पर बेजा मालूम होती थी कि एक ऐसे शख्स को जिसने कुछ काम नहीं किया और नया-नया ही आया यकायक सभापति की गद्दी पर पटक दिया जाय। यह बात खुद ही इस बात की सबूत थी कि हिन्दुस्तान में मजदूर-संघ का आन्दोलन अभी अपने बचपन में है और कमजोर है।

१९२८ के साल में मजदूरों के झगड़ों और हड़तालों की भरमार रही। १९२९ में

भी यही हाल रहा। बम्बई के कपड़ों के कारखानों के मजदूर बहुत दुःखी और लड़ाकू थे। उन्होंने इन हड़तालों की रहनुमाई की। बंगाल के सन के कारखानों में भी एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई। जमशेदपुर के लोहे के कारखानों में, और मेरा खयाल है कि रेलों के मजदूरों में भी, हड़तालें हुईं। जमशेदपुर के टीन की चदरों के कारखानों में तो बहुत दिनों झगड़ा रहा। यह हड़ताल मजदूरों ने बहादुरी के साथ कई महीनों तक चलाई। यद्यपि इन मजदूरों के साथ लोगों की बहुत ज्यादा हमदर्दी थी, फिर भी जो जबरदस्त कम्पनी इन कारखानों की मालिक थी उसने मजदूरों को कुचल दिया। इस कम्पनी का ताल्लुक बर्मा की तेल-कम्पनी से था।

सब मिलाकर ये दोनों साल मजदूरों में बेचैनी के माल थे और मजदूरों की हालत दिन-पर-दिन खराब होती जा रही थी। हिन्दुस्तान में लड़ाई के बाद के साल यहाँ के धन्धों के लिए मौज के साल थे। इन दिनों उन्होंने अनाप-शनाप मुनाफ़ा कमाया। सन या रुई के कारखानों ने पाँच या छः साल तक अपने हिस्सेदारों को जो मुनाफ़ा बाँटा वह सौ फ़ीसदी सालाना था—अक्सर वह डेढ़ सौ फ़ीसदी सालाना तक पहुँचा। ये अनाप-शनाप मुनाफ़े सबके सब कारखानों के मालिकों और हिस्सेदारों की जब में गये। मजदूरों की हालत जैसी-की-तैसी बनी रही। उनकी मजदूरी में जो थोड़ी-बहुत तरक्की हुई, वह आम तौर पर चीजों की कीमतें बढ़ जाने से बराबर हो गई। इन दिनों में जब लोग घड़ाघड़ कमा रहे थे तब भी ज्यादातर मजदूर बहुत ही बुरे घरों में रहते थे और उनकी औरतों तक को कपड़ा तक पहनने को नहीं मिलता था। बम्बई के मजदूरों की हालत बहुत बुरी थी, लेकिन सन के कारखानों में काम करनेवाले उन मजदूरों की हालत तो और भी बुरी थी, जिनके पास आप मोटर में कलकत्ते के महलों से घंटेभर के अन्दर पहुँच सकते थे। वहाँ बाल बिखेरे और फटे-पुराने मँले-कुचँले कपड़े पहने हुए अधनगी औरतें महज रोटियों पर काम करती थी, इसलिए कि दीलत का एक लम्बा-चौड़ा दरिया लगातार ग्लासगो और डंडी की तरफ बहता रहे और उसमें से कुछ हिस्सा कुछ हिन्दुस्तानियों की जेबों में भी चला जाय।

तेज़ी के इन सालों में कारखाने मजे से चलते रहे, यद्यपि मजदूरों की हालत पहले-जैसी ही बनी रही और उन्हें कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जब धूम का वक्त चला गया और अनाप-शनाप मुनाफ़ा कमाना उतना आसान नहीं रह गया तब सारा बोझ मजदूरों के सिर पटक दिया गया। कारखाने के मालिक पुराने मुनाफ़े को भूल गये। उसे तो वे खा चुके थे और अब अगर उन्हें काफ़ी मुनाफ़ा नहीं होता है तो यह रोज़-गार किस तरह चले? इसीके फल-स्वरूप मजदूरों में बेचैनी फैली, झगड़े खड़े हुए और बम्बई में ऐसी भारी-भारी हड़तालें हुईं कि देखनेवाले दंग रह गये और जिनसे

कारखानों के मालिक और सरकार दोनों ही डर गये। मजदूरों के आन्दोलन में बर्ग-चेतनता आने लगी थी और बिचार-धारा तथा संगठन दोनों ही दृष्टियों से वह लड़ाकू और खतरनाक होता जा रहा था। इधर राजनैतिक हालत भी तेजी के साथ बिगड़ रही थी और यद्यपि मजदूरों का आन्दोलन और राजनैतिक हलचल एक-दूसरे से अलग थे, उनका आपस में कोई संबन्ध न था, फिर भी वे कुछ हद तक एक-दूसरे के साथ-साथ चलते थे, इसलिए सरकार भविष्य को आशंका-रहित नहीं समझती थी।

मार्च १९२९ में सरकार ने आगे बढ़े हुए दल में से उनके कई सबसे ज्यादा नामी-नामी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके संगठित मजदूरों पर एकाएक हमला कर दिया। बम्बई की गिरनी कामगार यूनियन के नेता तथा बंगाल, युक्तप्रान्त और पंजाब के मजदूर-नेता गिरफ्तार कर लिये गये। इनमें से कुछ कम्युनिस्ट थे, कुछ कम्युनिस्टों से मिलते-जुलते, और बाकी महज मजदूर-संघोंवाले थे। यह उस नामी मेरठ-केस की शुरुआत थी जो साढ़े चार वर्ष के करीब चला।

मेरठ के मुल्जिमों की मदद के लिए एक सफाई-कमिटी बनी। मेरे पिताजी इस कमिटी के सभापति थे तथा डाक्टर अन्सारी, मैं तथा कुछ और लोग उसके मेम्बर थे। हम लोगों का काम मुश्किल था। मुकदमे के लिए रुपया इकट्ठा करना आसान न था। ऐसा मालूम होता था कि पैसेवाले लोगों को कम्युनिस्टों और समाजवादी आन्दोलन करनेवालों से कोई हमदर्दी नहीं थी, और वकील लोग पूरा महनताना लिये बिना काम करने को तैयार न थे, जो कि किसीका खून चूसकर ही दिया जा सकता था। हमारी कमिटी में कई नामी वकील थे, जैसे पिताजी तथा दूसरे लोग। ये हर वक्त हमें सलाह देने और रास्ता दिखाने को तैयार थे। उसमें हमारा कुछ भी खर्च नहीं पड़ता था। लेकिन उनके लिए यह मुमकिन न था कि वे महीनों लगातार मेरठ में ही बने रहें। उनके अलावा जिन वकीलों के पास हम गये वे, मालूम होता है, यह समझते थे कि यह मुकदमा हमारे लिए ज्यादा-से-ज्यादा रुपया कमाने का एक जरिया है।

मेरठ के मुकदमे के अलावा कुछ और डिफेंस कमिटियों से भी मेरा ताल्लुक रहा है—जैसे एम०एन० राय के तथा दूसरे मुकदमों में। हर मौके पर मुझे अपने पेशे के लोगों के लालचीपन को देखकर हैरत हुई है। इस सिलसिले में मुझे सबसे पहला बड़ा धक्का उस वक्त लगा जब १९१९ में पंजाब में फौजी कानून की रू से मुकदमे चल रहे थे। उन दिनों वकीलों के एक बहुत बड़े लीडर ने इस बात पर ज़िद की कि उन्हें पूरी फ्रीस दी जाय। यह रकम बहुत बड़ी थी। उन्होंने इस बात का कोई खयाल नहीं किया कि उनके मुबकिल वे लोग हैं जो फौजी कानून के शिकार हुए हैं और उनमें उनका साथी एक वकील भी है। इनमें से बहुत-से लोगों को कर्ज लेकर या अपनी

आयदादें बेच-बेचकर इन वकील साहब की फ्रीस देनी पड़ी। इसके बाद मुझे जो तजुबें हुए वे तो और भी दुःखदायी थे। हम लोगों को गरीब-से-गरीब लोगों से तांबे के पैसे ले-लेकर रुपये इकट्ठे करने पड़ते थे और वे बड़े-बड़े चैंकों के रूप में वकीलों को दे देने पड़ते थे। यह बात हमें बहुत ही अस्वरती थी। और फिर यह सब काम बिलकुल बेकार मालूम पड़ता था; क्योंकि एक राजनैतिक मामले में या मजदूरो के मामले में हम सफाई दें या न दें, नतीजा गालिबन वही होता है। लेकिन मेरठ के मुकदमे जैसे मुकदमे में, बिलाशक, सफाई देना कई दृष्टियों से लाजिमी था।

मेरठ-षड्यन्त्र-डिफेन्स-कमिटी की मुल्जमो के साथ आसानी से नहीं पटी। इन मुल्जमो में तरह-तरह के लोग थे, जिनकी सफाई भी अलग-अलग किस्म की थी, और कभी-कभी तो उनमें आपसी मेल कतई गायब रहता था। कुछ महीनों के बाद हमने बाकायदा कमिटी को तोड़ दिया और अपनी जाती हेंसियत से मदद करते रहे। राज-नैतिक हालात जिस तरह सूरत से बदलते जा रहे थे उसकी तरफ हमारा ध्यान अधिकाधिक खिचने लगा और १९३० में तो हम सबके सब जेलों में बन्द हो गये।

विश्वोभ का वातावरण

१९२९ की कांग्रेस लाहौर में होनेवाली थी। वह दस साल के बाद फिर पंजाब में आई थी, और लोग दस वर्ष पहले की बातें याद करने लगे—१९१९ की घटनायें, जलियाँवालाबाग, फौजी कानून और उसके साथ होनेवाली बेइज्जतियाँ, अमृतसर का कांग्रेस-अधिवेशन, और उसके बाद असहयोग की शुरुआत। इन दस बरसों में बहुत घटनायें हुई थीं और हिन्दुस्तान की सूरत ही बदल गई थी, मगर फिर भी उस समय में और इस समय में समानताओं की कमी न थी। राजनैतिक विश्वोभ बढ़ रहा था, संघर्ष का वातावरण तेजी से बनता जा रहा था। आनेवाले संघर्ष की लम्बी छाया पहले से ही देश पर पड़ रही थी।

असेम्बली और प्रान्तीय कौंसिलों में बहुत समय से लोगों की दिलचस्पी न रही थी, सिवा उन मुट्ठीभर लोगों के जो उनके पवित्र घेरों में ही चक्कर काटा करते थे। ये असेम्बली और कौंसिलें अपनी लकीर पीटा करती थी, जिनसे सरकार को सत्ता-परस्ती और स्वेच्छाचारी स्वरूप को ढकने के लिए एक टूटा-फूटा सहारा मिल जाता था, और लोगों को हिन्दुस्तान की पार्लमेण्ट होने और उसके मेम्बरों को भत्ता मिलने की बात करने का एक बहाना। असेम्बली का आखरी सफल कार्य, जिसकी तरफ लोगों का ध्यान गया, १९२८ में हुआ था, जबकि उसने साइमन-कमीशन से सहयोग न करने का प्रस्ताव पास किया था।

इसके बाद असेम्बली के प्रेसीडेण्ट और सरकार के बीच में एक संघर्ष भी हुआ था। विट्टलभाई पटेल, जो असेम्बली के स्वराजिस्ट प्रेसीडेण्ट थे, अपनी स्वतन्त्र वृत्ति के कारण सरकार के दिल में काँटे की तरह खटकते थे और उनके पर काट देने की बहुत कोशिशें की गईं। ऐसी बातों की तरफ ध्यान तो जाता था, मगर आम तौर पर जनता का ध्यान बाहर की घटनाओं की ही तरफ लगा हुआ था। मेरे पिताजी को अब कौंसिलों के बारे में कोई भ्रम नहीं रह गया था और वह अक्सर यह राय जाहिर करते थे कि इस अवस्था में अब कौंसिलों से ज्यादा फायदा नहीं उठाया जा सकता। अगर कोई मुनासिब मौका आ जावे तो वह उनमें से खुद भी बाहर निकल आना चाहते थे। हालांकि उनका दिमाग वैधानिक था और कानूनी तरीकों और जान्तों का आदी था, मगर हालात से मजबूरन उन्हें यही नतीजा निकालना पड़ा कि हिन्दुस्तान में तो वैधानिक कहे जानेवाले तरीके बेकार और फुबूल हैं। वह अपने कानूनी दिमाग को

यह कहकर तसल्ली दे देते थे कि हिन्दुस्तान में विधान ही नहीं है, और न दरहकीकत यहाँ कानून की हुकूमत ही है, जबकि यहाँ किसी एक व्यक्ति या दल की मर्जी पर ही, जिस तरह जादूगर के पिटारे में से अचानक कबूतर निकल पड़ते हैं उसी तरह, आर्डिनेन्स बगैरा निकल पड़ते हैं। तबीयत और आदत से वह क्रान्तिकारी बिलकुल न थे, और अगर मध्यम-वर्गीय प्रजातन्त्रवाद जैसी कोई चीज़ होती तो वह बिलासक विधान के बड़े भारी स्तम्भ होते। मगर, जैसी कि हालत थी, हिन्दुस्तान में नकली पार्लमेण्ट का नाटक होने के कारण, यहाँ वैधानिक आन्दोलन करने की चर्चा से वह ज्यादा-ज्यादा चिढ़ने लगे थे।

गांधीजी अब भी राजनीति से अलग ही रह रहे थे, सिवाय इसके कि कलकत्ता-काँग्रेस में उन्होंने हिस्सा लिया था। मगर वह सब घटनाओं की जानकारी रखते थे, और काँग्रेस-नेता उनसे अक्सर सलाह-मशवरा किया करते थे। कुछ वर्षों से उनका खास काम खादी-प्रचार हो गया था, और इसके लिए उन्होंने सारे हिन्दुस्तान में लम्बे-चौड़े दौरे किये थे। उन्होंने बारी-बारी से एक-एक प्रान्त को लिया, और वह उसके हर जिले और करीब-करीब हर महत्वपूर्ण कस्बे में गये, और दूर के और देहाती हिस्सों में भी गये। हर जगह उनके लिए लोगो की भारी-भारी भीड़ जमा होती थी और उनका कार्यक्रम पूरा करने के लिए पहले से बहुत तैयारी करनी पड़ती थी। इस तरह से उन्होंने बार-बार हिन्दुस्तान का दौरा किया है, और उत्तर से दक्षिण तक और पूर्वी पहाड़ों से पश्चिमी समुद्र तक इस विशाल देश के एक-एक कोने को उन्होंने देख लिया है। मैं नहीं समझता कि और किसी इन्सान ने कभी हिन्दुस्तान में इतना सफ़र किया होगा।

प्राचीन काल में बड़े-बड़े भ्रमण करनेवाले थे, जो हमेशा घूमते ही रहते थे और सैलानी तबीयत के यात्री थे, मगर उनके यात्रा के साधन बहुत धीमे थे। और इस तरह का जीवन-भर का भ्रमण भी एक साल के रेल और मोटर के सफ़र का मुकाबिला नहीं कर सकेगा। गांधीजी रेल और मोटर से जाते थे, मगर वह सिर्फ़ उन्हीं-से बंधे हुए नहीं थे; वह पैदल भी चलते थे। इस तरह उन्होंने हिन्दुस्तान और यहाँ के लोगों का अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया, और इसी तरीके से करोड़ों लोगों ने उन्हें देखा और उनके व्यक्तिगत सम्पर्क में आये।

वह १९२९ में अपने खादी-सम्बन्धी दौरे में युक्तप्रान्त में आये, और उन्होंने निहायत गरम मौसम में इस प्रान्त में कई हफ्ते बिताये। मैं कभी-कभी उनके साथ कई दिनों तक लगातार रहता, और हालांकि उनके आने पर इससे पहले भी बड़ी-बड़ी भीड़ देख चुका था, मगर फिर भी उनके लिए एकत्र इन भीड़ों को देखकर ताज्जुब किये बगैर न रहता। यह हाल गोरखपुर जैसे पूर्वी जिलों में

खास तौर पर देखा जाता था, जहाँ कि आदमियों का मजमा देखकर टिड्डी-दल की याद आ जाती थी। जब हम देहात में मोटर से गुजरते थे, तो कुछ-कुछ मीलों के फ़ासले पर ही दस हज़ार से लेकर पच्चीस हज़ार तक की भीड़ हमें मिला करती थी, और सभाओं में तो अक्सर लाख-लाख से भी ज्यादा तादाद ही जाती थी। सिवाय किसी-किसी बड़े शहर के, सभाओं में ब्राँडकार्स्टिंग का इन्तजाम न था, और जाहिरा सब आदमियों को भाषण सुनाई देना नामुमकिन था। शायद वे कुछ सुनने की उम्मीद भी नहीं करते थे; वे महात्माजी के दर्शन करके ही संतुष्ट हो जाते थे। गांधीजी अपने पर आवश्यक बोझ न पड़ने देते हुए, आम तौर पर, छोटा-सा भाषण देते थे। नहीं तो, इस तरह हर घण्टे और हर रोज़ काम चलाना बिलकुल असम्भव हो जाता।

मैं सारे युक्तप्रान्त के दौरे में उनके साथ न रहा, क्योंकि मेरा उनको कोई खास उपयोग नहीं हो सकता था, और दौरे के दल में मेरे एक के और बढ़ जाने से कोई मतलब न था। यो मजमों से मुझे परहेज न था, मगर गांधीजी के साथ चलनेवालों का आम तौर पर जैसा हाल होता है, यानी धक्के खाना और अपने पैर कुचलवाना, ये मुझे ललचाने को काफ़ी न थे। मेरे पास करने को दूसरा काम काफ़ी था, और सिर्फ़ खादी के प्रचार में ही, जो मुझे बढ़ती हुई राजनैतिक हालत में एक अपेक्षाकृत छोटा ही काम नज़र आता था, लग जाने की मेरी इच्छा न थी। किसी हद तक मैं गैर-राजनैतिक कामों में लगे रहने से नाराज़ था, और मैं उनके विचारों का आधार कभी नहीं समझ सका। उन दिनों वह खादी-कार्य के लिए घन इकट्ठा कर रहे थे, और वह अक्सर कहते थे कि उन्हें 'दरिद्र-नारायण' अर्थात् 'गरीबों के नारायण' या 'गरीबों में रहनेवाले नारायण' के लिए घन चाहिए। उनका यही मतलब था कि उससे वह गरीबों की मदद करेंगे, उन्हें घरेलू धन्धों द्वारा काम दिलायेंगे। मगर इससे अप्रत्यक्ष रूप से दरिद्रता—गरीबी—का गौरव बढ़ता दिखाई देता था, क्योंकि नारायण खासकर गरीबों का नारायण है, गरीब उसके प्यारे हैं। मैं समझता हूँ कि सब जगह धार्मिक भावना यही है। मैं इस बात को पसन्द नहीं कर सकता था; क्योंकि मुझे तो दरिद्रता एक घृणित चीज़ मालूम होती थी, जिससे लड़कर उसे उखाड़ फेंकना चाहिए, न कि उसे किसी तरह बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए लाजिमी तौर पर उस प्रणाली पर हमला करना चाहिए जो दरिद्रता को बरदाश्त करती और पैदा करती है, और जो लोग ऐसा करने से झिझकते हैं उन्हें मजबूरन दरिद्रता को किसी-न-किसी तरह उचित ठहराना ही पड़ता था। वे यही विचार कर सकते थे कि दुनिया में सदा चीजों की कमी ही रहेगी, और ऐसी दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते थे कि जिसमें सबको

जीवन की आवश्यक चीजें भरपूर मिल सकें। शायद उनके विचारानुसार हमारे समाज में गरीब और अमीर तो हमेशा ही बने रहेंगे।

जब कभी मुझे इस बारे में गांधीजी से बहस करने का मौका मिला तभी वह इस बात पर जोर देते थे कि अमीर लोगों को अपनी दौलत जनता की धरोहर की तरह समझनी चाहिए। यह दृष्टिकोण काफ़ी पुराना है और यह हिन्दुस्तान में, और मध्यकालीन योरप में भी, अक्सर पाया जाता है। किन्तु मैं तो बिल्कुल इस बात को नहीं समझ सका हूँ कि कोई भी शस्त्र ऐसा हो जाने की कैसे उम्मीद कर सकता है, या यह कैसे कल्पना कर लेता है, कि इसीसे समाज की समस्या हल हो जायगी?

असेम्बली, जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, सुस्त और सोती रहनेवाली हो गई थी और उसकी बेलुका कार्रवाइयों में शायद ही कोई दिलचस्पी लेता हो। जब भगतसिंह और बी० के० दत्त ने दर्शकों की गैलरी से उस सभा-भवन के फर्श पर दो बम फेंक दिये, तब एक दिन एक झटके की तरह एकाएक उसकी नींद खुली। किसी-को सख्त चोट नहीं आई, और शायद बम इसी इरादे से फेंके गये थे, जैसा कि मुल्जिम ने बाद में बयान किया था, कि शोर और खलबली पैदा की जाय, न कि किसीको चोट पहुँचाई जाय।

उनसे सचमुच असेम्बली में और बाहर खलबली मच गई। आतंककारियों के दूसरे काम इतने निरापद न थे। एक नौजवान अंग्रेज पुलिस अफसर को, जिसके बारे में कहा गया है कि उसने लाला लाजपतराय को पीटा था, लाहौर में गोली से मार दिया गया। बगाल और दूसरी जगहों पर ऐसा मालूम होने लगा कि आतंककारियों की हलचलें फिर से शुरू हो गईं। षड्यन्त्र के बहुत-से मुकदमे चलाये गये, और नज़रबन्दों की—यानी बगैर मुकदमा चलाये और सज़ा सुनाये जेल में रक्खे जानेवाले या दूसरी तरह से रोके हुए लोगों की—तादाद जल्दी बढ़ गई।

लाहौर-षड्यन्त्र के मुकदमे में अदालत में पुलिस ने कई आसाधारण काम किये, और इस कारण भी इस मुकदमे की तरफ़ लोगों का ध्यान बहुत गया। अदालत और जेल में मुल्जिमों के साथ जो बर्ताव किया जा रहा था, उसके विरोध-स्वरूप ज्यादातर क़ैदियों ने भूख-हड़ताल करदी। वह ठीक किन कारणों से शुरू हुई, यह तो मैं भूल गया हूँ, मगर अन्त में यह बड़ा सवाल बन गया कि क़ैदियों, खासकर राजनैतिक क़ैदियों, के साथ आम तौर पर कैसा बर्ताव होना चाहिए। यह हड़ताल हफ्तों तक बढ़ती गई, और इससे सारे देश में खलबली मच गई। मुल्जिमों की शारीरिक कमज़ोरी के सबब से उन्हें अदालत में न ले जाया जा सकता था, और बार-बार कार्रवाई मुस्तबी करनी पड़ी। इसपर भारत-सरकार ने ऐसा कानून बनाने का सूत्रपात किया, जिससे

मुल्जिम या उनके पैरोकारों की गैर-भौजूदगी में भी अदालत अपनी कार्रवाई जारी रख सके। उन्हें जेल के बर्ताव के प्रश्न पर भी गौर करना पड़ा।

जब हड़ताल एक महीने तक चल चुकी थी, उस वक्त मैं इत्फाक से लाहौर पहुँचा। मुझे कुछ कैदियों से जेल में मिलने की इजाजत दे दी गई, और मैंने इसका फायदा उठाया। भगतसिंह से यह मेरी पहली मुलाकात थी। मैं जतीन्द्रनाथ दास वगैरा से भी मिला। भगतसिंह का चेहरा आकर्षक था और उससे बुद्धिमत्ता टपकती थी। वह निहायत गम्भीर और शान्त था। उसमें गुस्सा नहीं दिखाई देता था। उसकी दृष्टि और बात-चीत में बड़ी मृदुता थी। मगर मेरा खयाल है कि कोई भी शख्स जो एक महीने तक उपवास करेगा, आध्यात्मिक और मृदुल दिखाई देने लगेगा। जतीन्द्र दास तो और भी मृदुल, एक कन्या की तरह कोमल और मुलायम, मालूम पड़ा। जब मैं उससे मिला, उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। बाद में वह, उपवास से ही, भूख-हड़ताल के ६१वें रोज़, मर गया।

भगतसिंह की खास हसरत, अपने चाचा सरदार अजीतसिंह से, जो १९०७ में लाला लाजपतराय के साथ ज़िला-वतन कर दिये गये थे, मिलना या कम-से-कम उनकी खबर पाना मालूम हुई। वह कई बरसों तक विदेशों में जिला-वतन रहे। कुछ-कुछ यह भी सुना गया था कि वह दक्षिण अमेरिका में बस गये हैं, मगर मुझे खयाल नहीं है कि उनके बारे में कोई भी निश्चित खबर हो। मुझे यह भी पता नहीं कि वह मर गये हैं या जीते हैं।

जतीन्द्र दास की मृत्यु से सारे देश में सनसनी पैदा हो गई। इससे राजनैतिक कैदियों के बर्ताव का सवाल आगे आ गया, और इसपर सरकार ने एक कमिटी मुक़र्र कर दी। इस कमिटी के विचारों के फलस्वरूप नये कायदे जारी किये गये, जिनसे कैदियों के तीन दर्जे कर दिये गये। इन कायदों से कुछ मुधार होने की मूरत नज़र आई, मगर असल में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, और हालत अत्यन्त असन्तोषजनक रही, और अब भी है।

धीरे-धीरे गरमी और बरसात की ऋतु बीतकर ज्योंही शरद-ऋतु आई, प्रान्तीय काँग्रेस कमिटियाँ काँग्रेस के लाहौर-अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुनने के काम में लग गईं। इस चुनाव की एक लम्बी कार्रवाई होती है, जो अगस्त से अक्टूबर तक चलती रहती है। १९२९ में गांधीजी को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में करीब-करीब एकमत था। उन्हें दूसरी बार सभापति बनाने की इस इच्छा से, वास्तव में, काँग्रेस के नेताओं में उनका पद और ऊँचा नहीं हो जाता था, क्योंकि वह तो कई बरसों से एक तरह के सभापतियों के दादा बने हुए थे। उस वक्त सबको यही लगा कि चूँकि लड़ाई

अनकरीब हूँ और उसकी सारी बागडोर यों भी उन्हींके हाथों में रहनेवाली हूँ, तो फिर कांग्रेस के 'विधियुक्त' नेता भी उस वक्त के लिए उन्हींको क्यों न बनाया जाय ? इसके सिवा, इतना बड़ा और कोई आदमी सामने न था जो उस समय सभापति बनाया जाता ।

इसलिए प्रान्तीय कमिटियों ने सभापति-पद के लिए गांधीजी की सिफ़ारिश की । मगर उन्होंने मंजूर न किया । हालाँकि उन्होंने जोर के साथ इन्कार किया था, मगर उसमें दलील करने की गुंजाइश रही हुई मालूम हुई और यह उम्मीद की गई कि वह उसपर दुबारा गौर कर लेंगे । लखनऊ में इसका आखिरी फैसला करने के लिए अखिल-भारतीय कांग्रेस-कमिटी की मीटिंग की गई, और आखिरी घड़ी तक करीब-करीब हम सभीका यह खयाल था कि वह राजी हो जायेंगे । मगर ऐसा न हुआ और आखिरी घड़ी में उन्होंने मेरा नाम पेश किया और उसपर जोर दिया । उनके आखिरी इन्कार से अखिल-भारतीय कांग्रेस-कमिटी के लोग तो कुछ-कुछ भीचक्के रह गये, और इस विषम स्थिति में डाले जाने से कुछ-कुछ नाराज भी हुए । किसी दूसरे शख्स के उपलब्ध न होने की दशा में, लाचारी के भाव से, उन्होंने आखिर मुझको चुन लिया ।

मुझे तबतक कभी इतनी झुंझलाहट और जिल्लत महसूस न हुई जितनी इस चुनाव पर । यह बात नहीं थी कि मुझे इस इज्जत बरसे जाने का—क्योंकि यह एक बड़ी भारी इज्जत की बात है—अहसास न हो, और अगर मैं मामूली तरीके से चुना जाता तो मुझे खुशी भी हुई होती । मगर मुझे यह इज्जत तो सीधे रास्ते या बगल के रास्ते से भी नहीं मिली, मैं तो गोया किसी पोशीदा रास्ते से आ खड़ा हुआ और अचानक लोगों को मुझे मंजूर कर लेना पड़ा । उन्होंने किसी तरह इसे बरदाश्त किया, और दबा की गोली की तरह मुझे निगल लिया । इससे मेरे स्वाभिमान को चोट पहुँची, और मुझे करीब-करीब यह महसूस हुआ कि मैं इस इज्जत को लीटा दूँ । मगर खुश-क्रिस्मती से मैंने अपने भावों को प्रकट करने से अपने-आपको रोक लिया, और भारी कलेजा लिये हुए वहाँ से चुपचाप चला आया ।

इस फैसले पर जिसको सबसे ज्यादा खुशी हुई वह शायद मेरे पिताजी थे । वह मेरी राजनीति को पसन्द नहीं करते थे, मगर वह मुझे तो काफ़ी ज्यादा चाहते थे, और मेरे लिए कुछ भी अच्छी बात होने से उन्हें खुशी होती थी । अक्सर वह मेरी नुक़ताचीनी करते थे और मुझसे कुछ रखाई से बोला करते थे, मगर कोई भी आदमी, जो उनकी सदिच्छा बनाये रखने की परवा करता हो, उनके सामने मेरे खिलाफ़ कुछ कह नहीं सकता था ।

मेरा चुनाव मेरे लिए एक बड़ी इज्जत और जिम्मेदारी की बात थी; और

यह चुनाव खुसूसियत इसलिए रखता था कि अध्यक्ष-पद पर बाप के बाद फौरन ही बेटा आ रहा था। यह अक्सर कहा गया कि मैं काँग्रेस का सबसे कम-उम्र सभापति था—उस उक्त मेरी उम्र ठीक चालीस की थी। मगर यह गलत है। मेरा ख्याल है कि गोखले की भी करीब-करीब यही उम्र थी, और मौलाना अबुलकलाम आजाद (हालाँकि वह मुझसे कुछ बड़े हैं) की उम्र तो शायद चालीस से भी कम थी जबकि वह सभापति बने थे। मगर गोखले, जबकि वह ३५-४० के अन्दर ही थे, तब भी योग्यता के लिहाज से बड़े राजनीतिज्ञों में माने जाते थे, और अबुलकलाम आजाद की सूरत-शकल ऐसी बन गई थी जो उनकी विद्वत्ता के अनुकूल आदरणीय थी। अब चूँकि मुझमें राजनीतिज्ञता का गुण शायद ही कभी माना गया हो, और मुझपर कभी बड़ा विद्वान् होने का इलजाम भी किसीने नहीं लगाया, इसलिए मैं बड़ी उम्र के होने के इलजाम से बच गया हूँ—भले ही मेरे बाल पक गये हैं और मेरा चेहरा भी उसकी चुगली खा देता है।

लाहौर-काँग्रेस नज़दीक आती जाती थी। इस बीच घटनायें एक-एक करके ऐसी घटती जाती थी, जिनमें मालूम होता था कि वे खुद अपनी ही किसी ताकत से आगे बढ़ती जा रही हैं। व्यक्ति कितने ही बड़े क्यों न थे, मगर उनका बहुत ही थोड़ा भाग था। व्यक्ति को यही मालूम होता था कि वह किसी बड़ी मशीन के अन्दर, जो बेरोक आगे बढ़ती हुई चली जा रही थी, सिर्फ एक पुञ्जों की तरह ही है।

भाग्य की इस प्रगति को, शायद, रोकने की आशा से ब्रिटिश सरकार एक कदम आगे बढ़ी, और वाइसराय लार्ड अविन ने एक गोल-मेज़-कान्फ़ेन्स करने की बाबत ऐलान किया। उस ऐलान के शब्द बड़ी चालाकी-भरे थे, जिनका मतलब 'बहुत कुछ' भी और 'कुछ नहीं' भी हो सकता था, और हम कईको तो यह साफ़ मालूम होता था कि 'कुछ नहीं' ही निकलेगा। और अगर उसमें ज्यादा मतलब भी होता, तो भी हम जो कुछ चाहते थे उसके करीब तक भी वह नहीं पहुँच सकता था। वाइसराय के इस ऐलान के निकलते ही फौरन, और बड़ी जल्दी से, दिल्ली में 'लीडरों की कान्फ़ेन्स' बुलाई गई, और कई दलों के लोग उसमें बुलाये गये। उसमें गाँधीजी, मेरे पिताजी और विट्ठलभाई पटेल भी (जो उस समय तक असेम्बली के प्रेसीडेण्ट ही थे) मौजूद थे, और तेजबहादुर सप्रू बगैरा नरम दल के नेता भी थे। सबकी सहमति से एक संयुक्त प्रस्ताव या वक्तव्य तैयार किया गया, जिसमें वाइसराय का ऐलान कुछ शर्तों के साथ, जिनके बारे में लिख दिया गया कि ये जरूरी हैं और पूरी की जानी चाहिएँ, मंज़ूर किया गया। अगर इन शर्तों को सरकार मंज़ूर कर लेती तो सहयोग

दिया जाता। ये शर्तें काफ़ी बज़नदार थीं, और उनसे कुछ तो फ़र्क़ होता ही।

नरम और प्रगतिशील सभी दलों के द्वारा ऐसा प्रस्ताव मंज़ूर किया जाना एक बड़ी विजय ही थी। मगर काँग्रेस के लिए तो यह नीचे गिरना था। हाँ, सबके बीच में एक सर्वसम्मत बात के रूप में वह ऊँची चीज़ थी। मगर उसमें एक घातक पकड़ भी थी। उन शर्तों को देखने के कम-से-कम दो भिन्न-भिन्न दृष्टि-कोण थे। काँग्रेस के लोग तो उन्हें सारभूत अनिवार्य मानते थे, जिनके पूरा हुए बिना कोई सहयोग नहीं हो सकता था। उनकी निगाह से वे कम-से-कम शर्तें थीं। यह बात काँग्रेस-कार्य-समिति की एक बाद की बैठक में साफ़ कर दी गई और उसमें यह भी कह दिया गया कि यह तज़वीज़ सिर्फ़ अगली काँग्रेस तक के ही लिए है। मगर नरमदलों के लिए ये ज्यादा-से-ज्यादा मांग थी, जिनका बयान किया जाना अच्छा था मगर जिनपर इतना जोर नहीं दिया जा सकता था कि सहयोग तक से इन्कार कर दिया जाय। उनकी दृष्टि में वे शर्तें, महत्वपूर्ण कहलाते हुए भी, वास्तव में कोई शर्तें नहीं थीं। और बाद में हुआ यह कि, जब कि इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं की गई और हममें से ज्यादातर लोग बीसियों हजार दूसरे आदमियों के साथ जेल में पड़े हुए थे, उस वक़्त हमारे नरमदली और सहयोगी मित्र, जिन्होंने उस वक़्तव्य पर हमारे साथ दस्तख़त किये थे, हमें जेल में डालनेवालों को सहयोग दे रहे थे।

हममें से ज्यादातर लोगों को अन्देश तो था कि ऐसी बात होगी—मगर यह उम्मीद नहीं थी कि इस हद तक होगी। लेकिन हमें कुछ-कुछ यह भी उम्मीद थी कि इस सयुक्त कार्य से, जिसमें काँग्रेस के लोगों ने अपने-आपको इतना दबाया है, यह भी नतीजा होगा कि लिबरल और दूसरे लोग ब्रिटिश सरकार को मनमाना और एक-सा सहयोग देने की आदत से बाज़ आवेंगे। हम कई लोगों की निगाह में तो, जो इस समझौताकारी प्रस्ताव को दिल से नापसन्द करते थे, इसका ज्यादा ज़बरदस्त कारण यह था कि इससे हमारे काँग्रेस के लोगों को आपस में एक बनाये रक्खा जाय। एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत में हम काँग्रेस में फूट होना बरदाश्त नहीं कर सकते थे।

१. शर्तें ये थीं :—

१—प्रस्तावित कान्फ़्रेंस में सारी बातचीत हिन्दुस्तान के लिए पूर्ण औपनिवेशिक-पद के आधार पर होनी चाहिए।

२—कान्फ़्रेंस में काँग्रेस के लोगों का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

३—राजनैतिक कैदियों की आम रिहाई हो।

४—अभी से आगे हिन्दुस्तान की शासन, मौजूदा हालासत में जहाँतक मुमकिन है, उपनिवेश-शासन की लाइन पर चलना चाहिए।

यह तो अच्छी तरह मालूम था कि हमारी पेश हुई शर्तों को सरकार नहीं मान सकेगी, और इस तरह हमारी स्थिति और भी मजबूत हो जायगी, और हम अपने बहुमत को भी अपने साथ आसानी से ले चल सकेंगे। यह सिर्फ कुछ ही हफ्तों का सवाल था। दिसम्बर आया, कि लाहौर-काँग्रेस नज़दीक आई।

फिर भी वह संयुक्त वक्तव्य हममें से कुछ लोगों के लिए एक कड़वी घूट थी। स्वाधीनता की माँग को छोड़ देना, चाहे सिर्फ कल्पना में ही और सिर्फ थोड़ी देर के लिए क्यों न हो, एक ग़लत और खतरनाक बात थी। इसका मतलब यह था कि स्वाधीनता की बात सिर्फ एक चाल थी, जिसकी बिना पर कुछ सौदा किया जा सके; वह कोई सारभूत चीज़ न थी, जिसके बग़ैर हमें कभी तसल्ली ही न हो सके। इसलिए मैं दुविधा में पड़ गया और मैंने वक्तव्य पर दस्तख़त नहीं किये (सुभाष बोस ने तो निश्चित-रूप से दस्तख़त करने से इन्कार कर दिया); मगर, जैसा कि मुझसे अक्सर होता है, बहुत कहने-सुनने पर मैं नरम पड़ गया और मैंने दस्तख़त कर दिये। मगर फिर भी मैं बड़ी बेचैनी लेकर आया, और दूसरे ही दिन मैंने काँग्रेस के सभापति-पद से अलग हो जाने का विचार किया और अपना यह इरादा गांधीजी को लिख भेजा। मैं नहीं ममज़ता कि मैंने यह गम्भीरता से लिखा था, हालाँकि मैं विश्वन्ध तो काफी हो गया था। फिर गांधीजी का एक सान्त्वनाप्रद पत्र आने और तीन दिन तक सोचने रहने से अन्त को मैं शान्त हो गया।

लाहौर-काँग्रेस से कुछ ही समय पहले, काँग्रेस और सरकार के बीच में समझौते का कोई आधार ढूँढने की एक आखिरी कोशिश की गई। वाइसराय लार्ड अविन के साथ एक मुलाक़ात का इन्तज़ाम किया गया। मुझ नहीं मालूम कि इस मुलाक़ात के इन्तज़ाम में पहला क़दम किसने उठाया, मगर मेरा अन्दाज़ है कि विट्टलभाई पटेल ने ही यह खास तौर पर किया होगा। इस मुलाक़ात में गांधीजी और मेरे पिताजी काँग्रेस का दृष्टिकोण प्रकट करने के लिए मौजूद थे, और मेरे खयाल से जिन्ना साहब, सर तेजबहादुर सप्रू और प्रेसीडेन्ट पटेल भी थे। इस मुलाक़ात का कुछ नतीजा न निकला। सहमत होने का कोई सामान्य आधार हाथ न आया, और यह पाया गया कि दो खास पार्टियाँ, सरकार और काँग्रेस, एक-दूसरे से बहुत फ़ासले पर थीं। इसलिए अब इसके सिवा कुछ बाक़ी न रहा कि काँग्रेस अपना क़दम आगे बढ़ावे। कलकत्ते में दी हुई एक साल की मियाद ख़तम हो रही थी; अब काँग्रेस का आदर्श हमेशा के लिए स्वाधीनता घोषित होने को था, और उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयाँ करने को थीं।

लाहौर-काँग्रेस से पहले के इन आखिरी हफ्तों में मुझे एक दूसरे क्षेत्र में भी ज़रूरी

काम करना था। ट्रेड यूनियन कांग्रेस नागपुर में होनेवाली थी, और इस साल उसका प्रेसीडेंट होने के कारण मुझे उसका सभापतित्व करना था। यह बहुत ही गैरमामूली बात थी कि एक ही आदमी राष्ट्रीय कांग्रेस और ट्रेड यूनियन कांग्रेस दोनों का ही, कुछ हफ्तों के अन्तर पर, सभापतित्व करे। परन्तु मैंने यह उम्मीद की थी कि मैं दोनों कांग्रेसों को जोड़नेवाली कड़ी बन जाऊँगा, और दोनों को ज्यादा नज़दीक ले आऊँगा, जिससे राष्ट्रीय कांग्रेस तो ज्यादा समाजवादी और ज्यादा श्रमिक-पक्षीय हो जावे और संगठित मज़दूर-पक्ष राष्ट्रीय संग्राम में साथ दे।

मगर शायद यह उम्मीद झूठी थी, क्योंकि राष्ट्रीयता समाजवादी और श्रमिकपक्षीय दिशा में दूर तक तभी जा सकती है जब वह राष्ट्रीयता न रहे। फिर मुझे लगा कि हालाँकि कांग्रेस का दृष्टिकोण मध्यमवर्गीय है, फिर भी देश में वही एक कारगर क्रांतिकारी ताकत है। इस हालत में मज़दूर-वर्ग को उसकी मदद करनी चाहिए, उसके साथ सहयोग करना चाहिए, और उसको अपने असर में लाना चाहिए, मगर साथ ही उसको अपनी हस्ती और अपनी विचार-धारा अलग कायम रखनी चाहिए। मुझे उम्मीद थी कि जैसे-जैसे घटनायें घटती जायँगी और कांग्रेस सीधे संघर्ष में पड़ती जायगी, वैसे-वैसे वह अपने-आप लाजिमी तौर पर ज्यादा उग्र आदर्श या दृष्टिकोण पर आती जायगी और सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों को अपने हाथ में लेती जायगी। पिछले बरसों में कांग्रेस का काम किसानों और गाँवों की तरफ बढ़ा है। अगर इसी तरफ इसका कदम बढ़ता रहा तो किसी दिन यह किसानों का एक बड़ा संगठन बन जायगी, वरना ऐसा संगठन तो हो ही जायगा जिसमें किसान-वर्ग प्रधान हो। युक्त-प्रान्त की कई जिला-कमिटियों में इस वक्त भी किसानों की तादाद बहुत थी, हालाँकि नेतृत्व मध्यमवर्ग के पढ़े-लिखे लोगो ने अपने हाथ में ले रक्खा था।

इस तरह से देहात और शहरो के निरन्तर संघर्ष का राष्ट्रीय कांग्रेस के और ट्रेड यूनियन कांग्रेस (टी० यू० सी०) के सम्बन्ध पर असर होने की सम्भावना थी। मगर यह सम्भावना दूर थी, क्योंकि मौजूदा राष्ट्रीय कांग्रेस मध्यमवर्गीय लोगों के हाथों में है और उसपर शहरवालों का कब्ज़ा है, और जबतक राष्ट्रीय स्वाधीनता का सवाल हल नहीं हो जाता है तबतक उसकी राष्ट्रीयता ही मैदान में प्रधान रहेगी और वही देश की सबसे ज़बरदस्त भावना रहेगी। फिर भी मुझे यही दिखाई दिया कि कांग्रेस को संगठित मज़दूर-वर्ग के नज़दीक लाना स्पष्ट तौर पर अच्छा है, और युक्त-प्रान्त में तो हमने अपनी प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी में ट्रे० यू० कां० की प्रान्तीय शाखा से प्रतिनिधि बुलाये थे। कांग्रेस के कई लोगो ने भी मज़दूरों की हलचलों में बड़ा हिस्सा लिया था।

मगर मजदूरों के कुछ आगे बढ़े हुए दल राष्ट्रीय कांग्रेस से झिझकते थे। वे इसके नेताओं पर अविश्वास करते थे और इसके आदर्श को मध्यमवर्गीय और प्रतिगामी समझते थे, और मजदूर दृष्टिकोण से सचमुच ऐसा था भी। जैसाकि इसके नाम से जाहिर होता है, कांग्रेस तो एक राष्ट्रीय संगठन था।


१९२९ ईस्वी भर हिन्दुस्तान के मजदूर-संघ एक नये सवाल पर, यानी हिन्दुस्तानी मजदूरों के विषय में नियुक्त रायल कमीशन पर, जिसका नाम व्हिटले-कमीशन था, बहुत विक्षुब्ध रहे थे। बायें-पक्ष (left wing) कमीशन का बहिष्कार करने की राय रखता था, और दाहिना पक्ष (Right wing) सहयोग देने की तरफ था; और चूँकि दाहिने पक्ष के कुछ नेताओं को कमीशन में मेम्बर बना दिया गया था, इसलिए यह कुछ व्यक्तिगत मामला भी बन गया था। और कई बातों की तरह इस बात में भी मेरी हमदर्दी बायें-पक्ष की तरफ थी, और खासकर इसलिए कि यही राष्ट्रीय कांग्रेस की भी नीति थी। जबकि हम सीधे हमले की लड़ाई चला रहे हैं या चलानेवाले हैं उस वक्त सरकारी कमीशनों से सहयोग करना निरर्थक बात मालूम हुई।

नागपुर ट्रे० यू० कांग्रेस में व्हिटले-कमीशन के बहिष्कार का यह सवाल एक बड़ा सवाल बन गया, और इसपर और दूसरे भी कई बहस-तलब सवालात पर बायें-पक्ष को कामयाबी मिली। इस कांग्रेस में मैंने बहुत ही कम नुमायों हिस्सा लिया। मैं मजदूर-क्षेत्र में बिलकुल नया था। अभी मैं रास्ता ही ढूँढता रहा था, इसलिए मैं थोड़ा झिझकता रहा। आम तौर पर मैं अपनी राय ज्यादा आगे बढ़े हुए दलों की तरफ जाहिर करता था, मगर मैंने किसी भी जमात के साथ हो जाने से अपनेको बचाया। मैंने संचालन करनेवाले अध्यक्ष की बनिस्बत एक निष्पक्ष 'स्पीकर' की तरह से ज्यादा काम किया। इस तरह ट्रे० यू० कां० के टुकड़े हो जाने और एक नये नरम संगठन के कायम हो जाने में मैं प्रायः एक खामोश तमाशाबीन बना रहा। जाती तौर पर मुझे यह महसूस हुआ कि दाहिने पक्ष के दलों का अलग हो जाना मुनासिब न था, मगर बायें पक्ष के कुछ नेताओं ने ही इस काम को जल्दी करवा दिया और उन्हें अलग हो जाने का पूरा-पूरा बहाना दे दिया। दाहिने और बायें पक्षों के झगड़ों में बीच के बड़े भारी दल को कुछ-कुछ बेबसी मालूम हुई। अगर इस दल का पथ-प्रदर्शन ठीक तरह किया गया होता तो शायद इसने उन दोनों दलों को संयम में रक्खा होता और ट्रे० यू० कां० में फूट पड़ने से बचा ली होती, और अगर अलग-अलग टुकड़े भी होते तो उसके इतने खराब नतीजे न होते जितने कि हुए।

उस समय जो कुछ हुआ उससे मजदूर-संगठन के आन्दोलन को एक जबरदस्त धक्का लगा, जिससे वह अभीतक सम्भल नहीं सका है। सरकार ने मजदूर-आन्दोलन

के आगे बढ़े हुए दलों पर पहले ही से हमला शुरू कर दिया था, और उसका पहला फल हुआ मेरठ वाला सुकदमा। सरकार का हमला जारी रहा। मालिकों ने भी देखा कि अपने लाभ की पूर्ति के लिए यही ठीक मौक़ा है। १९२९-३० के जाड़े में संसार-व्यापी मन्दी शुरू हो ही गई थी। आर्थिक मन्दी के धक्के से, सब तरफ़ से हमला किये जाने से, और अपने ट्रेड-यूनियन-संगठन की हालत उस समय बहुत ही कमजोर होने के कारण, हिन्दुस्तान के मजदूर-बर्ग के लिए बड़ी कठिनाई का ज़माना आ गया। वे लाचार होकर देख रहे थे कि उनकी हालत दिन-ब-दिन गिरती जा रही है। इसके बाद ही पहले या दूसरे साल एक और टुकड़ा—कम्यूनिस्ट हिस्सा—ट्रेडयूनियन-कांग्रेस से अलहदा हो गया। इस तरह उसूलन हिन्दुस्तान में मजदूर-संघों के तीन संगठन बन गये—एक नरम दल, एक मुख्य टी०यू० सी० दल, और एक कम्यूनिस्ट दल। अमली शकल में ये सभी कमजोर और बेकार हो गये, और उनके आपसी झगड़ों से आम कारीगर ऊब उठे थे। १९३० के बाद से मैं इन सबसे अलग था, क्योंकि मैं तो ज्यादातर जेल में रहा, जब कभी बीच-बीच में मैं जेल से बाहर आता था तो मुझे मालूम होता था कि सबमें एकता होने की कोशिशें की जा रही हैं। मगर वे कामयाब न हुईं। नरम दल के यूनियनों के साथ रेलवे कारीगरों के रहने से उनकी ताक़त बढ़ गई। दूसरे दलों के मुकाबिले में उनको एक फ़ायदा यह था कि सरकार उनको तसलीम करती थी, और जिनेवा की मजदूर-कान्फ़ेन्सों के लिए उनकी सिफ़ारिशों को मंज़ूर कर लेती थी। जिनेवा जाने के लालच से भी कुछ मजदूर-नेता उनकी तरफ़ खिंच गये, और वे अपने साथ अपनी यूनियनों को भी उधर खींच ले गये।

१. इसके बाद ट्रेड यूनियनों में एकता पैदा करने की कोशिश ज्यादा कामयाब हुई है, और मुस्तलिफ़ दल अब आपस में एक तरह के सहयोग से काम कर रहे हैं।





जवाहरलाल नेहरू

स्वाधीनता और उसके बाद

मेरी स्मृति में लाहौर-कांग्रेस की तस्वीर आज भी साफ़ खिंची हुई है। यह कुदरती भी है, क्योंकि मैंने उसमें सबसे बड़ा हिस्सा लिया था, और थोड़ी देर के लिए तो मैं रंग-मंच के केन्द्र में ही था, और उन भीड़-भग्मड़ के दिनों में मेरे दिल में जो-जो भावनार्थ पैदा हुईं उनपर खयाल करना कभी-कभी मुझे अच्छा लगता है। लाहौर के लोगों ने मेरा जैसा शानदार स्वागत किया, जो लोगों की तादाद और दिल की गहराई दोनों में बहुत बड़ा-चढ़ा था, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं अच्छी तरह जानता था कि यह अथाह उत्साह मेरे लिए व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि एक प्रतीक के लिए, एक आदर्श के लिए था। मगर किसी आदमी के लिए यह भी कोई कम बात नहीं है कि वह, थोड़े समय के लिए ही सही, बहुत लोगों की आँखों में और दिलों में वैसा प्रतीक बन जाय और मैं अपनेको बड़ा आनंदित और उठा हुआ अनुभव कर रहा था। मगर मुझपर क्या असर हुआ, इसकी कोई अहमियत नहीं है। क्योंकि यहाँ तो बड़े-बड़े सवालता सामने थे। सारा वातावरण जोश से भरा हुआ था और अवसर की गम्भीरता का खयाल सब ओर छाया हुआ था। हमें सिर्फ़ नुक्ताचीनी या विरोध या राय के इजहार के ही ठहराव नहीं करने थे, मगर हमें ऐसी लड़ाई का आवाहन करना था जिससे सारा देश हिल जानेवाला था और जिसका असर लाखों की जिन्दगी पर पड़नेवाला था।

दूर भविष्य में हमारे और हमारे देश के लिए क्या होनेवाला है, यह तो कोई भी नहीं कह सकता था; मगर निकट-भविष्य में क्या होगा, यह तो साफ़ दिखाई देता था। हमारे लिए और हमारे प्रिय व्यक्तियों के लिए लड़ाई और तकलीफें सामने नज़र आती थी। इस खयाल ने हमारे उत्साह में गंभीरता ला दी थी, और हमें अपनी जिम्मेदारी से बहुत आगाह कर दिया था। हमने जो हरेक वोट दिया वह अपने आराम और सुख और पारिवारिक आनन्द और मित्रों के मिलने-जुलने को बिदाई का पैगाम था, और थी एकान्त के दिनों और रातों और शारीरिक और मानसिक कष्टों को दावत।

स्वाधीनता और स्वाधीनता की लड़ाई चलाने के लिए किये जानेवाले काम के भूताल्लिक क्लास ठहराव तो क्ररीब-क्ररीब एकमत से पास हो गया, कई हजारों में से मुदिकल से बीस आदमियों ने उसके खिलाफ़ वोट दिया था, मगर असली वोटिंग एक

छोटे मामले पर हुआ, जो एक तरमीम की शकल में आया था। यह तरमीम गिर गई और दोनों तरफ़ की रायों की तादाद जाहिर कर दी गई। खास ठहराव इत्फ़ाक से ३१ दिसंबर की आधीरात के घंटे की चोट के साथ, जबकि पिछला साल गुज़रकर उसकी जगह नया साल आ रहा था, मंज़ूर हुआ। इस तरह ज्योंही कलकत्ता-कांग्रेस की दी हुई एक साल की मोहलत ख़त्म हुई त्योंही नया फैसला किया गया और लड़ाई की तैयारियाँ शुरू की गईं। चक्र तो चल गया, मगर फिर भी हम यह नहीं जानते थे कि हमें कैसे और कब शुरुआत करनी चाहिए। अ० भा० कांग्रेस कमिटी को हमारी लड़ाई की योजना बनाने और उसको चलाने का अस्त्यार दिया गया, मगर सब जानते थे कि असली फैसला तो गाँधीजी के हाथ है।

लाहौर-कांग्रेस में नज़दीक के ही सीमाप्रान्त से बहुत लोग आये थे। इस प्रान्त से व्यक्तिगत प्रतिनिधि तो कांग्रेस की बैठकों में हमेशा आया ही करते थे। पिछले कुछ बरसों से खान अब्दुलगफ़फ़ारखाँ हमारे अधिवेशनों में आया और हिस्सा लिया करते थे। मगर लाहौर में पहली बार सीमा-प्रान्त से सच्चे नौजवानों का एक बड़ा दल आकर अखिल-भारतीय राजनैतिक लहर के सम्पर्क में आया। उनके ताज़ा दिमागों पर बड़ा असर पड़ा, और वे यह खयाल और जोश लेकर गये कि वे आज़ादी की लड़ाई में सारे हिन्दुस्तान के साथ हैं। वे सीधे-सादे मगर बड़ा काम करनेवाले लोग थे। उन्हें हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों के लोगों की तरह महज़ बात-चीत करने और बाल की खाल खींचने की आदत कम थी। उन्होंने अपने लोगों को संगठित करना और उनमें नये खयालात फैलाना शुरू किया। उन्हें कामयाबी भी मिली, और सीमा-प्रान्त के स्त्री-पुरुष, जोकि हिन्दुस्तान की लड़ाई में सबसे पीछे शामिल हुए थे, १९३० से नुमायाँ और बड़ा हिस्सा लेने लगे।

लाहौर-कांग्रेस के बाद ही, और उसकी हिदायत के मुताबिक, मेरे पिताजी ने असेम्बली के काँग्रेसी मेम्बरों को अपनी-अपनी जगह से इस्तीफ़ा दे देने को कहा। करीब-करीब सभी एक-साथ बाहर आ गये। कुछ इन्हें-गिने लोगों ने ही बाहर आने से इन्कार किया, हालाँकि इससे उनके चुनाव के इकरारों की खिलाफ़बर्ज़ी होती थी।

फिर भी आगे के बारे में हमें कुछ साफ़ सूझता न था। हालाँकि काँग्रेस-अधिवेशन में बड़ा जोश दिखाई देता था, मगर किसीको मालूम न था कि देश लड़ाई के कार्यक्रम का कहाँतक साथ देगा। हम इतने आगे बढ़ गये थे कि अब पीछे नहीं जा सकते थे। मगर देश का हक़ क्या होगा, इसका करीब-करीब बिलकुल पता न था। अपनी लड़ाई को शुरू करने के लिए और देश की नब्ज़ भी पहचानने की दृष्टि से २६ जनवरी को आज़ादी-दिवस मनाना तय हुआ। इस दिन देशभर में आज़ादी की प्रतिज्ञा ली जानेवाली थी।

इस तरह अपने कार्यक्रम के बाबत शंकाशील मगर कुछ-न-कुछ कारगर काम करने की इच्छा और उत्साह से हम घटनाओं के इन्तज़ार में रहे। जनवरी के शुरू में मैं इलाहाबाद में था; मेरे पिताजी ज्यादातर बाहर थे। यह एक बड़े भारी सालाना मेले, माघ मेले, का वक़्त था। शायद वह खास कुंभ का साल था, और लाखों स्त्री-पुरुष लयातार इलाहाबाद में, या यात्रियों की भाषा में प्रयागराज में, आ रहे थे। वे सब तरह के लोग थे। खासकर किसान थे, और मजदूर, दूकानदार, कारीगर, व्यापारी, औद्योगिक और ऊँचे पेशेवाले लोग भी थे। वास्तव में हिन्दुओं में से सभी तरह के लोग आये थे। जब मैं इस बड़ी भीड़ को और नदी पर जाते और आते हुए लोगों की अटूट धारा को देखता, तो मैं सोचा करता कि ये लोग सत्याग्रह और शान्तिपूर्ण सीधे हमले की पुकार का कितना साथ देंगे? इनमें से कितने लोग लाहौर के ठहरावों को जानते हैं या उनकी परवा करते हैं? उनका वह विश्वास कितना आश्चर्य-जनक और मजबूत था कि जिससे वे और उनके बुजुर्ग हज़ारों बरसों से हिन्दुस्तान के हर हिस्से से पवित्र गंगा में स्नान करने के लिए चले आते थे। क्या वे इस बेहद ताक़त को अपनी ही ज़िन्दगी सुधारने के लिए राजनैतिक और आर्थिक कार्य में नहीं लगा सकते? या क्या उनके दिमागों में अपने धर्म का ताना-बाना और परम्परा इतनी भर चुकी है कि उसमें दूसरे खयालात की गुजाइश ही नहीं रही? मैं तो यह जानता ही था कि ये दूसरे खयालात उनमें पहुँच चुके हैं, जिनसे सदियों की शान्त निश्चिन्तता में खलबली पैदा हो गई है। इन अस्पष्ट विचारों और आकांक्षाओं की हलचल के जनता में फैलने से ही पिछले बारह बरसों में बड़े-बड़े उतार-चढ़ाव आये थे, जिनसे हिन्दुस्तान की सूरत ही बदल गई है। इन विचारों के अस्तित्व के विषय में और उनकी बड़ी भारी ताक़त के बारे में तो कोई शक ही नहीं था। मगर फिर भी शक पैदा होता, और सवालालत उठते थे, जिनका तत्काल कोई जवाब न था। ये खयालात कितने फैल चुके हैं? उनके पीछे कितनी ताक़त है, संगठित काम करने की कितनी काबलियत है, लम्बे धैर्य की कितनी शक्ति है?

हमारे घर को देखकर यात्रियों के झुण्ड आ जाते थे। वह एक तीर्थ-स्थान, भारद्वाज-आश्रम, के पास ही पड़ता था, जहाँ पुराने ज़माने में एक विश्वविद्यालय था। मेले के दिनों में सुबह से शाम तक बेशुमार लोग हमसे मिलने को आते रहते थे। मेरे खयाल से ज्यादातर लोग तो कौतूहल से, और जिन बड़े आदमियों का नाम उन्होंने सुन रक्खा है उन्हें, खासकर मेरे पिताजी को, देखने की इच्छा से आते थे। मगर आनेवालों में ऐसे भी बहुत-से लोग थे जिनका मुकाब राजनीति की तरफ़ था, और वे कांग्रेस के बारे में, उसमें क्या तय हुआ, और आगे क्या होने वाला है, ये

सवालात पूछते थे । वे अपनी आर्थिक कठिनाइयाँ सुनाते थे और पूछते थे कि उनकी बाबत उन्हें क्या करना चाहिए ? हमारे राजनैतिक नारे उन्हें खूब याद थे, और सारे दिन मकान उन्हींसे गूँजता रहता था । उस दिन मैंने पहले तो, जैसे-जैसे बीस, पचास या सौ आदमियों का झुण्ड एक के बाद एक आता था, हरेक से थोड़े शब्द कहना शुरू किया । मगर जल्दी ही यह काम असम्भव हो गया, और फिर वे जब आते थे तो मैं चुपचाप नमस्कार कर लेता था । मगर इसकी भी हद थी । फिर तो मैंने छिप जाने की कोशिश की । मगर यह सब फिजूल था । नारे ज्यादा-ज्यादा तेज लगने लगे, मकान के बरामदे इन मिलनेवाले लोगों से भर गये और हरेक दरवाजे और खिड़की में से बहुत-से लोग हमें झाँकने लगे । कुछ काम करना या बातचीत करना या भोजन करना भी मुश्किल हो गया । इसमें सिर्फ परेशानी ही नहीं होती थी बल्कि झुझलाहट और चिढ़ भी होती थी । मगर फिर भी वे लोग तो आते ही थे । वे अपनी प्रेम-भरी चमकती आँखों से देख रहे थे, जिनमें पीढ़ियों की गरीबी और मुसीबतें झलक रही थी, और हमारे ऊपर अपनी श्रद्धा और प्रेम बरसा रहे थे, और उसके बदले में सिवा भ्रातृ-भाव और सहानुभूति के कुछ नहीं माँगते थे । इस प्रेम और श्रद्धा की प्रचुरता से तन्द्र और भयभीत हुए बिना रहना असम्भव था ।

एक महिला, जो हमारी प्रिय मित्र थी, उस वक़्त हमारे यहा ठहरी हुई थी । अक्सर उनसे बातचीत करना भी कठिन हो गया था, क्योंकि चार-चार पाँच-पाँच मिनट में मुझे आये हुए झुंड को कुछ-न-कुछ कहने के लिए बाहर जाना पड़ता था, और बीच-बीच में हमें बाहर के नारे और शोरगुल सुनाई देता था । मेरी परेशानी में उन्हें कुछ हँसी-सी आई, और साथ ही, मेरा खयाल है यह समझकर कि मैं जनता में बहुत लोक-प्रिय हूँ, वह प्रभावित भी हुई । (सच बात तो यह थी कि लोग खासकर मेरे पिताजी को देखने के लिए आते थे, मगर चूँकि वह बाहर गये हुए थे, मुझे ही लोगों के सामने जाना पड़ता था ।) उन्होंने अचानक मेरी तरफ मुड़कर मुझसे पूछा, कि मैं इस वीर-पूजा को कैसा पसन्द करता हूँ और क्या इसका मुझे फख्र नहीं होता ? जवाब देने से पहले मैं थोड़ा झिझका और इससे उन्होंने समझा कि शायद इस बिलकुल ज़ाती सवाल से उन्होंने मुझे परेशानी में डाल दिया है । उन्होंने इसके लिए माफ़ी चाही । उनके सवाल से मुझे परेशानी बिलकुल नहीं हुई, मगर मुझे सवाल का जवाब ढूँढना बड़ा मुश्किल मालूम हुआ । मेरा दिमाग बहुत बातें सोचने लगा और मैं अपनी भावनाओं *और विचारों का विश्लेषण करने लगा । वे अनेक प्रकार के थे । यह सच था कि, प्रायः इत्तफ़ाक़ से ही, मैं जनता में बड़ा लोकप्रिय हो गया था । पढ़े-लिखे लोगों में मेरी कदर होती थी । नीजवान स्त्री-पुरुषों का तो एक प्रकार से

में वीर—सूरमा—बन गया था और उनकी निगाह में मेरे आसपास कुछ अद्भुतता दिखाई पड़ती थी। मेरे बारे में गाने तैयार हो गये थे और ऐसी-ऐसी अनहोनी कहा-नियाँ घड़ ली गई थी जिन्हें सुनकर हँसी आती थी। मेरे विरोधी भी अक्सर मेरे लिए अच्छी राय जाहिर करते थे, और बुजुर्गाना ढग से कहते थे कि मुझमें काबलियत या ईमानदारी की कमी नहीं है।

शायद किसी महात्मा या बड़े भारी हैवान पर ही इन सब बातों का असर नहीं हो सकेगा। मगर मैं तो अपनेको दोनों में से एक भी नहीं मानता। बस, ये बातें मेरे दिमाग में बैठ गईं। उन्होंने मुझपर थोड़ा नशा चढ़ा दिया और मुझे हिम्मत और ताकत दी। मेरा यह अन्दाज़ है, (क्योंकि बाहर से अपने-आपको समझ लेना मुश्किल काम है,) कि मैं अपने काम-काज में थोड़ा एक-तन्त्री और कुछ हाकिमाना बन गया। मगर फिर भी, मेरा खयाल है कि, मेरा गरूर कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा। मुझे खयाल हुआ कि मुझमें भी काफी बातों की लियाकत है और उनके सम्बन्ध में मैं ऐसा नाचीज़ नहीं हूँ। मगर मैं यह भी खूब जानता था कि यह कोई विलक्षण बात नहीं है, और मुझे अपनी कमजोरियों का भी बहुत खयाल था। आत्म-निरीक्षण की आदत ने ही शायद मुझे ठिकाने रखने में मदद दी और इसीसे मैं अपने सम्बन्ध की कई घटनाओं पर अनामकत दृष्टि से गौर कर सकता था। सार्वजनिक जीवन के नजुबों ने मुझे बता दिया कि लोकप्रियता तो अक्सर अवाञ्छनीय व्यक्तियों के पास रहती है; वह यकीनन भलाई या अकलमन्दी का ही आवश्यक चिन्ह नहीं होती। तो क्या मैं अपनी कमजोरियों के सबब से लोकप्रिय था, या अपने गुणों के सबब से? मैं लोकप्रिय हुआ ही क्यों?

इसका सबब मुझमें दिमागी काबलियत का होना नहीं था। क्योंकि मुझमें दिमागी काबलियत कोई गौरमामूली नहीं थी और कम-से-कम इसीसे ही लोकप्रियता नहीं मिलती; और 'कुर्बानी' कहे जानेवाले कामों से भी मेरी लोकप्रियता नहीं थी, क्योंकि यह सभी जानते हैं कि हमारे ही समय में हिन्दुस्तान में सैकड़ों और हज़ारों आदमियों ने मुझसे बेहद ज्यादा तकलीफें उठाई हैं और आखिरी कुर्बानी तक की है। मैं बड़ा वीर या सूरमा हूँ, यह शोहरत बिलकुल झूठी है। मैं अपने-आपको वीरोचित बिलकुल नहीं समझता और जीवन में वीरों का-सा ढंग या उसकी नकल और दिखावा करना मुझे बिलकुल वाहि्यात बात मालूम होती है। अद्भुतता के बारे में तो मुझे कहना पड़ेगा कि मैं सबसे कम अद्भुत व्यक्ति हूँ। यह सही है कि मुझमें कुछ शारीरिक और दिमागी हिम्मत है, मगर उसकी बुनियाद तो है शायद गरूर—अपना, अपने समूह का और अपने राष्ट्र का गरूर, और किसीके दबाव में कुछ करने की अनिच्छा।

मुझे अपने सवाल का सन्तोषजनक जवाब नहीं मिला। तब मैं दूसरे ही तरह उसकी खोज में लग गया। मुझे पता लगा कि मेरे पिताजी और मेरे बारे में एक बहुत प्रचलित कहावत यह है कि हम हर हफ्ते अपने कपड़े पेरिस की किसी लॉण्ड्री में धुलने को भेजते थे। हमने इसकी कई बार तरदीद की है, फिर भी यह बात प्रचलित ही है। इससे ज्यादा अजीब और वाहियात बात की कल्पना भी मैं नहीं कर सकता। अगर कोई इतना मूर्ख हो कि वह ऐसे झूठे बड़प्पन के लिए इस तरह की फिजूलखर्ची करे, तो मैं समझता हूँ कि वह अब्बल दर्जे का उल्लू ही समझा जायगा।

इसी तरह से एक दूसरी दन्तकथा, जो कि तरदीद करने पर भी प्रचलित है, यह है कि मैं प्रिंस ऑफ वेल्स के साथ स्कूल में पढ़ता था। यह भी कहा जाता है कि जब १९२१ में वह हिन्दुस्तान आये तब उन्होंने मुझे बुलाया था, पर उस वक्त मैं जेल में था। सच बात तो यह है कि मैं न तो स्कूल में ही उनके साथ पढ़ा हूँ, न मुझे उनसे मिलने या बात करने का ही मौका हुआ है।

मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि मेरी शोहरत या लोक-प्रियता इन या ऐसी कहानियों के बदीलत ही है। उसकी ज्यादा मजबूत बुनियाद भी हो सकती है। मगर इसमें शक नहीं कि इसमें बड़प्पन की बात बहुत शामिल है, जैसा कि इन कहानियों से जाहिर है। कुछ भी हो। भावना यह है कि पहले मैं बड़े-बड़े लोगों से मिलता-जुलता था, और बड़े ऐश-आराम की जिन्दगी गुजारता था, और फिर मैंने वह सब त्याग दिया। हिन्दु-स्तानी दिमाग त्याग को बहुत अच्छा समझता है। मगर इस कारण मे मेरी शोहरत ही, यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे निष्क्रिय गुणों की बनिस्बत सक्रिय गुण ज्यादा पसन्द है, और केवल त्याग और बलिदान को मैं अच्छा नहीं समझता। मैं उनकी दूसरे ही दृष्टिकोण से क्रूर करता हूँ—यानी मानसिक और आध्यात्मिक तालीम के तौर पर, जैसे कि कमरती आदमी को अच्छी तन्दुरुस्ती रखने के लिए सादा और नियमित जीवन रखना जरूरी है। और जो लोग महान् कार्यों में पड़ना चाहते हैं उनमें सख्त आघातों के होने पर भी सहन और धैर्य की क्षमता होना जरूरी है। मगर जीवन के त्यागमय दृष्टिकोण, जीवन के निषेध, उसके आनन्दो और अनुभूतियों से भयपूर्वक दूर रहने की तरफ मुझे रुचि या आकर्षण नहीं है। मैंने किसी भी चीज़ को, जिसका मैंने वास्तव में महत्व समझा, जानबूझकर नहीं छोड़ा है; मगर, हाँ, चीज़ों का मूल्य अलबत्ते बदलता रहता है।

उन महिला-मित्र ने मुझसे जो सवाल पूछा था उसका जबाब फिर भी नहीं मिला। क्या मैं भीड़ की इस वीर-पूजा से गर्व अनुभव नहीं करता? मैं तो इसे नापसन्द करता था, और इससे दूर भाग जाना चाहता था। मगर फिर भी मैं इसका आदी हो गया था।

और जब यह बिल्कुल न होती थी तो इसका अभाव भी मालूम होता था। दोनों ही तरह से मुझे तसल्ली नहीं थी। मगर कुल मिलाकर, भीड़ ने मेरी एक अन्दरूनी जरूरत पूरी कर दी। मैं उनपर असर डाल सकता हूँ और उनसे काम करवा सकता हूँ, इस खयाल से मुझमें उनके दिल और दिमाग पर अधिकार होने की एक भावना आ गई थी। इससे किसी हद तक मेरी सत्ता की इच्छा पूरी होती थी। और वे लोग तो अपनी तरफ से मुझपर एक अजीब तरह का जुलूम करते थे, क्योंकि उनके विश्वास और प्रेम से मेरा अन्तस्तल हिल जाता था, और उसके जवाब में मेरे दिल में भी भावुकता का मन्चार हो जाता था। हालांकि मैं व्यक्तिवादी हूँ, मगर कभी-कभी मेरे व्यक्तिवाद की दीवारें भी टूट-सी जाती थी, और मुझे ऐसा लगना था कि इन दुखिया लोगों के साथ-साथ मुसीबतों में रहना, अलग रहकर बचे रहने की बनिस्वत, अच्छा है। मगर वे दीवारें हटनेवाली न थी, और मैं उन्हींके ऊपर से आश्चर्य-भरी आँखों से इस दृश्य की तरफ देखा करता था, जिसे मैं समझ न सकता था।

अभिमान की तह आदमी पर, चर्बी की तरह, धीरे-धीरे अनजाने चढ़ती है। यह जिस आदमी पर चढ़ती है उसे पता नहीं पड़ता कि रोजाना कितनी चढ़ती जाती है। मगर खुशकिस्मती से इस पागल दुनिया की सख्त चोटों से वह कम भी हो जाती है या बिल्कुल उतर भी जाती है। हिन्दुस्तान में तो पिछले बरसों में हमपर इन सख्त चोटों की कोई कमी नहीं रही है। जिन्दगी का स्कूल हमारे लिए बहुत सख्त रहा है, और कष्ट-सहन दरअसल बड़ा सख्त काम लेनेवाला मास्टर है।

एक दूसरी बात में भी मैं खुशकिस्मत रहा हूँ। मेरे परिवार के लोग, दोस्त और साथी ऐसे रहे हैं, जिन्होंने मुझे ठीक निगाह रखने में और अपना दिमाग बिगड़ने न देने में मदद दी है। सार्वजनिक उत्सवों, म्युनिसिपैलिटियों, स्थानिक बोर्डों और दूसरी सार्वजनिक सस्थाओं की तरफ से अभिनन्दनों और जुलूसों वगैरा से मेरे दिमाग, मेरी विनोद-प्रियता और वास्तविकता की भावना पर बड़ा बोझ पड़ता था। इन मौकों पर बहुत लम्बी-चौड़ी और शानदार भाषा इस्तैमाल होती थी, और हरेक आदमी इतना गंभीर और पुण्यात्मा बनता था कि इस सबको देखकर मेरी यह जबरदस्त ख्वाहिश होती थी कि मैं हंस पड़ूँ या अपनी जबान बाहर निकाल दूँ या सिर के बल उलटा खड़ा हो जाऊँ, सिर्फ इसलिए कि उस गंभीर सम्मेलन में लोगों के चेहरों पर इसका कैसा धक्का लगता और क्या असर होता है यह मैं देखूँ और इसका मजा लूँ। मगर खुशकिस्मती से अपनी शोहरत के सबब से, और इसलिए कि हिन्दुस्तान के सार्वजनिक जीवन में गंभीरता ही आदरणीय समझी जाती है, मैं अपनी इस अनियंत्रित इच्छा को रोक लेता था, और आम तौर पर ठीक औचित्य से ही बर्ताव करता था। मगर, हमेशा नहीं। किसी-किसी भारी

मीटिंग में, या ज्यादातर अक्सर जुलूसों में, जिनसे मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, मैंने कभी-कभी कोई प्रदर्शन कर दिया है। कभी-कभी हमारे सम्मान में निकाले जानेवाले जुलूसों को मैं अचानक छोड़ देता था और भीड़ में अनजाने शामिल हो जाता था। मैं अपनी पत्नी को या और किसीको जुलूस की गाड़ी में ही बैठा छोड़ देता था।

अपनी भावनाओं को हमेशा दबाये रखने की इस कोशिश और लोगों के सामने किसी खास ढंग से बर्ताव करने के कारण दिमाग पर बड़ा जोर पड़ता है, और नतीजा यह होता है कि सार्वजनिक मौकों पर आदमी गंभीर चेहरा बनाये रहता है। शायद इसी लिए एक हिन्दी मासिक-पत्रिका के लेख में एक दफा लिखा गया था कि मैं हिन्दू-विधवा की तरह हूँ। हालांकि मैं पुराने ढंग की हिन्दू विधवा की बड़ी इज्जत करता हूँ, फिर भी मुझे इस वर्णन से धक्का लगा। लेखक का जाहिरा मतलब यह था कि उसके खयाल से मुझमें अपने-आपको नम्रता-पूर्वक समर्पित कर देने, त्याग, और बिना कभी हँसी-मजाक किये हमेशा काम में लगे रहने के कुछ गुण थे, जिनकी वह तारीफ़ करता था। मेरा तो खयाल था कि, मुझमें अधिक क्रियाशीलता और तेज़ी है, और मजाक करने और हँसने की योग्यता भी है। और निःसंदेह मैं चाहता हूँ कि ये गुण हिन्दू-विधवाओं में भी होने चाहिएँ। गांधीजी ने एक बार एक मिलनेवाले से कहा था, कि अगर मुझमें विनोद का माहा न होता तो शायद खुदकुशी या ऐसा ही कुछ कर गुजरता। मैं इतनी हद तक तो जाना नहीं चाहता, मगर जिन्दा रहना मेरे लिए तो प्रायः असंभव हो जाता, अगर मेरी जिन्दगी में कुछ लोग हँसी-मजाक की कुछ मात्रा न डालते रहते।

मेरी लोकप्रियता पर और बड़े-बड़े मान-पत्रों पर, जो मुझे मिला करते थे, जिनमें (जैसा कि वास्तव में हिन्दुस्तान के सभी मान-पत्रों में होता है) बड़ी चुनी हुई और लच्छेदार भाषा और लम्बी-चौड़ी तारीफ़ भरी रहती थी, मेरे परिवार के और मित्र-मण्डली के लोग बड़ा मजाक उड़ाया करते थे। राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख आदमियों के लिए जैसे ऊंचे और शानदार लफ़्ज़ और अलकाब अक्सर इस्तेमाल होते हैं, वैसे शब्दों को मेरी पत्नी और बहनें और दूसरे लोग पकड़ लेते थे और उनका मौक़-बेमौक़े मेरा किमी तरह लिहाज किये बिना प्रयोग करते रहते थे। वे मुझे 'भारत-भूषण' और 'त्याग-मूर्ति' आदि कहा करते थे, और इस विनोद-पूर्ण प्रयोग से मुझे भी तसल्ली मिलती थी, और उन गंभीर सार्वजनिक सभाओं की, जहाँ मुझे बहुत शिष्टता का बर्ताव कर दिखाना पड़ता था, थकावट धीरे-धीरे दूर हो जाती थी। इस मजाक में मेरी छोटी-सी लड़की भी शामिल हो जाती थी। सिर्फ़ मेरी माताजी ही इस बात पर जोर दिया करती थी कि मुझसे गंभीरता का व्यवहार किया जाय। अपने प्यारे पुत्र के साथ ज्यादा मजाक या दिल्लगी होने का वह कभी पूरा समर्थन

नहीं करती थी। इससे मेरे पिताजी का भी कुछ मनोरंजन हो जाता था। वह अपने विचारों और भावों को चुपचाप प्रदर्शित करने का एक खास तरीका रखते थे।

मगर इन नारे लगानेवाले मजदूरों, बेलुत्फ और थकानेवाले सार्वजनिक उत्सवों और अनन्त बहसों और राजनीति के धूम-धक्कों का मुझपर सिर्फ ऊपरी असर होता था, हालांकि यह असर भी कभी-कभी तज और गहरा होता था। मगर मेरा असली सघर्ष मेरे अन्दर चल रहा था। मेरे विचारों और इच्छाओं और निष्ठाओं में सघर्ष चल रहा था। मेरे मस्तिष्क की अन्तर्भावनायें बाहरी परिस्थितियों से झगड़ रही थी। मेरी आन्तरिक भूख बुझी न थी। मैं एक लड़ाई का मैदान बन गया था, जहाँ तरह-तरह की ताकतें एक-दूसरे को जीत लेने की कोशिश कर रही थी। मैं इससे छुटकारा चाहता था। मैंने सामञ्जस्य और चित्त की समता ढूँढने की कोशिश की, और इसी प्रयत्न में लड़ाई में कूद पड़ा। इससे मुझे शान्ति मिली। बाहरी सघर्ष ने भीतरी सघर्ष की तेजी को कम कर दिया।

मैं जेल में बैठा हुआ यह सब क्यों लिख रहा हूँ ? मैं चाहें जेल में होऊँ या जेल के बाहर, लेकिन मेरी तलाश फिर भी वही है, और मैं अपने पिछले विचार और अनुभव इस आशा में लिख रहा हूँ कि इससे मुझे शान्ति और मानसिक सतोष मिल सके।

सविनय भंग शुरू

स्वाधोनता-दिवस, २६ जनवरी १९३०, आया और बिजली की चमक की तरह से उसने हमें बता दिया कि देश में सरगर्मी और उत्साह है। उस दिन हर जगह बड़ी-बड़ी सभायें हुईं जिनमें बगैर भाषणों या विवेचनों के, शान्ति और गभीरता से, लोगों ने आजादी की प्रतिज्ञा ली। सभायें और जुलूस बड़े प्रभावशाली थे। गाँधीजी को इस दिवस से आवश्यक बल मिल गया, और जनता की नब्ज की ठीक पहचान रखने के कारण उन्होंने समझ लिया कि लड़ाई छेड़ने का यह ठीक वक्त है। इसके बाद तो घटनाएँ एक के बाद एक जल्दी-जल्दी घटित होने लगी, जैसाकि किसी नाटक में रस की पराकाष्ठा होते समय होता है।

जैसे-जैसे सविनय भंग नज़दीक आता गया और लोगों में जोश बढ़ता गया, वैसे-वैसे हमारे खयालत इस बात की तरफ गये कि किस तरह १९२१-२२ का आन्दोलन चला था और चौरीचौरा के बाद वह यकायक मुत्तवी कर दिया गया था। तबसे अब देश में अनुशासन ज्यादा था और अब लोग ज्यादा साफ तौर पर समझ गये थे कि यह लड़ाई किस किसम की है। उसका तरीका तो किसी हद तक समझ ही लिया गया था। मगर हर आदमी ने यह भी पूरी तरह महसूस कर लिया कि गाँधीजी अहिंसा पर भयंकर रूप से जोर देते हैं, और यह बात गाँधीजी के दृष्टिकोण से ज्यादा ज़रूरी थी। दस साल पहले कुछ लोगों के दिमागों में शायद इस बात शक रहा हो, मगर अब तो वंसा शक नहीं हो सकता था। फिर भी, हमें इसका पक्का विश्वास कैसे हो सकता था कि किसी स्थान पर अपने-आप या किसी साजिश से हिंसा का कोई काण्ड न हो जायगा? और अगर ऐसी कोई घटना हुई, तो उसका हमारे सविनय भंग-आन्दोलन पर क्या असर होगा? क्या वह पहले की ही तरह अचानक बन्द कर दिया जायगा? यही सम्भावना सबसे ज्यादा बेचैन कर रही थी।

गाँधीजी ने भी शायद इस सवाल पर अपने खास ढंग से विचार किया, हालाँकि जिस समस्या की उन्हें चिन्ता मालूम होती थी, जहाँतक मैं कभी-कभी बातचीत करके समझ सका, वह दूसरे ही ढंग से उनके सामने उपस्थित थी।

मुधार करने के लिए अहिंसात्मक ढंग की लड़ाई करना ही उनकी निगाह में सच्चा तरीका था, और अगर ठीक तरह से उसपर अमल किया जाय तो वही अबूक

१ — यह प्रतिज्ञा परिशिष्ट नं० १ में दी हुई है।

भी है। तो क्या यह कहा जाना चाहिए कि इस तरीके को अमल में लाने और काम-याब बनाने के लिए खास तौर पर कोई बहुत अनुकूल वातावरण चाहिए, और अगर बाहरी हालातें इसके माफिक न हों तो इसको काम में नहीं लाना चाहिए ? इससे तो यह नतीजा निकलता है कि आहंसात्मक तरीका हर हालत के लिए ठीक नहीं है, और इस तरह यह न तो सार्वभौम तरीका रह जाता है, न अचूक। मगर यह नतीजा गांधीजी के लिए असह्य था, क्योंकि उनका पक्का विश्वास था कि यह तरीका सार्व-भौम भी है और अव्यर्थ भी। इसलिए बाहरी हालात के नामाफिक होने पर भी, और झगड़ों और हिंसा के होते रहते भी, यह तरीका अवश्य काम में आ सकता है। बदलती हुई हालातों में उसके अमल का ढंग भी बदलता रह सकता है, मगर उसका बन्द किया जाना तो खुद उस तरीके की विफलता को मान लेना होगा।

शायद वह इस प्रकार से सोचते होंगे, मगर मैं उनके विचारों को निश्चय से नहीं कह सकता। उन्होंने हमें यह तो कुछ-कुछ बता ही दिया कि अब उनकी विचार-पद्धति में थोड़ा फर्क हो गया है, और जब सविनय भंग आवेगा तो किसी एकाध हिंसात्मक काण्ड से उमका बन्द किया जाना जरूरी नहीं है। मगर यदि हिंसा किसी आन्दोलन का ही हिस्सा बन जायगी, तो वह शान्तिपूर्ण सविनय-भंग-आन्दोलन न रहेगा और उसकी हलचलों को बन्द करना या बदलना पड़ेगा। इस आश्वासन से हम बहुतेरों को बहुत हद तक सतोष हुआ। अब सबके सामने बड़ा सवाल यह था, कि यह किया कैसे जाय ? शुरुआत किस तरह हो ? किम प्रकार का सविनय-भंग हम चलावे, जो कारगर हो, परिस्थिति के अनुकूल हो और जनता में लोकप्रिय हो ? लेकिन गांधीजी ने ही इसकी तरकीब बताई।

नमक अचानक एक रहस्यपूर्ण शब्द, एक बलपूर्ण शब्द बन गया। नमक-कर पर हमला करना चाहिए। नमक-कानून को तोड़ना चाहिए। हम हैरत में पड़ गये। नमक का राष्ट्रीय सग्राम हमें कुछ अटपटा मालूम हुआ। दूसरी आश्चर्य में डालने-वाली बात हुई गांधीजी का अपने ११ मुद्दों का प्रकाशित करना। कुछ राजनैतिक और सामाजिक मुद्दों की, चाहे वे अच्छे ही क्यों न हों, फ्रेहरिस्त उस समय पेश करना जब कि हम आजादी की दृष्टि से बात कर रहे थे, क्या मतलब रखता था ? गांधीजी जब 'आजादी' शब्द कहते थे तो क्या उनका वही अर्थ था जो हमारा था, या क्या हम लोग अलग-अलग भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे ? मगर हमें बहस करने का मौका न था, क्योंकि घटनायें तो आगे जा रही थी। वे हिन्दुस्तान में तो हमारी निगाहों के सामने राजनैतिक रूप में दिन-ब-दिन आगे बढ़ ही रही थी; मगर, शायद, हम नहीं जानते थे कि वे दुनिया में भी तेजी से बढ़ रही थी और दुनिया को एक भयंकर मन्दी

में जकड़े हुए थी। चीजों के भाव गिर रहे थे, और शहर के रहनेवालों ने समझा कि अब सम्पन्नता का जमाना आ रहा है। मगर किसानों ने तो इसमें खतरा ही देखा।

इसके बाद गांधीजी का वाइसराय से पत्र-व्यवहार हुआ, और साबरमती-आश्रम से दाण्डी की नमक-यात्रा शुरू हुई। दिन-ब-दिन इस यात्रा-दल के बढ़ने का हाल जैसे-जैसे लोग पढ़ते थे, देश में जोश का पारा बढ़ता जाता था। अहमदाबाद में अ० भा० काँग्रेस कर्मिटी की बैठक इस लड़ाई की बावत, जो प्रायः हमारे सिर पर आ चुकी थी, आखिरी व्यवस्था करने के लिए हुई। इस बैठक में हमारे संग्राम का नेता मौजूद नहीं था, क्योंकि वह तो अपने यात्रा-दल के साथ समुद्र की ओर जा रहा था, और उसने वहाँ से लौटने से इन्कार कर दिया। अ० भा० काँग्रेस कर्मिटी ने योजना बनाई कि अगर गिरफ्तारियाँ हों तो क्या-क्या किया जाना चाहिए, और यदि यह कर्मिटी फिर बैठक न कर सके तो उसकी तरफ से कार्य-समिति के गिरफ्तार-शुदा लोगों की जगह खुद नये मेम्बर नियुक्त कर देने और अपने स्थान पर ऐसे ही अख्तियारात रखनेवाले दूसरे शख्स को नामजद कर देने के बड़े-बड़े अधिकार सभापति को दिये गये। प्रान्तीय और स्थानीय काँग्रेस कर्मिटियों ने भी अपने-अपने सभापतियों को ऐसे ही अख्तियारात दे दिये।

इस तरह से वह जमाना शुरू हुआ जब कि 'डिक्टेटर' कहे जानेवाले लोग कायम हो गये और उन्होंने काँग्रेस की तरफ से संग्राम का संचालन किया। इसपर भारत-मंत्री और वाइसराय और गवर्नरों ने बड़ी नफरत जाहिर की और वे चीख-चीख-कर कहने लगे कि काँग्रेस कितनी खराब और पतित हो गई है कि वह डिक्टेटरों को मानने लगी है, जबकि वे खुद तो मानों प्रजातन्त्र-वाद के पक्के माननेवाले ही थे। कभी-कभी हिन्दुस्तान के नरम-दली अखबारों ने भी हमें प्रजातन्त्र के लाभों का उपदेश दिया। हम यह सब खामोशी से (क्योंकि हम तो जेल में थे) और हैरत में होकर सुनते थे। बेशरमी और मक्कारी इससे ज्यादा क्या हो सकती थी? इधर तो हिन्दुस्तान पर एकतन्त्री डिक्टेटर द्वारा बलपूर्वक शासन हो रहा था, जिसमें आर्डिनेन्स कानून बन रहे थे और हर तरह की नागरिक स्वतन्त्रता दबाई जा रही थी, और उधर हमारे शासक नफरत दिखाकर प्रजातन्त्रवाद की बातें कर रहे थे! और क्या, मामूली हालत में भी, हिन्दुस्तान में प्रजातन्त्र की छाया भी कहीं थी? अंग्रेजी हुकूमत अपनी ताकत और हिन्दुस्तान में स्थापित स्वार्थी की हिफाजत करे और उसकी सत्ता को हटानेवालों का दमन करे, यह तो बेशक उसके लिए कुदरती बात थी। मगर उसका यह कहना कि यह सब प्रजातन्त्री तरीका था, ऐसी बात है जो अगली पीढ़ियों के गौर करने और तारीफ करने के लिए लिखकर रख ली जाय!

काँग्रेस ऐसी हालत में जानेवाली थी कि जब उसका मामूली ढंग पर काम करना

गैर-मुमकिन हो जायगा; जब वह गैर-कानूनी करार देदी जायगी, और गुप्त रूप के सिवा और किसी ढंग से उसकी कमिटियाँ किसी परामर्श या किसी काम के लिए इकट्ठा न हो सकेंगी। हमने पोशीदगी को बढ़ावा नहीं दिया, क्योंकि हम अपनी लड़ाई को बिलकुल खुली रखना चाहते थे, जिससे कि हमारा तर्ज उँचा रहे और हम जनता पर असर डाल सकें। मगर पोशीदगी से भी ज्यादा काम नहीं चल सकता। केन्द्र में, प्रान्तों में और स्थानीय हलकों में हमारे सब बड़े-बड़े स्त्री-पुरुष तो गिरफ्तार होने-वाले ही थे। फिर कौन आगे काम चलाता? इस मूरत में हमारे सामने एक ही रास्ता था, जिस तरह जंग करती हुई फ़ौज में होता है, कि पुराने सेना-नायकों के हटते ही नये सेना-नायक बनाने की व्यवस्था करना। लड़ाई के मैदान में बैठकर कमिटियों की बैठकें करना हमारे लिए नामुमकिन था। वास्तव में, कभी-कभी हमने ऐसा किया भी था, मगर इसका उद्देश्य और अनिवार्य नतीजा यह होता था कि सारी कमिटी एक-साथ गिरफ्तार हो जाती। हमें यह भी सुभीता नहीं था कि लड़नेवाली लाइनों के पीछे जनरल स्टाफ़ सुरक्षित बैठा रहता, या कहीं दूसरी जगह और भी ज्यादा हिफाजत से मुल्की मन्त्रि-मंडल बैठा रहता। यह लड़ाई ही इस तरह की थी कि हमारे कर्मचारियों और मन्त्रि-मण्डलों को अपने-आपको सबसे आगे और खुली जगहों में रखना पड़ता था, और वे तो सब शुरू में ही गिरफ्तार कर लिये गये। और हमने अपने 'डिक्टेटरों' को भी क्या सत्ता देदी थी? राष्ट्रीय संग्राम चलाने को दृढ़ निश्चय के सकेत-रूप में उन्हें यह सम्मान दिया जाता था। मगर असल में तो उन्हें ज्यादातर खुद जेल में चले जाने की ही सत्ता मिली थी। वे तभी काम करते थे जबकि किसी बड़ी और अबाध सत्ता के कारण उनकी कमिटी, जिसके वह प्रतिनिधि थे, मीटिंग नहीं कर सकती थी; और जब या जहाँ उस कमिटी की बैठक हो सकती, तो डिक्टेटर को जो कुछ भी सत्ता थी वह अपने-आप नहीं रहती थी। डिक्टेटर किसी बुनियादी सवाल या उसूल के बारे में कुछ फैसला नहीं कर सकता था, वह तो आन्दोलन की छोटी-छोटी और ऊपरी बातों के विषय में ही कुछ कर सकता था। काँग्रेस की 'डिक्टेटरशिप' तो वास्तव में जेल पहुँचने की सीढ़ी थी। और रोज़-ब-रोज वही बात होती रही। पुराने लोग हटते जाते थे और उनकी जगह नये लोग आते जाते थे।

इस तरह, अपनी आखिरी तैयारियाँ करके, अहमदाबाद में हमने अ० भा० काँग्रेस कमिटी के अपने साथियों से बिदा माँगी; क्योंकि यह किसीको मालूम न था कि आगे हम कब और कैसे इकट्ठे हो सकेंगे, या इकट्ठे हो भी सकेंगे या नहीं। हम अपनी-अपनी जगहों पर जाकर अ० भा० काँ० कमिटी की हिदायतों के मुताबिक अपने-अपने मुकामी इन्तज़ाम को आखिरी तौर पर ठीक-ठीक करने और, जैसा कि

सरोजिनी नायडू ने कहा, जेल-यात्रा के लिए बिस्तर बांधने को जल्दी-जल्दी चल दिये।

लौटते वक्त पिताजी और मैं गांधीजी से मिलने गये। वह अपने यात्री-दल के साथ जम्बूसर में थे। वहाँ हम उनके साथ कुछ घण्टे रहे, और फिर वह अपने दल के साथ समुद्र-यात्रा के दूसरे पड़ाव के लिए पैदल चल पड़े। वह हाथ में डण्डा लिये हुए, अपने अनुयायियों के आगे-आगे, जा रहे थे। उनके क्रदम मजबूत थे और उनका चेहरा शान्तिपूर्ण किन्तु निर्भयता लिये हुए था। इस तरह उस समय मैंने उनके आखिरी दर्शन किये। वह एक दिल हिला देनेवाला दृश्य था।

जम्बूसर में मेरे पिताजी ने गांधीजी से सलाह करके यह तय किया था कि वह इलाहाबाद का अपना पुराना मकान राष्ट्र को दान कर देंगे, और उसका नाम बदलकर स्वराज-भवन रख देंगे। इलाहाबाद लौटकर उन्होंने इसकी घोषणा कर दी, और कांग्रेसवालों को उसका कब्जा भी दे दिया। उस बड़े मकान का एक हिस्सा अस्पताल बना दिया गया। उस वक्त तो वह उसकी कानूनी कार्रवाई पूरी न कर सके, पर डेढ़ साल बाद मैंने उनकी इच्छा के मुताबिक उस मकान का एक ट्रस्ट बना दिया।

अप्रैल आया। गांधीजी समुद्र-तट पर पहुँच गये और हम नमक-कानून को तोड़कर सविनय भंग करने की उनकी हिदायत का इन्तज़ार करने लगे। कई महीनों से हम अपने स्वयंसेवकों को कवायद की तालीम दे रहे थे, और कमला और कृष्णा (मेरी पत्नी और बहन) भी उनमें शामिल हो गई थी और उन्होंने इस काम के लिए मर्दाना ड्रेस पहन लिया था। स्वयंसेवकों के पास कोई भी हथियार, लाठियाँ तक, न था। उनको तालीम देने का मक़सद यह था कि वे अपने काम में ज्यादा योग्य और कुशल हो जायँ और बड़ी-बड़ी भीड़ों को नियंत्रण में रख सकें। राष्ट्रीय सप्ताह, १९१९ के सत्याग्रह-दिवस से लेकर जलियाँवाला बाग तक की घटनाओं की यादगार में, हर साल मनाया जाता है, और ६ अप्रैल इसी सप्ताह का पहला दिन था। इसी दिन गांधीजी ने दाड़ी में समुद्र के किनारे नमक-कानून को तोड़ा, और तीन-चार दिन बाद सारे कांग्रेस-संगठनों को इजाज़त दे दी गई कि वे भी नमक-कानून तोड़ें और अपने-अपने क्षेत्र में सविनय भंग शुरू करें।

ऐसा मालूम हुआ कि कोई बटन अचानक दबा दिया गया, और सारे देश में, शहरों में और गाँवों में, जिधर देखो रोज़ नमक बनाने की ही चर्चा थी। नमक बनाने के लिए कई अजीब-अजीब तरकीबें निकाली गईं। इस बारे में हमारी जानकारी बहुत ही थोड़ी थी, इसलिए जहाँ इस बारे में कुछ भी लिखा मिला वह हमने पढ़ डाला, और इस बाबत हिदायतें देने के लिए कई पत्रिकायें प्रकाशित कीं, और बर्तन और कढ़ाईयाँ इकट्ठी कीं और अन्त में एक भद्दी-सी चीज़ बना ही डाली, जिसे हम

बड़ी बहादुरी से उठाकर दिखाते थे और अक्सर बहुत ऊँची कीमत पर नीलाम भी करते थे। वह चीज अच्छी है या बुरी, इसका तो सचमुच कोई महत्त्व न था; क्योंकि खास चीज तो उस बेहूदे नमक-कानून को तोड़ना था। इसमें हम जरूर कामयाब हुए, चाहे हमारा बनाया हुआ नमक कितना भी खराब क्यों न हो। जब हमने देखा कि लोगों में उन्साह उमड़ रहा है, और नमक बनाना जंगली आग की तरह चारों तरफ फैल रहा है, तो हमें कुछ शर्म मालूम हुई; क्योंकि जब गांधीजी ने इस तरीके की तज-बीज पहले-पहल रखी थी तब हमने उसकी कामयाबी के बाबत शक किया था। हमें ताज्जुब होता था कि इस व्यक्ति में लोगों पर असर डालने और उनसे संगठित रूप से काम करवाने की कितनी अद्भुत सूझ है।

मे १४ अप्रैल को गिरफ्तार हो गया, जबकि मैं रायपुर (मध्यप्रान्त) की एक कान्फ्रेंस में शामिल होने के लिए रेलगाड़ी में सवार हो रहा था। उसी दिन जेल में मेरा मुकदमा भी हो गया, और मुझे नमक-कानून के मातहत छः महीने की सजा दी गई। अपनी गिरफ्तारी की संभावना से मैंने (अ० भा० कांग्रेस कमिटी द्वारा दी गई नई सत्ता के अनुसार) पहले ही मेरी गैरहाजिरी में कांग्रेस के सभापति की जगह के लिए गांधीजी को नामजद कर दिया था, मगर, अगर वह मजूर न करें तो, मेरी दूसरी नामजदगी पिताजी के लिए थी। जैसा कि मेरा खयाल था, गांधीजी राजा न हुए, और इसलिए पिताजी ही कांग्रेस के स्थानापन्न सभापति बने। उनकी तन्दुरुस्ती ठीक नहीं थी। फिर भी वह बड़े जोर-शोर से लड़ाई में कूद पड़े। उन शुरू के महीनों में उनके जबरदस्त संचालन और अनुशासन से आन्दोलन को बहुत लाभ हुआ। आन्दोलन को तो बहुत लाभ हुआ, मगर इससे उनकी रहीं-सहीं तन्दुरुस्ती और शक्ति बिलकुल चली गई।

उन दिनों बड़ी मनमनी पैदा करनेवाले सचाचार आया करते थे—जुलूसों का निकलना, लाठी-प्रहारों का होना और गोलियाँ चलना, नामी-नामी आदमियों की गिरफ्तारियों पर अक्सर हड़तालें होना, पेशावर-दिवस, गढ़वाली-दिवस आदि का खास तौर पर मनाया जाना वगैरा। उम वक्त तो विदेशी कपड़े और तमाम अंग्रेजी माल का बहिष्कार पूरा-पूरा हो गया था। जब मैंने सुना कि मेरी बूढ़ी माताजी और बहने भी गरमी की तेज धूप में विदेशी कपड़े की टूकानों के सामने धरना देने के लिए खड़ी रहती हैं, तो इसका मेरे दिल पर बड़ा गहरा असर हुआ। कमला ने भी यह काम किया। मगर उसने कुछ और ज्यादा भी किया। मेरा खयाल था कि कितने बरसों से मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मगर उसने इस आन्दोलन के लिए इलाहाबाद शहर और जिले में इतनी शक्ति और निश्चय से काम किया कि मैं भी

दंग रह गया। उसने अपने गिरते हुए स्वास्थ्य की बिल्कुल परवा नहीं की। वह सारे दिन धूप में घूमा करती थी और उसमे संगठन की बड़ी योग्यता का परिचय दिया। मैंने इसका कुछ-कुछ हाल जेल में सुना था। बाद में जब पिताजी भी वहाँ मेरे पास आ गये तब उन्होंने मुझे बताया कि वह कमला के काम की, खासकर उसकी संगठन-शक्ति की, कितनी ज्यादा कदर करते थे। पिताजी मेरी माताजी का या लड़कियों का तेज धूप में इधर-उधर जाना पसन्द नहीं करने थे, मगर सिवा सिर्फ कभी-कभी जबानी मना करने के उन्होंने उन्हें रोका नहीं।

उन शुरू के दिनों में जो खबरे हमारे पास आया करती थी, उनमें से सबसे बड़ी खबर २३ अप्रैल की पेशावर की घटना और बाद में सारे सीमा-प्रान्त में होनेवाली घटनायें थीं। हिन्दुस्तान में कहीं भी मशीन-गनों की गोलियों के सामने इस प्रकार अनुशासन-पूर्ण और शान्तिपूर्ण हिम्मत बताई जाती, तो उससे सारा देश थर्रा उठता। मगर सीमा-प्रान्त के लिए तो यह घटना और भी ज्यादा महत्व रखती थी, क्योंकि पठान लोग हिम्मत के लिए तो मशहूर थे मगर शान्तिपूर्ण स्वभाव के लिए मशहूर नहीं थे। इन्हीं पठानों ने वह मिसाल कायम कर दी जो हिन्दुस्तान में अद्वितीय थी। सीमा-प्रान्त में ही वह मशहूर घटना हुई जिसमें गढ़वाली सिपाहियों ने निःशस्त्र जनता पर गोली चलाने से इन्कार कर दिया। उन्होंने इसलिए इन्कार कर दिया कि सिपाहियों को निहत्थी भीड़ पर गोली चलाना नापसन्द होता है, और इसलिए भी कि लोगों से उन्हें हमदर्दी थी। मगर सिर्फ हमदर्दी ही आम तौर पर सिपाही को अपने अफसर की हुकुम-उदूली जैसी खतरनाक कार्रवाई के लिए प्रेरित नहीं कर सकती। क्योंकि इसका वुरा नतीजा उसे मालूम रहता है। गढ़वालों ने यह बात शायद इसलिए की कि उन्हें (और दूसरी भी कुछ रेजीमेण्टों को, जिनकी हुकुम-उदूली की खबर फैल नहीं पाई) यह गलत खयाल हो गया था कि अंग्रेजों की हुकूमत तो अब जाने ही वाली है। जब सिपाहियों में ऐसा खयाल पैदा हो जाता है तभी वे अपनी सहानुभूति और इच्छा के अनुसार काम करने की हिम्मत दिखाते हैं। शायद कुछ दिनों या हफ्तों तक आम हलचल और सविनय-भंग से लोगों में यह खयाल पैदा हो गया था कि अंग्रेजी हुकूमत के आखिरी दिन आ गये हैं, और इसका असर कुछ फ़ौज पर भी पड़ा, मगर जल्दी ही यह भी जाहिर हो गया कि निकट-भविष्य में ऐसा होने की सूरत नहीं है, और फिर फ़ौज में हुकुम-उदूली नहीं हुई। फिर तो इस बात का भी खयाल रबखा गया कि सिपाहियों को ऐसी दुविधा में डाला ही न जाय।

उन दिनों बड़ी-बड़ी आश्चर्यजनक बातें हुईं, मगर सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात थी स्त्रियों का राष्ट्रीय संग्राम में हिस्सा लेना। स्त्रियाँ बड़ी तादाद में अपने घर के

घेरों से बाहर निकल आईं, और हालांकि उन्हें सार्वजनिक कार्यों का अभ्यास न था फिर भी वे लड़ाई में पूरी तरह कूद पड़ी। विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों पर धरना देने का काम तो उन्होंने बिलकुल अपना ही कर लिया। सभी शहरों में सिर्फ स्त्रियों के ही भारी-भारी जुलूस निकाले गये, और आम तौर पर स्त्रियाँ पुरुषों की बनिस्बत ज्यादा मजबूत साबित हुईं। अक्सर प्रान्तों में या स्थानीय क्षेत्रों में वे काँग्रेस-‘डिक्टेटर’ भी बनती थीं।

अकेला नमक-कानून ही नहीं तोड़ा गया बल्कि दूसरी दिशाओं में भी सविनय-भंग होने लगा। वाइसराय-द्वारा कई आर्डिनेन्सों के, जिनमें कई कामों की मुमानियत की गई थी, निकाले जाने से भी उस काम में मदद मिली। जैसे-जैसे ये आर्डिनेन्स और मुमानियतें बढ़ती गईं, वैसे-वैसे उन्हें तोड़ने के मौके भी बढ़ते गये। और सविनय भंग की यह शकल हो गई कि आर्डिनेन्स से जिस काम की मुमानियत की जाती थी वही काम किया जाता था। प्रारम्भिक सूत्रपान करना निश्चित रूप से काँग्रेस और लोगों के हाथ में रहा था, और जब एक आर्डिनेन्स से गवर्नमेण्ट की निगाह में परिस्थिति न समझली तब वाइसराय ने और नये-नये आर्डिनेन्स निकाले। काँग्रेस-कार्य-समिति के कई मेम्बर गिरफ्तार कर लिये गये थे, मगर उनकी जगह नये मेम्बर नियुक्त कर लिये गये, और इस तरह वह काम करती ही रही। हर सरकारी आर्डिनेन्स के मुक्राबिले में कार्य-समिति अपना प्रस्ताव पास करती थी, और उस आर्डिनेन्स के लिए क्या करना चाहिए, ऐसी हिदायतें जारी करती थी। इन हिदायतों पर देश में आश्चर्यजनक समानता से अमल होता था। हाँ, अलबत्ता, अखबारों के प्रकाशन-सम्बन्धी हिदायत पर पूरा अमल नहीं हुआ।

जब प्रेस को ज्यादा नियन्त्रित करने और अखबारों से जमानत माँगने के बारे में आर्डिनेन्स निकला, तब कार्य-समिति ने राष्ट्रीय अखबारों से यह कहा कि वे जमानत देने से इनकार कर दें और यदि आवश्यक हो तो प्रकाशन ही बन्द कर दें। अखबारवालों के लिए तो यह एक कड़वी घूंट थी, क्योंकि उसी समय तो लोगों में खबरों की बहुत ज्यादा माँग थी। फिर भी कुछ नरम-दल के अखबारों को छोड़कर ज्यादातर अखबारों ने अपना प्रकाशन बन्द कर दिया, और नतीजा यह हुआ कि तरह-तरह की अफवाहें फैलने लगी। मगर वे ज्यादा वक्त तक न टिक सके, प्रलोभन बहुत भारी था, और अपना धन्धा नरम-दल के अखबार छीने लिये जा रहे हैं यह देखकर उन्हें बुरा भी मालूम हुआ। इसलिए उनमें से ज्यादातर फिर अपना प्रकाशन करने लगे।

गांधीजी ५ मई को गिरफ्तार कर लिये गये थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद

समुद्र के पश्चिम किनारे पर नमक के कारखानों और गोदामों पर धावे किये गये। इन धावों में पुलिस की बेरहमी की बहुत दर्दनाक घटनायें हुईं। उन दिनों भारी-भारी हड़तालें, जुलूसों और लाठी-प्रहारों के कारण बम्बई सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो रहा था। इन लाठी-प्रहारों के घायलों के इलाज के लिए कई आरज़ी अस्पताल क्रायम हो गये थे। बम्बई में कई बातें ऐसी हुईं जो मार्को की थी, और बड़ा शहर होने के कारण बम्बई में प्रकाशन की सुविधा भी थी। छोटे कस्बों और देहान्ती हिस्सों में भी ऐसी ही बातें हुईं, मगर वे सब प्रकाश में न आ पाईं।

जून के अन्त में मेरे पिताजी बंबई गये, और उनके साथ माताजी और कमला भी गईं। उनका बड़ा स्वागत किया गया। जब वह वहाँ ठहरे हुए थे, तभी कुछ बहुत जबरदस्त लाठी-प्रहार हुए। वास्तव में, यह तो बम्बई में मामूली बात-सी हो गई थी। करीब दो हफ्ते बाद ही वहाँ सारी रात एक असाधारण अग्नि-परीक्षा हुई, जबकि मालवीयजी और कार्य-समिति के मेम्बर एक बड़ी भारी भीड़ के साथ पुलिस के सामने, जिसने कि उनका रास्ता रोक रक्खा था, सारी रात डटे रहे।

बम्बई से लौटने पर ३० जून को पिताजी गिरफ्तार कर लिये गये, और उनके साथ सैयदमहमूद भी पकड़े गये। वे कार्य-समिति के, जो गैरकानूनी करार दे दी गई थी, स्थानापन्न अध्यक्ष और मंत्री की हैसियत से गिरफ्तार हुए। दोनों को छ-छः महीने की सजा मिली। मेरे पिताजी की गिरफ्तारी शायद एक बयान प्रकाशित करने पर हुई थी, जिसमें उन्होंने मैजिस्ट्रेट या पुलिसमैनों को निहत्थी जनता पर गोली चलाने की आज्ञा मिलने की मूरत में उनका क्या फर्ज है यह बताया था। यह बयान सिर्फ कानूनी था, और उममें बताया गया था कि मौजूदा ब्रिटिश इण्डियन कानून में इस बाबत क्या लिखा है। मगर फिर भी वह भड़कानेवाला और खतरनाक समझा गया।

बंबई जाने से पिताजी को बहुत मेहनत करनी पड़ी। बड़े सवेरे से बहुत रात तक उन्हें काम करना पड़ता था और हर जरूरी काम का फैसला उन्हें ही करना पड़ता था। वह बहुत दिनों से बीमार-से तो थे ही, अब वह बिल्कुल ही थककर लीटे, और अपने डाक्टरों की जरूरी सलाह से उन्होंने फौरन पूरी तरह आराम लेने का फैसला कर लिया। उन्होंने मसूरी जाने की तैयारी की, और सामान वगैरा बंधवा लिया; मगर जिस दिन वह मसूरी जाना चाहते थे उससे एक दिन पहले ही वह नैनी सेन्ट्रल जेल की हमारी बैरक में हमारे सामने आ पहुँचे।

नैनी-जेल में

मैं करीब सात साल के बाद फिर जेल गया था, और जेल-जीवन की स्मृतियाँ कुछ-कुछ धुंधली हो गई थी। मैं तैनी सेण्ट्रल जेल में रक्खा गया था, जोकि प्रान्त का एक बड़ा जेलखाना है। वहाँ मुझे अकेले रहने का नया अनुभव मिला। मेरा अहाता बड़े अहाते से, जिसमें कि २२०० या २३०० कैदी थे, अलग था। वह एक छोटा-सा गोल घेरा था, जिसका व्यास लगभग एकमी फीट था और ज़िमके चारो तरफ करीब पंद्रह फीट ऊँची गोल दीवार थी। उसके बीचोंबीच एक मटमैली और भद्दी-सी इमारत थी, जिसमें चार कोठरियाँ थीं। मुझे इनमें से दो कोठरियाँ, जो एक-दूसरे से मिली हुई थी, दी गई। एक में नहाने-धोने वगैरा की जगह थी। दूसरी कोठरियाँ कुछ वक्त तक खाली रही।

मेरे बाहर के विश्रुभ और सक्रिय जीवन के बाद, यहाँ मुझे कुछ अकेलापन और उदासी मालूम हुई। मैं इतना थक गया था कि दो-तीन दिन तक तो मैं बहुत सोता रहा। गरमी का मौसम शुरू हो गया था, और मुझे रात को अपनी कोठरी के बाहर, अन्दर की इमारत और अहाते की दीवार के बीच की तग जगह में, खुले में सोने की इजाज़त मिल गई थी। मेरा पलंग भारी-भारी जंजीरों से कस दिया गया था, ताकि मैं कहीं उसे लेकर भाग न जाऊँ, या शायद इसलिए कि पलंग कहीं अहाते की दीवार पर चढ़ने की सीढ़ी न बना लिया जाय। रातभर अजीब तरह की आवाजें आया करती थी। खास दीवार की निगरानी रखनेवाले कनविकट ओवरसिथर अक्सर एक-दूसरे को तरह-तरह की आवाजें लगाया करते थे। कभी-कभी वे ऐसी लंबी आवाजें लगाने थे जो अन्त में दूर पर चलती हुई तेज़ हवा के कहराने की-सी आवाज मालूम होती थी। बैरकों के अन्दर में चीकीदार बराबर जोर-जोर में अपने कैदियों को गिनते थे और कहते थे कि सब ठीक है। रात में कई बार कोई-न-कोई जेल-अफसर अपना राउण्ड लगाता हुआ हमारे अहाते में भी आ जाता था, और जो वार्डर ड्यूटी पर होता था उससे यहाँ का हाल पूछता था। चूँकि मेरा अहाता दूसरे अहातों से कुछ दूर था, ये आवाजें ज्यादातर साफ़ सुनाई न देती थी, और पहले-पहल मैं समझ न सका कि ये क्या हैं। पहले-पहल तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी जगल के पास हूँ और किसान लोग अपने खेतों से जंगली जानवरों को भगाने के लिए चिल्ला रहे हैं; और कभी-कभी ऐसा मालूम होता था कि मानों रात को जगल और रात के जानवर सब एक-साथ गला फाड़-फाड़कर अलाप रहे हैं।

मैं सोचता हूँ कि आया यह मेरा महज खयाल ही है, या यह सचाई है, कि चौकोनी दीवार की बनिस्बत गोलाईदार दीवार में आदमी को अपने क़ैद होने का ज्यादा भान होता है ? कोनों और मोड़ों के न होने से यह भाव हमारे मन में और भी बढ़ जाता है, कि हम यहाँ दबाये जा रहे हैं। दिन के वक्त वह दीवार आस्मान को भी ढक लेती थी और उसके एक छोटे हिस्से को ही देखने देती थी। मैं—

उस नन्हें नीले वितान पर

जिसे कहें बदी आकाश—

उड़ते हुए, मेघ-खंडो पर

जिनमें रजत-ऊर्मि-आभास; १

अपनी उदास और चिन्तित निगाह डाला करता था। रात को वह दीवार मुझे और भी ज्यादा घेर लेती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी कुएँ के तले में हूँ। कभी-कभी तारों से भरा हुआ आस्मान का जितना हिस्सा मुझे दिखाई देता था वह मुझे असली नहीं मालूम होता था। वह नमूने के, बनावटी, तारामण्डल का एक हिस्सा लगता था।

मेरी बैरक और अहाता, आम तौर पर, सारे जेल में कुत्ताघर कहलाता था। यह एक पुराना नाम था और इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं था। यह छोटी बैरक, सबसे अलग, इसलिए बनाई गई थी कि इसमें खाम तौर पर खतरनाक अपराधी, जिन्हें अलग रखने की जरूरत हो, रक्खे जायें। बाद में वह राजनैतिक कैदियों, नज़र-बन्दों वगैरा को रखने के काम में लिया जाने लगा, जोकि यहाँ सारे जेल से अलग रक्खे जा सकते थे। अहाते के सामने कुछ दूरी पर एक ऐसी चीज़ थी जिसे पहले-पहल अपनी बैरक से देखकर मुझे बड़ा धक्का-सा लगा। वह एक बड़ा भारी पिज़रा-सा था, जिसके अन्दर आदमी गोल-गोल चक्कर काट रहे थे। बाद में मुझे पता लगा कि यह पानी खींचने का पम्प था, जिसे आदमी चलाते थे और जिसमें एकसाथ सोलह आदमी लगते थे। देखते-देखते आदमी के लिए हर चीज़ सामूली हो जाती है। इसीलिए मैं भी उसके देखने का आदी हो गया। मगर हमेशा वह मुझे मनुष्य-शक्ति के उपयोग का बिल्कुल मूर्खता-पूर्ण और जंगली तरीका मालूम हुआ है, और जब कभी मैं उसके पास से गुज़रता तो मुझे किसी पशु-प्रदर्शनी की याद आ जाती।

१. मूल अंग्रेज़ी पद्य इस प्रकार है :—

“Upon that little tent of blue
Which prisoners call the sky,
And at every drifting cloud that went
With sails of silver by.”

कुछ दिनों तक तो मुझे कसरत या दूसरे किसी मतलब से अपने अहाते के बाहर जाने की इजाजत न मिली। बाद में मुझे बड़े सवेरे, जबकि प्रायः अँधेरा ही रहता था, आधा घंटा बाहर निकलने और मुख्य दीवार के सहारे-सहारे अन्दर घूमने या दौड़ लगाने की इजाजत मिल गई। यह बड़ी सुबह का वक्त मेरे लिए इसलिए तजवीज किया गया था कि मैं दूसरे कैदियों के सम्पर्क में न आ सकूँ, या वे मुझे देख न लें। मुझे उस समय बड़ी तरो-ताजगी आ जाती थी। मुझे मिले हुए इस थोड़े-से वक्त से ज्यादा-से-ज्यादा खुला व्यायाम करने की गरज से मैं दौड़ लगाया करता था। दौड़ के अभ्यास को मैंने धीरे-धीरे बढ़ा लिया था, और मैं रोज़ दो मील से ज्यादा दौड़ लिया करता था।

मैं सवेरे बहुत जल्दी, करीब चार या साढ़े तीन बजे ही जबकि बिलकुल अँधेरा रहता था, उठ जाया करता था। कुछ तो जल्दी सोने से भी जल्दी उठना ही जाता था, क्योंकि मुझे जो रोशनी मिली थी वह ज्यादा पढने के लिए ठीक नहीं थी। मुझे तारों को देखते रहना अच्छा लगना था, और कुछ प्रसिद्ध तारा-मण की स्थिति देखकर मुझे समय का अन्दाज़ हो जाता था। जहाँ मैं लेटता था वहाँ से मुझे ध्रुवतारा दीवार के ऊपर झाँकता हुआ दिखाई देता था, और उससे असाधारण शान्ति मिलती थी। उसके चारों तरफ का आस्मान गोल चक्कर काटता था, मगर वह वही कायम था। वह मुझे प्रमत्तता-पूर्ण अचलता और दृढ़ता का प्रतीक मालूम होता था।

एक महीने तक मेरे पास कोई साथी न था, मगर फिर भी मैं अकेला नहीं था, क्योंकि मेरे अहाते में वार्डर और कनविक्ट ओवरसियर व रसोई और सफाई करने-वाला एक कैदी था। कभी-कभी किसी काम के लिए दूसरे कैदी, ज्यादातर कनविक्ट ओवरसियर—सी० ओ०—लोग भी, जो लम्बी सजाये भुगत रहे थे, आ जाते थे। इनमें जन्म-कैदी, आजीवन सजा पाये हुए कैदी, ज्यादा थे। आम तौर पर समझा जाता था कि जन्म-कैद बीस साल या कम में खत्म हो जाती है, मगर जेल में ऐसे बहुत कैदी थे जिन्हें बीस साल से भी ज्यादा हो गये थे। नैनी में मैंने एक बड़ी अजीब मिसाल देखी। कैदियों के कन्धों पर कपड़ों में लगी हुई लकड़ी की एक पट्टी रहती है, जिनमें उनकी सजाओ का हाल और रिहाई की तारीख लिखी रहती है। एक कैदी की पट्टी पर मैंने पढ़ा कि उसकी रिहाई १९९६ में होगी ! १९३० में ही उसको कई साल हो चुके थे, और उस समय वह अघेड़ था। शायद उसे कई सजायें दी गई थीं और वह सब एक के बाद एक जोड़ दी गई थी। शायद कुल मिलाकर उसे पचहत्तर साल की सजा थी !

बरसों बीत जाते हैं और कई जन्म-कैदी तो किसी बच्चे या स्त्री या जानवरों को भी नहीं देख पाते। उनका बाहरी दुनिया से सम्बन्ध बिलकुल टूट जाता है, और

कोई मानवी सम्पर्क नहीं रहता। वे मन-ही-मन हमेशा कुछ घुटघुटाया करते हैं, और उनका दिमाग भय, बदले और नफरत के रोषपूर्ण विचारों से भर जाता है। वे दुनिया की भलाई, दयालुता और आनन्द को भूल जाते हैं, और सिर्फ बुराई में ही जीवन बिताते हैं। फिर धीरे-धीरे उनमें से नफरत की तेजी चली जाती है, और जीवन एक जड़ यन्त्रवत् बन जाता है। अपने-आप चलनेवाले यन्त्रों की तरह वे अपने दिन गुजारते हैं, जोकि सब विलकुल एक-से ही गुजरते हैं। उन्हें एक भय के सिवा और कोई भावना भी नहीं होती। वक्तन-फवक्तन कँदियों की तुलाई और नाप होता है। मगर मस्तिष्क और हृदय की भावना को भी, जो अत्याचार के इस भयंकर वातावरण में मुरझाकर सूख जाती है, कोई तौलता है? लोग मौत की सजा के खिलाफ दलीले देते हैं और वे मुझे बहुत जँचती हैं। मगर जब मैं जेल का लम्बा यातना पूर्ण जीवन देखता हूँ, तो सोचना हूँ कि आदमी को घुला-घुलाकर मारने के बजाय तो मौत की सजा ही अच्छी है। एक दफा एक जन्म-कैदी मेरे पास आकर मुझसे पूछने लगा—“हम जन्म-कैदियों का क्या होगा? क्या स्वराज हमें इस नरक में से निकाल देगा?”

और ये जन्म-कैदी कौन होते हैं? इनमें से बहुतेरे तो मजमूई मुकदमों में आते हैं, जिनमें कि बहुत लोगो को, कभी-कभी पचास-पचास या सौ-सौ आदमियों को, एक-साथ सजाये होती है। इनमें कई तो शायद कुसूरवार होते हैं, मगर ज्यादातर लोग सचमुच कुसूरवार होते हैं इसमें मुझे सन्देह है। ऐसे मुकदमों में लोगों को फँसा देना बड़ा आसान है। किसी मुखबिर की शहादत और थोड़ी शनासन्त हो जानी चाहिए, बस इतना ही जरूरी है। आजकल डकैतियाँ बढ़ रही हैं, और जेल की आबादी हर साल ज्यादा हो जाती है। जबकि लोग भूखों मर रहे हैं, तो वे क्या करें? जज और मजिस्ट्रेट लोग अपराधों की बढ़ती पर कहते नहीं थकते। मगर उनकी निगाह जाहिरा आर्थिक कारणों पर नहीं जाती।

इनके अलावा काश्तकार लोग आते हैं। किसी जमीन के टुकड़े की बाबत गाँव में झगड़ा हो जाता है, लाठियाँ चल जाती हैं, और कोई मर जाता है—ननीजा यह होता है कि जन्मभर या लंबी मियादों के लिए कई आदमी जेल भेज दिये जाते हैं। अक्सर किसी घर के सारे पुरुष कैद कर दिये जाते हैं और पीछे स्त्रियाँ रह जाती हैं, जो जैसे-तैसे करके पेट पालती हैं। इनमें एक भी व्यक्ति जरायम-वेशा नहीं होता। साधारणतः ये लोग शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से अच्छे युवक, औसत देहाती से कहीं ऊपर उठे हुए, होते हैं। यदि इन्हें थोड़ी तालीम मिले, और दूसरी बातों और कामों की तरफ इनकी रुचि थोड़ी बदल दी जाय, तो यही लोग देश के कीमती धन बन सकते हैं।

बेशक हिन्दुस्तान की जेलों में पबके मुजरिम भी हैं, जिनमें सामाजिकता के भाव नहीं होते हैं और जो समाज के लिए बहुत खतरनाक हैं। मगर मुझे जेल में ऐसे लड़के और आदमी बहुत मिले हैं जो अच्छे नमूने के थे, और जिनपर मैं बिला शिक्षक विश्वास कर सकता हूँ। मुझे यह नहीं मालूम कि असली जरायमपेशा और गैर-जरायमपेशा कैदी कितने-कितने अनुपात में हैं, और शायद इस तरह विभाजन करने का खयाल तक जेल-महकमे में किसीको नहीं आया होगा। न्यूयार्क के सिगासिग-जेल के वार्डन लीविस ई० लावेज़ ने इस विषय के कुछ दिलचस्प आँकड़े दिये हैं। वह अपने जेल के कैदियों के बारे में कहता है कि मेरी राय में ५० फीसदी तो बिलकुल जरायम-मनोवृत्ति के नहीं हैं; २५ फीसदी परिस्थितियों और मजबूरियों के कारण अपराधी बने हैं; और बाकी २५ फीसदी में से शायद आधे, यानी १२½ फीसदी, ही समाज में न रहने लायक है। यह तो सभी जानते हैं कि असली अपराधी-वृत्ति बड़े शहरो और आधुनिक सभ्यता के केन्द्रों में ज्यादा होती है, और पिछड़े हुए इलाकों में कम होती है। अमेरिका की जरायमपेशा टोलियाँ तो मशहूर हैं, और सिगासिग-जेल भी खास तौर पर मशहूर है, जहाँ कुछ भयंकर-से-भयंकर मुजरिम भेजे जाते हैं। मगर, उसके वार्डन की राय के मुताबिक, उसके सिर्फ १२½ फीसदी कैदी ही सचमुच बुरे हैं। मेरे खयाल से यह बड़ी अच्छी तरह कहा जा सकता है कि हिन्दुस्तान की जेलों में तो यह अनुपात इससे भी बहुत कम होगा। आर्थिक नीति थोड़ी और अच्छी हो जाय, लोगों को रोजगार कुछ ज्यादा मिलने लगे, और शिक्षा कुछ बढ़ जाय, तो हमारी जेले खाली की जा सकती हैं। मगर इसको कामयाब बनाने के लिए एक बिलकुल मौलिक योजना की, जिससे हमारी सारी सामाजिक रचना बदल जाय, जरूरत है। इसके सिवा दूसरा असली उपाय वही है जो ब्रिटिश-सरकार कर रही है— हिन्दुस्तान में पुलिस की तादाद और जेलों का बढ़ाना। हिन्दुस्तान में कितनी तादाद में लोग जेल भेजे जाते हैं, यह देखकर सिर ठनकने लगता है। अखिल-भारतीय कैदी-सहायक समिति के मंत्री की एक हाल की रिपोर्ट में कहा गया है कि १९३३ में सिर्फ बम्बई प्रान्त में ही १,२८,००० लोग जेल भेजे गये, और उसी साल बंगाल की संख्या १,२४,००० थी।* मुझे सब प्रान्तों के आँकड़े तो मालूम नहीं, किन्तु यदि दो प्रान्तों का जोड़ ढाई लाख है, तो बहुत सम्भव है कि सारे हिन्दुस्तान का जोड़ करीब दस लाख तो होगा। मगर इसे वास्तव में जेल में हमेशा रहनेवालों की तादाद नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत लोगों को तो थोड़ी-थोड़ी सजाये मिलती हैं। स्थायी रहनेवालों की तादाद इससे बहुत कम होगी, मगर फिर भी वह एक बड़ी

भारी संख्या होगी। हिन्दुस्तान के कुछ बड़े प्रान्तों की जेल-व्यवस्था संसार की सबसे बड़ी जेल-व्यवस्था समझी जाती हैं। युक्तप्रान्त भी ऐसे प्रान्तों में माना जाता है, जिसे यह गौरव—यदि इसे गौरव कहा जाय—प्राप्त है। और, बहुत संभवतः, यहाँ संसार का सबसे पिछड़ा हुआ और प्रतिगामी प्रबन्ध है या था। कैदी को एक व्यक्ति, एक मानव-प्राणी, समझने और उसके मस्तिष्क को मुधारने या उसकी चिन्ता रखने की कुछ भी कोशिश नहीं की जाती है। युक्तप्रान्त का जेल-प्रबन्ध जिस बात में सबसे बढ़ा-चढ़ा है वह है, अपने कैदियों को सुरक्षित रखना। वहाँ भागने की कोशिश बहुत ही कम होती है और दस हज़ार में से शायद ही एकाध कोई भागने में सफल होता होगा।

जेलखानों की एक निहायत दुःख-जनक बात है, वहाँ १५ साल या इससे ज्यादा उम्र के लड़कों का बड़ी तादाद में होना। इनमें से ज्यादातर तो तेज और होशियार दिखनेवाले लड़के होते हैं, कि जो अगर मौका मिले तो बड़ी आसानी से अच्छे बन सकते हैं। कुछ अर्से से इन्हें मामूली पढ़ना-लिखना सिखाने की कुछ शुरुआत की गई है, मगर, जैसा कि हमेशा होता है, वह बिलकुल ही नाकाफ़ी और बेकार है। खेल-कूद या दिल-बहलाव का बहुत-कम मौका आता होगा, किसी किस्म के भी अखबार की इजाज़त नहीं है, और न किताबे पढ़ने का प्रोत्साहन दिया जाता है। बारह घण्टे या इससे भी ज्यादा देर तक सब कैदियों को उनकी बेरको या कोठरियों में ताले में बन्द रखा जाता है, और लम्बी-लम्बी शाम का वक़्त काटने के लिए उनके पास कोई काम नहीं रहता।

मुलाकातें तीन महीने में एक दफ़ा हो सकती हैं, और यही खतों का भी हाल है। यह मियाद अमानुषिक रूप से लम्बी है। इसपर भी, कई कैदी तो इससे भी लाभ नहीं उठा सकते। अगर वे बे-पढ़े होते हैं, जैसाकि ज्यादातर होते ही हैं, तो वे किसी जेल-अफ़सर से ही चिट्ठी लिखवाते हैं, और ये लोग चूँकि अपना काम और बढ़ाना नहीं चाहते इसलिए चिट्ठी लिखना अक्सर टालते रहते हैं, अगर चिट्ठी लिखी भी गई तो पता ठीक-ठीक नहीं दिया जाता, और वह ठिकाने पर नहीं पहुँचती। मुलाकात करना तो और भी मुश्किल है। करीब-करीब, अनिवार्य रूप से, किसी-न-किसी-जेल कर्मचारी को कुछ नज़राना-शुक्रियाना देने से ही मुलाकात हो सकती है। अक्सर कैदी दूसरे-दूसरे जेलों में बदल दिये जाते हैं, और उनके घर के लोगों को उनका पता नहीं लगता। मुझे कई ऐसे कैदी मिले हैं, जिनका ताल्लुक अपने परिवार से बरमों से छूट चुका था, और उन्हें मालूम नहीं था कि उनका क्या हुआ। तीन या अधिक महीनों के बाद जब मुलाकातें होती भी हैं तो वे अजीब तरह से होती हैं। जंगले के

दोनों तरफ़ आमने-सामने बहुत-से क़ैदी और उनके मुलाक़ाती खड़े कर दिये जाते हैं, और वे सब एक-साथ बात-चीत करने की कोशिश करते हैं। एक-दूसरे से बहुत जोर से चिल्ला-चिल्लाकर बोलना पड़ता है, और मुलाक़ात में जो थोड़ा-बहुत मानवी-सम्पर्क हो सकता है वह भी नहीं रहता !

हज़ार में से किसी एकाध क़ैदी को (यूरोपियनों को छोड़कर) अच्छा खाना मिलने या जल्दी-जल्दी मुलाक़ात करने या खत लिखने की खास सुविधा भी मिल जाती है। राजनैतिक आन्दोलनों में, जबकि लाखों राजनैतिक क़ैदी जेल जाते हैं, इन विशेष दर्जे के क़ैदियों की तादाद कुछ थोड़ी-सी बढ़ जाती है, मगर फिर भी वह बहुत थोड़ी ही रहती है। इन राजनैतिक स्त्री और पुरुष क़ैदियों में से ९५ फ़ीसदी क़ैदियों के साथ मामूली ढंग का ही बर्ताव किया जाता है और उन्हें ऐसी सुविधायें भी नहीं मिलती।

कई व्यक्ति, जिन्हें क्रांतिकारी हलचलों के कारण आजन्म या लम्बी सजायें दी जाती हैं, लम्बे अर्में तक तनहाई कोठरियों में रक्खे जाते हैं। मेरा खयाल है कि यू० पी० में तो ऐसे सब व्यक्ति आम तौर पर सीधे तनहाई कोठरियों में बन्द रक्खे जाते हैं। यो तो तनहाई जेल के किसी कुसूर के लिए सज़ा के तौर पर ही दी जाती है, मगर इन लोगो को तो, जो आम तौर पर नवयुवक होते हैं, शुरू से तनहाई में ही रक्खा जाता है, चाहे उनका बर्ताव जेल में बहुत अच्छा ही क्यों न हो। इस तरह अदालत की सज़ा के अलावा, जेल महकमा उसमें बग़ैर किसी सबब के एक और भयंकर सज़ा बढ़ा देता है। यह बड़ी असाधारण बात है, और क़ानून की किसी दफ़ा के अनुसार नहीं है। थोड़े वक़्त के लिए भी तनहाई में बन्द रक्खा जाना एक बड़ी दर्दनाक बात है, फिर जब यह वरसो तक रहे तब तो कितनी खतरनाक हो जाती है ! इससे मस्तिष्क की शक्ति धीरे-धीरे लगातार घटती जाती है, जो अन्त में पागलपन की हद तक पहुँच जाती है, और क़ैदी का चेहरा विचार-शून्य या भयभीत पशु जैसा दिखने लगता है। यह मनुष्य की स्फ़िरिट को धीमे-धीमे खत्म करना या उसकी आत्मा को धीरे-धीरे हलाल करना है। अगर आदमी जिन्दा बचता भी है तो वह एक विलक्षण जीव और दुनिया के लिए बे-मौजू बन जाता है। और यह सवाल तो हमेशा उठता ही रहता है कि क्या वह व्यक्ति वास्तव में किसी कार्य या अपराध का गुनहगार भी था ? हिन्दुस्तान में पुलिस के तरीक़े अर्म से सन्देह की दृष्टि से देखे जाते हैं, और राज-नैतिक मामलों में तो वे बहुत ही ज्यादा सन्देहास्पद हैं।

यूरोपियन या यूरोशियन क़ैदियों को, चाहे उन्होंने कोई भी अपराध किया हो या उनकी क़ैदी भी हैसियत हो, अपने-आप ऊँचे दर्जे में रख दिया जाता है, और उन्हें

ज्यादा अच्छा भोजन, हलका काम और जल्दी-जल्दी खत और मुलाकात की सुविधायें दी जाती हैं। हर हफ्ते पादरी के आने से वे बाहर की बातों के सम्पर्क में बने रहते हैं। पादरी उनके लिए सचित्र और हँसी-मजाक के विदेशी अखबार ले आता है, और जब जरूरत होती है तब उनके घरवालों से खतो-किताबत करता रहता है।

यूरोपियन कैदियों को ये सुविधायें क्यों मिली हैं इसकी किसीको शिकायत नहीं है, क्योंकि उनकी तादाद थोड़ी ही है, मगर दूसरे—स्त्री और पुरुष—कैदियों के प्रति व्यवहार में मनुष्यता का विलकुल अभाव देखकर जरूर रंज होता है। कैदी को एक व्यक्ति, एक मानव प्राणी, नहीं समझा जाता, और इसलिए उसके साथ वैसा बर्ताव भी नहीं किया जाता। जेल को तो सरकारी तन्त्र द्वारा बुरे-से-बुरे दमन का अमानुषिक पहलू समझना चाहिए। यह एक ऐसा यन्त्र है जो बंरहमी से, बिना सोचे, काम करता रहता है, और उसकी पकड़ में जो कोई आ जाता है उसे कुचल डालता है। जेल के कायदे इसी यन्त्र को दिखाने के लिए खास तौर पर बनाये गये हैं। जब भावना-शील स्त्री या पुरुष यहाँ आते हैं, तो यह हृदय-हीन शासन उनके मन को एक यातना और पीड़ा प्रतीत होता है। मैंने देखा है कि कभी-कभी लम्बी मियाद के कैदी जेल की उदासी से ऊबकर फूट-फूटकर बच्चे की तरह रोने लगते हैं, और सहानुभूति और प्रोत्साहन के थोड़े-से शब्दों में, जोकि इस वातावरण में बहुत दुर्लभ होते हैं, उनके चेहरे खुशी और अहसानमन्दी से चमक उठते हैं।

इनना होने पर भी, कैदियों में एक-दूसरे के प्रति उदारता और अच्छी मित्रता के कई हृदय-स्पर्शी उदाहरण भी दिखाई देते थे। एक बार एक अन्धा दुबारा कैदी तेरह साल के बाद रिहा हुआ। इस लम्बे अर्से के बाद वह बाहर जा रहा था, जहाँ न उसके पास कोई साधन थे, न दोस्त। उसके साथी कैदी उसकी इमदाद करना चाहते थे, लेकिन वे ज्यादा नहीं कर सकते थे। एक ने जेल-दफ्तर में जमा की हुई अपनी कमीज दी, दूसरे ने कोई और कपड़ा दिया। एक तीसरे को उसी दिन सवेरे चप्पल की जोड़ी मिली थी, जिसे उसने कुछ अभिमान से मुझे दिखाया था। जेल में यह चीज मिलना बड़ी भारी बात है। मगर जब उसने देखा कि उसका कई साल का साथी यह अन्धा नगे-पैर बाहर जा रहा है तो उसने खुशी से उसे अपने नये चप्पल दे दिये। उस समय मैंने सोचा कि शायद जेल के अन्दर बाहर से ज्यादा दानशीलता है।

१९३० का वह साल आश्चर्यजनक परिस्थितियों और स्फूर्तिदायक घटनाओं से भरा हुआ था। गांधीजी की सारे राष्ट्र में स्फूर्ति और उत्साह भर देने की अद्भुत शक्ति से मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ। उनकी शक्ति में एक मोहनी-सी मालूम होती थी, और उनके बारे में जो बात गोखले ने कही थी वह हमें याद आई—उनमें मिट्टी से

सूरमा बना लेने की ताकत है। शान्ति-पूर्ण सविनय भंग महान् राष्ट्रीय उद्देशों को पूर्ण करने के लिए, लड़ाई के शस्त्र और शास्त्र दोनों तरह से, काम में आ सकता है, यह बात सब मालूम हुई। और देश में, मित्रों और विरोधियों दोनों को, बिलकुल भरोसा-सा होने लगा कि हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। आन्दोलन में क्रियात्मक रूप से काम करनेवालों में एक अजीब उत्साह भर गया, और थोड़ा-थोड़ा जेल के भीतर भी आ पहुँचा। मामूली कैदी भी कहते थे कि “स्वराज आ रहा है !” और इस उम्मीद से कि उससे उन्हें भी कुछ फायदा हो जायगा, वे आतुरता से उसका इन्तज़ार करते थे। बाज़ार की बात-चीत सुन-सुनकर बाह्य लोग भी उम्मीद करते थे कि स्वराज नज़दीक ही है। इससे जेल के छोटे-छोटे अफसर कुछ और घबराहट में पड़ गये।

जेल में हमें दैनिक अखबार नहीं मिलता था, मगर एक हिन्दी साप्ताहिक अखबार से हमें कुछ खबरे मिल जाया करती थी, और ये खबरें ही अक्सर हमारी कल्पनाओं को तेज कर दिया करती थी। रोज़ाना लाठी-प्रहार होना, किसी-किसी दिन गोली चलना, शोलापुर में फौज़ी कानून जारी होना, जिसमें राष्ट्रीय झण्डा ले जाने के लिए ही दस साल की सज़ा दी गई थी, ऐसी खबरें आती थी। सारे देश में हमें अपने लोगों, खासकर स्त्रियों, पर बड़ा अभिमान होने लगा। मुझे तो मेरी माताजी, पत्नी और बहनों तथा दूसरी चचेरी बहनों और महिला-मित्रों के कार्यों के कारण विशेष सन्तोष हुआ। और हालाँकि मैं उनसे दूर था, और जेल में था, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि हम सब एक ही महान् कार्य में साथ-साथ कार्य करने के नये नाते से एक-दूसरे के बहुत नज़दीक आ गये हैं। परिवार तो उससे भी बड़े समुदाय में ऐसा मालूम होने लगा मानो लुप्त हो गया है। मगर फिर भी उसमें पुरानी मधुरता और निकटता बनी रही। कमला ने तो मुझे आश्चर्य में ही डाल दिया, क्योंकि उसकी क्रिया-शीलता और उत्साह ने उसकी बीमारी को दबा दिया, और कम-से-कम कुछ समय के लिए तो वह बहुत ज्यादा काम-काज करते रहने पर भी चंगी बनी रही।

जिस वक्त बाहर दूसरे लोग खतरे का मुक़ाबिला कर रहे हैं, और कष्ट उठा रहे हैं, उस वक्त मैं जेल में आराम से समय बिता रहा हूँ, यह खयाल मुझे दिक् करने लगा। मैं बाहर जाने की इच्छा करता था, किन्तु नहीं जा सकता था। इसलिए मैंने अपना जेल-जीवन बड़ा सलत, कार्यमय, बना लिया। मैं अपने चर्खों पर रोज़ाना करीब तीन घंटे सूत कातता था। इसके अलावा दो या तीन घंटे मैं निवाड़ बुनता, जो मैंने जेल-अधिकारियों से खास तौर पर माँग ली थी। मैं इन कामों को पसन्द करता था। इनमें न ज्यादा जोर पड़ता था न थकावट होती थी, और मेरा समय काम में लग जाता था। इससे मेरे दिमाग का बुखार भी शान्त हो जाता था। मैं बहुत पढ़ता रहता

था, या सफ़ाई करने या कपड़े धोने वगैरा में लगा रहता था । मैं मशक़त अपनी खुशी से ही करता था, क्योंकि मुझे 'सादी' सजा मिली थी ।

इस तरह, बाहर की घटनाओं और अपने जेल-कार्यक्रम का विचार करते-करते, मैं नैनी-जेल में अपने दिन गुज़ारने लगा । हिन्दुस्तान के इस जेल की कार्य-प्रणाली देखकर मुझे यह प्रतीत हुआ कि वह हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ी सरकार की प्रणाली से भिन्न नहीं है । सरकार का शासन-तन्त्र बहुत सुव्यवस्थित है, जिसके फलस्वरूप देश पर सरकार का क़ब्ज़ा मज़बूत होता है मगर जिसमें देश की मानव-सामग्री की चिन्ता बहुत थोड़ी, या बिल्कुल नहीं, की जाती है । ऊपर से तो यही दिखना चाहिए कि जेल का प्रबन्ध सुचारु रूप से हो रहा है और यह किसी हद तक ठीक भी है । मगर शायद कोई भी यह खयाल नहीं करता कि जेल का खास लक्ष्य होना चाहिए, उसमें आनेवाले अभागे लोगों को सुधारना और उनकी सहायता करना । यहाँ तो बस यह खयाल है कि उनको कुचल डालो, ताकि जबतक वे बाहर निकले तबतक उनमें ज़रा-सी भी हिम्मत बाकी न रहे । और जेल का प्रबन्ध-सञ्चालन किस तरह होता है, क़ैदियों को कैसे काबू में रखा जाता है, और कैसे दण्ड दिया जाता है ? यह सब ज्यादातर क़ैदियों की सहायता से ही होता है । क़ैदियों में से ही कुछ लोग कनविकट-वार्डर (सी० डबल्यू०) या कनविकट-ओवरसियर (सी० ओ०) बना दिये जाते हैं, और वे खोफ़ से या इनामों या छूट के प्रलोभन से अधिकारियों के साथ सहयोग करने लगते हैं । तनख्वाहदार गैर-कनविकट-वार्डर वैसे थोड़े ही होते हैं । जेल के अन्दर की ज्यादातर हिफ़ाज़त और चाँकीदारी कनविकट-वार्डर और सी० ओ० ही करते हैं । जेल में मुखबिरी का भी खूब जोर रहता है । क़ैदियों को एक-दूसरे की चुगली और मुखबिरी करने को उत्साहित किया जाता है, और क़ैदियों को एका करने या कोई भी समुक्त कार्य करने की तो इजाज़त ही नहीं रहती है । यह सब आसानी से समझ में आ सकता है, क्योंकि उनमें फूट रखने से ही वे काबू में रक्खे जा सकते हैं ।

जेल से बाहर, हमारे देश के शासन में भी, यही प्रणाली एक व्यापक लेकिन कम ज़ाहिर रूप में दिखाई देती है । मगर यहाँ सी० डबल्यू० और सी० ओ० लोगों का नाम बदल गया है । उनके बड़े-बड़े शानदार नाम हैं, और उनकी वर्दियाँ ज्यादा तड़क-भड़कदार हैं । और अपने तर्ज़ की पाबन्दी के लिए, जेल की ही तरह, उनके पीछे हथियारबन्द सशस्त्र दल रहता है ।

आधुनिक राज्यों के लिए जेलखाना कितना ज़रूरी और लाज़िमी है ? कम-से-कम क़ैदी तो यही सोचने लगता है । सरकार के प्रबन्ध आदि विषयक विविध कार्य तो जेल, पुलिस और फ़ौज के मौलिक कार्यों के मुकाबिले में थोथे मालूम होने लगते

हैं। जेल में आदमी मार्क्स के इस सिद्धान्त की क्रूर करने लगता है, कि राज्य तो वास्तव में उस दल की, कि जिसके हाथ में शासन है, इच्छा को कार्यान्वित करने का एक बल-प्रयोजक साधन है।

एक महीने तक तो मैं अपनी बैरक में अकेला ही रहा। फिर एक साथी— नर्मदाप्रसादासिंह—आ गये, और उनके मिलने से बड़ी राहत मिली। इसके ढाई महीने बाद, जून १९३० की आखिरी तारीख को, हमारे अहाते में असाधारण खलबली मच गई। अचानक बड़े सवेरे मेरे पिताजी और डॉ० संयदमहमूद वहाँ लाये गये। वे दोनों आनन्द-भवन में, जबकि अपने बिस्तरों में सोये हुए थे, गिरफ्तार किये गये थे।

यरवडा में संधि-चर्चा

पिताजी की गिरफ्तारी के साथ ही, या उसके फौरन बाद ही, कार्य-समिति ग्रंथ-क्रान्ती करार दे दी गई। इससे एक नई स्थिति पैदा हो गई—यदि कमिटी अपनी मीटिंग करे तो सब-के सब मेम्बर एकसाथ गिरफ्तार हो सकते थे। इसलिए कार्यवाहक सभापतियों को जो अस्त्रधार दे दिया गया था उसके मुताबिक स्थानापन्न मेम्बर उसमें और जोड़े गये और इस सिलसिले में कई स्त्रियाँ भी मेम्बर बनीं। कमला भी उनमें थी।

पिताजी जब जेल आये तो उनकी तन्दुरुस्ती निहायत खराब थी और वह जिन हालात में वहाँ रखे गये थे उनमें उन्हे बड़ी तकलीफ थी। सरकार ने जान-बूझकर यह स्थिति पैदा नहीं की थी, क्योंकि वह अपनी तरफ से तो उनकी तकलीफ कम करने की भरसक कोशिश करने को तैयार थी, परन्तु नैनी-जेल में वह अधिक कुछ नहीं कर सकी। मेरी बंरक की ४ छोटी-छोटी कोठरियों में हम चार आदमियों को एक-साथ रख दिया गया। जेल के सुपरिन्टेन्डेंट ने सुझाया भी कि पिताजी को किसी दूसरी जगह रख दें, जहाँ उन्हे कुछ ज्यादा जगह मिल जाय, लेकिन हम लोगों ने एक-साथ रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि इससे हम कोई-न-कोई उनकी सम्हाल रख सकते थे।

बारिश शुरू ही हुई थी पर कोठरी के अन्दर की जमीन मुश्किल से सूखी रहती थी, क्योंकि छतसे पानी जगह-जगह टपकता रहता था। रात के वक्त रोज यह सवाल उठता कि पिताजी का बिछौना हमारी कोठरी से सटे उस छोटे-से बरामदे में, जो १० फीट लम्बा और ५ फीट चौड़ा था, कहाँ लगाया जाय, जिससे पानी से बचाव हो सके? कभी-कभी उन्हें बुखार आ जाता था। आखिर जेल-अधिकारियों ने हमारी कोठरी से लगा हुआ एक और अच्छा बड़ा बरामदा बनवाना तय किया। बरामदा बन तो गया और उससे ज्यादा आराम भी मिलता, मगर पिताजी को उसका कुछ फायदा न मिला, क्योंकि उसके तैयार होने के बाद शीघ्र ही उन्हें रिहा कर दिया गया। तब हममें से जो लोग वहाँ पीछे रह गये थे और रहे उन्होने उससे पूरा फायदा उठाया।

जुलाई के अखीर-अखीर में यह चर्चा बहुत सुनाई दी कि सर तेजबहादुर सप्रू और जयकर साहब इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस और सरकार के दम्यानि

सुलह हो जाय। हमने यह खबर एक दैनिक अखबार में पढ़ी जो पिताजी को खास तौर पर बतौर रिआयत के दिया जाता था। उसमें हमने वह सारी खतो-किताबत पढ़ी जो बाइसराय लार्ड अर्बिन और सर सपू तथा जयकर साहब के बीच हुई थी। और बाद में हमें यह भी मालूम हुआ कि हमारे ये 'शान्तिदूत' गांधीजी से भी मिले थे। हमारी समझ में यह नहीं आता था कि आखिर इनको सुलह की इतनी क्यों पढ़ी है, या ये इससे क्या नतीजा निकालना चाहते हैं? बाद को हमे उनसे मालूम हुआ कि उन्होंने इस बात का उत्साह मिला है पिताजी के एक छोटे-से बयान से, जो उन्होंने बम्बई में अपनी गिरफ्तारी से कुछ पहले दिया था। वक्तव्य का खर्चा मि० स्लोकॉम्ब का (लन्दन के 'डेली हेरल्ड' के संवाददाता, जो उन दिनों हिन्दुस्तान में थे) बनाया हुआ था, जो पिताजी से बातचीत करके तैयार किया गया था और जिसे उन्होंने पसन्द भी कर लिया था। इस वक्तव्य 'में यह बताया गया था कि अगर सरकार कुछ शर्तें मान ले तो सम्भव है कि काँग्रेस सत्याग्रह को वापस ले ले।

यह एक गोल-मोल और कच्ची बात थी और उसमें भी यह साफ कह दिया गया था कि उन अस्पष्ट शर्तों पर भी तबतक विचार नहीं किया जा सकेगा, जबतक पिताजी गांधीजी और मुझसे मशवरा न करले। मुझसे ज़रूरत इसलिए पड़नी

१. यह वक्तव्य २४ जून १९३० को दिया गया था—“यदि किन्हीं हालातों में ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार, हालांकि इसका पहले से अन्दाज नहीं किया जा सकता कि गोल-मेज़-कान्फ़ेन्स अपनी खुशी से क्या सिफ़ारिशें करेगी या ब्रिटिश पार्लियामेंट का उन सिफ़ारिशों के बारे में क्या रुख रहेगा, खानगी तौर पर यह आश्वासन दें या किसी तीसरे जिम्मेदार शख्स के मार्फत वह इशारा मिले कि ऐसा आश्वासन मिल जायगा कि हम भारत के लिए पूर्ण उत्तरदायी शासन की माँग का समर्थन करेंगे, बशर्ते कि दोनों में आपसी घटा-बढ़ी से काम लिया जाय और सत्ता को हस्तान्तर करने की शर्तें वे हों जो हिन्दुस्तान की खास ज़रूरतों और अवस्थाओं के लिए और ग्रेटब्रिटेन के साथ उसका पुराना सम्बन्ध होने के कारण ज़रूरी हों और जिनका निर्णय गोलमेज-कान्फ़ेन्स करे, तो पण्डित मोतीलाल नेहरू यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं कि वह खुद इस तरह का आश्वासन गाँधीजी या पं० जवाहरलाल नेहरू तक ले जावेंगे। यदि ऐसा आश्वासन मिला और मंजूर कर लिया गया तो इससे सुलह का रास्ता खुल जायगा, जिसके मानी यह होंगे कि इधर सचिन्ध-भंग-आन्दोलन बन्द किया जायगा और साथ ही उधर सरकार की मौजूदा दमन-नीति भी क़त्ब हो जायगी, राजनैतिक कैदियों की आम रिहाई होगी और इसके बाद काँग्रेस उन शर्तों पर, जो आपस में तय हो जावेंगी, गोलमेज-कान्फ़ेन्स में शरीक होगी।”

थी कि मैं उस साल काँग्रेस का सदर था। मुझे याद है कि अपनी गिरफ्तारी के बाद पिताजी ने इसका चित्र नैनी में मुझसे किया था, और उन्हें इस बात पर दुःख ही रहा कि उन्होंने जल्दी में ऐसा गोल-मोल वक्तव्य दे डाला और सम्भव था कि उसका गलत अर्थ लगाया जाय। और दरअसल ऐसा हुआ भी, क्योंकि जिन लोगों की विचार-धारा हमसे बिल्कुल जुदा है उनके द्वारा तो बिल्कुल स्पष्ट और यथार्थ वक्तव्यों का भी गलत अर्थ लगाये जाने की सम्भावना रहती ही है।

२७ जुलाई को सर तेजबहादुर सप्रू और जयकर साहब अचानक नैनी-जेल में हमसे मिलने आ पहुँचे। वे गांधीजी का एक पत्र साथ लाये थे। उस दिन तथा दूसरे दिन हम लोगों में बड़ी देर तक बातचीत हुई। पिताजी को हारारत थी। इस बातचीत से वह बहुत थक गये। हमारी बातचीत और बहस घूम-घामकर वहीं आ जाती थी जहाँ से शुरू होती थी। हम लोगों के राजनैतिक दृष्टि-बिन्दु इतने जुदा-जुदा थे कि हम मुश्किल से एक-दूसरे की भाषा और भावों को समझ पाते थे। हमें यह साफ दिखाई देता था कि मौजूदा हालत में कांग्रेस और सरकार के बीच मुलह होने का कोई मौका नहीं है। हमने अपने साथियों—कार्य-समिति के सदस्यों—और खासकर गांधीजी से सलाह किये बिना अपनी तरफ से कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया, और हमने इस आशय की एक चिट्ठी गांधीजी को लिख भी दी।

ग्यारह दिन बाद, ८ अगस्त को, डाक्टर सप्रू वाइसराय का जबाब लेकर फिर हमसे मिलने आये। वाइसराय को इस बात पर कोई ऐतराज न था कि हम लोग घरवडा जावें (घरवडा पूना के पास है और यही की जेल में गांधीजी रक्खे गये थे); लेकिन वह तथा उनकी कौन्सिल हमें सरदार वल्लभभाई, मौलाना अबुलकलाम आज़ाद और कार्य-समिति के दूसरे मेम्बरों से मिलने की इजाजत नहीं दे सकती थी, जोकि बाहर थे और सरकार के खिलाफ क्रियात्मक आन्दोलन कर रहे थे। डाक्टर सप्रू ने हमसे पूछा कि ऐसी हालत में आप लोग घरवडा जाने को तैयार हैं या नहीं? हमने कहा कि हमें तो कभी भी गांधीजी से मिलने जाने में कोई उच्च नहीं है, न हो सकता है; लेकिन जबतक हम अपने दूसरे साथियों से न मिल लें तबतक किसी अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुँचा जा सकेगा। इत्तिफाक से उसी दिन या शायद एक दिन पहले के बख्शवार में खबर पढ़ी कि बम्बई में प्रयंकर लाठी-चार्ज हुआ और सरदार बल्लभभाई, मालवीयजी, तसदुदुक शेरवानी वगैरा कार्य-समिति के स्थायी या स्थानापन्न मेम्बर गिरफ्तार कर लिये गये हैं। हमने डाक्टर सप्रू से कहा कि इस घटना से मामला सुधरा नहीं है और हमने उनसे कह दिया कि वह सारी स्थिति वाइसराय के सामने साफ कर दें। फिर भी डाक्टर सप्रू ने कहा कि गांधीजी से तो जल्दी मिलने में

हर्ज ही क्या है ? हमने उन्हें यह बात पहले ही कह दी थी कि यदि हमारा जाना यरवडा हुआ तो हमारे साथी डा० संयदमहमूद भी, जो हमारे साथ नैनी में ही थे, बहिसियत कांग्रेस-सेक्रेटरी हमारे साथ चलेंगे ।

दो दिन बाद, १० अगस्त को, हम तीनों—पिताजी, महमूद और मैं—एक स्पेशल ट्रेन में नैनी से पूना भेजे गये । हमारी गाड़ी बड़े-बड़े स्टेशनों पर नहीं ठहरी, हम उन्हें झपाटे से पार करते हुए चले गये, कहीं-कहीं छोटे और किनारे के स्टेशनों पर ट्रेन ठहराई गई । फिर भी हमारे जाने की खबरें हमसे आगे दीड़ गईं और लोगों की बड़ी भीड़ स्टेशनों पर—जहाँ हम ठहरे वहाँ भी और जहाँ नहीं ठहरे वहाँ भी—इकट्ठी हो गई । हम ११ की बड़ी रात को पूना के नजदीक खिड़की स्टेशन पर पहुँचे ।

हमने उम्मीद तो यह की थी कि हम गाँधीजी की ही बैरक में ठहराये जायेंगे, या कम-से-कम उनसे जल्दी ही मुलाकात हो जायगी । यरवडा के सुपरिटेण्डेंट ने तो यही तजवीज कर रखी थी, लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें अपना प्रबन्ध बदल देना पड़ा । जो पुलिस अफसर हमारे साथ नैनी से आया था उसके द्वारा यरवडावालों को ऐसी ही कुछ हिदायत मिली थी । सुपरिटेण्डेंट कर्नल मार्टिन ने तो हमें इस रहस्य का पता न दिया, परन्तु पिताजी ने कुछ ऐसे मार्मिक प्रश्न किये जिनसे यह मालूम हो गया कि हमें गाँधीजी से (कम-से-कम पहली बार तो) सप्रू और जयकर साहब के रोबह ही मिलने दिया जायगा । यह अन्देश किया गया था कि अगर हम पहले मिल लेंगे तो हमारा रख कडा हो जायगा और हम सब और भी मजबूत हो जायेंगे । लिहाजा वह सारी रात और दूसरे दिनभर तथा रातभर हम दूसरी बैरक में रखे गये । इसपर पिताजी को बहुत बुरा मालूम हुआ । वहाँ लेजाकर गाँधीजी से न मिलने देना, जिनसे मिलने के लिए हम इतनी दूर नैनी से लाये गये, गोया हमें तरसाना और तड़पाना था । आखिर १३ को दोपहर के पहले हमें खबर की गई कि सर सप्रू और जयकर साहब तशरीफ ले आये हैं और गाँधीजी भी जेल के दफ्तर में उनके साथ मौजूद हैं और आप सबको वहीं बुलाया है । पिताजी ने जाने से इन्कार कर दिया और जब जेलवालों की तरफ से बहुतेरी सफाइयाँ दी गईं और माफियाँ माँगी गईं और यह तय पाया कि हम पहले अकेले गाँधीजी से ही मिलाये जायेंगे तब वह वहाँ जाने को राजी हुए । आगे चलकर हम सबके सम्मिलित अनुरोध पर सरदार पटेल और जयरामदास दौलतराम, जो दोनों यरवडा ले आये गये थे, और सरोजिनी नायडू भी, जो हमारे सामने ही स्त्री-बैरक में रखी गई थीं, हमारे साथ बातचीत में शरीक किये गये । उसी रात पिताजी, महमूद और मैं तीनों गाँधीजी के अहाते में ले जाये गये और यरवडा से चलने तक हम वहीं

रहे। बल्लभभाई और जयरामदास भी वहाँ लाये गये और वे भी वहीं रक्खे गये, जिससे हमारे आपस में सलाह-मशवरा किया जा सके।

१३, १४ और १५ अगस्त तक सत्र और जयकर साहब से हमारा मशवरा जेल के दफ्तर में होता रहा और हमने आपस में चिट्ठी-पत्री के द्वारा अपने-अपने विचार भी प्रदर्शित कर दिये, जिनमें हमारी तरफ से वे कम-से-कम शर्तें बता दी गईं जिनके पूरा होने पर सक्निय-भंग वापस लिया जा सकता था और सरकार के साथ सहयोग किया जा सकता था। बाद को ये चिट्ठियाँ अखबारों में भी छाप दी गईं थीं।

इन बातचीतों का पिताजी के शरीर पर बुरा असर हुआ और १६ ता० को एकाएक उन्हें जोर का बुखार आ गया। इससे हमारा जाना रुक गया और हम १९ की रात को खाना ही पाये—फिर उसी तरह स्पेशल ट्रेन से। बंबई-सरकार ने सफ़र में हर तरह से पिताजी के आराम का खयाल रक्खा और यरवडा-जेल में भी उनके आराम का पूरा-पूरा प्रबन्ध किया गया था। जिस रात हम यरवडा पहुँचे उस दिन एक मजदूर घटना हुई, जो मुझे अबतक याद है। सुपरिंटेंडेंट कर्नल मार्टिन ने पिताजी से पूछा, कि आप किस तरह का खाना पसन्द करेंगे? पिताजी ने कहा कि मैं बहुत सादा और हलका खाना खाता हूँ, और उन्होंने सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक की सब ज़रूरी चीजें गिना दीं। (नैनी में रोज़ हम लोगों के घर से खाना आता था) पिताजी ने सरल भाव से जो-जो चीजें लिखाई वे थीं तो सब सादी और हलकी ही, मगर उन्हें देखकर कर्नल मार्टिन दंग रह गये। बहुत मुमकिन था कि रिज और सेबॉथ होटल में वे चीजें सादा और हलकी समझी जाती हों, जैसा कि खुद पिताजी भी समझते थे; लेकिन यरवडा-जेल में ये अजीब और बेतुकी दिखाई दीं। महमूद और मैं बड़ी रंगत के साथ उस समय कर्नल मार्टिन के चेहरे के उतार-चढ़ाव देखते रहे, जबकि पिताजी भोजन की उन कई तरह की और खर्चीली चीजों के नाम सुनाते जा रहे थे। क्योंकि कई दिनों से उनके यहाँ भारत का सबसे बड़ा और बहुत नामी नेता रक्खा गया था और उसकी भोजन-सामग्री थी सिर्फ बकरी का दूध, खजूर और शायद कभी-कभी नारंगियाँ। मगर जो यह नया नेता उनके सामने आया उसका ढंग कुछ और ही था।

पूना से नैनी लौटते समय भी हम बड़े-बड़े स्टेशन छलांगते गये और ऐसी-वैसी मामूली जगह गाड़ी ठहरती रही। मगर भीड़ अबकी और ज्यादा थी, प्लेटफार्म भरे हुए थे और कहीं-कहीं तो रेलवे लाइन पर भी भीड़ जम गई थी—खासकर हरदा, इटारसी और सोहागपुर में। यहाँतक कि दुर्घटनायें होते-होते बचीं।

१. जिन चिट्ठियों में ये शर्तें दी गईं थीं वे परिशिष्ट नं० २ में दी गई हैं।

पिताजी की हालत तेजी से गिरने लगी। कितने ही डाक्टर उन्हें देखने गये— खुद उनके डाक्टर भी और प्रान्तीय सरकार की तरफ से भेजे हुए डाक्टर भी। जाहिर था कि जेल उनके लिए सबसे खराब जगह थी और वहाँ किसी तरह माकूल इलाज नहीं हो सकता था। मगर फिर भी जब किसी मित्र ने अखबार में लिखा कि बीमारी के सबब से उन्हें रिहा कर देना चाहिए, तो पिताजी बहुत बिगड़े और उन्होंने कहा कि लोग समझेंगे कि मेरी तरफ से यह इशारा कराया गया है। यहाँतक कि उन्होंने लाई अर्बिन को तार दिया कि मैं खास मेहरबानी कराके नहीं छूटना चाहता। लेकिन उनकी हालत दिन-ब-दिन खराब ही होती गई। वजन तेजी से गिरता जा रहा था, और उनका शरीर एक छाया या ढांचा मात्र रह गया था। आखिर ८ सितम्बर को, ठीक १० सप्ताह बाद, वह रिहा कर दिये गये।

उनके चले जाने से हमारी बैरक से मानो जीवन और आनन्द चला गया। जब वह हमारे पास थे तो उनके लिए न जाने क्या-क्या करना पड़ता था, उनके आराम के लिए छोटी-छोटी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता था। और हम सब—महमूद, नर्मदाप्रसाद और मैं—बड़ी खुशी-खुशी उनकी सेवा में दिन बिताते थे। मेने निवाड़ बुनना छोड़ दिया था, कातना भी बहुत कम कर दिया था, और न किताबें पढ़ने का ही वक्त मिलता था। जब वह चले गये तो हमें फिर उन्हीं कामों को शुरू करना पड़ा, मगर दिल पर भार बना रहता था और वह आनन्द नहीं रहा था। उनके रिहा होने पर तो दैनिक अखबार भी मिलना बंद हो गया था। ४-५ दिन बाद मेरे बहनोई रणजीत पंडित गिरफ्तार हुए और हमारी बैरक में ही रक्खे गये।

१ महीने बाद, ११ अक्टूबर को, मेरी छः महीने की सजा पूरी हो जाने पर, मैं छोड़ दिया गया। मैं जानता था कि मैं थोड़े ही दिन आजाद रह सकूंगा, क्योंकि लड़ाई बहुत जमती और तेज होती जा रही थी। 'शान्ति-दूतों'—सपू और जयकर साहबान—की कोशिशें बेकार हो चुकी थीं। उसी दिन, जिस दिन मैं छूटा, दो और आर्डिनेन्स जारी किये गये थे। ऐसे वक्त पर छूटने से मुझे खुशी हुई और मैं इस बात के लिए उत्सुक था कि जितने दिन आजाद रहूँ कुछ अच्छा और जोरदार काम कर जाऊँ।

उन दिनों कमला इलाहाबाद थी और वह कांग्रेसके काम में जुट पड़ी थी। पिताजी मसूरी में इलाज करा रहे थे और माँ तथा बहनें उनके साथ थीं। कमला को साथ लेकर मसूरी जाने से पहले कोई डेढ़ दिन तक मैं इलाहाबाद में ही मशगूल रहा। उन दिनों हमारे सामने जो बड़ा सवाल था वह यह कि आया देहात में करबन्दी-आन्दोलन शुरू किया जाय या नहीं? लगान-असूली का वक्त नज़दीक आ रहा था और यों भी

लगान वसूल होने में दिक्कत आनेवाली थी; क्योंकि नाज के भाव बुरी तरह गिर गये थे। संसारव्यापी मंदी का प्रभाव हिन्दुस्तान-भर में दिखाई दे रहा था।

लगानबन्दी-आन्दोलन के लिए इससे बढ़कर उपयुक्त अवसर नहीं दिखाई देता था—दोनों तरह से, सविनय भंग-आन्दोलन के सिलसिले में भी और यों स्वतंत्र रूप से भी। यह जाहिरा तौर पर असम्भव था कि जमींदार और काश्तकार उस साल की पैदावार से पूरा-पूरा लगान चुका दें। उन्हें या तो पिछले साल की बचत, अगर कुछ हो तो उसका, या कर्ज का सहारा लिये बिना चारा न था। जमींदार के पास तो यों भी कुछ-न-कुछ सहारा रहता ही है, और उसे कर्ज भी आसानी से मिल सकता है; मगर एक औसत किसान का तो, जो अमूमन भूखा-नंगा और कंगाल होता है, कोई सहारा नहीं होता। किसी भी प्रजातंत्री देश में, या उस जगह जहाँ किसानों का अच्छा संगठन और प्रभाव है, इन परिस्थितियों में, किसानों से ज्यादा वसूल करना असंभव होता। लेकिन भारत में उनका प्रभाव नाममात्र का है—सिवा इसके कि कहीं-कहीं कांग्रेस उनकी हिमायत करती है और उनका साथ देती है। हाँ, एक बात और भी है। सरकार को यह डर जरूर लगा रहता है कि जब किसानों के लिए हालत असहनीय हो जायगी तो वे उठ खड़े होंगे और बुरी तरह उमड़ पड़ेंगे। लेकिन, उन्हें तो युगों से यह तालीम मिलती चली आ रही है कि जो कुछ बिपत आवे उसे बिना चूँ तक किये करम पर हाथ रखकर बरदाश्त करते चले जाओ।

गुजरात तथा दूसरे प्रान्तों में उस समय करबन्दी-आन्दोलन चल रहे थे, लेकिन वे प्रायः सब राजनैतिक स्वरूप के थे और सविनय भंग-आन्दोलन से जुड़े हुए थे। ये वे प्रान्त थे जहाँ रैयतवारी तरीका था और किसानों का ताल्लुक सीधा सरकार से था। उनके लगान न देने का असर तुरंत सीधा सरकार पर पड़ता था। मगर युक्त-प्रान्त की हालत उनसे भिन्न थी। क्योंकि हमारा इलाका जमींदारी और ताल्लुकदारी है और काश्तकार तथा सरकार के बीच एक तीसरी जमात भी है। अगर काश्तकार लगान देना बन्द करदे तो उसका सीधा असर जमींदार पर होता है; इससे वह एक वर्ग का प्रश्न बन जाता है। इधर कांग्रेस कुल मिलाकर एक राष्ट्रीय संस्था है और उसमें कितने छोटे-मोटे तथा कुछ बड़े जमींदार भी शामिल थे। उसके नेता इस बात से बुरी तरह भय खाते थे कि कहीं कोई वर्ग का प्रश्न न बन जाय, या जमींदार लोग न बिगड़ बैठें। इस कारण सविनय भंग शुरू होने से ठेठ छः महीने तक वे देहात में करबन्दी-आन्दोलन शुरू करने से बचते रहे, हालांकि मेरी राय में उसके लिए बहुत ही अनुकूल अवसर था। मैं इस वर्गवाद के सवाल से तो इस तरह या और किसी तरह कतई नहीं घबराता था, लेकिन मैं इतना जरूर महसूस करता था कि कांग्रेस

अपनी मीजूदा हालत में वर्ग-संघर्ष को नहीं अपना सकती। हाँ, वह दोनों से—काश्त-कार और जमींदार दोनों से—कह सकती थी कि लगान मत दो। फिर भी औसत जमींदार बहुत करके मालगुजारी दे देते; लेकिन उस दशा में कुसूर उनका होता।

अक्तूबर में जब मैं जेल से छूटा तो क्या राजनैतिक और क्या आर्थिक दोनों दक्षार्थें मुझे ऐसी मालूम हुईं मानों वे देहात में करबन्दी-आन्दोलन छोड़ देने के लिए पुकार-पुकार के कह रही हों। किसानों की आर्थिक कठिनाइयाँ तो जाहिर ही थीं। राजनैतिक क्षेत्र में, हमारा सविनय भंग-आन्दोलन यद्यपि सब जगह फल-फूल रहा था, तो भी कुछ-कुछ धीमा पड़ गया था। हालाँकि लोग थोड़े-थोड़े करके और कहीं-कहीं बड़े दल बनाकर भी जेल जाते थे, तो भी वातावरण में वह तेजी और गर्मी नहीं दिखाई देती थी। शहर और मध्यम श्रेणी के लोग हड़तालों और जुलूसों से कुछ थक-से गये थे। सरेदस्त यह दिखाई देता था कि कुछ जिदगी डालने की, नया खून लाने की, जरूरत है। किसान-समुदाय के अलावा यह और कहाँ से आ सकता था? और यह सज्जाना तो अभी अखूट भरा पड़ा है। यह फिर जनता का एक आन्दोलन हो जायगा, जिससे जनता के गहरे हितों का सम्बन्ध होगा, और मुझे जो सबसे मार्क की बात मालूम होती थी वह तो यह कि इसके बदौलत समाज-व्यवस्था-संबंधी प्रश्न उठ खड़े होंगे।

उस थोड़े समय में जब मैं इलाहाबाद रहा, हमारे साथियों ने और मैंने इन विषयों पर खूब गौर किया। जल्द ही हमने प्रान्तीय कांग्रेस की कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई और बहुत बहस-मुबाहसे के बाद करबन्दी-आन्दोलन की मंजूरी देदी और हर जिले को उसे शुरू करने का अधिकार दे दिया। हमने खुद सूबे के किसी हिस्से में उसे शुरू नहीं किया, और कार्यकारिणी ने उसे जमींदार और काश्तकार दोनों पर लागू किया, जिससे उसके वर्गवाद-संबंधी प्रश्न बन जाने की सम्भावना न रह जाय। हाँ, यह तो हम जानते ही थे कि इसमें मुख्य सहयोग किसानों की ही तरफ से मिलेगा।

जब इस तरह आगे कदम बढ़ाने की छुट्टी मिल गई, तो हमारे इलाहाबाद जिले ने पहला कदम उठाना चाहा। हमने एक सप्ताह बाद जिले के किसानों का एक सम्मेलन करके इस नये आन्दोलन को आगे ठेलने का निश्चय किया। मेरे मन को इस बात से तसल्ली हुई कि जेल से छूटते ही पहले दिन मैंने ठीक-ठीक काम कर लिया। सम्मेलन के साथ ही मैंने इलाहाबाद में एक बड़ी आम सभा का भी आयोजन किया। इसमें मैंने एक लम्बी तकरीर की। इसी तकरीर पर बाद को मुझे फिर सजा दी गई थी।

इसके बाद १३ अक्टूबर को कमला और मैं तीन दिन के लिए पिताजी से मिलने मसूरी गये। वह कुछ-कुछ अच्छे हो रहे थे और मुझे यह देखकर तसल्ली हुई कि अब उन्होंने करवट बदली है और चंगे हो रहे हैं। वे तीन दिन बड़ी शान्ति और बड़े आनन्द में बीते। मुझे अबतक याद आते हैं। फिर से अपने परिवार के साथ आकर रहना कितना अच्छा लगता था ! मेरी लड़की इंदिरा और मेरी तीन नन्हीं-नन्हीं भानजियाँ भी वहीं थीं। मैं इन बच्चों के साथ खेलता, कभी-कभी हम एक शाही जुलूस बनाकर घर के आस-पास बड़ी शान से घूमते। सबसे छोटी लड़की जो शायद ३-४ साल की थी, हाथ में राष्ट्रीय झण्डा लिये 'झण्डा ऊंचा रहे हमारा' यह झण्डा गान गायी हुई सबके आगे-आगे चलती। पिताजी के साथ मेरे ये तीन दिन बस आखिरी दिन थे, क्योंकि इसके बाद उनकी बीमारी असाध्य हो गई और उन्हें हमसे छीनकर ले ही गई।

पिताजी ने एकाएक इलाहाबाद आने का निश्चय कर लिया—शायद इस अन्देश से कि शीघ्र ही मेरी गिरफ्तारी हो जायगी, या इसलिए कि वह मेरी परिस्थिति को और अच्छी तरह देख सके। १९ को इलाहाबाद में किसान-सम्मेलन होनेवाला था, इसलिए कमला और मैं १७ को मसूरी से चलनेवाले थे। पिताजी ने हमारे जाने के दूसरे दिन, १८ को, और लोगों के साथ रवाना होने की तजवीज की।

कमला और मेरे दोनों के लिए यह यात्रा जरा उत्तेजना-पूर्ण रही। देहरादून में, ज्योंही मैं रवाना होने लगा, ज़ाबता फौददारी की १४४ दफा के मुताबिक़ मुझपर एक नोटिस तामील किया गया। लखनऊ में हम कुछ ही घण्टों के लिए ठहरे थे, कि मालूम हुआ कि वहाँ भी १४४ दफा का एक नोटिस हमारी राह देख रहा है। लेकिन वह तामील न हो सका, क्योंकि भीड़ के कारण पुलिस अफ़सर मुझतक पहुँच नहीं पाया। म्युनिसिपैलिटी की तरफ़ से मुझे एक मानपत्र दिया गया और फिर हम मोटर से इलाहाबाद चले गये। रास्ते में जगह-जगह ठहरकर किसानों की सभाओं में व्याख्यान भी देते जाते थे। इस तरह करते-करते १८ की रात को हम इलाहाबाद पहुँचे।

१९ को सुबह होते ही १४४ दफा का एक और नोटिस मुझे मिला। सरकार मेरे पीछे पड़ी थी, और मैं कुछ घण्टों का ही मेहमान था। मैं उत्सुक था कि गिरफ्तारी के पहले किसान-सम्मेलन में ही आऊँ। इस सम्मेलन को हम खानगी कहते थे और इसमें सिर्फ़ प्रतिनिधियों को ही बुलाया गया था। और ऐसा ही यह था भी। किसी बाहरी आदमी के आने की इजाज़त इसमें न थी। इलाहाबाद ज़िले के बहुत प्रतिनिधि इसमें आये थे, और जहाँतक मुझे याद है उनकी संख्या १६०० के लगभग थी।

सम्मेलन ने बड़े उत्साह के साथ अपने जिलों में करबन्दी शुरू करने का फैसला किया। हाँ, कुछ मुख्य कार्यकर्ताओं को जरूर हिचकिचाहट थी। इस बात में उन्हें कुछ शक था कि कामयाबी होगी या नहीं, क्योंकि किसानों को डराने-दबाने के साधन जमींदारों के पास बहुत थे और सरकार उनकी पीठ पर थी। उन्हें यह भी अन्देश था कि किसान इन सब कठिनाइयों में कर्हातक टिक सकेंगे। लेकिन उन भिन्न-भिन्न श्रेणी के १६०० प्रतिनिधियों के दिलों में, जो वहाँ मौजूद थे, ऐसी कोई हिचक या सन्देह न था, कम-से-कम वहाँ तो दिखाई नहीं देता था। सम्मेलन में मैंने भी एक भाषण किया था। लेकिन मैं नहीं कह सकता कि मैंने १४४ दफा का उल्लंघन किया या नहीं, जो कि मुझपर सांख्यिक सभा में न बोलने के लिए लगाई गई थी।

वहाँ से मैं, पिताजी और घर के दूसरे लोगों को लिवाने के लिए, स्टेशन गया। गाड़ी लेट थी और उनके उतरते ही मैं उन्हें वहीं छोड़कर एक सभा के लिए रवाना हो गया। इसमें शहर और आसपास के देहात के लोग भी आनेवाले थे। ८ बजे के बाद रात को मैं और कमला यके-मांदि सभा से घर लौट रहे थे। मैं पिताजी से बातें करने के लिए उत्सुक हो रहा था, और मैं जानता था कि वह भी भेरी राह देख रहे होंगे; क्योंकि उनके आने के बाद हमें शायद ही बातचीत करने का मौका मिला हो। पर रास्ते में हमारी मोटर रोक ली गई—वहाँ से हमारा घर दिखाई दे रहा था, और मैं गिरफ्तार करके जमना-पार नैनी की अपनी पुरानी बैरक में पहुँचा दिया गया। कमला अकेली आनन्द-भवन गई और उसने पिताजी तथा घर के दूसरे लोगो को इस नई घटना की खबर सुनाई और उघर नी का घण्टा बजते-बजते मैंने फिर उसी नैनी-जेल के फाटक में प्रवेश किया।

युक्तप्रान्त में कर-बन्दी

प्राठ दिन की गैरहाजिरी के बाद मैं फिर तैनी आ गया और सैयदमहमूद, नर्मदाप्रसाद और रणजीत पण्डित के साथ उसी पुरानी बैरक में आ मिला। कुछ दिनों के बाद जेल में ही मेरा मुकदमा चला। मुझपर कई दफायें लगाई गई थीं, जिनका आधार था मेरा वह भाषण जो मैंने अपने छूटने के बाद इलाहाबाद में दिया था। उसीके अलग-अलग हिस्सों को लेकर जुदा-जुदा इलजाम लगाये गये थे। हस्व-मामूल मैंने कोई सफ़ाई पेश नहीं की, सिर्फ़ थोड़े में अपना एक लिखित बयान अदालत में पेश किया। दफ़ा १२४ की रू से राजद्रोह के अपराध में मुझे १८ मास की सख्त कैद और ५००) जुरमाना, १८८२ के नमक-क़ानून के मुताबिक ६ महीने की कैद और १००) जुरमाना तथा १९३० के आर्डिनेन्स ६ के मातहत (मैं भूल गया हूँ कि यह आर्डिनेन्स किस विषय का था) ६ मास कैद और १००) जुरमाना की सजायें दी गईं। पिछली दोनों सजायें एक-साथ चलनेवाली थी, इसलिए कुल मिलाकर मुझे २ साल की कैद हुई और जुरमाना न देने की हालत में ५ महीने और। यह मेरी ५ वीं बार जेल-यात्रा थी।

मेरी फिर से गिरफ्तारी और सजायाबी का सविनय-भंग-आन्दोलन की गति पर कुछ समय के लिए अच्छा ही असर हुआ। उससे उसमें एक नया जीवन और अधिक बल आ गया। इसका अधिकांश श्रेय पिताजी को है। जब कमला से उनको मेरी गिरफ्तारी की खबर मिली तो उन्हें एक दुरा-सा धक्का लगा, मगर फौरन ही उन्होंने अपनी शक्तियों को बटोरा और सामने पड़ी हुई मेज़ को ठोक कर कहा—अब मैंने निश्चय कर लिया है कि इस तरह बीमार बनकर पड़ा नहीं रहूँगा; अब अच्छा होकर एक जर्वांमर्द की तरह काम करूँगा और बीमारी को मुफ्त में अपने पर हावी न होने दूँगा। यह निश्चय तो जर्वांमर्दों का-सा ही था। मगर अफ़सोस है कि उनका यह सारा संकल्प-बल भी उस गहरी बीमारी को, जो उनके शरीर को कुतर-कुतरकर खा रही थी, न दबा पाया। फिर भी, कुछ दिनों तक तो उनके स्वास्थ्य में साफ़-साफ़ तबदीली दिखाई देने लगी—इतनी कि जिसको देखकर लोगों को आश्चर्य होता था। कुछ महीने पहले से, जबसे वह यरवडा गये थे, उनके बलगम में खून आने लगा था। उनके इस निश्चय के बाद ही वह यकायक बन्द हो गया और कुछ दिन तक बिलकुल नहीं दिखाई दिया। इससे उन्हें खुशी हुई थी, और जब वह मुझसे जेल में मिलने आये

तो उन्होंने मुझसे इस बात का जिक्र कुछ फ़लू के साथ किया। लेकिन बदकिस्मती से यह तसल्ली थोड़े ही दिन रही और आगे चलकर बीमारी फिर बढ़ गई और खून ज्यादा निकलदार में आने लगा। इस अवधि में उन्होंने अपने पुराने ही जोश-ख़रोश से काम किया और देशभर में सविनय-भंग-आन्दोलन को एक जोर का सहारा दिया। जगह-जगह के लोगों से वह बातचीत करते और उन्हें ब्यौरेवार हिदायतें भेजते। उन्होंने एक दिन मुकर्रर किया (यह नवम्बर में मेरा जन्मदिन था) जो सारे हिन्दुस्तान में उत्सव के रूप में मनाया जाय और उस दिन मेरे भाषण के वे अंश सभाओं में पढ़े जायें जिनपर मुझे सजा दी गई थी। उस दिन कई जगह लाठी-चाज हुए, जुलूस और सभायें बलपूर्वक तितर-बितर की गईं और यह अन्दाज़ किया गया था कि उस एक दिन सारे देशभर में कोई पाँच हज़ार गिरफ्तारियाँ हुईं। वह अपने ढंग का एक अनोखा जन्मोत्सव था।

बीमार तो वह थे ही, तिसपर यह जिम्मेदारी और उसमें इतनी ज्यादा ताकत का सर्फ होना उनकी तन्दुरुस्ती के लिए बहुत मुज़िब हुआ और मैंने उनसे आग्रह किया कि वह बिलकुल आराम ही करें। मैंने सोचा कि हिन्दुस्तान में तो उनको ऐसा विश्राम मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ उनका दिमाग लड़ाई के उतार-चढ़ाव में लगा रहेगा और लोग उनके पास सलाह-मशवरा लेने के लिए आये बिना न रहेंगे; इसलिए मैंने उन्हें सुझाया कि वह रगून, सिगापुर, और डच-इंडीज की तरफ छोटी-मी समुद्र-यात्रा कर आवे और उन्हे यह विचार पसन्द भी आया था। यह भी तजवीज की गई थी कि कोई डाक्टर मित्र यात्रा में साथ रहे। इस गरज से वह कलकत्ता गये भी, मगर वहाँ उनकी तबीयत और भी खराब होती गई और वह आगे न बढ़ सके। कलकत्ते से बाहर एक स्थान में सात हफ्ते तक रहे। कमला को छोड़कर हमारे घर के सब लोग उनके साथ थे। कमला इलाहाबाद में बहुत अर्से तक काँग्रेस का काम करती रहीं।

मेरी गिरफ्तारी इतनी जल्दी शायद इसलिए हुई कि मैं करबन्दी-आन्दोलन के सिलसिले में काम कर रहा था, मगर सच पूछिए तो मेरी गिरफ्तारी से बढ़कर उस आन्दोलन को बढ़ानेवाली और कोई घटना नहीं हो सकती थी—खासकर उस दिन गिरफ्तारी से जबकि किसान-सम्मेलन खतम ही हुआ था और उसके प्रतिनिधि इलाहाबाद में ही मौजूद थे। इससे उनका उत्साह बहुत बढ़ गया और वे जिले के करीब-करीब हर गाँव में सम्मेलन का फैसला अपने साथ लेते गये। दो-एक दिन में ही जिले-भर में खबर फैल गई कि करबन्दी-आन्दोलन शुरू हो गया है और हर जगह लोग खुशी-खुशी उसमें शरीक होने लगे।

उन दिनों हमारी सबसे बड़ी मुश्किल खबर पहुँचाने की थी—लोगों

को यह बतलाने की कि हम क्या कर रहे हैं और उनसे क्या कराना चाहते हैं। अखबार हमारी खबरों को छापने के लिए तैयार नहीं थे, इस डर से कि सरकार उनको सजा देगी और दबा देगी; छापाखाने हमारे इशतिहार और पत्रिकायें छापने को तैयार नहीं थे; पत्रों और तारों को काट-छांट दिया जाता था और अक्सर रोक भी लिया जाता था। खबरें पहुँचाने का काबिल-इत्मीनान तरीका जो हमारे पास बाक्री था वह यह था कि हम हरकारों के माफ़त अपनी खबरें भेजें। इसमें भी हमारे हरकारों को कभी-कभी गिरफ्तार कर लिया जाता था। यह तरीका खर्चीला था, और इसमें बड़े संगठन की भी जरूरत थी। लेकिन इसमें कुछ सफलता मिली। प्रान्तीय कार्यालय प्रधान कार्यालय के निरन्तर सम्पर्क में रहते थे और अपने खास-खास जिला-केन्द्रों के सम्पर्क में भी। शहरों में कोई खबर फैलाना मुश्किल नहीं था। कई शहरों में गैर-कानूनी खबरें रोज़ाना या हफ्तेवार साइक्लोस्टाइल के जरिये प्रकाशित होती रहती थी और ऐसी खबरों की माँग बहुत रहती थी। आम लोगों में इतिला करने के लिए शहर में डोंडी पिटवाने का भी एक तरीका था। इसमें अक्सर इतिला करनेवाले की गिरफ्तारी हो जाती थी। मगर इसकी कुछ परवा नहीं थी, क्योंकि लोग गिरफ्तारी की तो पसन्द ही करते थे, उससे बचना नहीं चाहते थे। ये सब तरीके शहरों में अनुकूल पड़ते थे, परन्तु गाँवों में आसानी के साथ काम में नहीं लाये जा सकते थे। हरकारों और साइक्लोस्टाइल से छापे हुए इशतिहारों के जरिये से खास-खास गाँवों के केन्द्रों से किसी-न-किसी तरह का ताल्लुक तो रक्खा ही जाता था, परन्तु यह सन्तोष-जनक नहीं था; क्योंकि दूर के गाँवों में हमारी सूचनाओं को पहुँचाने में काफी समय लग जाया करता था।

इलाहाबाद के किसान-सम्मेलन से यह कठिनाई दूर हो गई। जिले के प्रायः हर खास-खास गाँव से डेलीगेट आये थे और जब वे वापस गये तब अपने साथ किसानों से सम्बन्ध रखनेवाले ताज्जा फँसलों और उनके कारण हुई मेरी गिरफ्तारी की खबर को जिले के हरेक हिस्से में ले गये। वे लोग, जिनकी कि तादाद सोलह सौ थी, करबन्दी-आन्दोलन के प्रभावशाली और जोशीले प्रचारक बन गये। इस प्रकार आन्दोलन की प्रारम्भिक सफलता का विश्वास हो गया, और इसमें कोई शक नहीं था कि शुरू में उस प्रदेश के आम किसान लगान देना बन्द कर देंगे, और उस वक़्त तक बिलकुल नहीं देंगे जबतक कि उनको देने के लिए और दबाया-डराया नहीं जायगा। निस्सन्देह कोई नहीं कह सकता था कि ज़मींदारों और अहलकारों की हिसाबूति और भय के बमुक़ाबिले उनकी सहन-शक्ति कितनी टिक सकेगी।

करबन्दी करने की अपील हमने ज़मींदारों और किसानों दोनों से की थी।

सिद्धान्त की दृष्टि से वह अपील किसी एक वर्ग के लिए नहीं थी। मगर अमली रूप में कई जमींदारों ने अपना कर दे दिया और राष्ट्रीय संग्राम के प्रति जितकी सहानु-भूति थी ऐसे भी कई लोगों ने कर दे दिया। उनपर दबाव बहुत भारी था और उनके बहुत नुकसान उठाने की सम्भावना थी। जहाँतक किसानों का सवाल है, वे तो मजबूत रहे। उन्होंने लगान नहीं दिया और इस प्रकार हमारा आन्दोलन एक करबन्दी-आन्दोलन ही हो गया। इलाहाबाद ज़िले से वह संयुक्तप्रान्त के कुछ दूसरे ज़िलों में भी फैल गया। कई ज़िलों में उसको बाज़ान्ता अख्तियार नहीं किया गया न उसका ऐलान किया गया, परन्तु वास्तव में किसानों ने कर देना रोक लिया और कई जगह तो भाव के गिर जाने के कारण वे दे ही नहीं सके। इसपर कई महीनों तक न तो सरकार ने और न बड़े जमींदारों ने उन सरकश किसानों को भयभीत करने के लिए कोई बड़ी कार्रवाई की। उन्हें अपनी कामयाबी पर भरोसा नहीं था; क्योंकि एक तरफ तो सविनय भंग-आन्दोलन के सहित राजनैतिक संग्राम था और दूसरी तरफ आर्थिक मन्दी का प्रबल था, जिससे कि किसान दुःखी थे। इन दोनों कठिनाइयों का समावेश एक-दूसरे में हो गया और सरकार को बराबर यह डर रहा कि कहीं किसानों में कोई तूफान न उठ खड़ा हो। उधर लंदन में गोलमेज़-कान्फ़ेन्स हो रही थी। इसलिए इधर भारतवर्ष में सरकार अपनी तकलीफ़ें नहीं बढ़ाना चाहती थी, और न "जोरदार" हुकूमत का प्रभावशाली प्रदर्शन ही करना चाहती थी।

जहाँतक इस प्रान्त का सम्बन्ध है, करबन्दी-आन्दोलन का एक खास नतीजा दिखाई दिया। इससे हमारे संग्राम का आकर्षण-केन्द्र शहरी प्रदेश से हटकर देहाती प्रदेशों में चला गया, जिससे कि आन्दोलन में नवजीवन आ गया और जिसने उसकी बुनियाद को अधिक व्यापक और मजबूत बना दिया। यद्यपि हमारे शहरी लोग इससे हैरान हो गये और थक गये और हमारे मध्यम-श्रेणी के लोग किसी हदतक हतोत्साह हो गये, परन्तु संयुक्तप्रान्त में आन्दोलन मजबूत था और पहले किसी भी समय किये गये आन्दोलन से मजबूत रहा। शहर से देहात की तरफ परिवर्तन और राजनैतिक से आर्थिक समस्याओं की तरफ परिवर्तन दूसरे प्रान्तों में इतनी हदतक नहीं हुआ और फलतः उनमें शहरों की प्रधानता बनी रही और वे मध्यम-वर्ग के लोगों की थकावट से ज्यादा-से-ज्यादा नुकसान उठाते रहे। बम्बई शहर में भी, जो कि शुरू से अखीर तक आन्दोलन में खूब भाग लेता रहा, कुछ-कुछ निहत्साह फैलने लगा। बम्बई में और दूसरी जगह भी हुकूमत की अवहेलना और गिरफ्तारियाँ भी जारी रही, परन्तु यह सब किसी कदर बनावटी दिखाई देता था। उसका सजीव तत्त्व जाता रहा था। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि जन-समूह को लम्बे समय तक

किसी क्रान्ति की स्थिति में रखना असम्भव है। आम तौर पर तो ऐसी स्थिति कुछ दिनों तक ही टिका करती है, परन्तु सविनय भंग की यह अद्भुत शक्ति है कि जिससे यह कई महीनों तक जारी रहे और उसके पश्चात् भी मन्दगति से अमर्यादित समय तक चलता रह सकता है।

सरकारी दमन बढ़ा। स्थानिक काँग्रेस कमिटियाँ, यूथ-लीग आदि, जोकि अभी-तक आश्चर्य के साथ चलती रही थी, गैर-कानूनी करार दे दी गई और दबा दी गई। जेलों में राजनैतिक कैदियों के साथ ज्यादा बुरा बर्ताव होने लगा। सरकार खास करके इससे चिढ़ गई, कि लोग जेल से छूट जाने के बाद तुरन्त ही फिर जेल में चले जाते थे। सजा के बावजूद भी सत्याग्रहियों को झुकाने में असफल होने के कारण शासकों का हौसला ढीला हो गया। जाहिरा तौर पर जेल-शासन-सम्बन्धी अपराधों के कारण संयुक्तप्रान्त में नवम्बर या दिसम्बर १९३० के शुरू में कुछ राजनैतिक कैदियों को बेंत की सजा दी गई थी। इसकी खबर हमको नैनी-जेल में पहुँची। उससे हम क्षुब्ध हो उठे—तबसे हम हिन्दुस्तान में इसके तथा इससे भी खराब दृश्यों और घटनाओं के आदी हो गये हैं—क्योंकि बेंत लगाना बुरे-से-बुरे और जेल-जीवन के आदी कैदियों के लिए भी मुझे एक अवाञ्छनीय यातना मालूम हुई, और नौजवान कोमल-हृदय बच्चों के लिए और सो भी नाममात्र के नियम-भंग के कुमूर में तो बेंत की सजा को बिलकुल जंगली ही कहना चाहिए। हमारी बैरक के हम चारों ने सरकार को इसकी बाबत लिखा, और जब दो हफ्ते तक उसका कोई जवाब न आया तो हमने इस बेंत लगाने के विरोध में और इस बर्बरता के शिकार होनेवालों के प्रति हमदर्दी में कोई निश्चित कार्रवाई करना तय किया। हमने तीन दिन—७२ घंटे—का पूरा उपवास किया। उपवास के लिहाज से यह कोई बड़ी बात न थी, मगर हमें उपवास का अभ्यास नहीं था और न यही जानते थे कि हम उसमें कितने टिक सकेगे। इससे पहले २४ घंटे से ज्यादा का उपवास मैंने शायद ही कभी किया हो।

हमें उपवास के दिनों में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, और मुझे यह जानकर खुशी हुई कि उसमें वैसी सख्त तकलीफ की कोई बात नहीं थी जैसा कि डर था। मगर एक बेवकूफी मैंने की। उपवास भर मैंने अपनी कड़ी कसरत भी जारी रखी थी; जैसे दौड़ना और हाथ-पैरों को झटके देने की कसरत वगैरा। मैं नहीं समझता कि उससे मुझे कोई ज्यादा फायदा हुआ। खासकर उस हालत में जबकि मेरी तबीयत पहले से ही कुछ अलील थी। इन तीन दिनों में हम सब का वजन ७ से ८ पौण्ड तक घटा। इससे पहले महीने में कोई १५ से २६ पौण्ड तक वजन हम हरेक का घट चुका था सो अलग।

हमारे उपवास के अलावा, बाहर भी, बेंत लगाने के खिलाफ खासा आन्दोलन हो रहा था, और मैं समझता हूँ कि युक्तप्रान्तीय सरकार ने महकमा जेल को ऐसी हिदायतें भेजी थी कि आयन्दा बेंत न लगाये जायें। मगर ये आज्ञायें ज्यादा दिन कायम नहीं रहने की थी और कोई १ साल के बाद युक्तप्रान्त की और दूसरे प्रान्तों की जेलों में बेंतों की सजा फिर दी जाने लगी।

बीच-बीच में यदि ऐसी उन्नेजक घटनाओं से खलल न पड़ा होता तो हमारा जेल-जीवन शान्तिपूर्ण रहता। मौसम अच्छा था और जाड़ा तो इलाहाबाद में बहुत ही मजेदार होता है। रणजीत पण्डित क्या आये, हमारी बैरक को अलभ्य लाभ मिल गया; क्योंकि वह बागवानी बहुत कुछ जानते थे और शीघ्र ही वह हमारा वीरान अहाता फूलो और तरह-तरह के रंगो से गुलज़ार हो गया। उन्होंने तो उस तंग और थोड़ी जगह में छोटे पैमाने पर गोल्फ खेलने की सुविधा भी कर दी थी।

नैनी-जेल में हमारे सिर पर से हवाई-जहाज़ उड़कर जाया करते थे और यह हमारे लिए एक आनन्द और मनोरंजन का विषय हो गया था। पूर्व और पश्चिम को आने-जानेवाले बड़े-बड़े हवाई-जहाज़ो के लिए इलाहाबाद एक खास स्टेशन है और आस्ट्रेलिया, जावा और फेंच इन्डोचायना को जानेवाले बड़े-बड़े जहाज़ सीधे हमारे सिर पर से गुजरा करते थे। उनमें सबसे बड़े और शाही थे डच जहाज़, जो बटेर्विया आते-जाते थे। कभी-कभी इतिफाक से और हमारी खुशकिस्मती से जाड़े में अलस्सुबह, जबकि कुछ-कुछ अधेरा रहता था और तारे चमकते दिखाई देते थे, कोई जहाज़ ऊपर से गुज़रता था। उसमें खूब रोशनी की जगमगाहट रहती थी और उसके दोनों सिरों पर लाल रोशनी होती थी। प्रातःकाल के स्वच्छ नीलाकाश में जब वह जहाज़ ऊपर उडता तो उसका दृश्य बड़ा ही सुन्दर मालूम होता था।

पंडित मदनमोहन मालवीय भी, किसी दूसरी जेल से, नैनी भेज दिये गये थे। वह हमसे अलग दूसरी बैरक में रखे गये थे, लेकिन हम रोज़ उनसे मिलते थे और शायद बाहर की बनिस्वत वहाँ में उनका अधिक परिचय कर पाया। वह बड़े खुश-मिज़ाज साथी थे। जीवनी-शक्ति से भरे-पूरे और हर बात में एक युवक की तरह दिलचस्पी लेनेवाले। रणजीत की सहायता से उन्होंने जर्मन पठना शुरू किया और उस सिलसिले में उन्होंने अपनी विलक्षण स्मरण-शक्ति का परिचय दिया। जब यह बेंतें लगाने की खबर मिली तब वह नैनी में ही थे और यह खबर सुनकर बहुत बिगड़े थे और उन्होंने हमारे सूबे के कार्यवाहक गवर्नर को इसके विषय में लिखा भी था। इसके बाद ही वह बीमार हो गये। जेल की सदीं उन्हें बरदाश्त न हुई। उनकी बीमारी चिन्ताजनक होती गई और वह शहर के अस्पताल में भेज दिये गये और कुछ दिन बाद

मीयाद से पहले ही वहाँ से रिहा कर दिये गये । खुशी की बात है कि अस्पताल जाकर वह चंगे हो गये ।

१ जनवरी १९३१ को, अंग्रेजी साल के नये दिन, कमला की गिरफ्तारी की खबर हमें मिली । मुझे इससे खुशी हुई, क्योंकि वह बहुत दिनों से अपने दूसरे साथियों की तरह जेल जाने को बहुत उत्सुक थी । यों तो अगर वह मर्द होती तो वह और मेरी बहन दोनों तथा और भी दूसरी स्त्रियाँ बहुत पहले ही गिरफ्तार हो गई होती, मगर उस वक्त सरकार जहाँतक हो सकता था स्त्रियों को गिरफ्तार करना टालती थी और इसीसे वह इतने असें तक बच रही और अब जाकर उसके मन की मुराद बर आई । मैंने सोचा, सचमुच उसे कितनी खुशी हुई होगी ! मगर साथ ही मुझे एक खौफ भी हुआ, क्योंकि उसकी तन्दुरुस्ती हमेशा खराब रहती थी और मुझे अंदेश था कि जेल में कहीं उसे बहुत ज्यादा तकलीफ न हो ।

गिरफ्तारी के वक्त एक पत्र-प्रतिनिधि वहाँ मौजूद था और उसने उससे एक संदेश माँगा । उसी क्षण झट से उसने एक छोटा-सा संदेश दिया, जो उसके स्वभाव के अनुकूल ही था—“आज मुझे बेहद खुशी है और मुझे फख्र है कि मैं अपने पति के पद-चिन्हों पर चल सकी हूँ । मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस ऊँचे उठाये झंडे को नीचे न झुकने देंगे ।” मुमकिन था कि अगर वह कुछ सोच पाती तो ऐसा संदेश न देती; क्योंकि वह अपनेको पुरुषों के जुल्मों से स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा करने का बानी-मुबानी समझती थी । लेकिन उस समय हिन्दू म्त्रीत्व के संस्कार उसमें प्रबल हो उठे और उनके प्रवाह में मर्दों के जुल्म न जाने कहीं बह गये ।

पिताजी कलकत्ता थे और उनकी हालत सन्तोषजनक न थी । लेकिन कमला की गिरफ्तारी और सजा के समाचार सुनकर वह बहुत उद्विग्न हो गये और उन्होंने इलाहाबाद लौटना तय किया । फौरन ही मेरी बहन कृष्णा को उन्होंने इलाहाबाद रवाना किया और खुद घर के और लोगों के साथ कुछ दिन बाद चले । १२ जनवरी को वह मुझसे मिलने नैनी आये । मैंने उन्हें कोई दो मास बाद देखा था, और उन्हें देखकर मेरे दिल को जो धक्का लगा उसे मैं मुश्किल से छिपा सका । उनके चेहरे को देखकर मेरे दिल में जो दहशत बैठ गई उससे वह अनजान मालूम हुए; क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि कलकत्ते की बनिस्बत अब तो मैं बहुत अच्छा हूँ । उनके चेहरे पर वरम आ गया था और वह शायद यह समझते थे कि यह तो यों ही आ गया है ।

उनके उस चेहरे का मुझे रह-रहकर खयाल हो आता था । वह किसी तरह उनके चेहरे जैसा न रहा था । अब पहली मर्तबा मेरे दिल में यह डर पैदा हुआ कि उनके लिए खतरा सामने खड़ा है । मैंने हमेशा उनकी कल्पना बल और स्वास्थ्य के

साथ ही की थी और उनके सम्बन्ध में मौत का खयाल कभी मन में नहीं आता था । मौत के खयाल पर वह हमेशा हँस दिया करते थे—उसे हँसी में उड़ा दिया करते थे, और हमसे कहा करते थे कि मैं तो अभी बहुत दिन जीऊँगा । लेकिन इधर बाद में मैं देखता था कि जब कभी कोई उनका जवानी का मित्र मर जाता तब वह अपनेको अकेला-सा, अटपटे साधियों और लोगों में छूट गया-सा और मृत्यु के आने का इशारा-सा होता हुआ अनुभव करते थे । लेकिन आम तौर पर यह भाव आकर चला जाता था और उनकी ओत-प्रोत जीवनी-शक्ति अपना जोर जमाती । हम परिवार के लोग उनके इस बहु-सम्पन्न व्यक्तित्व के और उनके सर्वव्यापी उत्साह-प्रद स्नेह-मान के इतने अभ्यस्त हो गये थे कि उनके बिना दुनिया की कल्पना करना हमारे लिए कठिन था ।

उनके चेहरे को देखकर मुझे बड़ा दुःख हुआ और मेरे मन में तरह-तरह की आशंकाये छा गई । ताहम मुझे यह खयाल नहीं हुआ था कि खतरा इतना नजदीक आ पहुँचा है । ठीक उन्हीं दिनों, पता नहीं क्यों, खुद मेरी भी तन्दुरुस्ती अच्छी नहीं रहती थी ।

पहली गोलमेज-कान्फ्रेंस के वे आखिरी दिन थे और उसके अन्तिम इशारे और हाव-भाव हमारे मनोरंजन का विषय बन गये थे, और मुझे कहना होगा कि उस मनोरंजन में कुछ हिंकारत का भाव भी था । वहाँ के भाषण और लंबी-चौड़ी बातें और वादविवाद हमें अवास्तविक और व्यर्थ मालूम होते थे; पर हँ, एक वास्तविकता साफ दिखाई गइती थी—वह यह कि देश की कठिन परीक्षा के अवसर पर और जब-कि हमारे भाइयों और बहनों ने अपने आचरण से सबको इतना आश्चर्य में डाल दिया तब भी हमारे देश में ऐसे लोग थे जो हमारे संग्राम की अवहेलना करते थे और हमारे विपक्षियों की तरफ अपना नैतिक बल लगाते थे । यह बात हमें पहले से भी ज्यादा साफ़ नज़र आ गई कि राष्ट्रीयता की धोखे की टट्टी में विरोधी आधिक हित अपना काम कर रहे हैं और किस तरह स्थापित स्वार्थ उसी राष्ट्र-धर्म के नाम पर भविष्य के लिए अपनी रक्षा करने की चेष्टा कर रहे हैं । गोलमेज-कान्फ्रेंस इन स्थापित स्वार्थों के प्रतिनिधियों का ही एक सम्मेलन था । उनमें से कितनों ही ने हमारे संग्राम का विरोध किया था, कुछ खामोश होकर एक तरफ़ खड़े देखते थे—हाँ, समय-समय पर हमें इस बात की याद भी दिलाया करते थे कि “जो खड़े होकर इन्तज़ार करते हैं वे एक तरह की सेवा ही करते हैं ।” लेकिन ज्योंही लन्दन से डोर हिली इस इन्तज़ारी का यकायक अन्त आ गया और वे अपने विशेष हितों की रक्षा के लिए और जो कुछ टुकड़े और मिल सकते हैं उनमें हिस्सा बाँटने के लिए एक के बाद एक दौड़ पड़े । लन्दन में यह जमीयत और भी जल्दी इसलिए की गई कि काँग्रेस

तेजी के साथ बायें पक्ष की ओर जा रही थी और उसपर जनता का अधिकाधिक प्रभाव पड़ता जा रहा था। यह सोचा गया कि अगर भारत में आमूल राजनैतिक परिवर्तन का दौर आ गया तो इसके मानी होंगे जनता की भिन्न-भिन्न शक्तियों या अंशों का प्राधान्य हो जाना, या कम-से-कम महत्वपूर्ण बन बैठना। और ये लाजिमी तौर पर आमूल सामाजिक परिवर्तन पर जोर देंगे और इस तरह स्थापित स्वार्थों को धक्का पहुँचा जावेंगे। हिन्दुस्तानी स्थापित स्वार्थवाले इस आनेवाली आफत को देखकर सहम गये और इसके कारण उन्होंने दूरगामी राजनैतिक परिवर्तनों का विरोध किया। उन्होंने चाहा कि ब्रिटिश लोग यहाँ वर्तमान सामाजिक ढाँचे को और स्थापित स्वार्थों को कायम रखने के लिए अन्तिम निर्णायक-शक्ति के तौर पर कायम रहें। औपनिवेशिक पद पर जो इतना जोर दिया गया उसके मूल में यही धारणा काम कर रही थी। एक दफा तो एक मशहूर हिन्दुस्तानी लिबरल नेता मुसपर इस बात के लिए बिगड़ पड़े थे कि मैंने ग्रेट ब्रिटेन के साथ होनेवाले समझौते के अंग-रूप ब्रिटिश फौज के हिन्दुस्तान से तुरन्त हटा दिये जाने और उसकी जगह हिन्दुस्तानी फौज के लोकतन्त्र के मातहत कर दिये जाने पर जोर दिया था। वह तो यहाँ तक आगे बढ़ गये थे कि बोले—“अगर ब्रिटिश सरकार इस बात पर रजामंद हो भी जाय तो मैं अपनी पूरी ताकत से इसका विरोध करूँगा”। किसी भी तरह की क्रोमी आजादी के लिए यह माँग बहुत जरूरी थी। फिर भी उन्होंने इसका जो विरोध किया वह इसलिए नहीं कि मौजूदा हालत में वह पूरी नहीं की जा सकती थी, बल्कि इसलिए कि वह अवाञ्छनीय समझी गई। इसका आशिक कारण तो शायद यह डर हो कि बाहरी शक्तियाँ हमारे देश पर धावा बोल देगी, और वह समझते थे कि ब्रिटिश फौज उस समय हमारी रक्षा के काम आवेगी ! मगर ऐसे किसी हमले की सम्भावना हो या न हो, इसके अलावा भी किसी भी जानदार हिन्दुस्तानी के लिए यह खयाल ही कितना जलील करनेवाला है कि वह किसी बाहरी आदमी से अपनी रक्षा करने के लिए कहे। मगर अँग्रेजों की सबल बाहु को हिन्दुस्तान में कायम रखने की ख्वाहिश की तह में असली बात यह नहीं थी। अँग्रेजों की जरूरत तो समझी गई थी खुद हिन्दुस्तानियों से, लोकतन्त्र से और जनता की आगे बढ़ती हुई लहर के प्रभाव से, हिन्दुस्तानी स्थापित स्वार्थों की रक्षा के लिए।

इसलिए गोलमेज के प्रसिद्ध प्रतिगामी और साम्प्रदायिक ही नहीं बल्कि वे प्रतिनिधि भी जो अपनेको उन्नतिशील और राष्ट्रवादी कहते थे, आपस में तथा ब्रिटिश सरकार के और अपने बीच अपने समान-हित की बहुत बातें पाते थे। राष्ट्रधर्म सचमुच हमें बहुत व्यापक और भिन्न-भिन्न अर्थ रखनेवाला शब्द मालूम हुआ—

एक तरफ उसमें जहाँ वे लोग शामिल थे जो आजादी की लड़ाई में जूझते हुए जेल गये थे, तो दूसरी तरफ उसमें उन लोगों का भी समावेश होता था जो हमें जेल भेजनेवालों से हाथ मिलाते थे, उनकी क्रतार में खड़े होते थे और उनके साथ बैठकर एक कार्य-नीति बनाने का आयोजन करते थे। एक दूसरे लोग भी हमारे देश में थे—बहादुर राष्ट्रवादी, जो धारा-प्रवाह व्याख्यान झाड़ते थे, जो हर तरह से स्वदेशी-आन्दोलन को बढ़ावा देते थे। वे हमसे कहते थे कि इसीमें स्वराज का सार छिपा हुआ है। इसलिए क्रूरबानी करके भी स्वदेशी को अपनाओ; और तक्रदीर से इस आन्दोलन की बदौलत उन्हें कुछ त्याग नहीं करना पड़ा। उलटा उनकी तिज्जारत और मुनाफ़ा बढ़ गया। और जब एक तरफ कितने ही लोग जेल गये और लाठी-प्रहार का मुकाबिला किया, तो दूसरी तरफ वे अपनी दुकानों में बैठ-बैठकर रुपये गिन रहे थे। बाद को जब राष्ट्रवाद ने ज़रा उग्र रूप धारण किया और उसमें ज्यादा जोखिम दिखाई दी तो उन्होंने अपने भाषणों का स्वर नीचा कर दिया, गरम दलवालों को बुरा कहने लगे और मुखालिफ़ों के साथ राज़ीनामे और ठहराव कर लिये।

हमें सचमुच इसका कुछ खयाल या परवा नहीं थी कि गोलमेज़-कान्फ़ेन्स ने क्या किया। वह हमसे बहुत दूर, अवास्तविक और खोखली थी और लड़ाई यहाँ हमारे कस्बों और गाँवों में हो रही थी। हमें इस बात में कोई भ्रम नहीं था कि हमारी लड़ाई जल्द ही खत्म हो जायगी, या खतरा सामने खड़ा है, मगर फिर भी १९३० की घटनाओं ने हमें अपने राष्ट्रीय बल और दमखम का इत्मीनान करा दिया और उस इत्मीनान के भरोसे हमने भावी का मुकाबिला किया।

दिसम्बर या जनवरी के शुरू की एक घटना से हमें बहुत दुःख पहुँचा। श्री श्रीनिवास शास्त्री ने एडिनबरो (जहाँ मैं समझता हूँ कि उन्हें 'फ़ीडम आफ दि सिटी' उपाधि प्रदान की गई थी) के अपने एक भाषण में उन लोगों के प्रति नफरत के भाव जाहिर किये जो सचिनय भंग-आन्दोलन के सिलसिले में जेल जा रहे थे। उस भाषण ने और खासकर जिस मौके पर वह दिया गया उसने हमारे दिलों को जलमी कर दिया। क्यों-कि यद्यपि राजनीति में शास्त्रीजी से हमारा बहुत मतभेद था, तोभी हम उनकी इज्जत करते थे।

रैम्जे मैकडानल्ड साहब ने, सदा की तरह, एक सद्भावपूर्ण भाषण के द्वारा गोलमेज़-कान्फ़ेन्स का उपसंहार किया। उसमें काँग्रेसियों से ऐसी अपील की हुई दिखाई दी कि वे बुरे मार्ग को छोड़ दें और भले आदमियों की टोली में मिल जायें। ठीक इसी समय—१९३१ की जनवरी के मध्य में—इलाहाबाद में काँग्रेस की कार्य-समिति की एक बैठक हुई और दूसरी बातों के साथ-साथ इस भाषण और उसमें की गई

अपील पर भी विचार किया गया। उस वक्त मैं नैनी-जेल में था और रिहा होने पर मैंने उसकी कार्रवाई का हाल सुना। पिताजी हाल ही कलकत्ते से लौटे थे और हालाँकि वह बहुत बीमार थे तो भी उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि उनकी रोगशय्या के पास ही मेंबर लोग आकर चर्चा करें। किसीने यह सुझाया कि मि० मैकडानल्ड की अपील के जवाब में हमारी तरफ से भी कोई इशारा किया जाय और सविनय भंग कुछ ढीला कर लिया जाय। इससे पिताजी बहुत उत्तेजित हो गये, अपने बिछौने पर उठ बैठे और कहा कि मैं तबतक समझौता न करूँगा जबतक कि राष्ट्रीय ध्येय प्राप्त नहीं हो जाता और अगर मैं अकेला ही रह गया तो भी मैं लड़ाई जारी रखूँगा। यह उत्तेजना उनके लिए बहुत बुरी थी। उनका तापमान बढ़ गया। आखिर डाक्टरों ने किसी तरह उन्हें राखी करके मेहमानों को वहाँ से हटाकर उन्हें अकेला रहने दिया।

बहुत कुछ उन्हींके आग्रह से कार्य-समिति ने एक ऐसा प्रस्ताव पास किया था, जिसके अनुसार समझौता नहीं हो सकता था। उसके अखबारों में छपने के पहले ही सर तेजबहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री का एक तार पिताजी को मिला, जिसमें उनकी मार्फत कांग्रेस से यह दरखवास्त की गई थी कि वह इस विषय पर तबतक कोई फैसला न करे जबतक कि उन्हें बात-चीत करने का एक मौका न दिया जाय। वे लन्दन से बिदा हो चुके थे। उन्हें इस आशय का जवाब दिया गया कि कार्य-समिति ने एक प्रस्ताव तो पास कर दिया है, लेकिन जबतक आप दोनों यहाँ न आ जायेंगे और आपसे बात-चीत न हो जायगी तबतक वह प्रकाशित न किया जायगा।

बाहर यह जो कुछ हो रहा था उसका हमें जेल में कुछ पता न था। हम इतना ही जानते थे कि कुछ होनेवाला है और इससे हम कुछ चिन्तित हो गये थे। हमें जिस बात का सबसे अधिक खयाल था, वह तो था २६ जनवरी के स्वतंत्रता-दिवस का प्रथम वार्षिकोत्सव, और हम सोचते थे कि देखें यह किस तरह मनाया जाता है। बाद को हमने सुना कि वह सारे देश में मनाया गया। सभायें की गईं और उनमें स्वाधीनता के प्रस्ताव का समर्थन किया गया और सब जगह वह एकसा पास किया गया, जिसे 'स्मारक प्रस्ताव' कहा जाता था। इस उत्सव का संगठन एक तरह की करामात ही थी। क्योंकि न तो अखबार न छापेखाने ही सहायता करते थे न तार व डाक से ही काम लिया जा सकता था। लेकिन फिर भी एक ही प्रस्ताव अपनी-अपनी प्रान्तीय भाषा में, कई बड़ी-बड़ी सभायें करके, करीब-करीब एक ही समय देशभर में, क्या देहात और क्या कस्बे सब जगह, पास किये गये। बहुतेरी सभायें तो कानून की अवहेलना करके की गईं और पुलिस के द्वारा बलपूर्वक तितर-बितर की गई थीं।

१. यह प्रस्ताव परिशिष्ट नं० ३ में दिया गया है।

२६ जनवरी ने हमको नैनी-जेल में गुजिस्ता साल का सिंहावलोकन करते हुए और आगामी वर्ष को आशा की दृष्टि से देखते हुए पाया । इतने ही में दोपहर को एकाएक मुझे कहा गया कि पिताजी की हालत बहुत नाजुक हो गई है और मुझे फौरन घर जाना होगा । पूछने पर पता चला कि मैं रिहा किया जा रहा हूँ । रणजीत भी मेरे साथ थे ।

उस शाम को हिन्दुस्तान की कितनी ही जेलों से बहुत-से दूसरे लोग भी छोड़े गये । ये लोग थे कार्य-समिति के मूल और स्थानापन्न सदस्य । सरकार हमें आपस में मिलकर हालात पर गौर करने का मौका देना चाहती थी । इसलिए, मैं उसी शाम को हर हालत में छूट जाता । पिताजी की तबीयत की वजह से कुछ घण्टे पहले रिहाई हो गई । २६ दिन का जेल-जीवन बिताकर कमला भी उसी दिन लखनऊ-जेल से छोड़ दी गई । वह भी कार्य-समिति की एक स्थानापन्न मेबर थी ।

पिताजी का देहान्त

पिताजी को मैंने दो हफ्ते बाद देखा । १२ जनवरी को नैनी में जब वह मिलने आये थे तब उनका चेहरा देखकर मेरे दिल को एक धक्का लगा था । तबसे अब उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी और उनके चेहरे पर ज्यादा बरम आ गया था । बोलने में कुछ तकलीफ़ होती थी और दिमाग पर पूरा-पूरा काबू नहीं रहा था; लेकिन फिर भी उनकी संकल्प-शक्ति वैसे ही कायम रही थी और वह उनके शरीर और दिमाग को काम करने में ताकत देती रही ।

मुझे और रणजीत को देखकर वह खुश हुए । एक या दो रोज़ बाद रणजीत (वह कार्य-समिति के सदस्यों की श्रेणी में नहीं आते थे इसलिए) वापस नैनी भेज दिये गये । इससे पिताजी को बहुत बुरा मालूम हुआ और वह बार-बार उनको याद करते थे और शिकायत करते थे, कि जब इतने सारे लोग मुझसे दूर-दूर से मिलने आते हैं तब मेरा दामाद ही मुझसे दूर रक्खा जाता है ! उनके इस आग्रह से डॉक्टर लोग चिन्तित थे और यह जाहिर था कि उससे पिताजी को कोई फायदा नहीं हो रहा था । ३ या ४ दिन बाद, मैं समझता हूँ डॉक्टरों के कहने से, युक्त-प्रान्त की सरकार ने रणजीत को छोड़ दिया ।

२६ जनवरी को, उसी दिन जिस दिन मैं छोड़ा गया, गांधीजी भी यरवडा-जेल से रिहा कर दिये गये । मैं उत्सुक था कि वह इलाहाबाद आवे, और जब मैंने उनके छूटने की खबर पिताजी को दी तो मैंने देखा कि वह उनसे मिलने के लिए आतुर थे । एक जबरदस्त जन-समूह के द्वारा, जैसा कि बम्बई में पहले कभी नहीं देखा गया, स्वागत हो जाने के बाद दूसरे ही दिन गांधीजी बम्बई से चल पड़े । वह इलाहाबाद गत को देर से पहुँचे । लेकिन पिताजी उनसे मिलने की इन्तज़ारी में जग रहे थे, और उनके आने से और उनके कुछ शब्द सुनने से पिताजी को बड़ी शान्ति मिली । उनके आने से मेरी माँ को भी बहुत शान्ति और तसल्ली रही ।

अब कार्य-समिति के जो मूल और स्थानापन्न मेम्बर रिहा किये गये थे, वे इस बीच में असमंजस में पड़े हुए मीटिंग के लिए सूचनाओं का इन्तज़ार कर रहे थे । कितने ही लोग पिताजी की बाबत चिन्तित थे और तुरन्त ही इलाहाबाद आ जाना चाहते थे । इसलिए यह तय हुआ कि उन सबको फ़ौरन मीटिंग के लिए इलाहाबाद बुला लिया जाय । दो दिन के बाद ३० या ४० लोग आ गये और हमारे मकान के

पास ही स्वराज-भवन में उनकी मीटिंगें होने लगी। कभी-कभी मैं इन मीटिंगों में चला जाता था। लेकिन मैं अपनी चिन्ताओं में इतना मुक्तिला रहता था कि उनमें कोई उपयोगी हिस्सा नहीं लेता था और इस समय मुझे कुछ याद नहीं है कि वहाँ क्या-क्या निर्णय हुए थे। मेरा खयाल है कि वे सविनय-भंग-आन्दोलन को जारी रखने के हक में हुए थे।

ये मित्र और साथी लोग, जिनमें से बहुतेरे तो हाल ही जेल से छूटे थे और फिर शीघ्र ही जेल जाने की आशा लगाये बैठे थे, पिताजी से मिलना चाहते थे और उनके अन्तिम दर्शन करके अन्तिम बिदा लेना चाहते थे। सुबह-शाम उनमें से दो-तीन आते और पिताजी अपने इन पुराने साथियों का स्वागत करने के लिए आराम-कुर्सी पर बैठने का आग्रह करते थे। उनका डीलडौल तो बड़ा मगर चेहरा भाव-शून्य दिखाई देता था; क्योंकि वरम आ जाने के कारण चेहरे पर भाव प्रकट नहीं हो पाते थे। लेकिन जैसे-जैसे एक के बाद एक साथी आते और जाते थे, तैसे-तैसे उन्हें पहचान-पहचानकर उनकी आँखों में चमक आ जाती थी। उनका सिर कुछ झुकता जाता था और नमस्कार के लिए हाथ जुड़ जाते थे। हालाँकि वह ज्यादा नहीं बोल सकते थे, कभी-कभी कुछ शब्द बोलते थे, मगर फिर भी उनका पुराना हँसी-मजाक कायम था। वह एक बूढ़े शेर की तरह, जिसका शरीर बुरी तरह जर्म्मी हो गया हो और जिसकी ताकत शरीर से करीब-करीब चली गई हो, बंटे थे, लेकिन उस हालत में भी उनकी शान तो सिहों या राजाओं जैसी ही थी। जब-जब मैं उनकी तरफ़ देखता, तो मैं सोचता कि उनके दिमाग में क्या-क्या खयाल आते होंगे? क्या वह हम लोगों के काम-काज में दिलचस्पी लेने की हालत में नहीं रहे हैं? यह साफ़ मालूम होता था कि वह अक्सर अपने-आपसे लड़ते थे। चीजें उनकी पकड़ से निकलना चाहती थी और वह उनपर क़ाबू पाने की कोशिश करते थे। अस्त्रीर तक यह लड़ाई जारी रही। मगर वह हारे नहीं। जब-जब बड़ी ही स्पष्टता के साथ हमसे बातें करते थे—यहाँ तक कि जब गले की सिकुड़न से उनके मुँह से शब्द निकलना मुश्किल हो गया था तो वह कागज पर लिख-लिखकर अपना आशय जाहिर करते थे।

कार्य-समिति की बैठकों में, जोकि हमारे पड़ोस में ही हो रही थीं, उन्होंने, कहना चाहिए कि, कुछ भी दिलचस्पी नहीं ली। १५ रोज़ पहले इनसे उनका उत्साह ज़रूर बढ़ा होता, मगर अब शायद उन्होंने महसूस किया कि अब वह उससे बहुत दूर निकल गये हैं। उन्होंने गांधीजी से कहा—“महात्माजी! मैं जल्दी ही चला जानेवाला हूँ, स्वराज देखने के लिए ज़िन्दा नहीं रहूँगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि आपने स्वराज फ़तह कर लिया है और जल्दी ही उसे पा लेंगे।”

जो दूसरे शहरों और सूबों से लोग आये थे उनमें से बहुतेरे चले गये। गांधीजी रह गये। कुछ और घनिष्ठ मित्र, करीबी रिश्तेदार और तीन नामी डाक्टर भी, जो उनके पुराने मित्र थे और जिनको वह कहा करते थे कि मैंने अपना शरीर आपके हाथ में महफूज रखने के लिए सौंप दिया है। वे थे डाक्टर अन्सारी, विधानचन्द्र राय और जीवराज मेहता। ४ फरवरी को उनकी हालत कुछ अच्छी दिखाई पड़ी और इसलिए यह तय किया कि उससे फायदा उठाकर उन्हें लखनऊ ले जाया जाय, जहाँ कि डीप एक्स-रे द्वारा इलाज की सुविधायें हैं। उसी दिन उन्हें हम मोटर से ले गये। गांधीजी और कुछ और लोग भी साथ गये। हम गये तो धीरे-धीरे, लेकिन फिर भी वह बहुत थक गये। दूसरे दिन थकावट दूर होती हुई मालूम हुई। लेकिन फिर भी कुछ चिन्ताजनक लक्षण दिखाई पड़ते थे। दूसरे दिन सुबह यानी छः फरवरी को मैं उनके बिछौने के पास बैठा हुआ उन्हें देख रहा था। रात उनकी तकलीफ और बेचैनी में बीती थी। यकायक मैंने देखा, उनका चेहरा शान्त हो गया और लड़ने की शक्ति खत्म हो गई। मैंने समझा कि उन्हें नीद लग गई है और इससे मुझे खुशी भी हुई। मगर मां की निगाह तेज थी। वह रो पड़ी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि उन्हें नीद लग गई है, वह जाग जायेंगे। मगर वह नीद उनकी आखिरी नीद थी और उसके बाद फिर जगना नहीं हो सकता था।

उसी दिन हम उनके शव को मोटर से इलाहाबाद लाये। मैं उसके साथ बैठा। रणजीत हाँक रहे थे और पिताजी का पुराना नौकर हरि भी साथ था। उसके पीछे दूसरी मोटर थी जिसमें माँ और गांधीजी थे और उसके बाद दूसरी मोटरें थीं। मैं दिनभर भौंचक्का-सा रहा। यह अनुभव करना मुश्किल था कि क्या घटना हुई है और एक के बाद एक हुई घटनाओं और बड़ी-बड़ी भीड़ों के कारण मैं कुछ मोच ही न सका। इत्तिला मिलते ही लखनऊ में बड़ी भीड़ जमा हो गई। वहाँ से शव को लेकर इलाहाबाद आये। शव हमारे राष्ट्रीय झंडे में लपेटा हुआ था और ऊपर एक बड़ा झंडा फहरा रहा था। मीलों तक ज़बरदस्त भीड़ उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करने जमा हुई थी। घर पर कुछ अंतिम विधियाँ की गईं और फिर गंगा-यात्रा को चले। ज़बरदस्त भीड़ साथ थी। जाड़े के दिन थे। संध्या की किरणें गंगा-तट पर छिटक रही थीं। और चिता की ऊँची-ऊँची लपटों ने उस शरीर को खाक कर दिया, जिसका हमारे लिए और उनके इष्ट मित्रों के लिए और हिन्दुस्तान के लाखों लोगों के लिए इतना मूल्य और महत्व था। गांधीजी ने लोगों को कुछ हृदयस्पर्शी शब्द सुनाये और फिर हम सब लोग चुपचाप घर चले आये। जब हम उदास और मुनसान होकर लौट रहे थे, तब आकाश में तारे तेज़ी से चमक रहे थे।

माँ को और मुझे हजारों सहानुभूति के संदेश मिले। लार्ड और लेडी अर्विन ने भी माँ को एक सौजन्यपूर्ण संदेश भेजा। इस बहुत भारी सद्भावना और सहानुभूति ने हमारे दुःख और शोक की तीव्रता को कम कर दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा और आश्चर्य-जनक शान्ति और तसल्ली तो मिली गांधीजी के वहाँ मौजूद रहने से, जिसने कि माँ को और हम सब लोगों को हमारे जीवन के उस विपत्तकाल का सामना करने का बल दिया।

मेरे लिए यह अनुभव करना मुश्किल था कि पिताजी अब नहीं हैं। तीन महीने बाद मैं, अपनी पत्नी और लड़की सहित, लंका गया था। हम लोग वहाँ नुवारा एलीया में शान्ति और आराम से कुछ दिन गुज़ार रहे थे। वह जगह मुझे बहुत पसन्द आई और मुझे एकाएक खयाल हुआ कि पिताजी को यह जगह जरूर माफिक होगी। तो उन्हें यहाँ क्यों न बुला लूँ? वह बहुत थक गये होंगे और यहाँ आराम से उनको जरूर फायदा होगा। मैंने उन्हें इलाहाबाद तार देने की तैयारी करली थी।

लंका से इलाहाबाद लौटते समय डाक से मुझे एक अजीब चिट्ठी मिली। लिफाफे पर पिताजी के हस्ताक्षर से पता लिखा हुआ था और उसपर न जाने कितने निशान और डाकखानों की मोहरें लगी हुई थी। मैंने उसे खोला तो देखकर आश्चर्य हुआ कि वह सचमुच पिताजी का लिखा हुआ था, लेकिन तारीख उसपर पडी थी २८ फ़रवरी सन् १९२६ की। वह मुझे १९३१ की गर्मियों में दिया गया था। इस तरह वह कोई साढ़े पाँच साल तक इधर-उधर सफ़र करता रहा। १९२६ में मैं जब कमला के साथ योरप रवाना हुआ तब पिताजी ने अहमदाबाद से वह खत लिखा था। इटालियन लॉयड स्टीमर के पते पर, जिससे कि मैं यात्रा करनेवाला था, वह बम्बई भेजा गया था। यह साफ है कि वह उस वक्त मुझे नहीं मिला और बहुतेरे स्थानों में भ्रमण करता रहा और शायद कितने ही डाकघरों में हवा खाता रहा। अन्त को किसी मनचले आदमी ने उसे मुझे भेज दिया। कैसा अजीब संयोग है कि वह बिदाई का पत्र था !



दिल्ली का समझौता

जिस दिन और जिस वक्त मेरे पिताजी की मृत्यु हुई उसी दिन और प्रायः उसी समय बम्बई में गोलमेज़-कान्फ़ेन्स के कुछ हिन्दुस्तानी मेम्बर जहाज़ से उतरे। श्री श्रीनिवास शास्त्री और सर तेजबहादुर सप्रू और शायद दूसरे कुछ लोग, जिनका खयाल अब मुझे नहीं है, सीधे इलाहाबाद आये। गांधीजी तथा कार्य-समिति के कुछ और सदस्य वहाँ पहले ही मौजूद थे। हमारे मकान पर खानगी मीटिंगें हुईं, जिनमें यह बताया गया कि गोलमेज़-कान्फ़ेन्स में क्या-क्या हुआ ? मगर शुरू में ही एक छोटी-सी घटना हुई। श्री श्रीनिवास शास्त्री ने खुद-बखुद अपने एडिनबरोवाले भाषण के सम्बन्ध में खेद प्रकट किया। उन्होंने यह भी कहा कि अपने आसपास के वातावरण का मुझपर हमेशा असर हो जाता है और मैं अत्युक्ति और शब्दाडम्बर में बह जाता हूँ।

इन प्रतिनिधियों ने हमें गोलमेज़-कान्फ़ेन्स के सम्बन्ध में ऐसी कोई मार्क की बात नहीं कही, जिसे हम पहले से नहीं जानते हों। हाँ, उन्होंने यह अलवत्ते बताया कि वहाँ परदे के पीछे कैसी-कैसी साजिशें हुईं, और फ़लां 'लार्ड' या फ़लां 'सर' ने खानगी में क्या-क्या किया। हमारे हिन्दुस्तानी लिबरल दोस्त हमेशा सिद्धान्तों की और हिन्दुस्तान की परिस्थिति की वास्तविकताओं की बनिस्बत इस बात को ज्यादा महत्व देते हुए दिखाई देते हैं कि बड़े अफ़सरों ने खानगी बातचीत में या गप-शप में क्या-क्या कहा। लिबरल नेताओं के साथ हमारी जो कुछ बातचीत हुई, उसका कोई नतीजा न निकला। हमारी पिछली राय ही और मज़बूत हो गई कि गोलमेज़-कान्फ़ेन्स के निर्णयों की कुछ भी वक़्त नहीं है। किसीने सुझाया—मैं उनका नाम भूल गया हूँ—कि गांधीजी वाइसराय को मुलाक़ात के लिए लिखें और उनके साथ खुलकर बातचीत कर लें। वह इसपर रजामन्द हो गये। हालांकि मैं नहीं समझता कि उन्होंने फल-प्राप्ति की कोई आशा की हो। मगर अपने उसूल को सामने रखते हुए वह हमेशा मुखालिफ़ों के साथ, कुछ क़दम आगे जाकर भी, मिलने और बातचीत करने को तैयार रहते हैं। उन्हें चूँकि अपने पक्ष की सत्यता का पूरा विश्वास रहता है, इसलिए वह दूसरे पक्ष के लोगों को भी कायल करने की आशा रखते थे। मगर जो वह चाहते थे वह बौद्धिक विश्वास से शायद कुछ ज्यादा था। वह हमेशा मानसिक परिवर्तन की कोशिश करते हैं। राग-द्वेष के बन्धनों को तोड़कर दूसरे की सदिच्छा और उच्च-भावनाओं तक

पहुँचने की कोशिश करते हैं। वह जानते थे कि यदि यह परिवर्तन हो गया तो विश्वास का आना आसान हो जायगा, या अगर विश्वास न भी आ सका तो विरोध ढीला हो जायगा और संघर्ष की तीव्रता कम हो जायगी। अपने व्यक्तिगत व्यवहारों में अपने विरोधियों पर उन्होंने इस तरह की बहुतेरी विजय प्राप्त की है, और यह ध्यान देने योग्य बात है कि वह महज अपने व्यक्तित्व के जोर पर किसी विरोधी को कैसे अपनी तरफ कर लेते हैं। कितने ही आलोचक और निन्दक उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके प्रशंसक बन गये, और हालांकि वह नुकताचीनी करते रहते हैं, मगर उसमें कही उपहास या खिल्ली उड़ाने का नामोनिशान नहीं रहता।

चूँकि गांधीजी को अपने सामर्थ्य का पता है, वह हमेशा उन लोगों से मिलना पसन्द करते हैं जो उनसे मत-भेद रखने हैं। मगर किसी व्यक्तिगत या छोटे मामलों में व्यक्तियों से व्यवहार करना एक बात है और ब्रिटिश-सरकार जैसी, जो विजयी साम्राज्यवाद की प्रतिनिधि है, अमूर्त वस्तु से व्यवहार करना बिल्कुल दूसरी बात है; इस बात को जानते हुए, गांधीजी कोई बड़ी आशा लेकर लार्ड अविन से मिलने नहीं गये थे। सविनय भंग-आन्दोलन अब भी चल रहा था। मगर वह ढीला पड़ गया था; क्योंकि उधर सरकार से 'सुलह' करने की बातों का बड़ा जोर था।

बातचीत का इन्तजाम फौरन हो गया और गांधीजी दिल्ली रवाना हुए। हमसे कहते गये कि अगर वाइसराय से कामचलाऊ समझौते के बारे में कोई बातचीत संजीदा तौर पर हुई तो मैं कार्य समिति के मेम्बरो को बुला लूँगा। कुछ ही दिनों बाद हमें दिल्ली का बुलावा आया। तीन हफ्ते तक वहाँ रहे। रोज मिलते और लम्बी-लम्बी बहस करते-करते थक जाते। गांधीजी कई बार लार्ड अविन से मिले। मगर कभी-कभी बीच में तीन-चार रोज खाली भी जाते। शायद इसलिए कि भारत-सरकार लन्दन में इण्डिया-आफिस से सलाह-मशवरा किया करती थी। कभी-कभी देखने में ज़रा-ज़रा-सी बात या कुछ शब्दों के कारण ही गाड़ी रुक जाती। एक ऐसा लफ़्ज़ था सविनय-भंग को स्थगित कर देना। गांधीजी बराबर इस बात को स्पष्ट करते रहे कि सविनय-भंग आखिरी तौर पर न तो बन्द ही किया जा सकता है न छोड़ा ही जा सकता है; क्योंकि यही एक-मात्र हथियार हिन्दुस्तान के लोगों के हाथ में है। हाँ, वह स्थगित किया जा सकता है। लार्ड अविन को इस बात पर आपत्ति थी। वह ऐसा शब्द चाहते थे, जिसका अर्थ निकलता हो सविनय-भंग छोड़ दिया गया। लेकिन यह गांधीजी को मंजूर नहीं होता था। आखिर 'रोक देना' शब्द इस्तमाल किया गया। विदेशी कपड़े और शराब की दूकानों पर धरना देने की बाबत भी लम्बी-चौड़ी बहस हुई। हमारा बहुतेरा समय समझौते की अस्थायी तजवीजों पर गौर करने में

लगा और मूलभूत बातों पर कम ध्यान दिया गया। शायद यह सोचा गया कि जब यह कामचलाऊ समझौता हो जायगा और रोज-रोज की लड़ाई रोक दी जायगी तब अधिक अनुकूल वातावरण में आधार-भूत बातों पर गौर किया जा सकेगा। हम उस बातचीत को एक आरजी मुलह तक ले जानेवाली मान रहे थे, जिसके बाद असली विषयों पर आगे और बातचीत की जायगी।

उन दिनों दिल्ली में हर तरह के लोग खिंच-खिंचकर आते थे। बहुत-से विदेशी, खासकर अमेरिकन, अखबार-नवीस थे और वे हमारी खामोशी पर कुछ नाराज-से थे। वे कहते कि आपकी बनिस्वत तो हमें गांधी-अविन-बातचीत के बारे में नई दिल्ली के सेक्रेटरिएट से ज्यादा खबरें मिल जाती हैं। और यह बात सही थी। इसके बाद बड़े-बड़े अल्काबधारी लोग थे जो गांधीजी के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए दौड़ आते थे। क्योंकि अब तो महात्माजी का सितारा बुलंद हो गया था। उन लोगों को जो अबतक गांधीजी से और कांग्रेस से दूर रहे और जब-तब उनकी बुराई करते रहे, अब उसका प्रायश्चित्त करने के लिए आते देखना मज्जदार लगता था। कांग्रेस का बोलबोला होता हुआ दिखाई देता था, और कौन जाने आगे क्या-क्या होकर रहे, इसलिए बेहतर यही है कि कांग्रेस और उसके नेताओं के साथ मिलजोल करके रहा जाय। एक साल के बाद ही उनमें दूसरे परिवर्तन की लहर आई दिखाई दी। वे कांग्रेस के प्रति तथा उसके तमाम कार्यों के प्रति जोरो के साथ अपनी घृणा प्रदर्शित करते और कहते थे कि हमसे-इनसे कोई वास्ता नहीं है।

फिरकापरस्त लोग भी इन घटनाओं से जगे और उन्हें यह आशंका पैदा हुई कि कहीं ऐसा न हो कि आनेवाली व्यवस्था में उनके लिए कोई ऊँचा स्थान न रह जाय, और इसलिए कई लोग गांधीजी के पास आये और उनको यकीन दिलाया कि कोमी मसले पर हम समझौता करने को बिल्कुल राजामन्द हैं। अगर आप शुरुआत भी कर दें तो समझौते में कोई दिक्कत पेश न आयगी।

ऊँची और नीची सभी श्रेणियों के लोगों का सतत प्रवाह डा० अन्सारी के बंगले की ओर हो रहा था, जहाँकि गांधीजी और हममें से बहुतेरे लोग ठहरे थे, और फुरसत के वक्त हम उन्हें दिलचस्पी से देखते और फायदा भी उठाते थे। कुछ सालों से हम खास करके कस्बों में और देहात में रहनेवाले गरीबों के और उन लोगों के जो जेलों में ठूस दिये गये थे, संपर्क में आते रहते थे; लेकिन धनी-मानी और खुशहाल लोग जो गांधीजी से मिलने आते थे, मानव-प्रकृति का दूसरा पहलू सामने रखते थे। वह पहलू जो घटनाओं और स्थितियों के साथ अपना मेल मिलाना जानता है। क्योंकि जहाँ कहीं उन्हें सत्ता और सफलता दिखाई दी वे उसी तरफ झुक गये और अपनी मधुर

मुस्कान से उसका स्वागत करने लगे । उनमें कितने ही हिन्दुस्तान में ब्रिटिश-सरकार के यज्ञबूत स्तम्भ थे । वह जानकर तसल्ली होती थी कि वे भारत में जो भी अन्य कोई सरकार कायम होगी उसके भी उतने ही सुदृढ़ स्तम्भ बन जायेंगे ।

उन दिनों अक्सर मैं सुबह गांधीजी के साथ नई दिल्ली में घूमने जाया करता था । यही एक ऐसा वक्त था कि मामूली तौर पर कोई आदमी उनसे बात करने का मौका पा सकता था; क्योंकि उनका शेष सारा समय बंटा हुआ था । एक-एक मिनट किसी काम या किसी व्यक्ति के लिए नियत था । यहाँतक कि सुबह के घूमने का वक्त भी किसीको बात-चीत के लिए, मामूली तौर पर किसी विदेश से आये हुए या किसी मित्र को, दे दिया जाता था जो उनसे व्यक्तिगत सलाह-मशवरे के लिए आते थे । हमने बहुत-से विषयों पर बात-चीत की । गुजिस्ता जमाने पर भी और मौजूदा हालत पर भी; और खासकर भविष्य पर भी । मुझे याद है कि उन्होंने मुझे किस तरह कांग्रेस के भविष्य के बारे में अपने एक विचार से आश्चर्य में डाल दिया । मैंने तो खयाल कर रक्खा था कि आजादी मिल जाने पर कांग्रेस की हस्ती अपने-आप मिट जायगी । लेकिन उनका विचार था कि कांग्रेस बदस्तूर रहेगी—सिर्फ एक शर्त होगी, कि वह अपने लिए एक आर्डिनेन्स पास करेगी, जिसके मुताबिक उसका कोई भी मेम्बर राज्य में वैतनिक काम न कर सकेगा और अगर राज्य में हुकूमत का पद ग्रहण करना चाहे तो उसे कांग्रेस छोड़ देनी होगी । मुझे इस समय यह तो याद नहीं है कि उन्होंने अपने दिमाग में उसका कैसा ढाँचा बिठाया था; मगर उसका तात्पर्य यह था कि कांग्रेस इस प्रकार अपनी अनासक्ति और निःस्वार्थ भाव के कारण सरकार के प्रबंध तथा दूसरे विभागों पर जबर्दस्त नैतिक दबाव डाल सकेगी और उन्हें ठीक रास्ते पर कायम रख सकेगी ।

यह एक अतोन्नी कल्पना है, जिसे समझ लेना मुश्किल है और जिसमें बेशुमार दिक्कतें पेश आती हैं । मुझे यह दिखाई पड़ता है कि यदि ऐसी किसी सभा की कल्पना की भी जाय तो किसी स्थापित स्वार्थ के द्वारा उसका दुरुपयोग किया जायगा । मगर उसकी व्यावहारिकता को एक तरफ रख दें, तो इससे गांधीजी के विचारों का कुछ आधार समझने में जरूर मदद मिलती है । यह आधुनिक दल-व्यवस्था की कल्पना के बिल्कुल विपरीत है; क्योंकि आधुनिक व्यवस्था तो किसी पूर्व-निश्चित कल्पना के मुताबिक राजनैतिक और आर्थिक ढाँचे को बनाने के लिए राज्यसत्ता पर कब्जा करने के खयाल पर बनी हुई है । यह उस दल-व्यवस्था के भी विरुद्ध है, जो कि आज-कल अक्सर पाई जाती है और जिसका कार्य श्री आर० एच० टानी के शब्दों में "ज्यादा-से-ज्यादा गधों को ज्यादा-से-ज्यादा गाजरें खिलाना" है ।

गांधीजी के लोक-तन्त्र का खयाल निश्चित रूप से आध्यात्मिक है। मामूली अर्थ में उसका तादाद से या बहुमत से या प्रतिनिधित्व से कोई वास्ता नहीं। उसकी बुनियाद है सेवा और त्याग और वह नैतिक दबाव से ही काम लेती है। हाल ही प्रकाशित अपने एक वक्तव्य में (१७ सितंबर १९३४) लोकतंत्र की उन्होंने व्याख्या दी है। वह अपनेको 'पँदायशी लोकतन्त्र-वादी' मानते हैं और कहते हैं कि अगर 'मनुष्यजाति के निहायत गरीब-से-गरीब के साथ अपने-आपको बिलकुल मिला देने से, उनसे बेहतर हालत में अपनेको न रखने की उत्कंठा से और उनके समतल तक पहुँचने के जागृत प्रयत्न से किसीको इस दावे का अधिकार मिल सकता है, तो मैं अपने लिए यह दावा करता हूँ।' आगे चलकर वह लोकतंत्र की विवेचना इस प्रकार करते हैं:—

“हमें यह बात जान लेनी चाहिए कि कांग्रेस के अपने लोकतन्त्री-स्वरूप और प्रभाव की इज्जत उसके वार्षिक अधिवेशन में खिच आनेवाले प्रतिनिधियों या वर्शकों की तादाद के कारण नहीं, बल्कि उसकी की हुई सेवा के कारण है, जिसकी मात्रा रोज-ब-रोज बढ़ती जा रही है। पश्चिमी लोकतंत्र अगर अबतक विफल नहीं हुआ है तो कम-से-कम वह आजमाइश पर ज़रूर है। ईश्वर करे कि हिंदुस्तान में प्रत्यक्ष सफलता के प्रदर्शन के द्वारा लोकतंत्र के सच्चे विज्ञान का विकास हो।

“नीति-भ्रष्टता और दम्भ लोकतंत्र के अनिवार्य फल न होने चाहिएँ जैसे कि वे निःसंदेह हाल में ही रहे हैं, और न बड़ी संख्या लोकतंत्र की सच्ची कसौटी है। यदि थोड़े-से व्यक्ति जिनके प्रतिनिधि बनने का दावा करते हैं उनकी स्पिरिट, आशा और होंसले का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वह लोकतंत्र के सच्चे भाव से असंगत नहीं है। मेरा यह मत है कि लोकतंत्र का विकास बल-प्रयोग करके नहीं किया जा सकता है। लोकतंत्र की भावना बाहर से नहीं लादी जा सकती; वह तो अंदर से ही लाई जा सकती है।”

यह निश्चय ही पश्चिमी लोकतंत्र नहीं है, जैसा कि वह खुद कहते हैं। बल्कि कौतूहल की बात तो यह है कि वह कम्यूनिस्टो के लोकतंत्र की धारणा से मिलता-जुलता है; क्योंकि उसमें भी आध्यात्मिकता की झलक है। थोड़े-से कम्यूनिस्ट जनता की असली आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के प्रतिनिधित्व का दावा कर सकते हैं, चाहे जनता को इसका पता न भी हो। जनता उनके लिए एक आध्यात्मिक वस्तु हो जायगी और वे इसका प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। फिर भी वह समानता थोड़ी ही है और हमको बहुत दूर तक नहीं ले जाती है। जीवन को देखने और उस तक पहुँचने के साधनों में बहुत ज्यादा मतभेद है—मुख्यतः उसे प्राप्त करने के साधन और बल के सम्बन्ध में।

गांधीजी चाहे लोकतन्त्री हों या न हों, वह भारत की किसान-जनता के प्रतिनिधि

अवश्य है। वह उन करोड़ों की जाग्रत और सुप्त इच्छा-शक्ति के सार-रूप है। यह शायद उनका प्रतिनिधित्व करने से कहीं ज्यादा है; क्योंकि वह करोड़ों के आदर्शों की सजीव मूर्ति हैं। हाँ, वह एक औसत किसान नहीं है। वह एक अत्यन्त कुशाग्र-बुद्धि, उच्च भावना और सुरुचि तथा व्यापक दृष्टि रखनेवाले पुरुष हैं—बहुत सहृदय, फिर भी आवश्यक रूप से एक तपस्वी, जिन्होंने अपने विकारों और भावनाओं का दमन करके उन्हें दिव्यत्व प्रदान किया है और आध्यात्मिक मार्गों में प्रेरित किया है। उनका एक जबर्दस्त व्यक्तित्व है जो चुम्बक की तरह हरेक को अपनी ओर खींच लेता है और अपने प्रति भयंकर वफादारी और ममता को दूसरों के हृदय में उमड़ाता है। यह सब एक किसान से कितना भिन्न और कितना परे है? और इतना होने पर भी वह एक महान् किसान है जो बातों को एक किसान दृष्टि-बिंदु से देखते हैं और जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में एक किसान की ही तरह अन्धे हैं। लेकिन भारत किसान-भारत है, और वह अपने भारत को अच्छी तरह जानते हैं और उसके हलके-से-हलके कम्पनों का भी उनपर तुरंत असर होता है। वह स्थिति को ठीक-ठीक और प्रायः सहज-स्फूर्ति से जान लेते हैं और ऐन मौके पर काम करने की अद्भुत सूझ रखते हैं।

ब्रिटिश सरकार ही के लिए नहीं, बल्कि खुद अपने लोगों और नजदीकी साथियों के लिए भी वह एक पहली और एक समस्या बने हुए है। शायद दूसरे किसी भी देश में आज उनका कोई स्थान न होता। मगर हिन्दुस्तान, आज भी ऐसा मालूम होता है। पंगम्बरो जैसे धार्मिक पुरुषों को, जो पाप और मुक्ति और अहिंसा की बातें करते हैं, समझ लेता है या कम-से-कम उनकी कदर करता है। भारत का धार्मिक साहित्य बड़े-बड़े तर्पस्वियों की कथाओं से भरा पड़ा है, जिन्होंने घोर त्याग और तप के द्वारा बहुत पुण्य का संचय करके छोटे-छोटे देवताओं के प्राधान्य को हिला दिया तथा प्रचलित व्यवस्था को उलट-पलट दिया। जब कभी मैंने गांधीजी की अक्षय आध्यात्मिक भण्डार से बहनेवाली विलक्षण कार्य-शक्ति और आन्तरिक बल को देखा है, तो मुझे अक्सर ये कथायें याद आ जाया करती हैं। वह सपष्टतः दुनिया के मामूली नमूने के नहीं हैं। वह तो बिरले और ओर ही तरह के सांचे में ढाले गये हैं और उनकी आँखों से मानों एक अज्ञात हमारी तरफ घूरता रहता है।

हिन्दुस्तान पर, कस्बों के हिन्दुस्तान पर ही नहीं, नये औद्योगिक हिन्दुस्तान पर भी, किसानपन की छाप लगी हुई है और उसके लिए यह स्वाभाविक था कि वह अपने इस पुत्र को अपने ही लायक और फिर भी अपनेसे इतना भिन्न एक देव-मूर्ति और एक प्रिय नेता बनावे। उन्होंने पुरानी और धुंधली स्मृतियों को फिर ताज़ा किया और

उसको खुद अपनी ही आत्मा की झलकें दिखाई। वर्तमान काल की धीर मुसीबतों से कुचली जाने के कारण उसे भूतकाल के असहाय गीत गाने और भविष्य के गोल-मोल स्वप्न देखने में तसल्ली मालूम होती थी। मगर वह आया और उसने हमारे दिलों को आशा और हमारे जीर्ण-शीर्ण शरीर को बल दिया और भविष्य हमारे लिए एक मनो-मोहक बन गया। इटालियनों के दोमुहे देवता जेनस की तरह भारत पीछे भूतकाल की तरफ और आगे भविष्यकाल की तरफ देखने लगा और दोनों के समन्वय की कोशिश करने लगा।

हममें से कितने ही इस किसान दृष्टिकोण से कटकर अलग हो गये थे और पुराने आचार-विचार और धर्म हमारे लिए विदेशी-से बन गये थे। हम अपनेको नई रोशनी का कहते थे और प्रगति, उद्योगीकरण, ऊँचे रहन-सहन और समष्टीकरण की भाषा में सोचते थे। किसान के दृष्टिबिन्दु को हम प्रतिगामी समझते थे और कुछ लोग, जिनकी संख्या बढ़ रही है, समाजवाद और कम्यूनिज्म को अनुकूल दृष्टि से देखते थे। ऐसी दशा में यह प्रश्न है कि हमने कैसे गांधीजी की राजनीति में उनका साथ दिया और किस तरह बहुतसी बातों में उनके भक्त और अनुयायी बन गये? इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है और जो गांधीजी को नहीं जानता है उसे उस जवाब से तसल्ली न हो सकेगी। बात यह है कि व्यक्तित्व एक ऐसी चीज है जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती। वह एक अजीब बल है जिसका मनुष्य के अन्तःकरण पर अधिकार हो जाता है और गांधीजी के पास यह शक्ति बहुत बड़ी तादाद में है और जो लोग उनके पास आते हैं उन्हें वह अक्सर मुल्ललिफ रूप में दिखाई पड़ते हैं। यह ठीक है कि वह लोगों को आकर्षित करते हैं, मगर लोग जो उनतक गये हैं और जाकर ठहर गये हैं सो तो अखीर में अपने बौद्धिक विश्वास के कारण ही। यह ठीक है कि वे उनके जीवन-सिद्धान्त से या उनके कितने ही आदर्शों से भी सहमत न थे; कई बार तो वे उन्हें समझते भी न थे; मगर जिस कार्य को करने का उन्होंने आयोजन किया वह एक मूर्त और प्रत्यक्ष वस्तु थी, जिसको बुद्धि समझ सकती थी और उसकी कदर कर सकती थी। हमारी निष्क्रियता और अकर्मण्यता की लंबी परम्परा के बाद, जोकि हमारी मुर्दा राजनीति में पोषित चली आ रही थी, किसी भी कार्य का स्वागत ही हो सकता था। फिर एक बहादुराना और कारगर कार्य का तो, जिसके कि आसपास नैतिकता का तेजोबल्य भी जगमगा रहा हो, पूछना ही क्या! बुद्धि और भावना दोनों पर उसका असर हुए बिना नहीं रह सकता था। फिर धीरे-धीरे उन्होंने अपने कार्य के सही होने का भी कायल हमें कर दिया और हम उनके साथ हो लिये, हालाँकि हमने उनके जीवन-तत्त्व को स्वीकार नहीं किया। कार्य को उसके मूलभूत विचार से अलग रखना कदाचित्

उचित विधि नहीं है और उससे आगे चलकर तकलीफ और मानसिक संघर्ष हुए बिना नहीं रह सकता। हमने मोटे तौर पर यह उम्मीद की थी कि गांधीजी चूंकि एक कर्मयोगी हैं और बदलनेवाली हालातों का उनपर बहुत जल्दी असर होता है, इसलिए उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे जोकि हमें सही दिखाई देता था और हर हालत में वह रास्ता जिसपर वह चल रहे थे अबतक तो सही ही था और अगर आगे चलकर हमें जुदे-जुदे रास्ते चलना पड़े तो उसका पहले से खयाल बनाना बेवकूफी होगी।

इस सबसे यह जाहिर होता है कि न तो हमारे विचार सुलझे हुए थे और न निश्चित। हमेशा हमारे दिल में यह भावना रही कि हमारा मार्ग चाहे अधिक तक-शुद्ध हो मगर गांधीजी हिन्दुस्तान को हमसे कहीं ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं और जो शस्त्र इतनी जबरदस्त श्रद्धा-भक्ति का अधिकारी बन जाता है उसके अन्दर कोई ऐसी बात अवश्य होनी चाहिए जो जनता की आवश्यकताओं और उच्च आकांक्षाओं के माफिक हो। हमने सोचा कि यदि हम उनको अपने विचारों का कायल कर सके तो हम जनता को भी अपने मत का बना सकेंगे, और हमें यह संभवनीय दिखाई पड़ता था कि हम उनको कायल कर सकेंगे। क्योंकि उनके किसान दृष्टिकोण के रहते हुए भी वह एक पैदायशी बागी हैं, एक क्रान्तिकारी हैं, जो भारी-भारी परिवर्तनों के लिए कمر कसे रहते हैं और जिसे परिणाम की आशंकायें रोक नहीं सकतीं।

किस तरह उन्होंने इन सुस्त और पस्तहिम्मत लोगों को एक अनुशासन में बाँधकर काम में जोत दिया—बल-प्रयोग करके या दुनयवी लालच देकर नहीं बल्कि महज मीठी निगाह, कोमल शब्द और इनसे भी बढ़कर खुद अपने उदाहरण के द्वारा! सत्याग्रह की शुरुआत के दिनों में, ठेठ १९१९ में, मुझे याद है कि बम्बई के उमर सोभानी उन्हें 'प्यारा स्लेव ड्राइवर' कहा करते थे। अब इस एक युग में तो हालात और भी बदल गई हैं। उमर उन परिवर्तनों को देखने के लिए मौजूद नहीं हैं। मगर हम जो ज्यादा खुशकिस्मत रहे, १९३१ के शुरू महीनों से पीछे के जमानों को देखते हैं तो दिल उमंग और अभिमान से भर जाता है। १९३१ का साल सचमुच हमारे लिए एक आश्चर्य का साल था और ऐसा मालूम होता था कि गांधीजी ने अपनी जादू की लकड़ी से हमारे देश का नकशा ही बदल दिया है। कोई ऐसा मूर्ख तो नहीं था जो यह समझता हो कि हमने ब्रिटिश सरकार पर आखिरी बिजय पा ली है। हमें जो अभिमान होता था उसका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें तो अपने लोगों, अपनी बहनों, अपने नौजवानों और बच्चों पर, इस आन्दोलन में जिस तरह उन्होंने योग दिया उसपर, फल था। वह एक आध्यात्मिक लाभ था जोकि किसी भी समय और किन्हीं भी लोगों के लिए कीमती था। मगर हमारे लिए तो जोकि गुलाम और दलित

हैं, दुहेरा उपकारी था, और हमें इस बात की चिन्ता थी कि कोई ऐसी बात न हो जाय कि जिससे यह लाभ हमसे छिन जाय ।

खास मुझपर तो गाँधीजी ने असाधारण कृपा और उदारता दिखाई है और मेरे पिताजी की मृत्यु ने तो उन्हें खास तौर पर मेरे नज़दीक ला दिया है । मुझे जो कुछ कहना होता था उसको वह बहुत ही धीरज के साथ सुनते थे और मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने हर तरह की कोशिश की है । इससे अवश्य ही मैं यह सोचने लगा था कि यदि मैं और कुछ दूसरे साथी उनपर लगातार अपना असर डालते रहे तो सम्भव है उन्हें समाजवाद की ओर प्रेरित कर सकेंगे, और उन्होंने खुद भी यह कहा था कि जैसे-जैसे मुझे रास्ता दिखाई देगा मैं एक-एक कदम बढ़ता जाऊँगा । उस वक़्त मुझे यह लाजिमी-सा दिखाई देता था कि वह समाजवाद के मूल सिद्धान्त या स्थिति को स्वीकार कर लेंगे; क्योंकि मुझे तो मौजूदा समाज-व्यवस्था से हिंसा, बेइन्साफ़ी, खराबी और नाश से बचने का दूसरा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था । मुमकिन है कि साधनों से उनका मतभेद हो, मगर आदर्श से नहीं । उस वक़्त मैंने यही खयाल किया था । मगर अब मैं महसूस करता हूँ कि गाँधीजी के आदर्शों में और समाजवाद के ध्येय में मूल भेद है ।

अब हम फिर फ़रवरी १९३१ की दिल्ली में चले । गाँधी-अविन-बातचीत होती रहती थी । वह एकाएक रुक गई । कई दिनों तक वाइसराय ने गाँधीजी को नहीं बुलाया और हमें ऐसा लगा कि बात-चीत टूट गई । कार्य-समिति के सदस्य दिल्ली से अपने-अपने सूबों में जाने की तैयारी कर रहे थे । जाने से पहले हम लोगों ने आपस में भावी कार्य की रूप-रेखाओं और सविनय भंग पर (जोकि अभी उसूलन जारी था) विचार-विनियम किया । हमें यकीन था कि ज्योंही बातचीत के टूटने की बात पक्के तौर पर जाहिर हो जायगी त्योंही हमारे सबके लिए मिलकर बातचीत करने का मौक़ा नहीं रह जायगा ।

हम गिरफ़्तारियों की अपेक्षा रखते थे । हमसे कहा गया था और यह सम्भव भी दीखता था कि अबके सरकार काँग्रेस पर जोर का धावा बोलेंगी । वह अबतक के दमन से बहुत भयंकर होगा । सो हम आपस में आखिरी तौर पर मिल लिये और हम-ने आन्दोलन को भविष्य में चलाने के विषय में कई प्रस्ताव किये । एक प्रस्ताव खास तौर पर मार्क का था । अबतक रिवाज़ यह था कि कार्यवाहक सभापति अपने गिर-फ़्तार होने पर अपना वारिम मुकर्रर करदे और कार्य-समिति में जो स्थान खाली हों उनके लिए भी मेम्बरों को नामज़द करदे । स्थानापन्न कार्य-समितियों की शायद ही कभी बैठकें होती थीं और उन्हें किसी भी विषय में नई बात करने की बहुत कम सत्ता थी । वे सिर्फ़ जेल जाने भर की थीं । और इसमें एक जोखम हमेशा ही लगी रहती

थी। वह यह कि लगातार स्थानापन्न बनाने की कार्रवाई से सम्भव था कि कांग्रेस की स्थिति थोड़ी बिषम हो जाय। इसमें स्पष्ट खतरे भी थे। इसलिए दिल्ली में कार्य-समिति ने यह तय किया कि अब आगे से कार्यवाहक सभापति और स्थानापन्न सदस्य नामजद न किये जाने चाहिएँ। जबतक मूल कमिटी के कुछ मेम्बर जेल के बाहर रहेंगे तबतक वही पूरी कमिटी की हैसियत में काम करेंगे। जब सब मेम्बर जेल चले जायेंगे तब कोई कमिटी नहीं रहेगी, और हमने ज़रा बड़-चढ़कर कहा कि कार्य-समिति की सत्ता उस अवस्था में देश के प्रत्येक स्त्री-पुरुष के पास चली जायगी। और हम उनको आवाहन करते हैं कि वे बिना किसी समझौते की भावना के लड़ाई को जारी रखें।

यह प्रस्ताव क्या था, संग्राम को जारी रखने का वीरोचित मार्ग इसमें दिखाया गया था और इसमें समझौते के लिए कोई गली-कूचा नहीं रखना गया था। इसके द्वारा यह बात भी मंजूर की गई थी कि प्रधान कार्यालय के लिए दिन-पर-दिन यह मुश्किल होता जाता था कि वह देश के हर हिस्से से अपना सम्पर्क रखे और नियमित रूप से हिदायतें भेजे। यह लाजिमी था। क्योंकि हमारे बहुतेरे कार्यकर्ता मशहूर स्त्री-पुरुष थे और वे खुल्लमखुल्ला काम करते थे। वे कभी भी गिरफ्तार हो सकते थे। १९३० में छिपे तौर पर हिदायतें भेजने, रिपोर्टें मँगवाने और देखभाल करने के लिए कुछ आदमी भेजे जाते थे। व्यवस्था चली तो अच्छी और उसने यह दिखा दिया कि हम गुप्त खबरे देने के काम को बड़ी सफलता के साथ कर सकते हैं। लेकिन कुछ हद तक यह हमारे खुले आन्दोलन के साथ मेल नहीं खाती थी और गाँधीजी इसके खिलाफ थे। तो अब प्रधान कार्यालय से हिदायतें मिलने के आभाव में हमें काम की जिम्मेदारी मुकामी लोगो पर ही छोड़नी पड़ी थी। क्योंकि नहीं तो वे ऊपर से हिदायतें आने की राह देखते बैठते और कुछ काम नहीं करते। हाँ, जब-जब मुमकिन होता हिदायतें भी भेजी जाती थी।

इस तरह हमने यह तथा दूसरे प्रस्ताव पास किये (इनमें से कोई न तो प्रकाशित किया गया और न उनपर अमल ही किया गया। क्योंकि बाद को हालात बदल गये थे।) और जाने के लिए बिस्तर बाँध लिये। ठीक इसी वक्त लार्ड अर्बिन की तरफ से बुलावा आया और बातचीत फिर शुरू हो गई। ४ मार्च की रात को हम आधी रात तक गाँधीजी के वाइसराय-भवन से लौटने का इन्तजार कर रहे थे। वह रात को कोई २ बजे आये, और हमें जगाकर कहा कि राजीनामा हो गया है। हमने मसबिदा देखा। बहुतेरी कलमों को तो मैं जानता था, क्योंकि अक्सर उनपर चर्चा होती रहती थी। लेकिन कलम नं० २ जो कि ऊपर-ही-ऊपर थी और जो संरक्षण

१. दिल्ली-समझौते की कलम नं० २ (५ मार्च, १९३१) यह है:—“विधान-सम्बन्धी प्रश्न

आदि के बारे में थी, उसे देखकर मुझे जबरवस्त घबका लगा। मैं उसके लिए क्रतई तैयार न था। मगर मैं उस वक्त कुछ न बोला और हम सब सो गये।

अब कुछ कहने की गुंजाइश भी कहाँ रह गई थी? बात तो हो चुकी थी। हमारे नेता अपना बचन दे चुके थे और अगर हम राजी न भी हों तो कर क्या सकते थे? क्या उनका विरोध करें? क्या उनसे अलहदा हो जायें? अपने मतभेद की घोषणा कर दें? हो सकता है कि इससे किसी व्यक्ति को अपने लिए सन्तोष हो जाय। परन्तु अन्तिम फैसले पर उसका क्या असर पड़ सकता था? कम-से-कम अभी कुछ समय के लिए तो सविनयभंग-आन्दोलन खतम हो चुका था। अब जबकि सरकार यह घोषित कर सकती थी कि गांधीजी समझौता कर चुके हैं, तो कार्य-समिति तक उसे आगे नहीं बढ़ा सकती थी।

मैं इस बात के लिए तो बिल्कुल रजामंद था, जैसे कि मेरे दूसरे साथी भी थे, कि सविनय भंग स्थगित कर दिया जाय और सरकार के साथ अस्थायी समझौता कर लिया जाय। हममें से किसीके लिए यह आसान बात न थी कि अपने साथियों को वापस जेल भेज दें या जो कई हजार लोग पहले से जेलों में पड़े हुए हैं उनको बही पड़ा रहने देने के साधन बने। जेलखाना ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम अपने दिन और रात गुजारा करें, हालांकि हम बहुतेरे अपनेको उसके लिए तैयार करते हैं और उसके कुचल डालनेवाले दैनिक क्रम के बारे में बड़े हलके दिल से बातें करते हैं। इसके अलावा तीन-हफ्ते से ज्यादा दिन गांधीजी और लार्ड अविन के बीच जो बातें चलीं उनसे लोगों के दिलों में ये आशयें बँध गईं कि समझौता होनेवाला है और अब अगर उसके आखिरी तौर पर टूट जाने की खबर मिली तो उससे उनको निराशा होगी। यह सोचकर कार्य-समिति के हम सब भेम्बर अस्थायी समझौते के (क्योंकि इससे अधिक वह हो भी नहीं सकता था) हक में थे, बशर्ते कि उसके द्वारा हमें अपनी कोई अत्यन्त महत्व की बात न छोड़नी पड़ती हो।

जहाँतक मुझसे ताल्लुक है, जिन दूसरी मदों पर काफी बहस-मुवाहिसा हुआ उनसे मुझे इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी; मुझे सबसे ज्यादा खयाल दो बातों का था। पर, सन्नाट-सरकार की अनुमति से, यह तय हुआ है कि हिन्दुस्तान के वैद्य-शासन की उसी योजना पर आगे विचार किया जायगा जिसपर गोलमेज-कान्फेन्स में पहले विचार हो चुका है। वहाँ जो योजना बनी थी, संघ-शासन उसका एक अनिवार्य अंग है, इसी प्रकार भारतीय-उच्चरदायित्व और भारत के हित की दृष्टि से रक्षा (सेना), वैदेशिक मामलों, अल्प-संख्यक जातियों की स्थिति, भारत की आर्थिक सख और जिम्मेदारियों की जवाबदारी जैसे विषयों के प्रतिबन्ध वा संरक्षण भी उसके आवश्यक भाग हैं।”

एक तो यह कि हमारा स्वतंत्रता का ध्येय किसी भी क्रूर नीचा न किया जाय, और दूसरा यह कि समझौते का युक्तप्रान्त के किसानों की स्थिति पर क्या असर होगा ? हमारा लगानबन्दी-आन्दोलन अबतक बहुत कमजोर रहा था, और कुछ इलाकों में तो मुश्किल से लगान वसूल होने पाया था । किसानों ने खूब मजबूती दिखाई थी, और संसार की कृषि-सम्बन्धी अवस्थाओं और चीजों के भाव बहुत खराब थे, जिससे उनके लिए लगान बढ़ा करना और मुश्किल हो गया था ; हमारा करबन्दी-आन्दोलन राजनैतिक और आर्थिक दोनों तरह का था । अगर सरकार के साथ कोई आरजी समझौता हो जाता है तो सविनय-भंग वापस ले लिया जायगा और उसका राजनैतिक आधार निकल जायगा । लेकिन उसके आर्थिक पहलू के, भावों की इतनी गिरावट के और किसानों की मुकदर्रा किस्त के मुकाबिले में कुछ भी देने की असमर्थता के विषय में क्या होगा ? गांधीजी ने लार्ड अविन से यह मुद्दा बिलकुल साफ कर लिया था । उन्होंने कहा था कि यद्यपि करबन्दी-आन्दोलन बन्द कर दिया जायगा, तो भी हम किसानों को यह सलाह नहीं दे सकते कि वे अपनी ताकत या हैसियत से ज्यादा दें । चूंकि यह प्रान्तीय मामला था, भारत-सरकार के साथ इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हो सकी थी । हमें यह यकीन दिलाया गया था कि प्रान्तीय-सरकार इस विषय में खुशी के साथ हमसे बातचीत करेगी और अपने बस-भर किसानों की तकलीफ दूर करने की कोशिश करेगी । यह एक मोल-मोल आश्वासन था । लेकिन उन हालात में इससे ज्यादा पक्की बात होना मुश्किल था । इस तरह यह मामला उस वक्त के लिए तो खत्म ही कर दिया गया था ।

अब हमारी स्वाधीनता का अर्थात् हमारे मकसद का महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी रहा और समझौते की कलम नम्बर २ से मुझे यह मालूम पड़ा कि यह भी खतरे में जा पड़ा है । क्या इसीलिए हमारे लोगों ने एक साल तक अपनी बहादुरी दिखाई ? क्या हमारी बड़ी-बड़ी जोरदार बातों और कामों का खात्मा इसी तरह होना था ? क्या कांग्रेस का स्वाधीनता-प्रस्ताव और २६ जनवरी की प्रतिज्ञा इसीलिए की गई थी ? इस तरह के विचारों में डूबा हुआ मैं मार्च की उस रातभर पड़ा रहा और अपने दिल में ऐसा खालीपन महसूस करने लगा कि मानों उसमें से कोई क्रीमती चीज सदा के लिए निकल गई हो ।

तरीका यह दुनिया का देखा सही-
गरजते बहुत वे बरसते नहीं । '

१. मूल अंग्रेजी पद्य इस प्रकार है:—

"This is the way the world ends,
Not with a bang, but a whimper."

कराची-काँग्रेस

गांधीजी ने किसीसे मेरी मानसिक व्यथा का हाल सुना और दूसरे दिन सुबह घूमने के वक्त अपने साथ चलने के लिए मुझे कहा। बड़ी देर तक हमने बात-चीत की, जिसमें उन्होंने मुझे यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि न तो कोई अत्यन्त महत्व की बात खो दी गई है और न सिद्धान्त ही छोड़ा गया है। उन्होंने कलम नम्बर २ का एक खास अर्थ लगाया, जिससे वह हमारी स्वतंत्रता की माँग से मेल खा सके। उनका आधार था खासकर ये शब्द—“भारत के हित में”। यह अर्थ मुझे खींचातानी का मालूम हुआ। मैं उसका कायल तो न हुआ, लेकिन उनकी बात-चीत से मुझे कुछ तसल्ली ज़रूर हुई। तो भी मैंने उनसे कहा कि समझौते के गुण-दोष को एक तरफ़ रख दें, एकाएक कुछ कर डालने के आपके तरीके से मैं डर गया था। आपमें कुछ ऐसी अज्ञात वस्तु है जिसे चौदह साल के निकट-सम्पर्क के बाद भी मैं ऋतई नहीं समझ सका हूँ और इसने मेरे मन में भय पैदा कर दिया है। उन्होंने अपने अन्दर ऐसे अज्ञात तत्त्व का होना तो स्वीकार किया, मगर कहा कि मैं खुद भी इसका जवाब नहीं दे सकता, न यही पहले से बता सकता हूँ कि यह हमें किस ओर ले जायगा।

एक-दो दिन तक मैं बड़ी दुविधा में पड़ा रहा। समझ न सका कि क्या कहूँ? अब समझौते के विरोध का या उसे रोकने का तो कोई सवाल ही नहीं था। वह वक्त गुजर चुका था और मैं जो-कुछ कर सकता था वह यह कि अमलन उसे मंजूर करते हुए उसूलन अपनेको उससे अलग रखूँ। इससे मेरे अभिमान को कुछ सान्त्वना मिल जाती; लेकिन हमारे बड़े प्रश्न पर इसका क्या असर पड़ सकता था? तब क्या यह अच्छा न होगा कि मैं उसे खूबसूरती के साथ मंजूर कर लूँ और उसका अधिक-से-अधिक अनुकूल अर्थ लगाऊँ, जैसा कि गांधीजी ने किया? समझौते के बाद ही फौरन् अखबारवालों से बात-चीत करते हुए गांधीजी ने उसी अर्थ पर जोर दिया था और कहा कि हम स्वतंत्रता के प्रश्न पर पूरे-पूरे अटल हैं। वह लॉर्ड अविन के पास गये और इस बात को बिलकुल स्पष्ट कर दिया जिससे कि उस समय या आगे कोई गलतफ़हमी न होने पावे। उन्होंने उनसे कहा कि यदि काँग्रेस गोलमेज़-कान्फ़ेंस में अपना प्रतिनिधि भेजे, तो उसका आधार एकमात्र स्वतंत्रता ही हो सकता है और उसे बढ़ाने के लिए ही वहाँ जाया जा सकता है। अवश्य ही लॉर्ड अविन इस दावे को

मान तो नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने यह मंजूर किया कि हाँ, काँग्रेस को उसे पेश करने का हक है।

इसलिए मैंने समझौते को मान लेना और तहेदिल से उसके लिए काम करना तय किया। यह बात नहीं कि ऐसा करते हुए मुझे बहुत मानसिक और शारीरिक क्लेश न हुआ हो। मगर मुझे बीच का कोई मार्ग नहीं दिखाई देता था।

समझौते के पहले तथा बाद में लॉर्ड अविन के साथ बातचीत के दम्यान गांधीजी ने सत्याग्रही क्रांदियों के अलावा दूसरे राजनैतिक क्रांदियों की रिहाई की भी पैरवी की थी। सत्याग्रही क्रांदी तो समझौते के फल-स्वरूप अपने-आप रिहा हो जाने वाले ही थे। लेकिन दूसरे ऐसे हजारों क्रांदी थे जो मुकदमा चलाकर जेल भेजे गये थे और ऐसे नजरबन्द भी थे जो बिना मुकदमा चलाये, बिना इलाजाम लगाये या सजा दिये ही जेलों में भर दिये गये थे। इनमें से कितने ही नजरबन्द वर्षों से वहाँ पड़े हुए थे और उनके बारे में सारे देश में नाराजगी फैली हुई थी—खासकर बंगाल में जहाँ कि बिना मुकदमा चलाये कैद कर देने के तरीके से बहुत ज्यादा काम लिया गया। पोलोन टापू के (या शायद ड्रेफस के मामले में) जनरल स्टाफ के मुखिया की तरह भारत-सरकार का भी मन्तव्य था कि सबूत का न होना ही बढ़िया सबूत का होना है। सबूत न होना तो शैर-साबित किया ही नहीं जा सकता। नजरबन्दों पर सरकार का यह आरोप था कि वे हिंसात्मक प्रकार के असली या अप्रत्यक्ष क्रान्तिकारी हैं। गांधीजी ने समझौते के अग-स्वरूप तो नहीं, परन्तु इसलिए कि बंगाल में राजनैतिक तनातनी कम हो जाय और वातावरण अपनी मामूली स्थिति में आ जाय, उनकी रिहाई की पैरवी की थी। मगर सरकार इसपर रजामन्द न हुई।

भगतसिंह की फाँसी की सजा रद्द कराने के लिए गांधीजी ने जो जोरदार पैरवी की उसको भी सरकार ने मंजूर नहीं किया। उसका भी समझौते से कोई सम्बन्ध न था। गांधीजी ने इसपर भी अलहदा तीर पर जोर इसलिए दिया था कि इस विषय पर भारत में बहुत तीव्र लोक-भावना थी। मगर उनकी पैरवी बेकार गई।

उन्ही दिनों की एक कुतूहलवर्धक घटना मुझे याद है, जिसने हिन्दुस्तान के आतंकवादियों की मनःस्थिति का आन्तरिक परिचय मुझे कराया। मेरे जेल से छूटने के पहले ही, या पिताजी के मरने के पहले या बाद, यह घटना हुई है। हमारे स्थान पर एक अजनबी मुझसे मिलने आया। मुझसे कहा गया कि वह चन्द्रशेखर आजाद है। मैंने उसे पहले तो कभी नहीं देखा था। हाँ, दस वर्ष पहले मैंने उसका नाम जरूर सुना था जब कि १९२१ में असहयोग-आन्दोलन के जमाने में स्कूल से असहयोग करके वह जेल गया था। उस समय वह कोई पन्ध्र साल का रहा होगा और जेल का नियम

भंग करने के अपराध में जेल में उसे बंते लगवाये गये थे। बाद को उत्तर-भारत में वह आतंकवादियों का एक मुख्य आदमी बन गया। इसी तरह का कुछ-कुछ हाल मैंने सुन रक्खा था। मगर इन अफवाहों में मैंने कोई विलचस्पी न ली थी। इसलिए वह आया तो मुझे ताज्जुब हुआ। वह मुझसे इसलिए मिलने को तैयार हुआ था कि हमारे छूट जाने से आम तौर पर ये आशयों बँधने लगीं कि सरकार और कांग्रेस में कुछ-न-कुछ समझौता होनेवाला है। वह मुझसे जानना चाहता था कि अगर कोई समझौता हो तो हमारे दल के लोगों को शान्ति मिलेगी या नहीं? क्या हमारे साथ अब भी विद्रोही का-सा बर्ताव किया जावेगा? जगह-ब-जगह हमारा पीछा इसी तरह किया जायगा? हमारे सिर के लिए इनाम घोषित ही होते रहेगे और हमारे सामने फाँसी का तस्ता हमेशा लटकता रहा करेगा, या हमारे लिए शान्ति के साथ काम-बंधे में लग जाने की भी कोई संभावना होगी? उसने कहा कि खूद मेरा तथा मेरे दूसरे साथियों का यह विश्वास हो चुका है कि आतंकवादी तरीके बिलकुल बेकार हैं और उनसे कोई लाभ नहीं है। हाँ, वह यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि शान्ति-मय साधनों से ही हिन्दुस्तान को आजादी मिल जायगी। उसने कहा, आगे कभी सशस्त्र लड़ाई का मौका आ सकता है, मगर वह आतंकवाद न होगा। हिन्दुस्तान की आजादी के लिए तो उसने आतंकवाद को खारिज ही कर दिया था। पर उसने फिर पूछा, कि अगर मुझे शान्ति के साथ जमकर बैठने का मौका न दिया जाय, रोज-ब-रोज मेरा पीछा किया जाय, तो मैं क्या करूँगा? उसने कहा—इधर हाल में जो आतंककारी घटनायें हुई हैं वे ज्यादातर आत्म-रक्षा के लिए की गई हैं।

मुझे आजाद से यह सुनकर खुशी हुई थी और बाद में उसका और सबूत भी मिल गया कि आतंकवाद पर से उन लोगों का विश्वास हट रहा है। एक दल के विचार के रूप में तो वह अवश्य ही प्रायः मर गया है; और जो कुछ व्यक्तिगत इक्की-दुक्की घटनायें हो जाती हैं वे या तो किसी वजह से या बदले में या बचाव में या किसीकी लहर से हुई घटनायें हैं, न कि आम धारणा के फलस्वरूप। अवश्य ही इसके यह मानी नहीं है कि पुराने आतंकवादी और उनके नये साथी अहिंसा के हामी बन गये हैं या ब्रिटिश सरकार के भक्त बन गये हैं। हाँ, अब वे आतंकवादियों की भाषा में नहीं सोचते, जैसा कि पहले किया करते थे। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि उनमें से बहुतों की मनोवृत्ति निश्चित रूप से फासिस्ट बन गई थी।

मैंने चन्द्रशेखर आजाद को अपना राजनैतिक सिद्धान्त समझाने की कोशिश की और यह भी कोशिश की कि वह मेरे दृष्टिबिन्दु का क्लयल हो जाय। लेकिन उसके असली सवाल का, कि 'अब मैं क्या करूँ?', मेरे पास कोई जवाब न था।

ऐसी कोई बात होती हुई नहीं दिखाई देती थी कि जिससे उसको या उसके जैसों को कोई राहत या शान्ति मिले। मैं जो कुछ उसे कह सकता था वह इतना ही कि वह भविष्य में आतंकवादी कार्यों को रोकने की कोशिश करे। क्योंकि उससे हमारे बड़े कार्य को तथा खुद उसके दिल को भी नुकसान पहुँचेगा।

दो-तीन हफ्ते बाद ही जब गांधी-अग्नि-बातचीत चल रही थी, मैंने देहली में सुना कि चंद्रशेखर आजाद पर इलाहाबाद में पुलिस ने गोली चलाई और वह मर गया। दिन के वक्त किसी एक पार्क में वह पहचाना गया और पुलिस के एक बड़े दल ने आकर उसे घेर लिया। एक पेड़ के पीछे से उसने अपनेको बचाने की कोशिश की। दोनों तरफ से गोलीयाँ चलीं। एक-दो पुलिसवालों को घायल कर आखिर गोली लगने से वह मर गया।

आरजी सुलह होने के बाद शीघ्र ही मैं दिल्ली से लखनऊ पहुँचा। हमने सारे देश में सविनय भंग बन्द करने के लिए आवश्यक तमाम कार्रवाई की, और काँग्रेस की तमाम शाखाओं ने हमारी हिदायतों का पालन बड़े ही नियम के साथ किया। हमारे साथियों में ऐसे कितने ही लोग थे जो समझते थे नाराज थे, और कितने ही तो आग-बबूला भी थे। इधर उन्हें सविनय भंग से रोकने पर मजबूर करने के लिए हमारे पास कोई साधन न था। मगर जहाँतक मुझे मालूम है, बिना एक भी अपवाद के उस सारे विशाल संगठन ने अमल के द्वारा इस नई व्यवस्था को स्वीकार किया, हालाँकि कितने ही लोगो ने उसकी आलोचना भी की थी। मुझे खास तौर पर दिलचस्पी इस बात पर थी कि हमारे सूबे में इसका क्या असर होगा? क्योंकि वहाँ कुछ क्षेत्रों में करबंदी-आन्दोलन तेजी से चल रहा था। हमारा पहला काम यह देखना था कि सत्याग्रही कैदी रिहा हो जायें। वे हजारों की तादाद में छूटते थे और कुछ समय बाद सिर्फ बही लोग जेल में रह गये जिनका मामला बहस-तलब था—उन हजारों नज़रबन्दों के और उन लोगों के अलावा जो हिंसात्मक कार्यों के लिए सजा पाये हुए थे और जो रिहा नहीं किये गये थे।

ये जेल से छूटे हुए कैदी जो अपने गाँवों और कस्बे में गये तो स्वभावतः लोगो ने उनका स्वागत किया। कई लोगों ने सजावट भी की, बन्दनवारें लगवाईं, जुलूस निकाले, सभाये की, भाषण हुए और स्वागत में मानपत्र भी दिये गये। यह सब कुछ होना बहुत स्वाभाविक था और इसीकी आशा भी की जा सकती थी। मगर वह जमाना जबकि चारों ओर पुलिस की लाठियाँ-ही-लाठियाँ दिखाई देती थीं, सभा और जुलूस जबर्दस्ती बिखेर दिये जाते थे, एकाएक बदल गया था। इससे पुलिसवाले ज़रा बेचैनी अनुभव करने लगे और कदाचित् हमारे बहुतेरे जेल से आनेवालों में विजय कब

भाव भी आ गया था। यो अपनेको विजयी मानने का शायद ही कोई कारण था; लेकिन जेल से आने पर (अगर जेल में स्पिरिट कुचल न दी गई हो तो) हमेशा एक आनन्द और अभिमान की भावना पैदा होती है, और झुंड-के-झुंड लोगों के एक-साथ जेल से छूटने पर तो यह आनन्द और अभिमान और अधिक बढ़ जाता है।

मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया है कि आगे जाकर सरकार ने इस 'विजय के भाव' पर बड़ा ऐतराज किया था, और हमपर इसके लिए इल्जाम लगाया गया था! हमेशा हुकूमत-परस्ती के वातावरण में रहने और पाले-पोसे जाने के कारण और शासन के संबन्ध में ऐसे फौजी स्वरूप की धारणा होने से, जिसको जनता का आधार या समर्थन प्राप्त नहीं होता, उनके नज़दीक उस चीज़ के कमज़ोर हो जाने से बढ़कर दुःखदाई बात दूसरी नहीं हो सकती जिसे वे अपना रौब समझते हैं। जहाँतक मुझे पता है, हममें से किसीको इसका कोई खयाल न था और जब हमने बाद को यह सुना कि सरकारी अफसर ठेठ शिमला-शैल से लेकर नीचे मैदान तक लोगों की इस गुस्ताखी पर सिर से पैर तक आग-बगूला होने लगे और ऐसा अनुभव करने लगे मानो उनके अभिमान पर चोट पड़ी है, तो उसपर हम आश्चर्य से दंग रह गये। जो अखबार उनके विचारों की प्रतिध्वनि करते हैं वे तो अबतक भी इससे बरी नहीं हुए हैं। अब भी वे, हालाँकि ३-३॥ साल हो गये हैं, उन साहिसक और बुरे दिनों का, जबकि उनके मतानुसार कांग्रेसी इस तरह विजय-घोष करते फिरते थे कि मानो उन्होंने कोई बड़ी भारी फतह हासिल की हो, जिक्र भय से काँपते हुए करते हैं। अखबारों में सरकार ने और उनके दोस्तों ने जो क्रोध उगला वह हमारे लिए एक नई बात थी। उससे पता लगा कि वे कितने घबरा गये थे, उन्हें अपने दिल को कितना दबा-दबाकर रखना पड़ा था, जिससे उनके मन में तरह-तरह की विषमताये आ गई थी। यह एक अनोखी बात है कि थोड़े-से जुलूसों से और हमारे लोगों के कुछ भाषणों से उनके यहाँ इतना तहलका मच गया।

सच पूछो तो कांग्रेस के साधारण लोगों में ब्रिटिश सरकार को 'हरा देने' का कोई भाव नहीं था और नेताओं में तो और भी नहीं। लेकिन हाँ, अपने भाइयों और बहनों के त्याग और साहस पर हम लोगों के अन्दर एक विजय की भावना ज़रूर थी। देश ने १९३० में जो कुछ किया उसपर हमें फल ज़रूर है। उसने हमें अपनी ही निगाहों में ऊँचा उठा दिया, हमें आत्म-विश्वास प्रदान किया, और इस बात के खयाल से हमारे छोटे-से-छोटे स्वयंसेवक की भी छाती तन जाती और सिर ऊँचा हो जाता है। हम यह भी अनुभव करते थे कि इस महान् आयोजन ने, जिसने सारी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था, ब्रिटिश सरकार पर बहुत भारी दबाव डाला और हमको

अपने मंजिलेमकसूद के ज्यादा नजदीक पहुँचाया । इन सबका 'सरकार को हराने' से कोई ताल्लुक न था, और वास्तव में तो हममें से बहुतों को यही खयाल रहा है कि दिल्ली-समझौते में तो सरकार ही ज्यादा फायदे में रही है । इसमें से जिन लोगों ने यह कहा कि अभी तो हम अपने ध्येय से बहुत दूर हैं और एक बड़ा और मुश्किल संग्राम सामने आने को है, वे सरकार के मित्रों के द्वारा लड़ाई को उकसाने और दिल्ली-समझौते की स्पिरिट को तोड़ने के दोषी बताये गये ।

युक्तप्रान्त में अब हमें किसानों के मसले का सामना करना था । हमारी नीति अब यह भी थी कि जहाँतक मुमकिन हो ब्रिटिश सरकार से सहयोग किया जाय और, इसलिए, हमने तुरंत ही युक्तप्रान्तीय सरकार के साथ उसकी कार्रवाई शुरू करदी । बहुत दिनों के बाद सूबे के कुछ आला अफसरों से—कोई बारह साल तक हमने इधर सरकारी तौर पर कोई व्यवहार नहीं रक्खा था—में किसानों के मामले पर चर्चा करने के लिए मिला । इस विषय में हमारी लंबी लिखा-पढ़ी भी चली । प्रान्तीय कमिटी ने हमारे प्रान्त के एक प्रमुख व्यक्ति गोविन्दवल्लभ पन्त को एक मध्यस्थ के तौर पर नियत किया कि जो लगातार प्रान्तीय सरकार के संपर्क में रहें । सरकार की तरफ से ये बातें मान ली गई कि हाँ, किसान वाकई संकट में हैं, अनाज के भाव बहुत बुरी तरह गिर गये हैं, और एक औसत किसान लगान देने में असमर्थ है । सवाल सिर्फ यह था कि कितनी छूट दी जाय, लेकिन इस विषय में कुछ कार्रवाई करना प्रान्तीय सरकार के हाथ में था । मामूल के मुताबिक तो सरकार जमींदारों से ही ताल्लुक रखती है, सीधा काश्तकारों से नहीं; और लगान कम करना या उसमें छूट देना जमींदारों का ही काम था । लेकिन जमींदारों ने तबतक ऐसा करने से इन्कार कर दिया जबतक सरकार भी उनको उतनी ही छूट न दे दे । और उन्हें तो किसी भी सूत्र में अपने काश्तकारों को छूट देने की ऐसी पड़ी नहीं थी । इसलिए फ़ैसला तो आखिर सरकार को ही करना था ।

प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी ने किसानों से कह दिया था कि कर-बन्दी की लड़ाई रोक दी गई है और जितना हो सके उतना लगान दे दो । मगर उनके प्रतिनिधि की हँसियत से उसने काफ़ी छूट चाही थी । बहुत दिनों तक सरकार ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की । गालिबन गवर्नर सर माल्कम हेली के छुट्टी या स्पेशल ड्यूटी पर चले जाने से वह दिक्कत महसूस कर रही थी । इसमें तुरन्त और व्यापक परिणाम लानेवाली कार्रवाई करने की जरूरत थी । ताहम कार्यवाहक गवर्नर और उनके साथी कार्रवाई करने में हिचकते थे, और सर माल्कम हेली के आने तक (गर्मियों तक) मामले को आगे बढ़केलते रहे । इस देरी और डील-पोल ने उस मुश्किल हालत को और भी खराब बना दिया, जिससे काश्तकारों को बहुत नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा ।

दिल्ली-समझौते के बाद ही मेरी तन्दुरुस्ती कुछ खराब हो गई। जेल में भी मेरी तबीयत अलील रही। उसके बाद पिताजी की मृत्यु से धक्का लगा और फिर फौरन ही दिल्ली में सुलह की चर्चा का जोर पड़ा। यह सब मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकार साबित हुए। लेकिन कराची-कांग्रेस जाने तक मैं कुछ-कुछ ठीक हो चला था।

कराची हिन्दुस्तान के ठेठ उत्तर-पश्चिम कोने में है, जहाँकि पहुँचना मुश्किल है। बीच में बड़ा रेतीला मैदान है, जिससे वह हिन्दुस्तान के शेष हिस्सों से बिलकुल जुदा पड़ जाता है। लेकिन फिर भी वहाँ दूर-दूर के हिस्सों से बहुत लोग आये थे और वे उस समय देश का जैसा मिजाज था उसको सही तौर पर जाहिर करते थे। लोगों के दिलों में शान्ति के भाव थे और राष्ट्रीय आन्दोलन की जो ताकत देश में बढ़ रही थी उसके प्रति गहरा सन्तोष था। कांग्रेस-संगठन के प्रति, जिसने कि देश की भारी पुकार और माँग का बड़ी योग्यता-पूर्वक जवाब दिया था और जिसने अनुशासन और त्याग के द्वारा अपने अस्तित्व की पूरी सार्थकता दिखलाई थी, उनके मन में अभिमान था। अपने लोगों के प्रति विश्वास का भाव था और उसके उत्साह में संयम दिखलाई पड़ता था। इसके साथ ही आगे आनेवाले जबर्दस्त प्रश्नों और खतरों के प्रति जिम्मेदारी का गहरा भाव भी था। हमारे शब्द और प्रस्ताव अब राष्ट्रीय पैमाने पर किये जानेवाले कार्यों के मंगलाचरण थे और वे यों ही बिना सोचे-विचारे न बोले जाते थे, न पास किये जाते थे। दिल्ली-समझौते को यद्यपि बड़ी बहुमति ने पास कर दिया था, तो भी वह लोकप्रिय नहीं था, और न पसन्द ही किया गया था, और लोगो के अन्दर यह भय काम कर रहा था कि यह हमें तरह-तरह की भद्दी और विषम स्थितियों में लाकर पटक देगा। कुछ ऐसा-सा दिखाई पड़ता था कि देश के सामने जो सवाल हैं उनको यह अस्पष्ट कर देगा। कांग्रेस के अधिवेशन के ठीक पहले ही एक और देश की नाराजगी का बाइस पंदा हो गया था—भगर्तसिंह का फाँसी पर लटकाया जाना। उत्तर-भारत में इस भावना की लहर तेज थी और कराची उत्तर में ही होने के कारण वहाँ पंजाब से बड़ी तादाद में लोग आये थे।

पिछली किसी की कांग्रेस की बनिस्बत कराची-कांग्रेस में तो गाधीजी की ओर भी बड़ी निजी विजय हुई थी। उसके सभापति सरदार बल्लभभाई पटेल हिन्दुस्तान के बहुत ही लोकप्रिय और जोरदार आदमी थे और उन्हें गुजरात के सफल नेतृत्व की सुकीर्ति प्राप्त थी। फिर भी उसमें दौरदौरा तो गाधीजी का ही था। अब्दुल-गफ्फारखाँ के नेतृत्व में सीमाप्रान्त से भी लालकुर्तीवालों का एक अच्छा दल वहाँ पहुँचा था। लालकुर्तीवाले बड़े लोकप्रिय थे। जहाँ कहीं भी जाते लोग तालियों से उनका स्वागत करते। क्योंकि अप्रैल १९३० से गहरी उत्तंजना दिखाई जाने पर भी

उन्होंने असाधारण शान्ति और साहस की छाप हिन्दुस्तान पर छोड़ी है। लालकुर्ती नाम से कुछ लोगों को यह गुमान हो जाता था कि वे कम्यूनिस्ट या वाम-पक्षीय मजदूर-दल के थे। सच पूछो तो उनका नाम खुदाई खिदमतगार था और वह संगठन काँग्रेस के साथ मिलकर काम करता था (बाद को १९३१ में काँग्रेस का एक अभिन्न अंग बना लिया गया था)। वे लालकुर्ती वाले महज इसलिए कहलाते थे कि उनकी वर्दी ज़रा पुराने ढंग की लाल थी। उनके कार्य-क्रम में कोई आर्थिक नीति शामिल नहीं थी, वह तो राष्ट्रीय था और उसमें सामाजिक सुधार भी शामिल था।

कराची के मुख्य प्रस्ताव में दिल्ली-समझौता और गोलमेज-कान्फ़ेन्स का विषय था। कार्य-समिति ने जिस अन्तिम रूप में उसे पास किया था उसे मैंने अवश्य ही मंजूर कर लिया था। मगर जब गांधीजी ने मुझे खुले अधिवेशन में उसे पेश करने के लिए कहा, तो मैं ज़रा हिचकिचाया। यह मेरी तबीयत के खिलाफ था। पहले मैंने इन्कार कर दिया, मगर बाद को मुझे यह अपनी कमजोरी और असन्तोषजनक स्थिति दिखाई दी। या तो मुझे इसके हक में होना चाहिए या इसके खिलाफ; यह मुनासिब नहीं था कि ऐसे मामले में टालमटोल करूँ और लोगों को अटकलें बाँधने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दूँ। अतः बिल्कुल आखिरी क्षण में खुले अधिवेशन में प्रस्ताव आने के कुछ ही मिनट पहले मैंने उसे पेश करने का निश्चय किया। अपने भाषण में मैंने अपने हृदय के भाव ज्यों-के-त्यों उस विशाल जन-समूह के सामने रख दिये और उनसे पंरबी की कि वे उस प्रस्ताव को तहेदिल से मंजूर कर लें। मेरा वह भाषण जो ऐन वक्त पर अन्त स्फूर्ति से दिया गया और जो हृदय के अन्तस्तल से निकला था, जिसमें न कोई अलंकार था न मुन्दर शब्दावली, कदाचित् मेरे उन कई भाषणों से ज्यादा सफल रहा जिनके लिए ज्यादा ध्यान देकर तैयारी करने की ज़रूरत हुई थी।

मैं और प्रस्तावों पर भी बोला था। इनमें भगनसिंह, मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति के प्रस्ताव उल्लेखनीय हैं। आखिरी प्रस्ताव में मेरी खास दिलचस्पी थी। क्योंकि एक तो उसका विषय ही ऐसा था और दूसरे उसके द्वारा काँग्रेस में एक नये दृष्टिकोण का प्रवेश होना था। अबतक काँग्रेस सिर्फ राष्ट्रीयता की ही दिशा में सोचती थी और आर्थिक प्रश्नों के मुक्काबिले से बचती रहती थी। जहाँतक ग्राम-उद्योगों से और आम तौर पर स्वदेशी को बढ़ावा देने से ताल्लुक था, उसको छोड़कर कराची वाले इस प्रस्ताव के द्वारा मूल उद्योगों और नौकरियों के राष्ट्रीयकरण और ऐसे ही दूसरे उपायों के प्रचार के द्वारा शरीबों का बोझा कम करके अमीरों पर बढ़ाने के लिए एक बहुत छोटा क़दम, समाजवाद की दिशा में, उठाया गया; लेकिन वह समाजवाद कतई नहीं था। पूंजीवादी राज्य भी उसकी प्रायः हर बात को आसानी से मंजूर कर सकता है।

इस बहुत ही नरम और निःसार प्रस्ताव ने भारत-सरकार के बड़े-बड़े लोगों को भारी और गहरे विचार में डाल दिया। कदाचित् उन्होंने अपनी सदा की अन्तर्दृष्टि के मुताबिक यह भी कल्पना की कि बोलशेविकों का रूपया लुक-छिपकर कराची जा पहुँचा है और कांग्रेस के नेताओं को नीति-भ्रष्ट कर रहा है। एक तरह के राजनैतिक अन्तःपुर में रहते-रहते, बाहरी दुनिया से कटे-हटे, गुप्त वातावरण में घिरे हुए उनके दिमाग को रहस्य और भेद की कहानियाँ और कल्पित कथाओं के मुनने का बड़ा शौक रहता है। और फिर ये किस्से एक रहस्यपूर्ण ढंग से थोड़ा-थोड़ा करके अपने प्रीति-प्राप्त अखबारों में दिये जाते हैं और साथ में यह झलकाया जाता है कि यदि परदा खोल दिया जाय तो और भी कई गुल खिल सकते हैं। उनके इस मान्य प्रचलित तरीके से मौलिक अधिकार वगैरा सम्बन्धी कराची के प्रस्तावों का बार-बार जिक्र किया गया है और मैं उनसे यही नतीजा निकाल सकता हूँ कि वे इस प्रस्ताव पर सरकारी सम्मतियों के निदर्शक हैं। किस्सा यहाँ तक कहा जाता है कि एक छिपे व्यक्ति ने, जिसका कम्प्यूनिस्टों से ताल्लुक है, प्रस्ताव का या उसके ज्यादातर हिस्से का ढाचा बनाया है और उसने कराची में वह मेरे मत्थे मढ़ दिया। उसपर मैंने गाँधीजी को चुनौती दे दी कि या तो इसे मंजूर कीजिए या दिल्ली-समझौते पर मेरी मुखालिफत के लिए तैयार रहिए। और गाँधीजी ने मुझे चुप करने के लिए यह रिश्वात दे दी तथा आखिरी दिन जबकि विषय-समिति और कांग्रेस थकी हुई थी, उन्होंने इसे उनके सिर पर लाद दिया।

उस छिपे व्यक्ति का नाम, जहा तक मुझे पता है, यो साफ-साफ लिया नहीं गया है। लेकिन तरह-तरह के इशारों से मालूम हो जाता है कि उनकी मंशा किनसे है। मुझे छिपे तरीको और और घुमाव-फिराव में बात कहने की आदत नहीं, इसलिए मैं सीधे ही कह दूँ कि उनकी मंशा शायद एम० एन० राय में है। शिमला और दिल्ली के ऊँचे आसनवालों के लिए यह जानना दिलचस्प और शिक्षाप्रद होगा कि एम० एन० राय या दूसरे 'कम्प्यूनिस्ट-प्रवृत्ति रखनेवाले' कराची के उस सीधे-सादे प्रस्ताव के बारे में क्या खयाल करते हैं। उन्हें यह जानकर ताज्जुब होगा कि उस तरह के आदमी तो उस प्रस्ताव को कुछ घृणा की दृष्टि से देखते हैं। क्योंकि उनके मतानुसार तो यह मध्यम वर्ग के सुधारवादियों की मनोवृत्ति का एक खासा उदाहरण है।

जहा तक गाँधीजी से ताल्लुक है, उनसे मेरी घनिष्ठता पिछले १७ सालों से है और मुझे उन्हें बहुत नजदीक से जानने का सौभाग्य प्राप्त है। यह खयाल कि मैं उन्हें चुनौती दूँ, या उनसे सौदा करूँ, मेरी निगाह में राक्षसी है। हा, हम एक-दूसरे का

खूब लिहाज रखते हैं और कभी किसी विशेष मसले पर अलग-अलग भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे आपस के व्यवहारों में बाज़ारू तरीकों से हरगिज़ काम नहीं लिया जा सकता ।

काँग्रेस में इस तरह के प्रस्ताव को पास कराने का खयाल पुराना है । कुछ सालों से युक्तप्रान्तीय काँग्रेस कमिटी इस विषय में हलचल मचा रही थी और कोशिश कर रही थी कि अ० भा० काँग्रेस कमिटी समाजवादी प्रस्ताव को स्वीकार कर ले । १९२९ में उसने अ० भा० कां० कमिटी में कुछ हद तक उसके सिद्धान्त को स्वीकार करा लिया था । उसके बाद सत्याग्रह आ गया । दिल्ली में, फ़रवरी १९३१ में, जबकि मैं गांधीजी के साथ सुबह घूमने जाया करता था, मैंने उनसे इस मामले का जिक्र किया था और उन्होंने आर्थिक विषयों पर एक प्रस्ताव रखने के विचार का स्वागत किया था । उन्होंने मुझसे कहा था कि कराची में इस विषय को उठाना और इस विषय में एक प्रस्ताव बनाकर मुझे दिखाना । कराची में मैंने मसविदा बनाया और उन्होंने उसमें बहुतेरे परिवर्तन सुझाये और सूचनायें कीं । वह चाहते थे कि कार्य-समिति में पेश करने के पहले हम दोनों उसकी भाषा पर सहमत हो जायें । मुझे कई मसविदे बनाने पड़े और इससे इस मामले में कुछ दिन की देरी हो गई । आखिर गांधीजी और मैं दोनों एक मसविदे पर सहमत हो गये और तब वह कार्य-समिति में और उसके बाद विषय-समिति में पेश किया गया । यह बिलकुल सच है कि विषय-समिति के लिए यह एक नया विषय था और कुछ मेम्बरो को उसे देखकर ताज्जुब हुआ था । फिर भी वह कमिटी में और काँग्रेस में आसानी से पास हो गया और बाद में अ० भा० का० कमिटी को सौंप दिया गया कि वह निर्दिष्ट दिशा में उसको और विषद और व्यापक बनावे ।

हां, जब मैं इस प्रस्ताव का खर्चा बना रहा था तब कितने ही लोगो से, जा मेरे डेरे पर आया करते थे, इसके बारे में मैं कभी-कभी कुछ सलाह ले लिया करता था । मगर एम० एन० राय से इसका कतई कोई ताल्लुक नहीं था, और मैं यह अच्छी तरह जानता था कि वह इसको बिलकुल पसन्द नहीं करेंगे और इसकी खिल्ली तक उड़ावेंगे ।

अलबत्ता कराची आने के कुछ दिन पहले इलाहाबाद में एम० एन० राय से मेरी मुलाकात हुई थी । वह एक रोज शाम को अकस्मात् हमारे घर आये । मुझे पता नहीं था कि वह हिन्दुस्तान में है । ताहम मैंने उन्हें फौरन पहचान लिया, क्योंकि उनको मैंने १९२७ में मास्को में देखा था । कराची में वह मुझसे मिले थे, मगर शायद प्राँच मिनट से ज्यादा नहीं । पिछले कुछ सालो में राजनैतिक दृष्टि से मेरी निन्दा करते हुए मेरे खिलाफ उन्होंने बहुत-कुछ लिखा है, और अक्सर मुझे चोट पहुँचाने

में कामयाब भी हुए हैं। गो उनके और मेरे बीच बहुत मतभेद है, ताहम मेरा आकर्षण उनकी ओर हुआ, और बाद को जब वह गिरफ्तार हुए और मुसीबत में थे तब मेरा जी हुआ कि जो-कुछ मुझसे हो सके (और वह बहुत थोड़ी थी) उनकी मदद करूं। मैं उनकी तरफ आकर्षित हुआ उनकी विलक्षण बौद्धिक क्षमता को देखकर। मैं उनकी तरफ इसलिए भी खिंचा कि मुझे वह सब तरह अकेले मालूम हुए, जिनको हर आदमी ने छोड़ दिया था। ब्रिटिश सरकार उनके पीछे पड़ी हुई थी ही। हिन्दु-स्तान के राष्ट्रीय दल के लोगों की उनकी ओर दिलचस्पी नहीं थी। और जो लोग हिन्दुस्तान में अपनेको कम्यूनिस्ट कहते हैं वे विश्वासघाती समझकर उनकी निन्दा करते थे। मुझे मालूम हुआ कि सालों तक रूस में रहने और कोमिनटर्न के साथ घनिष्ठ सहयोग करने के बाद वह उनसे जुदा पड़ गये थे, या जुदा कर दिये गये थे। ऐसा क्यों हुआ इसका मुझे पता नहीं है, और सिवा कुछ आभास के न अबतक यही जानता हूँ कि उनके मौजूदा विचार क्या हैं और पुराने कम्यूनिस्टो से किस बात में उनका मतभेद है। लेकिन उनके जैसे पुरुष को इस तरह प्रायः हरेक के द्वारा अकेला छोड़े जाते देखकर मुझे पीड़ा हुई और अपनी आदत के खिलाफ मैं उनके लिए बनाई गई डिफेंस कमिटी में शामिल हुआ। १९३१ की गर्मियों से, अबसे कोई तीन वर्ष पहले से, वह जेल में हैं, बीमार हैं और प्रायः तनहाई में रह रहे हैं।

कराची में कांग्रेस-अधिवेशन का एक आखिरी कार्य था कार्य-समिति का चुनाव। यों तो उसका चुनाव अ० भा० का० कमिटी द्वारा होता है, मगर ऐसा रिवाज पड़ गया था कि उस साल का सभापति (गांधीजी और कभी-कभी दूसरे साथियों की सलाह से) नाम पेश करता और वे अ० भा० का० कमिटी में मंजूर कर लिये जाते। लेकिन कराची में हुए कार्य-समिति के चुनाव का बुरा नतीजा निकला, जिसका पहले किमी को खयाल नहीं हुआ था। अ० भा० का० कमिटी के कुछ मुसलमान मेम्बरो ने इस चुनाव पर ऐतराज किया था। खास तौर पर एक (मुस्लिम) नाम पर। शायद उन्होंने उसमें अपनी तौहीन समझी थी कि उनके दल का उसमें कोई भी आदमी नहीं था। एक ऐसी अ० भा० कमिटी में जिसमें केवल १५ ही मेम्बर हो, यह सरासर असंभव था कि सभी हितों के प्रतिनिधि उसमें रहे। और असली झगड़ा था, जिसके बारे में हमें कुछ भी इल्म नहीं था, बिलकुल जाती और पंजाब का मुकामी। लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि जिन लोगों ने विरोध की आवाजें उठाई थी वे (पंजाब में) कांग्रेस से हटकर मजलिसे अहरार में शरीक हो गये। कांग्रेस के कुछ बहुत ही मुस्तैद और लोकप्रिय कार्यकर्ता उसमें शामिल हो गये और पंजाब के कितने ही मुसलमानों को उसने अपनी ओर खींच लिया। निचले मध्यमवर्ग के लोग उसमें थे

और मुस्लिम जनता से उसका बहुत संपर्क था। इस तरह वह एक जबर्दस्त संगठन बन गया। उच्च श्रेणी के मुस्लिम फिरकेवाराना लोगों के, जो कि या तो हवा में या दीवानखाने में या कमिटियों के कमरों में इकट्ठा होते थे, लुंज संगठन की बनिस्बत यह कहीं ज्यादा मजबूत था। अहरार लोग वैसे तो फिरकापरस्ती की तरफ चले गये, मगर मुस्लिम जनता के साथ उन्होंने अपना सिलसिला बाँध रक्खा था। इसलिए वे एक जिन्दा जमात बने रहे, जिसका एक धुधलासा आधिक दृष्टिकोण है। देशी राज्यों के मुसलमान-आन्दोलन में, खासकर कश्मीर में, उन्होंने बड़ा काम किया है जिनमें कि आधिक कष्ट और फिरकापरस्ती दोनों अजीब तरह से और बदकिस्मती से घुल-मिल गये हैं। काँग्रेस से अहरार-पार्टी के कुछ नेताओं का कट जाना पंजाब में काँग्रेस के लिए बहुत ही मुज़िब हुआ। मगर कराची में इसका हमें क्या पता था? बाद में जाकर धीरे-धीरे हमें इसका अहसास होने लगा। लेकिन यह न समझना चाहिए कि कार्य-समिति के चुनाव के कारण ही वे लोग काँग्रेस से अलग हो गये हों। वह तो एक तिनका था जिसने हवा के रुब को बताया। उसके असली कारण तो और ही हैं, और वे गहरे हैं।

हम सब कराची में ही थे कि कानपुर के हिन्दू-मुसलिम दंगे की खबर हमें मिली। इसके बाद ही दूसरा समाचार यह मिला कि गणेशशंकर विद्यार्थी को कुछ मजहबी दीवाने लोगो ने, जिनकी मदद के लिए वह वहाँ गये थे, कत्ल कर डाला। वे भयंकर और पाशविक दंगे ही क्या कम बुरे थे? लेकिन गणेशजी की मृत्यु ने हमें उनकी भयंकरता की बीभत्सता जिस तरह हमारे हृदय पर अंकित कर दी वैसे और कोई चीज नहीं कर सकती थी। उस काँग्रेस-कैम्प में हज़ारों आदमी उन्हें जानते थे और कुछ प्रान्त के हम सब लोगों के वह निहायत प्यारे साथी और दोस्त थे। जवांमद और निडर, दूरदर्शी और निहायत अक्लमन्द सलाहकार, कभी हिम्मत न हारनेवाले, चुपचाप काम करनेवाले, नाम, शोहरत, पद और प्रकाशन से दूर भागने वाले। अपनी जवानी के उत्साह में झूमते हुए वह हिन्दू-मुसलिम एकता के लिए, जो उन्हें इतनी प्यारी थी और जिसके लिए उन्होंने अबतक कार्य किया था, अपना सिर हथेली पर लेकर खुशी-खुशी आगे बढ़े थे कि बेवकूफ हाथों ने उन्हें जमीन पर मार गिराया और कानपुर को और सूबे को एक अत्यंत उज्ज्वल रत्न से महरूम कर दिया। जब यह खबर पहुँची तो कराची के यू० पी० कैम्प में शोक की घटा छा गई और ऐसा मालूम हुआ कि उसकी शान चली गई। लेकिन फिर भी उसके दिल में यह अभिमान था कि गणेशजी ने बिना पीछे कदम उठाये मौत का मुकाबिला किया और उन्हें ऐसी गौरव-पूर्ण मौत नसीब हुई।

लंका में विश्राम

मेरे डाक्टरों ने मुझपर जोर दिया कि मुझे कुछ आराम लेना चाहिए, और आब-हवा बदलनी चाहिए। मैंने लंका द्वीप में एक महीना गुज़ारना तय किया। हिन्दुस्तान बड़ा भारी देस होने पर भी, इसमें स्थान-परिवर्तन या मानसिक विश्राम की असली संभावना दिखाई न दी; क्योंकि मे जहाँ भी जाता वहाँ राजनैतिक साथी मिलते ही, और वही समस्यायें भी मेरे पीछे-पीछे वहाँ आ जाती। लंका ही हिन्दुस्तान से सबसे नज़दीक की जगह थी, इसलिए हम लंका ही गये—कमला, इन्दिरा और मैं। १९२७ में योरप से लौटने के बाद यही मेरी पहली तातील थी, यही पहला मौका था जब मेरी पत्नी, कन्या और मैंने एक-साथ शान्ति से कहीं विश्राम किया हो, और हमें कोई चिन्तायें न रही हो। ऐसा विश्राम फिर नहीं मिला है, और मुझे संदेह है कि शायद मिलेगा भी या नहीं।

फिर भी, दरअसल, हमें लंका में सिवा नुवाया एलीया के दो हफ्तों के ज्यादा विश्राम भी नहीं मिला। वहाँ के सभी वर्गों के लोगों ने हमारे प्रति बहुत ही आतिथ्य और मित्र-भाव प्रदर्शित किया। यह इतनी सद्भावना बहुत अच्छी तो लगती थी, मगर परेशानी में भी डाल देती थी। नुवाया एलीया मे बहुत-से श्रमिक, चाय-बागान के मज़दूर और दूसरे लोग रोज़ कई मील चलकर आया करते थे, और अपने साथ अपनी प्रेम-पूर्ण भेंट की चीज़ें—जंगल के फूल, सब्जियाँ, घर का मक्खन—भी लाया करते थे। हम तो उनसे प्रायः बात भी नहीं कर सकते थे; एक-दूसरे की तरफ़ देख भर लेते थे और मुस्करा देते थे। हमारा छोटा-सा घर उनकी भेंट की इन कीमती चीज़ों से, जो वे अपनी दरिद्र अवस्था में भी हमें दे जाते थे, भर गया था। ये चीज़ें हम वहाँ के अस्पतालों और अनाथालयों को भेज दिया करते थे।

हमने उस द्वीप की मशहूर चीज़ों और ऐतिहासिक खंडहरों, बौद्ध मठों और घने जंगलों को देखा। अनुराधापुर में मुझे बुद्ध की एक पुरानी बैठी हुई मूर्ति बहुत पसन्द आई। एक साल बाद जब मे देहरादून-जेल में था, तब लंका के एक मित्र ने इस मूर्ति का चित्र मेरे पास भेज दिया था, जिसे मैं अपनी कोठरी में अपने छोटे-से टेबल पर रखे रूहता था। यह चित्र मेरा बड़ा मूल्यवान साथी बन गया था, और बुद्ध की मूर्ति के गंभीर शान्त भावों से मुझे बड़ी शान्ति और शक्ति मिलती थी, जिससे मुझे कई बार उदासी के भौकों पर बड़ी मदद मिली।



कमला नेहरू :: जवाहरलालजी :: इंदिरा प्रियदर्शिनी
[फ्रेड वाहन एण्ड कं०, सीलोन के सौजन्य से प्राप्त]

बुद्ध ह्येषा मुझे बहुत आकर्षक प्रतीत हुए हैं। इसका कारण बताना तो मुश्किल है, मगर वह धार्मिक नहीं है; क्योंकि बौद्ध-धर्म के साथ-साथ जो सिद्धान्त या मत बन गये हैं उनमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके व्यक्तित्व ने ही मुझे आकर्षित किया है। इसी तरह ईसा के व्यक्तित्व के प्रति भी मुझे बड़ा आकर्षण है।

मैंने मठों में और सड़कों पर बहुत-से 'भिक्षुओं' को देखा, जिन्हें हर जगह, जहाँ कहीं वे जाते थे, सम्मान मिलता था। करीब-करीब सभीके चेहरों पर शान्ति और निश्चलता का, तथा दुनिया की फिक्रों से एक विचित्र वैराग्य का, मुख्य भाव था। आम तौर पर, उनके चेहरे से बुद्धिमत्ता नहीं झलकती थी; उनकी सूरत से दिमाग के अन्दर होनेवाला भयंकर संघर्ष नहीं मालूम पड़ता था। उन्हें जीवन महासागर की ओर शान्ति से बहती हुई नदी के समान दिखाई देता था। मैं उनकी तरफ कुछ रस्क के साथ, आँधी और तूफान से बचानेवाला शान्त बन्दरगाह पाने की एक हलकी उत्कण्ठा के साथ, देखता था। मगर मैं तो जानता था कि मेरी किस्मत में और ही कुछ है, उसमें तो आँधी और तूफान ही है। मुझे कोई शान्त बन्दरगाह मिलनेवाला नहीं है, क्योंकि मेरे भीतर का तूफान भी उतना ही तेज है जितना बाहर का। और अगर मुझे कोई ऐसा बन्दरगाह मिल भी जाय, जहाँ इत्तिफाक से आँधी की प्रचंडता न हो, तो भी क्या वहाँ मैं सन्तोष और सुख से रह सकूँगा ?

कुछ समय के लिए तो वह बन्दरगाह खुशनुमा ही था। वहाँ आदमी पड़ा रह सकता था, स्वप्न देख सकता था, और उष्ण-कटिबन्ध का शान्तिप्रद और जीवनदायी आनन्द अपने अन्दर भर सकता था। लंकाद्वीप उस समय भी मेरी वृत्ति के अनुकूल था, और उसकी शोभा देखकर मेरा हृदय हर्ष से भर गया। विश्राम का हमारा महीना जल्दी ही खत्म हो गया, और दिली अफ़सोस के साथ हम वहाँ से बिदा हुए। उस भूमि और वहाँ के लोगों की कई बातों की याद मुझे अब भी आया करती है; जेल के मेरे लम्बे और सूने दिनों में भी यह मीठी याद मेरे साथ रही। एक छोटी-सी घटना मुझे स्मरण है, वह शायद जाफ़ना के पास हुई थी। एक स्कूल के शिक्षकों और लड़कों ने हमारी मोटर रोक ली, और अभिवादन के कुछ शब्द कहे। दृढ़ और उत्सुक चेहरे लिये लड़के खड़े रहे, और उनमें से एक मेरे पास आया। उसने मुझसे हाथ मिलाया। बिना कुछ पूछे या दलील किये उसने कहा—“मैं कभी लड़खड़ाऊँगा नहीं।” उस लड़के की उन चमकती हुई आँखों की, उस आनन्दपूर्ण चेहरे की, जिसमें निश्चय की दृढ़ता भरी हुई थी, छाप मेरे मन पर अब भी पड़ी हुई है। मुझे पता नहीं कि वह कौन था, उसका कोई पता-ठिकाना मेरे पास नहीं है; मगर किसी-न-किसी प्रकार मुझे यह विश्वास होता है कि वह अपने शब्दों का पक्का रहेगा, और जब जीवन की

विषम समस्याओं का मुकाबिला उसे करना होगा तब वह लड़खड़ाया नहीं, पीछे नहीं रहेगा।

लंका से हम दक्षिण भारत, ठीक कुमारी अन्तरीप के पास, दक्षिणी सिरे पर गये। वहाँ आश्चर्यजनक शान्ति थी। इसके बाद हम त्रावणकोर, कोचीन, मलाबार, मैसूर, हैदराबाद में होकर गुजरे, जो ज्यादातर देशी रियासतें हैं। इनमें से कुछ दूसरों से बहुत प्रगतिशील हैं, कुछ बहुत पिछड़ी हुई हैं। त्रावणकोर और कोचीन शिक्षा में ब्रिटिश-भारत से भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं। मैसूर शायद उद्योग-धन्वों में आगे बढ़ा हुआ है, और हैदराबाद करीब-करीब पूरी तरह पुराने सामन्त-तन्त्र का स्मारक है। हमें हर जगह, जनता से भी और अधिकारियों से भी, आदर और स्वागत मिला। मगर इस स्वागत में अधिकारियों की यह चिन्ता भी छिपी हुई थी कि हमारे वहाँ आने से कहीं लोगों के खयालत खतरनाक न हो जायें। मालूम होता है, उस वक्त मैसूर और त्रावणकोर ने राजनैतिक कार्य के लिए कुछ नागरिक स्वतन्त्रता और अवसर दिया था। हैदराबाद में इतनी आजादी न थी। और, हालांकि हमारे साथ आदर का बर्ताव किया जा रहा था, फिर भी मुझे वह वातावरण दम घोटने और साँस रोकनेवाला मालूम हुआ। बाद में मैसूर और त्रावणकोर की सरकारों ने उतनी नागरिक स्वतन्त्रता और राजनैतिक कार्यों की सुविधा भी छीन ली, जो उन्होंने पहले दे रखी थी।

मैसूर रियासत के बंगलोर शहर में, एक बड़े मजमे के अन्दर, मैंने लोहे के एक ऊँचे खम्भे पर राष्ट्रीय झण्डा फहराया था। मेरे जाने के थोड़े दिनों बाद ही वह खम्भा तोड़कर टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया, और मैसूर-सरकार ने झण्डे का प्रदर्शन जुर्म करार दे दिया। मैंने जिस झण्डे को फहराया था उसकी इतनी खराबी और बेइज्जती होने से मुझे बड़ा रंज हुआ।

आज त्रावणकोर में कांग्रेस ही गैरकानूनी संस्था करार दे दी गई है और कांग्रेस का मेम्बर भी कोई नहीं बन सकता, हालांकि ब्रिटिश भारत में सविनय भंग रुक जाने के बाद से वह कानूनी हो गई है। इस तरह मैसूर और त्रावणकोर दोनों मामूली शान्तिपूर्ण राजनैतिक हलचल को भी कुचल रही हैं, और उन्होंने वे सुभीते भी छीन लिये हैं जो पहले दे रखे थे। ये रियासतें पीछे हट रही हैं। किन्तु हैदराबाद को पीछे जाने या सुविधायें छीनने की ज़रूरत ही न हुई, क्योंकि वह आगे कभी बढ़ी ही न थी और न उसने इस किस्म की कोई सुविधायें दी थीं। हैदराबाद में राजनैतिक सभायें कभी नहीं होतीं, और सामाजिक और धार्मिक सभायें भी सन्देह की दृष्टि से देखी जाती हैं, और उनके लिए भी खास इजाजत लेनी पड़ती है। वहाँ कोई भी अच्छे अखबार नहीं निकलते, और बाहर से बुराई के कीटाणु न आने देने के लिए हिन्दुस्तान

के दूसरे हिस्सों में छपनेवाले बहुत-से अस्त्रबारों की रियासत में रोक कर दी गई है। बाहर के असर से दूर रहने की यह नीति इतनी सख्त है कि माडरेट अस्त्रबारों की भी वहाँ मूमनियत है।

कोचीन में हम 'सफेद यहूदी' कहानेवाले लोगों का मुहल्ला देखने गये, और उनके पुराने मन्दिर में उनकी एक प्रकार की पूजा देखी। यह छोटा-सा समाज बहुत प्राचीन और बहुत अजीब है। इसकी तादाद घटती जा रही है। हमसे कहा गया कि कोचीन के जिस हिस्से में वे रहते हैं, वह जेरूसलेम के समान था। निश्चय ही वह पुरानी बनावट का तो मालूम हुआ।

मलाबार के किनारे हमने कुछ ऐसे कमबे देखे जिनमें ज्यादातर सीरियन मत के ईसाई बसे हुए थे। शायद इसका बहुत कम लोगो को खयाल होगा कि ईसाई-धर्म हिन्दुस्तान में ईसा के बाद पहली सदी में ही आ गया था, जबकि योरप ने भी उसे नहीं ग्रहण किया था, और दक्षिण हिन्दुस्तान में खूब मजबूती से जम गया था। हालांकि इन ईसाइयो का बड़ा धर्माध्यक्ष सीरिया के एण्टियोक या और किसी क़सबे में है, मगर इनकी ईसाइयत ज्यादातर हिन्दुस्तानी चीज़ ही है और उसका बाहर से ज्यादा ताल्लुक नहीं है।

दक्षिण में नेस्टेरियन मत के लोगों की भी एक बस्ती देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उनके पादरी ने मुझे बताया कि उनकी तादाद दस हजार है। मेरा तो यह खयाल था कि ये लोग कभी के दूसरे मतों में मिल चुके होंगे, और मुझे यह पता न था कि कभी वे हिन्दुस्तान में भी मौजूद थे। मगर मुझसे कहा गया कि एक समय हिन्दुस्तान में उनके अनुयायी बहुत थे, और वे उत्तर में बनारस तक फैले हुए थे।

हम हैदराबाद खासकर श्रीमती सरोजिनी नायडू और उनकी लड़कियों, पद्मजा और लीलामणि, से मिलने गये थे। जिन दिनों हम उनके यहाँ ठहरे हुए थे, एक बार मेरी पत्नी से मिलने के लिए कुछ पर्दानशीन स्त्रियाँ उन्हींके मकान पर इकट्ठा हो गईं, और शायद कमला ने उनके सामने कोई भाषण दिया। उसका भाषण सम्भवतः पुरुषों के बनाये हुए कानूनो और रिवाजो के खिलाफ़ स्त्रियो के युद्ध के (जो उसका एक खास प्यारा विषय था) बारे में था, और उसने स्त्रियों से कहा कि वे पुरुषों से बहुत न दबें। इसके दो या तीन हफ्ते बाद इसका एक बड़ा दिलचस्प नतीजा निकला। एक परेशान हुए पति ने हैदराबाद से कमला को खत लिखा कि, आपके यहाँ आने के बाद से मेरी पत्नी का बर्ताव अजीब हो गया है। वह पहले की तरह मेरी बात नहीं सुनती, न मेरी बात मानती है; बल्कि मुझसे बहस करती है और कभी-कभी सख्त हल्ल भी अस्थायर कर लेती है।

बंबई से लंका को रवाना होने के सात हफ्ते बाद हम फिर बंबई आ गये, और में फौरन ही काँग्रेस की राजनीति के भँवर में कूद पड़ा। कार्य-समिति की बैठकें कई जरूरी मामलों पर विचार करने के लिए होनेवाली थी—हिन्दुस्तान की स्थिति तेजी से बदलती और गंभीर होती जाती थी, यू० पी० के किसानों का प्रश्न जटिल हो गया था, खान अब्दुलगाफ्फारखां के नेतृत्व में सीमा-प्रान्त में लालकुर्ती-दल की आश्चर्यजनक प्रगति हुई थी, बंगाल में अत्यन्त विक्षोभ की दशा हो गई थी, और उसमें क्रोध और असन्तोष अन्दर-ही-अन्दर बढ़ गया था, सदा मौजूद साम्प्रदायिक समस्या तो थी ही, और काँग्रेस के लोगो और सरकारी अफसरों के बीच में कई तरह के मामलो में छोटे-छोटे कई स्थानीय झगड़े खड़े हो गये थे, जिनमें दोनों पक्ष एक-दूसरे पर दिल्ली-समझौते को तोड़ने का इलजाम लगाते थे। इसके अलावा यह सवाल भी बार-बार उठता था कि क्या काँग्रेस गोलमेज़-कान्फ्रेंस में शामिल होगी? क्या गांधीजी को वहाँ जाना चाहिए?

समझौता-काल में दिक्कतें

गांधीजी को गोलमेज-कान्फ्रेंस के लिए लन्दन जाना चाहिए या नहीं ? यह सवाल बराबर उठता रहता था, और इसका कोई निश्चित जवाब नहीं मिलता था। आखिरी मिनट तक कोई भी नहीं जानता था, कांग्रेस-कार्य-समिति और खुद गांधीजी भी नहीं जानते थे। क्योंकि, जवाब का आधार तो कई बातों पर था, और नई-नई घटनायें परिस्थिति को निरन्तर बदल रही थी। इस सवाल और जवाब की तह में असली और मुश्किल समस्याएँ खड़ी थी।

ब्रिटिश-सरकार और उसके दोस्ता की तरफ से हमसे बराबर कहा गया कि गोलमेज-कान्फ्रेंस ने तो विधान की रूप-रेखा निश्चित कर ही दी है, चित्र की मोटी-मोटी रेखायें खिंच चुकी हैं, और अब तो इनमें रंग भरना ही बाकी रहा है। मगर कांग्रेस ऐसा नहीं समझती थी और उसकी निगाह में तो अभी सारी तस्वीर ही बनना बाकी थी; सो भी करीब-करीब कोरे कागज पर। यह तो सच था कि दिल्ली के समझौते के द्वारा संघ-स्वरूप को आधार मान लिया गया था, और संरक्षणो या प्रतिबन्धो का विचार भी मंजूर कर लिया था। मगर हममें से बहुत-से तो बहुत पहले से ही हिन्दुस्तान के लिए संघ-स्वरूप का विधान ही सबसे ज्यादा उपयुक्त समझते थे। और इस विचार को हमारे मान लेने का यह मतलब नहीं था कि हमने खास उस तरह का संघ भी मान लिया जिसकी रचना पहली गोलमेज-कान्फ्रेंस ने की थी। राजनैतिक स्वाधीनता और सामाजिक-परिवर्तन के साथ भी संघ-स्वरूप पूरी तरह मेल खा सकता है। हाँ, संरक्षणो या प्रतिबन्धों के विचार का मेल बैठाना ज्यादा मुश्किल था और मामूली तौर पर उनके होने से स्वाधीनता में काफी कमी आ जाती थी। मगर 'भारत के हित की दृष्टि से' इन शब्दों से हम इस कठिनाई से कम-से-कम थोड़ी हद तक तो निकल सकते थे, फिर भी अच्छी तरह नहीं। कुछ भी हो, कराची-कांग्रेस ने यह साफ़ कर दिया था कि हमें वही विधान मंजूर हो सकेगा जिसमें फौज, वैदेशिक मामलों और राजस्व तथा आर्थिक नीति पर पूरा अधिकार दिया गया हो, और हिन्दुस्तान को विदेशों की (आर्थिक अधिकांश ब्रिटिशों की) देनदारी मंजूर करने से पहले अपने कर्जों के प्रश्न की जाँच करने का हक हो। इसके अलावा मौलिक अधिकारों सम्बन्धी प्रस्ताव ने भी बता दिया था कि हम किन-किन राजनैतिक और आर्थिक तबदीलियों को करना चाहते हैं। ये सब बातें गोलमेज-कान्फ्रेंस के कई निश्चयों और हिन्दुस्तान की हुकूमत के मौजूदा ढाँचे के भी खिलाफ़ पड़ती थी।

कांग्रेस और ब्रिटिश-सरकार के दृष्टिकोणों में भारी फर्क था, और अब इस अवस्था में उनका दूर होना बहुत ही नामुमकिन मालूम होता था। करीब-करीब सभी कांग्रेसवालों को गोलमेज़-कान्फ़ेन्स में कांग्रेस और सरकार के बीच किसी भी बात पर एक-राय होने की उम्मीद नहीं थी, और गांधीजी को भी, हालांकि वह हमेशा बड़े आशावादी रहे हैं, कोई ज्यादा आशा न हो सकी। फिर भी वह कभी नाउम्मीद नहीं होते थे, और आखिरी हद तक कोशिश करने का इरादा रखते थे। हम सब महसूस करते थे, कि चाहे सफलता मिले या न मिले, मगर दिल्ली-समझौते के कारण एक बार प्रयत्न तो करना ही चाहिए। मगर दो ज़रूरी बातें थी, जिनके कारण हमारा गोलमेज़-कान्फ़ेन्स में हिस्सा लेना रुक सकता था। हम तभी जा सकते थे जबकि हमें गोलमेज़-कान्फ़ेन्स के सामने अपना सम्पूर्ण दृष्टिबिन्दु रखने की पूरी आजादी रहे, और इसके लिए हमें यह कहकर कि यह मामला तो पहले ही तय हो चुका है, या और किसी सबब से, रोकना न जाय। हिन्दुस्तान में भी ऐसी परिस्थिति हो सकती थी कि जिससे गोलमेज़-कान्फ़ेन्स में हमारा प्रतिनिधि न जा पाता। यहाँ ऐसी हालत पैदा हो सकती थी कि जिससे सरकार से सघर्ष खड़ा हो जाता, या जिसमें हमें कठोर दमन का मुकाबिला करना पड़ता। अगर हिन्दुस्तान में ऐसा हो, और हमारा घर ही जल रहा हो, तो हमारे किसी भी प्रतिनिधि के लिए यह बिल्कुल नामुनासिब होता कि इस आग का खयाल न करके वह लन्दन में जाकर विधान आदि पर कोरे पण्डितों की तरह बहस करे।

हिन्दुस्तान में परिस्थिति तेज़ी से बदल रही थी। सारे देश में ऐसा हो रहा था, खासकर बंगाल, युक्तप्रान्त और सीमा-प्रान्त में। बंगाल में तो दिल्ली के समझौते से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, और तनाव जारी रहा, बल्कि और भी ज्यादा हो गया। सविनय भंग के कुछ क़ैदी छोड़ दिये गये। लेकिन हज़ारों राजनैतिक क़ैदी, जो नाम के लिए सविनय भंग के क़ैदी नहीं समझे जा सकते थे, जेल में ही रहे। नज़रबन्द भी जेलों या डिटेन्शन-कैम्पों में ही सड़ते रहे। राजद्रोहान्मक भाषणों या दूसरी राजनैतिक प्रवृत्तियों के कारण नई गिरफ्तारियाँ अकसर हो जाती थी, और आम तौर पर यही महसूस हो रहा था कि सरकार की तरफ़ से हमला अब भी बंद नहीं हुआ है, वह जारी है। कांग्रेस के लिए आतंकवाद के कारण बंगाल की समस्या हमेशा बहुत ही कठिन रही है। कांग्रेस की सामान्य प्रवृत्तियों और सविनय भंग के मुकाबिले में आतंकवादी हलचलें तो बहुत थोड़ी और बहुत छोटी ही रही हैं। मगर उनसे शोर ज्यादा मचता था, और उनकी तरफ़ ध्यान बहुत खिंच जाता था। इन हलचलों से दूसरे प्रान्तों की तरह कांग्रेस का काम होना मुश्किल हो गया था। क्योंकि आतंकवाद

से ऐसा वातावरण पैदा हो जाता था कि जो शान्ति-पूर्ण लड़ाई के लिए माफ़िक न था। लाजिमी तौर पर इसके कारण सरकार ने सख्त-से-सख्त दमन किया, जोकि आतंकवादी और गैर-आतंकवादी बहुत-कुछ दोनों पर निष्पक्ष समानता से पड़ा।

पुलिस और मुकामी इन्तजामी अफसरों के लिए यह मुश्किल था कि वे खास कानूनों और आर्डिनेन्सों का (जो आतंकवादियों के लिए बनाये गये थे) काँग्रेसवालों, मजदूरों और किसानों के कार्यकर्ताओं और दूसरे लोगों पर, जिनकी प्रवृत्तियों को वे नापसन्द करते थे, उपयोग न करें। यह मुमकिन है कि कई नज़रबन्दों का, जिन्हें अभी तक कई वर्षों से बगैर इलज़ाम लगाये, मुकदमा चलाये या सज़ा दिये बन्द रक्खा गया था, असली कुसूर आतंकवादी प्रवृत्तियाँ नहीं थी, बल्कि दूसरी ही कोई प्रबल राजनैतिक प्रवृत्ति हो। उन्हें इसका मौक़ा तक नहीं दिया गया कि वे अपनी सफ़ाई दे सकें, या कम-से-कम अपना अपराध तक मालूम कर सकें। उनपर अदालतों में मुकदमे इसलिए नहीं चलाये जाते कि कदाचित्त पुलिस के पास उन्हें सज़ा दिलाने लायक काफ़ी सुबूत नहीं है, हालांकि यह सभी जानते हैं कि सरकार-विरोधी जुर्मों के लिए ब्रिटिश भारत के कानून आश्चर्यजनक रूप से व्यापक और भरे-पूरे हैं और उनके घने जाल में से बच सकना मुश्किल है। यह अक्सर होता है कि कोई आदमी अदालतों से तो बरी कर दिया जाता है, मगर फिर फ़ौरन ही गिरफ़्तार कर लिया जाता है और नज़रबन्द बना लिया जाता है।

बंगाल के इस पचीदा सवाल के सबब से काँग्रेस-कार्य-समिति के लोग अपनेको बड़ा लाचार अनुभव करते थे। वे हमेशा इससे परेशान रहते थे और किसी न-किसी शकल में बंगाल का कोई-न-कोई मामला जरूर उनके सामने आता ही रहता था। जितना उनसे बनता था उतना उस बारे में वे जरूर करते थे, मगर वे अच्छी तरह जानते थे कि इससे असली सवाल हल न होगा। इसलिए, कुछ कमजोरी ही समझिए, वे जो-कुछ बहा होता था उसे बेसा ही चलने देते थे। और यह कहना भी मुश्किल है कि, उनकी जैसी परिस्थिति में, वे और कर भी क्या सकते थे। बंगाल में कार्य-समिति के इस रवैये पर बड़ा रोष हो रहा था, और वहाँ यह खयाल पैदा हो गया कि काँग्रेस-कार्य-समिति और दूसरे सब प्रान्त बंगाल की परवा नहीं करते। मालूम होता था कि मुसीबत के वक़्त में सबने बंगाल का साथ छोड़ दिया है। मगर यह खयाल बिलकुल गलत था, क्योंकि सारे हिन्दुस्तान में बंगाल के प्रति सहानुभूति थी, लेकिन उसे यह नहीं सूझता था कि इस सहानुभूति को अमली मदद की शकल में कैसे ज़ाहिर करे। इसके अलावा, हर प्रान्त के सामने अपने-अपने कष्टों का भी तो सवाल था।

युक्तप्रान्त में किसानों की स्थिति ख़राब होती जा रही थी। प्रान्तीय-सरकार

इस सवाल पर टालमटोल करने की कोशिश कर रही थी। उसने लगान और मालगुजारी के छूट के फैसले को आगे धकेल दिया, और जबरदस्ती लगान-वसूली शुरू कर दी। मजमूई बेदखलियां और कुकियां होने लगी। जब हम लंका में थे तभी, जबरदस्ती लगान-वसूली की कोशिश के कारण, दो या तीन मुकामों पर किसानों के दंगे हो गये थे। वे दंगे थे तो मामूली-से ही, मगर बदकिस्मती से उनमें जमींदार या उनके कारिन्दे मर गये थे। गांधीजी युक्तप्रान्त के गवर्नर सर मालकम हेली से किसानों की परिस्थिति पर बातचीत करने नैनीताल गये थे (उस वक्त भी मैं लंका में ही था), मगर उसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला। जब सरकार ने छूट की घोषणा की, तो वह उम्मीद से बहुत कम थी। देहात में लगातार चिल्ल-पों मचने और बढ़ने लगी। ज्यों-ज्यों जमींदार और सरकार दोनों का मिलाकर दबाव बढ़ता गया, और हजारों किसान अपनी जमीन से बेदखल किये जाने लगे, और उनकी छोटी-छोटी मिल्कियत छीनी जाने लगीं, त्यों-त्यों ऐसी स्थिति पैदा होती गई कि जिससे किसी भी दूसरे देश में एक बड़ा किसान-विप्लव खड़ा हो सकता था। मेरा खयाल है कि यह कांग्रेस की कोशिश का ही नतीजा था कि जिससे किसानों ने कोई हिंसात्मक कार्य नहीं किये। मगर खुद उनपर जो बल-प्रयोग हुआ उसका क्या पूछना।

किसानों के इस उभाड़ और मुसीबत में एक बात अच्छी थी। खेती की पैदावारों के भाव बहुत कम हो जाने से गरीब लोगों के पास, जिनमें किसान भी शामिल थे, अगर उनकी सम्पत्ति छिनी नहीं थी तो, पिछले कई सालों की बनिस्बत, ज्यादा खाद्य-सामग्री मौजूद थी।

बंगाल की ही तरह, सीमाप्रान्त में भी दिल्ली के समझौते से कोई शान्ति नहीं हुई। वहां विक्षोभ का वातावरण निरन्तर बना रहा। वहां की हुकूमत विशेष कानूनों और आर्डिनेन्सों और छोटे-छोटे-से कुमूरो पर भारी-भारी सजाओं के कारण एक फौजी प्रबन्ध जैसी हो रही थी। इस हालत का विरोध करने के लिए खान अब्दुल-गफ्फारखा ने बड़ा आन्दोलन उठाया, जिसमें सरकार की निगाह में वह बहुत खटकने लगे। वह छ. फीट तीन इंच ऊंचे पूरे पटान, अपनी मर्दानगी के साथ, गाव-गाव पैदल जाते थे, और जगह-जगह 'लाल-कुर्ती'-दल के केन्द्र कायम करते थे। जहां कहीं वह या उनके खास-खास साथी जाते थे वहां-वहां वह लाल-कुर्ती-दल का एक सिलसिला बनाकर छोड़ जाते थे, और जल्दी ही सारे प्रान्त में 'खुदाई खिदमतगार' की शाखायें फैल गईं। वे बिल्कुल शान्तिपूर्ण थे, और उनके खिलाफ़ गोल-मोल आरोप लगाये जाने पर भी, आज तक हिंसा का कोई एक भी निश्चित अभियोग नहीं उठर सका है। मगर चाहे वे शान्तिपूर्ण रहे हों या नहीं, उनका पूर्व-इतिहास तो युद्ध और हिंसा का

रहा था, और वे उपद्रवी सीमाप्रदेश के पास बसे हुए थे। इसलिए इस अनुशासन-युक्त आन्दोलन के, जिसका हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय-आन्दोलन से गहरा ताल्लुक था, तेजी से बढ़ने के कारण सरकार घबरा गई। मेरा खयाल है कि उसने इस आन्दोलन के शान्ति और अहिंसा के दावे पर कभी विश्वास नहीं किया। मगर, यदि उसने विश्वास भी कर लिया होता, तो भी उसके हृदय में इसके कारण दहशत और झुंझल्लहट ही पैदा हुई होती। इसमें उसे इतनी असली और भीतरी शक्ति दिखाई दी कि वह इसे शान्ति से देखती नहीं रह सकती थी।

इस बड़े आन्दोलन के मुखिया, बिला उज्र, खान अब्दुलग़फ़ारखां ही थे— जिन्हें 'फख्ते-अफ़ग़ान', 'फख्ते-पठान', 'गांधी-ए-सरहद' वगैरा नामों से याद किया जाने लगा। उन्होंने सिर्फ़ अपने चुपचाप और इस्तक़लाल-भरे काम के बल पर, जिसमें न वह मुश्किलों से डरे न सरकारी दमन से, सीमाप्रान्त में हैरत-अगेज हरदिलअजीजी हासिल कर ली थी। जैसे कि राजनीतिज्ञ आम तौर पर हुआ करते हैं, उस तरह के राजनीतिज्ञ न वह थे, न हैं; वह सियासी चालाकियों और पैतरेबाजियों को नहीं जानते। वह तो एक उंचे और सीधे, शरीर और मन दोनों में सीधे, आदमी हैं। वह शोर-गुल और बहुत बकवास में नफ़रत करते हैं। वह हिन्दुस्तान की आज़ादी के ढाँचे के अन्दर अपने सीमाप्रान्तीय लोगों के लिए भी आज़ादी चाहते हैं, मगर विधानों और कानूनी बातों के बारे में उनका दिमाग स्पष्ट नहीं है और न उनमें उन्हें कोई दिल-चस्पी ही है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए जोरदार काम की ज़रूरत है, और गांधीजी ने ऐसे शान्तिपूर्ण काम का एक बड़िया तरीका, जो उन्हें जँच गया, बता ही दिया था। इसलिए ज्यादा बहस में न पड़ते हुए, और अपने सगठन के लिए कायदों के मसविदे के फेर में न पड़ने हुए, उन्होंने सीधा सगठन करना ही शुरू कर दिया और उसमें उन्हें खूब कामयाबी मिली।

गांधीजी की तरफ़ उनका रुझान खास तौर पर हो गया। पहले तो, अपने-आपको पीछे ही रखने के लज्जिलेपन के सबब से, वह उनमें दूर-दूर रहे। बाद में कई मामलों पर बहस करने के लिए उन्हें उनसे मिलना पड़ा, और उनका ताल्लुक बढ़ा। यह ताज्जुब की बात है कि इस पठान ने अहिंसा को उसूलन हममें से कई लोगों की बनिस्बत ज्यादा कैसे मान लिया? और चूँकि उनका अहिंसा पर पक्का यकीन था, इसी कारण वह अपने लोगों को समझा सके कि उभाड़े जाने पर भी शान्ति रखने का बड़ा भारी महत्व है। यह कहना तो बिलकुल गलत ही होगा कि सीमा-प्रान्त के लोगों ने कभी भी या छोटी भी हिंसा करने का विचार पूरी तरह से छोड़ दिया है, जैसा कि किसी भी प्रान्त के लोगों के बारे में आम तौर पर यह कहना बिलकुल गलत

होगा। आम जनता तो भावुकता की लहरों में बहा करती है, और जब इस तरह की लहर उठ जाय तब वह क्या करेगी यह पहले से नहीं कहा जा सकता। मगर अपने-आप पर काबू और जब्त रखने की जो मिसाल सीमा-प्रान्त के लोगो ने १९३० में और बाद के बरसों में पेश की थी वह कुछ बिलक्षण जरूर थी।

सरकारी अधिकारी और हमारे कई निहायत डरपोक देशवासी 'सीमा-प्रान्तीय गाँधी' को शक की निगाह से देखते हैं। वे उनकी बातों का यकीन नहीं करते। उन्हें उनमें कोई छिपा हुआ षड्यन्त्र ही दिखाई देता है। मगर पिछले कुछ बरसों से वह और सीमा-प्रान्त के दूसरे साथी हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों के काँग्रेसी कार्यकर्ताओं के बहुत नजदीक आ गये हैं, और इनके बीच में गहरा भाईचारा और परस्पर आदर और कद्रदानी का भाव पैदा हो गया है। खान अब्दुलगफ्फारखां को काँग्रेस के लोग कई बरस से जानते और चाहते हैं। मगर वह महज एक साथी ही नहीं है, उससे कुछ ज्यादा है। दिन-ब-दिन हिन्दुस्तान के बाकी हिस्सों में लोग उनको एक बहादुर और निडर लोगों के, जो हमारे सर्व-सामान्य युद्ध में हमारे साथी हैं, साहस और बलिदान का प्रतीक समझने लगे हैं।

खान अब्दुलगफ्फारखा से पहचान होने के बहुत पहले ही मैं उनके भाई डाक्टर खानसाहब को जानता हूँ। जब मैं केम्ब्रिज में पढ़ता था, तब वह लन्दन के सेण्ट-टॉमस अस्पताल में शिक्षा पाते थे, और बाद में जब मैं इनर टेम्पल के कानूनी विद्यालय में पढ़ता था तब मेरी-उनकी गहरी दोस्ती हो गई थी। जब मैं लन्दन में रहता था, तो शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब हम आपस में न मिलते हो। मैं तो हिन्दुस्तान चला गया, मगर वह इंग्लैण्ड में ही रह गये और महायुद्ध के ज़माने में डाक्टर की हैसियत से काम करते हुए कई बरसों तक वहीं रहे। इसके बाद मैंने उन्हें नैनी-जेल में देखा।

सीमा-प्रान्त के लालकुर्तीवालों ने काँग्रेस के साथ सहयोग तो किया, लेकिन उनका संगठन अपना अलग ही था। यह एक विचित्र स्थिति थी। दोनों को जोड़ने-वाली कड़ी तो अब्दुलगफ्फारखां थे। १९३१ की गर्मियों में इस सवाल पर कार्य-समिति ने सीमा-प्रान्त के नेताओं के परामर्श में यह तय किया कि लालकुर्तीवालों को काँग्रेस का ही अंग बना लिया जाय। इस तरह वे काँग्रेस के एक जुड़ा बन गये।

गांधीजी की स्वाहिश थी कि वह कराची-काँग्रेस के बाद ही फौरन सीमा-प्रान्त में जायें, मगर सरकार ने ऐसा न होने दिया। बाद के महीनों में जब सरकारी अधिकारियों ने लालकुर्ती दल की कार्रवाइयों की शिकायत की, तो उन्होंने ज़ोर दिया कि मुझे वहाँ इन बातों का खुद पता लगाने के लिए जाने की इजाजत दी जाय,

मगर उन्हें नहीं जाने दिया गया। न वहा भेरा जाना ही पसन्द किया गया। दिल्ली के समझौते को देखते हुए, हमने यह ठीक नहीं समझा कि हम सरकार की स्पष्ट इच्छा के विरुद्ध सीमा-प्रान्त में चले जायें।

इन सवालों के अलावा, कार्य-समिति के सामने एक और मसला था, साम्प्रदायिक। यह कोई नई समस्या न थी, हालांकि बार-बार यह नई और अजीब शकल में सामने आती थी। गोलमेज कान्फेन्स के सबब से इसे और भी महत्व मिल गया। क्योंकि यह तो जाहिर था कि ब्रिटिश-सरकार इसीको सबसे आगे रक्खेगी, और दूसरी सब समस्याओं को इससे कम महत्व देगी। इस कान्फेन्स के मेम्बर, जो कि सभी सरकार के नामजद किये हुए थे, खासकर इस तरह पसन्द किये गये थे कि जिससे साम्प्रदायिक और सामुदायिक स्वार्थों को महत्व दिया जा सके, और सामान्य स्वार्थों के बजाय इन भेद-भावों पर जोर दिया जा सके। सरकार ने खास तौर पर, और जोर के साथ, राष्ट्रीय मुसलमानों के किसी भी नेता को नामजद करने से ही इन्कार कर दिया। गांधीजी ने महसूस किया कि अगर ब्रिटिश सरकार के कहने से कान्फेन्स बिलकुल शुरू में ही साम्प्रदायिक सवाल में उलझ गई, तो अमली राजनैतिक और आर्थिक सवालों पर काफी विचार न हो सकेगा। इस परिस्थिति में उनके लन्दन जाने से कोई फायदा न होगा। इसलिए उन्होंने कार्य-समिति के सामने यह बात पेश की कि लन्दन तभी जाना चाहिए जब कि सब सम्बन्धित दलों के बीच में साम्प्रदायिक समस्या पर कोई समझौता हो जाय। उनकी यह सहज-बुद्धि बिलकुल ठीक थी, मगर कमिटी ने यह बात न मानी, और यह फंसला किया कि सिर्फ इसी आधार पर, कि हम साम्प्रदायिक समस्या को तय नहीं कर पाये हैं, उन्हें जाने से इन्कार न करना चाहिए। कमिटी ने विविध सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों की सलाह से इस समस्या का हल ढूढने की कोशिश भी की। मगर इसमें ज्यादा कामयाबी न मिली।

१९३१ की गर्मियों में, छोटे-मोटे कई मसलों के अलावा, यही कुछ बड़े प्रश्न हमारे सामने थे। सारे देश की मुकामी कांग्रेस-कमिटियों से हमारे पास बराबर शिकायतें आ रही थी कि मुकामी अफसरों ने फला-फलां बात में दिल्ली के समझौते को तोड़ दिया है। हमने उनमें से कुछ बड़ी-बड़ी शिकायतें सरकार के पास भी भेज दी, और उधर सरकार ने भी कांग्रेसवालों के खिलाफ समझौता तोड़ने के आरोप लगाये। इस तरह से एक-दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाये गये, और बाद में वे अखबारों में भी छाप दिये गये। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि इससे भी कांग्रेस और सरकार के ताल्लुकात सुधरे नहीं।

फिर भी, इन छोटे-छोटे मामलों के संबन्ध में संघर्ष खुद कोई बड़ा महत्व नहीं

रखता था। इसका महत्व यही था कि इससे एक दूसरे ही अधिक मौलिक संघर्ष के बढ़ने का पता लगता था। यह मौलिक संघर्ष व्यक्तियों पर निर्भर नहीं करता था, मगर वह हमारे राष्ट्रीय संग्राम के स्वरूप के कारण और हमारे ग्रामों की आर्थिक व्यवस्था में असामञ्जस्य होने के कारण उत्पन्न हुआ था। इस संघर्ष को बिना बुनियादी परिवर्तन किये हटाना या कम करना मुमकिन नहीं था। हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन मूल में इसलिए शुरू हुआ था कि हमारे ऊपरी तह के मध्यम-वर्गों में अपनी उन्नति और विकास का साधन प्राप्त करने की इच्छा पैदा हुई, और इसकी जड़ में राजनैतिक और आर्थिक प्रेरणा थी। यह आन्दोलन निचले मध्यम वर्गों में फैल गया, और देश में एक ताकत बन गया; और फिर उसने देहात की जनता को भी उठाना शुरू किया, जिन्हें आम तौर पर यह भी मुश्किल हो रहा था कि अपना सबसे निचली कोटि का दरिद्रतापूर्ण जीवन भी किसी तरह कायम रख सके। पुराने ज़माने की स्वावलम्बी ग्रामीण व्यवस्था कभी की मिट चुकी थी। सहायक घरेलू धन्धे भी, जो खेती के सहायक थे और जिनसे ज़मीन का बोझ कुछ कम हो जाता था, बर्बाद हो गये थे। कुछ तो सरकारी नीति के सबब से, मगर खासकर इस कारण कि वे मशीनों के व्यवसायों का मुकाबिला नहीं कर सके। ज़मीन का बोझ बढ़ने लगा, और हिन्दुस्तान के कारखानों की तरक्की इतनी धीमी हुई कि वह इसमें कुछ फ़र्क न कर सकी। और फिर ये गाँव, जो सब तरह से साधन-हीन और तरह-तरह के बोझों से लदे हुए थे, सहसा, संसार के बाज़ारों के मुकाबिले में डाल दिये गये, और इधर-से-उधर धक्के खाने लगे। बराबरी के नाते से वे विदेशों का मुकाबिला कर नहीं सकते थे। उनकी उत्पत्ति के औज़ार पुराने ढंग के थे, और ज़मीन के बँटवारे का तरीका उनका ऐसा था जिससे खेत बराबर छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटते जाते थे। कोई भी आमूल सुधार होना नामुमकिन था। इसलिए कृषि करनेवाले वर्ग—ज़मींदार और काश्तकार दोनों ही—सिवा उन दिनों के जबकि भाव बहुत ऊँचे हो जाते थे, नीचे ही गिरते गये। ज़मींदारों ने अपने बोझ को काश्तकारों पर उतारने की कोशिश की, और किसानों के, छोटे ज़मीन-मालिकों और काश्तकारों दोनों ही के, मुफ़लिस हो जाने के कारण वे राष्ट्रीय आन्दोलन की तरफ़ खिंच आये। खेत-मज़दूर भी, अर्थात् देहातों के ऐसे लोग जिनके पास ज़मीन नहीं थी और जिनकी तादाद बढ़ी थी, इस तरफ़ आकर्षित हुए। इन देहाती वर्गों के लिए तो 'राष्ट्रीयता' या 'स्वराज' का मतलब यही था कि ज़मीन के बँटवारे की प्रणाली में मौलिक परिवर्तन किया जाय, जिससे कि उनका बोझ दूर या कम हो जाय और भूमि-हीन को भूमि मिल जाय। मगर राष्ट्रीय आन्दोलन में पड़े हुए किसानों या मध्यम-वर्गीय नेताओं में किसीने भी उनकी इन इच्छाओं को साफ़ तौर पर प्रदर्शित नहीं किया।

१९३० का सविनय भंग-आन्दोलन उद्योग-धन्धों और कृषि की बड़ी संसार-व्यापी मन्दी के बिलकुल अनुकूल बँठ गया, और इसका पता पहले तो उसके नेताओं को भी न लगा। इस मन्दी का असर देहाती जनता पर भी बहुत ज्यादा पड़ा था, इसलिए वे भी काँग्रेस और सविनय भंग की तरफ झुक पड़े। उनका यह लक्ष्य नहीं था कि लन्दन में या दूसरी किसी जगह बैठकर कोई अच्छा-सा विधान तैयार किया जाय, मगर उनका लक्ष्य, खासकर जमींदारी प्रदेश में, यह था कि भूमि-प्रथा में बुनियादी, तबदीली की जाय। वास्तव में यह मालूम होने लगा कि जमींदारी तरीका अब इस जमाने के लिए पुराना पड़ गया है, और उसमें कोई स्थिरता बाक़ी नहीं रही थी। मगर ब्रिटिश-सरकार, अपनी मौजूदा परिस्थिति में, इस भूमि-प्रणाली में कोई बुनियादी तबदीली करने की हिम्मत नहीं दिखा सकती थी। जब उसने एक शाही कृषि-कमीशन मुक़रर किया था, तब भी उसके निर्देशों में ज़मीन की मिल्कियत और भूमि-प्रणाली के परिवर्तन पर विचार करने की मनाई कर दी गई थी।

इस तरह, उस समय, संघर्ष मानो हिन्दुस्तान की परिस्थिति में ही निहित था, और वह किसी प्रकार के मोहक शब्दों या समझौतों से दूर नहीं किया जा सकता था। हमारे आवश्यक राष्ट्रीय प्रश्नों के अलावा ज़मीन के सवाल का बुनियादी हल निकालने से ही यह संघर्ष बच सकता था। यह हल ब्रिटिश-सरकार के मार्फ़त निकले, इसकी कोई संभावना न थी। आरज़ी इलाजों से बीमारी चाहे थोड़ी देर के लिए कम हो सके, और सख्त दमन के डर से चाहे लोग उसका इज़हार करना बन्द कर दें, मगर दोनों बातों से सवाल का हल नहीं निकल सकता था।

मगर, मेरा ख़याल है कि, ज्यादातर सरकारों की तरह ब्रिटिश-सरकार का भी यह विचार है कि हिन्दुस्तान में ज्यादा गड़बड़ 'आन्दोलनकारियों' के कारण है। मगर यह बिलकुल ही वाहियात विचार है। पिछले पन्द्रह बरसों से हिन्दुस्तान के पास एक ऐसा नेता तो रहा है, जिसे अपने करोड़ों देशवासियों से स्नेह-श्रद्धा और पूजा तक प्राप्त है, और जो उससे कई तरह अपनी इच्छा भी मनवा लेता है। उसने उसके वर्तमान इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा लिया है, मगर फिर भी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण तो वे आम लोग ही रहे हैं जो उसके आदेशों को मानों आँख बन्द करके मानते रहे हैं। आम लोग ही मुख्य अभिनेता थे, और उनके पीछे, उन्हें आगे धकेलनेवाली, बड़ी-बड़ी ऐतिहासिक प्रेरणाएँ थीं, जिन्होंने लोगों को तैयार कर दिया और अपने नेता की बांसुरी सुनने को मजबूर कर दिया। उस ऐतिहासिक परिस्थिति, और राजनैतिक और आर्थिक प्रेरणाओं के अभाव में, कोई भी नेता या आन्दोलनकारी उन्हें कोई भी काम करने की स्फूर्ति नहीं दे सकते थे। गांधीजी में नेतृत्व का यही खास गुण था कि

वह अपनी सहज-बुद्धि से आम लोगों की नब्ब पहचान सकते थे, और जान लेते थे कि किस प्रगति और कार्य के लिए कब परिस्थिति ठीक अनुकूल है।

१९३० में हिन्दुस्तान का राष्ट्रीय आन्दोलन कुछ वक्त के लिए देश की बढ़ती हुई सामाजिक शक्तियों के बिलकुल अनुकूल बैठ गया, जिससे उसे बड़ी ताकत मिल गई। उसमें वास्तविकता मालूम होने लगी, और ऐसा लगने लगा कि मानों वह सचमुच इतिहास के साथ कदम-ब-कदम आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस उस राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रतिनिधि थी, और उसकी प्रतिष्ठा-वृद्धि से मालूम होता था कि उसकी शक्ति और सत्ता बढ़ रही है। यह कुछ-कुछ अस्पष्ट, कुछ बे-अन्दाज, कुछ अनिर्वचनीय-सा तो था, किन्तु फिर भी बहुत-कुछ मौजूद तो था ही। निःसन्देह किसान लोग कांग्रेस की तरफ झुके, और उन्होंने ही उसकी असली शक्ति बनाई। निचले मध्यम-वर्ग ने उसे सबसे मजबूत सैनिक दिये। ऊपरी मध्यम-वर्ग ने भी, इस वातावरण से घबराकर, कांग्रेस से दोस्ती बनाये रखने में ही ज्यादा भलाई देखी। ज्यादातर मूर्तियों ने कांग्रेस के बनाये इकरार-नामों पर दस्तखत कर दिये, और वे ऐसे काम करने से डरने लगीं जिनसे कांग्रेस उन-पर नाराज हो जाय। जब कुछ लोग लन्दन में बैठे पहली गोलमेज-कान्फेन्स में अच्छे-अच्छे कानूनी मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे, उस वक्त मालूम हो रहा था कि आम लोगों के प्रतिनिधि की हंसियत से कांग्रेस के पास ही धीरे-धीरे और अनजान में असली ताकत जा रही है। दिल्ली के समझौते के बाद भी यह भ्रम बढ़ता ही रहा, किन्हीं अभिमान-भरे भाषणों के कारण नहीं, बल्कि १९३० और बाद की घटनाओं के कारण। इसमें शक नहीं कि शायद कांग्रेस के नेताओं को ही सबसे ज्यादा यह पता था कि सामने क्या-क्या कठिनाइयाँ और खतरे आनेवाले हैं, और इसलिए उनको मामूली न समझने की उन्होंने पूरी फिक्र रक्खी।

देश में दो सस्थाओं के पास सत्ता होने की यह अस्पष्ट भावना क्रुदरती तौर पर सरकार को बहुत ही चुभनेवाली थी। असल में, इस धारणा के लिए कोई असली बुनियाद तो थी नहीं, क्योंकि दृश्य सत्ता तो सोलहो आना सरकारी अधिकारियों के हाथ में ही थी; फिर भी, लोगों के दिमागों में उसका अस्तित्व था, इसमें तो शक नहीं। सत्तावादी और अ-परिवर्तनीय शासन-तन्त्र के लिए तो यह स्थिति चलने देना असम्भव था, और इसी विचित्र वातावरण से अधिकारी ब्रेचन हो गये, न कि ग्रामों के कुछ ऐसे-वैसे भाषणों या जुलूसों से, जिनकी कि उन्होंने बाद में शिकायत की। इसलिए संघर्ष होना अनिवार्य ही दीखने लगा। कांग्रेस अपनी खुशी से खुदकुशी नहीं कर सकती थी, और सरकार भी डम दूध-सत्ता के वातावरण को बरदास्त नहीं कर सकती थी, और कांग्रेस को कुचल डालने को तुली हुई थी। यह संघर्ष दूसरी

गोलमेज-कान्फ्रेंस के सबब से रुका रहा। किसी-न-किसी कारण से, ब्रिटिश-सरकार गांधीजी को लन्दन बुलाने को बहुत उत्सुक थी, और इसीसे जहाँतक हो सके कोई भी ऐसा काम नहीं करती थी जिससे उनका लन्दन जाना रुक जाय।

इसके बावजूद संघर्ष की भावना बढ़ती ही गई, और हमें देखने लगा कि सरकार का रुख सख्त हो रहा है। दिल्ली के समझौते के बाद ही लार्ड अविन हिन्दुस्तान से चले गये और लार्ड विलिंगडन उनकी जगह वाइसराय बनकर आये। यह खबर फैलने लगी कि नया वाइसराय बड़ा सख्त और करारा आदमी है, और पिछले वाइसराय की तरह समझौते करनेवाला नहीं है। हमारे कई राजनैतिक पुरुषों में, राजनीति के उसूलों की निगाह से न देखकर व्यक्तियों की निगाह से देखने की लिबरलों की तरह, आदत हो गई है। वे यह नहीं समझते कि ब्रिटिश-सरकार की सामान्य साम्राज्य-वादी नीति वाइसरायों की व्यक्तिगत रायों पर निर्भर नहीं रहती। इसलिए वाइसरायों के बदल जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, न पड़ सकता था। मगर, असल में यह हुआ कि परिस्थिति की गति-विधि के कारण सरकार की नीति भी धीरे-धीरे बदलती गई। सिविल-सर्विस के उच्च अधिकारियों को काँग्रेस के साथ समझौते या व्यवहार करने की बात पसन्द नहीं थी। शासन के संबंध में उनकी सारी तालीम और सत्तावादी धारणाएँ इसके खिलाफ थी। उनके दिमाग में यह खयाल था कि उन्होंने गांधीजी के साथ बिल्कुल बराबरी का-सा बर्ताव करके काँग्रेस के प्रभाव और गांधीजी के रुतबे को बढ़ा दिया है, और अब यह वक्त है कि जब उनको थोड़ा-सा नीचा गिराया जाय। यह खयाल बड़ी बेवकूफी का था, मगर, हिन्दुस्तान की सिविल-सर्विस में विचारों की मौलिकता तो कभी मानी ही नहीं गई है। खैर, कुछ भी कारण हो, सरकार सख्ती से तन गई और उसने अपना पंजा और भी मजबूती से जमाया, और पुराने पैगम्बर के शब्दों में मानों उसने हमसे कहा कि 'मेरी छोटी अंगुली भी मेरे बाप की कमर से मोटी है; जबकि उसने तुम्हें कोड़ों से तोबा कराई, तो मैं तुम्हें बिच्छू के उकों से कराऊँगा।'

मगर अभी तोबा करने का वक्त नहीं आया था। अभी तो यही जरूरी समझा गया कि अगर मुमकिन हो, तो काँग्रेस का प्रतिनिधि दूसरी गोलमेज-कान्फ्रेंस में जरूर जाय। वाइसराय और दूसरे अधिकारियों से लम्बी-लम्बी बातचीत करने के लिए गांधीजी दो बार शिमला गये। उन्होंने उस समय उपस्थित कई मवालों पर बातचीत की, और बंगाल के अलावा, जो सरकार को सबसे ज्यादा चिन्तित कर रहा मालूम पड़ता था, खासकर सीमा-प्रान्त के लालकुर्ती-दल-आन्दोलन और युक्तप्रान्त के किसानों की स्थिति इन दो विषयों पर बातचीत हुई।

शिमला में गांधीजी ने मुझे भी बूलवा लिया था, और मुझे भारत-सरकार के कुछ अधिकारियों से मिलने के भी मौके मिले। मैं सिर्फ युक्तप्रान्त के बारे में ही बातचीत करता था। बड़ी साफ-साफ बातें हुईं, और छोटे-छोटे आरोपों और प्रत्यारोपों की तह में जो असली संघर्ष की बातें छिपी हुई थीं उनपर भी बहस हुई। मुझे याद है कि मुझसे कहा गया, कि फरवरी १९३१ में ही सरकार की ऐसी स्थिति थी कि वह ज्यादा-से-ज्यादा तीन महीने के अन्दर सविनय-भंग के आन्दोलन को दबा सकती थी। उसने अपना सारा यन्त्र तैयार कर लिया था, और सिर्फ उसे चला भर देने की जरूरत थी, सिर्फ बटन दबा देने की आवश्यकता थी। मगर उसने यह सोचकर कि, अगर हो सके तो, बल-प्रयोग के बजाय आपस में मिलकर समझौता कर लेना अच्छा होगा, आपसी बातचीत करके देखना तय किया था, और इसीका नतीजा था कि दिल्ली का समझौता हो गया। अगर समझौता न हुआ होता, तो बटन तो मौजूद था ही, और एक पल-भर में दबाया जा सकता था। और इसमें यह भी इशारा मालूम होता था, कि अगर हमने ठीक बर्ताव न किया तो फिर जल्दी ही बटन दबा देना पड़ेगा। यह सारी बात बड़ी आज़िजी से और साफ-साफ कही गई थी, और हम दोनों ही जानते थे कि हमारे बावजूद, और चाहे हम कुछ भी कहे या करें, संघर्ष होना तो लाज़िमी था।

एक दूसरे ऊँचे अधिकारी ने काँग्रेस की तारीफ भी की। उस वक्त हम ज्यादा व्यापक गैर-राजनैतिक ढंग की समस्याओं पर विचार कर रहे थे। उमने मुझसे कहा कि, राजनीति के सवाल को छोड़ दें तो भी, काँग्रेस ने हिन्दुस्तान की बड़ी भारी खिदमत की है। हिन्दुस्तानियों के खिलाफ आम तौर पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि वे अच्छे संगठन-कर्ता नहीं हैं, मगर १९३० में काँग्रेस ने, भारी कठिनाइयों और विरोध के होते हुए भी, एक आश्चर्यजनक संगठन कर दिखाया था।

जहाँतक गोलमेज-कान्फ्रेंस में जाने का सवाल था, गांधीजी की पहली शिमला-यात्रा का कोई नतीजा न निकला। दूसरी यात्रा अगस्त के आखिरी हफ्ते में हुई। जाने या न जाने का आखिरी फ़ैसला तो करना ही था, मगर फिर भी उन्हें हिन्दुस्तान छोड़ने का निश्चय करना मुश्किल हो गया। बंगाल में, मीमा-प्रान्त में और युक्तप्रान्त में उन्हें मुसीबत आती हुई दीख रही थी, और जबतक उन्हें हिन्दुस्तान में शान्ति रहने का आश्वासन न मिल जाय, वह जाना नहीं चाहते थे। अन्त में एक तरह का समझौता सरकार के साथ हो गया, जो एक वक्तव्य और परस्पर के पत्र-व्यवहार के रूप में था। यह बिल्कुल ही आखिरी घड़ी किया गया, ताकि वह उस जहाज़ से जा सके जिस-में गोलमेज-कान्फ्रेंस के प्रतिनिधि जा रहे थे। वास्तव में, यह एक तरह से बिल्कुल ही

आखिरी घड़ी में हुआ था, क्योंकि आखिरी ट्रेन छूट चुकी थी। शिमला से कालका तक एक स्पेशल ट्रेन तैयार कराई गई, और कालका से छूटनेवाली गाड़ी पकड़ने के लिए दूसरी गाड़ियाँ रोक दी गईं।

मैं उनके साथ शिमला से बम्बई तक गया। और वहाँ अगस्त के एक सुन्दर प्रभात में मैंने उन्हें बिदाई दी, और वह अरबी समुद्र और सुदूर पश्चिम की तरफ बढ़ चले। बस, अगले दो साल तक के लिए मुझे यही उनका अन्तिम दर्शन था।



गोलमेज़-कान्फ़ेन्स

एक अंग्रेज़ अखबारनवीस ने हाल ही में एक किताब लिखी है और उसका दावा है कि उसने गांधीजी को हिन्दुस्तान में और लन्दन में गोलमेज़-कान्फ़ेन्स में बहुत काफी देखा है। अपनी किताब में उसने लिखा है:—

“मुलतान नाम के जहाज़ में जो लीडर बैठे हुए थे वे यह जानते थे कि गांधीजी के खिलाफ़ कार्य-समिति के भीतर एक साजिश की गई है और वे यह भी जानते थे कि वक्त आते ही कांग्रेस उन्हें निकाल फेंकेगी। लेकिन कांग्रेस गांधीजी को निकाल-कर गालिबन अपने आधे के करीब मेम्बरो को निकाल देगी। इन आधे मेम्बरो को सर तेजबहादुर सप्रू और जयकर साहब लिबरल-पार्टी में मिला लेना चाहते थे। वे इस बात को कभी नहीं छिपाते थे। उन्हीके लफ्ज़ों में गांधीजी का दिमाग़ साफ़ नहीं है, लेकिन अगर कोई मट्ठे दिमाग़वाला नेता अपने साथ दस लाख मट्ठे दिमाग़वाले अनुयायी आपकी दे तो उसको अपनी तरफ़ करना अच्छा ही है।”

मुझे पता नहीं कि इस उद्धरण में जो बातें कही गई हैं वे सर तेजबहादुर सप्रू और जयकर साहब या गोलमेज़-कान्फ़ेन्स के दूसरे मेम्बरो के विचारों को, जो सन् १९३१

१. ग्लोर्ने बोल्टन की *The Tragedy of Gandhi* नामक पुस्तक का यह उद्धरण मैंने उस किताब की एक आलोचना से लिया है, क्योंकि खुद किताब को पढ़ने का मौक़ा अभी तक नहीं मिल पाया है। मुझे उम्मीद है कि मैं ऐसा करके किताब के लेखक या जिन शरुसों का नाम उसमें आया है उनके साथ कोई ज्यादती नहीं कर रहा हूँ।

इतना लिखने के बाद मैंने किताब भी पढ़ ली। मि० बोल्टन के बहुत-से बयान और उन्हींने जो नतीजे निकाले हैं वे मेरे विचार से बिलकुल बेजुनियाद हैं। इसके अलावा कई वाक्यात भी ग़लत दिये गये हैं। ख़ासकर कमिटी ने दिल्ली-पैक्ट की बातचीत के दौरान में और उसके बाद क्या किया और क्या नहीं किया इस विषयक वाक्यात। उन्हींने एक अजीब बात यह भी मान ली है कि १९३१ में सरदार वल्लभभाई पटेल को कांग्रेस की सदस्यता और उसके जरिये से उसको रहनुमाई गांधीजी की प्रतिस्पर्धा में मिली, जबकि सच बात यह है कि पिछले पन्द्रह बरसों में कांग्रेस में और निस्सन्देह देश में भी गांधीजी की हस्ती कांग्रेस के किसी भी सदर से कहीं ज्यादा बढ़ी हस्ती रही है। वह सभापति बनानेवाले रहे हैं और उनकी बात हमेशा लोगों ने मानी है। उन्हींने खुद बार-बार सदर होने से इन्कार किया और यह पसन्द किया कि उनके

में लन्दन जा रहे थे, कहाँ तक प्रकट करती है। लेकिन मुझे यह बात जरूर आश्चर्य-जनक मालूम होती है कि हिंदुस्तान की राजनीति से थोड़ी-सी जानकारी रखनेवाला कोई शरूस, फिर चाहे वह अखबारनवीस हो या नेता, इस तरह की बात कह सकता है ! मैं तो उसे पढ़कर दंग रह गया, क्योंकि इससे पहले मैंने किसीको इसारे में भी इस तरह की बात कहते हुए नहीं सुना। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो ममझ में न आये, क्योंकि तभी से मैं ज्यादातर जेल में ही रहा हूँ।

कुछ साथी और सेफिटमेन्ट सदारत करें। मैं तो काँग्रेस का सदर महज़ उन्हींकी बग़ौलत हुआ। वास्तव में वह चुन लिये गये थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस लेकर जबरदस्ती मुझे चुनवाया। वल्लभभाई का चुनाव भी मामूली तरीके में नहीं हुआ। हम लोग अभी-अभी जेल से निकले थे। अभी तक काँग्रेस-कमिटीयाँ गैर-क़ानूनी जमातें थीं। वे मामूली तरीकों पर काम नहीं कर सकती थीं। इसलिए कराची-काँग्रेस के लिए सभापति चुनने का काम कार्य-समिति ने अपने ऊपर ले लिया। वल्लभभाई समेत तमाम कमिटी ने गांधीजी से अर्ज की कि वह सदारत मंज़ूर कर लें और इस तरह जहाँ वह काँग्रेस के असली प्रधान हैं वहाँ पद के द्वारा भी प्रधान हो जायँ; ख़ासकर आगामी नाजुक साल के लिए। लेकिन वह राजी नहीं हुए और इस बात पर ज़ोर देते रहे कि वल्लभभाई को सदारत मंज़ूर कर लेनी चाहिए। मुझे याद है कि उस वक्त उनसे यह कहा गया था कि आप हमेशा मुसोलिनी रहना चाहते हैं और दूसरों को, थोड़े वक्त के लिए, बादशाह यानी बराय-नाम अधिकारी बना देते हैं।

एक छोट्टे-से फुटनोट में मिस्टर बोल्डन की दूसरी भी बहुत-सी वाहियात बातों का जवाब देना मुमकिन नहीं है, लेकिन एक मामले की बाबत, जो कुछ-कुछ ज़ाती-सा है, मैं जरूर कुछ कहना पसन्द करूँगा। उनको इस बात का इत्मीनाम-सा हो गया मालूम होता है कि मेरे पिताजी के राजनैतिक जीवन को पलट देनेवाली बात एक यूरोपियन क्लब में उनका मेम्बर न चुना जाना ही है, और एक इसी बात से न सिर्फ वह उग्र तरीकों के ही हामी हो गये बल्कि अंग्रेज़ों की सोसायटी से भी वह दूर रहने लगे। यह कहानी जो अक्सर बार-बार दुहराई गई है, क़तई ग़लत है। असली वाक़्यात की कोई ख़ास अहमियत नहीं, लेकिन उस रहस्य को दूर करने के लिए मैं उन्हें यहाँ दिये देता हूँ। वक़ालत के शुरू दिनों में पिताजी को सर जान एज़ बहुत चाहते थे। वह उन दिनों इलाहाबाद-हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस थे। सर जान ने पिताजी से कहा कि आप इलाहाबाद की यूरोपियन क्लब में शामिल हो जायँ। उन्होंने कहा, मैं खुद मेम्बर के लिए आपके नाम का प्रस्ताव करूँगा। पिताजी ने उनकी इस मेहरबानी के लिए उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि इसमें बलेका जरूर ख़ाफ़ा होगा, क्योंकि बहुत-से

ये साजिश करनेवाले शरूस कौन है और इनका मकसद क्या है ? कभी-कभी यह कहा जाता था कि मैं और कांग्रेस के सभापति सरदार वल्लभभाई पटेल कार्य-समिति के मेम्बरो में सबसे ज्यादा गरम स्वभाव के हैं, और मेरा खयाल है, इसलिए, साजिश के नेताओं में हम लोगों की भी गिनती होगी। लेकिन शायद गांधीजी का वल्लभभाई से ज्यादा सच्चा भक्त हिन्दुस्तान-भर में दूसरा कोई न होगा। अपने काम में वह कितने ही कड़े और मजबूत क्यों न हों, लेकिन गांधीजी के आदर्शों, उनकी नीति और उनके व्यक्तित्व के प्रति उनकी बड़ी भक्ति है। मैं जरूर इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मैंने भी उसी तरह से इन आदर्शों को माना है, लेकिन मुझे बहुत नज़दीक रहकर गांधीजी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। मेरे लिए उनके खिलाफ साजिश करने का खयाल ही राक्षसी है। सच बात तो यह है कि कार्य-समिति के सभी मेम्बरो के बारे में यही बात सही है। वह कमिटी वस्तुतः गांधीजी की बनाई हुई थी। अपने कुछ साथियों के सलाह-मशवरे में उन्होंने इस कमिटी को नामजद किया था। उसके चुनाव की तो सिर्फ रूम पूरी की गई थी। कमिटी के ज्यादातर मेम्बर तो उसके स्तम्भ-रूप थे—ऐसे जो उसमें सालों से रह चुके थे और करीब-करीब उसके हमेशा मेम्बर खयाल किये जाते थे। उनमें राजनैतिक मतभेद था, लेकिन वह स्वभाव व दृष्टि-अंग्रेज़ मेरे हिन्दुस्तानी होने की वजह से ऐतराज करेंगे और मुमकिन है कि मेरे खिलाफ वोट दें। कोई भी मामूली अफसर इस तरह मेरा नाम रद्द करा सकेगा, और ऐसी हालत में मैं चुनाव के भगड़े में पड़ना पसन्द नहीं करूँगा। इसपर सर जान ने यह भी कहा कि मैं इलाहाबाद रकने की फौज के कमाण्डर ब्रिगेडियर जनरल में आपके नाम की ताईद करा दूँगा। लेकिन अखीर में यह खयाल छोड़ दिया गया। मेरे पिताजी का नाम क्लब में नहीं पेश किया गया, क्योंकि उन्होंने यह बात साफ कर दी कि मैं बेहज्जती का खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस घटना की बदौलत वह अंग्रेज़ों के खिलाफ होने के बजाय सर जान एज़ के एहसानमन्द बन गये और उसके बाद के सालों में ही बहुत-से अंग्रेज़ों से उनकी दोस्ती तथा मेल मुहब्बत पैदा हुई। और यह सब तो हुआ १८९० से लेकर १८९६ के दरम्यान, और पिताजी इसके कोई २५ वर्ष बाद उग्र राजनैतिक और असहयोगी बने। उनकी यह तबदीली एकाएक नहीं हुई, लेकिन पंजाब के जंगी क़ानून ने इस विधि को पूरा कर दिया। और ऐन मौके पर पड़े गांधीजी के अस्वर ने तो हालत बहुत ही बदल दी। इतने पर भी अंग्रेज़ों से मिलना-जुलना छोड़ने का, उनसे सब ताल्लुक़ात छोड़ने का, उनका कोई इरादा नहीं था। लेकिन जहाँ ज्यादातर अंग्रेज़ अफसर हों वहाँ असहयोग और स्वयंसेवक से लाज़िमी तौर पर मिलना-जुलना बन्द हो जाता है।

कोण का मतभेद था। और सालों तक एकसाथ और कन्धे-से-कन्धा मिलाकर काम करते-करते तथा एकसे खतरों का सामना करने हुए वे एक-दूसरे से हिल-मिल गये थे। उनमें आपस में दोस्ती, भाईचारा और एक-दूसरे के लिए आदर पैदा हो गया था। वे 'संयुक्त-मण्डल' न होकर एक इकाई, एक शरीर, थे और उनमें मे किसीकी बाबत यह सोचा तक नहीं जा सकता कि वह दूसरों के खिलाफ साजिश करेगा। कमिटी में गांधीजी की चल्ती थी और सब लोग रहनुमाई के लिए उन्हीकी तरफ़ देखते थे। कई सालों से यही होता आ रहा था और मन् १९३० में हमारी लड़ाई को जो बड़ी कामयाबी मिली थी उसके बाद सन् १९३१ में तो यह बात और भी ज्यादा बढ़ गई थी। कार्य-समिति के गरम खबाल के मेम्बरों को उन्हें निकालने की कोशिश करने में क्या मकसद हो सकता था? शायद यह सोचा जाता है कि उन्हें जल्दी समझौता करने के लिए राजी हो जानेवाला और इसलिए एक किस्म का बोझा समझा जाता हो। लेकिन उनके बिना लड़ाई का क्या होता? असहयोग और सत्याग्रह का क्या होता? वह तो इस जीवित-आन्दोलन के अंग थे। बल्कि सच बात तो यह है कि वह खुद ही आन्दोलन थे। जहाँतक उस लड़ाई से ताल्लुक है, सब-कुछ उन्हीपर मुनह-सिर था। बिलाशक कौमी लड़ाई उनकी पैदा की हुई नहीं थी, न वह किसी शास्त्र पर मुनहसिर थी। उसकी जडे इससे ज्यादा गहरी थी। लेकिन लड़ाई का वह खास पहलू, जिसकी निशानी सविनय अंग थी, खास तौर पर उन्हीपर अवलम्बित था। उनसे अलग होने के मानी थे इस आन्दोलन को बद करना और नई नीच पर नये मिर से इमारत खड़ी करना। यह काम किसी भी वक्त काफी मुश्किल साबित होता; लेकिन १९३१ में तो कोई उसका खयाल भी नहीं कर सकता था।

यह खयाल बड़ा ही मजेदार है कि कुछ लोगों की राय में हम कुछ लोग १९३१ में गांधीजी को कांग्रेस से निकालने की कोशिश कर रहे थे। जब उनको जरा-सा इशारा करने से ही काम चल सकता था, तो फिर हमें उनके खिलाफ साजिश करने की क्या जरूरत थी? ज्योंही गाँधीजी कभी ऐसी बात कहते कि मैं कांग्रेस से अलग होना चाहता हूँ त्योंही तमाम कार्य-समिति और तमाम मुल्क में तहलका मच जाता था। वह हमारी लड़ाई के एक ऐसे अंग बन गये थे कि हम इस खयाल को भी बरदास्त नहीं कर सकते थे कि वह हमसे अलग हो जायँ। हम लोग तो उन्हें लन्दन भेजने से हिचकिचाते थे, क्योंकि उनकी गैरहाजिरी में हिन्दुस्तान के काम का तमाम बोझ हमारे ऊपर आकर पड़ता था, और यह बात ऐसी न थी जिसको हम पसन्द करते। हम लोग उनके कन्धों पर तमाम बोझ डाल देने के आदी हो गये थे। कार्य-समिति के मेम्बरों को ही नहीं, उनसे बाहर के बहुत-से लोगों को भी जो बन्धन गांधीजी से

बाँधे हुए थे, वे ऐसे थे कि उनसे अलग होकर थोड़े वक्त के लिए कुछ फायदा उठाने के बजाय वे उनके साथ रहकर नाकामयाब होना ज्यादा पसन्द करते थे ।

गांधीजी का दिमाग साफ है या नहीं, इसका फेमला तो हम अपने लिबरल दोस्तों के लिए ही छोड़े देते हैं । हाँ, यह बात बिल्कुल सच है कि कभी-कभी उनकी राजनीति बहुत आध्यत्मिक होती है, जो मुश्किल से समझ में आती है । लेकिन उन्होंने यह दिखा दिया है कि वह कर्मवीर है, उनमें आश्चर्यजनक साहस है और वह एक ऐसे शस्त्र हैं जो अक्सर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करके दिखा सकते हैं । और अगर 'दिमाग के साफ़ न होने' से इतने अमली नतीजे निकलते हैं, तो शायद वह उस अमली राजनीति के मुकाबिले में बुरा साबित न होगा, जिसकी शुरुआत और जिसका खात्मा पुस्तकें पढ़ने और चुने हुए हलकों में ही हो जाता है । यह सच है कि उनके करोड़ों अनुयायियों का दिमाग साफ नहीं था । वे राजनीति और शासन-विधानों की बाबत कुछ नहीं जानते । वे तो सिर्फ अपनी इनमानी ज़रूरतों, खाना, घर, कपड़ों और ज़मीन की बातें ही सोच सकते हैं ।

मुझे यह बात हमेशा ही अचम्भे की मालूम हुई है कि इनसानी कुदरत को देखने की विद्या को भली-भाँति सीखे हुए नामी विलायती अखबारनवीस किस तरह हिन्दुस्तान के मामलों में गलती खा जाते हैं । क्या यह उनके बचपन की उस अमिट धारणा की वजह से है कि पूर्व तो कतई दूसरी चीज़ है और उसको आप मामूली पंमानो से नहीं नाप सकते ? या, अंग्रेजों के लिए, यह साम्राज्य का वह पीलिया रोग है, जो उनकी आँखों को खराब कर देता है ? कोई चीज़ कैसी भी अनहोनी क्यों न हो, उसपर वे करीब-करीब फ़ौरन ही इत्मीनान कर लेंगे, बिना किसी तरह का अचम्भा किये, क्योंकि वे समझते हैं कि रहस्य-भरे पूर्व में हर बात मुमकिन हो सकती है । कभी-कभी वे ऐसी किताबें छापते हैं, जिनमें काफी योग्यतापूर्ण निरीक्षण होता है और तीव्र अवलोकन-शक्ति के नमूने भी, लेकिन बीच-बीच में विलक्षण गलतियाँ भी होती हैं ।

मुझे याद है कि जब गांधीजी १९३१ में योरप रवाना हुए तब, उसके बाद फ़ौरन ही, मैंने पेरिस के एक मशहूर संवाददाता का एक मज़मून पढ़ा । उन दिनों वह लन्दन के एक अखबार का संवाददाता था और वह लेख हिन्दुस्तान के बारे में था । उस लेख में एक ऐसी घटना का जिक्र था जो उसके कहने के मुताबिक १९२१ में उस वक्त हुई जब असहयोग के दौरान मैं प्रिंस ऑफ़ वेल्स ने दौरा किया था । उस लेख में कहा गया था कि किसी जगह (गालिबन वह देहली थी), महात्मा गांधी यकायक नाटकीय ढंग से, बिना इत्तिला किये हुए, युवराज के सामने प्रकट हो गये और उन्होंने

अपने घुटने टेककर युवराज के पैर पकड़ लिये तथा ढाड़ मार-मारकर रोते हुए उनसे विनयी की कि इस अभाग्य देश को शान्ति दीजिए । हम किसीने, गांधीजी ने भी, यह मज्जेदार कहानी कभी नहीं सुनी । इसलिए मैंने खत लिखकर उस अखबारनवीस को यह बात बताई । उसने अपना अफ़सोस जाहिर किया, लेकिन साथ में यह भी लिखा कि मैंने यह कहानी बड़े विश्वस्त-सूत्र से सुनी । जिस बात पर मुझे आश्चर्य हुआ वह यह थी कि उसने बिना किसी तरह की जाँच की कोशिश किये एक ऐसी कहानी पर इत्मीनान कर लिया जो जाहिर तौर पर बिलकुल ग़ैर-मुमकिन थी और जिसका कोई भी शक़्स, जो गांधीजी, काँग्रेस या हिन्दुस्तान के बारे में कुछ भी जानता था, इत्मीनान नहीं कर सकता था । बदकिस्मती से यह बात सही है कि हिन्दुस्तान में बहुत-से ऐसे अंग्रेज़ हैं जो यहाँ बहुत दिनों तक रहने के बाद भी काँग्रेस या गांधीजी या मुल्क की बाबत कुछ नहीं जानते । कहानी कतई इत्मीनान के काबिल नहीं थी । वह बिलकुल बेहूदा थी । ऐसी बेहूदा जैसी यह कहानी होती कि केंटरबरी के बड़े पादरी साहब यकायक मुमोलिनी के सामने प्रकट हो गये और सिर के बल खड़े होकर, हवा में अपने पैर हिलाकर, उनको सलाम करने लगे ।

हालही में एक अखबार में जो रिपोर्ट छपी है उसमें एक दूसरी किस्म की कहानी दी हुई है । उसमें कहा गया है कि गांधीजी के पास अपार दौलत है, जो कई करोड़ होगी । वह उनके दास्तों के पास छिपी रखी है । काँग्रेस उस रुपये को हड़पना चाहती है । काँग्रेस को डर है कि अगर गांधीजी काँग्रेस से अलहदा हो जायँगे तो वह दौलत उसके हाथ में निकल जायगी । यह कहानी सरासर बेहूदा है, क्योंकि गांधीजी कभी किसी फण्ड को न अपने पास रखते हैं और न छिपाकर रखते हैं । जो कुछ रुपया वह इकट्ठा करते हैं, उसे सार्वजनिक सस्थाओं को दे देते हैं । ठीक-ठीक हिमाव रखने के मामले में उनमें बनियो की-सी सहज-बुद्धि है, और उन्होंने जितने चन्दे किये उनको खुलेआम आडिट कराया गया है ।

काँग्रेस ने सन् १९२१ में एक करोड़ का जो मशहूर चन्दा किया था वह अफवाह गालिबन उमीकी कहानी पर हसर रखती है । यह रकम वैसे तो बहुत बड़ी मालूम होती है, लेकिन अगर हिन्दुस्तान-भर पर फैलाई जाय तो ज्यादा नहीं मालूम होगी । इस रकम को इस्तमाल भी विश्वविद्यालय और स्कूल कायम करने, घरेलू धंधों को तरक्की देने और खास तौर पर ख़दर की तरक्की के लिए, अछूत उद्धार के कार्यों में तथा ऐसे ही दूसरी किस्मों के रचनात्मक कार्यों में किया गया था । उसमें से काफ़ी तादाद खास-खास स्कीमों के लिए अर्कित कर दी गई थी । फण्ड अबतक मौजूद हैं और जिन खास कार्यों के लिए वे अर्कित किये गये थे उन्हींमें लगाये जा रहे

है। बाकी जो रपया इकट्ठा हुआ था, वह मुकामी कमिटियों के पास छोड़ दिया गया था और वह कांग्रेस के संगठन के काम में तथा राजनैतिक कामों में खर्च किया गया। असहयोग-आन्दोलन का काम इमी फण्ड से चला था और कुछ साल बाद तक कांग्रेस का काम उसीसे चलता रहा। गांधीजी ने और मुन्क की गरीबी ने हमें यह सिखा दिया है कि बहुत थोड़े-से रूपये से भी अपना राजनैतिक आन्दोलन कैसे चलाना चाहिए। हमारा ज्यादातर काम तो लोगों ने अपनी खुशी से बिना कुछ लिये ही किया है। और जिस किसीको कुछ देना भी पड़ा है, तो सिर्फ उतना ही जितना पेट भरने को काफी हो। हमारे अच्छे-से-अच्छे ऐसे कार्यकर्ताओं को, जो विश्व-विद्यालयों के ग्रेजुएट हैं और जिन्हें अपने परिवार का पालन करना पड़ता है, जो तनख्वाहे दी गई वे उस भत्ते से भी कम है जो इंग्लैण्ड में बेकारों को दिया जाता है। पिछले पन्द्रह सालों के दौरान में कांग्रेस का आन्दोलन जितने कम रूपये से चला है, उतने कम रूपये से बड़े पैमाने पर और कोई राजनैतिक या मजदूरो का आन्दोलन, मुझे शक है कि, किसी भी मुन्क में शायद ही चलाया गया हो। और कांग्रेस के तमाम फण्ड और उसका तमाम हिसाब खुलेआम हर साल आडिट होते रहे, उनका कोई हिस्सा गुप्त नहीं है। हाँ, उन दिनों की बात बिलकुल दूसरी है जब सत्याग्रह की लड़ाई चल रही थी और कांग्रेस गैरकानूनी जमात थी।

गांधीजी गोलमेज-कान्फ्रेंस में शामिल होने के लिए कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से लन्दन गये थे। बड़ी लम्बी बहस के बाद हम लोगों ने यही तय किया था कि किसी दूसरे प्रतिनिधि की जरूरत नहीं। यह बात कुछ हद तक तो इसलिए की गई कि हम यह चाहते थे कि हम ऐसे नाजुक वक्त में अपने सब अच्छे आदमियों को हिन्दुस्तान में ही रखें। उन दिनों हालात को बहुत होशियारी के साथ सम्हालते रहने की सख्त जरूरत थी। हम लोग यह महसूस करते थे कि लन्दन में गोलमेज-कान्फ्रेंस होने के बावजूद आकर्षण का केन्द्र तो हिन्दुस्तान में ही था और हिन्दुस्तान में जो कुछ होगा लन्दन में उसकी प्रतिध्वनि जरूर होगी। हम चाहते थे कि अगर मुल्क में कोई गड़बड़ हो तो हम उसे देखें और अपने संगठन को ठीक हालत में बनाये रखें। लेकिन सिर्फ एक प्रतिनिधि भेजने का हमारा असली कारण यही न था। अगर हम वैसा करना जरूरी और मुनासिब समझते तो हम बिलाशक दूसरे को भी भेज सकते थे, लेकिन हम लोगों ने जान-बूझकर ऐसा नहीं किया।

हम गोलमेज-कान्फ्रेंस में इसलिए शामिल नहीं हो रहे थे कि हम विधान-सम्बन्धी छोटी-मोटी बातों पर ऐसी बातें और बहस करें जिनका कभी खात्मा ही न हो। उस अवस्था में हमें इन तकसीलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनपर तो तभी

गौर किया जा सकता था जब कि खास-खास बुनियादी मामलों में ब्रिटिश सरकार के साथ हमारा कोई समझौता हो जाता। असली सवाल तो यह था कि लोकतन्त्रीय हिन्दुस्तान को कितनी ताकत सौंपी जाने को थी। यह बात तय हो जाने के बाद राजीनामे का मसविदा बनाने और उसकी तफ़्सीलें तय करने का काम तो कोई भी वकील कर सकता था। इन मूल बातों पर कांग्रेस की स्थिति बहुत साफ और सीधी थी और उसपर बहस करने का भी ऐसा ज्यादा मौका न था। हम लोगों को यह मालूम हांता था कि हम लोगों के लिए यही गौरवपूर्ण रास्ता है कि हमारा सिर्फ़ एक ही प्रतिनिधि जाय और वह प्रतिनिधि हमारा लीडर हो। वह वहाँ जाकर हमारी स्थिति को साफ़ कर दे। यह बतावे कि हमारी स्थिति कितनी युक्तिसंगत है और किस तरह उसको मज़ूर किये बिना गनि नहीं है। अगर हो सके तो ब्रिटिश-सरकार को इस बात के लिए राजी करले कि वह कांग्रेस की बात मान ले। हम जानते थे कि यह बात तो बहुत ही मुश्किल थी, और उस वक्त जैसी हालत थी उसको देखते हुए तो वह बिलकुल मुमकिन नहीं थी, लेकिन हमारे पास भी तो इसके सिवा कोई चारा न था। हम अपनी उस स्थिति को नहीं छोड़ सकते थे। न हम उन उमूलों और आदर्शों को ही छोड़ सकते थे जिनसे हम बंधे हुए थे और जिनमें हमें पूर्ण विश्वास था। अगर हमारी तकदीर सिकन्दर हो और इन बुनियादी बातों में राजीनामे की कोई मूरत निकल आती तो बाकी बातें अपने-आप आसानी से तय हो जातीं। बल्कि सच बात तो यह है कि हम लोगों में आपस में यह तय हो गया था कि अगर किसी तरह से ऐसा राजीनामा हो जाय तो गांधीजी हम कुछ को या कार्य-समिति के नमामेम्बरों को फ़ौरन लन्दन बुला लेंगे, जिससे कि हम वहाँ जाकर समझौते की तफ़्सील तय करने का काम कर सकें। हम लोगों को वहाँ जाने के लिए तैयार रहना था और ज़रूरत पड़ती तो हम लोग हवाई जहाजों में उड़कर भी जाते। इस तरह हम बुलाये जाने पर दस दिन के अन्दर उनके पास पहुँच सकते थे।

लेकिन अगर बुनियादी बातों में शुरू-शुरू में कोई राजीनामा नहीं होता, तो आगे और तफ़्सील में, समझौते की, बातें करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। न कांग्रेस के दूसरे प्रतिनिधियों को गोलमेज़-कान्फ्रेंस में जाने की कोई ज़रूरत पड़ती। इसीलिए हमने सिर्फ़ गांधीजी को ही वहाँ भेजना तय किया। कार्य-समिति की एक और सदस्य श्रीमती सरोजिनी नायडू भी गोलमेज़-कान्फ्रेंस में शामिल हुईं, लेकिन वह वहाँ कांग्रेस की प्रतिनिधि होकर नहीं गई थी। उनको तो वहाँ हिन्दुस्तानी स्त्रियों के प्रतिनिधि-स्वरूप बुलाया गया था और कार्य-समिति ने उन्हें इजाज़त दे दी कि वह इस हैसियत से उस कान्फ्रेंस में शामिल हो सकती हैं।

लेकिन ब्रिटिश सरकार का इस तरह का कोई इरादा न था कि इस मामले में वह हमारी मर्जी के मुताबिक काम करे। उसकी नीति तो यह थी कि असली सवालों का विचार करना तो मुल्तवी होता रहेगा; कान्फेंस थोड़ी-बहुत छोटी-छोटी और बेमतलब की बातों पर बहस करके थक जाय। जब कभी बड़े-बड़े सवालों पर शौर भी हुआ तब सरकार ने चुप्पी साध ली। उसने हाँ या ना करने से साफ़ इन्कार कर दिया और सिर्फ़ यह वादा किया कि सरकार अपनी राय बाद को अच्छी तरह सोच-विचार कर देगी। असल में उसके पास तुरप का पत्ता तो था साम्प्रदायिक सवाल, और उसका उसने पूरा-पूरा इस्तैमाल किया। कान्फेंस में इसी सवाल का बोल-बाला था।

कान्फेंस के ज्यादातर हिन्दुस्तानी मेम्बर सरकार की इन चालों के जाल में फँस गये। ज्यादा तो राजी-खुशी से और कुछ थोड़े-से मजबूरी से। कान्फेंस क्या थी, भानमती का कुनबा था। उसमें शायद ही कोई ऐसा हो जो अपने अलावा किसी दूसरे का प्रतिनिधि हो। कुछ आदमी काबिल थे और मुल्क में उनकी इज्जत भी थी, लेकिन बाकी बहुत-से लोगों की बाबत यह बात भी नहीं कही जा सकती। कुल मिलाकर राजनैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण में वे हिन्दुस्तान में राजनैतिक उन्नति के सबसे ज्यादा विरोधी फिरकों के प्रतिनिधि थे। ये लोग इतने फिसड्डी और प्रगति-विरोधी थे कि हिन्दुस्तान के लिबरल जो हिन्दुस्तान में बहुत ही माडरेट और फूँक-फूँककर क्रम रखनेवाले माने जाते हैं, इनकी जमात में वही तरक्की के बड़े भारी हामी बनकर चमके। ये लोग हिन्दुस्तान में ऐसे स्थापित स्वार्थ रखनेवालों के प्रतिनिधि थे जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद से बँधे हुए थे और तरक्की और रखवाली के लिए उसीका भरोसा रखते थे। सबसे ज्यादा मशहूर प्रतिनिधि तो फिरकवाराना झगड़ों के सिल-सिले में जो 'छोटी' और 'बड़ी' जातियाँ थी उनके थे। ये टोलियाँ उन उच्च वर्गवालों की थी जो कुछ भी मानने को तैयार न थे और जो आपस में कभी मिल ही नहीं सकते थे। राजनैतिक दृष्टि से वे कतई हर किस्म की तरक्की के मुखालिफ़ थे और उनकी महज एक दिलचस्पी थी कि किसी तरह अपने फिरक के लिए कुछ फायदे की बात हासिल करले, फिर चाहे ऐसा करने में हमें अपनी राजनैतिक तरक्की को भी छोड़ना पड़े। बल्कि सच बात तो यह है कि उन्होंने खुल्लम-खुल्ला यह ऐलान कर दिया था कि जबतक उनकी फिरकवाराना माँगें पूरी नहीं की जायँगी तबतक वे राजनैतिक आजादी लेने को राजी न होंगे। यह एक शैर-मामूली दृश्य था और उससे हमें बड़े दुख के साथ यह बात साफ़-साफ़ दिखाई देती थी कि एक गुलाम क़ीम किस हद तक गिर सकती है और वह साम्राज्यवादियों के खेल में किस तरह शतरंज की

गोट बन सकती है। यह सही था कि हाईनेसों, लाडों, सरों और दूसरे बड़े-बड़े अलक्राबवाले लोगों की उस भीड़ की बाबत यह नहीं कहा जा सकता कि वह हिन्दुस्तान के लोगों के प्रतिनिधि हैं। गोलमेज-कान्फ्रेंस के मेम्बर ब्रिटिश सरकार के नामजद थे और अपनी दृष्टि से सरकार ने जो चुनाव किया था वह बहुत अच्छा किया था। फिर भी महज यह बात कि ब्रिटिश-अधिकारी हम लोगों का ऐसा इस्तमाल कर सकते हैं, यह दिखाती है कि हम लोगो में कितनी कमजोरियाँ हैं और हम लोग कैसी अजीब आसानी के साथ असली बातों से हटाकर एक-दूसरे की कोशिशों को बेकार करने के काम में लगाये जा सकते हैं। हमारे उच्चवर्ग के लोग अभीतक हमारे साम्राज्यवादी शासको की विचार-धारा में अभिभूत थे और वे उन्हीका खेल खेलते थे। क्या यह इसलिए था कि वे उनकी चालों को समझ नहीं पाते थे? या वे उसके असली मानो को समझते हुए, जानबूझकर उसे इसलिए मंजूर कर लेते थे कि उन्हें हिन्दुस्तान में आजादी और लोकतंत्र कायम होने से डर लगता था?

यह तो ठीक ही था कि साम्राज्यवादी, मांडलिकवादी, महाजन, व्यवसायी, धार्मिक और फिरकेबर लोगो के स्थापित स्वार्थों के इस समाज में ब्रिटिश भारतीय प्रतिनिधि-मंडल का नेतृत्व मामूल के मुताबिक आगाखा के हाथ में रहे; क्योंकि वह कुछ हद तक इन सब स्वार्थों से स्वयं सम्पन्न थे। कोई एक पुस्त में ज्यादा ब्रिटिश साम्राज्यवाद में और ब्रिटिश शासक-श्रेणी से उनका बहुत नजदीकी ताल्लुक रहा है। वह ज्यादातर इंग्लैण्ड में ही रहते हैं। इसलिए वह हमारे शासको के स्वार्थों और उनके दृष्टिकोण को पूरी तरह समझ सकते हैं और उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। उस गोलमेज-कान्फ्रेंस में साम्राज्यवादी इंग्लैण्ड के वह बहुत काबिल प्रतिनिधि हो सकते थे। लेकिन आश्चर्य तो यह था कि वह हिन्दुस्तान के प्रतिनिधि समझे जाते थे।

कान्फ्रेंस में हमारे खिलाफ पलड़ा बुरी तरह से लदा हुआ था, और यद्यपि हमें उससे कभी कोई उम्मीद न थी फिर भी उसकी कार्रवाइयों को पढ़-पढ़कर हमें हैरत होती थी और दिन-दिन उससे हमारा जी ऊबता जाता था। हमने देखा कि राष्ट्रीय और आर्थिक समस्याओं की सतह को खरोचने की कैसे दयनीय और वाहियात ढंग से मामूली कोशिश की जा रही है? कैसे-कैसे पैक्ट और कैसी-कैसी साजिशें हो रही हैं? कैसी-कैसी चालें चली जा रही हैं? हमारे ही कुछ देश-भाई ब्रिटिश अनुदार दल के सबसे ज्यादा उन्नति-विरोधी लोगों से मिल गये हैं। टुच्चे-टुच्चे मामलों पर बातें चलती थीं और सोभी खत्म ही न होती थी। जो असली बातें हैं उनको जानबूझकर टाला जा रहा है। ये प्रतिनिधि बड़े-बड़े स्थापित स्वार्थों के और खासकर ब्रिटिश-साम्राज्यवाद के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। वे कभी तो आपस में लड़ते-झगड़ते हैं

और कभी एक-साथ बैठकर दावतें खाते तथा एक-दूसरे की तारीफ़ करते हैं। शुरू से लेकर अखीर तक सब मामला नौकरियों का था। छोटे ओहदे, बड़े ओहदे, हिन्दुओं के लिए कितनी नौकरियाँ और मेम्बरियाँ हैं तथा सिक्खों और मुसलमानों के लिए कितनी ? और एंग्लो-इन्डियनों तथा यूरोपियनों के लिए कितनी ? लेकिन ये सब ओहदे ऊँचे दरजे के अमीर लोगों के लिए थे, जन-साधारण के लिए उनमें कुछ न था। मौका-परस्ती का दौर-दीरा था और ऐसा मालूम पड़ता था कि नये शासन-विधान में टुकड़े-रूपी जो शिकार था उसकी फ़िराक में भिन्न-भिन्न गिरोह भूखे भेड़ियों की तरह घात लगाये फिरते थे। उनकी आजादी की कल्पना ने भी तो बड़े पैमाने पर नौकरियाँ तलाश करने की शकल अख्यार करली थी। इसे ये लोग "भारती-करण" के नाम से पुकारते थे। फौज में, मुल्की नौकरियों में और दूसरी जगहों में हिन्दुस्तानियों को ज्यादा नौकरियाँ मिले यही इनकी पुकार थी। कोई यह नहीं सोचना था कि हिन्दु-स्तान के लिए आजादी की, असली स्वतन्त्रता की, भारत को लोकतन्त्री सत्ता सौंपे जाने की, हिन्दुस्तान के लोगों के मामले जो भारी और ज़रूरी आर्थिक मसले मौजूद हैं उनके हल करने की भी कोई ज़रूरत है ? क्या इसीके लिए हिन्दुस्तान में इनकी मर्दानगी से लड़ाई लड़ी गई थी ? क्या हम सुन्दर आदर्शवाद और त्याग की दुर्लभ मलय-समीर को छोड़कर इस गन्दी हवा को ग्रहण करेंगे ?

उस मुनहले भवन में और इतने लोगों की भीड़ में गांधीजी बिलकुल अकंले मालूम होते थे। उनकी पोशाक में, या उनकी कोई पोशाक ही न होने की वजह से, बाकी सब लोगों में उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता था। लेकिन उनके आस-पास अच्छे सजे-धजे लोगों की जो भीड़ बैठी हुई थी उसके विचार और दृष्टि-कोण में तथा गांधीजी के खयाल और उनके दृष्टि-बिन्दु में और भी ज्यादा फर्क था। उम कान्फ़ेन्स में उनकी स्थिति निहायत ही मुश्किल थी। इतनी दूर बैठे-बैठे हम इस बात पर अचरज करते थे कि वह इसे कैसे बरदाश्त कर रहे हैं ? लेकिन आश्चर्य-जनक धीरे-धीरे के साथ वह अपना काम करते रहे, और राजीनामे की कोई-न-कोई बुनियाद ढूँढने के लिए उन्होंने कई कोशिशें कीं। एक विलक्षण बात उन्होंने ऐसी की जिसने फौरन यह दिखला दिया कि किस तरह फ़िरक़ेवाराना भाव ने दरअसल राजनैतिक प्रतिगामिता को अपनी ओट में छिपा रक्खा था। मुसलमान प्रतिनिधियों की तरफ़ से कान्फ़ेन्स में जो फ़िरक़े-वाराना माँगें पेश की गई थी उनको गांधीजी पसन्द नहीं करते थे। उनका खयाल था, और उनके साथी कुछ राष्ट्रीय विचार के मुसलमानों का भी यही खयाल था, कि इनमें से कुछ माँगें तो आजादी और लोकतंत्र के रास्ते में रोड़ा अटकाने वाली हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं इन सब माँगों को "बिना किसी ऐतज़ाज़ के मानने

को तैयार हूँ, बशर्ते कि मुसलमान प्रतिनिधि राजनैतिक माँग यानी आजादी के मामले में मेरा तथा कांग्रेस का साथ दे।”

उनका यह प्रस्ताव खुद अपनी तरफ से था; क्योंकि उनकी जैसी हालत थी, उसमें कांग्रेस को वह किसी बात से नहीं बाँध सकते थे। लेकिन उन्होंने वादा किया कि मैं कांग्रेस में इस बात के लिए जोर दूँगा कि ये माँगें मान ली जायँ। और कोई भी शकस जो कांग्रेस में उनके असर को जानता था, इस बात में कोई शक नहीं कर सकता था कि वह कांग्रेस से उन माँगों को मनवाने में कामयाबी हासिल कर सकते थे। लेकिन मुसलमानों ने गांधीजी के इस प्रस्ताव को मजूर नहीं किया। सचमुच इस बात की कल्पना करना ज़रा मुश्किल है कि आगाखा साहब हिन्दुस्तान की आजादी के हामी हो जायँगे। लेकिन इससे इतनी बात साफ-साफ दिखाई दे गई कि असली झगड़ा फिरकेवाराना नहीं था, यद्यपि कान्फ्रेंस में फिरकेवाराना सवाल की ही धूम थी। असल में तो राजनैतिक प्रतिगामिता ही सब तरह की तरक्की के रास्ते को रोक रही थी और वही फिरकेवागना सवाल की आड़ में छिपी हुई टट्टी की ओट से शिकार करती रही। कान्फ्रेंस के लिए अपने नामजद प्रतिनिधियों का चुनाव बड़ी चालाकी से करके ब्रिटिश-सरकार ने इन उन्नति-विरोधी लोगों को वहाँ जमा किया था और कान्फ्रेंस की कार्रवाई की गति-विधि अपने हाथ में रखकर उसने फिरकेवाराना सवाल को अहम और एक ऐसा सवाल बना दिया था जिसपर आपस में कभी न मिल सकनेवाले जो लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे उनमें कभी कोई राजीनामा नहीं हो सकता था।

इस कोशिश में ब्रिटिश सरकार को कामयाबी मिली और इस कामयाबी से उसने यह साबित कर दिया कि अभी तक उसमें न सिर्फ अपने साम्राज्य को कायम रखने की बाहरी ताकत ही है, बल्कि कुछ दिनों तक और साम्राज्यवादी परम्परा को चला ले जाने के लिए चालाकी और कूटनीति भी उसके पास है। हिन्दुस्तान के लोग नाकामयाब रहे, यद्यपि गोलमेज़-कान्फ्रेंस न तो उनकी प्रतिनिधि ही थी, और न उसकी ताकत से हिन्दुस्तान के लोगों की ताकत का अन्दाज़ा ही लगाया जा सकता था। उनके नाकामयाब होने की खास वजह यह थी कि उनके पास उनके उद्देश के पीछे कोई विचार-धारा न थी, इसलिए उन्हें आसानी से अपनी असली जगह से हटाया तथा गुमराह किया जा सकता था। वे इसलिए नाकामयाब हुए कि वे अपनेमें इतनी ताकत नहीं महसूस करते थे कि वे उन स्थापित स्वार्थ रखनेवालों को धता बता दें जो उनकी तरक्की के लिए भार-स्वरूप बने हुए थे। वे नाकामयाब रहे, क्योंकि उनमें मजहबीपन की अति थी और उनके फिरकेवाराना जख़्बात आसानी से भड़काये जा सकते थे।

थोड़ेसे में वे इसलिए असफल हुए कि अभीतक इतने आगे नहीं बढ़े हुए थे, न इतने मजबूत ही थे, कि कामयाब होते।

असल में इस गोलमेज-कान्फ्रेंस में तो कामयाबी या नाकामयाबी का सवाल ही न था। उससे तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी। फिर भी उसमें पहले से कुछ फर्क था। पहली गोलमेज-कान्फ्रेंस थी तो अपने किस्म की सबसे पहली कान्फ्रेंस; लेकिन हिन्दुस्तान में बहुत ही कम लोगों का सवाल उसकी तरफ गया, और बाहर भी यही बात रही; क्योंकि उन दिनों सब लोगो का ध्यान सविनय भंग की लड़ाई की तरफ था। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नामजद उम्मीदवार १९३० में कान्फ्रेंस में शामिल होने गये, अक्सर उनके साथ-साथ काले झण्डे निकाले गये और विरोधी नारे लगाये गये। लेकिन १९३१ में सब बातें बदल गई थी। क्यों? इसलिए कि उसमें गांधीजी काँग्रेस के प्रतिनिधि की हैसियत से, जिसके पीछे करोड़ों लोग चलते हैं, उसमें शामिल हुए, इस बात से कान्फ्रेंस की शान जम गई और हिन्दुस्तान ने दिलचस्पी के साथ रोज-बरोज उसकी कार्यवाहियों पर ध्यान दिया। और वजह जो कुछ भी हो, यह जरूर है कि इस कान्फ्रेंस में जितनी नाकामयाबी हुई उससे हिन्दुस्तान की बदनामी हुई। अब हम लोगो की समझ में यह बात साफ-साफ आ गई कि ब्रिटिश-सरकार गांधीजी के उसमें शामिल होने को इतनी अहमियत क्यों देती थी?

जहाँतक कान्फ्रेंस से ताल्लुक है वहाँतक वह, जिसमें वहाँ होनेवाली साजिशें मौकापरस्ती और फिजूल की जाल-साजियाँ शामिल हैं, हिन्दुस्तान की विफलता नहीं कहला सकती। वह तो बनाई ही ऐसी गई थी, जिसमें नाकामयाब होती। उसकी नाकामयाबी का कुमूर हिन्दुस्तान के लोगो के मन्थे नहीं मड़ा जा सकता। लेकिन उस इस बात में जरूर कामयाबी हुई कि उसने हिन्दुस्तान के असली सवालो से दुनिया का ध्यान हटा दिया और खुद हिन्दुस्तान में उसकी वजह से लोगो की आँखें खुल गई, उनका उत्साह मर गया तथा उन्होंने उससे अपनी जिल्लत-सी महसूस की। उसने प्रतिगामी लोगो को फिर अपना सिर उठाने का मौका दे दिया।

हिन्दुस्तान के लोगो के लिए तो कामयाबी या नाकामयाबी खुद हिन्दुस्तान में होनेवाली घटनाओ से हो सकती थी। हिन्दुस्तान में जो मजबूत राष्ट्रीय हलचल हो रही थी वह लन्दन में होनेवाली चालबाजियों से ठण्डी नहीं पड़ सकती थी। राष्ट्रीयता मध्यमवर्ग के लोगो और किसानों की असली और तात्कालिक जरूरतों को दिखलाती थी। उसीके जरिये वे अपने मसलों को हल करना चाहते थे; इसलिए उस हलचल की दो ही सूरतें हो सकती थीं—एक तो यह कि वह कामयाब होती, अपना काम पूरा

कर देती और किसी ऐसी दूसरी हलचल के लिए जगह खाली कर देती जो लोगों को प्रगति और आजादी की सड़क पर और भी आगे ले जाती; दूसरी यह कि कुछ वक्त के लिए उसे जबरदस्ती दबा दिया जाता। असल में कान्फेन्स के बाद फ़ौरन् हिन्दुस्तान में लड़ाई छिड़ने को थी और होनहार यह था कि वह कुछ वक्त के लिए बेबस बनकर खत्म हो। दूसरी गोलमेज-कान्फेन्स का इस लड़ाई पर कोई ऐसा ज्यादा असर नहीं पड़ सका, लेकिन उमने कुछ हदतक हमारी लड़ाई के खिलाफ आबोहवा जरूर बना दी।

युक्तप्रान्त में किसानों-सम्बन्धी दिक्कतें

काँग्रेस के एक प्रधानमंत्री और कार्यसमिति के एक मेम्बर की हैसियत से अखिल-भारतीय राजनीति से मेरा ताल्लुक रहता था, और कभी-कभी मुझे कुछ दौग भी करना पड़ता था, हालाँकि जहाँतक मुमकिन होता मैं उसे टालता ही रहता था। जैसे-जैसे हमारा बोझ और जिम्मेदारियाँ ज्यादा-ज्यादा बढ़ने लगी, वैसे-वैसे कार्य-समिति की बैठकें भी ज्यादा-ज्यादा लम्बी होने लगीं, यहाँतक कि वे लगातार दो-दो हफ्ते तक होती थीं। अब सिर्फ़ नुक़ताचीनी के प्रस्ताव पाम करना नहीं था, मगर एक बड़ी भारी, और कई तरह की प्रवृत्तियोंवाली, संस्था के अनेक और भिन्न-भिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यों का नियन्त्रण करना था, और दिन-ब-दिन मुश्किल सवालों का फैसला करना था, जिनके ऊपर देशभर की व्यापक लड़ाई या शान्ति निर्भर थी।

मगर मेरा खाम काम तो युक्तप्रान्त में ही था, जहाँ कि काँग्रेस का ध्यान किसानों की समस्या पर लगा हुआ था। युक्तप्रान्तीय काँग्रेस कमिटी में डेढ़सौ से ज्यादा मेम्बर थे, और उसकी बैठक हर दो या तीन महीने में हुआ करती थी। उसकी कार्यकारिणी कौंसिल की, जिनमें पन्द्रह मेम्बर थे, बैठके अक्सर होती रहती थी, और उम्मीक हाथ में किसानों का महकमा था।

१९३१ के पिछले हिस्से में इस कौंसिल ने एक खाम किसान-सम्बन्धी कमिटी मुकर्रर कर दी। यह जानने लायक बात है कि इस कौंसिल और इस कमिटी में कई ज़मींदार बराबर शामिल रहे थे, और सब कार्रवाई उनकी राय से की जाती थी। वास्तव में, उस साल के हमारे प्रान्तीय कमिटी के सभापति (और इसीलिए जो कार्यकारिणी कौंसिल और किसान-कमिटी के पदेन अध्यक्ष सौं थे) तसद्दुकअहमदख़ां शेरवानी थे, जो एक मशहूर ज़मींदार खानदान के थे। प्रधानमंत्री श्रीप्रकाशजी और कौंसिल के दूसरे भी कई बड़े-बड़े मेम्बर ज़मींदार थे, या ज़मींदार घराने के थे। बाक़ी मेम्बर ऊँचा पेशा करनेवाले मध्यमवर्ग के लोग थे। हमारी प्रान्तीय कार्यकारिणी में एक भी काश्तकार या गरीब किसान प्रतिनिधि न था। हमारी ज़िला-कमिटियों में किसान पाये जाते थे, मगर जिन कई चुनावों में जाकर प्रान्त की कार्यकारिणी कौंसिल बनती थी, उनमें वे शायद ही कभी कामयाब हो पाते थे। इस कौंसिल में मध्यमवर्ग के पढ़े-लिखे लोगों की ही तादाद बहुत ज्यादा थी, और ज़मींदारों का भी बहुत प्रभाव

था। इस तरह यह कौंसिल किसी तरह भी गरम नहीं कही जा सकती थी, और किसानों के सवाल पर तो निश्चय ही नहीं कही जा सकती थी।

प्रान्त में मेरी हैसियत सिर्फ कार्यकारिणी कौंसिल और किसान-कमिटी के एक मेम्बर की थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सलाह-मशविरों या दूसरे काम-काज में मैं खास हिस्सा लेता था, मगर किसी भी मानी में सबसे प्रमुख भाग नहीं लेता था। वास्तव में, किसीके भी बारे में यह नहीं कहा जा सकता था कि वह प्रमुख भाग लेता है, क्योंकि मजमूई और इकट्ठा कार्य करने की हमारी पुरानी आदत हो गई थी, और व्यक्ति पर नहीं, संगठन पर ही हमेशा जोर दिया जाता था। हमारा सभापति हमारा तात्कालिक मुखिया रहता था और हमारा प्रतिनिधि होता था, मगर उसे भी विशेष अख्यारागत न थे।

मुकामी तौर पर मैं इलाहाबाद जिला काँग्रेस कमिटी का भी मेम्बर था। इस कमिटी ने, अपने सदर पुरुषोत्तमदास टण्डन के नेतृत्व में, किसान-समस्या की प्रगति में महत्वपूर्ण हिस्सा लिया था। १९३० में इस कमिटी ने ही प्रान्त में सबसे पहले करबन्दी-आन्दोलन शुरू किया था। इसका कारण यह नहीं था कि इलाहाबाद जिले में किसानों की हालत, भाव की मन्दी से सबसे ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि अवध के ताल्लुकदारों के हिस्से और भी ज्यादा खराब थे। मगर इलाहाबाद जिले का संगठन अच्छा था, और इसमें राजनैतिक चेतना ज्यादा थी, क्योंकि इलाहाबाद शहर राजनैतिक हलचलों का एक केन्द्र था और आमपास के देहात में बड़े-बड़े कार्यकर्ता अवसर जाया करते थे।

मार्च १९३१ के दिल्ली-समझौते के बाद फौरन ही हमने देहात में कार्यकर्ता और नोटिस भेज दिये थे, और किसानों को इत्तिला दे दी थी कि सविनय-भंग और यह आन्दोलन बन्द कर दिया गया है। राजनैतिक दृष्टि में उनके लगान अदा कर देने में अब कोई रुकावट न थी, और हमने उन्हें सलाह भी दी कि वे अदा कर दें। मगर साथ ही हमने यह भी कह दिया कि इस भारी सस्ताई को देखते हुए हमारी राय यह है कि उन्हें भारी छूट मिलनी चाहिए, और हमने यह सुझाया कि हमको एकसाथ मिलकर छूट हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। मामूली हालत में भी लगान अक्सर एक असह्य बोझ ही होता था, फिर भारी मन्दी के जमाने में तो पूरा लगान या पूरी के करीब रकम देना तो बिलकुल ही गैर-मुमकिन था। हमने किसानों के प्रतिनिधियों के साथ सलाह-मशविरा किया, और आरजू तजवीज की कि आम तौर पर छूट पचास फीसदी होनी चाहिए, और कहीं-कहीं तो इससे भी ज्यादा।

हमने किसानों के सवाल को सविनय-भंग के प्रश्न से बिलकुल अलग करने की

कोशिश की। कम-से-कम १९३१ में तो, हम उसपर आर्थिक दृष्टि से ही विचार करना चाहते थे, और उसे राजनैतिक-क्षेत्र से अलग रखना चाहते थे। मगर यह मुश्किल था, क्योंकि दोनों किसी-न-किसी तरह एक-दूसरे से गहरे जुड़ गये थे, और पहले दोनों का गहरा साथ हो गया था। और काँग्रेस-संगठन के रूप में, हम लोग तो निश्चित रूप से राजनैतिक थे ही। कुछ समय के लिए तो हमने कोशिश की कि हमारी संस्था एक किसान-यूनियन (जिसपर नियन्त्रण गैर-किसानों और ज़मींदारों तक का था!) की तरह ही काम करे, मगर हम अपना राजनैतिक स्वरूप नहीं छोड़ सके, और न हमने छोड़ने की इच्छा ही की, और सरकार भी जो-कुछ हम करते थे उसे राजनैतिक ही समझती थी। सविनय भंग फिर होने की संभावना भी हमारे सामने थी, और अगर ऐसा हुआ तो इसमें शक नहीं कि अर्थ-नीति और राजनीति दोनों माथ-माथ मिलकर चलेंगे।

इन जाहिरा मुश्किलों के बावजूद, दिल्ली-समझौते के वक्त से हमेशा हमारी यह कोशिश रही कि किसानों के सवाल को राजनैतिक लड़ाई से अलग रखा जाय। इसका असली सबब यह था कि दिल्ली-समझौते ने इसे बन्द नहीं कर दिया था, और यह बात हम सरकार और आम लोगों को बिल्कुल साफ़ बता देना चाहते थे। दिल्ली की बातचीतों में, मेरा खयाल है, गांधीजी ने लॉर्ड अविन को यह भरोसा दिला दिया था कि अगर वह गोलमेज़-कान्फ़ेस में न भी गये, तो भी जबतक कान्फ़ेस की बैठकें होती रहेंगी तबतक वह सविनय भंग फिर शुरू नहीं करेंगे; वह काँग्रेस से सफ़ारिश करेंगे कि कान्फ़ेस को हर तरह का मोका दिया जाना चाहिए, और उसके नतीजे का इन्तज़ार करना चाहिए। मगर, तब भी गांधीजी ने यह साफ़ बता दिया था कि अगर किसी मुक़ामी आर्थिक लड़ाई के लिए हमें मजबूर किया जायगा, तो उसपर यह बात लागू न होगी। युक्तप्रान्त के किसानों की समस्या उस वक्त हम सबके सामने थी, क्योंकि वहाँ संगठित कार्य किया गया था। दर-असल तो सारे हिन्दुस्तानभर के किसानों की वैसी ही हालत थी। शिमला की बात-चीतों में भी गांधीजी ने इस बात को दुहराया था, और उनके प्रकाशित पत्र-व्यवहार में भी इसका जिक्र किया गया था।

१. शिमला के २७ अगस्त १९३१ के समझौते में नीचे के ख़त भी शामिल थे:—

भारत-सरकार के होम-सेक्रेटरी इमरसन साहब के नाम गांधीजी का पत्र

शिमला

प्रिय इमरसन साहब,

२७ अगस्त १९३१.

आपके आज की तारीख़ के ख़त के लिए, जिसके साथ नया मसविदा मस्वी है, धन्यवाद। सर काबलजी ने भी आपकी बताई तरकीबें भेजने की कृपा की है। मेरे

योरप रवाना होने के ठीक पहले ही उन्होंने साफ़ कर दिया था, कि गोलमेज-कान्फ़ेन्स और राजनैतिक सवालों के बिलकुल अलावा भी काँग्रेस के लिए यह ज़रूरी हो सकता है कि वह वार्षिक लड़ाइयों में लोगों के, और खासकर किसानों के, अधिकारों की रक्षा करे। ऐसी किसी लड़ाई में फंसने की उनकी स्वाहिश नहीं है, वह उसे टालना चाहते हैं; मगर यदि यह अनिवार्य ही हो जाय, तो उसे हाथ में लेना ही पड़ेगा। हम जनता को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। उनका मानना यह था कि दिल्ली के समझौते से, जो सामान्य और राजनैतिक सविनय-भंग में ताल्लुक रखता था, इसकी रोक नहीं की गई है।

ये इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि युक्तप्रान्तीय काँग्रेस-कमिटी और उसके नेताओं पर यह आरोप बार-बार लगाया जाता रहा है कि उन्होंने करबन्दी-आन्दोलन फिर शुरू करके दिल्ली के समझौते को तोड़ दिया। आरोप करनेवालों के मुभीते की बात यह थी कि यह आरोप तब लगाया गया जब वे सब लोग जिनपर यह लगाया गया और जो इसका जवाब दे सकते थे, जेल में बन्द कर दिये गये थे और हर अखबार और प्रेस पर सून्न सेन्सर बैठा हुआ था। इस हकीकत के अलावा कि साथियों ने व मीने तरमीम-शुदा मसविदे पर खूब शौर किया है। नीचे लिखे स्पष्टीकरण के साथ हम आपके संशोधित मसविदे को मंजूर करने को तैयार हैं—

पेंग्रेग्राफ़ ४ में सरकार ने जो पोझीशन अख्तियार की है उसे काँग्रेस की तरफ से मंजूर करना मेरे लिए नामुमकिन है। क्योंकि हम यह महसूस करते हैं कि जहाँ काँग्रेस की राय में समझौते के अमल में पैदा हुई शिकायत दूर नहीं की जाती वहाँ जांच करना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि सविनय भंग-आन्दोलन उसी बन्द के लिए मुस्तवी किया गया है, जबतक दिह्ही का समझौता जारी है। लेकिन अगर भारत-सरकार और दूसरी प्रान्तीय सरकारें जांच कराने को तैयार नहीं हैं, तो मेरे साथी और मैं इस जुमले के रहने देने पर कोई ऐतराज़ न करेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि काँग्रेस अब से उठाये गये दूसरे मामलों के बारे में जांच के लिए ज़ोर नहीं देगी, लेकिन अगर कोई शिकायत इतनी तीव्रता से महसूस की जा रही हो कि जांच के अभाव में उसे दूर करने के लिए रक्षात्मक सीधी लड़ाई लड़ना ज़रूरी हो जाय, तो काँग्रेस, सविनय भंग-आन्दोलन के मुस्तवी रहते हुए भी, उसे करने के लिए स्वतन्त्र होगी।

मैं सरकार को यह यक़ीन दिलाने की ज़रूरत नहीं समझता कि काँग्रेस की हमेशा यही कोशिश रहेगी कि सीधी लड़ाई से बचे और आपसी बातचीत और समझाना-सुझाना आदि उपायों से शिकायत दूर कराये। काँग्रेस की पोझीशन का जिक्र

युक्तप्रान्तीय कमिटी ने १९३१ में कभी करबन्दी-आन्दोलन शुरू ही नहीं किया, मैं इस बात को साफ़ कर देना चाहता हूँ कि आर्थिक उद्देश्य से, सविनय-भंग से अलग रहते हुए, ऐसी लड़ाई लड़ना भी दिल्ली के समझौते का भंग नहीं होता। वह उसके कारणों को देखते हुए उचित था या नहीं, यह तो दूसरी बात थी; लेकिन जिस तरह किसी कारखाने के मजदूरों को अपने किसी आर्थिक कष्ट के कारण हड़ताल शुरू करने का हक़ होता है, उसी तरह किसानों को भी आर्थिक कारण से हड़ताल करने का अधिकार था। दिल्ली से शिमला तक बराबर हमारी यही पोज़ीशन रही, और सरकार ने इसे समझ ही नहीं लिया था, बल्कि उसने इसकी कद्र भी की थी।

करना यहाँ इसलिए ज़रूरी हो गया है कि आगे कोई संभावित ग़लतफ़हमी या कांफ़ेस पर समझौता-उल्लंघन का आरोप न हो सके। मौजूदा बातचीत के कामयाब होने की हालत में मेरा ख़याल है कि यह विज्ञप्ति, यह पत्र और आपका जवाब एक-साथ प्रकाशित कर दिये जायेंगे।

आपका

मो० क० गांधी

गांधीजी के नाम इमरसन साहब का पत्र

शिमला,

प्रिय गांधीजी,

२७ अगस्त, १९३१.

आज की तारीख़ के पत्र के लिए धन्यवाद, जिसमें आपने अपने पत्र में लिखे स्पष्टीकरण के साथ कम्यूनिक् के मसविदे को मंज़ूर कर लिया है। कौंसिल-सहित गवर्नर-जनरल ने इस बात को नोट कर लिया है कि अब आगे से उठाये गये मामलों में जांच पर ज़ोर देने का इरादा कांफ़ेस का नहीं है। लेकिन जहाँ आप यह आश्वासन देते हैं कि कांफ़ेस हमेशा सीधी लड़ाई से बचने और आपसी बातचीत, समझाना-बुझाना आदि तरीकों से ही अपनी शिकायत दूर कराने की हमेशा कोशिश करेगी, वहाँ आप आगे अगर कांफ़ेस कोई कार्रवाई करने का निश्चय करे तो उसकी पोज़ीशन भी साफ़ कर देना चाहते हैं। मुझे यह कहना है कि कौंसिल-सहित गवर्नर-जनरल आपके साथ इस उम्मीद में शामिल हैं कि सीधी लड़ाई का कोई मौक़ा नहीं आयेगा। जहाँ तक सरकार की आम पोज़ीशन की बात है, मैं बाइसराय के १६ अगस्त के आपको लिखे हुए पत्र का निर्देश करता हूँ। मुझे कहना है कि उक्त कम्यूनिक्, आपका आज की तारीख़ का पत्र और यह जवाब सरकार एक-साथ प्रकाशित कर देगी।

आपका

एच० डबल्यू० इमरसन

१९२९ और उसके बाद की कृषि-सम्बन्धी मन्दी से निरन्तर बिगड़ती हुई परिस्थिति हृद दर्जों को पहुँच गई थी। पिछले कई वर्षों से दुनियाभर में कृषि-सम्बन्धी भाव ऊँचे की तरफ चढ़ते जा रहे थे, और हिन्दुस्तान की कृषि ने भी, जो दुनिया के बाजार से बँध चुकी थी, इस चढ़ाव में हिस्सा लिया था। दुनियाभर के कारखानों और खेतों की तरक्की में कोई तारतम्य न रहने के कारण सभी जगह कृषि-संबंधी चीजों के भाव चढ़ गये थे। हिन्दुस्तान में जैसे-जैसे भाव बढ़ने लगे, सरकार की मालगुजारी और जमींदार का लगान भी बढ़ता गया, जिससे कि असली खेती करने-वाले को इससे कुछ भी फायदा न हुआ। कुल मिलाकर किसान लोगों की हालत, कुछ खास तौर पर अच्छे हिस्से को छोड़कर, खराब ही हो गई। युक्ताप्रान्त में लगान मालगुजारी को बनिस्वत बहुत तेजी से बढ़ा; इन दोनों की सापेक्ष वृद्धि, इस शताब्दी के पहले तीस वर्षों में, करीब-करीब (मैं अपनी याददास्त से ही कहता हूँ) ५ . १ थी। इस तरह हालाँकि ज़मीन में सरकार की आमदनी काफी बढ़ गई, लेकिन जमींदार की आमदनी तो उससे भी बहुत ज्यादा बढ़ी, और काश्तकार हमेशा की तरह रोटी का मोहताज ही रहा। यदि कहीं भाव गिर भी जाने थे, या कहीं मुकामी मुसीबतें, जैसे अवृष्टि, बाढ़, ओले, टिड्डी वगैरा, आ पड़ती, तब भी मालगुजारी और लगान की रकम वही रहती थी। अगर कुछ छूट भी हुई तो, बहुत हिचकिचाहट के बाद थोड़ी-सी, सिर्फ उस फसल भर के लिए। अच्छी-से-अच्छी फसलों के वक्त भी लगान की दर बहुत ऊँची मालूम होती थी, तब दूसरे वक्त में तो साहूकार से कर्ज़ लिये बिना उसकी अदायगी ही होना मुश्किल था। फलतः किसानों का कर्ज़ बढ़ता जा रहा था।

खेती से ताल्लुक रखनेवाले सभी वर्ग, जमींदार, मालिक, किसान और काश्तकार, सभी बोहरों के, जो कि मीजूदा हालतों में गावों की आदिम-कालीन व्यवस्था का एक आवश्यक कार्य कर रहे थे, फंदे में फँस गये। इस काम से साहूकारों ने खूब निजी फायदा उठाया, और उनका जाल ज़मीन पर और ज़मीन से ताल्लुक रखनेवाले सभी लोगों पर फैल गया। उनपर बन्धन कोई नहीं थे। कानून उनकी मदद पर था, और अपने इकरारनामों के एक-एक लफ्ज़ को पकड़कर वे अपने आसामियों को ज़रा भी नहीं बल्लशते थे। धीरे-धीरे छोटे जमींदार और मालिक-किसान दोनों के पास से ज़मीन उनके हाथों में आने लगी, और साहूकार ही बड़े पैमाने पर ज़मीन के मालिक, बड़े जमींदार, जमींदार-वर्गीय बन गये। मालिक-किसान, जो अभीतक अपनी ही ज़मीन पर खेती करता था, अब बनिया-जमींदारों या साहूकारों का करीब-करीब दास-किसान बन गया; जो केवल काश्तकार था उसकी हालत तो और भी खराब हो गई। वह तो साहूकार का भी दास बन गया था, या बेदखल किये हुए भूमि-हीन

मजदूरों की बढ़ती हुई जमात में शामिल हो गया। ऋण-दाता—लेन-देन करनेवाले व्यक्तियों—का जो अब इस तरह जमीन-मालिक भी बन गये, जमीन से या काश्तकारों से कोई सजीव सम्पर्क नहीं था। वे आम तौर पर शहर के रहनेवाले थे, जहाँ वे अपना लेन-देन करते थे, और उन्होंने लगान-वसूली का काम अपने कारिन्दों के सुपुर्द कर दिया, जो उस काम को मशीनों की-सी सग-दिली और बेरहमी से करते थे।

किमानों की बढ़ती हुई कर्जदारी ही खुद इस बात का सबूत थी कि भूमि-प्रणाली गलत और अस्थिर है। ज्यादातर लोगों के पास किसी किस्म की बचत न थी, न जिस्मानी न माली, बरदायत करने की बिलकुल ताकत न थी और वे हमेशा भूखे-नंगे ही रहते थे। प्रतिकूल-रूप की किसी भी असाधारण घटना के मामले वे टिक नहीं सकने थे। कोई आम बीमारी आ जाती, तो लाखों मर जाते थे। १९२९ और १९३० में सरकार-द्वारा नियुक्त प्रान्तीय बैंकिंग जाँच कमिटी ने अन्दाज़ा लगाया था कि (बर्मा-सहित) हिन्दुस्तान का कृषि-सम्बन्धी कर्जा ८६० करोड़ रुपया था। इस आकड़े में जमींदारों, मालिक, किमानों और काश्तकारों का कर्जा शामिल था, मगर मुख्यतः यह असली काश्तकारों का ही कर्जा था। सरकारी आर्थिक नीति बिलकुल साहूकारों के ही हक में रही है, और इससे भी भारी कर्ज में और बढ़ती हुई है। इस तरह रुपये का अनुपात, हिन्दुस्तान का जबरदस्त विरोध होते हुए भी, सोलह पेन्स के बजाय १८ पेन्स कर देने से किसानों का कर्ज १२३ फी सदी या लगभग १०७ करोड़ बढ़ गया।

लड़ाई के बाद के अचानक चढ़ाव के बाद भाव धीरे-धीरे लेकिन लगातार गिरते ही चले गये, और देहान की हालत और खराब हो गई। और इस सबके ऊपर १९२९ और बाद के वर्षों का सकट आ गया सो अलग।

१९३१ में युक्तप्रान्त में हमारा कहना यह था कि लगान चीजों के भावों के मुताबिक रहना चाहिए। यानी, पहले जिस समय १९३१ के बराबर भाव थे, उस

१. हिन्दुस्तान की कृषि-सम्बन्धी कर्जदारी ८६० करोड़ है; यह भी संभवतः बहुत कम अन्दाज़ है। और, कम-से-कम, पिछले चार या पाँच वर्षों में यह काफ़ी ज्यादा बढ़ गया होगा। पंजाब प्रान्तीय बैंकिंग जाँच कमिटी ने, १९२६ में, पंजाब का आंकड़ा १३५ करोड़ बताया था। लेकिन पंजाब ऋण-मुक्ति बिल की सिलेक्ट कमिटी की रिपोर्ट में (जो १९३४ में पेश की गई थी) लिखा है कि “कृषकों के कर्जों का बोझ बहुत भारी है, बहुत ही कम अन्दाज़ लगायें तो करीब २०० करोड़ रुपया होगा।” यह नया आंकड़ा बैंकिंग जाँच कमिटी की रिपोर्ट के आंकड़े से लगभग ५० फीसदी ज्यादा है। अगर दूसरे प्रान्तों के लिए भी इसी हिसाब से बढ़ती मानी जाय तो सारे भारत की मौजूदा (१९३४ की) कृषि-कर्जदारी १२०० करोड़ से ज्यादा होगी।

वक्त के लगान के बराबर ही अब भी लगान हो जाना चाहिए । ये भाव लगभग तीस साल पहले, करीब १९०१ में थे । यह एक मोटी कसौटी थी, और इससे परखना भी आसान नहीं था, क्योंकि काश्तकार भी कई तरह के थे—जैसे, मीरूसी, गैर-मीरूसी, शिकमी वगैरा, और सबसे नीचे दर्जे के काश्तकारों पर ही मन्दी का सबसे ज्यादा असर पड़ा था । दूसरी कसौटी सिर्फ़ यही हो सकती थी, और यही सबसे मुनासिब भी थी कि खेती का खर्चा और निर्वाह-योग्य मज़दूरी निकालकर कितनी रकम देने की ताकत काश्तकार की रहती है । मगर इस पिछली कसौटी से जाँचने पर जीवन-निर्वाह के खर्च कितने भी कम क्यों न माने जायँ, हिन्दुस्तान में बहुत ज्यादा खेत ऐसे निकलेंगे जो बे-मुनाफे हैं, और जैसा कि हमने १९३१ में युक्तप्रान्त में मिसालों से साबित किया था । कई काश्तकार तो अपना लगान अदा कर ही नहीं सकते थे, जबतक कि वे अगर उनके पास बेचने को कुछ जायदाद हो तो अपनी जायदाद न बेचें या ऊँची दरों पर कर्ज न लें ।

हमारी युक्तप्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की पहली और आरजी तजवीज़ यह थी कि सब मीरूसी काश्तकारों के लिए ५० फीसदी आम छूट हो जानी चाहिए, और जिन काश्तकारों की हालत और भी खराब है उनके लिए इससे भी ज्यादा छूट दी जाय । जब मई १९३१ में गांधीजी युक्तप्रान्त में आये थे और गवर्नर सर मालकम हेले से मिले, तो उनमें मतभेद पाया गया, और उनकी राय एक न हो सकी । इसके बाद ही उन्होंने युक्तप्रान्त के ज़मींदारों और काश्तकारों के नाम अपील निकाली थी । पिछली अपील में उन्होंने काश्तकारों से कहा कि, उनसे जितना बन सके वे अदा कर दें । उन्होंने एक आकड़ा भी बताया, जोकि हमारे पहले बताये आँकड़े में कुछ ऊँचा था । हमारी प्रान्तीय कमिटी ने गांधीजी का ही आकड़ा मंज़ूर कर लिया, मगर इससे मामला मुलझा नहीं, क्योंकि सरकार उसपर राजी न हुई ।

प्रान्तीय सरकार एक कठिन परिस्थिति में थी । मालगुजारी ही उसकी आमदनी का बड़ा जरिया था, और अगर वह इसे बिलकुल उड़ा देती है या बहुत कम कर देती है तो उसे दिवालियापन का मुकाबिला करना पड़ता है । मगर, साथ ही उसे किसानों के उभड़ पड़ने का भी काफी अन्देश था, और जहाँतक हो सके वह उन्हें काफी लगान की छूट देकर तसल्ली भी देना चाहती थी । लेकिन दोनों तरफ फ़ायदों में रहना आसान न था । सरकार और किसानों के बीच में ज़मींदारवर्ग खड़ा था, जो कि आर्थिक दृष्टि से बेकार और गैर-ज़रूरी वर्ग था, और यदि इस वर्ग को नुकसान पहुँचाना ग़बारा किया जाय तो सरकार और किसान दोनों को रक्षण और सहायता मिल सकती थी । मगर ब्रिटिश-सरकार अपनी मौजूदा परिस्थिति में राज-

नैतिक कारणों से उस वर्ग को नाराज नहीं कर सकती थी, क्योंकि जो वर्ग उसका पल्ला पकड़े हुए थे, उनमें एक वह भी है।

आखिर प्रान्तीय-सरकार ने ज़मींदार और काश्तकार दोनों के लिए ही छूट की घोषणा की। यह छूट कुछ बड़े पेचीदा तरीके पर दी गई थी, और पहले तो यही समझना मुश्किल था कि कितनी छूट दी गई है। मगर यह तो साफ़ जाहिर था कि यह बहुत ही नाफ़ायी थी। इसके अलावा छूट चालू किस्त के लिए ही घोषित की गई, और किसानों के पिछले बकाया कर्ज़ के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई। यह तो जाहिर था, कि अगर काश्तकार मौजूदा आधे वर्ष का लगान देने में असमर्थ है, तो वह पिछला बकाया या कर्ज़ चुकाने में तो और भी ज्यादा असमर्थ होगा। हमेशा ज़मींदारों ही का कायदा यह रहा था कि जितनी भी वसूली होती थी, वे पिछले बकाये में जमा किया करते थे। काश्तकार की दृष्टि से यह तरीका खतरनाक था। क्योंकि किस्त का कुछ-न-कुछ हिस्सा बाकी रह जाने की बिना पर उमकें खिलाफ, चाहे जब, मुकदमा दायर किया जा सकता था, और उमकी ज़मीन जब चाहे छीनी जा सकती थी।

प्रान्तीय कांग्रेस-कार्यकारिणी बहुत ही कठिन स्थिति में पड़ गई। हमें विश्वास था कि काश्तकारों के साथ बहुत बंजा बर्ताव हो रहा है, मगर हम कुछ न कर सकते थे। हम किमानों से यह कहने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे कि वे अदायगी न करे। हम बराबर यही कहते रहे कि उनसे जितना बन सके उतना वे अदा कर दें, और आम तौर पर उनकी मुसीबतों में उनके साथ हमदर्दी दिखाते और उन्हें हिम्मत बँधाने की कोशिश करते रहे। हम उनकी इस बात से सहमत थे, कि छूट कम करने पर भी किस्त की रकम उनकी ताकत के बाहर है।

अब बल-प्रयोग की मशीन, कानूनी और गैरकानूनी दोनों तरह से, चलने लगी। हज़ारों की तादाद में बेदखली के मुकदमे दायर होने लगे; गाय, बैल और जाती मिल्कियत कुर्क होने लगी; ज़मींदारों के कारिन्दे मारपीट करने लगे। बहुतसे किसानों ने किस्त का कुछ हिस्सा जमा करा दिया। उनकी राय में, उनकी इतना ही देने की ताकत थी। बहुत मुमकिन है कि कुछ लोग थोड़ा और दे सकते हो, लेकिन यह बिल्कुल जाहिर था कि ज्यादातर किसानों के लिए तो यह भी भारी बोझ था। मगर इस आशिक अदायगी के कारण वे बच नहीं सके। कानून का एंजिन तो आगे बढ़ता ही गया, और रास्ते में जो कुछ आया, उसे कुचलता ही गया। हालांकि किस्तों का थोड़ा हिस्सा चुका दिया गया था, फिर भी इजराय छिपी जारी हो गई और पशुओं और व्यक्तिगत सम्पत्ति की कुर्की और नीलाम जारी रहा। अगर काश्तकार कुछ

भी न देते तो भी उनकी हालत इससे ज्यादा खराब न हो सकती थी । बल्कि, उतना रुपया बचा लेने से, उनकी हालत कुछ अच्छी ही रहती ।

वे बड़ी तादाद में हमारे पास जोरदार शिकायत करते हुए आते थे, और कहते थे कि हमने आपकी सलाह मान ली और जितना हमसे बन सकता था उतना हमने अदा कर दिया, फिर भी यह नतीजा हुआ है । अकेले इलाहाबाद जिले में ही कई हजार काश्तकार बेदखल कर दिये गये थे, और कई हजारों के खिलाफ कोई-न-कोई मुकदमा दायर कर दिया गया था । जिला कांग्रेस कमिटी का दफ्तर दिनभर परेशान काश्तकारों से घिरा रहता था । मेरा घर भी इसी तरह घिरा रहता था, और अक्सर मुझे लगता था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और कहीं छिप जाऊँ, जहाँ यह भयंकर दुर्दशा दिखाई न दे । कई काश्तकारों पर, जो हमारे यहाँ आते थे, चोट के निशानात थे, जो जमींदारों के कारिन्दों की मार के थे । हमने उनका इलाज अस्पताल में करवाया । वे क्या कर सकते थे ? और, हम क्या कर सकते थे ? हमने युक्त-प्रान्तीय सरकार के पास बड़े-बड़े पत्र भेजे । हमारी कमिटी ने नैनीताल या लखनऊ में प्रान्तीय सरकार से सम्पर्क रखने के लिए गोविन्दवल्लभ पन्त को अपनी तरफ से मध्यस्थ बनाया था । वह सरकार को निरन्तर लिखते रहे, हमारे प्रान्तीय सदर, तमदुक्तअहमदखाँ शेरवानी भी लिखते रहे, और मैं भी लिखता था ।

जून-जुलाई की बारिश नजदीक आने से एक और कठिनाई सामने आई । यह खेत जोतने और बोनो का मोसम था । क्या बेदखल किसान बेकार बैठे रहे और अपने सामने अपनी जमीन खाली पड़ी देखते रहे ? किसान के लिए यह बड़ा मुश्किल था । यह तो उसकी आदत के खिलाफ था । कई लोगों की बेदखली मिर्क कानूनी लिहाज से हो गई थी, उन्हें दरअमल हटा नहीं दिया था । मिर्क अदालत का फ़ैसला हो गया था, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ था । इस हालत में क्या वे जमीन जोत डालें और इस तरह मदाखलत बेजा का जुमं कर लें, जिसमें शायद छोटे-मोटे दंगे की भी सभावना हो जाय ? यह देखना भी किसान के लिए मुश्किल था कि उसकी पुरानी जमीन को कोई दूसरा जोत ले । वे सब हमसे सलाह माँगने को आते थे । हम उन्हें क्या सलाह दे सकते थे ?

गमियों में जब मैं गांधीजी के साथ शिमला गया तो, मैंने यह कठिनाई भारत-सरकार के एक ऊँचे अधिकारी के सामने रखी, और उनसे पूछा कि अगर वह हमारी स्थिति में होते तो क्या सलाह देते ? उनका जवाब आँखें खोल देनेवाला था । उन्होंने कहा कि 'अगर कोई किसान, जिसकी जमीन छिन गई है, यह सवाल मुझसे पूछे तो मैं जवाब देने से इन्कार कर दूँगा ।' हालाँकि जमीन पर से किसान का कब्जा

कानूनन हटाया गया था, फिर भी वह उसको सीधा यह कहने को भी तैयार नहीं थे कि वह अपनी ज़मीन न जोते। शिमला के पहाड़ पर बैठकर मिसलों पर इस तरह हुकूम देना, मानो वह गणित की किसी अमूर्त समस्या पर विचार कर रहे हों, उनके लिए तो आसान था। उन्हें या नैनीताल के प्रान्तीय प्रभुओं को मनुष्यों से साबका नहीं पड़ता था, और न वे मनुष्यों की मुसीबतों को ही अपनी आँखों से देखते थे।

शिमला में हमसे यह भी कहा गया कि हम किसानों को सिर्फ एक ही सलाह दें कि उन्हें पूरी किस्त दे देनी चाहिए, या वे जितनी दे सकें उतनी दे देना चाहिए। हमें करीब-करीब ज़मींदारों के कारिन्दों के जैसे ही काम करना चाहिए। दरअसल, कुछ ऐसी ही बात हमने उनसे तभी कह दी थी जबकि हमने उनसे कहा था कि जितना बने उतना अदा कर दो। लेकिन, बेशक, हमने साथ ही यह कहा था कि उन्हें अपने पशु नहीं बेचने चाहिए, या नया कर्जा नहीं करना चाहिए। और इसका नतीजा भी जो-कुछ हुआ सो हम देख चुके थे।

यह गरमी हमारे लिए बड़ी भयंकर थी। हिन्दुस्तान के किसानों में मुसीबत सहने की अद्भुत शक्ति है, और उनपर हमेशा ज़रूरत से ज्यादा मुसीबतें आती भी रही हैं—अकाल, बाढ़, बीमारी और निरन्तर कुचलनेवाली दरिद्रता—और जब वे अधिक बरदाश्त नहीं कर सकते, तो चुपचाप, और मानो बगैर शिकायत किये, हज़ारों की सख्या में, मर जाते हैं। यह उनका मुसीबतों से बचने का तरीका रहा है। १९३१ में, समय-समय पर आनेवाली पिछली मुसीबतों से ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर, किसी कारण, १९३१ की घटनायें उन्हें ऐसी न लगीं कि जो कूदरत की तरफ़ में आ गई हो और जिन्हें चुपचाप बरदाश्त करना ही चाहिए। उन्होंने विचार किया कि ये तो मनुष्य की लाई हुई है, और इसलिए वे उन्हें बुरी लगी। जो नई राजनैतिक तान्त्रीय उन्हें मिली थी वह अपना असर दिखा रही थी। हमारे लिए भी १९३१ की ये घटनायें खास तौर पर दर्दनाक थी, क्योंकि किसी हद तक हम अपने-आपको उनके लिए जिम्मेदार समझते थे। क्या इस मामले में किसानों ने ज्यादातर हमारी सलाह नहीं मानी थी? लेकिन, फिर भी, मेरा तो पूरा विश्वास है कि अगर हमारी निरन्तर सहायता न होती तो किसानों की हालत और भी बदतर हुई होती। हम उनको संगठित करके रखते थे, और उनकी एक ताकत हो गई थी, जिसका खयाल रखना पड़ता था, और इसी कारण उन्हें इतनी छूट भी मिल गई जितनी शायद और तरह उन्हें न मिलती। और इन अभागों लोगो पर जो मार-पीट और सख्ती की गई, वह, हालांकि खराब थी, इनके लिए कोई नई बात न थी। हाँ, इस वक्त उसकी मात्रा में कुछ फ़र्क़ था (क्योंकि इस वक्त पहले से ज्यादा मात्रा में की गई थी), और कुछ

उसका प्रकाशन भी ज्यादा हुआ था। आम तौर पर, गाँवों में ज़मींदारों के कारिन्दों का काश्तकारों के साथ मार-पीट करना या उन्हें बहुत पीड़ा पहुँचाना भी मामूली बात समझी जाती है, और पिटनेवाले की मौत होजाने पर, सिवा वहाँ के, बाहर उसकी चर्चा भी नहीं होती। मगर हमारे संगठन और किसानों की जागृति के कारण अब ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि इससे किसान सब एक-साथ हो गये थे और हर बात की रिपोर्ट कांग्रेस के दफ्तर में करते थे।

जैसे-जैसे गरमी का मौसम बीतता गया, जबरदस्ती वसूल करने की कोशिश कुछ ढीली हो गई और बल-प्रयोग की कार्रवाइयाँ कम पड़ने लगी। अब हमें बहु-सख्यक बेदखल किसानों की फिक्र थी। उनके लिए क्या करना चाहिए? हम सरकार पर जोर डाल रहे थे कि वह उन्हें उनके खेत वापस दिलवाने में मदद करे, जो कि ज्यादातर खाली ही पड़े थे। इससे भी ज्यादा ज़रूरी प्रश्न भविष्य का था। जो छूट मिली थी वह पिछली फसल के लिए ही थी, और भविष्य के लिए अभीतक कुछ भी तय नहीं हुआ था। अक्टूबर से अगली किस्त की वसूली का वक़्त आ जायगा। तब क्या होगा? क्या हमें इसी भयंकर घटना-चक्र में से फिर गुज़रना पड़ेगा? प्रान्तीय सरकार ने इसपर विचार करने के लिए एक छोटी-सी कमिटी नियुक्त की, जिसमें उसीके अधिकारी और प्रान्तीय कौंसिल के कुछ ज़मींदार मेम्बर थे। उसमें किसानों की तरफ़ से कोई प्रतिनिधि न था। अन्तिम क्षण, जब कि कमिटी ने काम भी शुरू कर दिया, सरकार ने हमारी तरफ़ से गोविन्दवल्लभ पन्त से उसमें शामिल होने को कहा। उन्होंने इतने असें बाद उसमें शामिल होने में कुछ फायदा न देखा, जब कि ज़रूरी मामलों के निर्णय तो किये ही जा चुके थे।

युक्तप्रान्तीय कांग्रेस कमिटी ने भी किसानों के मुतल्लिक पिछली और मौजूदा कई हकीकते इकट्ठा करने और मौजूदा परिस्थिति पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए एक छोटी-सी कमिटी बिठाई थी। इस कमिटी ने एक बड़ी रिपोर्ट पेश की, जिसमें युक्तप्रान्त के देहात की हालत का बड़ा योग्यता-पूर्ण निरीक्षण किया गया था, और भावों की भारी कमी के कारण आई हुई दुर्दशा का विश्लेषण किया गया था। उनकी सिफारिशें बड़ी व्यापक थी। उस रिपोर्ट पर, जो पुस्तक-रूप में प्रकाशित की गई थी, गोविन्दवल्लभ पन्त, रफीअहमद क़िदवई और बेकटेशनारायण तिवारी के दस्तख़त थे।

इस रिपोर्ट के निकलने के बहुत पहले ही गांधीजी गोलमेज़-कान्फ़ेन्स के लिए लन्दन जा चुके थे। वह बड़ी हिचकिचाहट के बाद गये थे, और इस हिचकिचाहट का एक सबब युक्तप्रान्त के किसानों की परिस्थिति भी थी। वास्तव में उन्होंने प्रायः यह तय कर लिया था कि अगर वह गोलमेज़-कान्फ़ेन्स के लिए लन्दन न गये, तो

वह यू० पी० आर्येण और इस पेचीदा सवाल को हल करने में जुट पड़ेंगे। सरकार के साथ शिमला में जो आखिरी बातचीत हुई थी, उसमें और बातों के साथ युक्तप्रान्त की बात भी शामिल थी। उनके इंग्लैण्ड रवाना हो जाने के बाद भी उन्हें हम, जो-कुछ होता था उसकी, पूरी-पूरी इत्तिला देते रहते थे। पहले एक या दो महीने तक तो मैं उन्हें हर हफ्ते, हवाई और मामूली, दोनों डाकों से पत्र लिखा करता था। बाद में हम इतने नियमित रूप से नहीं लिखते थे, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि वह जल्दी ही आजायेंगे। उन्होंने हमसे कहा था कि वह ज्यादा-से-ज्यादा तीन महीने में, यानी नवम्बर में किसी वक्त, लौट आयेंगे, और हमें उम्मीद थी कि उस वक्त तक हिन्दुस्तान में कोई संकट खड़ा न होगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि उनकी गैर-हाजिरी में हम सरकार के साथ संघर्ष या संकट मोल लेना नहीं चाहते थे। मगर, जब उनके आने में देर लग गई और किसानों की समस्या तेजी से बढ़ती चली, तब हमने उन्हें एक लम्बा तार भेजा, जिसमें ताजा-से-ताजा वाक्यात लिखे, और उन्हें इत्तिला की कि किस तरह हम कुछ-न-कुछ करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने तार से जवाब दिया कि इस मामले में मैं लाचार हूँ और इस समय कुछ नहीं कर सकता, और यह भी कह दिया कि जैसा हम लोगों को ठीक मालूम हो वैसा ही करते जायें।

प्रान्तीय कार्यकारिणी, कार्य-समिति को भी हर बात की इत्तिला देती रही। मैं खुद उसमें अपनी जानकारी से बातें बताने को मौजूद था ही, मगर चूँकि मामला गंभीर होता जाता था, कमिटी ने हमारे प्रान्तीय सदर तसद्दुक शेरवानी, और इलाहाबाद जिला कमिटी के प्रसीडेंट पुरुषोत्तमदास टण्डन से भी बातचीत की।

सरकार की किसान-सम्बन्धी कमिटी ने अपनी रिपोर्ट निकाली, और कुछ सिफारिशें भी की, जो पेचीदा और गोल-मोल थी और उसमें बहुत बातें मुकामी अफसरों के ऊपर छोड़ दी गई थी। कुल मिलाकर उसमें जिस छूट की तजवीज की गई थी, वह पिछले मौसम की छूट से ज्यादा थी, मगर हमें मालूम हुआ कि यह छूट भी काफ़ी नहीं है। जिन आधारों पर उसमें सिफारिशों की गई थी उनपर, और सिफारिशों के स्वरूप पर भी, हमने ऐतराज किया। इसके सिवा, रिपोर्ट में सिर्फ़ आगे का ही विचार किया गया था, मगर पिछले बकाया, कर्जा, और बहुसंख्यक बेदखल कृषकों के सवाल पर कुछ नहीं कहा गया था। अब, हम क्या करते? जिस तरह हमने पिछले चैत-बैसाख में किसानों से कहा था कि वे जितना बने उतना अदा कर दें, क्या अब भी हम किसानों को वही सलाह दें, और फिर वही नतीजे देखें? हमने देख लिया था कि वह सलाह सबसे ज्यादा मूर्खता-पूर्ण थी, और फिर से नहीं दी जा सकती थी। या तो किसानों को चाहिए कि अगर वे दे सकें तो पूरी

रकम अदा करें जो अब छूट काटकर उनसे माँगी जा रही है, या वे कुछ भी न दें और देखें कि क्या होता है। रकम का कुछ हिस्सा दे देने से वे न इधर के रहते न उधर के। काश्तकारों का, जितना वह निकाल सकते हैं, सारा हपया बगैरा भी चला जाता है, और उनकी जमीन भी छिन जाती है।

हमारी प्रान्तीय कार्य-कारिणी ने परिस्थिति पर देर तक और गंभीरता के साथ विचार किया और निश्चय किया कि सरकार की तजवीजें हालाँकि पिछली गरमी की छूट से ज्यादा है लेकिन इतनी माफिक नहीं है कि उन्हें मौजूदा शकल में मंजूर कर लिया जाय। उनमें किसानों के हक में तबदीली होने की फिर भी सम्भावना थी, और इसके लिए हमने सरकार पर जोर दिया। मगर हमें मालूम होता था कि अब कोई उम्मीद नहीं है, और जिस संघर्ष को हम टालना चाहते थे, वह कुछ तेजी से आ रहा है। प्रान्तीय सरकार और भारत-सरकार का कांग्रेस-संगठन की तरफ रुख लगातार बदलता और सख्त होता जा रहा था। हमारे बड़े-बड़े पत्रों के जवाब में हमें जरा-जरा सा जवाब मिल जाया करता था, जिसमें बता दिया जाता था कि हम मुकामी अफसरों से लिखापट्टी करे। यह जाहिर था कि सरकार की नीति हमें किसी तरह भी प्रोत्साहित करने की नहीं थी। सरकार की एक मुसीबत और मुश्किल यह भी थी कि अगर किसानों को छूट देदी जाय तो कांग्रेस का रौब बढ़ जाने की संभावना थी। पुरानी आदत के कारण वह सिर्फ रौब के लिहाज से ही सोच सकती थी, और यह खयाल, कि शायद जनता छूट का जस कांग्रेस को देने लगेगी, उसे नागवार हो रहा था, और वह इसे जहाँ तक हो सके बचाना चाहती थी।

इस बीच हमारे पास दिल्ली और दूसरी जगहों से ये रिपोर्टें आ रही थी कि भारत-सरकार सारे कांग्रेस-आन्दोलन पर जल्दी ही एक जबरदस्त आक्रमण शुरू करनेवाली है। अब छोटी अंगुली ज्यादा जोर से काम करनेवाली है, और बिच्छू के डंक हमसे तोबा करानेवाले है। कांग्रेस के खिलाफ क्या-क्या करने की तजवीज है, इसकी बहुत-सी तफसील भी हमें मिल गई। मेरा खयाल है कि शायद नवम्बर में किसी वक्त, डाक्टर अन्सारी ने मेरे पास (और कांग्रेस के सदर बल्लभभाई पटेल के पास भी, अलग) एक खबर भेजी, जिससे हमारी पिछली रिपोर्टों की ताईद होती थी, और जिसमें खासकर सीमाप्रान्त और युक्तप्रान्त के प्रस्तावित आर्डिनेन्सों की तफसील भी थी। मेरा खयाल है कि बंगाल को नये आर्डिनेन्स को सौगात मिल चुकी थी, या, शायद मिलने ही वाली थी। कई हफ्ते बाद जब नये आर्डिनेन्स निकले, मानो वे किसी नई परिस्थिति का एकदम सामना करने के लिए निकले हों, तब डाक्टर अन्सारी की खबर की बहुत कुछ ताईद हो गई, और उसकी तफसील भी बहुत हद तक सही

निकली। आम तौर पर यही माना गया कि सरकार ने, गोलमेज़-कान्फ्रेंस के आशा-तीत लम्बा हो जाने से, अपना हमला रोक रक्खा था। उस समय जबकि गोलमेज़-कान्फ्रेंस के मेम्बर आपस में मीठी-मीठी बेमतलब की कानाफूसी कर रहे थे, सरकार हिन्दुस्तान में आम दमन को टालना चाहती थी।

इसलिए तनातनी बढ़ती गई, और हम सभीको महसूस हो रहा था कि हमारे जैसे छोटे-छोटे लोगों के रोकने पर भी घटनायें अपने-आप आगे बढ़ रही हैं, और होनहार को कोई रोक न सकेगा। हम तो इतना ही कर सकते थे कि हम उनका मुकाबिला करने के लिए, और जीवन के उस नाटक में, जो शायद दुःखान्त होनेवाला था, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपना हिस्सा ठीक तरह से अदा करने के लिए, अपने-आप को तैयार कर लें। मगर हमें उम्मीद थी कि शक्तियों का यह संघर्ष शुरू होने से पहले गांधीजी लौट आयेंगे, और वह लड़ाई या मुल्ह की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेंगे। उनकी गैरहाज़िरी में इस बोझ को उठाने के लिए हमसे कोई भी तैयार नहीं था।

युक्तप्रान्त में सरकार ने एक और काम किया जिससे देहाती हलकों में हलचल मच गई। काश्तकारों को छूट की चिट्ठियाँ बाँट दी गईं, जिनमें छूट की रकम बताई गई थी और यह धमकी शामिल थी कि अगर इसमें दिखाई हुई रकम एक महीने में अदा न की जायगी (किसी-किसी चिट्ठी में इससे भी कम वक्त दिया गया था), तो छूट रद्द कर दी जायगी, और पूरी रकम कानूनी तरीक़े से, जिसका मतलब होता है बेदखली, कुर्की, बग़ैरा से, वसूल कर ली जायगी। मामूली बरसों में तो काश्तकार अपनी लगान किस्तों में दो या तीन महीनों में अदा कर देते हैं। अबकी यह मामूली मियाद भी नहीं दी गई। सारे देहात के सामने एकदम नया संकट खड़ा हो गया, और चिट्ठियाँ हाथ में लेकर काश्तकार इधर-उधर उसका विरोध और शिकायत करते हुए, सलाह पूछने के लिए, दौड़ने लगे। सरकार या उसके मुकामी अफसरों की तरफ़ से यह एक मूर्खता-पूर्ण धमकी थी, और बाद को हमसे कहा गया कि यह संजीदगी से नहीं दी गई थी। मगर इससे शान्तिपूर्ण समझौते का मौका बहुत कम रह गया, और क्रदम-ब-क्रदम लाज़िमी तौर पर संघर्ष नज़दीक आने लगा।

अब तो किसानों को और कांग्रेस को जल्दी ही फ़ैसला करना आवश्यक था। हम गांधीजी के लौटने तक अपना फ़ैसला नहीं रोक सकते थे। हमें अब क्या करना चाहिए? क्या सलाह देनी चाहिए? क्या जबकि हम यह जानते थे कि कई किसान इस मिली हुई छोटी-सी मियाद में अपनी रकम अदा नहीं कर सकते तो यह वाजिब बात होती कि हम उन किसानों से कह देते कि वे अपनी रकम अदा कर दें? और

फिर जो बकाया उनकी तरफ था, उसके बारे में क्या होगा ? अगर उनसे मांगी हुई रकम का बड़ा हिस्सा भी वे अदा करदें, या हाल की पूरी रकम भी अदा करदें, जो बकायों में जमा करली जायगी, तो भी क्या वे बेदखल किये जाने के खतरे से बच जायेंगे ?

इलाहाबाद कांग्रेस कमिटी ने अपनी मजबूत किसान-सेना के साथ लड़ाई का जोर बाँधा । उसने फैसला किया कि उसके लिए यह मुमकिन नहीं है कि वह किसानों को अदायगी कर देने की सलाह दे । मगर यह कह दिया गया कि प्रान्तीय कार्यकारिणी और अखिल-भारतीय कार्य-समिति की बाकायदा मंजूरी के बगैर वह कोई आक्रामक कदम नहीं उठा सकती । इसलिए मामला कार्य-समिति के सामने पेश किया गया, और प्रान्त और जिले की तरफ से अपना मामला समझाने के लिए तमदुदक शेरवानी और पुरुषोत्तमदास टंडन दोनों ही मौजूद रहे । हमारे सामने जो सवाल था वह सिर्फ इलाहाबाद जिले से ही ताल्लूक रखता था और वह शुद्ध आर्थिक मामला था, मगर हमने महसूस किया कि उस वक्त जैसी राजनैतिक तनावती हो रही थी उसमें उसका व्यापक परिणाम हो सकता था । क्या इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमिटी को यह इजाजत दे दी जाय कि वह कुछ वक्त के लिए, जबतक कि आगे सुलह की बातचीत न होले और ज्यादा अच्छी शर्तें न मिल जायें तबतक के लिए, लगान या मालगुजारी अदा न करने की सलाह किसानों को दे दे । यह एक छोटा मामला था और हम उसी तक महदूद भी रहना चाहते थे, लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते थे ? कार्य-समिति गांधीजी के लौटने से पहले सरकार से लड़ पड़ने की स्थिति को बचाने के लिए सारी ताकत लगाकर कोशिश करना चाहती थी, और खासकर वह एक ऐसे आर्थिक सवाल पर तो लड़ाई को टालना चाहती ही थी जिसके वर्ग-समस्या बन जाने की संभावना थी । कमिटी हालांकि राजनैतिक दृष्टि से आगे बढ़ी हुई थी, लेकिन सामाजिक दृष्टि से तो आगे बढ़ी हुई नहीं थी, और उसे किमान और ज़मींदारों का आपसी झगड़ा खड़ा होना पसन्द न था ।

चूँकि मेरा झुकाव समाजवाद की तरफ था, मुझे आर्थिक और सामाजिक मामलों में सलाह देने के लिए भरोसे लायक आदमी न समझा गया । मुझे खुद यह महसूस हो रहा था कि कार्य-समिति को यह मालूम हो जाना चाहिए कि युक्तप्रान्त की परिस्थिति ही ऐसी है कि हमारे ज्यादा नरम और दाहिने बाजू के मेम्बर भी, संघर्ष करने की पूरी अनिच्छा रखते हुए भी, वाकयात से मजबूर होकर संघर्ष करना चाहते हैं । इसलिए मैंने हमारी कमिटी की मीटिंग में हमारे प्रान्त से शेरवानी और दूसरे लोगों के आने को बहुत अच्छा समझा, क्योंकि शेरवानी, जो हमारे प्रान्त के सभापति थे, किसी भी

प्रकार उग्र नहीं थे। राजनैतिक और सामाजिक दोनों रूप में वह कांग्रेस में दाहिने बाजू के समझे जाते थे, और साल के शुरू में उनकी राय युक्तप्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की किसानों-सम्बन्धी नीति के खिलाफ हो गई थी। मगर जब वह खुद कमिटी के सदर बन गये और उन्हें खुद बोझ उठाना पड़ा, तो उन्होंने समझ लिया कि हमारे लिए दूसरा चारा ही नहीं है। प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी ने बाद में जो-जो भी कदम उठाया वह उनके घने-से-घने सहयोग के साथ, और अक्सर सदर की हैसियत से उन्हींकी मार्फत, उठाया।

इसलिए कार्य-समिति के सामने तसद्दुक शेरवानी की बहस से मेम्बरों पर बड़ा असर पड़ा—मैं जितना असर डाल सकता था, उससे कहीं ज्यादा। बहुत सोच-विचार के बाद, लेकिन यह महसूस करके कि वह उससे इन्कार नहीं कर सकते हैं, उन्होंने युक्तप्रान्तीय कमिटी को अस्ख्यार दे दिया कि वह अपने किसी भी इलाके में लगान और मालगुजारी की बढ़ावगी को मुलतवी करने की इजाजत दे सकती है। मगर, साथ ही, उन्होंने युक्तप्रान्त के लोगों पर जोर दिया कि हो सके तो वे इस कदम को न उठायें, और प्रान्तीय सरकार से सुलह की बातचीत चलाते रहें।

कुछ समय तक यह बातचीत चलाई गई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा खयाल है कि इलाहाबाद जिले की छूट में थोड़ा-सा इजाफा कर दिया गया। मामूली परिस्थिति में शायद यह मुमकिन होता कि आपस में समझौता हो जाता या खुला संघर्ष रुक जाता; अन्तर कम होता जा रहा था। मगर परिस्थिति बहुत ही असाधारण थी, और सरकार और कांग्रेस दोनों ही तरफ से यह भावना थी कि जल्दी ही संघर्ष होना लाजिमी है, और हमारी निपटारे की बातचीत की तह में कोई अस-लियत नहीं थी। दोनों तरफ से जो-जो कदम उठाया जाता था, उसमें ऐसा ही दिखता था कि यह अपने लिए अच्छी स्थिति पैदा कर लेने की रूवाहिश से उठाया जा रहा है। इसके लिए सरकार की तैयारियाँ तो गुप्त रूप से हो सकती थी, और दर-असल सोलहों आना हो भी गई थी। लेकिन हमारी शक्ति तो बिलकुल लोगों के दम-खम पर ही टिकी हुई थी, और इसकी तैयारी गुप्त कार्रवाइयों से नहीं हो सकती थी। हममें से कुछ लोगों ने, और मैं भी उन्हीं कुसूरवारों में से था, तो आम भाषणों में यह बार-बार कहा था कि आजादी की लड़ाई हरगिज खतम नहीं हुई है, और हमें निकट-भविष्य में कई आजमाइशों और मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। हमने लोगों से कहा कि वे इसके लिए हमेशा तैयार रहें, और इसी कारण हमें लड़ाई जगानेवाला कहकर हमारी निन्दा की गई थी। दरहकीकत मध्यम-वर्गीय कांग्रेसी-कार्यकर्ताओं के अन्दर हकीकतों का मुकाबिला करने की साफ अनिच्छा मालूम होती थी, और उन्हें उम्मीद थी की

किसी-न-किसी तरह संघर्ष टल जायगा। गांधीजी के लन्दन में रहने से भी अखबार पढ़नेवाले वर्गों का ध्यान उधर बँट जाता था। मगर पढे-लिखे लोगों की इस निष्क्रियता के होते हुए भी घटनायें आगे ही बढ़ती गईं। खासकर बंगाल, सीमाप्रान्त और युक्तप्रान्त में—और नवम्बर में कई लोगों को यह देखने लगा कि संकट नज़दीक आ ही रहा है।

युक्तप्रान्तीय कांग्रेस कमिटी ने, इस डर से कि अचानक न जाने कौसी घटनायें हो जायँ, लड़ाई शुरू होने की अवस्था के लिए कुछ आन्तरिक व्यवस्था कर डाली। इलाहाबाद-कमिटी ने एक बड़ी किमान-कान्फ़ेन्स बुलाई, जिसमें एक आरज़ी ठहराव किया गया कि अगर ज्यादा अच्छी शर्तें न मिल सकेंगी, तो उन्हें किमानों को लगान और मालगुजारी रोक लेने की सलाह देनी पड़ेगी। इस प्रस्ताव से प्रान्तीय-सरकार बहुत नाराज़ हुई, और इसीको 'लड़ाई का काफी सबब' समझकर उसने हमारे साथ आगे कोई भी बातचीत करने से इन्कार कर दिया। इस रुख का प्रान्तीय कांग्रेस पर भी असर पड़ा, और उसने इसको आनेवाले तूफान का निशान समझा और जल्दी-जल्दी अपनी तैयारियाँ करना शुरू किया। इलाहाबाद में एक और किसान-कान्फ़ेन्स हुई, जिसमें पहले से भी ज्यादा तेज़ और निश्चित प्रस्ताव पास किया गया। इसमें किसानों से कहा गया कि वे आगे और निपटारे की बातचीत होने और ज्यादा अच्छी शर्तें मिलने तक के लिए अदायगी रोक लें। उस वक़्त भी, और अख़ीर तक, हमारी लड़ाई का रुख यह नहीं था कि 'लगान न दिया जाय', मगर यह था कि 'मुनासिब लगान दिया जाय'। और हम लगातार बातचीत करने की दरख़वास्त करते ही रहे, हालाँकि दूसरा पक्ष एंट में दूर हट गया था। इलाहाबाद का ठहराव ज़मींदारों और काश्तकारों दोनों पर लागू था, मगर हम जानते थे कि अमल में वह काश्तकारों और कुछ छोटे ज़मींदारों पर ही लागू होगा।

नवम्बर १९३१ के अन्त और दिसम्बर के शुरू के करीब युक्तप्रान्त में यह परिस्थिति थी। इस बीच बंगाल और सीमा-प्रान्त में भी घटनायें हद तक पहुँच चुकी थी, और बंगाल में एक नया और भयकर रूप से व्यापक आंडिनेन्स जारी कर दिया गया था। ये सब लड़ाई के चिन्ह थे, न कि मुलह के, और सवाल उठता था कि : गांधीजी कब लौटेंगे ? सरकार ने जिस बड़े प्रहार की तैयारी बहुत असें से कर रक्खी थी, उसके शुरू किये जाने से पहले क्या गांधीजी हिन्दुस्तान आ पहुँचेंगे ? या, क्या वह यहाँ पहुँचकर यह देखेंगे कि उनके कई साथी जेल जा चुके हैं और लड़ाई चालू हो गई है ? हमें मालूम हुआ कि वह इंग्लैंड से रवाना हो चुके हैं और साल के आखिरी हफ़्ते में बम्बई आ पहुँचेंगे। हममें से हरेक, मुख्य कार्यालय का या प्रान्तों का हर-

प्रमुख कार्यकर्ता, उनके लीटने तक लड़ाई टालना चाहता था। और लड़ाई के लिहाज से भी हमारे लिए यह वाञ्छनीय था कि हम उनसे मिल लें, और उनकी सलाह और हिदायतें हासिल कर लें। वह एक इस तरह की दौड़ थी, जिसमें हम मजबूर थे। इसमें सूत्रपात ब्रिटिश सरकार के हाथ में था।

सुलह का ख़ात्मा

युक्तप्रान्त में मेरे मशगूल रहने के बावजूद बहुत अरसे से मेरी यह ख्वाहिश थी कि मैं दूसरे दोनों तूफानी केन्द्रों, सीमाप्रान्त और बंगाल, में भी हो आऊँ। मैं उस जगह जाकर वहाँ कि परिस्थिति का अध्ययन करना, और अपने पुराने साथियों से, जिनमें से अनेक को मैंने करीब दो साल से नहीं देखा था, मिलना चाहता था। मगर, सबसे ज्यादा, मैं यह चाहता था कि मैं उन प्रान्तों के लोगो की स्परिट और हिम्मत के, और राष्ट्रीय संग्राम में उनकी कुर्बानियो के प्रति, अपनी तरफ से सम्मान प्रकट करूँ। सीमाप्रान्त में तो कुछ समय के लिए मैं जा ही नहीं सकता था, क्योंकि भारत-सरकार यह पसन्द नहीं करती थी कि कोई प्रमुख काँग्रेसी वहाँ जाय, और उसके इम रुख को देखते हुए हम वहाँ जाने और अड़चन पैदा करने की कोई इच्छा नहीं रखते थे।

बंगाल में स्थिति बिगड़ती जा रही थी, और हालाँकि उस प्रान्त की तरफ मुझे बहुत आकर्षण था, फिर भी जाने के पहले मुझे बड़ी हिचकिचाहट हुई। मैं महसूस करता था कि मैं वहाँ असहाय-सा रहूँगा, और कुछ भी फायदा न पहुँचा सकूँगा। उस प्रान्त में काँग्रेसी लोगो के दो दलों के शोचनीय और दीर्घकालीन झगड़ों के सबब से बाहरी काँग्रेसवाले बहुत असें से डर गये थे; और दूर-दूर रह रहे थे, क्योंकि उन्हें भय था कि वे भी किसी-न-किसी दल में शामिल समझ लिये जायेंगे। यह बड़ी कमजोर और चिमगादड़ी नीति थी, और इमसे बंगाल की समस्या के मरल होने या हल होने में मदद नहीं मिली। गाधीजी के लदन जाने के कुछ वक्त बाद ही दो घटनायें अचानक ऐसी हुईं जिनमे सारे हिन्दुस्तान का ध्यान बंगाल की स्थिति पर केन्द्रित हो गया। ये दोनों घटनायें हिजली और चटगाँव मे हुई थी।

हिजली नज़रबन्दो के लिए खाम तौर पर बनाया हुआ एक डिटेन्शन-कैम्प जेल था। सरकारी तौर पर यह घोषित किया गया कि कैम्प के अन्दर एक दंगा हो गया और नज़रबन्दों ने जेल के मुलाज़िमों पर हमला कर दिया, इसलिए उनपर मजबूरन जेलवालों को गोली चलानी पड़ी थी। इस गोलीकाण्ड से एक नज़रबन्द मारा गया और कई घायल हुए। एक मुकामी सरकारी तफतीश ने, जो उसके बाद ही फ़ौरन की गई थी, जेलवालो को इस गोलीकाण्ड और इसके नतीजों से बिलकुल बरी कर दिया। मगर इस घटना में कई विचित्र बातें हुईं, और कई तथ्य

ऐसे प्रकट हो गये, जो सरकारी बयान से मेल नहीं खाते थे, और जगह-जगह से इसकी ज्यादा जांच करने की जोरदार और जबरदस्त मांग की गई। हिन्दुस्तान के आम सरकारी रिवाज के खिलाफ बंगाल-सरकार ने एक ऐसी जांच-कमिटी मुकर्रर कर दी, जिसमें सब ऊँचे-ऊँचे जुडीशियल अफसर ही थे। वह शुद्ध सरकारी कमिटी थी, लेकिन उसने शहादतें ली और मामले पर पूरा विचार किया, और उसकी रिपोर्ट डिटेन्शन-कैम्प-जेल के मुलाजिमों के खिलाफ हुई। यह तसलीम किया गया कि कुसूर ज्यादातर जेल के मुलाजिमों का ही था, और गोलीकाण्ड बिलकुल अनुचित था। इस तरह सरकार के जो पहले कम्यूनिक निकले थे वे बिलकुल झूठे साबित हुए।

हिजली की घटना कोई बहुत असाधारण घटना नहीं थी। बदकिस्मती से ऐसी घटनायें हिन्दुस्तान में कम नहीं होती और जेल के अन्दर दंगों के होने की और जेल में हथियार-बन्द वाइरो और दूसरे लोगों द्वारा निहत्थे और बेबस कैदियों के मर्दानगी से दबाये जाने की खबरें अक्सर पढ़ने को मिला करती हैं। हिजली में असाधारण बात यही हुई कि उससे ऐसी घटनाओं के बारे में सरकारी कम्यूनिकों के बिलकुल एक तर्फापन और झूठपन की पोल खुल गई, और वह भी सरकारी रिपोर्ट से ही। पहले ही सरकार के कम्यूनिकों का कोई भरोसा नहीं किया जाता था, मगर अब तो उनका पूरा-पूरा भण्डाफोड़ ही हो गया।

हिजली-काण्ड के बाद तो जेल की घटनायें, जिनमें जेलवालों द्वारा कहीं गोली चलाई जाती थी और कहीं दूसरे प्रकार का कोई बल-प्रयोग किया जाता था, सारे हिन्दुस्तान-भर में बड़ी तादाद में होने लगीं। ताज्जुब की बात यह है कि इन जेल के दंगों में चोट सिर्फ कैदियों को ही लगती मालूम होती थी। करीब-करीब हर मामले में एक सरकारी वक्तव्य निकलता था, जिसमें कैदियों पर कई बेजा हरकतों का इलजाम लगाया जाता था, और जेल के मुलाजिमों को बचाया जाता था। बहुत ही कम मिसालों में जेलवालों को महकमे की तरफ से कोई सजा दी गई होगी। पूरी जांच करने की तमाम मांगों के लिए बिलकुल इन्कार कर दिया गया, सिर्फ महकमे की एक तरफ की जांच ही काफी समझी गई। साफ़ ज़ाहिर था कि सरकार ने हिजली से अच्छी तरह सबक सीख लिया था कि मुनासिब और निष्पक्ष जांच कराने में खतरा रहता है और मुस्तगीस ही खुद अपने इलजाम का सबसे अच्छा जज होता है। तो फिर इसमें भी क्या ताज्जुब है कि लोगों ने भी हिजली से सबक सीख लिया हो, कि सरकारी कम्यूनिकों में वही बात कही जाती है जो सरकार हमसे कहना चाहती है, न कि वह जो दरअसल घटित होती है ?

चटगांव की घटना तो इससे भी बहुत ज्यादा गम्भीर थी। एक आतंकवादी ने

किसी एक मुसलमान पुलिस-इन्स्पेक्टर को गोली से मार डाला। इसके बाद ही एक हिन्दू-मुसलिम दंगा हो गया, या उसे ऐसा नाम दिया गया। मगर यह तो जाहिर था कि मामला इससे कुछ बहुत ज्यादा था और वह मामूली दंगों से कुछ भिन्न था। यह स्पष्ट था कि आतंकवादी के काम का साम्प्रदायिकता से कोई ताल्लुक न था; वह हमला तो हिन्दू या मुसलमान का खयाल न रखते हुए एक पुलिस-अफसर पर हुआ था। फिर भी यह तो सही ही है कि बाद में हिन्दू-मुसलमानों में कुछ झगड़ा भी हो गया। यह झगड़ा कैसे शुरू हुआ, उसके होने का कारण कौन-सा था, यह साफ़ नहीं बताया गया, हालांकि जिम्मेदार सार्वजनिक व्यक्तियों ने इस मामले में बहुत गंभीर-गंभीर इलजाम लगाये हैं। इस दंगे की एक और विशेषता यह थी कि इसमें दूसरी जातियों के निश्चित समुदायों ने, एंग्लो-इण्डियनों ने, खासकर रेलवे मुलाजिमों ने और दूसरे सरकारी मुलाजिमों ने भी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर बदला लेने के कार्य किये—हिस्सा लिया। जे० एम० सेनगुप्त और बंगाल के दूसरे मशहूर लीडरों ने चटगाँव के वाक्यात के बारे में कई निश्चित आरोप लगाये, और उन्होंने जाँच करने या मान-हानि का मुकदमा चलाने तक की चुनौती दी, मगर फिर भी सरकार ने कोई कार्रवाई न करना ही अच्छा समझा।

चटगाँव की इन कुछ असाधारण घटनाओं से दो खतरनाक संभावनाओं की तरफ़ विशेष ध्यान गया। आतंकवाद की कई लिहाज़ से निन्दा की गई थी; और आधुनिक क्रान्तिकारी पद्धति भी उसको बुरा बताती थी। मगर उसका एक नतीजा ऐसा भी हो सकता था, जिससे मुझे खासकर भय लगता था। वह संभावना थी हिन्दुस्तान में इक्के-दुक्के और साम्प्रदायिक हिंसा-काण्डों का फैलना। हालांकि मैं हिंसा-काण्डों को नापसन्द करता हूँ लेकिन मैं उनसे डर जानेवाला 'डरपोक हिन्दू' नहीं हूँ। मगर मैं यह जरूर महसूस करता हूँ कि हिन्दुस्तान में फूट फैलानेवाली ताकतें अभी तक भी बहुत बड़ी-बड़ी हैं, और अगर ऐसे इक्के-दुक्के हिंसा-काण्ड होने लगेंगे तो उनसे उन ताकतों को मदद मिल जायगी, और एक संयुक्त और अनुशासन-युक्त राष्ट्र बनाने का काम आज से भी ज्यादा मुश्किल हो जायगा। जब लोग मजहब के नाम पर या बहिश्त जाने के लिए क्रन्ल करते हैं, तो ऐसे लोगों को आतंककारी हिंसा का अभ्यास करा देना बड़ी खतरनाक बात होगी। राजनैतिक खून करना बुरा है। लेकिन राजनैतिक आतंकवादी को समझाकर अपनी राय का बना लिया जा सकता है, क्योंकि शायद उसका लक्ष्य दुनियावी है, और व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्रीय है। मगर मजहबी खून करना तो और भी बुरा है, क्योंकि उसका ताल्लुक दूसरी दुनिया से है, और ऐसे मामलों में दलील से समझाने की भी कोई कोशिश नहीं कर

सकता। कभी-कभी तो दोनों के बीच में फर्क बहुत ही बारीक रहता है और करीब-करीब मिट-सा जाता है, और राजनैतिक हत्या, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया से, अर्ध-धार्मिक बन जाती है।

किसी आतंकवादी द्वारा एक पुलिस-अफसर के कत्ल किये जाने से और उसके नतीजों से हरेक को बहुत साफ तौर पर यह महसूस होने लगा कि आतंककारी हलचल से बड़ी खतरनाक बातें पैदा हो सकती हैं और हिन्दुस्तान की एकता और आज़ादी के काम को बेहद नुकसान पहुँच सकता है। इसके बाद जो बदला लेने की घटनायें हुईं उनसे भी हमें मालूम हुआ कि हिन्दुस्तान में फ़ासिस्ट तरीक़े पैदा हो चुके हैं, और फ़ासिस्ट मनोवृत्ति यूरोपियन और एंग्लो-इंडियन जातियों में तो निःसन्देह फैल ही चुकी है। हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कई पिछलग्गुओं में भी यह मनोवृत्ति घर कर चुकी है।

यह एक विचित्र बात है, लेकिन खुद आतंककारियों का या उनमें से कई लोगों का भी यही फ़ासिस्ट दृष्टिकोण है, लेकिन उसकी दिशा दूसरी है। उनका राष्ट्रीय फ़ासिस्ट-वाद यूरोपियनों, एंग्लो-इंडियनों और कुछ उच्चवर्गीय हिन्दुस्तानियों के साम्राज्यवादी फ़ासिस्टवाद का मुक़ाबिला करता है।

नवम्बर १९३१ में मैं कुछ दिनों के लिए कलकत्ता गया। वहाँ मेरा कार्यक्रम बहुत भरा-पूरा रहा, और खानगी तौर पर व्यक्तियों और समुदायों से मिलने के अलावा मैंने कई आम सभाओं में भी भाषण दिये। इन तमाम सभाओं में मैंने आतंकवाद के सवाल पर भी विचार किया और यह बताने की कोशिश की कि हिन्दुस्तान की आज़ादी के लिए वह कितना गलत और बेकार और नुक़सानदेह है। मैंने आतंकवादियों की बुरा नहीं कहा, न मैंने उन्हें हमारे कुछ ऐसे देशवासियों की तरह 'कायर' ही कहा, जिन्होंने गायद ही कभी मर्दाना या खतरे का कोई काम करने का साहस किया हो। मुझे हमेशा यह बड़ी बेवकूफी की बात मालूम हुई है कि ऐसे स्त्री या पुरुष को, जो कि लगातार अपनी जान को खतरे में डालता रहता है, कायर कहा जाय। और इसका असर उस आदमी पर यह होता है कि वह अपने डरपोक समालोचकों से, जो दूर खड़े रहकर ही चीखते हैं लेकिन कुछ भी करने के क़ाबिल नहीं हैं, कुछ ज्यादा हिंकारत करने लगता है।

एक दिन शाम को कलकत्ते में, वहाँ से रवाना होने के लिए मेरे स्टेशन पर जाने से थोड़े ही वक़्त पहले, मेरे पास दो युवक आये। वे बहुत ही कम-उम्र, करीब बीस-बीस साल के, नौजवान थे। उनके चेहरे पीले थे और उनपर घबराहट झलक रही थी। उनकी आँखें चमकदार थीं। मुझे मालूम न था कि वे कौन थे, लेकिन मैं अन्दाज़ से

समझ गया कि उनके जिम्मे क्या काम था। वे आतंक-वादी हिंसा के खिलाफ मेरे प्रचार के कारण मूझपर बहुत नाराज थे। उन्होंने कहा कि उससे नौजवानों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और इस तरह मेरा दखल देना वे पसन्द नहीं करते। हमने थोड़ी-सी बहस भी की, लेकिन वह बड़ी जल्दी-जल्दी में हुई, क्योंकि मेरे रवाना होने का वक्त नज़दीक आ रहा था। मेरा खयाल है कि उस समय हमारी आवाज़ और हमारा मिज़ाज तेज़ हो गया था, और मैंने उनसे कुछ सख्त बातें भी कह दी थी; और जब मैं उन्हें वहीं छोड़कर चलने लगा, तो उन्होंने मुझे आखिरी आगाही दी कि "अगर आगे भी आपका यही रवैया रहा तो हम आपके साथ भी वही मूलूक करेंगे जैसा कि हमने दूसरों के साथ किया है।"

इस तरह मैं कलकत्ते से चल दिया, और रात को गाड़ी में अपने बर्थ पर लेटे हुए, मेरे दिमाग उन्ही दोनों लडकों के उत्तेजित चेहरे बहुत देर तक चक्कर काटते रहे। उनमें जीवन और जोश भरा हुआ था; अगर वे ठीक रास्ते में लग जाते तो कितने अच्छे बन सकते थे? मैंने उनके साथ जल्दी-जल्दी में और कुछ सख्त व्यवहार किया था। काश मुझे लम्बी बात-चीत करने का मौका मिलता। शायद उन्हें दूसरी दिशाओं में हिन्दुस्तान की सेवा और आज़ादी के रास्ते में, जिसमें कि साहस और आत्मत्याग के मौके भी की कमी न थी, अपने होनहार जीवन को लगाने का विश्वास दिला सकता। उस घटना के बाद भी मैं अक्सर उन लोगों का विचार किया करता हूँ। मुझे उनके नाम मालूम न हो सके, और न उनका मुझे बाद में भी कुछ पता लगा। मैं कई दफा सोचता हूँ कि क्या वे मर चुके हैं, या अण्डमान टापुओं की किन्हीं कोठरियों में बन्द हैं?

दिसम्बर का महीना था। इलाहाबाद में दूसरी किसान-कॉन्फ्रेंस हुई, और फिर मैं हिन्दुस्तानी-सेवा-दल के अपने पुराने साथी डॉक्टर एन० एस० हार्डीकर को दिये अपने एक पिछले वचन को पूरा करने के लिए जल्दी में कर्नाटक गया। सेवा-दल राष्ट्रीय आन्दोलन की एक स्वयंसेवक-शाखा थी। वह हमेशा काँग्रेस का सहायक रहा, यद्यपि उसका संगठन बिल्कुल अलग ही था। लेकिन १९३१ की गर्मियों में कार्य-समिति ने उसे बिल्कुल काँग्रेस में शामिल करने और उसे काँग्रेस का स्वयंसेवक-विभाग बना लेने का निश्चय कर लिया। ऐसा ही हो भी गया, और हार्डीकर को और मुझे उसका चार्ज सौंपा गया। दल का हेडक्वार्टर कर्नाटक प्रदेश के हुबली शहर में ही रहा, और हार्डीकर ने मुझे दल-सम्बन्धी कई कामों के लिए वहाँ बुलाया था। फिर वह मुझे कुछ दिन के लिए कर्नाटक में दौरा करने को ले गये। सब दूर लोगों का ज़बरदस्त जोश देखकर मैं दंग रह गया। लौटते वक्त मैं शोलापुर भी गया, जिसका

• नाम फ़ौजी कानून के दिनों में मशहूर हो चुका था।

कर्नाटक के उस दौर ने मेरे लिए बिदाई के समारोह का रूप धारण कर लिया। मेरे भाषण हंस के अन्तिम संगीत जैसे थे, जिसे वह अपने मरने से पहले गाया करता है, लेकिन उनमें तेजी ज्यादा थी और संगीत कम था। युक्तप्रान्त से जो खबर मिली वह निश्चित और साफ़ थी। सरकार ने वार कर दिया था, और सख्त किया था। इलाहाबाद से कर्नाटक जाते वक्त मैं कमला के साथ बम्बई गया था। वह फिर बीमार हो गई थी। मैंने बम्बई में उसके इलाज का इन्तज़ाम कर दिया। बम्बई में ही, और करीब-करीब हमारे इलाहाबाद से वहाँ पहुँचने के बाद ही, हमें यह पता लगा कि भारत-सरकार ने युक्तप्रान्त के लिए एक खास 'आर्डिनेन्स' जारी कर दिया है। सरकार ने तय कर लिया था कि वह गांधीजी के आने का इन्तज़ार न करेगी, हालाँकि गाँधीजी जहाज पर चल दिये थे, और जल्दी ही बम्बई आनेवाले थे। समझा तो यह गया कि आर्डिनेन्स किसानों के आन्दोलन के ही लिए बनाया गया था, लेकिन वह इतना ज्यादा व्यापक था कि उससे हर प्रकार की राजनैतिक या सार्वजनिक प्रवृत्ति असम्भव हो गई। उसमें बच्चों या नाबालिगों के अपराधों के लिए वालदेन या सरपरस्तों को सजा देने का विधान भी किया गया। यह इंजील के जमाने के रिवाज की खूब उलटी आवृत्ति थी।

करीब-करीब इन्हीं दिनों हमने गांधीजी की उस बातचीत की रिपोर्ट पढ़ी, जो रोम में 'ग्योरनेल डि इटालिया' के प्रतिनिधि से हुई बताई गई थी। इसे पढ़कर हम अचम्भे में पड़ गये, क्योंकि इस तरह रोम में राह चलते 'इटरव्यू' दे देना उनकी आदत के खिलाफ था। ज्यादा गौर से जाँच करने पर कई शब्द और वाक्य ऐसे मिले जो उनके प्रयोग में नहीं आते थे, और उसका खण्डन आने से पहले ही हमें साफ़ हो गया कि जिस तरह की 'इटरव्यू' प्रकाशित हुई है वह उनकी दी हुई नहीं हो सकती। हमारा खयाल हुआ कि उन्होंने जो कुछ भी कहा होगा, उसको बहुत ज्यादा तोड़-मरोड़कर बनाया गया है। बाद में तो गांधीजी का जोरदार खण्डन भी निकला, और यह बयान भी निकला कि उन्होंने रोम में कोई वक्तव्य ही नहीं दिया। हमें मालूम हो गया कि किसीने उनके साथ यह चालाकी की है। मगर हमें इस बात से आश्चर्य हुआ कि ब्रिटेन के अखबारों और सार्वजनिक लोगों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और नफ़रत-सी दिखाते हुए उन्हें झूठा बतलाया। इससे हमें चोट पहुँची और गुस्सा भी आया।

मैं इलाहाबाद वापस जाने और कर्नाटक का दौरा बन्द कर देने को उत्सुक था। मुझे लगा कि मुझे तो अपने सूबे में अपने साथियों के साथ रहना चाहिए, और जब अपने घर में इतनी घटनायें हो रही हों तब उनसे बहुत दूर रहना एक कठोर

परीक्षा ही थी। फिर भी मैंने तय किया कि मैं कर्नाटक के कार्य-क्रम को पूरा ही कर डालूँ। मेरे बम्बई आने पर कुछ दोस्तों ने मुझे सलाह दी कि मैं गांधीजी की वापसी तक, जो कि एक ही हफ्ते बाद आनेवाले हैं, ठहरा रहूँ। मगर यह नामुमकिन था। इलाहाबाद से पुरुषोत्तमदास टण्डन और दूसरे लोगों की गिरफ्तारी की खबर आई। इसके अलावा हमारी प्रान्तीय कान्फ्रेंस भी इटावा में उसी हफ्ते में होनेवाली थी। इसलिए मैंने तय किया कि मैं पहले इलाहाबाद जाऊँ और फिर एक हफ्ते बाद, अगर आजाद रहा तो, गांधीजी से मिलने और कार्य-समिति की मीटिंग में शरीक होने को बम्बई लौट आऊँ। मैंने कमला को रोगशय्या पर बम्बई में ही छोड़ा।

मुझे इलाहाबाद पहुँचने से पहले ही, छौकी स्टेशन पर नये आर्डिनेन्स के मुताबिक एक हुकम मिला। इलाहाबाद स्टेशन पर उसी हुकम की दूसरी नकल मुझे देने की कोशिश की गई। और, मेरे मकान पर भी एक तीसरे शख्स ने ऐसी ही तीसरी कोशिश की। जाहिर था कि सरकार कोई भी जोग्वम उठाना नहीं चाहती थी। उस हुकम के मुताबिक मैं इलाहाबाद की म्युनिसिपल हद के अन्दर नजरबन्द कर दिया गया, और मुझसे कहा गया कि मुझे किसी आम मीटिंग में या कार्य में शामिल न होना चाहिए, किसी सभा में भाषण न करना चाहिए, किसी अखबार या पत्रिका में कोई लेख नहीं लिखना चाहिए। और भी कई पाबन्दियाँ लगा दी गई थी। मुझे मालूम हुआ कि मेरे साथियों के नाम भी, जिनमें तसद्दुक शेरवानी भी शामिल थे, इसी प्रकार के हुकम जारी किये गये। दूसरे दिन सवेरे ही मैंने जिला-मजिस्ट्रेट को (जिसने हुकम जारी किये थे) लिख दिया कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या न करना चाहिए इसकी बाबत मैं आपसे हुकम नहीं लेना चाहता; मैं अपना मामूली काम हस्तमामूल करूँगा, और अपने काम के सिलसिले में इस हफ्ते में मैं गांधीजी से मिलने और कार्य-समिति की, जिसका मैं सेक्रेटरी हूँ, मीटिंग में शरीक होने बम्बई जन्दी जानेवाला हूँ।

एक नई समस्या भी हमारे सामने खड़ी हो गई। हमारी युक्तप्रान्तीय-कान्फ्रेंस उसी हफ्ते में इटावे में होनेवाली थी। बम्बई से मैं इस कान्फ्रेंस को स्थगित करवाने की तजवीज पेश करने के इरादे से आया था, क्योंकि एक तो वह गांधीजी के आने के दिनों में ही होनेवाली थी, और दूसरे सरकार से अर्भा संघर्ष भी टालना था। लेकिन मेरे इलाहाबाद आने से पहले ही यू० पी० सरकार की तरफ से हमारे सदर शेरवानी साहब के पास एक ताक्रीदी खत आया था, जिसमें पूछा गया था कि क्या आपकी कान्फ्रेंस में किसानों के सवाल पर भी विचार किया जायगा? क्योंकि अगर ऐसा होनेवाला हो, तो सरकार कान्फ्रेंस को ही बन्द कर देगी। यह तो साफ जाहिर था कि

कान्फ्रेंस का खास मकसद ही किसानों की समस्या पर विचार करना था, जिससे कि सारे प्रान्त में खलबली मच रही थी। कान्फ्रेंस करना और उसमें इस सवाल पर गौर न करना तो मूर्खता की हद थी और अपने-आपकी हँसी कराना ही था। कुछ भी हो, हमारे सदर साहब को या और किसीको भी यह अस्व्यार न था कि वह कान्फ्रेंस को किसी बात के लिए पहले से ही बाँध दे। सरकार की धमकी के बगैर भी हम कुछ लोगों का यह इरादा तो था ही कि कान्फ्रेंस स्थगित की जाय, मगर इस धमकी से तो बात ही और हो गई। हममें से कई लोग ऐसे मामलो मे कुछ-कुछ जिद्दी थे, और सरकार-द्वारा हमें ऐसा हुक्म दिया जाना किसीको अच्छा न लगा। फिर भी, बड़ी बहस के बाद, हमने तय कर लिया कि इस वक्त हमें अपने स्वाभिमान को पी जाना चाहिए और कान्फ्रेंस को स्थगित कर देना चाहिए। हमने यह फंसला इस-लिए किया कि हम गांधीजी के आने तक लड़ाई को, जो शुरू तो हो ही चुकी थी, किसी भी हालत में ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते थे। हम उन्हें ऐसी परिस्थिति के अन्दर नहीं डाल देना चाहते थे, जिसमे वह बागडोर अपने हाथ में न ले सके। हमारे प्रान्तीय कान्फ्रेंस को मुलतवी कर देने पर भी इटावा में पुलिस और फौज का खूब प्रदर्शन किया गया, कुछ भूले-भटके प्रतिनिधि, जो वहाँ पहुँच गये थे, वे गिरफ्तार कर लिये गये, और वहाँ लगी स्वदेशी-प्रदर्शनी पर फौज ने कब्जा कर लिया।

शेरवानी ने और मैंने २६ दिसम्बर की सुबह को इलाहाबाद से बम्बई रवाना होना तय किया। शेरवानी को कार्य-समिति की मीटिंग मे यू० पी० की स्थिति पर विचार करने के लिए खास तौर पर बुलावा दिया गया था। हम दोनों को ही आर्डिनेन्स के मुताबिक यह हुक्म मिल चुके थे कि हम इलाहाबाद शहर न छोड़ें। कहा गया था कि आर्डिनेन्स यू० पी० के इलाहाबाद और दूसरे जिलों मे लगानबन्दी की हलचलों के खिलाफ जारी किया गया है। यह समझना तो आसान है कि सरकार हमारा इन देहाती हिस्सों में जाना बन्द कर दे। मगर यह तो साफ था कि हम बम्बई शहर में जाकर किसानो का आन्दोलन नहीं चला सकते थे, और अगर आर्डिनेन्स सिर्फ किसानो की परिस्थिति का मुकाबिला करने के लिए ही जारी किया गया था, तो उसे हमारे प्रान्त से दूर चले जाने का तो स्वागत ही करना चाहिए। आर्डिनेन्स के जारी हो जाने के वक्त से हमारी आम नीति उससे बचते रहने की ही रही, और हम संघर्ष को टालते ही रहे, हालांकि बाज-बाज लोगो ने हुक्म-उदूली करदी थी। जहाँतक यू० पी० काँग्रेस का ताल्लुक था, यह बात साफ थी कि वह, कम-से-कम फिलहाल, सरकार से लड़ाई करने से बचना या उसे मुलतवी करना चाहती थी। शेरवानी और मैं बम्बई जा रहे थे, जहाँकि गांधीजी और कार्य-समिति इन मामलों पर गौर करते, और यह

किसीको मालूम नहीं था, और मुझे तो बिलकुल ही निश्चय नहीं था, कि उनके आखिरी फ़ैसले क्या होते !

इन सब विचारों से मुझे खयाल होता था कि हमें बम्बई जाने दिया जायगा, और, कम-से-कम उस समय के लिए ही सही, हमारी शहर की नज़रबन्दी के कानूनी आज्ञा-भंग को सरकार बरदाश्त कर लेगी। लेकिन, मेरा दिल कुछ और ही कह रहा था।

ज्योंही हम रेल में बैठे, हमने सुबह के अखबारों में नये सीमाप्रान्तीय आर्डिनेन्स और अब्दुलगफ़्फ़ारखां तथा डाक्टर खानसाहब वगैरा की गिरफ्तारी का हाल पढ़ा। बहुत जल्दी ही हमारी गाड़ी, बम्बई-मेल, रास्ते के एक छोटे-से स्टेशन इरादतगंज पर, जहाँ आम तौर पर वह नहीं ठहरा करती थी, अचानक ठहर गई, और हमें गिरफ्तार करने को पुलिस अफसर आगये। रेलवे लाइन के पास ही एक 'ब्लैक मैरिया' गाड़ी खड़ी थी, और क़ैदियों की इस लारी में मैं और शेरवानी दाखिल हुए। वह तेज़ी से चली और हम नैनी-जेल में जा पहुँचे। वह 'बॉक्सिंग-दिवस' का प्रातःकाल था और वह पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट, जो हमें गिरफ्तार करने आया था, अंग्रेज था; वह दुःखी और उदास दिखाई दिया। मैं समझता हूँ, हमने उसके क्रिसमस त्यौहार का मज़ा किरकिरा कर दिया था।

और इस तरह हम जेल में आ पहुँचे—

एक घड़ी भर अब तू सारा आल्हाद भुला दे;

और, वेदना में ही अब तो कुछ काल बितादे।”

१. मूल अंग्रेज़ी पद्य इस प्रकार है:—

“Absent the from felicity a while,

And for a season draw thy breath in pain.”

गिरफ्तारियाँ, आर्डिनेन्स और मुमानियतें

हमारी गिरफ्तारी के दो दिन बाद ही गांधीजी बम्बई में उतरे, और तभी उन्हें नई और ताज़ी घटनाओं का हाल मालूम हुआ। उन्होंने लन्दन में ही बंगाल-आर्डिनेन्स की खबर सुन ली थी, और वह उससे बहुत दुःखी हुए थे। अब उन्हें मालूम हुआ कि उनके लिए ५० पी० और सीमा-प्रान्तीय आर्डिनेन्सों की शकल में बड़े दिन की भेंट तैयार थी, और सीमा-प्रान्त और ५० पी० में उनके कुछ सबसे गहरे साथी गिरफ्तार हो चुके थे। अब तो पाँसा पड़ चुका दीखता था, और शान्ति की सारी आशा मिट चुकी थी, फिर भी उन्होंने रास्ता ढूँढने की कोशिश की, और इसके लिए वाइसराय से मुलाकात चाही। उन्हें नई दिल्ली से बताया गया कि मुलाकात कुछ खास शर्तों पर ही हो सकेगी। वे शर्तें ये थी कि वह बंगाल, युक्तप्रान्त और सीमा-प्रान्त की ताज़ी घटनाओं, और नये आर्डिनेन्सों और उनके मुताबिक हुई गिरफ्तारियों के बारे में बातचीत न करे। (यह बात मैं अपनी याददाश्त से लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने वाइसराय के जवाब की नकल नहीं है।) यह समझना मुश्किल है कि सरकार की निगाह में इन विषयों के अलावा जो कि देश को विक्षुब्ध कर रहे थे, और जिनपर बात करने की मुमानियत कर दी गई थी, गांधीजी या काँग्रेस का कोई भी नेता किस विषय पर बातचीत कर सकता था। अब यह बिलकुल साफ जाहिर हो गया कि भारत-सरकार ने काँग्रेस को कुचल डालने का निश्चय कर लिया था, और वह उससे कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहती थी। कार्य-समिति के पास सविनय भंग फिर चालू कर देने के सिवा और कोई रास्ता न रहा। कार्य-समितिवालों को किसी भी समय अपने गिरफ्तार हो जाने की आशका हो गई थी, और अपनी वहाँ से रवानगी के पहले वे देश को आगे के लिए मार्ग-प्रदर्शन कर देना चाहते थे। इसी दृष्टि से आरज़ी तौर पर सविनय भंग का प्रस्ताव पास किया गया, और गांधीजी ने वाइसराय से मुलाकात करने की दुबारा कोशिश की। उन्होंने वाइसराय को बिला-शर्तों मुलाकात देने के लिए तार दिया। सरकार का जवाब गांधीजी और काँग्रेस के सदर की गिरफ्तारी के रूप में मिला, और साथ ही वह बटन भी दबा दिया गया जिससे कि सारे देश में भयंकर दमन शुरू हो गया। यह तो स्पष्ट ही था, कि दूसरा कोई लड़ाई चाहता हो, या न चाहता हो, लेकिन सरकार तो उसके लिए बैचैन थी और पहले ही खरूरत से ज्यादा तैयार बैठी थी।

निःसन्देह, हम तो जेल में ही थे, और ये सारी खबरें हमारे पास गोलमोल और तितर-बितर होकर आईं। हमारा मुकदमा नव-वर्ष के लिए मुलतवी कर दिया गया, इसलिए हमें हवालाती केंद्री की हैसियत से सजायापत्ता कैदियों की बनिस्बत ज्यादा मुलाकातें करने का मौका मिला। हमने सुना कि वाइसराय को मुलाकात मंजूर करनी चाहिए थी या न मंजूर करनी चाहिए थी, इसपर अखबारों में बहुत वादविवाद चल रहा है, मानों इससे कोई बड़ा फर्क पड़नेवाला था। यह मुलाकात का सवाल ही सबसे बड़ा हो रहा था। यह कहा गया कि अगर लॉर्ड अविन होते तो वह मुलाकात जरूर मंजूर कर लेते, और अगर उनमें और गांधीजी में मुलाकात हुई होती तो जरूर सब कुछ ठीक हो जाता। मुझे ताज्जुब हुआ कि परिस्थिति के बारे में हिन्दुस्तान के अखबार कितनी ज्यादा सरसरी निगाह में काम लेते हैं, और असलियत की ओर कैसे आँख उठाकर नहीं देखते हैं। क्या हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता और ब्रिटेन के साम्राज्यवाद की, जिनमें सूक्ष्म विचार करने से मालूम होगा कि कभी मेल नहीं हो सकता, लाजिमी लड़ाई किन्हीं व्यक्तियों की व्यक्तिगत इच्छाओं पर ही निर्भर करती है? क्या दो तवारीखी ताकतों की भिन्न मीठी मुसकान और आपसी शिष्टता दिखाने-मात्र से हट सकती है? गांधीजी को एक खास दिशा में ही जाना पड़ा, इसलिए कि हिन्दुस्तान की राष्ट्रीयता अपने ही सिद्धान्तों का त्याग करके अपनी आत्म-हत्या नहीं कर सकती थी, और न जरूरी मामलों में विदेशी फरमानों के सामने खुशी से झुक सकती थी। और हिन्दुस्तान के ब्रिटिश वाइसराय को दूसरी ही विशेष दिशा में जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें इस राष्ट्रीयता का मुकाबिला करना था, और ब्रिटिश स्वार्थों की रक्षा करनी थी, और इसमें इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता था कि उस समय वाइसराय कौन था। लॉर्ड अविन भी ठीक वही काम करते जो लॉर्ड विलिंगडन ने किया, क्योंकि दोनों ही ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के साधक थे, और वे निर्दिष्ट दिशा में कुछ बहुत ही मामूली-सा फर्क कर सकते थे। वास्तव में, बाद में तो लॉर्ड अविन ब्रिटिश शासन-तन्त्र के मेम्बर हो गये, और हिन्दुस्तान में जो-जो सरकारी कार्यवाइयाँ की गईं उन सबमें उन्होंने पूरा-पूरा साथ दिया। हिन्दुस्तान में प्रचलित ब्रिटिश नीति के लिए किसी खास वाइसराय की तारीफ या बुराई करना मुझे तो बिल्कुल ही अनुचित बात मालूम होती है, और हमारे ऐसा करने की आदत का कारण सिर्फ यही हो सकता है कि या तो हम असली सवालों को नहीं समझते, या उन्हें जान-बूझकर टालना चाहते हैं।

४ जनवरी १९३२ एक महत्वपूर्ण दिन था। उसने बातचीत और बहस का खात्मा कर दिया। उन दिनों सबेरे ही गांधीजी और कांग्रेस के सदर वल्लभभाई

गिरफ्तार करके, बगैर मुकदमा चलाये, शाही क़ैदी बना लिये गये। चार नये आर्डि, नेन्स जारी कर दिये गये, जिनके जरिये मजिस्ट्रेटों और पुसिल-अफ़सरों को व्यापक-से, व्यापक अख्यारात दे दिये गये। नागरिक स्वतन्त्रता की हस्ती भिट गई, और जन और धन दोनों पर ही अधिकारी चाहे जब कब्ज़ा कर सकते थे। सारे देश पर मानों कब्ज़ा कर लेने की हालत का ऐलान कर दिया गया, और इसको किस-किस पर और कितना-कितना लागू किया जाय, यह मुकामी अफ़सरों की मर्जी पर छोड़ दिया गया।

४ जनवरी को ही नैनी-जेल में यू० पी० इमर्जेन्सी पावर्स आर्डिनेन्स के मुताबिक हमारा मुकदमा हुआ। शेरवानी को छः महीने की सख्त क़ैद और १५० रुपये जुर्माने की सज़ा हुई; मुझे दो साल की सख्त क़ैद और ५०० रुपये जुर्माना (या बदले में छः महीने की क़ैद) की सज़ा दी गई। दोनों के अपराध बिलकुल एक-से थे। हम दोनों को इलाहाबाद शहर में नज़रबन्दी के एक-से हुकम दिये गये थे। हम दोनों ने ही बम्बई जाने की कोशिश करके उनका एक ही तरह से भंग किया था। हम दोनों को एक ही दफ़ा में गिरफ्तार किया गया, और दोनों का एकसाथ ही मुकदमा चला। फिर भी हमारी सज़ाओं में बड़ा फ़र्क था। लेकिन दोनों में एक फ़र्क जरूर था। मैंने ज़िला-मजिस्ट्रेट को लिखकर इतिला दी थी कि मैं हुकम की ख़िलाफ़-वर्जी करके बम्बई जाना चाहता हूँ; शेरवानी ने ऐसा कोई बाकायदा नोटिस नहीं दिया था, लेकिन वह भी जाना चाहते हैं यह बात समान-रूप से प्रसिद्ध थी, और अखबारों में भी छपी थी। सज़ा सुनाने के बाद ही शेरवानी ने मजिस्ट्रेट से पूछा, कि मुसलमान होने के ख़याल से तो मुझे कम सज़ा नहीं दी गई है? उनके इस सवाल से वहाँ मौजूद लोगों को बड़ा लुत्फ़ रहा और मजिस्ट्रेट कुछ परेशानी में पड़ गया।

उस स्मरणीय दिन, ४ जनवरी को, देशभर में बहुत-सी घटनायें हुईं। इलाहाबाद शहर में, हमारे मुकाम के नज़दीक, बड़ी-बड़ी भीड़ों की पुलिस और फौज़ से मुठभेड़ हो गई, और हस्बामालू लाठी-प्रहार हुआ, जिसमें कुछ लोग मरे और कुछ घायल हुए। सविनय भंग के क़ैदियों से जेलें भरने लगीं। पहले तो ये क़ैदी ज़िला-जेलों में भेजे गये, और जब वहाँ जगह न रहती तब ही क़ैदी नैनी आदि सेण्ट्रल जेलों में आते थे। बाद में सभी जेलें भर गईं, और बड़ी-बड़ी आरज़ी कैम्प-जेलें कायम करनी पड़ीं।

१. भारत-मन्त्री सर सैम्युअल होर ने २४ मार्च १९३२ को कामन-सभा में कहा था कि, "मैं मंज़ूर करता हूँ कि जिन आर्डिनेन्सों का हमने समर्थन कर दिया है वे बड़े व्यापक और सख्त हैं; वे हिन्दुस्तान के जीवन की लगभग हरेक प्रवृत्ति पर असर डालते हैं।"

नैनी के हमारे छोटे-से अहाते में बहुत थोड़े लोग आये। मेरे पुराने साथी नर्मदाप्रसाद हमारे पास आ गये। रणजीत पंडित और मेरे चचेरे भाई मोहनलाल नेहरू भी आ गये। बैरक नं० ६ की हमारी छोटी-सी मित्र-मण्डली में लंका के एक युवक-मित्र बर्नार्ड एलूविहारे भी अचानक आ गये, जो कि बैरिस्टर बनने के बाद इंग्लैण्ड से हाल में ही लौटे थे। मेरी बहन ने उनसे कहा था कि आप हमारे जुलूस वगैरा में शामिल न हों। लेकिन जोश में आकर वह काँग्रेस के एक जुलूस में शरीक हो ही गये, और एक ब्लैक मैरिया लारी उन्हें जेल में ले आई।

काँग्रेस, जिसमें सबसे ऊपर कार्य-समिति और फिर प्रान्तीय कमीटियाँ और बेशुमार मुक्तामी कमीटियाँ शामिल थी, गैर-कानूनी करार दे दी गई थी। काँग्रेस के साथ-साथ सब तरह की सम्बन्धित या सहानुभूति रखनेवाले या प्रगतिशील संगठन जैसे, किसान-सभाये, किसान-संघ, युवक-संघ, विद्यार्थी-मण्डल, प्रगतिशील राजनैतिक-संगठन, राष्ट्रीय विश्व-विद्यालय और स्कूल, अस्पताल, स्वदेशी दुकानें, पुस्तकालय, आदि भी—गैर-कानूनी करार दे दिये गये। इनकी फेहरिस्तें बड़ी लम्बी-लम्बी थी, प्रत्येक बड़े प्रान्त के सैंकड़ों नाम इनमें शामिल थे। सारे हिन्दुस्तान भर का योग कई हजार तक पहुँच गया होगा। इन गैर-कानूनी घोषित संस्थाओं की यह संख्या ही मानों काँग्रेस और राष्ट्रीय आन्दोलन का महत्व और प्रभाव दिखाती थी।

बम्बई में मेरी पत्नी बीमार पड़ी थी, और आन्दोलन में हिस्सा न ले सकने के कारण छटपटा रही थी। मेरी माताजी और दोनों बहनों जोश-खरोश के साथ आन्दोलन में कूद पड़ी। मेरी दोनों बहनों को जल्दी ही एक-एक साल की सजा मिल गई और वे जेल पहुँच गईं। नये आनेवालों के जरिये या हमें मिलनेवाले स्थानीय साप्ताहिक पत्र द्वारा हम कुछ अनोखी खबरें मिल जाया करती थी। जो-कुछ हो रहा था उसकी हम ज्यादातर कल्पना कर लिया करते थे, क्योंकि सब दूर सेन्सर की बड़ी सख्ती थी, और समाचारपत्रों और समाचार-एजेन्सियों को भारी-भारी जुर्मानों का डर हमेशा बना रहता था। कुछ प्रान्तों में तो गिरफ्तारशुदा या सजायाब व्यक्ति का नाम लिख देना भी जुर्म था।

इस तरह हम नैनी-जेल में बाहर के झगड़ों से अलग पड़े हुए, फिर भी उनमें सैंकड़ों तरह से उलझे हुए, रह रहे थे। हमने अपनेको कातने, पढ़ने या दूसरे कामों में मशगूल कर रक्खा था, और कभी-कभी हम दूसरे मामलों पर भी बातचीत करते थे, लेकिन हम हमेशा यही सोचते रहते थे कि जेल की चहार-दीवारी के बाहर क्या हो रहा है। उससे हम अलग भी थे और फिर भी उसमें शामिल थे। कभी-कभी तो किसी बात की उम्मीद करते-करते बहुत थक जाते थे और कभी-कभी किसी काम

के बिगड़ जाने पर गुस्सा आता था, और किसी कमजोरी या भद्देपन पर तबीयत झुंझला उठती थी। लेकिन कभी-कभी हम अजीब ढंग से तटस्थ-से हो जाते थे और सारे दृश्य को शान्ति और अनासक्ति से देख सकते थे, और यह अनुभव करते थे कि जब विशाल शक्तियाँ अपना काम कर रही हैं और दैवी तन्त्र लोगों को पीस रहा है, तब व्यक्तियों की छोटी-छोटी गलतियाँ या कमजोरियाँ कोई महत्व नहीं रखतीं। हम सोचा करते थे कि इस झगड़े और शोर-गुल का, और इस मर्दाने उत्साह और निर्दय दमन और घृणित कायरता का, भविष्य क्या होनेवाला है ? इसका क्या नतीजा होगा ? हम किस तरफ जा रहे हैं ? भविष्य हमारी आँखों से छिपा हुआ था; और अच्छा ही था कि वह छिपा हुआ था; और जहाँतक हमसे ताल्लुक था, वर्तमान भी एक परदे से कुछ-कुछ छिपा हुआ था। लेकिन हम एक बात जानते थे कि हमारा रास्ता तो आज भी और कल भी, सघर्ष, कष्ट-सहन और बलिदान में से होकर ही जाता है—

“कल फिर से आरम्भ युद्ध हूँ, हो जायेगा,
 झेन्थस सारा अहो रक्त से रंग जायेगा;
 हेक्टर तथा अजेक्स पुनः होंगे समुपस्थित,
 हेलन भी खुद दृश्य लखेगी हो उच्चस्थित।
 तब हम या परदे में होंगे या चमकेंगे रण में,
 अन्धी आश-निराशाओं में झूलेगे क्षण-क्षण में;
 तब सोचा हमने यह जीवन-बल ला होमा सारा,
 किन्तु न जाना आत्मा का क्या होगा हाल हमारा।”

१. मेथ्यू प्रनाॅल्ड का मूल पद्य इस प्रकार है :—

“Men will renew the battle in the plain
 To-morrow; red with blood will Xanthus be;
 Hector and Ajax will be there again;
 Helen will come upon the wall to see.
 Then we shall rust in shade, or shine in strife,
 And fluctuate 'tween blind hopes and blind despairs,
 And fancy that we put forth all our life,
 And never know how with the soul it fares.”

ब्रिटिश शासकों की हू-हू

१९३२ के शुरू के उन महीनों में, और बातों के अलावा, खास बात यह हुई कि ब्रिटिश हाकिमों ने मारे खुशी के खूब हा-हा हू-हू की। छोटे और बड़े सभी हाकिम चिल्ला-चिल्लाकर यह कहने लगे कि देखो, हम कितने भले और शान्ति-प्रिय हैं और काँग्रेसवाले कितने बुरे और झगडालू हैं। हम लोग लोकतन्त्र के हामी हैं जबकि काँग्रेस को डिक्टेटरशिप भाती है। वह देखो काँग्रेस का सभापति डिक्टेटर के नाम से पुकारा जाता है। एक धर्म-कार्य के लिए अपने इस जोश में ये हाकिम आर्डिनेन्सों, तमाम आज्ञादी के दमन, अखबारों और छापेखानों की मुंहबन्दी, बिना मुकदमा चलाये लोगों की जेलबन्दी, जायदाद और रुपये की जब्ती और रोज-ब-रोज होनेवाली बहुत-सी दूसरी अद्भुत चीजों-जैसी न-कुछ बातों को भूल गये थे। इसके अलावा वे हिन्दुस्तान में ब्रिटिश राज की जो बुनियादी खसलत हैं उसको भी भूल गये। सरकार के वे मिनिस्टर, जो हमारे ही देशभाई थे, इस विषय पर बड़े धारा-प्रवाह व्याख्यान देने लगे, कि जेलों में बन्द काँग्रेसी किस तरह अपना मतलब गाँठ रहे हैं जबकि हम कुछ हजार रुपये महीना की नाचीज़ मजदूरी पर पब्लिक की भलाई में दिन-रात जुटे रहते हैं। छोटे-छोटे मजिस्ट्रेट हम लोगों को भारी-भारी सजाये तो देते ही थे, लेकिन सजा देते वक्त हमें उपदेश भी देते थे, और उन उपदेशों के साथ-साथ कभी-कभी वे काँग्रेस और काँग्रेस में काम करनेवाले शरूखों को गालियाँ भी देते थे। भारत-मंत्री के ऊँचे ओहदे की गम्भीर प्रतिष्ठा के पद से सर सैम्युअल होर तक ने यह ऐलान किया कि, हाँ, कुत्ते भीक रहे हैं, मगर हमारा कारवां चला जा रहा है। उस वक्त वह यह भूल गये थे कि कुत्ते जेलों में बन्द थे, वहाँ से वे आसानी से भौंक नहीं सकते थे, और जो कुत्ते बाहर रह गये थे उनके मुँह बिलकुल बन्द कर दिये गये थे।

सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात तो यह थी कि कानपुर के हिन्दू-मुस्लिम दंगे का दोष काँग्रेस के मत्थे मड़ा जा रहा था। यह दंगा सचमुच बहुत ही बीभत्स था, लेकिन उसकी बीभत्सता बार-बार जतलाई गई और बराबर ही यह बताया गया कि इसकी बीभत्सता के लिए काँग्रेस जिम्मेदार थी, जबकि असली बात जो हुई वह यह थी कि उस दंगे में काँग्रेस ने वही किया जो कि करना ठीक था। यहाँ तक कि काँग्रेस का एक सर्वश्रेष्ठ पुरुष उसमें काम आया, जिसकी मौत पर कानपुर के हर फ़िरके और दल ने रंज मनाया। दंगों की खबर पाते ही काँग्रेस ने अपने कराची के अधिवेशन में फ़ौरन

ही एक जाँच-कमिटी बिठा दी और इस कमिटी ने एक बहुत मुकम्मिल जाँच की। कई महीने मेहनत करने के बाद कमिटी ने एक बड़ी रिपोर्ट छपाई। सरकार ने फ़ौरन ही इस रिपोर्ट को ज़ब्त कर लिया। उसकी छपी हुई कापियाँ उठा ली गईं, और मेरा खयाल है कि उन्हें बरबाद कर दिया गया। जाँच के नतीजों को इस तरह दबा देने के बाद भी हमारे हुक्काम आलोचक और ब अख़बार जिनके मालिक अंग्रेज़ हैं हर वक्त यह बात दुहराते नहीं थकते कि दंगा कांग्रेस की वजह से हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि इस मामले में ही नहीं, दूसरे और मामलों में भी, अख़ीर में सचाई की जीत होगी; लेकिन कभी-कभी झूठ बहुत दीर्घजीवी हो जाती है। एक कवि के शब्दों में:—

“यह असत्य निश्चय ही जग में नष्ट एक दिन होगा,
पर तब तक वह बुरी तरह से क्षत-विक्षत कर देगा।
सत्य महान्, उसी की जग में विजय अंत में होगी;
पर उस क्षण तक उसे देखने बैठा कौन रहेगा ?”

मेरा खयाल है कि हिस्टीरिया जैसी युद्ध-मनोवृत्ति का यह प्रदर्शन बिलकुल कुदरती था और ऐसी हालत में कोई भी इस बात की उम्मीद नहीं कर सकता था कि सच्चाई से या संयम से काम लिया जायगा, लेकिन फिर भी ऐसा मालूम पड़ता था कि उसमें आशातीत झूठ और छूट से काम लिया गया। उसकी गहराई और छूट को देखकर हैरत होती थी। इससे हमें इस बात का पता चल जाता है कि हिन्दुस्तान के शासक-दल का मिज़ाज कैसा था और पिछले दिनों में वे अपनेको कितना दबाये रखते थे। सम्भवतः उनको यह गुस्सा हमारे किसी काम पर या हमारी किसी बात की वजह से नहीं आया, बल्कि यह महसूस करके आया कि अपने साम्राज्य से हाथ धो बैठने का उन्हें जो डर पहले था वह सच होता दीखता है। जिन शासकों को अपनी ताक़त का भरोसा होता है वे इस तरह हिम्मत नहीं हारते। शासकों की इस मनोवृत्ति में और उधर दूसरी तरफ़ की तस्वीर में ज़मीन-आस्मान का फ़र्क़ था। क्योंकि कांग्रेस की तरफ़ बिलकुल खामोशी छाई हुई थी। मगर यह खामोशी संयम की—स्वेच्छा-पूर्वक और गौरवपूर्ण संयम की—सूचक नहीं थी, बल्कि इसलिए थी कि कांग्रेसवाले जेलों में बन्द थे और बाकी के लोग डरे हुए थे तथा अख़बारवालों को भी सर्व-व्यापी सेंसर का डर था। इसमें कोई शक़ नहीं कि अगर कांग्रेसवालों का मुंह इस तरह मजबूरी से

१. मूल अंग्रेज़ी पद्य इस प्रकार है:—

“When all its work is done, the lie shall rot;
The truth is great and shall prevail,
When none cares whether it prevails or not.”

बन्द न होता तो वे भी मनमानी बकवास करते, बढ़ा-चढ़ाकर बातें कहते और गालियाँ देने में शासकों को मात करते। मगर, हाँ, कांग्रेसवालों के लिए भी एक रास्ता तो था। वह था गैर-क़ानूनी अखबारों का, जो कई शहरों में समय-समय पर निकाले जाते थे।

हिन्दुस्तान में अधगोरों के जो अखबार निकलते हैं और जिनके मालिक अंग्रेज़ हैं वे भी बड़े रस के साथ इस हा-हा, हू-हू में शामिल हुए और उन्होंने ऐसे बहुत-से खयालात जाहिर किये और फैलाये जो शायद बहुत दिनों से उनके दिलों में दबे हुए पड़े थे। यों आम तौर पर उन्हें अपनी बात कुछ समझ-बूझकर कहनी पड़ती है, क्योंकि बहुत-से हिन्दुस्तानी उनके अखबारों के ग्राहक हैं; लेकिन जब नाजुक वक्त आ गया तब यह सब सयम बह गया और हमें अंग्रेज़ और हिन्दुस्तानी दोनों ही के मन की झलक मिल गई। अब हिन्दुस्तान में अधगोरे अखबार बहुत कम रह गये हैं, वे एक-एक करके बन्द हो गये हैं, लेकिन जो बाकी बचे हैं; उनमें कई ऊँचे दर्जे के हैं—खबरो के लिहाज़ से भी और आकार-प्रकार की मुन्दरता के लिहाज़ से भी। दुनिया के मामलो पर उनके जो अग्रलेख होते हैं, यद्यपि वे हमेशा अनुदार लोगों के दृष्टिकोण से लिखे जाते हैं फिर भी, उनमें लिखनेवालों की लियाकत झलकती है, तथा इस बात का पता चलता है कि उन्हें अपने विषय का ज्ञान है और उसपर पूरा क़ाबू है। इसमें कोई शक नहीं कि अखबारों की दृष्टि से ग़ालिबन वे सबसे अच्छे हैं; लेकिन हिन्दुस्तान के राजनैतिक मामलो में वे अपने दर्जे से गिर जाते हैं। उनकी इकतरफा रायों को देखकर हैरत होती है, और जब कभी कोई आन-बान का मौक़ा आता है तब तो उनकी वह हिमायत अकसर बकवास और गँवारूपन का रूप धारण कर लेती है। वे सन्चाई के साथ भारत सरकार की राय को प्रकट करते हैं और इस सरकार के हक़ में वे लगातार जो प्रचार करते हैं उसमें अपनी बात किसीपर जबरदस्ती न थोपने का गुण नहीं होता।

इन कुछ इने-गिने अधगोरे अखबारों के मुक़ाबिले में हिन्दुस्तानी अखबार नीचे दर्जे के हैं। उनके पास आर्थिक साधन बहुत कम होते हैं और उनके मालिक उनकी तरक्की करने की बहुत कम कोशिश करते हैं। वे अपनी रोज़मर्रा की जिन्दगी मुश्किल से चला पाते हैं और ग़रीब सम्पादकीय-विभाग को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। उनका आकार-प्रकार भद्दा है, उनमें छपनेवाले विज्ञापन अक्सर बहुत आपत्ति-जनक होते हैं और क्या राजनीति तथा क्या सामान्य जीवन दोनों में वे बहुत बड़ी-चड़ी भावुकता का परिचय देते हैं। मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक तो इसकी वजह यह है कि हम लोगों की जाति ही भावुकतामय है, और कुछ हद तक इसलिए कि जिस ज़बान

में यानी अंग्रेजी में वे निकलते हैं वह विलायती जबान है और उसमें सरलता से और साथ ही जोर के साथ लिखना आसान नहीं है। लेकिन असली कारण तो यह है कि हम सब लोग कई किस्म के ऊँचे-नीचे खयालों के शिकार हैं जो बहुत दिनों के दमन और गुलामी की वजह से पैदा हुए हैं, इसलिए इन भावों को बाहर निकालने की हमारी हरेक विधि भावुकता से भरी हुई होती है।

अंग्रेजी में निकलनेवाले हिन्दुस्तानी मालिकों के अखबारों में जहाँतक उसके बहिरंग की सुन्दरता और समाचार-सम्पादन से ताल्लुक है, मदरास का 'हिन्दू' गालिबन सबसे अच्छा है। उसे पढ़कर मुझे हमेशा किसी वृद्ध कुमारिका की याद आ जाती है, जो हमेशा मर्यादा और औचित्य को पसन्द करती है और अगर उसके सामने बेअदबी का एक हरफ भी कह दिया जाय तो उसे बहुत बुरा मालूम होता है। यह अखबार खास तौर पर मध्यम श्रेणीवालों का अखबार है, जिनकी जिन्दगी चैन से गुजरती है। जिन्दगी के नकली या ऊपरी पहलुओं से जीवन के संघर्षों और उसकी धक्का-मुक्की से, उसका कोई सरोकार नहीं। नरम-दल के और भी कई अखबारों का स्टेडर्ड यही वृद्ध कुमारियों का-सा है। इस स्टेडर्ड तक तो वे पहुँच जाते, लेकिन उनमें वह खूबी नहीं आ पाती जो 'हिन्दू' में है और इसलिए वे हर लिहाज से बहुत नीरस हो जाते हैं।

यह जाहिर था कि सरकार ने वार करने की तैयारी बहुत पहले से कर रक्खी थी और वह यह चाहती थी कि शुरू ही में उसकी चोट जहाँतक हो सके पूरी कसकर बैठे और उसे खानेवाला चक्कर खाकर गिर पड़े। १९३० में वह हमेशा इस कोशिश में रहती थी कि दिन-पर-दिन जो हालत बिगड़ती जा रही है उसे नये-नये आर्डिनेन्सों से सम्हाले। उन दिनों वार में पहल हमेशा काँग्रेस की तरफ से होती थी, लेकिन १९३२ के तरीके बिलकुल दूसरे थे। १९३२ में सरकार ने सब तरफ से हमला करके लड़ाई शुरू की। अखिल-भारतीय और प्रान्तीय आर्डिनेन्सों के द्वारा हाकिमों को जितने अस्त्रियार सोचे जा सकते थे सभी दे दिये गये। संस्थाये गैरकानूनी करार दे दी गईं। इमारतों पर, जायदाद पर, सवारियों, मोटर वगैरा पर और बैंकों में जमा रूपयों पर कब्जा कर लिया गया। आम जलसो और जुलूसों की मनादी करदी गई और अखबारों और छापेखानों पर पूरी तरह नियन्त्रण कर लिया गया। दूसरी तरफ, १९३० के बिलकुल खिलाफ, गांधीजी निश्चित रूप से यह चाहते थे कि उस वक्त सत्याग्रह न किया जाय। कार्य-समिति के ज्यादातर मेम्बरो की भी यही राय थी। उनमें से कुछ, जिनमें से मैं भी एक था, यह समझते थे कि हम कितना ही नापसन्द करें लेकिन लड़ाई हुए बिना न रहेगी और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा संयुक्त-प्रान्त में और सरहदी सूबे में जो तनातनी बढ़ रही थी उससे लोगों का ध्यान भावी

लड़ाई की तरफ़ लग रहा था। लेकिन कुल मिलाकर मध्यम श्रेणी के और पढ़े-लिखे लोग लड़ाई की बात नहीं सोच रहे थे, हालाँकि वे लड़ाई की सम्भावना की पूर्ण उपेक्षा नहीं कर सकते थे। किसी तरह हो, उन्हें यह उम्मीद थी कि गांधीजी के आने पर यह लड़ाई टल जायगी और जाहिर है कि इस मामले में उनकी लड़ाई से बचने की इच्छा ने ही उनके दिलों में यह उम्मीद पैदा की थी।

इस तरह १९३२ के शुरू में निश्चित रूप से पहला हमला सरकार की तरफ़ से होता था और काँग्रेस हमेशा अपना बचाव करने में लगी रहती थी। आर्डिनेन्सों की और सत्याग्रह-संग्राम को पैदा करनेवाली जो घटनायें यकायक हो गईं उनकी वजह से कई जगह के मुकामी नेता तो भौचक्के रह गये। लेकिन ये सब बातें होते हुए भी काँग्रेस की पुकार का लोगों ने जो जवाब दिया वह ऐसा-वैसा नहीं था। सत्याग्रहियों की कमी नहीं रही। बल्कि सच बात तो यह है और मेरे खयाल में इस बात में कोई शक नहीं हो सकता कि १९३२ में ब्रिटिश सरकार का जो मुकाबिला किया गया वह १९३० में किये जानेवाले मुकाबिले से बहुत कड़ा और भारी था। यद्यपि १९३० में खास तौर पर बड़े-बड़े शहरों में धूम-धाम व शोरोगुल ज्यादा था, परन्तु साथ ही यद्यपि १९३२ में लोगों ने सहन-शक्ति पहले से ज्यादा दिखाई और वे पूरी तरह शान्त रहे, फिर भी इन बातों के बावजूद स्फूर्ति की प्रारम्भिक लहर का जोर १९३० से बहुत कम था। ऐसा मालूम होता था मानों हम बेमन से लड़ाई में शामिल हुए थे। १९३० में हमारी लड़ाई में हम एक तरह का गौरव अनुभव करते थे जो दो साल बाद अब कुछ-कुछ मुझा गया था। सरकार ने उसके पास जितनी ताकत थी सब लगाकर काँग्रेस का मुकाबिला किया। उन दिनों हिन्दुस्तान एक तरह से फ़ौजी कानून के अधीन रहा और काँग्रेस असल में कभी भी पहला हमला न कर सकी, और न उसे काम करने की आज़ादी ही मिली। वह पहली ही चपेट में बेहोश हो गई। उसके उन घनी-मानी हमदलों में से जो पिछले दिनों में उसके खास मददगार रहे थे, ज्यादातर इस बार घबरा गये। उनके धन-माल पर आ बनी। यह बात साफ़ दीखती थी कि जाँ लोग सत्याग्रह-संग्राम में शामिल होंगे या और किसी तरह से उसकी मदद करेंगे, न सिर्फ़ उनकी आज़ादी ही छीन ली जा सकती थी बल्कि शायद उनकी तमाम जायदाद भी छीन ली जासकती थी। इस बात का हम लोगो पर युक्तप्रान्त में तो कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ तो काँग्रेस गरीबों ही की थी। लेकिन बम्बई जैसे बड़े शहरों में इस बात का बड़ा भारी असर पड़ा। व्यापारियों के लिए तो इसके मानी थे पूरा सत्यानाश। पेशेवर लोगों को भी उससे भारी नुकसान पहुँचता था। इसकी धमकी भर से—कभी-कभी तो वह धमकी पूरी करके भी दिखाई गई—शहर के अमीर श्रेणी के

लोगों को लकवा-सा मार गया। पीछे मुझं मालूम हुआ कि एक डरपोक लेकिन मालदार व्यापारी को पुलिस ने यह धमकी दी कि तुम्हें लम्बी सजा देने के साथ पाँच लाख का जुर्माना किया जायगा। इस व्यापारी का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं था, सिवा इसके कि कभी-कभी राजनैतिक कामों के लिए चन्दा दे दिया करता था। ऐसी धमकियाँ एक आम बात हो गई थी, और ये कोरी बातों की धमकियाँ ही न थीं; क्योंकि उन दिनों पुलिस सर्वशक्तिमान थी और लोगों को हर रोज इन धमकियों के पूरे होने की मिसालें मिलती रहती थीं।

मेरा खयाल है कि किसी काँग्रेसी को इस बात का हक नहीं है कि सरकार ने जो तरीका अरुन्धार किया उसपर ऐतराज करे—यद्यपि एक सोलह आने अहिंसान्मक आन्दोलन के खिलाफ सरकार ने जिस जोर-जबरदस्ती से काम लिया वह किसी भी शाइस्ता पैमाने से बहुत ऐतराज के काबिल थी। अगर हम लोग सीधी लड़ाई के क्रान्तिकारी तरीको से काम लेते हैं तो हमें हर तरह के मुकाबिले के लिए तैयार रहना चाहिए, फिर चाहे हमारे तरीके कितने भी अहिंसात्मक क्यों न हों? हम लोग अपने बैठकखाने में बैठे-बैठे क्रान्ति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, यद्यपि कुछ लोग इन दोनों का फ़ायदा साथ-साथ ही उठाना चाहते हैं। अगर कोई क्रान्ति की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें उनके पास जो कुछ है उस सबको खो बैठने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसीलिए धन-दौलत और पैसेवाले अमीर लोगों में से तो बिरले ही क्रान्तिकारी हो सकते हैं। हाँ, उन व्यक्तियों की बात दूसरी है जो व्यवहार-चतुर लोगों की दृष्टि में मूर्ख और अपनी जाति के घातक कहलाते हैं।

लेकिन आम लोगों के पास न तो मोटरे थी, न बैंकों में उनका कोई हिसाब था, न ज़ब्त करने लायक जायदाद; और उन्हीं लोगों पर लड़ाई का असली बोझ था। इसलिए अवश्य ही उनका मुकाबिला करने के लिए दूसरे तरीके अरुन्धार किये गये। सरकार ने चारों तरफ़ जिस बेरहमी से काम लिया उसका एक मजेदार नतीजा यह हुआ कि उन लोगों की जमात उठ खड़ी हुई, जिनको हाल ही में छपी एक किताब में लिखे एक शब्द के मुताबिक़ 'सरकार-पक्षी' (Governmentarians) के नाम से पुकारा जा सकता है। इन लोगों को यह तो पता नहीं था कि भविष्य में क्या होने-वाला है, इसलिए ये लोग काँग्रेस के आगे-पीछे चक्कर काटने लगे थे। लेकिन सरकार इस बात को बरदाश्त करने को तैयार न थी। वह निष्क्रिय राजभक्ति को काफ़ी नहीं समझती थी। शहर के सिलसिले में मशहूर फ़ेडरिक कूपर के लफ़्ज़ों में शासक लोग, "पूरी, क्रियाशील और निश्चित वफ़ादारी से कम किसी बात को बरदाश्त नहीं कर सकते। सरकार इतना नीचे उतरने को तैयार नहीं हो सकती थी कि वह अपनी

रिआया के महज सद्भाव पर कायम रहे।" ब्रिटिश लिबरल दल के जो नेता राष्ट्रीय सरकार में जा मिले थे, अपने इन पुराने साथियों की बाबत एक साल पहले मिस्टर लायड जार्ज ने यह कहा था कि "वे उन गिरगिटों के नमूने हैं जो अपनी देश-कालावस्था के मुताबिक अपना रंग बना लेते हैं।" हिन्दुस्तान की नई देशकालावस्था में न्यारे रंगों के लिए गुंजाइश नहीं थी, इसलिए हमारे कुछ देश-भाई सरकार की पसन्द के निहायत चमकीले रंग में रंगकर बाहर निकले और दावतें खाते तथा गीत गाते हुए उन्होंने शासकों के प्रति अपना प्रेम और आदर प्रदर्शित किया। जो आर्डिनेन्स जारी किये गये थे उनसे, तरह-तरह की जो मनाहियाँ और रोकें थी उनसे, और दिन छिपे बाद घरों से बाहर न निकलने के हुक्म जारी किये गये थे उनसे उन्हें डरने की कोई जरूरत न थी, क्योंकि सरकार का तरफ से यह बात कह दी गई थी कि यह सब तो राजद्रोहियों और अराजभक्तों ही के लिए हैं, राजभक्तों के लिए उनसे डरने की कोई वजह नहीं है। इसीलिए जिस डर ने हमारे बहुत-से देशभाइयों को जकड़ रक्खा था वह उनके पास तक नहीं फटका और वे अपने चारों तरफ होनेवाली लड़ाई व कशमकश को समदृष्टि से देखते थे। The Faithful Shepherdess नाम की कविता में शायद वे भी क्लो से सहमत होते, जब उसने यह कहा कि :—

“भय क्यों हो, सर्वथा मुक्त हूँ मैं तो भय से,
बलात्कार क्यों, जब खुद ही राज़ी हूँ मन से।”

न जाने कैसे सरकार को यह खयाल हो गया कि कांग्रेस जेलों को औरतो से भरकर अपनी लड़ाई में उनका इस्तेमाल करना चाहती है। क्योंकि कांग्रेसवाले समझते होंगे कि औरतों के साथ अच्छा बर्ताव किया जायगा या उनको थोड़ी सजा दी जायगी। यह खयाल बिलकुल बे-बुनियाद था। ऐसा कौन है जो यह चाहता हो कि हमारे घर की औरतें जेलों में धकेली जायँ ? मामूली तौर पर लड़कियों और औरतों ने हमारी लड़ाई में क्रियान्वक भाग अपने पिताओं और भाइयों या पतियों की इच्छा के विरुद्ध ही लिया, किसी भी हालत में उन्हें अपने घर के मर्दों का पूरा सहयोग नहीं मिला। फिर भी सरकार ने यह तय किया कि लम्बी-लम्बी सजाये देकर और जेलों में बुरा बर्ताव करके स्त्रियों को जेल जाने से रोका जाय। मेरी बहनों की गिरफ्तारी के बाद फौरन ही कुछ नौजवान लड़कियाँ, जिनमें से ज्यादातर पन्द्रह या सोलह बरस

१. मूल अंग्रेज़ी पद्य इस प्रकार है:—

“For from one cause of fear I am most free,
It is impossible to ravish me,
I am so willing.”

की थीं, इलाहाबाद में इस बात पर गौर करने के लिए इकट्ठी हुई कि अब क्या करना चाहिए। उन्हें कोई तजुर्बा तो था नहीं। हाँ, उनमें जोश भरा हुआ था और वे यह सलाह लेना चाहती थी कि हम क्या करें। लेकिन जब कि वे एक प्राइवेट घर में बैठी हुई बातें कर रहीं थीं, गिरफ्तार करली गई और हरेक को दो-दो साल की सख्त क़ैद की सजा दी गई। यह तो उन बहुत-सी छोटी-छोटी घटनाओं में से एक थी जो उन दिनों रोज़-ब-रोज़ हिन्दुस्तान-भर में हो रही थीं। जिन लड़कियों व स्त्रियों को सजा मिली उनमें से ज्यादातर को बहुत तकलीफ़ें बरदास्त करनी पड़ीं। उन्हें मदों तक से भी ज्यादा तकलीफ़ें भुगतनी पड़ीं। यों मंने ऐसी कई दुःखदाई मिसाले सुनीं, लेकिन मीरा बहन ने बम्बई की एक जेल में अपने तथा अपने साथी क़ेदी दूसरी सत्याग्रही स्त्रियों के साथ होनेवाले व्यवहार का जो वर्णन किया वह उन सब को मात करने वाला था।

संयुक्तप्रान्त में हमारी लड़ाई का केन्द्र देहाती रकबों में ही रहा। किसानो के प्रतिनिधि की हैसियत से काँग्रेस ने जो लगातार जोर डाला उसकी वजह से सरकार ने काफ़ी छूट देने का वादा किया, लेकिन हम उसे भी काफ़ी नहीं समझते थे। हमारी गिरफ्तारी के बाद फ़ौरन ही और भी छूट का ऐलान किया गया। यह एक विचित्र बात थी कि इस छूट का ऐलान पहले नहीं किया गया; क्योंकि अगर यह ऐलान पहले हो जाता तो हालत में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता। हम लोगों के लिए यह मुश्किल हो जाता कि हम उसे यों ही ठुकरादे। लेकिन उस वक़्त तो सरकार को यह फ़िकर थी कि इस छूट की नामवरी काँग्रेस को न मिलने पावे। इसलिए एक तरफ़ तो वह काँग्रेस को कुचलना चाहती थी और दूसरी तरफ़ किसानों को जितनी छूट वह दे सकती थी उतनी देती थी कि जिससे वे चुपचाप अपने घर बैठे रहें। यह बात साफ़ तौर पर दिखाई देती थी कि जहाँ-जहाँ काँग्रेस का जोर ज्यादा था वही-वही ज्यादा छूट मिली थी।

यद्यपि ये छूटे ऐसी-वैसी न थी, फिर भी उनसे किसानों का सवाल हल न हुआ। हाँ, उनसे स्थिति बहुत-कुछ संभल जरूर गई। इन छूटों ने किसानों की लड़ाई की तेज़ी कम करदी और हमारी व्यापक लड़ाई की दृष्टि से इन छूटो ने उस वक़्त हमें कमजोर कर दिया। उस लड़ाई से युक्तप्रान्त में बीसियों हजार किसानो को दुख झेलने पड़े। उनमें से कई तो उसकी वजह से बिलकुल बर्बाद होगये। लेकिन उस लड़ाई के जोर से लाखों किसानों को मौजूदा प्रणाली में ज्यादा-से-ज्यादा जितनी छूट मुमकिन हो सकती थी करीब-करीब उतनी मिल गई और उस लड़ाई ने तरह-तरह की तंगियों से भी उनकी जान बचा दी। सत्याग्रह संग्राम या उसके पुछल्लों की बजह से बहुतों को जो तकलीफ़ उठानी पड़ी वह अलग ही। किसानों को कभी-कभी जो ये

थोड़े से फायदे होगये वे ऐसे कुछ हैं नहीं लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि वे जैसे भी थे बैसे ज्यादातर उस लगातार कोशिश के फल थे जो युक्त प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी ने किसानों की तरफ से की थी। आम किसानों को उस लड़ाई से कुछ दिनों के लिए फायदा ही हुआ, लेकिन उनमें जो सबसे अधिक बहादुर थे वे उस लड़ाई में काम आ गये।

दिसम्बर १९३१ में जब युक्त प्रान्त का विशेष आर्डिनेंस जारी हुआ तब उसके साथ-साथ एक वक्तव्य निकाला गया था। इस बयान में और दूसरे आर्डिनेंसों के साथ-साथ जो बयान निकाले गये उनमें बहुत सी असत्य और अर्ध-सत्य बातें भरी हुई थी, जो प्रचार के मतलब के लिए कही गई थी। यह सब शुरू-शुरू की हू-हा का हिस्सा था और हमें उसका जवाब देने या उनकी स्पष्ट गलतियों के खंडन करने का कोई मौका नहीं मिला। शेरवानी के मत्थे खास तौर पर एक झूठा इलजाम मढ़ने की कोशिश की गई थी। यह झूठ माफ-साफ चमकता था और शेरवानी ने गिरफ्तारी से कुछ ही पहले उमका खंडन कर दिया था। ये तरह-तरह के बयान और सरकार की सफाइयाँ बड़ी अजीब होनी थी। उनसे मालूम होता था कि सरकार कितनी बर्तती थी और कितनी हड़बडा गई थी। उस दिन मैं वह हुक्मनामा पढ़ रहा था जो स्पेन के तीसरे बोरबन चार्ल्स, तृतीय, ने अपने राज्य से जेसुइट्स को निकालते हुए जारी किया था। उसे पढ़ते ही मुझे उन हुक्मनामों और आर्डिनेंसों की तथा उन्हें निकालने के दिये गये कारणों की याद आये बिना न रही, जो ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुस्तान में प्रकाशित किये थे। चार्ल्स का वह हुक्मनामा फरवरी १७६७ ईसवी को दिया गया था। बादशाह ने यह कहकर अपने हुक्म को ठीक ठहराया था कि इसको निकालने के लिए हमारे पास "अपनी हुकूमत, अमन और अपनी प्रजा में न्याय की रक्षा करने के लिए मेरा जो फर्ज है उससे सम्बन्ध रखनेवाले बहुत ही गम्भीर वजूहात हैं और इन वजूहात के अलावा दूसरे बहुत जरूरी, ठीक और आवश्यक कारण भी हैं जिन्हें मैं अपने दिल में सुरक्षित रख रहा हूँ।"

इसलिए आर्डिनेंस निकालने के जो असली कारण थे वे तो वायसराय के दिल में या उनके सलाहकारों के साम्राज्यवादी दिलों के ताले में ही बन्द रहे, यद्यपि वे साफ-साफ दीख पड़ते थे। सरकार की तरफ से आर्डिनेंसों को निकालने के लिए जो कारण बताये गये उनसे हमें सरकारी प्रचार की उस विद्या को समझने का मौका मिला जिसे ब्रिटिश सरकार हिन्दुस्तान में कमाल पर पहुँचा रही थी। कुछ महीने बाद हमें यह भी मालूम हुआ कि कुछ नीम सरकारी परचे व पैम्पलेट हज़ारों की तादाद में सब गाँवों में बाटे जा रहे हैं, और जिनमें गलत बातों की तादाद काफ़ी आश्चर्य-जनक है और

जिनमें खास तौर पर यह बात भी कही गई थी कि किसानों को नाज की जिस मंदा से नुकसान पहुँचा है वह कांग्रेस ने ही कराई है। कांग्रेस की ताकत की इससे ज्यादा तारीफ़ और क्या हो सकती है कि वह संसार व्यापी संकट पैदा कर सकती लेकिन यहां झूठ लगातार काफ़ी होशियारी के साथ इस उम्मीद से फैलाई गई कि उससे कांग्रेस की धाक को धक्का लगेगा।

इन सब बातों के होते हुए भी युक्तप्रान्त के कुछ खास-खास जिलों के किसानों ने सत्याग्रह की लड़ाई में जो हिस्सा लिया था वह तारीफ़ के लायक है। सत्याग्रह की यह लड़ाई लाजमी तौर पर माक़ूल लगान और छूट की लड़ाई में मिल गई थी। इस लड़ाई में किसानों ने १९३० की लड़ाई से कहीं ज्यादा तादाद में और ज्यादा अनुशासन के साथ हिस्सा लिया। शुरू-शुरू में इस लड़ाई में कुछ चुहलबाज़ी भी हुई। हम लोगों को एक मज़ेदार कहानी यह सुनाई गई कि पुलिस की एक पार्टी रायबरेली ज़िले के बाकुलिया गांव में गई। वे लोग लगान अदा न होने पर माल कुड़क करने के लिए गये थे। इस गाँव के लोग दूसरे लोगों को देखते हुए कुछ खुश हाल और जीवट के आदमी थे। उन्होंने महक़मे माल व पुलिस के अफसरों का खूब स्वागत-सत्कार किया और अपने-अपने घरों के किवाड़ खोलकर उनसे कहा कि चले जाइए और जो चाहे उठा लाइए। इन लोगों ने मवेशी वगैरा कुड़क किये। इसके बाद गाववालों ने पुलिस और महक़मे माल के हाकिमों को पान-सुपारी नज़र की। वे बेचारे निहायत शर्मिन्दा होकर नीचे को निगाह डालकर वहाँ से चले गये। लेकिन यह तो एक बिरली और शैर-मामूली घटना थी। लेकिन बाद को फ़ौरन ही यह चुहलबाज़ी या उदारता या मेहरबानी कही भी न दिखाई दी। चुहलबाज़ी की वजह से बेचारा बाकुलिया गांव उस सज़ा से नहीं बच सका जो उसे ऐसा जीवट दिखाने के लिए मिली।

कई खास-खास जिलों में कई महीनों तक किसानों ने लगान रोक रक्खा था। उसकी अदायगी ग़ालिबन गरमी के शुरू में शुरू हुई। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से लोग गिरफ़्तार किये गये लेकिन ये गिरफ़्तारियाँ तो सरकार को अपनी कार्य-नीति के खिलाफ़ करनी पड़ी। आम तौर पर गिरफ़्तारियाँ खास-खास कार्यकर्त्ताओं तथा गाँवों के नेताओं की ही की जाती थीं। दूसरों को तो महज़ मार-पीटकर छोड़ दिया जाता था। मारपीट का यह तरीक़ा जेल में ले जाने और गोली मारने के तरीक़े से बेहतर पाया गया। क्योंकि लोगों को जहाँ जी चाहे वही मारा-पीटा जा सकता है और दूर देहात में होनेवाली मार-पीट की तरफ़ वहाँसे बाहर के लोगों का बहुत कम ध्यान जाता है। इसके अलावा उससे क़ैदियों की तादाद भी नहीं बढ़ती। जोकि वैसे ही बढ़ती जाती थी। हाँ बेदखलियाँ, कुड़कियाँ और जानवर तथा जायदाद बहुत

कसरत से नीलाम हुई। किसान तकलीफ से तड़पते हुए यह देखते थे कि उनके पास जो कुछ थोड़ा-सा बचा-खुचा था वह भी उनसे छीनकर मिट्टी के मोल बेचा जा रहा है।

देशभर में जिन बहुत-सी इमारतों पर सरकार ने अपना कब्जा कर लिया था उनमें स्वराज-भवन भी था। स्वराज-भवन में ही काँग्रेस का जो अस्पताल काम कर रहा था उसका भी क्रीमती सामान व माल सरकार के कब्जे में ले लिया गया। कुछ दिनों तक तो अस्पताल बिलकुल ही बन्द हो गया लेकिन उसके बाद पड़ौस के एक पार्क में ही एक खुला दवाखाना खोल दिया गया। इसके बाद वह अस्पताल या दवाखाना स्वराज-भवन से लगे हुए एक छोटे-से मकान में रक्खा गया और वही वह कोई ढाई बरस तक चलता रहा।

हमारे रहने के घर 'आनन्द भवन' की बाबत भी कुछ चर्चा चली थी कि सरकार उसपर भी अपना कब्जा कर लेना चाहती है। क्योंकि मैंने हमारे इनकमटैक्स की जो एक बड़ी रकम बकाया थी उसके अदा करने से इन्कार कर दिया था। यह टैक्स १९३० में पिताजी की आमदनी पर लगाया गया था और उन्होंने सत्याग्रह की लड़ाई की वजह से उस माल उसे अदा नहीं किया। दिल्ली पेंकट के बाद १९३१ में उस टैक्स के बारे में इनकमटैक्स के हाकिमों से मेरी बहस हुई लेकिन अखीर में मैं उसे देने को राजी होगया और उसकी एक किस्त दे भी दी। ठीक इसी समय आर्डिनेंस जारी हुआ और मैंने तय कर लिया कि अब मैं टैक्स नहीं दूँगा। मुझे अपने लिए यह बात बहुत ही बुरी, बुरी ही क्यों अनीतिपूर्ण भी, मालूम हुई कि मैं किसानों से तो यह कहूँ कि तुम लगान और मालगुजारी देने से रुक जाओ और खुद अपना इनकमटैक्स अदा करदूँ। इसलिए मैं यह उम्मीद करता था कि सरकार हमारे मकान को कुड़क कर लेगी। मुझे अपने मकान की कुड़की की बात बहुत ही बुरी लगती थी क्योंकि उसके मानी यह थे कि मेरी माताजी उससे निकाल दी जाती और हमारी किताबें, व कागजात, वे चीजें तथा जानवर और बहुत-सी जिसे जिनका, निजी उपयोग तथा ममत्व के कारण हमारी दृष्टि में, महत्व था, अजनबी लोगों के हाथों में चली जाती और उनमें से कई तो कदाचित खो भी जाती, हमारा राष्ट्रीय झण्डा उतार दिया जाता और उसकी जगह यूनीयन जैक फहरा दिया जाता। इसके साथ ही, मकान को खो बैठने का खयाल मुझे बहुत अच्छा भी मालूम होता था। क्योंकि मैं महसूस करता था कि मेरा मकान कुड़क हो जाने पर मैं उन किसानों के ज्यादा नज़दीक आजाऊँगा जो अपनी चीजें खो बैठे हैं और इससे उनके दिल भी बढेंगे। हमारे आन्दोलन की दृष्टि से तो सचमुच यह बात बहुत ही अच्छी होती। लेकिन सरकार ने दूसरी ही बात तय की। उसने मकान

पर हाथ नहीं डाला, शायद इसलिए कि उसे मेरी माता का खयाल था। या शायद इसलिए कि उसने ठीक-ठीक यह बात जानली कि मेरे मकान को कुड़क करने से सत्याग्रह-आन्दोलन की तेजी बढ़ जायगी। कई महीनों बाद मेरे कुछ रेलवे के शोयरो का पता लगाकर इनकमटैक्स वसूल करने के लिए उन्हें कुड़क कर लिया गया। मेरी और मेरी बहन की मोटर तो पहले ही कुड़क करके बेच दी गई थी।

इत शुरू के महीनों की एक बात से तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। यह बात थी कई म्यूनिसिपैलिटियों और सार्वजनिक सस्थाओं द्वारा हमारे राष्ट्रीय झंडे का उतारा जाना। खासकर कलकत्ता कार्पोरेशन-द्वारा, जिसके मेम्बरों में काँग्रेसियों का बहुमत बताया जाता था। झंडे सरकार और पुलिस के दबाव से लाचार होकर उतारे गये थे, क्योंकि यह धमकी दी गई थी कि अगर वे न उतारे गये तो सरकार सख्ती से पेश आयगी ! यह सख्ती गालिबन म्यूनिसिपैलिटी को तोड़ने या उसके मेम्बरों को सजा देने के रूप में होती। जो जमातें स्थापित स्वार्थ रखती हैं वे अक्सर डरपोक होती हैं और शायद उनके लिए यह लाजिमी था कि वे झंडे उतार डालती। फिर भी इस बात से हमें बड़ा दुख हुआ। वह झंडा हमारे लिए, जिन बातों को हम बहुत प्यार करते हैं उनका, चिन्ह हो गया था और उसकी छाया में हमने उसके गौरव की रक्षा करने की अनेक प्रतिज्ञायें ली हैं। खुद अपने ही हाथों से उसे उतार फेंकना या अपने हुकम से उसे उतरवाना सिर्फ अपनी प्रतिज्ञाओं का तोड़ना ही नहीं बल्कि एक दूषित कर्म-सा मालूम होता था। यह अपनी आत्मा को दबाकर अपने भीतर की सचाई की अवहेलना करना था—ज्यादा शारीरिक बल के मुकाबिले में झूठ को कुबूल करना था। और जो लोग इस तरह दब गये उन्होंने क्रीम की बहादुरी को बट्टा लगाया और उसकी इज्जत को नुकसान पहुँचाया।

यह बात नहीं है कि हम उनसे यह उम्मीद करते थे कि वे वीरों की तरह काम करते और आग में कूद पड़ते। किसीको इसलिए दोष देना कि वह अगली क़त्तार में नहीं हैं या जेल नहीं जाता या दूसरी क्रिस्म की तकलीफें या नुकसान नहीं बरदाश्त करता है, गलत और फ़िज़ूल है। हरेक को बहुत से फ़र्ज़ अदा करने पड़ते हैं और कई क्रिस्म की जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती हैं। और दूसरों को इस बात का कोई हक़ नहीं है कि वे उनके जज बनकर बैठें। लेकिन पीछे घरों में बैठे रहना या काम न करना एक बात है और सच्चाई से या जिसे हम सच्चाई समझते हैं उससे इन्कार करना बिल्कुल दूसरी बात है—और बहुत ही बुरी बात है। जब म्यूनिसिपैलिटी के मेम्बरों से कोई ऐसी बात करने के लिए कही गई जो राष्ट्रीय हितों के खिलाफ़ थी तब उनके लिए यह रास्ता खुला हुआ था कि वे अपनी मेम्बरी से इस्तीफ़ा दे देते। मगर,

इन लोगों ने तो मेम्बर बने रहना ही पसन्द किया। थॉमस मूर ने कहा है:—

पुष्पासन पाकर मधु-मक्खी तज देती गुञ्जन सुन्दर,
त्योँ कौंसिल-कुर्सी पाते ही चुप हो जाते हैं मेम्बर।'

शायद किसीकी उस काम के लिए नुक्ताचीनी करना नाइन्साफ़ी है जो उन्होंने एक ऐसे आकस्मिक संकट में किया जिससे वे बुरी तरह दब गये थे। जैसा कि पिछला संसारव्यापी युद्ध कई बार दिखा चुका है, कभी-कभी बड़े-से-बड़े बहादुरों के भी छक्के छूट जाते हैं। उससे भी पहले १९१२ में टाइटेनिक जहाज संबन्धी जो भारी दुर्घटना हुई थी उसमें ऐसे-ऐसे नामी आदमियों ने, जिनकी बाबत कभी भी यह खयाल नहीं किया जा सकता था कि वे कायर हैं, जहाज के कर्मचारियों को रिस्वत देकर अपनी जान बचाई और दूसरे लोगों को डूबता छोड़ दिया। अभी हाल में मॉरो कौंसिल जो आग लगी उससे बहुत ही शर्मनाक हालात मालूम हुए। कोई नहीं कह सकता कि ऐसा ही संकट आने पर जबकि सहज-स्फूर्ति बुद्धि और संयम को दबा लेती है। तब वे खुद क्या करें। इसलिए हमें किसीको दोष नहीं देना चाहिए। लेकिन इसके मानी यह नहीं है कि हम इस बात पर गौर न करें कि हमने जो कुछ किया वह ठीक नहीं था और भविष्य में इस बात का खयाल रखें कि क्रौम की नैया का पतवार ऐसे लोगों के हाथ में न दिया जाय जो ऐसे वक्त पर जब सबसे ज्यादा धीरज की ज़रूरत होती है तब कांपने लगें और बेकार हो जायें। अपनी इस नाकामयाबी को ठीक ठहराने की कोशिश करना और उसे ठीक काम बताना तो और भी बुरा है। सचमुच यह तो इस असफलता से भी ज्यादा बड़ा अपराध है।

लड़नेवाली ताकतों की हर एक कश्मकश ज्यादातर दिलेरी और धीरज पर मुनहसिर होती है। खूनी-से-खूनी लड़ाई भी इन्हीं दो गुणों पर अवलम्बित रहती है। मार्शल फोक ने कहा था—“आखीर में जाकर लड़ाई वही जीतता है जो कभी घबड़ाता नहीं और हमेशा धीरज धरे रहता है।” अहिंसात्मक लड़ाई में तो कर्नैच्य पर डटे रहने और धीरज रखने की और भी ज्यादा ज़रूरत है। और जो कोई अपने आचरण से राष्ट्र के इस सत्त्व को हानि पहुँचाता है तथा उसका धीरज छुटाता है वह अपने उद्देश्य को भयंकर हानि पहुँचाता है।

महीने गुज़रते गये, और हमें हर रोज कुछ अच्छी खबरें मिलतीं और कुछ बुरी। हम लोग अपनी-अपनी जेलों की अपनी नीरस और एकसी ज़िन्दगी के आदी हो गये।

१. मूल अंग्रेज़ी पद्य इस प्रकार है:—

“But bees, on flowers alighting, cease their hum—
So, settling upon places, Whigs grow dumb!”

६ अप्रैल से १३ अप्रैल तक राष्ट्रीय सप्ताह आया। हम लोग यह जानते थे कि इस सप्ताह में बहुत सी नई-नई बातें देखने को मिलेंगी। सचमुच उस हफ्ते में बहुत सी बातें हुई थीं। लेकिन मेरे लिए एक घटना के सामने बाकी सब बातें फ़ीकी पड़ गईं। इलाहाबाद में मेरी मां उस जुलूस में थीं जिसे पुलिस ने पहले तो रोका और फिर लाठियों से मारा। जिस वक़्त जुलूस रोक दिया गया था उस वक़्त किसीने उनके लिए एक कुर्सी लायी। वह जुलूस के आगे उस कुर्सी पर सड़क पर बैठी हुई थीं। कुछ लोग, जिनमें मेरे सैक्रेटरी वगैरा शामिल थे और जो खास तौर पर उनकी देख-भाल कर रहे थे, गिरफ्तार करके उनसे अलग कर दिये गये और इसके बाद पुलिस ने हमला किया। मेरी मां को धक्का देकर कुर्सी से नीचे गिरा दिया गया और उनके सर पर लगातार बँत मारे गये जिससे उनके सर में धाव हो गया और खून आने लगा और वह बेहोश हो कर सड़क पर गिर गई। सड़क से उस वक़्त तक जुलूसवाले तथा दूसरे लोग भगा दिये गये थे। कुछ देर के बाद किमी पुलिस अफसर ने उन्हें उठाया और वह उन्हें अपनी मोटर में बिठाकर आनन्द-भवन पहुँचा गया।

उस रात को इलाहाबाद में एक गलत अफ़वाह उड़ गई कि मेरी मां का देहान्त हो गया है। यह सुनते ही क्रोधित लोगों की भीड़ ने इकट्ठे होकर पुलिस पर हमला कर दिया। वे शान्ति और अहिंसा की बात भूल गये। पुलिस ने लोगों पर गोली चलाई जिससे कुछ लोग मर गये।

इस घटना के कुछ दिन बाद जब इन सब बातों की खबर मेरे पास पहुँची—हमें उन दिनों एक साप्ताहिक अखबार मिलता था—तो अपनी कमज़ोर बूढ़ी मा को सड़क की धूल में खून से लथपथ पड़ने का खयाल मुझे रह रहकर आने लगा। मैं यह सोचने लगा कि अगर मैं वहाँ होता तो क्या करता? मेरी अहिंसा किस हद तक मेरा साथ देती? मुझे डर है कि वह ज्यादा हद तक मेरा साथ नहीं देती। क्योंकि वह दृश्य मुझे उस सबक को क़तई भुला देता जिस सीखने की कोशिश मैंने बारह बरस से भी ज्यादा वक़्त से की थी और मैं जाती या कौमी नतीजों की रस्ती भर भी परवा न करता।

धीरे-धीरे वह चंगी हो गई और जब वह दूसरे महीने बरेली जेल में मुझसे मिलने आई तब उनके सर पर पट्टी बंधी थी। लेकिन उन्हें इस बात की बड़ी भारी खुशी और गर्व था कि वह अपने स्वयं सेवक लड़के और लड़कियों के साथ बँतों और लाठियों की मार खाने के विशेष लाभ से महरूम न रही। लेकिन उनका चंगापन उतना असली नहीं था जितना दिखावटी और ऐसा मालूम होता है कि इतनी बड़ी उमर में इन्हें जो भारी झकझोरे झेलने पड़े उनसे उनका शरीर अस्तव्यस्त हो गया और उसने उन गहरी तकलीफ़ों को उभाड़ दिया जिन्होंने एक साल बाद भीषण रूप धारण कर लिया।



स्वरूपरानी नेहरू

बरेली और देहरादून जेल में

ब्र: हफ्ते नैनी जेल में रहने के बाद मेरा तबादला बरेली जिला जेल को कर दिया गया। मेरी तन्दुरुस्ती फिर गड़बड़ रहने लगी। मुझे रोज़ बुखार हो आता था, जो मुझे बहुत नागवार मालूम होता था। चार महीने बरेली में बिताने के बाद, जब गर्मी बहुत सस्त हुई तब फिर मेरा तबादला कर दिया गया। लेकिन इस मर्तबा मुझे बरेली के मुकाबले में एक ठडी जगह, हिमालय के पैरों तले, देहरादून जेल में भेजा गया। मैं वहाँ कोई साढ़े चौदह महीने, करीब-करीब अपनी दो साल की सजा के अखीर तक रहा। इस बीच में मेरा तबादला किसी दूसरी जगह नहीं हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग मुझसे मिलने आते थे उनसे और खतों के तथा उन चुने हुए अखबारों के जरिये से, जो मुझे पढ़ने को दिये जाते थे, मेरे पास खबरें पहुँच जाती थीं, फिर भी बाहर जो कुछ हो रहा था उससे ज्यादातर मैं अपरिचिन ही रहूँ और खास-खास घटनाओं के बारे में मेरी धारणायें बहुत धुँधली थीं।

इसके बाद जब मैं छूटा तब अपने ज्ञाती मामलों में और उस राजनैतिक स्थिति को ठीक करने में, जो मुझे छूटने पर मिली, लगा रहा। कोई पाँच महीने से कुछ ज्यादा की आजादी के बाद मैं फिर जेल में बन्द कर दिया गया और अब तक यहीं हूँ। इस तरह पिछले तीन सालों में मैं ज्यादातर जेल में ही—और इसीलिए वाक्यात से बिलकुल दूर, अलग—रहा हूँ। इस बीच में जो कुछ हुआ उस सबकी तफसीलवर जानकारी हासिल करने का मुझे बहुत ही कम, नही के बराबर, मौका मिला है। जिस दूसरी गोलमेज-कान्फ़ेन्स में गांधीजी शरीक हुए थे उसमे परदे के पीछे क्या-क्या हुआ इसकी बात मेरी जानकारी अब तक बहुत ही धुँधली है। इस मामले पर गांधीजी से बातचीत करने का अब तक मुझे कोई मौका ही नहीं मिला और न इसी बात का मौका मिला कि अब तक जो-कुछ हुआ है उसके बारे में उनके या दूसरे साथियों के साथ बैठकर विचार करूँ।

१९३२ और १९३३ के उन सालों के बारे में मेरी जानकारी इतनी काफी नहीं है कि मैं अपने राष्ट्रीय-संग्राम के विकास का इतिहास लिख सकूँ। लेकिन चूँकि मैं रंगमंच को, उसकी पृष्ठभूमि को और अभिनेताओं को अच्छी तरह जानता था इसलिए जो बहुत-सी छोटी-छोटी बातें भी हुईं उनको मैं अपने सहज ज्ञान से अच्छी तरह समझ सका। इस तरह मैं उस संग्राम की साधारण प्रगति के विषय में ठीक राय

क्रायम कर सकता हूँ। पहले चार महीने के करीब तो सत्याग्रह की लड़ाई काफ़ी जोर और हल्ले के साथ चली लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे वह गिरती गई। बीच-बीच में वह फिर भड़क उठती थी। सीधी मार की लड़ाई क्रान्ति की पराकाष्ठा पर तो थोड़ी देर के लिए ही ठहर सकती है। वह एक जगह स्थिर नहीं रह सकती, वह या तो तेज होगी या नीचे गिरेगी। शुरू के जोश के बाद सत्याग्रह-संग्राम धीरे-धीरे ढीला पड़ता गया लेकिन उस हालत में भी वह बहुत वक्त तक चलता रहा। यद्यपि कांग्रेस गैर-कानूनी करार दे दी गई थी फिर भी अ० भा० कांग्रेस का संगठन काफ़ी कामयाबी के साथ अपना काम करता रहा। अपने-अपने सूबे के कार्यकर्ताओं के साथ उसका ताल्लुक बना रहा। वह अपनी हिदायतें भेजता रहा, सूबों से रिपोर्टें हासिल करता रहा और कभी-कभी उसने सूबों को आर्थिक मदद भी दी।

कम-ज्यादा कामयाबी के साथ सूबे के संगठन भी अपना काम चलाते रहे। जिन सालों में मैं जेल में बन्द था उनमें दूसरे सूबों में क्या हुआ इस बात का मुझे ज्यादा पता नहीं लेकिन अपने छूटने के बाद मुझे युक्तप्रान्त के काम की बाबत बहुत-सी बातें मालूम हो गईं। युक्तप्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी का दफ्तर १९३२ में पूरे साल भर और १९३३ के बीच तक नियमित रूप से अपना काम करता रहा। यानी वह उस वक्त तक अपना काम चलाता रहा जब गांधीजी की सलाह मानकर कांग्रेस के तत्कालीन कार्यवाहक सभापति ने पहली मर्तबा सत्याग्रह को मुलतवी किया। इस डेढ़ साल में ज़िलों को अक्सर हिदायतें भेजी जाती रही। छपी हुई या साइकिलोस्टायल से लिखी हुई पत्रिकायें बाकायदा जारी होती रही। समय-समय पर ज़िलों के काम की निगरानी होती रही और राष्ट्र-सेवा-संघ के कार्यकर्ताओं को भत्ता मिलता रहा। यह काम ज्यादातर ज़रूरतन छिपे तौर पर किया गया। लेकिन सूबा कांग्रेस-कमिटी के जो सेक्रेटरी दफ्तर के चार्ज में थे वह खुलेआम सेक्रेटरी की हैसियत से उस वक्त तक काम करते रहे जबतक उन्हें गिरफ्तार करके हटा न दिया गया। उसके बाद दूसरे ने उनकी जगह ले ली।

१९३० और १९३२ के अपने तजुबों से हमें मालूम हुआ कि हिन्दुस्तान-भर में छिपे-छिपे खबरे लेने-देने के लिए संगठन का जाल-सा बिछाने का काम आसानी से किया जा सकता है। कुछ मुखालिफ़त होते हुए भी, बिना किसी खास कोशिश के बहुत अच्छा नतीजा निकला। लेकिन हममें से बहुतों को इस बात का भी खयाल था कि छिपे-छिपे काम करने की बात सत्याग्रह की भावना से मेल नहीं खाती और सार्वजनिक जाग्रति पर उसका बुरा असर पड़ता है। बड़े और खुले जनता-आन्दोलन के एक छोटे-से जुद्ध के तौर पर यह काम फ़ायदे का था लेकिन उसमें हर वक्त यह

खतरा बना रहता था कि कहीं छोटे-से और प्रायः बेकार के गुप्त काम ही जनता-आन्दोलन की जगह न ले लें। यह खतरा उस वक्त खास तौर पर बढ़ जाता था जब आन्दोलन गिर रहा हो। जुलाई १९३३ में गांधीजी ने सब तरह के छिपे कार्य को बुरा बताया।

किसानों की लगानबन्दी की लड़ाई युक्तप्रान्त के अलावा, कुछ वक्त तक गुजरात और कर्नाटक में भी चलती रही। गुजरात और कर्नाटक, दोनों सूबों में ऐसे बहुत-से किसान थे जिन्होंने अपनी जमीन का मालिक होते हुए भी सरकार को मालगुजारी देने से इन्कार कर दिया और इसकी वजह से काफ़ी नुकसान उठाया। बेदखलियों और जायदाद की जम्तियों से किसानों को जो तकलीफ़ पहुँची उसे कम करने और पीड़ितों की मदद करने के लिए कांग्रेस की तरफ़ से कुछ कोशिश की गई लेकिन वह लाजिमी तौर पर नाकाफ़ी थी। युक्तप्रान्त में तो यहाँ की कांग्रेस-कमिटी ने इस तरह मुसीबतख़दा किसानों की मदद करने के लिए कोई कोशिश नहीं की। यहाँ का सवाल वहाँ से कहीं ज्यादा बड़ा था। आसामी किसानों की तादाद किसान-जमींदारों की तादाद से कहीं ज्यादा है, यहाँ का रकबा भी बहुत बड़ा था, और सूबे की कमिटी के माली साधन भी दूसरे सूबों के मुकाबले में बहुत ही महदूद थे। लड़ाई की वजह से जिन बीसियों हजार किसानों को नुकसान पहुँचा उनकी मदद करना हमारे लिए बिलकुल ग़ैर-मुमकिन था और इसके अलावा हमारे लिए यह तय करना भी बहुत मुश्किल था कि हम इन्हीं लोगों की मदद क्यों करें और इन लोगों में तथा उन लाखों लोगों में भेद-भाव कैसे करें जिन्हें हमेशा भूखों मरने का डर बना रहता है। सिर्फ़ कुछ हजार लोगों को मदद करने से मुसीबत और आपसी रंजिश खड़ी हो जाती। इसलिए हम लोगों ने यही तय किया कि हम किसीको रुपये-पैसे की मदद न दें। हमने आन्दोलन के शुरू में ही यह बात सबको बता दी थी और किसान लोग हमारी बात के महत्व को अच्छी तरह समझते थे। किसी प्रकार की शिकायत या ऐतराज किये बिना उन्होंने जितनी तकलीफें सही उन्हें देखकर आश्चर्य होता था। जहाँतक हमसे हो सका वहाँतक हमने कुछ व्यक्तियों की अलबत्ते मदद करने की कोशिश की—खासतौर पर उन कार्यकर्ताओं की बीबियों और बच्चों की जो जेल गये थे। इस दुःखी मुल्क की गरीबी का यह हाल है कि एक रुपये महीने की मदद भी इन लोगों के लिए ईश्वरीय देन थी।

युक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी ग़ैर क़ानूनी करार देदी गई थी। फिर भी वह लड़ाई के दौरान में अपने वैतनिक कार्यकर्ताओं को जो थोड़ा बहुत भत्ता देती थी बराबर देती रही। और जब वे जेल चले गये,—जेल तो अपनी-अपनी बारी आने पर

सभी गये थे—तब उनके परिवारों की मदद करती रही। हमारे बजट में इस मद का खर्च बहुत बड़ा था। इसके बाद परचों और पत्रिकाओं को छापने और उनकी कई कापियाँ निकालने का खर्च था। यह खर्च भी बहुत बड़ा था। सफ़र खर्च भी खर्च की एक खास मद थी। इसके अलावा जो ज़िले ज्यादा गरीब थे उन्हें भी कुछ मद दी जाती थी। एक ज़बरदस्त और सब तरह से मोर्चाबन्द सरकार के खिलाफ़ जनता की घमासान लड़ाई के इस वक्त में इन सब खर्चों के और दूसरे खर्चों के बावजूद युक्त-प्रान्त की कांग्रेस कमिटी का जनवरी १९३२ से लेकर १९३३ के अगस्त के अखीर तक का यानी बीस महीने का कुल खर्च सिर्फ़ ६३००० था; यानी करीब-करीब ३१५० रुपया महीना। इस रकम में वह खर्च शामिल नहीं है जो इलाहाबाद, आगरा, कानपुर लखनऊ जैसी ज्यादा आसूदा और ज्यादा मजबूत ज़िलों की कमिटीयों ने अलग किया। सूबे की हैसियत से १९३२ और १९३३ भर युक्तप्रान्त लड़ाई के मैदान में आगे ही रहा और मेरा खयाल है कि हमने जो कुछ कर दिखाया उसे देखते हुए यह बात खाम तौर पर ध्यान देने लायक है कि उसने कितना कम खर्च किया। इस छोटी सी रकम का मुकाबला उम रकम से करना बड़ा दिलचस्प होगा जो सूबे की सरकार ने सत्याग्रह को कुचलने के लिए खासतौर पर खर्च की। यद्यपि मुझे ठीक-ठीक तो नहीं मालूम है फिर भी मेरा खयाल है कि कांग्रेस के कुछ दूमरे बड़े-बड़े सूबों ने हमारे सूबे से कहीं ज्यादा खर्च किया। लेकिन बिहार तो, कांग्रेस की दृष्टि में, अपने पड़ोसी युक्तप्रान्त से भी ज्यादा गरीब सूबा था; फिर भी लड़ाई में उसने जो हिस्सा लिया वह बहुत ही शानदार था।

इस तरह धीरे-धीरे सत्याग्रह की लड़ाई कमज़ोर होती गई; लेकिन फिर भी वह चलती रही, मगर बिना विधेयताओं के नहीं। ज्यो-ज्यो दिन बीतते गये त्यों-त्यों वह आम लोगों की लड़ाई नहीं रही। सरकारी दमन की सख्ती के अलावा इस लड़ाई को सबसे पहली ज़बरदस्त चोट उम वक्त लगी जब सितम्बर १९३२ में गांधीजी ने पहले-पहल हरिजनो के सवाल पर अनशन किया। इस अनशन ने जनता में जाग्रति ज़रूर पैदा की लेकिन उसने उम दूमरी तरफ़ मोड़ दिया। जब मई १९३३ में सत्याग्रह की लड़ाई मुलतवी की गई तब तो वह व्यावहारिक रूप में आखिरी तौर पर मर गई। यों उसके बाद वह जारी तो रही लेकिन विचार में ही, आचार में नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि अगर वह मुलतवी न की जाती तो भी वह धीरे-धीरे खतम हो जाती। हिन्दुस्तान दमन की उग्रता और कठोरता से मुन्न हो गया था। कम-से कम उस वक्त तो तमाम राष्ट्र का धैर्य खत्म हो गया था और नया उत्साह नहीं आ रहा था। वैयक्तिक रूप में तो अब भी ऐसे बहुत से लोग थे जो सत्याग्रह करते रह सकते

थे लेकिन उन लोगों को कुछ-कुछ बनावटी वातावरण में काम करना पड़ता था।

हम लोगों को जेल में रहते हुए यह बात अच्छी नहीं लगती थी कि हमारा महान आन्दोलन इस तरह धीरे-धीरे गिरता जाय। फिर भी हममें से शायद ही कोई यह समझता हो कि हमें क्षुद्र कामयाबी मिल जायगी। यह जरूर है कि इस बात का कुछ-न-कुछ अवसर हमेशा ही था कि अगर आम लोग इस तरह उठ खड़े हों कि उन्हें कोई दबा ही न सके तो चमत्कारिक कामयाबी हो जाती। लेकिन हम ऐसे इत्फाक पर भरोसा नहीं कर सकते थे। इसलिए हम लोग तो एक ऐसी लम्बी लड़ाई के लिए ही तैयार थे जो कभी तेज़ होनी, कभी मही पड़ती और बीच-बीच में कई भुलावो में पड़ जाती। इस लड़ाई से जनता को अनुशासन सिखाने में तथा एक विचार धारा का लगातार प्रचार करने में ज्यादा कामयाबी मिली। १९३२ के उन शुरू के दिनों में तो मैं कभी-कभी इस खयाल में डर जाता था कि कहीं हमें फौरन ही दिखावटी कामयाबी न मिल जाय क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसमें लाजिमी तौर पर कोई राजीनामा होता जिम्की बदौलत राज की बागडोर सरकार-परस्त और मौक़ा परस्त लोगों के हाथ में पहुँच जाती। १९३१ के तजुएबे ने हमारी आँखें खोल दी थीं। कामयाबी तो तभी काम की हो सकती है जब वह ऐसे वक्त पर आवे जबकि लोग आमतौर पर उमका फायदा उठाने के लिए काफ़ी मज़बूत हों और उसके बारे में उनके विचार साफ हों। यदि ऐसा न होगा तो आम लोग तो लड़ेंगे और कुर्बानी करेंगे और जब कामयाबी का वक्त आवेगा तब ऐन वक्त पर दूसरे लोग बड़ी खूबी से आकर जीत के लाभ हड़प लेंगे। इस बात का भारी खतरा था क्योंकि खुद कांग्रेस के इस बारे में निश्चित विचार नहीं थे कि हम लोगों को किम तरह की सरकार या समाज कायम करना चाहिए। न इस बारे में लोगों को साफ-साफ़ कुछ सूझता ही था। सच-मुच कुछ कांग्रेसी तो कभी यह सोचते ही न थे कि सरकार की मौजूदा प्रणाली में कोई ज्यादा हेर-फेर किया जाय। वे तो महज़ यह चाहते थे कि मौजूदा सरकार में ब्रिटिश या विदेशी अंश को निकाल कर उमकी जगह स्वदेशी छाप दे दीजाय।

शुद्ध प्रकार के 'सरकार-परस्त' लोगों से तो हमें कुछ डर नहीं था क्योंकि उनके मज़हब की सबसे पहली बात यह थी कि राज की ताकत जिस किसी के हाथ में हो उसीके सामने सर झुकाया जाय। लेकिन यहाँ तो लिबरलों और प्रतिसहयोगियों तक ने ब्रिटिश सरकार की विचार धारा को करीब-करीब सोलहो आने मंज़ूर कर लिया था। समय समय पर वे जो थोड़ी-बहुत नुकताचीनी कर देते थे वह इसीलिए बिल्कुल बेकार और दो कौड़ी की होती थी। यह बात सबको अच्छी तरह मालूम थी कि ये लोग तो हर हालत में कानून के पाबन्द थे और उसकी वजह से वे कभी सत्याग्रह का

स्वागत नहीं कर सकते थे। लेकिन वे तो इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ गये और बहुत-कुछ सरकार की तरफ जा खड़े हुए। हिन्दुस्तान में सब किस्म की नागरिक आजादी का जो दमन हो रहा था उसे प्रायः चुप-चाप खड़े हुए और कुछ-कुछ डरे हुए दूर से तमाशबीनों की तरह देख रहे थे। असल में दमन का यह सवाल महज सरकार-द्वारा सत्याग्रह का मुकाबला किये जाने और उसके कुचले जाने का ही सवाल नहीं था। वह तो तमाम राजनैतिक जीवन और सार्वजनिक हलचलों को बन्द करने का सवाल था। लेकिन उसके खिलाफ शायद ही किसीने कोई आवाज उठाई ही। जो लोग मामूली तौर पर इन आजादियों के हामी थे वे सबके सब लड़ाई में जुटे हुए थे और उन लोगों ने राज की जबरदस्ती के सामने सर झुकाने से इन्कार करके उसकी सजा भोगी। लेकिन बाकी के लोग तो बुरी तरह दब गये। उन्होंने सरकार की नुकत्ताचीनी में चुं तक नहीं की। जब कभी उन्होंने बहुत ही नरम टीका-टिप्पणी की भी तो ऐसे लहजे से मानो अपने कुमूर की माफ़ी मांग रहे हो और उसके साथ-साथ वे कांग्रेस की और उन लोगों की, जो सत्याग्रह की लड़ाई लड़ रहे थे, बड़ी निन्दा भी करते थे।

पश्चिमी देशों में नागरिकों की आजादी के पक्ष में मजबूत लोकमत बन गया है। इसलिए वहाँ ज्योंही इनमें कमी की जाती है त्योंही लोग बिगड़कर उसकी मुखालिफ़त करते हैं। (शायद अब यह वहाँ भी इतिहास की पुरानी बात हो गई है।) उन मुल्कों में ऐसे लोगों की तादाद बहुत काफी है जो खुद तो कड़ी और सीधी लड़ाई में हिस्सा लेने को तैयार नहीं होते लेकिन इस बात का बहुत काफ़ी खयाल रखते हैं कि बोलने और लिखने की आजादी में, जल्सा करने और संगठन क़ायम करने की आजादी में, व्यक्तिगत और छापेखानों की आजादी में किसी तरह की कमी न होने पावे। इनके लिए वे निरन्तर आन्दोलन करते रहते हैं और इस तरह सरकार द्वारा उनके भंग किये जाने की कोशिशों को रोकने में मदद करते हैं। हिन्दुस्तान के लिबरलों का दावा है कि वे लोग कुछ हद तक ब्रिटिश लिबरलों की परम्परा पर चल रहे हैं हालांकि इन दोनों में नाम के अलावा और कोई बात एकसी नहीं है। फिर भी उनसे यह उम्मीद की जासकती थी कि इन आजादियों के इस तरह दबाये जाने पर वे कम-से-कम कुछ बौद्धिक विरोध ज़रूर करेंगे क्योंकि दमन का असर उनपर भी पड़ता था। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने बॉल्टेअर की तरह यह नहीं कहा कि “आप जो कुछ कहते हैं उससे मैं कतई सहमत नहीं हूँ, लेकिन आपको अपनी बात कहने का हक़ है और आपके इस हक़ को मैं अपनी जान पर खेलकर बचाऊँगा।”

शायद उनको इस बात के लिए दोष देना मुनासिब नहीं है क्योंकि उन लोगों ने

आजादी या लोकतंत्र के रक्षक होने का दावा कभी नहीं किया और उन्हें एक ऐसी हालत का सामना करना पड़ा जिससे एक लफ्ज़ इधर-उधर होजाने पर वे मुसीबत में फँस सकते थे। हिन्दुस्तान में होनेवाले दमन का आजादी के उन पुराने आशिकों यानी ब्रिटिश लिबरलों और ब्रिटिश मजदूर-दल के नये साम्यवादियों पर जो असर पड़ा उसे देखना ज्यादा मुनासिब मालूम होता है। हिन्दुस्तान में जो कुछ हो रहा था वह काफ़ी तकलीफ़देह था। लेकिन वे उस सबको काफ़ी मजबूत के साथ देखते रहे और कभी-कभी तो "मंचेस्टर गाजियन" नामके अखबार के संवाददाता के शब्दों में हिन्दुस्तान में "दमन के वैज्ञानिक प्रयोग" की कामयाबी पर उनकी खुशी जाहिर हो जाती थी। हाल ही में ग्रेटब्रिटेन की राष्ट्रीय सरकार ने राजद्रोह का एक बिल पास करने की कोशिश की है। खास तौर पर लिबरलों और मजदूर दलवालों ने इस बिल के खिलाफ़ और बातों के साथ इस बिना पर बहुत बावैला मचाया है कि वह बोलने की आजादी को कम करता है और मजिस्ट्रेटों को यह अस्व्यार देता है कि वे तलाशी के वारण्ट निकालें। जब-जब मैं इन टीका-टिप्पणियों को पढ़ता तो मैं उनके साथ हमदर्दी करता था लेकिन साथ ही मेरी आँखों के सामने हिन्दुस्तान की तस्वीर नाच उठती और मुझे यह दिखाई देता कि यहाँ तो वाक़ई में जो क़ानून जारी है वे क़रीब-क़रीब उस क़ानून से सौगुने ज्यादा बुरे हैं जिसे 'ब्रिटिश-राजद्रोह-बिल' बनाने की कोशिश कर रहा है। मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता था कि जिनके गले में इंग्लैंड में मच्छर भी अटक जाता है वे हिन्दुस्तान में बिना चू-चपड़ किये अँट को किस तरह निगल जाते हैं। सचमुच मुझे ब्रिटिश लोगों की इस अद्भुत खूबी पर हमेशा आश्चर्य हुआ है जिससे कि वे अपने नैतिक पैमानों को अपने भौतिक स्वार्थों के अनुकूल बना लेते हैं और जिन कामों से उनके साम्राज्य बढ़ाने के इरादों को मदद मिलती है उन सबमें उन्हें धर्म-ही-धर्म दिखाई देता है। आजादी और लोकतंत्र के ऊपर मुसोलिनी और हिटलर जो कुछ हमला कर रहे हैं उसपर उन्हें बड़ा क्रोध आता है और वे निहायत ईमानदारी के साथ उनकी निंदा करते हैं लेकिन उतनी ही ईमानदारी के साथ वे हिन्दुस्तान में आजादी का छीना जाना ज़रूरी समझते हैं और इस बात के लिए ऊँचे-से-ऊँचे नैतिक कारण पेश करते हैं कि इस आजादी के छीनने के काम में उनका अपना कोई स्वार्थ क़तई नहीं है। जब हिन्दुस्तान में चारों तरफ़ आग लग रही थी और मर्दों तथा औरतों की अग्नि-परीक्षा हो रही थी तब यहाँ से बहुत दूर लन्दन में छँटे-चुने हज़ारों हिन्दुस्तान के लिए एक शासन-विधान बनाने को इकट्ठे हुए। १९३३ में तीसरी गोलमेज़-कान्फ़ेन्स हुई और उसके साथ-साथ कई कमिटियाँ बनीं। यहाँ की असेम्बली के बहुत से मेम्बरों ने इन कमिटियों की मेम्बरी के लिए डोरे डाले जिससे

वे निजी आनन्द के साथ सार्वजनिक कर्तव्य का भी पालन करसकें। सार्वजनिक खर्च पर हिन्दुस्तान से लन्दन को काफ़ी भीड़ गई। बाद को १९३३ में वह ज्वाइण्ट कमिटी हुई जिसमें हिन्दुस्तानियों ने असेसरों की तरह काम किया और इस मर्तबा भी जो लोग गवाह के तौर पर गये उनको मेहरबान सरकार ने सफ़र खर्च अपने खजाने से दिया। बहुत से लोग फिर, हिन्दुस्तान की सेवा करने के सच्चे भावों से प्रेरित होकर सार्वजनिक खर्च पर समुद्र पार गये और कहा जाता है कि इनमें से कुछ ने तो ज्यादा सफर खर्च मिलने के लिए कश्मकश भी की।

हिन्दुस्तान के जनता-आन्दोलन का अमली-रूप देखकर डरे हुए स्थापित स्वार्थों के इन प्रतिनिधियों को, साम्राज्यवाद की छत्रछाया में, लन्दन में इकट्ठा होते देखकर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे अन्दर जो राष्ट्रीयता है उसको यह देखकर ज़रूर वेदना हुई कि जब मातृभूमि इस तरह की जिन्दगी और मौत की लड़ाई में लगी हुई हो तब कोई हिन्दुस्तानी इस तरह की हरकत करे। लेकिन एक दृष्टि से हममें से बहुतो को यह मालूम हुआ कि यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि उसने हिन्दुस्तान में प्रतिगामी लोगों को हमेशा के लिए प्रगतिशील लोगों से अलग कर दिया। (उस वक़्त हम यही सोचते थे लेकिन अब मालूम पड़ता है कि हमारा यह खयाल ग़लत था।) इस छँटनी में जनता को राजनैतिक शिक्षा देने में मदद मिलती और सब लोगों के लिए यह बात और भी साफ़ हो जाती कि सिर्फ़ आषादी के ज़रिये से ही हम सामाजिक मसलों को हल कर सकते हैं और जनता के सर का बोझ हटा सकते हैं।

लेकिन इस बात को देखकर अचरज होता था कि इन लोगों ने अपनी रोज़-मर्रा की जिन्दगी में ही नहीं, बल्कि नैतिक और बौद्धिक दृष्टि से भी अपनेको हिन्दुस्तान की जनता में कितना अलग कर दिया है। ऐसी कोई कड़ी न थी जो इनको जनता से जोड़ती। ये न तो जनता को ही समझते थे न उनकी उस भीतरी प्रेरणा को ही जो उन्हें कुर्बानी करने और तकलीफ़ें झेलने के लिए स्फूर्ति दे रही थी। इन नामी राजकाजियों की राय में असलियत सिर्फ़ एक बात में थी। वह थी ब्रिटिश साम्राज्य की वह ताकत जिससे लड़कर उसे हराना ग़ैर-मुमकिन है और इसलिए, जिसके सामने हमें खुशी से या बेबसी से अपना सर झुका देना चाहिए। इन लोगों को यह बात सूझती ही न थी कि भारत की जनता के सद्भाव को अपने साथ लिये बिना हिन्दुस्तान के प्रश्न को हल करना या उसके लिए कोई वास्तविक जीवित विधान बनाना बिल्कुल ग़ैर-मुमकिन था। मि० जे० ए० स्पेंडर ने हाल ही में “हमारे समय का संक्षिप्त इतिहास” (Short History of Our Times) नामक जो किताब लिखी है उसमें १९१० की उस

आइरिश ज्वाइण्ट कान्फ्रेंस की नाकामयाबी की चर्चा की गई है जिसने वैधानिक संकट को खतम करने की कोशिश की थी। उनका कहना है कि जो राजनैतिक नेता संकटकाल के बीच में विधान तलाश करने की कोशिश करते हैं उनकी दशा उन लोगों की सी होती है जो जब मकान में आग लगी हुई है तब उसका बीमा कराने की कोशिश करते हैं। १९३२ और १९३३ में हिन्दुस्तान में जो आग लगी हुई थी वह उस आग से कहीं ज्यादा थी जो आयरलैंड में १९१० में लगी हुई थी और यद्यपि उस आग की ज्वालाये भलेही बुझ जायें फिर भी उसके मुलगते हुए भोले बहुत दिन तक रहेंगे और वे हिन्दुस्तान में स्वाधीनता के संकल्प की तरह गरम और कभी न बुझनेवाले होंगे।

हिन्दुस्तान की शासक-मण्डली में हिंसा-भाव की जो बढ़ती दिखाई देती थी वह चकित कर देनेवाली थी। इस हिंसा की परम्परा पुरानी थी, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने हिन्दुस्तान पर राज ज्यादातर पुलिस-राज की तरह किया है। मुल्की हाकिमों का भी सबसे जबर्दस्त दृष्टिकोण फौजी ही रहा है। उनकी हुकूमत में यह बात प्रायः हमेशा रही है जो विजित देश पर कब्जा करके पड़ी हुई गैर-मुस्लिम फौज की हुकूमत में रहती है। अपनी मौजूदा व्यवस्था को गम्भीर चुनौती मिलते ही उनकी यह मनोवृत्ति और भी ज्यादा बन गई। बंगाल में और दूसरी जगह आनकवादियों ने जो काण्ड किये उनसे इस हिंसा को और भी खुराक मिली और शासकों को अपने हिंसात्मक कार्यों के लिए थोड़ा-बहुत बहाना मिल गया। सरकार की नीति ने और तरह-तरह के आर्डिनेन्सों ने सरकारी अफसरों और पुलिस को इतने बेहिसाब अस्त्रधार दे दिये कि हिन्दुस्तान असल में एक पुलिस राज ही हो गया, जिसमें पुलिस के लिए न कोई रोक थी न पूछ।

थोड़ा या बहुत मात्रा में हिन्दुस्तान के सभी सूबों को इस भीषण दमन की आग में होकर गुजरना पड़ा, लेकिन सरहदी सूबे और बंगाल को सबसे ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ी। सरहदी सूबा तो हमेशा से मुख्यतः फौजी सूबा रहा है। उसका इन्तजाम अर्ध-फौजी कायदों के मुताबिक होता है। युद्ध-कार्य के लिहाज से यो उसका बहुत महत्त्व पहले ही से था। अब लाल कुर्ती के आन्दोलन से तो सरकार एकदम घबड़ा गई। इस सूबे में 'अमन कायम करने के लिए' और 'झगड़ालू गांवों को' दुखस्त करने के लिए फौजों की टुकड़ियां छोड़ी गई थी। हिन्दुस्तानभर में यह आम रिवाज हो गया था कि सरकार गांव-के-गांवों पर ज़ुर्माना ठोक देती थी और कभी-कभी (खास तौर पर बंगाल में) कस्बों पर भी। सजा के तौर पर पुलिस अक्सर गांवों में डाल दी जाती थी और जब पुलिस को अनाप-शनाप अस्त्रधार हासिल थे और उन्हें रोकनेवाला कोई न था तब पुलिस की ओर से ज्यादातियां होना लाजिमी था। हम लोगों

को कानून और व्यवस्था के भंग और अव्यवस्था के नमूने खूब देखने को मिले ।

बंगाल के कुछ हिस्सों में तो बहुत ही ग़ैर मामूली बातें दिखाई देती थीं । सरकार तमाम आबादी के—सही बात तो यह है कि हिन्दुओं की आबादी के—साथ दुश्मनों का-सा बर्ताव करती और बारह से लेकर पच्चीस बरस तक के हर शस्त्र को फिर चाहे वह मर्द हो या औरत, लड़का हो या लड़की शनास्त का कांड लेकर चलना पड़ता था । लोगों के झुंड-के-झुंड को देश निकाला दिया जाता था या नज़र बन्द कर दिया जाता था । उनकी पोशाक पर और उनके स्कूलों का नियमन सरकार करती थी । जब सरकार चाहती स्कूलों को बन्द कर देती । साइकिलो पर चढ़ने की मनाही थी और कहीं आते-जाते वक्त पुलिस को अपने आने-जाने की इत्तिला देनी पड़ती थी । इसके अलावा दिन छिपे बाद घर से न निकलने के लिए और रात के लिए तथा दूसरी बातों के लिए क़ायदे और क़ानूनों की भरमार थी । फ़ौजें पेट्रोल करती थी, ताजीरी पुलिस तैनात करदी जाती थी और गाँव भर पर जुर्माने होते थे । बड़े-बड़े रक़बे ऐसे मालूम पड़ते थे मानों उनपर हमेशा के लिए घेरा डाल लिया गया हो । इन क़सबों में रहनेवाले औरत-मर्दों की ऐसी कड़ी निगरानी होती थी कि उनकी हालत उन लोगों से बेहतर न थी जो छुट्टी के टिकिट लिये बिना आ-जा नहीं सकते । इस बात का फ़ैसला करना मेरा काम नहीं है कि आया ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण से यह सब अद्भुत क़ायदे क़ानून ज़रूरी थे या नहीं । अगर वे ज़रूरी नहीं थे तो सरकार पर यह भारी इलज़ाम आता है कि उसने सारे इलाक़े की आज़ादी को बेइज्जत करने, उनपर जु़लूम करने और उन्हें भारी नुक़सान पहुँचने का भारी कुसूर किया । अगर वे ज़रूरी थे तो बेशक हिन्दुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत के बाबत यह अखिरी फ़ैसला है जिससे उसकी बुनियाद का पता लग जाता है ।

सरकार के हिंसा के इस भाव ने ज़ेलों में भी हमारे लोगों का पीछा किया । क़ैदियों का अलग-अलग श्रेणियों में बँटवारा एक फ़ार्स था और अक्सर उन लोगो को बेहद तकलीफ़ होती थी जो ऊँचे दर्जों में रक्खे जाते थे । ये ऊँचे दर्जें बहुत ही कम लोगों को मिले और बहुत से मानी तथा मृदुल स्वभाव के मर्दों और औरतों को ऐसी हालत में रहना पड़ा जो लगातार एक यन्त्रणा थी । ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार की यह निश्चित नीति थी कि वह राजनैतिक क़ैदियों को मामूली क़ैदियों से भी ज्यादा बुरी तरह रक्खे । ज़ेलों के इन्स्पैक्टर जनरल ने तो यहां तक किया कि सब ज़ेलों का नाम एक गुप्त गश्ती-चिट्ठी जारी की जिसमें यह कहा गया कि सत्याग्रही क़ैदियों के साथ कड़ाई का बर्ताव होना चाहिए ।'

१. इस ग़ाज़ी चिट्ठी पर ३० जून १९३३ तारीख़ पढ़ी थी और उसमें यह लिखा

बैतों की सजा जेल की आम सजा हो गई। २७ अप्रैल १९३३ को भारत के उप-सचिव ने कामन-सभा में कहा कि "सर सेम्युअल होर को यह बात मालूम है कि हिन्दुस्तान में १९३२ के सत्याग्रह से ताल्लुक रखनेवाले जुर्मों के सिलसिले में कोई पाँचसौ शरुसों के बैत लगे हैं।" इसमें यह बात साफ़ नहीं है कि आया उसमें वे लोग भी शामिल हैं जिनको जेलों में जेल के क़ायदे तोड़ने के लिए बैतों की सजा दी गई। १९३२ में जेलों में बैत लगने की ख़बरें जब हमारे पास अक्सर आने लगीं तब मुझे याद आई कि हम लोगों ने दिसम्बर १९३० में बैतों की सजा की एक या दो फ़ुटकर मिसालों के विरोध में तीन दिन तक उपवास किया था। उस वक़्त इस सजा की पाश-विकता से मुझे भारी चोट पहुँची थी और इस वक़्त भी मुझे बार-बार चोट पहुँचती थी और मेरे दिल में बड़ी टीसें उठनी थी लेकिन मुझे यह नहीं सूझा कि इस बार फिर उसके विरोध में अनशन करना चाहिए क्योंकि मैंने इस बार इस मामले में अपने को पहले से कहीं ज्यादा बेबस पाया। कुछ समय के बाद मन पाशविकता के प्रति जड़-सा हो जाता है। किसी बुरी बात को आप ज्यादा देर तक जारी रखिए और दुनिया उसकी आदी हो जायगी।

हमारे आदमियों को जेल में कड़ी से कड़ी मशक्कत दी गई जैसे—चक्की, कोल्हू वगैरा। और उनसे माफ़ी मंगवाकर तथा सरकार के सामने यह अहद कराकर, कि हम आइन्दा ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें छुड़वाने के लिए, जहाँ तक हो सका वहाँ तक उनकी ज़िन्दगी हराम करने की, कोशिश की गई। क़ैदियों से इस तरह माफ़ी मंगवाना जेल के हाकिमों के लिए बड़े गौरव की बात मानी जाती थी। जेल में ज्यादातर सज़ायें उन लड़कों और नौजवानों को भोगनी पड़ी जो घास, दबाव और बेइज़्जती बरदाश्त करने को तैयार न थे। ये लड़के निहायत अच्छे और जीवटवाले थे। स्वाभिमान, ज़िन्दादिली तथा साहसी वृत्ति से भरे हुए इंग्लैंड के पब्लिक स्कूलों में इस तरह के लड़कों की बेहद तारीफें होती, उन्हें हर तरह की शाबाशी दी जाती। लेकिन यहाँ हिन्दुस्तान में उनकी युवकोचित आदर्शवादिता और उनके स्वाभिमान ने उनके हथकड़ियाँ पड़वाईं, उन्हें काल-कोठरियों में बन्द करवाया और उनके बैत लगवाये।

जेलों में हमारी महिलाओं की ज़िन्दगी तो ख़ास तौर पर दुःखमय थी। ऐसी हुआ था:—“जेल के उपरिन्टेन्डेंटों और उसके मातहत कर्मचारियों के लिए इन्स्पेक्टर जनरल इस बात पर जोर देते हैं कि सत्याग्रही क़ैदियों के साथ उनके महज़ सत्याग्रही होने की वजह से रिआयती बतौच करने की कोई वजह नहीं है। इस दज के क़ैदियों को अपनी-अपनी जगहों में रखना चाहिए और उनके साथ खूब सख्ती से पेश आना चाहिए।”

दुःखमय कि उसका खयाल करने में भी तकलीफ़ होनी है। ये स्त्रियाँ ज्यादातर मध्यम श्रेणी की थीं जो छत्रछाया के जीवन में रहने की आदी थीं और उन तरह-तरह के दमनो और रिवाजों से सताई हुई, जो मर्दों ने अपने आधिपत्यवाले समाज में अपने फ़ायदे के लिए बनाये हैं। इन स्त्रियों के लिए आज़ादी की पुकार हमेशा दुहरे मानी रखती थी और इस बात में कोई शक नहीं कि जिस जोश और जिस ताक़त के साथ वे आज़ादी की लड़ाई में कूदी उनका लोत उस धुंधली और लगभग अज्ञात लेकिन फिर भी उत्कट आकांक्षा में था जो उनके मन में घर की गुलामी से अपने को बचाने के लिए बसी हुई थी। इनमें से बहुत कम को छोड़कर बाकी सबको मामूली कैदियों के दर्जे में रक्खा गया और उनको बहुत ही पतित साथियों के साथ और अक्सर उन्ही-की सी त्रिनोनी हालत में रक्खा गया। एक मर्तबा में एक ऐसी बैरक में रक्खा गया जो औरतों की बैरक से सटी हुई थी। दोनों के बीच में एक दीवार ही थी। औरतों के अहाते में, दूसरी कैदियों के साथ-साथ कुछ राजनैतिक कैदिने भी थी और इनमें एक स्त्री वह थी जिसके घर में मैं एक मर्तबा ठहरा था और जिसने मेरा आतिथ्य-मत्कार किया था। यद्यपि एक ऊँची दीवार हमें एक दूसरे से अलग कर रही थी तो भी वह उन बातों और गालियों को सुनने से नहीं रोक पाती थी जो हमारी साथियों को कैदी-नम्बरदारियों से सुननी पड़ती थी। इन्हें सुनकर मुझे बड़ा रज होता था।

यह बात खास तौर पर ध्यान देने लायक है कि १९३० और १९३३ के राजनैतिक कैदियों के साथ जो बर्ताव किया गया वह उससे कहीं ज्यादा बुरा था जो दो बरस पहले सन् १९३० में किया गया था। यह बात महज़ जेल हाकिमों की सुनको की वजह से नहीं हो सकती थी। इसलिए उसकी बाबत एक मात्र माकूल नतीजा यही निकलता है कि यह सब सरकार की निश्चित नीति की वजह से हुआ। राजनैतिक कैदियों के अलावा भी, युक्त प्रान्तीय सरकार के जेल के महकमे की यह तारीफ़ थी कि वह कैदियों के साथ इन्सानों का-सा बर्ताव करने की हर बात के सख्त खिलाफ़ होने के लिए मशहूर था। इस बात की ऐसी हमें एक मिमाल मिली जिसके बारे में कोई शक हो ही नहीं सकता। एक मर्तबा एक बहुत नामी जेल निरीक्षक हम लोगों के पास जेल में आये। यह महाशय बागी या हम लोगों की तरह राजद्रोह फैलानेवाले न थे बल्कि वह 'सर' थे। उनको सरकार ने खुश होकर खिताब दिया था। उन्होंने हमसे कहा कि "कुछ महीने पहले मैंने एक दूसरी जेल निरीक्षण किया था; और अपने निरीक्षण के नोट में यह लिख दिया था कि जेलर हकूमत रखते हुए भी इन्सानियत से काम लेता है। उस जेलर ने मुझसे प्रार्थना की कि मेरी इन्सानियत की बाबत कुछ न लिखिए क्योंकि सरकार की मण्डली में इन्सानियत अच्छी निगाह से नहीं देखी जाती।

लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ा रहा, क्योंकि मैं कभी यह क्रयास ही नहीं कर सकता था कि इस बात के पीछे जेलर को कुछ नुकसान पहुँच सकता है। नतीजा यह हुआ कि फौरन ही एक बहुत दूर कहीं कोने में पड़ी हुई एक जेल में जेलर का तबादला कर दिया गया, जो उसके लिए एक किस्म की सजा ही थी।”

कुछ जेलर खास तौर पर खूंखार थे और न्याय-नीति की परवा न करते थे। उनको खिताब दिये गये तथा उनकी तरक्की की गई। जेलों में बेईमानी और रिश्वत-खोरी तो इतनी चलती है कि शायद ही कोई उससे पाक-साफ रहता हो। लेकिन मेरा अपना और मेरे बहुत-से दोस्तों का तजुर्बा है कि जेल के कर्मचारियों में वही लोग सबसे ज्यादा बेईमान और रिश्वतखोर होते हैं जो आम तौर पर टुकूमत के बहुत जबरदस्त और सख्त हामी बनते हैं।

जेलों में और जेल से बाहर में खुशकिस्मत रहा हूँ और करीब-करीब जितने लोगो से मेरा वास्ता पड़ा उन सबने मेरे साथ इज्जत व शराफत का बर्ताव किया, उस हालत में भी जब कि शायद मैं उसका पात्र न था। लेकिन जेल की एक घटना से मुझे और मेरे परिवारवालों को सख्त तकलीफ हुई। मेरी मां, कमला और मेरी लड़की इंदिरा इलाहाबाद जिला जेल में मेरे वहनोई रणजीत पण्डित से मिलने के लिए गईं और वहाँ बिना कूसूर ही जेलर ने उनका अपमान किया और उन्हें जेल से बाहर धकेल दिया। जब मैंने यह बात सुनी तो मुझे बड़ा रज हुआ और जब मुझे यह मालूम हुआ कि प्रान्तीय सरकार का रुख भी इस मामले में अच्छा नहीं है तब मुझे भारी धक्का लगा। अपनी मा को जेल-अधिकारियों द्वारा अपमानित किये जाने की सम्भावना से बचाने के लिए मैंने तय कर लिया था कि मैं किसीसे मुलाक़ात नहीं करूँगा। करीब-करीब सात महीने तक, जब मैं देहरादून जेल में था, मैंने किसीसे मुलाक़ात नहीं की।

जेल में मानसिक उतार-चढ़ाव

हममें से दो का, मेरा और गोविन्दवल्लभ पन्त का, तबादला बरेली-जेल से देहरादून को साथ-साथ किया गया। कोई प्रदर्शन न होने पाये, इस बात का बचाव करने के लिए हम लोगों को बरेली में गाड़ी पर नहीं बिठाया गया। बल्कि वहाँ से ५० मील की दूरी पर एक रास्ते के स्टेशन पर ले जाकर वहाँ गाड़ी में बिठाया गया। हम लोग रात को चुपचाप मोटर में लेजाये गये। कई महीने तक अलग जेल में बन्द रहने के बाद रात की उस ठंडी हवा में मोटर के सफर से हमें अनोखा आनन्द आया।

बरेली-जेल से जाने के पहले एक छोटा-सा वाकया हुआ, जिसने उस वक्त तो मेरे दिल पर असर डाला ही लेकिन अबतक भी वह मेरी याद में तरोताजा है। बरेली-पुलिस का सुपरिन्टेन्डेंट जो कि एक अंग्रेज था, वहाँ मौजूद था और ज्योंही मैं कार में बैठा त्योंही उसने कुछ-कुछ सकुचाते हुए मुझे एक पैकेट दिया जिसमें, उसने मुझे बताया कि, जर्मनी के पुराने सचित्र मामिक पत्रों की कारियाँ थी। उसने कहा कि मैंने सुना है कि आप जर्मन सीख रहे हैं इसलिए मैं ये मामिक पत्र आपके लिए ले आया हूँ। इससे पहले मेरी-उसकी मुलाकात कभी नहीं हुई थी और न उस दिन के बाद मैं आजतक उससे कभी मिला। मैं उसका नाम भी नहीं जानना। लेकिन मेरे दिल पर उसके स्वेच्छा-प्रेरित सौजन्य का और उस कृपा-भाव का, जिसने उसे इसकी प्रेरणा की, बहुत असर पड़ा और अपने मन में मैं उसके प्रति बहुत ही कृतज्ञ हुआ।

आधी रात के उस लंबे सफर में मैं अंग्रेजों और हिन्दुस्तानियों, शासकों और शासितों, सरकारी और गैर-सरकारी लोगों, सत्ताधारियों और उन लोगों के कि जिन्हें उनके हुक्म मानने पड़ते हैं, आपसी ताल्लुकात के बारे में तरह-तरह की बातें सोचता रहा। इन दोनों वर्गों के बीच में कमी गहरी खाई है, और ये दोनों एक-दूसरे पर कितना शक कर रहे हैं तथा एक-दूसरे को कितना नापसंद करते हैं ? लेकिन इस अविश्वास और नापसंदी से भी ज्यादा बड़ी बात एक दूसरे की बाबत नाजानकारी है। इसी नाजानकारी की वजह से दोनों एक-दूसरे से डरते हैं और एक-दूसरे की मौजूदगी में हर वक्त चौकन्ने रहते हैं। हरेक को दूसरा शक्स कुछ अनमना, खिचा हुआ और मित्र-भाव से हीन मालूम होता है और दोनों में एक भी यह नहीं महसूस करता कि इस आवरण के अन्दर शिष्टता और सौजन्य भी है। अंग्रेज हिन्दुस्तान पर राज करते हैं

और लोगों को सहायता तथा सहारा देने के साधनों की उन्हें कमी नहीं है। इसलिए उनके पास मौकापरस्त और नौकरियों की तलाश में गिड़गिड़ाते फिरनेवाले लोगों की भीड़ पहुँचा करती है। हिन्दुस्तान के बारे में अपनी राय वे इन्हीं भद्दे नमूनों से बनाते हैं। हिन्दुस्तानियों ने अंग्रेजों को सिर्फ हाकिमों की ही हैसियत से काम करते देखा है और इस हैसियत से काम करते हुए उनमें सोलहों आने मशीन की-सी हृदयहीनता होती है और वे सब मनोविकार होते हैं जो स्थापित स्वार्थ रखनेवालों में अपनी रक्षा करने की कोशिश करते वक्त होते हैं। एक व्यक्ति की हैसियत से और अपनी मौज के मुताबिक काम करनेवाले शस्त्र के बर्ताव में और उस बर्ताव में, जिसे एक शस्त्र हाकिम की या सेना की एक इकाई की हैसियत से करता है, कितना फर्क होता है? फौजी जवान तो अकड़कर अटेन्शन होते वक्त अपनी इन्सानियत को फेंक देता है और एक मशीन की तरह काम करते हुए उन लोगों पर निशाना ताककर उन्हें मार गिराता है, जिन्होंने उसका कभी कोई नुकसान नहीं किया। मैंने सोचा कि यही हाल उस पुलिस अफसर का है, जो एक शस्त्र की हैसियत से बेरहमी का कोई काम करते हुए शिक्षकेगा लेकिन दूसरे ही दिन बेकुमूर लोगों पर लाठी-चार्ज करा देगा। उस वक्त वह अपनेको एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता और न वह उस भीड़ को ही व्यक्तियों की शकल में देखता है जिन्हें वह डडों से मारता है या जिनपर वह गोली चलाता है।

ज्योंही कोई शस्त्र दूसरे पक्ष को भीड़ या समूह के रूप में देखने लगता है, त्योंही दोनों को मिलानेवाली इन्सानियत की कड़ी गायब हो जाती है। हम लोग यह भूल जाते हैं कि भीड़ में वही शस्त्र, मर्द और औरत और बच्चे होते हैं, जिनमें मुहब्बत और नफ़रत के भाव होते हैं तथा जो तकलीफ महसूस करते हैं। एक औसत अंग्रेज अगर साफ-साफ बात कहे तो यह मज़ूर करेगा कि हिन्दुस्तानियों में कुछ आदमी काफ़ी भले भी हैं; लेकिन ये लोग तो अपवाद-स्वरूप हैं, और कुल मिलाकर तो हिन्दुस्तानी एक घिनौने लोगो की भीड़ भर है। औसत हिन्दुस्तानी भी यह मंज़ूर करेगा कि कुछ अंग्रेज जिन्हे वह जानता है तारीफ के क़ाबिल हैं, लेकिन इन थोड़े-से लोगों को छोड़कर बाकी के अंग्रेज बड़े ही घमंडी, पाशविक और सोलहों आने बुरे आदमी हैं। यह बात कैसी अजीब है कि हर शस्त्र दूसरी क़ौम की बाबत अपनी राय किस तरह बनाता है? उन लोगो के आधार पर नहीं जिनके वह ससर्ग में आता है, बल्कि उन दूसरे लोगों के आधार पर जिनके बारे में या तो वह कुछ नहीं जानता या कुछ नहीं के बराबर ही जानता है।

जाती तीर पर तो मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ और करीब-करीब हमेशा ही मेरे साथ सब लोग शराफ़त से पेश आये हैं, फिर चाहे वे अंग्रेज हों या मेरे अपने

देश-भाई । मेरे जेलरो और उन पुलिसमैनों ने भी, जिन्होंने मुझे गिरफ्तार किया था जो मुझे क़ैदी की हैसियत से एक जगह से दूसरी जगह ले गये, मेरे साथ मेहरबानी का बर्ताव किया और इस इन्सानियत की पुट की वजह से मेरे जेल-जीवन के संघर्ष की कटुता और तीव्रता बहुत कुछ कम हो गई थी । यह कोई अचरज की बात नहीं है कि मेरे अपने देश-भाइयों ने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया, क्योंकि उनमें तो एक हद तक मेरा नाम हो गया था और मैं उनमें लोकप्रिय था । पर अंग्रेजों के लिए भी मैं एक व्यक्ति था, सिर्फ़ भीड़ का एक हिस्सा ही नहीं । मेरा खयाल है कि इस बात ने कि मैंने अपनी तालीम इंग्लैण्ड में पाई और खास तौर पर इस बात ने कि मैं इंग्लैण्ड के एक पब्लिक स्कूल में रहा, मुझे उनके नज़दीक ला दिया और इन कारणों से वे मुझे कम-बढ़ अपने ही नमूने का शाइस्ता आदमी समझे बिना नहीं रह सकते थे, फिर चाहे उन्हें मेरे सार्वजनिक काम कैसे ही उल्टे क्यों न मालूम पड़ें । जब मैं अपने इस बर्ताव का मुकाबिला उस ज़िन्दगी से करता हूँ जो मेरे ज्यादातर साथियों को भोगनी पड़ती थी, तब मुझे अपने साथ होनेवाले इस विशेष अच्छे बर्ताव पर कुछ शर्म और ज़िल्लत-सी महसूस होती है ।

ये जितने सुभीते मुझे मिले हुए थे उन सबके होने हुए भी जेल जेल ही थी और कभी-कभी तो उसका पीड़क वातावरण प्रायः असह्य हो जाता था । उसकी हवा खुद हिंसा, कभीनेपन, रिश्वतखोरी और झूठ से भरी हुई थी । वहाँ कोई गालियाँ देता था तो कोई गिड़गिड़ाता था । तुनक-मिज़ाजवाले हर शख्स को लगातार मानसिक सन्ताप में रहना पड़ता था, कभी-कभी ज़रा-ज़रासी बातों से ही लोग उखड़ जाते । चिट्ठी में कोई खराब खबर आ जाती या अखबार में ही कोई बुरी खबर निकलती तो हम लोग कुछ देर के लिए गुस्से या फ़िक् से बड़े परेशान हो जाते थे । बाहर तो हम लोग हमेशा काम में लगकर अपने दुःखों को भूल जाते थे । वहाँ तो तरह-तरह की दिलचस्प बातों और कामों की वजह से शरीर और मन की समतलीलता कायम रहती थी । जेल में ऐसा कोई रास्ता नहीं था । हम लोग ऐसा महसूस करते थे मानों हम बोतल में बन्द कर दिये गये हों और दबाकर रख दिये गये हों और इसलिए जो कुछ होता उसकी बाबत लाज़िमी तौर पर हमारी राय इकतरफा और कुछ हद तक तोड़ी-मरोड़ी हुई होती थी । जेल में बीमारी खास तौर से दुःखदायी होती है ।

फिर भी मैंने अपनेको जेल की रोज़मर्रा की ज़िन्दगी का आदी बना लिया, और शारीरिक कसरत तथा कड़ा मानसिक काम करके मैंने अपनेको ठीक-ठीक रक्खा । काम और कसरत की बाहर कुछ भी क़ीमत ही, जेल में तो वे लाज़िमी थे । क्योंकि उनके बिना वहाँ कोई अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को कायम नहीं रख

सकता। मैंने अपना एक टाइम-टेबल बना लिया था, जिसका मैं सख्ती के साथ पालन करता था। मिसाल के लिए, अपनेको बिलकुल ठीक रखने के लिए, मैं रोज हजामत बनाता था (हजामत के लिए मुझे सैफटी रेजर मिला हुआ था)। मैंने इस छोटी-सी बात का जिक्र इसलिए किया है कि आम तौर पर लोगों ने इन आदतों को छोड़ दिया और वे कई बातों में ढीले पड़ गये थे। दिनभर कड़ा काम करने के बाद वाम को मैं खूब थक जाता और मज्जे से नींद का स्वागत करता।

इस तरह दिनों के बाद दिन, हफ्तों के बाद हफ्ते और महीनों के बाद महीने गुजर गये। कभी-कभी ऐसा मालूम पड़ता था कि महीना बुरी तरह चिपक गया है और वह खत्म ही नहीं होना चाहता। और कभी-कभी तो मैं हर चीज और हर शख्स से ऊब जाता, सबपर गुस्मा करता, सबसे खीज उठता, फिर वे चाहे जेल के मेरे साथी हो और चाहे जेल के कर्मचारी। ऐसे वक्त पर मैं बाहर के लोगों पर भी इसलिए खीज उठता था कि उन्होंने यह काम क्यों किया या यह काम क्यों नहीं किया? ब्रिटिश-साम्राज्य से तो हमेशा ही खीजा रहता था। लेकिन ऐसे वक्त पर औरों के साथ-साथ और सबसे ज्यादा, मैं अपने ऊपर भी खीज उठता था। इन दिनों मैं बहुत चिड़चिड़ा भी हो जाता, और जेल की जिन्दगी में होनेवाली ज़रा-ज़रा-सी बातों पर बिगड़ उठता था। खुशकिस्मती यह थी कि मेरा मिजाज ज्यादा दिनों तक ऐसा नहीं रहता था।

जेल में मुलाक़ात का दिन बड़ी खुशी का दिन होता था। हम लोग मुलाक़ात के दिनों की कैसी हवाहिश करते थे? उनके लिए कैसा इन्तज़ार करते थे तथा उनके लिए दिन गिना करते थे। लेकिन मुलाक़ात की खुशी के बाद उसकी अनिवार्य प्रतिक्रिया भी होती और फिर शून्यता और अकेलेपन का राज हमारे दिल में छा जाता। अगर, जैसा कि कभी-कभी होता था, मुलाक़ात कामयाब नहीं हुई, इसलिए कि मुझे कोई ऐसी खबर मिली जिससे मैं बिगड़ गया या और कोई अन्य ऐसी ही बात हुई, तो मैं बाद को बहुत ही दुःखी हो जाता था। हाँ, मुलाक़ात के वक्त जेल के कर्मचारी तो मौजूद रहते ही थे। लेकिन बरेली में तो दो या तीन मर्तबा उनके साथ-साथ सी० आई० डी० का आदमी भी हाथ में कागज़ और पेन्सिल लिये मौजूद रहा, जो हमारी बातचीत के करीब-करीब हरेक हरफ़ को बड़े उत्साह से लिख रहा था। यह बात मुझे बहुत ही नागवार मालूम हुई और ये मुलाक़ातें बिलकुल बेकार गईं।

पहले इलाहाबाद-जेल में मुलाक़ात करते हुए और उसके बाद सरकार की तरफ से मेरी माँ और पत्नी के साथ जो बर्ताव हुआ था उसकी वजह से मैंने मुलाक़ातें करना बन्द कर दिया था। करीब-करीब सात महीने तक मैंने किसीसे मुलाक़ात नहीं

की। मेरे लिए यह वक्त बहुत ही मनहूस था और जब इस वक्त के बाद मैंने यह तय किया कि मुझे मुलाकात करना शुरू कर देना चाहिए और उसके फलस्वरूप जब मेरे लोग मुझसे मिलने आये तब मैं आनन्द से झूमने लगा था। मेरी बहन के छोटे-छोटे बच्चे भी मुझसे मिलने को आये थे। उनमें से एक छोटा-सा बच्चा मेरे कन्धों पर चढ़ने का आदी था। यहाँ भी जब उसने मेरे कन्धे पर चढ़ना चाहा तो मेरे भावों का बांध टूट गया। मानवी संसर्ग के लिए एक लम्बी चाह के बाद गृह-जीवन के इस स्पर्श से मैं अपने को सम्हाल न सका।

जब मैंने मुलाकात करना बन्द कर दिया था तब घर से या दूसरी जेलों से आनेवाले खत (क्योंकि मेरी दोनों बहनें जेल में थीं) जो हमें हर पन्द्रहवें दिन मिलते थे और भी क्रीमती हो गये, और मैं उनकी बाट बड़ी उत्सुकता से देखा करता था। आम मुकर्ररा तारीख को कोई खत न आता तो मुझे बड़ी चिन्ता सवार हो जाती। लेकिन साथ ही जब खत आते तब मुझे उन्हें खोलने हुए डर-सा लगता था। मैं उनके साथ उसी तरह खिलवाड़ करता जिस तरह कोई इत्मीनान के साथ आनन्द की चीज़ से करता है। साथ ही मेरे मन में कुछ-कुछ यह डर भी रहता था कि कहीं खत में कोई ऐसी खबर या बात न हो कि मुझे दुःख हो। जेल में खतों का आना या जेल में खत लिखना दोनों ही वहाँ के शान्तिमय और स्थिर जीवन में खलल डालते थे। वह मन में भावों को जगाकर बेचैनी पैदा करता था और उसके बाद एक या दो दिन तक मन दुःखित हो जाता और उसे रोजमर्रा के काम में जुटाना मुश्किल हो जाता था।

नैनी और बरेली जेल में तो मेरे बहुत-से साथी थे। देहरादून में गुरू-शुरू में हम सिर्फ़ तीन ही थे। मैं, गोविन्दवल्लभ पन्त और काशीपुर के कुँवर आनन्दसिंह। लेकिन पन्तजी तो कोई दो महीने बाद छोड़ दिये गये, क्योंकि उनकी छ. महीने की सजा खत्म हो गई थी। इसके बाद हमारे दो और साथी हमसे आ मिले थे। लेकिन जनवरी १९३३ लगी ही थी कि मेरे सब साथी चले गये और मैं अकेला ही रह गया। अगस्त के अखीर में जेल से छूटने तक, करीब-करीब आठ महीने तक, देहरादून-जेल में मैं बिलकुल अकेला रहता था। हर रोज़ कुछ मिनट तक किसी जेल-कर्मचारी के अलावा कोई ऐसा न था जिससे मैं बात-चीत भी कर लिया करता। क़ानून की रू से यह तनहाई न थी। लेकिन वह उससे मिलती-जुलती थी। इसलिए ये बड़ी मनहूसी के दिन रहे। खुश-किस्मती से इन दिनों मैंने मुलाकात करना शुरू कर दिया था। उनसे मेरा दुःख कुछ हल्का हो गया था। मेरा खयाल है कि मेरे साथ यह खास रिआयत की गई थी जो मुझे बाहर से भेजे हुए ताजे फूल लेने की और कुछ फ़ोटो रखने की इजाज़त थी। इन बातों से मुझे काफ़ी तसल्ली मिलती थी। मामूली तौर पर क़ैदियों को फूल या

फोटो रखने की इजाजत नहीं है। कई मीकों पर मुझे वे फूल नहीं दिये गये जो बाहर से मेरे लिए लाये गये थे। अपनी कोठरियों को खुशनुमा बनाने की हमारी कोशिशें रोकੀ जाती थीं। मुझे याद है कि मेरे एक साथी ने, जो मेरे पड़ोस की कोठरी में रहता था, अपने शीशे, कंचे वगैरा चीजों को जिस तरह सजाकर रक्खा था उसपर जेल के सुपरिन्टेण्डेंट ने ऐतराज किया था। उनसे कहा गया कि वह अपनी कोठरी को आकर्षक और 'विलासिता-पूर्ण' नहीं बना सकते। विलासता की ये चीजें थी—दांतों का एक ब्रश, दांतों का एक पेस्ट, फाउण्डेनपेन की स्याही, सिर में लगाने के तेल की बोतल, एक ब्रश और कंची, और शायद एक या दो छोटी-छोटी चीजें और।

जेल में हम लोग जिन्दगी की छोटी-छोटी चीजों की कीमत को समझने लगे थे। वहाँ तो हमारा सामान इतना कम होता था और उसे हम न तो आसानी से बढ़ा ही सकते थे न उसकी जगह दूसरी चीजे ही मगा सकते थे, इसलिए हम उसे बड़ी होशियारी से रखते थे, और ऐसी इक्की-दुक्की छोटी-छोटी चीजों को बटोर कर रखते थे जिन्हें जेल से बाहर की दुनिया में हम रद्दी की टोकरी में फेंका करते थे। इस प्रकार जब हमारे पास मिलकियत रखने को कोई चीज नहीं होती तब भी तो जायदाद और मिलकियत का खयाल हमारा पीछा नहीं छोड़ता !

कभी-कभी जिन्दगी की मुलायम चीजों के लिए शरीर अकुला उठता, शारीरिक सुख-भोग, आनन्दप्रद अड़ोस-पड़ोस, दोस्तों के साथ दिलचस्प बातचीत और बच्चों के साथ खेलने की इच्छा जोर पकड़ जाती थी। किसी अखबार में किसी तस्वीर या फोटो को देखकर पुराना ज़माना सदेह सामने आ खड़ा होता—उन दिनों की बातें जब जवानी में किसी बात की फिकर न थी। ऐसे वक़्त पर घर की याद की बीमारी बुरी तरह जकड़ लेती और वह दिन बड़ी बेचैनी के साथ कटता !

मैं हर रोज़ थोड़ा-बहुत काता करता था, क्योंकि मुझे हाथ का कुछ काम करने से तसल्ली मिलने के साथ-साथ बहुत ज्यादा दिमागी काम से कुछ छुट्टी भी मिल जाती थी। लेकिन मेरा खास काम लिखना और पढ़ना ही था। मैं जिन-जिन किताबों को पढ़ना चाहता था वे सब तो मुझे मिल नहीं पाती थी, क्योंकि उनपर रोक थी और वे सेंसर होती थीं। किताबों को सेंसर करनेवाले लोग हमेशा अपने काम के योग्य नहीं होते थे। स्पैंगलर की Decline of the West नामक किताब इसलिए रोक ली गई थी कि उसका नाम खतरनाक और राजद्रोहात्मक मालूम होता था। लेकिन मुझे इस सिलसिले में किसी क्रिस्म की शिकायत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कुल मिलाकर मुझे तो सभी क्रिस्म की किताबें मिल जाती थीं। ऐसा मालूम पड़ता है कि इस मामले में भी मेरे साथ खास रियायत होती थी, क्योंकि मेरे बहुत से साथियों को, जो ए०

क्लास में रखे गये थे, प्रचलित विषयों पर किताबें मँगाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। मुझसे कहा गया है कि बनारस की जेल में तो सरकार का श्वेत-पत्र (White Paper) भी नहीं दिया गया, जिसमें खुद सरकार की विधान-सम्बन्धी तजवीजें थी, क्योंकि उसमें राजनैतिक बातें थीं। ब्रिटिश अधिकारी घामिक पुस्तकों और उपन्यासों की तहेदिल से सिफ़ारिश करते थे। यह बात आश्चर्यजनक है कि धर्म का विषय ब्रिटिश सरकार को कितना प्यारा लगता है और वह हर किस्म के मजहब को कितनी निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ाती है !

हिन्दुस्तान में जब कि मामूली-से-मामूली नागरिक-स्वतंत्रता भी छीन ली गई हो तब कैदियों के हकों की बात करना बिल्कुल बे-मौजूँ मालूम होता है। फिर भी यह मामला ऐसा है जिसपर गौर किया जाना चाहिए। अगर कोई अदालत किसी आदमी को कैद की सजा दे देती है तो क्या उसके मानी यह है कि उसके शरीर ही नहीं उसका मन भी जेल में ठूस दिया जाय ? चाहे कैदियों के शरीर भले ही आजाद न रहें पर क्या वजह है कि उनका दिमाग आजाद न रहे ? हिन्दुस्तान की जेलों का इन्तज़ाम जिन लोगों के हाथ में है वे तो अवश्य ही इस बात को मुनकर घबरा जावेगे, क्योंकि नये खयालातों को हासिल करने और लगातार विचार करने की उनकी शक्ति मामूली तौर पर महदूद हो जाती है। यों तो संसर का काम हर वक्त बुरा होता है और साथ ही पक्षपात-पूर्ण तथा बेहूदा भी, लेकिन हिन्दुस्तान में तो वह बहुत-से आधुनिक साहित्य और आगे बढ़े हुए पत्र-पत्रिकाओं में हमें वचित रखता है। ज़ब्त की हुई किताबों की फेहरिस्त बहुत बड़ी है और वह दिन-पर-दिन बढ़ती ही जा रही है। इस सबके अलावा कैदी को तो एक और संसरशिप का भी सामना करना पड़ता है। और इस तरह उसके पाम वे बहुत-सी किताबें तथा अखबार भी नहीं पहुँच पाते जिन्हें वह क़ानून के मुताबिक बाहर खरीदकर पढ़ सकता है।

कुछ दिनों पहले यह सवाल मयुक्तराज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की मशहूर सिगसिंग-जेल के सिलसिले में उठा था। वहाँ कुछ कम्प्यूनिस्ट अखबार रोक दिये गये थे। अमेरिका के शासकवर्ग में कम्प्यूनिस्टों के खिलाफ़ बहुत ज़ोर के भाव हैं, लेकिन यह सब होते हुए भी वहाँ की जेल के अधिकारी इस बात के लिए राज़ी हो गये कि जेल के बाशिन्दे जिस किताब व अखबार को चाहें मंगाकर पढ़ सकते हैं, फिर चाहे ये अखबार व पत्रिकायें कम्प्यूनिस्ट मत की ही क्यों न हों ? वहाँकी जेल के वार्डन ने सिर्फ़ कार्दूनों को रोका, जिन्हें वह भड़कानेवाला समझता था।

हिन्दुस्तान की जेलों में दिमागी आजादी पर गौर करने का यह सवाल कुछ हद तक बेहूदा मालूम होता है जबकि, जैसा कि हो रहा है, ज्यादातर कैदियों को कोई भी

अखबार या लिखने का सामान नहीं दिया जाता। यहाँ तो सबाल सेन्सरशिप या देख-भाल का नहीं है बल्कि बिलकुल इनकारी का है। क्रायदों के मुताबिक तो सिर्फ ए० क्लास के और बंगाल में अब्बल डिबीजन के कैदियों को ही लिखने का सामान दिया जाता है। इनमें से भी सबको रोजाना अखबार नहीं दिया जाता। जो रोजाना अखबार दिया जाता है वह भी सरकार की पसन्द का है। बी० और सी० क्लास के कैदियों के लिए लिखने के सामान की कोई जरूरत नहीं समझी जाती, चाहे वे राजनैतिक हों या गौर-राजनैतिक। बी० क्लासवालों को कभी-कभी बहुत खास रिआयत के तौर पर लिखने का सामान दे दिया जाता है और यह रिआयत अक्सर वापस ले ली जाती है। गालिबन दूसरे कैदियों के मुक़ाबिले में ए० क्लास के कैदियों की तादाद हजार पीछे एक बैठेगी। इसलिए हिन्दुस्तान में कैदियों की तकलीफ़ों पर गौर करते हुए उनका खयाल न किया जाय तब भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन यह बात याद रखनी चाहिए कि इन खास रिआयतवाले ए० क्लास के कैदियों को भी किताबों और अखबारों के मामले में उतने हक नहीं हासिल है जितने कि ज्यादातर सभ्य देशों में मामूली कैदियों को हासिल है।

बाकी लोगों को—एक हजार में ९९९ को—एक वक्त में दो या तीन किताबें ही दी जाती हैं, लेकिन हालत ऐसी है कि वे इस रिआयत से भी पूरा-पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाते। कुछ लिखना या जो-कुछ किताब पढ़ी जाय उसका नोट लेना तो ऐसा खतरनाक मन-बहलाव समझा जाता है जो उन्हें हरगिज न करना चाहिए। दिमागी तरक्की का इस तरह जान-बूझकर रोका जाना एक अजीब और मज्जेदार बात है। किसी कैदी को सुधारने और योग्य नागरिक बनाने के खयाल से तो उसके दिमाग पर ध्यान देकर उसे दूसरी तरफ लगाना उचित है। पढ़ा-लिखाकर उसे कोई धन्धा सिखा देना चाहिए। लेकिन शायद हिन्दुस्तान में जेल के हाकिमों को यह बात सूझी ही नहीं। और युक्तप्रान्त में तो उसका खास तौर पर अभाव ही दिखाई देता है। हाल में जेलों में लड़कों और नौजवानों को थोड़ा लिखना-पढ़ना सिखाने की कुछ कोशिशों की गई हैं। लेकिन वे बिलकुल बेकार हैं और जिन लोगों के सुपुर्द यह काम किया गया है वे उसे पूरा करने के बिलकुल अयोग्य हैं। कभी-कभी यह कहा जाता है कि कैदी लोग लिखना-पढ़ना पसन्द नहीं करते। लेकिन मेरा अपना तजुर्बा इसके बिलकुल खिलाफ़ है और कई लोग जो मेरे पास लिखने-पढ़ने की गरज से आते थे उनमें मैंने पढ़ने-लिखने का पूरा-पूरा चाव देखा। जो कैदी हमारे पास आ पाते थे उन्हें हम पढ़ाते थे। वे लोग बड़ी मेहनत से पढ़ते थे, और जब कभी मैं रात में जग पड़ता तो यह देखकर आश्चर्य करता कि उनमें से एक या दो अपनी बैरक की धुंधली लालटेन के पास बैठे हुए अगले दिन के अपने सबक़ को याद कर रहे हैं।

मैं अपनी किताबों में ही जुटा रहा। कभी एक क्रिस्म की किताबें पढ़ता तो कभी दूसरे क्रिस्म की। लेकिन आम तौर पर मैं ठोस विषय की किताबें पढ़ता था। उपन्यास पढ़ने से दिमाग में एक डीलापन-सा मालूम होने लगता है। इसलिए मैंने ज्यादातर उपन्यास नहीं पढ़े। जब-कभी पढ़ते-पढ़ते मेरा जी ऊब उठता, तब मैं लिखने बैठ जाता। अपनी सच्चा के दो सालों में तो मैं उस ऐतिहासिक पत्रमाला के लिखने में लगा रहा, जो मैंने अपनी लड़की के नाम लिखी। उन्होंने मुझे अपने दिमाग को ठीक-ठीक रखने में बहुत मदद दी। कुछ हद तक तो मैं उस पुराने ज़माने में रहने लगा, जिसकी बाबत मैं लिख रहा था और इसलिए इन दिनों करीब-करीब यह भूल-सा गया कि मैं जेल के भीतर रह रहा हूँ।

यात्रा-सम्बन्धी पुस्तकों का मैं हमेशा स्वागत करता था, खासतौर पर पुराने यात्रियों के यात्रा-वर्णन का—जैसे ह्यूगनसांग, मार्को पोलो और इब्न बतूता वगैरह। आजकल के यात्रियों की यात्राओं का वर्णन भी अच्छा मालूम होता था—जैसे स्वेन हेडिन ने मध्य-एशिया के जंगलों में जो सफ़र किया उसका और रोरिक को तिब्बत में जो अजीब बातें मिलीं उनका वर्णन। चित्रों की पुस्तकें भी—खासकर पहाड़ों, हिम-प्रपातों और मरुस्थलों की तस्वीरों भी अच्छी लगती थी, क्योंकि जेल में विशाल मैदानों और समुद्र और पहाड़ों को देखने की चाह बढ़ जाती है। मेरे पास माउन्ट ब्लैंक, आल्प्स पर्वत, और हिमालय की कुछ सुन्दर चित्रोवाली पुस्तकें थी और अक्सर मैं उन्हें देखा करता था। जब मेरी कोठरी या बैरक की गर्मी एकसी पन्द्रह डिग्री या उससे भी ज्यादा होती थी, तब मैं हिम-प्रपातों को एकटक होकर देखता। एटलस को देखकर तो बड़ा जोश पैदा होता था। उसे देखकर सब तरह की पुरानी बातों की याद आ जाती थी—उन जगहों की याद जहाँ हम हो आये हैं और उन जगहों की भी जहाँ हम जाना चाहते थे। और कभी-कभी मन में यह उत्कण्ठा पैदा होती कि पिछले दिनों में जिन जगहों को हम देख आये हैं उन्हें फिर देखे। एटलस में बड़े-बड़े शहरों को बतानेवाले जितने निशान हैं वे मानों हमको बुला रहे हो और हमें वहाँ जाने की इच्छा होती थी। एटलस में पहाड़ों को देखकर और समुद्र के नीले चिन्हों को देखकर भी उन्हें पार करने की इच्छा होती। दुनिया के सौन्दर्य को देखने की, बदलती हुई मनुष्य-जाति के संघर्षों और संग्रामों को देखने की, और खुद भी इन सब कामों को करने की उमंगें हमको तंग करती और हमारा पल्ला पकड़ लेती और हम बड़े दुःख के साथ झटपट एटलस को उठाकर रख देते और अच्छी तरह जानी-पहचानी हुई उन दीवारों को देखने लग जाते, जो हमें घेरे हुए थीं, और जो नीरस ढर्राँ हमें रोज़मर्रा पूरा करना पड़ता था उसमें जूत जाते।

जेल में पशु-पत्नी

कोई साढ़े चौदह महीने तक में देहरादून-जेल की अपनी छोटी-सी कोठरी में रहा और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं उसीका एक हिस्सा हूँ। उसके जर्न-जर्न से मैं वाकिफ़ हो गया। उसकी सफेद दीवारों पर लगे हरेक निशान और खुरदरी फ़र्श, हरेक खरोंच और दबोंच को और उसके शहतीरों पर लगे घुन के छेदों को मैं जान गया था। बाहर के छोटे-से आंगन में उगे घास के छोटे-छोटे गुच्छे और पत्थर के टेढ़े-मेढ़े टुकड़े मुझे पुराने दोस्त-से लगते थे। मैं अपनी कोठरी में अकेला था सो बात नहीं। क्योंकि वहाँ कितने ही ततैयों और वरों के उपनिवेश थे और कितनी ही छिपकलियों ने शहतीरों के पीछे अपना घर बना लिया था, जो शाम को अपने शिकार की तलाश में बाहर निकला करती। यदि विचार और भावना भीतिक चीजों पर अपने बिन्ह छोड़ सकती है, तो इस कोठरी की हवा का एक-एक कण उनसे ज़रूर भरा हुआ था और उस सँकड़ो जगह में जो-जो भी चीजे थी उन सबपर वे अंकित हुए बिना न रहे होंगे।

कोठरी तो मुझे दूसरी जेलों में इससे अच्छी मिली थीं, मगर देहरादून में मुझे एक विशेष लाभ मिला था, जो मेरे लिए बेशकीमत था। असली जेल एक बहुत छोटी जगह थी और हम जेल की दीवारों के बाहर एक पुरानी हवालात में रखे गये थे। लेकिन थी वह अहाते में ही। यह जगह इतनी छोटी थी कि उसमें आस-पास घूमने को कोई जगह न थी और इसलिए हमको सुबह-शाम फाटक के सामने कोई सौ गज़ तक घूमने की छुट्टी थी। हम रहते तो थे जेल के अहाते में ही, लेकिन उन दीवारों के बाहर आ जाने से पर्वतमालाओं, खेतों और कुछ दूर की आम सड़क के दृश्य दिखाई पड़ जाते थे। यह विशेष लाभ खास मुझे अकेले ही को नहीं मिला था, बल्कि देहरादून के हरेक ए० क्लास के कैदी को मिलता था। इसी तरह, जेल की दीवार के बाहर लेकिन अहाते के अन्दर, एक ओर छोटी इमारत थी जिसे यूरोपियन हवालात कहते थे। इसके चारों ओर कोई दीवार न थी, जिससे कोठरी के अन्दर का आदमी पर्वतश्रेणियों और बाहर के जीवन के सुन्दर दृश्य देख सकता था। इसमें जो यूरोपियन कैदी या दूसरे लोग रखे जाते थे उन्हें भी जेल के फाटक के पास सुबह-शाम घूमने की इजाज़त थी।

वही कैदी, जो लंबे असें तक इन ऊंची दीवारों के अन्दर कैद रहे हों, इन बाहर सँर करने और खुले दृश्यों के देखने के असाधारण मानसिक मूल्य को पहचान सकते

हैं। मैं इस तरह बाहर झूमने का बड़ा शौक रखता था और बारिश में भी मैंने इस सिलसिले को नहीं छोड़ा था, जबकि जोर से पानी की झड़ी लगती थी और मुझे टखने-टखने तक पानी में चलना पड़ता था। यों तो किसी भी जगह बाहर सैर करने का मैंने सदा ही स्वागत किया होता, लेकिन यहाँ तो अपने पड़ोसी गगनचुम्बी हिमालय का मनोहर दृश्य और भी हर्ष-वर्द्धक था, जिससे कि जेल की उदासी बहुत-कुछ दूर हो जाती थी। यह मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी कि जब लम्बे असें तक मैंने कोई मुलाकात नहीं की थी और जब कितने ही महीने तक अकेला रहा तब मैं इन प्यारे सुहावने पहाड़ों को एक-टक निहार सकता था। हाँ, अपनी कोठरी से तो मैं इस गिरिराज के दर्शन नहीं कर सकता था, मगर मेरे मन में सदैव ही उसका ध्यान आता था और वह हमेशा नजदीक मालूम होता था और जान पड़ता था मानों अन्दर-ही-अन्दर हम दोनों के बीच एक घनिष्ठता बह रही थी।

पक्षि-पुंज ये उड़-उड़ ऊँचे निकल गये हैं कितनी दूर !

जलद-खँड भी इसी तरह वह नभ-पथ से हो गया विलीन ;

एकाकी मैं, सन्मुख मेरे पर्वतशृंग खड़ा है शान्त—

मैं उसको, वह मुझे, देखते दोनो ही हम थके कभी न।'

मैं समझता हूँ कि कवि ली ताई पो की तरह मैं यह नहीं कह सकता कि मैं इस नगाधिराज से कभी नहीं थकता। मगर हाँ, ऐसा तो कभी-कभी ही अनुभव होता था; और आम तौर पर तो मैं उसकी निकटता से सदा बहुत सुख का अनुभव करता था। उसकी दृढ़ता और स्थिरता मानों लाखों वर्षों के ज्ञान और अनुभव के साथ मुझे गिरी निगाह से देखनी है और मेरे मन के तरह-तरह के उतार-चढ़ाव की दिल्लगी उड़ाती है और मेरे अशान्त मन को सान्त्वना देती है।

देहरादून में वसन्त-ऋतु बड़ी सुहावनी होती है और नीचे के मैदानों की बनिस्बत ज्यादा समय तक रहती है। जाड़े ने प्रायः सब पेड़ों का पतझड़ कर दिया है और वे बिलकुल नंग-घड़ंग हो गये हैं। जेल के फाटक के सामने जो चार विशाल पीपल के पेड़ हैं, उन्होंने भी, आश्चर्य तो देखिए, अपने करीब-करीब सब पत्ते नीचे गिरा दिये हैं और खंखड़ और उदास बनकर वे वहाँ खड़े हैं। फिर वसन्त-ऋतु आती है और उसकी

१. मूल अंग्रेज़ी पद्य इस प्रकार है :—

“Flocks of birds have flown high and away;
A solitary drift of cloud, too, has gone, wandering on.
And I sit alone with Ching-ting Peak, towering beyond.
We never grow tired of each-other, the mountain and I.”

जीवनमय बयार उन्हें उत्साहित करती है और उनके ठेठ अन्दर के एक-एक जर्त को जीवन का संदेश भेजती है। तब सहसा, क्या पीपल और क्या दूसरे पेड़ों में, एक हल-चल होती है और उनके आसपास कुछ रहस्य-सा दिखाई पड़ता है, जैसे कोई परदे के अंदर छिपे-छिपे कोई प्रक्रिया हो रही है और मैं तमाम पेड़ों पर हरे-हरे अंशुओं और कोंपलों को उझक-उझककर झांकते हुए देखकर चकित रह जाता। वह बड़ा ही हर्ष-पूर्ण और आनन्ददायी दृश्य था। फिर बड़ी तेजी के साथ लाखों पत्ते उमड़ आते, सूर्य की किरणों में चमकते और हवा के साथ अठखेलियां करते। एक अंशु से लेकर पत्ततक यह रूपान्तर कितना जल्दी हो जाता है और कितना आश्चर्य-जनक!

मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था कि आम के कोमल पत्ते पहले सुर्खी लिये गेहूँवा रँग के होते हैं, ठीक वैसे कि जैसे कश्मीर के पहाड़ों पर शरद् ऋतु में हलके रँग की छाया छा जाती है, लेकिन जन्दी ही वे अपना रँग बदलकर हरे हो जाते हैं।

बारिश का वहाँ हमेशा ही स्वागत होता था, क्योंकि उससे ग्रीष्म-ऋतु की गर्मी का अन्त आ जाता था। लेकिन अच्छी चीज की भी आखिर हद होती है। बाद में वह भी अखरने लगती है। और देहरादून को तो मानों इन्द्र महाराज की प्रिय लीला-भूमि ही समझिए। बारिश शुरू होते ही पांच-छः हफ्तों तक ऐसी झड़ी लगती है कि कोई पचास-साठ इंच पानी बरस जाता है और उम छोटी-सी तंग जगह में खिड़कियों से आती हुई बीछारो से अपनेको बचाने हुए सिकुड़-मुकुड़कर कुप्पा बने बैठे रहना अच्छा नहीं लगता।

हाँ, शरद्ऋतु में फिर आनन्द आने लगता है और इसी तरह जाड़ों में भी, उन दिनों को छोड़कर जबकि मेंह बरसता हो। एक तरफ बिजली कड़क रही है, दूसरी तरफ बारिश हो रही है और तीसरी तरफ चुभती हुई ठंडी हवा आ रही है। ऐसी हालत में हर आदमी को उत्कण्ठा होती है कि रहने को एक अच्छी जगह हो, जिसमें सर्दी से बचाव हो सके और ज़रा आराम मिले। कभी-कभी बरफ का तूफान आता और बड़े-बड़े ओले गिरते और वे टिन की छतों पर से गिरते हुए बड़े जोर की आवाज़ करते, मानों दनादन तोपें छूट रही हो।

एक दिन मुझे खास तौर पर याद है। वह २७ दिसंबर १९३२ का दिन था। बड़ी जोर की बिजली कड़क रही थी और दिनभर पानी बरसता रहा। जाड़ा इतना सस्त कि कुछ मत पूछो। शारीरिक कष्ट की दृष्टि से अपने सारे जेल-जीवन में मुझे बहुत कम ऐसे बुरे दिन देखने पड़े हैं। लेकिन शाम को बादल एकाएक बिखर गये और जब मैंने देखा कि पर्वतश्रेणियों पर और पहाड़ों पर बरफ-ही-बरफ जमी हुई है

तो मेरी सारी तकलीफ न जाने कहाँ चली गई । दूसरा दिन किसमस-डे था, बहुत साफ और सुन्दर । और बरफ का जामा पहने पर्वत-श्रेणियाँ बहुत ही मनोहर दिखाई देती थीं ।

जब साधारण रोजमर्रा के कामों से हम रोक दिये गये तो हमारा ध्यान प्राकृतिक लीला के अवलोकन की ओर ज्यादा गया । जो-जो जानवर या कीड़े-मकोड़े हमारे सामने आते उनको हम गौर से देखने लगे । ज्यों-ज्यों मैं ज्यादा ध्यान से देखने लगा त्यों-त्यों मैंने देखा कि मेरी कोठरी में और बाहर के छोटे-से आंगन में हर तरह के जीव-जन्तु रहते हैं । मैंने मन में कहा कि एक ओर मुझे देखो जिसे अकेलेपन की शिकायत है, और दूसरी ओर उस आंगन को देखो जो खाली और सुनसान मालूम होता है, लेकिन जिसमें जीवन उमड़ा पड़ता है । ये तमाम किस्म के रेंगनेवाले, सरकनेवाले और उड़नेवाले पशु-पक्षी मेरे काम में ज़रा भी दखल दिये बिना अपना जीवन बिताते थे, तो मुझे क्या पड़ी थी कि मैं उनके जीवन में खलल पहुँचाता ? लेकिन हाँ, खटमलो, मच्छरों और कुछ-कुछ मक्खियों से मेरी लड़ाई बराबर रहती थी । ततैयों और बरों को तो मैं सह लेता था । मेरी कोठरी में वे हजारों की तादाद में थे । हाँ, एक बार उनकी-मेरी झड़प हो गई थी, जबकि एक ततैये ने, शायद अनजान में, मुझे काट खाया था । मैंने गुस्से में आकर उन सबको निकाल देना चाहा, कोशिश भी की, लेकिन अपने चन्द्रोज्ञा घरों को भी बचाने के लिए उन्होंने खूब डटकर सामना किया । छत्तों में शायद इनके अंडे थे । आखिर को मैंने अपना इरादा छोड़ दिया और तय किया कि अगर वे मुझे न छोड़े तो मैं भी उन्हें आराम से रहने दूँगा । कोई एक साल तक उसके बाद मैं उसी कोठरी में उन बरों और ततैयों के बीच रहा । मगर उन्होंने फिर कभी मुझपर हमला नहीं किया और हम दोनों एक-दूसरे का लिहाज रखने रहे ।

हाँ, चमगादड़ों को मैं पसंद नहीं करता था; लेकिन उन्हें मैं मन मसोसकर बर्दाश्त करता था । वे शाम के अंधेरे में चुपचाप उड़ती और आसमान की अंधेरी नीलिमा में उड़ती दिखाई पड़ती । वे बड़े मनहूस जीव थे और मुझे उनसे बड़ी नफरत और कुछ भय-सा लगता था । वे मेरे चहरे के एक इंच दूरी से उड़ जाती और हमेशा मुझे डर मालूम होता कि कहीं मुझे अपट्टा न मार दें । ऊपर आकाश में दूर बड़ी-बड़ी चमगादड़ें उड़ा करती थी ।

मैं चींटियों, दीमकों और दूसरे कीड़ों को घण्टों देखता रहता था । छिपकलियों को भी, जब वे शाम को अपने शिकार चुपके से पकड़ लेतीं और अपनी दुम को एक अजीब हँसी आने लायक ढँग से हिलती हुई एक-दूसरे को लपेटतीं । मामूली तौर पर वे

ततैयों को नहीं पकड़ती थीं; लेकिन दो बार मैंने देखा कि उन्होंने निहायत होशियारी और अहतियात से मुँह की तरफ से उसको चुपके से झपटकर पकड़ा। मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने जान-बूझकर उनके डंक को बचाया था या वह एक इत्तिफाक था।

इसके बाद, अगर कहीं आसपास में पेड़ हों तो, झुण्ड के झुण्ड गिलहरियाँ होती थीं। वे बहुत ढीठ और निःशंक होकर हमारे बहुत पास आ जातीं। लखनऊ-जेल में मैं बहुत देर तक एक-सा बैठे-बैठे पढ़ा करता था। एक गिलहरी मेरे पैर पर चढ़कर मेरे घुटने पर बैठ जाती और चारों तरफ देखा करती। फिर वह मेरी आँखों की ओर देखती, तब समझती कि मैं पेड़ या जो कुछ उसने समझा हो वह नहीं हूँ। एक लहमे के लिए तो वह सहम जाती, पर फिर दुबककर खिसक जाती। कभी-कभी गिलहरियों के बच्चे पेड़ से नीचे गिर पड़ते। उनकी माँ उनके पीछे-पीछे आती, लपेटकर उनका एक गोला बनाती और उनको लेजाकर महफूज जगह में रख देती। कभी-कभी बच्चे खो जाते। मेरे एक साथी ने ऐसे तीन खोये हुए बच्चे सम्हालकर रखे थे। वे इतने नन्हे-नन्हे थे कि यह एक सवाल हो गया था कि उन्हें दाना कैसे दें? लेकिन यह सवाल बड़ी तरकीब से हल किया गया। फाउन्टेनपेन के फिलर में ज़रा-सी रूई लगा दी। यह उनके लिए बढ़िया 'फीडिंग बोतल' हो गई।

अल्मोड़ा को छोड़कर और सब जेलों में जहाँ-जहाँ मैं गया कबूतर खूब थे—हजारों की तादाद में, और शाम को उड़कर आकाश में छा जाते थे। कभी-कभी जेल के कर्मचारी उनका शिकार करके उनसे अपना पेट भी भरते थे। और हाँ, मैंनायें भी थी। वे तो सब जगह मिलती हैं। देहरादून में उनके एक जोड़े ने मेरी कोठरी के दरवाजे के ऊपर ही अपना घोंसला बनाया था। मैं उन्हें दाना दिया करता। वे बहुत पालतू हो गई थी और जब कभी उनके सुबह या शाम के दाने में देर हो जाती तो वे मेरे नज़दीक आकर बैठ जाती और ज़ोर से ची-ची करके खाना माँगती। उनके वे इशारे और उनकी वह अधीर पुकार देखें और मुने ही बनती थी।

नैनी में हजारों तोते थे। उनमें से बहुतेरे तो मेरी बैरक की दीवार की दरारों में रहते थे। उनकी प्रणयोपासना और प्रणयो-लीला देखने के लायक होती थी। वह देखनेवाले को मोहित कर लेती थी। कभी-कभी दो तोतो में एक तोती के लिए बड़े ज़ोर की लड़ाई होती। तोती शान्ति के साथ उनके झगड़े के नतीजे का इन्तज़ार करती और विजेता पर अपनी प्रणय-वृष्टि करने के लिए प्रस्तुत रहती थी।

देहरादून में तरह-तरह के पक्षी थे और उनके गाने और ज़ोर-ज़ोर से चिचियाने, चहचहाने और टँ-टँ करने की तो एक अजीब क़वायद होती थी। और सबसे बढ़कर कोयल की बर्बभरी कूक का तो पूछना ही क्या? बारिश में और उसके ठीक पहले

पपीहा आता । सचमुच उसका लगातार 'पियू-पियू' रटना देखकर दंग रह जाना पड़ता था । चाहे दिन हो चाहे रात, चाहे धूप हो चाहे बारिश, उसकी रटन नहीं टूटती थी । इनमें से बहुतेरे पक्षियों को हम देख नहीं पाते थे, सिर्फ उनकी आवाज सुनाई पड़ती थी; क्योंकि हमारे छोटे से आँगन में कोई पेड़ नहीं था लेकिन उकाब और चीलें बड़ी धज के साथ आसमान में ऊँची उड़ती और उन्हें मैं देख सकता था । वे कभी एकदम झपट्टा मारकर नीचे उतर आते और फिर हवा के झोंके के साथ ऊपर चढ़ जाते । कभी-कभी जंगली बतख भी हमारे सिर पर मँडराया करते थे । बरेली-जेल में बंदरों की आबादी खासी थी । उनकी कूद-फाद, मुह बनाना वगैरा हरकतें देखने लायक होती थी । एक घटना का असर मेरे दिल पर रह गया है । एक बन्दर का बच्चा किसी तरह हमारी बैरक के घेरे के अन्दर आ गया । वह दीवार की ऊँचाई तक उछल नहीं सकता था । वार्डर, कुछ नंबरदारों और दूसरे कैदियों ने मिलकर उसे पकड़ा और उसके गले में एक छोटी-सी रस्सी बांध दी । दीवार पर से उसके (मैं समझता हूँ) मां-बाप ने यह देखा और वे गुस्से से लाल हो गये । अचानक उनमें से एक बड़ा बंदर नीचे कूदा और सीधा भीड़ में उस जगह गिरा जहाँ कि वह बच्चा था । निस्संदेह यह बड़ी बहादुरी का काम था, क्योंकि वार्डर वगैरा सबके पास डंडे और लाठिया थी । वे उन्हे चारों तरफ घुमा भी रहे थे और वे काफी तादाद में थे । लेकिन बेघड़क साहस की फतह हुई और मनुष्यों की वह भीड़ मारे डर के भाग निकली । उनके डंडे और लाठियाँ वही पड़ी रह गई । बच्चा उनसे छुड़ा लिया गया ।

अक्सर ऐसे जीव-जन्तु भी दर्शन देते थे जिनसे हम दूर रहना चाहते थे । बिच्छू हमारी कोठरियों में बहुत आया-जाया करते थे । खासकर तब, जब बिजली जोरों से कड़का करती । ताज्जुब है कि मुझे किसीने भी नहीं काटा । क्योंकि वे अक्सर बेड़ब जगह मिल जाया करते थे । मेरे बिछौने पर या कोई किताब उठाई तो उसपर भी । मैंने एक खास तौर पर काले और जहरीले-से बिच्छू को कुछ दिन तक एक बोतल में रख छोड़ा था और मक्खियाँ वगैरा उसको खिलाया करता था । फिर मैंने उसे एक रस्सी से बांधकर दीवार पर लटका दिया । लेकिन वह किसी तरह भाग निकला । मुझे यह स्वाहिश नहीं थी कि वह फिर कहीं धूमता-फिरता मुझसे मिलने आ जाय । इसलिए मैंने अपनी कोठरी को खूब साफ किया और चारों ओर उसे ढूँढा । मगर कुछ पता न चला ।

तीन-चार साँप भी मेरी कोठरी में या उसके पास निकले थे । एक की खबर जेल के बाहर चली गई और अखबारों में बड़ी-बड़ी सुर्खी लगाकर छपी गई । मगर सच पूछिए तो मैंने उस घटना को पसन्द किया था । जेल-जीवन योही काफ़ी रुखा

और नीरस होता है और जब भी किसी तरह उसके एकसाँ-पन को कोई चीज मंग करती है तो वह अच्छी ही लगती है। यह बात नहीं कि मैं साँपों को अच्छा समझता हूँ था उनका स्वागत करता हूँ। मगर हाँ, औरों की तरह मुझे उनसे डर नहीं लगता। बेशक उनके काटने का तो मुझे डर रहता है और यदि किसी साँप को देखूँ तो उससे अपनेको बचाऊँ भी, लेकिन उन्हें देखकर मुझे अरुचि नहीं होती और न उनसे डरकर भागता ही हूँ। हाँ, कानखजूरे से मुझे बहुत नफरत और डर लगता है। डर तो इतना नहीं मगर अपने-आप उसे देखकर नफरत होती है। अलीपुर-जेल में कोई आधी रात को मैं सहसा जग पड़ा। ऐसा जान पड़ा कि कोई चीज मेरे पाँव पर रेंग रही है। मैंने अपनी टाचं दबाई तो क्या देखा कि एक कानखजूरा बिस्तर पर है। एकाएक और बड़ी तेजी से बिना आगा-पीछा सोचे मैंने बिस्तर से ऐसे जोर की छलाँग मारी कि कोठरी की दीवार से टकराते हुए बचा। उस समय मैंने अच्छी तरह जाना कि रूस के प्रसिद्ध जीव-शास्त्री पेवलोव के 'रिफ्लेक्सस'—स्वयं-स्फूर्त क्रियायें क्या होती हैं।

देहरादून में एक नया जन्तु देखा, या यों कहूँ कि ऐसा जन्तु देखा जो मेरे लिए नया था। मैं जेल के फाटक पर खड़ा हुआ जेलर से बातचीत कर रहा था कि इतने में बाहर से एक आदमी आया जो एक अजीब जन्तु लिये हुए था। जेलर ने उसे बुलवाया। मैंने देखा कि वह एक गोह और मगर के बीच का कोई जानवर है जो दो फीट लम्बा था। उसके पंजे थे और छिलकेदार चमड़ी। वह मंदा और कुडील था और बहुत कुछ जिन्दा था। एक अजीब तरह से उसने गाँठ की तरह एक गोल कुण्डल बना लिया था और लानेवाला उसे एक बाँस में पिरोकर बड़ी खुशी से उठाता हुआ लाया था। वह उसे 'बो' कहता था। जब जेलर ने उससे पूछा कि इसका क्या करोगे ? तो उसने जोर से हँसकर कहा, भुज्जी—सालन—बनायेंगे। वह जगली आदमी था। बाद को एफ० डबल्यू० चेपियन की 'दी जंगल इन सनलाइट एण्ड शेडो' पढ़ने से मुझे पता लगा कि वह पेगोलिन था।

कैदियों की, खासकर लम्बी सजावाले कैदियों की, भावनाओं को जेल में कोई खुराक नहीं मिलती। कभी-कभी वे जानवरों को पाल-पोसकर अपनी भावनाओं को तृप्त किया करते हैं। मामूली कैदी कोई जानवर नहीं रख सकता। नम्बरदारों को उनसे ज्यादा आज्ञादी रहती है और जेल के कर्मचारी उनके लिए ऐतराज नहीं करते। आम तौर पर वे गिलहरियाँ पालते हैं और मुनकर ताज्जुब होगा कि नेवले भी। कुत्ते जेल में नहीं आने दिये जाते, मगर बिल्ली को, जान पड़ता है, तरतीब दी जाती है। एक छोटी पुसिया ने मुझसे दोस्ती करली थी। वह एक जेल-अफसर की थी, जब उसका तबादला हुआ तो वह उसे अपने साथ ले गया। मुझे उसका अभाव खलता

रहा। हालांकि जेल में कुत्तों की इजाजत नहीं है, लेकिन देहरादून में इतिफाक से कुत्तों के साथ मेरा नाता हो गया था। जेल-अफसर एक कुत्ता लाये थे। बाद को उनका तबादला हो गया और वह उसे वहीं छोड़ गये। बेचारी बेघर होकर इधर-उधर घूमती रही और पुलो और मोरियों में रहती हुई बाइरों के दिये टुकड़े खाकर अपने दिन काटती थी। वह प्रायः भूखों मरती थी। मैं जेल के बाहर हवालात में रहता था। वह मेरे पास रोटी के लिए आया करती। मैं उसे रोज़ खाना खिलाने लगा। उसने एक मोरी में बच्चे दिये। कुछ तो और लोग ले गये मगर तीन बच रहे और मैं उन्हें खाना देता रहा। इनमें से एक पिल्ली बीमार हो गई। बुरी तरह छटपटाती थी, जिससे मुझे बड़ी तकलीफ रही। मैंने बड़ी चिन्ता के साथ उसकी शुश्रूषा की और रात को कभी-कभी तो १०-१२ बार मुझे उठकर उसको सम्हालना पड़ता था। वह बच गई और मुझे इस बात पर खुशी हुई कि मेरी तीमारदारी काम आ गई।

बाहर की बनिस्बत जेल में जानवरों से मेरा ज्यादा साबका पड़ा। मुझे कुत्तों का बड़ा शौक रहा है और घर पर कुछ कुत्ते पाले भी थे, मगर दूसरे कामों में लगे रहने की वजह से उनकी अच्छी तरह सम्हाल न कर सका। जेल में मैं उनके साथ के लिए उनका कृतज्ञ था। हिन्दुस्तानी आम तौर पर घर में जानवर नहीं पालते। यह ध्यान देने लायक बात है कि जीवदया के सिद्धान्त के अनुयायी होते हुए भी वे अक्सर उनकी अवहेलना करते हैं। यहाँ तक कि गाय के साथ भी, जो हिन्दुओं को बहुत प्रिय और पूज्य है और जो अक्सर दंगों का कारण बनती है, दया का बर्ताव नहीं होता। मानो पूज्यभाव और दयाभाव दोनों का साथ नहीं हो सकता।

जुदा-जुदा देशवालो ने अपनी महत्वाकांक्षा या अपने चारित्र्य के लिए जुदा-जुदा पशु-पक्षियों को अपना प्रतीक बनाया है। उकाव संयुक्तराज्य अमेरिका और जर्मनी का, सिंह और 'बुलडॉग' इंग्लैण्ड का, लड़ते हुए मुर्गे फ्रांस का और भालू पुराने रूस का प्रतीक है। सवाल यह है कि ये संरक्षक पशु-पक्षी राष्ट्रीय चारित्र्य को किस तरफ ले जायेंगे? इनमें से ज्यादातर तो हमलाई और लड़ाका जानवर हैं और शिकारी पशु हैं। ऐसी दशा में यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि जो लोग इन तमूनों को सामने रखकर अपना जीवन निर्माण करते हैं वे, जान-बूझकर अपना स्वभाव बैसा ही बनाते हैं, हमलाई रख अख्त्यार करते हैं, दूसरों पर गुरति हैं, और झपट पड़ते हैं। और यह भी आश्चर्य की बात नहीं है कि हिन्दू नरम और अहिंसक हैं, क्योंकि उनका आदर्श पशु है गाय।

बाहर लड़ाई चलती रही, और वीर स्त्रियाँ और पुरुष, यह जानते हुए भी कि वर्तमान में या निकट-भविष्य में सफलता पाना उनकी किस्मत में नहीं है, एक ताकतवर और सुसज्जित सरकार का शान्ति के साथ मुकाबिला करते रहे। निरन्तर तथा अधिक-अधिक तीव्र होता हुआ दमन हिन्दुस्तान में अंग्रेजी शासन के आधार का प्रदर्शन कर रहा था। अब इसमें कोई धोखा-धड़ी नहीं थी, और कम-से-कम यही हमारे लिए कुछ तसल्ली की बात थी। संगीनें कामयाब हुईं, लेकिन एक बड़े योद्धा ने एक बार कहा था कि—“तुम संगीनो से सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उन्हींके ऊपर (आधार पर) बैठ नहीं सकते।” हमने सोचा कि इसके बजाय कि हम अपनी आत्माओं को बेचें और आत्मिक व्यभिचार करें, यही अच्छा है कि हम इसी तरह शासित होना पसन्द करें। जेल में हमारा शरीर बेबस था, लेकिन हम समझते थे कि वहाँ रहकर भी हम अपने कार्य की सेवा ही कर रहे हैं और बाहर रहनेवाले कई लोगों से ज्यादा अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो क्या हमें, अपनी कमजोरी के कारण, भारत के भविष्य का बलिदान कर देना चाहिए—इसलिए कि हमारी जान बची रहे? यह तो सच था कि इन्सान की ताकत और सहन-शक्ति की भी हद होती है, और कई व्यक्ति शरीर से बेकार हो गये, या मर गये, या काम से अलग हो गये, गद्दारी तक कर गये; मगर इन बाधाओं के होते हुए भी कार्य आगे बढ़ता ही गया। लेकिन अगर आदर्श स्पष्ट दीखता रहता और हिम्मत ज्यों-की-त्यों बनी रहती तो नाकामयाबी नहीं हो सकती थी। असली नाकामयाबी तो है अपने उसूलों को छोड़ देना, अपने हक से इन्कार कर देना, और बेइज्जती के साथ बे-इन्साफ़ी के आगे झुक जाना। अपने-आप लगाये हुए ज़लम बुझान के लगाये हुए ज़लमों से ज्यादा देर में अच्छे होते हैं।

कभी-कभी अपनी कमजोरियों पर और भटक जानेवाली दुनिया पर हमारा मन उदास हो जाया करता था, मगर फिर भी हमें जितनी सफलता मिली थी उसीपर हमें कुछ अभिमान था। क्योंकि हमारे लोगों ने बहुत ही वीरतापूर्ण काम किया था, और उस बहादुर जमान में हम भी शामिल हैं, इस सख्त से जी को भला मालूम होता था।

सविनय भंग के उन बरसों में कांग्रेस के खुले अधिवेशन करने की दो बार कोशिश की गई, एक दिल्ली में और दूसरी कलकत्ते में। यह जाहिर था, कि गैरकानूनी संस्था

मामूली ढँग और शान्ति से अधिवेशन नहीं कर सकती थी, और खुला अधिवेशन करने की कोशिश का अर्थ था पुलिस के संघर्ष में आना। वस्तुतः दोनों सम्मेलनों को पुलिस ने लाठियों के बल, जबरदस्ती, तितर-बितर कर दिया, और बहुत लोग गिरफ्तार कर लिये गये। इन सम्मेलनों की विशेषता यह थी कि इन गैरकानूनी मजमों में प्रतिनिधि बनकर शामिल होने के लिए हिन्दुस्तान के तमाम हिस्सों से हजारों की तादाद में लोग आये थे। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि इन दोनों अधिवेशनों में युक्तप्रान्त के लोगों ने एक प्रमुख भाग लिया था। मेरी माताजी ने भी मार्च १९३३ के कलकत्ता-अधिवेशन में जाने का आग्रह किया। लेकिन वह कलकत्ता जाते हुए, रास्ते में मालवीयजी और दूसरे लोगों के साथ गिरफ्तार कर ली गई और आसनसोल में कुछ दिनों तक जेल में बन्द रक्खी गई। उन्होंने जो आन्तरिक उत्साह और जीवन-शक्ति दिखलाई उसे देखकर मैं दंग रह गया, क्योंकि वह कमजोर और बीमार थी। वह जेल की परवा नहीं करती थी, वह तो उससे भी ज्यादा कड़ी अग्नि-परीक्षा में से गुजर चुकी थी। उनका लड़का, उनकी दोनों लड़कियाँ, और दूसरे भी कई लोग जिन्हें वह बहुत चाहती थी, जेल में लम्बे-लम्बे अर्से तक रह चुके थे, और वह सूना घर, जिसमें वह रह रही थी, उनके लिए एक डरावनी जगह हो गई थी। जैसे-जैसे हमारी लड़ाई मन्दी पड़ने लगी, और उसकी चालू रफ्तार हलकी हो गई, वैसे-वैसे उसमें जोश और उत्साह की कमी आती गई—हाँ, बीच-बीच में लम्बे अर्से के बाद कुछ उत्तेजना हो जाया करती थी। मेरे खयालात दूसरे मुल्कों की तरफ ज्यादा जाने लगे, और जेल में जितना भी मुमकिन था, मैं विश्व-व्यापी मन्दी से ग्रस्त दुनिया की हालत का निरीक्षण और अध्ययन करने लगा। मुझे इस विषय की जितनी भी किताबें मिली उन्हें मैं पढ़ता गया, और मैं जितना-जितना पढ़ता जाता था उतना-उतना ही उसकी तरफ आकर्षित होता जाता था। मुझे दिखाई दिया कि, हिन्दुस्तान तो अपनी खास समस्याओं और संघर्षों को रखते हुए भी इस जबरदस्त विश्व-नाटक का, राजनैतिक और आर्थिक शक्तियों की उस लड़ाई का जो कि आज सब राष्ट्रों के अन्दर और सब राष्ट्रों के आपस में हो रही है, सिर्फ एक हिस्सा ही है। इस लड़ाई में मेरी अपनी सहानुभूति कम्यूनिज्म की तरफ ही ज्यादा-ज्यादा होती गई।

समाजवाद और कम्यूनिज्म की तरफ मेरा बहुत समय से आकर्षण था, और इस मुझे बहुत पसन्द आता था। इस की बहुत-सी बातें मुझे नापसन्द भी हैं—जैसे सब तरह की विरोधी राय का बेदरदी से दमन कर देना, सबको सैनिक बना डालना, और अपनी कई व्यवस्थाओं को अमल में लाने के लिए (मेरे मतानुसार) अनावश्यक बल-प्रयोग करना। मगर पूँजीवादी दुनिया में भी तो बल-प्रयोग और दमन कम नहीं

है, और मुझे ज्यादा-ज्यादा यह महसूस होने लगा कि हमारे संग्रहशील समाज का और हमारी मित्कियत का तो आधार और बुनियाद ही बल-प्रयोग है। बल-प्रयोग के बगैर वह ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। जबतक भूखों मरने का डर सब जगह अधिकांश जनता को, थोड़े लोगों की इच्छा के अधीन होने के लिए, हमेशा मजबूर कर रहा है, जिसके फलस्वरूप उन थोड़े लोगों का ही घन-मान बढ़ता जाता है, तबतक राजनैतिक स्वतन्त्रता होने के भी वास्तव में कुछ मानी नहीं है।

दोनों व्यवस्थाओं में बल-प्रयोग मौजूद है। पूँजीवादी व्यवस्था का बल-प्रयोग तो उसका अनिवार्य अंग ही मालूम होता है। लेकिन रूस के बल-प्रयोग का, यद्यपि वह बुरा ही है, लक्ष्य यह है कि शान्ति और सहयोग पर आधारित और जनता को असली आजादी देनेवाली नई व्यवस्था कायम हो जाय। सोविएट रूस ने कितनी भी भयंकर भूले की हों, तो भी वह भारी-भारी कठिनाइयों पर फतह पा चुका है और इस नई व्यवस्था की तरफ लम्बी-लम्बी डग रखता हुआ बहुत आगे बढ़ गया है। जब संसार के दूसरे मुल्क मन्दी में जकड़े हुए हैं, कई तरह से पीछे की तरफ जा रहे हैं, तब सोविएट देश में, हमारी आँखों के सामने, एक नई ही दुनिया तामीर हो रही है। महान् लेनिन के पदविन्धो पर चलकर रूस भविष्य की तरफ निगाह रखता है, और केवल इसी बात का विचार करता है कि आगे क्या होना है। लेकिन संसार के दूसरे देश तो भूतकाल के प्रहार से मुन्न हुए पड़े हैं, और गुजरे हुए युग के अनुपयोगी स्मारकों को बचाने में ही अपनी ताकत लगा रहे हैं। अपने अध्ययन में मुझपर उन विवरणों का बड़ा असर पड़ा, जिनमें सोविएट शासन के पिछड़े हुए मध्य-एशियाई प्रदेशों की बड़ी भारी तरक्की का हाल दिया गया था। इसलिए कुल मिलाकर मेरी राय तो सब तरह रूस के हक में ही रही; और मुझे सोविएट-तन्त्रों की मौजूदगी और मिसाल, अंधेरी और दुःखपूर्ण दुनिया में, एक प्रकाशमय और उत्साह-दायी चीज मालूम हुई।

हालांकि कम्यूनिस्ट राज्य कायम करने के व्यावहारिक प्रयोग के रूप में सोविएट रूस की कामयाबी या नाकामयाबी का बहुत बड़ा महत्व है, फिर भी उससे कम्यूनिज्म के सिद्धान्त के ठीक होने या न होने पर कोई असर नहीं पड़ता। राष्ट्रीय या अन्तर-राष्ट्रीय कारणों से बोलशेविक लोग बड़ी-बड़ी गलतियाँ कर सकते हैं, या असफल भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कम्यूनिज्म का सिद्धान्त सही हो सकता है। उस सिद्धान्त के आधार पर रूस में जो-कुछ हुआ है, उसकी अन्धे की तरह नकल करना भी मूर्खता ही होगी, क्योंकि उसका प्रयोग तो प्रत्येक देश में उसकी खास परिस्थितियों और उसके ऐतिहासिक विकास की सीमा पर निर्भर है। इसके अलावा, हिन्दुस्तान या दूसरा कोई देश बोलशेविकों की कामयाबियों से और अनिश्चय गलतियों से भी सबक

ले सकता है। शायद बोलशेविकों ने ज़रूरत से ज्यादा तेज़ रफ्तार से जाने की कोशिश की, क्योंकि उनके चारों तरफ़ दुश्मन-ही-दुश्मन थे, और उन्हें बाहरी हमले का भी डर था। शायद इससे धीमी चाल से चला जाता तो देहात में हुई बहुत-सी तकलीफ़ें बच सकती थीं। लेकिन यह सवाल उठता था, कि क्या परिवर्तन की रफ्तार कम कर देने से वास्तव में मौलिक परिणाम निकल भी सकते थे या नहीं! किसी नाज़ुक वक़्त पर, जबकि आधार-भूत ढांचा ही बदलना हो, किसी आवश्यक समस्या को सुधार-वाद से हल करना असम्भव होता है, और बाद में रफ्तार चाहे कितनी ही धीमी रहे लेकिन पहला क़दम तो ऐसा उठाना चाहिए जिससे कि मौजूदा व्यवस्था से, जो अपना उद्देश्य पूरा कर चुकी हो और अब भविष्य की प्रगति के लिए बाधक बन रही हो, कोई वास्ता न रह जाय।

हिन्दुस्तान में भूमि और कल-कारखाने दोनों से सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्नों का और देश के हर बड़े सवाल का हल सिर्फ़ किसी क्रान्तिकारी योजना से ही हो सकता है। जैसा कि 'युद्ध के संस्मरणों' में मि० लायड जार्ज कहते हैं—“किमी खाई को दो छलांगों में कूदने से बढ़कर कोई गलती नहीं हो सकती।”

रूस के अलावा भी, मार्क्सवाद के सिद्धान्त और तत्त्वज्ञान ने मेरे दिमाग को कई विषयों में प्रकाश दिया। मुझे इतिहास में बिलकुल नया ही अर्थ दिखाई पड़ने लगा। मार्क्सवाद की अर्थ-शैली ने उसपर बड़ी रोशनी डाली, और वह मेरे लिए एक के बाद दूसरा दृश्य दिखानेवाला एक नाटक ही हो गया, जिसके घटना-चक्र की बुनियाद में कुछ-न-कुछ व्यवस्था और उद्देश्य मालूम हुआ, फिर चाहे वह कितना ही अज्ञात क्यों न हो। हालांकि भूतकाल में और वर्तमान समय में समय और शक्ति की भयंकर बरबादी और तकलीफ़ें रही हैं और हैं, लेकिन भविष्य तो आशापूर्ण ही है, चाहे उसके बीच में कितने ही खतरे आते रहें। मार्क्सवाद में मौलिक रूप से किसी रूढ़-मत का न होना और उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही मुझे पसन्द आया। लेकिन यह सही है कि रूस में और दूसरे देशों में मान्य कम्यूनिज़्म में बहुत-से रूढ़-मत हैं, और अक्सर 'काफ़िरों' यानी मिथ्या-मत-वादियों पर संगठित रूप से धावा बोला जाता है। मुझे यह खेदजनक मालूम हुआ, हालांकि सोविएट प्रदेशों में भारी-भारी तबदीलियाँ बड़ी तेज़ी से हो रही हों और विरोधी लोगों के कारण से बड़ी मुसीबतों और नाकामयाबी के हो जाने की आशंका हो तब ऐसी बात का होना आसानी से समझ में आ सकता है।

संसार-व्यापी महान् संकट और मन्दी से भी मुझे मार्क्सवादी विश्लेषण सही मालूम हुआ। जबकि दूसरी सब व्यवस्थायें और सिद्धान्त सिर्फ़ अपनी अटकल लगा

रहे थे, तब अकेले मार्क्सवाद ने ही बहुत-कुछ संतोषजनक रूप से उसका कारण बताया और उसका असली हल सामने रक्खा ।

जैसे-जैसे मुझमें यह विश्वास जमता गया, वैसे वैसे मैं नये उत्साह से परिपूर्ण होता गया, और सविनय भंग की असफलता की मेरी उदासी बहुत कम हो गई । क्या दुनिया तेज़ी से इस बाञ्छनीय लक्ष्य या स्थिति की तरफ नहीं जा रही है ? हाँ, महायुद्ध और घोर आपत्ति के बड़े-बड़े खतरे मौजूद हैं, लेकिन हर हालत में हम आगे ही बढ़ रहे हैं । हम एक ही जगह में पड़े हुए सड़ नहीं रहे । मुझे मालूम हुआ कि हमारे इस बड़े सफ़र के रास्ते में हमारी राष्ट्रीय लड़ाई तो एक पड़ाव मात्र है, और यह अच्छा है कि दमन और कष्ट-सहन से हमारे लोग आगामी लड़ाइयों के लिए तैयार हो रहे हैं और उन विचारों पर गौर करने के लिए मजबूर हो रहे हैं जिनसे दुनिया में खलबली मची हुई है । कमज़ोर लोगों के निकल जाने से हम और भी ज्यादा मजबूत, ज्यादा अनुशासन-युक्त और ज्यादा ठोस बन जायेंगे । ज़माना हमारे पक्ष में है ।

इस तरह मैंने, रूस, जर्मनी, इंग्लैण्ड, अमेरिका, जापान, चीन, फ्रांस, इटली, और मध्य-यूरोप में क्या-क्या हो रहा है, इसका अध्ययन किया, और प्रचलित घटनाओं की गुत्थियों को समझने की कोशिश की । इस मुसीबत को पार करने के लिए हर-एक देश अलग-अलग और सब मिलकर एकसाथ क्या कोशिशें कर रहे हैं, इसको भी मैंने दिलचस्पी से पढ़ा । राजनैतिक और आर्थिक बुराइयों को दूर करने और निःशस्त्रीकरण की समस्या हल करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ़ेन्सों की बारबार नाकामयाबी से मुझे अपने यहाँ की साम्प्रदायिक समस्या की—जोकि छोटी-सी लेकिन काफ़ी तकलीफ-देह है—बुरबस याद आ गई । अधिक-से-अधिक सद्भावना के होते हुए भी हम अभीतक इस समस्या को हल नहीं कर सके हैं; और यह व्यापक विश्वास होते हुए भी कि अगर यूरोप और अमेरिका के राजनीतिज्ञ अपनी समस्याओं को मुलझाने में विफल होंगे तो एक संसार-व्यापी आपत्ति आ जायगी, वे उन्हें हल नहीं कर पाये हैं । दोनों उदाहरणों में समस्या को हल करने का तरीका गलत रहा है, और सम्बन्धित लोग सही रास्ते जाने से डरते रहे हैं ।

संसार की मुसीबतों और संघर्षों का विचार करते हुए, मैं किसी हद तक अपनी व्यक्तिगत और राष्ट्रीय मुसीबतों को भी भूल गया । कभी-कभी मुझे इस बात पर बड़ी खुशी होती थी कि संसार के इतिहास के इस क्रान्तिकारी युग में मैं भी जीवित हूँ । शायद दुनिया के इस कोने में, जहाँ मैं हूँ, मुझे भी उन आनेवाली तबदीलियों के लाने में कुछ थोड़ा-सा हिस्सा लेना पड़ेगा । कभी-कभी मुझे सारी दुनिया में

संघर्ष और बल-प्रयोग का वातावरण बड़ा उदास बना देता था। इससे भी खराब यह दृश्य था कि पढ़े-लिखे स्त्री-पुरुष भी मानवी पतन और गुलामी को देखते-देखते उसके हतने आदी हो गये हैं कि उनके दिमाग अब कष्ट-सहन, शरीबी और अमानुषिकता का विरोध भी नहीं करते। दम घोटनेवाले इस नैतिक वातावरण में शोरगुल मचाने-वाला ओछापन और संगठित पाखण्ड फल-फूल रहा है, और भले लोग चुप्पी साधे बैठे हैं। हिटलर की विजय और उसके बादके 'भूरे आतंक-वाद' ने मुझे बड़ा आघात पहुँचाया, हालांकि मैंने अपने दिल को तसल्ली दे ली कि यह सब चन्द्रोजा ही हो सकता है। यह देखकर मन में ऐसी-सी भावना आ जाती थी, कि इन्सान की कोशिशें बेकार हैं। जबकि मशीन अन्धाधुन्ध चल रही हो, तब उसमें पहियें का एक छोटा-सा दौन बेचारा क्या कर सकता है ?

फिर भी, जीवन-सम्बन्धी कम्यूनिस्ट तन्त्रज्ञान से मुझे शान्ति और आशा मिली। तो इसका हिन्दुस्तान में कैसे प्रयोग हो सकता है ? हम तो अभी तक राजनैतिक स्वतन्त्रता की समस्या को भी हल नहीं कर पाये हैं, और हमारे दिमागों में राष्ट्रवाद ही बैठा हुआ है। क्या हम इसके साथ-ही-साथ आर्थिक स्वतन्त्रता की तरफ भी कूद पड़ें, या इन दोनों को बारी-बारी से हाथ में ले, फिर चाहे इनके बीच में अन्तर कितने ही थोड़े समय का क्यों न हो ? संसार की घटनायें और हिन्दुस्तान के भी वाक्यात सामाजिक समस्या को सामने ला रहे हैं, और मुझे लगा कि अब राजनैतिक आजादी उससे अलहदा नहीं रक्खी जा सकती।

हिन्दुस्तान में ब्रिटिश सरकार की नीति का यह नतीजा हुआ है कि राजनैतिक आजादी के मुक़ाबिले में सामाजिक प्रतिगामी वर्ग खड़े हो गये हैं। यह लाजिमी ही था, और हिन्दुस्तान में मुस्लिफ वर्गों और समुदायों के ज्यादा साफ़ तौर पर अलग-अलग दिखाई दे जाने को मैंने पसन्द किया। लेकिन मैं सोचता था कि क्या इसको दूसरे लोग भी अच्छा समझते हैं ? जाहिर है कि बहुत लोग नहीं। यह सही है कि कई बड़े शहरों में मुट्ठीभर कट्टर कम्यूनिस्ट लोग हैं, और वे राष्ट्रीय आन्दोलन के विरोधी हैं और उसकी सख्त नुक़ताचीनी करते हैं। खासकर बम्बई में, और कुछ हदतक कलकत्ते में, संगठित मजदूर भी समाजवादी हैं, मगर ढीले-ढाले ढंग के। उनमें भी फूट पड़ी हुई है, और वे मन्दी से दुःख पा रहे हैं। कम्यूनिज्म के और समाज-वाद के धुंधले-से विचार पढ़े-लिखे लोगों में, और समझदार सरकारी अफ़सरों तक में, फँस चुके हैं। काँग्रेस के नौजवान स्त्री और पुरुष, जो पहले लोकतन्त्र पर ब्राइस और मॉरले, कीथ और मंजिनी के विचार पढ़ा करते थे, अब अगर उन्हें किताबें मिल जाती हैं तो कम्यूनिज्म और रूस पर साहित्य पढ़ते हैं। नेरठ-षड्यन्त्र-केस

ने लोगों का ध्यान इन नये विचारों की तरफ फेरने में बड़ी मदद दी, और संसार-व्यापी संकट-काल ने इस तरफ ध्यान देने की मजबूरी पैदा करदी। हर जगह प्रचलित संस्थाओं के प्रति शंका, जिज्ञासा और चुनौती की नई स्पिरिट दिखाई देती है। मानसिक वायु की साधारण दिशा तो साफ़ जाहिर हो रही है, लेकिन फिर भी वह हलका-सा झोंका ही है जिसको अपने-आप पर अभी कोई विश्वास नहीं है। कुछ लोग फ़ासिस्ट विचारों के आमपास मँडराते हैं। लेकिन कोई भी साफ़ और निश्चित आदर्श नहीं है। अभीतक तो राष्ट्रीयता ही यहाँकी प्रमुख विचारधारा है।

मुझे यह तो साफ़ मालूम हुआ, कि जबतक किसी हद तक राजनैतिक आजादी न मिल जायगी तबतक राष्ट्रीयता ही सबसे बड़ी प्रेरक-भावना रहेगी। इसी कारण काँग्रेस हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा ताकतवर मस्था होने के साथ ही सबसे आगे बढ़ी हुई मस्था भी रही है, और अब भी (कुछ ख़ाम मजदूर दायरों को छोड़कर) है। पिछले तेरह बरसों में, गांधीजी के नेतृत्व में, इसने जनता में आश्चर्यजनक जागृति पैदा कर दी है और इसके अस्पष्ट मध्यम-वर्गी आदर्श के होते हुए भी इसने एक क्रान्तिकारी काम किया है। अबतक भी इसकी उपयोगिता ख़तम नहीं हुई है, और हो भी नहीं सकती, जबतक कि राष्ट्रवादी प्रेरणा की जगह समाज-वादी प्रेरणा न आ जाय। भविष्य की प्रगति—आदर्श-सम्बन्धी भी और कार्य-सम्बन्धी भी—अब भी काँग्रेस के द्वारा ही होगी, हालांकि दूसरे रास्तों में भी काम लिया जा सकेगा।

इस तरह मुझे काँग्रेस को छोड़ देना, राष्ट्र की आवश्यक प्रेरक-शक्ति से अलग हो जाना, अपने पास के सबसे ज़बरदस्त हथियार को कुन्द कर देना, और एक बेकार के साहस में अपनी शक्ति बरबाद करना मालूम हुआ। लेकिन फिर भी, क्या काँग्रेस, अपनी मौजूदा स्थिति को रखते हुए, कभी भी वास्तव में मौलिक सामाजिक हल को अपना सकेगी? अगर उसके सामने ऐसा सवाल रख दिया जाय, तो उसका नतीजा यही होगा कि उसके दो या ज्यादा टुकड़े हो जायेंगे, या कम-से-कम बहुत लोग उससे अलग हो जायेंगे। ऐसा हो जाना भी अवाञ्छनीय या बुरा न होगा, अगर समस्यायें ज्यादा साफ़ हो जायें, और काँग्रेस में एक दृढ़-संगठित दल, चाहे वह बहुमत में हो या अल्पमत में हो, एक मौलिक समाजवादी कार्यक्रम को लेकर खड़ा हो जाय।

लेकिन इस वक़्त तो काँग्रेस के मानी हैं गांधीजी। वह क्या करना चाहेंगे? विचारधारा की दृष्टि से कभी-कभी वह आश्चर्यजनक रूप से पिछड़े हुए रहे हैं, लेकिन फिर भी काम और व्यवहार के खयाल से वह हिन्दुस्तान में इस वक़्त के सबसे ज्यादा क्रान्तिकारी रहे हैं। वह एक अनोखे व्यक्ति हैं, और उन्हें मामूली पैमानों से नापना या उनपर तर्कशास्त्र के मामूली नियम लगाना भी मुमकिन नहीं है। लेकिन चूँकि

वह तह में क्रान्तिकारी हैं और हिन्दुस्तान के लिए राजनैतिक स्वतन्त्रता की प्रतिज्ञा किये हुए हैं, इसलिए जबतक वह स्वतन्त्रता मिल नहीं जाती तबतक तो वह इसमें अटल रहकर ही अपना काम करेंगे और इसी तरह कार्य करते हुए वह जनता की प्रचण्ड-कार्य शक्ति को जगा देंगे, और, मुझे आधी-सी उम्मीद थी कि वह खुद भी सामाजिक ध्येय की तरफ एक-एक कदम आगे बढ़ते चलेगे।

हिन्दुस्तान के और बाहर के कट्टर कम्यूनिस्ट पिछले कई बरसों से गांधीजी और कांग्रेस पर भयंकर हमले करते रहे हैं, और उन्होंने कांग्रेस-नेताओं पर सब तरह की दुर्भावनाओं के आरोप लगाये हैं। कांग्रेस की विचार-धारा पर उनकी बहुत-सी सैद्धान्तिक समालोचना योग्यतापूर्ण और स्पष्ट थी, और बाद की घटनाओं से वह किसी हदतक सही भी साबित हुईं। हिन्दुस्तान की साधारण राजनैतिक हालत के बारे में कम्यूनिस्टों के शुरू के कुछ विश्लेषण बहुत-कुछ सही निकले। मगर जब वह आम उमूलों को छोड़कर तफ़्तीलों में आते हैं, और खासकर जब वह देश में कांग्रेस के महत्व पर विचार करते हैं, तो वे बुरी तरह भटक जाते हैं। हिन्दुस्तान में कम्यूनिस्टों की तादाद और असर कम होने का एक सबब यह भी है कि कम्यूनिज्म का वैज्ञानिक ज्ञान फँलाने और लोगों के दिमागों में उसका विश्वास जमाने की कोशिश करने के बजाय उन्होंने दूसरों को गालियाँ देने में ही ज्यादातर अपनी ताकत लगाई है। इसका उन्ही-पर उलटा असर पड़ा है, और उन्हें नुक़सान पहुँचा है। इनमें से ज्यादातर लोग मजदूरों के हलकों में काम करने के आदी हैं, जहाँ कि मजदूरों को अपनी तरफ़ मिला लेने के लिए सिर्फ़ थोड़े-से नारे ही काफी होते हैं। लेकिन पढ़े-लिखे लोगों के लिए तो सिर्फ़ नारे ही काफी नहीं हो सकते और उन्होंने इस बात को महसूस नहीं किया है कि आज हिन्दुस्तान में मध्यम-वर्ग का पढ़ा-लिखा दल ही सबसे ज्यादा क्रान्तिकारी शक्ति है। कट्टर कम्यूनिस्टों के प्रायः कोशिश न करने पर भी कई पढ़े-लिखे लोग कम्यूनिज्म की तरफ़ खिच आये हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच में एक खाई है।

कम्यूनिस्टों की राय के मुताबिक़, कांग्रेस के नेताओं का लक्ष्य रहा है, सरकार पर आम लोगों का दबाव डालना और हिन्दुस्तान के पूँजीवादियों और ज़मींदारों के हित के लिए कुछ औद्योगिक और व्यापारिक सुविधायें हासिल कर लेना। उनका मत है कि कांग्रेस का काम है—“किसानों, निचले मध्यम-वर्ग और कारखानों के मजदूर-वर्ग के आर्थिक और राजनैतिक असंतोष को बम्बई, अहमदाबाद और कलकत्ते के मिल-मालकों और लक्षपतियों की गाड़ी के सामने खड़ा कर देना।” यह खयाल किया जाता है कि हिन्दुस्तानी पंजीपति टट्टी की ओट में छिपे हुए कांग्रेस-कार्य-समिति को हुकम

बैते हे कि पहले तो वह आम तहरीक शुरू करे, ओर जब वह बहुत व्यापक ओर भयंकर हो जाय तब उसे मुलतवी करदे, या किसी छोटी-मोटी बात पर खत्म करदे । ओर, काँग्रेस के नेता सचमुच अंग्रेजों का चला जाना पसन्द नहीं करते, क्योंकि मूर्खी जनता का घोषण करने के लिए आवश्यक नियन्त्रण करने को उनकी जरूरत है, ओर मध्यम-वर्ग अपने मे यह काम करने की काबलियत नहीं मानता ।

यह ताज्जुब की बात है कि कम्यूनिस्ट इस अजीब विश्लेषण पर यकीन रखते हैं । लेकिन चूँकि जाहिरा उनका विश्वास इसीपर है इसीलिए, आश्चर्य नहीं कि, वे हिन्दुस्तान में इतनी बुरी तरह से असफल हुए हैं । उनकी बुनियादी गलती यह मालूम होती है कि वे हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय आन्दोलन को यूरोपियन मजदूरों के पैमानों से नापते हैं, ओर चूँकि उन्हें यह देखने का अभ्यास है कि बार-बार मजदूर-नेता मजदूर-आन्दोलन के साथ गहारी करते रहे हैं, इसलिए वे उसी मिसाल को हिन्दुस्तान पर लगाते हैं । हिन्दुस्तान का राष्ट्रीय आन्दोलन, जाहिरा ही, कोई मजदूरों या श्रमिकों का आन्दोलन नहीं है । जैसा कि उसके नाम से ही प्रकट होता है, वह एक मध्यम-वर्गी आन्दोलन है ओर अभीतक उसका मकसद समाज-व्यवस्था को बदलना नहीं बल्कि राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना ही रहा है । इसपर कहा जा सकता है कि यह मकसद काफी बड़ा नहीं है, ओर राष्ट्रीयता भी आजकल के जमाने में पिछड़ा हुआ बाद कहला सकता है । लेकिन आन्दोलन के मौलिक आधार को मानते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि नेता लोग भूमि-प्रणाली या पूँजीवादी निजाम को उलट देने की कोशिश ही नहीं करते । इसलिए वे जनता के साथ विश्वास-घात करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा करने का कभी दावा ही नहीं किया । हाँ, काँग्रेस में कुछ लोग ऐसे जरूर हैं, ओर उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, जो भूमि-प्रणाली ओर पूँजीवादी व्यवस्था को बदल देना चाहते हैं, लेकिन वे काँग्रेस के नाम पर नहीं बोल सकते ।

यह सच है कि हिन्दुस्तान के पूँजीवादी वर्गों ने (बड़े-बड़े जमींदारों या ताल्लुकेदारों ने नहीं) ब्रिटिश ओर दूसरे विदेशी माल के बहिष्कार ओर स्वदेशी के बढ़ावे के कारण राष्ट्रीय आन्दोलन से बड़ा फायदा उठाया है । लेकिन, यह तो लाजिमी ही था; क्योंकि हर राष्ट्रीय आन्दोलन देश के उद्योग-धंधों को बढ़ावा देता है, ओर दूसरों का बहिष्कार कराता है । लेकिन, असल में, बम्बई के मिल-मालिकों ने तो सविनय भंग के चालू रहने के वक्त ही ओर जबकि हम ब्रिटिश माल के बहिष्कार का प्रचार करते रहे थे तभी एक नावाजिब तरीके से लंकाशायर से एक समझौता करने का भी हुआस कर डाला था । काँग्रेस की निगाह में यह राष्ट्र के साथ भारी विश्वासघात था, ओर यही नाम उसको दिया भी गया था । असेम्बली में बम्बई के मिल-मालिकों के नुमाइन्दों ने,

जबकि हममें से ज्यादातर लोग जेल में थे, लगातार कांग्रेस और 'अति-वादी' यानी गरम दल के लोगों की निन्दा की थी ।

पिछले कुछ बरसों में कई पूंजीपति-दल्ले ने हिन्दुस्तान में जो-जो काम किये हैं वे कांग्रेस की और राष्ट्रीय दृष्टि से भी कलंक-रूप हैं । ओटावा के समझौते से शायद कुछ लोगों को फायदा हो गया होगा, लेकिन हिन्दुस्तान के सारे उद्योग-धंधों की दृष्टि से वह बुरा था, और उससे वे ब्रिटिश पूंजी और कारखानों की ज्यादा अधीनता में आ गये । वह समझौता जनता के लिए हानिकार था, और तब किया गया था जबकि हमारी लड़ाई चालू थी और कई हज़ार लोग जेलों में थे । हर उपनिवेश ने इंग्लैण्ड से अपनी सख्त-से-सख्त शर्तें मनवा लीं, लेकिन हिन्दुस्तान को तो मानों उसमें अपनेको करीब-करीब लुटा देने का सौभाग्य ही मिल गया । पिछले कुछ बरसों में कुछ बड़े धनियों ने हिन्दुस्तान को नुकसान में डालकर भी सोने और चांदी का व्यापार किया है ।

और बड़े-बड़े ज़मींदार और ताल्लुकदार तो गोलमेज़-कान्फ़ेन्स में कांग्रेस के बिलकुल खिलाफ़ ही खड़े हो गये थे, और ठीक सविनय भंग के दर्पाने उन्होंने खुले तौर पर और आगे बढ़कर अपने-आपको सरकार की तरफ़ धोषित कर दिया था । इन्हीं लोगों की मदद से सरकार ने भिन्न-भिन्न प्रान्तों में उन दमनकारी कानूनों को पास किया, जिनका समावेश आर्डिनेन्सों में हो जाता था । और युक्तप्रान्त की कौंसिल में ज्यादातर ज़मींदार मेम्बरों ने सविनय भंग के क़दियों की रिहाई के खिलाफ़ राय दी थी ।

यह खयाल भी बिलकुल ग़लत है कि, गांधीजी ने १९२१ और १९३० में तेज़ दीखनेवाले आन्दोलन मजबूरन जनता का जोर पड़ने से ही चालू किये थे । बेशक, आम जनता में हलचल थी, लेकिन दोनों आन्दोलनों में कदम गांधीजी ने ही आगे बढ़ाया था । १९२१ में वह करीब-करीब अकेले ही सारी कांग्रेस की डोर हिलाते थे और उसे असहयोग के रास्ते चढ़ा ले गये थे । १९३० में भी अगर उन्होंने किसी तरह भी विरोध किया होता, तो कोई भी तेज़ और परिणामकारी सीधी लड़ाई का आन्दोलन हरगिज़ न उठ सकता था ।

यह बड़ी बदकिस्मती की बात है कि मुख़तापूर्ण और बिना जानकारी के व्यक्तिगत नुक़्ताचीनी की जाती है, क्योंकि उससे ध्यान असली सवालों से दूसरी तरफ़ हट जाता है । गांधीजी की ईमानदारी पर हमला करने से तो अपने-आपका और अपने काम का ही नुक़सान होता है, क्योंकि हिन्दुस्तान के करोड़ों आदमियों के लिए तो वह सत्य के ही मूर्त-रूप हैं, और उन्हें जो कोई पहचानते हैं वे जानते हैं कि वह हमेशा सही काम करने के लिए कितने व्याकुल रहते हैं ।

हिन्दुस्तान में कम्यूनिस्टों का ताल्लुक बड़े शहरों के कारखानों के मजदूरों के साथ ही रहा है। देहाती हलकों की जानकारी या सम्पर्क उनके पास नहीं है। हालांकि कारखानों के मजदूरों का भी एक महत्व है, और भविष्य में और भी उनका ज्यादा महत्व होगा, लेकिन उनका किसानों के सामने दूसरा ही दर्जा रहेगा, क्योंकि हिन्दुस्तान में आज तो किसानों की समस्या ही मुख्य है। इधर कांग्रेस-कार्यकर्ता इन देहाती हलकों में सब दूर फँल चुके हैं, और समय पर अपने-आप कांग्रेस किसानों का एक बड़ा संगठन बन जायगी। अपना निकट-लक्ष्य प्राप्त करने के बाद किसान कभी भी क्रान्तिकारी नहीं रहते और यह मुमकिन है कि भविष्य में किसी बकन शहर बनाम देहात और कारखानों के मजदूर बनाम किसान की सामान्य समस्या हिन्दुस्तान में भी खड़ी हो जाय।

मुझे कांग्रेस के बहुत-से नेताओं और कार्यकर्ताओं के गहरे सम्पर्क में आने का सीमाभंग मिला है, और इनसे ज्यादा अच्छे स्त्री-पुरुषों की मैं स्वाहिस भी नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी जरूरी सवालों में मेरा उनसे मतभेद रहा है, और कई बार मैं यह देखकर उकता गया हूँ कि जो बात मुझे साफ़-सी दिखाई देती है उसकी वे कद भी नहीं कर सकते या उसे समझ भी नहीं सकते। इसका सबब अकल की कमी नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम विचारों की अलग अलग पगडंडियों पर चल रहे हैं। मैंने महसूस किया कि इन सीमाओं को अचानक पार कर जाना कितना मुश्किल है। इनमें जीवन-सम्बन्धी तत्त्वज्ञान ही भिन्न-भिन्न है, और वह हमें धीरे-धीरे और अनजान में प्रभावित करता रहता है। परस्पर एक-दूसरे दल को दोष देना फ़जूल है। समाजवाद के लिए जीवन और उसकी समस्याओं पर एक खास मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होने की जरूरत है। वह केवल युक्तिवाद से कुछ अधिक है। इसी तरह, दूसरे दृष्टिकोण भी परम्परा, शिक्षण और भूत और वर्तमान परिस्थितियों के अज्ञात प्रभाव पर आधारित हैं। जीवन की कठिनाइयों और उसके कड़वे अनुभव ही हमें नये रास्तों से चलने को मजबूर करते हैं, और अन्त में, जोकि इससे बहुत ज्यादा कठिन काम है, हमारा दृष्टिकोण बदल देते हैं। सम्भव है इस प्रक्रिया में हम भी थोड़े सहायक हो सके और शायद—

“मनुष्य अपने भवितव्य पर उसी मार्ग से पहुँच जाता है जिसपर वह उससे बचने के लिए चलता है।”

१. ला फोर्टिन के निर्मललिखित फ़्रेञ्च उद्धरण का यह अनुवाद है:—

‘On rencontre sa destinee’.

Souvent par les chemins q’on prend pour l’e’viter.”

• मजहब क्या है ?

सितम्बर १९३२ के मध्य में एक अचानक और बड़ी चिन्ताजनक घटना से जेल के हमारे शान्तिपूर्ण और एक-ठरें के जीवन में खलबली मच गई। खबर आई कि मि० रेम्जे मैकडोनल्ड के साम्प्रदायिक 'निर्णय' में दलित जातियों को जुदागाना चुनाव दिये जाने के विरोध में गांधीजी ने 'आमरण अनशन' करना तय किया है। लोगों को अचानक आघात देने की उनमें कितनी क्षमता है ? सहसा सभी तरह के खयाल मेरे दिमाग में आने लगे; सब तरह की होनहार और सम्भावनायें मेरे सामने आने लगी, और उन्होंने मेरे चित्त को बिलकुल उद्विग्न कर दिया। दो दिन तक मुझे बिलकुल अंधेरा-ही-अंधेरा दिखाई दिया, और कोई रास्ता नहीं सूझा। जब मैं गांधीजी के काम के कुछ नतीजों का खयाल करता तो मेरा दिल बैठ जाता था। उनके प्रति मेरी व्यक्तिगत भावना काफी प्रबल थी, और मुझे ऐसा लगता था कि अब शायद मैं उन्हें नहीं देख सकूंगा। इस खयाल से मुझे बहुत ही पीड़ा होती थी। आखिरी दफा करीब एक साल से कुछ ज्यादा पहले मैंने उन्हें इंग्लैण्ड जाते वक्त जहाज पर देखा था। क्या अब मैं उन्हें न देख सकूंगा ?

और फिर मुझे उनपर झुझलाहट भी आई कि उन्होंने अपनी आखिरी कुरबानी के लिए एक छोटा-सा, मिर्फा चुनाव का, मामला लिया है। हमारे आजादी के आन्दोलन का क्या होगा ? क्या अब, कम-से-कम थोड़े वक्त के लिए ही सही, बड़े सवाल पीछे नहीं पड़ जायेंगे ? और, अगर वह अपनी अभी की बात पर कामयाब भी हो जायेंगे, और दलित जातियों के लिए सम्मिलित चुनाव प्राप्त भी कर लेंगे, तो क्या इससे एक प्रतिक्रिया न होगी, और यह भावना न फल जायगी कि कुछ-न-कुछ तो हासिल कर ही लिया गया है, और थोड़े वक्त तक अब कुछ भी न करना चाहिए ? और क्या उनके इस काम के यह मानी नहीं हैं कि वह साम्प्रदायिक 'निर्णय' को मानते और सरकार की तैयार की हुई आम तजवीज को किसी हद तक मंजूर करते हैं ? क्या यह असहयोग और सविनय भंग से सुसंगत है ? इतने बलिदान और साहस-पूर्ण प्रयत्न के बाद क्या हमारा आन्दोलन इस मामूली प्रश्न पर आकर अटक जायगा ?

उनके राजनैतिक सवाल को धार्मिक और भावुकतापूर्ण दृष्टिकोण से देखने और उसके मुताबिक बारबार ईश्वर का नाम लेने से मुझे उनपर गुस्सा भी आया।

उनके कहने से तो ऐसा मालूम पड़ता था कि शायद ईश्वर ने उन्हें अनशन की तारीख तक सुन्ना दी थी। ऐसी मिसाल पेश करना कितना खतरनाक होगा !

और अगर बापू मर गये। तो, हिन्दुस्तान की क्या हालत हो जायगी ? मुझे भविष्य सूना और उदास दीखने लगा, और जब मैं उसपर विचार करता था तो मेरे दिल में एक निराशा छा जाती थी।

इस तरह मैं लगातार विचारों ही विचारों में डूबता रहा। मेरे दिमाग में गड़बड़ी मच गई, और गुस्सा, निराशा और जिस व्यक्ति ने इतनी बड़ी उथल-पुथल पैदा कर दी उसके प्रति प्रेम से वह सराबोर हो गया। मुझे नहीं सूझता था कि मैं क्या करूँ, और सबसे ज्यादा अपने-आपके प्रति मैं चिड़चिड़ा और बद-मिज़ाज हो गया।

और फिर मुझे एक अजीब बात हुई। मुझपर भावनाओं का ऐसा दौर गुरू हुआ कि एक संकट-काल ही आ उपस्थित हुआ, पर अन्त में जाकर मुझे कुछ शान्ति मालूम हुई, और भविष्य भी इतना अन्धकार-पूर्ण दिखाई नहीं दिया। बापू में ऐन मौके पर ठीक काम कर डालने की अजीब सूझ थी, और मुमकिन है कि उनके इस काम के भी—जो मेरे दृष्टि-बिन्दु से बिल्कुल असमर्थनीय था—कोई बड़े नतीजे हो, और वह केवल उसी काम के छोटे-से सीमित क्षेत्र में नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय लड़ाई के व्यापक स्वरूपों में भी। और अगर बापू मर भी गये, तो भी हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई चलती रहेगी। इसलिए कुछ भी नतीजा हो, इन्सान को हर हालत के लिए तैयार और मुस्तैद रहना चाहिए। अपने दिमाग को गांधीजी की मृत्यु तक बरदाश्त करने के लिए बिना हिचकिचाहट के तैयार करके मैंने शान्ति और धैर्य धारण किया, और दुनिया और दुनिया की हर घटना का सामना करने को तैयार हो गया।

इसके बाद सारे देश में एक भयंकर उथल-पुथल मचने, हिन्दू-समाज में उत्साह की एक जादूमरी लहर आ जाने की खबरें आईं, और मालूम होने लगा कि अस्पृश्यता का अब स्यात्मा ही होनेवाला है। मैं सोचने लगा कि यरवडा-जेल में बैठा हुआ यह छोटा-सा आदमी कितना बड़ा जादूगर है, और लोगों के दिलों में खलबली मचा देनेवाली डोर हिलाना वह कितनी अच्छी तरह जानता है !

उनका एक तार मुझे मिला। मेरे जेल आने के बाद यह उनका पहला ही सदेश था, और इतने लम्बे अर्से के बाद उनका यह तार मिलने से मुझे लाभ ही हुआ। इस तार में उन्होंने लिखा :—

“इन वेदना के दिनों में मुझे हमेशा तुम्हारा ध्यान रहा है। तुम्हारी राय जानने को मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। तुम्हें मालूम है, मैं तुम्हारी राय

को कितनी कद्र करता हूँ। मैंने इन्दु (और) सरूप के बच्चों को देखा। इन्दु खुश और कुछ तगड़ी दीखती थी। तबीयत बहुत ठीक है। तार से जवाब दो। स्नेह।”

यह एक असाधारण बात थी, लेकिन उनके स्वभाव के अनुसार ही थी, कि उन्होंने अपने अनशन की पीड़ा और अपने काम-काज के बीच भी मेरी लड़की और मेरी बहन के बच्चों के आने का जिक्र किया, और यह भी लिखा कि इन्दिरा तगड़ी हो गई हैं। उस वक्त मेरी बहन भी पूना की जेल में थी, और ये सब बच्चे पूना के स्कूल में पढ़ते थे। वह जीवन में छोटी दीखनेवाली बातों को कभी नहीं भूलते, जिनका वास्तव में बड़ा महत्व भी होता है।

ठीक उसी वक्त मुझे यह खबर भी मिली कि चुनाव के सवाल पर कोई समझौता भी हो गया है। जेल के सुपरिन्टेण्डेंट ने महरबानी करके मुझे गांधीजी को जवाब भेजने की इजाजत दे दी, और मैंने उन्हें यह तार भेजा :—

“आपके तार और यह संक्षिप्त समाचार मिलने से कि कोई समझौता हो गया है, मुझे बड़ी राहत और खुशी हासिल हुई। पहले तो आपके अनशन के निश्चय से मानसिक क्लेश और बड़ी दुविधा पैदा हुई, पर आखिरमें आशावाद की विजय हुई और मुझे मानसिक शान्ति मिली। पद-दलित वर्गों के लिए बड़े-से-बड़ा बलिदान भी कम ही है। स्वतन्त्रता की कसौटी सबसे छोटे की स्वतन्त्रता से करनी चाहिए, मगर मुझे यह खतरा मालूम होता है कि कहीं हमारे एक-मात्र लक्ष्य को दूसरे सवालगत ढक न लें। मैं धार्मिक दृष्टिकोण से निर्णय करने में असमर्थ हूँ। यह भी खतरा है कि दूसरे लोग आपके तरीकों का दुरुपयोग करेंगे। लेकिन एक जादूगर को मैं कैसे सलाह दे सकता हूँ? स्नेह।”

पूना में जमा हुए भिन्न-भिन्न लोगों ने एक समझौते पर दस्तखत किये, और ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ने उसे चटपट मंजूर कर लिया और उसके मुताबिक अपना पिछला ‘निर्णय’ बदल दिया, और अनशन तोड़ दिया गया। मैं ऐसे समझौतों और इकरारनामों को बहुत नापसन्द करता हूँ, लेकिन पूना के समझौते में क्या-क्या तय हुआ इसका खयाल न करते हुए भी मैंने उसका स्वागत किया।

उत्तेजना खत्म हो चुकी थी, और हम जेल के अपने मामूली कार्यक्रम में लग गये। हरिजन-आन्दोलन और जेल में से गांधीजी की प्रवृत्तियों की खबरें हमें मिलती रहती थीं। लेकिन उनसे मुझे खुशी नहीं होती थी। इसमें शक नहीं कि अछूतपन को मिटाने और दुःखी दलित जातियों को उठाने के आन्दोलन को उससे बड़े गजब का



कुमारी इन्दिरा नेहरू

बढ़ावा मिला, लेकिन वह समझौते के कारण नहीं, बल्कि देशभर में जो एक जेहादी जोश फैल गया था उसके कारण। यह तो अच्छी बात थी। लेकिन इसीके साथ-साथ यह भी साफ़-आहिर था कि इससे सविनय भंग को नुकसान पहुँचा। देश का ध्यान दूसरे सवालों पर चला गया, और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता हरिजन-कार्य में लग गये। शायद उनमें से ज्यादातर लोग कम खतरे के कामों में लगने का बहाना चाहते ही थे, जिनमें जेल जाने, या इससे भी ज्यादा, लाठी खाने और सम्पत्ति जप्त कराने का डर न हो। यह कुदरती ही था, और हमारे हजारों कार्यकर्ताओं में से हरेक से यह उम्मीद करना ठीक भी न था कि वह गहरे कष्ट-सहन और अपने परिवार के भंग और नाश के लिए हमेशा तैयार रहे। लेकिन हमारे बड़े आन्दोलन का इस तरह धीरे-धीरे ट्रस होना देखकर दिल में दर्द होता था। फिर भी, सविनय भंग तो चलता ही रहा, और मीके-मीके पर मार्च-अप्रैल १९३३ की कलकत्ता-कांग्रेस जैसे बड़े-बड़े प्रदर्शन हो ही जाते थे। गांधीजी यरवडा-जेल में थे, मगर उन्हें लोगों से मिलने और हरिजन-आन्दोलन के मुताबिक हिदायतें भेजने की कुछ सुविधायें मिल गई थीं। कुछ भी हो, इससे उनके जेल में रहने की तीक्ष्णता कम हो गई थी। इन सब बातों से मुझे बड़ी उदासी हुई।

कई महीने बाद, मई १९३३ में, गांधीजी ने अपना इक्कीस दिन का उपवास शुरू किया। इसकी खबर से भी पहले तो मुझे बड़ा धक्का लगा, लेकिन हौनहार ऐसा ही था, यह समझकर मैंने उसे मंजूर कर लिया और अपने दिल को समझा लिया। वास्तव में मुझे उन लोगों पर ही झूझल आई जो उनपर उपवास का निश्चय कर लेने और घोषित कर देने के बाद उसे छोड़ देने का जोर डाल रहे थे। उपवास मेरी तो समझ के बाहर था और निश्चय कर लेने के पहले अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं जोर से उसके खिलाफ़ राय देता, लेकिन मैं गांधीजी की प्रतिज्ञा का बड़ा महत्व समझता था, और किसी भी व्यक्ति के लिए मुझे यह गलत मालूम होता था कि वह किसी भी व्यक्तिगत मामले में, जिसे वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझते थे, उनकी प्रतिज्ञा को तुड़वाने की कोशिश करे। इस तरह हालांकि मैं खिन्न था, फिर भी उसको गबारा करता रहा।

अपना उपवास शुरू करने से कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे अपने खास ढंग का एक पत्र भेजा, जिससे मेरा दिल बहुत हिल गया। चूँकि उन्होंने जवाब माँगा था, इसलिए मैंने निम्नलिखित तार भेजा :—

“आपका खत मिला। जिन मामलों को मैं नहीं समझता उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ ? मैं तो एक बेगाने देश में, जहाँ आप ही एक-

मात्र परिचित मीनार की तरह हैं, अपना कहीं पता ही नहीं पाता हूँ; अँधेरे में अपना रास्ता टटोलता हूँ, लेकिन ठोकर खाकर गिर जाता हूँ। नतीजा जो कुछ हो, मेरा स्नेह और मेरे विचार हमेशा आपके साथ होंगे।”

एक ओर उनके कार्य को मैं बिलकुल नापसन्द करता था, और दूसरी ओर उन्हें आघात न पहुँचाने की भी मेरी इच्छा थी। इस द्वन्द्व का मुझे सामना करना पड़ा था। मगर फिर भी मैंने महसूस किया कि मैंने उन्हें प्रसन्नता का संदेश नहीं भेजा, और अब जब कि वह अपनी भयंकर अग्नि-परीक्षा में से, जिसमें उनकी मृत्यु भी हो सकती थी, गुजरने का निश्चय कर ही चुके हैं, तो मुझे चाहिए कि मुझसे जितना बन सके उतना मैं उन्हें प्रसन्न बनाऊँ। छोटी-छोटी बातों का भी मन पर बड़ा असर होता है, और उन्हें जीवन बनाये रखने के लिए अपना सारा मनोबल लगा देना पड़ेगा। मुझे ऐसा भी लगा कि अब जो कुछ भी होकर रहे, चाहे दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु भी हो जाय तो उसे भी कड़े दिल से बरदाश्त कर लेना चाहिए। इसलिए मैंने उन्हें दूसरा तार भेजा:—

“अब तो जब आपने अपना जोखों का काम शुरू कर ही दिया है, तो मैं फिर अपना स्नेह और अभिनन्दन आपको भेजता हूँ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब मुझे यह ज्यादा साफ़ तौर पर दिखाई देता है कि जो कुछ होता है वह अच्छा ही होता है, और कुछ भी नतीजा हो, आपकी विजय ही है।”

उनका उपवास पूरा हो गया और वह जीवित रहे। उपवास के पहले ही दिन वह जेल से रिहा कर दिये गये, और उनके कहने से छः हफ्तों के लिए सविनय अंग स्थगित कर दिया गया।

मैंने देखा कि उपवास के बीच में देश में भावना का फिर एक उभाड़ आया। मैं ज्यादा-ज्यादा सोचने लगा कि क्या राजनीति में यह सही तरीका है? मुझे तो लगने लगा, कि यह केवल पुनरुद्धार-वाद है और इसके सामने स्पष्ट विचार करने का तरीका बिलकुल नहीं ठहर सकता। सारा हिन्दुस्तान, या उसका ज्यादातर हिस्सा, सम्मान से महात्माजी की तरफ निगाह गड़ाये हुए था, और उनसे उम्मीद करना था कि वह चमत्कार-पर-चमत्कार करते चले जायें, अस्पृश्यता का नाश कर दें, और स्वराज्य हासिल करले, इत्यादि, और खुद कुछ भी न करें। गांधीजी भी दूसरों को विचार करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते थे, उनका और पवित्रता और बलिदान पर था। मुझे लगा कि हालांकि मैं गांधीजी पर बड़ी भावुकतापूर्ण आसक्ति रखता हूँ फिर भी मानसिक दृष्टि से मैं उनसे दूर होता चला जा रहा हूँ। अब्बर वह

अपनी राजनैतिक हलचलों में अपनी सहज वृत्ति से, जो गलती नहीं करती थी, काम लेते थे। अच्छा और फायदेमन्द काम करने का उनमें स्वभावसिद्ध गुण है; लेकिन क्या राष्ट्र को तैयार करने का रास्ता श्रद्धा का ही है? कुछ वक्त के लिए तो यह फायदेमन्द हो सकता है, मगर अन्त में क्या होगा?

और मैं यह नहीं समझ सका कि वह वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को, जिसकी बुनियाद हिंसा और संघर्ष पर है, कैसे मंजूर कर लेते हैं, जैसाकि वह मंजूर करते हुए चीखते हैं? मेरे अन्दर जोर से संघर्ष चलने लगा, और मैं दो प्रतिस्पर्धी निष्ठाओं की चक्की में पिसने लगा। मैंने जान लिया कि जब मैं जेल की चहारदीवारी से बाहर निकलूंगा, तब भविष्य में मेरे सामने मुसीबत ही खड़ी मिलेगी। मुझे प्रतीत होने लगा कि मैं अकेला और निराश्रय हूँ, और हिन्दुस्तान, जिसे मैंने प्यार किया और जिसके लिए मैंने इतना परिश्रम किया, मुझे एक पराया और हड़बड़ाहट में डालनेवाला देश मालूम होने लगा। क्या यह मेरा कुसूर था कि मैं अपने मुल्कवालों की स्पिरिट और विचार-प्रणाली से अपना मेल न बैठा सका? मुझे मालूम हुआ कि अपने गहरे-से-गहरे साथियों के ओर मेरे बीच में एक अप्रत्यक्ष दीवार खड़ी हो गई है, और उसको पार करने में अपने-आपको असमर्थ पाकर मैं दुःखी हो गया और मन मसोस कर बैठ गया। उन सब पर मानो पुरानी दुनिया ने, पुरानी विचारधाराओं, पुरानी आशाओं और पुरानी इच्छाओं की दुनिया ने अपना आवरण डाल रक्खा था। नई दुनिया का निर्माण होना तो अभी बहुत दूर था।

दो लोकों के बीच भटकता,

आश्रय की कुछ आश नहीं;

मरी पड़ी है एक दूसरे में

उठने की शक्ति नहीं।'

हिन्दुस्तान, सब बातों से ज्यादा, धार्मिक देश समझा जाता है, और हिन्दू और मुसलमान और सिख और दूसरे लोग अपने-अपने मतों का अभिमान रखते हैं, और एक-दूसरे के सिर फोड़कर उनकी सचाई का सुबूत देते हैं। हिन्दुस्तान में और दूसरे मुल्कों में मजहब के, और कम-से-कम मीजूदा रूप में संगठित मजहब के, दृश्य ने मुझे भयभीत कर दिया है, मैंने उसकी कई बार निन्दा की है, और उसको जड़-मूल से

१. मूल अंग्रेज़ी पद्य किम्बदन्तकार है :—

“Wandering between two worlds, one dead,

The other powerless to be born

With nowhere yet to rest his head.”

मिट्टा देने तक की स्वाहिस की है। मुझे तो प्रायः-हमेशा यही मालूम हुआ कि अन्ध-विश्वास और प्रतिगामिता, जड़ सिद्धान्त और कट्टरपन, मिथ्या-विचार और शोषण और स्थापित स्वार्थों के संरक्षण का ही नाम मजहब है। मगर यह भी मुझे अच्छी तरह मालूम है कि उसमें और भी कुछ है, उसमें कुछ ऐसी चीज भी है जो इन्सानों की गहरी आन्तरिक आकांक्षा को भी पूरा करती है। वरना उसका इतनी जबरदस्त ताकत बनना जैसाकि वह बना हुआ है कैसे मुमकिन था, और उससे वेशुमार पीड़ित आत्माओं को शान्ति और विश्राम कैसे मिल सकते थे ? क्या वह शान्ति सिर्फ अन्ध-विश्वास की छाया या शंका के अभाव का बहाना ही था ? क्या वह बैसी ही शान्ति थी जैसी खुले समुद्र के तूफानों से बचकर किसी बन्दरगाह में मिलती है, या उससे कुछ ज्यादा थी ? कुछ बातों में तो सचमुच वह इससे कुछ ज्यादा ही थी।

लेकिन इसका भूतकाल कैसा भी रहा हो, आजकल का संगठित मजहब तो ज्यादातर एक खाली ढोल ही रह गया है, जिसके अन्दर कोई तत्त्व नहीं है। श्री जी० के० चेस्टरटन ने इसके लिए (अपने खास तरह के मजहब के लिए नहीं, मगर दूसरों के लिए !) भूगर्भ में पाये जानेवाले ऐसे 'फॉसिल' की उपमा दी है, जो किसी ऐसे जानवर या सजीव वस्तु का सिर्फ ढाचा मात्र है कि जिसके अन्दर से उसका अपना जीवित तत्त्व तो पूरी तरह से निकल चुका है, लेकिन जिसका उपरी पञ्जर रह गया है और जिसके अन्दर कोई बिलकुल दूसरी ही चीज भर दी गई है। और, अगर किसी मजहब में कोई महत्वपूर्ण चीज रह भी गई है तो, उसपर और दूसरी हानिकर चीजों का आवरण चढ़ गया है।

मालूम होता है कि यही बात हमारे पूर्वी मजहबों में, और पश्चिमी मजहबों में भी, हुई है। चर्च आफ इंग्लैण्ड एक ऐसे मजहब की मिसाल है, जो किसी भी मानी में मजहब नहीं है। किसी हद तक, यही बात सारे संगठित प्रोटेस्टेण्ट मजहबों के बारे में सही है; लेकिन इसमें सबसे आगे बढ़ा हुआ चर्च आफ इंग्लैण्ड ही है, क्योंकि वह बहुत असें से एक सरकारी राजनैतिक महकमा बन चुका है।'

१. हिन्दुस्तान में चर्च आफ इंग्लैण्ड तो प्रायः सरकार से अलग मालूम ही नहीं होता है। जिस तरह ऊंचे सरकारी मुलाज़िम साम्राज्यवादी सत्ता के प्रतीक हैं उसी तरह (हिन्दुस्तान के खज़ाने से) सरकार की तरफ से तनख्वाह पायेवाले पाद्री और चंपसेन भी हैं। हिन्दुस्तान की राजनीति में चर्च कुल मिलाकर एक रुढ़िवादी और प्रतिगामी शक्ति रही है और आम तौर पर छपार या प्रगति के विरुद्ध रही है। सामान्य ईसाई मिशनरी हिन्दुस्तान के पुराने इतिहास और संस्कृति से आम तौर पर बिलकुल

उसके बहुत-से अनुयायियों का चारित्र्य बेशक ऊँचे-से-ऊँचा है मगर यह मार्क की बात है कि किस तरह इस चर्च ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की गरज को पूरा किया है, और पूँजीवाद और साम्राज्यवाद दोनों को किस तरह नैतिक और ईसाई जामा पहना दिया है। इस मज़हब ने एशिया और अफ्रीका में अंग्रेजों की लुटेरी नीति का समर्थन करने की कोशिश की है, और अंग्रेजों में एक गैरमामूली और रसक करने योग्य भावना भर दी है कि हम हमेशा ठीक ही और सही काम करते हैं। इस बड़प्पन-भरी सत्कार्य-भावना को इस चर्च ने पैदा किया है या वह खुद उससे पैदा हुई है, यह मैं नहीं जानता। यूरोपियन महाद्वीप के और अमेरिका के दूसरे देश, जो इंग्लैण्ड के बराबर खुश-नसीब नहीं हुए हैं, अक्सर कहते हैं कि अंग्रेज मक्कार हैं—‘परफ़ाईड एलबियन’ ना-बाक़िफ़ होते हैं और वे यह जानने की ज़रा भी तकलीफ़ नहीं उठाते कि वह कैसी थी या कैसी है। वे गैरईसाइयों के पापों और कमज़ोरियों को दिखाते रहने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। बेशक, कई लोग इनमें बहुत ऊँचे अपवाद-रूप हुए हैं। चार्ली एगडरूज़ से बढ़कर हिन्दुस्तान का दूसरा सच्चा दोस्त नहीं हुआ, जिनमें प्रेम और सेवा की भावना और उमड़ती हुई मैत्री खूब लबालब भरी हुई है। पूना के फ़ाहस्ट सेवा संघ में भी कुछ अच्छे अंग्रेज हैं जिनके मज़हब ने उन्हें दूसरों को सम्भ्रमा और उनकी सेवा करना, न कि अपना बड़प्पन दिखाना, सिखलाया है और जो अपनी सारी बड़ी-बड़ी योग्यताओं के साथ हिन्दुस्तान की जनता को सेवा में लग गये हैं। दूसरे भी कई अंग्रेज पादरी हुए हैं, जिनको हिन्दुस्तान याद करता है।

१० दिसंबर १९३४ को लार्ड-सभा में बोलते हुए केगटरबरी के धर्माध्यक्ष ने १९१९ के मायटेगु चेम्सफ़ोर्ड-सुधारों की प्रस्तावना का जिक्र करते हुए कहा था कि “कभी-कभी मुझे ख़याल आता है कि यह बड़ी घोषणा कुछ जल्दबाजी से कर दी गई है, और मेरा अनुमान है कि महायुद्ध के बाद एक उतावलेपन का और उदारता-पूर्ण प्रदर्शन कर दिया गया है, लेकिन जो ध्येय निश्चित कर दिया गया है उसे वापस नहीं लिया जा सकता।” यह गौर करने लायक़ बात है कि इंग्लिश चर्च का धर्माध्यक्ष हिन्दुस्तान की राजनीति के बारे में ऐसा अनुदार दृष्टिकोण रखता है। जो चीज़ भारतीय लोकमत के अनुसार बिलकुल ही नाक़ाफ़ी समझी गई, और इसी कारण जिसके लिए असहयोग और बाद की तमाम घटनायें हुईं, उसको धर्माध्यक्ष साहब ‘उतावलेपन का और उदारतापूर्ण’ प्रदर्शन कहते हैं। इंग्लैण्ड के शासकवर्ग के दृष्टिकोण से यह एक सन्तोष-प्रद सिद्धान्त है, और इसमें शक़ नहीं कि अपनी उदारता के सम्बन्ध में उनका यह विश्वास, जो कि अभिषेक की हद् तक पहुँच जाता है, उनके अन्दर सन्तोष की एक सात्विक ज्योति पैदा किये बिना न रहता होगा।

यह एक पुराना ताना है। लेकिन शायद यह इलजाम तो अंग्रेजों की कामयाबी पर हसद के सबब से लगाया जाता है, और निश्चय ही कोई दूसरे मुल्क भी इंग्लैण्ड के दोष नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनके भी कारनामे इतने ही खराब हैं। जो राष्ट्र जानता हुआ भी मक्कारी करता है, उसके पास हमेशा इतना शक्ति-संग्रह नहीं रह सकता, जैसा कि अंग्रेजों ने बार-बार दिखाया है; और इसमें उसके सास तरह के 'मजहब' ने जहाँ अपना स्वार्थ सधता हो वहाँ नीति-अनीति की चिन्ता करने की भावना को भोंपरा करके उसे मदद दी है। दूसरी जातियों और राष्ट्रों ने अक्सर अंग्रेजों से भी बहुत खराब काम किये हैं, लेकिन अंग्रेजों की बराबर वे अपनी स्वार्थ-साधना को गुण बनाने में कामयाब नहीं हुए हैं। हम सभीके लिए यह बहुत आसान है कि हम दूसरों के तिल के बराबर दोष को ताड़ के बराबर बता दें, लेकिन शायद हम करतब में भी अंग्रेज ही सबसे ज्यादा बढ़कर हैं।'

प्रोटेस्टेण्ट-मत ने नई परिस्थिति के मुताबिक बन जाने की कोशिश की, और दोनों दुनिया का ही ज्यादा-से-ज्यादा फायदा उठाना चाहा। जहाँतक इस दुनिया का तालुक था वहाँतक तो वह खूब ही कामयाब हुआ, लेकिन मजहब की दृष्टि से वह संगठित मजहब के रूप में न घर का रहा न घाट का। और धीरे-धीरे मजहब की जगह भावुकता और व्यवसाय आ गया। रोमन केथोलिक मत इस नतीजे से बच गया। क्योंकि वह पुरानी जड़ को ही पकड़े रहा, और जबतक वह जड़ कायम रहेगी तबतक वह भी फलता-फूलता रहेगा। पश्चिम में आज वही एक अपने सीमित अर्थ में जिन्दा मजहब है। एक रोमन केथोलिक दोस्त ने जेल में मेरे पास केथोलिक-मत पर कई पुस्तकें और धार्मिक पत्र भेज दिये थे, और मेने उन्हें बड़ी विलचस्पी से पढ़ा था। उन्हें पढ़ने पर मुझे लगा कि अब भी बहुत लोगों पर उसका बड़ा प्रभाव है। इस्लाम और प्रचलित हिन्दू-धर्म की तरह ही उससे भी सन्देह और मानसिक दुःख से राहत

१. चर्च आफ इंग्लैण्ड हिन्दुस्तान की राजनीति पर किस तरह अपना अग्रव्यक्त असर डालता है, इसकी हाल ही में एक मिसाल मेरे देखने में आई है। ७ नवम्बर १९३४ को कानपुर में युक्तप्रान्तीय हिन्दुस्तानी ईसाई कॉन्फ्रेंस में स्वागताध्यक्ष श्री ई० डी० डेविड ने कहा था कि "ईसाई की हैसियत से, हमारा वह धार्मिक कर्तव्य है कि हम सम्राट के राजभक्त रहें, जो कि हमारे 'धर्म के संरक्षक' हैं।" लाजिमी तौर पर इसका मतलब है हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का समर्थन। श्री डेविड ने आई० सी० एम०, पुलिस और सारे प्रस्तावित विधान के बारे में, जिससे उनके विचारानुसार हिन्दुस्तान के ईसाई मिशन इतरे में पढ़ सकते हैं, इंग्लैण्ड के 'कहूर' अनुदार लोगों की राय के साथ भी अपनी सहानुभूति ज़ाहिर की थी।

मिल जाती है और मबिध्य के जीवन के बारे में एक आश्वासन मिल जाता है, जिससे इस जीवन की कसर पूरी हो जाती है ।

मगर, मेरा खयाल है कि, इस तरह की सुरक्षितता चाहना मेरे लिए तो नामुमकिन है । मैं तो खुले समुद्र को ही ज्यादा चाहता हूँ, जिसमें चाहे जितनी आँकियाँ और तूफान हों; न मुझे पर-लोक की या मौत के बाद क्या होता है इसके बारे में मुझे कोई खिलबस्पी नहीं है । इस जीवन की समस्याएँ ही मेरे दिमाग को भर देने के लिए काफ़ी मालूम होती हैं । चीनियों की परम्परागत जीवन-दृष्टि, जो कि मूलतः नैतिक है लेकिन फिर भी गैर-मजहबी या नास्तिकता का रंग लिये हुए है, मुझे पसन्द आती है, हालाँकि जिस तरह वह अमल में लाई जा रही है वह मुझे पसन्द नहीं है । मुझे तो 'ताओ' यानी मार्ग या जीवन के पथ में दिलचरपी है; मैं चाहता हूँ कि जीवन को समझा जाय, उसका त्याग नहीं बल्कि उसको अंगीकार किया जाय, उसके अनुसार चला जाय, और उसको उन्नत बनाया जाय । मगर आम मजहबी दृष्टिकोण इस दुनिया से ताल्लुक नहीं रखता । मुझे वह स्पष्ट विचार का दुश्मन मालूम होता है, क्योंकि उसकी बुनियाद सिर्फ़ कुछ स्थिर और अपरिवर्तनीय मतों और सिद्धान्तों को बिना चूँचपड़ किये स्वीकार कर लेने पर ही नहीं है, बल्कि वह मानसिक प्रवृत्ति, भावना और भावुकता पर भी आधारित है । वह, मैं जिन्हे आध्यात्मिकता और आत्मा-सम्बन्धी बातें समझता हूँ, उनसे बहुत दूर है, और वह, जान-बूझकर या अनजान में इस डर से कि शायद असलियत पूर्व-निर्धारित विचारों से मेल न खाय, असलियत से भी आँसू बन्द कर लेता है । वह संकुचित है, और दूसरी तरह की रायों या खयालान को बरदाश्त नहीं करता । वह आत्म-मर्यादित और अहंकारपूर्ण है, और अक्सर खुदगर्बों और मौका-परस्तों को अपनेसे बेजा फ़ायदा उठाने देता है ।

इसके मानी यह नहीं है कि मजहब को माननेवाले अक्सर ऊँचे-से-ऊँचे नैतिक और रूहानी ढंग के लोग नहीं हुए हैं, या अभी भी नहीं हैं । लेकिन इसके यह मानी जरूर है कि अगर नैतिकता और आध्यात्मिकता को दूसरी दुनिया के पैमाने से न नापकर इसी दुनिया के पैमाने से नापना हो तो मजहबी दृष्टिकोण अवश्य ही राष्ट्रों की नैतिक और आध्यात्मिक प्रगति में सहायता नहीं देता बल्कि बाधा तक डालता है । आम तौर पर, मजहब ईश्वर या परमतत्त्व की अ-सामाजिक या व्यक्तिगत खोज का विषय बन जाता है, और मजहबी आदमी समाज की भलाई की बनिस्बत अपने-आपकी बुक्ति की ज्यादा फिक्र करने लगता है । रहस्यवादी अपने अहंकार से छुटकारा पाने की कोशिश करता है, और इस कोशिश में अक्सर अहंकार की ही बीमारी उसके पीछे लग जाती है । नैतिक पैमानों का ताल्लुक समाज की जरूरतों से नहीं रहता,

लेकिन उनका आधार पाप के निहायत गूढ़ आध्यात्मिक उसूलों पर हो जाता है। और, संगठित मजहब तो हमेशा स्थापित स्वार्थ ही बन जाता है, और इस तरह लाजिमी तौर पर परिवर्तन और प्रगति के लिए एक विरोधी प्रतिगामी शक्ति बनता है।

यह सुप्रसिद्ध है कि शुरू के दिनों में ईसाई मजहब ने गुलाम लोगों को अपना सामाजिक दर्जा सुधारने में मदद नहीं दी थी। ये गुलाम ही योरप के मध्यकालीन युग में, आर्थिक परिस्थितियों के कारण, भू-स्वामियों के क्रीत-दास बन गये। मजहब का हक, दो सौ वर्ष पहले तक (१७२७ में), क्या था, यह अमेरिका के दक्षिणी उपनिवेशों के दास-स्वामियों को लिखे हुए बिशप आफ लन्दन के एक पत्र पर से मालूम पड़ सकता है।^१

बिशप ने लिखा था कि, "ईसाई-धर्म और बाइबिल को मान लेने से नागरिक सम्पत्ति या नागरिक सम्बन्धों से उत्पन्न हुए कर्तव्यों में ज़रा भी तबदीली नहीं आती; मगर इन मामलों में 'व्यक्ति' उसी 'अवस्था' में रहते हैं जिस अवस्था में वे पहले थे। ईसाई-धर्म जो मुक्ति देता है, वह मुक्ति 'पाप' और 'शैतान के बन्धन से' और मनुष्यों के 'काम', 'क्रोध' और तीव्र 'वासना' के प्रवेश से है। मगर, उनकी बाहरी हालत बपतिस्मा दिये जाने और ईसाई बनाने से पहले जैसी गुलाम या आजाद थी उसमें वह किसी भी तरह की तबदीली नहीं करता।"

आज कोई भी संगठित मजहब इतने साफ ढंग से अपने खयालात जाहिर न करेगा, लेकिन भिन्निकृत और मौजूदा समाज-व्यवस्था की तरफ उसका हक मुश्कतः यही होगा।

यह सभी जानते हैं कि शब्द तो अर्थ-बोध कराने के बहुत ही अपूर्ण साधन हैं, और उनका भाव अक्सर बहुत जुदा-जुदा समझा जाता है। किसी भी भाषा में भिन्न-भिन्न लोग किसी भी दूसरे शब्द का इतना भिन्न-भिन्न भावार्थ नहीं समझते जितना कि मजहब का (या उन भिन्न-भिन्न भाषाओं में इसके समान किसी शब्द का)। 'मजहब' शब्द को पढ़ने या सुनने से शायद किन्हीं भी दो मनुष्यों के मन में एक-से ही विचार या भाव-समूह पैदा नहीं होंगे। इन विचारों या भावों में, रिवाजों या रस्मों के, धर्म-ग्रन्थों के, मनुष्यों के एक समुदाय-विशेष के, कुछ निश्चित सिद्धान्तों के और नीति-नियमों, आदर, प्रेम, भय, घृणा, दान, त्याग, बैराग्य, उपवास, भोज, प्रार्थना,

१. यह पत्र रेनहोल्ड नेबुहर को लिखी हुई पुस्तक 'मॉरस में द्युब इम्मॉरस सोसाइटी' (पृष्ठ ७८) में दिया हुआ है। यह किताब बड़ी ही दिलचस्प और विचार-प्रेरक है।

पुराने इतिहास, शादी शमी, परलोक, दंगों और सिर-फुटीबल, इत्यादि अनेक बातों के विचार और भाव शामिल हैं। इन असंख्य प्रकार के खयालों और अर्थों के कारण दिमाग में जबरदस्त गड़बड़ी तो पैदा हो ही जायगी, लेकिन हमेशा एक तेज भावुकता भी उमड़ पड़ेगी, जिससे अलिप्त और अनासक्त रूप से विचार करना नामुमकिन हो जायगा। 'मजहब' शब्द का ठीक और निश्चित अर्थ (अगर कभी था, तो) अब बिलकुल नहीं रहा है, और जब अक्सर बिलकुल ही भिन्न-भिन्न अर्थों में उसका इस्तमाल होता है तब तो वह सिर्फ गड़बड़ी ही उत्पन्न करता है और उससे बहस और बातचीत का कभी खात्मा ही नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा अच्छा यह हो कि इस शब्द का इस्तमाल ही कतई छोड़ दिया जाय और उसके बजाय ज्यादा महदूद मानी रखनेवाले लफ्ज इस्तमाल किये जायें; जैसे ईश्वर-विज्ञान, दर्शन-विज्ञान, नीति नियम, नीति-शास्त्र, आत्म-वाद, आध्यात्मिक-शास्त्र, कर्तव्य, लोकाचार वगैरा। यों तो ये शब्द भी काफी अस्पष्ट हैं, लेकिन ये 'मजहब' की बनिस्बत बहुत परिमित अर्थ रखते हैं। इनमें यह बड़ी सहूलियत है कि अभीतक इन शब्दों के साथ उतनी भावुकता और भावना नहीं लग पाई है जितनी कि 'मजहब' के साथ लग चुकी है।

तो, मजहब (इस लफ्ज की जाहिरा हानियों के बावजूद इसीका इस्तमाल करें, तो) क्या चीज है ? शायद वह है व्यक्ति की आन्तरिक उन्नति और एक खास दिशा में, जो अच्छी समझी जाती है, उसकी चेतना का विकास। वह दिशा कौन-सी होनी चाहिए यह भी एक विवाद-ग्रस्त विषय ही होगा। लेकिन जहाँतक ये समझता हूँ, मजहब इसी आन्तरिक परिवर्तन पर जोर देता है, और बाहरी परिवर्तन को इस भीतरी विकास का ही एक अंग या रूप मानता है। इसमें शक नहीं हो सकता कि इस आन्तरिक उन्नति का बाहरी हालत पर बड़ा जबरदस्त असर पड़ता है। मगर, इसके साथ ही यह भी जाहिर है कि बाहरी हालत का आन्तरिक प्रगति पर भी भारी असर पड़ता है। दोनों का एक-दूसरे पर प्रभाव पड़ता है और प्रतिक्रिया भी होती रहती है। यह सब जानते हैं कि पश्चिम के आधुनिक औद्योगिक देशों में आन्तरिक विकास से बाहरी विकास बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन इससे यह नतीजा नहीं निकलता, जैसा कि पूर्वीय देशों के कई लोग शायद खयाल करते हैं, कि चूँकि हम कल-कारखानों में पीछे हैं और हमारा बाहरी विकास धीमा रहा है, इसलिए हमारा आन्तरिक विकास उनसे ज्यादा हो गया है। यह एक मिथ्या-विचार है जिससे हम अपनेको तसल्ली दे लेते हैं, और अपने छोटे-पन की भावना पर हावी होने की कोशिश करते हैं। यह हो सकता है कि कुछ व्यक्ति अपनी परिस्थिति और हालतों से ऊपर

उठ सकें, और ऊँचे आन्तरिक विकास पर पहुँच सकें। लेकिन बहुत लोगों और राष्ट्रों के लिए तो, आन्तरिक विकास होने से पहले, किसी हद तक बाहरी विकास के होने की जरूरत है। जो आदमी आर्थिक परिस्थितियों का शिकार है, और जो जीवन-संघर्ष की बंधियों और रुकावटों से घिरा हुआ है, वह शायद ही किसी ऊँचे दरजे की आत्म-चेतनता प्राप्त कर सके। जो वर्ग पददलित और शोषित होता है, वह आन्तरिक रूप से कभी प्रगति नहीं कर सकता। जो राष्ट्र राजनैतिक और आर्थिक रूप से दूसरे के पराधीन है और बन्धनों में पड़ा परिस्थितियों से मजबूर और शोषित हो रहा है, वह कभी आन्तरिक उन्नति में कामयाब नहीं हो सकता। इस तरह आन्तरिक उन्नति के लिए भी बाहरी आजादी और अनुकूल परिस्थिति की जरूरत होती है। इस बाहरी आजादी के हासिल करने, और परिस्थिति को इस तरह बदलने के लिए कि जिससे आन्तरिक प्रगति की सब रुकावटें हट जायें, यह वाञ्छनीय है कि साधन ऐसे इस्तमाल किये जायें जिनसे असली उद्देश्य ही न नष्ट हो जाय। मैं समझता हूँ कि जब गांधीजी कहते हैं कि उद्देश्य से साधन ज्यादा महत्त्वपूर्ण है, तो उनका भाव कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। मगर साधन ऐसे जरूर होने चाहिए जो कि उस उद्देश्य तक पहुँचा दें, नहीं तो उनसे सारी शक्ति ही बरबाद होगी, और उससे शायद भीतरी और बाहरी दोनों तरह का पतन ही ज्यादा होगा।

गांधीजी ने कहीं लिखा है कि—“कोई भी आदमी धर्म के बगैर जिन्दा नहीं रह सकता। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी अकल की शोखी में कहते हैं कि हमें धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर यह ऐसी बात हुई कि कोई आदमी सांस तो लेता हो लेकिन कहता हो कि मेरे नाक नहीं है।” फिर वह कहते हैं—“सत्य के प्रति मेरी लगन ने मुझे राजनीति के मैदान में ला खींचा है। और मैं बगैर किसी हिचकिचाहट के, लेकिन पूरी नम्रता के साथ, कह सकता हूँ, कि वे लोग जो यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है, यह समझते ही नहीं कि धर्म का क्या अर्थ है।” शायद अगर वह ऐसा कहते कि, ज्यादातर वे लोग जो जीवन और राजनीति में से मजहब को निकाल डालना चाहते हैं ‘मजहब’ शब्द से उसके अर्थ से बहुत भिन्न कोई दूसरा अर्थ निकालते हैं, तो यह ज्यादा सही होता। यह साफ़ जाहिर है कि वह ‘मजहब’ शब्द को उसके समालोचकों की बनिस्बत बहुत भिन्न भाव में—शायद और किसी अर्थ की अपेक्षा नैतिक अर्थ में अधिक—ग्रहण कर रहे हैं। एक ही शब्द को भिन्न-भिन्न अर्थों में इस तरह इस्तमाल करने से एक-दूसरे को समझना और भी मुश्किल हो जाता है।

मजहब की एक और बहुत ही आधुनिक परिभाषा, जिससे कि मजहबी लोग

सहमत न होंगे, प्रोफ़ेसर जॉन डेवी ने की है। उनकी राय में मज़हब "वह चीज़ है जो जीवन या अस्तित्व के एक-एक करके और बदलते रहनेवाले प्रसंगों या घटनाओं को समझने की शुद्ध दृष्टि देता है"; या-दूसरी तरह से कहें तो, "जो प्रवृत्ति उसके व्यापक और स्थायी महत्व के विश्वास के कारण बाधाओं के विरोध में भी और व्यक्तिगत मुक़साम होने की आशंका होने पर भी एक आदर्श लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जारी रहस्यी जाती है, वह धार्मिक स्वरूप की है।" अगर मज़हब यही चीज़ है, तब तो निश्चय ही उसपर किसीको भी ऐतराज नहीं हो सकता।

रोम्यां रोर्ला ने भी मज़हब का ऐसा मतलब निकाला है जिससे शायद संगठित मज़हब के कट्टर लोग ख़ुफ़ खा जायेंगे। परमहंस 'रामकृष्ण के जीवनचरित्र' में वह लिखते हैं :—

"..... बहुत-से व्यक्ति ऐसे हैं जो सभी तरह के मज़हबी विश्वास से बरी हैं, या उनका खयाल है कि वे बरी हैं, लेकिन दर-असल वे एक अति-बौद्धिक चेतना की हालत में डूबे रहते हैं, जिसे वे समाजवाद, कम्युनिज्म, जीव-दया-वाद, राष्ट्रीयता, या बुद्धिवाद भी कहते हैं। विचार की वस्तु से नहीं, किन्तु विचार की उच्चता या गुण से उसका उद्गम निश्चित होता है। और हम यह तय कर सकते हैं कि वह मज़हब से उत्पन्न होता है या नहीं। अगर वह विचार हर तरह की भुसीबत सहकर, एकनिष्ठ लगन और हर तरह के बलिदान की तैयारी के साथ, सत्य की खोज की तरफ़ निर्भयता-पूर्वक जाता है, तो मैं उसे मज़हबी ही कहूँगा। क्योंकि, मज़हब के अन्दर यह विश्वास शामिल ही है कि इन्सानी कोशिश का उद्देश्य मौजूदा समाज के जीवन से ऊँचा, और सारे मानव-समाज के जीवन से भी ऊँचा है। नास्तिकता भी, जब वह सोलहों आना सच्ची बलवती प्रकृतियों से निकलती है, और जब वह कमजोरी का नहीं बल्कि ताक़त का एक मूर्तरूप होती है, तो वह भी धार्मिक आत्मा की महान् सेना के मार्च में शामिल हो जाती है।"

मैं नहीं कह सकता कि मैं रोम्यां रोर्ला की इन शर्तों को पूरा करता ही हूँ, लेकिन इन शर्तों पर तो इस महान् सेना का एक नम्र अनुयायी बनने को मैं तैयार हूँ।

ब्रिटिश सरकार की 'दो-रुखी नीति'

यरवडा-जेल से, और बाद में बाहर से, गांधीजी के नेतृत्व में हरिजन-आन्दोलन चल रहा था। मन्दिर-प्रवेश की अड़बटें दूर करने के लिए बड़ा भारी आन्दोलन खड़ा हो गया था, और इसी उद्देश्य का एक बिल असेम्बली में भी पेश किया गया था। और फिर एक अनोखा दृश्य दिखाई दिया कि कांग्रेस के एक बड़े नेता दिल्ली में असेम्बली के मेम्बरों के घर-घर जाकर मन्दिर-प्रवेश-बिल के पक्ष में रायें मांग रहे थे। खुद गांधीजी ने भी उनके जरिये असेम्बली के मेम्बरों के नाम एक अपील भेजी थी। फिर भी सविनय भंग तो चल ही रहा था और लोग जेल जा रहे थे, कांग्रेस ने असेम्बली का बहिष्कार कर रखा था और हमारे मेम्बर उसमें से निकलकर चले आये थे। जो मेम्बर वहाँ बच गये, और वे लोग जो खाली हुई जगहों में चुनकर आ गये थे, उन्होंने इस संकट-काल में कांग्रेस की मुखालिफत करके और सरकार का साथ देकर नाम कमा लिया था। बार्डिनेन्सों की असाधारण धाराओं को कुछ काल के लिए स्थायी दमनकारी कानून की शकल में पास कर देने में इन लोगों के बहुमत ने सरकार को मदद दी थी। उन्होंने ओटावा का समझौता मंजूर कर लिया था; और दिल्ली, शिमला और लन्दन में बड़े प्रभुओं के साथ दावतें उड़ाई थीं। वे हिन्दुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत की प्रशंसा करने में शामिल हो गये थे, और हिन्दुस्तान में 'दो-रुखी' नामक नीति की कामयाबी की प्रार्थना करते थे।

उस समय की परिस्थिति में गांधीजी के अपील निकालने से मैं हैरत में पड़ गया। और इससे भी ज्यादा मैं राजगोपालाचार्य की भारी कोशिशों से चकित हुआ, जो कि कुछ ही हफ्ते पहले कांग्रेस के स्थानापन्न प्रेसीडेण्ट थे। निश्चय ही इन कामों से सविनय भंग को नुकसान पहुँचा, लेकिन मुझे तो इसके नैतिक पहलू से ज्यादा चोट पहुँची। मेरी निगाह में गांधीजी या किसी भी कांग्रेस के नेता का ऐसी कार्रवाई करना अनैतिक था, और जो बहुसंख्यक लोग जेल में थे या लड़ाई चला रहे थे, उनके साथ करीब-करीब विस्वासघात ही था। लेकिन मैं जानता था कि उनका दृष्टिकोण दूसरा है।

उस वक्त और बाद में मन्दिर-प्रवेश बिल की तरफ सरकार का रुख आखिरी खोल देनेवाला था। उसने उसके समर्थकों के रास्ते में हर तरह की कठिनाइयाँ डालीं। वह उसको मूर्खता करती चली गई, और उसके विरोधियों को प्रोत्साहन देती गई,

और अखीर में उसपर अपना विरोध जाहिर करके उसका खात्मा कर दिया । हिन्दुस्तान में सामाजिक सुधार की सभी कोशिशों की तरफ किसी-न-किसी हद तक उसका यही रुख रहा है, और मजहब में दखल न देने के बहाने उसने सामाजिक उन्नति को रोका है । मगर यह कहने की जरूरत नहीं कि इससे वह हमारी सामाजिक बुराइयों की नुस्तान्चीनी करने या इसके लिए दूसरों को प्रोत्साहित करने से बाध नहीं आई । एक इस्लामिक से ही शारदा का बाल-बिवाह-निरोधक बिल कानून बन गया था, लेकिन इस बदकिस्मत कानून के बाद के इतिहास से ही सबसे ज्यादा यह जाहिर हो गया कि इस तरह के कानूनों की पाबन्दी कराने में सरकार कितनी अनिच्छा रखती है । जो सरकार रातों-रात आडिनेन्स पैदा कर सकती थी, जिनमें अजीब-अजीब अपराध ईजाद किये गये और जिनमें एक के क्रूसुरों के लिए दूसरों को सजाय दी जा सकती थी और जिनके भंग करने के कारण वह हजारों लोगों को जेल भेज सकती थी, वही सरकार शारदा एकट सरीखे अपने नियमित कानून की पाबन्दी कराने के खयाल से स्पष्टतः दुबकने लगी । इस कानून का नतीजा पहले तो यह हुआ कि वह जिस बुराई की रोक के लिए बनाया गया था वही बुराई बेहद बढ़ गई । क्योंकि लोगों ने छः महीने की मिली हुई मोहलत से, जो कि कानून में बहुत ही बेबकूफी से रख दी गई थी, फायदा उठाने की एकदम जल्दी की । और फिर यह मालूम हो गया कि कानून तो बहुत कुछ एक मजाक ही है, और आसानी से उसका भंग हो सकता है और सरकार उसमें कोई भी कार्रवाई न करेगी । सरकार की तरफ से उसके प्रचार की ज़रा भी कोशिश नहीं की गई, और देहात के ज्यादातर लोगों को यह भी पता न लगा कि यह कानून क्या है । उन्होंने हिन्दू और मुसलमान प्रचारकों से, जो खुद भी सही वाक्यान शायद ही जानते हों, उसका तोड़ा-मरोड़ा हुआ हाल सुना ।

जाहिर है कि हिन्दुस्तान में सामाजिक बुराइयों के प्रति ब्रिटिश सरकार ने सहिष्णुता की यह जो असाधारण वृत्ति दिखाई है, वह उन बुराइयों के लिए किसी पक्षपात के कारण नहीं है । यह तो सही है कि वह इनको दूर करने की ज्यादा परवा नहीं करती, क्योंकि ये बुराइयाँ उनके हिन्दुस्तान पर हुकूमत करने और उसका सब तरह शोषण करने के कार्य में हकाबट नहीं डालतीं । लेकिन सुधारों की योजना करने से भिन्न-भिन्न समुदाय के नाराज हो जाने का भी डर रहता है, और राजनैतिक क्षेत्र में काफ़ी रोष और क्रोध का सामना होते रहने के कारण ब्रिटिश सरकार की यह इच्छा नहीं है कि वह अपनी मुसीबतों को और बढ़ावे । मगर इन पिछले दिनों से समाज-सुधारकों की दृष्टि से स्थिति और भी खराब होती जा रही है, क्योंकि अंग्रेज लोग इन बुराइयों के ज्यादा-ज्यादा मीन आश्रयदाता होते जा रहे हैं । यह उनके हिन्दुस्तान

के सबसे प्रतिगामी लोगों के गहरे सम्बन्ध में जाने के कारण हो रहा है । ज्यों-ज्यों उनकी हुकूमत के प्रति मुत्तालिफ़त बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों उन्हें अजीब-अजीब साक्षी ढूँढने पड़ते हैं । आज हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ी हुकूमत के सबसे ज़बरदस्त हिमायती उग्र सम्प्रदायवादी और मजहबी प्रतिगामी और जागृति-विरोधी लोग हैं । मुस्लिम साम्प्रदायिक संगठन तो राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, हर दृष्टि से प्रतिगामी महाहर ही है । उसका मुक्काबिला हिन्दू-महासभा करती है; लेकिन मुसलमानों को भी इस पीछे जाने की दौड़ में मात करनेवाले सनातनी हैं, जिनमें मजहबी दकियानूसीपन बहुत तेज़ है, और उसके साथ-ही-साथ दमकती हुई या कम-से-कम बुलन्द आवाज़ से चिल्लाई जाने वाली ब्रिटिश-राजभक्ति भी है ।

अगर ब्रिटिश-सरकार सुस्त थी, और उसने शारदा-कानून का प्रचार करने और उसकी पाबन्दी कराने की कोई कार्रवाई न की, तो काँग्रेस या दूसरी ग़ैरसरकारी संस्थाओं ने उसके पक्ष में प्रचार क्यों नहीं किया ? अंग्रेज़ और दूसरे समालोचकों ने अक्सर यह सवाल किया है । जहाँतक काँग्रेस का ताल्लुक है, वह तो पिछले पंद्रह साल से, नासकर १९३० से, ब्रिटिश हुकूमत से राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए जीवन-मरण की भेषण लड़ाई लड़ रही है । दूसरी संस्थाओं में असली ताक़त या जनता तक पहुँच नहीं है । आदर्श और चरित्रबल और जनता पर असर रखनेवाले स्त्री-पुरुष तो काँग्रेस में आ गये थे, और ब्रिटिश जेलखानों में जीवन बिता रहे थे ।

दूसरी संस्थायें कुछ चुने हुए लोगों द्वारा, जो जनता के सम्पर्क से डरते थे, प्रस्ताव पास कर देने से आगे प्रायः नहीं बढ़ीं । वे शरीफ़ाना तरीक़े से, या अस्त्रि-भारतीय महिला-संघ की तरह जनाने तरीक़े से ही, काम करती थीं, और उनमें आक्रामक प्रचार की वृत्ति नहीं थी । इसके अलावा, वे भी आडिनेन्सों और उनके बाद के कानूनों द्वारा सब तरह की सार्वजनिक प्रवृत्तियों के श्रद्धंकर दमन से कुछ भी नहीं कर सकती थीं । फ़्रीजी कानून कान्तिकारी प्रवृत्ति को कुचल सकता है, लेकिन उसके साथ ही वह सम्यता को और निहायत सम्य प्रवृत्तियों को भी निर्जीव-सा कर देता है ।

मगर काँग्रेस और दूसरे ग़ैर-सरकारी संगठन क्यों ज़्यादा सामाजिक सुधार नहीं कर सकते, इसका असली सबब और भी गहरा है । हमारे अन्दर राष्ट्रीयता की बीमारी हो गई है, और उसीपर हमारा सारा ध्यान लग जास्त है, और जबतक हमें राजनैतिक आज़ादी न मिलेगी तबतक वह उसीमें लगता भी रहेगा । जैसा कि बर्नार्ड शाँ ने कहा है—“पराजित राष्ट्र नासूर के बीमार की तरह होता है; वह और किसी बात का खयाल नहीं कर सकता.....। वास्तव में किसी भी राष्ट्र में राष्ट्रीय आन्दोलन से बढ़कर कोई अभिशाप नहीं होता, जोकि बर्नार्ड हुई प्राकृतिक क्रिया का

एक दुःखदायी लक्षण मात्र होता है। पराजित राष्ट्र दुनिया की बीड़ में अपना स्थान खो बैठते हैं, क्योंकि वे इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकते कि अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को प्राप्त करके अपने राष्ट्रीय आन्दोलनों से छुटकारा पाने की कोशिश करें।”

पिछला तर्जुमा भी हमें बताता है कि मौजूदा हालातों में चुने हुए मिनिस्ट्रों के हाथ में आहिरा तीर पर कुछ महकमों के बदल दिये जाने के बावजूद प्रत्यः हम कुछ भी सामाजिक प्रगति नहीं कर सकते। सरकार की जबरदस्त अकर्मण्यता रुढ़ि-प्रेमियों के लिए हमेशा मवदगार होती है, और पिछली पीढ़ियों से ब्रिटिश सरकार ने लोगो की खुद काम करने की आदत को कुचल दिया है, और वह एक संत्री ढंग से, या जैसा कि वह अपने-आप कहती है, मा-बाप की तरह से हुकूमत करती है। गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा किसी भी बड़े काम का किया जाना वह पसन्द नहीं करती, और उसमें छिपे डरावों का शक करती है। हरिजन-आन्दोलन के संगठनकर्त्ताओं ने हालाँकि हर तरह एहतियात से काम लिया है, लेकिन फिर भी वे बक्तन-फवक्तन सरकारी कर्मचारियों के संघर्ष में आ ही गये हैं। मुझे यकीन है कि अगर कांग्रेस साबुन ज्यादा इस्तमाल करने का राष्ट्र-व्यापी आन्दोलन उठाये, तो वह भी कई जगहों पर सरकार के संघर्ष में आ जायगा।

मेरा खयाल है कि अगर शासन सामाजिक सुधार के मामले को हाथ में लेले, तो जनता को उसके माफिक बना लेना मुश्किल नहीं है। मगर विदेशी हाकिमों पर हमेशा ही शक किया जाता है, और दूसरों को अपनी राय का बनाने में वे ज्यादा कामयाब नहीं हो सकते। अगर विदेशी तत्त्व दूर कर दिया जाय, और आर्थिक परिवर्तन पहले कर दिये जायें, तो एक उत्साही और क्रियाशील शासन आसानी से बड़े-बड़े सामाजिक सुधार जारी कर सकता है।

मगर जेल में हमारे दिमागों में सामाजिक सुधार और शारदा-कानून और हरिजन-आन्दोलन के ही विचार नहीं भरे हुए थे, सिवा इस हद तक कि मैं हरिजन-आन्दोलन के सविनय भंग के रास्ते में आ जाने के कारण उससे कुछ चिढ़ गया था। मई १९३३ के शुरू में सविनय भंग छः हफ्तों के लिए मुस्तवी कर दिया गया था, और आगे क्या होता है यह देखने की उत्सुकता में हम रहे। इस मुस्तवी होने से तो आन्दोलन पर आखिरी प्रहार ही हो गया, क्योंकि राष्ट्रीय लड़ाई के साथ उठक-बैठक का खेल नहीं खेला जा सकता, न वह जब मर्जी आवे तब चालू और जब मर्जी आवे तब बन्द की जा सकती है। मुस्तवी होने से पहले भी आन्दोलन के नेतृत्व में बहुत ही कमखोरी और प्रभावहीनता आ गई थी। कई छोटी-छोटी कान्फ्रेन्सें हो रही थीं,

और तरह-तरह की अफवाहें फैल रही थी, जिनसे सक्रिय कार्य होने में रुकावट पड़ती थी। कांग्रेस के कई स्थानापन्न प्रेसीडेंट बड़े सम्मानित लोग थे, लेकिन उनको सक्रिय लड़ाई के सेनापति बनाना उनके साथ ज्यादाती करना था। उनके लिए बार-बार इस बात का इशारा किया जाता था कि वे थक गये हैं और इस मुश्किल स्थिति से निकलना चाहते हैं। इस अस्थिरता और अनिश्चय के खिलाफ उन्हें हलकों में कुछ बेचनी थी, लेकिन उसको संगठित रूप से जाहिर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि सभी कांग्रेसी सस्थायें गैर-कानूनी थी।

इसके बाद गांधीजी का इककीस दिन का उपवास, उनका जेल से छूटना, और छः हफ्ते तक सविनय भंग का मुत्तबी किया जाना यह सब हुआ। उपवास खत्म हो गया, और बहुत धीरे-धीरे वह फिर तन्दुरुस्त हुए। जून के मध्य में सविनय भंग की मौकूफी की मोहलत छः हफ्ते के लिए और बढ़ा दी गई। इस बीच सरकार ने अपना दमन कुछ भी कम न किया। अण्डमान द्वीपों में राजनैतिक कैदी (बंगाल में जिन्हें क्रांतिकारी हिंसा के लिए सजा दी जाती थी वे वहाँ भेजे जाते थे) जेल-बर्ताव के सवाल पर भूख-हड़ताल कर रहे थे, और उनमें से एक या दो तो भूख रह-रहकर मर भी गये थे। हिन्दुस्तान में जिन लोगों ने अण्डमान में जो कुछ हो रहा था उसके विरुद्ध सभाओं में भाषण दिये थे, वे भी खुद गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हें सजायें दे दी गईं। भले ही कैदी, भूख-हड़ताल के सिवा विरोध जाहिर करने का दूसरा रास्ता न मिलने पर, भूख की भयंकर अग्नि-परीक्षा में से गुजरते हुए मर जायें, लेकिन हमें सिर्फ तकलीफें ही बरदाश्त नहीं करना चाहिए था, बल्कि हमें शिकायत भी नहीं करनी चाहिए थी। कुछ महीने बाद सितम्बर १९३३ में (जबकि मैं जेल से बाहर था) बहुत-से दस्तखतों से एक अपील निकली थी, जिसमें अण्डमान के कैदियों के साथ ज्यादा मनुष्योचित बर्ताव करने और उनको हिन्दुस्तान में बदल दिये जाने की प्रार्थना की गई थी, और जिसमें रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सी० एफ० एण्डरूज और दूसरे कई महाहूर लोगों के भी दस्तखत थे, जिनमें ज्यादातर कांग्रेस से कुछ भी सम्बन्ध न रखनेवाले लोग थे। इस बयान पर भारत-सरकार के होम मेम्बर ने बड़ी नाराजगी जाहिर की, और कैदियों के साथ हमदर्दी जाहिर करने के लिए उसपर दस्तखत करनेवालों की बड़ी सख्त समालोचना की। बाद में, जहाँतक मुझे याद आता है, बंगाल में ऐसी हमदर्दी जाहिर करना भी एक जुर्म करार दे दिया गया।

सविनय भंग की छः हफ्ते की मौकूफी की दूसरी मोहलत पूरी होने से पहले, देहरादून-जेल में, हमें खबर मिली कि गांधीजी ने पूना में एक अनियमित कान्फ्रेंस बुलाई थी। वहाँ दो-तीन सौ व्यक्ति इकट्ठा हुए, और गांधीजी की सलाह से सामूहिक

सविनय भंग बिलकुल मुस्तवी कर दिया गया, और व्यक्तिगत सविनय भंग की इजाजत कुली रखी गई, और सब तरह के गुप्त तरीके बन्द कर दिये गये। वे निश्चय कोई बहुत स्फूर्तिदायक नहीं थे, लेकिन इनके स्वरूप को देखते हुए मुझे उनपर खास ऐतराज नहीं हुआ। सामूहिक सविनय भंग को बन्द करना तो मौजूदा हालत की स्वीकार कर लेना और स्थिर कर देना ही था, क्योंकि वस्तुतः उन दिनों सामूहिक सविनय भंग था ही नहीं। और, गुप्त काम भी इसका एक बहाना-मात्र था कि हम अपना काम जारी रख रहे हैं, और अक्सर उससे अपने आन्दोलन के रूप को देखते हुए साहस-हीनता भी पैदा होती थी। किसी हद तक तो, हिदायतें भेजने और सम्पर्क बनाये रखने के लिए वह जरूरी भी था, लेकिन खूद सविनय भंग तो गुप्त कैसे रखा जा सकता था ?

मुझे जिस बात से ताज्जुब और दुःख हुआ, वह यह थी, कि पूना में मौजूदा परिस्थिति और हमारे लक्ष्य के बारे में कोई असली चर्चा नहीं हुई। कांग्रेसवाले क़रीब दो साल की भीषण लड़ाई और दमन के बाद एक जगह इकट्ठा हुए थे, और इस बीच सारी दुनिया में और हिन्दुस्तान में बहुत-सी घटनायें हुई थीं, जिनमें 'व्हाइट पेपर' का प्रकाशित होना भी शामिल था, जिसमें ब्रिटिश सरकार की वैधानिक सुधार-सम्बन्धी योजना दी हुई थी। इस अर्थ में हमें तो मजबूरन चुप रहना पड़ा था, और दूसरी तरफ़ असली सवालियों को छिपाने के लिए लगातार और झूठा प्रचार होता रहा था। न सिर्फ़ सरकार के हिमायतियों ने ही, बल्कि लिबरल और दूसरे लोगों ने भी, अक्सर यह कहा था कि कांग्रेस ने स्वाधीनता का अपना लक्ष्य छोड़ दिया है। मेरे खयाल से हमें कम-से-कम इतना तो करना ही चाहिए था कि हम अपने राजनैतिक ध्येय पर धोर देते, हम उसे फिर साफ़ कर देते, और अगर मुमकिन होता तो उसमें सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य भी बढ़ा देते। इसके बजाय बहस शायद सिर्फ़ इसी बात पर होती रही कि सामूहिक सविनय भंग अच्छा है या व्यक्तिगत, और गुप्तता रखना ठीक है या नहीं। सरकार से 'सुलह' करने की भी कुछ विचित्र चर्चा हुई थी। जहाँतक मुझे याद है, गांधीजी ने बाइसराय से मुलाकात मांगने के लिए एक तार भेजा, जिसका जवाब बाइसराय की तरफ़ से इन्कारी में आया, और फिर गांधीजी ने एक दूसरा तार भेजा जिसमें कि 'सम्मान-युक्त सुलह' की कोई बात कही गई थी। लेकिन जिस मायाविनी सुलह को लोग चाहते थे वह थी कहाँ, जबकि सरकार राष्ट्र को कुचलने में कामयाब हो रही थी और अण्डमान में लोग भूखे रह-रहकर अपनी जानें दे रहे थे ? लेकिन मैं जानता था कि, नतीजा कुछ भी हो, गांधीजी का यह तरीका रहा है कि वह हमेशा अपनी तरफ़ से समझौते का पूरा मौका देते हैं।

दमन पूरे जोरों पर था, और सार्वजनिक प्रवृत्तियों को दबानेवाले सारे विशेष कानून लागू थे। फरवरी १९३३ में मेरे पिताजी की मृत्यु की सालाना बाढगाह में की जानेवाली एक सभा को पुलिस ने मना कर दिया, हालांकि वह गैर-कांग्रेसी मीटिंग थी और उसका सभापतित्व करनेवाले थे सर तेजबहादुर सप्रू जैसे अच्छे मॉडरेट। और मानो भविष्य में मिलनेवाले उपहारों की पूर्व-सूचना देने के लिए हमें 'व्हाइट पेपर' की सौगात दी जा रही थी।

वह एक अनोखा कागज़ था, जिसको पढ़कर चकित रह जाना पड़ता था। इसके मुताबिक, हिन्दुस्तान एक बड़ी-बड़ी हिन्दुस्तानी रियासत बना दी जायगी, और संघ में देशी-राज्यों के प्रतिनिधियों का ही ज्यादा बोलबाला रहेगा। लेकिन खुद रिवास्तों में कोई भी बाहरी दखल बरदाश्त न किया जायगा, और पूरी तरह से एकतन्त्री सत्ता वहाँ जारी रहेगी। साम्राज्य की असली कड़ियाँ, कर्जों की जंजीरें, हमें हमेशा लन्दन शहर के साथ बाँधे रहेगी, और एक रिज़र्व बैंक के जरिये मुद्रा की और आर्थिक नीति भी बैंक आफ इंग्लैंड के नियन्त्रण में रहेगी। सब स्थापित स्वार्थों की हिफाज़त के लिए अटूट दीवारें खड़ी हो जायँगी, और और भी नये स्थापित स्वार्थ पैदा कर दिये जायँगे। इन स्थापित स्वार्थों के फ़ायदे के लिए हमारी राष्ट्रीय आय पूरी तरह से रहन रक्खी गई थी। हमें स्व-शासन की अगली किस्तों की तालीम देने के लिए साम्राज्य के ऊँचे पदों पर, जिनको हम इतना चाहते हैं, हमारा कोई नियन्त्रण न रहेगा। प्रान्तीय स्वाधीनता तो मिलेगी, लेकिन गवर्नर हमको व्यवस्था में रखनेवाला एक दयालु और सर्व-शक्तिमान डिक्टेटर रहेगा। और सबसे ऊपर रहेगा सबसे बड़ा डिक्टेटर वाइसराय, जिसे जो मर्जी में आवे सो करने और जिस बात को चाहे रोकने की पूरी-पूरी सत्ता होगी। सच है, उपनिवेशों की हुकूमत के लिए अंग्रेज़ शासक-बर्ग ने इतनी प्रतिभा का परिचय कभी नहीं दिया था। अब तो हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोग उनकी भी खूब स्तुति कर सकते हैं, और हिन्दुस्तान के वाइसराय को भी ईर्ष्या की दृष्टि से देख सकते हैं।

ऐसा विधान तैयार करके, कि जिसमें हिन्दुस्तान के हाथ-पैर पूरी तरह से बाँध दिये गये थे, उसमें कुछ जायद हथकड़ियों के तौर पर 'खास जिम्मेदारियाँ' और संरक्षण भी रख दिये गये, जिससे कि यह बदकिस्मत मुल्क एक ऐसे क़ैदी के मानिन्द हो गया कि जो ज़रा भी हिल-डुल न सके। जैसा कि श्री नेबिल बेडवरलेन ने कहा था, "उन्होंने सारी ताकत लगाकर योजना में ऐसे सब संरक्षण रख दिये थे जिनकी कल्पना मनुष्य के दिमाग में आ सकती थी।"

इसके बाद, हमें यह भी कहा गया कि इन उपहारों के लिए हमें भारी खर्चा

देना बड़ेना—सूक में एक-मुस्त कुछ करोड़, और फिर सालाना रकम। स्वराज का बरदान हमें काफ़ी रकम दिये अक्षर नहीं मिल सकता था। हम तो इस धोखे में ही पड़े हुए थे कि हिन्दुस्तान एक दरिद्रता-ग्रस्त देश है और अब भी उसपर बहुत भारी बोझ रक्खा हुआ है, और उसे कम करने के लिए ही हम आज़ादी की तलाश में थे। आज़ादी के लिए जनता इसी प्रेरणा से तैयार हुई थी। लेकिन अब तो मालूम हुआ कि वह बोझ और भी भारी होने को है।

हिन्दुस्तानी समस्या का यह अष्टशष्ट हल हमें सच्ची अंधेजों जैसी ही बजावारी के साथ दिया गया, और हमसे कहा गया कि हमारे हाकिम कितने फ़य्याज़-दिल हैं। किसी भी साम्राज्यवादी हुकूमत ने इससे पहले अपनी रैघत के लिए अपनी खुशी से ऐसे अस्त्यारात और भौके नहीं दिये थे। और इंग्लैण्ड में इसके देनेवालों में और इस-पर ऐतराज़ करनेवालों में, जो इस भारी फ़य्याज़-दिली से खौफ़ खा रहे थे, बड़ी भारी वहस-बाज़ी हुई। तीन साल में हिन्दुस्तान और इंग्लैण्ड के बीच बारबार बहुत लोगों के आने और जाने का, तीन गोलमेज़-कान्फ़ेन्सों का, और बेशुमार कमिटियों और मशबिरो का यह नतीजा था।

मगर, इंग्लैण्ड की यात्राये तो अब भी ख़त्म नहीं हुई थीं। ब्रिटिश पार्लमेण्ट की ज्वाइण्ट सिलेक्ट कमिटी 'व्हाइट पेपर' पर फ़ैसला देने के लिए बैठी हुई थी, और हिन्दुस्तानी उसमें असेसरों या गवाहों की तरह से गये। लन्दन में और भी कई तरह की कमिटियाँ बैठ रही थीं, और इन कमिटियों की मेम्बरी, जिसके मानी थे इंग्लैण्ड जाने और लन्दन में ठहरने का मुफ्त खर्चा मिलना, हासिल करने के लिए भीतर-भीतर बड़ी भद्दी छीना-झपटी हुई थी। बड़े-बड़े दिलेर लोगों ने, जिनके हाँसले 'व्हाइट पेपर' की निराशापूर्ण तजवीज़ो से भी ठण्डे नहीं पड़े थे, अपनी सारी वक्तुएव-कला और लुभा लेने की शक्ति से 'व्हाइट-पेपर' की तजवीज़ो को बदलवाने की कोशिश करने के लिए, समुद्र-यात्रा या आकाश-यात्रा की मुसीबतों का और लन्दन शहर में ठहरने के और भी ज्यादा ख़तरों का मुकाबिला करने के लिए कसर कस ली। वे जानते थे और कहते थे कि प्रयत्न में कुछ दम तो दिखाई नहीं देता, लेकिन वे हिम्मत हारनेवाले न थे, और चाहे उनकी कोई न सुने तो भी वह अपनी बाह्र तो बराबर कहते ही रहेंगे। उनमें से एक ब्यक्ति, जोकि प्रति-सहयोगियों का एक नेता था, सबके चले जाने पर भी ठेठ अन्त तक टिका ही रहा, और शायद यह अक्षर डालने के लिए कि वह क्या-क्या राजनैतिक परिवर्तन चाहता है, वह लन्दन के सत्ताधीशों से मुलाक़ात-पर-मुलाक़ात लेता रहा, और उनके साथ दावत-पर-दावत उड़ाता रहा। और आख़िरकार जब वह अपने देश में लौटा सब प्रतीक्षा करनेवाले लोगों के

उसने कहा कि मराठों की प्रसिद्ध वृद्धता को कायम रखते हुए मैंने अपना काम-बन्धा छोड़ दिया और बिलकुल अन्त तक भी अपनी बात कहने के लिए मैं लन्दन में ठहरा रहा।

मुझे याद है कि मेरे पिताजी अक्सर शिकायत करते थे कि प्रति-सहयोगी मित्रों में मन्नाक का गुण नहीं होता। अपनी कुछ मन्नाक-भरी बातों से, जो प्रति-सहयोगियों को बिलकुल पसन्द नहीं आती थीं, उनका उनसे (प्रति-सहयोगियों से) अक्सर झगड़ा हो जाता था, और फिर उन्हें उनको समझाना पड़ता था और तसल्ली देनी पड़ती थी, जोकि एक बड़ा थका देनेवाला काम था। मैंने सोचा कि मराठों में लड़ने की कितनी बढ़िया स्प्रिट रही है, जो सिर्फ़ भूतकाल में ही नहीं बल्कि वर्तमान में भी हमारी राष्ट्रीय लड़ाइयों में प्रकट हो रही है, और महान् निर्भोक तिलक की भी मुझे याद आती थी, जो टूक-टूक भले ही हो जायें लेकिन झुकना न जानते थे।

✓ लिबरल व्हाइट-पेपर को बिलकुल नापसन्द करते थे। हिन्दुस्तान में दिन-ब-दिन जो दमन हो रहा था उसे भी वे पसन्द नहीं करते थे, और कभी-कभी, हालांकि बहुत कम बार, उन्होंने इसका विरोध भी किया था; लेकिन साथ-साथ वे यह भी स्पष्ट कर देते थे कि वे कांग्रेस और उसके मारे कार्य की भी निन्दा करते हैं। सरकार को भीके-बेभीके वे यह भी सुझाते रहते थे कि वह किसी बड़े कांग्रेसी को जेल से रिहा करदे। वे तो जिन-जिन व्यक्तियों को जानते थे उन्हींके विषय में सोच सकते थे। लिबरलो और प्रति-सहयोगी लोगों की दलील यह होती थी कि चूँकि अब सार्वजनिक शान्ति के लिए कोई खतरा नहीं है इसलिए अब अमुक-अमुक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। और अगर फिर भी वह व्यक्ति बेजा काम करे तो सरकार उसको दुबारा गिरफ्तार कर ही सकती है, और फिर सरकार का उसे गिरफ्तार करना अधिक औचित्य-पूर्ण होगा। इंग्लैण्ड में भी कुछ लोगों ने इसी दलील की बिना पर कार्य-समिति के कुछ मेम्बरों या खास व्यक्तियों की रिहाई की पैरवी करने की महरबानी दिखाई थी। जब हम जेलों में पड़े हुए थे। तब हमारे मामलों में जिन्होंने बिलचस्पी की, उनके प्रति हम अहसानमन्द हुए बिना नहीं रह सकते। लेकिन कभी-कभी हमें यह भी महसूस होता था कि अगर ये भले आदमी हमें हमारे ही ऊपर छोड़ दें तो अच्छा ही। उनकी सद्भावना में हमें शक न था, लेकिन यह जाहिर था कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार की विचार-धारा को ही ग्रहण कर रक्खा था, और उनके और हमारे बीच बहुत अन्तर था।

✓ हिन्दुस्तान में जो कुछ हो रहा था वह लिबरलों को ज्यादा पसन्द न था। उससे उन्हें दुःख होता था, लेकिन फिर भी वे क्या कर सकते थे? सरकार के खिलाफ़ कोई भी कारगर कदम उठाने का तो वे खयाल तक नहीं कर सकते थे। सिर्फ़ अपने

समुदाय को अलग बनाये रखने के लिए उन्हें जनता से और सक्रिय लोगों से दूर-दूर ही हटाना पड़ा, उन्हें नरम बनते-बनते इतना पीछे हटाना पड़ा कि उनकी और सरकार की विचार-धारा में फर्क जानना मुश्किल हो गया। तादाद में कम और जनता पर असर न होने के कारण, उनकी वजह से आम लड़ाई में कोई फर्क न पड़ सका। मगर जबमें कुछ प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध लोग भी थे, जिनकी जाती तौर पर इज्जत होती थी। लेकिन इन्हीं नेताओं ने, और लिबरल और प्रति-सहयोगी दलों ने भी मजबूई तौर पर, सरकारी नीति को नैतिक समर्थन देकर एक कठिन संकट के समय में ब्रिटिश सरकार की अपार सेवा की। सरकार के बल-प्रयोगों को और कानून को बालायताक रख देने की कार्रवाई को भी लिबरलों के द्वारा कारगर समालोचना के आभाव में और मीके-ब-मीके उनकी तरफ से उसे दी गई मान्यता और समर्थन से फायदा मिला। इस तरह ऐसे समय में जबकि सरकार को अपने भीषण और अभूतपूर्व बलप्रयोग को मुतासिब बताना मुश्किल हो रहा था, उसको लिबरलों और प्रति-सहयोगियों ने नैतिक बल दे दिया।

लिबरल नेताओं ने कहा कि व्हाइट-पेपर खराब है—बहुत ही खराब है; लेकिन अब उसके लिए करें क्या? अप्रैल १९३३ में कलकत्ता में लिबरल फेडरेशन का जो जलसा हुआ उसमें श्री श्रीनिवास शास्त्री ने, जोकि लिबरलों के सबसे प्रख्यात नेता हैं, समझाया कि वैधानिक-परिवर्तन कितने भी असंतोष-जनक क्यों न हों, हमें उनको काम में लाना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि “यह ऐसा वक्तनहीं है जबकि हम एक ओर खड़े रहें और अपने सामने सब कुछ योंही हो जाने दें।” जाहिर है कि, उनके खयाल में सिर्फ यही ‘कार्य’ आ सकता था कि जो कुछ भी मिले उसे ले लिया जाय और उसीको काम में लाया जाय। अगर यह न हो तो, दूसरा कार्य था चुपचाप बैठे रहना। आगे उन्होंने कहा—“अगर हममें समझदारी, अनुभव, नरमी, दूसरे को माइल करने और चुपचाप असर डालने की क्रुब्बत और असली कार्यक्षमता है, अगर हममें ये गुण हैं, तो उन्हें पूरी तरह से दिखलाने का यही अवसर है।” इस वक्तुत्वपूर्ण अपील पर कलकत्ता के ‘स्टेट्समैन’ की राय थी कि ये बड़े “प्रभावपूर्ण शब्द” थे।

श्री शास्त्री हमेशा लम्बे-चौड़े भाषण देते हैं, और वक्ताओं की तरह सुन्दर शब्दों के और उनके सुदिले उपयोग का उन्हें शौक है। मगर वह अपने उत्साह में वह भी जाते हैं, और शब्दों का जो इन्द्रजाल वह खड़ा करते हैं वह उनका मतलब दूसरों के लिए और शायद खुद उनके लिए भी धुंधला कर देता है। उन्होंने अप्रैल १९३३ में, कलकत्ता में, सविनय भंग के चालू रहते हुए, जो यह अपील की थी उसकी जरा जांच करनी चाहिए। मौलिक सिद्धान्त और लक्ष्य की बात जाने भी दें, तो भी

उसमें दो बातें शौर के क्राबिल दिखाई देती हैं। पहली बात तो यह कि कुछ भी क्यों न हो, ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमारी कितनी भी तौहीन, दमन, अपमान, रक्त-श्लेषण क्यों न होता हो, हमें उसको मानना ही चाहिए। ऐसी कोई मर्यादा नहीं बचाई जा सकती जिसके बाहर हम हरगिज न जावें। एक ज़रा-सा कीड़ा भलेही एक बार मुक्ताबिला करने पर अमादा हो जाय, लेकिन श्री शास्त्री की सलाह पर कलें को हिन्दुस्तानी ऐसा कभी नहीं कर सकते। उनकी राय के मुताबिक इससे सिवा-कोई रास्ता ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि जहाँतक उनका ताल्लुक है, ब्रिटिश सरकार के फैसले के सामने झुक जाना और उसे मंजूर कर लेना उनका धर्म (अगर में इस अभागे शब्द का प्रयोग कर सकूँ) हो गया है। और हम चाहें या न चाहें, हमारी किस्मत में उसको मान लेना ही बदा है।

यह शौर करने की बात है कि वह किसी निश्चित और जानी हुई परिस्थिति पर अपनी राय नहीं दे रहे थे। 'वैधानिक परिवर्तन' तो अभी बन ही रहे थे, हालांकि सबको यह काफ़ी तौर पर मालूम था कि वे बहुत बुरे होंगे। अगर उन्होंने यह कहा होता कि, "हालांकि 'व्हाइट-पेपर की तज़वीज़ें' सराब हें, लेकिन सारी परिस्थिति को देखते हुए अगर इन्हींको क़ानून का रूप दे दिया जाय तो में उनको काम में लाने के हक़ में हूँ," तो उनकी सलाह चाहे अच्छी होती या बुरी, पर मौजूदा वाक़यात से संबद्ध तो होती। लेकिन श्री शास्त्री तो बहुत आगे बढ़ गये और उन्होंने कहा कि आनेवाले वैधानिक परिवर्तन चाहे कितने भी असन्तोष-जनक हों, फिर भी उनकी सलाह तो वही रहेगी। राष्ट्र की दृष्टि में जो सबसे ज्यादा ज़रूरी बात थी, उसके बारे में वह ब्रिटिश सरकार को बिलकुल कोरा बेक देने को तैयार थे। मेरे लिए यह समझना ज़रा मुश्किल है कि कोई भी व्यक्ति या पार्टी या दल जबतक कि वह किसी भी उसूल या नैतिकता या राजनैतिक आदर्श से बिलकुल ख़ाली न हो और शासकों के फ़रमानों की हमेशा ताबेदारी करना ही उसका ध्येय और नीति न हो, तब-तक वह अज्ञात भ्रष्टिष्य के लिए कोई वचन कैसे दे सकता है ?

दूसरी जिस बातकी तरफ़ मेरा ध्यान जाता है, वह है शुद्ध मुक्ति-कीशल की। नये सुधारों के क़ानून बनने की लम्बी मंजिल में व्हाइट-पेपर तो सिर्फ़ एक सीढ़ी ही थी। सरकार की निगाह में वह एक ज़रूरी सीढ़ी थी, लेकिन अभी तो कई सीढ़ियाँ बाकी थीं, और मंजिले-मक़सूद तक जाते-जाते मुश्किल था उसमें आने, अच्छी या बुरी, कई तबदीलियाँ हो जातीं। इन तबदीलियों का आचार जाहिरा यह था कि ब्रिटिश सरकार और पार्लियामेंट पर भिन्न-भिन्न स्वार्थ अपना कितना-कितना दबाव डाल सकते थे। इस रस्साकसी में यह समझा जा सकता था कि हिन्दुस्तान के क़िब्रकों को

अपनी तरफ़ मिलाने की इच्छा से सरकार पर कुछ असर पड़ता और उससे वह योजनाओं को ज़रूर उबार बनाती या कम-से-कम उसमें कोई कमी तो न करती। लेकिन नये सुधारों की भंजूरी या नामंजूरी, या उन्हें काम में लाने या न लाने का सवाल उठने से बहुत पहले ही श्री शास्त्री की जोरदार घोषणा ने सरकार को यह साफ़ बता दिया कि उसे हिन्दुस्तान के लिबरलों की परवा नहीं करनी चाहिए। अब उन्हें अपनी तरफ़ मिलाने का सवाल ही नहीं रहा। चाहे उन्हें धक्का देकर भी बाहर निकाल दिया जाय, तो भी वे सरकार का साथ न छोड़ेंगे। इस मामले में, भरसक लिबरल दृष्टिकोण से ही विचार करने पर भी, मुझे तो यही मालूम होता है कि श्री शास्त्री का कलकत्तेवाला भाषण अत्यन्त बड़े युक्ति-कौशल का परिचायक था, और उससे लिबरल-पक्ष को भी नुकसान पहुँचा।

✓ [मैंने श्री शास्त्री के पुराने भाषण पर इस कारण इतना ज्यादा लिखने की घृष्टता नहीं की है कि वह भाषण या लिबरल फेडरेशन का जलसा असल में कोई महत्त्व रखते थे, लेकिन इसलिए कि मैं समझना चाहता हूँ कि लिबरल नेताओं की मनोवृत्ति और विचार कैसे हैं। वे सुयोग्य और आदरणीय लोग हैं, फिर भी मैं यह नहीं समझ पाया हूँ कि वे ऐसे काम क्यों करते हैं। श्री शास्त्री के एक और भाषण का भी, जिसे मैंने जेल में पढ़ा था, मुझपर बहुत असर पड़ा। जून १९३३ में वह पूना में भारत-सेवक-समिति के, जिसके वह अध्यक्ष हैं, सामने बोल रहे थे। कहा जाता है कि उन्होंने बतलाया कि अगर हिन्दुस्तान से अचानक अंग्रेजी प्रभाव हट जाय, तो यह खतरा हो सकता है कि राजनैतिक हलचलों की एक पार्टी दूसरी पार्टी के प्रति तीव्र घृणा रखे, उसे सताय और उसपर जुल्म करे। लेकिन इसके बखिलाफ़ ब्रिटिश राजनैतिक जीवन में हमेशा सहिष्णुता की खासियत रही है, इसलिए हिन्दुस्तान का भविष्य ब्रिटेन के साथ-साथ रहते हुए जितना बन सकेगा, उतनी ही ज्यादा हिन्दुस्तान में सहिष्णुता जारी रहने की सम्भावना रहेगी। जेल में रहने के कारण श्री शास्त्री के भाषण का जो मुखसर हाल कलकत्ता के 'स्टेट्समैन' द्वारा मिला है मुझे तो उसीको मानना पड़ता है। 'स्टेट्समैन' ने उसपर आगे लिखा है, कि 'यह सुन्दर सिद्धान्त हैं, और हम देखते हैं कि डाक्टर मुंजे के भाषणों में भी यही भाव रहा है।' कहा जाता है कि श्री शास्त्री ने बताया कि रूस, इटली और जर्मनी में भी स्वतन्त्रता का दमन हो रहा है, और वहाँ बड़ी अमानुषिकता और अंगलीपन से काम लिया जाता है।]

अब मैंने वह हाल पढ़ा तो मुझे ध्यान आया कि ब्रिटेन और हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में ब्रिटेन के 'कट्टर' अनुदार व्यक्ति से श्री शास्त्री का दृष्टिकोण कितना मिलता-जुलता है। दोनों में तफ़सील के बारे में बेशक फ़र्क है। लेकिन मूलतः विचार-धारा एक ही

हैं। श्री विन्स्टन चर्चिल भी, अपने विषयासों के साथ किसी-किसम की ज्यादाती न करते हुए ठीक ऐसी ही भाषा में अपने खयालात जाहिर कर सकते थे। फिर भी, श्री कश्मीरि लिबरल-पार्टी में उग्र विचार के समझे जाते हैं, और उसके सबसे ज्यादा-बोध्य नेता हैं !

✓ श्री शास्त्री के इतिहास के अध्ययन या संसार के प्रश्नों पर उनकी राय से मैं सहमत नहीं हूँ, खासकर ब्रिटेन और हिन्दुस्तान-विषयक उनकी सम्मति को मानने में मैं बिल्कुल असमर्थ हूँ। शायद कोई विदेशी भी, जो अंग्रेज न होगा, उससे सहमत न होया। और शायद उन्नत विचारों के कई अंग्रेज भी उनकी राय को न मानेंगे। अंग्रेजी शासकों के रंगीन चरमों से दुनिया और अपने देश को देखना, यह उन्हींकी खुश-किस्मती है। फिर भी, यह गौर करने लायक बात है कि पिछले अठारह महीनों से जो तैर-माबूली वाक्यात हिन्दुस्तान में रोजाना हो रहे थे, और जो उनके भाषण के वक्त भी हो रहे थे, उनका उन्होंने इसमें जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने रूस, इटली, जर्मनी का नाम तो लिया, लेकिन उनके देश में ही जो भयंकर दमन और स्वतन्त्रता का बल्लन हो रहा था उसका नाम तक नहीं लिया। मुमकिन है उन्हें वे सारे लौकनाक वाक्यात न मालूम हों जो सीमा-प्रान्त में हुए थे और बंगाल में हुए थे—जिनको राजेन्द्र बाबू ने हाल में कांग्रेस के अपने अध्यक्ष-पद से दिये गये भाषण में 'बंग-भूमि पर बलात्कार' कहा है—क्योंकि सेन्सर के परदे ने सब वाक्यात को छिपा रक्खा था। लेकिन क्या उन्हें भारत-भूमि का दुःख और जबरदस्त मुखालिफ़ के मुकाबिले में हिन्दुस्तान के लोग जो जीवन और स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ रहे थे वह भी याद न रही? क्या उन्हें पुलिस-राज का, जो बड़े-बड़े हिस्सों में छाया हुआ था, फौजी कानून जती परिस्थिति का, आर्डिनेन्सों, भूख-हड़तालों और जेल के दूसरे कष्टों का हाल बालूब न था? क्या उन्होंने यह महसूस न किया कि जिस सहिष्णुता और स्वतन्त्रता के लिए वह ब्रिटेन की तारीफ़ करने थे, उसीको ब्रिटेन ने हिन्दुस्तान में कुचल डाला है?

✓ वह कांग्रेस से सहमत थे या नहीं, इसकी परवा नहीं। उन्हें कांग्रेस की नीति की समालोचना और निन्दा करने का पूरा अस्त्पार था। लेकिन एक हिन्दुस्तानी के नाते, एक स्वाधीनता-प्रेमी के नाते, एक भावुक ब्यक्ति के नाते, उनके देशवादी स्त्री और पुरुष जो अद्भुत साहस और बलिदान दिखा रहे थे उसके प्रति उनके क्या विचार थे? जब हमारे शासक हिन्दुस्तान के हृदय पर कुल्हाड़ी बला रहे थे, तब क्या उन्हें दुःख और कष्ट नहीं मालूम होता था? हजारों आदमी एक मजदूर साम्राज्य की बिस्मानी ताक़त के सामने झुकने से इन्कार कर रहे थे, और अपनी आत्मा को झुकाने के बजाय अपने शरीरों का कुचला जाना, अपने परिवारों का बरबाद हो जाना, और प्यारों का

कष्ट उठाना पसन्द कर रहे थे। क्या वह इसका महत्त्व कुछ नहीं समझते थे ? हम खेतों में और बाहर हिम्मत रखते हुए थे, और हथ हँसते थे और खुश थे, लेकिन हमारी प्रसन्नता तो आँसुओं में न होकर निकलती थी और हमारा हँसना कभी-कभी रोने के बराबर था।

* एक बहादुर और उदार अंग्रेज श्री वेरियर एलविन हमें बताते हैं कि उनके दिल पर इसका क्या असर हुआ। १९३० के बारे में वह कहते हैं कि "वह एक अद्भुत दृश्य था जब सारा राष्ट्र मुलामी के विमागी बन्धनों को दूर कर रहा था, और अपनी सच्ची शक्त से बिड़र निश्चय प्रकट करता हुआ उठ रहा था।" और फिर "सत्याग्रह की लड़ाई में ज्यादातर कांग्रेसी स्वयं-सेवकों ने आश्चर्यजनक अनुशासन बताया था, ऐसा अनुशासन कि जिसकी एक प्रान्तीय गवर्नर ने भी उदारता के साथ तारीफ़ की है....."

श्री श्रीनिवास शास्त्री एक योग्य और भावुक आदमी हैं, जिनकी उनके देशवासी बड़ी इज्जत करते हैं, और यह नामुमकिन मालूम होता है कि ऐसी लड़ाई में उनके भी ऐसे ही विचार न हों और उन्हें भी अपने देशवासियों से सहानुभूति न हो। उनसे यह उम्मीद हो सकती थी कि वह सरकार द्वारा सब तरह की नागरिक स्वतन्त्रता और सार्वजनिक प्रवृत्तियों के दमन की निन्दा में अपनी आवाज उठाते। उनसे यह भी उम्मीद हो सकती थी कि वह और उनके साथी सबसे ज्यादा दबाये हुए प्रान्तों—बंगाल और सीमा-प्रान्त—में खुद जाते, इसलिए नहीं कि किसी भी तरह कांग्रेस या सविनय भंग में मदद दें, बल्कि अधिकारियों और पुलिस की ज्यादतियों को जाहिर करने और इस तरह उन्हें रोकने के लिए। दूसरे देशों में आजादी और नागरिक स्वतन्त्रता के प्रेमी अक्सर ऐसा करते हैं। लेकिन ऐसा करने के बजाय, सरकार जब हिन्दुस्तान के स्त्री-पुरुषों को पैरों-तले रौंद रही थी, और जब उसने रोज़मर्रा की आजादी को भी कुचल दिया था, तब उसको रोकने के बजाय, और क्या घटनाएँ हो रही हैं, कम-से-कम यही तल्लाश करने के बजाय, उन्होंने ठीक ऐसे वक्त में अंग्रेजों को सहिष्णुता और आजादी के प्रमाण-पत्र दे देना पसन्द किया जबकि हिन्दुस्तान के अंग्रेजी शासन में ये दोनों गुण बिलम्बुल ही नहीं रह गये थे। उन्होंने सरकार को अपना नैतिक सहारा दे दिया, और दमन के कार्य में उनका हौसला बढ़ाया और प्रोत्साहन दिया।

मुझे पूरा यकीन है कि उसका यह तात्पर्य नहीं रहा होगा, या उन्हें यह ख्याल नहीं रहा होगा कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। मगर उनके भाषण का यही असर हुआ होगा इसमें तो शक नहीं हो सकता। तो, इस तरह उन्हें विचार और कार्य क्यों करना चाहिए था ?

मुझे इस सबाल का ठीक जवाब सिवा इसके और नहीं मिला है कि लिबरल

नेताओं ने अपने-आपकी अपने देशवासियों और समस्त आधुनिक विचारों से बिलकुल दूर कर लिया है। जिन पुराने ढंग की किताबों को वे पढ़ते हैं, उन्होंने उनकी विगाह से हिन्दुस्तान की जनता को ओझल कर दिया है और उनमें एक तरह से अपनी ही खूबियों पर मरने की आदत पैदा हो गई है। हम लोग जेलों में मये और हमारे-बासिर कोठरियों में बन्द रहे, लेकिन हमारे दिमाग आजाद फिरते थे और हमारा होसला दबा नहीं था। लेकिन उन्होंने तो अपने ढंग का दिमागी कैदखाना खुद ही बना लिया था, जहाँ वे अन्दर-ही-अन्दर चक्कर काटा करते थे और उससे निकल नहीं सकते थे। वे 'मीजूबा हालात' के ही ईश्वर की पूजा करते थे; और जब हालात बदल मये, जैसाकि इस परिवर्तनशील दुनिया में होता ही रहता है, तो उनके पास न पतवार रहा न कम्पास; दिमाग और जिस्म दोनों बेकार हो गये, न उनके पास आदर्श रहे न नैतिक नाथ। इन्सान को या तो आगे जाना पड़ेगा या पीछे हटना पड़ेगा। हम इस गतिशील संसार में एक ही जगह खड़े नहीं रह सकते। परिवर्तन और प्रगति से उरने के कारण, लिबरल अपने आस पास के तूफानों को देखकर भयभीत हो गये; हाथ-पैरों से कमजोर होने के कारण आगे न बढ़ सके; और इसलिए वे लहरों में इधर-उधर उछलते रहे, और जो भी तिनका उन्हें मिल जाता था उसीका सहारा लेने की वे कोशिश करते रहे। वे हिन्दुस्तान की राजनीति के हँमलेट बन गये; 'तरह-तरह के विचारों की चिन्ता से पीले और बीमार-से पड़ गये'; हमेगा संदेह, हिचकिचाहट और अनिश्चय में पड़े रहे।

अय ईष्यरित दुष्ट ! मेल का समय कहीं अब;

लगा सदा में रहा ठीक ही करने में सब !

'सर्वेण्ट आफ इण्डिया' नामक एक लिबरल अखबार ने सविनय भंग-आन्दोलन के आखिरी दिनों में कांग्रेसी लोगों पर यह आरोप लगाया था कि वे पहले तो खेल जाना चाहते हैं, और जब वहाँ पहुँच जाते हैं तब फिर बाहर जाना चाहते हैं। उसने कुछ चिढ़ते हुए कहा कि यही एकमात्र कांग्रेस की नीति है। स्पष्टतः, इसके बदले में लिबरलों का रास्ता होता ब्रिटिश मन्त्रियों की सेवा में इंग्लैण्ड डेप्युटेशन भेजना, या इंग्लैण्ड में शासक-दलों के परिवर्तन का इन्तजार करना और उसके लिए दुबावें माँगना।

किसी हद तक यह सच था कि उन दिनों कांग्रेस की नीति सातकर यही थी

१. मूल अंग्रेज़ी पद्य इस प्रकार है :—

"The time is out of joint O cursed spite !

That ever I was born to set it right."

कि आडिकेस और दूसरे दमनकारी कानूनों को तोड़ा जाय, और इसकी सच्चा जेक धो-रुखी यह भी सच था कि कांग्रेस और राष्ट्र लम्बी लड़ाई के बाद बक मधे थे, और सरकार पर कोई कारगर दबाव नहीं डाल सकते थे। लेकिन हमारे सामने एक व्यावहारिक और नैतिक दृष्टि थी।

नंगा बल-प्रयोग, जैसा कि हिन्दुस्तान में किया जा रहा था, शासकों के लिए बड़ा खर्चीला सामान्य होता है। उनके लिए भी यह एक दुःखदाई और घबरा देनेवाली अग्नि-परीक्षा होती है, और वे अच्छी तरह जानते हैं कि अन्त में इससे भी उनकी बुनियाद कमजोर पड़ जाती है। इससे जनता के सामने और सारी दुनिया के सामने उनकी हुकूमत का असली रूप हमेशा प्रकट होता रहता है। इसके बनिस्बत वह यह बहुत ज्यादा पसन्द करते हैं कि अपने फ्रीलादी पंजे को छिपाने के लिए हाथ पर मखमली दस्ताना पहने रहे। जो लोग सरकार की इच्छाओं के सामने झुकना नहीं चाहते, फिर चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, उनसे मुकाबिला करने से बढ़कर रोषोत्पादक और अन्त में हानिकार बात किसी भी शासन के लिए दूसरी नहीं है। इसलिए दमनकारी कानूनों का कभी-कभी भंग होता रहना भी एक महत्व रखता था। उससे जनता की ताकत बढ़ती थी, और सरकार के नैतिक बल की बुनियाद डहती थी।

नैतिक दृष्टि तो इससे भी ज्यादा जरूरी थी। एक प्रसिद्ध स्थान पर थोरो ने लिखा है कि, "ऐसे समय में जबकि स्त्री और पुरुष अन्यायपूर्वक जेल में डाले जाते हों, तब न्यायी स्त्री-पुरुषों का स्थान भी जेल ही है।" यह सलाह शायद लिबरल और दूसरे लोगों को न जँचे, लेकिन हममें से कई लोग ऐसा महसूस करते हैं कि मीठूवा हालत में, जब कि सविनय भंग के अलावा भी हमारे कई साथी हमेशा जेल में रखे जाते हैं, और जबकि सरकार का बल-प्रयोजक तन्त्र निरन्तर हमारा दमन और हमारी बेइज्जती कर रहा है और हमारे लोगों के शोषण में मदद दे रहा है, तब किसी के लिए नैतिक जीवन बिताना सम्भवनीय नहीं है। अपने ही देश में हम संदिग्ध होकर आते-जाते हैं। हमपर निगरानी रखी जाती है और हमारा पीछा किया जाता है। हमारे शब्दों को इसलिए नोट किया जाता है कि वे कहीं राजद्रोह के व्यापक कानून को छोटते तो नहीं हैं, हमारी खतो-किताबत खोली और पढ़ी जाती है, और हमेशा यह सम्भावना बनी रहती है कि सरकार हम पर किसी तरह की भुमानियत लगा देगी या हमें गिरफ्तार कर लेगी। ऐसी हालत में हमारे सामने दो ही रास्ते हैं—या तो सरकारी ताकत के मुकाबिले में हमारे सिर बिलकुल झुक जायें, हमारा आत्मिक पतन हो जाय, हमारे अन्दर जो सच्चाई है उससे इन्कार कर दिया जाय, और जिन प्रयोजनों को हम बुरा समझते हैं उनके लिए हमारा नैतिक दुरुपयोग हो; या

उसका मुकाबिला किया जाय, और उसका जो कुछ नतीजा ही वह बरदाश्त किया जाय। कोई भी शरस योंही जेल जाना या मुसीबत बुलाना नहीं चाहता। मगर, अक्सर, दूसरे रास्तों की बनिस्बत जेल जाना ही ज्यादा अच्छा होता है। जैसा कि बर्नार्ड साँ ने लिखा है, "जीवन में असली दुःख की बात सिर्फ यही है कि जिन उद्देश्यों को तुम पतन-पूर्ण समझते हो उन्हींके लिए स्वार्थी लोगों द्वारा तुम्हारा उपयोग हो। इसके सिवा और जो कुछ है वह तो सिर्फ बदकिस्मती या मृत्यु है, और एकमात्र यही तो मुसीबत, मुलामी और दुनिया का दोषक है।"

लम्बी सजा का अन्त

मेरी रिहाई का वक्त नज़दीक आ रहा था। मुझे 'नेकचलनी' की मामूली छूट मिली थी, और इससे मेरी दो साल की मियाद में से साढ़े तीन महीने कम हो गये थे। मेरी मानसिक शान्ति में, या जेल-जीवन से जो आम दिमागी सुस्ती पैदा हो जाती है उसमें, रिहाई के खयाल ने खलल पैदा कर दिया। बाहर जाकर मुझे क्या करना चाहिए ? यह एक मुश्किल सवाल था, और इसके जवाब की हिचकिचाहट ने बाहर जाने की मेरी खुशी कम कर दी। लेकिन वह भी क्षणिक भाव था, और मेरी लम्बे अर्से से दबी हुई क्रियाशीलता फिर उमड़ने लगी और मैं बाहर निकलने को उन्मुक्त हो गया।

जुलाई १९३३ के अन्त में एक बहुत ही दर्दनाक और बेचैनी पैदा करनेवाली खबर मिली—जे० एम० सेनगुप्त की अचानक मृत्यु हो गई। हम दोनों कई साल से कार्य-समिति में सिर्फ गहरे साथी ही नहीं थे, बल्कि उनसे मुझे कैम्ब्रिज के अपने शुरू के दिनों की भी याद आ जाया करती थी। हम दोनों सबसे पहले कैम्ब्रिज में ही मिले थे—मैं तो नया दाखिल हुआ था और उन्होंने उसी समय अपनी डिग्री हासिल की थी।

सेनगुप्त का देहान्त नज़रबन्दी की हालत में हुआ। १९३२ के शुरू में जब वह योरप से लौटे थे, तो बम्बई में जहाज़ पर ही वह शाही क़ैदी बना लिये गये थे। तभीसे वह क़ैदी या नज़रबन्द रहे, और उनकी तन्दुरुस्ती खराब हो गई। सरकार ने उन्हें कई तरह की सहूलियतें दीं, लेकिन वह बीमारी की रफ्तार को न रोक सकी। कलकत्ता में उनकी अन्त्येष्टि के समय जनता ने खूब प्रदर्शन किया और उनके प्रति सम्मान प्रकट किया; ऐसा दिखाई देता था कि बंगाल की लम्बे अर्से से रुकी और कष्ट पाती हुई आत्मा को कम-से-कम थोड़ी देर के लिए प्रकट होने को मार्ग मिल गया है।

इस तरह सेनगुप्त तो चल बसे। दूसरे शाही क़ैदी सुभाष बोस को, जिनकी तन्दुरुस्ती भी बरसों नज़रबन्दी और क़ैद से बर्बाद हो गई थी, आखिरकार सरकार ने इलाज के लिए योरप जाने की इजाज़त दे दी। लेकिन और भी कितने लोग जेल-जीवन और बाहर की लगातार हलचलों की सारीरिक थकावट को बरदाश्त न कर सकने के कारण तन्दुरुस्ती खो बैठे थे, या नर बुके थे ! और कितने लोगों के, हालां-

कि ऊपर से उनमें बड़ी तबदीली दिखाई न देती थी, दिमागों में उस गैर-आधुनी जिन्दगी के कारण जो उन्हें जेल में बितानी पड़ी थी गहरी मानसिक अव्यवस्था और विषमतायें पैदा हो गई थीं ।

सेनगुप्त की मृत्यु से बहुत साफ़ तौर पर मुझे मालूम होने लगा कि सारे देश-भर में कितना भयंकर और मीन कष्ट-सहन हो रहा है, बीर में निरास और उदासता सा हो गया । यह सब किसलिए हो रहा है ? आखिर किसलिए ?

अपनी तन्दुरुस्ती के बारे में मैं खुशकिस्मत था, और काँप्रेस की प्रवृत्तियों की मेहनत और अनियमित जीवन के होते हुए भी मैं कुल मिलाकर अच्छा ही रहा । मेरे खयाल से, इसका कुछ कारण तो यह था कि मुझे पतूक रूप से ही अच्छा शरीर मिला था, और कुछ कारण यह भी था कि मैंने अपने शरीर की फिक्र रक्खी थी । बीमारी और कमजोरी और ज्यादा मुटापा मुझे बहुत भद्दा मालूम पड़ा, और कसरत, ताजा हवा और साधारण भोजन की मदद से मैं उनसे बच सका । मेरा अपना तजुर्बा यह है कि हिन्दुस्तान के मध्यम वर्गों की बहुत-सी बीमारियाँ तो शलत भोजन से होती हैं । वे तरह-तरह के पकवान और सो भी ज्यादा मिर्कदार में खाते हैं । (यह बात उन्ही-पर लागू होती है जिनकी ऐसी फ़जूलखर्च आदतें रखने की हँसियत होती है ।) लाड़-प्यार करनेवाली मातायें बच्चे को मिठाइयाँ और दूसरी बढ़िया कहीं जानेवाली चीजें ज्यादा खिला-खिलाकर जिन्दगीभर के लिए बढहज़मी की पक्की नींव डाल देती हैं । बच्चे को कपड़े भी बहुत-से पहना दिये जाते हैं । हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ लोग भी बहुत ज्यादा खाते हैं, हालाँकि उनके खाने में इतने पकवान नहीं होते । शायद उन्होंने पिछली पीढ़ी से, जो गरम-गरम और तेज़ भोजन अधिक मात्रा में किया करते थे उसमें, अब कुछ सुधार कर लिया है ।

मैंने शौकिया चीजें खाने की या भोजन-संबन्धी प्रयोग करने की तरफ़ कोई ध्यान नहीं दिया, और सिर्फ़ ज्यादा मिर्कदार और पकवानों से बचता रहा । क्रूरिब-क्रूरिब सभी कश्मीरी ब्राह्मणों की तरह हमारा परिवार भी मांसाहारी परिवार था, और बचपन से मैं हमेशा मांस खाता रहा था, हालाँकि मुझे उसका बहुत शौक कभी नहीं रहा । पर १९२० में असहयोग के वक़्त से मैंने मांस छोड़ दिया, और मैं शाकाहारी बन गया । इसके छः साल बाद थोरप जाने पर मैं फिर मांस खाने लगा । मगर फिर हिन्दुस्तान आने पर मैं शाकाहारी बन गया, और तबसे मैं बहुत-कुछ शाकाहारी ही रहा हूँ । मांस-भोजन मुझे अच्छी तरह माफ़िक पड़ता है, लेकिन मुझे उससे अर्लच हो कई हैं, और तबीयत उसके खाने से कुछ कचबाती है ।

मेरी बीमारियों के दौरान में, खासकर १९३२ में जेल में जबकि कई महीनों

तक खोजाना मुझे हज़रत हो आया करती थी, मुझे बड़ा सुस्वा-सा आता था, क्योंकि उससे मेरी अच्छी तन्दुरुस्ती के गर्व को ठेल पहुँचती थी। और मुझमें जीवन और शक्ति होने की अपनी सदा की धारणा के विरुद्ध, मैं पहली ही बार सोचने लगा, और मुझे खयाल आया, कि मेरी तन्दुरुस्ती धीरे-धीरे गिरती जा रही है और मैं चुकता जा रहा हूँ, और इससे मैं भयभीत हो गया। मेरा खयाल है कि मैं भीत से खास तौर पर डरता नहीं हूँ। लेकिन शरीर और मस्तिष्क से धीरे-धीरे घुलते जाना तो दूसरी ही बात थी। मगर मेरा डर ज़रूरत से ज्यादा था और मैं अपनी अस्वस्थता से छूटने और अपने शरीर को क़ाबू में लाने में कामयाब हुआ। जाड़े में बड़ी बेर तक धूप में बैठे रहने से मैं फिर अपनेको तन्दुरुस्त महसूस करने लगा। जबकि जेल के मेरे साथी अपने कांठों और दुसालों में लिपटे हुए काँपा करते थे, मैं खुले बदन सूर्य-किरणों में बैठ जाया करता था। ऐसा जाड़े के दिनों में सिर्फ़ उनर हिन्दुस्तान में ही हो सकता था, क्योंकि दूसरी जगहों पर तो धूप अक्सर बहुत तेज़ होती है।

मेरी कसरतों में मुझे खासकर शीर्षासन बहुत पसन्द आता था। मैं दोनों हाथों के पंजों को जोड़कर उनपर सिर का पिछला हिस्सा रखकर और कोहनियों को ज़मीन पर टिकाकर बदन को सिर के बल उलटा करके खड़ा हो जाता था। मेरा खयाल है कि शारीरिक दृष्टि से यह कसरत बड़ी अच्छी है, और मुझपर हुए उसके मानसिक प्रभाव के कारण भी मैं उसे पसन्द करता था। इस कुछ-कुछ बेतुके आसन से मेरी तबीयत खुश हो जाती थी, और मैं मनुष्य की ऐसी तरह-तरह की तरंगों के प्रति ज्यादा सहनशील हो गया था।

उदासी के दौरों को, जोकि जेल-जीवन में लाज़िमी तौर पर आते ही हैं, पार करने के लिए मेरी आम तौर पर अच्छी तन्दुरुस्ती ने और अच्छा स्वास्थ्य होने की शारीरिक भावना ने बड़ी सहायता की। इनसे मुझे जेल की या बाहर की बदलती हुई हालतों के मुताबिक़ अपने-आपको बना लेने में भी मदद मिली। मेरे दिल को कई बार धक्के लगे हैं, जिनसे उस वक़्त तो मैं बहुत ही बेहाल हो जाता था, लेकिन मुझे ताज़्जुब हुआ कि मैं अपनी उम्मीद से भी जल्दी उनसे बरी हो जाता था। मेरी राय में, मेरी मूलभूत शान्तता और स्वस्थता का एक सुबूत यह है कि मुझे कभी तेज़ सिर-दर्द नहीं हुआ और न मुझे कभी नींद न आने की शिकायत हुई। मैं सभ्यता की इन आम बीमारियों से और आँख की कमज़ोरी से भी बच गया हूँ, हालाँकि मैं पढ़ने और लिखने में और कभी-कभी तो जेल की ख़राब रोशनी में भी आँखों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता रहा। पिछले साल एक आँखों के डाक्टर ने मेरी अच्छी दृष्टि-

शक्ति पर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया था। आठ साल पहले उसने अविष्यवाणी की थी कि मुझे एक या दो साल में ही चश्मा लगाना पड़ेगा। उसका कहना बहुत शल्ल निकला, और मैं जब भी बक्षीर चश्मे के अच्छी तरह काम चला रहा हूँ। हालाँकि इन बातों से मैं शान्त और स्वस्थ होने की नामवरी या सकता हूँ, लेकिन मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों से बहुत खौफ खाता हूँ जो जब देखो तब हमेशा ही एक-से शान्त और गम्भीर बने रहते हैं।

जबकि मैं जेल से अपनी रिहाई का इन्तज़ार कर रहा था, उस समय बाहर व्यक्तिगत सविनय भंग का नया स्वरूप शुरू हो रहा था। गांधीजी ने इसमें सबसे पहले मिसाल पेश करने का फंसला किया, और अधिकारियों को पूरी तरह नोटिस देने के बाद वह १ अगस्त को गुजरात के किसानों में सविनय भंग का प्रचार करने के लिए गयाना हुए। वह फौरन गिरफ्तार कर लिये गये, उन्हें एक साल की सजा देवी गई और वह घरवडा की अपनी कोठरी में फिर भेज दिये गये। मुझे खुशी हुई कि वह वापस वहाँ चले गये। लेकिन जल्दी ही एक नई पेचीदगी पैदा हो गई। गांधीजी ने जेल से हरिजन-कार्य करने की वही सहूलियत माँगी जो उन्हें पहले मिली थी। सरकार ने उन्हें देने से इन्कार कर दिया। अचानक हमने सुना कि गांधीजी ने फिर उपवास शुरू कर दिया है। ऐसी जबदस्त कार्रवाई के लिए हमें वह बहुत ही छोटा कारण मालूम हुआ। उनके निर्णय के रहस्य को समझना मेरे लिए बिलकुल नामुमकिन था, चाहे सरकार के सामने उनकी दलील बिलकुल सही भी हो। मगर हम कुछ नहीं कर सकते थे। असमंजस में पड़े हुए हम देखते रहे।

उपवास के एक हफ्ते बाद उनकी हालत तेजी से गिरने लगी। वह एक अस्पताल में पहुँचा दिये गये थे, लेकिन वह ऊँची ही रहे और सरकार हरिजन-कार्य के लिए सहूलियतें देने के मामले में न झुकी। उन्होंने जीवन की आशा (जोकि पिछले उपवासों में कायम रही थी) छोड़ दी, और अपनी तन्दुरुस्ती को गिरने दिया। उनका अन्त नजदीक दीखने लगा। उन्होंने लोगों से बिदाई लेली, और अपने पास पड़ी हुई अपनी थोड़ी-सी चीजों को भी इस-उसको बाँट देने का इन्तज़ाम कर दिया, जिनमें से कुछ नसों के लिए रहीं। लेकिन सरकार यह नहीं चाहती थी कि उनकी मौत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले, इसलिए उसी शाम को वह अचानक रिहा कर दिये गये। इससे वह मरते-मरते बच गये। एक दिन और हो जाता, तो फिर उनका बचाना मुश्किल था। इस प्रकार उन्हें बचाने का बहुत कुछ श्रेय समभवतः सी० एफ० एण्ड्रयूज को है, जो गांधीजी के मना करने पर भी हिन्दुस्तान जल्दी से आ गये थे।

इस बीच, २३ अगस्त को, मैं देहरादून-जेल से छुटकारा पाया गया, और दूसरी जेलों

में करीब-करीब डेढ़ साल रहने बाद फिर ननी-जेल में आ गया। ठीक उसी वक्त मेरी माताजी के अचानक बीमार हो जाने और अस्पताल ले जाये जाने की खबर मिली। ३० अगस्त १९३३ को मैं नैनी से रिहा कर दिया गया, क्योंकि मेरी मां की हालत खतरनाक समझी गई। मामूली तौर पर मैं अपनी मियाद खतम होने पर ज्यादा-से-ज्यादा १२ सितम्बर को रिहा हो जाता। इस तरह मुझे प्रान्तीय सरकार ने तेरह दिन की छूट और दे दी।

गांधीजी से मुलाकात

जेल से रिहा होते ही मैं अपनी बीमार मा के पास लखनऊ पहुँचा और कुछ दिन उनके पास रहा। मैं काफ़ी लम्बे अर्से के बाद जेल से बाहर निकला था और मुझे लगा कि मैं आस-पास के हालात से बिलकुल अपरिचित और अलग-सा हो गया हूँ। मैंने यह अनुभव किया और उससे मेरे दिल को कुछ धक्का भी लगा जैसा कि आमतौर पर होता ही है, कि जब मैं जेल में पड़ा-पड़ा सड़ रहा था, तो दुनिया आगे चली जा रही थी और बदलती जा रही थी। बच्चे और लड़कियाँ और लड़के बड़े होते जा रहे थे, शादिया, पैदाइश और मौतें हो रही थी। प्रेम और घृणा, काम और खेल, दुःख और सुख सब हो रहे थे। जीवन में दिलचस्पी पैदा करनेवाली नई-नई बातें हो गई थी, वातचीत के विषय नये हो गये थे, मैं जो कुछ देखता और सुनता था, सबपर मुझे कुछ-न-कुछ आश्चर्य होता था। मुझे लगा कि मुझे एक खाड़ी में छोड़कर दुनिया का जहाज़ आगे बढ़ गया था। यह भावना सब तरह मुखदायिनी नहीं थी। जल्दी ही इस स्थिति के माफिक मैं अपनेको बना सकता था, लेकिन ऐसा करने की मुझे प्रेरणा नहीं होती थी। मेरे दिल ने कहा कि जेल के बाहर मर करने का मुझे यह तो थोड़ा-सा मौका मिला है और जल्दी फिर मुझे जेल में ही जाना पड़ेगा; इसलिए जिस जगह से जल्दी चल ही देना है, उसके अनुकूल अपनेको बनाने की झंझट क्यों मोल ली जाय ?

राजनैतिक दृष्टि से हिन्दुस्तान खामोश था। सार्वजनिक प्रवृत्तियों पर ज्यादातर सरकार ने नियन्त्रण और दमन कर रक्खा था और गिरफ्तारिया कभी-कभी हो जाया करती थी। मगर हिन्दुस्तान की उस वक्त की खामोशी बहुत मानी रखती थी। वह वैसी अशुभ खामोशी थी, जैसी कि भयकर दमन के अनुभव के बाद थक जाने से आ जाती है; जो खामोशी अक्मर प्रभाव के साथ बोलती है, लेकिन उसे दमन करनेवाली सरकार नहीं सुन सकती। सागर हिन्दुस्तान एक आदर्श पुलिस-राज्य बन गया था और शासन के सब कामों में पुलिस-मनोवृत्ति व्याप्त हो गई थी। जाहिरा तौर पर हर तरह की कार्रवाई, जो सरकार की इच्छा के माफिक न हो, दबा दी जाती थी और देशभर में खुफिया और छिपे कारिन्दों की बड़ी भारी फ़ौज फ़ैली हुई थी। लोगों में आम तौर पर पस्तहिम्मती आ गई थी और चारों ओर आतंक छा गया था। कोई भी राजनैतिक प्रवृत्ति, खासकर देहाती हलकों में हो तो, फ़ौरन कुचल दी

जाती थी और भिन्न-भिन्न प्रान्तीय सरकारें म्युनिसिपैलिटीयों और लोकल बोर्डों में से ढूँढ-ढूँढकर काँग्रेसवालों को निकालने की कोशिश कर रही थी। हर शख्स, जो सविनय कानून भंग करके जेल गया था, सरकार की राय में म्युनिसिपल स्कूलों में पढ़ाने या म्युनिसिपैलिटी में और भी कोई काम करने के अयोग्य था। म्युनिसिपैलिटी आदि पर बड़ा भारी दबाव डाला गया और ये धमकियाँ दी गईं कि अगर काँग्रेसवाले निकाले न जायेंगे तो सरकारी इमदाद बन्द कर दी जायगी। इस बल-प्रयोग की सबसे बदनाम मिसाल कलकत्ता-काँग्रेसन में हुई। आखिरकार, मेरा खयाल है, सरकार ने एक कानून ही बना दिया कि काँग्रेसन ऐसे व्यक्तियों को मुलाजिम नहीं रख सकता, जो राजनैतिक अपराधो पर सज़ा पा चुके हों।

जर्मनी में नाज़ियों की ज्यादातियों की खबरों का हिन्दुस्तान के ब्रिटिश अफसरों और उनके अखबारों पर एक विचित्र प्रभाव पड़ा। उन ज्यादातियों से उन्हें हिन्दुस्तान में उन्होंने जो कुछ किया था उस सबको उचित बताने का कारण मिल गया और उन्होंने मानो अपनी इस भलाई के अभिमान के साथ हमें बताया, कि अगर यहाँ नाज़ियों की हुकूमत होनी, तो हमारा हाल कितना ज्यादा खराब हुआ होता। नाज़ियों ने तो बिलकुल नये पैमाने कायम कर दिये हैं, उन्होंने नई व्यवस्था ही लिख डाली है और उनका मुकाबिला करना निश्चय ही आसान नहीं था। सम्भव है कि हमारा हाल ज्यादा खराब होता; लेकिन इसका निर्णय करना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि पिछले पाँच वर्षों में हिन्दुस्तान में क्या-क्या हुआ, इसके सारे वाक्यात मेरे पास नहीं हैं। हिन्दुस्तान की ब्रिटिश सरकार ऐसे पुण्य में विश्वास रखती है कि बाये हाथ से जो काम किया जाय उसका पना दाहिने हाथ को भी न लगना चाहिए, और इसलिए उसने निष्पक्ष जाँच कराने की हर तजवीज़ को नामंज़ूर कर दिया, हालाँकि ऐसी जाँचों का पलड़ा हमेशा सरकारी पक्ष में ही भारी हुआ करता है। मेरे खयाल से, यही सच है कि औसत अंग्रेज़ बे-रहमी से नफ़रत करता है और मैं ऐसे अंग्रेज़ों की कल्पना नहीं कर सकता, जो नाज़ियों की तरह से “ब्रूतलतात” (पशुता या बेरहमी) लफ़्ज़ को खुले तौर पर कहने और उसे प्रेमपूर्वक दोहराने में शान मानते हों। जब वे ऐसा काम कर भी डालते हैं, तो उससे कुछ-कुछ शर्मिन्दा भी होते हैं। लेकिन चाहे हम जर्मन हों या अंग्रेज़ हों या हिन्दुस्तानी हों, मेरा खयाल है कि सभ्यतापूर्ण व्यवहार का हमारा खोल इतना पतला है कि जब हमें रोष चढ़ आता है तो वह खुरचकर निकल जाता है और उसके भीतर से हमारा वह स्वरूप प्रकट होता है जिसे देखना अच्छा नहीं लगता। महायुद्ध ने मनुष्यजाति को भयंकर रूप से पाशाविक बना दिया है, और उसके बाद ही हमने यह दृश्य देखा कि सन्धि हो जाने के बाद भी जर्मनी का भयंकर द्वाराव-

रोष करके उसे भूखों मारा गया। एक अंग्रेज़ लेखक ने लिखा है कि "यह एक सबसे अधिक निरर्थक, पाशविक और घृणित जुल्म था, जैसा कि शायद ही किमी राष्ट्र ने कभी किया हो।" १८५७ और १८५८ के वाक्यात हिन्दुस्तान भूला नहीं है। जब हमारे स्वार्थ खतरे में पड़ जाते हैं, तब हम अपने सारे समाज-व्यवहार और और सारी शाराफत को भूल जाते हैं और झूठ ही 'प्रचार' का रूप धारण कर लेता है, पशुता ही 'वैज्ञानिक दमन' और 'कानून और व्यवस्था' की रक्षा बन जाती है।

यह किन्ही व्यक्तियों या किसी खास जाति का दोष नहीं है। वैसी ही परिस्थितियों में थोड़ा-बहुत हर कोई वैसा ही बर्ताव करता है। हिन्दुस्तान में, और विदेशी हुकूमत के मातहत हर मुल्क में, हुकूमत करनेवाली शक्ति के खिलाफ हमेशा एक सुप्त चुनौती खड़ी रहती है और वक्तन-फवक्तन वह ज्यादा प्रकट और तेज़ भी होती रहती है। इस चुनौती से शासकवर्ग में हमेशा फ़ौजी गुण और दोष पैदा हो जाया करते हैं। पिछले कुछ सालों में हिन्दुस्तान में हमें इन फ़ौजी गुण-दोषों का दृश्य बहुत ही ज्यादा मित्रदार में देखने को मिला, क्योंकि हमारी चुनौती जोरदार और कारगर हो गई थी। लेकिन हिन्दुस्तान में हमें तो हमेशा ही फ़ौजी मनोवृत्ति (या उसके अभाव) को सहन करना पड़ता है। साम्राज्य की स्थापना का यह एक नतीजा है और इसमें दोनों पक्षों का पतन होता है। हिन्दुस्तान का पतन तो माफ़ दीखता ही है, लेकिन दूसरे पक्ष का ज्यादा मूश्म है; संकट-काल में वह प्रकट हो जाता है। और एक तीसरा पक्ष भी है, जिसे बदकिस्मती से दोनों तरह का पतन भोगना पड़ता है।

जेल में मुझे ऊँचे-ऊँचे अफसरों के भाषण, असेम्बली और कौंसिलों में उनके जवाब और सरकारी बयानात पढ़ने की काफ़ी फुरसत मिली। पिछले तीन सालों में, मैंने देखा कि उनमें एक स्पष्ट तबदीली हो रही है, और यह तबदीली अधिक-अधिक प्रकट होती गई है। उनमें डराने और धमकाने का रुख ज्यादा-ज्यादा बढ़ता गया है और वह रुख ऐसा हो गया था मानो कोई साजेंट मेजर अपने मातहतों से बोल रहा हो। इसकी एक ध्यान देने योग्य मिसाल थी, नवम्बर या दिसम्बर १९३३ में, शायद मिदनापुर डिवीजन के कमिश्नर का भाषण। इन सारे भाषणों में 'हम विजयी हैं, हम जो चाहें वह करेंगे' की भावना लगातार रहती थी। गैर-सरकारी यूरोपियन तो, खासकर बंगाल में, सरकारी लोगों से भी आगे बढ़ जाते हैं और उनके भाषणों और कार्यों दोनों में उन्होंने बहुत निश्चित फासिस्ट मनोवृत्ति दिखलाई है।

इसके भी अलावा, पाशविकता की एक और नगी मिसाल थी हाल में ही सिन्ध में कुछ मुत्युदण्ड पाये हुए मुजरिमों को खुली फांसी देना। क्योंकि सिन्ध में जूम बढ़ रहे थे, इसलिए अधिकारियों ने तय किया कि इन मुजरिमों को सबके सामने फांसी

दी जाय, ताकि दूसरे भी आगाह हो जायें। इस भयंकर दृश्य को आकर देखने के लिए पब्लिक को हर तरह की सुहूलियत दी गई और कहा जाता है कि कई हजार लोग गये भी थे।

जेल से रिहा होने के बाद, मैंने हिन्दुस्तान में राजनैतिक और आर्थिक हालत का मुआयना किया और मुझे उन्हें देखकर जरा भी उत्साह मालूम न हुआ। मेरे कई साथी जेल में थे, नई गिरफ्तारियाँ जारी थी, सारे आर्डिनेन्स अमल में आ रहे थे, सेन्सर-शिप से अखबारों का गला घुटा हुआ था और हमारे पत्र-व्यवहार की व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई थी। मेरे एक साथी रफीअहमद किदवई को अपने पत्रों पर सेन्सर की लहरों के कारण बड़ा गुस्सा आया। उनके खत रोक लिये जाते थे या देर से आते थे या गुम ही हो जाते थे और इससे उनके काम-काज में बड़ी ठकावट हो जाती थी। वह अपने पत्रों के बारे में ज्यादा गृहतियात से काम लेने की अपील सेन्सर से करना चाहते थे, लेकिन वह लिखते किसको? सेन्सर करनेवाला कोई सार्वजनिक अधिकारी नहीं था। शायद वह कोई सी० आई० डी० अफसर था, जो अपना काम गुप्त रूप से करता था, जिसका कि अस्तित्व और कार्य प्रकट रूप से मंजूर भी नहीं किया गया था। रफीअहमद ने इस मुद्दकाल को इस तरह हल किया कि उन्होंने सेन्सर के नाम एक खत लिखा, लेकिन उसपर खुद अपना पता लिखकर डाल दिया। निश्चय ही खत अपने ठीक मुकाम पर पहुँच गया और बाद में रफीअहमद के पत्र-व्यवहार के बारे में कुछ सुधार हो गया।

मैं फिर वापस जेल जाना नहीं चाहता था। उससे मेरा पेट काफी भर गया था, लेकिन मुझे नहीं सूझता था कि मैं उससे कैसे बच सकता था, जबतक कि मैं सब तरह की राजनैतिक प्रवृत्ति ही न छोड़ दूँ। मेरा यह इरादा न था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे सरकार के संघर्ष में आना ही पड़ेगा। किसी वक्त भी मुझको ऐसा हुकम मिल सकता था कि मैं कोई खास काम न करूँ, और मेरी सारी प्रकृति किसी खास काम के लिए मजबूर किये जाने के खिलाफ बगावत किया करती है। हिन्दुस्तान के लोगों को डराने और दबाने की कोशिश की जा रही थी। मैं लाचार था और बड़े क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन कम-से-कम मैं जाती तौर पर डराये और दबाये जाने से इन्कार तो कर ही सकता था।

जेल वापस जाने से पहले मैं कुछ मामले निबटा डालना चाहता था। सबसे पहले तो मुझे अपनी मा की बीमारी की तरफ ध्यान देना था। उनकी हालत बहुत धीरे-धीरे सुधरती गई, लेकिन वह इतनी धीरे-धीरे सुधरी कि एक साल तक वह चारपाई पर ही रहीं। मैं गांधीजी से भी मिलने को उत्सुक था, जोकि पूना में पड़े अपने

हाल के ही उपवास से स्वास्थ्य-सुधार कर रहे थे। दो साल से ज्यादा असें से मैं उनसे नहीं मिला था। ज्यादा-से-ज्यादा मैं अपने प्रान्तीय साथियों से भी मिलना चाहता था, ताकि उनसे न सिर्फ हिन्दुस्तान की मौजूदा राजनैतिक स्थिति पर ही बल्कि संसार की परिस्थिति पर और उन सब विचारों पर बातचीत करूँ, जो मेरे दिमाग में भरे हुए थे। उस वक्त मेरा खयाल था कि दुनिया बड़ी तेजी से एक महान् राजनैतिक और आर्थिक विपत्ति की तरफ जा रही है और अपने राष्ट्रीय कार्यक्रमों को बनाते वक्त हमें इसका ध्यान रखना चाहिए।

अपने घर के मामलों की तरफ भी मुझे ध्यान देना था। अभीतक मैंने उनकी तरफ कतई ध्यान नहीं दिया था और पिताजी की मृत्यु के बाद मैंने उनके कागजात की देख-भाल भी नहीं की थी। हमने अपना खर्चा बहुत कम कर दिया था, लेकिन ताहम वह हमारी शक्ति से बहुत अधिक था। फिर भी हम जबतक उस मकान में रहते, तबतक उसे और कम करना मुश्किल था। हम मोटर नहीं रख रहे थे, क्योंकि उसका खर्च हम उठा नहीं सकते थे, और एक सबब यह भी था कि सरकार उसे कभी भी कुर्क कर सकती थी। इन आर्थिक कठिनाइयों के बीच में, मेरे पास आर्थिक सहायता मांगनेवाले बहुत पत्र आते थे, जिनसे मेरा ध्यान उधर भी खिच जाता था। (सेन्सर ये पत्र मेरे पास ढकल देता था।) एक बड़ा आम और गलत खयाल, खासकर दक्षिण भारत में, यह फैला हुआ था कि मैं कोई बड़ा दौलतमन्द आदमी हूँ। मेरी रिहाई के बाद फौरन ही मेरी छोटी बहन कृष्णा की सगाई हो चुकी थी और मैं चिन्तित था कि जल्दी ही शादी जाय—इससे पहले कि मुझे जेल जाना पड़े। कृष्णा, खुद भी एक सालतक जेल काटकर कुछ ही महीने पहले छूटी थी।

जैसे ही मा की बीमारी से मैंने छुट्टी पाई, मैं गांधीजी से मिलने पूना चला गया। उनसे मिलकर और यह देखकर मुझे खुशी हुई कि हालांकि वह कमजोर थे, लेकिन वह अच्छी प्रगति कर रहे थे। हमारे बीच लम्बी-लम्बी बातचीतें हुईं। यह साफ़ ज़ाहिर था कि जीवन, राजनीति और अर्थशास्त्र के हमारे दृष्टिकोणों में काफी फ़र्क था, लेकिन मैंने उनका अहसान माना कि उनसे जहाँतक बना उन्होंने उदारता-पूर्वक मेरे दृष्टिकोण से अधिक-से-अधिक नज़दीक आने की कोशिश की। हमारे पत्र-व्यवहार में, जो बाद में प्रकाशित भी हो गया था, मेरे दिमाग में भरे हुए कुछ अधिक व्यापक प्रश्नों पर विचार किया गया था, और हालांकि उनका जिक्र कुछ गोलमोल भाषा में हुआ था, लेकिन दृष्टिकोण का सामान्य भेद तो साफ़ दीखता था। मुझे खुशी हुई कि गांधीजी ने यह घोषित कर दिया कि स्थापित स्वार्थों को अस्थापित कर देना चाहिए, हालांकि उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह काम बल-प्रयोग से

नहीं, बल्कि हृदय-परिवर्तन से होना चाहिए। बूँकि मेरे खयाल से, उनके हृदय-परिवर्तन के तरीके भी नम्रता और विचार-पूर्ण बल-प्रयोग से अधिक भिन्न नहीं हैं, इसलिए मुझे मतभेद ज्यादा न लगा। उस वक्त, पहले की ही तरह, मेरी उनके विषय में यह धारणा थी कि यद्यपि वह गोलमोल सिद्धान्तों पर विचार नहीं किया करते, तो भी घटनाओं के तार्किक परिणामों को देखकर, कदम-ब-कदम, वह आमूल सामाजिक परिवर्तन की अनिवार्यता को मान लेंगे। वह एक अजीब चीज है—श्री वेरियर एलविन के शब्दों में वह 'मध्यकालीन कैथलिक साधुओं के ढंग के आदमी' हैं—लेकिन साथ ही, वह एक व्यावहारिक नेता भी हैं और उनकी नब्ज का सम्बन्ध हमेशा हिन्दुस्तान के किसानों के साथ है। संकट-काल में वह किस दिशा में मुड़ जायेंगे, यह कहना मुश्किल था; लेकिन दिशा कोई भी ही, उसका परिणाम जबरदस्त होगा। सम्भव है कि हमारे विचार से वह गलत रास्ते जावें, लेकिन हमेशा वह मीधा रास्ता ही होगा। उनके साथ काम करना तो अच्छा ही था, लेकिन अगर जरूरत होगी, तो अलग-अलग रास्तों में भी जाना पड़ेगा।

उस वक्त, मेरा खयाल था कि, यह सवाल नहीं उठता था। हम अपनी राष्ट्रीय लड़ाई के मध्य में थे, और अभी तक सविनय भंग ही सिद्धान्तन। काँग्रेस का कार्यक्रम था, हालांकि व्यक्तियों तक ही उसकी सीमा बाँध दी गई थी। हमारी लड़ाई जारी रहे और साथ ही समाजवादी विचार लोगों में और खामकर अधिक राजनैतिक मनोवृत्ति रखनेवाले काँग्रेसी कार्यकर्ताओं में फैलाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जब नीति की घोषणा का दूसरा मौका आवे तो हम काफ़ी आगे कदम बढ़ाने को तैयार मिले। इस बीच काँग्रेस तो गैर-कानूनी मगठन था और ब्रिटिश सरकार उसे कुचलने की कोशिश कर रही थी। हमें उस हमले का सामना करना था।

गांधीजी के सामने जो ख़ास सवाल था, वह था व्यक्तिगत। उन्हें खुद क्या करना चाहिए? वह बड़ी उलझन में थे। अगर वह फिर जेल गये, तो हरिजन-कार्य की सहूलियतों का वही सवाल फिर उठेगा, और बहुत मुश्किल था कि सरकार न झुके और वह फिर उपवास करे। तो क्या वही सारा क्रम फिर दोहराया जायगा? ऐसी चूहे-बिल्लीवाली नीति के सामने उन्होंने झुकने से इन्कार कर दिया, और कहा कि 'अगर मुझे उन सहूलियतों के लिए उपवास करना पड़ा, तो रिहा कर दिये जाने पर भी मैं उपवास जारी रखूँगा।' इसके मानी थे आमरण उपवास।

दूसरा रास्ता उनके सामने यह था कि वह अपनी सज़ा की मियाद तक (जिसमें से अभी साढ़े दस महीने बाकी थे) अपनी गिरफ्तारी न करवाये और सिर्फ़ हरिजन-कार्य में ही अपने-आपको लगा दें; लेकिन साथ ही, वह काँग्रेस-कार्यकर्ताओं से मिलते रहें, और जब जरूरत हो तब उन्हें सलाह भी दें।

उन्होंने मुझे एक तीसरा रास्ता भी सुझाया, कि वह कुछ असें के लिए काँग्रेस से बिलकुल अलग हो जायें और उसे (उनके ही शब्दों में) 'नई पीढ़ी' के हाथों में छोड़ दें ।

पहले रास्ते की, जिसका अन्त उपवास-द्वारा प्राणान्त कर देना मालूम होता था, हममें से कोई भी सिफ़ारिश नहीं कर सकता था । तीसरा रास्ता भी, जब कि काँग्रेस एक गैर-क्रान्ती संस्था थी, ठीक मालूम नहीं हुआ । इस रास्ते का नतीजा यह होता कि सविनय भंग और सब तरह की 'सीधी लड़ाई' फ़ौरन वापस ले ली जाती और फिर क्रान्ती और वैध प्रवृत्ति पर लौटना पड़ता, या काँग्रेस गैर-क्रान्ती और सबसे, अब तो गांधीजी तक से, अकेली छोड़ी जाकर सरकार द्वारा और भी ज्यादा कुचली जाती । इसके अलावा, एक गैर-क्रान्ती संस्था के, जो मीटिंग करके किसी नीति पर विचार नहीं कर सकती थी, किसी दल के कब्जे में आने का सवाल ही नहीं पैदा होता था । इस तरह और रास्तों को छोड़ते हुए हम उनके सुझाये दूसरे उपाय पर आ गये । हममें से ज्यादातर लोग उसे नापसन्द करते थे और हम जानते थे कि उससे बचे-खुचे सविनय भंग को एक भारी आघात पहुँचेगा । अगर नेता ही लड़ाई में से हट जायगा, तो यह संभव नहीं था कि बहुत उत्साही काँग्रेसी-कार्यकर्ता आग में कूद पड़े; लेकिन उलझन में से निकलने का और कोई रास्ता ही न था, और इसीके अनुसार गांधीजी ने अपनी घोषणा कर दी ।

गांधीजी और मैं, दोनों इस बात पर सहमत थे, हालाँकि हमारे कारण अलग-अलग थे, कि सविनय भंग को वापस लेने का अभी वक्त नहीं आया है और चाहे आन्दोलन धीरे चले, लेकिन उसे जारी रखना ही चाहिए । और, कुछ भी हो, मैं लोगों का ध्यान समाजवादी सिद्धान्तों और संसार की परिस्थिति पर भी खींचना चाहता था ।

लौटते वक्त मैंने कुछ दिन बम्बई में बिताये । मेरी खुशकिस्मती से उदयशंकर उन दिनों वही थे । मैंने उनका नृत्य देखा । मैंने इस मनोरंजन से, जिसका पहले से कोई खयाल नहीं था, बड़ा आनन्द उठाया । नाटक, सिनेमा, टॉकी, रेडियो, ब्रॉडकास्टिंग—यह सब पिछले कई वर्षों से मैं देख ही न सका था, क्योंकि स्वतंत्र रहने के वक्त भी मैं दूसरी प्रवृत्तियों में बहुत ज्यादा लगा रहता था । अभीतक मैं सिर्फ़ एक बार ही टॉकी देख पाया हूँ, और बड़े-बड़े अभिनेताओं के मैं सिर्फ़ नाम ही सुनता हूँ । मुझे नाटक देखने का अभाव खास तौर पर अखरता है और विदेशों में नये-नये खेलों के तैयार होने का वर्णन मैं बड़े रसक से पढ़ता रहता हूँ । उत्तर हिन्दुस्तान में, जेल से बाहर होने की हालत में भी, अच्छे खेल देखने का कोई मौका न था, क्योंकि मैं मुदिकल से उनतक पहुँच पाता था । मेरा खयाल है कि बंगाली, गुजराती और मराठी नाटक-

साहित्य ने कुछ प्रगति की है, लेकिन हिन्दुस्तानी रंग-मंच ने, जो कि निहायत बड़ा और कला-हीन है, या था, क्योंकि मुझे हाल की प्रगति का हाल नहीं मालूम, कुछ भी प्रगति नहीं की। मैंने यह भी सुना है कि हिन्दुस्तानी फिल्मों, मूक और सवाक्, दोनों में कला का प्रायः अभाव ही रहता है। उनमें आम तौर पर सुरीले गानों या गजलों की ही प्रधानता रहती है और उनका कथाभाग हिन्दुस्तान के पुराने इतिहास या पुराणों में से लिया हुआ होता है।

मेरे खयाल से, इनमें वह सब चीज मिल जाती है जिसकी शहर के लोग कद्र करते हैं। इन भड़े और दुःखदायी प्रदर्शनो में और साधारण जनता के अब भी बचे-खुचे संगीत, नृत्य और देहाती नाटकों तक की कला में अन्तर साफ दिखाई देता है। बंगाल में, गुजरात में और दक्षिण में कभी-कभी यह देखकर बड़ा आश्चर्य और आनंद होता है, कि मूलतः, लेकिन अनजान में, देहात के लोग कितने कलामय हैं। लेकिन मध्यम-वर्गों का हाल ऐसा नहीं है। उनकी तो मानों जड़ों का ही पता नहीं है, और उनके पास सौंदर्य या कला की कोई परम्परा नहीं रही है, जिसे वे पकड़े रहें। वे जर्मनी और ऑस्ट्रिया में बहुतायत से बने हुए, सस्ते और बीभत्स चित्रों को रखने में ही अपनी शान समझते हैं, और ज्यादा किया तो कभी-कभी रवि वर्मा के चित्र रख लेते हैं। संगीत में उनका प्यारा बाजा हारमोनियम है। (मुझे आशा है कि स्वराज-सरकार के शुरुआती कामों में एक यह भी होगा कि वह इस भयानक वाद्य पर प्रतिबन्ध लगा दे।) लेकिन दर्दनाक भद्दापन और कला के सब सिद्धान्तों के भग की पराकाष्ठा तो शायद लखनऊ और दूसरी जगह के बड़े-बड़े तालुकदारों के घरों में दिखाई देती है। उनके पास खर्च करने को पैसा होता है और और दिखावा करने की स्वाहिश, और ऐसा ही वे करते भी हैं, और जो लोग उनके यहाँ जाते हैं, उन्हें उनकी इस अभिलाषा की पूर्ति का दुःखी गवाह बनना पड़ता है।

हाल में ही प्रतिभाशाली ठाकुर-परिवार के नेतृत्व में कुछ कला-जागृति हुई है और उसका प्रभाव सारे हिन्दुस्तान पर दिखाई देता है; लेकिन जबकि देश के लोगों पर जगह-जगह रुकावटें और बन्धन डाले जाते हैं और उन्हें दबाया जाता है और वे दहशत के वातावरण में रहते हैं, तब कोई भी कला किसी बड़े पैमाने पर कैसे फल-फूल सकती है ?

बम्बई में मैं कई दोस्तों और साथियों से मिला, जिनमें से कुछ तो हाल में ही जेल से निकले थे। समाजवादी लोगों की तादाद वहाँ ज्यादा थी और कांग्रेस के ऊपरी तह के लोगों की हाल की घटनाओं पर वहाँ बड़ा रोष था। गांधीजी राजनीति में जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण लगाया करते थे, उसकी सख्त आलोचना होती थी। अधिकांश

आलोचना से मैं सहमत था, लेकिन मेरी साफ़ राय थी कि हमारी उस वक्त की परिस्थिति में और कोई चारा न था और हमें अपना काम जारी ही रखना था। सविनय भंग को वापस लेने की कोशिश भी की जाती, तो उसमें भी हमें कोई राहत न मिलती, क्योंकि सरकार का आक्रमण तो जारी रहता और कुछ भी कारगर काम किया जाता तो उसका नतीजा जेलखाना ही होता। हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन ऐसी हालत में पहुँच गया था कि सरकार को उसे दबा ही देना पड़ा, वरना ब्रिटिश सरकार को हमारी इच्छा माननी पड़ती। इसके मानी यह थे कि वह ऐसी हालत में आ गया था कि जब उसका हमेशा ही गैर-कानूनी करार दिया जाना मुमकिन था और आन्दोलन के रूप में, चाहे सविनय भंग भी बन्द कर दिया जाय तो भी, वह पीछे नहीं हट सकता था। असल में, सविनय भंग के जारी रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन असली महत्व था चुनौती के काम का ही। लड़ाई के बीच नये विचारों का फँलाना उस वक्त की बनिस्वत आसान था, जबकि लड़ाई बन्द कर दी गई हो और लोगो का हीसला पस्त पड़ने लगा हो। लड़ाई के अलावा दूसरा रास्ता सिर्फ़ यही था कि ब्रिटिश ताकत के साथ समझौते की मनोवृत्ति स्वीकार की जाय और कौमिलों में जाकर वैध कार्य किया जाय।

वह एक कठिन स्थिति थी, लेकिन कोई भी रास्ता ढूँढना आसान न था। अपने साधियों के मानसिक सघर्षों को मैं समझ सकता था, क्योंकि खुद मुझे भी उनका सामना करना पड़ा था। लेकिन, जैसा कि हिन्दुस्तान में दूसरी जगह भी पाया गया है, वहां मुझे ऐसे लोग दिखाई दिये, जो ऊँचे समाजवादी सिद्धान्त के बहाने कुछ भी न करना चाहते थे। इस बात से मुझे कुछ चिढ़ होती थी कि जो लोग खुद कुछ न करें, वे उन दूसरे लोगो को, जिन्होंने लड़ाई के मैदान की धूल और धूप में सारा भार उठाया, प्रतिगामी बताकर उनकी आलोचना करे। ये आराम-कुरसीवाले समाजवादी लोग गाँधीजी पर खास तौर पर जोर का वार करते हुए उन्हें प्रतिगामियों के सिरताज बताते हैं और ऐसी-ऐसी दलीलें देते हैं, जिनमें तर्क की दृष्टि से कोई कसर नहीं रहती है; लेकिन सीधी-सी बात तो यह है कि यह "प्रतिगामी" व्यक्ति हिन्दुस्तान को जानता और समझता है और किसान-हिन्दुस्तान का करीब-करीब मूर्तिमान् स्वरूप बन गया है और इसने इस कदर हिन्दुस्तान में हलचल पैदा करदी है जैसी क्रांतिकारी कहे जाने-वाले किसी भी व्यक्ति ने नहीं की है। उनके सबसे ताजे हरिजन-सम्बन्धी कार्यों ने भी, हलके-हलके लेकिन अबाध रूप से, हिन्दू कट्टरता का प्रभाव कम कर दिया है और उसकी बुनियाद हिला दी है। सारे कट्टर पन्थी लोग उनके खिलाफ़ उठ खड़े हुए हैं और उन्हें सबसे खतरनाक दुश्मन समझते हैं, हालांकि वह उनके साथ सोलहों आना

शिष्टता और सम्मान ही का व्यवहार करते हैं। अपने खास ढंग से जबरदस्त ताक़तों को जागृत करके छोड़ देने का उनमें स्वभावसिद्ध गुण है, जो कि पानी की लहरों की तरह चारों ओर फैल जाती हैं और लाखों आदमियों पर अपना असर डालती हैं। चाहे वह प्रतिगामी हों या क्रान्तिकारी, उन्होंने हिन्दुस्तान की सूरत तबदील कर दी है। उस जनता में, जो हमेशा हाथ जोड़ती और डरती रहती थी, स्वाभिमान और चरित्र-बल भर दिया है। उन्होंने आम लोगों में शक्ति और चेतनता पैदा की है और हिन्दुस्तान की समस्या को संसार की समस्या बना दिया है। इस बात को जुदा रखते हुए कि अहिंसात्मक असहयोग या सविनय भंग के आध्यात्मिक परिणाम क्या-क्या हैं, यह सही है कि वह हिन्दुस्तान और दुनिया के लिए उनकी एक अनोखी देन है और इसमें कोई शक नहीं हो सकता कि वह हिन्दुस्तान की परिस्थिति के लिए खास तौर पर उपयुक्त सिद्ध हुआ है।

मेरे खयाल से यह ठीक है कि हम सच्ची आलोचना को प्रोत्साहित करें और अपनी समस्याओं पर जितना भी सार्वजनिक वाद-विवाद हो सके करे। बदकिस्मती से गांधीजी की सर्वोपरि स्थिति के कारण भी किसी हदतक इस प्रकार के वाद-विवाद में रुकावट पड़ गई है। उनके ऊपर अवलम्बित रहने और निर्णय का काम उन्हींपर छोड़ देने की प्रवृत्ति हमेशा रही है। स्पष्टतः यह ग़लत बात है और राष्ट्र तो उद्देश्यों और साधनों को बुद्धिपूर्वक ग्रहण करके ही बढ़ सकता है और जब उन्हींके आधार पर, न कि अन्ध-आज्ञा-पालन पर, सहयोग और अनुशासन स्थापित होगा, तभी देश की प्रगति होगी। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो, आलोचना से परे नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आलोचना निष्क्रियता का बहाना-मात्र बन जाती है, तो उसमें कुछ-न-कुछ बिगाड़ समझना चाहिए। अगर समाजवादी लोग इस तरह का काम करेंगे, तो वे जनता की निन्दा के पात्र बन जायेंगे, क्योंकि जनता तो काम से आदमी की परख करती है। लेनिन ने कहा है कि "जो आदमी भविष्य के आसान कामों के स्वप्नों के नाम पर वर्तमान के सख्त कामों को करना छोड़ देता है, वह मीकापरस्त बन जाता है। सिद्धान्त-रूप से इसका मतलब है असली जीवन में इस समय होनेवाली घटनाओं पर अपना आधार रखने में विफल होना, ताकि स्वप्नों के नाम पर उनसे अपने-आपको अलग रख सकें।"

हिन्दुस्तान के समाजवादी और कम्युनिस्ट लोग अपने खयालात ज्यादातर उस साहित्य पर से बनाते हैं, जो औद्योगिक मजदूर-वर्ग की बात है। कुछ खास हलकों में, जैसे बंबई में या कलकत्ते के पास, कारखानों के मजदूर बड़ी तादाद में हैं, लेकिन हिन्दुस्तान का बाक़ी हिस्सा तो किसानों का ही है और कारखानों के मजदूरों के

दृष्टिकोण से हिन्दुस्तान की समस्या का कारगर हल नहीं मिल सकता। यहाँ तो राष्ट्रवाद और ग्रामीण सुव्यवस्था ही सबसे बड़े सवाल हैं और योरप का समाजवाद इनके बारे में शायद ही कुछ जानता हो। रूस में महायुद्ध से पहले की हालत हिन्दुस्तान से बहुत-कुछ मिलती-जुलती थी, मगर वहाँ तो बहुत ही असाधारण और ग़ैर-मामूली घटनायें हो गईं और वैसे ही घटनायें फिर दूसरी जगह हों यह उम्मीद करना बेवकूफी होगी। लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि कम्युनिज्म के तत्त्वज्ञान से किसी भी देश की मौजूदा परिस्थिति को समझने और उसका विश्लेषण करने में सहायता मिलती है और आगे प्रगति का रास्ता मालूम होता है; लेकिन उस तत्त्वज्ञान के साथ यह जबरदस्ती और बेइन्साफी होगी कि उसे वाक्यात और हालात का मूनामिब खयाल न रखते हुए अंधे की तरह हर जगह लागू कर दिया जाय।

कुछ भी हो, जीवन एक बड़ा पेचीदा मामला है और जीवन के संघर्षों और विरोधों से कभी-कभी आदमी कुछ निराश-सा हो जाता है। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि लोगों में मतभेद पैदा हो जाय या वे साथी, जो समस्याओं पर एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं, अलग-अलग नतीजों पर पहुँचें; लेकिन वह आदमी, जो अपनी कमजोरी को बड़े-बड़े वाक्यों और ऊँचे-ऊँचे उम्लों के परदे में छिपाता है, ज़रूर सदेह का पात्र बन सकता है। जो शरूस सरकार को इकरारनामे और वादे लिखकर या और किसी संदेहास्पद व्यवहार से जेल जाने से अपने-आपको बचाता है और फिर दूसरों की आलोचना करने का दुःसाहस करता है, वह अपने कार्य को नुकसान पहुँचाने की संभावना पैदा करता है।

बम्बई बड़ा शहर है और उसमें सब जगह के लोग रहते हैं। वहाँ सभी तरह के लोग मौजूद थे। लेकिन एक प्रमुख नागरिक ने तो अपने राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण में बड़ी मार्क की उदारता दिखाई। मजदूर नेता की हैसियत से वह समाजवादी थे; राजनीति में वह आम तौर पर अपनेको डिमोक्रेट (लोकतन्त्रवादी) कहते थे; हिन्दू-सभा भी उन्हें बहुत चाहती थी। उन्होंने वादा किया कि मैं पुराने धार्मिक और सामाजिक रीति-रिवाजों की रक्षा करूँगा और उनमें कौंसिल को दखल देने न दूँगा, मगर चुनाव के वक्त मे वह सनातनियों की तरफ से उम्मीदवार हुए, जोकि प्राचीन रहस्यों के महान् पुजारी होते हैं। इस भिन्न-भिन्न प्रकार के बदलनेवाले जीवन से जब वह न थके, तो उन्होंने अपनी शेष शक्ति कांग्रेस की आलोचना करने और गांधीजी को प्रतिगामी बताने में लगाई। कुछ और लोगों के सहयोग से उन्होंने कांग्रेस डिमोक्रेटिक—लोकतन्त्रात्मक—पार्टी शुरू की, जिसका लोकतन्त्रवाद से कोई भी ताल्लुक न था और जो कांग्रेस से इतना ही सम्बन्ध रखती

थी कि उस महान् संस्था पर हमला करे। इससे भी ज्यादा प्रवृत्तियों में हाथ डालने की दृष्टि से, वह मजदूरों के प्रतिनिधि की हैसियत से जेनेवा-मजदूर-कान्फ्रेंस में भी शरीक हुए। किसीको प्रायः यह भी खयाल होता था कि शायद वह इंग्लैण्ड के ढग की हिन्दुस्तान की 'राष्ट्रीय' सरकार के प्रधान-मन्त्री बनने की योग्यता प्राप्त कर रहे हें।

इतने भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों और प्रवृत्तियों का लाभ शायद बहुत थोड़े लोग उठा सकते थे; लेकिन फिर भी कांग्रेस के समालोचकों में ऐसे कई लोग थे, जिन्होंने भिन्न-भिन्न क्षेत्रों का अनुभव किया था, और जो कई जगहों में अपनी टाँग अड़ाते थे। इनमें से कुछ लोग अपने-आपको समाजवादी कहते थे और उनके कारण समाजवाद उलटा बदनाम होता था।

लिबरल दृष्टिकोण

गांधीजी से मिलने जब मैं पूना गया था, तो एक दिन शाम को मैं उनके साथ 'सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी' के भवन में चला गया। करीब एक घण्टे तक सोसाइटी के कुछ सदस्य उनसे राजनैतिक मामलों पर सवाल-जवाब करते रहे और वह उनका जवाब देते रहे। न तो उस वक्त वहाँ सोसाइटी के प्रेसीडेंट श्री श्रीनिवास शास्त्री थे और न पण्डित हृदयनाथ कुंजरू ही, जो कि शायद बाकी के सदस्यों में सबसे ज्यादा योग्य हैं; लेकिन कुछ सीनियर मेम्बर मौजूद थे। हममें से कुछ लोग, जो उस वक्त वहाँ उपस्थित थे, बड़े अचरज में सब कुछ सुनते रहे, क्योंकि सवाल बिलकुल ही छोटी-छोटी घटनाओं के बारे में पूछे जा रहे थे। वे ज्यादातर वाइसराय से मुलाकात की पुरानी दरखास्त और उनके इन्कार के बारे में थे। जबकि खुद उनका ही देश आजादी की अच्छी करारी लड़ाई लड़ रहा था और मकड़ों संस्थाये गैर-कानूनी करार दी जा रही थी, तब क्या केवल अनेक समस्याओं में भरी हुई दुनिया में यही एक विषय उनकी चर्चा के लिए रह गया था? किसान नाजुक वक्त से गुजर रहे थे और औद्योगिक मन्दी चल रही थी, जिससे कि व्यापक बेकारी फैल रही थी। बंगाल, सीमा-प्रान्त और हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में भयकर घटनाय घट रही थी, विचार, भाषण, लेखन और सभाओं की स्वतन्त्रता दबाई जा रही थी और दूसरी भी कई राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याये मौजूद थी। लेकिन सवाल-जवाब सिर्फ महत्त्वशून्य घटनाओं के बारे में या इस बारे में पूछे गये कि अगर गांधीजी वाइसराय से फिर मिलना चाहें तो वाइसराय और भारत-सरकार क्या करेगी?

मुझे बड़े जोरो से कुछ ऐसा महसूस होने लगा मानो मैं किसी धार्मिक मठ में आ घुसा हूँ, जिसके रहनेवालों का बाहरी दुनिया के साथ किसी तरह का कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रहा है। फिर भी हमारे दोस्त 'एक्टिव' (क्रियाशील) राजनीतिज्ञ थे, जिनकी सार्वजनिक सेवा और कर्बानों का लम्बा रिकार्ड था। उन्हींसे और कुछ और लोगों से मिलकर लिबरल-पार्टी की मूल ताकत बनी हुई थी। बाकी की पार्टी तो बे सिर-पैर की थी जिसमें ऐसे-ऐसे आदमी थे, जो कभी-कभी राजनीति से सम्बन्ध जोड़ने का मजा लेना चाहते थे। इनमें से कुछ लोग तो—खासकर बम्बई और मद्रास में—ऐसे थे, जिनमें और सरकारी अधिकारियों में शायद ही कुछ फर्क था।

जिस तरह के प्रश्न एक देश पूछा करता है, उसी हद तक उसकी राजनैतिक

प्रगति मालूम होती है। अक्सर उस देश की नाकामयाबी का कारण भी यही होता है कि उसने अपने-आपसे ठीक तरह का सवाल नहीं पूछा। जिस हदतक हम कौंसिलों की मीटों के बैठवारे पर अपना वक्त और ताकत व अपना मिजाज बिगाड़ा करते हैं, या जिस हदतक हम साम्प्रदायिक निर्णय पर पाटियाँ बनाया करते हैं और उसपर फ़ज़ूल का वाद-विवाद इतना करते हैं कि उससे ज़रूरी सवालालत ही छूट जाते हैं, उसी हदतक हमारी पिछड़ी हुई राजनैतिक हालत मालूम हो जाती है। इसी तरह उस दिन गांधीजी से 'सर्वेण्ट्स आफ़ इण्डिया सोसाइटी' के भवन में जो-जो सवालालत पूछे गये थे, उनसे ही उस सोसाइटी और लिबरल-पार्टी की अजीब मनोदशा प्रतिबिम्बित होती थी। ऐसा मालूम होता था कि उनके न तो कोई राजनैतिक या आर्थिक उमूल है, न कोई व्यापक दृष्टि है। उनकी राजनीति तो रईसों के दीवान-खानो या दरबारों की-सी चीज़ दिखाई देती थी। मानो, उनकी यही जानने की इच्छा रहा करती कि हमारे उच्च अधिकारी क्या करेगे, या क्या नहीं करेगे।

'लिबरल-पार्टी' नाम से भी धोखा हो सकता है। दूसरे मुल्को में और खामकर इंग्लैण्ड में, इस लफ़्ज़ से एक खाम आर्थिक नीति का—मुक्त और अनियंत्रित व्यापार आदि—और व्यक्तिगत आज़ादी तथा नागरिक स्वतन्त्रताओं के एक खाम आदर्शवाद का मतलब समझा जाता था। इंग्लैण्ड की लिबरल-परम्परा की बुनियाद आर्थिक थी। व्यापार में आज़ादी की और राजा के एकाधिकारों और मनमाने टैक्सों से छुटकारा मिलने की इच्छा से ही राजनैतिक स्वतन्त्रता की स्वाहिश पैदा हुई। मगर हमारे हिन्दुस्तान के लिबरलों का ऐसा कोई आधार नहीं है। मुक्त व्यापार में उनका विश्वास नहीं, क्योंकि वे करीब-करीब सभी सरक्षणवादी हैं और जैसा कि हाल की घटनाओं ने बता दिया है, वे नागरिक स्वतन्त्रताओं का भी कोई महत्त्व नहीं समझते। अर्ध-माण्डलिक और एकतन्त्री देशों रियामतों के साथ, जहाँ कि प्रजातन्त्रवाद और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की भी मामूली रूप-रेखा नहीं है, उनका गहरा सम्बन्ध रहना और उनका सामान्य रूप से समर्थन करना साबित करता है कि वे यूरोपियन टाइप के लिबरलों से बहुत भिन्न हैं। सबमुच हिन्दुस्तान के लिबरल किसी मानी में भी लिबरल नहीं हैं, या वे सिर्फ़ कहीं-कहीं और किसी-किसी अंश में ही लिबरल हैं। वे क्या हैं, यह कहना मुश्किल है। उनके विचारों का कोई एक निश्चित दृढ़ आधार नहीं है, और हालांकि उनकी तादाद थोड़ी ही है, लेकिन आपस में भी उनके विचार नहीं मिलते। वे नकारात्मक रूप में ही दृढ़ता दिखाते हैं। हर जगह उन्हें गलती-ही-गलती दिखाई देती है। उससे बचने की वे कोशिश भी करते रहते हैं और आशा यह करते हैं कि इसी तरह वे सच्चाई को हासिल कर लेंगे। उनकी निगाह में सच्चाई सिर्फ़ दो

अतियों के बीच ही हुआ करती है। हर ऐसी चीज़ की निन्दा करके, जिसे वे पराकाष्ठा मानते हैं, वे समझते हैं कि वे गुणवान, समझदार और नेक आदमी हैं। इस तरीके से वे विचारों के कष्ट-प्रद और कठिन तौर-तरीके से तथा रचनात्मक विचारों को पेश करने की आफत से बच जाते हैं। उनमें से कुछ लोग अस्पष्ट रूप से महसूस करते हैं कि पूँजीवाद योरप में पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ है और संकट में पड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ, समाजवाद तो जाहिरा तौर पर ही खराब है, क्योंकि उससे स्थापित स्वार्थों पर हमला होता है। शायद भविष्य में कोई रहस्यवादी उपाय, कोई बीच का मुकाम मिल ही जायगा। इस दम्प्यान, स्थापित स्वार्थों की रक्षा होनी ही चाहिए। अगर इस बातचीत की जाय कि ज़मीन चपटी है या गोल, तो शायद वह इन दोनों ही पराकाष्ठाओं के विचारों की निन्दा करेगे और आरखी तौर पर यही सुझायेंगे कि वह शायद चौकोर या अण्डाकार है।

बहुत छोटे-छोटे और बेवजनी मामलो पर भी वे बहुत भड़क जाते हैं और इतना होंहल्ला और शोर-गुल मचा देते हैं कि कुछ पूछिए नहीं। जान में या अनजान में वे मौलिक सवालों को हाथ नहीं लगाते, क्योंकि ऐसे सवालों के लिए मौलिक इलाज और विचार और कार्य के साहस की ज़रूरत होती है। इसलिए लिबरलो की सफलता या असफलता का कोई नतीजा नहीं होता। उनका किसी सिद्धान्त से सम्बन्ध नहीं होता। इस पार्टी की बड़ी विशेषता और खास लक्षण, अगर उसे लक्षण कहा जा सके, यह है कि हर अच्छी और बुरी बात में मातदिल रहना। यही इनके जीवन का दृष्टिकोण है और इनका पुराना नाम—मॉडरेट—ही शायद सबसे ठीक था।

“मॉडरेट होने में ही हम फूले नहीं समाते हैं,

नरम गरम हमको कहते, ओ' गरम नरम बतलाते हैं !”

लेकिन मॉडरेट-वृत्ति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह कोई तेज-पूर्ण और ओजस्वी गुण नहीं है। यह वृत्ति तेजोहीनता पैदा करती है और इसलिए हिन्दुस्तान के लिबरल बदकिस्मती से एक 'तेजोहीन दल' बन गये हैं—वे चेहरे से मंद-तेज और संजीदा, लेखों और बातचीत में उत्साहहीन होते हैं और विनोद-प्रियता से खाली रहते हैं। निश्चय ही, इनमें कुछ अपवाद भी हैं और एक सबसे बड़े अपवाद है सर तेजबहादुर सप्रू, जिनका व्यक्तिगत जीवन निश्चय ही विनोद-रहित नहीं है, बल्कि जो अपने विरुद्ध मजाक में भी रस लेते हैं। लेकिन कुल मिलाकर लिबरल-दल मध्यम-वर्गशाही

१. एलेक्ज़ेंडर पोप का मूल अंग्रेजी पद्य इस प्रकार है—

“In moderation placing all my glory
While Tories call me Whig and Whigs a Tory.”

की पराकाष्ठा का साकार रूप है, और उसमें ऐसा ठोसपन है, जो सुस्ती या मंदी का दूसरा नाम है। इलाहाबाद के 'लीडर' ने, जो कि प्रमुख लिबरल अखबार है, पिछले साल अपने एक अग्रलेख में लिबरल मनोवृत्ति को बहुत स्पष्टता से प्रकट कर दिया था। उसने बताया था कि बड़े और असाधारण लोगों ने दुनिया को हमेशा ही मुसीबतों में डाला है। इसलिए, उसकी राय थी कि, मामूली औसत दर्जे के लोग ही ज्यादा अच्छे होते हैं। बड़े ही नाजुक और साफ ढंग से इस अखबार ने औसतपने के साथ अपने झंडे का गठ-बन्धन कर लिया।

मर्यादा के अन्दर रहना, रूढ़ि-प्रियता और खतरों तथा अचानक परिवर्तनों से बचने की इच्छा बुढ़ापे के अनिवार्य साथी है। ये बातें नौजवानों को बिलकुल नहीं सोहनी। लेकिन हमारा तो देश भी पुगतन और बृद्धा है; कभी-कभी इसके बच्चे भी पैदाइश से ही कमजोर और थके हुए दिखाई देते हैं और उनमें तेजहीनता और बुढ़ापे के चिन्ह होने हैं। लेकिन जो तबदीली हो रही है, उसकी तारुतो से ऐसा पुरातन देश भी अब हिल उठा है और नरम दृष्टिकोण रखनेवाले भी इसे देखकर घबरा-से गये हैं। पुगानी दुनिया गुजर रही है, और लिबरल लोग कितनी भी योग्यता से बुद्धिमत्ता-पूर्ण काम करने की मीठी सलाह दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तूफान या बाढ़ या भूकम्प को समझाने में कही रोका जा सकता है? उनकी पुरानी धारणायें टिकती नहीं हैं, और नई-नई तरह के विचार और काम की उनमें हिम्मत नहीं। यूरोपियन परम्परा के बारे में डाक्टर ए० एन० व्हाइटहेड कहते हैं—“यह सारी परम्परा इस दूषित धारणा में आच्छादित है कि हर पीढ़ी बहुत-कुछ उन्हीं परिस्थितियों में जीवन बितायगी, जिन्होंने उसके पुरखों के जीवन का निर्माण किया था, और वही परिस्थितियाँ आगे भी उतने ही बल से उनकी मन्तान के जीवन को बनायेंगी। हम मनुष्य-जाति के इतिहास-युग के पहले चरण में रह रहे हैं, जिसके लिए कि यह धारणा बिलकुल गलत है।” डा० व्हाइटहेड ने भी अपने इस विश्लेषण में थोड़ी नरमी दिखलाने की गलती की है, क्योंकि शायद वह धारणा हमेशा ही गलत रही है। अगर योरोप की परम्परा वही पुरानी लकीर पीटती रही है, तो फिर हमारी परम्परा का तो हिसाब लगाइए। उसकी क्या हलत होगी? लेकिन इतिहास को घड़नेवाले, जब तबदीली का वक्त आ जाता है तब, इन परम्पराओं की तरफ जग भी ध्यान नहीं देते! हम लाचारी से देखते रह जाते हैं और अपनी योजनाओं की असफलताओं का दोष दूसरों के मत्थे मढ़ देते हैं। और जैसा कि श्री जेराल्ड हर्ड बतलाने हैं, “सबसे ज्यादा बरबादी करनेवाला वहम यहीं खयाल है, कि मनुष्य दिल में यह मान बैठे कि उसकी योजना उसकी विचार-पद्धति की गलती से नहीं बल्कि किसी दूसरे के जानबूझकर बाधा डालने से असफल हुई है।”

इस भयंकर वहम के शिकार हम सभी हैं। मे कभी-कभी सोचता हूँ कि गांधीजी भी इससे बरी नहीं हैं। मगर हम कम-से-कम कुछ-न-कुछ काम तो करते ही हैं; जीवन के सम्पर्क में तो आने की कोशिश करते हैं और तजुबे और गलतियों के जरिये भी हम इस वहम की ताकत को कम कर देते हैं, और लुढ़कते हुए भी किसी तरह आगे बढ़ते तो जाते हैं। लेकिन इन लिबरलों में यह दोष अधिक गहरा है। क्योंकि इस डर से कि कहीं हमसे कोई गलत काम न हो जाय, वे काम ही नहीं करते, और गिर या फिसल जाने के डर से वे आगे कदम ही नहीं बढ़ाते। जनता के साथ वे अच्छा हार्दिक सम्पर्क पैदा करने में दूर ही रहते हैं, और अपने ही विचारों की तग कोठरियों में मोहित और समाधिस्थ से बैठे रहते हैं। डेढ़ साल पहले श्री श्रीनिवास शास्त्री ने अपने संगी-साथी लिबरलो को आगाह किया था कि उन्हें चुपचाप खड़े देखते न रहना चाहिए और घटनाओं को यों ही गुजरने न देना चाहिए। उस आगाही में वह जितनी सचाई समझते थे, उससे कहीं ज्यादा सचाई थी। सरकार क्या कर रही है इस दृष्टि से हमेशा विचार करने के कारण, वह उन विधान-सम्बन्धी परिवर्तनों की तरफ इगारा कर रहे थे, जिन्हे भिन्न-भिन्न सरकारी कमिटियाँ बना रही थी; लेकिन लिबरलो की बदकिस्मती यह थी कि जब उनके ही देशवामी आगे बढ़ रहे थे, तब वे चुपचाप खड़े-खड़े तमाशा देख रहे थे और घटनाओं को योंही गुजरने दे रहे थे। वे अपने ही लोगों से डरते थे और हमारे शर्मको से अलहदा होने के बजाय उन्होंने इन आम लोगों से दूर रहना ही ज्यादा अच्छा समझा। फिर इसमें आश्चर्य ही क्या था कि वे अपने ही मुल्क में अजनबी-में बन गये। दुनिया आगे बढ़ गई और उन्हें वही-का-वही छोड़ गई। जब लिबरलो के देशवामी जिन्दगी और आजादी के लिए भयंकर लड़ाईयाँ लड़ रहे थे, तब इसमें कोई शूबहा नहीं था कि लिबरल मोर्चबंदी के किस तरफ खड़े थे। मोर्चबंदी की दूसरी तरफ से वे हमें नेक सलाह दे रहे थे और बड़ी-बड़ी नैतिक बातें करने थे, और हम चिपचिपे रोगन की तह-पर-तह हमारे ऊपर चढ़ाते जाते थे। गोलमेज-कान्फ्रेंसों और कमिटियों में जो सहयोग उन्होंने दिया, वह सरकार के हक में बड़ी महत्वपूर्ण नैतिक चीज थी। अगर यह सहयोग न दिया जाता, तो बड़ा फर्क पड़ जाता। यह ध्यान देने की बात है कि एक कान्फ्रेंस में ब्रिटिश मजदूर-पार्टी तक अलग रही, लेकिन हमारे लिबरल साहबान तो उसमें भी अलग नहीं रहे और कुछ अंग्रेज मज्जनों ने उनसे न जाने की अपील की तो- भी वे वहाँ चले ही गये।

भों तो हमारे जुदे-जुदे मकसदों के लिहाज से हम सब नरम या गरम हैं। फर्क सिर्फ मात्रा का है। जिस बात के बारे में हम अधिक चिन्ता हो, उसके विषय में हमारी भावना भी तीव्र हो जाती है, और हम उसके सम्बन्ध में 'गरम' हो जाते हैं, नहीं तो हम

दयादर्शक सहनशीलता धारण कर लेते हैं, एक प्रकार की दार्शनिक सौम्यता अख्त्यार कर लेते हैं. जोकि, असल में, कुछ हद तक हमारी उदासीनता को ढक लेती है। मैंने नरम-से-नरम माडरेटों को बहुत उग्र और गरम होते हुए देखा है, जब उनके सामने देश से कुछ स्थापित स्वार्थों को उडा देने की बात रक्खी गई। हमारे लिबरल मित्र कुछ हद तक धनी-मानी और समृद्ध लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वराज के लिए उन्हे बहुत दिनों तक इन्तज़ार करना पुसा सकता है और इससे उसके लिए उन्हें व्यग्र या उत्तेजित हो उठने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जहाँ कोई आमूल सामाजिक परिवर्तन का प्रश्न आया कि उनमें खलबली मची। तब वे न तो उसके विषय में माडरेट ही रह जाते हैं और न उनकी वह सुन्दर समझदारी ही कायम रहती है। इस तरह उनकी नरमी ब्रिटिश सरकार के प्रति उनके रज़ तक ही मर्यादित है और वे यह आशा लगाये बैठे हैं, कि यदि वे काफी आदर-भाव दिखाते रहे और समझौते से काम लेते रहे, तो मुमकिन है कि उनके इस सलूक के पुरस्कार में उनकी बात सुन ली जाय। इसलिए वे ब्रिटिश दृष्टिकोण से देखे बिना रह ही नहीं सकते। 'ब्ल्यू बुक' उनके गंभीर अध्ययन की वस्तु बनती है। इरशकिन में की 'पार्लमेण्टरी प्रेक्टिस' और ऐसी ही किताबें उनकी जीवन-मंगिनी होती हैं। नई सरकारी रिपोर्ट उनके तंश और तर्क-वितर्क का विषय बनती है। इंग्लैंड से लौटनेवाले लिबरल नेता ह्वाइट-हाल के देवताओं के कारनामों के बारे में रहस्यमय वक्तव्य देते हैं; क्योंकि, ह्वाइट-हाल लिबरलों, प्रतिमहयोगियों और ऐसे ही दूसरे दलों की दृष्टि में सूरमाओं का स्वर्ग है! पुराने ज़माने में यह कहा जाता था कि जब कोई भद्र अमेरिकन मर जाता, तो उसकी आत्मा पेरिस जाती थी। इसी तरह यह कहा जा सकता है कि अच्छे लिबरलों की प्रेनात्मा ह्वाइट-हाल की चहारदिवारी का कभी-कभी चक्कर लगाती रहती है।

यहाँ लिखा तो मैंने लिबरलों के बारे में है, लेकिन यही बात बहुतेरे काँग्रेसियों पर भी लागू होती है और प्रतिमहयोगियों पर तो और भी ज्यादा लागू होती है; क्योंकि नरमी में तो उन्होंने लिबरलों को भी मात कर दिया है। आंसत दरजे के काँग्रेसी में बड़ा फ़र्क है। मगर इस सम्बन्ध में विभाजक रेखा न तो साफ़ ही है, न निश्चित ही। जहाँतक विचार-धारा से संबंध है, आगे बढ़े हुए लिबरल और नरम काँग्रेसी में कोई ज्यादा फ़र्क मालूम नहीं होता। मगर भला हो गांधीजी का, जो हरेक काँग्रेसी ने अपने देश और देश के लोगों के साथ थोड़ा-बहुत संपर्क रक्खा है और वह काम भी करता रहता है और इसीकी बदौलत वह एक धुंधली और अधूरी विचार-धारा के परिणामों से बच गया है। मगर लिबरलो की बात ऐसी नहीं है। उन्होने

पुराने और नये दोनों ही विचार के लोगों से अपना नाता तोड़ लिया है। एक जमात की हैसियत से वे उन लोगों के प्रतिनिधि हैं, जो मिटते जा रहे हैं।

मैं खयाल करता हूँ कि हमसे बहुतों की वह पुरानी व्यक्तिपूजा की भावना नष्ट हो चुकी है; लेकिन नई अतर्दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है। न तो हमें समुद्र से उछलते हुए प्रोटियस^१ के दर्शन सुलभ हैं और न हमारे कान बूढ़े ट्रिटन^२ की पुष्प-माला-विभूषित श्रृंगी की मधुर ध्वनि ही सुन पाते हैं। हमसे बहुत कम लोग इतने भाग्यशाली हैं जो—

“पिंड में ब्रह्माण्ड को अवलोकते,

वन-मुमन में स्वर्ग को हे देखते;

अजली में बाँधते निस्सीम को,

एक पल से नापते चिरमीम को।”^३

दुर्भाग्य से, हममें से बहुतेरे प्रकृति के रहस्यपूर्ण जीवन की अनुभूति से दूर हैं। वह रहस्य-ध्वनि हमारे कानों के पाम तो गूँजती है, लेकिन हम सुन नहीं पाते। उसके स्पर्श के मधुर कपन का सुख नहीं उठाने। वे दिन अब चले गये, लेकिन चाहे अब हम पहले की तरह प्रकृति की दिव्यता का दर्शन न कर सकें, तो भी मानवजाति के गौरव और कारुण्य में, उसके बड़े-बड़े स्वप्नों और आन्तरिक तूफानों में, उसकी पीड़ाओं और विफलताओं में, उसके संघर्षों और विपत्तियों में, और इन सबसे बढ़कर एक महान् उज्ज्वल भविष्य की आशा में तथा उन महत्वाकांक्षाओं की प्राप्ति में हमने उसे पाने का प्रयत्न किया है। जो कष्ट और क्लेश इस खोज में हमें उठाने पड़े हैं, वे बिलकुल ही व्यर्थ नहीं हैं। इस खोज ने समय-समय पर हमें जीवन की तुच्छता में

१. प्रोटियस— प्राचीन काल का एक जलदेवता, जो चाहे जब अपने मनवाहा रूप धारण कर सकता था। बदलती रहनेवाली किसी चीज या व्यक्ति लिए भी, अक्सर इस शब्द का प्रयोग होता है।

२. ट्रिटन—पोसिडन का पुत्र और एक ऐसा जलदेवता, जो भू-मनुष्य और अर्द्ध-मनुष्य था। इसका त्वास काम शंख-ध्वनि द्वारा सागर-तरंगों को कम-ज्यादा करते हुए उनपर नियंत्रण रखना था।

३. मूल अंग्रेजी पद्य इस प्रकार है :—

“To see a World in a Grain of Sand

And a Heaven in a Wild Flower,

Hold Infinity in the palm of your hand

And Eternity in an hour.”

ऊँचा उठाया है। लेकिन बहुतों ने इस सोध का प्रयत्न ही नहीं किया है और पुराने तरीकों से अपनेको बिलकुल अलहदा कर रक्खा है; लेकिन वर्तमान में उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। न तो उनकी भावनायें ही ऊँची हैं, न कुछ वे करते ही हैं। वे फ्रांस की महान् राज्यक्रांति या रूसी राज्यक्रांति—जैसे मानवी उथलपुथल का मर्म नहीं समझते। चिरकाल से दबी हुई मानवी अभिलाषाओं के जटिल तेज और निठुर स्फोटों या उभाड़ों से वे भयभीत हो जाने हैं। उनके लिए बेस्टली (फ्रांस) का किला अभी सर नहीं हुआ है।

बड़े रोष के साथ अक्सर यह कहा जाता है कि 'देश-भक्ति का ठेका कुछ कांग्रेस-वालों ने ही नहीं ले रक्खा है।' यही शब्द बारबार दोहराये जाते हैं, जिनमें कोई नवीनता नहीं दिखाई देती। यह देखकर कुछ दुःख होता है। मैं समझता हूँ, अपने लिए इस भावना के एक अंश का भी कभी किसी कांग्रेसी ने दावा नहीं किया होगा। अवश्य ही, मैं नहीं समझता कि कांग्रेस ने ही इसका ठेका ले रक्खा है और मैं बड़ी खुशी के साथ जिस किमीको चाह हो उसे इसकी भेंट करने को तैयार हूँ। यह तो अवसर से फायदा उठानेवालों और सुखी और निश्चित जीवन चाहनेवालों के लिए अक्सर एक ढाल का काम देता है और हर तरह की रुचियों, स्वार्थों और वर्गों के अनुकूल उसके कई रूप हैं। अगर आज 'जूडस' जीवित होता तो वह भी, इसमें कोई शक नहीं, इसीके नाम पर काम करता। लेकिन अब तो देश-भक्ति ही काफी नहीं है, अब तो हमें कोई उससे ज्यादा ऊँची, व्यापक और श्रेष्ठ चीज़ चाहिए।

और नरमी स्वतः ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जो काफी समझी जाय। हाँ, समय एक अच्छी चीज़ है और वह हमारी सस्कृति का एक पैमाना है, मगर कोई चीज़ भी तो हो, जिसका हम समय और निग्रह करें। मनुष्य सदा से पंचतत्त्वों पर शासन करता आ रहा है, बिजली पर सवारी गाँठना आ रहा है, लपकती हुई आग और वेगयुक्त और गिरते-पड़ते हुए पानी को अपने काम में लाता रहा है और यह सब वह अब भी करता है; लेकिन उसके लिए इन सबसे ज्यादा मुश्किल हुआ है उसको साथे डालनेवाले विकारों का निग्रह करना या उन्हें संयम में रखना। जबतक वह इन्हें अपने काबू में नहीं कर लेता, तबतक वह अपनी मनुष्यता की बिरासत को पूरी तरह नहीं पा सकता। पर क्या हम उन पैरों को रोक रखें, जो हिलते ही नहीं हैं या उन हाथों को, जिन्हें लकवा मार गया है?

इस प्रसंग पर मैं रॉय केम्पबेल की चार पंक्तियाँ देने का लोभ संवरण नहीं कर सकता, जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के किसी उपन्यासकार के संबंध में लिखी थीं :

“विश्व आपके दृढ़ संयम का गाता है यश-गान,
 मैं भी उसमें देता उसका साथ आज, मतिमान !
 खूब जानते आप खीचना और मोड़ना बाग
 पर कमबख्त कहीं वह घोड़ा, है इसका कुछ ध्यान ?”^१

हमारे लिबरल मित्र हमसे कहते हैं कि वे श्रेयस्कर माध्यमिकता के संकीर्ण पथ पर चलते हैं और एक तरफ काँग्रेस और दूसरी तरफ सरकार दोनों की अतिथी बचाकर अपना रास्ता निकालते हैं। वे दोनों की कमिया बतानेवाले मुंसिफ बनते हैं और इस बात के लिए अपने-आपको बधाई देते हैं कि वे इन दोनों की बुराइयों से बरी हैं। मेरी समझ में आँखों पर पट्टी बाँधकर वे निष्पक्ष बनने की कोशिश करते हैं। कही यह मेरी खूब ही तो नहीं है जो, आज मेरे कानो में सदियों पुरानी वह मशहूर पुकार आ रही है—“स्क्राइब्स” और फेरिसियो^२ओ अंधे पथ-प्रदर्शकों ! तुम हाथी को तो निगल जाने हो और दुम में परहेज करते हो !”

१. मूल अंग्रेज़ी पद्य इस प्रकार है :—

“They praise the firm restraint with which you write.
 I'm with you there, of course
 You use the snaffle and the curb all right
 But where's the bloody horse ?”

२. स्क्राइब्स—यहूदी स्मृतिकार और उनके आचार-विचार के व्याख्याता।

३. फ़ेरिसी—प्राचीन यहूदियों के एक दल वालों का नाम, जो प्रचलित रस्म-रिवाजों पर दृढ़ता से जमे रहने के लिए मशहूर थे। इसीलिए हड़िवादी, घर्मध्वजी और पाखवाडी लोगों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है।

डोमीनियन स्टेट्स और आजादी

पिछले सत्रह वर्षों से जिन लोगों ने कांग्रेस की नीति का निर्माण किया है उनमें से ज्यादातर मध्यम-श्रेणी के लोग हैं। चाहे वे लिबरल हो चाहे काँग्रेसी, आये हैं सब उसी श्रेणी से और एक-सी परिस्थितियों में उन सबका विकास हुआ है। उनका सामाजिक जीवन, उनका रहन-सहन, उनके मेल-मुलाकाती और इष्ट-मित्र सब एक-से रहे हैं और शुरु में जिन दो किस्मों के मध्यमवर्गी आदर्शों का वे प्रतिपादन करते थे, उनमें ऐसा कोई कहनेलायक अंतर न था। स्वभावगत और मानसिक भेदों ने उनको जुदा करना शुरू किया और वे मुस्लिम दिशाओं में देखने लगे। एक दल तो सरकार और धनी लोगों—ऊपरी मध्यमवर्ग के लोगों—की तरफ और दूसरा निम्न मध्यमवर्गियों की तरफ। विचारधारा अब भी दोनों की एक-सी थी और ध्येय में भी कोई फर्क नहीं था। लेकिन इस दूसरे दल के पीछे अब साधारण पेशेवर और बेकार पढ़े-लिखे लोगों का समुदाय आने लगा। इसमें उसका स्वर बदल गया। उसमें वह अदब और शायसनगी न रही, बल्कि उसका लहजा करारा और हमलावर हो गया। कारगर ढंग से काम करने की ताकत तो थी नहीं, सो कड़ी ज़बान में उसे कुछ राहत मिल गई। इस नई परिस्थिति को देखकर माडरेट लोग कांग्रेस से खिसक गये और अकेले रहने में ही उन्होंने अपनेको महफूज समझा। फिर भी ऊपरी मध्यमवर्गियों का उसमें जोर था, हालाँकि, तादाद में छोटे मध्यमवर्गियों का प्राधान्य था। वे अपने राष्ट्रीय संग्राम में महज कामयाबी की इवाहिश से ही नहीं आये थे; बल्कि इसलिए कि उस संग्राम में ही उन्हें सच्चा सन्तोष मिल जाता था। वे उसके द्वारा अपने खोये हुए स्वाभिमान और आत्म-सम्मान को फिर से प्राप्त करना और अपने तहस-नहस हुए गौरव को फिर से पूर्व पद पर प्रतिष्ठित करना चाहते थे। यो तो एक राष्ट्रवादी के मन में सदा से ही ऐसी प्रेरणा उठती आई है और हालाँकि सभीके मन में उठती है, तो भी यही से नरम और गरम दोनों की स्वभावगत भिन्नता सामने आ गई। धीरे-धीरे कांग्रेस में निम्न मध्यमवर्गियों की प्रधानता होती गई और आगे चलकर किसानों ने भी उसे प्रभावित किया।

ज्यों-ज्यों कांग्रेस ग्रामीण-जनता की अधिकाधिक प्रतिनिधि बनती गई त्यों-त्यों उसके और लिबरलों के बीच की खाई और-और चौड़ी होती गई और लिबरलों के लिए कांग्रेस के दृष्टिकोण को समझना या उसकी कदर करना नामुमकिन हो गया।

उच्चवर्ग के दीवानखाने के लिए छोटी कुटिया या कच्चे झोपड़े को समझना आसान नहीं है। फिर भी, इन मतभेदों के रहते हुए भी, दोनों की विचार-धारा राष्ट्रीय और मध्यमवर्गीय थी, जो कुछ फर्क था वह मात्रा का था, प्रकार का नहीं। कांग्रेस में आखिर तक कितने ही ऐसे लोग रहे जो नरम दल में बड़े मझे से खपते और रहते।

कई पीढ़ियों से ब्रिटिश लोग हिन्दुस्तान को अपने खास मौज व आराम का घर समझते आये हैं। वे ठहरे भद्र कुल के और उस घर के मालिक—उसके आवश्यक हिस्सों पर अपना कब्जा किये हुए—इधर हिन्दुस्तानियों के हवाले नौकरों की कोठरियाँ, सामान-घर और रसोई-घर वगैरा किये गये। एक सुव्यवस्थित घर की तरह वहाँ नौकरों के कई दर्जे बंधे हुए हैं—खानसामा, जमादार, रसोइया, कहार वगैरा-वगैरा—और उनमें छोटे-बड़े का पूरा-पूरा खयाल रक्खा जाता है। लेकिन मकान के ऊपर और नीचे के हिस्सों में एक ऐसी जबरदस्त सामाजिक और राजनैतिक आड़ लगादी है जिसे पार करके कोई इधर-से-उधर जा ही नहीं सकता। ब्रिटिश सरकार का इस व्यवस्था को हमारे सिर पर लादे रहना तो किसी तरह आश्चर्यजनक नहीं है। मगर यह जरूर आश्चर्य की बात है कि हम या हममें से बहुतों ने खुद उसके सामने इस तरह से सिर झुका दिया है, गोया वह हमारे जीवन या भाग्य की कोई स्वाभाविक और अवश्यम्भावी व्यवस्था हो। हमने मकान के एक अच्छे नौकर का-सा अपना दिमाग बना लिया। कभी-कभी हमारी बडी इज्जत करदी जाती है—दीवानखाने में चाय का एक प्याला हमें दे दिया जाता है। हमारे हीसलों की उड़ान होती है सम्मानित बनने तक, व्यक्तिगत रूप से ऊँचे दर्जे में चढ़ा दिये जाने तक। सचमुच हथियारों और कूटनीति के द्वारा प्राप्त की गई विजय में ब्रिटिशों की हिन्दुस्तान पर यह मानसिक विजय कहीं बढ़कर है। पुराने समझदारों ने कहा ही है कि 'गुलाम गुलाम की-सी ही बात सोचने लगता है।'

अब जमाना बदल गया और अब न इंग्लैण्ड में और न हिन्दुस्तान में विश्रान्ति-भवन की वह नमूनेदार सभ्यता राजी-खुशी से मानी जाती है। मगर फिर भी हममें ऐसे लोग हैं जो उन्हीं नौकरों की कोठरियों में पड़े रहने की स्वाहिस रखते हैं और अपनी मुनहरी चपरामो, पट्टों, बंदियों और बिन्लों पर नाज़ करते हैं। दूसरे कुछ लोग लिबरलों की तरह, उस सारे भवन को तो ज्यों-का-त्यों फ़ायम रहने देना चाहते हैं, उसकी कारीगरी और उसकी सारी रचना की स्तुति करते हैं, लेकिन इस बात के लिए उत्सुक हैं कि धीरे-धीरे उसके मालिकों की जगह खुद उन्हें मिल जाय। वे उसे 'भारतीयकरण' कहते हैं। उनके लिए शासकों का रंग बदल जाना या अधिक-से-अधिक नये शासक-मण्डल का बन जाना काफी है। वे एक नई राज्य-व्यवस्था की भाषा में कभी नहीं सोचते।

उनके लिए स्वराज के मानी है—और सब बातें ज्यों-की-त्यों चलती रहें, सिर्फ़ उसका काला रंग और गहरा कर दिया जाय। वे तो महज़ ऐसे ही भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, जिसमें वे या उनके जैसे लोग सूत्र-संचालक रहे और अंग्रेज़ हाकिमों की जगह ले लें—जिसमें कि उन्हीं की तरह की नौकरियाँ, महकमों, धारा-सभायें, व्यापार, उद्योग और सिविल सर्विस अपना काम करती रहे। राजा-महाराजा अपनी जगह बरकरार रहें, कभी-कभी जर्क-बर्क पोशाक और जवाहरात से सजकर रिआया पर रौब गाँठते हुए दर्शन दिया करे, जमींदार एक तरफ़ विशेष रूप से अपना रक्षण चाहें और दूसरी तरफ़ काश्तकारों को परेशान करते रहे, साहूकार की तिजोरी भरी रहे, जो जमींदार और काश्तकार दोनों को तग करना रहे, वकील अपना मेहनताना पाते रहें और ईश्वर की ज्योति स्वर्गपुरी में जगमगाती रहे।

हाँ, तो उनका दृष्टिकोण आवश्यक रूप से इसी बात पर आधार रखता है कि वर्तमान व्यवस्था चलती रहे। जो कुछ तबदीलियाँ वे चाहते हैं वे व्यक्तिगत परिवर्तन कहे जा सकते हैं; और वे इन परिवर्तनों को ब्रिटिशों की सद्भावना से बूँद-बूँद करके कराना चाहते हैं। उनकी सारी राजनीति और अर्थनीति की बुनियाद ब्रिटिश साम्राज्य की स्थिरता और दृढता पर है। वे देखते हैं कि इस साम्राज्य की नींव हिल नहीं सकती, कम-से-कम बहुत समय तक, तो फिर वे उसके माफिक अपने-को बनाते हैं और न केवल उसकी राजनैतिक और आर्थिक विचार धारा को ही ग्रहण करते हैं, बल्कि बहुत हद तक उसके उन नैतिक आदर्शों को भी अपनाते हैं, जोकि ब्रिटिश प्रभुत्व को कायम रखने के लिए बनाये गये हैं।

लेकिन कांग्रेस का रुख मूल में ही भिन्न है, क्योंकि वह एक नई राज्य-व्यवस्था का निर्माण करना चाहती है, न कि महज़ एक दूसरा शासक-मण्डल बनाना। उस नई व्यवस्था का क्या स्वरूप होगा इसका स्पष्ट खयाल एक औसत कांग्रेसी के दिमाग में आज नहीं है और इसके बारे में रायें भी अलग-अलग हो सकती हैं। मगर कांग्रेस में शायद माडरेट विचार के सब लोग इस बात को मानते हैं, कुछ इन्ते-गिने लोगों को छोड़कर, कि मौजूदा अवस्था और तरीक़े कायम नहीं रह सकते और न रहने चाहिए और बुनियादी तबदीलियाँ लाज़िमी हैं। यही फ़रक है डोमिनियन स्टेट्स—औपनिवेशिक स्वराज—और पूर्ण स्वाधीनता में। पहला उसी पुराने ढाँचे को दृष्टि में रखता है, जो हमें ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बहुतेरे बन्धनों से बाँधे हुए है, और दूसरा हमें अपने हालान के माफिक एक नया ढाँचा खड़ा करने की स्वतंत्रता देता है, या उसे देना चाहिए।

यह इंग्लैण्ड या अंग्रेज़ लोगों से अटल शत्रुता रखने का या हर तरह से उनसे

सम्बन्ध हटा लेने का सवाल नहीं है। परन्तु जो कुछ हो चुका है उसीकी तरह अगर इंग्लैण्ड और हिन्दुस्तान में वैमनस्य बना रहा तो उसका कुदरती नतीजा यही होगा। कविवर रबीन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि "सत्ता का अनाड़ीपन ताले की कुंजी को तो खराब कर देता है और फिर उसकी जगह गेती में काम लेता है।" हाँ, हमारे दिलों की कुंजी तो कभी की टूट-फूट चुकी है और गेंतियों का जो भरपूर उपयोग हमपर किया गया है उसने हमें अंग्रेजों का तरफदार नहीं बनाया। लेकिन यदि हम भारतवर्ष और मानव-जाति के व्यापक हितों की सेवा करने का दावा करते हैं, तो हम अपनेकी क्षणिक विकारों और भावनाओं में नहीं बहने दे सकते, और अगरचे हम उस तरफ झुक भी जायें तो गांधीजी ने जो १५ साल तक हमको कड़ी तालीम दी है वह हमें उससे रोक लेगी। यह मैं एक ब्रिटिश जेलखाने में बैठकर लिख रहा हूँ, महीनों से मेरा दिमाग विन्ताकूल है और इधर मुझपर जेल में जो कुछ बीती है उसमें कहीं ज्यादा मैंने इस तनहाई में कष्ट सहे हैं। कई घटनाओं के अवसरों पर गुस्से और नाराजगी से मेरा दिल अक्सर भर गया है; लेकिन फिर भी यहाँ बैठा हुआ जब मैं अपने दिल और दिमाग की गहराई को टटोलता हूँ तो उसमें कहीं भी इंग्लैण्ड या अंग्रेजों के प्रति-रोष या द्वेष नहीं दिखाई पड़ता। हाँ, मैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद को नापसन्द करता हूँ और हिन्दुस्तान पर उसके लाद दिये जाने से मैं नाराज हूँ। मुझे पूँजीवादी प्रणाली नापसन्द है। ब्रिटेन के शासकवर्ग हिन्दुस्तान का जिम तरह शोषण कर रहे है उसे मैं जरा भी पसन्द नहीं करता और उसपर मुझे रोष है। मगर मैं कुल मिलाकर इंग्लैण्ड या अंग्रेजों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता, और अगर मैं ऐसा कहीं भी तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी जाति पर नाराज होना या उसकी निन्दा करना जरा बेवकूफी की ही बात है। वे भी उसी तरह परिस्थितियों के शिकार बन गये हैं जैसे कि हम।

मैं खुद तो अपनी मनोरचना के लिए इंग्लैण्ड का बहुत ऋणी हूँ। इतना कि उसके प्रति जरा भी शत्रुता का भाव नहीं रख सकना और मैं जो चाहूँ करूँ, लेकिन मैं अपने मन के उन सस्कारों में और दूसरे देशों के और आम तौर पर जीवन के बारे में विचार करने की पद्धतियों और आदर्शों से, जो मैंने इंग्लैण्ड के स्कूल और कालेजों में प्राप्त किये हैं, मुक्त नहीं हो सकता। राजनैतिक योजना को छोड़ दे, तो मेरा सारा पूर्वानुराग इंग्लैण्ड और अंग्रेज लोगों की ओर डीढ़ता है, और अगर मैं हिन्दुस्तान में अंग्रेजी शासन का 'कट्टर विरोधी' बन गया हूँ तो मेरी अपनी स्थिति ऐसी होते हुए भी ऐसा हुआ है।

हम जिसपर ऐतराज करते हैं और जिसके साथ हम कभी राजी-खुशी से समझौता

नहीं कर सकते वह अंग्रेजों का शासन है, आधिपत्य है, नकि अंग्रेज लोग। हम शोक से अंग्रेजों से और दूसरे विदेशियों से घनिष्ठ सम्पर्क बाँध। हम हिन्दुस्तान में ताज़ी हवा चाहते हैं, ताज़ा और चेतनामय विचार और निर्मल सहयोग चाहते हैं, क्योंकि हम जमाने से बहुत पीछे पड़ गये हैं। लेकिन अगर अंग्रेज शेर बनकर यहाँ आते हैं तो वे हमसे दोस्ती या सहयोग की कोई उम्मीद नहीं रख सकते। साम्राज्यवाद के शेर का तो यहाँ प्राण-पण से मुकाबला किया जायगा और आज हमारे देश का उसी महान् क्रूर पशु से पाला पड़ा है। जंगल के उस क्रुद्ध शेर को पाल लेना और वशीभूत कर लेना संभव हो सकता है, लेकिन पूँजीवाद और साम्राज्यवाद को, जब कि ये दोनों मिलकर एक अभाग्य देश पर टूट पड़े हैं, पालतू बना लेना किसी भी तरह मुमकिन नहीं है।

किमीके लिए यह कहना कि वह या उसका देश किमीसे समझौता नहीं करेगा, एक तरह से बेवकूफी की बात है, क्योंकि जीवन हमेशा हमसे समझौता करवाता है, और जब दूसरे देश या वहाँ के लोगो पर यह बात लागू की जाती हो तब तो यह बिलकुल ही बेवकूफी की बात है। लेकिन जब यह किमी प्रणाली या किन्हीं खास हालातों के लिए कहा जाता है तो उसमें कुछ सच्चाई होती है और ऐसी दशा में समझौता करना मनुष्य की शक्ति के बाहर हो जाता है। भारतीय स्वाधीनता और ब्रिटिश साम्राज्यवाद ये दोनों परस्पर बेमेल हैं और न तो फौजी क़ानून और न दुनियाभर की ऊपरी चिकनी-चुपड़ी बातें ही उन्हें एकमाथ मिला सकती हैं। सिर्फ ब्रिटिश-साम्राज्यवाद का हिन्दुस्तान से हट जाना ही एक ऐसी चीज है जिसमें सच्चे भारत-ब्रिटिश-सहयोग के अनुकूल अवस्थायें पैदा हो सकेंगी।

हमसे कहा जाता है कि आज की दुनिया में स्वाधीनता एक सकुचित ध्येय है, क्योंकि दुनिया अब दिन-दिन परस्पराश्रित होती जा रही है। इसलिए मुकम्मिल आजादी का मनालवा करके हम घड़ी का काँटा पीछे घुमा रहे हैं। लिबरल और शांतिवादी, यहाँ तक कि ब्रिटेन के समाजवादी कहलानेवाले भी, इस दलील को पेश करके हमें अपने सकुचित उद्देश पर लताडते हैं और साथ ही यह कहते हैं कि पूर्ण राष्ट्रीय जीवन का मार्ग तो 'ब्रिटिश राष्ट्र-संघ' में से होकर गुजरता है। यह अजीब-सी बात है कि इंग्लैण्ड में तमाम रास्ते, लिबरलवाद, शांतिवाद, समाजवाद वगैर, साम्राज्य को कायम रखने की ओर ही ले जाते हैं। ट्राट्स्की कहता है—'शासक-राष्ट्र की प्रचलित ध्यवस्था को कायम रखने की अभिलाषा अक्सर 'राष्ट्रवाद' से श्रेष्ठ होने का जामा पहन लेती है; ठीक उसी तरह, जैसे विजेता राष्ट्र की अपनी लूट के माल को न छोड़ने की अभिलाषा आसानी से शांतिवाद का रूप धारण कर लेती है। इस तरह

मैकडानल्ड गांधी के मुकाबिले में ऐसा महसूस करता है मानों वह कोई अन्तर्राष्ट्रीयता का हामी है।”

मैं नहीं जानता हूँ कि हिन्दुस्तान जब राजनैतिक दृष्टि से आजाद हो जायगा तो किस तरह का होगा और वह क्या करेगा। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि उसके लोग जो आज राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के हामी हैं, वे व्यापक-से-व्यापक अन्तर्राष्ट्रीयता के भी हिमायती हैं। एक समाजवादी के लिए राष्ट्रीयता का कोई अर्थ ही नहीं है, लेकिन बहुतेरे काँग्रेसी, जो समाजवादी नहीं हैं लेकिन आगे बढ़े हुए हैं, वे पक्की अन्तर्राष्ट्रीयता के उपासक हैं। स्वाधीनता हम इसलिए नहीं चाहते कि हमें सबसे कटकर अलग-सलग रहने की इच्छा है। इसके बखिलाफ हम तो बिल्कुल राजी हैं कि और देशों के साथ-साथ अपनी स्वाधीनता का भी कुछ हिस्सा छोड़ दें कि जिससे सच्ची अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था बन सके। कोई भी साम्राज्य-प्रणाली चाहे उसका नाम कितना ही बड़ा रख दिया जाय ऐसी व्यवस्था की दुश्मन ही है और ऐसी प्रणाली के द्वारा विश्वव्यापी सहयोगिता या शांति कभी स्थापित नहीं हो सकती।

इधर हाल में जो घटनाएँ हुई हैं उन्होंने सारी दुनिया को बता दिया है कि कैसे विभिन्न साम्राज्यवादी प्रणालियाँ स्वाश्रयी सत्ता और आर्थिक साम्राज्यवाद के द्वारा अपने-आपको सबसे जुदा कर रही हैं। अन्तर्राष्ट्रीयता की बढ़ती के बजाय हम उसका उलटा ही देख रहे हैं। इसके कारणों को खोजना मुश्किल नहीं है। वे मौजूदा अर्थ-व्यवस्था की बढ़ती हुई कमजोरी को जाहिर करते हैं। इस नीति का एक नतीजा यह हुआ है कि एक ओर जहाँ वह स्वाश्रयी सत्ता के क्षेत्र के अन्दर ज्यादा सहयोग पैदा करती है तहाँ दूसरी ओर वह दुनिया के दूसरे हिस्सों से अपनेको अलग कर लेती है। हिन्दुस्तान को ही लीजिए। हमने ओटावा-सम्बन्धी तथा दूसरे निर्णयों से यह देख लिया है कि दूसरे देशों से हमारा संपर्क और रिश्ता दिन-दिन कम होता चला जा रहा है। हम पहले से भी ज्यादा ब्रिटिश उद्योग-धन्धों के आश्रित हो रहे हैं और, इससे कई बातों में जो तात्कालिक नुकसान हुए हैं उनको अलग रखदे तो भी, इस नीति से पैदा होने-वाले खतरे स्पष्ट हैं। इस प्रकार 'डोमिनियन स्टेट्स' हमें व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय संपर्क की ओर ले जाने के बजाय दुनिया से अलग पटकना हुआ दिखाई देता है।

लेकिन हमारे हिन्दुस्तानी लिबरल दोस्त दुनिया को और खास करके खुद अपने मुल्क को असली नीले रंग के ब्रिटिश चश्मे से देखने की एक विलक्षण सहज शक्ति रखते हैं। इस बात को समझने की कोशिश किये बगैर ही कि काँग्रेस क्या कहती है और वह ऐसा क्यों कहती है, वे उसी पुरानी ब्रिटिश दलील को दोहराते रहते हैं कि डॉमिनियन स्टेट्स की अपेक्षा पूर्ण स्वाधीनता का आदर्श कहीं संकीर्ण और नैतिक

उत्थान की दृष्टि से कम हितकारी है। उनके नज़दीक तो अन्तर्राष्ट्रीयता के मानी हवाईट-हॉल होते हैं, क्योंकि उनको दूसरे देशों का तो कुछ पता ही नहीं है। इसका कुछ कारण तो भाषा-सम्बन्धी दिक्कत है; मगर उससे भी ज्यादा कठिनाई यह है कि उन्हें उनकी उपेक्षा करने में ही सन्तोष है। और हिन्दुस्तान में तो वे किसी भी किस्म की उग्र राजनीति या 'सीधे हमले' के खिलाफ हैं। मगर यह देखकर कुतूहल होता है कि उनके कुछ नेताओं को, अगर दूसरे देशों में वे तरीके अख्तियार किये जायँ, तो कोई ऐतराज नहीं होता। वे दूर रहकर ही उनकी कदर और इज्जत कर सकते हैं और पश्चिमी देशों के कुछ मौजूदा डिक्टेटों को तो उनका मानसिक पूजा-सत्कार भी प्राप्त है।

नामों से धोखा हो सकता है। मगर हमारे सामने हिन्दुस्तान में तो असली सवाल यह है कि हम एक नई राज्य-रचना करना चाहते हैं, या सिर्फ एक नया शासक-मंडल बनाना चाहते हैं? लिबरलो का जवाब स्पष्ट है। वे पिछली बात से ज्यादा कुछ नहीं चाहते और वह भी उनके लिए तो एक दूरवर्ती और क्रम-क्रम से प्राप्त होनेवाला आदर्श है। 'डोमिनियन स्टेटस' का जिक्र अबतक कई बार किया गया है। मगर उसका असली उद्देश्य फिलहाल तो 'किन्द्रीय उत्तरदायित्व' इन गूढ़ शब्दों-द्वारा प्रकट किया गया है। सना, स्वाधीनता, आजादी, स्वतन्त्रता आदि उनके जोरदार शब्द उनके लिए नहीं हैं। उन्हें तो ये खतरनाक मालूम होते हैं। एक वकील की भाषा और तरीके उन्हें ज्यादा जँचते हैं—चाहे भले ही बहुजन-समाज को वे उत्साहित न करते हों। इतिहास में ऐसी बेगुमार मिसाल मिलती है कि जहाँ व्यक्तियों और समूहों ने अपने सिद्धान्तों और अपनी आजादी के लिए खनरो का मुकाबिला किया है और अपनी जान जोखिम में डाली है। मगर यह सन्देहास्पद दिखाई देता है कि 'किन्द्रीय उत्तरदायित्व' या ऐसे किसी दूसरे कानूनी शब्दों के लिए कोई जान-बूझकर एक टफा खाना छोड़ देगा या अपनी नींद हराम करेगा।

यह तो है उनका मकसद और उसको भी हासिल करना है 'सीधे हमले' या और किसी उग्र उपाय से नहीं, मगर जैसा कि श्री श्रीनिवास शास्त्री ने कहा है— 'समझदारी, अनुभव, नरमी, समझाने-बुझाने की शक्ति, चुपचाप प्रभाव और असली कार्यदक्षता' का परिचय देकर। यह आशा की जाती है कि हमारे इस सद्ब्यवहार और सत्कार्य के द्वारा हम अन्त में जाकर अपने शासकों को इस बात के लिए राजी कर सकेंगे कि वे अपने अधिकार छोड़ दें। दूसरे शब्दों में वे हमारा विरोध इसीलिए करते हैं कि या तो वे हमारे आक्रमणात्मक रुख से चिढ़े हुए हैं या उन्हें हमारी क्षमता पर शक है, या इन दोनों बातों के कारण। साम्राज्यवाद और हमारी मौजूदा स्थिति

का यह कंसा भोला-भाला विश्लेषण है। मगर प्रोफेसर आर० एच० टानी नामक एक विद्वान् अग्रज लेखक ने क्रम-क्रम से और शासकवर्ग के सहयोग से सत्ता पाने के विचार के सम्बन्ध में बहुत मौजू और हृदयाकर्षक भाषा में अपने भाव प्रकाशित किये हैं। उन्होंने तो ब्रिटिश लेबरपार्टी को ध्यान में रखकर लिखा है, लेकिन उनके शब्द हिन्दुस्तान पर और भी ज्यादा लागू होते हैं, क्योंकि इंग्लैण्ड में कम-से-कम लोक-तन्त्रात्मक सस्थायें तो हैं जहाँ बहुमत की इच्छा, सिद्धान्त-रूप में तो, अपना प्रभाव डाल सकती हैं। प्रोफेसर टानी लिखते हैं :—

“प्याज का एक-एक छिलका उतारकर खाया जा सकता है, लेकिन आप एक जिनदा धेर के एक-एक पर्जे की खाल नहीं उतार सकते। यह काम तो शेर का है और खाल को पहले उतारनेवाला वह होता है.....”

“अगर कोई ऐसा देश है कि जहाँ के विशेषाधिकारप्राप्त वर्ग निरे बुद्धि ही तो कम-से-कम इंग्लैण्ड वह नहीं है। यह खयाल गलत है कि लेबरपार्टी यदि चतुराई और सौजन्य में अपना पक्ष उपस्थित करे तो इससे वे इस धोखे में आ जायेंगे कि वह उनका भी पक्ष है। यह उतना ही निरर्थक है जितना कि किमी चलने पुजें कानून-दा को झांसा देकर उस मिलकियत को हथिया लेना, जिनका कि हकनामा उसके नाम है। श्रीमन्तशाही में ऐसे हरदिलअजीज, चालाक, प्रभावशाली, आत्मविश्वासी और बहुत दब जाने पर न्याय-नीति की पर्वा न करनेवाले लोग हैं, जो अच्छी तरह जानते हैं कि रोटी किधर से चुपड़ी जा रही है और जो चूपड़ने के घी में कभी कमी होने देना नहीं चाहते। अगर उनकी स्थिति को गहरा धक्का लगने की आशंका होती है तो वे राजनैतिक और आर्थिक गतरज के हरेक मोहरे से काम लेने पर उतारू हो जाते हैं। हाउस आफ लॉर्ड्स, सफ़ाट्, अखबार, फ़ौज, आर्थिक प्रणाली— इनमें से प्रत्येक साधन का उचित-अनुचित उपयोग किये बिना वे न रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर वे अन्त-र्गष्ट्रीय उलझने भी पैदा कर सकते हैं, और जैसा कि १९३१ में पीण्ड की त्रिनिमय-दर गिराने के लिए की गई चेष्टाओं से साबित होता है, वे अन्य देश की शरण लेनेवाले राजनैतिक भगोड़ों की तरह अपनी जेब की रक्षा करने के लिए अपने देश का भी गला कटवा सकते हैं।

ब्रिटिश लेबरपार्टी का ज़ोरदार सगठन है। उसके पीछे कई ट्रेड यूनियन, जिन-के लाखों चन्दा देनेवाले मेम्बर हैं, सहयोग-समितियों का एक बहुत समुन्नत सगठन तथा पेशेवर वर्गों के बहुत-से मेम्बर और हमदर्द लोग हैं। ब्रिटेन में बालिग मताधिकार पर प्राध्वार रखनेवाली कई लोक-तन्त्री पार्लमेण्टरी सस्थायें हैं और वहाँ बरसों से नागरिक स्वतंत्रता की परम्परा चली आ रही है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद

मि० टानी की यह राय है—और हाल की घटनाओं ने उसको सही साबित कर दिया है—कि लेबरपार्टी खाली मुस्कराकर और समझा-बुझाकर असली हुकूमत पाने की उम्मीद नहीं कर सकती । हालाँकि इन दोनों साधनों का प्रयोग करना लाभप्रद और वाञ्छनीय जरूर है । टानी साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर कॉमन-सभा में मजदूर दल का बहुमत हो जाय तो भी विशेष लाभ-प्राप्त वर्गों के मुक़ाबिले में वह कोई भी आमूल परिवर्तन नहीं कर सकेगी; क्योंकि उनके हाथ में आज कितनी ही राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, फौजी तथा राजस्व-सम्बन्धी जबरदस्त ताकतें अपनी हिफ़ाज़त के लिए हैं । हिन्दुस्तान में यह बताने की जरूरत नहीं है कि हालात बिल्कुल दूसरी तरह के हैं । न तो यहाँ लोकतन्त्रात्मक मन्थाये ही हैं और न ऐसी परम्पराएँ ही । उसके बजाय, यहाँ अर्गिनेन्सों और तानाशाही हुकूमत का और बोलने, लिखने, सभा करने और अख़बारों की आज़ादी को कुचलने का खासा रिवाज़ पड़ा हुआ है, और न लिबरलो का यहाँ कोई खासा मज़बूत मंगठन है । ऐसी हालत में उन्हें अपनी मधुर मुस्कान का ही महारा रह जाता है ।

लिबरल लोग अवैध या 'गैरकानूनी' कार्रवाइयों के मन्त ख़िलाफ़ हैं, लेकिन जिन देशों का विधान लोकतन्त्रात्मक है वहाँ वैध शब्द का व्यापक अर्थ होता है । उसमें कानून बनाने का अधिकार आ जाता है, वह स्वतन्त्रताओं की रक्षा करता है, कार्यकारिणी को बन्दिश में रखता है, उसमें राजनैतिक और आर्थिक ढांचे में परिवर्तन करने के लिए लोकतन्त्रात्मक साधनों की गुजाइश रहती है; लेकिन हिन्दुस्तान में ऐसा कोई विधान नहीं है, और यहाँ विधान के मानी भी इस तरह के नहीं हैं । यहाँ उसका इस्तेमाल करना एक ऐसे भाव को ला बिठाना है जिसके लिए आज के हिन्दुस्तान में कोई जगह नहीं है । और आश्चर्य के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ वैध शब्द का प्रयोग अक्सर कार्यकारिणी के बहुत-कुछ मनमाने कार्यों के समर्थन में किया जाता है, या दूसरी तरह उसका 'कानूनी' के भाव में व्यवहार किया जाता है । इससे तो यह कही बेहतर है कि हम कानूनी और गैरकानूनी शब्दों का ही व्यवहार करें, हालाँकि वे काफ़ी गोलमोल हैं और समय-समय पर उनका अर्थ बदलता रहता है ।

१. श्री० सी. वाई. चिन्तामणि ने, जो कि एक नामी लिबरल नेता और 'लीडर' के प्रधान सम्पादक हैं, युक्तप्रान्त की कौन्सिल में पार्लमेंटरी ज्वान्टि सिलेक्ट कमिटी की रिपोर्ट पर टीका करते हुए खुद इस बात पर ज़ोर दिया था कि हिन्दुस्तान में किसी भी किस्म के वैध शासन का अभाव है—“अधिक प्रतिगामी और उससे भी ज्यादा अवैध भावी सरकार को मंज़ूर करने की बनिस्बत तो बेहतर है कि हम मौजूदा अवैध सरकार को ही लिये बैठे रहें ।”

नये-नये आर्डिनेन्स या नये-नये कानून नये-नये जुर्मों को पैदा करते हैं। उनके अनुसार किसी सभा में जाना जुर्म हो सकता है; इसी तरह साइकल पर सवार होना, खास किस्म के कपड़े पहनना, शाम के बाद घर के बाहर निकलना, पुलिस को रोज अपनी रिपोर्ट न देना, ये सब तथा दूसरी कई बातें आज हिन्दुस्तान के कुछ हिस्सों में जुर्म समझी जाती हैं। एक काम देश के एक हिस्से में जुर्म समझा जाता है और दूसरे में नहीं। जब एक गैर-जिम्मेदार कार्यकारिणी के द्वारा ऐसे कानून बहुत थोड़े-से-थोड़े नोटिस पर बना दिये जा सकते हैं, तब 'कानूनी' शब्द के मानी कार्यकारिणी की इच्छा के सिवा और क्या हो सकते हैं? मामूली तौर पर तो इस इच्छा का पालन ही किया जाता है, चाहे राजी से हो चाहे गैरराजी से। क्योंकि उसकें भग करने का परिणाम दुखदायी होता है। पर किसी शरूस के लिए यह कहना कि मैं सदा ही उनका पालन करता रहूँगा, मानों तानाशाही या गैरजिम्मेदार हुकूमत के सामने सब तरह से सिर झुका देना है, अपनी आत्मा को गिरो रख देना है और अपनी प्रकृतियों के लिए आजादी को असम्भव बना देना है।

हरेक लोकतंत्री देश में महज इस बात पर विवाद खड़ा हो रहा है कि मौजूदा वैधानिक तंत्र के द्वारा मामूली तौर पर आमूल आर्थिक परिवर्तन किये जा सकते हैं या नहीं? बहुत-से लोगों की राय है कि ऐमा नहीं हो सकता, इसके लिए कोई-न-कोई असाधारण और क्रान्तिकारी उपाय काम में लाना होगा। लेकिन जहाँतक हमारे हिन्दुस्तान का ताल्लुक है, इस प्रश्न पर वहम करना कोई अर्थ नहीं रखता। ऐसा वैधानिक माधन ही नहीं है जिसके बल पर हम अपनी इच्छा का परिवर्तन करा सके। यदि श्वेत-पत्र या वेंमा ही कोई चीज कानून बन गई तो बहुत-सी दिशाओं में वैधानिक प्रगति बिलकुल रुक जायगी। ऐसी दशा में सिवा क्रान्ति या गैरकानूनी कार्रवाई के और कोई चारा ही नहीं रह जाता। तब हमें करना क्या चाहिए? क्या परिवर्तन की सब आशाओं को तिलाञ्जलि देकर भाग्य के भरोसे बैठे रहें?

हिन्दुस्तान में तो आज हालत और भी असाधारण हो गई है। कार्यकारिणी हर किस्म के सार्वजनिक कामों को रोक सकती है, और उनपर बंदिश लगा देती है। जो भी काम उसकी राय में उसके लिए खतरनाक है वह मना कर दिया जाता है। इस तरह हरेक कारगर सार्वजनिक काम बन्द कर दिया जा सकता है, जैसा कि पिछले तीन साल तक बन्द कर दिया गया था। इसको मानने के मानी हैं तमाम सार्वजनिक कामों को छोड़ देना। और यह मान लेना तो किसी तरह मुमकिन नहीं है।

यह कोई नद्दी कह सकता कि वह हमेशा और बिला नागा कानून के मुताबिक

ही काम करेगा। लोकतंत्री राज्य में भी ऐसे मौके पैदा हो सकते हैं जब किसीकी अन्तरात्मा उसके खिलाफ चलने के लिए मजबूर करदे और उस देश में जहाँ स्वेच्छाचारी या निरंकुश शासन हो, ऐसे-मौके और भी बारबार आ सकते हैं। यकीनन् ऐसे राज्य में कानून के लिए कोई नैतिक आधार नहीं रह जाता है।

लिबरल लॉग कहते हैं—“सीधा हमला तानाशाही से मेल खाता है, न कि लोकतन्त्र से; और जो लोकतन्त्र की विजय चाहते हैं उन्हें सीधे हमले से दूर ही रहना चाहिए।” यह तो एक प्रकार का ग़लत सोचना और ग़लत लिखना हुआ। बाज़ बक्त सीधा हमला—जैसे मजदूरो की हड़ताल—भी कानूनी हो सकता है। मगर यहाँ उनकी मन्शा शायद राजनैतिक काम से है। जर्मनी में, जहाँ कि हिटलर का बोलबाला है, आज क्या किया जा सकता है? या तो चुपचाप सिर झुका दो, या गैरकानूनी और क्रान्तिकारी काम करो। वहाँ लोकतन्त्र से काम कैसे चल सकता है?

हिन्दुस्तानी लिबरल अवसर लोकतन्त्र का नाम लिया करते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश उसके पाम जाने की इच्छा नहीं रखते। सर पी० एम० शिवस्वामी ऐयर ने, जो एक बहुत बड़े लिबरल नेता है, मई, १९३४ में कहा था—“विधानकारिणी सभा के आयोजन की पैरवी करते हुए काँग्रेस जन-समूह की समझदारी पर ज़रूरत से ज्यादा भरोसा रखती है और उन लोगों की सचाई और योग्यता के साथ बहुत कम इन्साफ करती है, जिन्होंने कि भिन्न-भिन्न गोलमेज़-कान्फ़रेंसों में भाग लिया है। मुझे तो इस बात में बड़ा शक है कि विधानकारिणी सभा का नतीजा इससे अच्छा हुआ होता।” इस तरह सर शिवस्वामी ऐयर की लोकतन्त्र-संबंधी धारणा ‘जन-समूह’ से कुछ अलग है, और ब्रिटिश सरकार के नामज़द ‘सच्चे और योग्य’ लोगों के जमघट में ज्यादा अच्छी तरह बैठ जाती है। आगे चलकर वह श्वेत-पत्र को अपना आशीर्वाद देते हैं; क्योंकि, यद्यपि वह उससे ‘पूरी तरह’ संतुष्ट नहीं है, तथापि “देश के लिए उसका सोलहों आना विरोध करना समझदारी का काम न होगा।” तो अब ऐसा कोई सबब नहीं दिखाई देता कि क्यों न ब्रिटिश सरकार और सर पी० एम० शिवस्वामी ऐयर में पूरा-पूरा सहयोग हो।

काँग्रेस के द्वारा सविनय भंग के वापस लिये जाने का स्वागत लिबरलों की ओर से होना कुदरती ही था। और इसमें भी कोई ताज़ुब की बात नहीं है जो वे इस बात में अपनी समझदारी माने कि उन्होंने इस “मूर्खतापूर्ण और ग़लत आन्दोलन” से अपनेको अलग रक्खा। वे हमसे कहते हैं—“क्या हमने पहले ही ऐसा नहीं कहा था?” लेकिन यह एक अजीब दलील है। क्योंकि जब हम कमर कसकर खड़े हुए

और एक करारी लड़ाई लड़ी तो हम नीचे गिरा दिये गये; इसपर से हमें यह नसीहत दी जाती है कि खड़ा होना ही गलत था। पेट के बल रेंगना ही सबसे अच्छी और निरापद बात है। क्योंकि, उस पड़े रहने की हालत से गिरना या गिरा दिया जाना बिल्कुल नामुमकिन है।

हिन्दुस्तान—पुराना और नया

यह स्वाभाविक और लाजिमी बात थी कि हिन्दुस्तान में राष्ट्रवाद विदेशी हुकूमत का विरोधी हो। मगर फिर भी यह कितने कुतूहल की बात है कि हमारे बहु-संख्यक पढ़े-लिखे लोग १९ वीं सदी के अन्ततक, जान में या अनजान में, साम्राज्य के ब्रिटिश आदर्श में विश्वास करते थे। वही उनकी दलीलों का आधार होता था और उसके कुछ बाहरी अलामान पर ही वे नुवताचीनी करके संतुष्ट हो जाते थे। स्कूलों और कॉलेजों में इतिहास, अर्थशास्त्र या जो भी दूसरे विषय पढ़ाये जाते थे वे ब्रिटिश साम्राज्य के दृष्टिकोण से लिखे होते थे और उनमें हमारी पिछली और मौजूदा बहुतेरी बुराइयों और अंग्रेजों के मद्गुणों और उज्ज्वल भविष्य पर जोर दिया रहता था। हमने उनके इस तोड़े-मरोड़े वर्णन को ही कुछ हद तक मान लिया और अगर कहीं हमने उसका सहज स्फूर्ति से प्रतिकार किया तो भी उसके असर से हम न बच सके। पहले-पहल तो हमारी बुद्धि उसमें से निकल ही नहीं सकती थी, क्योंकि हमारे पास न तो दूसरे त्राकयात थे और न दलीले। इसलिए हमने धार्मिक राष्ट्रवाद और इस विचार की शरण ली, कि कम-से-कम धर्म और तन्वज्ञान के क्षेत्र में कोई जानि हमसे बढकर नहीं है। हमने अपनी इस बदबस्ती और गिरावट में भी इस बात से तसल्ली की कि यद्यपि हमारे पास पश्चिम की बाहरी चमक-दमक नहीं है तो भी हमारे पास अन्दर की चीज है जो कि उससे कहीं ज्यादा कीमती और रखने लायक निधि है। विवेकानन्द और दूसरो ने तथा पश्चिमी विद्वानों ने हमारे पुराने दर्शनशास्त्रों में जो दिलचस्पी ली उसने हमें कुछ स्वाभिमान प्रदान किया और अपने भूतकाल के प्रति अभिमान का जो भाव मुरझा गया था उसे फिर से लहलहा दिया।

धीरे-धीरे हमारी पुरानी और मौजूदा अवस्था के सम्बन्ध में अंग्रेजों के बयानों पर हमें शक होने लगा और हम बारीकी से उनकी छान-बीन करने लगे। मगर तब भी हम उसी ब्रिटिश विचारावली के घेरे में ही सोचते और काम करते थे। अगर कोई चीज खराब होती तो वह अ-ब्रिटिश कहलाती थी। यदि किसी अंग्रेज ने हिन्दुस्तान में खराब बर्ताव किया तो वह उसका कुसूर समझा जाता था, उस प्रणाली का नहीं। लेकिन इस छान-बीन के द्वारा हिन्दुस्तान में ब्रिटिश-शासन-सम्बन्धी जो सामग्री हाथ लगी और जो संग्रह हुआ उसने, लेखकों का दृष्टिकोण माडरेट रहते हुए भी, एक क्रान्तिकारी हेतु को सिद्ध किया और हमारे राष्ट्रवाद को राजनैतिक और

आर्थिक पाये पर खड़ा कर दिया। इस तरह दादाभाई नौरोजी की 'पावर्टी एण्ड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया' और रमेशचन्द्र दत्त, विलियम डिंगी आदि की किताबों ने हमारे राष्ट्रीय विचारों के विकास में एक क्रान्तिकारी काम किया। भारत के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में आगे चलकर जो और खोज हुई उसने तो बहुत प्राचीन काल की उच्च सभ्यता के उज्ज्वल युगों का वर्णन हमारे सामने ला दिया और हम बड़े संतोष के साथ उन्हें पढ़ते हैं। हमें यह भी पता लगा कि अंग्रेजों के लिखे इतिहासों में हिन्दुस्तान में अंग्रेजों के कारनामों के बारे में हमारे मन में जो धारणा बन गई थी उससे उलटे ही उनके कारनाम हैं।

हम इतिहास, अर्थशास्त्र और भारत में उनकी शासन-व्यवस्था-सम्बन्धी उनके वर्णनों को उत्तरोत्तर चुनौती देने लगे। मगर फिर भी हम काम तो उन्हींकी विचार-धारा के घेरे में करते थे। १९ वीं सदी के आखिर तक हिन्दुस्तानी राष्ट्रवाद की कुल मिलाकर यही हालत रही। आज लिबरल दल का, दूसरे और छोटे-छोटे दलों का और कुछ नरम काँग्रेसियों का भी, जो भावुकता में कभी-कभी आगे बढ़ जाते हैं लेकिन विचार की दृष्टि से अभी भी १९ वीं सदी में रह रहे हैं, यही हाल है। यही सबब है कि एक लिबरल हिन्दुस्तान की आजादी के भाव ग्रहण करने में असमर्थ है, क्योंकि ये दोनों चीजें मूलतः अनमेल हैं। वह सोचना है कि कदम-ब-कदम में ऊँचे पदों पर पहुँचना चला जाऊँगा और बड़ी-बड़ी तथा महत्त्व की फाइलों पर कार्रवाई करूँगा। सरकारी मशीन पहले की ही तरह आराम से चलती रहेगी, मिरफ वह उसका एक घुरा बन जायगा और ब्रिटिश फौज ज़रूरत के वक़्त उसकी रक्षा करने के लिए, बिना ज्यादा दखल दिये, किसी कोने में पड़ी रहेगी। साम्राज्यान्तर्गत औपनिवेशिक स्वराज्य—डोमिनियन स्टेट्स—से उसका यही मतलब है। यह एक बिल्कुल वाहियात बात है जो कभी पार नहीं पड़ सकती, क्योंकि अंग्रेजों-द्वारा रक्षित होने की क्रीमत है हिन्दुस्तान की गुलामी। यदि यह मान भी लें कि एक विशाल देश के आत्म-सम्मान को यह गिराने-वाला न हो तो भी हम दही और मही दोनों एकसाथ नहीं खा सकते। सर फ्रेडरिक व्हाइट, जिन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का पक्षपाती नहीं कह सकते, अपनी एक नई किताब 'दी फ्यूचर ऑफ ईस्ट एण्ड वेस्ट' में लिखते हैं—“वह (हिन्दुस्तानी) अब भी यह मानता है कि जब कभी सर्वनाश का दिन आयगा तो इंग्लैण्ड उसके और तबाही के बीच में आकर खड़ा हो जायगा; और जबतक वह इस धोखे में है तबतक वह खुद अपने स्वराज की भी बुनियाद नहीं डाल सकता।” जाहिर है कि उनकी मन्शा उन लिबरल या दूसरे प्रतिगामी और साम्प्रदायिक ढंग के हिन्दुस्तानियों से है जिनसे उनका साबका हिन्दुस्तान की असेम्बली के अध्यक्ष की हैसियत से पड़ा होगा। काँग्रेस का ऐसा विश्वास नहीं

है। तब और आगे बढ़ी हुई दूसरी जमातों का तो ज़रूर ही नहीं हो सकता। मगर हाँ, वे सर फेडरिक की इस बात से सहमत हैं कि, जबतक यह भ्रम हिन्दुस्तान में मौजूद है—और अगर उसकी तकदीर में कोई तबाही लिखी ही हो और वह उसका मुकाबिला करने के लिए अकेला न छोड़ दिया जाय—तबतक हिन्दुस्तान को आज़ादी नहीं मिल सकती। जिस दिन हिन्दुस्तान से ब्रिटिश फौज का दौर-बोरा मुकम्मिल तौर पर हट जायगा उमी दिन हिन्दुस्तान की आज़ादी का श्रीगणेश होगा।

यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि १९ वीं सदी के पढ़े-लिखे हिन्दुस्तानी ब्रिटिश विचार-धारा के प्रभाव में आ जायें, लेकिन बड़े ताज्जुब की बात तो यह है कि बीसवीं सदी के परिवर्तनों और दिल हिला देने वाली घटनाओं के होने पर भी कुछ लोग अभी तक उसी भ्रम में पड़े हुए हों। १९वीं सदी में ब्रिटिश शासकवर्ग दुनिया के उन कुलीन वर्गों में से था, जिनके पास काफ़ी धन-दौलत, हुकूमत और मफलतायें थी। इस लम्बी जिन्दगी और तालीम ने उनमें कुछ श्रीमंतशाही के सद्गुण भी पैदा किये और कुछ दुर्गुण भी। हम हिन्दुस्तानी इस बात में सुख मान सकते हैं कि हमने पिछले लगभग पौने दो सौ बरसों में उन्हें इस उच्च स्थिति पर पहुँचाने और ऐसी तालीम दिलाने की साधन-सामग्री जुटाने में उन्हें काफ़ी मदद की। वे अपनेको—जैसा कि कितनी ही जातियों और राष्ट्रों ने किया है—ईश्वर के लाड़ले और अपने साम्राज्य को पृथ्वी पर का स्वर्ग समझने लगे। यदि आप उनके इस ख़ास दर्जे और रुनबे की मानते रहें और उनकी उच्चता को चुनौती न दी जाय तो वे बड़े मेहरबान रहेंगे और आपकी खातिर करेंगे, बशर्ते कि उससे उनका कुछ नुक़सान न हो। लेकिन उनकी मुख़ालफ़त करना मानों ईश्वरी व्यवस्था का विरोध करना है और इसलिए वह ऐसा पाप है जिसको हर तरह में दबाना ही उचित है।

एम० आद्रे मीगफ़्रीद ने ब्रिटिश मनोविज्ञान के इस पहलू पर मज्जेदार प्रकाश डाला है:—

“परम्परा से शक्ति के साथ-साथ धन पर भी अधिकार रखने की जो आदत पड़ी हुई थी उसने अन्त में (अंग्रेज़ जाति में) रहन-सहन का ऐसा ढंग पैदा कर दिया जो रईसाना था और जिसपर अपने-आपको देवी अधिकार-प्राप्त मनुष्य जाति समझने के भावों का एक अजीब-सा रंग पड़ा हुआ था। यहाँ तक कि ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दिये जाने पर भी यह ढंग वास्तव में अधिकाधिक स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगा। सदी के अन्त का नवयुवक-समुदाय स्वभाव से ही यह विश्वास करने लगा कि वह सफलता उसका हक़ है।

“बटनाओं (के रहस्य) को समझने के इस ढंग पर जोर देना इसलिए बिल-

चस्पी की बात है कि इन घटनाओं के द्वारा, खासकर इस नाबुक विषय में, ब्रिटिश मनोवृत्ति की प्रतिक्रियायें स्पष्ट हो जाती हैं। कोई भी व्यक्ति इस नतीजे पर पहुँचे बिना नहीं रह सकता कि अंग्रेज़ जाति इन कठिनाइयों का कारण बाहरी घटनाओं में ही ढँढने का प्रयत्न करनी है। उसके मतानुसार गुरुआत सदा किसी दूसरे के क्रूसूर से होती है और अगर यह (क्रूसूरबार) व्यक्ति अपना सुधार करने के लिए राज़ी हो जाय तो इंग्लैंड फिर अपने नष्ट वैभव को प्राप्त करले..... (अंग्रेज़ जाति की) सदा यह प्रवृत्ति रही है कि खुद तो न बदलें, लेकिन दूसरे बदल जायें।”

सारे जगत् के प्रति अंग्रेज़ों का यदि यह आम रवैया है तो हिन्दुस्तान में तो यह और भी ज्यादा प्रकट है। अंग्रेज़ लोग हिन्दुस्तान के मसलों को जिस तरह हल करना चाहते हैं, वह है तो कुछ आकर्षक मगर है भड़कानेवाला। शांति के साथ आश्वासन देते हुए उनका यह कहना कि हमने जो कुछ किया है वह सही किया है और हमने अपनी जिम्मेदारी को बहुत योग्यता के साथ निबाहा है, अपनी जाति की भवितव्यता पर और अपने नमूने के साम्राज्यवाद पर श्रद्धा, और यदि कोई उस सच्ची श्रद्धा की बुनियाद पर सवाल उठाये तो गैरे नास्तिकों और पापियों पर क्रोध और घृणा—इन भावों की तह में एक किस्म का धार्मिक जोग-मा दिखाई देना था। मध्यकालीन रोमन कैथोलिक धर्म-विचारकों की तरह वे हमारी इच्छा या अनिच्छा की परवा न करते हुए हमारे उद्धार के लिए तुले हुए थे। भलाई के इस व्यापार में रास्ते चलते उनको भी कुछ लाभ हो गया और इस तरह वे 'ईमानदारी ही सबसे अच्छी व्यवहार-नीति है' इस पुरानी कहावत को चरितार्थ कर दिखाने लगे। हिन्दुस्तान की उन्नति का अर्थ, देश को शाही योजनाओं के अनुकूल बनाना और कुछ चुने हुए हिन्दुस्तानियों को ब्रिटिश साचे में ढालना हो गया। जिनना ही ज्यादा हम ब्रिटिश आदर्शों और धर्मों को मानते जायेंगे उतना ही ज्यादा हम स्वराज या स्वशासन के अधिक योग्य समझ लिये जायेंगे। ज्योंही हम इस बात की गैरंटी दे दें और यह दिखला दें कि हम अंग्रेज़ों की इच्छा के अनुसार ही अपनेको मिली हुई आज़ादी का उपयोग करेंगे, त्योंही आज़ादी हमारे पास आ जायगी।

लेकिन मुझे भय है कि हिन्दुस्तान में ब्रिटिश शासन के इस कच्चे चिट्ठे पर हिन्दुस्तानी और अंग्रेज़ एकमत न होंगे। और, शायद, यह स्वाभाविक भी है। जब बड़े-बड़े ब्रिटिश अफसर, यहाँतक कि भारत-मंत्री भी, हिन्दुस्तान के भूत और वर्तमान का कल्पित चित्र खींचते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जिनकी वास्तव में कोई बुनियाद ही नहीं होती, तो एक बड़ा धक्का लगता है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि कुछ विशेषज्ञों और दूसरे लोगों को छोड़कर अंग्रेज़ लोग हिन्दुस्तान के बारे में

असाधारण रूप से बेखबर है। जबकि हकीकतें ही उनको धोखा दे जाती हैं तब हिन्दुस्तान की स्पिरिट तो उनकी पहुँच के कितने परे होगी ? उन्होंने उसके शरीर को जोर-जबरदस्ती से पकड़कर अपने कब्जे में कर तो लिया है, लेकिन वे न तो उसकी आत्मा को ही समझते हैं और न समझने की कोशिश ही करते हैं। उन्होंने कभी उसकी आँख से आँख नहीं मिलाई। वह मिलाने भी कैसे ? क्योंकि उनकी तो आँखें फिरी हुई थीं और उसकी शर्म व जिल्लत से झुकी हुई थी। सदियों के इतने सम्पर्क के बाद भी जब वे एक-दूसरे के सामने आते हैं, तो अब भी अजनबी-मे बने हुए हैं और दोनों के मन में एक-दूसरे के प्रति अग्निके भाव भरे हुए हैं।

अपने इस घोर अधपनन और दरिद्रता के बावजूद, हिन्दुस्तान काफ़ी गरीब और महान् है। और हालांकि वह पुरानी परंपरा और मीजूदा मुसीबतों से काफ़ी दबा हुआ है और उसकी पलकें थकान से कुछ भारी मालूम होती हैं, फिर भी “अन्दर में निश्चरती हुई सौन्दर्य-कान्ति उसके शरीर पर चमकती है। उसके अणु-परमाणु में अद्भुत विचारों, स्वच्छद कल्पनाओं और उत्कृष्ट मनोभावों की झलक दिखाई देती है। उसके जीर्ण-शीर्ण शरीर में अब भी आत्मा की भव्यता झलकती है। अपनी इस लम्बी यात्रा में वह कई युगों में से होकर गुजरा है, और रास्ते में उसने बहुत ज्ञान और अनुभव संचित किया है, दूसरे देश-वासियों से देन-लेन किया है, उन्हें अपने बड़े कुनबे में शामिल कर लिया है, उत्थान और पतन, समृद्धि और ह्रास के दिन देखे हैं, बड़ी-बड़ी जिल्लतें उठाई हैं, महान् दुःख झेले हैं और कई अद्भुत दृश्य देखे हैं; लेकिन अपनी इस सारी लम्बी यात्रा में उसने अपनी अति प्राचीन संस्कृति को नहीं छोड़ा। उसने उसने बल और जीवन-शक्ति प्राप्त की है और दूसरे देश के लोगों को उसका स्वाद भी चखाया है। घड़ी के लटकन की तरह वह कभी ऊपर गया और कभी नीचे आया है। अपने साहसिक विचारों से स्वर्ग और ईश्वर तक पहुँचने की उसने हिम्मत की है, उसके रहस्य खोलकर प्रकट किये हैं और उसे तरक-कुण्ड में गिरने का भी कटु अनुभव हुआ है। दुःखदाईं वहमों और पतनकारी रस्म-रिवाजों के बावजूद, जोकि उसमें घुस आये हैं और जिन्होंने उसे नीचे गिरा दिया है, उसने उस स्फूर्ति और जीवन को अपने हृदय से कभी नहीं भुलाया, जो उसकी कुछ अनुभवी सन्तानों ने इतिहास के उस काल में उसे दी है और जो उपनिषदों में संचित है। उनकी कुशाग्रबुद्धि सदा खोज में लीन रहती थी, नवीनता को पाने की कोशिश करती थी और सत्य की शोध में व्याकुल रहती थी। वह जड़ सूत्रों को पकड़कर नहीं बैठी रही और न मुर्दा बिधि-विधानों, ध्येय-वचनों और निरर्थक कर्म-काण्डों में डूबी रही। न तो उन्होंने इम लोक में खुद अपने लिए कष्टों से छूटकाग चाहा, न उम लोक में स्वर्ग

की इच्छा की। बल्कि उन्होंने ज्ञान और प्रकाश माँगा। 'मुझे असत् से सत् की ओर ले जा; मुझे अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जा; मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले जा।' अपनी सबसे प्रसिद्ध प्रार्थना—गायत्री-मंत्र—में जिसका लाखों लोग आज भी नित्य जप करते हैं, ज्ञान और प्रकाश के लिए ही प्रार्थना की गई है।

हालाँकि राजनैतिक दृष्टि से अक्सर उसके टुकड़े-टुकड़े होते रहे हैं, लेकिन उसकी आध्यात्मिकता ने सदा ही उसकी सर्व-सामान्य विरासत की रक्षा की है और उसकी विविधताओं में हमेशा एक विलक्षण एकता रही है^१। तमाम पुराने मुल्कों की तरह इसमें भी अच्छाई और बुराई का एक अजीब मिश्रण था। मगर अच्छाई तो छिपी हुई थी और उसे खोजना पड़ता था; लेकिन हास की बदलू जाहिर थी और सूरज की कड़ी और निठुर धूप ने उसकी उस बुराई को दुनिया के सामने लाकर रख दिया।

इटली और भारतवर्ष में कुछ समता है। दोनों प्राचीन देश हैं और दोनों की संस्कृति भी पुरानी है, हालाँकि हिन्दुस्तान के मुक्काबिले में इटली ज़रा नया है और हिन्दुस्तान उससे बहुत विशाल। राजनैतिक दृष्टि में दोनों के टुकड़े-टुकड़े हो गये हैं। लेकिन इटैलियनों की यह भावना कि हम 'इटैलियन' हैं, हिन्दुस्तानियों की तरह कभी नहीं मिटी और उसकी तमाम विविधता और विरोधों में एकता ही मुख्य रही। इटली में वह एकता अधिकांश में रोमन एकता थी, क्योंकि उस विशाल नगर का उस देश में बहुत प्रभुत्व रहा और वह एकता का स्रोत और प्रतीक रहा है। हिन्दुस्तान में ऐसा कोई एक केन्द्र या प्रधान नगर नहीं रहा। हालाँकि काशी को पूर्वी देशों की मोक्षपुरी कह सकते हैं—हिन्दुस्तान के ही लिए नहीं बल्कि पूर्वी एशिया के लिए भी; लेकिन रोम की तरह काशी ने कभी साम्राज्य या लौकिक सत्ता के फेर में पड़ने की कोशिश नहीं की। सारे हिन्दुस्तान में भारतीय संस्कृति इतनी फैली हुई थी कि किसी भी एक भाग को संस्कृति का केन्द्र नहीं कह सकते। कन्याकुमारी से लेकर

१. 'असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, सृष्ट्योर्माऽमृतं गमय।'।

—बृहदारण्यक उपनिषद् १-३-२७।

२. "हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी परस्पर-विरोधी बात यह है कि इस विविधता के अन्दर एक भारी एकता समाई हुई है। यों सरसरी तौर पर यह नहीं दिखाई देती, क्योंकि किसी राजनैतिक एकता के द्वारा सारे देश को एक सूत्र में बाँधने के रूप में इतिहास में उसने अपनेको प्रकट नहीं किया, लेकिन वास्तव में यह एक ऐसी असलियत है और इतनी शक्तिशाली है कि हिन्दुस्तान की मुस्लिम दुनिया को भी यह कुबूल करना पड़ता है कि उसके प्रभाव में आने से उसपर भी गहरा असर हुए बिना नहीं रहा है"—'दि फ्यूचर आफ ईस्ट एण्ड वेस्ट' में सर फ्रेडरिक व्हाइट।

हिमालय मे अमरनाथ और बदरीनाथ तक और द्वारका से जगन्नाथपुरी तक एक ही विचारों का प्रचार था और यदि किसी एक जगह में विचारों का विरोध होता तो उसकी आवाज देश के दूर-दूर हिस्सों तक पहुँच जाती थी ।

इटली ने जिस प्रकार पश्चिमी योरप को धर्म और संस्कृति की भेंट दी उसी प्रकार हिन्दुस्तान ने पूर्वी एशिया को संस्कृति और धर्म प्रदान किया, हालाँकि चीन भी उतना ही पुराना और आदरणीय है जितना कि भारतवर्ष । और तब, जबकि इटली राजनैतिक दृष्टि से निबल होकर चित पड़ गया था, उसकी संस्कृति का योरप में बोलबाला था ।

मेटरनिक ने कहा था कि इटली तो एक 'भौगोलिक शब्द' है; और कितने ही दूसरे मेटरनिकों ने इसी शब्द का व्यवहार हिन्दुस्तान के लिए भी किया है । यह भी एक अजीब-सी बात है कि दोनों देशों की भौगोलिक स्थिति में भी समता है । लेकिन इंग्लैण्ड और आस्ट्रिया की तुलना तो इससे भी ज्यादा दिलचस्प है । क्योंकि बीसवी सदी के इंग्लैण्ड की तुलना उन्नीसवी सदी के मग़रूर, हठी और प्रतापी उस आस्ट्रिया के साथ की गई है जो था तो प्रतापी, मगर जिन जड़ों ने उसे ताकत दी थी वे सिकुड़ रही थीं और उस ज़बर्दस्त वृक्ष में हास के कीटाणु घुसकर उसे खोखला बना रहे थे ।

यह एक अजीब बात है कि देश को देवी-देवता के रूप में मानने की प्रवृत्ति को कोई रोक ही नहीं सकता । हमारी आदत ही ऐसी पड़ गई है और पहले के संस्कार भी ऐसे ही हैं । हिन्दुस्तान 'भारत-माता' हो जाती है—एक सुन्दर स्त्री, बहुत ही बूढ़ होते हुए भी दीखने में युवती, जिसकी आँखों में दुःख और शून्यता भरी हुई, विदेशी और बाहरी लोगों के द्वारा अपमानित और प्रपीडित और अपने पुत्र-पुत्रियों को अपनी रक्षा के लिए आर्तस्वर से पुकारती हुई । इस तरह का कोई चित्र हजारों लोगों की भावनाओं को उभाड़ देता है और उनको कुछ करने और कुर्बानि हो जाने के लिए प्रेरित करता है । लेकिन हिन्दुस्तान तो मुख्यतः उन किसानों और मजदूरों का देश है, जिनका चेहरा खूबसूरत नहीं है, क्योंकि गरीबी खूबसूरत नहीं होती । क्या वह खूबसूरत महिला जिसका हमने काल्पनिक चित्र खड़ा किया है, नंगे बदन और झुकी हुई कमरवाले, खेतों और कारखानों में काम करनेवाले किसानों और मजदूरों की भावनाओं को प्रकट करती है ? या वह उन थोड़े से लोगों के समूह का प्रतिनिधित्व करती है, जिन्होंने युगों से जनता को कुचला और चूसा है, उनपर कठोर-से-कठोर रिवाज लाद दिये हैं और उनमें से बहुतांश को अछूत तक करार दे दिया है ? हम अपने कल्पना-निर्मित जीवों को खड़ा करके सत्य को ढकने की कोशिश करते हैं और असंख्यत से अपनेको बचाकर सपने की दुनिया में विचरने का प्रयत्न करते हैं ।

मगर इन अलग-अलग जात-पात और उनके आपसी सघर्षों के बावजूद उन सबमें एक ऐसा सूत्र रहता है जो हिन्दुस्तान को एकसाथ बाँधे हुए है, और उसके आग्रह, दृढ़ता और सहिष्णुता को देखकर दांतों अंगुली दबानी पड़ती है। इस ताकत का क्या कारण है? वह केवल निष्क्रिय शक्ति, जड़ता और परम्परा का प्रभाव ही नहीं है, हालांकि यों तो इनकी भी महत्ता कुछ कम नहीं है। वह तो एक सक्रिय और पोषक तत्त्व है, क्योंकि उसने जोरदार बाहरी प्रभावों का सफलतापूर्वक प्रतिकार किया है और जो-जो भीतरी ताकतें उसके मुकाबिले के लिए उठ खड़ी हुईं उन्हें आत्मसात् कर लिया। और फिर भी, इस सारी ताकत के रहते हुए भी, वह राजनैतिक सत्ता को कायम न रख सका या राजनैतिक एकता को सिद्ध करने की कोशिश न कर सका। ऐसा जान पड़ता है कि ये दोनों बातें इतनी तरददुद करने लायक नहीं जान पड़ीं। उनके महत्व की मूर्खतापूर्ण अवहेलना की गई और इससे हमें बड़ी हानि उठानी पड़ी है। सारे इतिहास में भारत के प्राचीन आदर्शों में कहीं भी राजनैतिक या सैनिक विजय का गुणगान नहीं किया गया। वह धन-संपत्ति को और धन कमानेवाले वर्गों को हिकारत की दृष्टि से देखता था; सम्मान और धन-सम्पत्ति दोनों एकसाथ नहीं रहते थे, और सम्मान तो, कम-से-कम सिद्धान्त में, उसको मिलता था जो जाति की सेवा करता था और वह भी आधिक पुरस्कार की आशा न रखते हुए।

ये तो पुरानी संस्कृति ने बहुतेरे भीषण तूफानों और बवण्डरों का मुकाबिला करके भी अपनेको जीवित रक्खा है, लेकिन यद्यपि उसने अपना बाहरी रूप कायम रख छोड़ा है फिर भी वह अपना भीतरी असली सत्त्व खो चुकी है। आज वह चुपचाप और जी-जान लगाकर एक नई और सर्वशक्तिमान् प्रतिद्वन्द्विनी-पश्चिम की बनिया संस्कृति से लड़ रही है। यह नवआगन्तुक वाणिज्य उसपर हावी हो जायगा, क्योंकि पश्चिम के पास विज्ञान है और विज्ञान लाखों भूखों को भोजन देता है। मगर पश्चिम इस एक-दूसरे का गला काटनेवाली सभ्यता की बुराइयों का इलाज भी अपने साथ लाया है— साम्यवाद का, सहयोग का, सबके हित के लिए जाति या समाज की सेवा करने का सिद्धान्त। यह भारत के पुराने ब्राह्मणोचित सेवा के आदर्श से बहुत भिन्न नहीं है; लेकिन इसका अर्थ है तमाम जातियों, वर्गों और समूहों को ब्राह्मण बना देना (अवश्य ही धार्मिक अर्थ में नहीं) और जाति-भेद को मिटा देना। हो सकता है कि जब भारत इस लिबास को पहनेगा, और वह जरूर पहनेगा, क्योंकि पुराना लिबास तो चिपड़-चिपड़ हो गया है, तो उसे उसमें इस तरह काट-छांट करनी पड़ेगी जिससे वह मौजूदा अवस्थायें और पुराने विचार दोनों का मेल साध सके। जिन विचारों को वह ग्रहण करे वे अवश्य ऐसे हो जाने चाहियें जो उसकी भूमि के समरस हो जावें।

ब्रिटिश शासन का कच्चा चिट्ठा

हिन्दुस्तान में ब्रिटिश शासन का इतिहास कैसा रहा है ? मुझे यह सम्भव नहीं मालूम होता कि कोई भी हिन्दुस्तानी या अंग्रेज इस लम्बे इतिहास पर निष्पक्ष और निःलिप्त रूप से विचार कर सकता हो। और यह सम्भव भी हो तो मनोवैज्ञानिक तथा अन्य सूक्ष्म घटनाओं को तौलना और जांचना तो और भी कठिन होगा। हमसे कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन ने “भारतवर्ष को वह चीज दी है जो सदियों में भी उसे हासिल नहीं हुई—अर्थात् ऐसी सरकार, जिसकी सत्ता इस उप-महाद्वीप के कोने-कोने में मानी जाती है;” ‘इसने कानून का राज्य और एक न्यायोचित तथा निपुणतापूर्ण शासन-व्यवस्था स्थापित की है; इमने हिन्दुस्तान को पार्लेमेण्टरी-शासन की कल्पना तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रदान की है; और “ब्रिटिश भारत को एक संगठित एकछत्र राज्य में परिवर्तित करके भारतवासियों में परस्पर राजनैतिक एकता की भावना को जन्म दिया है”, और इस प्रकार राष्ट्रीयता के अंकुर का पोषण किया है।’ अंग्रेजों का यही दावा है और इसमें बहुत-कुछ सचाई भी है, हालाँकि न्याययुक्त शासन और व्यक्तिगत स्वातंत्र्य बहुत वर्षों में नज़र नहीं आ रहे हैं।

इस युग का भारतीय सिंहावलोकन अन्य कई बातों को महत्त्व देता है और उस आर्थिक तथा आध्यात्मिक क्षति का दिग्दर्शन कराता है जो विदेशी शासन के कारण हमको पहुँची है। दोनों के दृष्टि-कोण में इतना अन्तर है कि कभी-कभी जिस बात की अंग्रेज लोग तारीफ़ करते हैं उम्मी बात की हिन्दुस्तानी लोग निन्दा करते हैं। जैसा कि डॉक्टर आनन्द कुमारस्वामी ने लिखा है—“भारत में अंग्रेजी राज्य की एक सबसे ज्यादा विलक्षण बात यह रही है कि हिन्दुस्तानियों को पहुँचाई जानेवाली बड़ी-से-बड़ी हानि भी बाहर से भलाई ही मालूम होती है।”

सच तो यह है कि पिछले सौ या कुछ ज्यादा बरसों में हिन्दुस्तान में जो परिवर्तन हुए हैं वे संसारव्यापी हैं, और वे पूर्व व पश्चिम के अधिकांश देशों में समान रूप से हुए हैं। पश्चिमी योरप में, और इसके बाद बाकी के देशों में भी, उद्योगवाद के विकास के परिणामस्वरूप सब जगह राष्ट्रीयता और सुदृढ़ एकछत्र राज्य-सत्ता का

१. वे उद्धरण भारतीय शासन-सुधार सम्बन्धी-ज्वाइन्ट पार्लेमेण्टरी कमिटी (१९३४) की रिपोर्ट से लिये गये हैं।

उदय हुआ। अंग्रेज लोग इस बात का श्रेय ले सकते हैं कि उन्होंने पहली बार भारतवर्ष का पश्चिम के साथ सम्बन्ध जोड़ा और उसे पश्चिमी उद्योगवाद तथा विज्ञान का एक हिस्सा प्रदान किया। परन्तु इतना कर चुकने पर वे इस देश के अधिकतर औद्योगिक विकास का गला घोटते रहे, जबतक कि परिस्थिति ने इससे बाज आने के लिए उन्हें मजबूर नहीं कर दिया। हिन्दुस्तान तो पहले ही दो संस्कृतियों का सम्मिलन-क्षेत्र था; एक तो पश्चिमी एशिया से आई हुई इस्लाम की संस्कृति और दूसरी स्वयं उसकी पूर्वी संस्कृति जो सुदूर-पूर्व तक फैल गई थी। और अब सुदूर-पश्चिम से एक तीसरी और अधिक जोरदार लहर आई, और भारतवर्ष भिन्न-भिन्न पुराने तथा नये विचारों का आकर्षण-केन्द्र तथा युद्धक्षेत्र बन गया। इसमें शक नहीं कि यह तीसरी लहर विजयी हो जाती और हिन्दुस्तान के बहुत-से पुराने सवालियों को हल कर देती, लेकिन अंग्रेजों ने, जो खुद इस लहर को लाने में सहायक हुए थे, इसकी प्रगति को रोकने का प्रयत्न किया। उन्होंने हमारी औद्योगिक तरक्की को रोक दिया, और इस तरह हमारी राजनैतिक उन्नति में बाधा डाल दी, और जितनी असामयिक मांडलिकशाही या या दूसरी पुरानी हड़ियाँ उन्हें यहाँ मिली उन सबका उन्होंने पोषण किया। उन्होंने हमारे परिवर्तन-शील, और कुछ हदतक प्रगति-शील, कानूनों और रिवाजों तक को भी जिस स्थिति में पाया उसी स्थिति में जमा दिया और हमारे लिए उनकी जंजीरों से छुटकारा पाना मुश्किल कर दिया। हिन्दुस्तान में मध्यमवर्ग का उदय कोई इन लोगों की सद्भावना या सहायता से नहीं हुआ। परन्तु रेल और उद्योगवाद के दूसरे उपकरणों का प्रचार करने के बाद वे परिवर्तन की गति को बंद नहीं कर सके; वे तो उसे केवल रोकने और धीमी करने में ही समर्थ हुए और इससे उन्हें स्पष्ट रूप से लाभ हुआ।

“भारतीय शासन की शाही इमारत इसी पुख्ता नींव पर खड़ी की गई है और बड़े भारीसे के साथ यह दावा किया जा सकता है कि १८५८ से, जबकि ईस्टइंडिया-कम्पनी के सारे प्रदेश पर सम्राट् की हुकूमत मानी गई, आजतक हिन्दुस्तान की शिक्षा-संबन्धी और माली तरक्की उससे कहीं ज्यादा हुई है जितनी अपने लम्बे और उतार-चढ़ाव के इतिहास के किसी भी काल में हासिल करना उसके लिए सम्भव था।”^१ लेकिन यह बात ऐसी नहीं मालूम होती जैसी कि बताई गई है और यह बार-बार कहा गया है कि अंग्रेजी राज्य का उदय होने से साक्षरता में तो दरअसल कमी आ गई है, लेकिन यह कथन बिलकुल सच भी हो तो उसका मतलब है आधुनिक औद्योगिक युग की प्राचीन युगों से तुलना करना। विज्ञान और उद्योगवाद के कारण दुनिया के करीब-

१. ज्वाइन्ट पार्लियामेन्टरी कमिटी १९३४ की रिपोर्ट।

क़रीब सभी देशों में, पिछली सदी में, बड़ी भारी तालीमी और माली तरक्की हुई है, और ऐसे किसी भी देश के बारे में यह यकीनन कहा जा सकता है कि इस तरह की उन्नति "उससे कहीं ज्यादा हुई है जितनी अपने लम्बे और उतार-चढ़ाव के इतिहास के किसी भी काल में हांसिल करना उसके लिए सम्भव था।", हालांकि शायद उस देश का इतिहास भारत के इतिहास के मुकाबिले में पुराना न हो। अगर हम यह कहें कि इस तरह की औद्योगिक उन्नति हमको इस औद्योगिक युग में ब्रिटिश शासन के न होने पर भी हांसिल हो सकती थी, तो क्या यह फ़जूल का ही झगड़ा या ज़िद है? और सचमुच में अगर हम बहुत-से दूसरे देशों की हालत से अपनी हालत का मुकाबिला करें तो क्या हम यह कहने का साहस न करें कि इस प्रकार की उन्नति और भी ज्यादा होती? क्योंकि हमें अंग्रेज़ों के उस प्रयत्न से भी तो भिड़ना पड़ा है जो उन्होंने इस उन्नति का गला घोटने के लिए किया। रेल, तार, टेलीफोन, ब्रेतार के तार आदि अंग्रेज़ी राज्य की अच्छाई और भलाई की कसौटी नहीं माने जा सकते। ये वाञ्छनीय और आवश्यक थे, और चूँकि अंग्रेज़ लोग संयोगवश इनको सबसे पहले लेकर आये, इसलिए हमें उनका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। लेकिन उद्योगवाद के ये चौबदार भी हमारे पास खास तौर पर ब्रिटिश राज्य को मज़बूत करने के लिए लाये गये। ये तो नमैं और नाड़िया थी जिनमें होकर राष्ट्र के खून को गर्दिश करनी चाहिए थी, जिससे व्यापार की तरक्की होती, पैदावार एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाई जाती, और करोड़ों मनुष्यों को नई ज़िन्दगी और धन हांसिल होता। यह सही है कि आख़िरकार इस तरह का कोई-न-कोई नतीजा निकलता ही, लेकिन इन्हें जमाने और काम में लाने का मकसद ही दूसरा था—साम्राज्य के पंजे को मज़बूत करना और अंग्रेज़ी माल को बाज़ार में खपाना—जिसके पूरा करने में ये लोग कामयाब भी हो गये। में औद्योगिक-करण और माल को दिसावर भोजने के नये-से-नये तरीक़ों के बिलकुल पक्ष में हूँ, लेकिन कभी-कभी, हिन्दुस्तान के मैदान में सफ़र करते हुए, मुझे यह जीवनदायी रेल भी लोहे के बन्धनों के समान मालूम पड़ी है, जो भारतवर्ष को जकड़े हुए और बन्दी बनाये हुए है।

हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ों ने अपने शासन का आधार जिस क़त्तना पर रक्खा है, वह बेसी ही है जैसी कि एक पुलिस-राज्य की होती है। शासन का काम तो सिर्फ़ सरकार की रक्षा करना था और बाकी सब काम दूसरों पर थे। उसके सार्वजनिक राजस्व का सम्बन्ध फ़ीजी खर्च, पुलिस, शासन-व्यवस्था और क़र्ज़ों के ब्याज से था। नागरिकों की आर्थिक ज़रूरतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था और वे ब्रिटिश हितों पर कुर्बान कर दी जाती थीं। जनता की सांस्कृतिक और दूसरी आवश्य-

कता, कुछ थोड़ी-सी को छोड़कर, बिलकुल बालाये तक रखी जाती थी। सार्वजनिक राजस्व की परिवर्तनशील धारणायें, जिनके फलस्वरूप अ-य देशों में निःशुल्क और देशभ्यापी शिक्षा, जनता के स्वास्थ्य की उन्नति, निर्धन और बुद्धिहीन व्यक्तियों का पालन, श्रमजीवियों का बीमारी, बुढ़ापे तथा बेकारी के लिए बीमा, वगैरा जारी हुए, लगभग सरकार की कल्पना से बाहर की बातें थीं। वह इन खर्चीले कामों में नहीं पड़ सकती थी, क्योंकि उसकी कर-प्रणाली अत्यन्त प्रगतिविरोधी थी, जिसके द्वारा कम आमदनीवालों से ज्यादा आमदनीवालों की बनिस्बत ज्यादा वसूल किया जाता था, और रक्षा और शासन के कामों पर उसका इतना अधिक खर्च था कि यह करीब-करीब सारी आमदनी को चट कर जाता था।

अंग्रेजी शासन की सबसे मुख्य बात यह थी कि सिर्फ ऐसी ही बातों पर ध्यान दिया जाय जिनसे कि मुल्क पर उनका राजनैतिक और आर्थिक कब्जा मजबूत हो। बाकी सब बातें गौण थीं। अगर उन्होंने एक शक्तिशाली केन्द्रीय शासन-व्यवस्था और एक होशियार पुलिस-फोर्स की रचना कर डाली तो इस सफलता के लिए वे श्रेय ले सकते हैं, लेकिन भारतवासी इसके लिए अपने-आपको भाग्यशाली शायद ही कह सकें। एकता चीज अच्छी है, लेकिन पराधीनता की एकता कोई गर्व करने की वस्तु नहीं है। एक स्वेच्छाचारी शासन का बल ही जनता के ऊपर एक बड़ा भारी बोझ बन सकता है; और पुलिस की शक्ति, अनेक दिशाओं में निस्सन्देह उपयोगी होते हुए भी, जिन लोगों की वह रक्षक मानी जाती है उन्हींके खिलाफ खड़ी की जा सकती है, और बहुत बार की भी गई है। बर्ट्रैंड रसल ने आधुनिक सभ्यता की तुलना ग्रीस की प्राचीन सभ्यता से करते हुए हाल ही में लिखा है—“हमारी सभ्यता के मुक्ताबिले में ग्रीस की सभ्यता की खाली यही विचारणीय श्रेष्ठता थी कि उसकी पुलिस अयोग्य थी, जिसके कारण ज्यादातर भले आदमी अपने-आपको उसके जंगल से बचा सकते थे।”

भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य से हमें अमन-चैन मिला है। हिन्दुस्तान को मुगल-साम्राज्य के पतन के पीछे होनेवाली तकलीफों और कम्बलितियों के बाद अमन-चैन की ज़रूरत भी थी इसमें शक नहीं। अमन-चैन एक बड़ी कीमती चीज है जो किसी भी तरह की तरक्की के लिए ज़रूरी है, और जब वह हमको मिली तो हमने उसका स्वागत किया। लेकिन उसकी कीमत की भी एक हद होनी चाहिए। अगर वह किसी भी कीमत पर खरीदी जायगी तो उससे हमें जो शान्ति मिलेगी वह स्मशान-शान्ति होगी। और उसके जरिये हमें जो हिफाजत मिलेगी वह होगी पिंजरे या जेलखाने की-सी हिफाजत। या वह अमन ऐसे लोगों की बेकस मायूसी हो सकता है, जो अपनी बहबूदी करने के क़ाबिल

न रहे हो। विदेशी विजेता की जबरन कायम की हुई शान्ति में वे विश्रामप्रद और शान्तिदायक गुण मुश्किल से पाये जाते हैं जो सच्ची शान्ति में होते हैं। युद्ध बड़ी भयंकर चीज़ है और इससे बचना चाहिए, लेकिन मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स के कथनानुसार यह निस्सन्देह कुछ गुणों को प्रोत्साहन देता है, जैसे एकनिष्ठा, मिलकर रहने की शक्ति, दृढ़ता, वीरता, आत्मविश्वास, शिक्षा, मौलिकता, मितव्ययिता, शारीरिक स्वस्थता और पौरुष। इसी कारण जेम्स ने युद्ध का एक ऐसा नैतिक रूप तलाश करने की कोशिश की जो युद्ध की भयंकरता के बिना ही किसी जाति में ऊपर के इन गुणों को उत्तंजन दे। अगर उन्हें असहयोग और सविनय-भंग का ज्ञान होता तो शायद उनको मनोवैज्ञानिक वस्तु, अर्थात् युद्ध का नैतिक और शान्तिमय सादृश्य मिल गया होता।

इतिहास की 'अगर-मगर' और सम्भावनाओं पर विचार करना फ़ज़ूल है। मेरा विश्वास है कि हिन्दुस्तान का विज्ञानशील और उद्योगवान योरप के सम्पर्क में आना अच्छा ही हुआ। विज्ञान पश्चिम की एक बड़ी भारी देन है और हिन्दुस्तान में इसकी कमी थी, इसके बिना उसकी मृत्यु अवश्यम्भावी भी थी। लेकिन जिस तरह हमारा उससे सम्बन्ध स्थापित हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था। मगर फिर भी, शायद सिर्फ़ जोर-जोर की लगातार टक्करे ही हमें गहरी नींद से जगा सकती। इस दृष्टि से प्रोटेस्टेंट, व्यक्तिवादी, ऐंग्लो-सेक्सन अंग्रेज़ लोग इस काम के लिए उपयुक्त थे, क्योंकि अन्य पश्चिमी जातियों की बनिस्बत उनमें और हमारे में बहुत ज्यादा फर्क था और वे हमे अधिक जोर की ठोकर लगा सकते थे।

उन्होंने हमे राजनैतिक एकता दी, जो एक वाञ्छनीय वस्तु थी, पर हमारे अन्दर यह एकता होती या न होती तो भी भारतीय राष्ट्रीयता तो बढ़ती ही और इस प्रकार की एकता का तकाजा भी करती। आजकल अरब बहुत-सी मुस्लिफ़ रियासतों में बंटा हुआ है, जो स्वतन्त्र, परतन्त्र, रक्षित इत्यादि हैं। लेकिन उन सबमें एक अरबी राष्ट्रीयता की भावना दौड़ रही है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियाँ उसके मार्ग में बाधक न हों तो अरबी राष्ट्रीयता बहुत हद तक इस एकता को प्राप्त कर ले। लेकिन जैसा कि हिन्दुस्तान में किया जा रहा है, इन शक्तियों का इरादा यही रहता है कि झगड़ालू प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया जाय और अल्प-मत की समस्यायें पैदा कर दी जायें जिससे राष्ट्रीयता का जोश ठंडा पड़ जाय और कुछ अंश तक रुक जाय, तथा साम्राज्यवादी शक्ति को बने रहने और निष्पक्ष पंच होने का दावा करने का बहाना मिल जाय।

हिन्दुस्तान की राजनैतिक एकता गौण रूप से साम्राज्य की बढ़ोतरी के घुणाक्षर-

न्याय से प्राप्त हुई है। बाद में जब यह एकता राष्ट्रीयता के साथ मिल गई और विदेशी राज्य को चुनौती देने लगी तो हमारे सामने फूट डालने और फ़िरक़ेबंदी के जान-बूझकर बढ़ाये जाने के दृश्य आने लगे और ये दोनों बातें हमारी भावी उन्नति के मार्ग में बड़े जबरदस्त रोड़े हैं।

भयंघ्रों को यहाँ आये हुए कितना लम्बा अर्सा हो गया और उन्हें शक्तिशाली हुए भी पौने दो सौ वर्ष हो गये ! स्वच्छाचारी शासकों की भांति वे मनचाही करने में स्वतन्त्र थे, और हिन्दुस्तान को अपनी मर्जी के मुताबिक़ डालने का उनके पास काफ़ी सुन्दर मौक़ा था। इन वर्षों में संसार बिलकुल ही बदल गया है—इंग्लैण्ड, योरप, अमेरिका, जापान आदि सब बदल गये हैं। अठारहवीं सदी के अटलाण्टिक महासागर के किनारे पर स्थित छोटे-मोटे अमेरिकन उपनिवेश आज मिलकर सबसे घनवान, सबसे शक्तिशाली और कला-विज्ञान में सबसे अधिक उन्नत राष्ट्र बन गये हैं; जापान में थोड़े से ही समय में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया है; रूस का विशाल प्रदेश, जहाँ अभी कल तक ही ज़ार के शासन का फ़ौलादी पंजा सब प्रकार की उन्नतियों का गला दबा रहा था, आज नवजीवन से परिप्लावित हो रहा है और हमारे सामने एक नई दुनिया खड़ी कर रहा है। हिन्दुस्तान में भी बड़े भारी परिवर्तन हुए हैं और यह देश उससे बहुत भिन्न है जो अठारहवीं शताब्दी में था—रेलें, नहरें, कारखाने, स्कूल और कॉलेज, बड़े-बड़े सरकारी दफ़तर, आदि बन गये हैं।

और फिर, बावजूद इन परिवर्तनों के, आज हिन्दुस्तान की क्या हालत है ? वह एक गुलाम देश है, जिसकी महान् शक्ति पिजड़े में बन्द कर दी गई है जो खुलकर मांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर सकता; जो दूर देश में रहनेवाले विदेशियों द्वारा शासित है; जिसके निवासी नितान्त निर्धन, थोड़ी उम्र में मरनेवाले और रोगों तथा महामारियों से अपने-आपको बचाने में असमर्थ हैं; जहाँ अशिक्षा चारों ओर फैली हुई है, जहाँके बहुत-से बड़े-बड़े प्रदेश हर तरह की सफ़ाई या चिकित्सा के साधनों से रहित हैं और जहाँ मध्यमवर्ग और जनता दोनों में बड़े भारी पैमाने पर बेकारी है। हमसे कहा जाता है कि स्वाधीनता, जनसत्तावाद, समाजवाद, वर्गवाद, आदि अन्यावहारिक आदर्शवादियों, सिद्धान्तवादियों और धोखेबाजों की पुकार है; असली कसौटी तो सारी जनता की भलाई को समझना चाहिए। यह वास्तव में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कसौटी है; लेकिन इस कसौटी पर भी आज हिन्दुस्तान बहुत ही हलका उतरता है। हम अन्य देशों में होनेवाली बेकारी कम करने तथा कष्टों को दूर करने की बड़ी-बड़ी योजनाओं की बातें पढ़ते हैं; लेकिन हमारे यहाँ के करोड़ों बेकारों और चारों ओर फैले हुए स्थायी घोर कष्टों को कौन पूछता है ? हम दूसरे देशों की गृह-योजनाओं के विषय

में भी सुनते हैं; हमारे यहाँ के करोड़ों मनुष्यों के, जो कच्ची झोपड़ियों में रहते हैं या जिनके पास रहने तक को जगह नहीं, मकान कहाँ हैं? क्या हमें दूसरे देशों की हालत से ईर्ष्या न होगी जहाँ शिक्षा, सफाई, चिकित्सा-प्रबन्ध, सांस्कृतिक सुविधायें, और पैदावार बड़ी शीघ्रता से तरक्की कर रही हैं, जबकि हम लोग जहाँ थे वही खड़े हुए हैं या बड़ी दिक्कत के साथ जूँ की तरह रहे रहे हैं? रूस ने बारह साल के थोड़े-से समय में ही आश्चर्यजनक प्रयत्नों से अपने विशाल देश की अशिक्षा का करीब-करीब अन्त कर दिया है, और शिक्षा की ऐसी मुन्दर और नई-से-नई प्रणाली का विकास किया है जो जनता के जीवन में सम्पर्क रखती है। पिछड़े हुए टर्की ने अतातुर्क मुस्तफा कमाल के नेतृत्व में देश-व्यापी शिक्षा-प्रसार के मार्ग में बहुत लम्बा कदम बढ़ाया है। फासिस्ट इटली ने अपने जीवन के आरम्भ में ही जोरों से अशिक्षा पर आक्रमण किया। शिक्षा-सचिव जेन्टाइल ने आवाज उठाई कि "निरक्षरता पर सामने से हमला होना चाहिए। यह प्लेग का फोड़ा, जो हमारे राजनैतिक शरीर को सड़ा रहा है, गरम लोहे से दाग दिया जाना चाहिए।" घर में बैठकर बातें करने में ये शब्द भले ही कटोर और भद्दे मालूम हों, लेकिन इनके द्वारा इस विचार की तह में रहने-वाली दृढ़ता और शक्ति प्रकट होती है। हम लोग अधिक विनम्र हैं और बहुत चिकने-चुपड़े वाक्यों का प्रयोग करते हैं। हम लोग खूब फूँक-फूँककर कदम रखते हैं और अपनी नमाम शक्तियों को कमीशनो और कमिटियो में बरबाद कर देते हैं।

हिन्दुस्तानियों पर यह दोषारोप किया जाता है कि वे बातें तो बहुत ज्यादा करते हैं पर काम जग भी नहीं। यह आरोप ठीक भी है। लेकिन क्या हम अंग्रेजों की ऐसी कमिटियो और कमीशनो की अथक क्षमता पर आश्चर्य प्रकट न करें जिनमें से हरेक, बड़े परिश्रम के बाद, एक विद्वत्तापूर्ण रिपोर्ट—“एक महान् सरकारी खरीता”—तैयार करता है, जो बाकायदा तारीफ़ किये जाने के बाद दाखिल-दफ्तर कर दी जाती है। और इस तरह से हमको आगे बढ़ने का, तरक्की का, भास तो होता है लेकिन हम रहते वही-के-वही हैं। मान भी रह जाता है और हमारे स्थापित स्वार्थ भी अछूत और सुरक्षित बने रहते हैं। दूसरे देश यह सोचते हैं कि किस तरह आगे बढ़ें; हम रुकावटों, अटकावों और सरक्षणों का विचार करते हैं कि कहीं जरूरत से ज्यादा तेज़ न चलने लगे।

“शाही शान-शौकत रिखाया की गरीबी का नाप बन गई”—मुग़ल साम्राज्य के बारे में यह बात हमको (ज्वाइन्ट पार्लिमेण्टरी कमिटी १९३४ के द्वारा) बतलाई जाती है। यह बात ठीक है, लेकिन क्या हम उसी नाप को आज काम में नहीं ला सकते? आज यह वाइसराय की शान-शौकत और तडक-भड़कवाली नई दिल्ली और

प्रान्तीय गवर्नर और उनकी नुमायशी टीम-टाम आखिर क्या है ? और इन सबके पीछे है हैरत में डालनेवाली हृद दरजे की गरीबी । यह भिन्नता दिल को चोट पहुँचाती है और यह कल्पना करना कठिन है कि कोमल हृदय के लोग इसको किस तरह बरदास्त कर सकते हैं । तमाम शाही वैभववाली इस ऊँची दूकान के पीछे आज हिन्दुस्तान का एक बड़ा दैन्यपूर्ण और शोकमय चित्र है । जोड़-तोड़ मिलाकर और दिखावटी बातों से शाही शान-शौकत बढ़ादी गई है, लेकिन इसके पीछे निम्न मध्यमवर्ग के कम्बस्त लोग हैं, जो जमाने की हालतो से पिसते ही चले जा रहे हैं । इनके पीछे श्रमजीवी लोग हैं, जो पीस डालनेवाली गरीबी में कम्बलती को ज़िन्दगी बसर कर रहे हैं और इनके बाद किसान लोग हैं जो हिन्दुस्तान का वह नमूना है जिनकी किम्मत में “अनन्त अधिकार में रहना” ही लिखा है ।

“आह ! कितनी सदियों के भार से दबा हुआ वह झुका खड़ा है—

झुका हुआ है अपने फावड़े के सहारे पर, और देख रहा है जमीन की ओर,

उसके चेहरे पर शून्यता का यह आलेखन तो देखो,

और उसकी जर्जगिन पीठ पर यह दुनिया भर का बोझ है ।

× × × ×
युगों की पीड़ाये झार रही है इस भयावने हड्डियों के पिजड़े में में ।

वह झुका है या यह महाकाल की दुःखान्त पीड़ा है,

जगत की निर्मातृ शक्तियों के आगे मानवता रो रही है—

अपना दुःख सुना रही है इन हड्डियों के झरोखों से वह मानवता-

ठगी हुई, लुटी हुई और अधिकार पद से उतारी हुई,

उसका यह विरोध-रोदन भविष्यवाणी भी तो है । “

१. ये उद्धरण अमेरिका के कवि ई० मारखम की “The man with the Hoe”

नामक कविता से लिये गये हैं । मूल अंग्रेजी कविता इस प्रकार है:—

“Bowed by weight of centuries he leans
Upon his hoe and gazes on the ground,
The emptiness of ages on his face,
And on his back the burden of the world

× × × ×
“Through this dread shape the suffering ages look.
Time’s tragedy is in that aching stoop,
Through this dread shape humanity betrayed,
Plundered, profaned and disinherited,
Cries protest to the powers that made the world,
A protest that is also prophecy.”

हिन्दुस्तान की सारी तकलीफों का दोष अंग्रेजों के सिर मढ़ना ठीक नहीं होगा । इसकी जिम्मेदारी तो हमको अपने ही कंधों पर लेनी पड़ेगी और उससे हम बच भी नहीं सकते; अपनी कमजोरी के अनिवार्य परिणामों के लिए दूसरों को दोष देना अच्छा नहीं मालूम होता । एक हाकिमाना शासन-प्रणाली, खासकर एक विदेशी शासन-प्रणाली, जरूर गुलाम मनोवृत्ति को प्रोत्साहन देगी और रिआया के दृष्टिकोण और दृष्टि-क्षेत्र को सीमित रखने का प्रयत्न करेगी । उसे तो नवयुवकों की सबसे सुन्दर प्रवृत्तियों—उद्योग, जोखिम उठाने की भावना, मौलिकता, बल-वीर्य—को पीस डालना और जी चुराना, लकीर के फकीर बने रहना और अफसरों की कदमबोसी और चापलूसी करने की इच्छा आदि को प्रोत्साहन देना ही अभांष्ट है । इस प्रकार की प्रणाली से सच्ची सेवा-वृत्ति, सार्वजनिक सेवा या आदर्श की लगन, उत्पन्न नहीं होती; यह तो ऐसे लोगों को छोट लेती है जिनमें सेवा के भाव बहुत कम हों और जिनका एकमात्र उद्देश्य मीज में जिन्दगी बसर करना हो । हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान में अंग्रेज लोग कैसे व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं ! इनमें से कुछ तो कुशाग्रबुद्धि और अच्छा काम करने लायक होते हैं । ये लोग दूसरी जगह मौका न मिलने के कारण सरकारी या नीम-सरकारी नौकरियों में पड़कर धीरे-धीरे नरम हो जाते हैं और उम बड़ी मशीन के पुर्जे मात्र बन जाते हैं; उनके दिमाग काम के सुस्त ढंग में कैद हो जाते हैं । वे नौकरशाही के गुण—“क्लर्की करने का खूब अच्छा ज्ञान और दफ्तर चलाने का कौशल”—प्राप्त कर लेते हैं । सार्वजनिक सेवा में ज्यादा-से-ज्यादा उनकी मौखिक भक्ति होती है । उबलता हुआ जोश वहाँ न तो होता है और न हो सकता है । विदेशी सरकार के राज्य में यह सम्भव ही नहीं है ।

लेकिन इनके अलावा, छोटे-मोटे अफसरों में भी अधिकतर किसी तारीफ के काबिल नहीं होते । क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ अपने बड़े अफसरों की कदमबोसी करना और अपने मातहतों को डाटना ही सीखा है । इनमें उनका कुसूर नहीं है । यह शिक्षा तो उन्हें शासन-प्रणाली से मिलती है । अगर चापलूसी और रिस्तेदारों के साथ रिआयत फूलती-फलती है, जैसा कि अक्सर होता है, तो इसमें ताज्जुब ही क्या है ? नौकरी में उनका कोई आदर्श नहीं रहता; उनके पीछे तो बेकारी और उसके परिणामस्वरूप भूखों मरने के डर का भूत लगा रहता है, और उनकी खास नीयत यह रहती है कि अपनी नौकरी से चिपके रहे और अपने रिस्तेदारों और दोस्तों के लिए और दूसरी नौकरियाँ प्राप्त करें । जहाँ भेदिया, और सबसे ज्यादा घृणित जीव मुखबिर, हमेशा पीछे-पीछे लगे फिरते रहते हैं, वहाँ लोगों में अधिक वाञ्छनीय गुणों की वृद्धि होना कठिन है ।

हाल की घटनाओं ने तो भावुक और सार्वजनिक सेवा के भावोवाले व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरी में घुसना और भी मुश्किल कर दिया है। सरकार तो उनको चाहती नहीं और वे उससे उस समय तक घनिष्ठ सम्बन्ध रखना नहीं चाहते जबतक कि वे आर्थिक परिस्थिति से मजबूर न हो जायें।

लेकिन, जैसा कि सारी दुनिया जानती है, साम्राज्य का भार गोरों पर है, कालो पर नहीं। साम्राज्य की परम्परा जारी रखने के लिए तरह-तरह की शाही नौकरियाँ और उनके विशेष अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए संरक्षणों की हमारे यहाँ भरमार है, और कहा जाता है कि ये सब है हिन्दुस्तान के ही हित के लिए। यह ताज्जुब की बात है कि हिन्दुस्तान का हित किस तरह से इन ऊँची नौकरियों के स्पष्ट हितों और उन्नति के साथ बँधा हुआ है। हमसे कहा जाता है कि अगर भारतीय सिविल सर्विस का कोई अधिकार या कोई ऊँचा ओहदा छीन लिया गया तो उसका नतीजा बदइन्तज़ामी और रिश्वतखोरी आदि होगा। अगर भारतीय मेडिकल सर्विस की रिज़र्व की हुई नौकरियाँ कम करदी गईं तो यह बात "हिन्दुस्तान की तन्दुष्स्ती के लिए खतरनाक" हो जाती है! और हाँ, अगर फौजो में अग्नेजो की संख्या को हाथ लगाया गया तो दुनियाभर के भयंकर खतरे हमारे सामने आ जाते हैं।

मेरा खयाल है कि इस बात में कुछ सच्चाई है कि अगर ऊँचे अफसर यकायक चले गये और अपने महकमों को मातहतों के भरोंमें छोड़ गये तो इन्तज़ाम में कमी ज़रूर आयगी। लेकिन यह तो इसलिए होगा कि सारी प्रणाली ही इस तरह की बनाई गई है, और मातहत लोग किसी हालत में भी कोई बहुत लायक नहीं हैं, न उनके कंधों पर कभी ज़िम्मेदारी का बोझ डाला गया है। मुझे विश्वास होता है कि हिन्दुस्तान में अच्छी सामग्री बहुतायत से पड़ी हुई है और वह थोड़े ही समय में मिल भी सकती है, बसतों कि ठीक-ठीक उपाय काम में लाये जायें। लेकिन इसका अर्थ है हमारे शासन और समाज-सम्बन्धी दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन, जिसका अर्थ है एक नई राज्य-व्यवस्था।

अभी तो हमसे यही कहा जाता है कि शासन-विधान में चाहे जो परिवर्तन हमारे सामने आवें, हमारी देखरेख करनेवाला और हमें आश्रय देनेवाला बड़ी-बड़ी नौकरियों का मज़बूत ढाँचा ज्यों-कान्यों बना रहेगा। सरकारी मन्दिर के गूड़तम रहस्यों को जानने और दूसरों को उनका अधिकारी बनानेवाले वे पण्डे लोग उसकी रक्षा करेंगे और अनधिकारी लोगों को उस पवित्र प्रांगण में न घुसने देंगे। क्रम-क्रम से जैसे-जैसे हम अपनेको उसके योग्य बनाते जायेंगे, वैसे-वैसे वे एक के बाद दूसरे परदे को हमारे सामने मे उठाते जायेंगे, और इस तरह अन्त में किसी सुदूर भविष्य

में अन्तर्कपाट खुलेंगे और हमारी आश्चर्यभरी तथा श्रद्धायुक्त आँखों के सामने वह पवित्रतम देवमूर्ति खड़ी दिखाई देगी ।

इन शाही नौकरियों में सबसे ऊँचा स्थान भारतीय सिविल सर्विस का है और हिन्दुस्तान की सरकार के ठीक-ठीक चलते रहने की शाबाशी या लानत ज्यादातर इसीको मिलती चाहिए । हमको अक्सर इस सर्विस के अनेक गुण बतलाये जाते हैं । साम्राज्य की योजना में इसका महत्त्व एक सिद्धान्त-सा बन गया है । हिन्दुस्तान में इसकी सर्वमान्य अधिकारपूर्ण स्थिति और उसमें उत्पन्न स्वेच्छाचारिता और पर्याप्त परिमाण में मिलनेवाली तारीफ और वाहताही, यह सब किसी भी व्यक्ति या समुदाय के दिमाग को स्थिर रखने के लिए बहुत अच्छी चीजें नहीं हो सकतीं । इस सर्विस के लिए प्रशंसा के भाव रखते हुए भी मुझे संकोच के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही तरह यह पुरानी लेकिन कुछ-कुछ नवीन बीमारी—उन्माद—की विलक्षण रूप में शिकार हो सकती है ।

इण्डियन सिविल सर्विस की अच्छाइयों से इन्कार करना फजूल है, क्योंकि हमें इनको भूलने ही नहीं दिया जाता । लेकिन इस सर्विस के बारे में इनकी निरर्थक बातें कही गईं और कही जाती हैं कि मुझे कभी-कभी लगता है कि उसकी थोड़ी-सी कलई खोल देना भी हितकर होगा । अमेरिकन अर्थशास्त्री वेबलेन ने विशेष अधिकार-प्राप्त वर्गों को 'सुरक्षित वर्ग' कहा है । मेरे खयाल से, इण्डियन सिविल सर्विस और दूसरी शाही नौकरियों को भी 'सुरक्षित नौकरियाँ' कहना उतना ही युक्ति-युक्त होगा । यह एक बड़ी महँगी ऐयाशी है ।

मेजर डी० ग्रैहम पोल ने, जो पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के लेबर मेम्बर रह चुके हैं और हिन्दुस्तान के मामलों में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, कुछ दिन हुए, 'माडर्न रिव्यू' में एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि "अभीतक इस बात पर किसीने आपत्ति नहीं की कि इण्डियन सिविल सर्विस एक बहुत योग्य और होशियार कारगर चीज है ।" चूँकि इस प्रकार की बातें इंग्लैण्ड में अक्सर कही जाती हैं और उन-पर विश्वास किया जाता है, इसलिए इसकी परीक्षा करना लाभकर होगा । ऐसे पक्के और निश्चयात्मक बयान देना, जो सहज ही में काटे जा सकें, हमेशा खतरनाक होता है और मेजर ग्रैहम पोल की यह कल्पना बिल्कुल गलत है कि इस बात पर कभी किसीने ऐतराज नहीं किया । इसको तो बारबार चुनौती दी गई है और ठीक नहीं माना गया है, और काफ़ी अर्सा हुआ जब श्री गोपालकृष्ण गोखले तक ने इण्डियन सिविल सर्विस के बारे में बहुत-सी कड़वी बातें कही थीं । औसत दर्जे का हिन्दुस्तानी—बहु काँग्रेसमैन हो या न हो—मेजर ग्रैहम पोल से इस विषय पर निश्चय ही कदापि सहमत नहीं हो

सकता। फिर भी यह सम्भव है कि दोनों कुछ अंश तक ठीक हों और भिन्न-भिन्न गुणों को मद्देनजर रखकर सोचते हों। आखिर योग्यता और होशियारी का पैमाना क्या है? अगर यह योग्यता और होशियारी हिन्दुस्तान में ब्रिटिश राज्य को मजबूत बनाये रखने और देश को चूसने में उसे सहायता देने की दृष्टि से नापी जाय, तो इण्डियन सिविल सर्विस ज़रूर बहुत अच्छा काम करने का दावा कर सकती है। लेकिन अगर भारतीय जनता की भलाई की कमीटी पर रखकर देखा जाय, तो कहना होगा कि ये लोग बुरी तरह से नाकामयाब हुए हैं, और इनकी नाकामयाबी तब और भी ज्यादा जाहिर हो जाती है जबकि हम उम बड़े भारी अन्तर को देखते हैं जो आमदनी और रहन-सहन के ढंग के लिहाज से इनको उस जनता से अलग कर देता है जिसकी सेवा करना इनका फर्ज है और दरअसल जिसके पास में इनकी इतनी लम्बी-चौड़ी तनख्वाह आदि निकलती है।

यह बिल्कुल ठीक है कि आम तौर पर इस सर्विस ने अपना एक खास स्टैण्डर्ड बना लिया है, हालाँकि वह स्टैण्डर्ड लाजमी तौर पर बहुत नीचे दर्जे का रहा है। कभी-कभी इसमें से असाधारण व्यक्ति भी निकले हैं। ऐसी किमी सर्विस से ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती। इसके अन्दर लाजमी तौर पर अन्दर से अपनी अच्छा-इयों और बुराइयों को लिये हुए इंग्लैंड के पब्लिक स्कूलों की भावना भरी हुई थी (हालाँकि इण्डियन सिविल सर्विस के बहुत-से अफसर इन पब्लिक स्कूलों में पढ़े हुए नहीं हैं)। हालाँकि यह एक अच्छा स्टैण्डर्ड बनाये रहीं, फिर भी इसने अपनी लीक छोड़ना कभी पसन्द नहीं किया, और व्यक्तिगत रूप से इसके मेम्बरों के खास गुण रोज़मर्रा के नीरस काम-काजों में, और कुछ इस डर में कि कहीं दूसरों से भिन्न न नज़र आने लगे, विलीन हो गये। इसमें बहुत-से उत्साही लोग भी थे, और बहुत-से ऐसे भी थे जिनमें सेवा के भाव थे, लेकिन वह सेवा सबसे पहले साम्राज्य की थी और हिन्दुस्तान तो गिरते-पड़ते कहीं दूसरे नम्बर में आता था। जिस तरह की तालीम उन्हें मिली थी और जैसी उनकी परिस्थिति थी उसके अनुसार तो वे सिर्फ़ ऐसा ही कर सकते थे। चूँकि उनकी तादाद कम थी और वे एक विदेशी और अक्सर बे-मेल वातावरण से घिरे रहते थे, इसलिए वे अपने ही में रमे रहते और अपना एक खास स्टैण्डर्ड बनाये रखते थे। जाति और पद की प्रतिष्ठा का यही तक्राजा था। और चूँकि उनको मनमानी करने के ख़ूब अधिकार थे, इसलिए वे आलोचना से नाराज़ होते थे और उसे बड़ा भारी पाप समझते थे। वे दिन-पर-दिन असहिष्णु तथा स्कूल-मास्टर की मनोवृत्तिवाले होते जाते थे, और ग़ैर-जिम्मेदार राज्य-शासकों के बहुत-से दुर्गुण अपने अन्दर भरते जाते थे। वे अपने ही में संतुष्ट रहते और किसी

दूसरे की कुछ दरकार नहीं समझते थे। उनके दिमाग संकीर्ण और घड़े-घड़ाये थे, जो परिवर्तनशील संसार में भी अपरिवर्तित रहते तथा प्रगतिशील वातावरण के बिलकुल अनुपयुक्त थे। जब उनसे अधिक योग्य और स्थिति को अच्छी तरह समझनेवाले हिन्दुस्तान की समस्या को हल करने की कोशिश करते, तो वे लोग नाराज होते, उन्हें खरीखोटी मुनाते, उनको दबाते और उनके मार्ग में सब तरह के रोड़े अटकाते। जब युरोपीय महायुद्ध के बाद होनेवाले परिवर्तनों ने गतिशील परिस्थिति उत्पन्न कर दी, तो ये लोग एकदम बौखला गये और अपने आपको उसके अनुकूल न बना सके। उनकी परिमित और संकीर्ण शिक्षा ने उन्हें ऐसी संकटापन्न और नवीन परिस्थितियों के योग्य नहीं बनाया था। लम्बे असें तक गैर-जिम्मेदारी के साथ काम करते-करते वे बिगड़ चुके थे। समुदाय-रूप से तो उनको करीब-करीब बिलकुल निरंकुश प्रभुता मिली हुई थी, जिसपर सिर्फ सिद्धान्त-रूप से ब्रिटिश पार्लमेण्ट का नियन्त्रण था। लार्ड एक्टन ने लिखा है—“प्रभुता हमें बिगाड़ देती है, और पूर्ण प्रभुता तो पूर्णरूप से बिगाड़ देती है।”

मामूनी तौर से, ये लोग अपने परिमित दायरे में विश्वासपात्र अफसर होते थे, जो अपना रोजमर्रा का काम काफी होशियारी के साथ करते, लेकिन उसमें प्रवीणता नहीं होती थी। उनकी तो तालीम ही ऐसी होती थी कि कोई बिलकुल अचानक हो जानेवाली घटना उन्हें धबरा देती थी। हालाँकि उनका आत्म-विश्वास, उनकी कायदे के साथ काम करने की आदतें और उनका आपसी भ्रातृ-भाव, उनको तात्कालिक कठिनाइयों पर विजय पाने में सहायता देते थे। मैसेपोटेमिया में की हुई मशहूर गड़बड़ ने भारतीय ब्रिटिश सरकार की अयोग्यता और जड़ता का भंडा-फोड़ कर दिया था, लेकिन ऐसी बहुत-सी गड़बड़ें जाहिर ही नहीं होने पाती हैं। सविनय-भंग से जो प्रतिक्रिया इनपर हुई वह भी भोंडी थी। गोली चलाने और लाठी मारने से थोड़ी देर के लिए दुश्मनों से छुटकारा भले ही मिल जाय, लेकिन इससे कोई मसला हल नहीं होता। और उच्चता की जिस भावना की रक्षा करने के लिए यह काम किया जाता है उसीकी जड़ पर इससे कुठाराघात होता है। अगर उन्होंने एक बढ़नेवाले और तेज-तर्रार राष्ट्रीय आन्दोलन का मुकाबिला करने के लिए हिंसा का सहारा लिया तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं थी, यह तो अनिवार्य ही था, क्योंकि साम्राज्यों का आधार हिंसा ही है और विरोध का मुकाबिला करने के लिए उन्हें दूसरा तरीका ही नहीं सिखाया गया था। लेकिन अतिशय और अनावश्यक रूप से हिंसा का प्रयोग किया जाना ही इस बात का सबूत था कि स्थिति पर उनका बिलकुल काबू नहीं रहा था, और उनमें वह आत्म-संयम और निग्रह नहीं रह गया था जो साधारण अवस्थाओं में

उनमें रहता था। अक्सर उनके हाथ-पैर फूल जाते थे और उनके सार्वजनिक वक्तव्यों में भी फ्रञ्चूल बकवास-सी नजर आती थी। मामूली तौर पर रहनेवाला गहरा विश्वास जाता रहा था। खतरा बड़ी बेरहमी से हम सबकी पोल खोल देता है और हमारी अन्दरूनी कमजोरियों का भंडा-फोड कर देता है। सविनय भंग एक ऐसा ही खतरा और ऐसी ही परीक्षा थी, और लड़नेवाले दोनों दलों—काँग्रेस या सरकार—में से कोई भी इस परीक्षा में पूरा नहीं उतरा। मि० लाइड जार्ज कहते हैं कि खतरे के समय में ऊँचे दर्जे की दिमागी ताकत रखनेवाले पुरुष और स्त्रियों की संख्या बहुत कम मिलती है, और “बाकी लोगों की खतरे में कोई गिनती नहीं। छोटी-छोटी पहाड़ियाँ, जो सूखे मौसम में उभरी हुई-सी दिखाई पड़ती हैं, जोर की बाढ़ में फौरन डूब जाती हैं, जबकि सिर्फ सबसे ऊँची चोटियाँ ही पानी की सतह के ऊपर नजर आती हैं।”

जो कुछ भी हुआ, उसके लिए इंडियन मिविल सर्विस के लोग दिल और दिमाग से तैयार न थे। उनमें से बहुतों की आरम्भिक शिक्षा पुराने शाही जमाने की थी, जिसकी वजह से उनमें कुछ संस्कृति और आकर्षण बना हुआ था। यह तो पुरानी दुनिया का रुख था, जो विक्टोरियन युग के उपयुक्त था, लेकिन आधुनिक अवस्थाओं में जिसके लिए कोई स्थान न था। वे लोग अपने संकुचित और गूलर के समान ‘एंग्लो-इंडिया’ संसार में निवास करते थे जो न इंग्लैण्ड था और न हिन्दुस्तान। तात्कालिक समाज में जो शक्तियाँ काम कर रही थी उनकी कदर वे कर ही नहीं सकते थे। भारतीय जनता के अभिभावक और ट्रस्टी होने की अपनी मजेदार धारणा के बावजूद वे इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, और नये उप्रमत्तवादी मध्यमवर्ग के बारे में तो इससे भी कम जानते थे। वे हिन्दुस्तानियों की योग्यता का अन्दाजा उन चापलूसों और नौकरी के उम्मीदवारों से करते थे जो उनको घेरे रहते थे, और बाकी लोगों को वे आन्दोलनकारी और धोखेबाज कहकर उड़ा देते थे। लड़ाई के बाद होनेवाले संसार-व्यापी और खासकर आर्थिक क्षेत्र के परिवर्तनों का उन्हें बहुत थोड़ा ज्ञान था और वे ऐसी गहरी लीक में फँस गये थे कि परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुकूल अपनेको बना नहीं सकते थे। वे इस बात को महसूस नहीं करते थे कि जिस श्रेणी के वे प्रतिनिधि थे वह मौजूदा हालातों में पुरानी पड़ चुकी थी, और यह कि वे समुदाय-रूप से धीरे-धीरे उस जाति के निकट पहुँच रहे थे जिसका वर्णन टी० एस० इलियट ने अपने ‘दि हॉलो मैन’ में किया है।

लेकिन इतने पर भी यह वर्ग जबतक ब्रिटिश साम्राज्यवाद है तबतक कायम रहेगा और यह अभीतक काफ़ी शक्तिशाली है और अब भी उसमें योग्य और कुशल नेता हैं। भारत में अंग्रेज़ी-राज्य एक सड़ते हुए दाँत के समान है जो अभीतक

मजबूती से जमा हुआ है। वह दर्द करता है, लेकिन आसानी से निकाला नहीं जा सकता। यह दर्द सम्भवतः जारी रहेगा और बढ़ता भी रहेगा, जबतक कि दाँत निकाला न जाय या खुद गिर न पड़े।

पब्लिक स्कूलवालों के दिन इंग्लैण्ड में भी पूरे हो गये और अब उनकी वैसी प्रतिष्ठा नहीं है जैसी पहले थी, हालाँकि सार्वजनिक मामलों में वे अब भी प्रमुख हैं। हिन्दुस्तान में तो यह और भी ज्यादा गैरमौजू है और उग्र राष्ट्रीयता के साथ न तो उसका मेल बैठ सकता है और न उसके साथ सहयोग ही हो सकता है; सामाजिक परिवर्तन के लिए कोशिश करनेवालों का साथ देना तो बहुत दूर की बात है।

इण्डियन सिविल सर्विस में अनेक बढ़िया आदमी भी हैं, अंग्रेज भी और हिन्दुस्तानी भी, लेकिन जबतक मौजूदा शासन-प्रणाली कायम है तबतक उनकी प्रवीणता ऐसे उद्देश्यों के पूरा करने में खर्च होती रहेगी जिनसे हिन्दुस्तानियों को कुछ फायदा नहीं है। सर्विस के कुछ हिन्दुस्तानी अफसर इस पब्लिक स्कूल की भावना के इतने गुलाम हैं कि वे अपनेको सम्राट् से भी ज्यादा शाही समझते हैं। मुझे याद है कि मेरी मुलाकात सिविल सर्विस के एक ऐसे नौजवान अफसर से हुई थी जो अपने लिए बड़ी ऊँची राय रखता था लेकिन जिसमें दुर्भाग्यवश मैं सहमत नहीं हो सकता था। उसने मेरे सामने अपनी सर्विस के बहुत-से गुण गाये और अन्त में ब्रिटिश साम्राज्य के पक्ष में यह लाजवाब दलील पेश की कि क्या यह रोमन साम्राज्य और चंगेजख़ाँ तथा तैमूर के साम्राज्यों से बेहतर नहीं है ?

इण्डियन सिविल सर्विसवालों की मुख्य भावना यह है कि वे अपना फर्ज बड़ी होशियारी के साथ अदा करते हैं, और इसलिए वे अपने दावों पर जोर दे सकते हैं, और उनके दावे भी बहुत-से और तरह-तरह के हैं। अगर हिन्दुस्तान गरीब है तो यह कूसूर उसके सामाजिक रीति-रिवाजों का, महाजनो और रुपया उधार देनेवालों का, और सबसे ज्यादा उसकी बड़ी भारी आबादी का है। लेकिन सबसे बड़ी 'बनियाँ' ब्रिटिश सरकार को आसानी से भुला दिया जाता है। और इस आबादी के बारे में वे क्या करना चाहते हैं यह मैं नहीं जानता, क्योंकि अकालो, महामारियों और आम तौर पर बड़ी तादाद में मौतों से बहुत-कुछ मदद मिलने पर भी यहाँ की आबादी अभी-तक बहुत ज्यादा है। संतति-निग्रह की सलाह दी जाती है, और मैं तो यद्यपि बिलकुल इसके पक्ष में हूँ कि संतति-निग्रह के ज्ञान और तरीकों का प्रचार किया जाय। लेकिन खुद इन तरीकों का प्रयोग ही जनता के रहन-सहन का एक काफी ऊँचा ढंग, कुछ हदतक मामूली शिक्षा और सारे देश में असंख्य चिकित्सालयों की आवश्यकता रखता है। मौजूदा हालत में संतति-निग्रह के तरीके साधारण जनता की

पहुँच से बिलकुल बाहर है। मध्यम वर्ग के लोग इनसे फायदे उठा सकते हैं और मैं समझता हूँ कि वे लोग अधिकाधिक परिमाण में ऐसा कर भी रहे हैं।

लेकिन ज़रूरत से ज्यादा जन-संख्या-सम्बन्धी यह दलील और भी गौर किये जाने के क़ाबिल है। आज सारी दुनिया में सवाल यह नहीं है कि खाने की या दूसरी ज़रूरी चीज़ों की कमी है, बल्कि दरअसल कमी है खानेवालों की, या दूसरे शब्दों में, कमी है उन लोगों के लिए खाना वगैरा खरीदने की शक्ति की कि जो भूखों मर रहे हैं। अकेले हिन्दुस्तान को भी खाने की कोई कमी नहीं है, हालाँकि आबादी बढ़ गई है, खाने का सामान भी बढ़ गया है, और आबादी के मुक़ाबिले में ज्यादा मिक़दार में बढ़ सकता है। फिर हिन्दुस्तान की आबादी की बढ़ोतरी का जिस क़दर ढिंढोरा पीटा जाता है उसकी गति (सिवाय पिछले दस वर्षों के) ज्यादातर पश्चिमी देशों से बहुत नीची है। यह सच है कि भविष्य में यह फर्क बढ़ता जायगा, क्योंकि पश्चिमी देशों में आबादी की बढ़ोतरी को कम करने या रोक तक देने के लिए तरह-तरह की शक्तियाँ काम कर रही हैं। लेकिन हिन्दुस्तान में भी सीमित करनेवाले कारण शायद जल्दी ही आबादी की बढ़ोतरी को रोक देंगे।

जब कभी भारत स्वतन्त्र होगा और कभी इस स्थिति में होगा कि वह अपनेको जिस तरह बनाना चाहे बना सके तो इस काम के लिए उसे ज़रूर अपने सबसे अच्छे पुत्रों और पुत्रियों की आवश्यकता होगी। ऊँचे दर्जे के मनुष्य हमेशा बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और हिन्दुस्तान में तो मिलना और भी मुश्किल है, क्योंकि हमें ब्रिटिश राज्य में उन्नति करने का मौका ही नहीं मिला। हमें सार्वजनिक कार्यों के अनेक विभागों में विदेशी विशेषज्ञों की सहायता की आवश्यकता होगी, खासकर ऐसे कामों के लिए, जिनमें खास तौर पर औद्योगिक और वैज्ञानिक ज्ञान की ज़रूरत हो। जो लोग इंडियन सिविल सर्विस या दूसरी शाही नौकरियों में रह चुके हैं उनमें बहुत-से ऐसे हिन्दुस्तानी और विदेशी होंगे जिनकी ज़रूरत नई व्यवस्था के लिए होगी और उनका स्वागत किया जायगा। लेकिन एक बात का तो मुझे पूरा यकीन है कि जबतक हमारे राज्य-शासन और सार्वजनिक नौकरियों में सिविल सर्विस की भावना समाई रहेगी तबतक हिन्दुस्तान में किसी नई व्यवस्था की रचना नहीं की जा सकती। यह शासन-मनोवृत्ति साम्राज्यवाद की पोषक है और स्वतन्त्रता और यह दोनों साथ-साथ नहीं रह सकतीं। या तो यह स्वतन्त्रता को पीस डालने में सफल होगी, या स्वयं उखाड़ फेंकी जायगी। सिर्फ एक तरह की राज्य-प्रणाली में इसकी ढाल गल सकती है, और वह है फ़्रांसिस्ट प्रणाली। इसलिए मुझे यह निहायत ज़रूरी मालूम देता है कि, पेस्तर इसके कि हम नई व्यवस्था का कोई असली काम शुरू करें, सिविल सर्विस और

इस तरह की दूसरी शाही सर्विसों का खात्मा हो जाना चाहिए। इन सर्विसों के अलग-अलग व्यक्ति, अगर वे नई नौकरी के लिए राजी हों और योग्य हों, खुशी के साथ आबें, लेकिन सिर्फ नई शर्तों पर। यह तो कल्पना ही नहीं की जा सकती कि उनको वही फ़ूबल की मोटी-मोटी तनख्वाहें और भत्ते मिलेंगे जो आज उन्हें दिये जा रहे हैं। नवीन हिन्दुस्तान को ऐसे सच्चे और योग्य कार्यकर्ताओं की सेवायें चाहिए, जिन्हें उस हित में हार्दिक विश्वास हो जिसके लिए वे कार्य कर रहे हों, जो सफलता प्राप्त करने पर तुले हों, और जो बड़ी-बड़ी तनख्वाहों के लोभ से नहीं, बल्कि सेवा-जनित आनन्द और गौरव के लिए काम करते हों। रूपा मिलने की नीयत को घटाकर कम-से-कम कर देना चाहिए। विदेशी सहायकों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेरे खयाल में ऐसे राज-काज चलानेवालों की जरूरत सबसे कम होगी जिनकी औद्योगिक ज्ञान न हो। ऐसे आदिमियों का तो हिन्दुस्तान में कुछ अभाव न होगा।

मे पहले लिख चुका हूँ कि भारत के नरम दलवालों और उनके समान अन्य दलवालों ने किम प्रकार भारत के शासन के विषय में अंग्रेजी विचार-मरणि को स्वीकार कर लिया है। सर्विसों के सम्बन्ध में तो यह बात और भी साफ जाहिर हो जाती है, क्योंकि उनकी पुकार 'भारतीयकरण' के लिए है, सर्विसों के रूप और भावना और राज्य-व्यवस्था की रचना में आमूल परिवर्तन के लिए नहीं। यह एक ऐसा मौलिक तत्त्व है जिसपर कोई समझता हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता न केवल ब्रिटिश फौज और सर्विसों के वापस हटा लिये जाने पर ही अवलम्बित है बल्कि उसके लिए उनके दिमागों में घुसी हुई शासक-मनोवृत्ति के निकाले जाने और उनकी मोटी-मोटी तनख्वाहों और रिआयतों को समता पर लाने की भी आवश्यकता है। शासन-विधान-रचना के इस काल में संरक्षणों की बहुत बातचीत हो रही है। अगर ये संरक्षण हिन्दुस्तान के हित में रक्खे जायें, तो उनमें दूसरे बातों के अलावा यह विधान होना चाहिए कि सिविल सर्विस वगैरा का उनके वर्तमान रूप में तथा उनको मिली हुई शक्तियों और विशेष अधिकारों के साथ अन्त हो जाय, और नये विधान से उनका कुछ भी सरोकार न रहे।

हमारी रक्षा के नाम पर स्थापित फौजी सर्विसों का हाल तो और भी रहस्यमय और भयंकर है। हम न तो उनकी आलोचना कर सकते हैं, न उनके बारे में कुछ कह ही सकते हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में हम समझते ही क्या हैं? हमारा काम तो सिर्फ मोटी-मोटी तनख्वाह चुकाते रहने का है—बिना कोई चून्चपड़ किये। कुछ दिन हुए, सितम्बर १९३४ में, हिन्दुस्तान के जंगी लाट (कमाण्डर-इन-चीफ़) सर फिलिप चेटवुड ने शिमला में कौंसिल-ऑफ़-स्टेट में बोलते हुए चुभती हुई फौजी

भाषा में हिन्दुस्तान के राजनीतिज्ञों से कहा था कि वे लोग अपने काम से काम रखें, हमारे काम में दखल न दें। किसी प्रस्ताव पर एक संशोधन पेश करनेवाले की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा था—“क्या वह और उनके मित्र यह खयाल करते हैं कि बहुत सी लड़ाइया लड़ी हुई और युद्ध-प्रवीण अंग्रेज-जाति, जिसने अपना साम्राज्य तलवार के जोर से जीता है और तलवार के ही जोर से जिसकी अबतक रक्षा की है, उस अनुभव से प्राप्त किये हुए अपने युद्ध-सम्बन्धी ज्ञान को कुरसियां तोड़नेवाले आलोचकों से सीखेगी ?” उन्होंने और भी बहुत-सी मजेदार बातें कही थी, और कही हम यह खयाल न करने लगे कि उन्होंने तैश में आकर ऐसा कह डाला था, इसलिए हमें बतलाया गया था कि उन्होंने अपना भाषण बड़े विचारपूर्वक लिखा था और उसी हस्तलिपि को पढ़कर मुनाया था।

किसी साधारण आदमी का फौजी मामलों पर एक जंगी लाट से भिड़ पड़ना दरअसल गुस्ताबी है, लेकिन शायद एक कुरसी तोड़नेवाला आलोचक भी कुछ कहने का अधिकारी हो सकता है। यह बात समझ में आ सकती है कि जिन्होंने साम्राज्य को तलवार के जोर से ऋञ्जे में कर रक्खा है और जिनके सिर के ऊपर यह चमचमाता हथियार हमेशा लटका रहता है, उनके हित शायद एक दूसरे से भिन्न हो। यह सम्भव है कि हिन्दुस्तानी फौज हिन्दुस्तान के हितों या साम्राज्य के हितों के लिए काम में लाई जाय और इन दोनों हितों में भिन्नता ही नहीं बल्कि परस्पर-विरोध भी हो। एक राजनीतिज्ञ और कुरसी तोड़नेवाले आलोचक को यह भी आश्चर्य हो सकता है कि यूरोपीय महायुद्ध के अनुभवों के बाद भी प्रमुख सेनानायकों का यह दावा कि उनके कामों में दखल न दिया जाय कहाँ तक जायज है। उस समय उनको बहुत अंशों तक स्वतन्त्र क्षेत्र मिला था और, जहाँ तक मालूम हुआ है, उन्होंने सारी सेनाओं में—अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, आस्ट्रियन, इटैलियन, रूसी—करीब-करीब तमाम बातों में एक बड़ी भयंकर गड़बड़ पैदा कर दी थी ! मशहूर अंग्रेज फौजी इतिहासज्ञ और युद्ध-विद्या-विशारद कैप्टन लिडैक हार्ट ने अपनी ‘हिस्ट्री आफ़ दी वर्ल्ड वार’ में लिखा है कि महायुद्ध में एक बार जब अंग्रेज सिपाही दुश्मनों से लड़ रहे थे, उसी समय अंग्रेज फौजी अफसर आपस में लड़ रहे थे। ऐसे राष्ट्रीय खतरे के वक्त में भी वे लोग विचारों और कार्यों में एकता न ला सके। वह फिर लिखते हैं, “महायुद्ध ने, अपने आराध्य-देवों के प्रति हमारे श्रद्धा और आदर के इन भावों को नष्ट कर दिया है कि महान् पुंश उस मिट्टी के बने हुए नहीं होते जिसके साधारण मनुष्य होते हैं। नेताओं की अब भी आवश्यकता है, और शायद ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन हममें इस भाव का पैदा हो जाना कि वे भी साधारण मनुष्यों की तरह हैं, हमको उनसे बहुत ज्यादा

आशा रखने या उनपर बहुत ज्यादा विश्वास करने के खतरों से बचा लेगा।”

महान् राजनीतिज्ञ मि० डेविड लाइड जार्ज ने अपनी 'वार-मेमॉयर्स' नामक पुस्तक में महायुद्ध के जल और स्थल सेनानायकों की गलतियों का—एमी गलतियों का, जिनके कारण लाखों आदमियों की जानें गईं—बड़ा भयंकर चित्र खींचा है। इंग्लैण्ड और उसके सहायको ने महायुद्ध में विजय तो प्राप्त की, लेकिन यह “विजय पर एक रक्त-रंजित प्रहार था।” ऊंचे अफसरो-द्वारा फौजी और परिस्थितियों के मूर्खतापूर्ण और अविवेकयुक्त उपयोग ने इंग्लैण्ड को लगभग सर्वनाश के किनारे ला पटका था और उसकी और उसके सहायको की रक्षा अधिकतर उनके शत्रुओं की ऐसी भूलों के कारण हुई जिनके होने का सहज ही विश्वास नहीं हो सकता। इंग्लैण्ड का महायुद्ध के समय का महान् प्राइम मिनिस्टर इस प्रकार लिखता है और वह बतलाता है कि किस प्रकार उन्हें लार्ड जेलीको के दिमाग में कुछ बातें बिठाने के लिए, खासकर पथ-रक्षक-प्रणाली के प्रस्ताव के बारे में, उनके साथ सस्ती से पेश आना पड़ा था। फ्रांसीसी मार्शल जाँफर के बारे में तो उनका यह विचार मान्य होता है कि उनका सबसे बड़ा गुण एक दृढ़ता-सूत्रक चेहरा था जो हृदय में दृढ़ता की भावना को पैदा करता था। “यही चीज है जो त्रस्त लोग मकट के गमय में खोजते हैं। वे यह समझने की भूल करते हैं कि चतुरता किसी चेहरे में निवास करती है।”

लेकिन मि० लाइड जार्ज का मुख्य आरोप तो स्वाम ब्रिटिश सेना के नायक पर ही, कमाण्डर-इन-चीफ फील्ड-मार्शल हेग पर, है। उन्होंने यह मिद्ध किया है कि किस प्रकार लार्ड हेग ने अपने स्वामरुवाह के घमण्ड और राजनीतिज्ञों इत्यादि की बात सुनने से इन्कार करके खास ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल में ही महत्त्वपूर्ण बातों को छिपाया, जिसके कारण फ्राम में अंग्रेजी फौज को बड़ी भारी हानि उठानी पड़ी और इतने पर भी, जबकि असफलता सामने नजर आरही थी, वे आखिर तक अपनी जिद पर अड़े रहे, और अपने मूर्खतापूर्ण युद्ध को पैम्शन्डेल तथा कैम्ब्राई की भयंकर दलदलों में कई महीने तक चलाते रहे, यहाँ तक कि सत्रह हजार तो अफसर ही वहाँ काम आ गये और चार लाख वीर अंग्रेज सिपाही हताहत हो गये। सन्तोष की बात इतनी ही है कि आज भी 'बेनाम सिपाही' का उसकी मृत्यु के बाद सम्मान किया जाता है, जब कि अपने जीवन-काल में उसका जीवन बहुत सम्ता था और उसकी कोई पूछ नहीं थी।

अन्य लोगों की तरह राजनीतिज्ञ भी अक्सर गलतियाँ करते हैं, लेकिन जन-सत्ता-वादी राजनीतिज्ञों को जनता के रुख और घटनाओं पर ध्यान देकर उनसे प्रभावित होना पड़ता है और वे आम तौर पर अपनी गलतियों को स्वीकार करके उन्हें दुरुस्त

करने की कोशिश करते हैं। पर सिपाही का शिक्षण एक भिन्न वातावरण में होता है, जहाँ हुकूमत का साम्राज्य होता है और आलोचना के लिए कोई स्थान नहीं होता। इसलिए वह दूसरों की सलाह से बुरा मानता है और अगर वह गलती करता है तो पूरी तरह से करता है और उस गलती को किये ही जाता है। उसके लिए दिल और दिमाग की बनिस्बत कठोर मुख-मुद्रा अधिक महत्वपूर्ण है। हिन्दुस्तान में हमें एक मिश्रित श्रेणी उत्पन्न करने का मौका मिला है, क्योंकि खुद मुल्की शासन ही हुकूमत और स्वाश्रय के अर्द्धसैनिक वातावरण में पला और निवास करता है और इस कारण बहुत अंशों तक सिपाहियाना रीबदाब आदि विशेषतायें उसमें मौजूद हैं।

हमसे कहा जाता है कि सेना का 'भारतीयकरण' आगे बढ़ाया जा रहा है और अगले तीस या अधिक बरसों में एक हिन्दुस्तानी जनरल भी शायद हिन्दुस्तान में पैदा हो जायें। यह मुमकिन है कि सौ वर्षों से कुछ ही ज्यादा बरसों में भारतीयकरण बहुत-कुछ उन्नति कर ले। यह मुनकर आश्चर्य हो सकता है कि खतरे के समय में इंग्लैंड ने किस तरह एक-दो साल के अर्से में ही लाखों की फ़ौज खड़ी कर दी। अगर उसके पास ऐसे ही मलाहकार होने, जैसे कि हमको मिले हुए हैं, तो शायद वह बड़ी चौकसी और होशियारी से फूँक-फूँककर आगे कदम बढ़ाता और यह त्रिलकुल सम्भव था कि उम दशा में इस सुमंगलित सेना के तैयार होने के बहुत पहले ही युद्ध खतम हो जाता। हमको रूस की सोवियट सेनाओं का भी विचार होता है, जो बिना किसी प्रकार के पूर्व साधनों के ही अकस्मात् तैयार हो गईं और शत्रु की प्रचण्ड सेनाओं से लोहा लेती हुई उन्हें हराने लगीं। आज इन सेनाओं की संसार की सबसे अधिक कुशल युद्धशक्तियों में गणना की जाती है। शायद इनके पास सलाह देने के लिए "संयाम लड़े हुए और युद्ध-प्रवीण" सेनापति नहीं थे।

हमारे यहाँ देहरादून में एक फौजी शिक्षणालय है, जहाँ शिक्षार्थियों को फौजी अफसर बनने की तालीम दी जाती है। वे बड़ी चतुरता से परेड करते हैं और कहा जाता है कि बेशक वे बड़े अच्छे अफसर बनकर निकलेगे। लेकिन मुझे कभी-कभी आश्चर्य होता है कि इस तालीम में क्या फायदा है, जबतक कि उसके साथ युद्ध की कुछ व्यावहारिक शिक्षा न दी जाय? पैदल और घुड़सवार सेनायें आज-कल उतने ही काम की हैं जितनी रोमन फ़ौजें होतीं, और हवाई युद्ध, गैस के बम, टैंक और प्रचण्ड नौपों के युग में बन्दूक तीर-कमान से ज्यादा कारगर नहीं है। इसमें शक नहीं कि उनके शिक्षक और सलाहकार इस बात को महसूस करते हैं।

हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ी राज्य का इतिहास कैसा रहा है? हम उसकी खामियों के बारे में शिकायत करनेवाले होते कौन हैं, जबकि ये खामियाँ हमारी ही कमज़ोरियों के

फलस्वरूप है ? अगर हम परिवर्तन की धारा से सम्बन्ध छोड़ दे और दलदल में फँस जायँ, एकांगी और स्वयं-संतोषी बन जायँ और शत्रुमुर्म की तरह अपने चारों ओर की घटनाओं से आँख मूंद लें, तो इसमें हमारा ही नुकसान है। अंग्रेज लोग हमारे यहाँ संसार-सागर की एक नये जोश की लहर के साथ आये और ऐसी महान् ऐतिहासिक शक्तियों को लाये जिनका खुद उनको भी अनुभव न था। क्या हम उस तूफान की शिकायत करे जो हमें उखाड़कर इधर-उधर फेंक देता है, या उस ठंडी हवा की जो हमें कप-कंपा देती है ? हमें तो भूतकाल और उसके झगड़े-टंटों को तिलांजलि ही दे देनी चाहिए और भविष्य का मुकाबिला करना चाहिए। हमें एक महान् भेद के लिए अंग्रेजों का कृतज्ञ होना चाहिए, जिसे कि वे लेकर आये ; यह भेद है विज्ञान और उसके सुन्दर फल। साथ ही, ब्रिटिश सरकार के उन प्रयत्नों को भी भूल जाना या शान्ति के साथ बरदाश्त करना मुश्किल है जो उन्होंने देश के झगड़ालू, प्रतिक्रियावादी, विरोधक, जातिगत तथा मौके से लाभ उठानेवाले लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए किये। शायद यह भी हमारे लिए एक जरूरी परीक्षा और चुनौती है, और पेश्वर इसके कि हिन्दुस्तान नया जन्म धारण करे, उसे बार-बार उस आग में तपना पड़ेगा जो शुद्ध और दृढ़ बनाती है और जो दुबल पतित और आचार-भ्रष्टों को जलाकर खाक कर देती है।

अन्तर्जातीय विवाह और लिपि का प्रश्न

सितम्बर १९३३ के बीच में करीब एक हफ्ता बम्बई और पूना में रहने के बाद मैं लखनऊ लौट आया। मेरी मा अभी तक अस्पताल में थी, और उनकी हालत धीरे-धीरे सुधर रही थी। कमला भी लखनऊ में, खुद तन्दुरुस्त न होते हुए भी, माताजी की सेवा करने में तत्पर थी। हर सप्ताह के आखिरी दिनों में मेरी बहनें भी इलाहाबाद से आती रहती थीं। लखनऊ में मैं दो-तीन हफ्ते रहा। वहाँ इलाहाबाद के मुकाबिल में ज्यादा फुर्सत मिली थी। मेरा खास काम दिन में दो बार अस्पताल जाना था। मैंने अपना यह फुरसत का समय अखबार के लिए लेख लिखने में लगाया और ये सब लेख देश के लगभग सभी अखबारों में छपे। 'हिन्दुस्तान किधर ?' शीर्षक लेखमाला पर जनता का काफ़ी ध्यान गया। इस लेखमाला में मैंने दुनिया की हलचलों पर, हिन्दुस्तान के साथ उनके संबन्ध को ध्यान में रखकर, विचार किया था। मुझे बाद में मालूम हुआ कि इन लेखों का फारसी में तर्जुमा हुआ था और वह तेहरान और काबुल में भी छापे गये थे। आजकल के पश्चिमी विचारों और हलचलों से जानकारी रखनेवालों के लिए इन लेखों में कोई ऐसी नई या अद्भुत बात नहीं थी। मगर हिन्दुस्तान में लोग अपने घरेलू मामलों में ही इतने व्यग्न रहते हैं कि दूसरी जगह क्या हो रहा है इसपर वे ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते। मेरे लेखों का जो स्वागत हुआ उसमें और दूसरे आसारों से मालूम पड़ा कि लोगों का दृष्टिकोण व्यापक हो रहा है।

माताजी अस्पताल में पड़ी-पड़ी ऊबती-सी जा रही थी, इसलिए हमने उन्हें इलाहाबाद वापस ले आने का निश्चय कर लिया। वापस लाने के दूसरे कारणों में से एक कारण मेरी बहन कृष्णा की सगाई हो जाना भी था, जो इन्हीं दिनों में घोषित की गई थी। पेश्तर इसके कि मैं फिर से जेल में ठूस दिया जाऊँ, हम चाहते थे कि जल्दी-से-जल्दी विवाह हो जाय। मुझे कुछ खयाल न था कि मैं कितने समय तक बाहर रहने दिया जाऊँगा। क्योंकि सविनय-भंग कांग्रेस का बाकायदा कार्यक्रम था और स्वयं कांग्रेस और दूसरी बीसियों संस्थाये गैर-कानूनी थी।

हमने अक्तूबर के तीसरे सप्ताह में इलाहाबाद में विवाह करने का निश्चय किया। यह विवाह 'सिविल मैरिज एक्ट' के मुताबिक होनेवाला था। मैं इस बात से खुश था, हालाँकि मच पूछो तो इसके सिवा हमारे पास और कोई उपाय भी न था।

क्योंकि यह विवाह दो मुस्लिफ़ बिरादरीवालों में, ब्राह्मण और अ-ब्राह्मण, के बीच, होनेवाला था, और हिन्दुस्तान के मौजूदा कानून के मातहत ऐसा विवाह कौसी भी धार्मिक विधि से क्यों न किया जाय, जायज़ नहीं हो सकता। खुशकिस्मती से उन्हीं दिनों में पास हुआ सिविल मैरिज एक्ट हमारी मदद को मिल गया। इस तरह के दो कानून थे, जिनमें से दूसरा कानून, जिसके मातहत मेरी बहन की शादी हुई, हिन्दुओं और हिन्दू-धर्म से सम्बद्ध दूसरे धर्मवालों के लिए था—जैसे सिक्ख, जैन, बौद्ध। लेकिन वर-बधू में से कोई एक भी जन्मतः या बाद में धर्म-परिवर्तन करके इन धर्मों में से किसी एक को अपना माननेवाला न हो, तो यह दूसरा कानून उसपर लागू नहीं होता। ऐसी हालत में पहले कानून का ही आश्रय लेना पड़ता है। इस पहले कानून के अनुसार दोनों को सभी मुख्य धर्मों का परित्याग करना पड़ता है, या उन्हें कम-से-कम यह तो कहना ही पड़ता है कि हमसे कोई किसी भी धर्म को नहीं मानता है। इस प्रकार का अनावश्यक ऐलान बड़ा बाहियात है। बहुत-से ऐसे लोगो को भी, जिनका कि मजहब की तरफ कोई रूझान नहीं है, इस ऐलान पर ऐतराज है और इस तरह वे इस कानून से फायदा नहीं उठा सकते। मुस्लिफ़ मजहबों के कट्टर लोग ऐसी सब तबदीलियों का विरोध करते हैं जिनसे अन्तर्जातीय विवाहों के होने में आसानी हो। इससे जो लोग इस कानून के मातहत विवाह करना चाहें, उन्हें या तो धर्म-परित्याग का ऐलान करना पड़ता है, या जिन धर्मवालों को उसके मुताबिक अन्तर्जातीय विवाह करने की छूट है उनमें से किसी धर्म को झूठ-मूठ के लिए अपनाना पड़ता है। ज़ाती तौर पर मैं अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना पसन्द करूँगा, लेकिन उन्हें प्रोत्साहन दिया जाय या नहीं, एक ऐसे अनुमतिदायक अन्तर्जातीय विवाह-कानून का बनना तो निहायत ज़रूरी है जो आम तौर पर सब धर्मवालों पर लागू हो और जिनसे विवाह करने के लिए उन्हें मजहब छोड़ने या बदलने की ज़रूरत न पड़े।

मेरी बहन की शादी में कोई धूमधाम नहीं हुई, सारा काम बड़ी सादगी से हुआ। हिन्दुस्तानी विवाहों में जो धूमधाम हुआ करती है, मामूली तौर पर, वह मुझे पसन्द भी नहीं है। फिर माताजी की बीमारी के कारण और उससे भी अधिक इस बात से कि सविनय-भंग अभी भी जारी था और हमारे बहुत-से साथी जेलों में पड़े सड़ रहे थे, दिखावे के रूप में कोई भी बात करना था भी बिल्कुल बेमौजू। इसलिए सिर्फ थोड़े रिश्तेदारों और स्थानीय मित्रों को ही निमन्त्रित किया गया। पिताजी के बहुत-से पुराने मित्रों को इससे सदमा भी पहुँचा। क्योंकि उन्हें यह लगा, हालाँकि वह था गलत, कि मैंने जान-बूझकर उनकी उपेक्षा की है।

विवाह के लिए जो छोटा-सा निमन्त्रण-पत्र हमने भेजा था वह लैटिन अक्षरों व हिन्दुस्तानी भाषा में छापा था। यह एक बिलकुल नई बात थी। अबतक इस तरह के निमन्त्रण-पत्र आम तौर पर नागरी या फ़ारसी लिपि में ही लिखे जाते थे। फौज या ईसाई मिशन वालों के सिवाय कहीं भी हिन्दुस्तानी भाषा लैटिन अक्षरों में नहीं लिखी जाती थी। मैंने रोमन लिपि का इस्तमाल केवल यह देखने के लिए किया था कि इसका मुस्तलिफ किस्म के लोगो पर क्या असर होता है। इसे कुछने पसन्द किया, कुछने नहीं। ज्यादा संख्या नापसन्द करनेवालों की ही थी। बहुत कम लोगों के पास यह निमन्त्रण भेजा गया था, और, अगर ज्यादा लोगो के पास भेजा जाता तो इसका असर और भी ज्यादा खिलाफ होता। गांधीजीने भी इसे पसन्द नहीं किया।

मैंने रोमन लिपि इसलिए इस्तमाल नहीं की थी कि मैं उसके पक्ष में हो गया था, हालाँ कि उसने मुझे बहुत दिनों से अपनी ओर आकर्षित कर रक्खा था। टर्की और मध्य-एशिया में रोमन लिपि की सफलता ने मुझे प्रभावित किया था। रोमन के पक्ष में जो दलीले हैं उसमें काफी वजन है, फिर भी मैं भारतवर्ष के लिए रोमन लिपि के पक्ष में नहीं हो गया था। अगर मैं उसके पक्ष में हो भी जाता तो भी मैं अच्छी तरह जानता था कि वर्तमान भारत में उसके अपनाये जाने की रत्तीभर भी सम्भावना न थी। राष्ट्रीय, मजहबी, हिन्दू-मुस्लिम, नये-पुराने सब दलों की ओर से इसका बहुत सख्त विरोध होता, और यह मैं मानता हूँ कि यह विरोध महज भावुकतावश ही नहीं होता। किसी भी भाषा के लिए, जिसका पुराना जमाना उज्ज्वल रहा हो, लिपि का बदलना बहुत बड़ी तबदीली है, क्योंकि लिपि का उस साहित्य से बहुत गहरा सम्बन्ध रहता है। लिपि बदल दीजिए तो सामने कुछ और ही शब्द-चित्र नज़र आयेंगे, ध्वनि बदल जायगी, भाव बदल जायेंगे। पुराने और नये साहित्य के बीच एक अटूट दीवार उठ खड़ी होगी। पुराना साहित्य एकदम किसी विदेशी भाषा में लिखा हुआ-सा जान पड़ेगा, ऐसी भाषा में जो मर चुकी हो। लिपि बदलने का जोखिम उसी भाषा में लेना चाहिए, कि जिसका कोई उल्लेखनीय साहित्य न हो। हिन्दुस्तान में तो मैं ऐसे रद्दो-बदल का खयाल भी नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि हमारा साहित्य केवल समृद्ध और अनूठा ही नहीं, बल्कि हमारे इतिहास और विचार-परम्परा से सम्बद्ध है और हमारी सर्वसाधारण जनता के जीवन के साथ उसका बड़ा गहरा सम्बन्ध रहा है। हमारे देश पर इस तरह का परिवर्तन लाद देना एक क्रूर विच्छेद के समान होगा और सार्वजनिक शिक्षा के रास्ते में बाधक होगा।

लेकिन आज तो हिन्दुस्तान में रोमन लिपि का प्रश्न सार्वजनिक चर्चा का विषय ही नहीं है। मेरी समझ में लिपि-सुधार की दृष्टि से जो अगला कदम होना

चाहिए, वह है संस्कृत भाषा से उत्पन्न चारों सहोदरा—हिन्दी, बगला, मराठी, गुजराती—भाषाओं के लिए एक-सी लिपि बनाना। इन चारों भाषाओं की लिपियों का उद्गम एक ही है और इनमें एक-दूसरे से भिन्नता भी विशेष नहीं है और इसलिए इन सबके लिए एक ही लिपि तैयार करने में कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे ये चारों भाषायें एक-दूसरे के नजदीक आ जायेंगी।

हमारे अंग्रेजी शासकों ने हमारे देश के बारे में जो भ्रमपूर्ण बातें संसारभर में फँला रखी हैं, उनमें से एक यह भी है कि हिन्दुस्तान में कईसी भाषायें बोली जाती हैं। मुझे उनकी ठीक तादाद याद नहीं है। प्रमाण के लिए मर्दुमशुमारी को लिया जाता है। यह एक विचित्र बात है कि इन कईसौ भाषाओं के देश में सारा जीवन बिताने पर भी बहुत कम अंग्रेज एक भाषा से मामूली जानकारी हासिल कर पाते हैं। इन सब भाषाओं को 'वर्नाक्युलर' नाम से पुकारते हैं, जिसका अर्थ है गुलामों की भाषा (लैटिन *verna* का अर्थ घर में पैदा हुआ गुलाम है)। हममें से बहुतों ने बिना समझे-बूझे इस नामकरण को स्वीकार कर लिया है। यह एक आश्चर्य की बात है कि सारी जिन्दगी इस देश में रहकर भी अंग्रेज लोग यहाँ की भाषा सीखे बिना किस तरह अपना काम चला लेते हैं। अपने खानसामा व आयाओं की मदद से उन्होंने एक कर्णकटु काम-चलाऊ नई हिन्दुस्तानी खिचड़ी भाषा ईजाद कर ली है, जिसको वे असली भाषा समझ बैठे हैं। जैसे वे भारतीय जीवन के हालात अपने नौकरों व जीहूजूरों से मालूम करते हैं उसी तरह वे हिन्दुस्तानी भाषा के बारे में अपने विचार अपने घरू नौकरों से बनाते हैं। साहब लोगों से वे अपनी इस 'कामचलाऊ खिचड़ी भाषा' में ही बोलते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि वे और कोई भाषा समझेंगे भी नहीं। वे इस बात से बिल्कुल अपरिचित मालूम पड़ते हैं कि हिन्दुस्तानी और दूसरी भारतीय भाषाओं का साहित्य बहुत ऊँचा और बहुत विस्तृत है।

अगर मर्दुमशुमारी की रिपोर्ट हमें यह बताती है कि हिन्दुस्तान में दो सौ या तीनसौ भाषायें हैं, तो जर्मनी की मर्दुमशुमारी भी यह बताती है कि वहाँ पर भी लगभग ५०-६० भाषायें हैं। मुझे खयाल नहीं कि कभी किसीने इसके कारण ही जर्मनी में असमानता या आपसी फूट साबित करने की कोशिश की हो। सच तो यह है कि मर्दुमशुमारी में सब प्रकार की छोटी-मोटी भाषाओं का भी जिक्र किया जाता है, चाहे इन भाषाओं के बोलनेवाले कुछ हज़ार ही व्यक्ति क्यों न हों, और अक्सर थोड़ा-थोड़ा भेद होने पर भी वैज्ञानिक भेद बताने के लिए भाषाओं को अलग-अलग मान लिया जाता है। हिन्दुस्तान के क्षेत्रफल को देखते हुए, इतनी थोड़ी भाषाओं का होना ताज्जुब की बात मालूम होती है। योरोप के इतने भाग को लेकर

मुकाबिला करे तो भाषा की दृष्टि से हिन्दुस्तान में इतने भेद नहीं मिलेंगे। लेकिन हिन्दुस्तान में आम जनता में शिक्षा का फैलाव न होने के कारण यहाँ भाषाओं का समान-स्टैंडर्ड नहीं बन पाया और कई बोलियाँ बन गईं। बर्मा को छोड़कर हिन्दुस्तान की मुख्य भाषायें ये हैं—हिन्दुस्तानी (हिन्दी और उर्दू किस्म की) बंगला, गुजराती, मराठी, तामिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। इनमें अगर आसामी, उड़िया, सिंधी, पश्तो और पंजाबी को भी शामिल कर दिया जाय, तो सिवा कुछ पहाड़ी और जंगली हिस्सों को छोड़कर सारे देश की भाषायें इनमें आ जाती हैं। इनमें से भारतीय आर्यभाषायें जो उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में प्रचलित हैं आपस में बहुत मिलती-जुलती हैं और दक्षिणी द्राविड़ी भाषायें भिन्न होते हुए भी संस्कृत से काफी प्रभावित हुई हैं और उनमें संस्कृत शब्दों की बहुतायत है।

इन मुख्य आठ भाषाओं में पुराना बहुमूल्य साहित्य है और ये भाषायें देश के काफी बड़े हिस्से में बोली जाती हैं। इनका क्षेत्र निश्चित और स्पष्ट है। इस तरह बोलनेवालों की संख्या की दृष्टि में देखें तो ये भाषायें मसाल की प्रमुख भाषाओं में आ जाती हैं। बंगला बोलनेवालों की संख्या साढ़े पाँच करोड़ है। जहाँतक हिन्दुस्तानी से सम्बन्ध है, मेरे पास यहाँ संख्याएँ नहीं हैं; लेकिन मेरे ख्याल में वह अपने सभी रूपों सहित १८ करोड़ भारतवासियों में बोली जाती है। इसके अलावा हिन्दुस्तान के अन्य भाषा बोलनेवाले लोग भी हिन्दुस्तानी समझ लेते हैं।' साफ तीर पर ऐसी

१. हिन्दुस्तानी के समर्थक नीचे दिये आंकड़े पेश करते हैं। मैं नहीं कह सकता कि ये संख्याएँ १९३१ की मर्दुमशुमारी के मुताबिक हैं या १९२१ के। मेरे ख्याल में तो १९२१ की गणना के मुताबिक हैं। इसलिए १९३१ की संख्या तो जरूर इससे कहीं ज्यादा होगी।

१ हिन्दुस्तानी (जिसमें पश्चिमी हिन्दी, पंजाबी राजस्थानी शामिल है)	१३९३ लाख
२ बंगला	४९३ ,,
३ तेलुगु	२३६ ,,
४ मराठी	१८८ ,,
५ तामिल	१८८ ,,
६ कन्नड़	१०३ ,,
• उड़िया	१०१ ,,
८ गुजराती	९६ ,,

पश्तो, आसामी, बर्मा आदि कुछ भाषायें जो भाषा-विज्ञान तथा क्षेत्र के लिहाज से बिलकुल अलग हैं, इस सूची में शामिल नहीं की गई हैं।

भाषा की उन्नति की आशा बहुत अधिक है, वह संस्कृत की मजबूत नींव पर जमी हुई है और फ़ारसी का भी उसपर काफी असर है। इस तरह वह दो सम्पन्न स्रोतों से अपना शब्द-कोष ले सकती है और पिछले कुछ वर्षों से वह अंग्रेज़ी से भी शब्द ले रही है। दक्षिण का द्राविड़ी प्रदेश ही एक ऐसा हिस्सा है जहाँ हिन्दुस्तानी एक विदेशी भाषा के समान नजर आती है। लेकिन वहाँ के निवासी इसे मीलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दो बरस पहले, १९३२ में, मैंने एक संस्था के आँकड़े देखे थे। यह संस्था दक्षिण में हिन्दी-प्रचार करने के लिए कुछ मित्रों ने खोली थी। उसके काम शुरू करने के बाद गे अबतक, पिछले १४ बरसों में, अकेली उस संस्था की कोशिश से मद्रास प्रान्त में लगभग ५५,००० लोगों ने हिन्दी सीखली है। एक ऐसी संस्था के लिए, जिसे सरकारी मदद कुछ भी नहीं मिलती, यह सफलता अनोखी है। वहाँ हिन्दी सीखनेवालों में से अधिकतर खुद भी इस कार्य के प्रचारक बन जाते हैं।

मुझे इसमें कुछ भी शक नहीं है कि हिन्दुस्तानी ही भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा बनेगी। दरअसल रोज़मर्रा के काम-काज के लिए वह एक बड़ी हद तक आज भी राष्ट्रभाषा-सी बनी हुई है। लिपि नागरी हो या फ़ारसी, इस निरर्थक वाद-विवाद ने इसकी तरक्की को रोक दिया है और दोनों दलों की इस कोशिश ने भी इसकी प्रगति में रुकावट खड़ी करदी है कि भाषा को संस्कृत-प्रधान बनाया जाय या फ़ारसी-प्रधान। लिपि का प्रश्न उठने ही इतने झगड़े पैदा हो जाते हैं कि इस कठिनाई को हल करने का इसके सिवाय और कोई उपाय ही मालूम नहीं होता कि दोनों लिपियों को अधिकृत रूप से मान लिया जाय और लोगों को इनमें से किसीको भी काम में लाने की छूट देदी जाय। संस्कृत व फ़ारसी के शब्दों को ज्यादा काम में लाने की जो बेजा प्रवृत्ति चल पडी है उसे रोकने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए और सामान्य व्यवहार में बोली जानेवाली सरल भाषा के ढंग पर एक साहित्यिक भाषा बना लेनी चाहिए। जनता में जैसे-जैसे शिक्षा बढ़ती जायगी, वैसे-वैसे अपने-आप ऐसा होता जायगा। इस समय मध्यमश्रेणी के छोटे-छोटे दल साहित्यिक रुचि और शैली के निर्णायक बने हुए हैं और ये लोग अपने-अपने ढंग से बहुत ही संकुचित हृदय के अनुदार और अपरिवर्तनवादी हैं। ये अपनी भाषाओं के पुराने निर्जीव रूप से चिपटे रहना चाहते हैं और अपने देश की माधारण जनता और संसार के साहित्य से इनका बहुत ही कम सम्पर्क है।

हिन्दुस्तानी की वृद्धि और प्रसार को भारत की दूसरी बड़ी भाषाओं—बंगला, गुजराती, मराठी, उडिया और दक्षिण की द्राविड़ी—के सतत व्यवहार और समृद्धि में न तो बाधक बनना चाहिए और न वह बनेगा। इनमें से कुछ भाषाएँ तो अब

भी हिन्दुस्तानी की बनिस्वत बहुत आधिक जागरूक और बौद्धिक दृष्टि से सतर्क है और इसलिए अपने-अपने क्षेत्र में शिक्षा के माध्यम और अन्य व्यवहारों के लिए अधिकृत रूप से अवश्य स्वीकार कर लेनी चाहिए। सिर्फ इन्हींके जरिये साधारण जनता में शिक्षा और संस्कृति तेजी के साथ फैल सकती है।

कुछ लोगों का खयाल है कि बहुत करके अंग्रेजी ही भारत की आम भाषा हो जायगी; लेकिन ऊँचे दर्जे के गिने-चुने पढ़े-लिखों को छोड़कर साधारण जनता इसे अपनायगी, यह धारणा मुझे एक असम्भव कल्पना के समान दिखाई देती है। साधारण जनता की शिक्षा और संस्कृति के प्रश्न के साथ इसका कोई सरोकार नहीं है। यह हो सकता है, जैसा कि आजकल कुछ हद तक है भी, कि औद्योगिक, वैज्ञानिक और निजार्तनी कामों में, विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों में, अंग्रेजी ज्यादा इस्तेमाल में आने लगे। हममें से बहुतों के लिए विदेशी ज़बानों का सीखना व जानना बहुत जरूरी है, ताकि संसार के विचारों व प्रगतियों से हमारी जानकारी होती रहे, और इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं तो पसन्द करूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटियों में अंग्रेजी के अलावा फ्रेंच, जर्मन, रूसी, स्पेनिश और इटैलियन भाषाएँ सीखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाय। इसका यह मतलब नहीं है कि अंग्रेजी की अवहेलना की जाय, लेकिन अगर हम संसार की हलचलों को निष्पक्ष दृष्टि से देखना है तो हमें अपनेको अंग्रेजी सीखने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। केवल अंग्रेजी शिक्षा ने हमारी मानसिक दृष्टि को अभीसे एकांगी और संकुचित कर दिया है। इसका कारण हमारे विचारों का एक ही दृष्टि और मत की ओर झुका रहना है। हमारे कट्टर-से-कट्टर राष्ट्रवादी भी शायद ही इस बात का अन्दाजा लगा सकते हैं कि अपने देश के सम्बन्ध में उनके दृष्टि-बिन्दु पर अंग्रेजी विचार-सरणि का कितना गहरा असर है।

लेकिन हम विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए कितना ही प्रोत्साहन क्यों न दे, बाहरी दुनिया से हमारा सम्बन्ध अंग्रेजी भाषा द्वारा ही रहेगा। इसमें कुछ हर्ज भी नहीं है। हम कई पीढ़ियों से अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हमें काफी कामयाबी मिली है। इस सब किये-कराये को मिटा देना सरासर बेवकूफी होगी। इतने असें की मेहनत से हमें लाभ उठाना चाहिए। निस्सन्देह अंग्रेजी आज संसार की सबसे ज्यादा व्यापक और महत्त्वपूर्ण भाषा है, और दूसरी भाषाओं पर वह अपना सिक्का जमाती जा रही है। यह सम्भव है कि अब राष्ट्रीय व्यवहारों में और रेडियो आदि के लिए वह माध्यम-भाषा का रूप धारण करले, बशर्ते कि 'अमरेकिन' उसकी जगह न लेले। इसलिए हमें अंग्रेजी भाषा के ज्ञान का प्रसार अवश्य जारी रखना

चाहिए। अंग्रेजी को जितनी अच्छी तरह सीख सकें उतना ही अच्छा है, लेकिन मुझको इसकी ज़रूरत नहीं मालूम होती कि अंग्रेजी की बारीकियों को सीखने में हम लोग अपना दबत लगायें, जैसा कि आज कल हममें से बहुत-से करते हैं। कुछ व्यक्ति तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बहुसंख्यक लोगो के सामने इस बात को आदर्श रूप में रखना उनपर अनावश्यक बोझ डालना और दूसरी दिशाओं में प्रगति करने से रोकना होगा।

इधर कुछ दिनों से मूल अंग्रेजी (Basic English) ने मुझे अपनी ओर काफी आकर्षित किया है और ऐसा मालूम होता है कि ज्यादा-से-ज्यादा सरल बनाई हुई इस अंग्रेजी का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। स्टैंडर्ड अंग्रेजी तो विशेषज्ञों तथा कुछ और विद्याधियों के लिए छोड़ देनी चाहिए और हिन्दुस्तान की सर्वसाधारण जनता में इस मूल अंग्रेजी का ही व्यापक प्रचार करना चाहिए।

मेरे खुद इस बात को पसन्द करूँगा कि हिन्दुस्तानी अंग्रेजी व दूसरी विदेशी भाषाओं से बहुत-से शब्द अपने में लेले। इस बात की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जो नई चीजें निकली हैं हमारी भाषा में उनके अर्थ-प्रदर्शक शब्द नहीं, इसलिए यही बेहतर है कि संस्कृत फ़ारसी या अरबी से नये और मुश्किल शब्द गढ़ने के बजाय हम उन्हीं मुप्रचलित शब्दों को काम में लायें। भाषा की पवित्रता के हामी विदेशी शब्दों के इस्तेमाल का विरोध करते हैं, लेकिन मेरा खयाल है कि वे गलती करते हैं। वास्तव में किसी भाषा को समृद्ध बनाने का तरीका यही है कि वह इतनी लचीली रक्खी जाय, कि दूसरी भाषाओं के भाव और शब्द उसमें शामिल होकर उसीके हो जायें।

अपनी बहन की शादी के बाद ही मुझे अपने पुराने दोस्त और साथी श्री शिवप्रसाद गुप्त से मिलने के लिए बनारस जाने का इत्तिफाक हुआ। गुप्तजी एक बरस से भी ज्यादा अर्से से बीमार थे। जब वह लखनऊ-जेल में थे, अचानक उनपर लकवे का वार हुआ और अब वह धीरे-धीरे अच्छे हो रहे हैं। बनारस की इस यात्रा के मोके पर मुझे हिन्दी-साहित्य की एक छोटी-सी सस्था की ओर से मानपत्र दिया गया और वहाँ उसके सदस्यो से दिलचस्प बातचीत करने का मुझे मौका मिला। मैंने उनसे कहा कि जिस विषय का मेरा ज्ञान बहुत अधूरा है, उसपर बोलते हुए मुझे हिचक होती है; लेकिन फिर भी मैंने उन्हें थोड़ी-सी सूचनायें दी। आजकल हिन्दी में जो कठिन और आलंकारिक भाषा इस्तेमाल की जाती है उसकी मैंने कड़ी आलोचना की। उसमें कठिन, बनावटी और पुरानी शैली के संस्कृत शब्दों की भरमार रहती है। मैंने यह कहने का भी साहस किया कि यह थोड़े-से लोगों के काम में आने-वाली दरबारी शैली अब छोड़ देनी चाहिए और हिन्दी लेखकों को अब यह कोशिश

करनी चाहिए कि वे हिन्दुस्तान की आम जनता के लिए लिखें और ऐसी भाषा में लिखें जिसे लोग समझ सकें। आम जनता के संसर्ग से भाषा में नया जीवन और असली ओजस्विता आ जायगी। इससे उनकी अनुभूति बढ़ जायगी और वे अधिक अच्छा लिख सकेंगे। साथ ही मैंने यह भी कहा कि हिन्दी लेखक पश्चिमी विचारों व साहित्य का अध्ययन करें तो उससे उन्हें बड़ा लाभ होगा। यह और भी अच्छा होगा कि योरप की भाषाओं के पुराने अमर साहित्य और नवीन विचारों के ग्रंथों का हिन्दी में अनुवाद कर डाला जाय। मैंने यह भी कहा कि सम्भव है कि आज का गुजराती, बंगला और मराठी साहित्य इन बातों में आजकल के हिन्दी-साहित्य से अधिक उन्नत हो, और यह तो मानी हुई बात है कि पिछले वर्षों में हिन्दी की अपेक्षा बंगला में कहीं अधिक उत्पादक साहित्य लिखा गया है।

इन विषयों पर हम लोग मित्रतापूर्ण बातचीत करते रहे और उसके बाद में चला गया। मुझे इस बात का जरा भी खयाल न था कि मैंने जो कुछ कहा वह अखबारों में दे दिया जायगा, लेकिन वहाँ उपस्थित लोगों में किमीने हमारी उस बातचीत को हिन्दी अखबारों में प्रकाशित करवा दिया।

फिर क्या था, हिन्दी अखबारों में मेरे ओर हिन्दी-सम्बन्धी मेरी आलोचना के न्विलाफ़ बड़ा भारी बावैला मच गया। लोगों को मेरी यह धृष्टता खास तौर पर अखरी कि मैंने हिन्दी को वर्तमान बंगला, गुजराती और मराठी से हीन क्यों कहा। मुझे अनजान—इस विषय में मैं सचमुच था भी अनजान—कहा गया। मुझे कुचलने व दबाने के लिए बहुत-से कठोर शब्द काम में लाये गये। मुझे इस वाद-विवाद में पड़ने की फुरसत ही न थी, लेकिन मुझे बताया गया है कि यह झगड़ा कई महीनों चलता रहा—तबतक, जबतक कि मैं फिर जेल में नहीं चला गया।

यह घटना मेरे लिए आँखें खोलनेवाली थी। उसने बतलाया कि हिन्दी के साहित्यिक और सम्पादक कितने ज्यादा तुनकमिजाज हैं। मुझे पता लगा कि वे अपने शुभचिन्तक मित्र की सद्भावनापूर्ण आलोचना भी सुनने को तैयार नहीं थे। साफ़ ही यह मालूम होता था कि इस सबकी तह में अपनेको छोटा समझने की भावना ही काम कर रही थी। आत्म-आलोचना की हिन्दी में पूरी कमी है और आलोचना का स्टैण्डर्ड बहुत ही नीचा है। लेखक और उसके टीकाकारों के लिए एक-दूसरे के व्यक्तित्व पर गाली-गलौज शुरू कर देना हिन्दी में कोई असाधारण बात नहीं है। यहाँ का सारा दृष्टिकोण बहुत संकुचित और दरबारी-सा है और ऐसा मालूम होता है, मानों हिन्दी का लेखक और पत्रकार एक-दूसरे के लिए और एक बहुत ही छोटे-से दायरे के लिए लिखते हों। उन्हें आम जनता और उसके हितों से मानों कोई सरोकार

ही नहीं है। हिन्दी का क्षेत्र इतना विशाल और आकर्षक है कि उसमें इन त्रुटियों का होना मुझे अत्यन्त खेदजनक और हिन्दी लेखकों का प्रयत्न शक्ति का अपव्यय-सा जान पड़ा।

हिन्दी-साहित्य का भूतकाल बड़ा उज्ज्वल रहा, लेकिन वह सदा के लिए उसी-के बल पर तो जिन्दा नहीं रह सकता। मुझे पूरा यकीन है कि उसका भविष्य भी काफी उज्ज्वल है, और मैं यह भी जानता हूँ कि किसी दिन देश में हिन्दी के अखबार एक ज़बरदस्त ताकत बन जायेंगे, लेकिन जबतक हिन्दी के लेखक और पत्रकार पुरानी रूढ़ियों व बन्धनों से अपने-आपको बाहर नहीं निकालेंगे और आम जनता को साहस के साथ सम्बोधित करना न सीखेंगे तबतक उनकी अधिक उन्नति न हो सकेगी।

साम्प्रदायिकता और प्रतिक्रिया

मेरी बहन की शादी के करीब, योरप से श्रीयुत् विट्टलभाई पटेल के इन्तकाल की खबर आई। वह बहुत दिनों से बीमार थे और सेहत खराब होने की वजह से ही वह हिन्दुस्तान में जेल से छोड़े गये थे। उनकी मृत्यु एक दुःखद घटना थी। हमारे बुजुर्ग नेताओं का इस तरह हमारे बीच से, लड़ाई के बीच में ही, एक के बाद एक का उठकर चले जाना हमारे लिए असाधारण निराशाजनक बात थी। विट्टलभाई को बहुत-सी श्रद्धाञ्जलियाँ अर्पण की गईं जिनमें से अधिकतर में उनके कुशल पार्लेमेण्टे-रियन होने और उस सफलता पर, जो अमेम्बली के प्रेसीडेंट की हैसियत से उन्होंने हासिल की थी, जोर दिया गया था। यह बात थी तो बिन्कुल उचित, मगर इस बात के बार-बार दोहराये जाने से मुझे कुछ चिढ़-सी मालूम होने लगी। क्या हिन्दुस्तान में कुशल पार्लेमेण्टेरियन लोगों की कमी थी, या ऐसे लोगों की कमी थी जो स्पीकर (अमेम्बली के अध्यक्ष) का आसन योग्यता के साथ निबाह सकें? केवल यही तो एक काम है जिसके लायक वकालत की शिक्षा ने हमें बनाया है। लेकिन इसके अलावा विट्टलभाई में और भी कहीं अधिक गुण थे। वह हिन्दु-मान की आज्ञादी के लिए एक जबरदस्त और निडर योद्धा थे।

जब नवम्बर में मैं बनारस गया तो उस मौके पर मुझे हिन्दू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के सामने व्याख्यान देने के लिए निमन्त्रित किया गया। मैंने बड़ी खुशी से इस निमन्त्रण को मंजूर कर लिया और एक बड़े मजमे में मैंने भाषण दिया, जिसके सभापति यूनिवर्सिटी के वाइस-चान्मलर पण्डित मदनमोहन मालवीय थे। अपने व्याख्यान में मैंने साम्प्रदायिकता के बारे में बहुत कुछ कहा और जोरदार शब्दों में उसकी मलामत की, खासकर हिन्दू-महामभा के काम की तो मैंने कड़ी निंदा की। ऐसा हमला करने का मेरा पहले ही से इरादा रहा हो सो बात नहीं; बल्कि सच बात तो यह थी कि सभी फिरकों के सम्प्रदायवादी लोगों की बढ़ती हुई सुधार-विरोधी हरकतों के लिए मुद्दत से मेरे दिमाग में गुस्सा भरा हुआ था और जब मैं अपने विषय पर जरा जोश से बोलने लगा तो इस गुस्से का कुछ भाग उफनकर बाहर निकल पड़ा। मैंने जानबूझकर सम्प्रदायवादी हिन्दुओं के दकियानूसीपने पर जोर दिया, क्योंकि हिन्दुओं की जमात के सामने मुसलमानों पर टीका-टिप्पणी करने का कोई मतलब न था। उस वक़्त यह बात तो मेरे ध्यान ही में नहीं आई कि जिस

सभा के सभापति हिन्दू-महासभा के स्तम्भ मालवीयजी हो उसमें हिन्दू-महासभा पर टीका-टिप्पणी करना बहुत मौजू न था। मैंने इस बात का विचार ही नहीं किया, क्योंकि मालवीयजी का कुछ दिनों से हिन्दू-महासभा से बहुत सम्बन्ध नहीं था और करीब-करीब ऐसा मालूम होता था कि महासभा के नये कट्टर नेताओं ने मालवीयजी जैसे व्यक्ति के लिए उसमें कोई स्थान ही नहीं रहने दिया था। जबतक महासभा की बागडोर उनके हाथ में रही तबतक साम्प्रदायिकता के रहते हुए भी वह राजनैतिक दृष्टि से उन्नति के मार्ग में रोड़ा अटकानेवाली नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों से यह नई प्रवृत्ति बहुत उग्र हो गई थी और मुझे यकीन था कि मालवीयजी का उससे कोई सम्बन्ध नहीं होगा, बल्कि उन्होंने उसको नापसंद भी किया होगा। फिर भी मेरे लिए यह बात जरा अनुचित तो थी कि मैंने ऐसे विचार प्रकट करके, जिससे उनकी स्थिति खराब हो, उनके निमंत्रण का अनुचित लाभ उठाया। इस बात का मुझे पीछे जाकर अनुभव हुआ और मुझे इसके लिए अफसोस भी हुआ।

उस मूर्खतापूर्ण भूल के लिए भी मुझे खेद है जिसमें कि मैं फँस गया था। किमीने हमको डाक से एक ऐसे प्रस्ताव की नकल भेजी जो अजमेर में हिन्दू युवकों की एक सभा में पास हुआ बनलाया गया था। वह प्रस्ताव बहुत आपत्तिजनक था, जिसका मैंने अपने बनारस के भाषण में जिक्र किया था। असल में ऐसा प्रस्ताव किमी संस्था द्वारा पास ही नहीं हुआ था और हम एक धोखे ही के शिकार हो गये थे।

मेरी बनारस का स्पीच की रिपोर्ट संक्षेप में प्रकाशित हुई। इसपर बड़ा होहल्ला मचा। हालांकि मैं ऐसी चिल्ला-पुकार सुनने का आदी था, लेकिन हिन्दू-महासभा के नेताओं के जबरदस्त हमलों से मैं सकते में आ गया। ये हमले ज्यादातर व्यक्तिगत थे और असली विषय से तो प्रायः सम्बन्ध ही नहीं रखते थे। वे हृद से बाहर चले गये और मुझे इस बात से खुशी हुई कि उनकी वजह से मुझे भी उस विषय पर अपनी बात कहने का मौका मिल गया। इस बात पर तो मैं कई महीनों में, यहाँतक कि जेल में भी, भरा हुआ बंठा था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता था कि उस विषय को किस तरह छोड़ूँ। वह एक बर्र का छत्ता था और हालांकि मुझे बर्र के छत्तों में हाथ डालने की आदत है लेकिन मुझे ऐसे विवादों में पड़ना पसंद नहीं था जो बाद में तू-तू में-में पर आ जावे। लेकिन अब मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता ही न रह गया और फिर मैंने हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिकता पर एक विचारपूर्ण लेख लिखा, जिसमें मैंने यह बताया कि दोनों ओर की साम्प्रदायिकता सच्ची साम्प्रदायिकता नहीं थी, बल्कि साम्प्रदायिक आवरण में ढकी हुई ट्रेड मामाजिक और राजनै-

तिक संकीर्णता थी। इतिफाक्त से मेरे पास कई अखबारों के कटिंग थे, जो मैंने जेल में इकट्ठे किये थे। इनमें साम्प्रदायिक नेताओं के हर तरह के भाषण और वक्तव्य थे। सचमुच मेरे पास इतना मसाला इकट्ठा हो गया था कि मेरे लिए यह मुश्किल हो गया कि मैं किस तरह एकसाथ उसे एक लेख में घुसेड़ दूँ।

मेरे इस लेख को हिन्दुस्तान के अखबारों में खूब प्रकाशन मिला। यद्यपि उसमें हिन्दू और मुसलमान सम्प्रदायवादियों के सम्बन्ध में बहुत-कुछ बातें थीं, फिर भी आश्चर्य है कि उसका हिन्दू-मुसलमान दोनों की ओर से कोई उत्तर न मिला। हिन्दू-महासभा के जितने नेताओं ने मुझे बड़ी जोरदार और तरह-तरह की भाषा में आड़े हाथों लिया था, वे भी चुप्पी साधे रहे। मुसलमानों की तरफ से सर मुहम्मद इक़बाल ने गोलमेज़-परिषद् सम्बन्धी मेरी कुछ बातों में सुधार करने की कोशिश की, लेकिन मेरी दलीलों के सम्बन्ध में तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उनके जवाब ही में मैंने यह मत प्रकट किया था कि विधान-विधायक सभा (कन्स्टीट्यूएण्ट असेम्बली) द्वारा ही राजनैतिक और साम्प्रदायिक दोनों विषयों का निर्णय होना चाहिए। इसके बाद मैंने सम्प्रदायवाद पर एक या दो लेख और भी लिखे।

इन लेखों का जैसा स्वागत हुआ और समझदार व्यक्तियों पर प्रकट रूप से जो-कुछ उनका प्रभाव पड़ा उसमें मेरा उत्साह बहुत-कुछ बढ़ गया।

अमल में मैंने इस बात का तो अनुमान ही नहीं किया था कि साम्प्रदायिक भावना की तह में जो जोश छिपा रहता है मैं उसे हटा सकूँगा। मेरा उद्देश तो यह बताना था कि किस तरह साम्प्रदायिक नेता हिन्दुस्तान और इंग्लैण्ड के घोर प्रति-क्रियावादी फिरको से मिले रहते हैं और वे अमल में राजनैतिक और उससे भी अधिक सामाजिक प्रगति के विरोधी हैं। उनकी सभी माँगों का जन-साधारण से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। उनका उद्देश यही रहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में आगे आये हुए कुछ छोटे-छोटे दलों का भला हो जाय।

मेरा इरादा था कि इस पुर-दलील हमले को जारी रखूँ, लेकिन जेल ने फिर मुझे खींच लिया। हिन्दू-मुस्लिम-एकता के लिए आयेदिन जो अपील होती रहती है, उसके निस्सन्देह फायदेमन्द होते हुए भी वह मुझे तबतक बिलकुल फ़ज़ूल मालूम होती है, जबतक कि मतभेद के कारणों को समझने के लिए कुछ कोशिश न की जाय। मगर कुछ लोगों का यह खयाल मालूम होता है कि इस मन्त्र को बारबार रटने से अन्त में एकता जादू की तरह आ टपकेगी।

सन् १८५७ के शहर से अबतक साम्प्रदायिक प्रश्न पर अंग्रेज़ों की जो नीति रही है उसपर सिलसिलेवार नज़र डालना दिलचस्प बात होगी। दरअसल और

जबूरी तौर पर ब्रिटिश नीति यही रही है कि हिन्दू-मुसलमान मिलकर न चले, और आपस में एक-दूसरे से लड़ते रहे। सन् १८५७ के बाद अंग्रेजों का वार हिन्दुओं की बनिस्वत मुसलमानों पर गहरा रहा। मुसलमानों का कुछ ही समय पहले हिन्दुस्तान पर राज्य था। इस बात की याददास्त उनमें ताज़ी थी। इस वजह से अंग्रेज उनको ज्यादा उग्र, लड़कू और खतरनाक समझते थे। फिर मुसलमान नई तालीम से भी दूर-दूर रहे और सरकारी नौकरियों में भी उनकी तादाद कम थी। इन सब कारणों से अंग्रेज लोग उन्हें सन्देह की दृष्टि से देखते थे। हिन्दुओं ने अंग्रेजी भाषा और सरकारी नौकरियों को बहुत अधिक तत्परता से अपना लिया और अंग्रेजों को ये ज्यादा सुमाध्य मालूम हुए।

इसके बाद नई राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई। इसका उदय उच्चवर्ग के अंग्रेजी-दा शिक्षितों में हुआ। इस भावना का हिन्दुओं तक महदूद रहना स्वाभाविक ही था, क्योंकि मुसलमान लोग शिक्षा के लिहाज़ से बहुत पिछड़े हुए थे।

इस राष्ट्रीयता का रूप बड़ा विनम्र और दबबू था, पर फिर भी सरकार इसको न देख सकी और उमने यह निश्चय किया कि मुसलमानों की पीठ ठोंकी जाय और उनको इस नई राष्ट्रीयता की लहर में दूर रखा जाय। मुसलमानों के लिए तो अंग्रेजी शिक्षा का न होना ही एक काफी रुकावट थी। लेकिन इस रुकावट का धीरे-धीरे दूर होना लाज़िमी था। अंग्रेजों ने बड़ी दूरदर्शी में आगे के लिए इन्तज़ाम कर लिया और इस काम में उन्हें सर सैयदअहमदखा की जोरदार हस्ती से बहुत बड़ी मदद मिली।

सर सैयद इस बात से दुःखी थे कि उनकी जाति पिछड़ी हुई है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, और इस बात से उनके दिल में दर्द होता था कि उनकी जाति पर न तो अंग्रेजों की कृपा-दृष्टि थी और न उनकी नज़रों में मुसलमानों का कुछ प्रभाव ही था। उस ज़माने के बहुत-से दूसरे लोगों की तरह वह भी अंग्रेजों के बहुत बड़े प्रशंसक थे और मालूम होता है कि उनपर योरप-यात्रा का और भी ज़बरदस्त असर पड़ा था।

उन्नीसवीं सदी के आखिरी ज़माने में योरप, या यो कहो कि, पश्चिमी योरप की सभ्यता का सितारा बहुत बुलन्दी पर था। योरप उस समय मंसार का एकछत्र अधिपति था और उसमें वे सब गुण भलीभांति प्रकट हो रहे थे जिनके कारण उसे महत्ता प्राप्त हुई थी। उच्चवर्ग के लोग अपनी पैतृक सम्पत्ति को सुरक्षित समझते थे और उसे बढ़ा रहे थे, क्योंकि उनको यह डर नहीं था कि कोई उनसे मुकाबिला करके कामयाब हो सकेगा। वह ज़माना प्रगतिशील प्रजातन्त्रीय सुधारवादियों का था, जिनका अपने उज्ज्वल भविष्य में दृढ़ विश्वास था। इसलिए कोई ताज़्जुब नहीं कि जो

हिन्दुस्तानी उधर गये वे वहाँ का शानदार नजारा देखकर मोहित हो गये। शुरू-शुरू में हिन्दू लोग ही ज्यादा गये और वे योरप और इंग्लैण्ड के प्रशंसक बनकर वापस लौटे। धीरे-धीरे वे इस तड़क-भड़क और चमक-दमक के आदी हो गये और जो ताज्जुब पहले-पहल उनको होता था वह दिल से निकल गया। लेकिन सर सैयदअहमद को पहली ही बार वहाँ की तड़क-भड़क से जो विस्मय और आकर्षण हुआ, वह साफ़ जाहिर है। वह सन् १८६९ में इंग्लैण्ड गये थे। उस समय उन्होंने घर को जो पत्र लिखे उनमें उन्होंने वहाँके सम्बन्ध में अपने खयालात जाहिर किये थे। इनमें से एक पत्र में उन्होंने लिखा था—“इस सबका नतीजा यह निकलता है कि हालांकि अंग्रेज़ लोग जिस तरह हिन्दुस्तान में शिष्टता का व्यवहार नहीं करते और हिन्दुस्तानियों को जानवरों के समान हेच, नीच और घृणित समझते हैं इसके लिए उनको बरूशा नहीं जा सकता; फिर भी मेरा खयाल है कि वे इस तरह का बरताव इसीलिए करते हैं कि वे हम लोगों को समझ नहीं पाते हैं। और मुझे डरते-डरते यह बात माननी पडती है कि उन्होंने जो राय हमारे बारे में कायम की है वह ज्यादा गलत नहीं है। मैं अंग्रेज़ों की झूठी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, यदि मैं सचमुच यह कहूँ कि हिन्दुस्तान के लोग चाहे वे ऊँच हों या नीच, बड़े व्यापारी हों या छोटे दूकानदार, पढ़े-लिखे हों या अपढ़, अंग्रेज़ों की तालीम, तमीज़ और ईमानदारी के मुकाबिले में ऐसे हैं जैसे किमी काबिल और खूबसूरत आदमी के मुकाबिले में एक गन्दा जानवर। अंग्रेज़ लोग अगर हम हिन्दुस्तानियों को निरा जंगली समझें तो उनके पाम इसकी वजह है।.....” “मैं रोज़मर्रा जो-कुछ देख रहा हूँ वह एक हिन्दुस्तानी के कयास के बिलकुल बाहर की बात है... परलोक और इस लोक दोनों लोकों की सारी सुन्दर वस्तुयें, जो इन्सान में होनी चाहिएँ, खुदा ने योरप को; खासकर इंग्लैण्ड को, बरूश दी है।”

कोई भी आदमी अंग्रेज़ों की ओर योरप की इससे ज्यादा तारीफ़ नहीं कर सकता। और यह स्पष्ट है कि सर सैयद बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। यह भी मुमकिन है कि उन्होंने ऐसी जोरदार भाषा और अतिशयोक्तिपूर्ण तुलना का प्रयोग अपने देशवासियों को गाढ़ी नींद में जगाने और उनको आगे कदम बढ़ाने के लिए उकसाने की नीयत से किया हो। उनका यह विश्वास था कि यह कदम पश्चिमी शिक्षा की तरफ़ बढ़ना चाहिए। बिना उस तालीम के उनकी जाति ज्यादा पिछड़ती और कमज़ोर होती जायगी। अंग्रेज़ी तालीम का मतलब था सरकारी नौकरियाँ, हिकाज़त, दबदबा और इज्ज़त। इसलिए उन्होंने अपनी सारी ताकत इस तालीम के लिए लगादी

१. यह उद्धरण हेन्स कोइन की “हिस्ट्री आफ़ नेशनलिज़म इन दि ईस्ट” से लिया गया है।

और सदा यही कोशिश करते रहे कि उनकी जाति के लोग भी उनके हम-खयाल हो जावें। मुसलमानों की सुस्ती और शिक्षक का दूर करना बड़ा मुश्किल काम था, इसलिए वह यह नहीं चाहते थे कि उनके रास्ते में कहीं बाहर से कोई बाधा या रुकावट आवें। मध्यम-वर्ग के हिन्दुओं-द्वारा चलाई हुई राष्ट्रीयता को उन्होंने इस प्रकार की रुकावट समझा और इसीलिए उन्होंने इसका विरोध किया। शिक्षा में ५० वर्ष आगे बढ़े हुए होने के कारण हिन्दू लोग सरकार की आलोचना खुशी से कर सकते थे, लेकिन सर सैयद ने तो अपने शिक्षा-सम्बन्धी प्रयत्नों में सरकार की पूरी महायत्ना पर आँखें गड़ा रखी थी और वे कोई ऐसा जल्दबाजी का काम नहीं करना चाहते थे जिससे उन्हें इस मार्ग में जोखिम उठाना पड़े। इसलिए उन्होंने नवजात राष्ट्रीय महासभा को धत्ता बताई। ब्रिटिश सरकार तो उनके इस रवय्ये पर उनकी पीठ टोकने के लिए तैयार बैठी ही थी।

मुसलमानों को पश्चिमी शिक्षा दिये जाने पर विशेष जोर देने का सर सैयद का निर्णय दरअसल बहुत ठीक था। उसके बिना मुसलमान लोगों के लिए नये प्रकार की राष्ट्रीयता के निर्माण में कारगर हिस्सा ले सकना असम्भव था और उनको लाजिमी तौर पर हिन्दुओं के स्वर-में-स्वर मिलाकर ही रहना पड़ता, क्योंकि हिन्दुओं में शिक्षा भी ज्यादा थी और उनकी माली हालत भी ज्यादा अच्छी थी। ऐतिहासिक घटना-चक्र और विचार-आदर्श की दृष्टि से मुसलमान मध्यमवर्गीय राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनमें हिन्दुओं की तरह कोई मध्यम-वर्ग नहीं बन सका था। इसलिए सर सैयद की कार्रवाइयाँ ऊपर से भले ही नरम दीखती हो, लेकिन वे दरअसल मीठी क्रांति की ओर ले जानेवाली थी। मुसलमान अभी तक प्रजातन्त्रविरोधी जागीरदाराना विचारादर्श से जकड़े हुए थे, जब कि प्रगतिशील मध्यमश्रेणी के हिन्दू अंग्रेज प्रजातन्त्रीय सुधार-वादियों के-से विचार रखने लग गये थे। दोनों ठेठ नरम नीति को पालनेवाले और ब्रिटिश राज्य पर भरोसा रखनेवाले थे। सर सैयद की नरम नीति उस जागीरदार-वर्ग की नरम नीति थी, जिसमें मुट्ठी-भर धनवान मुसलमान शामिल थे। उधर हिन्दुओं की नरम नीति थी उस हौशियार पेशेवर या व्यापारी की नरम नीति, जो उद्योग-धंधों और व्यापार में धन लगाने का साधन ढूँढता हो। इन हिन्दू राजनीतिज्ञों की नज़र हमेशा इंग्लैंड के उदार दल के सुविख्यात रत्न ग्लेडस्टन, ब्राइट इत्यादि पर रहती थी। मुझे शक है कि मुसलमानों ने कभी ऐसा किया हो। शायद वे लोग अनुदार दल और इंग्लैंड के जागीरदार-वर्ग के प्रशंसक थे। टर्की और आरमीनियानों के कत्ल की बार-बार खूब निन्दा करने के कारण ग्लेडस्टन तो उनके लिए सचमुच घृणा का पात्र बन गया था। लेकिन चूकि इस-

रंली का टर्की की तरफ कुछ ज्यादा झुकाव था, इसलिए वे लोग—अर्थात्, बास्तब में वे मूढ़ीभर लोग जो ऐसे मामलों में दिलचस्पी रखते थे—कुछ हद तक उसे चाहते थे।

सर सैयदअहमद के कुछ व्याख्यानो को अगर आज पढ़ा जाय तो बड़े अजीब-से मालूम होंगे। सन् १८८७ के दिसम्बर में उन्होंने लखनऊ में उस अवसर पर एक भाषण दिया था जब काँग्रेस का सालाना जलसा वहाँ हो रहा था। उसमें उन्होंने काँग्रेस की बहुत नरम माँगों की भी निन्दा और आलोचना की थी। उन्होंने कहा था—“अगर सरकार अफगानिस्तान से लड़े या बर्मा को जीते तो उसकी नीति की आलोचना करना हमारा काम नहीं है। सरकार ने कानून बनाने के लिए कौंसिल बना रखी है। उस कौंसिल के लिए वह सभी प्रान्तों से उन अधिकारियों को चुनती है जो राज-काज और जनता की हालत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, और कुछ रईसों को भी चुनती है जो समाज में अपने ऊँचे स्तर की वजह से असेम्बली में बैठने के काबिल है। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि उनका चुनाव इसलिए क्यों किया जाय कि वे स्तबेवाले हैं? काबलियत का खयाल क्यों न रक्खा जाय? ...में आपसे पूछता हूँ, क्या आपके मालदार घराने के लोग यह पमन्द करेगे कि छोटी जाति और ओछे खानदान के लोग, चाहे वे बी० ए० या एम० ए० ही क्यों न हों और जरूरी योग्यता रखते हों, उनपर हकूमत करे और उनकी जानोमाल के मुतल्लिक कानून का भेद बनाने की ताकत रखें?”

“वाइसराय ऐसा कभी नहीं कर सकता कि सिवाय ऊँचे खानदान के आदमी के किसी और को अपना साथी कबूल करे, या उसके साथ भाईचारे का बर्ताव रखे या उसे ऐसी दावतो में निमन्त्रण दे जिनमें उसे इंग्लैण्ड के अमीर-उमरा के साथ दस्तर-खान पर बैठना पड़ता हो। ...क्या हम कह सकते हैं कि कानून बनाने के लिए जो तरीके सरकार ने अख्यार किये हैं, वे लोगो की मर्जी का खयाल रखे बिना ही किये गये हैं? क्या हम कह सकते हैं कि कानून बनाने में हमारा कुछ भी हाथ नहीं है? बेशक हम ऐसा नहीं कह सकते।”

ये थे भाव उस व्यक्ति के जो भारत में ‘लोकसत्तात्मक इस्लाम’ का नेता और प्रतिनिधि था। हममें शक है कि अवध के ताल्लुकदार या आगरा, बिहार या बंगाल प्रान्त के बड़े-बड़े जमींदार भी आज इस तरह बोलने का साहस कर सकेंगे। लेकिन सर सैयद में ही यह निरालापन हो सो बात नहीं है। काँग्रेस के भी बहुत-से व्याख्यान अगर आज पढ़े जायें तो ऐसे ही अजीब मालूम होंगे। लेकिन

१. हेन्स कोहन को ‘हिस्ट्री इन दी ईस्ट’ से उद्धृत।

यह तो साफ़ मालूम होता है कि हिन्दू-मुस्लिम सवाल का राजनीतिक व आर्थिक रूप उस वक़्त यह था कि प्रगतिशील और आर्थिक दृष्टि से आसूदा मध्यम श्रेणी के (हिन्दू) लोगों का पुराने ढंग का कुछ जागीरदार वर्ग (मुसलमान) विरोध करता था और उसकी प्रगति को रोकता था ।

हिन्दू ज़मींदारों का सम्बन्ध अक्सर मध्यमवर्ग के साथ था । इसलिए वे मध्यमवर्ग की माँगों के विषय में या तो तटस्थ रहते थे या उनसे सहानुभूति रखते थे और इन माँगों के बनाने में भी अक्सर उनका हाथ रहता था । अंग्रेज़ लोग हमेशा की तरह ज़मींदारों का साथ देते थे । दोनों ओर की साधारण जनता और दोनों निम्नश्रेणी के मध्यमवर्ग की ओर तो किसीका कुछ ध्यान ही न था ।

सर सैयद की प्रभावशाली और जोरदार हस्ती का मुसलमानों पर बहुत असर पड़ा और अलीगढ़-कॉलेज उनकी उम्मीदों और ह्वाहिशों का एक प्रत्यक्ष नमूना मानित हुआ । संक्रमणकाल में अक्सर ऐसा होता है कि तरक्की की तरफ़ ले जानेवाला जोश बहुत जल्द अपना मकसद पूरा कर लेने के बाद एक रुकावट बन जाता है । हिन्दुस्तान का नरम दल इसकी एक जाहिरा मिसाल है । ये लोग अक्सर हमको इस बात की याद दिलाते रहते हैं कि कांग्रेस की पुरानी परम्परा के असली वारिस ये ही हैं और हम लोग, जो बाद में उनमें शामिल हुए हैं, सिर्फ़ दाल-भात में मूसलचन्द हैं । ठीक है । लेकिन वे लोग इस बात को तो भूल ही जाते हैं कि दुनिया बदलती रहती है और कांग्रेस की वह पुरानी परम्परा समय के गर्भ में विलीन होकर अब सिर्फ़ एक यादगार भर रह गई है । इसी तरह सर सैयद की आवाज़ भी उस ज़माने के लिए मौजूद और ज़रूरी थी, लेकिन वह एक उन्नतिशील जाति का अन्तिम आदर्श नहीं हो सकती थी । यह सम्भव है कि अगर वह एक पीढ़ी और रहे होते तो उन्होंने खुद ही अपने संदेश को एक दूसरी ही सूरत दे दी होती । या दूसरे नेना उनके पुराने संदेश को नई तरह से जनता को समझाते और उसे बदली हुई हालत के माफ़िक बना देते । लेकिन सर सैयद को जो सफलता मिली और उनके नाम के साथ जो श्रद्धा जुड़ी रह गई उसने दूसरों के लिए पुरानी लकीर को छोड़ देना मुश्किल कर दिया । दुर्भाग्य से हिन्दुस्तान के मुसलमानों में ऐसी ऊँची क्राबलियत के लोगों का बहुत बुरी तरह से अभाव था जो कोई नया रास्ता दिखला सकते । अलीगढ़-कॉलेज ने बड़ा अच्छा काम किया और उसने एक बड़ी तादाद में अच्छे क्राबिल आदमी तैयार करके समझदार मुसलमानों का सारा रुख ही बदल दिया । लेकिन जिस सँघे में वह ढाला गया था उससे वह न निकल सका—उसके ऊपर ज़मींदाराना खयालात का असर बना ही रहा और साधारण विद्यार्थी का उद्देश सिर्फ़ सरकारी नौकरी ही रहा । हिम्मत

के साथ जीवन-संग्राम में उतरने या किसी ऊँचे लक्ष्य को पाने का प्रयत्न करने की इच्छा उसमें नहीं थी। वह तो अगर उसे कहीं डिप्टी कलक्टरी मिल गई, तो इसीमें अपनेको धन्य समझता था। उसका गर्व सिर्फ इस बात की याद दिलाने से ठंडा हो जाता था कि वह इस्लाम की महान् लोकसत्ता का एक अंग है। इस भाईचारे के प्रमाण-स्वरूप वह अपने सिर पर बड़ी शान के साथ एक लाल टोपी पहनता था, जिसे टर्किश फंज कहते हैं और जिसको खुद तुर्कों ने ही बाद में बिल्कुल उतार फेंका। जहाँ उसे अपने अमिट लोकसत्तात्मक अधिकार का विश्वास हुआ—जिसके कारण वह अपने मुसलमान भाइयों के साथ भोजन और प्रार्थना कर सकता था—कि फिर वह इस बात के सोचने की झंझट में नहीं पड़ता था कि हिन्दुस्तान में राजनैतिक लोकसत्ता की कोई हस्ती है या नहीं।

यह तग दृष्टि और सरकारी नौकरियों के पीछे दौड़ना सिर्फ अलीगढ़ या दूसरी जगह के मुसलमान विद्यार्थियों तक ही महदूद न था। हिन्दू विद्यार्थियों में भी—जो स्वभाव से ही खतरों से घबराते थे—यह उसी परिमाण में पाया जाता था। लेकिन परिस्थिति ने इनमें से बहुतों को इस गड़बड़े से निकाल दिया। उनकी संख्या तो थी बहुत ज्यादा और मिलनेवाली नौकरियाँ थी बहुत कम। नतीजा यह हुआ कि इन वर्गहीन विचारक लोगों की एक ऐसी जमान बन गई, जो राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलनों की जान हुआ करती है।

सर सैयदअहमदखा के राजनैतिक सदेश के गलाघांटू असर से हिन्दुस्तान के मुसलमान अच्छी तरह निकलने भी न पागे थे कि बीसवीं सदी की आरम्भिक घटनाओं ने ऐसे साधन उपस्थित कर दिये जो ब्रिटिश सरकार को मुसलमानों और राष्ट्रीय आन्दोलन के (जो उस समय तक काफी जोर पकड़ चुका था) बीच खाई चौड़ी करने में सहायक हो गये। सर वेलेन्टाइन शिरोल ने १९१० में 'इंडियन अनरेस्ट' नामक पुस्तक में लिखा था—“यह बड़े विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि आज से पहले भारत के मुसलमानों ने सामूहिक रूप से कभी अपने हितों और आकाशाओं को ब्रिटिश राज के मगठन और स्थायित्व के साथ इतनी घनिष्ठता से नहीं मिलाया। राजनीति की दुनिया में भविष्यवाणियाँ करना खतरनाक होता है। सर वेलेन्टाइन की पुस्तक प्रकाशित होने के बाद, पाँच वर्ष के भीतर ही, समझदार मुसलमान उन बेड़ियों को, जो उनको आगे बढ़ने से रोक रही थी, तोड़ने और काँग्रेस का साथ देने की जी-जान से कोशिश करने लगे। दस साल के अन्दर ही ऐसा मालूम होने लगा कि मुसलमान तो काँग्रेस से भी आगे बढ़ गये और सचमुच उसका नेतृत्व भी करने लगे। पर ये दस बरस बड़े महत्वपूर्ण थे। इन्हीं दस बरसों में यूरोपीय महायुद्ध शुरू भी हुआ

और खतम भी हो गया और अपनी विरासत में एक नष्ट-भ्रष्ट ससार छोड़ गया ।

लेकिन फिर भी सर बेलेन्टाइन शिरोल जिन नतीजों पर पहुँचे जाहिरा तौर पर तो उनके कारण साधारणतया ठीक ही थे । आगाखाँ मुसलमानों के नेता के रूप में प्रकट हुए और यह घटना ही इस बात का काफी सबूत था कि मुसलमान लोग अभी-तक अपनी जागीरदाराना परम्परा से चिपके हुए थे, क्योंकि आगाखाँ कोई मध्यम-वर्ग के नेता नहीं थे । वह एक अत्यन्त धनवान् राजा और एक फिरके के धार्मिक गुरु थे । ब्रिटिश राजसत्ता से घनिष्ठ सम्बन्ध रखने के कारण, अंग्रेजों के लिए वह अपने आदमी बन गये थे । बड़े शाइस्ता और एक धनी जागीरदार और खिलाड़ी की भाँति ज्यादातर योरप में ही पड़े रहनेवाले । इस कारण व्यक्तिगत रूप से वह मजहबी या फिरकेवाराना मामलों में संकीर्ण विचारों से बहुत दूर थे । उनका मुसलमानों का नेतृत्व करने का अर्थ यह था कि मुस्लिम जमींदार और बढ़ते हुए मध्यमवर्ग के लोग सरकार के हिमायती बन जायँ; साम्प्रदायिक समस्या तो एक गौण बात थी, और वह भी मुख्य उद्देश को सिद्ध करने के अभिप्राय से ही इतने जोरों के साथ जाहिरा की जाती थी । सर बेलेन्टाइन शिरोल ने लिखा है कि आगाखाँ ने उस वक्त के वाइसराय लार्ड मिन्टों को यह मुझाया था कि “वंग भग से पैदा होनेवाली राजनैतिक स्थिति के बारे में मुसलमानों की क्या राय है ताकि जन्दबाज़ी में हिन्दुओं को कहीं ऐसी राजनैतिक मुविधाये न दे दी जायँ जो हिन्दू बहुमत को प्रोत्साहन दे—जो बहुमत ब्रिटिश राज की दृढ़ता और मुस्लिम अल्पमत के हितों के लिए, जिसकी राजभक्ति में किसीको मदेह नहीं हो सकता था, समान रूप से खतरनाक था ।”

लेकिन ब्रिटिश सरकार की इन जाहिरा हिमायती ताकतों के सिवा और दूसरी तरह की शक्तियाँ भी काम कर रही थी । नया मुस्लिम मध्यमवर्ग मौजूदा परिस्थिति से दिन-दिन लाज़िमी तौर पर असंतुष्ट होता जाता था और राष्ट्रीय आन्दोलन की तरफ खिंचता जा रहा था । आगाखाँ को भी खुद ही इस ओर ध्यान देना पड़ा और उन्हें अंग्रेजों को एक खास ढंग की चेतावनी भी देनी पड़ी । जनवरी १९१४ (यूरोपीय महायुद्ध से बहुत पहले) के ‘एडिनबरा रिव्यू’ के अंक में उन्होंने एक लेख लिखा, जिसमें सरकार को यह सलाह दी कि हिन्दू-मुसलमानों को लड़ाने की नीति का परित्याग कर दिया जाय और दोनों सम्प्रदायों के नरम खयाल के लोगों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा किया जाय, जिससे कि तरुण भारत की हिन्दू और मुसलमान दोनों जातियों की शुद्ध राष्ट्रीय प्रवृत्तियों से टक्कर लेनेवाली एक शक्ति पैदा हो जाय । इसलिए यह साफ है कि आगाखाँ हिन्दुस्तान की राजनैतिक तबदीली को रोकने में जितनी ज्यादा दिलचस्पी रखते थे, मुसलमानों के साम्प्रदायिक हितों में उतनी नहीं ।

लेकिन राष्ट्रीयता की ओर मध्यमवर्ग के मुसलमानों की अनिवार्य प्रगति को न तो आगाख़ाँ और न ब्रिटिश सरकार ही रोक सकते थे। संसारव्यापी महायुद्ध ने इस क्रिया को और भी तेज़ कर दिया और जैसे-जैसे नये-नये नेता पैदा होने लगे वैसे-ही-वैसे आगाख़ाँ का प्रभाव भी कम होता हुआ मालूम होने लगा। यहाँतक कि अलीगढ़-कॉलेज का भी रुख बदल गया। नये नेताओं में सबसे अधिक ज़ोरदार अली-बन्धु निकले; ये दोनों ही उस कॉलेज से निकले हुए थे। डॉक्टर मुख्तारअहमद अंसारी, मौलाना अबुलकलाम आज़ाद आदि मध्यम-वर्ग के दूसरे कई नेता अब मुसलमानों के राजनैतिक मामलों में महत्त्वपूर्ण भाग लेने लगे। इसी तरह लेकिन कुछ कम परिमाण में मि० जिन्ना भी भाग लेते थे। गांधीजी ने इनमें से अधिकांश नेताओं (मि० जिन्ना को छोड़कर) और आम तौर से मुसलमानों को भी अपने असहयोग-आन्दोलन में घसीट लिया, और १९१९-२२ के दिनों में इन लोगों ने हमारी लड़ाई में खासा प्रमुख भाग लिया।

इसके बाद प्रतिक्रिया शुरू हुई और हिन्दू और मुसलमान दोनों क़ीमों के साम्प्रदायिक और पिछड़े हुए लोग, जो सार्वजनिक क्षेत्र में बरबस पीछे हट चुके थे, अब फिर आगे आने लगे। यह क्रिया धीमी तो थी, पर थी लगातार। हिन्दू-महासभा ने पहली ही बार कुछ ख्याति प्राप्त की, खासकर साम्प्रदायिक तनाव के कारण। मगर राजनैतिक दृष्टि से वह कांग्रेस पर कुछ अधिक असर न डाल सकी। मुसलमानों की साम्प्रदायिक सस्थायें मुस्लिम जनता में अपनी खोई हुई पुरानी प्रतिष्ठा को कुछ अंश तक फिर प्राप्त करने में अधिक सफल रही। फिर भी मुस्लिम नेताओं का एक ज़बरदस्त गिरोह सदा कांग्रेस के साथ रहा। उधर ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम साम्प्रदायिक नेताओं को, जो राजनैतिक दृष्टि से पूरे प्रतिक्रियावादी थे, प्रोत्साहन देने में कोई कसर नहीं रक्खी। इन प्रतिक्रियावादियों की सफलता को देखकर हिन्दू-महासभा के मुँह में भी पानी आ गया और उसने भी ब्रिटिश सरकार की कृपा प्राप्त करने की आशा से प्रतिक्रिया में इनके साथ होड़ लगाना शुरू कर दिया। महासभा के उन्नतिशील विचारोंवाले बहुतेसे लोग या तो निकाल दिये गये या खुद ही निकल गये और मध्यमश्रेणी के उच्चवर्ग—विशेषकर महाजन और साहूकार—की ओर महासभा अधिकाधिक झुकने लगी।

दोनों ओर के साम्प्रदायिक राजनीतिज्ञ, जो निरन्तर कौंसिलों की सीटों के बारे में बहस किया करते थे, केवल उसी कृपा का विचार करते रहते थे जो सरकारी क्षेत्रों में प्रभाव होने से हासिल होती है। यह तो मध्यमवर्ग के पढ़े-लिखे लोगों के लिए नौकरियों की लड़ाई थी। यह स्पष्ट है कि नौकरियाँ इतनी तो हो ही नहीं सकती थी

जो सबको मिल जाती, इसलिए हिन्दू और मुसलमान सम्प्रदायवादी इन्हीके बारे में लड़ते-झगड़ते थे। हिन्दू लोग अपने बचाव की फिक्र में थे, क्योंकि ज्यादातर नौकरियाँ उन्हींने घेर रखी थी और मुसलमान लोग सदा "और-और" की रट लगाये रहते थे। इस नौकरियों की लड़ाई के पीछे एक और भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण कणमकश चल रही थी, जो ठेठ साम्प्रदायिक तो नहीं थी लेकिन जिसका असर साम्प्रदायिक समस्या पर पड़ जरूर रहा था। पंजाब, सिन्ध और बंगाल में हिन्दू लोग सब तरह से ज्यादा मालदार, साहूकार और शहरी थे। इन प्रान्तों के मुसलमान गरीब, कर्जदार, और देहाती थे। इसलिए इन दोनों की टक्कर अक्सर आर्थिक होती थी, पर उसको हमेशा साम्प्रदायिक रंग दे दिया जाता था। पिछले महीनों में प्रान्तीय धारा-सभाओं में पेश किये गये देहाती कर्ज के भार को घटानेवाले मुस्तलिफ बिलों पर, खासकर पंजाब में, जो बहमे हुई है उनसे यह बात बिलकुल साफ हो जाती है। हिन्दू-महासभा के प्रतिनिधियों ने इन युक्तियों का दृढ़ता के साथ विरोध किया है और सदा साहूकार-वर्ग का साथ दिया है।

मुसलमानों की साम्प्रदायिकता पर हिन्दू-महासभा जब कभी आक्षेप करती है तो वह सदा अपनी निर्दोष राष्ट्रीयता का राग अलापती है। यह तो हरक को जाहिर है कि मुस्लिम संस्थाओं ने अपना एक बिलकुल अजीब साम्प्रदायिक रूप प्रकट किया है। महासभा की साम्प्रदायिकता इतनी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वह राष्ट्रीयता का नकली चोगा पहने हुए फिरती है। परीक्षा का मौका तो तभी आता है जब राष्ट्रीय और सर्वसाधारण के हित का कोई ऐसा निर्णय होता हो, जिससे उच्च श्रेणी के हिन्दुओं का हित-विरोध होता हो और वह उसकी मुखालफत न करती हो। लेकिन जब कभी ऐसे मौके आये हैं, हिन्दू-महासभा इस परीक्षा में बार-बार नाकामयाब रही है। अल्पमत के आर्थिक हितों के विचार से और बहुमत की उद्घोषित इच्छाओं के खिलाफ हिन्दुओं ने सिन्ध के पृथक्करण का हमेशा विरोध ही किया है।

लेकिन हिन्दू और मुसलमान दोनों ही दलों के सम्प्रदायवादियों द्वारा राष्ट्र-विरोधी प्रवृत्तियों की सबसे अजीब नुमाइश तो गोलमेज कांफ्रेंस में हुई। ब्रिटिश-सरकार उसके लिए केवल ऐसे ही मुसलमानों को नामजद करने पर तुली हुई थी जो हर तरह सम्प्रदायवादी थे। और आगाखां के नेतृत्व में तो ये लोग इतने नीचे उतर गये थे कि इंग्लैण्ड के सार्वजनिक जीवन के सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी और भारत ही नहीं बल्कि सभी उन्नतिशील सम्प्रदायों की दृष्टि से सबसे खतरनाक व्यक्तियों तक के साथ मिलने को उतारू हो गये थे। आगाखां और उनके गिरोह का लार्ड लायड और उनकी पार्टी के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध एक बड़ी असाधारण-सी बात थी। इतना ही

नहीं, इन लोगों ने गोलमेज परिषद में गये हुए यूरोपियन असोसियेशन के प्रतिनिधियों तक से समझौता कर लिया था। यह बड़े दुःख और निराशा की बात थी, क्योंकि यूरोपियन असोसियेशन भारत की स्वतन्त्रता का सबसे कट्टर और ज़ोरदार विरोधी रहा है, और अब भी है।

हिन्दू-महासभा के प्रतिनिधियों ने इसका जवाब इस तरह से दिया कि उन्होंने, खासकर पंजाब के लिए, स्वतंत्रता के मार्ग में ऐसे-ऐसे प्रतिवन्ध माँगे जो अंग्रेजों के हक में सरक्षण थी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने के प्रयत्नों में मुसलमानों को भी मात देने की कोशिश की। इससे उनको मिला तो कुछ भी नहीं, उल्टे अपने पक्ष को ही उन्होंने नुकसान पहुँचाया और स्वतंत्रता के पक्ष के साथ विश्वास-घात किया। मुसलमानों के बोलने के ढग में कम-से-कम कुछ ज्ञान तो थी, लेकिन हिन्दू सम्प्रदायवादियों के पास तो यह भी न था।

मुझे तो यह बात मालूम पड़ती है कि दोनों तरफ के साम्प्रदायिक नेता एक छोटे-से उच्चवर्गीय प्रतिक्रियावादी गिरोह के प्रतिनिधि होने के सिवा और कुछ नहीं है। ये लोग जनता के धार्मिक जोश का अपने स्वार्थ-साधन के लिए दुर्ूपयोग करते हैं और उसमें बेजा फ़ायदा उठाने हैं। दोनों ओर आधिक प्रश्नों को टालने और दबाने की भरसक कोशिश की जाती है। वह वक्त जल्दी ही आनेवाला है, जबकि इन प्रश्नों को दबाया जा सकना असम्भव हो जायगा, और तब दोनों दलों के साम्प्रदायिक नेता निस्मदेह आगाखा की बीस बरस पहले की चेतावनी को दोहरायेंगे कि नरम विचारवालों को युग-परिवर्तनकारी प्रवृत्तियों के विरुद्ध मिलकर जिहाद बोल देना चाहिए। कुछ हद तक तो अब यह बात जाहिर हो ही चुकी है कि हिन्दू और मुसलमान सम्प्रदायवादी जनता के सामने एक-दूसरे को चाहे जितना बुरा-भला कहे, मगर असेम्बली और अन्य ऐसी ही जगहों में सरकार को राष्ट्र-विरोधी कानून पास करने में सहायता देने के लिए दोनों ही मिल जाते हैं। ओटावा एक ऐसा ही सूत्र था जिनमें तीनों को एकसाथ ला मिलाया था।

साथ-ही-साथ, यह मज़ेदार बात भी ध्यान में रखने की है कि आगाखा का अनुदार पार्टी के सबसे अधिक कट्टर पक्ष के साथ अभीतक घनिष्ठ सम्बन्ध चला आता है। १९३४ के अक्टूबर में आप ब्रिटिश नेवी लीग के सहभोज में, जिसके सभा-पति लार्ड लायड थे, एक सम्मानित मेहमान की हैसियत से सम्मिलित हुए थे। वहाँ आपने लार्ड लायड के उन प्रस्तावों का हृदय से समर्थन किया था जो उन्होंने ब्रिस्टल की कंज़रवेटिव कांग्रेस में ब्रिटिश जहाज़ी बेड़े की शक्ति को और अधिक मजबूत बनाने की दृष्टि से किये थे। इस तरह हिन्दुस्तान के एक नेता ब्रिटिश सत्ता की

रक्षा और इंग्लैण्ड की हिफाजत के लिए इतने आतुर थे कि वह इंग्लैण्ड की फ़ौजी ताकत बढ़ाने के काम में मि० बाल्डविन या उनकी 'नेशनल' सरकार से भी आगे बढ़ जाने को तैयार थे। और निस्सन्देह यह सब किया जा रहा था शान्ति-रक्षा के नाम पर !

दूसरे ही महीने, यानी नवम्बर १९३४ में, यह खबर लगी कि लन्दन में, खानगी तौर पर, एक फिल्म दिखलाई गई है, जिसका उद्देश्य था मुसलमानों को अंग्रेजी बादशाहत के साथ सदा के लिए मित्रता के सूत्र में बाँध देना। हमको यह भी पता लगा कि इस अवसर पर आगाखाँ और लाई लायड सम्मानित मेहमान होकर पधारे थे। ऐसा मालूम पड़ता है कि शाही मामलों में आगाखाँ और लाई लायड दोनों इस तरह एक जान दो कालिब हूँ जैसे हमारे राष्ट्रीय राजनैतिक क्षेत्र में सर तेजबहादुर सप्रू और मि० जयकर। यह बात भी गौर करने के क्वाबिल है कि इन महीनों में, जबकि ये दोनों एक-दूसरे में इतनी अधिकता से घुल-मिल रहे थे, ठीक उसी वक्त लाई लायड नेशनल सरकार और उसके पक्ष के अनुदार नेताओं के विश्व इसलिए एक अत्यंत कटु और कठोर आक्रमण का नेतृत्व कर रहे थे कि उन्होंने हिन्दुस्तान को बहुत अधिक अधिकार देने की कथित कमज़ोरी दिखलाई थी।'

इधर पिछले दिनों कुछ मुसलमान साम्प्रदायिक नेताओं के व्याख्यानों और वक्तव्यों में एक मजबूत तबदीली हुई है। इसका कुछ वास्तविक महत्त्व नहीं है, लेकिन मुझे शक है कि और लोगो की शायद यह राय न हो। फिर भी, यह बात साम्प्रदायिक मनोवृत्ति के रूप को प्रकट करती है और इसे प्रधानता भी खूब दी गई है। हिन्दुस्तान में 'मुस्लिम राष्ट्र', 'मुस्लिम सस्कृति' और हिन्दू और मुस्लिम सस्कृतियों की घोर असम्बद्धता पर खूब जोर दिया जा रहा है। इसका परिणाम लाज़िमी तौर से यही निकलता है (हालाँकि वह इतने खुले तौर पर नहीं रक्खा गया है) कि न्याय करने और दोनों संस्कृतियों में बीच-बचाव करने के लिए हिन्दुस्तान में अंग्रेजों का अनन्तकाल तक बना रहना बहुत ज़रूरी है।

कुछेक हिन्दू साम्प्रदायिक नेता भी इसी विचार-धारा में बह रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है कि उन्हे यह आशा है कि चूँकि उनका बहुमत है इसलिए अन्त में उन्हीकी 'संस्कृति' का बोलबाला होगा।

हिन्दू और मुस्लिम 'संस्कृतियाँ' और 'मुस्लिम राष्ट्र'—ये शब्द पुराने इतिहास तथा वर्तमान और भविष्य की कल्पना के कैसे मनोमोहक दृश्य उपस्थित कर देते हैं !

१. अभी हाल ही में कुछ अंग्रेज़ लाडों और भारतीय मुसलमानों ने एक कौंसिल बनाई है, जिसका उद्देश्य इन दोनों घोर प्रतिक्रियावादी दलों के सम्बन्ध को बढ़ाना और पुख्ता करना है।

हिन्दुस्तान में मुस्लिम राष्ट्र—राष्ट्र के भीतर एक राष्ट्र, वह भी ठोस नहीं बल्कि डाबाँडोल, बिखरा हुआ और अनिश्चित ! राजनैतिक दृष्टि से यह विचार बिलकुल वाहि्यात है, आर्थिक दृष्टि से शोषचिल्लियाना है; यह तो ध्यान में लाने लायक भी नहीं है। लेकिन फिर भी इसके पीछे जो मनोवृत्ति छिपी है, इसके जरिये थोड़ा-बहुत उसे समझने में सहायता मिलती है।

मध्यवर्ती युग में, और उसके बाद भी, ऐसी कई जुदी-जुदी और आपस में न मिल सकनेवाली जातियाँ एकसाथ मिलकर रहती थी। टर्की के सुल्तानों के आरम्भ-काल में भी कुस्तुन्तुनिया में ऐसी हरेक 'जाति'—लेटिन, ईसाई, कट्टर ईसाई, यहूदी वगैरा—अलग-अलग रहती थी और उनमें से कुछ तो स्वाधिकार भी रखती थीं। यह उस देशोतर भावना का प्रारम्भ था जो, अबसे कुछ ही काल पहले, बहुत-से पूर्वी देशों का होवा बन गई थी। इसलिए 'मुस्लिम राष्ट्र' की बात चलाने का अर्थ यह है कि राष्ट्र कोई चीज नहीं है, केवल एक धार्मिक सूत्र है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी राष्ट्र (आधुनिक परिभाषा में) को बढ़ने न दिया जाय। दूसरा यह अर्थ है कि वर्तमान सभ्यता को घना बताई जाय और हम सब मध्यकाल के रस्म-रिवाज अस्तर्यार करले। इसका मतलब है या तो तानाशाही सरकार, या विदेशी सरकार; अन्त में मस्तिष्क की एक भावुक स्थिति और असलियतों से, खासकर आर्थिक असलियतों से, मुँह छिपाने की एक ज्ञात या अज्ञान इच्छा के सिवा इसका ओर कुछ अर्थ नहीं है। भाव-वृत्तियाँ कभी-कभी तर्क का भी तल्ला उलट देती हैं और हम उनको सिर्फ इस बिना पर दरगुजर नहीं कर सकते कि वे हमें इतनी तर्क रहित मालूम होती हैं। मगर यह मुस्लिम राष्ट्रवाली भावना कुछेक कल्पनाशील व्यक्तियों की केवल कल्पनामात्र है, और अगर अखबारों में इसका इतना शोर न मचता तो, शायद यह सुनने में भी न आती। भले ही बहुत-से लोग इसमें विश्वास रखते हों, लेकिन फिर भी वास्तविकता का स्पर्श होते ही वह गायब हो जायगी।

हिन्दू और मुस्लिम 'संस्कृति' की भावना भी इसी किस्म की है। अब तो राष्ट्रीय भावनाओं का भी जमाना तेजी के साथ जा रहा है और सारा संसार एक सांस्कृतिक इकाई बन रहा है। विभिन्न राष्ट्र बहुत दिनोतक अपनी-अपनी विशेषताओं, भाषा, रस्म-रिवाज, विचार-धारा आदि को चाहे न छोड़ें, और शायद बहुत कालतक छोड़ें भी नहीं, मगर मशीनों का युग और विज्ञान—जिसके उपकरण हवाई जहाज, अखबार, टेलीफोन, रेडियो, सिनेमा वगैरा हैं—इन विशेषताओं को अधिकाधिक एकरूप बना देंगे। इस अवश्यम्भावी प्रवृत्ति का विरोध कोई नहीं कर सकता, और वर्तमान सभ्यता को नष्ट-भ्रष्ट कर देनेवाला संसार-व्यापी विप्लव ही

इसको रोक सकता है। हिन्दुओं और मुसलमानों के जीवन-सम्बन्धी परम्परागत विचारों में जरूर काफी भारी मत-भेद है। पर अगर हम दोनों की तुलना वर्तमान युग के जीवन के वैज्ञानिक और औद्योगिक पहलू से करें, तो यह मत-भेद करीब-करीब लुप्त हो जाता है, क्योंकि इस दृष्टि-कोण और जीवन के उपर्युक्त विचारों में भी आकाश-पाताल का अन्तर है। हिन्दुस्तान में इस समय असली झगड़ा हिन्दू-संस्कृति और मुस्लिम-संस्कृति का नहीं, बल्कि इन्हीं जीवन के विचारादर्श तथा आधुनिक सभ्यता की विजयी वैज्ञानिक संस्कृति के बीच है। जो 'मुस्लिम-संस्कृति' की, जैसी जो कुछ भी वह हो, रक्षा करना चाहते हैं, उन्हें हिन्दू-संस्कृति से घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन उन्हें पश्चिमी दैत्य का मुकाबिला करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मुझे इसमें कुछ भी सन्देह नहीं मालूम होता है कि हिन्दुओं या मुसलमानों के, आधुनिक वैज्ञानिक और औद्योगिक सभ्यता का विरोध करने के, मव प्रयत्न पूरी तरह से निष्फल साबित होंगे और इस निष्फलता को देखकर मुझे कुछ भी अफसोस न होगी। जिस समय रेल वगैरह ने हमारे यहाँ प्रवेश किया उसी समय हमने अज्ञात रूप से और खूद-ब-खूद इस बात को स्वीकार कर लिया था। सर सैयदअहमद ने भी अलीगढ़-कॉलेज की स्थापना करके भारत के मुसलमानों के लिए जोगों से इसी मार्ग को चुन लिया था।

लेकिन जिस तरह डूबते हुए मनुष्य के लिए सिवाय ऐसी चीज को पकड़ने के और कोई चारा नहीं रह जाता जिससे उसकी जान बच जाय, उसी तरह असल में हममें से किसीके लिए उसके सिवा और कोई मार्ग न था।

लेकिन यह 'मुस्लिम संस्कृति' आखिर चीज क्या है? क्या यह अरबी, फारसी, तुर्की वगैरह के महान् कार्यों की कोई जातीय स्मृति है? या भाषा है? या कला और संगीत है? या रस्मोरिवाज है? मुझे याद नहीं पड़ता कि किसीने आधुनिक मुस्लिम कला या संगीत का जिक्र किया हो। हिन्दुस्तान में मुस्लिम विचार-धारा पर अरबी और फारसी दो भाषाओं का, और खासकर फारसी का, प्रभाव पड़ा है। लेकिन फारसी के प्रभाव में धर्म का कोई निशान नहीं है। फारसी भाषा, और बहुत-सी फारसी रीति-रस्म और परम्परायें हजारों वर्षों के समय में हिन्दुस्तान में आईं और सारे उत्तरी हिन्दुस्तान पर इनका जोरदार असर पड़ा। फारस तो पूर्व का फ्रांस था, जिसने अपनी भाषा और संस्कृति अपने पास-पड़ोस सब देशों में फैला दी। यह हम सब भारतीयों की एक-समान और अनमोल विरासत है।

मुसलमान जातियों और देशों के पुराने कारनामों का गर्व मुसलमानों को एक-साथ बाँधनेवाले सूत्रों में शायद सबसे अधिक मजबूत सूत्र है। क्या किसीको इन

जातियों के गौरवपूर्ण इतिहास के कारण मुसलमानों से हसद है ? जबतक वे इसे याद करें और दिल से उसका पोषण करना चाहें तबतक इसे कोई भी उनसे छीन नहीं सकता। सच तो यह है कि यह पुगना इतिहास बहुत करके हम सभीके लिए समान रूप से गौरव की चीज है, क्योंकि शायद हम लोग एशिया-निवासी होने के कारण यह अनुभव करे कि योरप के आक्रमण के विरुद्ध हमको एकता के सूत्र में बाँध देने-वाली यही चीज है। मैं जानता हूँ कि जब कभी मैंने स्पेन में या क्रूसेड' के वक्त में अरब लोगों के साथ हुए झगड़ों का हाल पढ़ा है तो मेरी हृदय-हमेशा अरबों के साथ रही है। मैं निष्पक्ष और बेलीस होने की कोशिश करता हूँ पर मैं चाहे जितनी कोशिश करूँ, फिर भी, जब कभी एशिया के निवासियों का प्रश्न आता है, तो मेरा एशियाईपन मेरी विचार-धारा पर प्रभाव डाले बिना नहीं रहता।

मैंने यह समझने की हरचन्द कोशिश की है कि आखिर यह 'मुस्लिम सस्कृति' है क्या चीज। लेकिन मुझे स्वीकार करना पड़ता है कि मैं इसमें सफल नहीं हुआ। मैं देखता हूँ कि उत्तरी हिन्दुस्तान में ऐसे मध्यम-वर्गीय मुसलमानों और हिन्दुओं की एक नगण्य-सी सख्या है जिनपर फारसी भाषा और परम्पराओं की छाप पड़ी हुई है। और अगर सर्वसाधारण जनता के रहन-सहन को देखा जाय तो 'मुस्लिम-सस्कृति' के सबसे अधिक स्पष्ट चिन्ह नजर आते हैं। एक खास तरह का पायजामा, न ज्यादा लम्बा न ज्यादा छोटा; डाढ़ी का बढ़ाया जाना और मूँछों के बनाने का एक खास तरीका; और एक खास तरह का टोंटीदार लोटा। इस तरह से हिन्दुओं के भी इसी ढंग के रस्मो-रिवाज हैं। धोती पहनना, चोटी रखना; और एक भिन्न प्रकार का लोटा रखना। सच तो यह है कि ये भिन्नतायें भी ज्यादातर शहरी हैं और अब कम होती जा रही हैं। मुसलमान किसान और मजदूर और हिन्दू किसान और मजदूरों में कोई भेद नहीं मालूम पड़ता। मुसलमानों के शिक्षितवर्ग में डाढ़ी के लिए बहुत कम प्रेम रह गया है, हालांकि अलीगढ़ में लाल रंग की तुर्रदार तुर्की टोपी अब भी पसन्द की जाती है (यह तुर्की ही कहलाती है, हालांकि तुर्कों ने इससे अब कुछ भी सम्बन्ध नहीं रक्खा है); मुसलमान स्त्रियाँ साडी को अपनाने लगी हैं और धीरे-धीरे परदे से भी बाहर निकल रही हैं। मेरी अपनी रुचि तो इनमें से कुछ तौर-तरीकों को पसन्द नहीं करती और डाढ़ी, मूँछ या चोटी से मुझे कुछ भी प्रेम नहीं है; लेकिन मैं अपनी रुचि-सम्बन्धी धारणाओं को दूसरों के गले नहीं मढ़ना चाहता। हाँ, डाढ़ियों के विषय में मैं यह

१. मुसलमानों से अपने धर्मस्थान वापस लेने के लिए ईसाई शक्तियों ने ग्यारहवीं सदी से तेरहवीं सदी तक उनपर जो फौजी हमले किये थे, उन्हें क्रूसेड—धर्म-युद्ध—कहा जाता है।

मानता हूँ कि जब अमानुल्ला ने इनको एक सिरे से उड़ाना शुरू किया था तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी ।

मुझे यह कहना पड़ता है कि उन हिन्दुओं और मुसलमानों को देखकर मुझे बड़ी दया आती है जो हमेशा पुराने जमाने का रोना रोया करते हैं और उन चीजों को पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं जो उनके हाथ से खिसकती जा रही हैं । मैं प्राचीन काल की न तो निन्दा ही करता चाहता हूँ और न उसे बिलकुल छोड़ ही देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे अतीत में बहुत-सी ऐसी बातें हैं जो सुन्दरता में अनुपम हैं । ये सदा रहेगी, इसमें मज्ज सन्देह ही नहीं है । पर ये लोग इन सुन्दर वस्तुओं को तो नहीं पकड़ते, बल्कि ऐसी चीजों को पकड़ने दौड़ते हैं जो अक्सर निकम्मी और हानिकर होती हैं ।

पिछले कुछ वर्षों में मुसलमानों को बार-बार हादसे पहुँचे हैं और उनके अनेक चिरपोषित विचार नष्ट-भ्रष्ट हो गये हैं । इस्लाम के बानी उस टर्की ने खिलाफत को ही खतम नहीं कर दिया जिसके लिए हिन्दुस्तानी लोग १९२० में बड़ी बहादुरी से लड़ें थे, बल्कि वह तो मजहब से भी दूर-दूर कदम हटाता चला जा रहा है । टर्की के नये विधान में एक धारा यह है कि टर्की मुस्लिम राज्य है, परन्तु कोई खाम-खयाली पैदा न हो जाय इसलिए कमालपाशा ने १९२७ में कहा था—“विधान में यह धारा कि टर्की एक मुस्लिम राज्य है केवल समझौते के तौर पर रखली गई है और पहला मौका मिलते ही निकाल दी जानेवाली है ।” मुझे विश्वास है कि आगे चलकर उन्होंने इस चेतावनी के अनुसार काम भी किया । मिश्र भी, बहुत अधिक सावधानी से ही सही, इसी मार्ग पर अग्रसर हो रहा है और अपनी राजनीति को मजहब से बिलकुल अलग रखे हुए है । इसी तरह अरब के देश भी कर रहे हैं, सिवा ख़ास अरब के, जो बहुत पिछड़ा हुआ है । फारसवाले सांस्कृतिक स्फूर्ति के लिए अब पूर्व-मुस्लिम काल की याद कर रहे हैं । हर जगह मजहब पीछे हटता जा रहा है और राष्ट्रीयता उग्र रूप में प्रकट हो रही है । और इस राष्ट्रीयता के पीछे और भी कई 'वाद' हैं जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टियों को लिये हुए हैं । इस 'मुस्लिम-राष्ट्र' और 'मुस्लिम-संस्कृति' का क्या होगा ? भविष्य में क्या वे सिर्फ अंग्रेजों के कृपा-शासन की छत्रछाया में मस्त पड़े हुए उत्तर-भारत में ही मिलेंगे ?

उन्नति अगर इसी बात में है कि हरेक व्यक्ति राजनीति के भूल आधार पर दृष्टि रखे तो यह कहना पड़ेगा कि हमारे सम्प्रदायवादियों का और हमारी सरकार का भी उद्देश, इरादतन और हमेशा, इससे उलटा यानी संकुचित दृष्टि से देखने का रहा है ।

दुर्गम घाटी

दुबारा गिरफ्तार होने और सज़ा पाने की सम्भावना हमेशा मेरे सामने बनी रहती थी। उस समय देश में आर्डिनेन्स वगैरा का दौर-दौरा था, और खुद काँग्रेस भी तब गैर-कानूनी जमात थी, इसलिए यह सम्भावना और भी ज्यादा थी। ब्रिटिश-सरकार ने जैसा रुख अस्ल्यार कर रक्खा था और मेरा स्वभाव जैसा था उसको देखते हुए मुझपर प्रहार होना अनिवार्य मालूम होता था। हमेशा सिर पर सवार रहनेवाली इस सम्भावना का मेरी गति-विधि पर भी असर पड़े बिना न रहा। मैं जमकर कोई काम नहीं कर सकता था और मुझे यह जल्दी रहती थी कि जितना कुछ हो सके कर डालूँ।

फिर भी, मेरी इच्छा गिरफ्तारी मोल लेने की नहीं थी और जहाँतक हो सकता था मैं ऐसी कार्रवाइयों से बचता था जो मेरी गिरफ्तारियों का कारण बनें। अपने प्रान्त में और प्रान्त के बाहर भी, दौरा करने के लिए मेरे पास कितनी ही जगहों से निमन्त्रण आ रहे थे। मैंने सबसे इन्कार कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि कोई भी व्याख्यानों का दौरा तूफानी हलचल के सिवा और कुछ नहीं हो सकता था, और वह सरकार द्वारा कभी भी यकायक बन्द कर दी जा सकती थी। उस समय मेरे लिए कोई बीच का मार्ग हो ही नहीं सकता था। जब कभी मैं किसी दूसरे काम से किसी जगह जाता—जैसे गांधीजी या वर्किंग कमिटी के सदस्यों से सलाह-मशविरा करने के लिए—तो मैं सार्वजनिक सभाओं में भाषण देता और खूब खुलकर बोलता। जबलपुर में एक बहुत बड़ी सभा हुई और बड़ा शानदार जुलूस निकाला गया; दिल्ली की सभा में तो इस कदर भीड़ थी जितनी मैंने पहले कभी वहाँ देखी ही नहीं। वास्तव में इन सभाओं की सफलता से ही यह स्पष्ट हो चला था कि सरकार ऐसी सभाओं का बारबार होना कभी सहन नहीं करेगी। दिल्ली में, सभा के बाद ही, बड़े जोरो की अफवाह फँली कि मेरी गिरफ्तारी होनेवाली है, लेकिन मैं बच गया और इलाहाबाद लौट आया। रास्ते में मैं अलीगढ़ ठहरा, जहाँ मैंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के सामने एक भाषण दिया।

ऐसे समय में, जब कि सरकार तमाम सक्रिय राजनैतिक कामों को दबाने का प्रयत्न कर रही थी, मुझे यह विचार बिल्कुल पसन्द नहीं था कि राजनीति से इतर कार्यों में भाग लिया जाय।

कांग्रेसवालों में मुझे एक जोरदार प्रवृत्ति यह नज़र आई कि उग्र राजनैतिक कार्यों से बचकर ऐसे मामूली कामों में पड़ जाना जो लाभकारी तो थे पर जिनका हमारे आन्दोलन से कोई सम्बन्ध नहीं था। यह प्रवृत्ति स्वाभाविक थी, पर मुझे ऐसा लगा कि उस समय इसको प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए था।

अक्तूबर १९३३ के मध्य में हमने इलाहाबाद में, परिस्थिति पर विचार करने और आगे का कार्यक्रम निश्चित करने के लिए, युक्तप्रान्त के कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं की मीटिंगे की। प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी एक गैर-कानूनी सस्था थी, और चूकि हमारा उद्देश कानून की अवज्ञा करने का नहीं बल्कि आपस में मिलने का था, इसलिए हमने इस कमिटी को बाकायदा नहीं बुलाया। हमने उसके उन सब सदस्यों को, जो उस समय जेल से बाहर थे, और दूसरे चुने हुए कार्यकर्त्ताओं को खानगी तौर पर विचार-विनिमय की नीयत से बुलाया था। हमारी मीटिंगे खानगी तो होती थी, पर उनकी कार्रवाई को गुप्त रखने का प्रयत्न नहीं किया जाता था। इसलिए आखिरी दम तक हमे इस बात का पता नहीं लगता था कि सरकार हस्तक्षेप करेगी या नहीं। इन मीटिंगो में हम लोग संसार की स्थिति—घोर मन्दी, नाज़ीवाद, समाजवाद वगैरा पर बहुत ध्यान देने थे। हम चाहते थे कि हमारे साथी, बाहर जो कुछ हो रहा है उसकी दृष्टि से भारत के स्वतन्त्रता-आन्दोलन को देखें। इस कान्फेन्स ने अन्त में एक समाजवादी प्रस्ताव पास किया, जिनमें भारतवासियों के लक्ष्य का बयान और सविनय भंग के बन्द किये जाने का विरोध किया गया था। इस बात को तो सब लोग अच्छी तरह जानते थे कि अब देश-व्यापी सविनय भंग की कोई सम्भावना नहीं थी और व्यक्तिगत सविनय भंग भी या तो शीघ्र ही खतम हो जानेवाला था या एक बहुत ही सकुचित रूप में जारी रह सकता था। लेकिन उसके बन्द किये जाने से हमारी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि सरकार का हमला और आर्डिनेन्स का शासन तो बरकरार था। इसलिए बाकायदा सविनय भंग जारी रखने का जो निश्चय हमने किया, वह कहने ही के लिए था। असल में तो हमारे कार्यकर्त्ताओं को यह आदेश था कि जान-बूझकर व्यर्थ ही गिरफ्तार न हो। उनको हिदायत थी कि अपना काम हस्तमामूल करते रहे और अगर काम के दौरान में गिरफ्तारी हो जाय तो उसे खुशी के साथ मंजूर करले। उनसे खासकर यह कहा गया था कि देहात में अपना सम्बन्ध फिर स्थापित करे और यह जानने की कोशिश करे कि लगान में छूट और सरकार की दमन-नीति इन दोनों के परिणामस्वरूप किसानों की क्या अवस्था है। उस वक्त लगानबन्दी के आन्दोलन का तो कोई प्रश्न ही न था। पूना-कान्फेन्स के बाद ही वह तो नियमानुसार स्थगित किया जा चुका था

और यह साफ़ ज़ाहिर था कि मौजूदा परिस्थिति में उसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता था ।

यह कार्यक्रम बिलकुल नरम और निर्दोष था और इसमें वस्तुतः कोई शैरकानूनी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी हम जानते थे कि इससे गिरफ्तारियाँ तो होंगी ही । जैसे ही हमारे कार्यकर्ता गाँवों में पहुँचते, वे गिरफ्तार कर लिये जाते और उनपर करबन्दी-आन्दोलन का प्रचार करने का, जोकि आर्डिनेन्स के मातहत एक जुर्म बना दिया गया था, बिलकुल झूठा जुर्म लगाया जाता और सजा देदी जाती । अपने बहुत-से साथियों की गिरफ्तारियों के बाद मेरा इरादा भी था कि मैं इन देहाती क्षेत्रों में जाऊँ । लेकिन कई और ज़रूरी कामों में लग जाने के कारण मुझे अपना जाना स्थगित करना पड़ा, और बाद में तो इसके लिए मौका ही न रहा ।

इन महीनों में वर्किंग कमिटी के सदस्य सारे देश की स्थिति पर विचार करने के लिए दो बार इकट्ठे हुए । कमिटी का खुद तो कोई अस्तित्व ही न था—इसलिए नहीं कि वह गैरकानूनी थी, लेकिन इसलिए कि पूना के बाद, गांधीजी के आदेश में, सारी कांग्रेस कमिटियाँ और कांग्रेस दफ्तर अस्थायी तौर पर बन्द कर दिये गये थे । मेरी स्थिति एक अजीब तरह की हो रही थी; क्योंकि जेल से छूटकर आने पर मैंने इस आत्म-घातक आर्डिनेन्स को स्वीकार करने में इन्कार किया और अपने-आपको कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी कहने का आग्रह किया । लेकिन मेरा अस्तित्व भी शून्य में था । उस समय न तो कोई ठीक दफ्तर था, न कोई कर्मचारी, न कोई स्थानापन्न सभापति; और गांधीजी यद्यपि सलाह-मशविरे के लिए मौजूद थे, पर वह भी इस बार हरिजन-कार्य के लिए अपने एक बड़े भारी अखिल-भारतीय दौरे में मशगूल थे । हमने उनको दौरे के बीच में जबलपुर और दिल्ली में पकड़ पाया और वर्किंग कमिटी के मेम्बरो के साथ सलाह-मशविरे किये । इन मशविरो ने यह काम किया कि भिन्न-भिन्न मेम्बरो के मतभेद को साफ़ तौर से सामने लाकर रख दिया । बस, यही गाड़ी अटक गई और कोई ऐसा रास्ता नहीं नज़र आता था जो सबको पसन्द हो । दोनों पक्षों, मत्याग्रह जारी रखने और बन्द करनेवालों, के बीच गांधीजी ही ऐसे व्यक्ति थे जिनका निर्णय सर्वमान्य हो सकता था । और चूँकि वह बन्द करने के पक्ष में नहीं थे इसलिए जो रफ्तार चल रही थी वही चलती रही ।

काँग्रेस की ओर से लेजिस्लेटिव असेम्बली का चुनाव लड़ने के प्रश्न पर भी काँग्रेस के लोग कभी-कभी विचार कर लेते थे, हालाँकि इस समय तक वर्किंग कमिटी के सदस्यों की इस तरफ कोई दिलचस्पी नहीं थी । यह प्रश्न अभी उठता ही नहीं था; इसके लिए अभी समय भी नहीं आया था । 'सुधार' कम-से-कम दो-तीन साल

तक असली सूरत में आनेवाले नहीं थे और उस समय असेम्बली के नये चुनाव का कोई जिक्र ही न था । अपनी जाती राय में तो मुझे चुनाव लड़ने में सिद्धान्त-रूप से कोई आपत्ति नहीं थी और मुझे यह भी विश्वास था कि समय आने पर कांग्रेस को इस मार्ग पर चलना ही पड़ेगा । लेकिन उस समय इस प्रश्न को उठाना हमारे ध्यान को दूसरी ओर फेर देना था । मुझे आशा थी कि आन्दोलन के जारी रहने से बहुत-से प्रश्न, जो हमारे सामने आ रहे थे, हल हो जायेंगे और समझौते की प्रवृत्तिवाले लोग परिस्थिति पर हावी न हो सकेंगे ।

इस दमियान में लगातार लेख और वक्तव्य अखबारों में भेजता रहा । कुछ हद तक मुझे अपने लेखों को नरम करना पड़ता था, क्योंकि वे प्रकाशन की नीयत में लिखे जाते थे, और उस समय सेन्सर और दूसरे भाति-भाति के कानूनों का घातक जाल दूर तक फैला हुआ था । मैं कुछ खतरा उठाने के लिए अगर तैयार भी हो जाता, तो भी मुद्रक, प्रकाशक और सम्पादक तो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे । वैसे तो सब अखबार मेरी खातिर रखते थे और बहुत-सी बातों में मेरे हक में रियायत भी कर जाते थे । लेकिन हमेशा नहीं । कभी-कभी वक्तव्य और लेखाश रोक दिये जाते थे, और एक बार तो एक लम्बा लेख, जिसको मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया था, प्रकाशित ही न होने पाया । जनवरी १९३४ में, जब मैं कलकत्ते में था, एक प्रमुख दैनिक के सम्पादक मुझसे मिलने आये । उन्होंने मुझे बतलाया कि मेरा एक वक्तव्य कलकत्ते के तमाम समाचारपत्रों के सम्पादक-शिरोमणि के पास मगविरे के लिए भेज दिया गया था, और चूँकि इस सम्पादक-शिरोमणि ने उसे नामजूर कर दिया, इसलिए वह प्रकाशित न हो सका । यह 'सम्पादक-शिरोमणि' और कोई नहीं थे मिया कलकत्ते के सरकारी प्रेम-सेन्सर महोदय के ।

अखबारों को दी गई कुछ मुलाकातों और वक्तव्यों में मैंने कई दलों और व्यक्तियों की बड़ी कड़ी आलोचना करने की धृष्टता की थी । इससे लोग बहुत नाराज हुए । इस नाराजी का एक कारण था कांग्रेस की उलटकर जवाब न देने की वृत्ति— जिसके प्रसार में गांधीजी का भी हाथ था । खुद गांधीजी ने इसका उदाहरण प्रस्तुत किया था और प्रमुख कांग्रेसियों ने भी कुछ घट-बढ़ मात्रा में उनके मार्ग का अनुसरण किया, हालाँकि हमेशा ऐसा नहीं होता था । हम लोग अधिकतर अस्पष्ट और सद्भावनायुक्त वाक्यों का प्रयोग करते थे, जिससे हमारे आलोचकों को गलत तर्क और समय-साधक चालों को काम में लाने का मौका मिल जाता था । असली प्रश्नों को दोनों दल बचा जाते थे, और ईमानदारी के साथ जब-तब जोश-खरोश के साथ ऐसा वाद-विवाद शायद ही कभी होता जिसमें तनातनी और जोश-खरोश की

नौबत आय, जैसाकि उन देशो को छोड़कर, जहाँकि फासिज्म का बोलबाला है, पश्चिम के दूसरे सब देशों में होता रहता है ।

एक महिला मित्र ने, जिनकी राय की मैं कद्र करता था, मुझे लिखा कि मेरे कुछेक वक्तव्यों की तेज़ी पर उनको थोड़ा-सा आश्चर्य हुआ—इसलिए कि मैं करीब-करीब 'खिसियानी बिल्ली' बन गया था । क्या यह मेरी आशाओ पर 'पानी फिर जाने' का परिणाम था ? मुझे भी ताज्जुब हुआ । कुछ हद तक यह सही भी था, क्योंकि राष्ट्रीयता की दृष्टि से हम सब टूटी हुई आशाओं को लिये बैठे हैं । व्यक्तिगतरूप से भी, कुछ हद तक, शायद यह बात ठीक रही हो । लेकिन फिर भी मुझे ऐसी किसी भावना का खयाल नहीं होता था, क्योंकि खुद मुझे किसी तरह की भी पराजय या असफलता महसूस नहीं हो रही थी । जबसे गांधीजी मेरे राजनैतिक मानसपटल पर आये, मैंने कम-से-कम एक बात उनसे मीखी । वह यह कि परिणामों के डर से अपने हृदयगत भावों को कभी न दबाया जाय । इस आदत ने—राजनैतिक क्षेत्र में पालन किये जाने पर (दूसरे क्षेत्रो में इसका पालन करना ज्यादा मुश्किल और खतरनाक हो जाना सम्भव है)—मुझे अक्मर कठिनाई में डाल दिया है, लेकिन साथ ही मुझे बहुत-कुछ संतोष भी प्रदान किया है । मैं समझता हूँ, केवल इसी कारण हममें से बहुत-से लोग हृदय की कटुता और घोर पराजय के भावों में बर्गी रहे है । यह खयाल भी, कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम-भाव रखती है, उस व्यक्ति के हृदय को बहुत सात्वना पहुँचाता है, और पस्तहिम्मती और पराजय की भावना के विप की दूर करनेवाली एक अमोघ औषधि का काम करता है । अकेला रह जाने या दूसरो से भुला दिये जाने का खयाल, मैं समझना हूँ, सब खयालों से ज्यादा असह्य है ।

लेकिन इतने पर भी, इस विचित्र और दुःखमय ससार में मनुष्य पराजय की भावना से कैसे बच सकता है ? कितनी ही बार हरेक बात बिगड़ती हुई मालूम होती है और, यद्यपि हम आगे बढ़ते जाते है फिर भी, जब हम अपने चारो ओर रहने-वाले लोगों को देखने है तो तरह-तरह की शकाये आ घेरती हैं । मुझे भय है, कि मुस्त्लिफ़ घटनाओं और परिवर्त्तनो, यहाँतक कि व्यक्तियों और दलों पर भी मुझे बार-बार गुस्सा और खीझ हो आती है । और पिछले कुछ दिनों से तो मैं ऐसे लोगों पर बहुत ज्यादा भिन्नाने लगा हूँ जो जीवन की समस्याओं पर संजीदगी से विचार नहीं करते, जिसके कारण वे महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को भूल जाते हैं और उनका जिक्र करना भी बेजा समझते है; क्योंकि इन प्रश्नों का असर उनके पैसों या उनकी चिरपोषित धारणाओं पर पड़ता है । लेकिन मैं समझता हूँ कि इस रोष, इस पराजय,

और इस खिसियाहट के बावजूद मैंने अपनी और दूसरो की बेवकूफियों पर हँसने की अपनी सहज प्रवृत्ति को नहीं खोया है ।

परमात्मा की कृपालुता में लोगों की जो श्रद्धा है उसपर मुझे कभी-कभी आश्चर्य होता है । किस प्रकार यह श्रद्धा चोट-पर-चोट खाकर भी जीवित है और किस तरह घोर विपत्ति और कृपालुता का उलटा सबूत भी इस श्रद्धा की दृढता की परीक्षायें मान ली जाती हैं । जेरोर्ड हॉपकिन्स की ये सुन्दर पंक्तियाँ अनेक हृदयों में गूँजती हैं :—

“सचमुच तू न्यायी है स्वामी, यदि मैं कहीं विवाद;
किन्तु नाथ, मेरी भी है यह न्याय युक्त फरियाद ।
फलते और फूलते है क्यो पापी करकर पाप ?
मुझे निराशा देते है क्यो सभी प्रयत्न-कलाप ?
हे प्रिय बन्धु ! साथ तू मेरे करता यदि रिपु का व्यवहार—
तो इससे क्या अधिक पराजय औ' बाधा का करना वार ?
अरे, उठाईगीर वहाँ वे मद्य और विषयो के दाम,
भोग रहे वे पड़े मौज में है जीवन के विभव-विलास !
और, यहाँ मैं तेरी खातिर काट रहा हूँ जीवन नाथ !
हाँ, जो तेरे पथ पर स्वामी घोर निराशाओं के साथ ।”

विश्वास—उन्नति मे, शुभकार्यों मे, आदर्शों मे, मानवी सज्जनता मे और मानव भविष्य की उज्ज्वलता में । क्या ये सब परमात्मा की श्रद्धा के साथ मिलते-जूलते नहीं है ? यदि हम इनको बुद्धि और तर्क से साबित करना चाहे तो तुरन्त हम कठिनाई में पड़ जायेंगे । पर हमारे अन्तस्तल मे कोई ऐसी वस्तु है, जो इस आशा, इस विश्वास से चिपटी हुई है, अन्यथा इनके बिना जीवन एक जलाशय-हीन मरुस्थल के समान हो जाय ।

१. मूल अंग्रेजी पद्य इस प्रकार है :—

“Thou art indeed just, Lord, if I contend
With thee; but, sir, so what I plead is just.
Why do sinners' ways prosper? and why must
Disappointment all I endeavour end?
Wert thou my onemy, O thou my friend,
How wouldst thou worse, I wonder, than thou dost
Defeat, thwart me? Oh, the sots and thralls of lust
Do in spare hours more thrive than I that spend,
Sir, life upon thy cause....”

मेरे समाजवादी प्रचार के प्रभाव ने वर्किंग कमिटी के कुछ सहयोगियों तक को बबरा दिया। वे लोग बिना शिकायत किये मेरे साथ काम करते रहते, जैसा कि पिछले कई वर्षों में इस प्रकार का प्रचार करने रहने पर भी अभी तक वे करते रहे थे; लेकिन अब तो ऐसा खयाल किया जाने लगा कि कुछ हद तक मैं स्थापित स्वार्थों को भड़का रहा हूँ, और मेरी गति-विधि अहानिकर नहीं कही जा सकती थी। मैं जानता था कि मेरे कुछ सहयोगी समाजवादी नहीं हैं, लेकिन मैं यह हमेशा खयाल करता रहा कि काँग्रेस की कार्यकारिणी का सदस्य होने की हैसियत में मुझे, बिना काँग्रेस को जवाबदेह ठहराये, समाजवादी प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। जब मैंने यह महसूस किया कि वर्किंग कमिटी के कुछ सदस्य मेरी इस स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करते, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं उनको एक विकट परिस्थिति में डाल रहा था और इसपर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। लेकिन मैं करता भी तो क्या? जिस चीज को मैं अपने कार्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग समझता था उसे छोड़ देने के लिए मैं कभी तैयार नहीं था। अगर दोनों में झगडा होता तो मैं वर्किंग कमिटी से इस्तीफा दे देना इससे कहीं बेहतर समझता। लेकिन जब कि कमिटी गैरकानूनी थी, और उसका कोई अस्तित्व ही न था, तो मैं उससे इस्तीफा कैसे देता?

यह कठिनाई कुछ दिन बाद एक वार फिर मेरे सामने आई। मेरा खयाल है, यह दिसम्बर के अन्त की बात है, जब गांधीजी ने मद्रास से मुझे एक पत्र भेजा था। उन्होंने मेरे पास 'मद्रास मेल' का एक कटिंग भेजा, जिसमें उनकी दी हुई एक इटरव्यू का वर्णन था। इटरव्यू करनेवाले ने उनसे मेरे विषय में प्रश्न किये थे और उन्होंने जो उत्तर दिया था उसमें उन्होंने मेरे कार्य-कलापों पर कुछ खेद-सा प्रकट किया था और मेरे सुधर जाने की दृढ आशा प्रकट की थी, और यह भी कहा था कि मैं काँग्रेस को इन नवीन मार्गों में नहीं घसीटूँगा। अपने बारे में इस तरह का जिक्र मुझे कुछ अच्छा न लगा, लेकिन इससे ज्यादा जिस बात ने मुझे विचलित कर दिया वह थी— इसी इटरव्यू में आगे दी हुई—जमींदारी-प्रथा के लिए गांधीजी की वकालत। उनका यह विचार मालूम होता था कि देहाती और राष्ट्रीय व्यवस्था का यह एक बहुत जरूरी अंग है। इसने मुझे बहुत हँरत में डाल दिया, क्योंकि बड़ी-बड़ी जमींदारियों या ताल्लुकेदारियों की वकालत करनेवाले आज बहुत कम मिलेंगे। सारे मसाले में ये प्रथायें नष्ट हो चुकी हैं और हिन्दुस्तान में भी बहुत-से लोग इस बात को महसूस करने लगे हैं कि इनका अन्त दूर नहीं है। खुद ताल्लुकेदार और जमींदार लोग भी इस प्रथा के अन्त का स्वागत करेंगे, बशर्ते कि इसके लिए उनको काफी मुआवजा मिल जाय।'

१. सर्व-बंगाल जमींदार कान्फरेन्स की स्वागत-कारिणी के सभापति श्री पी०

यह प्रथा तो दरअसल खुद ही अपने पापों के बोझ से डूबी जा रही है। लेकिन फिर भी गांधीजी इसके पक्ष में थे और ट्रस्टीशिप इत्यादि की बातें करते थे। मैंने फिर सोचा कि उनका दृष्टिकोण मेरे दृष्टिकोण में कितना भिन्न है, और मैं ताज्जुब करने लगा कि भविष्य में मैं कहाँ तक उनके साथ सहयोग कर सकूँगा। क्या मैं वकिंग कमिटी का सदस्य बना रहूँ? उस समय इस उलझन में निकलने का कोई रास्ता ही न था, और कुछ हफ्तों बाद तो, मेरे जेल चले जाने के कारण, यह प्रश्न अप्रासंगिक ही हो गया।

घरेलू झगड़ों में मेरा बहुत-सा समय खर्च हो जाता था। मेरी मा का स्वास्थ्य मुश्किल तो रहा था, मगर बहुत धीरे-धीरे। वह अभी तक रोगशय्या पर पड़ी थी, पर उनके जीवन का कोई खतरा नहीं मालूम होता था। मैंने अब अपना ध्यान अपने आर्थिक मामलों की ओर फेरा, जिनकी इधर बहुत दिनों से परवा नहीं की गई थी और जो बड़ी गड़बड़ में पड़ गये थे। हम लोग अपने बूते से ज्यादा खर्च कर रहे थे और खर्च कम करने की जाहिरा तौर पर कोई तरकीब ही नज़र नहीं आती थी। मुझे घर का खर्च चलाने की तो कोई खास फिक्र न थी। मैं तो करीब-करीब उस वक्त के इन्तज़ार में था जब मेरे पास कुछ भी न बचता। वर्तमान सप्ताह में धन और सम्पत्ति बड़ी उपयोगी चीज़ें हैं, लेकिन जिस मनुष्य का उद्देश बहुत ऊँचा हो उसके लिए तो ये अक्सर भार-रूप बन जाती हैं। धनवान आदमियों के लिए ऐसे कामों में हाथ डालना बहुत कठिन हो जाता है जिनमें कुछ खतरा हो, उनको सदा अपने धन-दीलत के चले जाने का भय रहता है। लेकिन धन-सम्पत्ति किस काम की, अगर सरकार अपनी मर्जी के मुताबिक उसपर अधिकार कर सकती हो या उसे जब्त कर सकती हो? इसलिए जो थोड़ा-बहुत मेरे पास था उससे भी मैं छुटकारा पाना चाहता था। हमारी आवश्यकतायें बहुत थोड़ी थी और मुझे ज़रूरत के मुताबिक कमा लेने की अपनी शक्ति में विश्वास था। मुझे सबसे बड़ी चिन्ता यह थी कि मेरी माताजी को उनके जीवन की इस साध्यवेला में तकलीफ़ न उठानी पड़े या उनके रहन-सहन के मूल० टैगोर ने, २२ दिसम्बर १९३४ को, अपने भाषण में कहा था—“ज़ाती तौर पर मुझे उस दिन कोई अफसोस न होगी जिस दिन ज़मींदारों को पर्याप्त सुभावज़ा देकर उनकी ज़मीन का राष्ट्रीयकरण हो जायगा, जैसा कि आयरलैंड में किया गया है।” यह बात याद रखने की है कि दायमी-बन्दोबस्त (Permanent Settlement) के मातहत होने के कारण बंगाल के ज़मींदार अस्थायी बन्दोबस्तवाली ज़मीनों के ज़मींदारों से ज्यादा आसूदा हैं। राष्ट्रीयकरण के बारे में श्री टैगोर के विचार अस्पष्ट मालूम होते हैं।

ढंग में कोई खास कमी न आने पावे। मुझे यह भी फ़िक्र थी कि मेरी लड़की की शिक्षा में कोई बाधा न पड़े, जिसके लिए मैं उसका योरप में रहना आवश्यक समझता था। इन सबके अलावा मुझे या मेरी पत्नी को रुपये की कोई खास ज़रूरत नहीं थी। कम-से-कम हमारा खयाल ऐसा ही था, क्योंकि हमें कभी रुपये की सच्ची कमी का तज़ुर्बा नहीं हुआ था। मुझ यकीन है कि अगर कभी ऐसा समय आया जबकि हमें रुपये की कमी महसूस करनी पड़ी तो मुझे निश्चय है कि हमें दुःख ही होगा। एक खर्चीली आदत जिसका छोड़ना मेरे लिए मुश्किल होगा, वह है किताबें खरीदना।

उस वक्त की बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हमने यह निश्चय किया कि मेरी पत्नी के ज़ेवर, हमारी सोने-चाँदी की चीज़ें और छोटा-मोटा गाड़ियो सामान बेच दिया जाय। कमला को अपने ज़ेवर बेचने का खयाल पसन्द नहीं आया, हालाँकि करीब १२ साल से उसने उन्हे नहीं पहना था और वे बैंक में पड़े हुए थे। लेकिन वह किसी दिन उनको अपनी लड़की को देने का विचार करती थी।

१९३४ का जनवरी महीना था। इलाहाबाद ज़िले के गाँवों में हमारे कार्यकर्ता कोई गैर कानूनी कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे थे, फिर भी उनकी लगातार गिरफ्तारियाँ हो रही थी। इन गिरफ्तारियों का तकाज़ा था कि हम लोग उनका अनुकरण करें और उन गाँवों में जायें। युक्तप्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के हमारे महान् प्रभावशाली मंत्री रफीअहमद किदवाई भी गिरफ्तार हो चुके थे। २६ जनवरी का स्वतंत्रता-दिवस नज़दीक आ रहा था। उसे दरगुज़र नहीं किया जा सकता था। १९३० से यह दिवस हर साल, देश के कोने-कोने में, आड़िनेसों और पाबन्दियों के बावजूद, नियमित रूप से मनाया जाता रहा था। लेकिन अब इसका अगुआ कौन बनता? किस तरह से इसे आगे बढ़ाया जाता? मेरे सिवा आल इंडिया कांग्रेस कमिटी के किसी पदाधिकारी का सिद्धान्त-रूप से कोई भी अस्तित्व न था। मैंने कुछ मित्रों से सलाह की तो करीब-करीब सब इस बात पर सहमत हुए कि कुछ करना चाहिए; लेकिन यह 'कुछ' क्या होना चाहिए, इसपर कोई राय कायम न हो सकी। मुझे आम तौर पर लोगों में ऐसे कामों से दूर रहने की प्रवृत्ति नज़र आई कि जिनके फलस्वरूप बहुत-से लोग पकड़े जा सकते थे। आखिरकार मैंने स्वतंत्रता-दिवस को उचित प्रकार से मनाने की एक छोटी-सी अपील निकाली, पर उसे मनाने का ढंग हर जगह के स्थानीय लोगों के निश्चय पर छोड़ दिया। इलाहाबाद में हमने सारे ज़िले में काफ़ी विस्तार के साथ मनाने की योजना तैयार की।

हमारा खयाल था कि इस स्वतंत्रता-दिवस के संयोजक उसी दिन गिरफ्तार हो जायेंगे। लेकिन मैं दुबारा जेल जाने से पहले बंगाल का एक दौरा करना चाहता था।

इसका कुछ-कुछ उद्देश्य तो पुराने साथियों से मिलना था, पर असल में यह बंगालियों के प्रति, उनकी गत वर्षों की असाधारण मुसीबतों के लिए, श्रद्धाञ्जलि थी। मैं मलीभांति जानता था कि मैं उनकी कुछ भी सहायता नहीं कर सकता था। सहानुभूति और भाईचारा किसी मर्ज की दवा नहीं थे, मगर फिर भी इनका स्वागत ही किया गया होता—और खासकर बंगाल तो उस समय एक जुदापन-सा महसूस कर रहा था और इस बात से दुःखी हो रहा था कि जरूरत के वक्त बाकी हिन्दुस्तान ने उसे छोड़ दिया। यह भावना न्यायोचित तो नहीं थी, पर फिर भी यह थी।

मुझे कमला के साथ कलकत्ता इसलिए भी जाना था कि अपने डाक्टरों से उसकी बीमारी के बारे में सलाह लूं। उसका स्वास्थ्य बहुत गिर गया था, पर हम दोनों ने कुछ हदतक इसे दरगुजर करने की और ऐसे इलाज को टालने की कोशिश की, जिसके कारण हमको कलकत्ते में या किसी और जगह बहुत दिनों तक ठहरना पड़ता। जेल से मेरे बाहर रहने के थोड़े समय में हम दोनों यथासंभव एकसाथ ही रहना चाहते थे। मैंने सोचा कि जब मैं जेल चला जाऊंगा तो इसको डाक्टरों और इलाज के लिए चाहे जितना समय मिल जायगा। अब चूंकि गिरफ्तारी नजदीक नज़र आ रही थी, इसलिए मैंने डरादा किया कि यह सलाह-मशविरा कलकत्ते में कम-से-कम मेरी मौजूदगी में हो जाय, बाकी बातें तो बाद में भी तय की जा सकती थी।

इसलिए हम दोनों ने—कमला ने और मैंने—१५ जनवरी को कलकत्ते जाने का निश्चय कर लिया। स्वतंत्रता-दिवस की सभाओं से हम पहले ही लौट आना चाहते थे।

भूकम्प

१५ जनवरी १९३४ का तीसरा पहर था। इलाहाबाद में अपने मकान के बरामदे में खड़ा किसानों के एक गिरोह को मैं कुछ बातें बतला रहा था। माघ मेला आरम्भ हो गया था और सारे दिन हमारे यहाँ मिलने-जुलनेवालों का ताँता लगा रहता था। यकायक मेरे पैर लड़खड़ाने लगे और सम्भलना मुश्किल हो गया। मैंने पास के एक खम्भे का सहारा ले लिया। दरवाजो के किवाड़ भड़भड़ाने लगे और बराबर के स्वराज-भवन से, जिसके खपरे छत से नीचे खिसक रहे थे, एक गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। मुझे भूकम्पो का कुछ अनुभव नहीं था। इसलिए पहले तो मैं यह न समझ सका कि क्या हो रहा है, लेकिन मैंने जल्दी ही महसूस कर लिया। इस अनोखे अनुभव से मुझे कुछ विनोद और दिलचस्पी हुई। मैंने किसानों से बातचीत जारी रखी और उन्हें भूचालों के बारे में बतलाने लगा। मेरी बूढ़ी चाची ने कुछ दूर से चिल्लाकर मुझसे मकान के बाहर दौड़ आने के लिए कहा। यह विचार मुझे बिलकुल बेहदा मालूम हुआ। मैंने भूकम्प को कोई गंभीर बात नहीं समझा, और कुछ भी हो, मैं ऊपर की मञ्जिल में अपनी माता को खाट पर पड़ी हुई, और वही अपनी पत्नी को, जो शायद सामान बाँध रही थी, छोड़ जाने और अपनी रक्षा का इन्तज़ाम करने के लिए कभी तैयार न था। ऐसा अनुभव हुआ कि भूचाल के धक्के काफ़ी देर तक जारी रहे और बाद में बन्द हो गये। उन्होंने चन्द मिनटों की बातचीत के लिए मसाला पैदा कर दिया और लोग उन्हें जल्दी ही करीब-करीब भूल-से गये। उस वक्त हम नहीं जानते थे, और न इसका अन्दाज़ ही कर सकते थे, कि ये दो-तीन मिनट विहार और अन्य स्थानों के लाखों आदमियों के लिए कितने घातक साबित हुए होंगे।

उसी शाम को कमला और मैं कलकत्ते के लिए रवाना हो गये और हम, बिलकुल बेखबर, अपनी गाड़ी में बैठे हुए उसी रात को भूकम्प-प्रदेश के दक्षिण हिस्से में होकर गुजरे। अगले दिन भी कलकत्ते में भूकम्प-जनित घोर अनर्थ के बारे में कोई खबर नहीं थी। दूसरे दिन इधर-उधर से समाचार आने शुरू हुए। तीसरे दिन हमको इस बज्रपात का कुछ-कुछ आभास मिलने लगा।

हम अपने कलकत्ते के प्रोग्राम में लग गये। अनेक डाक्टरों से बारबार मिलना पड़ा और अन्त में यह निश्चित हुआ कि एक-दो महीने बाद कमला फिर कलकत्ते

आकर इलाज कराये। इसके अलावा बहुत-से मित्र और सहयोगी भी थे जिनसे हम बहुत असें से नहीं मिले थे। चारों तरफ दमन के कारण लोगों के दिलों में जो डर बैठ गया था उसका, जबतक मैं वहाँ रहा, मुझे काफ़ी अनुभव हुआ। लोग किसी तरह का भी काम करने से डरते थे, कि कहीं उनपर आफत न आ जाय; वे बहुत आफतें झेल चुके थे। अखबार भी, वहाँ के, अन्य प्रान्तों के अखबारों से अधिक फूक-फूककर पढ़ रखते थे। भविष्य के कार्य के विषय में भी वंसी ही शंका और उलझन थी, जैसी हिन्दुस्तान के अन्य भागों में। वास्तव में यह शंका ही थी, भय उतना नहीं, जो सब प्रकार के प्रभावोत्पादक राजनैतिक कार्यों में बाधा डाल रही थी। फासिस्ट प्रवृत्तियाँ बहुत जोरों से उदय हो गयी थी, और सोशलिस्ट और कम्यूनिस्ट प्रवृत्तियाँ कुछ-कुछ ऐसे अस्पष्ट रूप में ओर आपस में इतनी घुली-मिली-सी सामने आ रही थीं कि इन गिरोहों में भेद-निर्णय करना कठिन था। आतंकवादी आन्दोलन के बारे में, जिसपर सरकारी हलकों का बहुत ज्यादा ध्यान खिंचा हुआ था और जिसके सम्बन्ध में उसकी ओर में खूब विज्ञापन किया जा रहा था, ज्यादा पता लगाने की न तो मुझे फुरसत थी और न कोई मौका ही। जहातक मुझे मालूम हुआ, इसमें कोई राजनैतिक महत्ता नहीं रह गई थी और न आतंकवादी दल के पुराने सदस्यों की इसमें कुछ श्रद्धा थी। उनकी विचार-धारा ही बदल गई थी। सरकारी कार्रवाई के विरुद्ध उत्पन्न रोष ने कुछ इक्के-दुक्के व्यक्तियों का समय छुड़ा दिया था और उसमें बदला लेने के लिए उकसा दिया था। दरअमल दोनों तरफ बदला लेने का यह भाव बहुत प्रबल मालूम होता था। व्यक्तिगत आतंकवादियों की तरफ से तो यह काफ़ी स्पष्ट था। सरकार की तरफ से भी यही रुख ज्यादातर प्रकट हो रहा था कि कभी-कभी, बदला ले-लेकर, लड़ाई जारी रखी जाय; बजाय इसके कि शान्ति के साथ समाज के लिए एक अनिष्टकर घटना का मुकाबिला करके उसे रोका जाय। आतंकवादी कार्यों में साबका पड़ने पर कोई भी सरकार उनका मुकाबिला किये बिना और उनको दबाने की कोशिश किये बिना नहीं रह सकती। लेकिन शान्ति और गंभीरता के साथ नियंत्रण करना सरकार के लिए अधिक गौरव की बात है, बनिस्बत ऐसे अतिरिजित अनाचारों के जो अपराधियों और निरपराधों पर अन्धाधन्धी से किये जायँ—खासकर निरपराधों पर, क्योंकि इनकी संख्या ज़रूर ही बहुत ज्यादा होती है। शायद ऐसे खतरे के समय में गंभीर और धीर रहना आसान नहीं है। आतंकवादी घटनाएँ बहुत कम होती जा रही थीं, लेकिन उनकी सम्भावना सदा बनी रहती थी, और यह बात उन लोगों के धैर्य को डावाँडोल करने के लिए काफ़ी थी जिनपर न्यवस्था का भार था। यह बिलकुल स्पष्ट है कि ये घटनाएँ खुद कोई बीमारी नहीं हैं, बल्कि बीमारी का एक लक्षण

है। जो रोग है उसका इलाज न करके लक्षणों का उपचार करना बिलकुल बेकार है।

मेरा विश्वास है कि बहुत-से नवयुवक और नवयुवतियाँ, जिनका आतंकवादियों से सम्बन्ध माना जाता है, दरअसल गुप्त कार्य की मोहकता से आकर्षित हो जाते हैं। साहसी नवयुवकों का गुप्तमंत्रणा और खतरे की तरफ हमेशा झुकाव हो जाता है; उनकी इच्छा जानकार बनने की रहती है, वे पता लगाना चाहते हैं कि यह सब हल्ला-गुल्ला किसलिए है और इन मामलों की तह में कौन-कौन लोग हैं। दुनिया में कुछ अद्भुत और साहसपूर्ण कार्य कर दिवाने की महत्त्वाकांक्षा का यह तकाजा है। इन लोगों की कुछ करने-धरने की इच्छा नहीं होती—आतंकवादी कार्य करने की तो किसी हालत में भी नहीं;—लेकिन इनका उन लोगों में, जिनपर पुलिस की सन्देह-दृष्टि है, सिर्फ मिलना-जुलना ही इनको भी पुलिस का सन्देह-भाजन बना देने के लिए काफी होता है। अगर इनकी किस्मत में कुछ ज्यादा बुराई न लिखी हो तो भी इस बात की तो सम्भावना रहती ही है कि ये लोग बहुत जल्दी नजरबन्दों की जमात में या नजरबन्दों की किसी जेल में धर दिये जायें।

न्याय और व्यवस्था भारत में ब्रिटिश-राज्य की गौरव-पूर्ण सफलताओं में गिने जाते हैं। मैं खुद भी सहज-स्वभाव से उनका समर्थक हूँ। मुझे जीवन में अनुशासन पसंद है और अराजकता, अशान्ति और ढीला-ढालापन नापसंद। लेकिन कटु अनुभव ने ऐसे न्याय और व्यवस्था की उपयोगिता के विषय में मेरे हृदय में शंका पैदा कर दी है जिनको राज्य और सरकार किसी राष्ट्र पर जबरन लाद देती हैं। कभी कभी उनके लिए आवश्यकता में अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है, और न्याय तो केवल प्रबल राजनैतिक दल की इच्छा होती है और व्यवस्था एक सर्वव्यापी आतंक का प्रतिबिम्ब। कभी-कभी तो, जो चीज न्याय और व्यवस्था कही जाती है, दरअसल, उसे न्याय और व्यवस्था का अभाव कहना अधिक उपयुक्त मालूम होता है। कोई सफलता, जो चारों ओर छाये हुए आतंक पर निर्भर रहती है, कभी बाञ्छनीय नहीं हो सकती, और ऐसी 'व्यवस्था' जिसका आधार राज्य का बल-प्रयोग हो और जो इसके बिना जीवित ही न रह सके, अधिकतर फौजी शासन के समान है, कानूनी शासन नहीं। कल्हण कवि के हजार वर्ष पुराने 'राजतरंगिणी' नामक कश्मीर के ऐतिहासिक महाकाव्य में न्याय और व्यवस्था के लिए जो शब्द बारबार प्रयुक्त हुए हैं और जिनकी स्थापना शासक और राज्य का कर्तव्य था, वे हैं 'धर्म' और 'अभय'। न्याय सिर्फ कानून से कुछ बेहतर चीज थी और व्यवस्था लोगों की निर्भयता थी। निर्भयता सिखलाने की यह भावना सशक्ति जनता को जबरन व्यवस्था का पाठ पढ़ाने से कितनी अधिक बाञ्छनीय है !

हम साढ़े तीन दिन कलकत्ता ठहरे और इस अर्स में मैंने तीन सार्वजनिक सभाओं में भाषण दिये। जैसा कि मैंने पहले कलकत्ते में किया था, मैंने (इस बार भी) आतंकवादी कार्यों की निन्दा की और उनकी हानियाँ बतलाई, और इसके बाद मैं उन तरीको पर भी बोला जो सरकार ने बंगाल में अख्तियार किये थे। मैं काफ़ी जोश के साथ बोला, क्योंकि इस प्रान्त की घटनाओं के विवरणों से मैं बहुत अधीर हो गया था। जिस बात ने मुझे सबसे अधिक चोट पहुँचाई वह था वह तरीका जिसके जरिये सारी जनता का अन्धाधुन्ध दमन कर मानव-सम्मान पर बलात्कार किया गया था। इस मानवता के प्रश्न के आगे राजनैतिक प्रश्न ने, अत्यन्त आवश्यक होने हुए भी, गौण स्थान प्राप्त कर लिया था। बाद में, कलकत्ते में मुझपर जो मुकदमा चला उसमें मेरे यही तीनों भाषण मेरे विरुद्ध तीन आरोप बनाये गये और मेरी यह पिछली सजा इन्हींका परिणाम है।

कलकत्ता में हम कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर से भेंट करने के लिए शान्ति-निकेतन पहुँचे। कवि से मिलना हमेशा आनन्ददायक था। इतने नज़दीक आकर हम उनसे बिना मिले कैसे जा सकते थे? मैं तो पहले दो बार शान्ति-निकेतन हो आया था, लेकिन कमला का यह पहली बार आना था, और वह इस स्थान को देखने के लिए खास तौर पर आई थी, क्योंकि हम अपनी लड़की को वहाँ भेजना चाहते थे। इन्दिरा कुछ ही दिनों बाद मैट्रिक्युलेशन की परीक्षा देनेवाली थी और उसकी आगे की शिक्षा का प्रश्न हमें परेशान कर रहा था। मैं इसके बिलकुल खिलाफ था कि वह सरकारी या नीम-सरकारी यूनिवर्सिटियों में दाखिल हो, क्योंकि मैं उन्हें नापसन्द करता था। इनके चारों ओर का वातावरण सरकारी, गलाघोटू और हुकूमतपरस्ती का होता है। बेशक, इनमें से पहले भी ऊँचे दर्जे के पुरुष और स्त्रियाँ निकली हैं और आगे भी निकलने रहेंगे। पर ये थोड़े-से अपवाद यूनिवर्सिटियों को, नौजवानों की उदात्त प्रवृत्तियों को दबाने और मृतप्राय बनाने के आरोप से नहीं बचा सकते। शान्ति-निकेतन ही एक ऐसी जगह थी जहाँ इस घातक वातावरण से बचा जा सकता था। इसलिए हमने वहीं उसे भेजने का निश्चय किया, हालाँकि कुछ बातों में वह अन्य यूनिवर्सिटियों की मानिन्द बिलकुल अप-टू डेट और सब तरह के सामानों से पूर्ण नहीं थी।

लौटते हुए, हम राजेन्द्र बाबू के साथ भूकम्प-पीड़ितों की सहायता के प्रश्न पर विचार करने के लिए पटना ठहरे। जेल से छूटकर वह अभी आये ही थे और लाज़िमी तौर पर उन्होंने पीड़ितों की सहायता के गैर-सरकारी काम में सबसे आगे कदम रक्खा। हमारा वहाँ पहुँचना बिलकुल अकस्मात् ही हुआ, क्योंकि हमारा कोई भी तार

उन्हें नहीं मिला था। कमला के भाई के जिस मकान में हम ठहरना चाहते थे वह टूटा-फूटा पड़ा था; पहले वह ईंटों की एक बड़ी भारी दुर्मज्जिला इमारत थी। इसलिए और बहुत-से लोगों की तरह हम भी खुले में ही ठहरे।

दूसरे दिन मैं मुजफ्फरपुर गया। भूकम्प हुए पूरे सात दिन हो चुके थे, पर अभी तक, सिवाय कुछ बड़े रास्तों के, कहीं भी मलबा उठाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया था। इन रास्तों को साफ करते वक्त बहुत-सी लाशें निकली थीं। इनमें कुछ तो विचित्र भाव-प्रदर्शक अवस्थाओं में थीं, जैसे किसी गिरती हुई दीवार या छत में बचने की कोशिश कर रही हों। इमारतों के खंडहरों का दृश्य बड़ा मामिक और रोमांचकारी था। जो लोग बच गये थे, वे अपने दिल दहलानेवाले अनुभवों के कारण बिलकुल घबराये हुए और भयभीत हो रहे थे।

इलाहाबाद लौटते ही धन और सामान इकट्ठा करने के काम का फौरन प्रबन्ध किया गया और सब लोग, जो कांग्रेस में थे वे भी और जो नहीं थे वे भी, मुम्बई के साथ इसमें जुट गये। मेरे कुछ सहयोगियों की यह राय हुई कि भूकम्प के कारण स्वतन्त्रता-दिवस के जलसे रोक दिये जायँ। लेकिन दूसरे साथियों को, और मुझे भी, कोई कारण नहीं नज़र आता था कि भूकम्प से भी हमारे प्रोग्राम में क्यों खलल पड़े? बहुत-से लोगों का खयाल था कि शायद पुलिस दस्तन्दाजी और गिरफ्तारियाँ कर बैठे और उसकी तरफ से कुछ मामूली दस्तन्दाजी हुई भी। मगर भीटग कर चुकने के बाद जब हम लोग बच गये तो हमें बहुत ताज्जुब हुआ। हमारे यहाँ के कुछ गाँवों में और कुछ दूसरे शहरों में गिरफ्तारियाँ की गईं।

बिहार से लौटने के कुछ ही दिन बाद मैंने भूकम्प के सम्बन्ध में एक वक्तव्य निकाला, जिसके अन्त में धन के लिए अपील की गई थी। इस वक्तव्य में मैंने बिहार-सरकार की उस अकर्मण्यता की आलोचना की, जो भूकम्प के बाद गुरु के कुछ दिनों तक उसने बताई थी। मेरा इरादा भूकम्प-प्रसित इलाकों के अफसरो की आलोचना करने का नहीं था, क्योंकि उनको तो एक ऐसी महाकठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा था जिससे बड़े-से-बड़े दिलेरो के भी दिल हिल जाने। और मुझे इसका अफसोस हुआ कि मेरे कुछ शब्दों से ऐसा आशय निकाला जा सकता था। लेकिन मैंने यह तो ज़रूर बड़े जोरो से महसूस किया कि शुरू में बिहार-सरकार के प्रमुख अधिकारियोंने कुछ ज्यादा कारगुजारी नहीं दिखलाई, खासकर मलबा हटाने में, जिसमें बहुत-सी जानें बच जाती। खाली मुगेर शहर में ही हज़ारों की जानें गईं, और तीन हफ्ते बाद भी मैंने देखा कि मलबे का पहाड़-का-पहाड़ ज्यों-का-त्यों पड़ा था, हालांकि कुछ ही मील दूर जमालपुर में हज़ारों रेलवे-कर्मचारी बसे हुए थे, जिनको भूकम्प

के पीछे कुछ ही घण्टों में इस काम में लगाया जा सकता था। भूकम्प के बारह दिन बाद तक भी जिन्दा आदमी खोदकर निकाले गये थे। सरकार ने सम्पत्ति की रक्षा का तो फौरन इन्तजाम कर दिया था, लेकिन जो लोग दब गये थे उनकी जान बचाने में उसने तत्परता नहीं दिखाई। इन इलाकों में म्यूनिसिपलिटियाँ तो रही ही नहीं थी।

मैं समझता हूँ कि मेरी आलोचना न्यायोचित थी और बाद में मुझे पता लगा कि भूकम्प-ग्रसित इलाकों के ज्यादातर लोग मुझसे सहमत थे। लेकिन न्यायोचित हो या न हो, वह सच्चे हृदय में की गई थी, और सरकार पर दोषारोपण करने की नीयत से नहीं बल्कि उसको तेजी से काम करने के लिए प्रेरित करने की नीयत से की गई थी। इस बारे में किसीने भी सरकार पर यह दोष नहीं लगाया कि उसने जान-बूझकर कोई गलत कार्रवाई की या कोई कार्रवाई करने में आनाकानी की। यह तो एक अजीब और पस्तहिम्मत कर देनेवाली परिस्थिति थी और इसमें होनेवाली भूले क्षम्य थी। जहाँतक मुझे मालूम है (क्योंकि मैं जेल में हूँ), बिहार सरकार ने बाद में भूकम्प में हुई क्षति को पूरा करने के लिए बड़ी तेजी और मुस्तेदी से काम किया।

लेकिन मेरी आलोचना से लोग नाराज हुए, और तुरन्त कुछ ही दिनों बाद बिहार के कुछ लोगो ने मेरी आलोचना के तुर्की-ब-तुर्की जवाब के तौर पर सरकार की प्रशंसा करते हुए एक वक्तव्य प्रकाशित किया। भूकम्प और उससे सम्बन्ध रखनेवाले सरकारी कर्तव्य करीब-करीब दूसरे दर्जे की बात बना दी गई। यह बात ज्यादा महत्त्वपूर्ण थी कि सरकार की आलोचना की गई है, इसलिए राजभक्त रिआया को उसके पक्ष का समर्थन करना ही चाहिए।

हिन्दुस्तान में फैले हुए उस रवैये का यह एक मजेदार नमूना था जो सरकार की आलोचना को—पश्चिमी देशों में जो एक बहुत मामूली चीज समझी जाती है—पसन्द नहीं करता। यह फ़ोजी मनोवृत्ति है जो आलोचना को सहन नहीं कर सकती। मग्राट की तरह भारत की ब्रिटिश सरकार और उसके ऊँचे हाकिम-हुक्काम, कोई गलती नहीं कर सकते। ऐसी किसी बात का इशारा भी करना घोर राज-द्रोह है।

इसमें विचित्रता यह है कि शासन में असफलता और अयोग्यता का आरोप बहुत ज्यादा बुरा खयाल किया जाता है, बनिस्बत कठोर शासन या निर्दयता का दोष लगाने के। निर्दयता का दोष लगानेवाला, बहुत मुमकिन है, जेल में डाल दिया जाय, मगर सरकार इसकी आदी हो गई है और अमल में इसकी परवा भी नहीं करती।

आखिर, एक तरह से, प्रभुता-प्राप्त जाति के लिए यह करीब-करीब एक बाह्यवाही की बात समझी जा सकती है। लेकिन नालायक और कमजोर कहा जाना उनके आत्म-सम्मान की जड़ पर कुठाराघात करता है; इससे हिन्दुस्तान के अंग्रेज हाकिमों की अपने-आपको उद्धारक समझने की धारणा पर प्रहार होता है। ये लोग उस अंग्रेज पादरी की तरह हैं जो ईसाई-धर्म के विरुद्ध आचरण के आरोप को तो चुपचाप बरदाश्त करने के लिए तैयार था लेकिन अगर उसे कोई बेवकूफ या नालायक कहे तो वह गुस्सा होकर मारने को दौड़ता था।

अंग्रेज लोगों में एक आम विश्वास फैला हुआ है, जो अक्सर इस तरह बयान किया जाता है मानो कोई अकाद्य सिद्धान्त हो, कि अगर हिन्दुस्तान के शासन में कोई ऐसी तबदीली हो जाय जिससे ब्रिटिश-प्रभाव कम हो जाय या निकल जाय, तो यहाँ का शासन और भी ज्यादा खराब और निकम्मा हो जायगा। इस विश्वास को रखते हुए भी, लेकिन अपने जोश में उदारता का भाव रखनेवाले, उग्रमतवादी और उन्नतिशील विचारोंवाले अंग्रेज यह कहते हैं कि सु-राज स्व-राज का स्थानापन्न नहीं हो सकता, और अगर हिन्दुस्तानी लोग गड्ढे में गिरना ही चाहते हैं तो उनको गिरने दिया जाय। मैं नहीं जानता कि ब्रिटिश-प्रभाव के निकल जाने पर हिन्दुस्तान की क्या हालत होगी। यह बात इसपर बहुत कुछ निर्भर है कि अंग्रेज लोग किस तरह से निकलकर जायें और उस समय भारत में किसका अधिकार हो; इसके अलावा, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कई विचारणीय बातें और भी हैं।

हाँ, अंग्रेजों की सहायता से स्थापित ऐसी अवस्था की भी मैं अच्छी तरह कल्पना कर सकता हूँ जो वर्तमान में सम्भव होनेवाली किसी हालत से कहीं बदतर और ज्यादा निकम्मी होगी, क्योंकि उसमें मौजूदा प्रणाली के दोष तो सब होंगे और गुण एक भी नहीं। इससे भी ज्यादा आसानी से मैं उस दूसरी अवस्था की कल्पना कर सकता हूँ जो, भारतवासियों के दृष्टिकोण से, किसी भी ऐसी अवस्था से अधिक योग्य और लाभकारी होगी जिसकी हमें आज मिलने की सम्भावना हो सकती है। यह मुमकिन है कि राज्य की बल-प्रयोग करने की शक्ति इतनी कारआमद न हो और शासन-विधान इतना भङ्कदार न हो, लेकिन पैदावार, खपत और जनता के शारीरिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आदर्श को ऊँचा उठानेवाले कार्य अधिक योग्यता से होंगे। मेरा विश्वास है कि स्वराज किसी भी देश के लिए लाभकारी है। लेकिन मैं स्वराज तक को वास्तविक सु-राज देकर लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। स्वराज अपने-आपको न्यायोचित तभी कह सकता है जब उसका ध्येय वास्तव में जनता के लिए सु-राज हो। चूँकि मेरा विश्वास है कि भारत में ब्रिटिश सरकार,

भूतकाल में उसका दावा चाहे जो कुछ रहा हो, आज जनता के लिए सु-राज या उन्नत आदर्श प्रदान करने के बिलकुल अयोग्य है, इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि भारत में उसकी उपयोगिता जो कुछ भी थी वह नष्ट हो चुकी है। भारत की स्वतंत्रता का सच्चा औचित्य इसीमें है कि उसे सु-राज मिले, उसकी जनता की स्थिति ऊँची हो, उसकी औद्योगिक और सांस्कृतिक प्रगति हो और भय और दमन का वह वातावरण दूर हो जाय जो विदेशी साम्राज्यवादी शासन का अनिवार्य परिणाम होता है। ब्रिटिश सरकार और इंडियन सिविल सर्विस भारत में मनमानी करने की ताकत भले ही रखते हो, पर वे भारत के तात्कालिक प्रश्नों को हल करने के बिलकुल अयोग्य और निकम्मे हैं। भविष्य के प्रश्नों के लिए तो और भी कम। क्योंकि इनके मूल सिद्धान्त और धारणाएँ बिलकुल गलत हैं और वास्तविकता से उनका सम्बन्ध टूट चुका है। कोई सरकार या शासक-वर्ग जो पूर्णतया योग्य नहीं है या जो पतनशील व्यवस्था का प्रतिनिधि है, ज्यादा दिनोंतक मनमानी नहीं कर सकता।

इलाहाबाद की भूकम्प-सहायता कमिटी ने मुझे भूकम्प-पीड़ित इलाकों में जाने के लिए और वहाँ भूकम्प-पीड़ितों की सहायता के लिए जो ढग अस्खार किया गया था उसकी रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया। मैं फौरन अकेला ही चल पड़ा और दस दिन तक उन फटे हुए और नष्ट-भ्रष्ट इलाकों में घूमा।

दस दिनों में बड़ा श्रम करना पड़ा और इन दिनों मुझे सोने को बहुत कम मिला। सुबह के पाँच बजे से लगभग आधी रात तक हम लोग चलते ही रहते थे—कभी दरारोवाली टूटी-फूटी सड़कों पर मोटर में जा रहे हैं, तो कभी छोटी-छोटी डोंगियों के द्वारा ऐसे स्थानों में उतर रहे हैं जहाँ पुल गिर पड़े थे या जहाँ ज़मीन की सतह में फ़र्क़ आने से सड़के पानी में डूब गई थी। शहरों में ढेर-के-ढेर खडहरों और टूटी हुई, या मानों किमी देव के द्वारा मरोड़ी हुई, या दोनों ओर के मकानों की कुर्सी से ऊपर उठी हुई, सड़कों का दृश्य बड़ा हृदय-स्पर्शी था। इन सड़कों की बड़ी-बड़ी दरारों में से पानी और बालू-रेत ने फूट फूटकर मनुष्यों और जानवरों को बहा दिया था। इन शहरों से भी ज्यादा उत्तर बिहार के मैदानों पर—जिनको बिहार का बाग़ कहा जाता था—उजाड़ और विनाश की छाप लगी हुई थी। मीलों तक फैली हुई बालू-रेत, पानी के बड़े-बड़े तालाब और विशालकाय दरारे और असंख्य छोटे-छोटे ज्वालामुखी के-से मुँह थे जिनमें से यह बालू-रेत और पानी निकले थे। इस इलाके के ऊपर हवाई जहाज़ में बैठकर उड़नेवाले कुछ अंग्रेज़ अफसरों ने कहा था, कि यह कुछ-कुछ लड़ाई के ज़माने के और उसके कुछ बाद के उत्तरी फ़्रान्स के युद्ध-क्षेत्र से मिलता-जुलता था।

यह एक बड़ा भयानक अनुभव हुआ होगा। भूकम्प जोरदार, इधर-उधर दोनों ओर की गति से, शुरू हुआ, जिससे खड़े हुए मनुष्य गिर पड़े। इसके बाद ऊपर-नीचे की गतियाँ हुईं और एक ऐसी गड़गड़ाहट करती और गूँजती हुई भयंकर आवाज़ हुई जैसे तोपें चल रही हों या आकाश में सैकड़ों हवाई जहाज़ उड़ रहे हों। अगणित स्थानों पर बड़ी-बड़ी दरारों और गड्ढों में से पानी फूट निकला और उसकी धारे दस-बारह फुट तक ऊँची उछली। यह सब शायद तीन या चार मिनट रहा होगा, मगर ये तीन मिनट ही महाभयंकर थे। जिन लोगों ने इन घटनाओं को होते हुए देखा, आश्चर्य नहीं यदि उन्हें यह कल्पना हुई हो कि दुनिया का अन्त आ गया। शहरों में मकानों के गिरने का शोर था, पानी बड़ी जोर से बहकर आ रहा था और सारे वायुमण्डल में धूल भर गई थी, जिससे कुछ ही गज़ आगे की चीज़ें भी नज़र नहीं आती थी। देहातो में इतनी धूल नहीं थी और दूर तक दिखलाई देता था, लेकिन वहाँ कोई शान्ति से देखनेवाले ही नहीं थे। जो लोग ज़िंदा बचे वे भयंकर त्राम के कारण ज़मीन पर लेट गये या इधर-उधर लुढ़कने लगे।

मेरे खयाल से, मुजफ्फरपुर में एक बारह बरस का लड़का भूकम्प के दस दिन बाद खोदकर जीवित निकाला गया। वह बड़ा चकित था। टूट-टूटकर गिरने-वाले ईंट-चूने ने जब उसे धराशायी करके दबा लिया तो उसने कल्पना की कि प्रलय हो गया है और अकेला वही जीवित बचा है।

मुजफ्फरपुर में ही ऐन भूकम्प के मौके पर, जबकि मकानों गिर रहे थे और चारों तरफ सैकड़ों आदमी मर रहे थे, एक बच्ची पैदा हुई। उसके अनुभव-हीन माता-पिता को यह न सूझा कि क्या करना चाहिए और पागल-से हो गये। मगर मैंने मुना कि माता और बच्चा दोनों की जाने बच गई और वे मजे में थे। भूकम्प की यादगार में बच्ची का नाम 'कम्पोदेवी' रखा गया।

हमारे दौरे का आखिरी शहर मुंगेर था। हम लोग बहुत घूम चुके थे और करीब-करीब नेपाल की सीमा तक पहुँच गये थे और हमने अनेक हृदय-विदारक दृश्य देखे थे। हम लोग एक बड़े भारी पैमाने पर खंडहर और विध्वंस देखने के आदी हो गये थे। लेकिन फिर भी जब हमने मुंगेर को और इस धन-सम्पन्न नगर की अत्यन्त विनाश-पूर्ण अवस्था को देखा तो उसकी भयंकरता से हमारा दम फूलने लगा और हमें कँपकंपी आने लगी। मैं उस महाभयंकर दृश्य को कभी नहीं भूल सकता।

भूकम्प के तमाम इलाकों में, क्या शहरों और क्या देहातो में, वहाँ के निवासियों में स्वावलम्बन का बड़ा शोचनीय अभाव नज़र आया। शायद शहरों के मध्यम वर्ग में इसका सबसे अधिक अभाव था। वे लोग इस इन्तज़ार में थे कि कोई सरकारी

या गैरसरकारी भूकम्प-सहायक समिति आकर काम करे और उन्हें सहायता दे। जो दूसरे लोग सेवा करने को आगे आये, उन्होंने समझा कि काम करने का अर्थ है लोगों पर हुकम चलाना। यह निरसहायता की भावना कुछ तो निस्संदेह भूकम्प के आतंक से पैदा हुई मानसिक दुर्बलता के कारण थी और वह धीरे-धीरे ही कम हुई होगी।

बिहार के दूसरे हिस्सों और दूसरे प्रान्तों से बड़ी संख्या में आनेवाले मददगारों का जोश और उनकी कार्यशक्ति इसकी तुलना में एक बिलकुल अलग ही चीज़ नज़र आती थी। इन नवयुवकों और नवयुवतियों की, मुस्तेदी के साथ सेवा करने की भावना को देखकर चकित होना पड़ता था। और हालाँकि अनेक भिन्न-भिन्न सहायक-मस्थायें काम कर रही थी, फिर भी इनमें आपस में बहुत कुछ सहयोग था।

मुंगेर में ग्वोदने और मलबा हटाने की स्वावलम्बी भावना को बढ़ाने के लिए मैंने नाटक-सा किया। इसे करने में मुझे कुछ हिचकिचाहट तो हुई, पर इसका परिणाम बड़ा सफलतापूर्ण निकला। सहायक संस्थाओं के तमाम नेता टोक़रियाँ और फावड़े लेलेकर निकले और इन्होंने दिनभर खुदाई की और हमने एक लड़की की लाश बाहर निकाली। मैं तो उमी दिन मुंगेर से चला आया, लेकिन खुदाई का काम जारी रहा और बहुत-से स्थानीय व्यक्तियों ने उसे बड़ी सफलता पूर्वक किया।

जितनी गैर-सरकारी सहायक संस्थाएँ थी उन सबमें सेन्ट्रल रिलीफ़ कमिटी, जिसके अध्यक्ष बाबू राजेन्द्रप्रसाद थे, सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। यह सर्वथा काँग्रेसी संस्था नहीं थी। शीघ्र ही यह बढ़कर भिन्न-भिन्न दलों और दानदाताओं के प्रतिनिधि-स्वरूप एक अखिल भारतीय संस्था बन गई। इसमें सबसे बड़ा लाभ यह था कि देहातो की काँग्रेस कमिटियों की सहायता इसे मिल सकती थी। गुजरात और युक्त-प्रान्त के कुछ जिलों को छोड़कर कहीं के काँग्रेसी कार्यकर्त्ता किसानों के इतने अधिक सम्पर्क में नहीं थे जितने यहाँ के। दरअसल ये कार्यकर्त्ता खुद ही किसान-वर्ग के थे। बिहार भारत का सबसे मुख्य कृषक-प्रदेश है और उसके मध्यमवर्ग तक का किसानों से घनिष्ठ सबन्ध है। कभी कभी, जब मैं काँग्रेस के मंत्री की हैसियत में बिहार-प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी के दफ्तर का निरीक्षण करने जाता था तो मुझे नज़र आनेवाले निकम्मेपन और दफ्तर के काम में ढीलम-ढाल की मैं बड़े कड़े शब्दों में आलोचना किया करता था। वहाँ खड़े रहने के बजाय बैठ जाने की और बैठने की अपेक्षा लेट जाने की प्रवृत्ति थी। दफ्तर भी मेरे अबतक देखे हुए तमाम दफ्तरों में सबसे अधिक साधनहीन था, क्योंकि वे लोग दफ्तर के लिए मामूली तौर पर ज़रूरी लवाज़में के बिना ही काम चलाने की कोशिश करते थे। लेकिन दफ्तर की आलोचना के बावजूद, मैं खूब अच्छी तरह जानता था कि काँग्रेस के लिहाज़ से यह प्रान्त देश के सबसे

ज्यादा उत्साही और लगन के साथ काम करनेवाले प्रान्तों में से था। यहाँ की कांग्रेस में ऊपरी तड़क-भड़क नहीं थी, पर सारा कृषक-वर्ग सामूहिक रूप से उसके पीछे था। आल-इंडिया कांग्रेस कमिटी में भी बिहार के प्रतिनिधियों ने शायद ही कभी किसी मामले में उग्र रख अस्वित्यार किया हो। वे तो अपने-आपको वहाँ देखकर कुछ ताज्जुब-सा करते थे। लेकिन सविनय-भंग के दोनों आन्दोलनों में बिहार ने बड़े ऊँचे दर्जों का नमूना पेश किया। यहाँतक कि बाद के व्यक्तिगत सविनय-भंग के आन्दोलन में भी उसने अच्छा काम कर दिखलाया।

रिलीफ कमिटी ने किसानों तक पहुँचने के लिए इस सुन्दर सगठन से लाभ उठाया। देहात में कोई भी साधन, यहाँतक कि सरकार भी, इतने उपयोगी नहीं हो सकते थे। और रिलीफ कमिटी और बिहार कांग्रेस कमिटी दोनों के प्रधान थे राजेन्द्र बाबू, जो निर्विवाद रूप से सारे बिहार के नेता थे। देखने में एक किसान के समान, बिहार-देश के सच्चे सुपुत्र राजेन्द्र बाबू का व्यक्तित्व, जबतक कि कोई उनकी तेज और निष्कपट आँखों और गम्भीर मुख-मुद्रा पर गौर न करे, शुरू-शुरू में देखने पर कुछ प्रभावशाली नहीं मालूम पड़ता। वह मुद्रा और वे आँखें भुलाई नहीं जा सकती, क्योंकि उनमें होकर सच्चाई आपकी ओर झोंकती है और उनपर आप सदेह कर ही नहीं सकते। किसान-स्वभाव होने के कारण उनका दृष्टिकोण शायद ज़रा सीमित है और नई रीतानी की दृष्टि में देखने पर कुछ सीधे-मादे दीखते हैं। पर उनकी ज्वलन योग्यता, उनकी शुद्ध निष्कपटता, उनकी शक्ति, और भारत की स्वतन्त्रता के लिए उनकी लगन, ये ऐसे गुण हैं जिन्होंने उनको अपने ही प्रान्त का नहीं बल्कि सारे भारत का प्रेम-पात्र बना दिया है। जैसी सर्वमान्य नेतृत्व की स्थिति राजेन्द्र बाबू को बिहार में प्राप्त है वैसे भारत के किसी भी प्रान्त में किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं। उनके सिवा, गांधीजी के वास्तविक संदेश को इतनी पूर्णता से अपनानेवाले, कोई हो भी, तो बिरले ही होंगे।

यह बड़े सद्भाग्य की बात थी कि राजेन्द्र बाबू जैसे व्यक्ति बिहार में सहायता के कार्य का नेतृत्व करने के लिए मौजूद थे, और उनमें लोगों की जो श्रद्धा थी उसीका यह परिणाम था कि सारे भारत से विपुल धन-राशि खिंची चली आई। स्वास्थ्य खराब होने पर भी वह सहायता के कार्य में पिल पड़े। वह अपनी शक्ति से अधिक काम करने लगे, क्योंकि वह सारी कार्रवाइयों का केन्द्र बन गये थे और सलाह के लिए सब उन्हींके पास आते थे।

जिस समय मैं भूकम्प के इलाको में दौरा कर रहा था, या शायद वहाँ जाने से पहले, मुझे गांधीजी का यह वक्तव्य पढ़कर बड़ी चोट लगी कि यह भूकम्प अस्पृश्यता

के पाप का दंड था। यह वक्तव्य बड़ी हैरत में डालनेवाला था। मैंने रवीन्द्रनाथ ठाकुर के उत्तर का स्वागत किया और मैं उससे पूर्णतया सहमत भी था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का इससे अधिक विरोध करनेवाली किसी और चीज की कल्पना करना कठिन है। कदाचित् विज्ञान भी आज प्रकृति पर चित्तवृत्तियों और मनोवैज्ञानिक घटनाओं के प्रभाव के विषय में इस तरह सर्वथा निश्चयात्मक रूप से कोई बात नहीं कह सकेगा। मानसिक चोट के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को अजीर्ण या इससे भी अधिक और कोई खराबी का हो सकना भले ही सम्भव हो, लेकिन यह कहना कि किसी मानवी रिवाज या कर्तव्य-हीनता की प्रतिक्रिया पृथ्वी-तल की गति पर पड़े, एक हैरत में डाल देनेवाली बात है। पाप और ईश्वरीय कोप का विचार और ब्रह्माण्ड की घटनाओं में मनुष्य की सापेक्ष स्थिति, ये ऐसी बातें हैं जो हमको कई सौ वर्ष पीछे ले जाती हैं, जबकि योरप में धार्मिक अत्याचारों का बोलबाला था, जिसने वैज्ञानिक कुफ़्र के कारण गियोडीनो ब्रूनो को जलवा डाला तथा कितनी ही डाकिनियों को सूली पर चढ़ा दिया ! अठारहवीं सदी में भी, अमेरिका में बोस्टन के प्रमुख पादरियो ने मेसाचुसेट्स के भूकम्पो का कारण बिजली गिरने से रोकने के लिए लगाये गये खम्भों की अपवित्रता बतलाया था।

और अगर भूकम्प पापों का दैवी दंड भी हो, तो भी हम यह कैसे मालूम करे कि हमको कौन से पाप का दंड मिल रहा है ? क्योंकि दुर्भाग्यवश हमें तो बहुतसे पापों का फल भोगना है। हरेक व्यक्ति अपनी-अपनी पसंद का कारण बता सकता है। शायद हम लोगों को एक विदेशी राज सत्ता कबूल करने का या एक अनुचित सामाजिक प्रणाली को सहन करने का दंड मिला हो। आर्थिक दृष्टि से दरभंगा महाराज, जो बड़ी लम्बी-चोड़ी जागीरो के मालिक है, भूकम्प के कारण सबसे अधिक नुक़सान उठानेवालों में से थे। इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यह ज़मींदारी प्रथा के विरुद्ध फैसला है। ऐसा कहना ज्यादा ठीक होगा, वनिस्वत यह कहने के कि बिहार के करीब-करीब निरपराध निवासी, दक्षिण भारत के लोगों के अस्पृश्यता के पाप के बदले में त्रस्त किये गये। भूकम्प खुद अस्पृश्यता के देश में ही क्यों नहीं आया ? या ब्रिटिश सरकार भी तो इस विपत्ति को सविनय-भंग के लिए दैवी दंड कह सकती है; क्योंकि, यदि वास्तव में देखा जाय तो, उत्तरी बिहार ने, जिसको भूकम्प के कारण सबसे अधिक नुक़सान पहुँचा, आजादी की लड़ाई में बड़ा प्रमुख भाग लिया था।

इस तरह हम अनन्त कल्पनायें कर सकते हैं। और फिर यह प्रश्न भी तो उठता है, कि हम लोग परमात्मा की दैवी आज्ञाओं के प्रभाव को अपने मानवी प्रयत्नों से कम करने की कोशिश करके उसके कार्यों में क्यों हस्तक्षेप करें ? और हमें इसपर

भी ताज्जुब होता है कि ईश्वर ने हमारे साथ ऐसी निदंयतापूर्ण दिल्लगी क्यों की— कि, पहले तो हमको त्रुटियों से पूर्ण बनाया, हमारे चारों ओर जाल और गड्ढे बिछा दिये, हमारे लिए एक कठोर और दुःखपूर्ण संसार की रचना कर दी, चीता भी बनाया और भेड़ भी, और फिर हमको सज़ा भी देता है।

“जब तारों ने अपनी झिलमिल किरणें डालीं जगती पर,
और गगन-मडल से उतरी बूंदें रिमझिम धरती पर,
देख-देख कृति अपनी कैसे स्मिति ओठों पर ला सकता !
मेष-वत्स रचनेवाला क्या भीषण सिंह बना सकता ?”

पटना ठहरने की आखिरी रात को मैं बड़ी रात तक बहुतसे मित्रों और सहयोगियों से बातें करता रहा, जो जुदा-जुदा प्रान्तों से सहायता-कार्य में अपनी सेवायें देने के लिए आये थे। युक्तप्रान्त का अच्छा प्रतिनिधित्व था और हमारे कई चुनीदा कार्यकर्त्ता वहाँ थे। हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे थे, जो हमें बड़ा हैरान कर रहा था, कि हम लोग किस हद तक अपने-आपको भूकम्प-पीड़ितों की सहायता के काम में लगावे ? इसका अर्थ यह था कि उस हद तक हम अपनेको राजनैतिक कार्य से अलग हटा रहे थे। सहायता का काम बड़ा कठिन था और ऐसा हम कर नहीं सकते थे कि जब-जब हमें फुरसत मिले तब तो उसे करे और फुरसत न हो तो न करें। इसमें लग जाने से क्रियात्मक राजनैतिक क्षेत्र में बहुत दिनों तक गैरहाज़िर रहने की संभावना थी और राजनैतिक दृष्टि से हमारे प्रान्त पर इसका प्रभाव बुरा पड़े बिना नहीं रह सकता था। यद्यपि कांग्रेस में बहुत-से लोग थे, फिर भी करने—घरनेवालों की संख्या तो परिमित ही थी और उनको छुट्टी नहीं दी जा सकती थी। इधर भूकम्प के तक्राज़े की भी अवहेलना नहीं की जा सकती थी। अपनी ओर से तो मेरा खाली सहायता के ही काम में लग जाने का इरादा न था। मैंने महसूस किया कि इस कार्य के लिए लोगों की कमी न होगी; अलबत्ता अधिक खतरे के कामों को करनेवाले लोग बहुत थोड़े थे।

इसलिए हम बहुत रात तक बातचीत करते रहे। हमने पिछले स्वतंत्रता-दिवस पर भी विचार किया कि किस प्रकार हमारे कुछ सहयोगी तो उस मौक़े पर गिरफ्तार कर लिये गये थे पर हम लोग बच गये थे। मैंने मज़ाक में उन लोगों से कहा कि

१. मूल अंग्रेज़ी पद्य इस प्रकार है :—

“When the stars threw down their spears
And water'd heaven with their tears,
Dare he laugh his work to see ?
Dare he who made the lamb make thee ?”

मुझे तो पूरी सुरक्षा के साथ उग्र राजनैतिक कार्य करने के रहस्य का पता लग गया है ।

मैं ११ फ़रवरी को, दौरे के कारण बिलकुल थका-मांदा, इलाहाबाद में अपने घर पहुँचा । कड़ी मेहनत के दस दिनों ने मेरी शारीरिक अवस्था बड़ी भयानक बना दी थी और मेरे कुटुम्ब के लोग मेरी शकल देखकर चकित हो गये । मैंने इलाहाबाद रिलीफ कमिटी के लिए अपने दौरे की रिपोर्ट लिखना शुरू किया, लेकिन नींद ने मुझे आ घेरा । अगले २४ घंटों में से मैंने कम-से-कम १२ घंटे नींद में बिताये ।

दूसरे दिन, शाम के वक्त, कमला और मैं चाय पीकर बैठे थे और पुरुषोत्तमदास टडन हमारे पास आये ही थे । हम लोग बरामदे में खड़े हुए थे । इतने में एक मोटर आई और पुलिस का एक अफसर उसमें से उतरा । मैं फ़ौरन समझ गया कि मेरा वक्त आ गया है । मैंने उसके पास जाकर कहा—“बहुत दिनों से आपका इतज़ार था ।” वह ज़रा माफी-सी माँगने लगा और कहने लगा कि कुसूर उसका नहीं है । वारंट कलकत्ता से आया था ।

मैं पाँच महीने और तेरह दिन बाहर रहा । और अब मैं फिर तखलिया और तनहाई में भेज दिया गया । लेकिन दुःख का असली भार मुझपर न था । वह तो हमेशा की तरह औरतों पर ही था—मेरी रोगाक्रान्त माता पर, मेरी पत्नी पर और मेरी बहन पर ।

अलीपुर-जेल

“फेंक यकायक कहीं दिया है इतनी दूर मुझे लाकर !
कबतक यों टकराना होगा इन अदृष्ट की लहरों पर ?
किधर खीच ले जावेगे अब झोंको के यह उलझे तार ;
दिखता नहीं प्रदीप, न जाने कहीं लगेगी किस्ती पार !”

उसी रात को मैं कलकत्ता ले जाया गया। हावड़ा स्टेशन से लालबाजार पुलिस-थाने तक मुझे एक बड़ी काली मोटर-लॉरी में बिठाकर ले गये। कलकत्ता-पुलिस के इस मशहूर हेड-क्वार्टर के बारे में मैंने बहुत-कुछ पढ़ रक्खा था। अतः मैं उस जगह को बड़े चाव से देखने लगा। वहाँ अंग्रेज सार्जेंट और इन्स्पेक्टर इतनी बड़ी तादाद में मौजूद थे, जितने उत्तर-भारत के किसी बड़े पुलिस-थाने में नहीं है। वहाँके सिपाही अक्सर सभी बिहार और संयुक्तप्रान्त के पूर्वी जिलों के थे। अदालत से जेल या एक जेल से दूसरी जेल जाने के लिए मुझे कई बार जेल की लारी में जाना पड़ता था और हर दफा इनमें से कई सिपाही लारी के भीतर मेरे साथ जाने थे। वे ज़रूर ही कुछ दुःखी मालूम होते थे। उनको यह काम पसन्द न था और स्पष्टतः वे मेरे साथ बड़ी हमदर्दी-मी रखने थे। मैंने देखा कि कई बार उनकी आँखों में आँसू चमक पड़ते थे।

मुझे शुरू में प्रेसिडेन्सी जेल में रक्खा गया और वहीसे मुझे अपने मुकदमे के लिए चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट की अदालत में ले जाया जाता था। यह अदालत मेरे लिए एक नया तज़ुर्बा था। अदालत का कमरा और इमारत साधारण अदालत के-से नहीं बल्कि एक घिरे हुए क़िले के जैसे थे। सिवा कुछ अखबारवालों और वहीके वकीलों के बाहर का कोई आदमी उसके आस-पास भी नहीं फटक सकता था। पुलिस वहाँ काफ़ी तादाद में जमा थी। यह सब बन्दोबस्त कोई मेरे लिए नया नहीं किया गया

१. रॉबर्ट ब्राउनिंग की मूल कविता इस प्रकार है :—

“Already how am I so for
Out of that minute ? Must I go
Still like the thistle-ball, no bar,
Onward wherever light winds blow,
Fixed by no friendly star ?”

था, यह तो वहाँका हमेशा का ही दस्तूर है। अदालत के कमरे में जाने के लिए मुझे दूसरे कमरे में होते हुए एक लम्बे रास्ते से जाना पड़ता था, जिसके ऊपर और दोनों बाजूओं में जाली पड़ी हुई थी, मानों किसी पिंजड़े में से निकल रहे हों। मुलजिम का कटघरा हाकिम की कुर्सी से कुछ दूर था। कमरा पुलिसवालों और काले कोट और चोगेवाले वकीलों से भरा हुआ था।

मुझे अदालती मुकदमों से काफी वास्ता पड़ चुका है। मेरे पहले के कई मुकदमे जेल के भीतर ही चुके हैं, परन्तु उन सब मौकों पर मेरे साथ दोस्त, रिश्तेदार और पहचानवाले रहते थे इस कारण वहाँ का वातावरण मेरे लिए कुछ सरल जान पड़ता था। पुलिस अधिकतर गौणरूप में होती थी और वहाँ पिंजड़े वगैरा नजर न आते थे। यहाँ तो बात ही दूसरी थी, चारों तरफ अजनबी और बिना जान-पहचान की शकलें नजर आती थीं, जिनमें और मुझमें कुछ भी साम्य नहीं दीखता था। वे लोग मुझे बहुत पसंद भी नहीं आये। चोगाधारी वकीलों की जमात मुझे तो देखने में सुन्दर नहीं मालूम होती, और खासकर पुलिस की अदालत के वकीलों का नजारा तो जरूर ही अप्रिय मालूम होता है। आखिर उस काली जमात में एक जान-पहचान का वकील निकल तो आया, लेकिन वह भी उस झुण्ड में मिलकर कही गायब हो गया।

मुकदमा शुरू होने के पहले जब मैं बाहर झरोखे में बैठा रहता था, तब भी मुझे अकेलापन और सूनसान मालूम पड़ता था। मेरी नब्ब जरूर तेज हो गई होगी और मेरा दिल इतना शान्त नहीं था जैसा पहले के मुकदमों के समय में रहता था। मुझे तब खयाल आया कि जब इतने मुकदमों और सजाओं का तजुर्बा होते हुए भी मुझपर परिस्थिति की अजीब प्रक्रिया का असर हुए बिना न रहा तो ऐसी हालत में नातजुर्बेकार नौजवानों पर परिस्थिति का कितना बड़ा भार पड़ता होगा ?

कटघरे में मेरा चित्त बहुत-कुछ शान्त मालूम हुआ। हमेशा की तरह कोई सफाई पेश नहीं की गई, और मैंने अपना एक मुस्तसिर-सा बयान पढ़कर सुना दिया। दूसरे दिन अर्थात् १६ फरवरी को मुझे दो बरस की सजा हो गई, और यों मेरी सातवीं सजा शुरू हुई।

मेरी साढ़े पाँच महीने की रिहाई के समय का बाहरी जीवन मुझे संतोषप्रद मालूम हुआ। इस असें में मे काम में काफी लगा रहा और कई उपयोगी काम पूरे कर सका। मेरी माता की बीमारी ने पलटा खा लिया था और अब वह खतरे से बच निकली थी। मेरी छोटी बहन कृष्णा की शादी हो चुकी थी, मेरी लड़की की आगे की शिक्षा का सिलसिला ठीक बैठ गया था। मैंने भी अपनी घर-गृहस्थी की और आर्थिक कई मुश्किलों को हल कर लिया और कई घरेलू मामले, जिनको मैं असें से भुला रहा

था, सुलझा लिये थे। और सार्वजनिक मामलों में तो, मैं जानता था कि, उस समय किसी के लिए भी कुछ विशेष कर लेना सहज न था। हाँ, मैंने कांग्रेस की ताकत को मजबूत कर उसका रुख सामाजिक और आर्थिक विचारों के मार्ग की ओर मोड़ने में जरूर कुछ मदद की। गांधीजी के साथ मेरी पूना की खतो-किताबत और बाद में अखबारों में निकले मेरे लेखों ने हालत को कुछ बदल दिया था। साम्प्रदायिक मसले पर भी मेरे लेखों ने कुछ ही असर किया। इसके अलावा, मैं दो बरस से ज्यादा अर्से के बाद गांधीजी और दूसरे मित्रों और साधियों से भी मिल लिया और आगे काम करने के लिए दिली व दिमागी शक्ति संग्रह करली थी।

पर मेरे मन को दुःखी करनेवाली एक घटा तो अब भी बाकी थी और वह थी कमला की बीमारी। मुझे उस वक्त तक उसकी बीमारी की गहराई का अन्दाजा न था, क्योंकि उसकी आदत थी कि जबतक वह चारपाई पकड़ न लेती तबतक काम में अपनी बीमारी को धकेलती ही रहती। लेकिन मुझे बड़ी फिर थी। इसपर भी मुझे उम्मीद थी कि अब मेरे जेल में चले जाने पर तो वह मन लगाकर अपना इलाज करावगी। मेरे बाहर रहने पर यह कुछ कठिन था, क्योंकि वह मुझे ज्यादा समय के लिए अकेला छोड़ने को सहसा तैयार नहीं होती थी।

लेकिन एक और बात का भी मुझे दुःख रह गया था। वह यह था कि इलाहाबाद जिले के गाँवों में मैं एक बार भी दौरा न कर सका था। मेरे कई नवयुवक साथी हमारी नीति पर कार्य करते हुए गिरफ्तार हो गये थे। इस कारण उनके बाद गाँवों की खबर न लेना मुझे एक तरह से उनके प्रति बेवफ़ा-सा होना मालूम होता था।

लेकिन काली मोटर-लारी ने मुझे फिर जेल में पहुँचा दिया। रास्ते में कई फ़ौजी सिपाही मशीनगन और फ़ौजी गाड़ी (आरमंड कार) के साथ मार्च करते हुए मिले। जेल की लारी के छोटे सुराखों में से मैंने उनकी ओर देखा। मेरे दिल में खयाल आया कि फ़ौजी गाड़ी (आरमंड कार) और टैंक कितने भद्दे होते हैं। उन्हें देखकर मुझे इतिहास से पूर्व-कालिक दानवों, अजगरों इत्यादि का स्मरण हो आया।

मेरा तबादला प्रेसिडेन्सी जेल से अलीपुर सेन्ट्रल जेल में हो गया और वहाँ मुझे एक दस फ़ुट लम्बी और नौ फ़ुट चौड़ी छोटी-सी कोठरी दी गई। इस कोठरी के सामने एक बरामदा और छोटा-सा सहन था। सहन की चहारदीवारी नीची, क़रीब सात फ़ुट की, थी और उसपर से झाँककर देखने पर मेरे सामने एक अजीब नजारा दिखाई दिया। सब तरह की बेडंगी इमारतें, इकमंजली, दुमंजली, गोल, चौकोर और अजीब छतोंवाली खड़ी थीं। कई तो एक के ऊपर दूसरी नज़र आती थीं। ऐसा मालूम होता था कि ये सब इमारतें बेतरतीब, ज़मीन का एक-एक कोना-कोना भरने

के लिए बनाई गई थी। यह बनावट मुझे तो किसी घरोंदे की भूल-भुलैयाँ या किसी भविष्यवादी की हवाई रचना-सी मालूम होती थी। मुझे बताया गया कि ये इमारतें बड़े सिलसिले से बनी हुई हैं, बीच में एक मीनार है (जो ईसाई क़ैदियों का गिर्जा है) और उसके चारों तरफ़ घरों की लाइनें हैं। चूँकि यह जेल शहर में था, इस वजह से ज़मीन बहुत परिमित थी और उसका छोटे-से-छोटा टुकड़ा भी काम में लाये बिना छोड़ा नहीं जा सकता था।

मैं अभी शुरुआत के इस भौड़े नज़ारे को देखकर नज़र हटा ही रहा था, कि मुझे एक दूसरा खौफनाक नज़ारा दीख पड़ा। मेरी कोठरी और सहन के ठीक सामने दो चिमनियाँ खड़ी दिखाई दी, जिनमें से हमेशा गहरा काला धुआँ निकल रहा था, जिसको हवा कभी-कभी मेरी तरफ़ फँककर मेरा दम घोंटने लगती थी। ये जेल के बावर्चीखानों की चिमनियाँ थी। मैंने बाद में जेल के सुपरिण्टेण्डेंट को सलाह दी कि इस मुसीबत से मुझे बचाने के वास्ते चिमनियों पर जाली ढक दें।

यह शुरुआत ही अच्छी न थी और न इसके आइन्दा अच्छा होने की ही उम्मीद थी—वही अलीपुर-जेल की अपरिवर्तनीय लाल ईंटों की इमारतों का दृश्य और वही बावर्चीखानों की चिमनियों का धुआँ रात-दिन साँस और मुँह में जाना, सामने था। मेरे सहन में दरस्त या सब्जी कुछ न थे। वह यों तो पत्थरों का पक्का और साफ़ बना हुआ था, पर रोज़-रोज़ धुआँ जम जाने की वजह से बड़ा भद्दा और बदनमा मालूम होता था। वहीसे पड़ोसवाले सहनों के एक-दो दरस्तों के ऊपर के सिरे कुछ-कुछ नज़र आते थे। मेरे जेल में पहुँचने पर वे दरस्त बिला पत्ते और फूली के ठूठ-से खड़े थे, पर धीरे-धीरे उनमें एक अजीब तबदीली होना शुरू हुई और सब शाखों में हरी-हरी कोपले निकलने लगी। कोपलो में से पत्ते निकले और बड़ी जल्दी बढ़कर उन्होंने नंगी शाखों को खुशनुमा हरियाली से ढक दिया। यह तबदीली बड़ी सुखद मालूम हुई और अलीपुर-जेल भी बड़ी खुशनुमा हो गई।

इनमें से एक दरस्त में चील का घोंसला था। इसमें मुझे दिलचस्पी पंदा हुई और मैं बड़े चाव से उसे देखने लगा। छोटे-छोटे बच्चे बढ़-बढ़कर उड़ने की अपनी पैतृक कला सीख गये। कभी-कभी तो ऐसी हँरत में डालनेवाली होशियारी से उड़कर झपटते कि सीधे किसी क़ैदी के हाथ या मुँह में से रोटी का टुकड़ा झपट लेते।

क़रीब-क़रीब शाम से सुबह तक हमें अपनी कोठरी में बन्द रहना पड़ता था और जाड़े की लम्बी रातें काटे न कटती थीं। घण्टों पढ़ते-पढ़ते थककर मैं अपनी कोठरी में चहलकदमी शुरू कर देता। चार-पाँच क़दम आगे बढ़कर फिर लौटना पड़ता। उस वक़्त मुझे चिड़ियाघर के रीछ के अपने पिंजरे में इधर-उधर चक्कर काटने का दृश्य

याद आ जाता था। कभी-कभी जब मैं बहुत ऊब उठता तो अपना प्रिय शीर्षासन करने लगता था।

रात का शुरू का हिस्सा तो काफी शान्त होता था; केवल शहर की मुस्तलिफ आवाजें—ड्राम, ग्रामोफोन या दूर से किसीके गाने की लहर—धीरे-धीरे पहुँचती थीं। इस दूर से आते हुए धीमे गान की आवाज खुशनुमा मालूम होती थी। पर रात में चैन नहीं था, क्योंकि जेल के पहरेदार इधर-उधर टहलते रहते थे और हर घण्टे कोई-न-कोई मुआयना होता रहता था। लालटेन हाथ में लिये कोई अफसर यह देखने आता कि कोई कैदी भाग तो नहीं गया है। हररोज तीन बजे तड़के बड़ा शोर-गुल मचता और बर्तन घिसने व मांजने की आवाज आती। उस वक्त बावर्चीखाने में काम शुरू हो जाता था।

प्रेसिडेन्सी जेल के माफिक अलीपुर-जेल में भी एक कसीर तादाद वार्डरों, पहरेदारों, अफसरों और क्लर्कों की थी। इन दोनों जेलों की आबादी मिलाकर नैनी-जेल की आबादी (२२००-२३००) के बराबर थी, परन्तु कर्मचारियों की तादाद इन हरेक जेल में नैनी-जेल से दुगुनी से भी ज्यादा थी। इनमें कई अंग्रेज वार्डर और पेन्शनयाफता फौजी अफसर भी थे। इससे यह एक बात तो साफ जाहिर होती थी कि अंग्रेजी-शासन युक्त-प्रान्त के बजाय कलकत्ता में ज्यादा कठोर और खर्चीला है। किसी बड़े अफसर के पहुँचने पर जो नारा सब कैदियों को लगाना पड़ता था वह साम्राज्य की ताकत का एक चिन्ह और याददिवानी था। यह नारा था "सरकार सलाम", जो लम्बी आवाज में और बदन की कुछ खास हरकत के साथ लगाना पड़ता था। मेरे सहन की चहारदीवारी पर से कैदियों के इस नारे की आवाज दिन में कई मर्त्तबा, और खासकर सुपरिण्टेण्डेण्ट के मुआयने पर हमेशा, आती थी। मेरे सहन की ७ फुट ऊँची दीवार पर से मैं उस 'शाही छत्र' के ऊपरी भाग को देख सकता था जिसके साये में सुपरिण्टेण्डेण्ट गश्त लगाता था।

मैं हैरत में आकर सोचने लगता कि क्या यह अजीब नारा 'सरकार सलाम' और उसके साथ की जानेवाली बदन की यह हरकत किसी पुराने ज़माने की यादगार है या किसी मनचले अंग्रेज अफसर की ईजाद? मुझे पता तो नहीं, पर मेरा क़यास है कि यह अंग्रेजों की ईजाद है। इसमें एक खास क्रिस्म के एंग्लो-इंडियनपन की बू आती है। खुश-क्रिस्मती से इस नारे का रिवाज सिवा बंगाल और आसाम के युक्तप्रान्त या हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों में नहीं है। सरकार की शान को क़ायम रखने के लिए जिस तरीके से इस सलामी पर ज़ोर दिया जाता है, वह मुझे हकीकत में ज़लील करनेवाला मालूम होता है।

अलीपुर-जेल में एक नई बात देखकर तो मुझे खुशी हुई। यहाँ के साधारण कैदियों का खाना युक्तप्रान्त के जेलों के खाने से कहीं अच्छा था। जेल के खाने के मामले में तो युक्तप्रान्त दूसरे कई सुबो से पिछड़ा हुआ है।

मुहावनी शरद्-ऋतु जल्द बीत गई, विमल वसन्त भी भागता हुआ-सा निकल गया, और गर्मी आ गई। दिन-दिन गर्मी बढ़ती गई। मुझे कलकत्ते की आबहवा कभी पसन्द न थी, और चन्द दिनों के वहाँ रहने ने ही मुझे निस्तेज और उत्साह-हीन बना दिया। जेल में तो हालत कुदरती तौर पर और भी बुरी होती है। समय बीतता गया और मेरी हालत में कोई उन्नति न हुई। शायद कसरत के लिए जगह की कमी होने और ऐसी आबहवा में कई घंटों कोठी बन्द रहने से मेरी सेहत कुछ गिर गई और मेरा वजन तेज़ी से घटने लगा। मुझे तालों, चटखनियों, सीखचों और दीवारों से नफरत-सी होने लग गई।

अलीपुर में एक महीना रहने के बाद मुझे अपने सहन के बाहर कुछ वज्रिश करने की सहूलियत दी गई। यह तबदीली मुझे पसन्द आई और मैं सुबह-शाम जेल की बड़ी दीवार के सहारे घूमने लगा। धीरे-धीरे मैं अलीपुर-जेल और कलकत्ता की आबहवा का आदी हो गया और बावर्चीखाना भी, मय उसके धुँए और शोर-गुल के, बर्दाश्त करने लायक बुराई हो गई। इस अर्से में मेरे लिए नये-नये मसले खड़े हुए और नई-नई परेशानियाँ तंग करने लगी। बाहर की खबरें भी अच्छी नहीं थी।

पूरुब और पच्छिम में लोकतन्त्र

अलीपुर-जेल में जब मुझे यह मालूम हुआ कि सजा होने के बाद मुझे कोई रोजाना अखबार नहीं मिलेगा, तब मुझे बड़ा अचम्भा हुआ। जबतक मेरा मुकदमा चलता रहा तबतक तो मुझे कलकत्ते का रोजाना अखबार 'स्टेट्समैन' मिलता रहा, लेकिन मुकदमा खत्म होने के बाद दूसरे ही दिन से वह बन्द कर दिया गया। युक्तप्रान्त में तो १९३२ से 'ए' क्लास या पहले डिवीजन के कैदियों को सरकार की मर्जी का एक रोजाना अखबार हमेशा मिलता था। ज्यादातर बाकी के दूसरे सूबों में भी यही बात है। और मैं बिल्कुल इसी खयाल में था कि यही कानून बंगाल के लिए भी लागू होगा। लेकिन वहाँ मुझे रोजाना 'स्टेट्समैन' के बजाय साप्ताहिक 'स्टेट्समैन' दिया गया। साफ जाहिर है कि यह अखबार तो उन अंग्रेजों के लिए निकलता है जो हिन्दुस्तान में हाकिमी या रोजगार करने के बाद वापस इंग्लैण्ड पहुँच जाते हैं। इसलिए इस अखबार में हिन्दुस्तान की उन खबरों का सार रहता है, जिनमें उनकी दिलचस्पी होती है। इस हफ्तेवार अखबार में विलायतों की खबरें तो बिल्कुल नहीं होती थी। उनका न होना मुझे बहुत ही अखरता था, क्योंकि मैं उनको सिलसिलेवार पढ़ते रहना चाहता था। खुशकिस्मती से मुझे हफ्तेवार 'मैग्नेटिस्ट गार्जियन' अखबार भी मिल जाता था, जिसकी वजह से मुझे योरप के और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की जानकारी हो जाती थी।

फरवरी में जब मैं गिरफ्तार हुआ और जब मुझपर मुकदमा चला तभी योरप में बड़ी उथल-पुथल और झगड़े हुए। फ्रान्स में भारी खलबली मची, जिसमें फ्रांसिस्टों ने दंगे किये और उसकी वजह से राष्ट्रीय सरकार कायम हुई। इससे भी बुरी बात यह थी कि आस्ट्रिया का चान्सलर डॉलफस मजदूरों पर गोलियाँ चलवा रहा था, और सामाजिक लोकतन्त्र के विशाल भवन को ढा रहा था। आस्ट्रिया में होनेवाली खून-खराबी की खबर सुनकर मुझे बड़ा दुःख हुआ। यह दुनिया कैसी बुरी और खूनी जगह है और इन्सान भी अपने स्थापित स्वार्थों की हिफाजत के लिए कैसा बर्बर हो जाता है? ऐसा मालूम पड़ता था कि तमाम योरप और अमेरिका में फ्रासिज्म का जोर बढ़ता जाता है। जब जर्मनी में हिटलर का आधिपत्य हुआ तब मुझे यह मालूम होता था कि उसकी हुकूमत ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकेगी, क्योंकि उसने जर्मनी की आर्थिक कठिनाइयों का कोई हल पेश नहीं किया था। इसी

तरह जब दूसरी जगह भी फ़ासिज्म फैला तब भी, मैंने अपने मन को यह सोचकर तसल्ली दी कि यह प्रतिक्रिया की आखिरी मंजिल है; इसके बाद सब बन्धन टूट जायेंगे। लेकिन मैं अब यह सोचने लगा, कि मेरा यह खयाल कहीं मेरी ल्वाहिश से ही तो नहीं पैदा हुआ ? क्या सचमुच यह बात इतनी साफ दिखाई देती है कि फ़ासिज्म की यह लहर इतनी आसानी से या इतनी जल्दी पीछे लौट जायगी ? यदि ऐसी हालत पैदा हो गई, जो फ़ासिस्ट डिक्टेटरो के लिए असह्य हो, तो क्या वे 'सरे तसलीम ख़म' करने की जगह अपने देशो को सत्यानाशी लड़ाई में न जुटा देंगे ? ऐसी लड़ाई का नतीजा क्या होगा ?

इस बीच मैं फ़ासिज्म कई किस्मो और तरह-तरह की शकलों में फैलता गया। 'ईमानदार लोगों का नया प्रजातन्त्र' यानी स्पेन, जो सरकारों का खास 'मैञ्चेस्टर गार्जियन' था, बहुत पीछे जाकर प्रतिक्रिया के गड्ढे में जा पड़ा था। स्पेन के लिबरल नेताओं के मनोहर शब्द और भली-भली बातें देश की अधोगति को न रोक सकी। हर जगह मौजूदा हालतों का मुकाबिला करने में लिबरल-नीति बिल्कुल बेकार साबित हुई है। यह दल शब्दों और वाक्यों से चिपटा रहता है और समझता है कि बातें काम की जगह ले सकती हैं। इसीलिए जब कभी नाजुक वक़्त आता है तब वह उसी तरह आसानी से गायब हो जाता है जैसे सिनेमा के अन्त में तसवीर।

आस्ट्रिया के बुखान्त नाटक के बारे में 'मैञ्चेस्टर गार्जियन' के अग्रलेखों को मैं बडी दिलचस्पी के साथ पढ़ता था और उनकी कद्र भी करता था। "और इस खूनी लड़ाई के बाद किस रूप में आस्ट्रिया हमारे सामने आया ? एक ऐसा आस्ट्रिया जिसपर योरप का सबसे ज्यादा प्रतिक्रियावादी दल राइफलो और मशीनगनों से हुकूमत कर रहा है।" "अगर इंग्लैण्ड आज़ादी का हामी है तो उसके प्रधान मन्त्री का मुँह इतना बन्द क्यों है ? डिक्टेटरशाहियों की उन्होंने जो तारीफ़ें की हैं वे हमने सुनी हैं; हमने उन्हें यह कहते हुए भी सुना है कि डिक्टेटरी 'क्रौम की आत्मा को ज़िन्दा रखती है' और 'एक नया जलवा और नई ताकत पैदा करती हैं।' लेकिन इंग्लैण्ड के प्रधान मन्त्री को उन जुल्मों की बाबत भी तो कुछ कहना चाहिए, जो चाहे वे किसी भी देश में हों, यद्यपि जाहिरा शरीर का नाश करते हैं, किन्तु उससे कहीं अधिक बार आत्मा को बुरी मौत मारते हैं।"

लेकिन अगर 'मैञ्चेस्टर गार्जियन' आज़ादी का ऐसा हामी है, तो क्या बजह है कि जब हिन्दुस्तान में आज़ादी को कुचला जाता है तब उसका मुँह बन्द हो जाता है ? हम लोगों को भी तो न सिर्फ़ शारीरिक तकलीफें उठानी पड़ी हैं बल्कि उससे भी बदतर आत्मा के कष्ट भी भोगने पड़े हैं।

“आस्ट्रिया का लोक-तन्त्र नष्ट कर दिया गया है, यद्यपि उसके लिए यह बात हमेशा गौरव की रहेगी कि वह मरते दम तक लड़ा और इस तरह उसने एक ऐसी कहानी पैदा कर दी, जो आगे आनेवाले बरसों में किसी दिन यूरोपीय आजादी की आत्मा को फिर जगा देगी।”

“उस योरप ने जो कि आजाद नहीं है, सांस लेना बन्द कर दिया है, अब उसमें स्वस्थ भावनाओं का आवागमन नहीं होता, धीरे-धीरे उसका दम घुटने लगा है और उसकी जो मानसिक बेहोशी नज़दीक आ रही है उसे सिर्फ उग्र झकझोरों या भीतरी दीरों और दाहिने-बायें हर तरफ घड़ाघड़ वार करने से ही बचाया जा सकता है……। राइन नदी से लेकर यूराल पर्वत तक योरप एक बड़ा जेलखाना बना हुआ है।”

ये वाक्य कैसे हृदय-ग्राही थे ! मेरे दिल में इनकी प्रतिध्वनि होती थी; लेकिन साथ ही मैं सोचता, कि हिन्दुस्तान की बाबत क्या है ? यह कैसे हो सकता है कि ‘मैन्चेस्टर गाजियन’ या इंग्लैण्ड में जो बहुत-से आजादी के दीवाने हैं वे हमारी हालत की बाबत इतने उदासीन रहते हैं ? दूसरी जगह जिन बातों की वे इतने जोरों से निन्दा करते हैं, जब वही बातें हिन्दुस्तान में होती हैं, तो उनकी तरफ वे क्यों नहीं देखते ? बीस बरस पहले, महायुद्ध शुरू होने से कुछ ही पहले, अंग्रेजों के एक बड़े लिबरल नेता ने, जो १९वीं सदी की परम्परा में पले थे, स्वभाव से फूंक-फूंककर क्रदम रखते थे और अपनी भाषा पर सयम रखते थे, यह कहा था कि “इससे पहले कि कानून पर ताकत की दुःखदायी जीत को मैं चुपचाप देखूँ, मैं यह देखना पसन्द करूँगा कि हमारा यह मुल्क इतिहास के पन्ने से मिटा दिया जाय।” कितना बहादुराना खयाल है; और कैसे धारा-प्रवाह ढंग से कहा गया है ! इंग्लैण्ड के बहादुर नौजवान लाखों की तादाद में इस खयाल को पूरा करने के लिए लड़ाई के मैदान में गये। लेकिन अगर कोई हिन्दुस्तानी मि० एसक्विथ के समान बयान देने की हिम्मत करे, तो उसका क्या हाल होगा ?

राष्ट्रीय मनोवृत्ति बहुत ही जटिल होती है। हमसे जयादातर लोग यह समझते हैं कि हम बड़े इन्साफ-पसन्द और निष्पक्ष हैं। हमेशा ग़लती दूसरा शरूस या दूसरा मुल्क ही करता है। हमारे दिमाग में कही-न-कही यह इत्मीनान छिपा रहता है कि हम वैसे नहीं हैं जैसे दूसरे लोग हैं, हममें और दूसरों में ज़रूर फर्क है—यह दूसरी बात है कि शराफ़त की वजह से हम बारबार उस बात को न कहें। अगर खुशकिस्मती से हम किसी ऐसी शाही क़ौम के होते जो दूसरे मुल्कों के भाग्य की बिधाता हो, तब तो हमारे लिए यह इत्मीनान न करना भी मुश्किल हो जाता कि हमारी सर्वोत्तम दुनिया में सभी बातें सर्वोच्च हैं, और जो लोग क्रान्ति के लिए

आन्दोलन करते हैं वे केवल खुदगच्छ और मुग़ालते में पड़े हुए बेवकूफ़ ही नहीं हैं बल्कि हमारे लिए अनेक लाभ प्राप्त करके भी अहसानफरामोशी करनेवाले हैं ।

अंग्रेज़ क्रौम टापू में रहनेवाली मुतास्सिम क्रौम है और इतनी मुद्दत तक की कामयाबी और खुशहाली ने उसे इतना घमण्डी बना दिया है कि अंग्रेज़ क़रीब-क़रीब दूसरी सब क्रौमों को हिंकारत की नज़र से देखते हैं । ज़ेसा कि किसीने कहा है, उनकी राय में इंग्लैण्ड के समुद्र से आगे हबशी-ही-हबशी रहते हैं । लेकिन यह तो एक बिलकुल साधारण बात है । शायद ब्रिटिश क्रौम के ऊँचे दर्जे के लोग दुनिया को ऊँच-नीचे के हिसाब से इस तरह बाँटेंगे—(१) सबसे पहले ब्रिटेन, इसके बाद बहुत दूर तक कुछ नहीं; फिर (२) ब्रिटिश उपनिवेश—इनमें भी सिर्फ़ सफ़ेद चमड़ीवाले और अमेरिका (महज़ एंग्लो-सेक्शन अमेरिका—डागो, इटैलियन वगैरा नहीं), (३) पश्चिमी योरप, (४) बाकी योरप, (५) दक्षिणी अमेरिका (लेटिन क्रौम); और फिर बहुत दूर तक कोई नहीं । इसके बाद और सबसे नीचे के तम्बर पर एशिया और अफ्रीका की काली-पीली क्रौमों के आदमी, जो कम-बढ़कर सब एक ही बोरे में भर दिये जा सकने योग्य समझे जाते हैं ।

इन दर्जों में आखिरी दर्जे के हम लोग उस ऊँचाई से कितनी दूर हैं, जिसपर हमारे शासक रहते हैं ? ऐसी हालत में क्या यह कोई अचरज की बात है कि जब वे उतनी ऊँचाई से हमारी तरफ़ देखते हैं तब उनकी नज़र धुधली हो जाती है, और जब हम लोकतन्त्र और आजादी की बातें करते हैं तब वे हमसे चिढ़ते हैं ? ये शब्द हमारे इस्तेमाल के लिए थोड़े ही घड़े गये थे । क्या यह बात एक बड़े लिबरल राज-नीतिज्ञ जॉन माल्ले ने नहीं कही थी, कि वह बहुत दूर के धुधले भविष्य में भी इस बात की कल्पना तक नहीं कर सकते कि हिन्दुस्तान में लोकतन्त्रीय सभ्यता कायम होगी ? हिन्दुस्तान के लिए लोकतन्त्र ऐसा ही है, जैसा कनाडा के लिए फरो का बहुत गरम कोट (यानी उसकी आबोहवा के खिलाफ़) । और इसके बाद उस मजदूर दल ने जो समाजवाद का झण्डा लिये फिरता था, सब पददलित लोगों का हिमायती बनता था, अपनी जीत की पहली खुशी में हमें सन् १९२० के बंगाल-आर्डिनेन्स को फिर से जारी करने का इनाम दिया, और उनके दूसरे शासन-काल में हमारा हाल और भी बुरा रहा । मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि उनमें से कोई हमारा बुरा नहीं चीतता और जब वे लोग हमें अपने, व्याख्याता के, सर्वोत्तम ढग से 'बहुत ही प्यारे भाई' कहकर पुकारते हैं तब वे अपनी कर्त्तव्यपरायणता पर अपनेको कृतकृत्य समझते हैं । लेकिन उनकी राय में हम उतने ऊँचे नहीं हैं, जितने कि वे खुद हैं, अतः उनके विचार में दूसरे पैमानों से ही हमारी जाँच होनी चाहिए । भाषा और सांस्कृतिक भेद-भावों

के कारण अंग्रेज और फ्रांसीसी के लिए यह काफी मुश्किल है कि वे एक ही तरह से सोचें। ऐसी हालत में एक एशियाई में और एक अंग्रेज में तो और भी ज्यादा फर्क होगा।

हाल ही में, हाउस ऑफ लार्ड्स में, हिन्दुस्तान को दिये जानेवाले शासन-सुधारों के प्रश्न पर बहसे हो रही थीं और अनेक सम्माननीय लॉर्डों ने उस बहस में बहुत-से विचारपूर्ण व्याख्यान दिये। इनमें एक थे लॉर्ड लिटन, जो हिन्दुस्तान के एक सूबे में गवर्नर रह चुके थे और कुछ समय के लिए जिन्होंने वाइसराय की हैसियत से भी काम किया था। अक्सर कहा जाता है कि वह एक उदार और हिन्दुस्तान से सहानुभूति रखनेवाले गवर्नर थे। उनके व्याख्यान की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि “भारत-सरकार सारे हिन्दुस्तान की कहीं अधिक प्रतिनिधि है बनिस्बत कांग्रेसी नेताओं के। वह हिन्दुस्तान के हाकिमों की, फौज की, पुलिस की, राजाओं की, लड़नेवाले रेजी-मेण्टों की और हिन्दू तथा मुसलमान दोनों की तरफ से बोल सकती है, जबकि कांग्रेस के नेता हिन्दुस्तान की बड़ी कोशों में से किसी एक कोश की तरफ से भी नहीं बोल सकते।” इतना कहने के बाद उन्होंने आगे चलकर अपना आशय और भी स्पष्ट किया—“जब मैं हिन्दुस्तानियों की बात कहता हूँ, तब मैं उन लोगों का खयाल करता हूँ, जिनके सहयोग का मुझे भरोसा करना पड़ा था और जिनके सहयोग पर भावी गवर्नरों और वाइसरायों को भरोसा करना पड़ेगा।”

उनके इस भाषण से दो दिलचस्प बातें निकलती हैं—एक तो यह कि उनके विचार में जो हिन्दुस्तान किसी गिनती में है वह तो वही है जो ब्रिटिश सरकार की मदद करता है; और दूसरे, ब्रिटिश सरकार हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा प्रातिनिधिक और इसलिए सबसे ज्यादा लोकतंत्रीय सस्था है। इस दलील का इतनी संजीदगी से दिया जाना यह जाहिर करता है कि अंग्रेजी के शब्द स्वेज नहर से पार होते ही अपना अर्थ बदल देते हैं। इस तरह की दलील का दूसरा और साफ मतलब यह होगा कि स्वेच्छाचारी सरकार ही सबसे ज्यादा प्रातिनिधिक और लोकतंत्रीय स्वरूप की होती है, क्योंकि बादशाह सबका प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह हम फिर लौट-फिरकर बादशाह के ईश्वरीय अधिकार पर पहुँच जाते हैं।

सच बात तो यह है कि हाल में विशुद्ध स्वेच्छाचार को भी एक नामी समर्थक मिल गया है। इण्डियन सिविल सर्विस के आभूषण सर माल्कम हेली ने, ५ नवम्बर १९३४ को बनारस में युक्तप्रान्त के गवर्नर की हैसियत से बोलते हुए, कहा था कि देशी रियासतों में स्वेच्छाचारिता ही रहनी चाहिए। इस सलाह की ऐसी

१. हाउस आफ लार्ड्स, १७ दिसम्बर १९३४।

कोई ज़रूरत न थी, क्योंकि कोई भी हिन्दुस्तानी रियासत अपनी खुशी से स्वेच्छा-चारिता को नहीं छोड़ेगी। इसी कोशिश में एक और दिलचस्प तरक्की यह हुई है कि, योरप में लोकतंत्र के नाकामयाब होने की बिना पर इस स्वेच्छाचारिता को कायम रखने की बात कही जाती है। मैसूर के दीवान सर मिर्जा इस्माइल ने इस बात पर अपना आश्चर्य प्रकट किया, कि “एक तरफ जवकि हर जगह पार्लमेण्टरी लोकतंत्र नाकामयाब हो रहा है, दूसरी तरफ इनकलाबी सुधारों की वकालत की जाती है।” “मुझे विश्वास है कि हमारे राज्य की अन्तरात्मा यह महसूस करती है कि हमारा मौजूदा विधान करीब-करीब असली कामों के लिए काफी लोकतंत्रीय है।” मेरे खयाल में मैसूर की ‘अन्तरात्मा’ वहाँके शासक और दीवान की दार्शनिक भावना है। मैसूर में इन दिनों जो लोकतंत्र जागी है, वह स्वेच्छाचार से किसी कदर भिन्न नहीं है।

अगर लोकतंत्र हिन्दुस्तान के लिए मौजू नही है, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि वह मिश्र के लिए भी उतना ही बेमौजू है। इन दिनों जंगल में मुझे रोजाना ‘स्टेट्समैन’, दिया जाता है। उसमें मैंने मिश्र की राजधानी कैरो से भेजा हुआ खरीता अभी हाल ही पढ़ा है। उस खरीते में कहा गया है कि वहाँ के प्रधान-मंत्री नसीमपाशा के “इस ऐलान ने कि उन्हें ‘यह उम्मीद है कि तमाम राजनैतिक पार्टियाँ, खास तौर पर वफद-पार्टी, एक हो जायेंगी, और एक होकर या तो राष्ट्रीय परिषद् करके या विधान-विधायक असेम्बली का चुनाव करके उनके जरिये नया विधान तैयार करायेंगी’, जिम्मेदार लोगों में कुछ कम भय पैदा नहीं किया है, क्योंकि आखिर इसके मानी यही होते हैं कि लोकतंत्रीय सरकार फिर से कायम हो जाय, जो, इतिहास जाहिर करता है, मिश्र के लिए हमेशा खतरनाक साबित हुई है, क्योंकि उसकी प्रवृत्तियाँ पिछले जमाने में हमेशा हुल्लड़पन से दब जाने की रही है। मिश्र की आन्तरिक राजनीति और उसकी प्रजा की जानकारी रखनेवाले किसी भी शास् को क्षणभर के लिए भी इस बात में कोई शक नहीं हो सकता कि चुनाव का नतीजा यह होगा कि फिर वफद-पार्टी का बहुमत हो जाय। इसीलिए इस कार्रवाई को रोकने का बहुत जल्द प्रयत्न न किया गया तो हमपर बहुत जल्दी ऐसा शासन आ जायगा जो घोर उग्र लोकतंत्रीय, विदेशियों का विरोधी और क्रान्तिकारी होगा।”

यह भी कहा गया है कि चुनाव में “वफ्द पार्टी का मुकाबिला करने के लिए” शासकों को प्रभाव डालना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती यह है कि “प्रधान मंत्री को कानून की पाबन्दी का बहुत खयाल रहता है।” इसलिए हमसे कहा गया है कि

१. मैसूर : २१ जून १९३६। पृष्ठ ६४३ का भी नोट देखिए।

२. १९ दिसम्बर १९३४।

अब सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है और वह यह कि ब्रिटिश सरकार दस्तन्दाजी करे और "यह बात सबको जाहिर करदे कि वह इस किस्म के शासन का फिर से कायम होना बर्दाश्त नहीं करेगी।"

ब्रिटिश सरकार क्या करेगी या क्या नहीं करेगी और मिश्र में क्या होगा, मुझे कुछ पता नहीं।^१ लेकिन गालिबन आज़ादी के दीवाने एक अंग्रेज़ द्वारा पेश की गई दलील से हमें मिश्र और हिन्दुस्तान की हालत की जटिलता को समझने में थोड़ी मदद ज़रूर मिलती है। जैसा कि 'स्टेट्समैन' ने एक अग्रलेख में कहा है—“मूल बुराई तो यह है कि जिन्दगी के जिस तरीके से और दिमाग के जिस रख से लोकतंत्र का विकास होता है उससे साधारण मिश्री वोटर की जिन्दगी के तरीके और उसके दिमाग के रख का मेल नहीं मिलता।” इस मेल के न मिलने की मिसाल भी आगे दी गई है : “योरप में अक्सर लोकतंत्र इसलिए नाकामयाब हुआ है, क्योंकि वहाँ बहुत-से दल कायम हो गये हैं। लेकिन मिश्र की मुश्किल तो यह है कि वहाँ सिर्फ एक वपद-पार्टी ही है।”

हिन्दुस्तान में हमसे कहा जाता है कि हमारा साम्प्रदायिक भेदभाव हमारी लोकतंत्र की तरक्की का रास्ता रोकता है और इसीलिए अकाट्य तर्क के साथ इन भेदभावों को हमेशा स्थायी बनाया जाता है। हमसे यह भी कहा जाता है कि हम लोगों में काफी एका नहीं है। मिश्र में किसी किस्म का साम्प्रदायिक भेदभाव नहीं है और ऐसा मालूम पड़ता है कि वहाँ पूर्ण राजनैतिक एका मौजूद है। लेकिन वहाँ यही एकता उसके लोकतंत्र और उसकी स्वाधीनता के रास्ते का रोड़ा बन जाती है। सचमुच लोकतंत्र का रास्ता सीधा और तंग है। पूर्वी देशों के लिए लोकतंत्र के सिर्फ एक ही मानी है, और वह यह कि साम्राज्यवादी शासक-सत्ता जो हुक्म दे ज़से बजा लाया जाय और उसके किसी भी स्वार्थ में हाथ न डाला जाय। इन शर्तों के मान लेने पर लोकतंत्रीय स्वाधीनता वहाँ भी बे-रोक-टोक फूल-फल सकती है।

१. नवम्बर १९३४ में मिश्र पर अंग्रेज़ों के अधिकार के खिलाफ़ मुल्कभर में दंग हुए थे

नैराश

“अब तो यही लालसा है मा, जाऊँ आकुल लेट वहाँ
ठंडा-ठंडा हरा सुमंजुल मधुर घास हो बिछा जहाँ;
मा वसुधे ! चरणो पर तेरे निपट निराश-अधीन,
परिश्रान्त इस बालक के वे स्वप्न सभी हो गये विलीन ।”

अप्रैल आ गया। अलीपुर में, मेरी कोठरी में, मेरे पास बाहर की घटनाओं की वाबत अफवाहे पहुँची—ऐसी अफवाहें जो दुःखदायी और बेचैनी पैदा करनेवाली थीं। एक दिन जेल में सुपरिण्टेण्डेण्ट ने मुझे इत्तिला दी कि गांधीजी ने सत्याग्रह की लड़ाई वापस लेली है। मुझे इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं होसका। मुझे यह खबर अच्छी नहीं लगी और जिस चीज को मैं इतने बरसों से इतना चाहता था उसको इस तरह वापस ले लिये जाने पर मुझे रज हुआ। फिर भी मैंने अपने को समझाया कि उसका अन्त होना तो लाजिमी था। अपने मन में मैं यह जानता था कि कम-से-कम कुछ वक्त के लिए सत्याग्रह की लड़ाई कभी-न-कभी बन्द करनी ही पड़ेगी। मूमकिन है कि कुछ शरूस नतीजों की परवा न करके अनिश्चित काल तक लड़ते रहे लेकिन राष्ट्रीय संस्थायें ऐसा नहीं करती। मुझे इस बात में कोई शक न था कि गांधीजी ने देश की स्थिति और अधिकांश कांग्रेसवादियों के मनोभावों को ठीक तरह समझ लिया था और यद्यपि जो कुछ हुआ वह अच्छा नहीं मालूम होता था फिर भी मैंने अपने आपको नवीन परिस्थिति के अनुकूल बनाने की कोशिश की।

अस्पष्ट रूप में यह चर्चा भी मुझे सुनाई दी कि कौंसिलो मे जाने की गरज में पुरानी स्वराज पार्टी को फिर से ज़िन्दा करने की नई कोशिश की जा रही है। यह बात भी मुझे अनिवार्य मालूम होती थी और मेरी तो बहुत दिनों से यह राय थी कि कांग्रेस अगले चुनावों से अलग नहीं रह सकती। जब मैं पाँच महीने जेल से बाहर था, तब मैंने कौंसिलों की तरफ बहनेवाली इस प्रवृत्ति को रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं समझता था कि अभी वह वक्त से पहले थी, और उसकी वजह से न सिर्फ सीधी लड़ाई

१. मूल अंग्रेज़ी पद्य इस प्रकार है .—

“And I yearn to lay my head
Where the grass is cool and sweet.
Mother, all the dreams are fled
From the tired child at thy feet.”

से ही लोगों का ध्यान हटता था बल्कि सामाजिक इनकलाब के उन नये खयालो के विकास से भी बाधा पड़ती थी जो काँग्रेसवालों के दिलों में घर करते जा रहे थे। मैं समझता था कि यह संकट जितने दिन ज्यादा बना रहेगा, उतने ही ज्यादा ये खयाल हमारे यहाँ सर्वसाधारण और पढ़े-लिखे लोगों में फैलेंगे और हमारी राज-नैतिक और माली हालत की तह में जो असलियत है वह जाहिर हो जायगी। जैसा कि लैनिन ने कहा है—“कोई भी और हरेक राजनैतिक संकट उपयोगी है, क्योंकि वह छिपी हुई चीजों को रोशनी में ले आता है, राजनीति की तह में जो वास्तविक शक्तियाँ काम कर रही हैं उन्हें दिखा देता है, वह झूठ का, भ्रम पैदा करनेवाले शब्द-जाल का और गपोड़ों का भण्डाफोड कर देता है; वह असली बातों को पूरी तरह दिखा देता है, और तथ्य क्या है इस बात को समझने के लिए लोगों को मजबूर कर देता है।” मुझे उम्मीद थी कि इस क्रिया का परिणाम यह होगा कि इससे काँग्रेसवालों का दिमाग साफ़ हो जायगा और काँग्रेस एक निश्चित ध्येयवाले लोगों की मजबूत जमात हो जायगी। ग़ालिबन उसके कुछ कमजोर हिस्से उसे छोड़ जायँगे ! लेकिन इसमें कोई हर्ज न होगा और जब कभी उसूलों सीधी लड़ाई का मोर्चा खत्म करने और वैधानिक व क़ानूनी तरीकों के नाम से पुकारे जानेवाले साधनों से काम लेने का वक़्त आयगा, तब काँग्रेस के आगे बढ़े हुए, वास्तव में क्रियाशील पक्ष के, लोग इन तरीकों का भी, हमारे अन्तिम लक्ष्य की व्यापक दृष्टि से, इस्तेमाल करेंगे।

जाहिरा तौर पर माज़ूम होता था कि वह वक़्त आ गया है। लेकिन मुझे यह देखकर बड़ी परेशानी हुई कि जो लोग दरअसल सत्याग्रह की लड़ाई और काँग्रेस के कारगर कामों के आधारस्तम्भ रहे हैं वे पीछे को हट रहे हैं और दूसरे लोग जिन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया अपनी हुकूमत जमाने लगे हैं।

इसके कुछ दिनों के बाद मेरे पास हफ़्तेवार स्टेट्समैन आया और उसमें मैंने वह वक़्तव्य पढ़ा जो गांधीजी ने सत्याग्रह को वापस लेते हुए दिया था। उसे पढ़कर मुझे बड़ी हैरत हुई और मेरा दिल बैठ गया। मैंने उसे बार-बार पढ़ा, और सत्याग्रह और दूसरी ज्यादातर बातें मेरे दिमाग में ग़ायब हो गईं और उनकी जगह शक और संघर्ष से मेरा दिमाग भर गया। गांधीजी ने लिखा था—“इस वक़्तव्य की प्रेरणा सत्याग्रह-आश्रम के साथियों से हुई एक आपसी बातचीत का परिणाम है।…… इसका मुख्य कारण वह आँखें खोलनेवाली खबर थी जो मुझे अपने एक बहुत पुराने और बहुमूल्य साथी के सम्बन्ध में मिली थी। वह जेल का काम पूरा करने को राज़ी न थे और उसके बजाय क़िताबें पढ़ना पसन्द करते थे। यह सब कुछ सत्याग्रह के नियमों के सर्वथा विरुद्ध था। इस बात से इस मित्र की, जिसेकि मैं बहुत अधिक

प्यार करता था, दुर्बलताओं की अपेक्षा मुझे अपनी दुर्बलताओं का अधिक बोध हुआ। मित्र ने कहा कि उनका खयाल था कि मैं उनकी दुर्बलता को जानता हूँ लेकिन मैं अन्धा था। नेता में अन्धापन एक अक्षम्य अपराध है। मैंने फ़ौरन यह भाँप लिया कि कम-से-कम इस समय के लिए तो मैं अकेला ही सक्रिय सत्याग्रही रहूँगा।”

अगर गांधीजी के मित्र में यह दुर्बलता या दोष था—अगर वह सचमुच दुर्बलता थी—तो भी यह एक मामूली-सी बात थी। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैं अक्सर इस जुर्म का अपराधी रहा हूँ और मुझे उसपर रतीभर भी अफ़सोस नहीं है। लेकिन अगर वह मामला बहुत भारी भी होता तो भी क्या वह महान् राष्ट्रीय मंत्राम, जिसमें बीसियाँ हज़ार प्रत्यक्ष रूप से और लाखों आदमी अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं, महज़ इसलिए कि किसी एक शख्स ने कोई गलती कर डाली यकायक रोक दिया जाना चाहिए? यह बात मुझे बहुत भयंकर और हर तरह अनीतिमय मालूम हुई। मैं इस बात की धृष्टता तो नहीं कर सकता कि मैं यह बताऊँ कि सत्याग्रह क्या है और क्या नहीं है लेकिन अपने साधारण तरीके पर मैंने भी कुछ आचार-सम्बन्धी आदर्शों के पालन करने का प्रयत्न किया है। गांधीजी के इस वक्तव्य से मेरे उन सब आदर्शों को धक्का लगा और वे सब गड़बड़ हो गये। मैं यह जानता हूँ कि गांधीजी आम तौर पर सहज-ज्ञान के मुताबिक काम करते हैं। गांधीजी उसे अपनी अन्तरात्मा की प्रेरणा या प्रार्थना का प्रतिफल कहते हैं, लेकिन मैं उसे सहज-ज्ञान कहना ही पसन्द करता हूँ, और अक्सर ज्यादातर उनका यह सहज-ज्ञान सही निकलता है। उन्होंने बराबर यह दिखा दिया है कि जनता की मनोवृत्ति को समझने और उपयुक्त ममय पर काम करने की उनमें कैसी विलक्षण सूझ है। काम कर डालने के बाद उस काम को ठीक ठहराने के लिए वह पीछे से जो कारण पेश करते हैं वे आमतौर पर काम कर बैठने के बाद के सोचे हुए खयालात होते हैं और उनसे शायद ही कभी किसीको पूरी तसल्ली होती हो। संकटकाल में नेता या कर्मवीर पुरुष करीब-करीब हमेशा किसी अज्ञात-प्रेरणा से काम करते हैं और फिर उसके लिए कारण ढूँढने लगते हैं। मैंने यह भी महसूस किया कि सत्याग्रह को मुलतबी करके गांधीजी ने ठीक ही किया। लेकिन उसे मुलतबी करने के जो कारण उन्होंने बताये हैं वे बुद्धि के लिए अपमानजनक और एक राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता के लिए बहुत ही हैरत-अगेज़ मालूम होते थे। इस बात का तो उन्हें पूरा हक था कि वह अपने आश्रम में रहनेवालों के साथ जैसा चाहते बर्ताव करते, क्योंकि उन लोगों ने सब तरह की प्रतिज्ञायें ले रक्खी थीं और एक तरह का निश्चित अनुशासन स्वीकार कर रक्खा था। लेकिन काँग्रेस ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। फिर हमें उन सब

कारणों के लिए, जो हमें आध्यात्मिक और रहस्यमय मालूम होते थे, और जिनमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, कभी इधर और कभी उधर क्यों फेंका जाता था ? क्या कभी ऐसे आधारों पर किसी राजनैतिक आन्दोलन के चलाये जाने की कल्पना की जा सकती है ? मैं यह मानता हूँ कि सत्याग्रह के नैतिक पहलू को अपनी समझ के मुताबिक़ मैंने एक हद तक स्वीकार कर लिया था । उसका वह बुनियादी पहलू मुझे पसन्द था और उससे ऐसा मालूम होता था कि वह राजनीति को अधिक उच्च और श्रेष्ठ पद पर पहुँचा देगा । मैं यह भी मानने के लिए तैयार था कि महज उद्देश अच्छा होने से उसे हासिल करने के लिए काम में लाये जानेवाले सब प्रकार के उपाय अच्छे नहीं हैं । लेकिन यह नई तरक्की या नई व्याख्या उससे कही ज्यादा दूर जाती थी और उससे कुछ नई बातें उठ खड़े होने की सम्भावना थी, जिन्होंने मुझे विचलित कर दिया ।

उस पूरे वक्तव्य ने तो मुझे बहुत ज्यादा विचलित और परेशान किया । उसके अन्त में गांधीजी ने कांग्रेसवालों को जो सलाह दी वह यह थी—“उन्हे आत्मत्याग और स्वेच्छापूर्वक ग्रहण की गई दरिद्रता की कला और सुन्दरता को समझना होगा; उन्हे राष्ट्र-निर्माण के काम में लग जाना चाहिए, उन्हे स्वयं हाथ से कात-बुनकर खदर का प्रचार करना चाहिए, उन्हे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ निर्दोष सम्पर्क स्थापित करके लोगों के हृदयों में साम्प्रदायिक ऐक्य का बीज बोना चाहिए; स्वयं अपने उदाहरण द्वारा अस्पृश्यता का प्रत्येक रूप में निवारण करना चाहिए और नशेबाजों के साथ सम्पर्क स्थापित करके और अपने आचरण को पवित्र रखकर मादक चीजों के त्याग का प्रसार करना चाहिए । ये सेवायें हैं जिनके द्वारा गरीबों की तरह निर्वाह हो सकता है । जो लोग गरीबी में न रह सकते हो, उन्हें किसी छोटे राष्ट्रीय धन्धे में पड़ जाना चाहिए, जिससे वेतन मिल जाय ।”

यह था वह राजनैतिक कार्यक्रम, जिसे पूरा करने के लिए हमसे कहा गया था । ऐसा मालूम पड़ता था कि एक बहुत बड़ा अन्तर मुझे उनसे अलग कर रहा है । अत्यन्त तीव्र वेदना के साथ मैंने यह महसूस किया कि भक्ति के वे सूत्र, जिन्होंने इतने वर्षों से उनसे बाँध रक्खा था, टूट गये हैं । बहुत दिनों से मेरे भीतर एक मानसिक द्वन्द्व हो रहा था । गांधीजी ने जो बातें की उनमें से बहुत-सी बातें न तो मेरी समझ में ही आईं, न वे मुझे पसन्द ही पड़ीं ! सत्याग्रह की लड़ाई जारी रहते हुए, उसी बीच में जबकि उनके साथी लड़ाई की मँझधार में थे, उनके उपवास और दूसरी बातों में अपनी ताकत लगाना, उनकी निजी और स्वयं-निर्मित उलझने जिन्होंने उन्हें इस असाधारण स्थिति में ला डाला कि जेल से बाहर रहते हुए भी उन्हें अपने लिए यह प्रतिज्ञा करनी पड़ी कि वह राजनैतिक आन्दोलन में भाग नहीं लेंगे, उनकी नई-नई

निष्ठायें और नई प्रतिज्ञायें, जिन्होंने उनकी पुरानी निष्ठाओं और प्रतिज्ञाओं और कामों को, जो उन्होंने बहुत-से अपने साथियों के साथ लिये थे, और जो अबतक पूरे न हो सके थे, पीछे ढकेल दिया। इन सबने मुझे बहुत ही परेशान किया। मैं चन्द दिन जो जेल से बाहर रहा, उस समय मैंने इन और हमारे मतभेदों को बहुत ही महसूस किया। गांधीजी ने कहा था कि हमारे मतभेदों का कारण स्वभावों की भिन्नता है। लेकिन शायद बात इससे और भी आगे बढ़ी हुई थी। मैंने यह अनुभव किया कि बहुत-से मामलों में मेरे साफ और निश्चित विचार हैं और वे उनके विचारों से नहीं मिलते। और फिर भी अबतक मैं इस बात की कोशिश करता रहा कि जहाँतक हो सके, राष्ट्रीय आज़ादी के जिस ध्येय के लिए कांग्रेस कोशिश कर रही थी और जिसके प्रति मेरी अत्यन्त भक्ति थी उसके सामने, मैं अपने खयालों को दबाये रखूँ। अपने नेता और अपने साथियों के प्रति वफादार और विश्वासपात्र बनने की मैंने हमेशा कोशिश की क्योंकि मेरे आध्यात्मिक दृष्टिबिन्दु से ध्येय के प्रति निष्ठा और अपने साथियों के प्रति वफादारी का स्थान बहुत ऊँचा है। जब-जब मैंने यह महसूस किया कि मुझे अपने आध्यात्मिक विश्वास के लंगर से दूर खींचा जा रहा है, तब-तब मुझे अपने मन में बड़े-बड़े अन्तर्द्वन्द्व लड़ने पड़े हैं, लेकिन उस वक्त मैंने किमी-न-किमी तरह समझौता कर लिया। शायद ऐसा करके मैंने गलती की, क्योंकि यह तो किसीके लिए ठीक नहीं हो सकता कि वह अपने आध्यात्मिक लंगर को छोड़ दे। लेकिन आदर्शों की इस टक्कर में मैं अपने साथियों के प्रति वफादारी के आदर्श से चिपटा रहा और यह आशा करता रहा कि घटनाओं की रेल-पेल और हमारी लड़ाई का विकास उन सब मुश्किलों को दूर कर देगा जो मुझे दुःख दे रही हैं और मेरे साथियों को मेरे दृष्टिकोण के नज़दीक ले आयगा।

और अब तो यकायक मुझे अलीपुर की उस जेल में बड़ा अकेलापन मालूम होने लगा। जीवन बहुत ही दुःखमय, जैसे भयावना सूनापन हो। जीवन में मैंने जो कितने ही कठोर सत्य अनुभव किये हैं, उनमें सबसे अधिक कठोर और दुःखदायी सत्य इस समय मेरे सामने था, और वह यह था कि महत्वपूर्ण विषयों पर किसीका भरोसा करना उचित नहीं है। हरेक आदमी को अपनी जीवन-यात्रा में अपने ऊपर ही भरोसा रखना चाहिए, दूसरों पर भरोसा करना जबर्दस्त निराशा और आफतों को न्यौता देना है।

मेरे इस रुके हुए क्रोध का कुछ हिस्सा धर्म और धार्मिक दृष्टिकोण पर टूट पड़ा। मैंने सोचा यह दृष्टिकोण विचारों की स्पष्टता और उद्देश्य की स्थिरता का कितना भारी दुश्मन है? क्या उसका आधार भावुकता और मनोविकार नहीं है? यह दृष्टि-

कोण दावा तो करता है आध्यात्मिकता का, लेकिन असली आध्यात्मिकता और आत्मा की चीजों से वह कितनी दूर है ? हमेशा दूसरी दुनिया की बातें सोचते-सोचते मानव-स्वभाव, सामाजिक रूप और सामाजिक न्याय का उसे कुछ पता ही नहीं रहता । अपनी पूर्वकल्पित धारणाओं के कारण धर्म जान-बूझकर इस डर से वास्तविकता से अपनी आँखें मूँद लेता है कि शायद उनसे मेल न खाए । वह अपनी बुनियाद सचाई पर बनाता है फिर भी उसे सत्य को—संपूर्ण सत्य को पा लेने का इतना विश्वास हो जाता है कि वह इस बात के जानने का कष्ट नहीं करता कि उसे जो कुछ मिला है वह असल में सत्य है यह नहीं ? वह तो दूसरों को उसके विषय में कह देना भर ही अपना काम समझता है । सत्य को ढूँढने का संकल्प और विश्वास की भावना दोनों जुदी-जुदी चीजें हैं । धर्म बातें तो शांति की करता है लेकिन उन प्रणालियों और व्यवस्थाओं का समर्थन करता है जो बिना हिंसा के ज़िन्दा नहीं रह सकती । वह तलवार से की जानेवाली हिंसा की तो बुराई करता है लेकिन उस हिंसा का क्या जो अक्सर शांति का लबादा ओढ़े चुप-चाप आती है और लोगों को भूखों तडपाती और जान से मार डालती है या जो इससे भी ज्यादा बुरा काम यह करती है कि बिना किसी प्रकार के जाहिरा शरीरिक कष्ट पहुँचाये मन पर बलात्कार करती है, आत्मा को कुचलती है और हृदय के टुकड़े-टुकड़े कर डालती है ?

और इसके बाद मैं फिर उसी शरस की वास्तव सोचने लगा जिमने कि मेरे मन में यह खलबली पैदा की । आखिर गांधीजी कैसे आश्चर्यजनक आदमी हैं । उनकी मोहकता कितनी हैरत अग्रेज और सर्वथा अबाध है और लोगों पर उनका कैसा अजीब काबू है । उनकी बातें और उनके लेख उनकी वास्तविकता का बहुत कम परिचय करा पाते हैं । इनसे उनके विषय में लोग जितनी कल्पना कर सकते हैं, उनका व्यक्तित्व उससे कहीं ऊँचा है । और भारत के लिए उनकी सेवाये कितनी महान् हैं । उन्होंने भारत की जनता में साहस और मर्दानगी फूँक दी है; अनुशासन और कष्ट-सहन, ध्येय पर खुशी-खुशी कुर्बान हो जाने की और पूर्ण नम्रता के साथ स्वाभिमान की भावना पैदा कर दी है । उन्होंने कहा है कि चरित्र की वास्तविक नींव साहस ही है । बिना साहस के न तो सदाचार ही सध सकता है, न धर्म और न प्रेम ही । “जब तक कोई भय का शिकार रहता है तबतक वह न तो सत्य का पालन कर सकता है, न प्रेम ही कर सकता है ।” हिंसा को वह बहुत ही बुरा समझते हैं, फिर भी उन्होंने हमको यह बताया है कि “कायरता तो एक ऐसी चीज है जो हिंसा से भी बुरी है ।” और “अनुशासन इस बात की प्रतिज्ञा और गैरंटी है कि आदमी जिस काम को हाथ में ले रहा है उसे करना चाहता है । बलिदान, अनुशासन

और आत्म-संयम के बिना न तो मुक्ति ही हो सकती है, न कोई आशा ही पूरी हो सकती है।" शायद ये कोरे शब्द या सुन्दर वाक्य और खाली उपदेश ही हों। लेकिन इन शब्दों के पीछे ताकत थी, और हिन्दुस्तान यह जानता है कि यह छोटा-सा व्यक्ति जो कहता है, ईमानदारी से पूरा करना चाहता है।

आश्चर्यजनक रूप में वह हिन्दुस्तान के प्रतिनिधि बन गये और इस प्राचीन और पीड़ित भूमि की अन्तरात्मा को प्रकट करने लगे। एक प्रकार से वह खुद भारत के प्रतिबिम्ब थे और उनमें जो त्रुटियाँ थी, वे भारत की त्रुटियाँ थी। उनका अपमान शायद ही व्यक्तिगत अपमान समझा जाता हो, वह तो सारे राष्ट्र का अपमान था और बाइमराय और दूसरे लोग जो ऐसी घृणित हरकतें कर रहे थे यह नहीं जानते थे कि वे कैसी खतरनाक फसल बो रहे हैं। दिसम्बर १९३१ में जब गांधीजी गोलमेज कान्फेंस में लौट रहे थे, तब यह जानकर कि पोप ने गांधीजी से मिलने से इन्कार कर दिया है मुझे कितना दुःख हुआ था वह मुझे याद है। मुझे यह अपमान हिन्दुस्तान का अपमान प्रतीत हुआ और इसमें तो कोई शक ही नहीं कि इन्कार तो जान-बूझकर किया गया था। यह बात दूसरी है कि ऐसा करते समय शायद अपमान करने की कल्पना न रही हो। कैथोलिक मतानुयायी अपने फिरके से बाहर सन्न और महात्मा का होना स्वीकार नहीं करने और क्योंकि प्रोटेस्टेंट मत के कुछ लोगों ने गांधीजी को सच्चा ईसाई और बड़ा धर्मात्मा बताया इसलिए रोम के लिए यह और भी जरूरी हो गया कि वह इस कुफ़्र से अपने को अलग रखे।

अप्रैल १९३४ में, अलीपुर-जेल में करीब-करीब इसी समय मैंने बर्नाड्स गा के नये नाटक पढ़े और 'ऑन दि रॉक्स' (शिला पर) नाम के नाटक की वह भूमिका, जिसमें ईसामसीह और पाइलेट की बहस भी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। आज जबकि एक साम्राज्य दूसरे धार्मिक व्यक्ति का मुकाबिला कर रहा है मुझे यह भूमिका इस समय के लिए सार्थक प्रतीत हुई। इसमें ईसामसीह ने पाइलेट से कहा है—“मैं तुमसे कहता हूँ कि डर छोड़ दो। रोम की महत्ता के बारे में मुझसे व्यर्थ की बातें मत करो। जिसे तुम रोम की महत्ता कहते हो वह डर के सिवा और कुछ नहीं है। भूत का डर, भविष्य का डर, गरीबों का डर, अमीरों का डर, उच्चमठाधीशों का डर, उन यहूदियों और यूनानियों का डर जो विद्वान् हैं, उन गॉल निवासियों, गोथों और हूणों का डर जो जंगली हैं, उस कार्थेज का, जिसके डर से अपनेको बचाने के लिए तुमने उसे बरबाद कर दिया, और अब पहले से भी ज्यादा बुरा डर शाही सीज़र की उस मूर्ति का, जो तुम्हींने बनाई है और मुझ-सरीखे कौड़ीहीन दर-दर के भिखारी का, ठुकराये जानेवाले का, उपहास किये जानेवाले का डर और ईश्वर के राज्य को छोड़

कर बाकी सब चीजों का डर। खून-खराबी और धन-दौलत के सिवा और किसी वस्तु में श्रद्धा नहीं। तुम जो रोम के हिमायती हो, जगत-उजागर कायर हो और मैं जो संसार में ईश्वरीय सत्ता का हामी हूँ, प्राणपन की बाजी लगा चुका हूँ, सर्वस्व तक गवाँ चुका हूँ और इस प्रकार अमर साम्राज्य विजय कर चुका हूँ।”

लेकिन गांधीजी की महत्ता, भारत के प्रति उनकी महान् सेवायें या मेरे प्रति उनकी महान् उदारतायें, जिनके लिए मैं उनका ऋणी हूँ, इनका कोई प्रश्न ही नहीं है। इस सब बातों के होते हुए भी वह बहुत-सी बातों में, बुरी तरह गलती कर सकते हैं। आखिर उनका मकसद क्या है? इतने वर्षों तक उनके नज़दीक-से-नज़दीक रहने पर भी मुझे खुद अपने दिमाग में यह बात साफ-साफ नहीं दिखाई देती कि उनका ध्येय आखिर क्या है। मुझे तो इस बात में भी शक है कि इस मामले में खुद उनका दिमाग कहां तक साफ़ है। वह कहते हैं कि मेरे लिए तो एक ही कदम काफी है, और वह भविष्य की तरफ देखने की, अपने सामने कोई सुनिश्चित ध्येय रखने की कोशिश नहीं करते। वह यह कहते-कहते कभी नहीं थकते कि हम अपने साधनों की चिंता रखें तो साध्य अपने आप ठीक हो जायगा। अपने निजी जीवन में पवित्र बने रहो तो बाकी सब बातें अपने आप ठीक हो जायेंगी। यह दृष्टि न तो राजनैतिक है, न वैज्ञानिक, और शायद यह तो नैतिक भी नहीं है। यह तो संकुचित आचार दृष्टि है, जो इस प्रश्न का, कि सदाचार क्या वस्तु है, पहले से ही निर्णय कर लेती है। क्या वह केवल एक व्यक्तिगत वस्तु है या सामाजिक विषय? गान्धीजी चरित्र पर ही सब जोर लगा देते हैं, और मानसिक शिक्षा और विकास को बिलकुल महत्व नहीं देते। यह ठीक है कि चरित्र के बिना बुद्धि खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन बुद्धि के बिना चरित्र में क्या रह जाता है? सचमुच, आखिर चरित्र का विकास कैसे होता है? गान्धीजी की तुलना मध्यकालीन ईसाई सन्तों से की गई है और वह जो कुछ कहते हैं उसका अधिकांश इसके अनुकूल भी है। लेकिन वह आजकल मनोवैज्ञानिक अनुभव और तरीक़े से क़तई मेल नहीं खाता।

लेकिन यह कुछ भी हो, ध्येय की अस्पष्टता तो मुझे अत्यन्त खेदजनक प्रतीत होती है। किसी भी कार्य की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसका ध्येय सुनिश्चित और सुस्पष्ट हो। जीवन केवल तर्कशास्त्र नहीं है और यद्यपि उसकी सफलता के लिए समय-समय पर हमें अपने आदर्श बदलने पड़ते हों, फिर भी हमें कोई-न-कोई स्पष्ट आदर्श तो अपने सामने रखना ही होगा।

मेरा खयाल है कि ध्येय के सम्बन्ध में गांधीजी के विचार उतने अस्पष्ट नहीं हैं जितने वह कभी-कभी मालूम होते हैं। वह किसी एक खास दिशा में जाने के लिए

बहुत अधिक उत्सुक हैं। लेकिन उस तरफ़ जाना आजकल के खयालो और आजकल की परिस्थितियों के बिलकुल खिलाफ़ है, और अबतक वह इन दोनों का एक दूसरे से मेल नहीं मिला पाये हैं, न कोई बीच की वे सब पगडण्डियाँ ही खोज पाये हैं जो उन्हें अपने निश्चित स्थान पर पहुँचा दे। यही उनके ध्येय की अस्पष्टता और उसके स्पष्टीकरण के अभाव का कारण है। लेकिन कोई पचास बरस से, उस वक़्त से, जबमे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपने जीवन-सिद्धान्त निश्चित करना शुरू किये तबसे उनका साधारण दृष्टिकोण कैसा रहा है, यह साफ़ जाहिर है। मुझे पता नहीं कि उनके वे शुरू के लेख, अब भी उनके विचारों के द्योतक हैं या नहीं। वे उनके विचारों को पूरी तरह व्यक्त करते हैं मुझे तो इस बात में शक है, लेकिन फिर भी उनसे हमें उनके विचारों की तह में जो भावनायें काम करती रही हैं उनके समझने में मदद मिलती है।

१९०९ में उन्होंने लिखा था—“हिन्दुस्तान का उद्धार इसीमें है कि उसने पिछले पचास साल में जो कुछ भी सीखा है उसे भूल जाय। रेलवे, तार या अस्पताल, वकील, डाक्टर और इस तरह की सभी चीज़ें मिट जानी चाहिएँ, और ऊँची कही जाने-वाली जातियों को स्वेच्छापूर्वक धर्म-भाव से और निश्चित रूप से किसानों का सादा जीवन बिताना सीखना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का जीवन ही सच्चा सुख देने-वाला है।” और “जब-जब मैं रेल या मोटर में बैठता हूँ, मुझे ऐसा महसूस होना है कि जिस बात को मैं ठीक समझता हूँ उसीके साथ मैं ज्यादाती कर रहा हूँ।” “इतनी अधिक कृत्रिम और तेज़ी से चलनेवाली चीज़ों से दुनिया का सुधार करने की कोशिश कतई गैरमुमकिन है।”

ये सब मुझे बिलकुल गलत और नुकसान पहुँचानेवाली बातें मालूम होती हैं जिनका पूरा हो सकना असम्भव है। कष्ट-सहन और तपस्वी जीवन के प्रति गांधीजी का जो प्रेम और आदर है वही उक्त सब बातों का कारण है। उनके मत से उन्नति और सभ्यता इस बात में नहीं है कि हम अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाते चले जायें और अपने रहन-सहन का ढंग ज्यादा खर्चीला करले, बल्कि इस बात में है कि “अपनी जरूरतों को स्वेच्छा से और प्रसन्नतापूर्वक हम कम करलें, क्योंकि ऐसा करने से सच्चा सुख और सन्तोष मिलता है और सेवा करने की शक्ति बढ़ती है।” अगर हम एक बार इन उपपत्तियों को मानले तो गांधीजी के बाक़ी के विचारों और उनके कार्य-कलापों को समझना आसान हो जाता है। लेकिन हममें से ज्यादातर लोग इनको नहीं मानते और जब हम यह देखते हैं कि उनके काम हमारी पसन्द के मुताबिक़ नहीं हैं, तब हम उनकी शिकायत करने लगते हैं।

व्यक्तिगत रूप से मुझे गरीबों की और तकलीफ़ झेलने की तारीफ़ करना पसन्द

नहीं है। मैं यह नहीं समझता कि वे किसी प्रकार वांछनीय हैं, बल्कि मेरी राय में तो उन्हें मिटा देना चाहिए। न मैं सामाजिक आदर्श की दृष्टि से तपस्वी-जीवन को पसन्द करता हूँ, चाहे कुछ व्यक्तियों के लिए वह ठीक ही हो। मैं सादगी, समानता और आत्म-संयम चाहता हूँ और उसकी कद्र भी करता हूँ, लेकिन शारीरिक दमन करने के पक्ष में नहीं हूँ। मेरा विश्वास है कि जैसे खिलाड़ी या पहलवान के लिए अपने शरीर की साधना जरूरी है वैसे ही इम बात की भी जरूरत है कि हम अपने मन और अपनी आदतों को साथे और उन्हें अपने नियन्त्रण में रखें। यह आशा करना तो बेहदगी होगा कि जो व्यक्ति अत्यधिक विलासमय जीवन में फँसा हुआ है, वह संकट के दिन आने पर ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त कर सकेगा या असाधारण आत्म-संयम दिखा सकेगा या वीरोचित व्यवहार कर सकेगा। नैतिक दृष्टि से उच्च रहने के लिए भी साधना की कम-से-कम उतनी ही जरूरत है जितनी कि शरीर को अच्छी हालत में रखने के लिए। लेकिन सचमुच इसके मानी न तो सीमारहित संयम है और न आत्मपीडन ही है।

‘किमानों की-सी सादा जिन्दगी’ का आदर्श मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। मैं तो करीब-करीब उससे घबडाता-सा हूँ और खुद उनकी सी जिन्दगी बर्दाश्त करने के बदले मैं तो किसानों को भी उस जिन्दगी में से खींचकर बाहर निकाल लाना चाहता हूँ—उन्हें शहरी बनाकर नहीं बल्कि देहातो में शहरों की सांस्कृतिक सुविधायें पहुँचा कर। किसानों की सी यह सादा जिन्दगी मुझे सुख तो कतई नहीं देती, वह तो मुझे करीब-करीब उतनी ही बुरी मालूम होती है जितना कि जेलखाना। आखिर “फावडेवाले आदमियों” में ऐसी क्या बात है कि उसे अपना आदर्श बनाया जाय ? असम्ब्य युगों से इस पद-दलित और शोषित प्राणी में और उन पशुओं में जिनके साथ वह रहता है, कोई अन्तर नहीं रह गया है।

“किमने यो कर दिया उसे है मृत-सा हर्ष-निराशा से ?

व्याकुल नहीं शोक से होता, और प्रफुल्लित आशा से।

स्तब्ध, मूक, जड़रूप खड़ा वह, करे शिकायत क्या किससे ?

मानव है या वृषभ सहोदर उपमा इसकी दें जिससे।”

मानव-बुद्धि से काम न लेकर पुराने जंगलीपन की स्थिति में, जहाँ बौद्धिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं था, पहुँचने की बात मेरी समझ में बिलकुल नहीं

१. मूल अंग्रेज़ी पद्य इस प्रकार है :—

“Who made him dead to rapture and despair,
A thing that grieves not and that never hopes,
Stolid and stunned, a brother to the ox?”

आती। स्वयं उस वस्तु को, जो मानवप्राणी के लिए उसकी विजय और गौरव की बात है, बुरा बताया जाता है और अनुत्साहित किया जाता है और वह भौतिक स्थिति, जो दिमाग के लिए भाररूप है और उसकी तरक्की को रोकती है, वांछनीय समझी जाती है। वर्तमान सभ्यता बुराइयों से भरी हुई है, लेकिन उसमें अच्छाइयाँ भी भरी पड़ी हैं, और उममें वह ताकत भी है जिससे वह अपनी बुराइयों को दूर कर सके। उसको जड़-मूल में बरबाद करना, उसकी डम ताकत को भी बरबाद करना होगा और फिर उसी नीरम प्रकाशहीन और दुःखमय स्थिति की ओर पहुँचना होगा। यदि ऐसा करना वांछनीय हो, तो भी वह एक अनहोनी बात है। हम परिवर्तन की नदी को रोक नहीं सकते, न अपने को उसके बहाव से निकाल सकते हैं, और मनोविज्ञान की दृष्टि से हममें से जिन लोगों ने वर्तमान सभ्यता का स्वाद चख लिया है वे उसे भूलकर पुरानी जंगलीपन की स्थिति में जाना पसन्द नहीं कर सकते।

उम बात को समझना मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों दृष्टिकोण बिल्कुल जुड़े हैं। गांधीजी हमेशा व्यक्तिगत मुक्ति और पाप की भाषा में सोचते हैं, जब कि हममें से अधिकांश लोगों के मन में समाज की भलाई सबसे ऊपर है। मेरे लिए पाप की कल्पना को समझ सकना मुश्किल मालूम पड़ता है और शायद इमीलिए मैं गांधीजी के साधारण दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता हूँ। वह समाज या सामाजिक ढाँचे को बदलना नहीं चाहते, वह तो व्यक्तियों में से पाप की भावना को नष्ट कर देना चाहते हैं। उन्होंने लिखा है कि “स्वदेशी का माननेवाला कभी दुनिया को सुधारने के निरर्थक प्रयत्न में हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि उसका विश्वास है कि दुनिया उन्हीं नियमों से चलती आई है और चलती रहेगी, जो ईश्वर ने बना दिये हैं।” फिर भी दुनिया को सुधारने के प्रयत्नों में वह काफी आगे बढ़ जाते हैं। पर वह जो सुधार करना चाहते हैं वह है व्यक्तिगत सुधार, जिसके मानी हैं इन्द्रियाँ पर और उनका उपभोग करने की पापमयी इच्छा पर, विजय प्राप्त करना। फासिज्म पर लिखनेवाले एक योग्य रोमन कथोलिक लेखक ने आज्ञादी की जो परिभाषा की है, शायद गांधीजी उमसे सहमत होंगे। वह परिभाषा यह है—“आज्ञादी पाप के बन्धन से छुटकारा पाने के सिवाय और कुछ नहीं है।” दो सौ बरस पहले लन्दन के बिशप ने जो शब्द लिखे थे उनसे यह कितना मिलता-जुलता है। वे शब्द ये थे—“ईसाई धर्म जो आज्ञादी देता है वह है पाप और शैतान के बन्धनों से और मनुष्य की बुरी कामनाओं, वासनाओं और असाधारण इच्छाओं के जाल से मुक्ति।”^१

१. यह उद्धरण जिस पत्र से लिया गया है वह ४५६ पृष्ठ पर दिया जा चुका है

अगर एक बार इस दृष्टिकोण को समझ लिया जाय तो स्त्री-पुरुष के सहवास के बारे में गांधीजी का जो रुख है और जोकि आजकल के औसत आदमी को गैर-मामूली-सा मालूम होता है वह भी कुछ-कुछ समझ में आ सकता है। उनकी राय में “जब सन्तान की इच्छा न हो तब स्त्री-पुरुष को आपस में सहवास करना पाप है।” और “सन्तति-निग्रह के कृत्रिम साधनों को काम में लाने का परिणाम नपुंसकता और स्नायविक हास होता है।” “अपने कामों के परिणामों से बचने की कोशिश करना शलत और पापमय है। यह बुरा है कि पहले तो ज़रूरत से ज्यादा पेट भरलें और फिर कोई टानिक या दूसरी दवा लेकर उसके नतीजों से बचने की कोशिश करें। और यह तो और भी बुरा है कि कोई शरूस पहले तो अपने पाशविक मनोविकारों को तृप्त करे और फिर उसके परिणामों से बचे।”

जाती तौर पर मैं गांधीजी के इस रुख को बिलकुल अस्वाभाविक और भयावह पाता हूँ और अगर गांधीजी की बात सही है तो मैं तो उन पापियों में से हूँ जो नपुंसकता और स्नायविक ट्रांस के नज़दीक पहुँच चुके हैं। रोमन कैथोलिकों ने भी बड़े जोरों से सन्तति-निग्रह की मुखालिफत की है। लेकिन वे अपनी दलीलों को उस आखिरी दर्जे तक नहीं ले गये जिस दर्जे तक गांधीजी ले गये हैं। उमे वे इन्सानी फितरत समझते हैं, उसके साथ उन्होंने कुछ समझौता कर लिया है और समयानुसार छूट देदी है। लेकिन गांधीजी तो अपनी दलील की आखिरी हद तक पहुँच गये हैं और वह तो सन्तान पैदा करने के सिवा और किसी भी समय स्त्री-पुरुष के प्रसंग को ज़रूरी या जायज़ नहीं समझने। वह इस बात को मानने से इन्कार करते हैं कि स्त्री-पुरुषों में परस्पर एक दूसरे की तरफ कुदरती खिचाव होता है। उनका कहना है—“लेकिन मुझसे कहा जाता है कि यह आदर्श तो असम्भव कल्पना है और स्त्री-पुरुषों में जो एक-दूसरे के लिए स्वाभाविक आकर्षण होता है उसे मैं ध्यान में नहीं रखता। मैं यह मानने से इन्कार करता हूँ कि जिस आकर्षण का सकेत किया गया वह किसी भी हालत में प्राकृतिक माना जा सकता है, और अगर वह ऐसा ही है तो

१. ईसाइयों के विवाह के बारे में ११ वें पायस पोप ने ३१ दिसम्बर १६३१ को जो धर्माज्ञा दी है उसमें कहा है—“अगर विवाहित लोग अपने हज़ों का गम्भीर और प्राकृतिक कारणों से उपयोग करें तो यह नहीं माना जाना चाहिए कि वे प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहे हैं, फिर चाहे समय की परिस्थिति या किसी खराबी के कारण उनके बच्चे पैदा हो या न हों!” समय की परिस्थिति से मतलब जाहिरा तौर पर ‘छरझित समय कहे जानेवाले’ उस वक़्त से है, जब गर्भावधान सम्भव नहीं समझा जाता।

सर्वनाश को बहुत निकट समझना चाहिए। पुरुष और स्त्री में जो स्वाभाविक सम्बन्ध है वह वही आकर्षण है जो भाई और बहिन में, मां और बेटे में, बाप और बेटी में होता है। यही वह स्वाभाविक आकर्षण है, जो दुनिया को कायम रखे हुए है।" और आगे चलकर इससे भी ज्यादा जोर से कहते हैं—“नहीं, अपनी पूरी ताकत के साथ कहना चाहिए कि पति-पत्नी का ऐन्द्रिक आकर्षण भी अप्राकृतिक है।”

ऑडीपस कॉम्प्लेक्स और फ्रूड के विचारों और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के इस युग में किसी विश्वास को इतने जोरदार शब्दों में प्रकट करना आश्चर्यजनक और असामयिक मालूम होता है। यह तो श्रद्धा का सवाल है, तर्क का नहीं। इसे आप मानें या न मानें। इसके बारे में कोई बीच का रास्ता नहीं है। अपनी तरफ से तो मैं कह सकता हूँ कि इस मामले में गांधीजी बिल्कुल गलती पर हैं। कुछ लोगों के लिए उनकी सलाह ठीक हो सकती है, लेकिन एक व्यापक नीति के रूप में तो इसका नतीजा यही होगा कि लोग ध्वजभंग, मृगी वगैरा तरह-तरह के शारीरिक और स्नायविक बीमारियों के शिकार हो जायेंगे। विषय-भोग में संयम जरूर होना चाहिए, लेकिन मुझे इस बात में शक है कि गांधीजी के उसूलों से यह संयम किसी बड़ी हद तक हो सकेगा। वह संयम बहुत अधिक कड़ा है, और ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि वह उनकी ताकत के बाहर है, और इसलिए आमतौर पर अपने मामूली तरीके पर चलते रहते हैं और अगर नहीं चलते तो पति-पत्नी में खटपट हो जाती है। स्पष्टतः गांधीजी यह समझते हैं कि सन्तति-नियंत्रण के साधनों से निश्चित रूप से लोग अत्यधिक मात्रा में काम-तृप्ति में लग जायेंगे और अगर स्त्री और पुरुष का यह इन्द्रिय-सम्बन्ध मान लिया जाय, तो हर मर्द हर औरत के पीछे दौड़ेगा और इसी तरह हर स्त्री हर पुरुष के पीछे। उनके

१. ऑडीपस थेबीज़ के राजा लेइस का लड़का था। इसके जन्म के समय यह भविष्यवाणी का पता लगा कि वह अपने बाप को मार डालेगा अपनी मा से शादी कर लेगा, तो घर छोड़कर चल दिया। रास्ते में उसे उसका बाप लेइस और मा जोकेस्टा मिली। वह उन्हें पहचानता न था, अतः बात-ही-बात में उत्तेजना बढ़ जाने पर उसने लेइस को मार डाला और जोकेस्टा से शादी कर ली। उससे उसके तीन बच्चे हुए। अतः मनःशास्त्री फ्रूड के मतानुसार 'ऑडीपस कॉम्प्लेक्स' का अर्थ है, वह चित्तवृत्ति जिसके अनुसार लड़के की अपनी मा के प्रति और लड़की का अपने पिता के प्रति कामुक आकर्षण हो।

दोनों निष्कषों में से एक भी सही नहीं है, और यद्यपि यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है फिर भी मेरी समझ में यह नहीं आता कि गांधीजी उसपर इतना ज्यादा जोर क्यों देते हैं। उनके लिए तो इसके दो ही पहलू हैं—इस पार या उस पार; बीच का कोई रास्ता नहीं है। दोनों ओर वह ऐसी पराकाष्ठा को पहुँच जाते हैं जो मुझे बहुत गौर-मामूली और अप्राकृतिक मालूम होती है। इन दिनों हमारे ऊपर काम-शास्त्रसम्बन्धी साहित्य की जो प्रलयकारी वाढ़ आ रही है शायद उसीकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप गांधीजी ऐसी बातें कहते हैं। मैं मानता हूँ कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और मेरे जीवन में वैषयिक भावना का असर रहा है। लेकिन न तो मैं कभी उसके क्राबू में हुआ और न उसकी वजह से कभी मेरे कोई दूसरे काम रुके। वह केवल गीण रूप में ही रही है।

गांधीजी की वृत्ति तो दरअसल उस विरक्त जैसी है जिसने दुनिया और उसके तौर-तरीकों से किनारा कर लिया है, जो जीवन को मिथ्या मानता है और उसकी उपेक्षा करता है। किमी योगी के लिए यह है भी स्वाभाविक, लेकिन जो संसारी स्त्री-पुरुष जीवन को मिथ्या नहीं मानते और उसका सर्वोत्तम उपयोग करने की कोशिश करते हैं उनके लिए यह बहुत दूर की बात है। इसलिए, इस एक तुराई में बचने के लिए उन्हें दूसरी ओर उसमें भी बड़ी-बड़ी बुराइयों को बरदाश्त करना पड़ता है।

मे विषय से बाहर बह पड़ा हूँ। लेकिन अलीपुर-जेल के उन दुःखदायी दिनों में सभी तरह के विचार मेरे मन में छाये रहते थे। वे किमी तर्क-सम्मत क्रम या व्यवस्थित रूप में नहीं होते थे, बल्कि बिखरे हुए और बे-मिलसिलेवार होते थे और अक्सर मुझे व्यग्र और परेशान कर डालते थे। और इन सबसे बढ़कर एकान्त और मूनेपन का वह भाव था जो जेल की दम घाँटनेवाली आबोहवा से और मेरी छोटी-सी एकान्त कोठरी की वजह से और भी बढ़ जाता था। अगर मैं जेल से बाहर होता तो मुझे जो चोट पहुँची वह क्षणिक होती और मैं ज्यादा जल्दी नई स्थितियों के अनुकूल बन जाता, और अपना गुब्बार निकालकर अपने मन-माफिक काम करके अपने दिल को हलका कर लेता। पर जेल के अन्दर ऐसा नहीं हो सकता था, इसलिए मेरे कुछ दिन बड़ी बुरी तरह बीते। खुशकिस्मती से मैं बड़ा खुशमिजाज हूँ और मायूसी के हमलों से बड़ी जल्दी सम्हल जाता हूँ। इसलिए मैं अपने दुःख को भूलने लगा। इसके बाद जेल में कमला से मेरी मुलकात हुई। उससे मुझे और भी बेहद खुशी हुई और मेरी अकेलेपन की भावना दूर हो गई। मैंने महसूस किया कि कुछ भी क्यों न हो हम एक-दूसरे के जीवन-साथी तो हैं ही।

चिकट समस्याये

जो लोग गांधीजी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते और जिन्होंने सिर्फ उनके लेखों को ही पढ़ा है वे अक्सर यह सोच बैठते हैं कि गांधीजी कोई विरक्त साधु से हैं—खुदक जाहिद की तरह मनहूस और मुंह लटकाये हुए। लेकिन गांधीजी के लेख गांधीजी के साथ अन्याय करते हैं। वह जो कुछ लिखते हैं उससे वह खुद कहीं ज्यादा बड़े हैं। इसलिए उन्होंने जो कुछ लिखा है उसको उद्धृत करके उसकी आलोचना करने बैठ जाने से उनके साथ पूरी तरह इन्साफ़ नहीं किया जा सकता। धर्मोपासकों के रास्ते में उनका रास्ता बिलकुल जुदा है। उनकी मुस्कराहट आल्हादकारक होती है, उनकी हँसी सबको हँसा देती है, और वह विनोद की एक लहर बहा देते हैं। उनमें भोलें बच्चों की—सी कुछ ऐसी बात है जो मोह लेनेवाली है। जब वह किसी कमरे में पैर रखते हैं तो अपने साथ एक ऐसी ताज़ी हवा का झोका लेने आते हैं जो वहाँ के वातावरण को आमोदित कर देता है।

वह उत्सानों के एक असाधारण नमूने हैं। मेरा खयाल है कि तमाम मशहूर और खास शास्त्र कुछ-न-कुछ हद तक ऐसे ही होते हैं। बरमों इस पंचीदा मवाल ने मुझे परेशान किया है कि यह क्या बात है कि गांधीजी पीड़ितों के लिए इतना प्रेम और उनकी भलाई का इतना खयाल रखते हुए भी एक ऐसी प्रणाली का समर्थन करते हैं जो लाजिमी तौर पर पीड़ितों को पंदा करती है और फिर उन्हें कुचलती है। और यह क्या बात है कि एक तरफ तो वह अहिंसा के ऐसे अनन्य उपासक हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसे राजनैतिक और सामाजिक ढाँचे के पक्ष में हैं जो मोलहो आने हिंसा और बलात्कार पर ही टिका हुआ है? शायद यह कहना सही नहीं होगा कि वह ऐसी प्रणाली के पक्ष में हैं। वह तो कम-बढ़ एक दार्शनिक अराजक हैं, लेकिन क्योंकि अराजकों का आदर्श एक तो अभी बहुत दूर है और हम आसानी से उसका क्रयास भी नहीं कर सकते; इसलिए वह मौजूदा व्यवस्था को मंजूर करते हैं। मेरा खयाल है कि प्रणाली को बदलने में हिंसा के इस्तेमाल की बाबत उन्हें जो ऐतराज है वह महज साधन के लिहाज से ही नहीं है, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिए किन जरूरियों से काम लेना चाहिए इस सवाल से बिलकुल अलग हम एक ऐसे आदर्श ध्येय को अपनी आँखों के सामने रख सकते हैं, जिसको ज्यादा दूर के भविष्य में नहीं, नज़दीक भविष्य में ही, पूरा कर लेना हमारे लिए मुमकिन है।

कभी-कभी वह अपनेको समाजवादी भी कहते हैं, लेकिन वह समाजवाद शब्द का प्रयोग एक ऐसे अनोखे अर्थ में करते हैं जो खुद उनका अपना लगाया हुआ है और जिसका उस आर्थिक ढाँचे से कोई सरोकार नहीं है जो आम तौर पर समाजवाद के नाम से पुकारा जाता है। उनकी रहनुमाई में पीछे-पीछे चलते हुए कुछ नामी-गरामी काँग्रेसी भी उन्हींके अर्थ में समाजवाद शब्द का इस्तमाल करने लगे हैं, लेकिन उस समाजवाद से उनका मतलब खुदा के बन्दों की एक क्रिस्म की गोलमटोल खिदमत से होता है। इस गोलमटोल राजनैतिक शब्दावली का प्रयोग करने में वह जो गलती करते हैं उसमें बड़े-बड़े नामी शस्त्र उनके साथ हैं, क्योंकि वह तो सिर्फ ब्रिटिश नेशनल सरकार के प्रधान मन्त्री की मिसाल के पीछे ही चल रहे हैं। मैं यह जानता हूँ कि गांधीजी समाजवाद से नावाक़िफ़ नहीं हैं क्योंकि उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजवाद और मार्क्सवाद पर भी बहुत-सी किताबें पढ़ी हैं और इन विषयों पर दूसरों के साथ वाद-विवाद भी किया है, लेकिन मेरे मन में यह विश्वास घर करता जाता है कि अत्यन्त महत्त्व के मामलों में अकेला दिमाग बजात खुद हमें ज्यादा दूर तक नहीं ले जाता। विलियम जेम्स ने कहा है कि—“अगर आपका दिल नहीं चाहता तो इनमीनान रखाए कि आपका दिमाग आपको कभी भी विश्वास नहीं करने देगा।” हमारे मनोविकार हमारी आम निगाह पर शासन करते हैं और मन उनके काबू में रहता है। हमारी बातचीत फिर चाहे वह धार्मिक हो या राजनैतिक या आर्थिक, असल में तो सहज ज्ञान या मनोभावों पर ही निर्भर रहती है। शोपेनहर ने कहा है कि—“मनुष्य जिस बात का संकल्प करे, उसे वह पूरा कर सकता है, लेकिन वह जिस बात का संकल्प करना चाहे उसका संकल्प नहीं कर सकता।”

दक्षिण अफ्रीका में अपने शुरू के दिनों में गांधीजी में बहुत ज़बरदस्त नबदीली हुई। इससे वह एक दम हिल गये और जीवन के बारे में उनकी विचार-दृष्टि बदल गई। तबसे उन्होंने अपने तमाम खयालों के लिए एक बुनियाद बना ली और अब वह किसी सवाल पर उस बुनियाद से हटकर स्वतन्त्र रूप से विचार नहीं कर सकते। जो लोग उनको कई बातें सुझाते हैं उनकी बातों को वह बड़े भारी धीरज और ध्यान से सुनते हैं, लेकिन उनसे बातें करनेवाले पर यह असर पड़ता है कि वह जो

१. जनवरी, सन् ३५ में एडिनबरा में अनुदार और यूनिवर्सिटी के एसोसियेशन के संघ को एक सन्देश देते हुए मि० रेमजे मेकडोनेल्ड ने कहा था कि—“समय की कठिनाइयाँ हरेक मुल्क के लोगों के लिए यह लाज़िमी बना रही हैं कि वे एक होकर अपनी तमाम ताक़त से काम करें। यही सच्चा समाजवाद है, और यही सच्ची राष्ट्रीयता भी है और सच बात तो यह है कि सच्चा व्यक्तिवाद भी यही है।”

शराफ़त व दिलचस्पी दिखा रहे हैं उस सबके बावजूद उन बातों के लिए उनके मन का दरवाज़ा बन्द है। कुछ खयालात से उनका लंगर ऐसा बंध गया है कि और सब बातें उन्हें महत्त्व की नहीं मालूम होती। उनकी राय में दूसरी और अ-प्रधान बातों पर जोर देने से ज्यादा बड़ी योजना से ध्यान हट जायगा और उसका रूप विकृत हो जायगा। अगर हम उस लंगर को पकड़े रहे तो नतीजा यह होगा कि दूसरे सभी काम ज़रूरी तौर पर अपने-आप बाजब तरीक़े से ठीक हो जायेंगे। अगर हमारे साधन ठीक हैं तो साध्य भी लाज़िमी तौर पर ठीक हो जायगा।

मेरे खयाल से उनके विचारों का आधार यही है। वह समाजवाद को और उससे भी ज्यादा खास तौर पर मार्क्सवाद को सदेह की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वह हिंसा से सम्बन्धित है। “वर्ग-युद्ध” शब्द में ही उन्हें लड़ाई और हिंसा की बू आती है, और इसलिए वह उसे नापसन्द करते हैं। इसके अलावा वह यह भी नहीं चाहते कि आम लोगों के रहन-सहन को एक बहुत मामूली पैमाने से ज्यादा ऊँचा बढ़ाया जाय, क्योंकि अगर लोग ज्यादा आराम से और फुर्सत में रहेंगे तो उससे भोग-विलास और पाप की वृद्धि होगी। यही क्या कम बुरा है कि मुट्ठीभर अमीर लोग भोग-विलास में लगे रहते हैं, अगर ऐसे लोगों की तादाद और भी बढ़ा दी गई तब तो बहुत ही बुरा हो जायगा। १९२६ में उन्होंने जो एक खत लिखा था उससे हम ऐसे कुछ नतीजे निकाल सकते हैं। इंग्लैंड में उन दिनों कोयले की खानों में मज़दूरों ने बहुत बड़ी हड़ताल कर दी थी, और खानों के मालिकों ने खाने बन्द कर दी थी। इस कशमकश के दौरान में उनके पाम जो खत आया था, उसके जवाब में उन्होंने यह खत लिखा था। जिन माहब ने उन्हें खत भेजा था, उन्होंने उसमें यह दलील पेश की थी कि इस लड़ाई में मज़दूर हार जायेंगे, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। इसलिए उन्हें चाहिए कि वह कृत्रिम साधनों से मदद लेकर ज्यादा सन्तान पैदा करना बन्द कर दें और इस तरह अपनी तादाद घटा लें। इस खत का जवाब देते हुए गांधीजी ने लिखा था—“आखिरी बात यह है कि अगर खानों के मालिक ग़लत रास्ते पर होने पर भी जीत जायेंगे, तो उनकी यह जीत महज इसलिए नहीं होगी कि मज़दूर ज्यादा सन्तान पैदा करते हैं; बल्कि इसलिए होगी, कि मज़दूरों ने जिन्दगी में हर तरफ़ संयम से काम लेना नहीं सीखा। अगर खानों के मज़दूरों के बच्चे न हों तो उन्हें अपनी हालत बेहतर बनाने की कोई प्रेरणा ही नहीं रहेगी, और फिर वे यह बात भी कैसे साबित कर दिखायेंगे कि उनकी मज़दूरी बढ़ाई जाने की ज़रूरत है? उनको शराब पीने, जुआ खेलने और सिगरेट पीने की कोई ज़रूरत है? क्या इसके जवाब में यह कहना ठीक होगा कि खानों के मालिक भी तो यह सब काम करते हैं, और फिर भी वे चैन की बंसी बजाते

हैं ? अगर मजदूर इस बात का दावा नहीं कर सकते कि वे कुछ बात में पूँजीपतियों से बेहतर हैं तो फिर उन्हें दुनिया की हमदर्दी हासिल करने का क्या हक है ? क्या इसलिए कि वे पूँजीपतियों की तादाद बढ़ावें और पूँजीवाद को मजबूत करें ? हमसे कहा जाता है कि हम लोकतन्त्र के सामने अपने सिर झुका दें, क्योंकि वादा यह किया जाता है कि जब लोकतन्त्र की पूरी हुकूमत होगी तब दुनिया की हालत बेहतर हो जायगी । पूँजीवाद और पूँजीपतियों के सिर हम जिन बुराइयों को थोपते हैं, वे ही खुद हमें और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर पैदा नहीं करनी चाहियें ।”

जब मैंने इसे पढ़ा, तब खानों में काम करनेवाले अंग्रेज मजदूरों और उनकी औरतों व बच्चों के भूख से उतरे हुए और पिचके हुए चेहरे मेरी आँखों के सामने आ गये, जो मैंने १९२६ की गर्मियों में देखे थे । वे गरीब मजदूर उम्र समय उन्हें कुचलनेवाली पैशाचिक प्रणाली के खिलाफ लड़ रहे थे । इस लड़ाई में वे बि२कुल असहाय थे और उनकी हालत पर रहम आता था । गांधीजी ने जो बातें लिखी हैं, वे पूरी तरह सही नहीं हैं; क्योंकि खानों के मजदूर मजदूरी बढ़वाने के लिए नहीं लड़ रहे थे, वे तो इस बात के लिए लड़ रहे थे कि जो मजदूरी उन्हें मिलनी है उसमें कमी न की जाय, और जो खाने बन्द करदी गई थी वे खोल दीं जायें । लेकिन इस वक्त हमें इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं । न हमारा ताल्लुक इसी बात से है कि मजदूर लोग कृत्रिम माधनों की मदद लेकर मन्तान पैदा करना रोकें या न रोकें, यद्यपि मालिकों और मजदूरों के लड़ाई-झगड़े को निबटाने के लिए यह एक निराला-सा मुझाव था । मैंने तो गांधीजी के जवाब में से इतनी बात यहाँ इसलिए दी है कि जिससे हम लोगो को यह बात ममझने में मदद मिले कि मजदूरों के रहन-सहन के ढंग को ऊँचा बनाने की आम माँग के मामले में और मजदूरों के दूमरे मामलों में गांधीजी का दृष्टिकोण क्या है । उनका यह दृष्टिकोण समाजवादी दृष्टिकोण में—और समाजवादी दृष्टिकोण ही से क्यों, सच बात तो यह है कि पूँजीवादी दृष्टिकोण से भी—काफ़ी दूर है । गांधीजी को इस बात में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है कि अगर स्वार्थी समुदाय रास्ते के रोड़े न बनें तो यह बात करके दिखाई जा सकती है कि विज्ञान और श्रमों की कला के जरिये हम आज तमाम लोगो को अबसे कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर खाने-पहनने और रहने को दे सकते हैं और उनके रहन-सहन के ढंग को बहुत ज्यादा ऊँचा कर सकते हैं । असल बात यह है कि एक निश्चित हद से आगे वह इन बातों के लिए बहुत उत्सुक नहीं है । इसीलिए समाजवाद से होनेवाले लाभ की आशा उनके लिए आकर्षक नहीं है

१. गांधीजी ने, ‘अनीति की राह पर’ नाम की जो किताब लिखी है उसमें यह क्लृप्त दिया गया है ।

और पूंजीवाद भी महज कुछ हद तक ही बरदास्त किया जा सकता है—और यह भी इसलिए कि वह बुराई को सीमित रखता है। वह पूंजीवाद और समाजवाद दोनों ही को नापसन्द करते हैं, लेकिन पूंजीवाद को फिलहाल की बुराई समझकर उसे बरदास्त कर लेते हैं। इसके अलावा वह पूंजीवाद को इसलिए भी बरदास्त करते हैं, क्योंकि वह तो पहले ही से मौजूद है और उससे आँखें नहीं मूंदी जा सकतीं।

शायद उनके मत्थे ये विचार मडने में मँ गलती पर होऊँ, लेकिन मेरा यह खयाल ज़रूर है कि वह इसी तरह मोचने मालूम पड़ते हैं, और उनके कथनों में हमें जो विरोधाभास और अस्तव्यस्तता परेशान करती हैं उसका असली कारण यह है कि उनके तर्क के आधार बिलकुल भिन्न हैं। वह यह नहीं चाहते कि लोग हमेशा बढ़ते जानेवाले आराम व फुर्मन को अपने जीवन का लक्ष्य बनावें। वह तो यह चाहते हैं कि लोग नैतिक जीवन की बातें सोचें, अपनी बुरी लतें छोड़ दें, शारीरिक भोगों को रोज़-ब-रोज़ कम करते जायँ और इस तरह अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति करें; और जो लोग आम लोगों की खिदमत करना चाहते हैं उनका काम यह नहीं है कि वे उन लोगों की माली हालत को ऊँचा उठायें, बल्कि उन्हें चाहिए कि खुद उनकी तह पर नीचे चढ़े जायँ और उनके साथ बराबरी की हैमियत से मिले। ऐसा करते हुए वे लाजिमी तौर पर कुछ हद तक उनकी हालत बेहतर करने में मदद दे सकेंगे। उनकी राय के मुताबिक यही सच्चा लोकतन्त्र है। १७ सितम्बर १९३४ को उन्होंने जो वक्तव्य दिया था, उसमें उन्होंने लिखा है कि, “बहुत-से लोग मेरा विरोध करने में निराश हैं। मेरे लिए यह बात ज़लील करने जैसी है, क्योंकि मैं तो जन्म में ही लोकतन्त्री हूँ। गरीब-से-गरीब इन्सान के साथ बिलकुल उसीका-सा हो जाना जिस हालत में वह रहना है उससे बेहतर हालत में रहने की स्वाहिश छोड़ देना, और अपनी पूरी ताक़त के साथ उसकी तह तक पहुँचने की कोशिश हमेशा स्वेच्छापूर्वक करने रहना। अगर ये ऐसी बातें हैं कि जिनकी बुनियाद पर किसीको यह दावा करने का हक मिल सकता है, तो मैं यह दावा करता हूँ।”

इस हद तक तो गांधीजी की बात को सभी लोग मानेंगे कि अपनेको आम लोगों से बिलकुल अलग कर लेना और अपनी विलासिता और लोगों के रहन-सहन के ढंग से कहीं ज्यादा ऊँचे ढंगों की नुमाइश उन लाखों लोगों के सामने करना जिनके पास ज़रूरी-से-ज़रूरी चीज़ों की भी कमी है, बहुत ही बेजा और शर्मनाक है। लेकिन इसके अलावा गांधीजी की बाकी दलीलों और उनके दृष्टिकोण से आजकल का कोई भी लोकतन्त्री, पूंजीवादी या समाजवादी सहमत नहीं हो सकता। मगर जिन लोगों का दृष्टिकोण पुराना धार्मिक दृष्टिकोण है, वे इन बातों से कुछ हद तक

सहमत हो सकते हैं, क्योंकि इन लोगों की भावुकता भी अतीत से बँधी हुई है और ये लोग हमेशा हर बात को अतीत की दृष्टि से ही देखा करते हैं। वे 'है' या 'होगा' की बाबत इतना नहीं सोचते, जितना कि 'था' की बाबत। भूतकालिक और भविष्यकालिक मनोवृत्तियों में ज़मीन और आस्मान का फ़र्क है। पुराने ज़माने में तो इस बात का सोचा जाना भी मुश्किल था कि आम लोगों की माली हालत को ऊँचा किया जाय। उन दिनों गरीब हमारे समाज के अभिन्न अंग बने हुए थे। उस वक़्त तो मुट्ठीभर अमीर लोग थे। वे सामाजिक ढाँचों के मुख्य अंग थे। वे उत्पादन-प्रणाली के ज़रूरी हिस्से थे, इसीलिए सदाचारी सुधारक और परदुःखकातर सभी लोगों ने उनकी सत्ता स्वीकार करली थी, लेकिन साथ ही, उनको यह बात सुझाने की कोशिश करते रहते थे कि वे अपने गरीब भाइयों के प्रति अपने कर्तव्य को न भूलें। वे लोग गरीबों के ट्रस्टी होकर रहे, दानी बने, यह उनका उपदेश होता था। इस प्रकार यह दान-पुण्य का एक मुख्य अंग हो गया। राजा-महाराजाओं, बड़े-बड़े ज़मींदारों और पूँजीपतियों के लिए गांधीजी ट्रस्टी बनने के इस आदर्श पर हमेशा जोर देते रहते हैं। वे इस विषय में उन अनेक धार्मिक पुरुषों की परम्परा पर चल रहे हैं, जो समय-समय पर यही कह गये हैं। पोप ने ऐलान किया है कि "अमीरों को यही खयाल करना चाहिए कि वे सर्वशक्तिमान के ऐसे सेवक और उसकी सम्पत्ति के ऐसे मरक्षक और बाँटनेवाले हैं, जिनके हाथ में गरीबों का भाग्य ईसाममीह ने खुद सीप रक्खा है।" जनसाधारण के हिन्दू-धर्म और इस्लाम में भी यही खयाल मौजूद है। वे हमेशा पैसेवालों से यह कहते रहते हैं कि दान-पुण्य करो, और पैसेवाले भी मन्दिर या मस्जिद या धर्मशालायें बनवाकर या अपनी धन-दौलत में से गरीबों को कुछ ताँबे-चाँदी के गोल-गोल टुकड़े देकर उनका हुकम बजा लाने हैं और यह मोचने लगते हैं कि हम लोग बड़े धर्मात्मा हैं।

तेरहवें पोप लियो ने मई १८९१ में जो मज़हूर धर्माज्ञा निकाली थी, उसमें पुरानी दुनिया का इस मज़हबी हल्व को दरसानेवाला एक ज्वलन्त वाक्य है। पोप ने कहा था :—

"इसीलिए इन्सान के भाग्य में यही बड़ा है कि वह धीरज के साथ दुःखों को सहन करता जाय। इन्सान चाहे जितनी कोशिश करे, उसकी जिन्दगी को जो बीमारियाँ और तकलीफ़ें रात-दिन परेशान किये रहती हैं, उन्हें हटाने में कोई भी ताक़त या तदबीर कारगर नहीं हो सकती। अगर कोई शक्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि यह बात नहीं है, और जो बुरी तरह दुःखी लोगों को दुःख और वेदना से छुटकारा या इनको शान्ति, आराम और हमेशा भोग की उम्मीद दिलाने हैं, तो वे लोगों को

अन्न-वस्त्र तक का घोर अभाव था। हो सकता है कि उन दिनों चोटी के कुछ मुट्ठीभर लोग आध्यात्मिक आनन्द का उपभोग करते हों, क्योंकि उनके पास उसके लिए फुसंत नी थी और साधन भी थे, लेकिन दूसरों के लिए तो यह सोचना भी मुश्किल है कि वे महज पेट पालने में दिन-रात जुटे रहने के अलावा और कुछ करते होंगे। जो शरूस भूखों मर रहा है, वह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति कैसे कर सकता है? वह तो इसी फ़िक्र में लगा रहता है कि खाने का इन्तज़ाम कैसे हो?

उद्योग-धन्धों का जमाना अपने साथ ऐसी बहुत-सी बुराइयाँ लाया है, जो घनीभूत होकर हमारी नज़रों के सामने घूमती रहती है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि समस्त ससार और खासकर उन हिस्सों में, जहाँ उद्योग-धन्धे बहुतायत से छा गये हैं, इसने भौतिक प्रगति की ऐसी बुनियाद डाल दी है, जो बहुजनसमाज के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रगति को अत्यन्त सुगम कर देती है। यह बात हिन्दुस्तान में या दूसरे औपनिवेशिक देशों में साफ़ जाहिर नहीं दिखाई देती है, क्योंकि हम लोगों ने उद्योगवाद से फ़ायदा नहीं उठा पाया है। हम लोगों का तो उलटा उद्योगवाद ने शोषण किया है, और बहुत-सी बातों में हमारी हालत माली निगाह से भी पहले से भी बदतर हो गई है—सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से तो वह और भी ज्यादा बुरी हो गई है। इस मामले में कुसूर उद्योगवाद का नहीं, बल्कि विदेशी आधिपत्य का है। हिन्दुस्तान में जो चीज़ पाश्चात्यकरण के नाम से पुकारी जाती है, उसने कम-से-कम इस वक्त के लिए तो, असल में, माण्डलिकशाही को और भी मज़बूत कर दिया है। उसने हमारे एक भी मामले को हल करने के बदले उसे और भी पेचीदा कर दिया है।

लेकिन यह तो हमारी बदकिस्मती की बात हुई। मगर इस भावना से हमें आज की दुनिया को नहीं देखना चाहिए। क्योंकि मौजूदा हालत में तमाम समाज के लिए या उत्पादन-व्यवस्था के लिए धनवान लोग अब न तो ज़रूरी ही रहे हैं, न वाञ्छनीय ही। अब वे फ़ज़ूल हो गये हैं और हर वक्त हमारे रास्ते में रोड़ की तरह अटकते हैं। और घर्माचार्यों के उस पुरातन उपदेश के कोई मानी नहीं रहे, कि धनवान लोग दान-पुण्य करें और ग़रीब जिस हालत में है उसीमें संतुष्ट रहे और उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, मितव्ययी बनें, और भले आदमियों की तरह रहें। अब तो मानव-समाज के साधन प्रचुरता से बढ़ गये हैं, और वह सांसारिक समस्याओं का सामना कर उनका उपाय कर सकता है। ज्यादातर अमीर लोग निश्चित रूप से दूसरों के श्रम के बल पर जीवन व्यतीत करते हैं, और समाज में ऐसे पराश्रयी समुदाय का होना न केवल इन उत्पादक शक्तियों के मार्ग में बाधा है वरन् उनका अपव्यय करने-

वालल भी है । यह समाज और जो प्रणाली इस जमात को पैदा करती है वह बास्तव में उछम और पैदावार को रोकती है और समाज के दोनों भागों के बेकारों को शह देती है, यानी उन लोगों को भी जो दूसरो की मेहनत पर चैन करते हैं और उनको भी जिनको कोई काम ही नहीं मिलता और जो इसीलिए भूखें मरते हैं । खुद गांधीजी ने कुछ वषत पहले लिखा था—“बेकार और भूखें मरनेवाले लोगों के लिए तो मजदूरी और वेतन-रूपी भोजन का आश्वासन वही ईश्वर हो सकता है । ईश्वर ने अपने बन्दों को इसलिए पैदा किया था कि वे कमाकर खावें और उसने कह दिया था कि जो बिना कमावे खाते है वे चोर है ।”

उनकी मिल्कियत क अधिकारों को सीमित कर दिया गया है । युद्ध के समय मे तो निजी सम्पत्ति के अधिकारों पर लगातार कुठाराघात होता रहता है । निजी सम्पत्ति दिन-पर-दिन स्थूल रूप छोडकर नये-नये रूप धारण कर रही है—जैसे शेयर, बैंक में जमा की हुई और कर्ज के रूप में दी गई पूंजी । ज्यों-ज्यों सम्पत्ति-सम्बन्धी धारणा बदलती जाती है राज्य अधिकाधिक दस्तन्दाजी करता जाता है और जनता की माँगों के फलस्वरूप सम्पत्तिवालों के अन्धाधुन्ध अधिकारो को सीमित कर देता है । सभी प्रकार के भारी-भारी टैक्स, जो एक प्रकार को उबती है, सार्वजनिक हित के लिए व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकारों का अपहरण-मात्र है । सार्वजनिक हित सार्वजनिक नीति की बुनियाद है और किसी व्यक्ति को यह हक नहीं है कि वह अपने माम्पत्तिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी इस सार्वजनिक हित के विरुद्ध काम करे । अगर देखा जाय तो पिछले जमाने में भी ज्यादातर लोगो के कोई साम्पत्तिक अधिकार नहीं थे, वे खुद भी दूसरों की मिल्कियत बने हुए थे । आज भी बहुत कम लोगों को ये हक हासिल है । स्थापित स्वार्थों की बात बहुत सुनाई देती है, लेकिन आजकल तो एक नया स्थापित स्वार्थ और माना जाने लगा है, और वह स्वार्थ यह है कि हर औरत और मर्द को यह हक है कि वह जिन्दा रहे, मेहनत करे और अपनी मेहनत के फलो का उपभोग करे । सिर्फ इन बदलती रहनेवाली धारणाओं के कारण मिल्कियत और सम्पत्ति लोप नहीं हो जाती, बल्कि उनका क्षेत्र और अधिक व्यापक हो गया है, और मिल्कियत और सम्पत्ति के कुछ थोड़े ही लोगों के पास केन्द्रित हो जाने से इन लोगों को दूसरों पर जो अधिकार प्राप्त हो गया था वह फिर नारे समाज के हाथों में वापस ले लिया जाता है ।

गांधीजी लोगों का अन्तरिक, नैतिक और आध्यात्मिक सुधार चाहते हैं और इस प्रकार सारी बाह्य परिस्थिति को ही बदल देना चाहते हैं । वह चाहते हैं कि लोग बुरी आदतें छोड़ दें, इन्द्रियों के भोगों को तिलाञ्जलि दे दें और पवित्र बन जायें ।

वह इस बात पर जोर देते हैं कि लोग ब्रह्मचर्य से रहें, नशा न करें, न सिगरेट बौरा पीवें। इस मामले में लोगों में मतभेद हो सकता है कि इन भोगों में से कौन-सा ज्यादा बुरा है और कौन-सा कम। लेकिन क्या इस बात में किसीको शक हो सकता है कि ये व्यक्तिगत त्रुटियाँ व्यक्तिगत दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से तो और भी कम अधिक हानिकारक हैं—बनिस्बत लालच, खुदगर्जी, परिग्रह, जाती फ्रायदे के लिए व्यक्तियों के भयानक लड़ाई-झगड़े, जमातों और फिरकों के क्रूर संघर्ष, एक जमात द्वारा दूसरी जमात के अमानुषिक शोषण और दमन व राष्ट्रों की आपस की भयानक लड़ाइयों के ? यह सच है कि गांधीजी इस तमाम हिंसा और पतनकारी संघर्ष से नफरत करते हैं। लेकिन क्या ये सब बातें आजकल के स्वार्थी पूँजीपति समाज में स्वाभाविक रूप में मौजूद नहीं है, जिसका क्रान्त यह है कि बलवान लोगों को कमजोरों का शिकार करना चाहिए, और पुराने जमाने की तरह जिसका मूलमन्त्र यह है कि “जिनके बाजूओ में ताकत है वे जो चाहें तो लेले और जो रख सकते हैं वे जो चाहें अपने पास रखें ?” इस युग की मुनाफ़े की भावना का लाजिमी परिणाम संघर्ष होता है। यह सारी प्रणाली मनुष्य की लूट-खसोट की सहज वृत्तियों का पोषण करती है और उसको फलने-फूलने की पूरी सुविधा देती है। इसमें सन्देह नहीं कि इससे मनुष्य की उच्च भावनाओं को भी शह मिलती है; लेकिन इनकी अपेक्षा उसकी हीन वृत्तियों को कहीं अधिक पोषण मिलता है। इस प्रणाली में कामयाबी के मानी हैं दूसरों को नीचे गिरा देना और गिरे हुए पर चढ़ बैठना। अगर समाज इन उद्देश्यों और महत्वाकांक्षाओं को प्रोत्साहित करता है और इन्हींकी तरफ़ समाज के सर्वोत्तम व्यक्ति आकृष्ट होते हैं, तो क्या गांधीजी यह समझते हैं कि ऐसे वातावरण में वह अपने मानव-समाज को सदाचारी बनाने के आदर्श को पूरा कर सकेंगे ? वह जनता को सेवाभावमय बनाना चाहते हैं। सम्भव है, कुछ व्यक्तियों को बनाने में उन्हें कामयाबी भी मिल जाय; लेकिन जबतक समाज स्वार्थी शोषक-समाज के शूरमाओं को लोगों के सामने आदर्श के रूप में अपने सामने रखेगा और जबतक व्यक्तिगत लाभ की भावना उसकी प्रेरक शक्ति बनी रहेगी तबतक बहुजन-समाज तो इसी मार्ग पर चलता रहेगा।

लेकिन यह मसला तो अब महज सदाचार या नीति के वादविवाद का नहीं है। यह तो आजकल का एक बहुत जरूरी मसला है, क्योंकि दुनिया ऐसे दलदल में फँस गई है जिससे निकलने की कोई उम्मीद नहीं। उसे उससे निकालने के लिए कोई-न-कोई रास्ता ढूँढना ही होगा। 'मिकावर' की तरह हम इस बात का इत्तजार नहीं कर

१. मिकावर, विल्किन्स, भी चार्ल्स विल्किन्स के 'डेविड कॉपरफील्ड' नामक

सकते कि कुछ-न-कुछ अपने-आप हो जायगा। न तो पूंजीवाद, समाजवाद, कम्यूनिज्म आदि के बुरे पहलुओं की निरी आलोचना करने से और न यह निराधार आशा लगाये बंटे रहने से, कि कोई ऐसा बीच का रास्ता निकल आयगा जो अभीतक की सब पुरानी और नई प्रणालियों में की चुनी हुई सर्वोत्कृष्ट बातों को एक जगह मिला देगा, कुछ काम नहीं चलेगा। बीमारी का निदान करना होगा, उमका इलाज मालूम करना होगा, और उसे काम में लाना पड़ेगा। यह बिलकुल निश्चित है कि हम जहाँ हैं वहाँ-के-वहीं खड़े नहीं रह सकते—न तो राष्ट्रीय दृष्टि से, न अन्तर्राष्ट्रीय से ही। हमारे लिए दो ही रास्ते हो सकते हैं, या तो पीछे हटे या आगे बढ़ें। लेकिन शायद इस बात में हम स्वतन्त्र भी नहीं हैं, क्योंकि पीछे हटने की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती।

फिर भी गांधीजी की बहुत-सी कार्रवाइयों से कोई भी यह सोच सकता है कि उनका ध्येय तो स्वाश्रयी व्यवस्था की फिर से ले आना है। न केवल राष्ट्र बल्कि गाँव तक को स्वाश्रयी बना देना है। प्राचीन काल के प्रारम्भिक ममाजों में गाँव कम या बड़ स्वावलम्बी थे। वे अपने खाने को नाज, पहनने को कपड़े और अपनी जरूरतों के दूसरे सामान गाँव में पैदा कर लेते थे। निश्चय ही इसके मानी ये हैं कि लोग बहुत ही गरीबी के ढंग से रहते होंगे। में यह नहीं समझता कि गांधीजी हमेशा के लिए यही लक्ष्य बनाये रखना चाहते हैं, क्योंकि यह तो असम्भव लक्ष्य है। ऐसी हालत में जिन मुल्कों की आबादियाँ बहुत बड़ी हुई हैं, वे तो जिन्दा ही नहीं रह सकते। इसलिए वे इस बात को बरदाश्त नहीं करेंगे कि इस कष्टमय और भूखों मरने की स्थिति की ओर लौटा जाय। मेरा खयाल है कि हिन्दुस्तान जैसे कृषि-प्रधान देश में, जहाँ कि रहन-सहन का पैमाना बहुत नीचा है, ग्रामीण उद्योगों को तरक्की देकर वहाँ की जनता के पैमाने को कुछ ऊँचा कर सकते हैं। लेकिन हम लोग बाकी दुनियाँ से उसी तरह बंधे हुए हैं जैसे दूसरे मुल्क बंधे हुए हैं, और मुझे यह बात बिलकुल गैरमुमकिन मालूम देती है कि हम उनसे अलग होकर रह सके। इसलिए हमें सब बातों को तमाम दुनिया की निगाह से देखना होगा और इस दृष्टि से देखने पर संकुचित स्वाश्रयी व्यवस्था की कल्पना ही नहीं हो सकती। जाती तौर पर मैं तो उसे सब दृष्टियों से अवाञ्छनीय समझता हूँ।

लाजिमी तौर पर हमारे पास सिर्फ एक ही हल मुमकिन रह जाता है और वह नाटक का एक मशहूर पात्र है, जिसको उदासीनता और प्रसन्नता क्षण-क्षण में एक-दूसरी का स्थान लेती रहती थी, जो बड़ा अदूरदर्शी और इसलिए हमेशा मुसीबतों का शिकार रहता था, और जो सदैव इस बात की प्रतीक्षा में रहता था कि अपने-आप कुछ-न-कुछ होने ही वाला है।

है एक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना। यह व्यवस्था पहले राष्ट्रीय सभाओं के अन्दर कायम होगी, फिर कालान्तर में तमाम दुनिया में। इस व्यवस्था में उत्पादन और सम्पत्ति का बटवारा सार्वजनिक हित की दृष्टि से और जनता के हाथों से होगा। यह कैसे हो, यह एक दूसरा सवाल है। लेकिन इतनी बात साफ़ है कि महज इस खयाल से कि जिन थोड़े-से लोगों को मौजूदा व्यवस्था से फ़ायदा पहुँचना है वे उसे बदलने में ऐतराज करते हैं, हमें अपने राष्ट्र या मनुष्य-जाति की भलाई के काम को नहीं रोकना चाहिए। अगर राजनैतिक या सामाजिक संस्थायें ऐसी तबदीली के रास्ते में अड़चन डालती हैं, तो उन संस्थाओं को मिटाना होगा। उस वाञ्छनीय और व्यावहारिक आदर्श को तिलांजली देकर इन संस्थाओं में समझौता करना बहुत बुरा विश्वासघात होगा। दुनिया की हालते इस तबदीली के लिए कुछ हद तक मजबूर और इसकी रफ़्तार को तेज कर सकती हैं। लेकिन पूरे तौर पर तो वह तबतक मुश्किल से ही हो सकती है जबतक जिन लोगों का उसमें फ़ायदा है उनमें से बहुत बड़ी तादाद उमें अपनी खुशी से न चाहे और न मंजूर करे। इसीलिए इस बात की ज़रूरत है कि उनको समझा-बुझाकर इस तबदीली के पक्ष में कर लिया जाय। मूठ्ठीभर लोगों का षड्यन्त्र करके हिसात्मक काम करने में काम नहीं चलेगा। कुदरतन कोशिश तो इस बात की की जानी चाहिए कि जिन लोगों को मौजूदा व्यवस्था से फ़ायदा पहुँचना है वे भी हमारे साथ हों जायें, लेकिन यह बात मुमकिन नहीं मालूम होती कि उनमें का अधिकांश कभी हमारी तरफ़ हो सकेगा।

गांधीजी के खास तौर पर प्रिय खादी-आन्दोलन में उत्पत्ति के काम में व्यक्तिवाद और भी गहरा होता है और इस तरह वह हमें औद्योगिक ज़माने से पीछे फेंक देता है। आजकल के किसी भी बड़े मसले को हल करने के लिहाज से तो आप उसपर बहुत भरोसा कर ही नहीं सकते। इसके अलावा उससे एक ऐसी मनोवृत्ति पैदा होती है जो हमें सही दिशा की तरफ़ बढ़ने देने में अड़चन साबित हो सकती है। फिर भी, मैं मानता हूँ कि, कुछ समय के लिए उसने बहुत फ़ायदा पहुँचाया और भविष्य में भी कुछ समय के लिए और लाभदायक हो सकता है, उस वक्त तक के लिए जबतक कि सरकार व्यापक रूप से देशभर के लिए कृषि और उद्योग-धन्धों से सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्नों को ठीक तरह से हल करने के काम को खुद अपने हाथ में नहीं लेलेती। हिन्दुस्तान में इतनी ज्यादा बेकारी है जिसका कहीं कोई हिसाब ही नहीं है, और देहाती क्षेत्रों में तो आंशिक बेकारी इससे भी कहीं ज्यादा है। सरकार की तरफ़ से इस बेकारी का मुक़ाबिला करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई है, न उसने बेकारों को किसी किस्म की मदद देने की ही कोशिश की है।

आर्थिक दृष्टि से खादी ने उन लोगों को कुछ थोड़ी-सी मदद जरूर दी है, जो बिलकुल या कुछ हद तक बेकार थे; और क्योंकि उनको जो कुछ मदद मिली वह उनकी अपनी कोशिश से मिली, इसलिए उसने उनके आत्मविश्वास का भाव बढ़ाया है और उनमें स्वाभिमान का भाव जागृत कर दिया है। सच बात यह है कि खादी का सबसे ज्यादा अच्छा परिणाम मानसिक हुआ है। खादी ने शहरवालों और गाँववालों के बीच की खाई को पाटने की कोशिश में कुछ कामयाबी हासिल की है। उसने मध्यमवर्ग के पढ़े-लिखे लोगों और किसानों को एक-दूसरे के नज़दीक पहुँचाया है। कपड़ों के पहननेवालों और देखनेवालों दोनों के ही मन पर बहुत असर पड़ता है। इसलिए जब मध्यमवर्ग के लोगों ने सफेद खादी की सादी पोशाक पहनना शुरू किया तो उसका नतीजा यह हुआ कि सादगी बढ़ी, पोशाक की दिखावट और उसका गंवारूपन कम हो गया, और आम लोगों के साथ एकता का भाव बढ़ा। इसके बाद जो लोग मध्यमवर्ग में भी नीची श्रेणी के थे, उन्होंने कपड़ों के मामलों में अमीर लोगों की नकल करना छोड़ दिया और खुद सादी पोशाक पहनने में किसी किस्म की बेइज्जती समझना भी छोड़ दिया। सच बात तो यह है कि जो लोग अब भी रेशम और मलमल दिखाते फिरते थे, खादी पहननेवाले उनसे अपनेको ज्यादा प्रतिष्ठित और कुछ ऊँचा समझने लगे। गरीब-से-गरीब आदमी भी खादी पहनकर आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा अनुभव करने लगा। जहाँ बहुत-से खादी-धारी लोग जमा हो जाते थे, वहाँ यह पहचानना मुश्किल हो जाता था कि इनमें कौन अमीर है और कौन गरीब और इन लोगों में साथीपन का भाव पैदा हो जाता था। इसमें कोई शक नहीं कि खादी ने कांग्रेस को जनता के पास पहुँचाने में मदद दी। वह क्रांती आजादी की वर्दी हो गई।

इसके अलावा, हिन्दुस्तान के कपड़े की मिलों के मालिकों में अपनी मिलों के कपड़ों की कीमतें बढ़ाते जाने की जो प्रवृत्ति हमेशा पाई जाती थी उसको भी खादी ने रोका। पुराने जमाने में तो हिन्दुस्तान की इन मिलों के मालिकों को सिर्फ एक ही डर कीमतें बढ़ाने से रोकता था, और वह था, विलायती खासतौर पर लंकाशायर, के कपड़ों की कीमतों का मुकाबिला। जब कभी यह मुकाबिला बन्द हो गया, जैसा कि विश्वव्यापी महायुद्ध के जमाने में हुआ था, तभी हिन्दुस्तान में कपड़ों की कीमत बेहद चढ़ गई और हिन्दुस्तान की मिलों ने मुनाफ़े में भारी रकमें कमाईं। इसके बाद स्वदेशी की हलचल और विलायती कपड़ों के बहिष्कार के पक्ष में जो आन्दोलन हुआ उसने भी इन मिलों को बहुत बड़ी मदद पहुँचाई, लेकिन जबसे खादी मुकाबिले पर आ डटी तबसे बिलकुल दूसरी बात हो गई और मिलों के कपड़ों की कीमतें उतनी

न बढ़ सकी जितनी वे खादी के न होने पर बढ़तीं। बल्कि सच बात तो यह है कि इन मिलों ने (साथ ही जापान ने भी) लोगों की खादी की भावना से नाजायज़ फ़ायदा उठाया—उन्होंने ऐसा मोटा कपड़ा तैयार किया, जिसका हाथ के कत्ते और हाथ के बुने कपड़े से भेद करना मुश्किल हो गया। युद्ध की-सी कोई दूसरी ऐसी शीर-मामूली हालत पैदा हो जाने पर, जिसमें विलायती कपड़े का हिन्दुस्तान में आना बन्द हो जाय, हिन्दुस्तानी मिलों के मालिकों के लिए कपड़ों की खरीदार पब्लिक से अब उतना फ़ायदा उठा सकना मुमकिन नहीं है जितना कि १९१४ से बाद तक उठाया गया। खादी का आन्दोलन उन्हें ऐसा करने से रोकेगा और खादी के मग़्ठन में इतनी ताकत है कि वह थोड़े ही दिनों में अपना काम बढ़ा सकता है।

लेकिन हिन्दुस्तान में खादी के धन्धे के इन सब फ़ायदों के होते हुए भी ऐसा मालूम होता है कि वह संक्रमण-काल की ही वस्तु हो सकती है। मुमकिन है कि इस काल के गुज़र जाने के बाद भी वह एक सहायक धन्धे की तरह चलती रहे, जिससे कि आर्थिक उच्च व्यवस्था—समाजवादी व्यवस्था कायम होने में मदद मिले। लेकिन अब आगे तो हमारी मुख्य शक्ति कृषि-सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करके औद्योगिक धन्धों के प्रसार में लगेगी। कृषि अथवा भूमि-सम्बन्धी समस्याओं के साथ खिलवाड़ करने में और उन अगणित सरकारी कमीशनों से, जो लाखों रुपये खर्च करने के बाद सिर्फ़ ऊपरी ढाँचों में चुट-पुट परिवर्तन करने की तुच्छ तजवीज़ करते हैं, जरा भी लाभ नहीं होगा। हमारे यहाँ जो भूमि-प्रणाली जारी है, वह हमारी आँखों के सामने बहती जा रही है और वह पैदावार के लिए, बटवारे के लिए, और माकूल व बड़े पैमाने पर किये जानेवाले कृषि-प्रयोगों के लिए एक अड़चन साबित हो रही है। इस प्रथा में आमूल परिवर्तन करके छोटे-छोटे खिंटों की जगह संगठित, सामूहिक और सहयोगी कृषि-प्रणाली जारी करके ही थोड़े परिश्रम से ज्यादा पैदावार करके हम मीज़ूदा हालत का मुक़ाबिला कर सकते हैं। यह ठीक है कि, जैसा गांधीजी को डर है, बड़े पैमाने पर काम कराने से खेती का काम करनेवालों की तादाद कम हो जायगी; लेकिन खेती का काम ऐसा नहीं है कि उसमें हिन्दुस्तान के तमाम लोग लग जायेंगे या लय ही सकेंगे। बाकी के दूसरे लोगों को सम्भव है कि कुछ हद तक तो छोटे पैमाने पर किये जानेवाले धन्धों में जूटना पड़े, लेकिन ज्यादातर लोगों को तो खास तौर पर बड़े पैमाने पर किये जानेवाले समाज-कृत काम-धन्धों और समाजहित के कामों में लगना होगा।

यह सच है कि कुछ हलकों में खादी से कुछ राहत मिली है, लेकिन उसकी इस कामयाबी में ही एक खतरा भी छिपा हुआ है। वह यहाँ की जीर्ण-शीर्ण भूमि-

प्रथा को पोषण दे रही है और उस हद तक उसकी जगह एक उन्नत प्रथा के आने में देर लगा रही है। यह जरूर है कि खादी का यह असर इतना काफ़ी ज्यादा नहीं है कि उससे कोई खास फ़र्क पड़े, लेकिन वह प्रवृत्ति जरूर मौजूद है। किसान या छोटे किसान-जमींदार को उसके खेतों की पैदावार का जो हिस्सा मिलता है वह अब इतना काफ़ी भी नहीं रहा कि जिससे वह उसके जरिये अपनी बहुत नीचे गिरी हुई हालत में से भी अपना गुज़ारा करले, जिसपर कि वह पहुँच गया है। अपनी तुच्छ आय बढ़ाने के लिए उसे बाहरी साधनों का सहारा लेना पड़ता है, या जैसा कि वह आम तौर पर करता है, उसे अपना लगान या अपनी मालगुज़ारी अदा करने के लिए और भी ज्यादा क़र्ज़ में फँसना पड़ता है। इस तरह किसान को खादी वगैरा से जो जायद आमदनी होती है उससे सरकार या जमींदार को अपना हिस्सा वसूल करने में मदद मिलती है, जो उसके अभाव में नहीं मिलती। और अगर यह जायद आमदनी बहुत काफ़ी होती, तो यह भी मुमकिन हो सकता था कि कुछ दिनों बाद लगान इतना बढ़ जाय कि वह इसे भी हड़प जाता। मौजूदा प्रथा में काश्तकार जितनी ज्यादा मेहनत करेगा और जितनी ज्यादा किफायतशारी करने की कोशिश करेगा, आखिर में जमींदार को उतना ही ज्यादा फायदा पहुँचेगा। जहाँतक मुझे याद है, हेनरी जार्ज ने 'तरक्की और गरीबी' (Progress and Poverty) नाम की किताब में इस मामले को, खास तौर पर आयर्लैण्ड की मिसाल दे-देकर, अच्छी तरह समझाया है।

गाँवों के धन्धों का पुनरुद्धार करने की गांधीजी जो कोशिश कर रहे हैं वह उनके खादीवाले कार्यक्रम का विस्तार ही है। उसमें तात्कालिक लाभ होगा—कुछ अंश में तो स्थायी, और शेष अधिकांश थोड़े दिनों के लिए। वह गाँववालों की उनकी मौजूदा मुसीबत में मदद करेगा और कुछ ऐसे सांस्कृतिक और कला-कौशल-सम्बन्धी गुणों को, जिनके नष्ट हो जाने की आशंका थी, फिर से ज़िन्दा कर देगा। लेकिन जिस हद तक यह कोशिश मशीनों के और उद्योगवाद के खिलाफ़ एक बगावत है, वहाँतक उसे कामयाबी नहीं मिलेगी। हाल ही में 'हरिजन' में गाँव के धन्धों के बारे में गांधीजी ने लिखा है—“मशीनों से उस वक्त काम लेना अच्छा है जब जिस काम को हम पूरा करना चाहते हैं उसे पूरा करने के लिए काम करनेवाले बहुत कम हों। लेकिन जैसा कि हिन्दुस्तान में है, अगर काम के लिए जितने आदमियों की जरूरत है उससे ज्यादा आदमी मौजूद हो तो, मशीनों से काम लेना बुरा है। ...हम लोगों के सामने यह सवाल नहीं है कि हम अपने गाँव के रहनेवाले करोड़ों लोगों को काम से छुट्टी या फुसंत किस तरह दिलावें। हमारे सामने जो मसला है, वह तो यह है, कि हम उनके उन बेकारी के

घण्टों का किस तरह इस्तेमाल करें जिनकी तादाद साल में काम के छः महीनों के बराबर है।” लेकिन यह ऐतराज तो थोड़ी-बहुत मात्रा में उन सब मुल्कों के लिए लागू होता है जो बेकारी की मुसीबत में पड़े हुए हैं। लेकिन सचमुच खराबी यह नहीं है कि लोगों के करने के लिए काम नहीं है, वह तो यह है कि मौजूदा पूंजीपति-प्रणाली में अब अधिक नौगों को काम में लगाना लाभकर नहीं होता। काम की तो इतनी बहुतायत है कि वह पुकार-पुकारकर कह रहा है कि आओ, आओ और मुझे पूरा करो— जैसे सड़कों का बनाना, सिचाई का इन्तजाम करना, सफ़ाई और दवादारू की संहलियतो को फैलाना, घन्धों का, बिजली का, सामाजिक और सांस्कृतिक सेवाओं का और तालीम का प्रसार करना और लोगों के पास जिन वीसियों जरूरी चीजों की कमी है उनका इन्तजाम करना। हमारे करोड़ों भाई अगले पचास साल तक इन कामों में बड़ी मेहनत करके भी उन्हें खत्म न कर पायेंगे और लोगों को काम मिलते रहेंगे। लेकिन यह सब तभी हो सकता है जबकि प्रेरक शक्ति समाज की तरक्की करना हो, न कि मुनाफ़े की वृत्ति, और जबकि समाज इन बातों का मगठन आम लोगों की भलाई के लिए करे। रूस की सोवियट यूनियन में और चाहे जितनी खामियाँ हों, लेकिन वहाँ एक भी आदमी बेकार नहीं है। हमारे भाई इसलिए बेकार नहीं हैं, कि उनके लिए कोई काम नहीं है, बल्कि इसलिए बेकार हैं, क्योंकि उनके लिए काम के और सांस्कृतिक तरक्की के दाम्ने किस्म की संहलियतें नहीं हैं। अगर बच्चों में मजदूरी कराना कानूनन रोक दिया जाय, एक माकूल उम्र तक हरेक के लिए पढ़ना लाजिमी कर दिया जाय, तो मजदूरों और बेकारों की तादाद में से इन लड़के और लड़कियों की कमी हो जायगी और मजदूरों के बाजार में से करोड़ों भावी मजदूरों का बोझ हलक हो जायगा।

गांधीजी ने चख और तकली में और उनके चलाने की ताकत को बढ़ाने की कोशिश में कुछ कामयाबी हासिल की है, लेकिन यह कोशिश तो औज़ार और मशीन में तरक्की करने की कोशिश है; और अगर तरक्की जारी रही (और तरक्की की बात तो यह है कि यह बात भी क्रयास में बाहर नहीं है कि घरेलू धन्धे भी बिजली से चलाये जाने लगे), तो मुनाफ़े की भावना फिर आ घुसेगी और उससे वे अलामात, जो बहुत पैदावार और बेकारी के नाम से पुकारे जाते हैं, पैदा हो जायेंगे। जबतक हम गाँव के घन्धों को किसी आजकल की औद्योगिक यन्त्रकला के साथ नहीं मिलायेंगे तबतक तो हम आज जिन भीतिक और सांस्कृतिक चीजों की लाजिमी तौर पर हमें जरूरत है उन्हें भी पैदा नहीं कर सकेंगे। फिर ये घन्धे मशीन का मुक्काबिला नहीं कर सकते। क्या हमारे लिए ऐसा करना ठीक होगा, या हम उसे कर भी सकेंगे, कि

हम अपने मुल्क में बड़े पैमाने पर काम करनेवाली मशीनों को अपना काम करने से रोक दें ? गांधीजी ने बारबार यह कहा है कि वह मशीन के रूप में मशीन के खिलाफ नहीं हैं। ऐसा मालूम होता है कि वह यह समझते हैं कि आज हिन्दुस्तान में उनके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन क्या हम बुनियादी धन्धों को — जैसे लोहे और इसपात को या इनसे हलके उन धन्धों को भी जो पहले से मौजूद हैं—समेटकर बन्द कर सकते हैं ?

माफ़ जाहिर है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमारे यहाँ रेल, पुल, आवागमन की सहाय्यताएँ वगैरा रहे, तो या तो हमें खुद ये चीज़ें बनानी पड़ेंगी या दूसरों पर निर्भर रहना होगा। अगर हमें अपने मुल्क की हिफ़ाज़त के ज़रिये अपने पास रखने हों, तब तो हमें न सिर्फ़ बुनियादी धन्धे ही जारी रखने पड़ेंगे बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ी हुई औद्योगिक प्रणाली भी कायम रखनी पड़ेगी। इन दिनों तो कोई भी मुल्क उस वक़्त तक असल में आजाद नहीं है, और न वह दूसरे मुल्क के हमले का मुकाबला ही कर सकता है, जबतक कि औद्योगिक दृष्टि में वह उन्नत न हो चुका हो। एक बुनियादी धन्धे को इस बात की ज़रूरत रहती है कि उसकी मदद के लिए दूसरा बुनियादी धन्धा जारी किया जाय, जो उसके काम को पूरा करदे, और अन्त में हमें खुद मशीनें बनाने का धन्धा भी जारी करना पड़ेगा। जब ये तमाम बुनियादी धन्धे चलेगें, तब यह लाज़िमी हो जायगा कि छोटे धन्धे भी फ़ैले। इस प्रक्रिया को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उससे न सिर्फ़ हमारी भौतिक और मान्दृष्टिक तरक्की ही बढ़ी हुई है बल्कि हमारी आजादी भी उसीपर मुहसिर है और बड़े धन्धे जिनमें ज्यादा फ़ैलेंगे, छोटे पैमानों पर किये जानेवाले गाँवों के धन्धे उनका मुकाबला उतना ही कम कर सकेंगे। समाजवादी प्रणाली में उनके बचने की थोड़ी-बहुत गुंजाइश भी हो सकती है, लेकिन पूँजीवादी प्रणाली में तो उन्हें कोई मौका नहीं मिल सकता; और समाजवाद में भी वे घरेलू धन्धों के रूप में उम्मी हालत में रह सकते हैं, जब वे स्वाम तौर पर ऐसा माल तैयार करें, जो बहुत बड़े पैमाने पर तैयार नहीं किया जाता।

कॉंग्रेस के कुछ नेता उद्योगीकरण से डरते हैं। उनका खयाल है कि उद्योग-प्रधान मुल्कों की मौजूदा मुश्किलें बहुत बड़े पैमाने पर माल पैदा करने की वजह से ही पैदा हुई हैं। लेकिन यह तो स्थिति की बाबत बहुत ही ग़लत खयाल है। अगर आम

१. ३ जनवरी १९३५ को अहमदाबाद में बोलेते हुए सरदार वल्लभभाई पटेल ने कहा था—“सबसे समाजवाद गाँव के धन्धे को तरक्की देने में है। हम यह नहीं चाहते कि बहुत बड़े पैमाने पर माल तैयार करने की वजह से पश्चिमी मुल्कों में जो खराबियाँ पैदा हो गई हैं उन्हें हम अपने यहाँ भी बुलावें।”

लोगों के पास किसी चीज की कमी है, तो उस चीज को उनके लिए काफ़ी तादाद में तैयार करना क्या कोई बुरी बात है ? क्या उनके लिए यही बेहतर है कि बहुत बड़े पैमाने पर माल तैयार करने के बजाय उस चीज के बिना ही वे अपना काम चलायें ? साफ़ जाहिर है कि कुसूर इस तरह माल तैयार करने का नहीं है, बल्कि तैयार हुए माल का बंटवारा करनेवाली प्रणाली की बेहूदगी और अयोग्यता का है ।

गाँवों के धन्धों की तरक्की करनेवालों को जिस दूसरी मुश्किल का सामना करना है, वह यह है कि हमारी खेती दुनिया के बाज़ार पर मुनहसिर है । इसकी वजह से मजबूरन किसानों को ऐसी फसल बोनी पड़ती है जिसके दाम अच्छे मिलें और दामों के लिए उन्हें दुनिया के प्रचलित भावों पर निर्भर रहना पड़ता है । लेकिन जबकि ये भाव बदलते रहते हैं तब भी बेचारे किसान को अपना लगान या माल-गुजारी नगदनाराण के रूप में देनी पड़ती है । किसी-न-किसी तरह उसे यह रुपया लाना पड़ता है, या हर हालत में वह रुपया भरने की कोशिश करता है, और इसीलिए वह वही फसल बोता है जिसकी वह समझता है कि मुझे ज्यादा-से-ज्यादा कीमत मिलेगी । वह तो इतना भी नहीं कर सकता कि कम-से-कम अपने और अपने बाल-बच्चों को खिलाने के लिए जितने अनाज की उमे जरूरत है उतना तो खुद अपने खेत में पैदा करले ।

इन सालों में खाद्यपदार्थों में से ज्यादातर अनाजों और दूसरी चीजों की कीमत एकदम गिर गई, तो नतीजा यह हुआ कि लाखों किसान, खास तौर पर युक्तप्रान्त और बिहार के, ईश्वर की खेती करने लगे । सरकार ने विलायती शक्कर पर जो चुंगी लगादी है उसकी बदौलत बरसाती मेंढको की तरह शक्कर के कारखाने खुलू गये और गन्ने की माँग बहुत बढ़ गई । लेकिन इस माँग को पूरा करने के लिए लोगों ने जितना गन्ना पैदा किया वह फौरन ही माँग से बहुत ज्यादा बढ़ गया । नतीजा यह हुआ कि कारखानों के मालिकों ने बेरहमी के साथ किसानों से नाजायज़ फायदा उठाया और गन्ने की कीमत गिर गई ।

इन चन्द वजूहात और इनके अलावा और भी बहुत-सी बातों से मुझे ऐसा मालूम होता है कि हम अपनी कृषि और औद्योगिक समस्याओं को किसी तंग स्वाश्रयी प्रणाली के तरीके पर न तो हल कर सकते हैं और न करना ठीक ही होगा । निस्सन्देह, हमारी ज़िन्दगी के हर पहलू से इनका ताल्लुक है । हम लोग अस्पष्ट और भावुकतामय वाक्यों के पीछे छिपकर अपनी जान नहीं बचा सकते । हमें तो इन तथ्यों का सामना करना होगा और अपनेको उनके माफ़िक बनाना पड़ेगा, जिससे हम लोग इतिहास के लिए दयनीय वस्तु न रहकर उल्लेखनीय विषय बन जायें ।

फिर मुझे उसी महान् समस्या—गांधीजी—का खयाल आता है।' समझ में नहीं आता कि इतनी तीव्र बुद्धि और पददलित और पीड़ितों की हालत सुधारने के लिए इतनी तीव्र भावना रखते हुए भी वह उस प्रणाली का क्यों समर्थन करते हैं, जो इस तमाम पीड़ा और बरबादी को पैदा कर रही है और स्पष्टतः जो अपने-आप गिर रही है ! यह सच है कि वह लोगों को मुसीबत से बचाने का रास्ता ढूँढ रहे है। लेकिन क्या पुराने ज़माने का वह रास्ता अब बन्द नहीं हो गया है ? वह पुरानी व्यवस्था के स्मारक-स्वरूप "उन सब चीजों को आशीर्वाद देते जाते है जो तरक्की के रास्ते में रोड़े बनकर अटकी हुई हैं—जैसे माण्डलिक रियासतें, बड़ी-बड़ी जमींदारियाँ व ताल्लुकदारियाँ और मौजूदा पूँजीवादी प्रणाली। क्या ट्रस्टीशिप के उसूल में इत्मीनान करना माकूल बात है ? क्या इस बात की उम्मीद करना ठीक है कि एक आदमी को अबाध अधिकार और धन सम्पत्ति दे देने पर वह उसका उपयोग सोलहों आने पब्लिक की भलाई के लिए करेगा ? क्या हममें से अच्छे लोग भी इतने सम्पूर्ण हैं कि उनके ऊपर इस हद तक भरोसा किया जा सके ? इस बोझ को तो प्लेटो की कल्पना के दार्शनिक बादशाह भी योग्यतापूर्वक नहीं उठा सकते। क्या दूसरों के लिए यह अच्छा है कि वे अपने ऊपर इन उदार देवी पुरुषों का प्रभुत्व स्वीकार करलें ? फिर ऐसे देवी पुरुष या दार्शनिक बादशाह है कहाँ ? यहाँ तो सिर्फ मामूली इन्सान भर है, जो हमेशा यह सोचा करते है कि हमारी अपनी भलाई ही, हमारे अपने विचारों का प्रसार ही, सार्वजनिक हित के समान है। वंशानुगत कुलीनता और प्रतिष्ठा की भावना और धन-दौलत की शेखी स्थायी हो जाती है और उसका परिणाम कई तरह से घातक ही होता है।

मैं इस बात को दुहरा देना चाहता हूँ कि इस वक्त में यह नहीं सोच रहा कि १. सन् १९३१ में, लन्दन की दूसरी गोलमेज़ कान्फ़रेन्स में, अपने एक व्याख्यान में गांधीजी ने कहा था—“सबसे ऊपर तो असल में काँग्रेस उन करोड़ों मूक अर्द्धनग्न और अघभूखे प्राणियों की प्रतिनिधि है जो हिन्दुस्तान के सात लाख गाँवों में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सब जगह फैले हुए हैं—फिर चाहे ये लोग ब्रिटिश भारत में रहते हों या देशी रियासतों में, जिन्हें 'भारतीय-भारत' के नाम से पुकारा जाता है। इसलिए काँग्रेस की राय में प्रत्येक हित, जो रक्षा के योग्य है, इन करोड़ों मूक प्राणियों के हित का साधक होना चाहिए। आप समय-समय पर विभिन्न हितों में प्रत्यक्ष विरोध देखते हैं, पर अगर सचमुच कोई वास्तविक विरोध हो, तो मैं काँग्रेस की तरफ़ से यह कहने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाता कि काँग्रेस इन करोड़ों मूक प्राणियों के हितों के लिए दूसरे प्रत्येक हित का बलिदान कर देगी।”

यह परिवर्तन किस तरह किया जाय; हमारे रास्ते में जो रोड़े हैं उन्हें किस तरह हटाया जाय ? समझा-बुझाकर हृदय-परिवर्तन के प्रेम-भाव से या जबर्दस्ती से, अहिंसा से या हिंसा से ? इस पहलू पर तो बाद को विचार करूँगा। लेकिन यह बात तो मान ही लेनी और साफ़ कर दी जानी चाहिए कि परिवर्तन आवश्यक है। क्योंकि यदि नेता और विचारक खुद ही इस बात को साफ़ तौर पर अनुभव न करे और न कहें, तो वे यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वे किसीको अपने खयाल का बना लेंगे या लोगों में वाञ्छित विचार-धारा फैला सकेंगे ? इसमें कोई शक नहीं कि सबसे ज्यादा शिक्षा तो हमें घटनाओं से मिलती है, लेकिन घटनाओं का महत्त्व समझने और उनसे अच्छा नतीजा निकालने के लिए यह जरूरी है कि हम उनको अच्छी तरह समझे और उनकी ठीक-ठीक व्याख्या करे।

मेरे जो दोस्त और साथी प्रायः मेरे भाषणों से चिढ़े हैं, उन्होंने अक्सर मुझसे यह बात पूछी है, कि क्या आपको कोई अच्छा और परोपकारी राजा, ज़मींदार और शुभ-चिन्तक, भलामानुष पूँजीपति कभी नहीं मिला ? निस्सन्देह मुझे ऐसे आदमी मिले हैं। मैं खुद उस श्रेणी के लोगों में से हूँ, जो इन ज़मींदारों और पूँजीपतियों में मिलते-जुलते रहते हैं। मैं तो खुद ही एक ठेठ बुर्जुआ हूँ, जिसका लालन-पालन भी बुर्जुओ-सा ही हुआ है और इस प्रारम्भिक शिक्षा ने मेरे दिलो-दिमाग में जो भले-बुरे सस्कार भर दिये वे सब मुझमें मौजूद हैं। कम्युनिस्ट मुझे अर्द्ध-बुर्जुआ कहते हैं और उनका यह कहना सोलहो आने मही है। शायद अब वे मुझे अनुत्पत्त बुर्जुआ कहेंगे। लेकिन मैं क्या हूँ और क्या नहीं, यह सवाल ही नहीं है। जातीय, अन्तर्राष्ट्रीय, आर्थिक और सामाजिक मसलों को कुछ इने-गिने व्यक्तियों की निगाह से देखना बेहदगी है। वे ही दोस्त जो मुझसे ऐसे सवालालत करते हैं, यह कहते कभी नहीं थकते कि हमारी लड़ाई पाप से है, पापी से नहीं। मैं तो इस हद तक भी नहीं जाता। मैं तो यह कहता हूँ कि व्यक्तियों से मेरा कोई झगड़ा नहीं, मेरा झगड़ा तो प्रणालियों से है। यह ठीक है कि प्रणाली बहुत हदतक व्यक्तियों और समूहों में ही मूर्त्तिमान होती है, और इन व्यक्तियों और समूहों को हमें या तो अपने खयाल का कर लेना पड़ेगा या उनसे लड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई प्रणाली किसी काम की न रही हो और भार-स्वरूप हो गई हो तो उसे मिट जाना पड़ेगा, और जो समूह या वर्ग उससे चिपके हुए हैं उन्हें भी बदलना पड़ेगा। परिवर्तन की इस क्रिया में यथासम्भव कम-से-कम तक्रलीक़ होनी चाहिए, लेकिन बदक्रिस्मती से कुछ कष्ट और कुछ गड़बड़ी का होना तो लाजिमी भी है। किसी दूसरी कम बुराई के डर की वजह से ही बहुत बड़ी बुराई को बरदास्त नहीं किया जा सकता, खास

उस वक्त, जब कि कुछ थोड़ी-सी बुराई से भी बच जाना हमारी ताकत से बाहर है। हर तरह के मानव-संगठन—राजनैतिक, आर्थिक या सामाजिक—की अपनी-अपनी कोई विचार-सरणि होती है। जब इन संगठनों में कोई हेरफेर हो तो उस विचार-सरणि को उसके अनुकूल बनने और उसका पूरा फायदा उठा लेने के लिए उसके अनुसार हेरफेर कर देना चाहिए। आम तौर पर घटनायें इतनी तेजी से बढ़ती हैं कि विचारादर्श पीछे पिछड़ जाता है और यह अन्तर ही इन सब मुसीबतों की जड़ है। लोकतन्त्र और पूँजीवाद दोनों ही १९वीं सदी में पैदा हुए, लेकिन वे एक-दूसरे के अनुकूल नहीं थे। उन दोनों में बुनियादी भेद था। क्योंकि लोकतन्त्र तो ज्यादा लोगों की ताकत पर जोर देता था, जबकि पूँजीवाद से असली ताकत थोड़े-से लोगों के हाथ में रहती थी। यह बेमेल जोड़ा किसी तरह कुछ असें तक तो इसलिए साथ-साथ चलता रहा, क्योंकि राजनैतिक पार्लमेण्टरी लोकतन्त्र खुद एक अत्यन्त सकुचित लोकतन्त्र था, और आर्थिक एकाधिपत्य और शक्ति के केन्द्रीकरण की वृद्धि रोकने में उसने कोई खास हस्तक्षेप नहीं किया।

फिर भी ज्यों-ज्यों लोकतन्त्र की भावना बढ़ती गई, इन दोनों का सम्बन्ध-विच्छेद अनिवार्य हो गया और अब उसका वक्त आ गया है। भाज पार्लमेण्टरी पद्धति बदनाम हो गई है और उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सब क्रिस्म के नये-नये नारे सुनाई पड़ रहे हैं। उसीकी वजह से हिन्दुस्तान में ब्रिटिश-सरकार और भी ज्यादा प्रतिगामी हो गई है, और इससे राजनैतिक स्वतन्त्रता की ऊपरी बातें तक रोक लेने का उमे बहाना मिल गया है। अजीब बात तो यह है कि हिन्दुस्तानी राजा-महाराजा भी इसी आधार पर अपनी अबाध निरंकुशता को उचित ठहराते हैं और उसी मध्यकालिक स्थिति को जारी रखने के इरादे का जोरों से ऐलान करते हैं जो कि दुनिया में अब और कहीं नहीं पाई जाती।^१ लेकिन पार्लमेण्टरी लोकतन्त्र में जो त्रुटि या खामी है वह यह नहीं है कि वह बहुत आगे बढ़ गया है, बल्कि यह

१. २२ जनवरी १९३५ को दिल्ली में, नरेन्द्रमण्डल के सान्सलर महाराजा पटियाला ने, मण्डल में बोलते हुए उन हिन्दुस्तानी राजनीतिज्ञों की राय का जिक्र किया था। जो इस आशा से संघ-शासन के समर्थक हैं कि परिस्थितियाँ देशी नरेशों को अपने यहाँ लोकतन्त्रात्मक शासन-पद्धति जारी करने के लिए विवश करेंगी। उन्होंने कहा—
“जबकि हिन्दुस्तान के राजा लोग हमेशा उन कामों को करने के लिए राजी रहे हैं जो अपनी प्रजा के लिए सर्वोत्तम हैं, और आगे भी वे समय की रफ्तार के मुताबिक अपने-को और अपने विभागों को बनाने के लिए तैयार रहेंगे, तब हमें यह भी साफ़-साफ़ कह देना चाहिए कि अगर ब्रिटिश भारत यह उम्मीद करता है कि वह हमें इस बात के

है कि उसे जितना आगे बढ़ना चाहिए था उस हदतक आगे नहीं बढ़ा है। वह काफ़ी लोकतन्त्रीय नहीं है, क्योंकि उसमें आधिक स्वतन्त्रता की कोई व्यवस्था नहीं है और उसके तरीके ऐसे धीमे और उलझन-भरे हैं कि वे तेज़ रफ्तार से जानेवाले ज़माने के अनुकूल नहीं पड़ते।

इस समय सारे संसार में जो स्वेच्छाचारिता मौजूद है शायद हिन्दुस्तानी रियासतें उसके उग्र-से-उग्र रूप की प्रतीक हैं। निस्सन्देह वे ब्रिटिश सत्ता के अधीन हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार महज़ ब्रिटिश स्वार्थों की हिफ़ाज़त के लिए या उनकी तरक्की के लिए ही दस्तन्दाज़ी करती है। सचमुच यह आश्चर्य की बात है कि पुराने ज़माने के ये निर्जीव माण्डलिक गढ़ किस प्रकार इस बीसवीं सदी के ठीक मध्य में इतनी थोड़ी तबदीली के साथ टिके हुए हैं। वहाँ का वातावरण गलाघोंटू और स्तब्ध है। वहाँ की गति बहुत धीमी है और परिवर्तन और मंघर्ष का आदी और कुछ हदतक इनसे थका हुआ नवागंतुक वहाँ पहुँचने पर बेहोशी-सी अनुभव करता है और एक प्रकार का धीमा-सा मम्मोहन उसपर सालिब हो जाता है। यह सब एक ऐसे चित्र-सा अस्वाभाविक मालूम होता है, जहाँ समय स्तब्ध खड़ा रहता है और अपरिवर्तनीय दृश्य आँखों के सामने दिखाई देने हैं। सर्वथा अज्ञात-भाव से वह भूतकाल और अपने बचपन के स्वप्नों की ओर बह जाता है, और कटिवद्ध शस्त्र-लिपि मजबूर कर देगा कि हम अपने तन्दुरुस्त राजनैतिक जिस्म पर एक बदनाम राजनैतिक उसूल की जहरीले रंग से रंगी हुई कमीज़ पहन लेंगे तो वह ख्वाबों की दुनिया में रह रहा है।” (इस सिलसिले में पृष्ठ ६०७ पर मंसूर—दीवान के भाषण का अंश भी देखिए) उसी दिन नरेन्द्र-मगदल में बोलते हुए बीकानेर के महाराज ने कहा था—“हिन्दुस्तानी राज्यों के शासक हम लोग केवल भाग्य के ही बल पर शासन नहीं कर रहे हैं। और मैं यह कहने की छुटता करता हूँ कि हम जो सैकड़ों साल की वंश परम्परा के आधार पर यह दावा कर सकते हैं कि हमने राज करने का सहज ज्ञान और, मुझे विश्वास है कि, कुछ अंशों में राजदक्षता भी विरासत में पाई है, उन्हें इस बात का पूरा-पूरा ख़याल रखना चाहिए कि हम इस बात की हिफ़ाज़त कर लें कि हम जल्दबाज़ी में अविचारपूर्ण निर्णय करने के लिए भागे न टकल दिये जायँ। और क्या मैं अत्यन्त नज़रता के साथ यह कह दूँ, कि राजा लोग अपनेको किसीके हाथों बरबाद हो जाने देने के लिए तैयार नहीं हैं, और अगर दुर्भाग्य से कोई ऐसा समय आ ही जाय, जबकि सम्राट देशी राज्यों की रक्षा के लिए अपने सम्मिधगत उत्तरदायित्व को पूरा करने में असमर्थ हो जायँ, तो नरेश और देशी राज्य अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आखिरी दम तक लड़ते-लड़ते मर जायँगे।”

सज्जित शूरमा और सुन्दर तथा वीर कुमारियों के और बुर्जदार किले और बहादुर सैनिकों के सम्मान और गौरव के तथा अनुपम साहस और मृत्यु के प्रति तिरस्कार के अद्भुत-अद्भुत दृश्य उसकी आँखों के सामने घूमने लगते हैं। सासकर तब, जब वह संयोग में अद्भुत शौर्य और भावुक पराक्रम की भूमि राजपूताना में पहुँच जाता है।

लेकिन ये स्वप्न जल्दी ही विलीन हो जाते हैं और विवाद की भावना आ घेरती हैं। वहाँ का वातावरण अवरोधक है और उसमें साँस लेना मुश्किल हो जाता है। स्थिर और मन्दगति-प्रवाह के नीचे जड़ता और गन्दगी भरी पड़ी है। वहाँपर आदमी ऐसा महसूस करने लगता है, मानों वह चारों ओर काँटों और बाड़ से घिरा हुआ है और उसका शरीर और मन जकड़ दिया गया है। उसे वहाँके राजमहल की चमक-दमक और शान-शोकृत के सवेया विपरीत जनता की अवस्था अत्यन्त अवनत और विपद्पूर्ण दिखाई देती है। राज्य का कितना सारा धन उस महल में राजा की अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और ऐयाशी में पानी की तरह बहाया जाता है, और किसी मेवा के रूप में जनता के पास उमका कितना कम हिस्सा पहुँचता है ! अपने राजाओं को बढ़ाना और उन्हें कायम रखना भयानक रूप से खर्चीला काम है। उनपर किये गये इस अन्धाधुन्ध खर्च के बदले में वे हमें वापस क्या देते हैं ?

इन रियासतों पर रहस्य का एक परदा पड़ा रहता है। अखबारों को वहाँ पनपने नहीं दिया जाता और ज्यादा-से-ज्यादा कोई साहित्यिक या अर्द्धसरकारी साप्ताहिक ही चल सकता है। बाहर के अखबारों को अक्सर राज्य में आने से रोक दिया जाता है। त्रावणकोर, कोचीन आदि दक्षिण की कुछ रियासतों को छोड़कर—जहा माक्षरता ब्रिटिश भारत से भी कहीं ज्यादा है—अन्यत्र साक्षरता बहुत ही कम है। रियासतों से जो खाम खबरें आती हैं वे या तो वाइसराय के दीरे की बाबत होती हैं, जिसमें धूम-धड़ाके, रस्म-रिवाज की पूर्ति और एक-दूसरे की तारीफ में दिये गये व्याख्यानो का जिक्र होता है, या राजा के विवाह अथवा जन्मगांठ की, जिसमें बेहद रुपया खर्च किया जाता है, या किसानों के विद्रोह-सम्बन्धी। ब्रिटिश भारत तक में खास क्रान्त आलोचना से राजाओं की रक्षा करते हैं। रियासतों के भीतर तो नरम-से-नरम टीका-टिप्पणी भी सस्ती से दबा दी जाती है। सार्वजनिक सभाओं को तो वहाँ कोई जानता तक नहीं, और अक्सर सामाजिक बातों के लिए की जानेवाली ममायें तक रोक दी जाती हैं। बाहर के प्रमुख सार्वजनिक नेताओं को अक्सर

१. हैदराबाद दक्खिन का ३ अक्टूबर १९३४ का प्रेस-समाचार कहता है—
“स्थानीय बिबेक-वर्धनी चियेटर में कल गांधीजी का जन्म-दिवस मनाने के लिए जिस

रियासत में घुसने से रोक दिया जाता है। १९२५ के करीब स्व० देशबन्धु दास बहुत बीमार थे, इसलिए अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए उन्होंने कश्मीर जाने का निश्चय किया। वह वहां किसी राजनैतिक काम के लिए नहीं जा रहे थे। वह कश्मीर की सरहद तक पहुँच चुके थे, लेकिन वही रोक दिये गये। श्री जिन्ना तक को हैदराबाद रियासत में जाने से रोक दिया गया, और श्रीमती सरोजनी नायडू को भी, जिनका घर ही हैदराबाद में है, जाने की इजाजत नहीं दी गई।

जब कि रियासतों में यह हाल हो रहा है, तो कांग्रेस के लिए यह स्वाभाविक था कि वह रियासतों में रहनेवाले लोगों के प्रारम्भिक अतिारों के लिए खड़ी हो जाती और उनपर होनेवाले व्यापक दमन का विरोध करती। लेकिन गांधीजी ने कांग्रेस में रियासतों के सम्बन्ध में एक नई नीति को जन्म दिया। वह नीति थी—“रियासतों के भीतरी इन्तज़ाम में दखल न देने की।” रियासतों में असाधारण और दुःखदायी घटनाओं के होते रहने और कांग्रेस पर अकारण ही हमले किये जाते रहने पर भी वह अभीतक अपनी उसी चुप्यी साधे रहने की नीति पर डटे हुए है। जाहिर है कि डर इस बात का है कि कांग्रेस अगर राजाओं की आलोचना करेगी तो वे लोग नाराज हो जायेंगे। उनका ‘हृदय-परिवर्तन’ ज्यादा मुश्किल हो जायगा। जुलाई १९३४ में गांधीजी ने श्री एन० सी० केलकर के नाम, जो देशीराज्य-प्रजा-परिषद् के सभापति थे, एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने इस विश्वास को दुहराया था कि दखल न देने की नीति न सिर्फ बुद्धिमत्तापूर्ण है बल्कि ठोस भी है। और रियासतों की कानूनी और वैधानिक स्थिति के सम्बन्ध में जो राय उन्होंने जाहिर की वह तो बड़ी अजीब थी। उन्होंने लिखा था—“ब्रिटिश कानून के अनुसार रियासतें स्वतन्त्र हस्ती रखती हैं। हिन्दुस्तान के उस हिस्से को, जो ब्रिटिश भारत के नाम से पुकारा जाता है, रियासतों की पॉलिसी को शकल देने का उतना भी अख्तियार नहीं है जितना उसे, सार्वजनिक सभा का ऐलान किया गया था वह रोक देने पड़ी है। इस सभा का संगठन हैदराबाद के हरिजन-सेवक-संघ ने किया था। संघ के मंत्री ने अखबारों को जो पत्र भेजा है, उसमें कहा है कि मीटिंग के वक्त से २४ घंटे पहले सरकारी अधिकारियों ने यह हुक्म दिया कि मीटिंग करने को इजाज़त सभी मिल सकती है जबकि दो हज़ार की नरुद ज़मानत जमा की जाय और इस बात का बचन दिया जाय कि उसमें कोई राजनैतिक व्याख्यान नहीं दिया जायगा और सरकारी अफसरों के किसी सरकारी काम की आलोचना नहीं की जायगी। क्योंकि सभा के संयोजक के पास इन सब बातों के लिए अधिकारियों से चर्चा करने के लिए बहुत ही नाकामो वक्त रह गया था, इसलिए सभा बन्द कर देने पड़ी।”

मसलन, अफ़ग़ानिस्तान या सीलोन की नीति को शकल देने का है।" अगर मुलायम और नरम देशीराज्य-प्रजा-परिषद् ने और लिबरलों ने भी उनकी इस राय और इस मलाह पर ऐतराज किया तो आश्चर्य ही क्या है ?

लेकिन रियासतों के राजाओं ने इन विचारों का काफ़ी स्वागत किया और उन्होंने उनसे फ़ायदा भी उठाया। एक महीने के भीतर ही त्रावणकोर रियासत ने अपने राज्य में काँग्रेस को गैरकानूनी करार दे दिया और उसकी सारी सभाओं को और उसके मेम्बर बनाने के काम को रोक दिया। ऐसा करते हुए रियासत ने कहा, कि "जिम्मेदार नेताओं ने खुद यह सलाह दी है।" जाहिर है कि यह इशारा गांधीजी के बयान की तरफ़ था। यह बात नोट करने लायक है कि यह रोक ब्रिटिश भारत में सत्याग्रह की लड़ाई वापस लिये जाने के बाद हुई (यद्यपि रियासतों में यह लड़ाई कभी नहीं हुई थी)। जिस वक्त रियासत में यह सब हुआ, ब्रिटिश सरकार ने काँग्रेस को फिर से कानूनी जमात करार दे दिया था। इस बात को नोट करना भी दिलचस्प होगा कि उस वक्त त्रावणकोर-मरकार के खास राजनैतिक सलाहकार मर सी० पी० रामास्वामी ऐय्यर थे (और अब भी हैं), जो एक वक्त काँग्रेस के और होमरूल लीग के जनरल सेक्रेटरी थे, उसके बाद लिबरल बने और उसके भी बाद भारत-सरकार और मदरास-सरकार के ऊँचे-ऊँचे ओहदों पर रहे।

गांधीजी की सलाह मानकर काँग्रेस जिस नीति से काम ले रही थी उसके मुताबिक, मामूली वक्त में भी, त्रावणकोर राज्य ने बिला वजह काँग्रेस के ऊपर जो यह हमला किया उसकी बाबत काँग्रेसवालों की तरफ़ से पब्लिक में एक शब्द तक नहीं कहा गया, जबकि दूसरी ओर लिबरलों तक ने इसके खिलाफ़ जोरों से आवाज़ उठाई। सचमुच रियासतों के मामले में गांधीजी का रवैया लिबरलों के रवैये से भी कहीं ज्यादा नरम और संयत है। प्रमुख सार्वजनिक पुरुषों में शायद मालवीयजी ही—बहुतसे राजाओं के साथ अपने निकट-सम्पर्क के कारण—उतने ही संयत और इस बात में सावधान है कि उन्हें किसी तरह चिढ़ाया न जाय।

भारतीय नरेशों के बारे में गांधीजी हमेशा इतना फूक-फूककर कदम नहीं रखते थे। फ़रवरी १९१६ को एक प्रसिद्ध अवसर पर—बनारस हिन्दू-विश्व-विद्यालय

१. ६ जनवरी १९३५ को बड़ौदा में सरदार वल्लभभाई पटेल ने एक भाषण देते हुए इस पक्षल न देने की नीति पर जोर दिया था। कहा जाता है कि उन्होंने यह कहा, कि 'देशी राज्यों के कार्यकर्ताओं को उन सीमाओं में रहते हुए काम करना चाहिए, जो रियासतें बाँध लें और शासन की आलोचना करने के बजाय इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि शासक और शासितों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बना रहे।'

के उद्घाटन के समय—एक सभा में, जिसके सभापति एक महाराजा थे और जिसमें और भी बहुत-से राजा मौजूद थे, उन्होंने एक भाषण दिया था। गांधीजी उस समय दक्षिण-अफ्रीका से आये ही थे और अखिल भारतीय राजनीति का बोझ उनके कंधों पर नहीं था। बड़ी सच्चाई और एक पैगम्बर के-से जोश के साथ उन्होंने राजाओं से अपनेको सुधारने और अपनी थोथी शान-शौकत और विलासिता छोड़ देने के लिए कहा। उन्होंने कहा, “नरेशो! जाओ, और अपने आभूषणों को बेच दो।” उन्होंने अपने आभूषण बेचे हों या न बेचे हों, लेकिन वे वहाँ से चले जरूर गये। बहुत ही डरकर, एक-एक करके या छोटी-छोटी टोलियों में, वे सभा भवन से चले गये। यहाँतक कि सभापति महोदय भी चले गये। सभा भवन में अकेले व्याख्याता महोदय रह गये। मीटिंग में श्रीमती बेसेंट भी मौजूद थीं। उन्हे भी गांधीजी की बातें बुरी लगी और इसलिए, वह भी मीटिंग से उठकर चली गई।

श्री एन० सी० केलकर को गांधीजी ने जो पत्र लिखा था उसमें आगे उन्होंने यह भी कहा, कि “मे तो यह पसन्द करूँगा कि रियासतें अपनी प्रजा को स्वतन्त्रता दे दें और वे अपनेको वास्तव में उन लोगो का ट्रस्टी समझे, जिनपर कि वे हुकूमत करती है।” अगर ट्रस्टीशिप के इस खयाल में ऐसी कोई अच्छी बात है, तो हम ब्रिटिश सरकार के इस दावे में क्यों ऐनराज करते हैं कि वे भारत के लिए ट्रस्टी हैं? मैं इसमें कोई फर्क नहीं देखता, सिवाय इसके कि अंग्रेज हिन्दुस्तान के लिए विदेशी है। लेकिन जहाँतक चमड़े के रंग से, जानीय उत्पत्ति और संस्कृति से, सम्बन्ध है वहाँतक तो हिन्दुस्तान के रहनेवाले तरह-तरह के लोगों में आपस में भी करीब-करीब उतने ही भेद हैं, जितने कि उनमें और अंग्रेजों में।

पिछले थोड़े-से सालों में हिन्दुस्तानी रियासतों में ब्रिटिश अफसर बड़ी तेजी से घुस रहे हैं। अक्सर वे बेबस राजाओं की मर्जी के खिलाफ उनके मत्थे मड़ दिये गये हैं। वैसे तो सदा से भारत-सरकार का देशी राज्यों पर काफी नियन्त्रण रहा है, लेकिन अब तो इसके अलावा कुछ खास बड़ी-बड़ी रियासतों को भीतर से भी जकड़ दिया गया है। इसलिए जब कभी ये रियासतें कुछ कहती हैं, तो असल में उनके द्वारा भारत-सरकार ही बोलती है। हाँ, ऐसा करते समय वह माण्डलिक परिस्थिति का पूरा-पूरा फायदा जरूर उठाती है।

मैं यह समझ सकता हूँ कि हमारे लिए हमेशा यह मुमकिन नहीं है कि हम दूसरी जगह जो काम कर सकते हैं वह सब रियासतों में भी कर सकें। सच बात तो यह है कि ब्रिटिश भारत के अलग-अलग सूबों में भी किसानों-सम्बन्धी, उद्योग-वन्धों-सम्बन्धी, सम्प्रदायों-सम्बन्धी और शासन-सम्बन्धी काफी फर्क हैं, और हम हमेशा सब

सूबों में एक नीति से काम नहीं ले सकते। लेकिन हालांकि हम कहाँ क्या काम करें यह तो वहाँ के हालात के ऊपर मुनहसिर रहेगा, फिर भी अलग-अलग जगहों में हमारी आम पॉलिसी अलग-अलग नहीं होनी चाहिए, और जो बात एक जगह बुरी है वह दूसरी जगह भी बुरी होनी चाहिए; नहीं तो हमारे ऊपर यह इलजाम लगाया जायगा और लगाया गया है कि हमारी कोई एक नीति या कोई एक उसूल नहीं है और हमारा मकसद सिर्फ़ यही है कि किसी तरह से ताकत हमारे हाथ में आ जाय।

धार्मिक और अन्य अल्पसंख्यक जातियों के लिए पृथक् चुनाव की जो व्यवस्था की गई है उसके खिलाफ़ काफ़ी नुक़्ताचीनी हुई है, और वह ठीक ही हुई है। यह बताया गया है कि यह चुनाव लोकतन्त्र के बिलकुल खिलाफ़ पड़ता है। इसमें कोई शक़ नहीं कि अगर हम चुननेवालों को अलग-अलग वन्द कमरों में बाँट दें तो लोकतन्त्र कायम करना या जिसे जिम्मेदार सरकार के नाम से पुकारा जाता है उसका कायम किया जाना मुमकिन नहीं है। लेकिन पं० मदनमोहन मालवीय और हिन्दू-महासभा के अन्य नेता, जो पृथक् चुनाव के सबसे बड़े और अथक आलोचक हैं, रियासतों में जो कुछ अन्धेर मच रहा है उसके बारे में अजीब तौर से चुप हैं और आहि़रा तौर पर इस बात के लिए तैयार हैं कि रियासतों की स्वेच्छा-चारिता और बाक़ी के हिन्दुस्तान में लोकतन्त्र के नाम से पुकारी जानेवाली चीज़ आपस में मिलकर संघ-राज्य कायम हो जाय। इससे ज्यादा बेमीज़ूँ और बेहूदा एकता की कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन हिन्दू-महासभा के जो लोग लोकतन्त्र और राष्ट्रीयता के हिमायती बनते हैं वे ही इस एकता को बिना डकार लिये हुए ही निगल जाते हैं। हम लोग तर्क और बुद्धि की बात करते हैं, लेकिन हमारी बुनियादी प्रेरणाये अभी तक भावुकतामय ही बनी हुई हैं।

इस तरह में लौटकर फिर कांग्रेस और रियासतों की विकट समस्या पर आता हूँ। मेरा दिमाग़ थॉमस पेन के उस वाक्य की ओर आकर्षित होता है, जो उसने कोई डेढसौ बरस पहले बर्क के सम्बन्ध में कहा था—“वह (बर्क) तो परोपकार से तरस खाते हैं, लेकिन मरनेवाली चिड़िया को भूल जाते हैं।” यह ठीक है कि गांधीजी मरनेवाली चिड़िया को नहीं भूलते। लेकिन वह उसके परों पर इतना ज्यादा जोर क्यों देते हैं ?

कम-बढ़ ये ही बातें ताल्लुक़ेदारी और ज़मींदारी-प्रथा पर भी लागू होती हैं। इस बात को समझाने के लिए अब किसी तर्क की ज़रूरत नहीं मालूम पड़ती है कि यह अर्ध-जागीरदारी प्रथा अब समय के बिलकुल प्रतिकूल है और उत्पादन-शैली और तरक्की के रास्ते में बड़ी भारी अड़चन है। वह तो बढ़नेवाले पूंजीवाद के भी खिलाफ़

जाती है और करीब-करीब दुनिया-भर में बड़ी-बड़ी जमींदारियाँ धीरे-धीरे गायब हो गई हैं और उनकी जगह जमींदार किसानों ने ले ली है। मेरी तो हमेशा यही कल्पना रही है कि हिन्दुस्तान में जो एक सवाल सम्भवतः उठ सकता है वह मुआवजे का है। लेकिन पिछले साल तो मुझे यह देखकर बहुत ही अचरज हुआ कि गांधीजी ताल्लुकदारी प्रथा को भी उस प्रथा की हैसियत से पसन्द करते हैं और चाहते हैं कि वह जारी रहे। कानपुर में जुलाई १९३४ में उन्होंने कहा था—“किसानों और जमींदारों, दोनों में हृदय-परिवर्तन द्वारा बेहतर ताल्लुकात पैदा किये जा सकते हैं। अगर यह हो जाय तो दोनों आपस में मेल के साथ अमन-चैन से रह सकते हैं। मैं तो कभी भी ताल्लुकदारी या जमींदारी प्रथा को दूर करने के पक्ष में नहीं रहा, और जो लोग यह समझते हैं कि वह रद्द होनी चाहिए वे खुद अपनी बात को नहीं समझते।” गांधीजी का यह आखिरी आरोप तो कुछ हद तक कटुतापूर्ण है।

बतलाते हैं कि उन्होंने आगे यह कहा—“बिना उचित कारणों के जायदादवाली श्रेणियों से उनकी निजी जायदाद छीने जाने के काम में मैं कभी साथ नहीं दे सकता। मेरा ध्येय तो यह है कि आपके दिलों पर घर करके मैं आपको अपनी राय का बना लूँ, जिससे आप अपनी निजी जायदाद को किसानों के लिए ट्रस्ट के रूप में रक्खें और उसका इस्तमाल खास तौर पर उनकी भलाई के लिए करें।……लेकिन मान लीजिए कि आपको आपकी जायदाद से वंचित करने के लिए अन्यायपूर्वक कोशिश की जाती है तो आप मुझे अपनी तरफ लड़ता हुआ पायेंगे……पश्चिम का समाजवाद और वहाँ का कम्यूनिज्म जिन खास विचारों पर टिका हुआ है, वे हमारे विचारों से बुनियादी तौर पर भिन्न हैं। जिन धारणाओं पर सामाजवाद बँगा टिके हुए है, उनमें से एक तो यह है कि उनका विश्वास है कि मानव-स्वभाव मूलतः स्वार्थी है……इसलिए हमारे समाजवाद और हमारे कम्यूनिज्म की बुनियाद तो अहिंसा पर और मजदूर और मालिकों, किसानों और जमींदारों के आपसी मेल पर होनी चाहिए।” ये बातें उन्होंने जमींदारों के एक डेपूटेशन से कही थीं।

मैं नहीं मानता कि पूरब और पश्चिम के बुनियादी खयालात में ऐसे कोई फ़र्क हैं। शायद कुछ हों। लेकिन हाल ही के पिछले दिनों में तो एक जाहिरा फ़र्क यह रहा है कि हिन्दुस्तान के मालिकों और जमींदारों ने अपने मजदूरों और किसानों के हितों की जितनी ज्यादा उपेक्षा की है उतनी उनके विलायत के बिरादरीवालों ने नहीं की। हिन्दुस्तान के जमींदारों की तरफ से किसानों की भलाई के लिए किसी तरह के सामाजिक सेवा के काम में दिलचस्पी लेने की अमलन कोई कोशिश नहीं हुई। पश्चिमी समा-
लोचक मि० एच० एन० ब्रेत्सफोर्ड ने कहा है कि “हिन्दुस्तान के सूदखोर और जमींदार

ऐसे परोपजीवी, नृशंस और रक्तशोषक प्राणी हैं, कि अर्वाचीन मानव-समाज में उनका सानी नहीं मिलता ।'' शायद इसमें हिन्दुस्तान के जमींदारों का कोई कुसूर नहीं है। परिस्थितियाँ उनके इतनी खिलाफ थीं कि वे उनका मुकाबिला न कर सके। वे लगातार नीचे को गिरते ही गये और अब एक ऐसी कठिन स्थिति में फँस गये हैं, जिसमें वे अपनेको मुश्किल से निकाल सकते हैं। बहुत-से जमींदारों से तो उनकी जमींदारियाँ बोहरों ने लेली हैं, और छोटे-छोटे जमींदार जिस जमीन के कभी मालिक थे उसीमें अब काश्तकार की हालत में पहुँच गये। शहरों में रहनेवाले इन बोहरों ने पहले तो जमीन-जायदाद गिरवी करके रुपया दिया, और फिर उसी रुपये के बदले उसे हड़पकर अब वे खुद जमींदार बन बैठे हैं और गांधीजी की राय में अब वे उन अभागों के दृष्टी हैं जिनको उन्होंने खुद उनकी जमीन से वञ्चित किया है। गांधीजी ऐसे लोगों से यह उम्मीद भी रखते हैं कि वे अपनी आमदनी खाम तौर पर किसानों की भलाई के कामों में लगायेंगे।

अगर ताल्लुकदारों की प्रथा अच्छी है, तो वह हिन्दुस्तान भर में क्यों नहीं जारी की जाती। हिन्दुस्तान के कुछ बड़े हिस्सों में रैयतवारी प्रथा चलती है। क्या गांधीजी गुजरात में बड़ी-बड़ी जमींदारियाँ और ताल्लुकदारियाँ कायम हो जाना पसन्द करेंगे? तो फिर क्या बात है कि जमीन सम्बन्धी एक प्रणाली तो यू० पी०, बिहार या बंगाल के लिए अच्छी है और दूसरी गुजरात और पंजाब के लिए? जहाँ-तक मेरा खयाल है, हिन्दुस्तान के उत्तर व पूरब और पश्चिम व दक्षिण के रहनेवाले लोगों में ऐसा कोई खास फर्क तो नहीं है; और उनके बुनियादी खयालात भी एकसे हैं। इसके मानी तो यह हुए कि जो कुछ है वह जारी रहना चाहिए। इस बात की आर्थिक जाँच नहीं की जानी चाहिए कि लोगों के लिए कौन-सी बात सबसे ज्यादा वाञ्छनीय या फायदेमन्द है, और न मौजूदा हालत को बदलने की ही कोई कोशिश हीनी चाहिए। बस, सिर्फ एक ही बात की जरूरत है; और वह यह कि लोगों का हृदय-परिवर्तन कर दिया जाय। जिन्दगी और उसके मसलों की तरफ यह तो विशुद्ध धार्मिक रुख है। राजनीति, अर्थ-शास्त्र या समाज-शास्त्र से उसका कोई सरोकार नहीं। फिर भी गांधीजी इससे आगे बढ़ जाते हैं और राजनैतिक और राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने धार्मिक रुख को ले आते हैं।

ये है कुछ विकट समस्यायें जो आज हिन्दुस्तान के सामने हैं। हमने अपनेको कुछ गुत्थियों में उलझा लिया है और जबतक हम उन गुत्थियों को सुलझा न लेंगे, तबतक आगे बढ़ना दुश्वार है। यह छुटकारा भावुकता से नहीं होगा। बहुत दिन

१. एच० एन० ब्रेक्सफोर्ड की 'Property or Peace' नामक पुस्तक से।

हुए, स्पिनोज़ा ने एक सवाल पूछा था—“ज्ञान और बुद्धि द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त करने, और भावुकता की गुलामी में रहने, इन दो में से आप कौन-सी चीज़ को पसन्द करेंगे ?” उन्होंने खुद पहली बात पसन्द की थी ।

हृदय-परिवर्तन या बल-प्रयोग

सोलह बरस पहले गांधीजी ने हिन्दुस्तान पर अपने अहिंसा के उसूल की छाप लगाई थी। तबसे अबतक हिन्दुस्तान के क्षितिज में इसी उसूल का बोलबाला रहा है। लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने बिना किसी सोच-विचार के उसे दुहराया है, लेकिन दुहराया है खुशी के साथ। कुछ लोगों ने अपनेमें काफी संघर्ष किया और फिर दबे मन से उसे अपना लिया, और कुछ लोगों ने खुल्लमखुल्ला इस उसूल का मजाक भी उड़ाया है। हमारे राजनैतिक और सामाजिक जीवन में उसने बहुत बड़ा हिस्सा लिया है और हिन्दुस्तान से बाहर विशाल दुनिया में भी लोगों का काफी ध्यान उसने अपनी तरफ खींचा है। निस्सन्देह उसूल बहुत पुराना है—उतना ही पुराना है जितनी कि मनुष्य की विचार-शक्ति है। लेकिन शायद गांधीजी ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने राजनैतिक और सामाजिक आन्दोलन में सामूहिकरूप में उसका प्रयोग किया है। इसके पहले अहिंसा वैयक्तिक और इस तरह मूलतः धर्म से सम्बन्धित चीज थी। वह आत्म-निग्रह और पूर्ण अनामकित प्राप्त करने और इस प्रकार अपने-आपको सासारिक प्रयत्नों में ऊँचा उठाकर एक तरह की वैयक्तिक स्वतन्त्रता और मुक्ति लाभ करने का साधन थी। उसके जरिये बड़े-बड़े सामाजिक मसलों को हल करने और सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन करने का कोई खयाल न था, अगर कुछ था भी तो सर्वथा परोक्ष-रूप में। उस वक्त लोगों की करीब-करीब यही भावना थी कि मौजूदा सामाजिक ताना-बाना तो, अपनी सब असमानताओं और अन्यायों सहित, ऐसा ही रहेगा। गांधीजी ने कोशिश की कि यह वैयक्तिक आदर्श समाज का भी आदर्श हो जाय। वह राजनैतिक और सामाजिक दोनों ही परिस्थितियों को बदलने पर तुले हुए थे और इसी सरज से उन्होंने जान-बूझकर इस विस्तृत और सर्वथा भिन्न क्षेत्र में अहिंसा के शस्त्र का प्रयोग किया। उन्होंने लिखा है—“जो लोग मानव-स्थिति और अवस्थाओं में आमूल परिवर्तन करना चाहते हैं वे समाज में खलबली पैदा किये बिना ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा करने के दो ही तरीके हैं; एक हिंसात्मक और दूसरा अहिंसात्मक। हिंसात्मक दबाव आदमी के जिस्म पर पड़ता है। जो इस दबाव से काम लेता है वह खुद नीचे गिर जाता है और जिसपर यह दबाव डाला जाता है उसे हतोत्साह कर देता है। लेकिन स्वयं कष्ट सहकर—जैसे उपवास आदि करके—जो अहिंसात्मक दबाव डाला जाता है, वह बिलकुल दूसरे तरीके से अपना असर पैदा करता है। जिन लोगों के

खिलाफ़ उसका प्रयोग किया जाता है, उनके शरीर को न छूकर वह उनकी आत्मा पर असर डालता है और उसे मजबूत बनाता है।”

यह कुछ हद तक भारतीय दृष्टिकोण से मेल खाता था और इसीलिए देश ने, कम-से-कम सरसरी तौर पर तो ज़रूर ही, उसे उत्साहपूर्वक स्वीकार कर लिया। बहुत ही कम लोग उससे निकलनेवाले व्यापक परिणामों को समझ पाये थे। लेकिन जिन थोड़े-से आदमियों ने उसे अस्पष्ट-रूप में समझा भी, वे श्रद्धापूर्वक काम में जुट पड़े। लेकिन जब काम की रफ़्तार धीमी पड़ गई, तब कुछ लोगों के मन में बहुत-से प्रश्न उठ खड़े हुए, जिनका उत्तर दिया जा सकना बहुत कठिन था। इन प्रश्नों का हमारी प्रचलित राजनैतिक गति-विधि पर कोई असर नहीं पड़ता था। अहिंसा का सम्बन्ध तो अहिंसात्मक प्रतिरोध के मूल सिद्धान्त से था। राजनैतिक अर्थों में तो अभीतक अहिंसात्मक आन्दोलन को कामयाबी मिली नहीं, क्योंकि हिन्दुस्तान अतथीक साम्राज्यवाद के अनीतिपाश में जकड़ा हुआ है, और सामाजिक अर्थ में तो उसने क्रान्ति की कल्पना तक नहीं की। लेकिन फिर भी जो आदमी ज़रा भी गहराई से देख सकता है, वह यह देख सकता है कि हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों में उसने एक ज़बरदस्त तबदीली कर दी। इस अहिंसात्मक आन्दोलन ने करोड़ों हिन्दुस्तानियों को चरित्रबल, शक्ति और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया है; और ये ऐसे अमूल्य गुण हैं जिनके बिना राजनैतिक या सामाजिक किसी भी क्रिस्म की तरक्की करना या उसे फ़ायदा रखना कठिन है। यह कहना मुश्किल है कि ये निश्चित लाभ अहिंसा की बदीलत हुए हैं या महज़ संघर्ष की बदीलत। बहुत-से मौकों पर कई राष्ट्रों ने ऐसे फ़ायदे अहिंसात्मक लड़ाई के जरिये भी हासिल किये हैं; फिर भी, मेरा खयाल है, कि यह बात तो इत्मीनान के साथ कही जा सकती है कि इस मामले में अहिंसा का तरीका हमारे लिए बेसक्रीमत साबित हुआ है। गांधीजी ने समाज में जिस खलबली का ज़िक्र किया था वह खलबली पैदा करने में उसने निश्चित रूप से मदद की, हालांकि निस्सन्देह यह खलबली बुनियादी बज़ूहात और हालतों की बदीलत हुई। उसने आम लोगों में वह तेज़ी की प्रक्रिया पैदा करदी है जो इनकिलाबी हेर-फेर से पहले पैदा होती है।

स्पष्ट रूप से यह बात उसके हक में है, लेकिन वह हमें ज्यादा दूर नहीं लेजाती। असली सवाल तो ज्यों-का-त्यों बना हुआ है। बदक्रिस्मती यह है कि इस मसले को हल करने में गांधीजी हमें ज्यादा मदद नहीं देते। इस विषय पर उन्होंने बहुत बार लिखा है

१. ४ दिसम्बर १९३२ को अपने एक अनशन के अवसर पर गांधीजी ने जो बयान दिया था उसमें।

और व्याख्यान भी दिये हैं। लेकिन जहाँतक मुझे मालूम है, उन्होंने सार्वजनिक रूप से उससे निकलनेवाले अर्थों पर दार्शनिक या वैज्ञानिक दृष्टि से कभी विचार नहीं किया। वह इस बात पर जोर देते हैं कि साधन साध्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जोर-जबरदस्ती की बनिस्बत समझा-बुझाकर हृदय-परिवर्तन करना अच्छा है, और वह अहिंसा को सत्य और दूसरी तमाम अच्छाइयों से भिन्न नहीं ममझते। सच तो यह है कि इन शब्दों का वह अक्सर इस तरह प्रयोग करते हैं मानों वे एक-दूसरे के समानार्थक हैं। साथ ही, जो इस बात से सहमत न हों उन को उच्चात्माओं की कोटि का मानने की भी एक प्रवृत्ति प्रचलित है बल्कि कुछ ऐसा समझा जाता है मानों वे किसी अनैतिक आचरण के गुनहगार हैं। और गांधीजी के कुछ अनुयायी तो, इसके कारण, लाजिमी तौर पर अपने-आपको बड़ा पहुँचा हुआ और धर्मान्ता समझने लगे हैं।

लेकिन हममें से जो इतने खुशकिस्मत नहीं कि इस चीज में इतनी श्रद्धा रखते हों, उन्हें बहुत-से सन्देहों से परेशान होना पड़ता है। तात्कालिक आवश्यकताओं से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन वे चाहते हैं कि कोई ऐसा सुसगत कार्य-सिद्धान्त हो जो वैयक्तिक दृष्टि से नैतिक हो और साथ ही सामाजिक दृष्टि से कारगर भी हो। मैं मानता हूँ कि मुझमें भी यह सन्देह मौजूद है और मुझे इस मसले का कोई सन्तोषजनक हल नहीं दिखाई देता। मैं हिंसा को कतई नापसन्द करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुद हिंसा से भरा हुआ हूँ और जान में या अनजान में अक्सर दूसरों को दबाने की कोशिश करता रहता हूँ। और मानसिक दबाव से अधिक दबाव भला और क्या हो सकता है, जिसके कारण गांधीजी के अनन्य भक्तों और साथियों के दिमाग कुण्ठित हो जाते हैं और वे स्वतंत्र रूप से सोचने के योग्य नहीं रहते ?

लेकिन असली सवाल तो यह था, कि क्या राष्ट्रीय और सामाजिक समुदाय अहिंसा के इस वैयक्तिक सिद्धान्त को काफ़ी तौर पर अपना सकते हैं ? क्योंकि उसका अर्थ यह है कि मानव-समाज सामूहिक रूप से प्रेम और सौजन्य में बहुत ऊँचा चढ़ा हुआ है। यह सच है कि दरअसल वाञ्छनीय और अन्तिम लक्ष्य तो यही है कि मानव-समाज इतना ऊँचा उठ जाय और उसमें से घृणा, कुत्सा और स्वार्थपरता निकल जाय। अन्त में जाकर ऐसा हो भी सकेगा या नहीं, यह एक विवादास्पद विषय हो सकता है; लेकिन उसके बिना जीवन उस निरे बुढ़ की कही हुई कहानी का-सा नीरस हो जायगा, जिसमें कम्पन और तड़प है लेकिन जिसका मतलब कुछ नहीं है। इस मकसद पर पहुँचने के

१. The Power of Non-violence (अहिंसा की ताकत) नामक किताब में रिचार्ड बी० ग्रेग ने इस विषय पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया है। उनकी यह किताब बहुत ही दिलचस्प और विचारोत्तेजक है।

लिए क्या यह आवश्यक है कि हम इन गुणों को अपनाते के लिए लोगों में प्रचार करें और उन अड़चनों की कुछ भी परवाह न करें, जो इस मकसद पर पहुँचना नामुमकिन कर रही है और जो इस मकसद के खिलाफ पड़नेवाली हरेक प्रवृत्ति को हाथ दे रही है? अथवा, क्या हम पहले इन अड़चनों को दूर करके प्रेम, सौन्दर्य और सौजन्य की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त और अनुकूल वातावरण न पैदा कर लें? अथवा, क्या हम इन दोनों उपायों को साथ-साथ काम में लायें?

और फिर क्या हिंसा और अहिंसा अथवा समझा-बुझाकर किये गये हृदय-परिवर्तन और बलात्कार के बीच का अन्तर इतना स्पष्ट और सरल है? अक्सर शारीरिक हिंसा की अपेक्षा नैतिक बल कहीं अधिक दबाने या मजबूर करने-वाला भयंकर अस्त्र सिद्ध हुआ है। और क्या अहिंसा और सत्य एक-दूसरे के पर्याय-वाची शब्द हैं? सत्य क्या है? यह सवाल बहुत ही पुराना है, जिसके हजारों जवाब दिये जा चुके हैं, मगर यह सवाल आज तक जैसा था वेंसा ही बना हुआ है। लेकिन कुछ भी हो, यह बात तय है कि उसको अहिंसा से सर्वथा मिलाया नहीं जा सकता। हिंसा स्वतः बुरी है, लेकिन आप उसको महज उसके हिंसा होने की वजह से ही पापमय नहीं कह सकते। उसके कई आकार और प्रकार हैं, और अक्सर यह हो सकता है कि उससे भी ज्यादा बुरी बात के मुकाबिले में हमें हिंसा पसन्द करनी पड़े। गांधीजी ने यह खुद कहा है कि बुज्जदिली, डर और गुलामी से हिंसा बेहतर है और इसी तरह इस फ्रेहरिस्त में और भी बहुत-सी बुराइयाँ जोड़ी जा सकती हैं, जो हिंसा से भी ज्यादा बुरी हैं। यह सच है कि आम तौर पर हिंसा के साथ घृणा रहती है, लेकिन सैद्धान्तिक रूप से हमेशा ऐसा ही हो, यह जरूरी नहीं है। यह बात हो सकती है कि हिंसा का आधार सद्भावना पर हो- (जैसे कि सर्जन द्वारा की गई हिंसा) और कोई भी चीज, जिसका आधार यह हो, कभी भी सिद्धान्तः पापमय नहीं हो सकती। आखिर नीति और सदाचार की अन्तिम कसीटी तो सद्भाव और वैर-भाव ही है। इस तरह यद्यपि हिंसा सदाचार की दृष्टि से अक्सर ठीक नहीं ठहराई जा सकती और उस दृष्टि से उसे खतरनाक भी समझा जा सकता है; लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह हमेशा ऐसी ही हो।

हमारा सारा जीवन ही संघर्षमय और हिंसायुक्त है और यह बात सही मालूम होती है कि हिंसा से हिंसा ही पैदा होती है और इस तरह हिंसा को रोकने का उपाय हिंसा नहीं है। लेकिन फिर भी हिंसा का कभी प्रयोग न करने की क्रम खा लेने का अर्थ होता है सर्वथा नकारात्मक रुख अख्त्यार कर लेना, जिसका स्वयं जीवन से कतई कोई सम्पर्क नहीं होता। हिंसा तो आजकल के राष्ट्रों और सामाजिक प्रणालियों का जीवन-

तत्त्व है। राष्ट्र के पास अगर यह अस्त्र न हो तो न तो कर वसूल किये जा सकते हैं, न जमींदारों को उनका लगान ही मिल सकता है, और न निजी सम्पत्ति ही कायम रह सकती है। अपने शस्त्र-बल से कानून दूसरों को दूसरों की निजी सम्पत्ति के उपयोग से रोकता है। इस प्रकार आक्रामणात्मक और रक्षणात्मक हिंसा के बल पर वर्तमान राज्य कायम है।

यह सच है कि गांधीजी की अहिंसा बिल्कुल ही नकारात्मक और अप्रतिरोधक नहीं है। वह तो अहिंसात्मक प्रतिरोध है, जो एक बिल्कुल ही दूसरी चीज, एक विधेयात्मक और सजीव कार्य-प्रणाली है। यह उन लोगों के लिए नहीं है, जो परिस्थितियों के सामने चुपचाप सिर झुका देते हैं। उसका तो उद्देश ही समाज में खलबली पैदा कर देना और इस तरह मौजूदा हालत को बदल देना है। हृदय-परिवर्तन के भाव के पीछे उद्देश कुछ भी रहा हो, व्यवहार में तो वह लोगों को विवश करने या दबाने का भी एक जबरदस्त साधन रहा है। यह बात दूसरी है कि वह दबाव सबसे ज्यादा शिष्ट और सबसे कम आपत्तिजनक ढंग से काम में लाया गया। सचमुच यह बात ध्यान देने योग्य है कि अपने शुरु के लेखों में गांधीजी ने खुद "मजबूर करना" शब्द का इस्तेमाल किया है। पंजाब के फ़ौजी कानून के ज़माने के अत्याचारों के सम्बन्ध में दिये गये वाइसराय लार्ड चैम्सफ़ोर्ड के व्याख्यान की आलोचना करते हुए सन् १९२० में उन्होंने लिखा था:—

“कौंसिल-उद्घाटन के समय वाइसराय ने जो व्याख्यान दिया उससे मुझे उनका ऐसा रुख मालूम हुआ कि जिसकी वजह से प्रत्येक आत्मसम्मान रखनेवाले के लिए उनके या उनकी सरकार के साथ सम्बन्ध बनाये रखना असम्भव हो जाता है।

“पंजाब के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा है उसका स्पष्ट अर्थ यह है कि वह किसी तरह भी लोगों की शिकायत दूर करने को तैयार नहीं है। वह चाहते हैं कि हम लोग निकट-भविष्य की समस्याओं पर ही अपना सारा ध्यान केन्द्रित कर दें, लेकिन निकट-भविष्य तो यही है कि पंजाब के मामले में हम सरकार को पश्चात्ताप करने के लिए मजबूर कर दें, जिसका कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। इसके विरुद्ध, वाइसराय ने अपने आलोचकों की टीकाओं का जवाब देने के अपने प्रलोभन को रोका है, जिसका अर्थ यह है कि हिन्दुस्तान की इज्जत से ताल्लुक रखनेवाले बहुत-से ज़रूरी मामलों पर उनकी राय अभीतक नहीं बदली है; वह इतने ही से संतुष्ट हैं कि इन विषयों को भावी इतिहास के निर्णय पर छोड़ दिया जाय। मेरे विचार में इस तरह की बातें हिन्दुस्तानियों को और भी अधिक उत्तेजित करने का कारण बनेंगी। जिन लोगों पर अत्याचार किये गये हैं और जो अभीतक उन अफसरों के जूतों के नीचे दबे

हुए हैं, जो अपने-आपको किसी विश्वास और जिम्मेदारी के ओहदे पर रहने के सर्वथा अयोग्य सिद्ध कर चुके हैं, यदि इतिहास-निर्णय अनुकूल भी हुआ तो वह उनके किस काम आयगा ? पंजाब के प्रति न्याय न करने की सरकार की हठ के मौजूद रहते हुए सहयोग का उपदेश करना, यदि अधिक तीव्र भाषा का प्रयोग न किया जाय तो, कम-से-कम, निरा पाखण्ड तो है ही।”

यह बात जग-जाहिर है कि सरकार बुरी तरह हिंसा पर आश्रित है—न केवल शस्त्र-बल की हिंसा पर वरन् अत्यन्त सूक्ष्म रूप से प्रयुक्त जासूस, मुखबिर, लोगों को भड़कानेवाले एजेंटों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा और समाचारपत्रों द्वारा झूठा प्रचार, धार्मिक और अर्थाभाव तथा भुखमरी वगैरा के दूसरे प्रकार के भयों की कहीं अधिक भयंकर हिंसा पर। उनके पीछे अपनी अगणित शाखा-प्रशाखाओं और षड्यन्त्र और घोखेबाजी के ताने-बाने और भेदियों-उपभेदियों, अपराधियों के गुप्त अड्डों के साथ सम्बन्ध, रिश्त और मानव-स्वभाव को पतित करनेवाले दूसरे उपाय व गुप्त हत्याओं के अपने सब साधनों सहित खुफिया पुलिस का बहुत बड़ा जाल काम करता है। शान्तिकाल तक में सरकारों के बीच सब प्रकार का झूठा और दगा-फरेब जायज है, बशर्ते कि वह खुल न जाय, और युद्ध के समय तो वह और भी ज्यादा जायज हो जाता है। खुद ब्रिटिश राजदूत सर हेनरी वॉटन ने तीन सौ बरस पहले राजदूत की यह परिभाषा की थी कि “राजदूत वे ईमानदार प्राणी हैं जो अपने मुल्क की भलाई के लिए झूठ बोलने को दूसरे मुल्को में भेजे जाते हैं।” आजकल तो राजदूतों के साथ उनका फौजी, जहाजी और व्यापारिक कबोला भी जाता है, जिसका खास काम होता है, उस मुल्क का भद लेना जिस मुल्क में वे भेजे जाते हैं। उनके पीछे खुफिया पुलिस का बहुत बड़ा जाल, जो षड्यन्त्रों और घोखेबाजी के ताने-बानों से भरा-पूरा रहता है, काम करता है। भेदियों और उपभेदियों से उनका ताल्लुक, उनकी रिश्त-खोरी और मानव-प्रकृति का पतन तथा उसकी गुप्त हत्याये सब बातें उस जाल में शामिल होती हैं। शान्ति-काल के लिए तो ये सब चीजें खराब है ही युद्धकाल में इनकी और भी अधिक महत्त्व मिल जाने से इनका नाशकारी प्रभाव हरेक दिशा में फैल जाता है। गत विश्व-व्यापी महायुद्ध के समय जो प्रचार किया गया था उसके कुछ उदाहरण पढ़कर अब हैरत होती है कि किस प्रकार राष्ट्र-देशों के विरुद्ध आश्चर्यजनक झूठी बातें फैलाई गई थी; और इन बातों के फैलाने और खुफिया पुलिस का जाल बिछाने में अन्धाधुन्ध रूपया बहाया गया था। लेकिन वर्तमान शान्ति स्वयं दो युद्धों के बीच का विरामकाल मात्र है, अर्थात् लड़ाई के लिए तैयारी करने की एक अवधि मात्र है और कुछ हदतक आर्थिक तथा दूसरे क्षेत्रों में संघर्ष जारी

रखना ही है। विजयी और पराजितों में, सत्ताओं और उनके मातहत उपनिवेशों में, रक्षित वर्ग और शोषित वर्ग की यह रस्साकशी हर बक्त जारी रहती है। इसलिए जिसे आज शान्ति-काल के नाम से पुकारा जाता है, उसमें भी कुछ हदतक लड़ाई का वातावरण अपने हिंसा और झूठ के सब अस्त्रों-सहित जारी रहता है और दोनों इस स्थिति का मुकाबिला करने के लिए तैयार रहने को अभ्यस्त किये जाते हैं। लार्ड वोल्सली ने 'सोल्टजर्स पाकेटबुक फॉर फील्ड-सर्विस' नामकी एक पुस्तक में लिखा है—“हम इस सिद्धान्त पर बार-बार जोर देते रहेंगे, कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी पालिसी है और आखिर में जाकर हमेशा सचाई की ही जीत होती है, लेकिन ये साधारण वाक्य बच्चों की नोटबुकों के लिए ही ठीक है; और अगर लोग युद्ध के दिनों में इनपर अमल करने लगे तो यही बेहतर है कि वे हमेशा के लिए अपनी तलवारें मियानों के अन्दर बन्द करले।”

वर्तमान स्थिति में, जब कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के और एक वर्ग दूसरे वर्ग के खिलाफ है, हिंसा और असत्य का यह पाया करीब-करीब लाजिमी मालूम होता है। अपनी शक्ति और विशेषाधिकारों को बनाये रखने के लिए उत्सुक और अपने पीड़ितों को उन्नति का अवसर न देनेवाले अधिकार-प्राप्त राष्ट्री और समूहों को तो लाजिमी तौर पर हिंसा, दवाव और झूठ का आश्रय लेना ही पडता है। संभव है कि ज्यों-ज्यों लोकमत जागृत होता जायगा और इन संघर्षों तथा दमन की वास्तविकता स्पष्ट होती जायगी, त्यों-त्यों इस हिंसा की तीव्रता भी कम होती जायगी। लेकिन असल बात तो यह है कि हाल के तमाम तजुर्वे इसके खिलाफ इशारा कर रहे हैं और जैसे-जैसे मौजूदा संस्थाओं के उलटने का आन्दोलन तीव्र होना जाता है, इन लोगों की हिंसा भी बढ़ती जाती है। कभी हिंसा की प्रत्यक्ष उग्रता में कुछ कमी भी आ गई है तो उसने उससे और कहीं अधिक सूक्ष्म और अधिक भयंकर रूप अल्यार कर लिया है। हिंसा की इस प्रवृत्ति को न तो धार्मिक सहिष्णुता और न नैतिक भावना की वृद्धि ही ज़रा भी रोक सकी है। मानवता के परिमाण की दृष्टि से कुछ व्यक्ति उन्नति करके ऊँचे चढ़ गये हैं और अगर सबसे ऊँचे नमूनों को छोड़ दिया जाय, तो गालिबन दुनिया में आजकल इस किसम के ऊँचे दर्जे के जितने ज्यादा व्यक्ति हैं, उतने इतिहास के और किसी ज़माने में नहीं थे; कुल मिलाकर तो समाज ने तरक्की ही की है, और वह कुछ हद तक पुरातन और सहज कर वृत्तियों पर अंकुश रखने के लिए भी प्रयत्नशील है। लेकिन कुल मिलाकर समूहों या समुदायों ने कोई खास तरक्की नहीं की है। व्यक्ति अधिक सभ्य बनने के प्रयत्न में अपने पूर्वकालिक मनो-विकार और बुराईयाँ समाज को देता जा रहा है, और क्योंकि हिंसा हमेशा पहली

नहीं किन्तु दूसरी श्रेणी के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए इन समुदायों के नेता लोग शायद ही पहले दर्जे के पुरुष या स्त्री होते हों।

लेकिन अगर हम यह भी मानलें कि राज्य से धीरे-धीरे हिंसा के सबसे बुरे रूप मिट जायेंगे, तब भी इस बात की उपेक्षा कर सकना असम्भव है कि सरकार और सामाजिक जीवन दोनों ही के लिए किसी प्रकार के दबाव की आवश्यकता है। सामाजिक जीवन के लिए किसी-न-किसी तरह की सरकार का होना जरूरी है, और इस कारण जिन लोगों को कुछ अधिकार मिल जाता है उनके लिए यह लाजिमी है कि वे व्यक्तियों और समूहों की उन सब प्रवृत्तियों पर, जो स्वभावतः स्वार्थ-परायण हैं और जिनसे समाज को नुकसान पहुँचाने का अंदेशा है, अंकुश रक्खें और उन्हें रोके। आमतौर पर ये अधिकारी लोग जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ताकत जिसके हाथ में पहुँचती है उसीको भ्रष्ट करके गिरा देती है। इस तरह उन शासकों को स्वतन्त्रता से कितना ही प्रेम और दमन से कितनी ही घृणा क्यों न हो, फिर भी उन्हें उस वक्त तक अपने यहाँ के झगड़ालू व्यक्तियों का दमन करना ही पड़ेगा, जबतक कि राज्य में प्रत्येक व्यक्ति पूर्णता प्राप्त न करले और सर्वथा नि स्वार्थ और परोपकार-परायण न बन जाय। ऐसे राज्य के शासकों को भी उन बाहरी समूहों का मुकाबिला करना पड़ेगा, जो लूट-मार के लिए उनके राज्य पर हमला करें। अर्थात्, उन्हें ताकत का मुकाबिला ताकत से करके अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। इस बात की जरूरत तो तभी दूर होगी जबकि पृथ्वी-भर के लिए केवल एक ही विश्वव्यापी राज्य रह जाय।

इस तरह अगर आन्तरिक अविच्छिन्नता और बाहरी आक्रमणों से अपनी रक्षा इन दोनों के लिए शक्ति और दमन आवश्यक है, तो यह भेद किस तरह किया जाय कि वे सर्वथा अहिंसात्मक हैं या हिंसात्मक? रिन्होल्ड नीयूर' का कहना है कि जब आप एक बार नैतिकता के मुकाबिले में इतनी भयावह छूट देते हैं और सामाजिक अविच्छिन्नता को कायम रखने के लिए बल-प्रयोग एक आवश्यक अस्थान मान लेते हैं, तब अहिंसात्मक और हिंसात्मक बल-प्रयोग में अथवा सरकार और क्रान्तिकारियों द्वारा किये जानेवाले बल-प्रयोग में आप कोई विशुद्ध भेद नहीं कर सकते।

मैं ठीक-ठीक नहीं जानता, लेकिन मेरी धारणा है कि गांधीजी यह बात मान लेंगे कि इस अपूर्ण संसार में किसी भी राष्ट्रीय सरकार को अपने ऊपर अकारण ही बाहर से होनेवाले आक्रमणों से अपनी रक्षा करने के लिए शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। अवश्य ही राज्य को चाहिए कि अपने पड़ोसी और अन्य दूसरे राज्यों के साथ

सर्वथा शान्तिमय और मंत्रीपूर्ण नीति ग्रहण करे, लेकिन फिर भी आक्रमण की संभावना से इन्कार करना बेहदगी होगी। राज्य को कुछ ऐसे कानून भी बनाने पड़ेंगे, जो इस अर्थ में दबाव डालनेवाले होंगे कि इनके द्वारा विभिन्न समुदायों या समूहों के कुछ अधिकार और विशेष रियायतें छिन जाती हैं और उनकी कार्य-स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। कुछ हदतक तो सभी कानून दबाव डालनेवाले होते हैं। कराची-कांग्रेस का प्रोग्राम यह निर्धारित करता है कि—“जन-समूह का शोषण बन्द करने के लिए राज-नैतिक स्वतंत्रता में, करोड़ों भूखों मरनेवालों की वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता का भी अवश्य समावेश होना चाहिए। आवश्यक मनोभाव को कार्य में परिणत करने के लिए जिन लोगों के अत्यधिक विशेषाधिकार हैं उन्हें अपने बहुत-से अधिकार उन लोगों के लिए छोड़ देने पड़ेंगे जिनके पास बहुत थोड़े अधिकार हैं।” आगे उसमें यह भी बताया गया है कि मजदूरों को निर्वाह के लिए आवश्यक मजदूरी और जीवन की दूसरी सुविधायें भी जरूर मिलनी चाहिए, मित्कियतों पर खास टैक्स लगाये जाने चाहिए, और “खास उद्योग-विभागों, खनिज-साधनों, रेलवे, जल-मार्ग, जहाजरानी और सार्वजनिक आवागमन के दूसरे साधनों पर राज्य अपना अधिकार और नियंत्रण रक्खेगा।” साथ ही यह भी कि “नशीले पेय और पदार्थ सर्वथा बन्द किये जायेंगे।” गालिबन बहुत-से लोग इन सब बातों का विरोध करेंगे। यह हो सकता है कि वे बहुमत के निर्णय के सामने सिर झुकाएँ, लेकिन यह होगा इसी भय के कारण कि आज्ञा-भंग का नतीजा बुरा होगा। सचमुच लोकतंत्र का अर्थ ही बहुसंख्यक लोगों का अल्पसंख्यक लोगों पर दबाव है।

अगर मित्कियत सम्बन्धी अधिकारों को कम करने या बहुत हदतक उन्हें रद्द करने के लिए कोई कानून बहुमत से पास हो जाय, तो क्या इसलिए उसका विरोध किया जायगा कि यह तो दबाव है? स्पष्ट है कि यह नहीं है, क्योंकि सभी लोक-तंत्रात्मक कानूनों को बनाने में यही तरीका काम में लाया जाता है। इसलिए दबाव की बिना पर ऐतराज नहीं किया जा सकता। यह कहा जा सकता है कि बहुमत गलत या अनैतिक मार्ग पर चल रहा है। ऐसी हालत में सवाल यह पैदा होता है कि कसरत राय से जो कानून पास हुआ, क्या वह किसी नैतिक सिद्धान्त की अवहेलना करता है? लेकिन इस सवाल का फंसला कौन करेगा? अगर अलग-अलग व्यक्तियों और समूहों को यह छूट देदी जाय कि वे अपने-अपने निजी स्वार्थ के अनुसार कर्तव्य-शास्त्र की व्याख्या करलें, तो लोकतन्त्रात्मक प्रणाली का तो खात्मा ही हो जाता है। व्यक्तिगत रूप से मैं तो यह महसूस करता हूँ कि (बहुत ही संकुचित अर्थों में छोड़कर) व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रथा कुछ व्यक्तियों को सारे समाज पर भयंकर अधिकार दे

देती है, और इसलिए वह समाज के लिए अत्यन्त हानिकारक है। मैं व्यक्तिगत सम्पत्ति को शराबखोरी से भी ज्यादा अनैतिक समझता हूँ, क्योंकि शराब समाज को उतना नुकसान नहीं पहुँचाती जितना कि व्यक्ति को।

फिर भी जो लोग अहिंसा के सिद्धान्त में विश्वास रखने का दावा करते हैं उनमें से कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति का उसके मालिक की स्वीकृति के बिना राष्ट्रीयकरण करना दबाव होगा और इसीलिए अहिंसा के विरुद्ध अवश्य ही मेरे सामने इस दृष्टिकोण पर उन बड़े-बड़े ज़मींदारों ने, जो जबरदस्ती लगान वसूल करने में सरकार की मदद लेने में नहीं हिचकिचाते, और कई फँक्टरियों के मालिक उन पूँजीपतियों ने, जो अपने हलकों में स्वतन्त्र मजदूर-संघ भी कायम नहीं होने देना चाहते, जोर दिया है। यह बात काफ़ी नहीं मानी जाती कि जिन लोगों का उक्त बात से ताल्लुक है उनका अधिकांश परिवर्तन चाहता है, बल्कि परिवर्तन से जिन लोगों को नुकसान है उन्हींका हृदय-परिवर्तन करने के लिए कहा जाता है। थोड़े-से स्वार्थी दल स्पष्टतः आवश्यक परिवर्तन को रोक सकते हैं।

अगर इतिहास से कोई एक बात सिद्ध होती है, तो वह यह है कि आर्थिक हित ही समूहों और वर्गों के दृष्टिकोण के निर्माता होते हैं। इन हितों के मामले में तो तर्क और नैतिक विचारों की ही चलती है। हो सकता है कि कुछ व्यक्ति राजी हो जायें और अपने विशेषाधिकार छोड़ दें, यद्यपि ऐसा बहुत बिरले ही लोग करते हैं, लेकिन समूह और वर्ग ऐसा कभी नहीं करते। इसीलिए शासक और विशेषाधिकार-प्राप्त वर्ग को अपनी मत्ता और अनुचित विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए राजामन्द करने को जितनी कोशिशें अबतक की गईं वे हमेशा नाकामयाब ही हुईं और इस बात को मानने के लिए कोई वजह नहीं दिखाई देती कि वे भविष्य में कामयाब हो जायेंगी। रीन्होल्ड नीयूर ने अपनी किताब 'में उन सदाचारवादियों को आड़े हाथों लिया है, जो यह कल्पना कर बैठे हैं कि "व्यक्तियों की स्वार्थपरायणता, विवेक और धार्मिक स्फूर्ति-प्राप्त सद्भावना की वृद्धि से, दिन-ब-दिन कम हो रही है और यह भी कि समस्त मानव-समाजों और समूहों में सामाजिक ऐक्य स्थापित कराने के लिए सिर्फ इतना ही जरूरी है कि यह किया जारी रहे।" ये सदाचारवादी "मनुष्य के सामूहिक व्यवहार में उन मूल बातों को, जो प्रकृति का अंग हैं और जो कभी भी संस्था विवेक या अन्तरात्मा के अंकुश में नहीं लाई जा सकतीं, पहचानकर मानव-समाज में न्याय-प्राप्ति के लिए जो संघर्ष चल रहा है उसमें राजनैतिक आवश्यकताओं की अवहेलना कर देते हैं। ये लोग इस सब बात को नहीं मानते कि जब

सामूहिक शक्ति, चाहे वह साम्राज्यवाद की शकल में हों या वर्ग-प्रभुता के रूप में, कमजोरों का शोषण करती है तब वह उस वक्त तक अपनी जगह से नहीं हटाई जा सकती जबतक कि उसके खिलाफ ताकत खड़ी न कर दी जाय।" और फिर, "क्योंकि किसी भी सामाजिक स्थिति में विवेक सदा ही कुछ हद तक स्वार्थ का दास होता है, केवल नैतिक या बौद्धिक समझाव-बुझाव से समाज में न्याय स्थापित नहीं हो सकता। संघर्ष अनिवार्य है और इस संघर्ष में शक्ति का मुकाबिला शक्ति में ही किया जाना चाहिए।"

इसलिए यह सोचना, कि किसी वर्ग का किसी राष्ट्र के हृदय-परिवर्तन मात्र से काम चल जायगा या न्याय के नाम पर अपील करने और विवेकयुक्त दलीलें देने से संघर्ष मिट जायगा, अपने-आपको धोखा देना है। यह कल्पना करना कि किसी ऐसे कारगर दबाव के बिना ही, जो मजबूर करने की हद तक पहुँचता हो, कोई साम्राज्यवादी शासक-सत्ता देश पर से अपनी हुकूमत उठा लेगी या कोई वर्ग अपने उच्च पद और विशेषाधिकारों को छोड़ देगा, सर्वथा भ्रम है।

यह स्पष्ट है कि गांधीजी इस दबाव से काम लेना चाहते हैं, हालाँकि वह उसे बल-प्रयोग के नाम से नहीं पुकारते। उनके कथनानुसार, उनका तरीका तो स्वयं कष्ट-सहन का तरीका है। इसका समझ सकना कुछ कठिन है, क्योंकि इसमें कुछ आध्यात्मिक भावना छिपी है और हम उसे न तो नाप ही सकते हैं और न किसी भीतिक तरीके से उसकी जाँच ही कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि विरोधी पर भी इस तरीके का काफी असर पड़ता है। यह तरीका विरोधियों की नैतिक दलीलों का परदा फाश कर देता है, उन्हें घबरा देता है, उनकी सर्वोच्च भावना को जागृत कर देता है और समझौते का दरवाजा खोल देता है। इस बात में तो कोई शक नहीं हो सकता कि प्रेम की पुकार और स्वयं कष्ट-सहन के अस्त्र का विपक्षी और साथ ही दर्शकों पर बहुत ही जबरदस्त मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। बहुत-से शिकारी यह जानते हैं कि हम जंगली जानवरों के पास जिस दृष्टि से जाते हैं वैसे ही उनपर असर हो जाता है। वह जानवर दूर से ही भाँप लेता है, कि आप उसपर हमला करना चाहते हैं और उसीके मुताबिक वह अपना रवैया अस्त्यार करना है। इतना ही नहीं, आदमी अगर खुद किसी जानवर से डरे, फिर चाहे वह उसे महमूस न भी हो, तब भी उसका वह डर किसी तरह जानवर के पास पहुँच जाता है और उसे भयभीत कर देता है और इसी भय की वजह से वह हमला कर बैठता है। अगर शेरों को पालनेवाला जरा भी डर जाय तो उसपर हमला किये जाने का खतरा फ़ौरन पैदा हो जाता है। एक बिलकुल निर्भय आदमी किसी अज्ञात दुर्घटना के सिवा शायद ही कभी किसी हिंसक पशु के

खतरे का शिकार होता हो। इसलिए यह बात स्वाभाविक मालूम होती है कि मानव-प्राणी इन मानसिक प्रभावों से प्रभावित हो। फिर भी यद्यपि व्यक्ति प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन इस बात में शक है कि वर्ग या समूह पर इस तरह का प्रभाव पड़ सकता है। वर्ग के रूप में वह वर्ग किसी अन्य दल के व्यक्तिगत और निकट-सम्पर्क में नहीं आता। इतना ही नहीं, उसके संबंध में वह जो रिपोर्ट सुनता है वह भी एकांगी और तोड़ी-मरोड़ी हुई होती है। और हर हालत में जब कोई समूह उसके अधिकार को चुनौती देता है तब उसके रोष की स्वाभाविक प्रतिक्रिया इतनी बलवान होती है कि अन्य सब छोटे-छोटे भाव उसमें विलीन हो जाते हैं। वह वर्ग तो बहुत दिनों से इस खयाल का आदी हो गया है कि उसे जो विशिष्ट पद और अधिकार मिले हुए हैं, वे समाज-हित के लिए जरूरी हैं। इसलिए उसके खिलाफ जो राय जाहिर की जाती है वह उसे क्रुफ जैसी मालूम होती है। कानून और व्यवस्था तथा वर्तमान अवस्था को कायम रखना खास गुण हो जाते हैं और उनमें विघ्न डालने की कोशिश सब से महान् पाप।

इसलिए जहाँतक विरोधी पक्ष से ताल्लुक है, हृदय-परिवर्तन का यह तरीका हमें कुछ बहुत दूर तक नहीं ले जाता। निस्संदेह कभी-कभी तो अपने विरोधी की नर्मी और उसकी साधुता ही प्रतिपक्षी को और भी अधिक क्रोधित बना देती है। क्योंकि वह समझता है कि उसने इससे उसे गलत स्थिति में डाल दिया है और जब किसी व्यक्ति को यह शंका होने लगती है कि शायद वह गलती पर न हो, तब उसका सात्विक रोष और भी बढ़ जाता है। फिर भी अहिंसा की इस विधि से त्रिपक्ष के कुछ व्यक्तियों पर जरूर प्रभाव पड़ना है और इस प्रकार विरोध की दृढ़ता में कमी आ जाती है। इससे भी अधिक बात यह है कि वह तटस्थ लोगों की सहानुभूति प्राप्त कर लेता है और संसार के लोकमत को प्रभावित करने का बड़ा जबर्दस्त जरिया है। लेकिन इस दशा में यह संभव हो सकता है कि शासक-वर्ग खबर को बाहर जाने से रोक दे या उसे तोड़-मरोड़कर जाने दे। क्योंकि प्रकाशन की एजेंसियों पर उसका नियंत्रण रहता है और इस तरह वह असली वाक्यात का पता लगाना रोक सकता है। ताहम अहिंसात्मक अस्त्र का सबसे ज्यादा जोरदार और व्यापक असर तो जिस देश में यह अस्त्र काम में लाया जाता है उसके न्यूनाधिक उदासीन लोगों पर होता है। निस्संदेह उनका हृदय-परिवर्तन हो जाता है और वे अक्सर उनके जोरदार समर्थक बन जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का हृदय-परिवर्तन कोई बड़ी बात नहीं; क्योंकि ये लोग आम तौर पर उस उद्देश्य को तो मानते ही थे। जो लोग क्रान्ति से डबराते हैं उनपर कोई असर दिखाई नहीं देता। भारत में असहयोग और सत्याग्रह जिस

तेजी से फँला, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि किस तरह एक अहिंसात्मक हलचल बहुसंख्यक लोगों पर ज़बरदस्त असर डालती है, और बहुत-से अस्थिर-मति लोगों को किस तरह अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन उससे वे लोग कोई ज्यादा हद तक नहीं बदले। मगर जो लोग शुरू से ही उसके विरोधी थे, उनकी किसी उल्लेखनीय संस्था को वह अपने पक्ष का न बना सकी। सच बात तो यह है कि आन्दोलन की सफलता ने उनके भय को और भी बढ़ा दिया और इस प्रकार वह और भी ज्यादा विरोधी बन गये।

अगर एक बार यह मान लिया जाता है कि राज्य के लिए अपनी आजादी की रक्षा करने के खातिर हिंसा का प्रयोग जायज है, तब यह समझना मुश्किल है कि उस आजादी को हासिल करने के लिए उन्हीं हिंसात्मक और बल-प्रयोग के तरीकों को अख्तियार करना उतना ही जायज क्यों नहीं है? कोई अहिंसात्मक तरीका अवाञ्छनीय और अनुपयुक्त हो सकता है, लेकिन वह सर्वथा नाजायज और वर्जित नहीं हो सकता। सिर्फ़ इसी कारण से कि सरकार सबसे प्रबल है और उसके हाथ में सशस्त्र सेना है, उसे हिंसा के प्रयोग करने का ज्यादा हक़ नहीं मिल जाता। उस हालत में जबकि अहिंसात्मक क्रान्ति सफल हो जाय और उसका राज्य पर क़ाबू हो जाय, क्या उसको हिंसा को इस्तेमाल करने का वह हक़ फौरन ही हासिल हो जायगा, जो उसके पास पहले नहीं था? अगर इस नये राज्य की हुकूमत के खिलाफ़ बगावत हो, तो वह उसका मुक़ाबिला कैसे करे? स्वभावतः वह यह नहीं चाहेगा कि हिंसात्मक तरीक़े से काम ले और स्थिति का मुक़ाबिला करने के लिए हर शान्तिमय तरीक़े से कोशिश करेगा। लेकिन वह हिंसा से काम लेने के अपने अधिकार को नहीं छोड़ सकता। यह निश्चय है कि जनता में ऐसे बहुत-से असन्तुष्ट लोग होंगे, जो इस परिवर्तन के खिलाफ़ होंगे और वे इस बात की कोशिश करेंगे कि पहली हालत फिर से लौट आये। अगर वे यह सोचेंगे कि सरकार उनकी हिंसा का मुक़ाबिला अपने दमनकारी शस्त्रों से नहीं करेगी, तब तो वे ग़ालिबन और भी ज्यादा हिंसा को काम में लायेंगे। इसलिए ऐसा मालूम होता है कि हिंसा और अहिंसा हृदय-परिवर्तन और बल-प्रयोग के बीच कोई निश्चित और पूर्ण विभाक-रेखा खींच सकना एकदम नामुमकिन है। राजनैतिक परिवर्तन के सम्बन्ध में तो यह कठिनाई सचमुच ठीक है, लेकिन तब खास विशेषाधिकार-प्राप्त और शोषितवर्गों के सम्बन्ध में यह कठिनाई और भी अधिक बढ़ जाती है।

किसी आदर्श के लिए कष्ट-सहन की सदा ही प्रशंसा हुई है, और बिना झुके और बदले में हाथ धलाये बिना किसी उद्देश के लिए तकलीफ़ सहने में एक ऐसी उच्चता और ऐसी भयंता है जिसे मानना ही पड़ता है। फिर भी इसके और कष्ट-सहन

के लिए कष्ट उठाने के बीच में भेद करनेवाली बहुत पतली लकीर है, और इस प्रकार का कष्ट-सहन अक्सर दूषित और कुछ हद तक पतनकारी हो जाता है। अगर हिंसा अक्सर क्रूरतापूर्ण होती है तो कम-से-कम अपने नकारात्मक पहलुओं में अहिंसा सम्भवतः दूसरी तरफ अति पर पहुँच सकती है। इस बात की सम्भावना हमेशा रहती है कि अहिंसा को अपनी कायरता और अकर्मण्यता को छिपाने और स्थितिपालकता को कायम रखने का साधन बना लिया जाय।

हिन्दुस्तान में पिछले कुछ बरसों में, जबसे कि क्रान्तिकारी सामाजिक परिवर्तन की भावना ने जोर पकड़ा है, अक्सर यह कहा जाने लगा है कि इस प्रकार के परिवर्तन में हिंसा आवश्यक रूप से काम में लानी पड़ती है, इसलिए इन परिवर्तनों के लिए जोर नहीं दिया जा सका। श्रेणी-युद्ध का उन्नतक नहीं किया जाना चाहिए (फिर चाहे वह कितना ही ज्यादा क्यों न मौजूद हो), क्योंकि वह हमारे उस पूर्ण सहयोग और उस अहिंसात्मक प्रगति की भावना में, जो हमें अपने भावी लक्ष्य की ओर ले जानेवाली है, विघ्न डालता है। यह बहुत मुमकिन है कि सामाजिक मसलें का हल किसी-न-किसी मोर्के पर हिंसा के बिना न हो सके, क्योंकि यह तो निश्चय ही मालूम पड़ता है कि जिन वर्गों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं वे अपने प्राप्त अधिकारों को कायम रखने के लिए हिंसा से काम लेने में नहीं हिचकेगे। लेकिन सिद्धान्ततः अगर अहिंसात्मक तरीके से कोई बड़ा भारी राजनैतिक परिवर्तन कर सकना सम्भव है, तो इसी तरीके से क्रान्तिकारी सामाजिक परिवर्तन कर सकना उतना ही सम्भव क्यों नहीं होना चाहिए? अगर हम लोग अहिंसा के जरिये हिन्दुस्तान की राजनैतिक स्वतन्त्रता हासिल कर सकते हैं और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को निकाल सकते हैं, तो हम उसी तरीके से माण्डलिक राजाओं, जमींदारों और दूसरे सामाजिक मसलों को हल करके समाजवादी सरकार क्यों नहीं कायम कर सकते? प्रश्न इतना अधिक यह नहीं है कि यह सब कुछ अहिंसा के जरिये हो सकता है या नहीं। सवाल तो यह है कि या तो ये दोनों ही उद्देश अहिंसा के जरिये हासिल हो सकते हैं या फिर एक भी नहीं। सचमुच यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि अहिंसात्मक अस्त्र का प्रयोग मित्र विदेशी शासकों के ही खिलाफ किया जा सकता है। जाहिरा तौर पर तो किसी देश में उसके अपने देशी स्वार्थी समुदायों और अङ्गनीति ग्रहण करनेवालों के खिलाफ उसका प्रयोग करना ज्यादा आसान होना चाहिए, क्योंकि उनपर उसका मनोवैज्ञानिक असर बाहरवालों की बनिस्बत ज्यादा पड़ेगा।

हिन्दुस्तान में इन दिनों जो यह प्रवृत्ति चल गई है कि उद्देशों और नीतियों को महत्त्व इसलिए बुरा बता दिया जाय क्योंकि वे अहिंसा से टकराती हैं, मुझे ऐसी

मालूम होगी है मानों इन समस्याओं को समझने का जो सही तरीका है उसे छोड़कर दूसरी तरह देखा जाता है। पन्द्रह बरस पहले हमने अहिंसात्मक उपाय को इसलिए अस्वीकार किया था कि हमें यह विश्वास हो चला था कि उसके द्वारा हम सबसे अधिक वाञ्छित और कारगर तरीके से अपने लक्ष्य पर पहुँच जायेंगे। उस वक्त हमारा लक्ष्य अहिंसा से अलग था। वह न तो केवल अहिंसा का पुछल्ला ही था, न उसका परिणाम। उस वक्त कोई यह नहीं कह सकता था कि हमे आजादी या स्वतन्त्रता को अपना ध्येय तभी बनाना चाहिए जब वह अहिंसात्मक तरीकों से ही मिल सके। लेकिन अब हमारे ध्येय का फंसला अहिंसा की शर्तों से होता है, और अगर वह उनके मुताबिक ठीक नहीं बैठता तो नामंजूर कर दिया जाता है। इसलिए अहिंसा का ख्याल एक ऐसा जड़वाद बनता जा रहा है जिसके खिलाफ आप कुछ नहीं कह सकते। इस कारण आध्यात्मिक रूप में अब वह हमारी बृद्धि को अपील नहीं करता और श्रद्धा और धर्म के घोंसले में अपनी जगह ले रहा है। इतना ही नहीं, वह तो स्वार्थी समुदायों के लिए पक्का लगर बन रहा है और ये लोग मौजूदा स्थिति को ज्यो-का-त्यो बनाये रखने के लिए उससे नाजायज फायदा उठा रहे हैं।

यह दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि अहिंसात्मक प्रतिरोध के विचार और लड़ाई की अहिंसात्मक विधि, हिन्दुस्तान और बाकी की दुनिया के लिए, अत्यन्त लाभप्रद है और गांधीजी ने वर्तमान विचार-जगत् को इनपर शीर करने के लिए विवश करके बड़ी जबरदस्त सेवा की है। मेरा विश्वास है कि उनका भविष्य महान् है। यह हो सकता है कि मानव समुदाय अभी इतना आगे नहीं बढ़ पाया है कि वह उन्हें पूरी तरह अपना सके। ए० ई० की 'इंटरप्रेटर्स' नामक पुस्तक के एक पात्र का कहना है कि—“आप अन्धों को प्रकाश के लिए अपनी मशाल देते हैं, लेकिन उससे उन्हें क्या विशेष लाभ पहुँच सकता है?” सम्भव है कि आज वह आदर्श अधिक फली-भूत न हो सके, लेकिन सब महान् विचारों की तरह उसका प्रभाव बढ़ता रहेगा, और हमारे कार्य उससे अधिकाधिक प्रभावित होते रहेंगे। असहयोग, जिसका अर्थ है उस राज्य या समाज से जिसे हम बुरा समझते हैं अपना सहयोग हटा लेना, एक बहुत ही जबरदस्त और क्रान्तिकारी धारणा है। यदि उच्चकोटि के मुट्ठीभर लोग भी उसपर अमल करें तो उसका प्रभाव फैल जाता है और बढ़ता चला जाता है। सच्चा की बृद्धि से उसका बाहरी प्रभाव और अधिक दिखाई देने लगता है। लेकिन उस हालत में प्रवृत्ति यह होती है कि दूसरी बातें नैतिक सवाल को दबा लेती हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि उसके विस्तार से उसकी गहराई पर उसका असर पड़ता है। सामूहिक शक्ति धीरे-धीरे ब्यक्तिक शक्ति को पीछे धकेल देती है।

फिर भी विशुद्ध अहिंसा पर जो जोर दिया जाता है, उससे वह एक दूर की-सी तथा जीवन से एक भिन्न-सी वस्तु बन गई है और यह प्रवृत्ति हो चली है कि लोग या तो उसे अन्धे होकर धर्म की तरह मंजूर करलें या उसे बिलकुल नामंजूर कर दें। उसका बौद्धिक अंश पीछे जा छिपा है। १९२० में हिन्दुस्तान के आतंकवादियों पर उसका बहुत असर पड़ा था और जिससे बहुत-से उस दल से अलग हो गये और जो बने रहे, वे भी असमञ्जस में पड़ गये और अपने हिंसात्मक कार्यों को बन्द कर दिया, लेकिन अब उनपर इस अहिंसा का कोई ऐसा असर नहीं रहा है। काँग्रेसवादियों में भी बहुत-से ऐसे लोग, जिन्होंने असहयोग और सविनय-भंग के आन्दोलनों में महत्व-पूर्ण भाग लिया था और जिन्होंने अहिंसा का उसके सब व्यापक अर्थों में ईमानदारी से पालन करने का प्रयत्न किया था; अब वे काफ़िर समझे जाते हैं और कहा जाता है कि उन्हें काँग्रेस में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वे अहिंसा को न तो ध्येय के तौर पर और न धर्मरूप में मानने को तैयार हैं और न उस एकमात्र लक्ष्य को ही छोड़ने को तैयार हैं, जिसे प्राप्त करना वे अपना कर्तव्य समझते हैं, अर्थात् समाजवादी राज्य, जिसमें सबके लिए समान रूप से न्याय और सुविधायें होंगी। व्यवस्थित समाज जो तभी कायम हो सकता है, जब कि आजकल जो विशेष सुविधायें और संपत्ति सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हैं वे अधिकार समाप्त कर दिये जायें। निस्सन्देह गांधीजी आज भी वही जिन्दा हस्ती बने हुए हैं, जिनकी अहिंसा सजीव और उग्ररूप की है और कोई नहीं कह सकता कि वह कब देश को एक बार फिर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर देंगे। अपनी तमाम महत्ता और परस्पर विरोधी बातों और जनता को विलक्षण रूप से प्रभावित करने की शक्ति के कारण वह साधारण स्टैण्डर्ड से ऊँचे हैं। जैसे हम दूसरों को नापते-तौलते हैं, वैसे उनका नाप-तौल नहीं हो सकता। लेकिन बहुत-से, जो उनके अनुयायी होने का दावा करते हैं, निकम्मे शान्तिवादी या टालस्टाय टाइप के अप्रतिरोधी या किसी संकुचित सम्प्रदाय के सदस्य बन जाते हैं, जिनका कि जीवन और वास्तविकता से कोई सम्पर्क नहीं होता। और ये लोग अपने आस-पास ऐसे बहुत से लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं जिनका स्वार्थ इसीमें है कि वर्तमान व्यवस्था कायम रहे और जो इसी मतलब से अहिंसा की शरण लेते हैं। इस तरह अहिंसा में समय-साधकता घुस पड़ती है और हम प्रयत्न तो करते हैं विरोधी के हृदय परिवर्तन का, लेकिन अहिंसा को सुरक्षित रखने की धुन में हम स्वयं परिवर्तित हो जाते हैं, और विरोधी की लाइन में आ जाते हैं। जब जोश ठंडा हो जाता है और हम कमजोर पड़ जाते हैं, तब हमेशा थोड़ी सी पीछे की तरफ हट जाने और समझौता करने की प्रवृत्ति हो जाती है और इसे बड़े फ़्लय के साथ अपने विरोधी को जीतने की कला के नाम से पुकारा जाता

हैं। कभी-कभी तो इसकी प्राप्ति के लिए हम अपने पुराने साथियों तक को खो देते हैं। हम उनकी आदतों की, उनके भाषणों की, जो हमारे नये दोस्तों को चिढ़ाते हैं, निन्दा करते हैं और उनपर हमारी एकता भंग करने का इलजाम लगाते हैं। सामाजिक व्यवस्था में वास्तविक परिवर्तन किये जाने पर जोर देने के बजाय हम मौजूदा समाज में दया और उदारता पर जोर देते हैं और स्वार्थी समुदाय वैसे-के-वैसे ही बने रहते हैं।

मेरा विश्वास है कि साधनों की महत्ता पर जोर देकर गांधीजी ने हमारी बड़ी सेवा की है। फिर भी मैं इस बात को विश्वास के साथ महसूस करता हूँ कि अन्तिम जोर तो लाजिमी और ज़रूरी तौर पर हमारे सामने जो ध्येय या मकसद हो उसीपर देना चाहिए। जबतक हम ऐसा नहीं करते, तबतक हम इधर-उधर घूमने और इधर-उधर के मामूली सवालियों पर अपनी ताकत बरबाद करते रहने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन साधनों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि उनके नैतिक पक्ष के अलावा उससे बिल्कुल अलग उनका एक व्यावहारिक पक्ष भी है। हीन और अनैतिक साधन अक्सर हमारे लक्ष्य को ही विफल कर देते हैं या ज़बर्दस्त नई-नई समस्याएँ खड़ी कर देते हैं। और, आखिरकार, किसी आदमी के बारे में कोई सही निर्णय हम, उसके उद्घोषित लक्ष्य से नहीं कर सकते; बल्कि उन साधनों से ही करते हैं जिन्हें कि वह व्यवहार में लाता है। ऐसे साधनों के अवलम्बन से, जिनसे कि व्यर्थ की लड़ाई पैदा हो और धृणा की वृद्धि हो, लक्ष्य की प्राप्ति और भी अधिक दूर हो जाती है। सच बात तो यह है कि साधन और साध्य का एक दूसरे से इतना नजदीकी सम्बन्ध है कि उनको अलग-अलग करना बहुत मुश्किल है। अतः निश्चय रूप से साधन ऐसे होने चाहिए, जिनसे धृणा या झगड़े यथासम्भव कम हो जाय या सीमित हो जाय, (क्योंकि उनका होना तो अनिवार्य-सा है) और सद्भावनाओं को प्रोत्साहन मिले। वस्तुतः प्रश्न किसी विशिष्ट साधन का उतना नहीं होता, जितना कि वह हेतु, उद्देश्य और स्वभाव का बन जाता है। गांधीजी ने इसी बुनियादी भावना पर जोर दिया है और अगर वह मानव-स्वभाव को किसी उल्लेखयोग्य सीमा तक बदलने में कामयाब नहीं हुए हैं तो उनको एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय हलचल पर, जिसमें लाखों ने हिस्सा लिया, इसकी छाप बिठाने में आश्चर्यजनक कामयाबी हुई है। कड़े नैतिक अनुशासन पर उन्होंने जो जोर दिया वह भी बहुत ज़रूरी था, हालांकि उन्होंने उस वैयक्तिक अनुशासन के जो स्टैंडर्ड कायम किये हैं वे शायद बहस-तलब हैं। वह वैयक्तिक पापों और कमजोरियों को तो बहुत ज्यादा महत्त्व देते हैं और सामाजिक पापों को बहुत कम। इस अनुशासन की आवश्यकता तो स्पष्ट है, क्योंकि मुसीबतों का रास्ता छोड़कर

शक्ति और अधिकार के स्थान पर पहुँचे हुए विशेष अधिकारप्राप्त समूह में मिलने के प्रलोभन ने बहुत-से काँग्रेसवादियों को काँग्रेस से बाहर खींच लिया है। क्योंकि किसी भी नामी काँग्रेसवादी के लिए उस सुविधापूर्ण स्थान के द्वार तो सदा खुले ही रहते हैं।

आजकल सारी दुनिया कई तरह के संकटों से ग्रस्त है। लेकिन इनमें सबसे बड़ा संकट आध्यात्मिक संकट है। यह बात पूर्व के देशों में खासतौर पर दिखाई देती है, क्योंकि हाल में दूमरी जगहों की अपेक्षा एशिया में बहुत जल्दी-जल्दी परिवर्तन हुए हैं और सामञ्जस्य स्थापित करने की क्रिया बड़ी कष्ट-प्रद है। राजनैतिक समस्या, जो कि आज इतना महत्त्व पा गई है, शायद सबसे कम महत्त्व की चीज है। हालांकि हमारे लिए तो यह प्रधान समस्या है और इसके पहले कि हम असली मसलों में लगें, उसका संतोषप्रद हल हो जाना जरूरी है। पिछले बहुत-से युगों से हम लोग एक अपरिवर्तनीय मूल सामाजिक व्यवस्था के आदी हो गये हैं। हममें से बहुतों का प्रब भी यह विश्वास है कि सिर्फ यही आधार समाज के लिए सम्भव और ठीक आधार है, और नैतिक दृष्टि से हम उसे ठीक मान लेते हैं। लेकिन भूत-काल से वर्तमान को मिलाने की हम जितनी कोशिशें करते हैं वे सब बेकार हो जाती हैं, जो कि अवश्यम्भावी ही है। अमेरिकन अर्थशास्त्री वेबेन ने लिखा है कि—“अन्त में अधिक सदाचार आधिक आवश्यकताओं का अनुकरण करता है।” आजकल की ज़रूरतें हमें इस बात के लिए मजबूर करेगी कि हम उनके मुताबिक सदाचार की एक नई व्याख्या बनावें। अगर हम लोग इस आध्यात्मिक संकट में से निकल भागने का कोई रास्ता ढूँढना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम आजकल की सच्ची आध्यात्मिक उपयोगिताओं को महसूस कर लें तो हमें निर्भीकता से और साहस के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और किसी भी धार्मिक आदेश की शरण लेने से काम नहीं चलेगा। धर्म जो कुछ कहता है वह भला भी हो सकता है और बुरा भी। लेकिन जिस तरीके से वह उसे कहता है और यह चाहता है कि हम उसपर विश्वास कर लें, उससे किसी बात को बुद्धिपूर्वक समझ लेने में हमें कतई कुछ मदद नहीं मिलती। जैसा कि फ्रूड ने कहा है कि धर्म के आदेश—“विश्वास किये जाने योग्य है इसलिए कि हमारे पूर्व पुरुष उनपर विश्वास करते थे; दूसरे इसलिए कि हमारे पास उनके लिए प्रमाण मौजूद हैं, जो हमें उसी पुराने जमाने से विरासत में मिलते आये हैं; और तीसरे इसलिए, कि उनकी सच्चाई के बारे में सबाल उठाना मना है।”^१

अगर हम अहिंसा पर उसके सब व्यापक भावों सहित निर्भ्रान्त धार्मिक-दृष्टि से विचार करें तो बहस के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती है। उस हालत में तो वह

१. The Future of an Illusion.

एक सम्प्रदाय का संकुचित ध्येय हो जाता है, जिसे लोग मानें या न मानें। उसकी सजीवता जाती रहती है और उसमें मौजूदा मसलों को हल करने की क्षमता नहीं रहती। लेकिन अगर हम लोग मौजूदा हालातों के सिलसिले में उसपर बहस करने को तैयार रहें तो वह हमें इस दुनिया के नवनिर्माण के हमारे प्रयत्नों में बहुत मदद दे सकता है। ऐसा करते समय हमें साधारण व्यक्ति की कमजोरियों और उसके स्वभाव का ध्यान रखना चाहिए। विस्तृत प्रमाण में सामूहिक रूप से और खासकर कायापलट और क्रान्तिकारी परिवर्तनों के लिए किये जानेवाले किसी भी प्रयत्न पर केवल इसी बात का असर नहीं पड़ता कि नेता लोग उसके सम्बन्ध में क्या सोचते हैं, बल्कि मौजूदा अबस्थाओं का और इससे भी अधिक मानव प्राणी उसके साथ काम करते हैं वे उसके सम्बन्ध में क्या सोचते हैं, इसका भी प्रभाव पड़ता है।

दुनिया की तवारीख में हिंसा का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। आज भी वह बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ले रही है और गालिवन आगे भी बहुत वक्त तक वह अपना काम करती रहेगी। पिछले जमाने में जो परिवर्तन हुए, उनमें से ज्यादातर हिंसा और बलप्रयोग से ही हुए। एक मर्तबा डब्ल्यू० ई० ग्लैडस्टन ने कहा था कि—“मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि अगर राजनैतिक संकट के समय इस मुल्क के लोगों को हिंसा से नफ़रत, व्यवस्था से प्रेम और धीरज से काम लेने की हिदायतों के अलावा और हिदायतें न जारी की गई होती, तो इस मुल्क में लोगों को जो आजादियाँ हैं वे उन्हें कभी प्राप्त न हो पाती।”

पिछले जमाने की, और आजकल भी, हिंसा की अहमियत की उपेक्षा करना नामुमकिन है। उसकी उपेक्षा करना ज़िन्दगी की उपेक्षा करना है। फिर भी बिला शक हिंसा एक बुरी चीज़ है और वह अपने पीछे दुष्ट परिणामों की एक लम्बी लीक छोड़ जाती है। और हिंसा से भी ज्यादा बुरी घृणा, क्रूरता, बदला और सज़ा की वे प्रवृत्तियाँ हैं जो अक्सर हिंसा के साथ चलती हैं। सच बात तो यह है कि हिंसा स्वतः बुरी नहीं बल्कि वह इन्हीं प्रवृत्तियों की वजह से बुरी है जो उसके साथ-साथ चलती हैं। इन प्रवृत्तियों के बिना भी हिंसा हो सकती है। वह तो बुरे उद्देश्य के लिए भी हो सकती है और अच्छे के लिए भी। लेकिन हिंसा को इन प्रवृत्तियों से अलग करना बहुत मुश्किल है, और इसलिए यह वांछनीय है कि जहाँ तक मूमकिन हो हिंसा से बचा जाय। फिर भी उससे बचने में हम यह नकारात्मक रुख अस्वियार नहीं कर सकते कि उससे बचने की धुन में दूसरी व उससे कहीं ज्यादा बड़ी बुराइयों के सामने सर झुका दें। हिंसा के सामने दब जाना या हिंसा की नींव पर टिके हुए किसी अन्यायपूर्ण शासन को मंज़ूर कर लेना अहिंसा की स्पिरिट के बिलकुल खिलाफ़ है।

अहिंसा का तरीका तो तभी ठीक कहा जा सकता है जब वह सजीव हो और इतनी सामर्थ्य रखता हो कि ऐसे शासन या ऐसी सामाजिक व्यवस्था को बदल डाले ।

अहिंसा यह कर सकती है या नहीं, यह मैं नहीं जानता । मेरा खयाल है कि वह हमें बहुत दूर तक ले जा सकती है, लेकिन इस बात में मुझे शक है कि वह हमें अन्तिम ध्येय तक ले जा सकती है । हर हालत में किसी-न-किसी किस्मका बल-प्रयोग तो लाजिमी मालूम पड़ता है, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में ताकत और खास अधिकार होते हैं वे उन्हें उस वक्त नहीं छोड़ते जबतक ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर दिया जाता, या जबतक ऐसी सूरतें न पैदा करदी जायँ जिनमें उनके लिए इन खास हकों का रखना उन्हें छोड़ने से ज्यादा नुकसानदेह न हो जाय । समाज के मौजूदा राष्ट्रीय और वर्गीय संघर्ष बगैर बल-प्रयोग के कभी नहीं मिट सकते । निस्सन्देह हमें बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के हृदय बदलने पड़ेंगे, क्योंकि जबतक बहुत बड़ी तादाद हमारे हमखयाल न होगी, तबतक सामाजिक परिवर्तन के आन्दोलन का कोई वास्तविक आधार कायम नहीं हो सकेगा । लेकिन कुछ पर बल-प्रयोग करना ही पड़ेगा । हमारे लिए यह ठीक नहीं है कि हम इन बुनियादी लड़ाइयों पर परदा डालें और यह दिखलाने की कोशिश करे कि वे हैं ही नहीं । ऐसा करने से न सिर्फ सच्चाई का ही दमन होता है, बल्कि इसका सीधा परिणाम यह होता है कि यह लोगों को वास्तविक स्थिति से गुमराह करके मौजूदा व्यवस्था को मजबूत बनाता है और शासक-वर्ग को वह नैतिक आधार मिल जाता है, जिसकी, अपने विशेष अधिकारों को उचित ठहराने के लिए वे हमेशा, तलाश में रहते हैं । किसी भी अन्याययुक्त पद्धति का मुक्ताबिला करने के लिए यह लाजिमी है कि जिन गलत उपपत्तियों पर वह टिकी हुई है उनका रहस्योद्घाटन करके नग्न सत्य सामने रख दिया जाय । असहयोग की एक खूबी यह भी है कि वह इन गलत उपपत्तियों और झूठी बातों को मानने और आगे बढ़ाने में सहयोग देने से इन्कार करके उनका रहस्योद्घाटन कर देता है ।

हमारा अन्तिम ध्येय तो यही हो सकता है कि समान न्याय और समान सुविधा युक्त एक वर्ग-रहित समाज हो, ऐसा समाज जिसका निर्माण मानव-समाज को भौतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ऊँचा उठाने और उसमें सहयोग, निस्वार्थपरायण सेवा-भाव, सत्यनिष्ठा, सद्भाव और प्रेम के आध्यात्मिक गुणों की वृद्धि करने के सुनिश्चित आधार पर हुआ हो और अन्त में एक ऐसी संसारव्यापी व्यवस्था हो जाय । जो कोई इस लक्ष्य के रास्ते में रोड़ा बनकर आवेगा उसे हटाना होगा । हो सके तो नम्रता से अन्यथा बलपूर्वक; और इस बात में बहुत कम शक है कि अक्सर बलप्रयोग की जरूरत पड़ेगी । लेकिन अगर उसका प्रयोग करना ही पड़े तो वह घृणा और क्रूरता

की भावना से नहीं, बल्कि एक रुकावट को दूर करने की निर्विकार इच्छा से। ऐसा करना मुश्किल होगा, लेकिन यह काम भी तो आसान नहीं है, कोई सीधा रास्ता भी नहीं है और गड़बड़ों की कोई गिनती नहीं। हमारे सिर्फ उपेक्षा कर देने से ही ये दिक्कतें और गड़बड़े दूर नहीं हो जायेंगे, बल्कि उनका असली रूप जानकर और साहस के साथ उनका मुकाबिला करके उन्हें हटाना होगा। यह सब बातें काल्पनिक और सुख स्वप्न सी मालूम होती हैं और अधिकतर यह सम्भव नहीं है कि बहुत-से लोग इन उच्च भावनाओं से प्रेरित होंगे। लेकिन हम उन्हें अती नज़र के सामने रख सकते हैं और उनपर जोर दे सकते हैं और यह हो सकता है कि इसके फल-स्वरूप हममें से बहुतों में जो घृणा और दूररे विकार भरे हुए हैं वे कम हो जायें।

साधन हमें इस लक्ष्य तक पहुँचानेवाले और इन भावनाओं पर अवलंबित होने चाहिए। लेकिन हमें यह बात ज़रूर महसूस कर लेनी चाहिए कि मानव-स्वभाव जैसा है उसे देखते हुए आम लोग हमारी अपीलों पर और दलीलों पर हमेशा ध्यान नहीं देंगे और न ऊँचे नैतिक उद्देश्यों के मुताबिक काम ही करेंगे। हृदय-परिवर्तन के अलावा बल-प्रयोग की अक्सर उनपर ज़रूरत पड़ती रहेगी और सबसे अधिक हम जो कुछ कह सकते हैं वह यही है कि उसको सीमित कर दें, और उसको इस प्रकार से काम में लावे कि उसकी बुराई कम हो जाय।

फिर देहरादून जेल

त्र्यलीपुर-जेल में मेरी तन्दुष्स्ती ठीक नहीं रहती थी। मेरा वजन बहुत घट चुका था, और कलकत्ते की हवा और दिन-दिन बढ़ती हुई गर्मी मुझे परेशान कर रही थी। अफ़वाहें थी, कि मुझे किसी अच्छी आबोहवावाली जगह में भेजा जायगा। ७ मई को मुझसे अपना सामान समेटने और जेल से बाहर चलने को कहा गया। मैं देहरादून-जेल में भेजा जा रहा था। कुछ महीनों की तनहाई के बाद शाम को ठण्डी-ठण्डी हवा में कलकत्ता के बीच होकर गुज़रना बड़ा खुशगवार मालूम होता था और हावड़ा के आलीशान स्टेशन पर लोगों की भीड़ भी भली मालूम होती थी।

मुझे अपने इस तबादले पर खुशी थी और मैं उम्मीद-भरी नज़रों से देहरादून और उसके आस-पास के पहाड़ों की तरफ देखता था। लेकिन वहाँ पहुँचने पर देखा कि, नौ महीने पहले, नैनी जाते समय जैसा मैंने उसे छोड़ा था, वह सब हालत अब नहीं रही है। मैं अब एक नये स्थान पर रखा गया, जो मवेशियों के रहने की जगह को साफ और ठीक करके नियत किया गया था।

कोठरी की शकल में वह कुछ बुरी नहीं थी। उसके साथ एक छोटा-सा बरामदा भी था। उसीसे लगा हुआ करीब पचास फीट लम्बा सहन था। देहरादून में पहली बार मुझे जो पुरानी कोठरी मिली थी, उससे यह अच्छी थी। लेकिन शीघ्र ही मुझे मालूम हुआ कि दूसरी तब्दीलियाँ कुछ बेहतरी के लिए न थीं। घरे की दीवार, जो दस फीट ऊँची थी, खासकर मेरी गरज से उसी वक्त चार या पाँच फीट और बँढ़ा दी गई थी। इससे पहाड़ियों के जिस नबारे की मैं इतनी उम्मीद कर रहा था, वह बिलकुल छिप गया था, और मैं सिर्फ़ कुछ दरख्तों के सिरे ही देख पाता था। मैं इस जेल में करीबन तीन महीने से ज्यादा रहा; लेकिन मुझे कभी पहाड़ों की झलक तक दिखाई नहीं दी। पहली बार की तरह, इस बार मुझे बाहर जेल के दरवाजे के सामने घूमने की इजाज़त न थी। मेरा छोटा-सा सहन ही वजिश या कसरत के लिए काफ़ी बड़ा समझा गया था।

ये तथा दूसरी नई बन्दिशें नाउम्मीदी पैदा करनेवाली थी, जिससे कि मैं खिन्न गया। मैं अनमना हो गया और अपने सहन में जो थोड़ी-बहुत वजिश कर सकता था, उस तक के करने को तबीयत न रही। शायद ही मैंने कभी अपने को इतना अकेला और दुनिया में जुदा महसूस किया हो। तनहाई कँद का मेरी तबियत पर खराब

असर होने लगा, और मेरी जिस्मानी और दिमागी हालत गिर गई। मैं जानता था कि बीवार के दूसरी तरफ कुछ फ्रीट की दूरी पर वायुमण्डल में ताज़गी और खुशबू भरी है, घास और मिट्टी में मिलकर ठण्डी-ठण्डी सुगन्ध फैल रही है और हरे-हरे वृक्षों के बीच में दूर-दूर तक रास्ते बने हुए हैं। लेकिन ये सब मेरी पहुँच के बाहर थे और बारबार उन्ही दीवारों को देखते-देखते मेरी आँखें पथरा जाती थीं। वहाँ पर जेल की मामूली चहल-पहल तक न थी, क्योंकि मैं सबसे अलग और अकेला रक्खा गया था।

छः हफ्ते बाद मूसलाधार बारिश हुई; पहले हफ्ते में बारह इञ्च पानी बरसा। हवा बदली और नवजीवन का सञ्चार हुआ; गर्मी कम हुई और शरीर हल्का हुआ और आराम-सा मानूस होने लगा। लेकिन आँखों या दिमाग को कुछ आराम न मिला। जेल के वार्ड के आने-जाने के लिए जब कभी मेरे सहन का लोहे का दर्वाज़ा खुलता था, तो एक क्षण के लिए बाहरी दुनिया की झलक चमचमाते हुए हरे-भरे खेत और रंग-बिरंगे वृक्ष, जिन पर मेह की बूँदें मोती की तरह चमकती थीं, बिजली के कौध की भांति अकस्मात् दिखाई देकर तत्काल लुप्त हो जाती थी। दर्वाज़ा शायद ही कभी पूरा खुलता हो। मिपाहियों को साफ तौर पर हिदायत थी कि अगर मैं कहीं नज़दीक होऊँ तो वह न खोला जाय, और वे जब-कभी खोलते भी थे, तो बस ज़रा-ही हरियाली और ताज़गी की ये धाँड़ी-धाँड़ी झाँकियाँ अब मुझे अच्छी नहीं लगती थी, इन्हें देखकर मुझे घर की याद हो आती थी और दिल में एक दर्द-सा उठता था; इसीलिए जब कभी दर्वाज़ा खुलता तो मैं बाहर की तरफ नहीं देखता था।

लेकिन यह सब परेशानी असल में जेल की ही वजह से नहीं थी। यह तो बाहरी घटनाओं का असर था। मुझे सताने के लिए एक तरफ तो कमला की बीमारी थी और दूसरी तरफ मेरी राजनैतिक चिन्तायें। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था कि कमला को उसकी पुरानी बीमारी ने फिर आ दबाया है और ऐसी दशा में मैं उसकी कोई भी सेवा न कर सकने में मजबूरी और लाचारी महसूस कर रहा था। मैं जानता था कि मैं कमला के पास होता तो अवस्था बहुत कुछ बदल जाती।

अलीपुर में तो यह बात न थी; पर देहरादून जेल में मुझे रोज़ाना अखबार मिलने लगा और मुझे बाहर के राजनैतिक और दूसरे हालात मालूम होने लगे। पटना में आल इण्डिया काँग्रेस कमिटी की करीब तीन बरस बाद बैठक हुई (इस दरमियान में तो वह करीब-करीब गैरकानूनी ही रही।) इसकी कार्रवाई पढ़कर तबीयत मुझाँ-सी गई। मुझे आश्चर्य हुआ कि देश और दुनिया में इतना कुछ हो जाने के बाद जब यह पहली बैठक हुई तो परिस्थिति की छानबीन करने, पूरी चर्चा करने और पुराने दरों में से निकलने की कुछ कोशिश नहीं की गई। दूर से ऐसा जान पड़ा,

मानों गांधीजी, अपने पुराने एकतन्त्री रूप में खड़े कह रहे हैं "अगर मेरे बताये रास्ते पर चलना चाहते हो, तो मेरी शर्तें कबूल करो।" उनकी माँग बिलकुल स्वाभाविक थी। क्योंकि यह तो हो नहीं सकता था कि उन्हें रक्खा भी जाय और काम भी उनसे उनके गहरे विश्वासों के विरुद्ध लिया जाय। मगर ऐसा ज़रूर लगा कि ऊपर से लादने की वृत्ति ज्यादा थी और आपस में चर्चा करके किसी नीति को निश्चित करने की कम। यह विचित्र बात है कि एक तरफ तो गांधीजी लोगों के दिल और दिमाग पर क़ब्ज़ा कर लेते हैं और फिर उन्हींकी लाचारी की शिकायत करते हैं। मे समझता हूँ, जनता ने जितनी वफ़ादारी और भक्ति के सामूहिक रूप में उनका साथ दिया है, उतना बहुत कम लोगों का दिया है। ऐसी हालत में जनता को यह दोष देना न्यायोचित नहीं मालूम होता कि उससे जो बड़ी-बड़ी आग़ायें बाँधली गई थी वे पूरी नहीं हुई। पटना की बैठक में गांधीजी अन्त तक ठहरे तक नहीं, क्योंकि उन्हें हरिजन-प्रवास जारी रखना था। उन्होंने आल इण्डिया काँग्रेस कमिटी से फालतू बातों में न पड़कर काम-से-काम रखने और वकिंग कमिटी के रखे हुए प्रस्तावों को जल्दी-से निपटाने के लिए कहा और फिर चले गये।

शायद यह सच है कि लम्बे वाद-विवाद से भी कोई और अच्छा नतीजा निकलता। सदस्यों के विचारों में इतना गड़बड़ी और स्पष्टता की कमी थी कि नुक़ताचीनी करने को तो बहुत लोग तैयार थे, लेकिन रचनात्मक परामर्श शायद ही किसी ने दिया हो। उस वक़्त की परिस्थिति में यह था तो स्वाभाविक, क्योंकि लड़ाई का भार अलग-अलग प्रान्तों से आये हुए इन्ही नेताओं पर आ पड़ा था, और वे ज़रा थके हुए और परेशान से थे। उन्हें कुछ ऐसा तो लगा कि अब लड़ाई बन्द करनी पड़ेगी, मगर यह न सूझा कि आगे क्या किया जाय। उस समय दो स्पष्ट दल बन गये। जिनसे एक तो कौंसिलों द्वारा केवल वैधानिक आन्दोलन के पक्ष में था और दूसरा कुछ अनिश्चित समाजवादो विचारों के प्रवाह में बहने लगा। लेकिन ज्यादातर मेम्बर दोनों में से किसी एक पक्ष के भी समर्थक नहीं थे। उन्हें यह भी पसन्द न था कि पीछे हटकर फिर कौंसिलों की शरण ली जाय और साथ ही समाजवाद से कुछ डर भी लगता था कि कहीं इस नई चीज़ से आपस में फूट पैदा हो जाय। उनके कोई रचनात्मक विचार न थे और उनकी एकमात्र आशा और सहारा गांधीजी थे। पहले की तरह इस बार भी उन्होंने गांधीजी की तरफ़ देखा और जैसा उन्होंने कहा किया। यह बात दूसरी है कि बहुतों को गांधीजी की बात पूरी तरह पसन्द न थी। गांधीजी के सहारे से नरम वैधानिक विचार के लोगों का कमिटी और काँग्रेस दोनों में बोलबाला हो गया।

यह सब तो होना ही था। मगर जितना मैंने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस पीछे हट गई। पिछले पन्द्रह साल में, जब से असहयोग का जंग हुआ, कांग्रेस के नेताओं ने कभी इतनी परले बिरे की वैध ढंग की बातें नहीं की थीं। पिछली स्वराज-पार्टी, हालांकि वह खुद भी प्रतिक्रिया का ही एक रूप थी, इस नये दल की विचार धारा को देखते हुए कहीं आगे बढ़ी हुई थी। और स्वराज्य पार्टी में जैसे बड़े और प्रभावशाली व्यक्ति थे वैसे इसमें हैं भी नहीं, इसमें बहुत से लोग तो ऐसे थे, जो जबतक जोखिम रहा, आन्दोलन से जान-बूझकर अलग रहे और अब कांग्रेस में घड़ाघड़ शामिल होकर बड़े आदमी बन गये।

सरकार ने कांग्रेस पर से बन्दिशें उठाली और वह कानूनी संस्था बन गई। लेकिन इसकी बहुत-सी सहायक संस्थायें फिर भी गैर कानूनी बनी रहीं—जैसे, कांग्रेस का स्वयंसेवक विभाग—सेवादल और कई स्वतन्त्र किसान सभायें, शिक्षण-संस्थायें, और नौजवान-सभायें। जिनमें एक बच्चों की संस्था भी थी। खास तौर पर खुदाई खिद्यमतगार या सरहद्दी लाल कुर्नीवाले फिर भी गैरकानूनी बने रहे। यह संस्था १९३१ में कांग्रेस की बाक्रायदा शाखा बनकर सरहद्दी सूत्र में उसकी तरफ से काम करती थी। इस तरह हालांकि कांग्रेस ने अपनी हलचल का सीधोलड़ाई वाला हिस्सा पूरी तरह मुलतवी कर दिया था और वैध ढंग इस्लियार कर लिया था, फिर भी सरकार ने सत्याग्रह के लिए जो खास कानून बनाये थे, वह सब-के-सब कायम रखे और कांग्रेस संस्था के ज़रूरी हिस्सों पर पाबन्दियाँ जारी रखी। किसानों और मजदूरों की संस्थाओं को दबाने की तरफ भी खास ध्यान दिया गया। और मज्जेदार बात तो यह है कि साथ-ही-साथ बड़े-बड़े सरकारी अफसर घूम-घूमकर जमींदारों और ताल्लुकदारों को सगठित करने लगे। जमींदारों की इन संस्थाओं को हर तरह की सहूलियतें दी गईं। युक्तरान्त को इन संस्थाओं में से बड़ी-बड़ी दो का चन्दा लगान के साथ सरकारी आदमियों ने इकट्ठा किया।

मेरा खयाल है कि मैंने हिन्दू या मुस्लिम साम्प्रदायिक संस्थाओं के साथ कभी रियायत नहीं की है। लेकिन एक घटना ने हिन्दू-सभा के लिए मेरे मन में खास तौर पर कटुता पैदा कर दी। इसके एक मन्त्री ने खामखाह लाल कुर्नीवालो पर लगाई गई बन्दिशों की हिमायत करके सरकार की पीठ ठोक दी। एक तो मामूली नागरिक अधिकारों का छीना जाना, और फिर भी वह ऐसे वक्त में जब कोई लड़ाई नहीं थी, ऐसी कार्रवाई के समर्थन से मैं दग रह गया। सिद्धान्त का सवाल छोड़ भी दें, तो भी यह सबको मालूम था कि लड़ाई के दिनों में, इन सरहद्दी लोगों का बर्ताव विलक्षण रहा, और उनके नेता खान अब्दुलग़फ़फ़ारखा, जो देश में ऊँचे दरजे के बहादुर

और ईमानदार आदमी हैं, और जो बगैर मुकदमा चलाये नज़रबन्द कर दिये गये थे, अभीतक जेल में थे। मुझे ऐसा लगा कि इससे ज्यादा साम्प्रदायिक द्वेष और क्या हो सकता है। मुझे उम्मीद थी कि हिन्दू महासभा के बड़े नेता इस मामले में अपने साथी की फ़ौरन तरदीद करदेंगे। लेकिन जहाँतक मुझे मालूम है, उनमें से किसीने एक शब्द भी न कहा। हिन्दू महासभा के मन्त्री के इस वक्तव्य से मुझे बड़ी अशान्ति हुई।

वह वक्तव्य वैसे ही बुरा था, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दिया कि देश में एक नई स्थिति पैदा हो जाने का पेशखीमा हो। गर्मी के दिन थे और तीसरे पहर का वक्त। मेरी आँखें झपक गईं। याद पड़ता है कि एक अजीब-सा सपना देखा। अब्दुलगफ्फारखां पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं और मैं उन्हें बचाने के लिए लड़ रहा हूँ। थकान से चूर और भारी वेदना से व्यथित होकर जागा तो क्या देखता हूँ कि तकिया आंसुओं से तर है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि जागृत अवस्था में तो कभी मुझ पर ऐसी भावुकता सवार नहीं हुआ करती।

उन दिनों मेरा चित्त सचमुच ही ठिकाने न था। नीद ठीक नहीं आती थी। यह मेरे लिए नई बात थी। मुझे तरह-तरह के बुरे सपने भी आने लगे थे। कभी-कभी नीद में चित्ला उठता था। एक बार तो मेरा यह चित्लाना मामूली से ज्यादा जोर का हो गया। जब मैं चौककर उठा, तो बिस्तर के पास जेल के दो सिपाहियों को खड़ा पाया। उन्हें मेरे शोर से चिन्ता हो गई थी। सपना मुझे यह आया था कि कोई मेरा गला घोट रहा है।

इसी अर्स में काँग्रेस वकिंग कमेटी के एक प्रस्ताव का भी मेरे दिल पर तकलीफ-देह असर हुआ। यह कहा गया था कि “निजी सम्पत्ति की जब्ती और वर्गयुद्ध के संबंध में होनेवाली गैरजिम्मेदाराना चर्चा को मद्दे नज़र रखकर” यह प्रस्ताव पास हुआ है, और आगे चलकर इसके जरिये काँग्रेसवालों को यह बताया गया था कि कराची काँग्रेस के प्रस्ताव में “न तो किसी माकूल वजह या मुआविजे के बिना निजी सम्पत्ति की जब्ती का खयाल रक्खा गया है, न वह वर्गयुद्ध की हिमायत ही करता है।” वकिंग-कमिटी की यह भी राय है कि सम्पत्ति की जब्ती और वर्गयुद्ध काँग्रेस के अहिंसा के सिद्धान्त के खिलाफ़ है।” इस प्रस्ताव की भाषा अनुचित थी, जिससे एक हदतक यह जाहिर होता था कि इसके बनानेवाले यह जानते ही नहीं कि वर्गयुद्ध क्या चीज़ है। इस प्रस्ताव द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नये काँग्रेस ससाजवादी दल पर हमला किया गया था। असल में, इस दल के किसी भी जिम्मेदार शख्स की तरफ से जब्ती की कभी कोई बात नहीं कही गई थी; हाँ, मौजूदा परिस्थितियों में जो वर्गयुद्ध मौजूद है, कभी-कभी उसका जिक्र कर दिया जाता था। वकिंग कमिटी के इस प्रस्ताव में यह

इशारा पाया जाता है कि कोई भी ऐसा शख्स जो इस तरह वर्गयुद्ध की इस वजूदगी में यकीन रखता हो काँग्रेस का मामूली मेम्बर तक नहीं बन सकता। किसी ने काँग्रेस के समाजवादी हो जाने या निजी सम्पत्ति के विरुद्ध होने की कभी कोई शिकायत नहीं की थी। कुछ मेम्बर यह राय रखते थे, लेकिन अब यह जाहिर हो गया कि इस राष्ट्रीय संस्था में जहाँ सबके लिए जगह है, समाजवादियों के लिए कोई जगह नहीं।

अक्सर यह कहा गया है कि काँग्रेस राष्ट्र की प्रतिनिधि है—यानी, राजा से लेकर रंक तक सभी किस्म के लोग इसमें शामिल हैं। राष्ट्रीय आन्दोलनों का बहुधा यह दावा हुआ ही करता है। इसका मतलब शायद यह है कि ये आन्दोलन राष्ट्र के बहुत बड़े बहुमत के प्रतिनिधि होते हैं और उनकी नीति सभी किस्म के लोगों की भलाई की होती है। लेकिन जाहिर है कि यह दावा तो किया ही नहीं जा सकता। कोई राजनैतिक संस्था विरोधी-हितों की प्रतिनिधि नहीं हो सकती। क्योंकि ऐसा करने से न केवल वह कमजोर और बे-मानी संस्था हो जायगी, बल्कि उसका अपना कोई विशेष चिन्ह और स्वरूप भी कायम न रह सकेगा। काँग्रेस या तो एक ऐसा राजनैतिक दल है, जिसका कोई एक निश्चित (या अनिश्चित) उद्देश है और राजनैतिक सत्ता हासिल करने और राष्ट्र की भलाई के लिए उसका उपयोग करने के लिए उसकी अपनी एक खास विचारधारा है; या वह एक ऐसी परोपकारिणी और दया-धर्म-प्रचारिणी संस्था है, जिसके अपने कोई विचार नहीं हैं, बल्कि वह सबका भला चाहती है। यह तो उन्हीं लोगों की नुमाइन्दा बन सकती है जो उस उद्देश और सिद्धान्त के साथ आम तौर पर सहमत हों और जो उसके विरोधी हैं उन्हें राष्ट्र-विरोधी या समाज-विरोधी और प्रतिगामी समझकर उनके असर को रोके या मिटाये ताकि काँग्रेस अपने सिद्धान्तों पर अमल कर सके। यह सही है कि साम्राज्य-विरोधी राष्ट्रीय आन्दोलन में अधिक लोगों के सहमत होने की गुंजाइश रहती है, क्योंकि उसका सामाजिक संघर्ष से कोई संबंध नहीं होता। इस तरह काँग्रेस किसी-न-किसी मात्रा में भारतवासियों के भारी बहुमत की प्रतिनिधि थोड़े-बहुत रूप में जरूर रही है और सब तरह के विरोधी दल के लोग भी इसमें शामिल रहे हैं। ये लोग एकमत सिर्फ इस बात पर रहे कि साम्राज्यवाद का विरोध करना चाहिए। लेकिन इस मामले पर जोर देने का जुदा-जुदा लोगों का जुदा-जुदा ढंग था। साम्राज्यवाद के विरोध के इस मूल प्रश्न पर जिन लोगों की राय बिलकुल खिलाफ रही, वे लोग काँग्रेस से निकल गये और किसी-न-किसी शकल में ब्रिटिश सरकार के साथ मिल गये। इस तरह काँग्रेस एक तरह की स्थायी सर्वदल काँग्रेस बन गई, जिसमें एक-दूसरे से मिलते-जुलते कई दल रहे जो एक विश्वास और गांधीजी की जबरदस्त हस्ती से बंधे रहे।

आगे चलकर वकिंग कमिटी ने वर्गयुद्ध-सम्बन्धी अपने प्रस्ताव का अर्थ समझाने की कोशिश की। इस प्रस्ताव का महत्व उसकी भाषा या मजबूत में उतना न था, जितना कि इससे कि उससे कांग्रेस की बदली हुई विचार-धारा का एक बार फिर परिचय मिलता था। साफ है कि यह प्रस्ताव कांग्रेस के नये पार्लियामेण्टरी दल की प्रेरणा से पास हुआ था। यह दल आनेवाले अमेम्बली के चुनाव में जायदादवाले लोगों की सहायता प्राप्त करना चाहता था। इस दल के (या, इन लोगों के प्रभाव से) कांग्रेस का दृष्टिकोण अधिकाधिक नरम होना जरूरी था और वह मुल्क के नरम और पुगने खयाल के लोगो को मिलाने की कोशिश कर रही थी। जिन लोगो ने पहले कांग्रेस की हलचलों का विरोध किया था और स-याग्रह के जमाने में भी सरकार का साथ दिया था, उन लोगो के प्रति भी चापलूसीभरे शब्द कहे जाने लगे। यह भी महसूस किया गया कि शोर मचाने और नुकनाचीनी करनेवाला विरोधी पक्ष (कांग्रेस के गरम विचारवाले लोग) इस मेल-मिलाप और मत-परिवर्तन के काम में बाधक बन रहा था। वकिंग कमिटी के प्रस्ताव और दूसरे व्यक्तिगत भाषणों से यह प्रकट था कि कांग्रेस की कार्यकारिणी गरमदलवालों के काटने-खसूटने पर भी अपना नया रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं थी। यह भी जाहिर होता था कि अगर गरम दल का रुख न बदला तो उसे दबोचकर कांग्रेस से ही निकाल बाहर कर दिया जायगा। कांग्रेस के पार्लियामेण्टरी बोर्ड ने जो ऐलान निकाला उसमें ऐसा नरम और फूँक-फूँककर कदम रखने का कार्यक्रम बताया गया, जैसा पिछले पन्द्रह साल में कांग्रेस ने कभी अस्तित्कार नहीं किया था।

गांधीजी के अलावा भी कांग्रेस के नेताओं में कई ऐसे मशहूर लोग थे, जिनकी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के आन्दोलन में बड़ी बेशकीमती सेवाएँ रही हैं और जिनकी सच्चाई और निर्भयता के कारण देशभर में बड़ी इज्जत की जाती है। लेकिन इस नई नीति की वजह से कांग्रेस के दूसरी श्रेणी के ही नहीं, चोटी के नेताओं में भी बहुत-से ऐसे थे, जिन्हें आदर्शवादी नहीं कहा जा सकता था। कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ताओं में अलबत्ता बहुत-से आदर्शवादी थे, लेकिन इस समय सम्मान लोलुपों और समय-साधकों के लिए दर्वाजा जितना ज्यादा खुल गया था, उतना शायद ही पहले कभी खुला हो। गांधीजी के रहस्यमय और भ्रमात्मक व्यक्तित्व के सिवा, जिसने कि सारी नुमाइश पर अपना प्रभाव जमा रक्खा था, कांग्रेस के यह दो शत्रु थे—एक तो वह जो सर्वथा राजनैतिक था और संगठित दल का रूप अस्तित्कार कर रहा था, और दूसरा था धर्मनिष्ठा और भावुकता से पूर्ण प्रार्थना-सभाओं का।

सरकार की तरफ विजय का वातावरण स्पष्ट रूप से प्रकट था। उसका विचार

था कि वह जीत उस नीति की सफलता के कारण है जिसका प्रयोग करके उसने सत्याग्रह और उस के आन्दोलन की शाखाओं को दबा दिया था। ऑपरेशन तो सफलतापूर्वक हो ही गया था। फिर उस समय यह वयों चिन्ता होने लग कि मरीज जियेगा या मरेगा। हालांकि उस वक्त काँग्रेस किसी हद तक दवादी गई थी, फिर भी सरकार अपनी दमन नीति को, कुछ मामूली सी तबदीलियों के साथ, वैसा ही जारी रखना चाहती थी। वह जानती थी कि जबतक असन्तोष का आधारभूत कारण मौजूद है, तबतक राष्ट्रीय नीति में इस प्रकार के परिवर्तन क्षणिक या आरजी ही हो सकते हैं, और इसलिए अपनी नीति में ज़रा भी ढिलाई करने से आन्दोलन की गति कही उल्टी अधिक तेज़ रफ्तार न पकड़ले। वह शायद यह भी समझती थी कि काँग्रेस अथवा मजदूर या किसान वर्ग में से अधिक गरम विचारवालों को दवाने की अपनी नीति जारी रखने में काँग्रेस के विशेष नेताओं की बहुत अधिक नाराज़ी की कोई आशंका नहीं है।

देहरादून-जेल में मेरे विचारों का प्रवाह किमी हदतक इसी प्रकार का था। परिस्थिति के सम्पर्क में न होने के कारण वास्तव में घटनाक्रम के सम्बन्ध में अपना निश्चित मत बनाने की स्थिति में न था। अलीपुर में तो मैं परिस्थिति से बिल्कुल ही अपरिचित था, देहरादून में मुझे सरकार की पसन्द के अखबार के ज़रिये अधूरी और कभी-कभी बिल्कुल एकतरफ़ा खबरें मिलने लगी थी। अपने बाहर के साथियों के सम्पर्क में आने और परिस्थिति के निकट अध्ययन से मेरे विचारों में किसी हदतक परिवर्तन होना बहुत मुमकिन था।

वर्तमान परिस्थिति से परेशान होकर मैं भूतकाल की बातों का, जब से मैंने सार्वजनिक कार्यों में कुछ भाग लेना शुरू किया तब से हिन्दुस्तान में गुजरी हुई राजनैतिक घटनाओं का खयाल करने लगा। हमने जो कुछ किया, उसमें हम किस हदतक सही रास्ते पर थे? किस हदतक गलती पर थे? उसी समय मुझे यह सूझा कि मैं अपने विचारों को अगर क्रागज़ पर लिखता जाऊँ तो वह अधिक व्यवस्थित और उपयोगी होंगे। इससे मुझे अपने दिमाग को एक निश्चित काम में लगाये रखने से उसे और इस तरह चिन्ता और परेशानी से दूर रखने में भी सहायता मिलेगी। इस तरह जून सन् १९३४ में देहरादून-जेल में मैंने अपनी यह 'कहानी' लिखना शुरू की और आठ महीने तक, जबतक इसकी घुन सवार रही, लिखता रहा। अक्सर ऐसे मौकों आये जब मुझे लिखने की इच्छा न हुई, तीन बार ऐसा हुआ कि महीने-महीने भर तक मैं न लिख सका। लेकिन मैंने इसे जारी रखने की कोशिश की, और अब मैं इस व्यक्तिगत यात्रा की समाप्ति के निकट पहुँच चुका हूँ। इसका अधिकांश

एक अजीब परेशानी की हालत में लिखा गया है, जब कि मैं उदासी और मानसिक चिन्ताओं से दबा हुआ था। शायद इसकी थोड़ी-सी झलक, जो कुछ मैंने लिखा, उसमें आ गई है, लेकिन इस लिखने ने ही मुझे वर्तमान चिन्ताओं को भुलाने अपना गम कम करने में बड़ी सहायता दी। जब मैं इसे लिख रहा था, मुझे बाहर के श्रोताओं का बिलकुल खयाल न था; मैं अपने-आपको संबोधन करता था, और प्रश्न बनाकर उसके उत्तर देता था। कभी-कभी तो उससे मेरा कुछ मनोरञ्जन भी हो जाता था। यथा-सम्भव मैं बिना किसी लाग-लपेट के सीधा सोचना चाहता था, और मुझे खयाल था कि शायद भूतकाल का यह सिंहावलोकन मुझे इस काम में सहायक होगा।

आखिरी जुलाई के करीब कमला की हालत बड़ी तेजी से बिगड़ने लगी और कुछ ही दिनों में वह नाजुक हो गई। ११ अगस्त को मुझसे यकायक देहरादून-जेल छोड़ने को कहा गया और उस रात को मैं पुलिस की निगरानी में इलाहाबाद भेज दिया गया। दूसरे दिन शाम को हम इलाहाबाद के प्रयाग स्टेशन पर पहुँचे और वहाँ मुझ से जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं आरजी तौर पर रिहा किया जा रहा हूँ कि जिससे मैं अपनी बीमार पत्नी को देख सकूँ। यह मेरी गिरफ्तारी से एक दिन कम छठा महीना था।

ग्यारह दिन

“स्वयं काटकर जीर्ण म्यान को फँक-फाँक देती तलवार,
इसी तरह चोला अपना यह रख देता है जीव उत्तार।”^१

मेरी रिहाई आरजी थी। मुझे बता दिया गया था कि मेरी रिहाई एक या दो दिन के लिए, या जब तक डॉक्टर बिलकुल जरूरी समझे तबतक के लिए है। अनिश्चितता से भरी हुई यह एक अजीब स्थिति थी, और मेरे लिए कुछ निश्चित कर सकना सम्भव न था। एक निश्चित अवधि होती तो मैं जान सकता था, कि मेरी क्या स्थिति है और मैं अपने आपको उमके अनुकूल बनाने की कोशिश करता। मौजूदा हालत जैसी थी, उसमें तो मैं किसी भी जेल को वापिस भेज दिया जा सकता था।

परिवर्तन आकस्मिक था और मैं उसके लिए ज़रा भी तैयार न था। कैद की तनहाई से मैं एकदम डॉक्टरों, नर्सों और रिश्तेदारों से भरे हुए घर पर पहुँचाया गया। मेरी लड़की इन्दिरा भी शान्तिनिकेतन से आ गई थी। मुझसे मिलने और कमला की हालत दर्शाए करने के लिए बहुत-से मित्र बराबर आते जा रहे थे। रहन-सहन का ढँग भी बिलकुल जुदा था, घर के सब आराम थे, और अच्छा खाना था। वह सब कुछ होते हुए भी कमला की खतरनाक हालत की चिन्ता परेशान कर रही थी। मैंने उसे बहुत दुबली और निहायत कमजोर हालत में पड़े देखा। उसका ढाँचा भर रहा था, जो बड़ी कमजोरी से अपनी बीमारी से लोहा ले रहा था। और यह खयाल कि शायद वह मुझे छोड़ जायगी असह्य वेदना देने लगा। इस समय हमारी शादी को साढ़े अठारह साल हुए थे। मेरा दिमाग उस दिन और उसके बाद के इन सब पिछले बरसों में जो कुछ गुज़रा उसकी तरफ घूमने लगा। शादी के वक्त मैं छब्बीस साल का था और वह करीब सत्रह बरस की, दुनियावी तौर-तरीकों से सर्वथा अलिप्त निरी अबोध बालिका थी। हमारी उम्र में काफ़ी अन्तर था, और उससे भी अधिक अन्तर हमारे मानसिक दृष्टि-बिन्दु में था, क्योंकि उसकी बनिस्बत मेरी उम्र कहीं ज्यादा थी। संजीदगी के इन सब अलामात के बावजूद भी मुझमें बड़ा लडकपन था, और मैंने शायद ही कभी यह महसूस किया हो कि इस सुकुमार और भावुक लड़की

१. बायरन का मूल अंग्रेज़ी पद्य इस प्रकार है—

“For the Sword outwears its sheath,
And the soul wears out the breast.”

का मस्तिष्क फूल की तरह धीरे-धीरे विकसित हो रहा है और उसे सहृदयता और ह्योग्यारी के साथ सहारा देने की आवश्यकता है । हम दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे थे और काफी अच्छी तरह हिल-मिल गये, लेकिन हमारा दृष्टि-पथ जुदा-जुदा था और एक दूसरे में अनुकूलता का अभाव था । इस विपरीतता के कारण कभी-कभी आपस में संघर्ष तक की नौबत आ जाती थी; और कई बार छोटी-मोटी बातों पर बच्चों के से छोटे-मोटे झगड़े भी हो जाया करते थे, जो ज्यादा देर तक न टिकते थे, और तुरन्त ही मेल मिलाप-होकर समाप्त हो जाते थे । दोनों का स्वभाव तेज था, दोनों ही तुनकमिजाज थे, और दोनों में ही अपनी शान रखने की बच्चों की-सी जिद थी । इतने पर भी हमारा प्रेम बढ़ता गया, हालांकि परस्पर अनुकूलता का अभाव धीरे-धीरे कम हुआ, हमारी शादी के इक्कीस महीने बाद हमारी लड़की और एकमात्र सन्तान इन्दिरा पैदा हुई ।

हमारी शादी के बिलकुल साथ-ही-साथ देश की राजनीति में अनेक नई घटनाएँ हुईं और उनमें मेरी सलग्नता बढ़ती गई । वे होमरूल के दिन थे । उनके पीछे फौरन ही पंजाब के मार्शल लॉ और असहयोग का जमाना आया और मैं सांवांजनिक कामों के आंधी-तूफान में अधिकाधिक फँसता ही गया । इन आन्दोलनों में मेरी तल्लीनता इतनी बढ़ गई थी कि ठीक उस समय, जब कि उसे मेरे पूरे सहयोग की आवश्यकता थी, मैंने अनजान में उसे बिलकुल नजर अन्दाज कर, उसे अपने खुदके भरोसे पर छोड़ दिया । उसके प्रति मेरा स्नेह बराबर बना रहा, बल्कि बढ़ा भी और यह जानकर बड़ी तसल्ली हुई कि वह अपने शान्तिप्रद प्रभाव के साथ इसमें मेरी सहायक है । उसने मुझे बल दिया । लेकिन साथ ही उसकी तन्दुहस्ती पर भी असर पड़ा होगा और उसने अपने प्रति कुछ लापरवाही को भी महसूस किया होगा । इस तरह उसे भूला-सा रहने और कभी-कदास ही उसकी सुध लेने के बजाय उसपर मेरी अकृपा रही होती, तो भी किसी क्रूर अच्छा ही था ।

उसके बाद उमको बीमारी का दौरा शुरू हुआ और जेल-निवास के कारण मेरी लम्बी गैरहाजिरी रहने लगी, जिससे हम केवल जेल की मुलाकात के समय ही मिल सकते थे । स-याप्रह-अ-न्दोलन ने उसे हमारे प्रथम श्रेणी के योद्धाओं के बीच ला खड़ा किया, और जब वह खुद जेल गई तो इसकी उसे बड़ी खुशी हुई । हम सदा एक दूसरे के ओर भी निकट आते गये । कभी-कभी होनेवाली ये मुलाकातें बेशक्रीमती होती गईं; हम उनकी बाट जोहते रहते थे और बीच के दिन गिनते रहते थे । हम आपस में एक दूसरे से उकताते न थे और हमारी बातें नीरस नहीं हुआ करती थीं क्योंकि हमारी मुलाकातों और अल्पकालिक सम्मिलनों में हमेशा कुछ-न-कुछ ताजगी

और नकीनता बनी रहती थी। हम दोनों में से हरेक बराबर एक दूसरे में नई-नई बातें पाते रहते थे, हालाँकि कभी-कभी ये बातें शायद हमारी पसन्द की न होती थीं। हमारी बढती हुई उम्र के इन मतभेदों में भी लड़कपन की मात्रा रहती।

हमारे वैवाहिक जीवन के अठारह बरस बाद भी उसकी सूरत पर कीमार्थ अभी तक वंसा ही बना हुआ था, स्त्रियोचित संजीदगी का कोई चिन्ह न था। इतने असे पहले वह जैसी दुल्हन बनकर हमारे घर में आई थी, अब भी बिलकुल वैसी ही मालूम होती थी। लेकिन मैं बहुत बदल गया था; और हालाँकि अपनी उम्र के मुताबिक मैं काफी योग्य, क्रियाशील और चुस्त था—और कुछ लोगो का कहना था कि अब भी मुझमें लड़कपन की कई सफितें मौजूद हैं, फिर भी मेरा चेहरा मेरे साथ धोखा करता है। मेरे मिर के आधे बाल उड़ गये थे और जो बाकी थे वे पक गये थे, पेशानी पर सिलवटें, चेहरे पर झुरियाँ और आँखों के चारों तरफ काली झाई पड़ गई थी। पिछले चार वर्षों की मूसोबते और परेशानियाँ मुझपर अपने बहुत-से निशान छोड़ गई थी। इन पिछले बरसों में मैं और कमला जब कभी किसी नई जगह जाते, तो मैं यह देखकर हैरान हो जाता था, कि अक्सर कमला को मेरी लड़की समझ लिया जाता। वह और इन्दिरा सगी बहनें सी दिखाई देती थी।

वैवाहिक जीवन के अठारह बरस ! लेकिन इनमें से कितने साल मैंने जेल की कोठरियों में, और कमला ने अस्पतालों और सेनिटोरियम में बिताये ? और फिर इस समय भी मैं जेल की सजा भुगत रहा था और वह बीमार पड़ी हुई जीवन के लिए सभर्ष कर रही थी। अपना तन्दुरुस्ती के बारे में उसकी ला-परवाही पर कुछ झुंझुलाहट सी आई। लेकिन फिर भी मैं उसे दोष किस तरह दे सकता था, क्योंकि उसकी तेज तबियत अपनी अक्रियशीलता और राष्ट्रीय युद्ध में पूरा हिस्सा लेने में अपना लाचारी के कारण उसे छटपटाती रहती थी। शरीर ऐसा करने में समर्थ न होने के कारण न तो वह ठीक तरह से काम ही कर सकती थी, न ठीक तौर पर अपना इलाज ही करा सकती थी। नतीजा यह हुआ कि अन्दर-ही अन्दर सुलगती रहनेवाली आग ने उसके शरीर को बरबाद कर दिया।

सबमुच ही, इस समय, जब कि मुझे उसकी सब से अधिक आवश्यकता है, वह मुझे छोड़ तो न जायगी ? क्यों, इसलिए कि हम दोनों ने एक दूसरे को ठीक तरह से पहचानना और समझना अभी-अभी शुरू ही किया है। हम दोनों ने एक दूसरे पर बहुत भरोसा किया था, हम दोनों को एकसाथ रहकर बहुत काम करना था।

प्रतिदिन और प्रतिघण्टे उसकी हालत देख-देखकर मेरे दिल में इस तरह के खयाल उठते रहते थे।

साथी और मित्र मुझसे मिलने आये। अभी तक जो कुछ हो चुका था, और जिससे कि मैं चाकिफ्र नहीं था, उसके मुतल्लिक उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने वर्तमान राजनैतिक समस्याओं के बारे में मुझसे चर्चा की और प्रश्न पूछे। मुझे उन्हें जवाब देना मुश्किल मालूम हुआ। कमला की बीमारी का खयाल दिमाग से दूर होना आसान न था, और तनहाई और जेल की जुदाई के कारण मैं इस स्थिति में नहीं था कि इन सब प्रश्नों का जवाब यकायक दे सकता। अपने लम्बे तजुबों ने मुझे यह सिखाया है कि जेल में मिली हुई मुस्तसिर-सी जानकारी से स्थिति का ठीक-ठीक अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। अच्छी तरह सोचने-समझने के लिए व्यक्तिगत सम्पर्क जरूरी था, उसके बग़ैर राय जाहिर करना सर्वथा शाब्दिक-सा और असलीयत से दूर होता। इसके साथ ही मुझे गांधीजी और कांग्रेस वर्किंग कमिटी के अपने पुराने साथियों के साथ सब बातों पर चर्चा करने से पहले कांग्रेस की नीति के सम्बन्ध में कुछ निश्चित राय जाहिर करना, उनके प्रति अन्याय करना मालूम हुआ। जो कुछ हो चुका था, उसपर मेरे दिमाग में काफ़ी आलोचना भरी हुई थी; लेकिन मैं कोई निश्चित सूचना देने के लिए तैयार न था। उस समय जेल से बाहर आने का कोई खयाल न होने के कारण उस दशा में मैंने सोचा ही न था।

इसके साथ ही एक खयाल यह भी था कि, सरकार ने मुझे अपनी पत्नी के पास आने देने की जो शिष्टता दिखाई है, उसको ध्यान में रखते हुए मेरे लिए यह मुनासिब न होगा कि इस मौके का मैं राजनैतिक बातों के लिए उपयोग करूँ। हालांकि ऐसे कामों से दूर रहने की मैंने कोई शर्त या वादा नहीं किया था, फिर भी इस खयाल का मुझ पर बराबर असर होता रहा।

सिवा झूठी अफवाहों के खग्डन के मैंने किसी भी सार्वजनिक वक्तव्य का देना टलाया। प्राइवेट बातचीत में मैंने किमी निश्चित नीति का समर्थन नहीं किया, लेकिन पुरानी घटनाओं की आलोचना काफ़ी खुलकर की। कांग्रेस-समाजवादी दल उन्हीं दिनों अस्तित्व में आया था, और मेरे बहुत-से गहरे साथी उसमें शरीक थे। जहाँ तक मैंने उसे समझा, उसकी साधारण नीति मुझे पसन्द थी, लेकिन वह एक अजीब और खिचड़ी-सी जमात मालूम हुई, और अगर मैं बिलकुल आज़ाद होता, तो भी यकायक उसमें शरीक न होता। स्थानीय राजनैतिक झगड़ों ने भी मेरा कुछ समय लिया, क्योंकि कुछ दूसरी जगहों की तरह इलाहाबाद में भी स्थानीय कांग्रेस कमिटियों के चुनाव के समय असाधारण रूप से जहरीला प्रचार हुआ था। इनमें सिद्धान्त की कोई बात न थी, ये बिलकुल कुछ व्यक्तियों के अपने खानगी प्रश्न थे। मुझसे कहा गया कि इस तरह पैदा हुए कुछ व्यक्तिगत झगड़ों को निबटाने में मैं मदद करूँ।

इन झगड़ों में पड़ने की मेरी जरूरत भी इच्छा न थी, न मेरे पास समय ही था। इसके बावजूद कुछ वाक्यांत मेरे सामने आये और उनसे मुझे बड़ा दुःख हुआ। यह एक ताज्जुब की बात थी कि स्थानीय कांग्रेस के चुनाव पर लोगवाग इतने अधिक उत्तेजित हो उठें! इनमें सबसे अधिक प्रमुख व्यक्ति वही थे, जो अनेक निजी कारणों से सत्याग्रह के समय कांग्रेस से अलग हो गये थे। सत्याग्रह के बन्द हो जाने के साथ ही वे कारण प्रभावहीन हो गये, और ये लोग यकायक मैदान में निकल आये और एक-दूसरे के खिलाफ भयंकर और अक्सर कमीना तक प्रचार करने लगे। यह एक असाधारण बात थी कि किस तरह दूसरे दल को गिराने के जोश में शिष्टता के साधारण नियमों तक को भुला दिया गया था। खासकर मुझे इस बात का बहुत ही रंज हुआ कि कमला के नाम और उसकी बीमारी तक का इन स्थानीय चुनावों के खातिर दुरुपयोग किया गया।

जिन व्यापक प्रश्नों पर चर्चा हुई, उनमें कांग्रेस का असेम्बली के आने-वाले चुनाव में अपनी ओर से उम्मेदवार खड़ेकर चुनाव लड़ने का निर्णय भी था। नौजवान दल में से बहुतों ने इस निर्णय का विरोध किया था, क्योंकि उनके खयाल में यह उसी पुराने वैधानिक और समझौते के रास्ते पर वापस लाटना था, लेकिन उन्होंने इसके बदले और कोई कारणर रास्ता नहीं सुझाया। यह एक अजीब-सी बात थी कि इनमें के कुछ विरोधी ऊँचे-ऊँचे सिद्धान्तों के आधार पर कांग्रेस के अलावा दूसरी संस्थाओं द्वारा चुनाव लड़ने के खिलाफ न थे। उनका मकसद यही मालूम होता था कि साम्प्रदायिक संस्थाओं के लिए मैदान माफ छोड़ दिया जाय।

इन स्थानीय झगड़ों और तेजी से बढ़ते हुए ऐसे राजनैतिक दाव-पेचों से मुझे नफरत हो गई। मैंने देखा कि मेरा उनसे मेल नहीं बैठता है और अपने ही शहर इलाहाबाद में मैं अपनेको अजनबी-सा महसूस करने लगा। ऐसे में अपनेको उस वातावरण के अनुकूल न पाकर मैं हँसान था। ऐसे वातावरण में जब इन जैसे मामलों पर ध्यान देने का समय आता तो मैं क्या कर सकता था।

मैंने कमला की हालत के बारे में गांधीजी को लिखा। क्योंकि मेरा खयाल था कि मैं जल्दी ही वापस जेल में चला जाऊँगा, और सम्भव है कि अपने दिल की बात जाहिर करने का फिर दूसरा मौका न मिले, इसलिए मेरे दिमाग में जो बातें घूम रही थीं उनकी भी कुछ झलक उन्हें देदी। हाल की घटनाओं ने मुझे बहुत अधिक सन्तप्त और परेशान कर दिया था, और मेरे पत्र में उसकी एक हलकी-सी छाप थी। मैंने यह सूचित करने की कोशिश नहीं की थी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैंने जो कुछ भी किया वह तो इधर की घटनाओं से मेरे दिल पर जो कुछ भी

प्रतिक्रिया हुई थी उमका खुलासा भर था। वह पत्र क्या था, सर्वथा सचे हुए जोश का उबाल था, और बाद में मुझे मालूम हुआ कि गांधीजी को उससे बहुत दुःख पहुँचा।

दिन-पर-दिन निकलते जाते थे, और मैं जेल की तलबी या सरकार से किसी दूसरी इत्तिला मिलने का इत्तजार करता रहता था। समय-समय पर मुझे यह कहा जाता रहा कि आगे के लिए कल या परसों हिंदायत जारी होनेवाली है। इस बीच डॉक्टरों को यह हिंदायत हो गई थी कि वे सरकार को कमला की हालत की रोजाना इत्तिला देते रहें। मेरे आने के बाद से कमला की हालत कुछ सुधर गई थी।

यह आम विश्वास था, यहाँतक कि जो लोग साधारणतया सरकार के विश्वासपात्र होने के कारण उसकी बातों की जानकारी रखते हैं उनका भी यह खयाल था, कि मैं पूरी तरह रिहा कर दिया गया होता, अगर आगे होनेवाली दो बातों—अवनूबर में बम्बई में होनेवाले काँग्रेस के अधिवेशन और नवम्बर में होनेवाले असेम्बली के चुनाव—का सरकार को ध्यान न होता। जेल से बाहर रहने पर सम्भव है कि मैं इन कार्यों में बाधा डालनेवाला होऊँ, इसलिए यह मुमकिन मालूम होता था कि मैं अगले तीन महीने के लिए वापस जेल भेज दिया जाऊँगा और उसके बाद छोड़ दिया जाऊँगा। मेरे जेल वापस न भेजे जाने की भी सम्भावना थी और जैसे-जैसे दिन निकलते जाते थे, यह सम्भावना बढ़ती जाती थी। मैंने करीब-करीब जम जाने का निश्चय किया।

२३ अगस्त का दिन मेरे छुटकारे का ग्यारहवाँ दिन था। पुलिस की मोटर आई, पुलिस अफसर मेरे पास पहुँचा और मुझसे कहा कि मेरी अवधि समाप्त हो गई और मुझे उसके साथ नैनी जेल के लिए रवाना होना होगा। मैंने अपने मित्रों से बिदाई ली। जैसे ही मैं पुलिस की मोटर में बैठ रहा था, मेरी बीमार मा बाहें फैलाये हुए फिर दौड़ी हुई आई। उसकी वह सूरत एक असंतक रह-रहकर मेरी नज़रों में घूमती रही।

फिर जेल में

झाया का मार्ग स्वतः निर्बाध है, पर धूप का स्वभाव ही ऐसा है कि उसकी विविध रंग बिरंगी भाँकियाँ हो जाती हैं। इसी प्रकार दुःख छल्ल से भिन्न वस्तु है; छल्ल का क्षेत्र असंख्य दुःखों की वेदनाओं और क्षतिओं से घिरा रहता है।

राजतरंगिणी

मैं फिर नैनी जेल के अन्दर दाखिल हो गया। मुझे ऐसा जान पड़ने लगा, जैसे मैं एक नई सजा की मियाद शुरू कर रहा हूँ। कभी जेल के भीतर, कभी जेल के बाहर; मैं एक खिलौना-सा बना हुआ था! जीवन में इस प्रकार के अस्थिर परिवर्तन भावना-तन्त्रों को हिला डालते हैं, और अपने आपको नये परिवर्तनों के अनुकूल कर लेना इतना सहज काम नहीं होता। मैं आशा कर रहा था कि इस बार भी मुझे नैनी की उसी पुरानी कोठरी में रक्खा जायगा, जिसमें मैं अपनी पिछली लम्बी सजा काट चुका था। वहाँ थोड़े से फूल के पेड़ थे, जिन्हें मेरे बहनोई रणजीत पण्डित ने शुरू में लगाया था, और एक बरामदा भी था। लेकिन नम्बर ६ की उस पुरानी बँरक में एक नज़रबन्द, सरकारी कैदी को, जिस पर न तो कोई मुकदमा चलाया गया था, न कोई सजा दी गई थी, रख दिया गया था। यह उचित नहीं समझा गया कि मैं उसके सम्पर्क में आऊँ, इसलिए मुझे जेल के दूसरे हिस्से में रक्खा गया, जो और भी अधिक अन्दर की तरफ था, और जिसमें फूल या हरियाली कुछ भी नहीं थे।

लेकिन मुझे अपने इस स्थान की इतनी चिन्ता नहीं थी; मेरा मन तो दूसरे स्थान पर था। मुझे डर था कि कमला की हालत में जो थोड़ा-सा सुधार हुआ है, वह मेरे दुबारा गिरफ्तार होने के समाचार से रुक जायगा। और हुआ भी ऐसा ही। कुछ दिनों तक ऐसी व्यवस्था रही कि कमला की हालत के बारे में मुझे हररोज डाक्टर का एक मुक्तसिर-सा बुलेटिन मिल जाया करता था। यह भी घूम-फिरकर मेरे पास पहुँचता था। डाक्टर टेलीफोन से पुलिस के सदर दफ्तर को सूचना देता, और पुलिस उसे जेलतक पहुँचा देती। डाक्टरों और जेल के कर्मचारियों में सीधा सम्बन्ध वांछनीय नहीं समझा गया। दो सप्ताह तक तो मुझे यह सूचना नियमित, और कभी-कभी अनियमित, रूप से मिलती रही, और उसके बाद रोक दी गई, हालाँकि कमला की हालत दिन-ब-दिन गिरती ही जा रही थी।

बुरे समाचारों और समाचारों की प्रतीक्षा ने दिनों को असहनीय लम्बा और

रातों को उनसे भी भीषण बना दिया। समय की गति मानो बिलकुल रुक गई हो या अत्यन्त सुस्ती से सरक रही हो; हरेक घण्टा भार और आतंक-सा जान पड़ता था। इतनी तीव्रता से इस तरह की भावना को मैंने कभी महसूस नहीं किया था। उस समय मेरी ऐसी धारणा थी कि दो-तीन महीने के अन्दर बम्बई-कॉंग्रेस के अधिवेशन के बाद ही, मेरे छूट जाने की सम्भावना थी; लेकिन वे दो महीने भी कभी न समाप्त होनेवाले दिखाई दे रहे थे।

मेरी दुबारा गिरफ्तारी के ठीक एक महीने बाद एक पुलिस अफसर मुझे मेरी पत्नी से थोड़ी-सी देर के लिए मुलाकात कराने ले गया। मुझसे कहा गया था कि मुझे इस तरह हफ्ते में दो बार उससे मिलने दिया जाया करेगा और उसके लिए समय भी निश्चित हो गया था। मैंने चौथे दिन प्रतीक्षा की—कोई मुझे लेने नहीं आया; इसी तरह पांचवा, छठा और सातवां दिन बीता; मैं इन्तज़ार करते-करते थक गया। मेरे पास समाचार पहुँचा कि उसकी हालत फिर चिन्ताजनक होती जा रही है। मैंने सोचा कि मुझसे सप्ताह में दो बार कमला से मिल सकने की बात कहना कंसा अजीब मजाक था।

सितम्बर का महीना भी किसी तरह खत्म हुआ। मेरी ज़िन्दगी में वे तीस दिन सबसे लम्बे और सबसे खराब थे।

कई व्यक्तियों के द्वारा मेरे पास तक यह सलाह पहुँचाई गई कि अगर मैं अपनी मियाद के बाकी दिनों के लिए राजनीति में भाग न लेने का आश्वासन—चाहे वह लिखित भले ही न हो—देदू तो मुझे कमला की तीमारदारी के लिए छोड़ा जा सकेगा। राजनीति उस समय मेरे विचारों से दूर की चीज़ थी, और बाहर जाकर ग्यारह दिनों में मैंने राजनीति की जो दशा देखी थी, उससे तो मुझे घृणा ही हो गई थी, पर आश्वासन की तों कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उसका अर्थ होता, अपनी प्रतिज्ञाओं, कार्य, साधियों और खुद अपने साथ विश्वासघात करना। परिणाम कुछ भी होता, यह तो एक असम्भव शर्त थी। ऐसा करने का अर्थ होता अपने अस्तित्व की जड़ों पर मर्माघात, और उन सब चीज़ों को, जो मेरी दृष्टि में पवित्र थीं, अपने हाथों कुचल डालना! मुझसे कहा गया कि कमला की हालत दिन-पर-दिन बिगड़ती जा रही है, और उसके निकट मेरी उपस्थिति से जीवन और मरण का अन्तर पड़ सकता है। तो मेरा व्यक्तिगत दम्भ या अहंकार क्या कमला के जीवन से बड़ी चीज़ थी? मेरे लिए यह एक भयंकर समस्या बन जाती, पर भाग्यवश, कम-से-कम इस रूप में, वह मेरे सामने उपस्थित नहीं हुई। मैं जानता था कि इस प्रकार के किसी भी आश्वासन को खुद कमला नापसन्द करती, और अगर मैं कोई ऐसा काम कर बैठता, तो उसे धक्का लगता और नुकसान भी हो जाता।

अक्टूबर के शुरू में मुझे फिर उससे भेंट करने के लिए ले गये। वह करीब-करीब ग्राफ़िल-सी पड़ी हुई थी; बुखार बहुत तेज़ था। मुझे अपने निकट रखने की उसकी इच्छा बड़ी तीव्र थी, पर जब मैं जेल लौट जाने के लिए उससे बिदा होकर चला, तो उसने साहसपूर्ण मुस्कराहट से मेरी ओर देखा और मुझे नीचे झुकने का इशारा किया। मैं जब उसके नज़दीक जाकर झुका, उसने मेरे कान में कहा, "सरकार को आश्वासन देने की भला यह क्या बात है ! ऐसा हर्गिज़ न करना।"

कुल ग्यारह दिन मैं जेल के बाहर था। हम लोगों ने इन दिनों निश्चय कर लिया था, कि कमला के स्वास्थ्य में थोड़ा-सा सुधार होने पर, उसे इलाज के लिए किसी अधिक उपयुक्त जगह पर भेज देंगे। तभीसे हम उसके कुछ अच्छा होने की इन्तज़ारी कर रहे थे, पर, उसके बजाय कमला की हालत दिन-दिन गिरती ही जा रही थी, और अब छः हफ्ते बाद तो, यह गिरावट बहुत साफ दिखने लगी थी। इन्तज़ार करते रहना इसलिए अब बेकार समझा गया, और यह निश्चय किया कि उसे ऐसी ही हालत में भुवाली की पहाड़ी पर भेज दिया जाय।

जिस दिन कमला भुवाली जानेवाली थी उसके एक दिन पहले मुझे उससे मिलने के लिए ले जाया गया। मैं सोच रहा था, अब फिर दुबारा कब इससे भेंट होगी, और भेंट होगी भी या नहीं ? पर, वह उस दिन प्रसन्न और कुछ स्वस्थ दिखाई दे रही थी; और इससे मुझे इतनी खुशी हुई कि कुछ पूछिए नहीं।

करीब तीन हफ्ते बाद, मुझे नैनी-जेल से अलमोड़ा डिस्ट्रिक्ट जेल में भेज दिया गया, जिससे मैं कमला के ज्यादा नज़दीक रह सकूँ। भुवाली रास्ते में ही पड़ता था—पुलिस के 'गारद' के साथ मैंने कुछ घण्टे वही बिताये। मुझे कमला की हालत में थोड़ा सुधार देखकर बड़ा अच्छा लगा और उससे बिदा लेकर मैं खुशी-खुशी, अपनी अलमोड़ा तक की यात्रा पूरी कर सका। सच तो यह है कि कमला तक पहुँचने के पहले ही पहाड़ों ने मुझे प्रफुल्लित कर दिया था।

मुझे वापस इन पहाड़ों में पहुँच जाने की खुशी थी। ज्यों-ज्यों हमारी मोटर चक्करदार सड़क पर तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही थी, सबेरे की ठण्डी हवा और धीरे-धीरे खुलता जानेवाला प्रकृति का सौंदर्य मुझे एक विचित्र हर्ष से भर रहा था। हम ऊपर-ऊपर चढ़ते जा रहे थे, घाटियाँ गहरी होती जा रही थी—पर्वत की चोटियाँ बादलों में छिपती जा रही थी। हरियाली भी रंग बदलती गई, और चारों ओर की पहाड़ियाँ देवदार की घटा से घिरी हुई दिखाई देने लगी। कभी सड़क की किसी मोड़ को पार करते ही, अचानक हमारे सामने पर्वत-श्रेणियों का एक नया विस्तार और कहीं घाटियों की गहराई में एक छोटी नदी कलकल करती हुई दिखाई देती।

उस दृश्य को देखते-देखते मेरा जी नहीं अघाता था; उसे पूरा ही पी जाने की प्रबल इच्छा हो रही थी। मैं अपने स्मृति-पात्र को उससे भर लेना चाहता था, जिससे, उस समय, जबकि सच्चा दृश्य देखना मुझे नसीब नहीं होता, उसीको मैं अपने मन में जगाकर आनन्द उठा लेता।

पहाड़ियों के कक्ष में छोटी-छोटी झोंपड़ियों के झुण्ड दिखाई देते थे, और उनके चारों ओर छोटे-छोटे खेत। जहाँ कहीं थोड़ा भी ढाल मिल गया, वहीं कड़ी मेहनत-मशक्कत करके खेत बना लिये। दूर से वे झरोखों या छज्जों के समान दिखाई देते थे, या ऐसा जान पड़ता था, मानो बड़ी-बड़ी सीढ़ियाँ हों जो घाटी के नीचे से पहाड़ी की चोटी तक सीधी क्रतारबन्द चली गई हों। इस बिखरी हुई जनसंख्या के लिए प्रकृति से थोड़े-से खाद्य-पदार्थ निकलवाने के लिए मनुष्य को कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ! इस लगातार परिश्रम के बाद भी कितनी कठिनाई से उनकी ज़रूरतें पूरी हो पाती हैं। इन छज्जेनुमा खेतों के कारण पहाड़ियों में एक तरह की बस्ती का-सा बोध होता था और उनके सामने बनस्पति-शून्य या जंगलों से लदी ढालू जमीन बड़ी विचित्र लगती थी।

दिन में यह सारा दृश्य बड़ा मनोहर दिखाई देता है, और ज्यों-ज्यों सूर्य आकाश में ऊँचा चढ़ता जाता है, उसकी बढ़ती हुई गरमी से पहाड़ों में एक नया जीवन दिखाई देने लगता है, और वे अपना अजनबीपन भूलकर हमारे मित्र और साथी-से मालूम होने लगते हैं। लेकिन दिन डूब जाने पर उनका सारा रूप कैसे बदल जाता है ! जब रात अपने लम्बे-चौड़े डग भरती हुई विश्व को अँकवार में भर लेती है, और उच्छृंखल प्रकृति को पूरी आजादी देकर जीवन अपने बचाव के लिए छिपने का मार्ग ढूँढता है, तब ये जीवन-शून्य पर्वत कैसे ठंडे और गम्भीर बन जाते हैं। चांदनी या तारों की रोशनी में पर्वतों की श्रेणियाँ रहस्यमयी, भयंकर, विराट, और फिर भी अपाथिव-सी आकृति ग्रहण कर लेती हैं, और घाटियों के बीच से वायु का चीत्कार सुनाई पड़ता है। गरीब मुसाफ़िर अपने अकेले मार्ग पर चलता हुआ काँप उठता है, और अपने चारों ओर विरोधी शक्तियों की उपस्थिति का अनुभव करता है। पवन की सनसनाहट भी मखौल-सा उड़ती और उपेक्षा-सी करती दिखाई देती है। कभी हवा बन्द भी हो जाती है, दूसरी किसी प्रकार की आवाज़ भी नहीं होती, और चारों ओर एक पूर्ण शान्ति होती है, जिसकी सघनता ही डरावनी लगने लगती है। केवल टेलीग्राफ़ के तार धीमे-धीमे गुन-गुनाते रहते हैं और तारे अधिक चमकदार और अधिक समीप दिखाई देने लगते हैं। पर्वत-श्रेणियाँ संजीदगी से एक ओर देखती रहती हैं और ऐसा जान पड़ता है जैसे कोई भयावना रहस्य उस ओर को घूर रहा है।

पास्कल के समान ही मनुष्य सोचता है, "मुझे अनन्त आकाश की इस अनन्त शान्ति से भय लगता है।" मैदानों में रात कभी इतनी नीरव नहीं होती; प्राणों का कम्पन वहाँ तब भी सुनाई देता रहता है, और कई किस्म के जानवरों और कीड़ों की आवाजें रात के सन्नाटे को चीरती रहती हैं।

लेकिन जब हम मोटर में बैठे अलमोड़ा जा रहे थे, रात अपनी सर्दों और वीरान सन्देश लिये हमसे—अब भी दूर थी। हमारी यात्रा का अन्त अब समीप ही आगया था। सड़क के मोड़ को पार करने और बादलों के एकसाथ हट जाने से मुझे एक नया दृश्य दिखाई दिया, कितना अचरज और खुशी हुई मुझे वह देखकर। बीच में आ जानेवाले जंगलों से लदे पहाड़ों के बहुत ऊपर बड़ी दूर पर, हिमालय की बर्फीली चोटियाँ चमक रही थीं। अतीत के सारे बुद्धि-वैभव को लिये भारतवर्ष के विस्तृत मैदान के ये संतरी बड़े शान्त और रहस्यमय लगते थे। उनके देखने से ही मन में एक शान्ति-सी छा जाती थी, और हमारे छोटे-छोटे द्वेष और संघर्ष, मैदान और शहरों की वासनायें और छल-छिद्र तुच्छ-से लगने लगते और उनके हमेशा के मार्गों से बहुत दूर की चीज लगते।

अलमोड़ा की छोटी-सी जेल एक ढालू ज़मीन पर बनी हुई है। मुझे उसीमें एक 'शानदार' बैरक रहने के लिए दी गई। इसमें ५१×१७ फुट का एक बड़ा-सा कमरा था, जिसका फर्श कच्चा और बड़ा ऊँचा-नीचा था, छत कीड़ों की खाई हुई थी, जिसमें से टुकड़े टूट-टूटकर बराबर नीचे गिरा करते थे। उसमें पन्द्रह खिड़कियाँ और एक दरवाज़ा था, या यों कहना चाहिए कि इतने सीखचों से जड़े हुए खुले स्थान थे; क्योंकि असल में तो दरवाज़ा या खिड़की एक भी नहीं थी। ताज़ी हवा की तो कमी ही नहीं सकती थी, क्योंकि सरदी बढ़ गई थी। कुछ खिड़कियों को नारियल की चट्टाइयों से बन्द कर दिया गया था। इस बड़े कमरे में (जो देहरादून की जेल के किसी भी कमरे से बड़ा था) मैं अपने एकाकी वैभव में रहता था। लेकिन मैं बिलकुल अकेला भी नहीं था, क्योंकि कम-से-कम दो दर्जन चिड़ियों ने उस टूटी छत में अपना घर बना रक्खा था। कभी-कभी कोई भटकता हुआ बादल, अपनी अनेक बांहों द्वारा, कई खिड़कियों में से प्रवेश करता हुआ मेरे पास आ जाता, और सारी जगह को कुहरे से भरकर सीलन फैला देता।

यहाँ रोज़ शाम के साढ़े चार बजे मेरे आखिरी भोजन, या यों कहना चाहिए कि भारी चाय ले लेने के बाद पाँच बजे मुझे बन्द कर दिया जाता था, और फिर सवेरे ७ बजे मेरा सीखचोंवाला दरवाज़ा खुलता था। दिन के समय या तो बैरक में या उसके बाहर एक पास के दालान में, घूप लिया करता था। मेरी चहार-

दिवारी से एक-डेढ़ मील दूर के एक पहाड़ की चोटी दिखाई देती थी, और मेरे सिर पर नीले आकाश का अनन्त वितान तना रहता था, जिसपर बादल छिटके रहते थे। इन बादलों की बड़ी आश्चर्यजनक शकलें बन जातीं, जिन्हें देखते-देखते मैं कभी थकता न था। खयाल करता था कि मैं उन्हें सब तरह के जानवरों का रूप धारण करते हुए देख रहा हूँ, और कभी-कभी वे मिलकर इतने बड़े बन जाते कि एक भारी महासागर के समान दिखाई देने लगते। कभी वे समुद्र के किनारे से लगते, और देवदार के पेड़ों के बीच से आनेवाली वायु की मर्मराहट समुद्र के ज्वार-भाटे की सी आवाज लगती। कभी-कभी कोई बादल बड़े साहस के साथ हमारी ओर बढ़ता नज़र आता। दिखने में तो बड़ा ठोस और घना लगता, पर हमारे नज़दीक आते-आते वह बिलकुल कोहरा बन जाता और हमे ढक लेता।

मुझे अपनी विशाल बैरक छोटी कोठरी से ज्यादा पसन्द थी, हालाँकि छोटी कोठरी में इतना अकेलापन महसूस नहीं होता था। बाहर पानी बरसता तो मैं उसमें ही घूम-फिर सकता था। लेकिन जैसे-जैसे सर्दी बढ़ती गई, उसका सूनापन बढ़ता गया और जब सर्दी बहुत ही बढ़ गई, तब मेरा ताज़ी हवा और खुले में रहने का प्रेम भी कम पड़ गया। मुझे उस समय बड़ी खुशी हुई, जब नये साल के शुरू होते ही खूब बर्फ पड़ा और जेल का नीरस वातावरण भी सुन्दर हो उठा। बर्फ से लिपटे हुए जेल की दीवारों के बाहर के देवदार वृक्ष तो बहुत ही सुहावने और लुभावने दिखने लगे।

कमला की हालत में उतार-चढ़ाव होते रहने से मुझे चिन्ता रहती थी और कभी कोई खराब खबर मिल जाती, तो उससे मैं कुछ देर के लिए उदास हो जाता, लेकिन पहाड़ की हवा का सान्त्वना देनेवाला प्रभाव मुझ पर पड़ता और मैं फिर गहरी नींद में सोने की अपनी आदत पर लौट आता था। निद्रा-लोक के किनारे पर खड़े होकर मैं कभी-कभी सोचता था कि यह नींद भी कंसी आश्चर्य की और रहस्य की चीज़ है। मनुष्य उससे जगें ही क्यों? मैं बिलकुल ही न जागू तो?

तो भी जेल से छुटकारा पाने की मेरी इच्छा प्रबल थी, और इस बख्त तो बहुत ही तीव्र हो रही थी। बम्बई-कांग्रेस खत्म हो चुकी थी। नवम्बर भी आकर चला गया और असेम्बली के चुनावों की चहलपहल भी खत्म हो गई थी। मुझे आशा हो चली थी कि मैं जल्दी ही छोड़ दिया जाऊँगा।

लेकिन उसके बाद ही खान अब्दुलराफ़्फ़ार खाँ की गिरफ्तारी और सज़ा और श्री मुभाष बोस के हिन्दुस्तान में अल्पकालिक आगमन पर उनको दी गई विचित्र आशा की आश्चर्यजनक खबर मिली। यह आशा स्वतः मनुष्यता से खाली और अविचार-

पूर्ण थी; और एक ऐसे मनुष्य पर लगाई गई थी जिसकी, अपने असंख्य देशवासियों के दिल में प्रेम और आदर की जगह है और जो, अपनी बीमारी की परवाह न करके, मृत्युशैया पर पड़े हुए, अपने पिता के दर्शनों के लिए दौड़कर आया था और फिर भी उनसे मिल न सका था। यदि सरकार का दृष्टिकोण इस तरह का बना हुआ है, तब तो मेरे जल्दी छूटने की कोई उम्मीद नहीं थी। बाद के सरकारी वक्तव्यों से यह बात साफतौर पर जाहिर भी हो गई थी।

अलमोड़ा जेल में एक महीना रहने के बाद कमला को देखने के लिए मुझे ले जाया गया। उसके बाद मैं तकरीबन हर तीसरे हफ्ते उससे मिलता रहा। भारत मन्त्री सर सेम्युअल होर ने बार-बार यह बात कही थी कि मुझे हफ्ते में एक या दो बार अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दी जाती है। लेकिन वह सचवाई के ज्यादा नज़दीक होते, अगर यह कहते कि महीने में एक या दोबार मुझे यह इजाजत मिलती है। पिछले साढ़े तीन महीनों में जब से कि मैं अलमोड़ा आया, मैं पाँच बार उससे मिला। मैं यह शिकायत के तौर पर नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा खयाल है कि इस मामले में सरकार मेरे प्रति बहुत विचारशील रही है और मुझे कमला से मिलने की जो सुविधायें दे रखी हैं वे असाधारण हैं। मैं उसके लिए उसका आभारी हूँ। उसके साथ की ये मुस्तसिर-सी मुलाकातें मेरे लिए और मैं समझता हूँ उसके लिए भी, बहुत कीमती साबित हुई हैं। मेरी मुलाकात के दिन डॉक्टरों ने किसी हद तक अपने दूसरे साधारण कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया था, और मुझे उसके साथ लम्बी-लम्बी बातें करने की इजाजत दी है। इन मुलाकातों के फल-स्वरूप हम सदा ही एक दूसरे के नज़दीक आते गये, और उसे छोड़कर लौटने में सदा ही एक असहनीय पीड़ा होती। हम केवल बिदा होने के लिए ही मिलते थे। और कभी-कभी तो मैं बड़े वेदनाभरे हृदय से सोचता था कि एक ऐसा भी दिन आ सकता है, जब कि यह बिदा आखिरी बिदा हो।

मेरी माँ बीमारी से उठ न पाई थी, इसलिए इलाज के लिए बम्बई गई थी। वहाँ उनकी हालत में सुधार होता दिखाई दे रहा था। जनवरी का आधा महीना बीतने के करीब, एक दिन सबेरे ही तार के जरिये दिल को चोट पहुँचानेवाली ऐसी इतिला मिली जिसकी कल्पना भी नहीं थी। उन्हें लकवा मार गया था। इसलिए मेरे बम्बई-जेल में भेजे जाने की सम्भावना थी; ताकि ज़रूरत पड़ने पर मैं उन्हें देख सकूँ। लेकिन उनकी हालत में थोड़ा सुधार हो जाने के कारण मुझे वहाँ भेजा नहीं गया।

जनवरी ने अपना स्थान अब फरवरी को दे दिया है, और बायुमण्डल में वसन्त

के आगमन की आहट सुनाई दे रही है। बुलबुल और दूसरी चिड़ियाँ फिर दिखाई और सुनाई देने लगी हैं और ज़मीन में जगह-जगह छोटे-छोटे कुल्ले फूटकर इस विचित्र दुनिया पर अपनी अचरजभरी नज़र डाल रहे हैं। सदा बहार के फूल पहाड़ियों में स्थान-स्थान पर रक्त के से लाल चप्पे बनाते जा रहे हैं, और शान्तिपूर्ण वातावरण में बेर के फूल बाहर झांक रहे हैं। दिन बीतते जा रहे हैं और ज्यों-ज्यों वे समाप्त होते जाते हैं, मैं उन्हें गिनता रहता हूँ और अपनी अगली भवाली-यात्रा की बात सोचता रहता हूँ। मुझे आश्चर्य होता है कि इस कहावत में कहाँ तक सच्चाई है कि जीवन के बड़े-बड़े पुरस्कार नाउम्मीदी, निर्दयता और वियोग के बाद ही मिलते हैं। अगर ऐसा न हो तो शायद उन पुरस्कारों का मूल्य ठीक-ठीक न आंका जा सके। शायद विचारों की स्पष्टता के लिए कष्ट-सहन ज़रूरी है; परन्तु उसकी अधिकता दिमाग पर पर्दा डाल सकती है। जेल से आत्म-चिन्तन को प्रोत्साहन मिलता है और अनेक वर्षों के जेल-निवास ने मुझे अधिक-से-अधिक अपने अन्तर्निरीक्षण के लिए विवश किया है। स्वभाव से मैं अन्तर्मुखी नहीं था, पर जेल का जीवन तेज़ काँफ़ी या कुचले के सत की तरह आरम चिन्तन की ओर ले जाता है। कभी-कभी मनोरञ्जन के लिए, मैं प्रोफेसर मैकडूगल के निर्धारित किये हुए मापदण्ड पर अपनी अन्तर्मुखी और बहिर्मुखी वृत्तियों के सम्बन्ध की परीक्षा करता हूँ, तो मुझे आश्चर्य होता है कि एक प्रवृत्ति से दूसरी की ओर परिवर्तन कितनी अधिक बार होता रहता है, और कितनी तेज़ी के साथ !

कुछ ताज़ी घटनायें

“होता है यह अरुण उषा का नूतन उदय निशा के बाद;
पर न हमारे जीवन के दिन पुनः लौटते हैं कर याद।
आँखों के भीतर बसता है क्षितिज दूर का सुषमावंत;
किन्तु घाव अन्तर में गहरा कर जाता है निठुर बसन्त।”

मुझे जो अखबार दिये जाते थे, उनसे मुझे बम्बई-काँग्रेस के अधिवेशन की कार्रवाई का हाल मालूम हुआ। उसकी राजनीति और व्यक्तियों में स्वभाव से ही मेरी दिलचस्पी थी। बीस साल के गहरे सम्पर्क ने मुझे काँग्रेस के साथ इतना कसके बाँध दिया था कि मेरा व्यक्तित्व क़रीब-क़रीब उसमें लीन हो गया था और पदाधिकार और जवाबदेही के बन्धनों से भी कहीं ज्यादा मजबूत कुछ ऐसे अदृश्य बन्धन थे, जिन्होंने मुझे इस महान् संस्था व अपने हज़ारों पुराने साथी कार्यकर्त्ताओं के साथ बाँध दिया था। लेकिन इतने पर भी इस अधिवेशन की कार्रवाई से मुझे कुछ स्फूर्ति मिलना कठिन दिखाई दिया। कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णयों के बावजूद मुझे तो सारा अधिवेशन लचर-सा मालूम हुआ। जिन विषयों में मेरी दिलचस्पी थी, उन पर शायद ही विचार हुआ हो। मैं इसी चक्कर में था कि अँगरे में वहाँ मौजूद होता, तो मैंने क्या किया होता। निश्चित तौर पर मैं कुछ नहीं जानता था। मैं कह नहीं सकता था कि नई परिस्थितियों और अपने आस-पास के वातावरण के सम्बन्ध में मेरा क्या रुख रहा होता। आखिर मैंने सोचा कि इस कठिन निर्णय पर पहुँचने के लिए मैं जेल में अपने दिमाग पर क्यों ज़ोर दूँ, जबकि उस वक्त ऐसा निर्णय करना बिलकुल बेकार था। समय आयागा, जब मुझे तात्कालिक समस्याओं का मुक़ाबिला करना पड़ेगा और अपना कार्य-पथ निश्चित करना होगा। ऐसी हालत में इन गहरे विचारों में पडकर इस तरह के निर्णय की पहले से कल्पना करना बिलकुल वाहियात बात है क्योंकि ऐसा करने का भार मुझ पर पड़ने से पहले ही परिस्थितिया बदल जायेंगी।

१. ली सर्-पो का मूल अंग्रेज़ी पद्य इस प्रकार है:—

“Dawn reddens in the wake of night,
But the days of our life return not.
The eye contains a far horizon,
But the wound of spring lies deep in the heart.”

अपने सुदूर और पहाड़ पर के एकान्त निवास स्थान पर से अधिक-से-अधिक जो दो मोटी विशेषतायें में जान सका, वे थीं—गांधीजी का ज़बरदस्त व्यक्तित्व और पण्डित मदनमोहन मालवीय और श्री अणे द्वारा प्रदर्शित साम्प्रदायिक विरोध का बिलकुल नगण्य प्रदर्शन। जो लोग भारत के सर्वसाधारण और मध्यमवर्ग की मनोवृत्ति को अच्छी तरह जानते हैं, उन सबको तो यह जानकर कुछ अचरज नहीं हुआ कि किस तरह गांधीजी एक छोर से दूसरे छोरतक भारत के एकमात्र सर्वोत्तम बने हुए हैं। सरकारी अफसर और कुछ दकियानूसी राजनीतिज्ञ अपनी भीतरी इच्छा को ही कल्पना का आधार बनाकर अक्सर यह सोचने लगते हैं कि अब राजनैतिक-क्षेत्र में गांधी-युग बीत गया है, या कम-से-कम उनका प्रभाव बहुत-कुछ क्षीण हो गया है। और जब गांधीजी अपनी उस सारी पुरानी शक्ति और प्रभाव के साथ मैदान में आते हैं, तो ये लोग चकित रह जाते हैं और इस प्रत्यक्ष परिवर्तन के लिए नये-नये कारण खोजने लगते हैं। कांग्रेस और देश पर गांधीजी की अगर प्रभुता है तो वह उनके उन विचारों के कारण, जोकि आमतौर पर स्वीकार किये जा चुके हैं, उतनी नहीं है, जितनी कि उनके अद्वितीय व्यक्तित्व के कारण। व्यक्तित्व तो सभी जगह अपना काफी प्रभाव रखता है; लेकिन हिन्दुस्तान में तो वह प्रमुखरूप से और भी अधिक काम करता है।

कांग्रेस से उनकी अलहदगी इस अधिवेशन का एक अजीब वाक्याया था और ऊपरी तौर से तो यही मालूम होता था कि कांग्रेस और हिन्दुस्तान के इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन असल में इसका महत्त्व कुछ अधिक नहीं था क्योंकि वह चाहे तो भी अपने व्यापक नेतृत्व-पद से पीछा नहीं छोड़ा सकते। उनकी यह प्रतिष्ठित स्थिति किसी पदाधिकार या अन्य किसी प्रत्यक्ष सम्बन्ध के कारण नहीं थी। कांग्रेस में आज भी गांधीजी का दृष्टिकोण करीब-करीब पहले जैसाही झलकता है, और यदि वह उनके मार्ग से भटक भी जाय तो भी, गांधीजी अनजाने में भी, उसे और देश को बहुत अविश्वसनीय हद तक प्रभावित करते रहेंगे। इस भार और जवाबदेही से वह अपनेको जुदा कर नहीं सकते। देश की प्रत्यक्ष स्थिति का खयाल करते हुए उनका व्यक्तित्व खुद ही दूसरों का ध्यान बरबस अपनी ओर खींचता है, और इस तरह उसकी उपेक्षा की नहीं जा सकती।

वह इस वक्त, कांग्रेस से शायद इसलिए अलग हो गये हैं, कि उनके कारण कांग्रेस किसी कठिनाई में न पड़े। शायद वह किसी तरह के व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात सोच रहे हैं, जिसका अवश्यम्भावी परिणाम सरकार से झगड़ा छिड़ जाना होगा। वह इसे कांग्रेस का प्रश्न नहीं बनाना चाहते।

मुझे खुशी हुई कि कांग्रेस ने देश का विधान निश्चित करने के लिए कांस्टीट्यू-एण्ट असेम्बली का विचार मंजूर कर लिया। मेरे खयाल में इस समस्या के हल करने का इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, और निश्चय ही हमें कभी-न-कभी ऐसी असेम्बली बनानी पड़ेगी। दीखता तो यही है कि ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बिना ऐसा हो नहीं सकेगा; हाँ, कोई सफल क्रान्ति हो जाय तो बात दूसरी है। यह भी साफ है कि वर्तमान परिस्थितियों में सरकार से ऐसी अनुमति मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। देश में जबतक इतनी ताकत पैदा नहीं हो जाती कि वह इस तरह का कोई क़दम उठाने को बलपूर्वक आगे बढ़ सके; तबतक ऐसी असेम्बली बन नहीं सकती। इसका लाज़िमी नतीजा यही है कि तबतक राजनैतिक समस्या भी नहीं सुलझ सकेगी। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने विधानकारिणी असेम्बली के विचार को मंजूर करते हुए, इसकी उम्रता को कम करके करीब करीब पुराने ढंग के एक बड़े सर्वदल सम्मेलन का रूप दे दिया है। यह कार्रवाई बिल्कुल बेकार होगी। वही पुराने लोग, ज्यादा अपने आपही चुने जाकर सम्मिलित हो जायेंगे, और उसका परिणाम होगा मतभेद। कांस्टीट्यूएण्ट असेम्बली की असली मन्शा तो यह है कि इस असेम्बली का चुनाव विस्तृतरूप से जनता के द्वारा हो और जनता से ही इसे ताकत और स्फूर्ति मिले। इस प्रकार का सम्मेलन ही असली प्रश्नों पर विचार करने में सफल हो सकेगा, और साम्प्रदायिक या अन्य झगड़ों से, जिनमें हम लोग इतनी बार उलझ जाते हैं, बरी रहेगा।

इस विचार की शिमला और लन्दन में जो प्रतिक्रिया हुई वह भी बड़ी मज्जेदार रही। अर्द्ध-सरकारी तौर पर यह तो जाहिर कर दिया गया कि सरकार को इसमें कोई एतराज न होगा, उसने अपनी सरपरस्ती की सहमति भी दे ही सी दी, क्योंकि प्रत्यक्ष में उसे यह भी पुराने ढंग के सर्वदल-सम्मेलन की सी ही दिखाई दी, और चूँकि ऐसे सर्वदल-सम्मेलन के भाग्य में पहले से ही असफलता लिखी रहती है, उसने सोचा कि इससे भी उल्टे अपने हाथ ही मज़बूत होंगे। लेकिन मालूम होता है बाद में उसने इस विचार के अंदर समायें हुए खतरों और इस तरह की असेम्बली से जिन-जिन बातों की सम्भावनायें हो सकती थी, उनको महसूस किया, और तब से वह इसका जोरों से विरोध करने लगी।

बम्बई-कांग्रेस के बाद फ़ौरन ही असेम्बली का चुनाव आया। कांग्रेस के चुनावसम्बन्धी कार्यक्रम में मेरा कोई उस्ताह न होते हुए भी मेरी इस बात में बड़ी दिलचस्पी थी और मैं मनाता था कि कांग्रेस के उम्मीदवार जीतें, या अधिक सही शब्दों में कहा जाय तो यों कहना चाहिए कि मैं उनके विरोधियों की हार

मनाता था। इन विरोधियों में पदलोलुप सम्प्रदायवादी, पथभ्रष्ट और ऐसे लोगों का अजीब-सा सम्मिश्रण था, जिन्होंने सरकार की दमन-नीति का ज़ोरों से समर्थन किया था। इस बात में कोई शक नहीं था कि इनमें से अधिकांश लोग हरा दिये जायेंगे, लेकिन बदकिस्मती से साम्प्रदायिक निर्णय ने मुख्य प्रश्न को ढक दिया और इनमें से बहुतों ने साम्प्रदायिक संगठनों की व्यापक रूप में फैली हुई भुजाओं की शरण ली। लेकिन इतने पर भी कांग्रेस को बड़ी मार्क की सफलता मिली, और मुझे खुशी हुई कि अवाञ्छनीय लोगों में से बहुत से खदेड़ दिये गये।

मुझे खासकर, नामधारी कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी का रुख, बहुत ही खेदजनक लगा। उसके साम्प्रदायिक निर्णय के प्रति तीव्र विरोध को समझा जा सकता है, लेकिन अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए उसने ऐसे कट्टर साम्प्रदायिक संगठनों के साथ सहयोग किया, यहाँ तक कि सनातनियों तक का, जिनसे बढ़कर कि आज भारत में, राजनैतिक और सामाजिक, दोनों ही दृष्टि से प्रतिगामी दल दूसरा नहीं है। साथ ही, अनेक मशहूर राजनैतिक प्रतिगामियों तक का सहारा लिया। बंगाल को छोड़कर, जहाँ कारण विशेष से एक जबर्दस्त कांग्रेस दल ने उनका समर्थन किया, उनमें से अधिकतर सब तरह से कांग्रेस के विरुद्ध थे। इसमें शक नहीं कि कांग्रेस के सबसे जबर्दस्त विरोधी यही लोग थे। इतनी सारी तरह की विरोधी शक्तियों के मुकाबिले में, जिनमें कि ज़मींदार, नरम दलवाले, और निस्सन्देह सरकारी अफसर तक शामिल थे, कांग्रेस उम्मीदवारों ने काफी शानदार विजय प्राप्त की।

साम्प्रदायिक निर्णय के प्रति कांग्रेस का रुख विचित्र था; लेकिन इस परिस्थिति में इससे भिन्न शायद ही हो सकता था। यह उसकी पिछली तटस्थता की नीति का या यों कहो कि कमजोर नीति का लाज़िमी परिणाम था। शुरू से ही दृढ़ नीति अस्तित्थार की जाती, और बिना किसी तात्कालिक परिणाम की चिन्ता किये उसका पालन करते रहना अधिक शानदार और सही तरीका होता। लेकिन क्योंकि कांग्रेस ऐसा करने में अनिच्छुक रही, इसलिए उसने जो रास्ता अस्तित्थार किया उसके सिवा उसके पास और कोई उपाय था ही नहीं। साम्प्रदायिक निर्णय एक खास बेहूदगी की चीज़ थी और उसका स्वीकार किया जाना असम्भव था, क्योंकि, उसके बने रहने तक किसी तरह की आज़ादी हासिल करना अशक्य था। यह इसलिए नहीं कि तने मुसलमानों को बहुत अधिक दे दिया था। किसी दूसरी तरह शायद यह मुमकिन था कि वे जो कुछ भी मांगते सब कुछ दे दिया जाता। बात यह थी कि इस निर्णय द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत को अनेक ऐसे आपस में एक दूसरे से अलग अनगिनती हिस्सों में बाँट दिया था, जो एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकता, और उसके प्रभाव को बिलकुल बेकार

कर देता था, जिससे कि विदेशी अंग्रेजी सत्ता सर्वोपरि बनी रह सके। इसने ब्रिटिश सरकार पर की निर्भरता को अनिवार्य बना दिया।

खासकर बंगाल में, जहाँ कि छोटे से यूरोपियन समुदाय को भारी प्राधान्य दे दिया गया है, हिन्दुओं के साथ बहुत ही अन्याय किया गया है। ऐसे निर्णय या फैसले, या और जो कुछ भी उसे कहा जाय, (उसे निर्णय के नाम से पुकारे जाने पर आपत्ति की गई है) का तीव्र विरोध होना जरूरी था। और चाहे वह हम पर लाद भले ही दिया जाय या राजनैतिक कारणों से, अस्थायी रूप से वह बर्दाश्त कर लिया जाय, फिर भी वह रहेगा हमेशा झगड़े की जड़ ही। मेरा अपना खयाल है कि इसके पक्ष में एक ही बात कही जा सकती है कि खुद इसकी बुराई ही इसका गुण है और ऐसी हालत में वह किसी बात का स्थायी आधार बन नहीं सकता।

नेशनलिस्ट पार्टी, और उससे भी अधिक हिन्दू महासभा और दूसरे साम्प्रदायिक संगठनों ने स्वभावतः ही इस जबरदस्ती से लादे गये निर्णय का विरोध किया। लेकिन असल में उनकी आलोचना उसके समर्थकों की तरह ब्रिटिश सरकार की विचारसरणि के आधार पर टिकी हुई थी। यह उनको ऐसी विचित्र नीति की ओर ले गई और अब भी आगे लिये जा रही है जिससे सरकार अवश्य ही प्रसन्न हुई होगी। साम्प्रदायिक निर्णय के भूत से परेशान होकर ये लोग इस आशा में कि सरकार को लालच देने या खुश करने से वह उक्त निर्णय को हमारे पक्ष में बदल देगी, दूसरे मुख्य विषयों के प्रति अपना विरोध नरम करते जा रहे हैं। हिन्दू महासभा इस दिशा में सबसे आगे बढ़ गई है। उसको यह सूझता मालूम नहीं पड़ता कि इस नीति का अस्तित्कार करना सिर्फ अपमानजनक ही नहीं है बल्कि उससे निर्णय का बदला जाना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि यह मुसलमानों को खिझाता ही है और उन्हें और भी अधिक दूर खींच ले जाता है। सरकार के लिए राष्ट्रीय शक्तियों को अपनी ओर कर सकना मुश्किल है। अन्तर बहुत बड़ा है और स्वार्थों का संघर्ष बहुत ही साफ़ है। उसके लिए यह भी मुश्किल है कि साम्प्रदायिक स्वार्थों के संकुचित मसले पर हिन्दू और मुस्लिम दोनों साम्प्रदायिकों को खुश कर सके। उसे तो किसी एक को चुनना था, और उसने अपने दृष्टिकोण के अनुसार मुस्लिम सम्प्रदायवादियों का पक्ष चुनना पसन्द किया और ठीक पसन्द किया। क्या वह महज मुठ्ठीभर हिन्दू सम्प्रदायवादियों को खुश करने के लिए अपनी मुनिश्चित और लाभदायक नीति पलट देगी और मुसलमानों को नाखुश करेगी ?

खुद यह बात कि सामूहिक रूप से हिन्दू राजनैतिक दृष्टि से बहुत आगे बढ़े हुए

हैं और राष्ट्रीय आजादी के लिए बहुत जोर देते हैं, उनके विरुद्ध अवश्य जायगी । नगण्य साम्प्रदायिक रियायतों के कारण (और नगण्य के सिवाय वे किसी महत्त्व की हो ही नहीं सकती) उनके राजनैतिक विरोध में कुछ अन्तर नहीं पड़ जायगा; लेकिन ऐसी रियायतें मुसलमानों के हक में एक अस्थायी अन्तर पैदा कर देंगी ।

असेम्बली के चुनावों ने दोनों अत्यन्त प्रतिक्रियावादी साम्प्रदायिक संस्थाओं, हिन्दू महासभा और मुस्लिम कान्फ़ेन्स, के हिमायतियों की अत्यन्त स्पष्ट रूप से कलाई खोल दी । इसके उम्मीदवार बड़े-बड़े जमींदारों या साहूकारों से लिये गये थे । महासभा ने हाल ही में कर्ज-बिल का जोरों में विरोध करके भी साहूकार वर्ग के प्रति अपनी शुभचिन्तकता बतलाई थी । हिन्दू-समाज के सिरमौर इन छोटे समुदायों से हिन्दू महासभा बनी है और इन्हींके एक भाग या कुछ वकील, डॉक्टर आदि पेशेवाले लोगों से लिबरल-दल बना है । हिन्दुओं पर उनका कोई खास प्रभाव नहीं है, क्योंकि निम्न मध्यम वर्ग में राजनैतिक चेतना जागृत हो गई है । औद्योगिक नेता भी इन लोगों से अलग ही रहते हैं, क्योंकि नये नये धन्धों और अर्द्ध-माण्डलिक वर्ग की आवश्यकताओं में परस्पर कुछ विरोध रहता है । उद्योग-धन्धे-वाले लोग, सीधे हमले या दूसरे किसी खतरे में पड़ने का साहस न होने के कारण, राष्ट्रवादियों और सरकार दोनों ही से अपना सम्बन्ध अच्छा रखना चाहते हैं । वे लिबरल या साम्प्रदायिक दलों पर कोई खास ध्यान नहीं देते । औद्योगिक प्रगति और लाभ ही उनका मुख्य लक्ष्य रहता है ।

मुसलमानों के निम्न मध्यम वर्ग में यह जागृति अभी होनी है, और औद्योगिक दृष्टि से भी वे लोग पिछड़े हुए हैं । इस तरह हम देखते हैं कि अत्यन्त प्रतिक्रियावादी, जागीरदार, और सरकारी नौकरियों में रहे हुए अधिकारी लोग न सिर्फ़ उनकी साम्प्रदायिक संस्थाओं पर ही कब्जा किये हुए हैं, बल्कि सारी जाति पर अपना भारी प्रभाव काम में ला रहे हैं । सरकारी उपाधिधारियों, भूतपूर्व मिनिस्ट्रों और बड़े-बड़े जमींदारों के मजमूए का नाम ही मुस्लिम कान्फ़ेन्स है । और फिर भी मेरा ख्याल है कि सर्वसाधारण मुस्लिम जनता, शायद सामाजिक विषयों में कुछ स्वतन्त्रता होने के कारण, हिन्दू जनता की अपेक्षा ज्यादा हिम्मत और ताकतवर है । और इसलिए मुमकिन है कि एक बार चेतना मिलते ही वह बड़ी तेजी से समाजवाद की ओर बढ़ जायेंगे । इस समय तो मुस्लिम शिक्षितवर्ग बौद्धिक और शारीरिक दोनों ही तरह से चेतना-हीन सा होगया है और उसमें कोई स्फूर्ति नहीं रह गई है । अपने पुराने रहनुमाओं के खिलाफ़ आवाज उठाने का वह साहस कर नहीं सकता ।

राजनैतिक दृष्टि से सबसे आगे बढ़ी हुई महान् संस्था कांग्रेस के नेता जो पथ-प्रदर्शन

कर रहे हैं, वह वत्तमान अवस्था में जनता को जैसा नेतृत्व मिलना चाहिए उसकी अपेक्षा कहीं अधिक फूंक-फूंककर कदम रखने का है। वे जनता से सहयोग की तो मांग करते हैं, लेकिन उसकी राय जानने या दुःख-दर्द मालूम करने की कोशिश शायद ही करते हों। असेम्बली के चुनाव से पहले उन्होंने विभिन्न नरम गैर-काँग्रेसियों को अपनी ओर खींचने की गरज से अपने कार्य-क्रम को नरम बनाने की हर तरह से कोशिश की। मन्दिर-प्रवेश बिल जैसे कामों तक के सम्बन्ध में उन्होंने अपना रुख बदल दिया था, और मदरास के महान् कट्टर-पन्थियों तक को शान्त करने के लिए उसके सम्बन्ध में आश्वासन दिये गये थे। लाग-लपट-रहित और उग्र चुनाव-कार्यक्रम ने कहीं अधिक उत्साह पैदा किया होता, और जनता को शिक्षित करने में उससे कहीं अधिक मदद मिली होती। अब क्योंकि काँग्रेस ने पार्लमेण्टरी कार्यक्रम को अपना लिया है, इसलिए असेम्बली में किसी विषय पर वोट गिने जाने के समय कुछ नगण्य वोट पाजाने की आशा से, उसमें राजनैतिक और सामाजिक दकियानूसों के लिए और भी ज्यादा गुंजायश होजायगी, और काँग्रेस के नेताओं और जनता के बीच खाई और भी चौड़ी हो जायगी। असेम्बली में जोरदार भाषणों की झड़ी लग जायगी, और सर्वोत्तम पार्लमेण्टरी शिष्टता का अनुसरण किया जायगा, समय-समय पर सरकार को हराया जायगा—जिसकी कि सरकार अविचल भाव से अपेक्षा कर देगी, जैसा कि वह पहले से करती आई है।

पिछले कुछ बरसों में, जबकि काँग्रेस कौंसिलों का बहिष्कार कर रही थी, सरकारी मुखिया लोग अक्सर हमसे कहा करते थे कि असेम्बली और प्रान्तीय कौंसिलें जनता की असली प्रतिनिधि हैं और लोकमत को प्रदर्शित करती हैं। लेकिन यह दिल्ली की बात है कि, अब जब कि असेम्बली में अधिक प्रगतिशील दल का प्रभुत्व है, सरकारी दृष्टिकोण बदल गया है। जब कभी काँग्रेस को चुनाव में मिली सफलता का हवाला दिया जाता है, तो हमसे कहा जाता है कि मतदाताओं की संख्या बहुत ही थोड़ी, तीस करोड़ या उसके लगभग जनता में से, केवल तीस लाख ही है। जिन करोड़ों लोगों को बोट देने का हक नहीं मिला है, सरकार के मतानुसार वे साफ तौर पर अंग्रेजी सरकार के हमी हैं। इसका जवाब साफ़ है। हरेक बालिग व्यक्ति को मत देने का अधिकार दे दिया जाय, और तब पता लग जायगा कि इन लोगों का खयाल क्या है।

असेम्बली के चुनाव के बाद ही भारतीय शासन-सुधारों पर ज्वॉइण्ट पार्लमेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसकी चारों ओर से और भिन्न-भिन्न जो आलोचनायें हुईं, उनमें अक्सर इस बात पर जोर दिया गया था कि उससे भारतवासियों के प्रति

'अविश्वास' और 'सन्देह' प्रकट होता है। हमारी राष्ट्रीय और सामाजिक समस्याओं पर विचार करने का मुझे यह तरीका बड़ा ही विचित्र मालूम हुआ। क्या ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति और हमारे राष्ट्रीय हितों में कोई महत्त्वपूर्ण विरोध नहीं है? सवाल यह है कि इनमें से किसकी बात रहे। स्वतन्त्रता क्या हम महज साम्राज्यवादी नीति को कायम रखने के लिए ही चाहते हैं? मालूम तो यही होता है कि ब्रिटिश सरकार यही समझे हुए थी, क्योंकि हमें सूचित कर दिया गया है कि जबतक हम ब्रिटिश नीति के अनुसार अपना आचरण रक्खेंगे और जैसा वह चाहती है, ठीक उसके अनुसार काम करके स्व-शासन के लिए अपनी योग्यता प्रदर्शित करते हैं, तबतक 'संरक्षणों' का उपयोग नहीं किया जायगा। अगर भारत में ब्रिटिश नीति को ही जारी रखना है, तब अपने खुद के हाथों में शासन की बागडोर लेने का यह सब शोरगुल क्यों मचाया जा रहा है?

यह साफ़ जाहिर है कि ओटावा-पैक्ट, आर्थिक दृष्टि से इंग्लैण्ड के सिवा हिन्दुस्तान के लिए, बहुत लाभकारी नहीं हुआ है। हिन्दुस्तान के साथ के ब्रिटिश व्यापार को निस्सन्देह लाभ पहुँचा है, और वह पहुँचा है भारत के राजनीतिज्ञों और व्यवसायियों की राय के अनुसार भारत के विस्तृत हितों के बलिदान पर। उपनिवेशों, खासकर कनाडा और आस्ट्रेलिया के सम्बन्ध में स्थिति इससे उलटी है। उन्होंने ब्रिटेन के साथ बड़ा कड़ा व्यापारिक सौदा किया और उसे हानि पहुँचाकर अधिकांश लाभ खुद उठाया। इतने पर भी, अपने उद्योग-वन्धों की वृद्धि और साथ ही अन्य

१. सर विल्लियम करी ने दिसम्बर सन् १९३४ में पी० एगड० ओ० जहाज़ी कम्पनी की लन्दन की एक मीटिंग में सभापति की हैसियत से भाषण देते हुए भारतीय व्यापार का उल्लेख करते हुए कहा था कि "ओटावा-पैक्ट ब्रिटेन के लिए निश्चित रूप से लाभप्रद रहा है।"

२. जून सन् १९३४ के लन्दन के 'इकनोमिस्ट' अखबार ने लिखा था कि ओटावा-परिषद् का "समर्थन केवल उसी दशा में किया जा सकता था, जब कि वह बाज़ी दुनिया से साम्राज्य के व्यवसाय का योग घटाये बिना अन्तर्साम्राज्य के व्यवसाय का योग बढ़ाती। वास्तव में वह साम्राज्य के क्षीणोन्मुख व्यापार के सामने बहुत ही थोड़े से अनुपात में अन्तर्साम्राज्यिक व्यापार को उत्तेजना दे सकी है। यह विभाजन भी घेत ब्रिटेन की अपेक्षा कहीं अधिक उपनिवेशों के हित में रहा है। हमारे साम्राज्य का आयात सन् १९३१ के २४,७०,००,००० पौण्ड से बढ़कर सन् १९३३ में २४,६०,००,००० पौण्ड हुआ था। किन्तु निर्यात १७,६०,००,००० पौण्ड से घटकर १६,३५,००,००० पौण्ड हो गया था। यह बात भी देखना है कि १९२६ से १९३३ के बीच

देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए वे ओटावा और उनके दूसरे फन्दों से छूटकारा पाने का हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं।^१ कनाडा में एक प्रमुख राजनैतिक दल, याने लिबरल दल जिसके हाथों में जल्दी ही शासन सूत्र आ जाने की सम्भावना है, निश्चित रूप से ओटावा-पैक्ट को रद्द करने को वचनबद्ध है।^२ आस्ट्रेलिया में ओटावा-पैक्ट के अर्थों की खीचातानी के परिणामस्वरूप कुछ तरह के कपड़ों और सूत पर चुंगी बढ़ा दी गई, जिस पर लंकाशायर के वस्त्र-व्यवसायियों की ओर से सख्त नाराजी जाहिर की गई और इसे ओटावा-पैक्ट का भंग कहकर उसकी निन्दा की गई। इसीके विरोध और बदले के रूप में लंकाशायर में आस्ट्रेलियन माल के बहिष्कार का आन्दोलन भी शुरू किया गया। आस्ट्रेलिया पर डम धमकी का कुछ भी खास असर नहीं हुआ, बल्कि इसके खिलाफ वहाँ भी कड़ा रख इस्तिहार किया गया।^३

साम्राज्य को हमारा निर्यात ५०.६ फ़ी सदी घटा था, जब कि साम्राज्य से हमारा आयात सिर्फ ३०.६ फ़ी सदी ही घटा था। विदेशों को हमारे निर्यात की कमी कहीं अधिक कभी नहीं हुई, किन्तु इन देशों से हमारे आयात की कमी कहीं अधिक थी।”

१. मेलबोर्न का 'एज' नामक पत्र भी ओटावा-पैक्ट को पसन्द नहीं करता। उसकी राय में यह पैक्ट “एक निरन्तर बाधा बन रहा है, और अब दिन-दिन लोग इसे बहुत बढ़ी गलती मानते जा रहे हैं।” (१६ अक्टूबर सन् १९३४ के 'मेन्वेस्टर गार्जियन' नामक साप्ताहिक पत्र से उद्धृत।)

२. कनाडा के वर्तमान अनुदार प्रधान मन्त्री श्री बेनेट तक व्यापारिक मामलों में ब्रिटिश सरकार के लिए कण्टक रूप हो रहे हैं। वह 'नई योजना' (New Deals) की चर्चा कर रहे हैं और उनके विचारों में आश्चर्यजनक तबदीली हो रही है। श्री लिटवीनोव; सर स्ट्रुफंडे क्रिप्स और श्री जान स्ट्रुची के भयंकर प्रभाव से वे समष्टिवादी बन गये हैं। इसे तमाम अनुदार, उदार और इम्पीरियल सिविल सर्विसवालों को इस बात का संकेत और चेतावनी समझनी चाहिए कि वे इस किस्म के विचार रखना या ऐसे विचार रखनेवालों का साथ देना छोड़ दें, नहीं तो वे खुद ही उन भयंकर सिद्धान्तों के समर्थक बन जायेंगे। उपर्युक्त नोट लिख चुकने के बाद सुना कि कनाडा में श्री किङ्ग के नेतृत्व में लिबरल पार्टी ने चुनाव में गहरी विजय प्राप्त करली है, और शासन-सूत्र अब उसीके हाथ में आगये हैं।)

३. मेलबोर्न के 'एज' नामक पत्र ने लिखा था कि लंकाशायरवाले अगर अपने प्रस्तावित बहिष्कार को बन्द न करें तो आस्ट्रेलिया को लंकाशायर के रहे-सहे व्यापार का भी प्रबल बहिष्कार करना ही चाहिए। अबिचल हड़ता के साथ हमें लंकाशायर को जवाब देना होगा। (६ नवम्बर १९३४ के साप्ताहिक 'मेन्वेस्टर गार्जियन' से उद्धृत।)

यह स्पष्ट है कि आर्थिक संघर्ष का कारण कनाडा और आस्ट्रेलिया के लोगों में ब्रिटेन के प्रति किसी दुर्भावना का होना नहीं है; हाँ, आयर्लैण्डवालों में यह दुर्भावना प्रत्यक्ष है। संघर्ष स्वार्थों के परस्पर विरोध के कारण होता है, और जहाँ कहीं इस किस्म के हित-विरोध हों, हिन्दुस्तान में 'संरक्षण' का उद्देश्य, यह देखना रहता है कि ब्रिटिश हित प्रधान रहे। 'संरक्षण' के क्या नतीजे होंगे, इसका एक हलका-सा इशारा हाल में की गई भारतीय-ब्रिटिश व्यापारिक सन्धि से लग जायगा, जिसमें ब्रिटिश-धन्धेवालों की तो खबर थी, लेकिन जो भारतीय व्यवसायियों और उद्योग-धन्धेवालों से छिपाकर की गई थी, और उनके विरोध करते रहने और असेम्बली के रद्द कर देने पर भी सरकार ने अपनी जिद्द से उसे कायम रक्खा। ऐसे संरक्षणों की तो बड़ी ज़बर्दस्त ज़रूरत कनाडा, आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में है, जिससे कि इन उपनिवेशों के लोग न केवल व्यापारिक मामले में ही, वरन साम्राज्य-रक्षा और उसकी अविच्छिन्नता के महत्वपूर्ण विषयों में भी मनमाना रास्ता अस्तियार न करले।'

कहा गया है कि साम्राज्य का अर्थ है 'क़र्ज़', और संरक्षणों का निर्माण इसीलिए किया गया है कि शाही लेनदार अपने सब विशिष्ट स्वार्थों और शक्तियों को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए अपने अभाग क़र्ज़दार पर अपना ज़बर्दस्त क़ाबू रख सके। एक विचित्र दलील, जो अक्सर सरकार की तरफ़ से दुहरायी जाती है, यह है कि गांधीजी और कांग्रेस ने ऐसे संरक्षणों के विचार को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि सन् १९३१ के दिल्ली के गांधी-अविन समझौते में भारत के हित में 'संरक्षण' की बात स्वीकार की जा चुकी है।

ओटावा-पैक्ट और वाणिज्य-व्यवसाय-सम्बन्धी संरक्षण फिर भी छोटी बातें हैं।^१ जो कहीं अधिक महत्त्व की बात है, वह तो है वे बीसियों सुविधायें, जिनका

१. दक्षिण अफ्रीका संघ के रक्षा-सचिव श्री ओ० पीरो ने कहा था कि संघ साम्राज्य-रक्षा की किसी भी आम योजना में भाग नहीं लेगा, न किसी बाहरी युद्ध में ही सहयोग करेगा, फिर भले ही ब्रिटेन उस युद्ध में शामिल क्यों न हो। "अगर सरकार अविचारपूर्वक दक्षिण अफ्रीका को दूसरे बाहरी युद्धों में भाग लेने के लिए मजबूर करे, तो बहुत बड़े पैमाने में अशान्ति फैल जायगी, मुमकिन है गृह-युद्ध छिड़ जाय। इसलिए वह साम्राज्य-रक्षा की किसी आम योजना में भाग नहीं लेगी।" (केपटाउन से ५ फ़रवरी १९३५ को भेजा हुआ स्टूर का संवाद) प्रधान सचिव जनरल हर्ट ज़ोग ने इस बक्तव्य की पुष्टि की है, और बताया है कि वह यूनिवर्सल सरकार की नीति को ज़ाहिर करता है।

२. लन्दन का 'एकनोमिस्ट' (अक्टूबर १९३४) बसताता है— "अविध्य के

उद्देश हिन्दुस्तानियों पर अपने हरेक महत्त्वपूर्ण राजनैतिक और आर्थिक प्रभुत्व को, जिसने कि भूतकाल और वर्तमान में उन्हें इस देश के शोषण में सहायता दी है, स्थायी बना देना है। जबतक ये सुविधायें और 'संरक्षण' बने हुए हैं, तबतक किसी भी दिशा में वास्तविक उन्नति हो सकना गैरमुमकिन है, और तबदीली के लिए, किसी क्रिस्म के बंध प्रयत्न के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी गई है। ऐसा हरेक प्रयत्न 'संरक्षणों की नंगी दीवारों के माथ टकरायगा' और यह दिन-दिन साफ़ होता जायगा कि केवल बंध मार्ग से ही काम नहीं चलेगा। राजनैतिक सुधार की दृष्टि से यह प्रस्तावित शासन-योजना और इसका भीमकाय सघ एक वाहियात चीज़ है; और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से तो यह और भी बदतर है। समाजवाद का रास्ता तो जान-बूझकर रोक दिया गया है। ऊपरी तौर से बहुत कुछ जवाबदेही भी (लेकिन वह भी अधिकतर 'सुरक्षित' श्रेणियों को ही) सौंप दी गई है, लेकिन वास्तविक महत्त्व की कोई शक्तियाँ—कुछ कर-धर सकने के साधन नहीं दिये गये हैं। बिना किसी उत्तरदायित्व के सारी शक्ति इंग्लैण्ड अपने हाथों में रक्खे हुए है। निरंकुशता के नंगेपन को ढकने के लिए कोई झीनी चादर तक नहीं है। हरेक आदमी जानता है कि इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि विधान पूरी तरह से लचीला और ग्राह्य-शक्तियुक्त हो जिससे कि वह तेज़ी से बदलती रहनेवाली अवस्था के अनुकूल हो सके। निर्णय जल्दी होना चाहिए, और हाथ में उन निर्णयों को अमल में लाने की शक्ति, होनी भी चाहिए। इतने पर भी इसमें शक है कि पार्लैमेण्टरी प्रजातन्त्र भी, जैसा कि आजकल पश्चिम के कुछ देशों में चल रहा है, आधुनिक विश्व के सुचारु-संचालन के लिए आवश्यक परिवर्तन कर सकने में सफल हो सकेगा या नहीं, लेकिन वह प्रश्न हमारे यहाँ नहीं उठता, क्योंकि हमारी गति हथकड़ी और बेड़ियों से जान-बूझकर रोक दी गई है, और हमारे दरवाज़े बन्द करके ताले लगा दिये गये हैं। हमें ऐसी मोटर देदी गई है, जिसमें सब जगह रोकने के लिए ब्रेक तो काफ़ी लगे हुए हैं, लेकिन उसे चलानेवाला एंजिन नदारद है। मार्शल-लॉ—फौजी क़ानून ही जिनका सदा आधार है, ऐसे लोगों का बनाया हुआ यह शासन-विधान है। शस्त्रबल में विश्वास रखने वाले के लिए मार्शल-लॉ—फौजी क़ानून—ही उसका असली सहारा है, उसके लिए उसके छोड़ने का अर्थ है अपना सर्व नाश।

लिए ब्रिटिश राज का एक लाभ यह मालूम होता है कि पृथिवी के अनेक हिस्सों में बसनेवाले मूल निवासियों को इन मंहगी दर पर लङ्कासाथर का माल झरीदने के लिए मज़बूर कर सकेंगे।" सोलोन इसका सबसे अधिक ज्वलन्त और नया उदाहरण है।

इंग्लैण्ड के इस तोहफे से हिन्दुस्तान को किस हदतक आजादी मिली है, इसका पता इसी बात से चल सकता है कि नरम-से-नरम और राजनैतिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े हुए दलोंतक ने इसे प्रगति-विरोधी बताकर इसकी तीव्र निन्दा की है। सरकार के पुराने और कट्टर हिमायतियों को भी इसकी आलोचना करनी पड़ी है, लेकिन उन्होंने की है अपने उसी सदा के खुशामदी ढंग के साथ। दूसरे लोगों ने उग्र रूप से विरोध किया है।

नरम दलवालों का जो यह अटल विश्वास था कि भगवान ने हिन्दुस्तान को अंग्रेजों के मातहत करने में अपार बुद्धिमानी से काम लिया है, शासन-विधान की इन धाराओं ने उनके लिए उसपर उतना ही डटा रहना मुश्किल कर दिया है। उन्होंने तीव्र आलोचना की, लेकिन असलीयत की अवहेलना करके और सुन्दर शब्दों और लुभावने हाव-भावों में अनुरक्त होकर, उसमें इसी बात पर सबसे अधिक जोर दिया कि रिपोर्ट और बिल, दोनों में, 'डोमीनियन स्टेट्स' (औपनिवेशिक स्वराज) शब्द गायब हैं। इस सम्बन्ध में, उनकी तरफ से, बड़ा बावैला मचा था और अब क्योंकि सर सेमुअल होर ने इस विषय में एक वक्तव्य प्रकाशित कर दिया है, बहुत हदतक उससे उनके आत्म-सम्मान की रक्षा हो जायगी। सम्भव है, औपनिवेशिक स्वराज अज्ञात भविष्य के गर्भ में वास करनेवाली एक झूठी छायामात्र होगी—एक असम्भव से भी असम्भव जगह, जहाँ हम कभी पहुँच नहीं सकेंगे। हाँ, उसके सपने देख सकते हैं और उसकी अनेक सुन्दरताओं का ओजमय वर्णन कर सकते हैं। शायद ब्रिटिश पार्लमेण्ट के प्रति मन में पैदा हुए सन्देहों से परेशान होकर सर तेजबहादुर सप्रू ने अब सम्राट की शरण ली है। क्योंकि वह एक अत्यन्त सुयोग्य और कुशल कानूनदा है, उन्होंने एक नया ही वैधानिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। वह कहते हैं—“ब्रिटिश पार्लमेण्ट और ब्रिटिश जनता भारत के लिए कुछ करे या न करें, इन दोनों के ऊपर सम्राट है, जो कि भारतीय प्रजा का सदा हितचिन्तन और शान्ति और समृद्धि की आकांक्षा किया करते हैं।” यह ऐसा मुखद सिद्धान्त है, जो हमें शासन-विधान, कानून और राजनैतिक और सामाजिक क्रान्तियों की झंझटों में पड़ने से बचाता है।

लेकिन यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि नरम दलवालों ने शासन-विधान का विरोध कम कर दिया है। उनमें से अधिकांश ने यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया है कि वे मौजूदा हालतों को, बुरी होने पर भी, पसन्द करते हैं, बनिस्बत उस बिनमांगे तोहफे

१. सखनऊ की, २६ जनवरी १९३५ की एक सार्वजनिक सभा में दिये हुए एक भाषण से।

के जो कि हिन्दुस्तान के सर पर ज़बरदस्ती लादा जा रहा है। लेकिन इस बात को कहते रहने के सिवा, खुद उनके सिद्धान्त उन्हें आगे बढ़कर कुछ करने से रोकते हैं, और यह कहा जा सकता है कि वे उक्त बातों पर जोर देते नहेंगे। एक पुरानी कहावत, वर्त्तमान समय के अनुकूल तबदील कर दी जाने पर, उनके मोटो का अच्छा काम दे सकती है और वह है—“अगर एक बार कामयाबी न मिले, तो फिर-फिर चिल्लाओ !”

लिबरल नेताओं और कितने ही दूसरे लोगों ने, जिनमें कि कुछ कांग्रेसवाले भी शामिल हैं, इंग्लैण्ड में मजदूर दल की विजय और मजदूर सरकार की स्थापना पर कुछ आशा बाँध रखी है। निस्सन्देह कोई वजह नहीं है कि हिन्दुस्तान ब्रिटेन के प्रगतिशील दलों के सहयोग से आगे बढ़ने का प्रयत्न क्यों न करे, अथवा मजदूर सरकार के आगमन से लाभ क्यों न उठावे। लेकिन इंग्लैण्ड के भाग्यचक्र के परिवर्तन पर ही बिल्कुल निर्भर रहना न तो सम्मान की बात है, न राष्ट्रीय गौरव के ही किसी तरह अनुकूल है। और यह कोई अच्छी बुद्धिमानी की बात भी नहीं है। ब्रिटिश मजदूर दल से हम इतनी ज्यादा आशा क्यों रखें ? हम अभी दो बार मजदूर दल की सरकार देख चुके हैं, और उसके समय हिन्दुस्तान को जो तोहफ़े मिले हैं, उन्हें हम भूल नहीं सकते। श्री रेमजे मेकडानल्ड भले ही मजदूर दल से अलग हो गये हों, लेकिन उनके पुराने साथियों में भी कोई ज्यादा परिवर्तन हुआ दिखाई नहीं देता। सन् १९३० के अक्टूबर में साउथपोर्ट में होनेवाली मजदूर दल-कान्फ़ेन्स में श्री वी० के० कृष्ण मेनन ने यह प्रस्ताव रखा था—“इस कान्फ़ेन्स का यह विश्वास है कि यह बहुत ही ज़रूरी है कि हिन्दुस्तान में पूर्ण स्वराज की स्थापना के लिए स्वभाग्य-निर्णय का सिद्धान्त तुरन्त कार्य में परिणत किया जाय।” श्री आर्थर हेण्डर्सन ने इस प्रस्ताव को वापस ले लेने के लिए बड़ा जोर दिया और कार्यकारिणी की ओर से अपनी स्वभाग्य-निर्णय की नीति को भारत के लिए उपयोग में लाने का आश्वासन देने से साफ़ इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा—“हम यह बात बहुत ही साफ़ तौर से बता चुके हैं कि सम्भव हुआ तो हम हिन्दुस्तान के सब समुदायों से सलाह करेंगे। इस बात से सबका समाधान हो जाना चाहिए।” लेकिन लोगों का यह सन्तोष इस तथ्य को सामने रखने से शायद कम हो जायगा कि पिछली मजदूर सरकार और राष्ट्रीय सरकार की भी यही उद्घोषित नीति थी, जिसका परिणाम था राउण्ड टेबल कान्फ़ेन्स, व्हाइट-पेपर, जॉइन्ट पार्लामेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट और नया इण्डिया-एक्ट।

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि साम्राज्य की नीति के मामलों में इंग्लैण्ड के अनुदार

और मजदूर-दल में बहुत कम फर्क है। यह सच है कि सर्व-साधारण मजदूर-वर्ग कहीं अधिक आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन अपने अनुदार नेताओं पर उसका असर बहुत ही कम है। यह हो सकता है कि मजदूर दल के उग्र विचारवाले शक्तिसम्पन्न हो जायें, क्योंकि आजकल परिस्थितियाँ बड़ी तेजी से बदल रही हैं, लेकिन क्या विलायत के नीति-परिवर्तन के इन्तजार में, हमारी राष्ट्रीय और सामाजिक प्रगतियाँ अपना प्रवाह बदल दें और सो जायें ?

हमारे देश के लिबरल दलवाले ब्रिटिश मजदूर दल पर जिस तरह भरोसा किये बैठे हैं, उसका एक अजीब पहलू है। अगर, इसी क्रम से, यह मजदूर दल उग्र विचार का बन जाय और इंग्लैण्ड में अपने समाजवादी कार्यक्रम को कार्य में परिणत कर डाले, तो हिन्दुस्तान में और यहाँ के लिबरल और दूसरे नरम दलो पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी ? इनमें के अधिकांश लोग सामाजिक दृष्टि से कट्टर पुराण-पन्थी हैं। वे मजदूर दल के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों को पसन्द न करेंगे और भारत में उनके प्रचलित किये जाने से डरेंगे। यहाँ तक सम्भव हो सकता है कि अगर सामाजिक क्रान्ति ब्रिटिश-सम्बन्ध का लक्षण हो जाय तो शायद इन लोगों की ब्रिटिश-भक्ति समाप्त ही हो जाय। उस दशा में यह मुमकिन हो सकता है कि मुझ जैसे व्यक्ति जो राष्ट्रीय-स्वतंत्रता और ब्रिटेन से सम्बन्ध-विच्छेद के हामी हैं, अपने विचार बदल दें और समाजवादी ब्रिटेन के साथ निकट सम्बन्ध रखना पसन्द करने लगे। निस्सन्देह हममें से किसीको भी ब्रिटिश जनता के साथ सहयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है; यह उनका साम्राज्यवाद है, जिसके कि हम विरोधी हैं, साम्राज्यवाद को एकबारगी उन्होंने घटा बताई नहीं कि सहयोग का मार्ग खुल जायगा। उस समय नरम दलवालों का क्या होगा ? शायद वे नई व्यवस्था को, ईश्वर की अगाध बुद्धि का दूसरा संकेत समझकर, स्वीकार कर लेंगे।

गोलमेज कान्फ्रेन्स की कार्रवाई और संघ शासन के विधान का एक खास नतीजा है देशी नरेशों को मँदान में बहुत आगे ला देना। उनके और उनकी 'स्वतन्त्रता' के प्रति प्रदर्शित कट्टर अनुदारपन्थियों की शुभचिन्तकता ने उनमें एक नया जोश भर दिया है। इससे पहले कभी उनको इतना महत्त्व नहीं दिया गया था। पहले उनकी मजाल नहीं थी कि वे ब्रिटिश रेजीडेण्ट के संकेत मात्र तक को अस्वीकार कर दें, और अनेक देशी नरेशों के प्रति भारत सरकार का व्यवहार भी साफ ही अबहेलनापूर्ण था। उनके भीतरी मामलों में बराबर दस्तंदाजी होती रहती थी, जो अक्सर न्याय-संगत ही ठहराई जाती थी। आज भी अधिकांश रियासतें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूप से 'उधार' दिये हुए अंग्रेज-अफसरों द्वारा शासित हो रही हैं। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि श्री

चर्चिल और लार्ड रॉडरमियर के आन्दोलन ने सरकार को कुछ घबरा सा दिया है, और इसलिए वह उनके निर्णयों में हस्तक्षेप करने में फूँक फूँककर कदम रखने लगी है। देशी नरेश भी अब ज़रा कहीं अधिक अकड़ के साथ बात-चीत करने लगे हैं।

मैंने भारतीय राजनैतिक क्षेत्रों की बाहरी घटनाओं को समझने की कोशिश की है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये सब बातें कोई असली महत्त्व की नहीं हैं। और इन सबकी तह में रहनेवाली भारत की स्थिति का खयाल मुझे परेशान कर रहा है। असलीयत यह है कि हर तरह की स्वतन्त्रता का दमन हो रहा है, सर्वत्र घोर कष्ट और निराशा फैली हुई है, सद्भावना दूषित की जा रही है, और अनेक प्रकार की हीन वृत्तियों को प्रोत्साहन मिल रहा है। बहुत बड़ी संख्या में लोग जेलों में पड़े या अमूल्य यौवन नष्ट कर रहे हैं और बरसों से अपने जिगर का खून पी रहे हैं। उनके परिवार, मित्र और सम्बन्धी और हज़ारों दूसरे लोगों में कटुता बढ़ती जा रही है और नग्न पाशविकता के सामने अपनी जलालत और बेबसी की कुत्सित-भावना ने उन्हें घेर लिया है। साधारण समय में भी अनेक संस्थाएँ गैरकानूनी करार दे दी गई हैं और 'संकटकाल के अधिकार' (इमर्जेंसी पावर्स) और 'शान्ति रक्षा-विधान' (ट्रिक्विल्टी एक्ट्स) सरकारी शस्त्रागार में करीब-करीब स्थायीरूप से शामिल कर लिये गये हैं। स्वाधीनता पर प्रतिबन्ध लगाने के अपवाद दिन-दिन साधारण नियम से बनते जा रहे हैं। बहुसंख्यक पुस्तकें और पत्रिकायें या तो ज्वल

१. होम मेम्बर सर हेरी हेग ने २३ जुलाई १९३४ को बड़ी धारा सभा में जेलों और स्पेशल केम्पों में बन्द नज़रबन्दों की संख्या इस प्रकार बतलाई थी—बंगाल में १५०० और १६०० के बीच, देवली में ५००, कुल २००० और २१०० के बीच। यह संख्या तो नज़रबन्दों की है, जिन पर न तो मुकदमा चलाया गया न सज़ा दी गई। इसमें दूसरे राजनैतिक कैदी शामिल नहीं हैं। जिन लोगों को सज़ा दी गई है, आमतौर पर उनकी सज़ा बहुत अधिक है। ए.सोशिएटिड प्रेस के १७ दिसम्बर १९३४) कथनानुसार कलकत्ता के हाल के एक मामले में हाईकोर्ट ने बिना लाइसेंस हथियार और कारतूस रखने के अपराध में ६ वर्ष की कड़ी कैद की सज़ा दी थी ! अभियुक्त के पास एक रिवाल्वर और छः कारतूस निकले थे।

इन्हीं दिनों (१९३५ के पिछले पक्ष में) नागरिक स्वतन्त्रता का अपहरण-करने वाले कई क़ानूनों की मियाद और बढ़ा दी गई। इनमें से मुख्य क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेंट एक्ट—सारे हिन्दुस्तान में लागू कर दिया गया है। असेम्बली ने इस क़ानून को ठुकरा दिया था; लेकिन बाद में वाइसराय ने अपने विशेषाधिकार से इसे जायज कर दिया। दूसरे प्रान्तों में भी ऐसे ही क़ानून बनाये गये हैं।

की जा रही हैं या 'सी कस्टम्स एक्ट' के मातहत उनकी प्रवेश बंदी की जा रही है और 'भयंकर' साहित्य रखने के अपराध में लम्बी-लम्बी सजायें दी जाती हैं। किसी राजनैतिक या आर्थिक प्रश्न पर निर्भीक सम्मति देना अथवा रूस की वर्तमान सामाजिक या सांस्कृतिक स्थिति की प्रशंसात्मक रिपोर्टें सेंसर की प्रबल नापसन्दी का शिकार होती हैं। 'माडर्न रिव्यू' को बंगाल सरकार की ओर से महज इसी बात पर चेतावनी दे दी गई है कि उसने श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर का रूस-सम्बन्धी लेख छपा था, वह लेख जो उन्होंने स्वयं रूस जाकर आने के बाद लिखा था। भारत के उपमन्त्री इस पर पार्लमेण्ट में फ़रमाते हैं कि—“उस लेख में, भारत में ब्रिटिश राज्य की नियामतों का विकृतरूप दिखाया गया था” इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इन नियामतों के निर्णायक सेन्सर महोदय होते हैं, और हम उनके विरुद्ध मत नहीं रख सकते या जाहिर नहीं कर सकते। डब्लिन की सोसाइटी ऑफ़ फ़्रेण्ड्स के नाम भेजे गये श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर के संक्षिप्त वक्तव्य के प्रकाशन तक पर आपत्ति की गई थी। केवल सांस्कृतिक विषयों में रुचि रखने, और जान-बूझकर अपने को राजनीति से अलग रखनेवाले और न केवल हिन्दुस्तान बल्कि समस्त संसार में सम्मानित और विख्यात श्री रवीन्द्र जैसे सन्त कवि तक को जब इस तरह दबाया जाता है, तब विचारे असहाय जन-साधारण का तो कहना ही क्या? सरकार ने आतंक का जो बातावरण बना रखा है वह तो दमन के इन वास्तविक नमूनों से भी कहीं ज्यादा बदतर है। निष्पक्ष पत्र-सञ्चालन ऐसी परिस्थिति में असम्भव है; न इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति या मौजूदा समस्याओं का ही ठीक-ठीक अध्ययन हो सकता है। सुधार, उत्तरदायी शासन और ऐसी ही बातों की शुरुआत करने के लिए यह एक बड़ा विचित्र वातावरण बनाया गया है।

हरेक समझदार आदमी जानता है कि संसार इस समय एक विचार क्रान्ति के मध्य में है, और हमेशा मौजूदा परिस्थितियों के प्रति, अस्पष्ट या स्पष्ट रूप से अनुभूत घोर असन्तोष फेल रहा है। हमारे देखते-ही-देखते बड़े महत्त्व के परिवर्तन

१. १२ नवम्बर १९३४

२. ४ सितम्बर १९३५ को असेम्बली में हिन्दुस्तान में प्रेस एक्ट के प्रयोग के सम्बन्ध में एक सरकारी वक्तव्य दिया गया था। उसमें बताया गया था कि सन् १९३० के बाद ५१४ समाचार पत्रों पर ज़मानत और ज़ब्ती आदि का प्रयोग हुआ था। इनमें से २४८ पत्र बन्द कर देने पड़े, क्योंकि वे और अधिक ज़मानत की रकम की व्यवस्था न कर सके; बाक़ी के १६६ पत्रों में ज़मानत देवीं, जो २,५२,८५३ रुपये की रकम थी!

हो रहे हैं, और भविष्य, चाहे उसका रूप कुछ ही हो, बहुत दूर नहीं है—वह कोई ऐसी दूर की चीज़ नहीं है, जो मास्तिष्क में निरी शास्त्रीय दिलचस्पी पैदा करता हो। यह एक ऐसी वस्तु है, जिसका प्रत्येक व्यक्ति के हित अथवा अहित से सम्बन्ध होगा, इसलिए निश्चय ही प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि आज जो विभिन्न शक्तियाँ काम कर रही हैं उन्हें वह समझे और अपना कर्तव्य-पथ निश्चित करे, पुरानी दुनिया खत्म होने जा रही है और एक नये संसार का निर्माण हो रहा है। किसी समस्या का जवाब बूढ़ने के लिए यह जरूरी है कि पहले यह जान लिया जाय कि वह है क्या। निस्सन्देह समस्या का समझना उतना ही महत्त्व रखता है, जितना कि उसका हल निकालना।

अफसोस है कि हमारे राजनीतिज्ञ दुनिया की समस्याओं से आश्चर्यजनक रूप से नावाक़िफ हैं, या उनके प्रति उदासीन हैं। सम्भवतः यह अज्ञान अधिकांश सरकारी अफसरों तक बढ़ा हुआ है, क्योंकि सिविल सर्विसवाले बड़े मज़े से और सन्तोष के साथ अपने ही छोटे-से संकुचित दायरे में रहना पसन्द करते हैं। केवल सर्वोच्च अधिकारियों को ही इन समस्याओं पर विचार करना पड़ता है। ब्रिटिश सरकार को तो अवश्य ही लिखी हुई घटनाओं का ध्यान रखना पड़ता है और उन्हींके अनुसार अपनी नीति निर्धारित करनी पड़ती है। यह दुनिया जानती है कि ब्रिटिश वैदेशिक नीति पर हिन्दुस्तान के आधिपत्य और उसकी रक्षा का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। भला कितने भारतीय राजनीतिज्ञ यह विचारने की तकलीफ गवारा करते हैं कि जापान के साम्राज्यवाद, या रूस के सोवियट-सघ की बढ़ती हुई ताक़त, या स्यागकियाग में होनेवाले ब्रिटिश-रूस-जापानी षड्यन्त्र अथवा मध्य एशिया या अफ़गानिस्तान या फ़ारस की घटनाओं का हिन्दुस्तान की राजनैतिक समस्या के साथ अत्यन्त गहरा सम्बन्ध है? मध्य एशिया की स्थिति का प्रत्यक्ष परिणाम कश्मीर पर पड़ता है, इसलिए वह ब्रिटिश सरकार की साधारण और रक्षण नीति का आधार-स्तम्भ बन गई है।

किन्तु इससे भी अधिक महत्त्व के हैं वे आर्थिक परिवर्तन, जो आज सारे संसार में हो रहे हैं। हमें जान लेना चाहिए कि उन्नीसवीं सदी का तीर-तरीका गुज़र चुका है और वर्तमान अवश्यकतायें इसके जरिये पूरी नहीं की जा सकती। वकीलों का नज़ीरें दे-देकर शुरू करने का तरीका, हिन्दुस्तान में इतना अधिक प्रचलित है, जो अब, जब कि यहाँ नज़ीरें नहीं रही हैं, कुछ काम का नहीं रहा। बेलगाड़ी को रेल की पटरी पर रखकर उसे रेलगाड़ी नहीं कहा जा सकता। इसको नाअमली समझकर छोड़ देना होगा, और इसका स्थान दूसरे को देना होगा। रूस के सिवा भी 'नवीन-योजनाओं' और महान् परिवर्तनों की चर्चा हो रही

हैं। सब प्रकार से पूंजीवादी प्रणाली को कायम रखने और मजबूत करने की दिली इच्छा से प्रेसीडेण्ड रूजवेल्ट ने अत्यन्त साहसपूर्वक ऐसी योजनायें प्रचलित की हैं, जिससे अमेरिका का सारा जीवन ही बदल सकता है। उसने “अत्यधिक विशिष्ट अधिकार-प्राप्त वर्ग को उखाड़ फेंकने और पददलित निम्न वर्ग को सक्रिय रूप से उन्नत बनाने की” घोषणा की है। वह सफल हो या न हो, यह बात दूसरी है, लेकिन उस व्यक्ति का साहस और अपने देश को पुरानी लीक से बाहर खींच निकालने की उसकी महत्त्वकांक्षा अवर्णनीय है। अपनी नीति बदलने या अपनी भूलों को स्वीकार करने में भी वह नहीं हिचकिचाता। इंग्लैण्ड में श्री लायड जार्ज अपना ‘न्यू डील’ (नई योजना) लेकर सामने आये हैं। हम भारत में भी अनेक नई योजनायें चाहते हैं। यह पुरानी धारणा कि “जो कुछ जानने योग्य है, वह सब जान लिया गया है, और जो कुछ करने योग्य है, वह सब कुछ किया जा चुका है” एक भयंकर बेवकूफी है।

हमें बहुत-सी समस्याओं का सामना करना है और वह हमें बहादुरी के साथ करना चाहिए। क्या आज की सामाजिक और आर्थिक प्रणाली को ज़िन्दा रहने का कोई अधिकार है जब कि वह जन-साधारण की अवस्था को अधिकतर उन्नत करने में असमर्थ है? क्या कोई दूसरी प्रणाली इस प्रकार व्यापक प्रगति का आश्वासन देती है? केवल राजनैतिक परिवर्तन से किस हद तक क्रान्तिकारी प्रगति हो सकती है? अगर किसी प्रमुख आवश्यक परिवर्तन के रास्ते में स्थापित स्वार्थवाले बाधक हों तो क्या यह बुद्धिमानी और नैतिकता होगी कि जन-समूह की दुःख-दरिद्रता की कीमत पर उनको कायम रखने का प्रयत्न किया जाय? अवश्य ही उद्देश्य स्थापित स्वार्थों को आघात पहुँचाना नहीं है, वरन उनको दूसरे लोगों पर आघात करने से रोकना है। यदि इन स्थापित स्वार्थों से समझौता हो सकता मुमकिन हो सकता हो, तो वह कर लेना अत्यन्त वाञ्छनीय होगा। लोग भले ही इसके भलाई-बुराई के सम्बन्ध में मतभेद रखें, लेकिन समझौते की समाजिक उपयोगिता में बहुत कम को सन्देह होगा। साफ़ है कि समझौता यह इसप्रकार नहीं हो सकता कि एक नया स्थापित स्वार्थ कायम करके दूसरे स्थापित हित को हटाया जाय। जब कभी भी मुमकिन और जरूरी हो, समझौते के लिए उपयुक्त मुआवजा दिया जा सकता है, क्योंकि झगड़े से अधिक हानि होने की सम्भावना है। मगर, अफ़सोस है, कि सारा इतिहास यह बताता है कि स्थापित हितवाले ऐसे समझौते स्वीकार नहीं करते। वे वर्ग, जो कि समाज के प्रमुख अंग नहीं रह गये हैं, काफी विवेकशून्य होते हैं। वे सब कुछ या न कुछ के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं और इस तरह अपना अन्त कर लेते हैं।

ज़ब्ती आदि के सम्बन्ध में बहुत-सी ‘असम्बद्ध चर्चा’ (जैसाकि कांग्रेस कार्य-

समिति ने अपने एक प्रस्ताव में कहा था) हो रही है । लेकिन ज़ब्ती—मुस्तक़िल और मुतवातिर ज़ब्ती, तो मौजूदा प्रणाली का आधार है, और इसका अन्त करने के लिए ही सामाजिक क्रान्ति की बात कही जा रही है । हर रोज़ मजदूरों के गाढ़े पसीने की कमाई ज़ब्त की जा रही है; और इस हदतक लगान और मालगुजारी बढ़ाकर कि किसान उसके अदा करने में असमर्थ हो जायें, उसकी जोत ज़ब्त करली जाती है । पहले कुछ व्यक्तियों ने सार्वजनिक भूमि पर कब्ज़ा कर लिया और उससे बड़ी-बड़ी ज़मीदारियाँ बनाली; इस तरह भू-स्वामी किसान भी उखाड़ फेंके गये । सारांश यह कि ज़ब्ती ही मौजूदा प्रणाली का आधार है, वही उसका प्राण है ।

इसको कुछ हदतक सुधारने के लिए समाज कुछ सामयिक उपाय काम में लाता है, जो स्वयं ही ज़ब्ती के रूपक है, जैसे भारी टैक्स, विरासत-कर, कर्ज़ से छुटकारा दिलाने का क़ानून, मुद्रा-वृद्धि आदि । हाल ही में हमने राष्ट्रों को इन्कार करते, अपरिमित कर्ज़ की अदायगी से इन्कार करते देखा है; केवल रूस का सोवियट मघ ही नहीं, वरन अग्रणी पूंजीपति राष्ट्र तक इन्कार कर गये हैं । सबसे अधिक उज्ज्वल उदाहरण ब्रिटिश सरकार का है, जिसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का कर्ज़ अदा करने से इन्कार कर दिया है—खुद अंग्रेजों द्वारा हिन्दुस्तान के सामने रक्खा गया एक भयकर उदाहरण । लेकिन इन सब ज़ब्तियों से और कर्ज़ों को इस तरह रद्द कर देने से, सिर्फ़ कुछ हद तक ही मदद मिलती है, आधारभूत कारणों से छुटकारा नहीं मिलता । नये-निर्माण के लिए तो जड़ पर ही कुठाराघात करना होगा ।

मौजूदा हालत बदलने का उपाय निश्चित करने समय हमें भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से उसकी उपयोगिता का अन्दाज़ा करना होगा । बहुत संकुचित दृष्टि बनाये रखने से हमारा काम चल नहीं सकता—हमें दूरदर्शी बनना होगा । हमें देखना होगा कि इस परिवर्तन से, भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टियों से मनुष्य को सुख-समृद्धि की वृद्धि में कहाँतक सहायता मिलेगी । लेकिन हमें इस बात का भी सदा ध्यान रखना होगा कि मौजूदा व्यवस्था को न बदलकर, हमारे निराशामय और कुत्सित जीवन, भुखमरी और गरीबी और आध्यात्मिक तथा नैतिक पतन के गहन भार सहित उसे ज्यों-का-त्यों चलते रहने देने के लिए, हमें कितनी ज़बर्दस्त कीमत चुकानी पड़ती है । हमेशा प्रवाहित होनेवाली प्रलय की बाढ़ की तरह वर्तमान आर्थिक व्यवस्था अगणित मानव प्राणियों को लगातार कुचलती हुई तबाही की ओर लिये जा रही है । हम इस जल-प्रलयकारी बाढ़ को रोक नहीं सकते या हममें से कुछ लोग बाल्टी से पानी ऊलीच-ऊलीचकर इन प्राणियों को बचा नहीं सकते । बाँध

बनवाने होंगे, नहरें निकालनी होंगी, जल की नाशक शक्ति को बदलना और मनुष्य की भलाई के लिए उसका प्रयोग करना होगा।

यह स्पष्ट है कि समाजवाद जो महान् परिवर्तन लाना चाहता है, वह कुछ कानूनों के सहसा पास कर लेने मात्र से नहीं हो सकता। लेकिन और आगे बढ़ने और इमारत की नींव रखने के लिए कानून बनाने की मूल सत्ता का हाथ में होना जरूरी है। अगर समाजवादी समाज का महान् निर्माण करना है, तब तो वह न तो भाग्य के भरोसे पर छोड़ा जा सकता है, न रुक-रुककर, जितना कुछ बनाया गया है उसे तोड़ने का अवसर देते हुए, काम करने से बहूँ पूरा हो सकता है। इस तरह प्रमुख रुकावटों को हटाना होगा। हमारा उद्देश्य किसीको वञ्चित करना नहीं, वरन् सम्पन्न करना है, वर्तमान दरिद्रता को सम्पन्नता में बदल देना है। लेकिन ऐसा करने के लिए रास्ते में से सब रुकावटों और स्वार्थों को, जो कि समाज को पीछे रखना चाहते हैं, जरूर ही हटाना होगा। और जो रास्ता हम अस्विकार कर रहे हैं, वह सिर्फ इस प्रश्न पर निर्भर नहीं है कि हम क्या पसन्द करते हैं या क्या पसन्द नहीं करते, अथवा न केवल सैद्धान्तिक न्याय पर ही, वरन् इस बात पर निर्भर होगा कि वह आर्थिक दृष्टि से ठीक हो, उन्नति की तरफ ले जा सकने योग्य हो और जिससे ज्यादा-से-ज्यादा जन-समाज का कल्याण हो सके।

हितों अथवा स्वार्थों का संघर्ष अनिवार्य है। कोई बीच का रास्ता नहीं है। हममें से हरेक को अपना रास्ता चुनना होगा। लेकिन चुनने से पहले हमें उसे जानना होगा, समझना होगा। समाजवाद की भावुकतामय अपील से काम नहीं चलेगा। उसके साथ-साथ प्रमाणों और अंकों से पुष्ट आलोचना सविवेक और युक्तियुक्त तफसीली विवेचन भी होना चाहिए। पश्चिम में तो इस तरह का साहित्य बहुतायत से मौजूद है, लेकिन भारत में उसका भयंकर अभाव है, और बहुत-सी अच्छी-अच्छी किताबों का यहाँ आना रोक दिया गया है। लेकिन विदेशों की पुस्तकों का पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। अगर भारत में समाजवाद का निर्माण होना है, तो वह भारतीय अवस्थाओं के आधार पर ही होगा और इसके लिए उनका बारीकी से अध्ययन होना आवश्यक है। हमें इसके लिए ऐसे विशेषज्ञों की जरूरत है, जो गहरे अध्ययन के बाद एक सर्वांगीण योजना तैयार कर सके। बदकिस्मती से हमारे विशेषज्ञ अधिकांश में सरकारी नौकरियों में या अर्द्ध सरकारी यूनीवर्सिटियों में फँसे हुए हैं, और वे इस दिशा में आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सकते।

समाजवाद की स्थापना करने के लिए केवल बौद्धिक घातावरण ही काफ़ी नहीं है। दूसरी शक्तियाँ भी आवश्यक हैं। लेकिन मैं यह जरूर महसूस करता हूँ कि

बिना उस आधार के किसी हालत में भी हम विषय का मर्म नहीं समझ सकते, और न कोई जोरदार हलचल ही पैदा कर सकते हैं। इस क्षण तो खेती की समस्या हिन्दुस्तान की सबसे अधिक महत्त्व की समस्या है, और शायद भविष्य में भी ऐसी ही रहे। किन्तु औद्योगिक समस्या भी कम महत्त्व की नहीं है और वह बढ़ती ही जा रही है। हमारा लक्ष्य क्या है—कृषि-प्रधान राष्ट्र या उद्योग-प्रधान राष्ट्र ? अवश्य ही, मुख्यतः तो हमें कृषि-प्रधान ही रहना होगा, लेकिन उद्योग की ओर भी आगे बढ़ा जा सकता है, और मैं समझता हूँ, अवश्य बढ़ना चाहिए।

हमारे उद्योग-धन्धों के मालिक लोग अपने विचारों में आश्चर्यजनक रूप से पिछड़े हुए हैं; वे आधुनिक दुनिया के 'अप-टू-डेट' पूंजीपति भी नहीं हैं। साधारण लोग इतने निर्धन हैं कि वे उनको पक्का ग्राहक नहीं मानते, और मजदूरी की वृद्धि और काम के घण्टों की कमी करने की किसी भी मांग का वे जबर्दस्त विरोध करते हैं। इन्हीं दिनों कपड़े की मिलों में काम का समय दस घण्टे से घटाकर नौ घण्टे कर दिया गया है। इस पर अहमदाबाद के मिल मालिकों ने मजदूरों की,—फ़ुटकरिये मजदूरों तक की मजदूरी घटा दी है। इस तरह काम के घण्टों की कमी का अर्थ हुआ बेचारे मजदूर की आमदनी की कमी और उसके जीवन के रहन-सहन का और भी नीचा स्टेण्डर्ड। लेकिन रेशनलाइजेशन (अर्थात् औद्योगिक एकीकरण), मजदूर की उचित मजदूरी बढ़ाये बिना ही, उसपर काम का भार और उसकी धकान बढ़ाता हुआ, तेजी से बढ़ता जा रहा है। सब उद्योगवादियों का दृष्टिकोण उन्नीसवीं सदी के शुरू जमाने का-सा है। जब मौका आता है, वे अनाप-शाप लाभ उठाते हैं, और मजदूर वैसे-का-वैसा बना रहता है; लेकिन अगर कोई आफ़त आजाती है, तो मालिक लोग यह शिकायत करने लगते हैं कि मजदूरी घटाये बिना काम नहीं चल सकता। उनको सरकार की तो मदद ही है, हमारे मध्यम श्रेणी के राजनीतिज्ञों की सहानुभूति भी आमतौर पर उन्हींकी ओर है। इतने पर भी अहमदाबाद में सूती मिलों के मजदूरों की अवस्था कहीं अधिक अच्छी है बनिस्वत तम्बई या दूसरी जगह के। आमतौर पर सभी सूती मिल मजदूरों की हालत बंगाल के जूट मिलों के और कोयले की खानों के मजदूरों से अच्छी है। छोटे-छोटे, असंगठित उद्योग-धन्धों के मजदूर औद्योगिक परिमाण में सबसे नीचे दर्जे के हैं। कपड़े और जूट के करोड़पति मालिकों के गगनचुम्बी प्रासादों और विलासी जीवन और शान-शीकत की अगर अध-नंगे मजदूरों के रहने की काल-कोठरियों से तुलना की जाय तो उससे गहरी शिक्षा मिल सकती है। लेकिन हम इस अन्तर को स्वाभाविक मान लेते हैं और उससे किसी प्रकार विचलित या प्रभावित हुए बिना उसकी उपेक्षा कर देते हैं।

हिन्दुस्तान के मजदूर-वर्ग की हालत इतनी खराब है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से वह किसान-समुदाय की हालत से कहीं अच्छी है। किसान-समुदाय को एक लाभ ज़रूर है, वह यह कि वह खुली हवा में रहता है और गन्दी बस्तियों के पतित जीवन से बच जाता है। लेकिन उसकी हालत इतनी गिर गई है कि, वह अक्सर अपने स्वच्छ वायुमण्डलवाले गाँव को भी, गांधीजी के शब्दों में, गोबर का ढेर बना डालता है। उसमें सहयोग या मिलकर सामाजिक हित का काम करने की भावना ही नहीं होती। इसके लिए उसकी निन्दा करना आसान है, लेकिन वह बेचारा करे भी तो क्या, जबकि जीवन खुद ही इसके लिए एक अत्यन्त कटु और लगातार व्यक्तिगत संघर्ष का विषय बन गया है और हरेक आदमी उसपर प्रहार करने के लिए हाथ उठाये खड़ा है? किस तरह वह अपनी जिन्दगी बिता रहा है, यही अत्यन्त आश्चर्य की बात है। देखा गया है कि सन् १९२८-२९ में पंजाब के ठेठ किसान की औसत आमदनी नौ आना थी। लेकिन १९३०-३१ में वह गिर कर तीन पैसे प्रति व्यक्ति हो गई! पंजाब के किसान युक्तप्रान्त, बिहार और बंगाल के किसानों की अपेक्षा कहीं अधिक खुशहाल माने जाते हैं। युक्तप्रान्त के कुछ पूर्वी जिलों (गोरखपुर वगैरा) में, मन्दी आने से पहले समृद्धि के दिनों में मजदूरी दो आना रोज थी। मानव-प्रेम या ग्रामोन्नति के स्थानीय प्रयत्नों द्वारा इस दर्दनाक हालत को उन्नत करने की बातें करना बेचारे किसान और उसकी ब्रेबसी का मज़ाक उड़ाना है।

हम इस दलदल से किस तरह निकल सकते हैं? ऐसी गिरी हुई हालत से जन-समूह को उठाना कठिन तो अवश्य है; लेकिन उसका कुछ उपाय तो सोचना ही होगा। लेकिन असली दिक्कत तो उस स्वार्थी समुदाय की तरफ़ से आती है, जो तब-दीली का विरोधी है, और साम्राज्यवादी सत्ता की अधीनता में रहते हुए तबदीली का हो सकना गैर-मुमकिन-सा मालूम होता है। आगामी वर्षों में भारत क्या रख अस्तियार करेगा? समाजवाद और फ्रांसिज्म इस युग की प्रधान वृत्तियाँ मालूम होती हैं, और मध्यममार्ग तथा डिलमिल-यकीन समुदाय लुप्त होते जा रहे हैं। सर मालकम हेली ने भविष्यवाणी की थी कि हिन्दुस्तान राष्ट्रीय-समाजवाद को ग्रहण करेगा जो एक प्रकार का फ्रांसिज्म ही है। निकट भविष्य के लिहाज़ से तो शायद उनका कहना ठीक ही है। देश के नवयुवक और युवतियों में फ्रांसिस्ट भावना साफ़ प्रकट है—खासकर बंगाल में और किसी हद तक दूसरे प्रान्तों में भी, और कांग्रेस में भी उसकी झलक आने लगी है। फ्रांसिज्म का सम्बन्ध उग्र रूप की हिंसा से होने के कारण कांग्रेस के बड़े-बूढ़े, जिन्होंने अहिंसा का व्रत ले रक्खा है, स्वभावतः ही उससे डरते हैं। लेकिन फ्रांसिज्म का, कार्पोरेट स्टेट का, यह कथित तात्त्विक आधार कि व्यक्तिगत

सम्पत्ति क्रायम रहे और स्थापित स्वार्थों का लोप न होकर राज्य का उत्तमपर नियन्त्रण रहे, शायद उन्हें पसन्द आजायगा। शुरु में ही देखने पर यह तो बड़ा सुन्दर ढंग मालूम होता है, जिससे कि पुराना तरीका बना भी रहे और नया भी मालूम हो। रोटी खा भी लो और उसे बनाये भी रक्खो, ये दोनों बातें एकसाथ मुमकिन भी हैं या नहीं, यह बात दूसरी है।

फ्रांसिज्म को अगर सचमुच प्रोत्साहन मिला तो वह मिलेगा मध्यम श्रेणी के नवयुवकों से। वस्तुतः इस समय हिन्दुस्तान में जो क्रान्तिकारी हैं वह मध्यम श्रेणी का ही भाग हैं, मजदूर या किसान वर्ग का उतना नहीं, हालांकि कल-कारखानों के मजदूर-वर्ग में इसकी शक्यता अधिक है। यह राष्ट्रवादी मध्यम श्रेणी फ्रांसिस्ट विचारों के प्रचार के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। किन्तु जबतक विदेशी सरकार बनी हुई है, योरप के ढंग का फ्रांसिज्म यहाँ नहीं चल सकेगा। भारतीय फ्रांसिज्म भारतीय स्वतन्त्रता का अवश्य ही हामी होगा, और इसलिए ब्रिटिश साम्राज्यवादिता से वह अपनेको मिला न सकेगा। इसे जन-साधारण से सहायता लेनी पड़ेगी। यदि ब्रिटिश सत्ता सर्वथा उठ जाय तो फ्रांसिज्म बड़ी तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि मध्यमश्रेणी के उच्चवर्ग तथा स्थापित स्वार्थों से इसे सहायता अवश्य मिलेगी।

लेकिन ब्रिटिश सत्ता के शीघ्र उठ जाने की सम्भावना नहीं है, और इस बीच सरकार के उग्र दमन के बाद भी समाजवादी और कम्युनिस्ट विचारों का भी ज़ोरों से प्रचार हो रहा है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी (साम्यवादी संस्था) शैर कानूनी करार दे दी गई है, और साम्यवादी शब्द का इतना लचीला अर्थ लगाया जाता है कि उससे सहानुभूति रखनेवाले और उन्नत-प्रोग्रामवाले मजदूर सघों तक को शामिल कर लिया जाता है।

फ्रांसिज्म और साम्यवाद, इन दोनों में से मेरी सहानुभूति बिल्कुल साम्यवाद की ओर है। इस पुस्तक के इन्हीं पृष्ठों से मालूम हो जायगा कि मैं साम्यवादी होने से बहुत दूर हूँ। मेरे संस्कार शायद एक हद तक अब भी उन्नीसवीं सदी के हैं और मानववाद की उदार-परम्परा का मुझपर इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा है कि मैं उससे बिल्कुल बचकर निकल नहीं सकता। यह मध्यमवर्गीय संस्कार मेरे साथ लगे

१. मानववाद (Humanism) वह विचारधारा अथवा कर्म-पद्धति है जिसमें आधिर्देविक अथवा धार्मिक दृष्टिकोण से देखने की अपेक्षा मानवहित को अपना अपना मुख्य दृष्टिकोण माना जाता है। अर्थात् इस मत के अनुसार मनुष्य प्राणी के इतिहास पर ही सब वस्तुओं की उपयोगिता-अनुपयोगिता नापो जानी चाहिये।

रहते हैं और इसलिए स्वभाव से ही बहुत-से साम्यवादी मित्रों की खिलाफ़ाट के कारण बने हुए हैं। कट्टरता को मैं नापसन्द करता हूँ, और कार्ल मार्क्स के लेख या और किसी दूसरी पुस्तक को ईश्वरीय वाक्य समझना, जिसको कि चेलेञ्ज न किया जा सके, और सैनिक अन्धानुकरण और स्वमत-विरोधियों के खिलाफ़ जिहाद, जो कि आज के साम्यवाद के प्रधान लक्षण से बन गये हैं, मुझे पसन्द नहीं हैं।

मूल्यों के सिद्धान्त (Theory of Value) या दूसरे किन्हीं बातों में मार्क्स का विवेचन गलत हो सकता है, मैं उसका निर्णय करने के लिए उपयुक्त नहीं हूँ, फिर भी मैं समझता हूँ कि समाज-विज्ञान में उसकी एक असाधारण और अत्यन्त गहन गति थी और प्रत्यक्ष में इसका कारण थी वह वैज्ञानिक शैली जो उसने अस्तित्व की थी। अगर इस शैली के अनुसार पूर्व इतिहास या वर्तमान घटनाओं का अध्ययन किया जाय तो अन्य किसी भी प्राप्त शैली की अपेक्षा वह जल्दी हो सकेगा, और यही कारण है कि आधुनिक जगत् में होनेवाले परिवर्तनों का जो आलोचनात्मक और शिक्षाप्रद विवेचन हो रहा है, वह मार्क्स-मतानुयायी लेखकों की ओर से ही हो रहा है। यह कहना आसान है कि मार्क्स ने, मध्यमवर्ग में होनेवाली क्रान्तिकारी भावनाओं की जागृति, जो आज इतनी प्रत्यक्ष है, और ऐसी ही कुछ दूसरे प्रवृत्तियों की उपेक्षा की अथवा उनका महत्व कम आँका है। लेकिन मार्क्सवाद की सबसे बड़ी विशेषता जो मुझे मालूम होती है, वह है उसमें कट्टरता का अभाव होना, निश्चित दृष्टिकोण पर आग्रह रखना और उसकी क्रियाशीलता। यह दृष्टिकोण हमें अपने समय के समाज-संगठन को समझने में सहायता कर सकता है और काम करने का तरीका और बाधाओं से बचने का उपाय बता सकता है।

लेकिन कार्य का वह तरीका भी स्थायी अथवा अपरिवर्तनीय नहीं है, बल्कि उसे स्थिति के अनुकूल बनाया जा सकता है। कम-से-कम लेनिन की यही राय थी और उसने परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार काम करके बुद्धिमत्तापूर्वक इसे साबित भी कर दिया। वह हमसे कहता है कि "किसी खास अवसर की वास्तविक परिस्थिति का, विकास की एक विशेष सीमा तक पहुँच जाने पर, विस्तृत रूप से विचार किये बिना, किसी संघर्ष के निश्चित साधनों के प्रश्न पर 'हाँ,' या 'ना' कह देना मार्क्स-पद्धति का बिल्कुल उल्लंघन करना है।" उसने फिर कहा है—"दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है, परिस्थितियों से हमें शिक्षा लेनी होगी।"

इस विस्तृत और व्यापक दृष्टिकोण के कारण ही एक सच्चा समझदार साम्यवादी व्यक्ति, एक हृद तक सामाजिक जीवन की सजीव भावना जगाता है।

राजनीति उसके लिए तात्कालिक हानि-लाभ का लेखा या अंधेरे में टटोलने

की चीज़ नहीं रह जाती। जिन आदर्शों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वह प्रयत्न करता है, वे उसके लिए परिश्रम और उसके प्रसन्नतापूर्वक किये हुए बलिदान को सार्थक और सफल बनाते हैं। वह समझता है कि वह उस महान् सेना का एक अंग है जो मनुष्यजाति का भाग्य और उसका भविष्य रचने के लिए आगे बढ़ रही है, और 'इतिहास के साथ क़दम-ब-क़दम चलने' की उसमें बुद्धि है।

शायद अधिकांश कम्यूनिस्ट इन सब बातों को नहीं समझते। शायद लेनिन ही ऐसा शख्स था जो जीवन की इस सजीव भावना को पूरी तरह समझता था, जिसने कि उसके प्रयत्नों को इतना कारगर बनाया। फिर भी, कुछ हद तक, हरेक कम्यूनिस्ट, जो उसके आन्दोलन के तत्त्व को समझ सका है, इन बातों को जानता है।

बहुत-से कम्यूनिस्टों के साथ सन्न के साथ पेश आसकना बहुत मुश्किल है; उन्होंने दूसरों को चिढ़ाने देने का अजीब ढंग अख़्तियार कर लिया है। लेकिन वे भी बुरी तरह सताये हुए आदमी हैं, और रूस के सोवियट-संघ के बाहर, उन्हें अनगिनती कठिनाइयों का मुक़ाबिला करना पड़ता है। मैंने इनके महान् साहस और बलिदान की शक्ति को हमेशा सराहा है। करोड़ों भाग्य हीनों की तरह वे भी अनेक प्रकार से बहुत मुसीबतें उठाते हैं, लेकिन किसी क्रूर और सर्व शक्तिसम्पन्न दैव में अन्ध-श्रद्धा रखकर नहीं। मर्दों की तरह वे मुसीबतों का सामना करते हैं, और उनके इस मुसीबत बरदाश्त करने में एक कण ग़ौरव रहता है।

रूस के समाजवादी प्रयोगों की सफलता-असफलता का माक़स के सिद्धान्तों पर कोई ज़ाहिरा असर नहीं पड़ता। यह हो सकता है, हालाँकि इसकी अधिक सम्भावना नहीं है, कि प्रतिकूल परिस्थितियों या राष्ट्र-शक्तियों का इकट्ठा हो जाना उन प्रयोगों को तहस-नहस कर डाले। लेकिन उस महान् सामाजिक उथल-पुथल का महत्त्व फिर भी बना ही रहेगा। वहाँ अधिकतर जो कुछ भी हुआ, उसके प्रति मेरी स्वाभाविक अरुचि होते हुए भी मैं यह समझता हूँ कि वह संसार के लिए ज्यादा से ज्यादा आशा का संदेश देता है। मुझे रूस का पूरा ज्ञान नहीं है, और न मैं अपने आपको उसके कार्यों का उपयुक्त निर्णायक ही समझता हूँ। मेरा अन्देश तो यह है कि अत्यधिक हिंसा और दमन का वातावरण उनके पीछे कहीं ऐसी भयंकर लीक न छोड़ जाय, जिससे उनका पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाय। लेकिन सबसे बड़ी बात जो रूस के वर्तमान भाग्य-विधाताओं के पक्ष में कही जा सकती है, वह यह है कि वे लोग अपनी भूलों से शिक्षा ग्रहण करने में नहीं हिचकते। वे अपना क़दम पीछे ले सकते हैं, और फिर नये सिरे से शुरू कर सकते हैं। अपने आदर्शों को वे हमेशा अपने सामने रखते हैं। कम्यूनिस्ट इन्टरनेशनल—अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादीसंघ—द्वारा दूसरे देशों

में उठायी गई उनकी प्रगतियां नितान्त असफल रही हैं, और अब तो वैसी प्रगतियां घटते-घटते कम-से-कम रह गई हैं।

और फिर हिन्दुस्तान में तो कम्यूनिज्म और समाजवाद अभी दूर की बात है, बशर्त कि बाहर की घटनायें उसे क्रम-आगे बढ़ाने को विवश न कर दें। हमें अपने यहाँ कम्यूनिज्म का सामना नहीं करना है, बरन उससे बढ़कर सम्प्रदायवाद का करना है। साम्प्रदायिकता की दृष्टि से हिन्दुस्तान एक गहरे अन्धकार में है। प्रभावशाली लोग निकम्मी बातों, साजिशों और हथकण्डे फैलाने में यहाँ अपनी शक्ति बरबाद कर रहे हैं और इनमें एक-दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से बिरले ही ऐसे होंगे जो दुनिया को ऊँचा उठाने और अधिक उज्ज्वल बनाने के प्रयत्न में दिलचस्पी रखते हों। लेकिन शायद यह तो एक अस्थायी हालत है, जो कि शीघ्र ही मिट जायगी।

कम-से-कम काँग्रेस इस साम्प्रदायिक अन्धकार से ज्यादातर दूर ही है, लेकिन उसका दृष्टिकोण निम्न बुर्जुआ जैसा है, और इसके, तथा दूसरी समस्याओं के लिए जो उपाय वह सोचती है, वे भी निम्न बुर्जुआई ढंग के-से ही हैं। मगर इस ढंग से उसका सफल हो सकना मुमकिन नहीं मालूम होता। वह आज इस निम्न मध्यम श्रेणी की प्रतिनिधि है, क्योंकि इस समय इसीकी आवाज़ बुलंद है और यही सबसे अधिक क्रान्तिकारी है। लेकिन फिर भी वह इतनी ताकतवर नहीं है, जितनी कि वह दिखाई देती है। वह दोनों ओर—एक सबल और सुरक्षित और दूसरी अब भी कमजोर लेकिन बढ़ती हुई—दो शक्तियों से दबाई जा रही है। इस समय वह अपने अस्तित्व के खतरे में से गुज़र रही है; भविष्य में उसका क्या होगा, यह कह सकना कठिन है। जबतक वह अपने महान् उद्देश, राष्ट्र की आज़ादी, की प्राप्ति को पूरा नहीं कर लेती, तबतक वह उन सुरक्षित शक्तियों की ओर जा नहीं सकती। लेकिन इसके पहले कि वह इसमें सफलता हासिल करे यह मुमकिन है कि दूसरी शक्तियाँ ज़ोर पकड़ लें और उसे अपनी ओर खिचने के लिए प्रभावित कर लें। या धीरे-धीरे उसकी जगह ले लें। लेकिन, यह संभव मालूम होता है कि जबतक राष्ट्रीय स्वतन्त्रता बहुत कुछ अंशों में प्राप्त नहीं हो जाती, तबतक काँग्रेस एक मुख्य शक्ति बनी रहेगी।

कोई भी हिंसाजनक प्रवृत्ति अनावश्यक, हानिकर और शक्ति की बरबादी मालूम होती है। मेरा खयाल है कि असफल और इक्की-दुक्की हिंसा के कुछ उदाहरणों के होते हुए भी हिन्दुस्तान ने आम तौर पर इस प्रवृत्ति की निरर्थकता को समझ लिया है। वह रास्ता हमें हिंसा और प्रतिहिंसा की निराश भूल-भुलैयाँ में डालने के सिवा, जिससे कि निकल सकना मुश्किल होगा, और कहीं नहीं ले जा सकता।

हमसे अक्सर यह कहा जाता है कि हमको आपस में एक सूत्र में बंध जाना चाहिए और सबको 'मिलकर मुक्ताबिला' करना चाहिए। श्रीमती सरोजिनी नायडू अपनी सारी कवि-मुलभ भावुकता के साथ इसका जोरों से प्रचार करती हैं। वह कवि हैं, इसलिए प्रेम और एकता के महत्त्व पर जोर देने का उन्हें अधिकार है। इसमें शक नहीं कि 'संयुक्त मुक्ताबिला' हमेशा ही वांछनीय वस्तु है, बगते कि वह मुक्ताबिला हो। इस वाक्य का विश्लेषण किया जाय तो उससे इसी नतीजे पर पहुँचते हैं कि जो कुछ चाहा जाता है वह है भिन्न-भिन्न वर्गों के चोटी के व्यक्तियों का पारस्परिक शर्तनामा या समझौता। ऐसे मजमूए का लाजिमी नतीजा यह होगा कि अत्यन्त शंकाशील और नरम लोग लक्ष्य का निर्णय और पथप्रदर्शन करेगे। जैसाकि सबको पता है, उनमें से कुछ लोग हर तरह के आन्दोलन को नापसन्द करते हैं, इसलिए नतीजा होगा 'संयुक्त अवरोध' अर्थात् सब हलचलों का एक जाना—'संयुक्त सामने' के बजाय 'संयुक्त पीठ दिखाने' का एक व्यापक प्रदर्शन होगा।

अवश्य ही यह कहना बेवकूफी होगी कि हम लोग दूसरों के साथ सहयोग या समझौता न करेंगे। जीवन और राजनीति दोनों ही इतने गढ़ हैं कि उनका सरलता से समझा जा सकना हमेशा मुश्किल है। लेनिन जैसे कट्टर आदमी तक ने कहा था कि "बिना समझौता किये या मार्ग बदले आगे कुछ करना मानसिक छिछोर-पन है, और क्रान्तिकारी वर्गों की गम्भीर कार्य-कुशलता के विरुद्ध है।" समझौते लाजिमी है, पर हमें उनके सम्बन्ध में बहुत अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम समझौता करें या उससे इनकार कर दे, यह एक गौण बात है। असली बात तो यह है कि मुख्य वस्तुओं को हमेशा पहला स्थान मिलना चाहिए, और गौण वस्तुयें उनका स्थान कभी न लेने पावें। अगर हम अपने सिद्धान्त और ध्येय पर दृढ़ हैं तो अस्थायी समझौते कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकते। लेकिन खतरा यही है कि कहीं हम अपने कमजोर भाइयों की अप्रसन्नता के डर से अपने सिद्धान्तों और ध्येयों से पीछे न हट जायें। किसीको गुमराह करना कहीं ज्यादा बुरा है, बनिस्वत किसी को नाखुश करने के।

मे प्रचलित घटनाओं के सम्बन्ध में सरसरी तौर पर और कुछ हद तक तात्त्विक दृष्टि से लिख रहा हूँ और एक दूर बैठे हुए दशक की तरह तटस्थ रहने की कोशिश करता हूँ। आम तौर पर यह खयाल है कि जब कार्य मुझे अपनी ओर बुलाता है, तब मैं तमाशबीन नहीं बना रहता, बल्कि अक्सर मुझसे कहा गया है, कि मेरा दोष यह है कि काफ़ी उत्तेजना के बिना ही मैं बेवकूफी से उसमें कूद पड़ता हूँ। मैं अब क्या करूँगा, और अपने देशबन्धुओं को क्या करने की सलाह दूँगा, यह सब

निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। शायद सार्वजनिक कामों में लगे हुए व्यक्ति की स्वाभाविक सतर्क वृत्ति मुझे समय से पहले ही किसी बात से बचन-बद हो जाने से रोक देती है। लेकिन अगर मैं सचाई के साथ कहूँ तो कहना होगा कि सचमुच मैं कुछ नहीं जानता, न जानने की कोशिश ही करता हूँ। जब मैं काम कर नहीं सकता, तब परेशान क्यों होऊँ? जरूर ही मैं एक बहुत हद तक तो परेशान होता हूँ, लेकिन यह अनिवार्य है। कम-से-कम जबतक मैं जेल में हूँ, तबतक तो, मैं तत्काल-निर्णय की समस्याओं के चक्कर में फँसने से बचने की कोशिश करता हूँ।

जेल में रहते हुए सब हलचलों से दूर रहना पड़ता है। यहाँ मनुष्य को घटनाओं का शिकार होकर रहना पड़ता है, कार्य का विषय बनकर नहीं; भविष्य में कुछ होने की आशा में रह-रहकर इन्तज़ार करना पड़ता है। मैं हिन्दुस्तान और सारी दुनिया की राजनैतिक और सामाजिक समस्याओं पर लिख रहा हूँ, लेकिन जेल की अपनी इस छोटी-सी दुनिया को, जो कि एक अर्थ से मेरा घर बन गई है, इस सबसे क्या वास्ता? क़ैदियों की एक ही बात में खास बड़ी दिलचस्पी रहती है, और वह है उनकी अपनी रिहाई की तारीख का खयाल।

नैनी जेल में और यहाँ अलमोड़ा में भी बहुत-से क़ैदी मेरे पास 'जुगली' के बारे में पूछने को आया करते थे। पहले तो मैं समझ ही नहीं सका कि यह 'जुगली' क्या चीज़ है; लेकिन बाद को मुझे खयाल आया कि वह जुबिली है। वे बादशाह जार्ज की सिलवर जुबिली मनाई जाने की अफ़वाहों की ओर निर्देश करते थे, लेकिन उसे समझते न थे। पिछले उदाहरणों के कारण उनके लिए उसका एक ही अर्थ था—कुछ लोगों की जेल से मुक्ति या सज़ा में काफी कमी। इसलिए हरेक क़ैदी, और खासकर लम्बी अवधिवाले क़ैदी, आगे आनेवाली 'जुबली' के बारे में बड़े उत्सुक थे। उनके लिए शासन-सुधार-विधान, पार्लियामेंट के क़ानून और समाजवाद और कम्यूनिज़्म की बनिस्बत यह 'जुगली' कहीं ज्यादा महत्त्व की चीज़ थी।

उपसंहार

हमें कर्म करने का आदेश है; किन्तु यह क्षमता हमें नहीं दी गई है कि हम अपने कार्यों को पूरा कर सकें।

तालमद्

मैं अपनी कहानी की समाप्ति पर पहुँच गया हूँ। अपनी जीवन यात्रा का, अधिकतर अपने से ताल्लुक रखनेवाला, यह विवरण, जैसा कुछ भी यह है, अलमोड़ा ज़िला जेल के अपने निवास के आज दिन—१४ फ़रवरी १९३५—तक का है। तीन महीने पहले, आज के ही दिन मैंने इस जेल में अपनी पेंतालीसवीं वर्षगांठ मनाई थी, और मैं खयाल करता हूँ कि अभी मुझे और भी कई बरस जीना हैं। कभी-कभी उम्र और थकान का खयाल मुझपर ग़ालिब आ जाता है; लेकिन फिर मैं अपनेको उत्साह और चैतन्य से भरपूर महसूस करने लगता हूँ। मेरा शरीर काफ़ी गठीला है और मेरे दिमाग में सदमो को पार कर जाने की क्षमता है, इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं अभी काफ़ी असें तक ज़िन्दा रहूँगा, बशर्ते कि कोई अचटित घटना न घट जाय। लेकिन इसके पहले कि भविष्य के सम्बन्ध में कुछ लिखा जाय उसका उपभोग कर लिया जाना ज़रूरी है।

मेरे ये साहसिक काम शायद बहुत उत्तेजना पैदा करनेवाले नहीं रहे हैं; कई बरसों के जेल-निवास को साहसिक कार्य का नाम नहीं दिया जा सकता और न वे किसी तरह अद्वितीय ही हुए हैं; क्योंकि इन बरसों को मैंने, उनके सब उतार-चढ़ाव सहित, अपने हज़ारों देश-भाइयों और बहनों के साथ बिताया है, और इसलिए जुदी-जुदी भावनाओं, और हर्ष-विषाद, प्रचण्ड हलचलों और बरबस एकांतवास का यह वर्णन, हम सबका संयुक्त वर्णन है। मैं जन-समूह में का ही एक व्यक्ति रहा हूँ, उसके साथ काम करता रहा हूँ, कभी उसका नेतृत्व कर उसे आगे बढ़ाता रहा हूँ, कभी उससे प्रभावित होता रहा हूँ, और फिर भी, दूसरी इकाइयों की तरह दूसरों से अलग जन-कोलाहल के बीच में अपना पृथक् जीवन व्यतीत करता हूँ। हम अक्सर भिन्न-भिन्न रूप में प्रकट हुए हैं, और उनके अनुसार अपने अनेक रंग बताये हैं, लेकिन हमने जो कुछ किया उसमें बहुत कुछ असलीयत थी, बहुत सच्चाई थी, और उसने हम नाचीज़ प्राणियों को ऊँचा उठा दिया, हमें अधिक सजीव बना दिया और इतना महत्त्व दे दिया जो कि अन्यथा हमें मिल नहीं सकता था। कभी-कभी हमें जीवन की उस पूर्णता को अनुभव करने का सौभाग्य मिला जो आदर्शों को कार्यरूप में परिणत करने से होती है और हमने समझ लिया कि इससे भिन्न कोई भी दूसरा ऐसा जीवन

बिताना, जिसमें इन आदर्शों का परित्याग करके किसी महान् शक्ति के सामने दीनता-अधीनता ग्रहण करनी होती, अपने अस्तित्व को नष्ट करना होता, असन्तोष और अन्तःक्लेश से भरा होता।

इन वर्षों में मुझे बहुत-से तोहफों के साथ-साथ एक अनमोल तोहफा यह भी मिला है कि मैं जीवन को अधिकाधिक महत्त्व का प्रयोग समझने लगा हूँ, जहाँ इतना सीखने को मिलता है। क्रमोन्नति की भावना मुझमें हमेशा रही है, वह अब भी मुझमें है और मेरी हलचलों, उसी तरह पुस्तकों के पठन-पाठन में रुचि पैदा करती है और आम तौर पर जीवन को जीने योग्य बनाती है।

‘मेरी कहानी’ के लिखने में मैंने हरेक घटना पर जो मनोभाव और विचार उठते थे, उन्हें देने का—जहाँतक सम्भव हो सकता था उस समय के अपने भाव स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। किसी बीते हुए मनोभाव को फिर से याददाश्त पर लाना कठिन है, और बाद में आनेवाली घटनाओं को भुलाना सरल नहीं है। इस तरह मेरे आरम्भिक दिनों के वर्णन पर पिछले विचारों का प्रभाव जरूर पड़ा होगा, लेकिन मेरा उद्देश्य, खासकर अपने ही लाभ के लिए, अपने मानसिक विकास को अंकित करना था। मैंने जो कुछ लिखा है, शायद वह इस बात का इतना वर्णन नहीं है, कि मैं क्या रह चुका हूँ, जितना इस बात का कि कभी-कभी मैं कैसा होना चाहता था, या कैसा होने की कल्पना करता था।

कुछ महीनों पहले सर सी० पी० रामस्वामी ऐयर ने अपने एक सार्वजनिक भाषण में कहा था कि मैं जनता के भावों को प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि और भी अधिक खतरनाक व्यक्ति, अपने आत्म-बलिदानों, आदर्शवाद और आत्मविश्वास की दृढ़ता के कारण, जिसे कि उन्होंने ‘आत्मसम्मोहन’ कहा था, हो गया हूँ। ‘आत्मसम्मोहन’ से ग्रस्त व्यक्ति शायद ही अपने सम्बन्ध में निर्णय कर सकता है और किसी भी हालत में मैं इस व्यक्तिगत मामले में सर रामस्वामी के साथ बहस-मुवाहिसे में न पड़ना चाहूँगा। बहुत बरसों से हम एक-दूसरे से मिले नहीं हैं, लेकिन बहुत असें पहले एक समय था जबकि हम दोनों होमरूल लीग के संयुक्त मंत्री थे। उसके बाद को बहुत घटनायें घट चुकी हैं और रामस्वामी चक्करदार जीनों को पार करते हुए गगनचुम्बी मीनार पर चढ़ते-चढ़ते चोटी तक जा पहुँचे, जबकि मैं पृथिवी पर ही, पृथिवी का साधारण प्राणी बना हुआ हूँ। सिवा इसके कि हम दोनों एक राष्ट्रवासी हैं अब उनमें और मुझमें कोई समानता नहीं रही है। वह अब, पिछले कुछ बरसों से भारत में ब्रिटिश-राज्य के जबरदस्त हामी है, भारत और उससे बाहर दूसरी जगह डिवटेटरशिप के समर्थक है और खुद भी एक देशी रियासत में स्वेच्छा-

चारिता के चमकदार आभूषण बने हुए हैं। मैं समझता हूँ, हम अधिकांश बातों में मतभेद रखते हैं, लेकिन एक साधारण से मामले में हम सहमत हो सकते हैं। उनका यह कहना बिल्कुल सच है कि मैं जनता का प्रतिनिधि नहीं हूँ। इस विषय में मुझे कोई भ्रम नहीं है।

निस्सन्देह, कभी-कभी मैं यह सोचने लगता हूँ कि दरअसल क्या मैं किसीके भी भाव को प्रदर्शित करता हूँ, और मैं इसी नतीजे पर पहुँचता हूँ कि, नहीं, मैं वैसा नहीं करता। यह बात दूसरी है कि बहुत-से लोग मेरे प्रति कृपा और मंत्रीपूर्ण भाव रखते हैं। मैं पूर्व और पश्चिम का एक अजीब-सा सम्मिश्रण—मिक्सचर— बन गया हूँ, हर जगह बेमोजू—अपने घर में कहीं का भी नहीं-सा। शायद मेरे विचार और जीवन का मेरा रास्ता पूर्वी की अपेक्षा पश्चिमी अधिक है, लेकिन हिन्दुस्तान जैसा कि वह अपने सब बच्चों के हृदय में रहता है, अनेक रूप से मेरे हृदय में भी है और अन्तर के किसी अनजान कोने में, कोई मौ, (या संख्या कुछ भी हो) पीढ़ियों के ब्राह्मणत्व की जातीय स्मृतियाँ छिपी हुई हैं। मैं अपने पिछले सस्कार और नूतन अभिज्ञान से मुक्त हो नहीं सकता। ये दोनों मेरे अंग हो गये हैं, और जहाँ वे मुझे पूर्व और पश्चिम दोनों से मिलने में सहायता करते हैं, वहाँ साथ ही, न केवल सावजनिक कार्यों में बल्कि खुद जीवन में भी एक आध्यात्मिक निरानन्दता का भाव पैदा करते हैं। पश्चिम में मैं विदेशी हूँ—अजनबी हूँ। मैं उसका हो नहीं सकता। लेकिन अपने देश में भी मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है मानो मैं कहींका निर्वासित हूँ।

सुदूर पर्वत सुगम्य और उनपर चढ़ना सरल मालूम होता है, उसका शिखर आवाहन करता दिखाई देता है, लेकिन, ज्यो-ज्यो हम उसके नज़दीक पहुँचते हैं, कठिनाइयाँ दिखाई देने लगती हैं, और जंमे-जंसे ऊँच चढ़ते जाते हैं, चढ़ाई ज्यादा-से-ज्यादा मालूम होने लगती है और शिखर बादलों में छिपता नज़र आने लगता है। फिर भी चढ़ाई प्रयत्न किये जानेयोग्य है और उसका अपना एक विचित्र आनन्द और एक विचित्र सन्तोष है। शायद जीवन को महत्त्व देनेवाली चीज़ संघर्ष ही है, अन्तिम परिणाम इतना नहीं। अक्सर यह जानना मुश्किल होता है कि सही रास्ता कौन-सा है; कभी-कभी यह जानना ज्यादा आसान होता है कि कौन-सा रास्ता सही नहीं है, और दरअसल जिसमें कुछ सचाई है, उसे नज़र अन्दाज़ कर दिया जाता है। अत्यंत नम्रता के साथ मैं महान् सुकरात के अन्तिम शब्दों का उल्लेख करना पसन्द करूँगा। उसने कहा था—“मैं नहीं जानता कि मृत्यु क्या चीज़ है—वह कोई अच्छी चीज़ हो सकती है, और मुझे इसका कोई भय नहीं है। लेकिन मैं यह जानता हूँ कि किसीके उज्ज्वल भूतकाल को नष्ट कर देना बुरा है, इसलिए जिसके बारे में मैं जानता हूँ कि

बुरी है उसकी अपेक्षा जो अच्छी हो सकती है उसे मैं अपना पसन्द करता हूँ।”


बरसों में जेल में बिताये हैं ! अकेले बंटे हुए, अपने विचारों में डूबे हुए, कितनी ऋतुओं को मैंने एक दूसरे के पीछे आते-जाते और अन्त में विस्मृति के गर्भ में लीन होते देखा है ! कितने चन्द्रमाओं को मैंने पूर्ण विकसित और क्षीण होते देखा है और कितने झिल-झिल करते तारामण्डल को अबाध और अनवरत गति और शान के साथ घूमते देखा है ! मेरे यौवन के कितने अतीत दिवसों की यहाँ चिन्ता-भस्म बनी हुई है, और कभी-कभी मैं इन अतीत दिवसों की प्रेत आत्माओं को उठते हुए, अपनी दुःखद स्मृतियों को साथ लाते हुए, कान के पास आकर यह कहते हुए सुनता हूँ “क्या यह करनेयोग्य था” और इसका जवाब देने में मुझे कोई शिक्षक नहीं है।

अगर अपने मौजूदा ज्ञान और अनुभव के साथ मुझे अपने जीवन को फिर से दुहराने का मौका मिले, तो इसमें शक नहीं कि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में अनेक तबदीलियाँ करने की कोशिश करूँगा, जो कुछ मैं पहले कर चुका हूँ, उसको कई तरह से उन्नत करने का प्रयत्न करूँगा, लेकिन सार्वजनिक विषयों में मेरे प्रमुख निर्णय ज्योके-र्यों बने रहेंगे। निस्सन्देह, मैं उन्हें बदल नहीं सकता, क्योंकि वे मेरी अपेक्षा कहीं अधिक ज़बर्दस्त हैं, और मेरे काबू से बाहर की सत्ता ने मुझे उम और खींचकर उन-तक पहुँचाया है।

मेरी सज़ा को आज पूरा एक बरस हो गया; सज़ा के दो बरसों में से एक बरस बीत गया है। दूसरा पूरा एक बरस अभी बाक़ी है, क्योंकि इस बार रिआयती दिन न कटेंगे, सादी सज़ा में इस तरह दिन नहीं काटते। इतना ही नहीं, पिछली अगस्त में जो ग्यारह दिन मैं वाहर रहा था, वे भी मेरी सज़ा की अवधि में बढ़ा दिये गये हैं। लेकिन यह साल भी बीत जायगा और मैं जेल से बाहर हो जाऊँगा—मगर उसके बाद ? मैं नहीं जानता, लेकिन एक ऐसा भाव उठता है कि मेरे जीवन का एक अध्याय समाप्त हो गया है, और दूसरा आरम्भ होगा। वह क्या होगा, यह मैं स्पष्ट अनुमान नहीं कर सकता। मेरी जीवन-कथा के—‘मेरी कहानी’ के ये पन्ने अब समाप्त होते हैं।



कुछ और



बेडनवीलर, स्टाटंस्वाल्ड

२५ अक्टूबर, १९३५

पिछले मई महीने में मेरी पत्नी भुवाली से योरप इलाज कराने के लिए गई। उसके योरप चले जाने से मेरा भुवाली जाना बन्द हो गया; पहाड़ी सड़कों पर मेरा हर पख्तवारे आवागमन बन्द हो गया। वह मुझे अब दिखाई न देती थी, और अलमोड़ा-जेल मेरे लिए अब पहले से भी ज्यादा सुनसान हो गया।

क्वेटा के भूकम्प की खबर मिली, जिसने कुछ समय के लिए दूसरी सब बातें भुला दी। लेकिन अधिक समय के लिए नहीं, क्योंकि भारत सरकार हमें उसको या उसके विचित्र तरीको को, भूलने नहीं देती। फौरन ही मालूम हुआ कि कांग्रेस के सभापति बाबू राजेन्द्रप्रसाद को, जो कि भूकम्प सहायता का काम हिन्दुस्तान के प्रायः किसी भी अन्य मनुष्य से अधिक जानते हैं, क्वेटा जाने और पीड़ितों की सहायता करने की इजाजत नहीं दी गई। न गांधीजी या अन्य किसी प्रसिद्ध सार्वजनिक कार्यकर्ता को ही वहाँ जाने दिया गया। क्वेटा-भूकम्प के बारे में लेख लिखने के कारण कई भारतीय अखबारों की जमानतें जप्त करली गईं।

जिधर देखिए उधर सब ओर फौजी मनोवृत्ति, पुलिस-दृष्टिकोण दिखाई देता था—असेम्बली, में सिविल शासन में, सीमान्त पर बम बरसाये जाने में, सबमें, इसीका बोलबाला था। ज्यादातर ऐसा मालूम होता था, मानो हिन्दुस्तान में अंग्रेजी सरकार हिन्दुस्तानी जनता के एक बड़े समुदाय से मुतवातिर लड़ाई लड़ रही है।

पुलिस एक काम की और आवश्यक शक्ति है, लेकिन वह दुनिया, जो पुलिस के सिपाहियों और उनके डंडों से भरी हो, शायद रहने के लिए उपयुक्त स्थान न होगी। अक्सर यह कहा गया है कि शक्ति का अनियन्त्रित प्रयोग प्रयोग-कर्ता को गिरा देता है, क्योंकि इससे वह जिसके विरुद्ध इसका प्रयोग करता है उसे जलील और हीन बना देता है। इस समय हिन्दुस्तान में ऊँची नौकरियाँ, खासकर भारतीय सिविल-सर्विस वालों के दिन-पर-दिन बढ़ते जानेवाले नैतिक और बौद्धिक पतन के सिवा शायद ही कोई बात माकों की दिखाई देती हो। खासतौर पर ऊँचे अफसरों में यह सबसे अधिक पाई जाती है, लेकिन आमतौर पर सभी नौकरियों में यह एक जाल की तरह फैली हुई है। जब कभी किसी ऊँचे पद पर नये आदमी की नियुक्ति का समय आता है, तब निश्चितरूप से वही आदमी पसन्द किया जाता है, जो इस नई मनोवृत्ति का सबसे अच्छा परिचायक होता है।

गत ४ सितम्बर को यकायक मैं अलमोड़ा-जेल से छोड़ दिया गया, क्योंकि यह समाचार मिला था कि मेरी पत्नी की हालत नाजुक हो गई है। स्वार्ट्स्वाल्ड (जर्मनी) के बेडनबीलर स्थान पर उसका इलाज हो रहा था। मुझसे कहा गया कि मेरी सजा मुलतवी करदी गई है, और मैं अपनी रिहाई के साढे पांच महीने पहले छोड़ दिया गया। मैं फौरन हवाई जहाज से योरप को रवाना हुआ।

योरप इस समय हर तरह से अशान्त है, युद्ध और उपद्रवों की आशंकायें और आर्थिक संकट के बादल क्षितिज पर हमेशा ही मंडराते रहते हैं; अबीसीनिया पर धावे हो रहे हैं और वहाँ की जनता पर बम-वर्षा की जा रही है। अनेक साम्राज्यवादी सत्तायें आपस में टकरा रही हैं और एक-दूसरे के लिए खतरनाक बनी हुई है, और अपनी अधीन जनता पर निर्दय अत्याचार करनेवाला, उसपर ब्रम बरसानेवाला इंग्लैंड, साम्राज्यवादी सत्ताओं का सिरमौर इंग्लैंड, शान्ति और राष्ट्रसंघ की दुहाइयाँ दे रहा है। लेकिन यहाँ इस 'ब्लैक फारेस्ट' में शान्ति और निस्तब्धता का राज्य है, यहाँतक कि जर्मनी का प्रसिद्ध चिन्ह स्वस्तिक भी नज़र नहीं आता। मैं देख रहा हूँ कि उपत्यका से कोहरा उठकर फ्रांस के सुदूर सीमान्त को छिपाता हुआ दिखनेवाले भू-प्रदेश को ढक रहा है और मैं हैरत में हूँ कि उस पार क्या है ?

परिशिष्ट—क

[२६ जनवरी १९३०, पूर्ण स्वाधीनता-दिवस, का प्रतिज्ञा-पत्र]

“हम भारतीय प्रजाजन भी अन्य राष्ट्रों की भांति अपना यह जन्म-सिद्ध अधिकार मानते हैं कि हम स्वतंत्र होकर रहें, अपनी मेहनत का फल हम खुद भोगें और हमें जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक सुविधायें मिलें जिससे हमें भी विकास का पूरा-पूरा मौका मिले। हम यह भी मानते हैं कि अगर कोई सरकार ये अधिकार छीन लेती है और प्रजा को सत्ताती है तो प्रजा को उस सरकार के बदल देने या मिटा देने का भी हक है। हिन्दुस्तान की अंग्रेजी सरकार ने हिन्दुस्तानियों की स्वतन्त्रता का ही अपहरण नहीं किया है, बल्कि उसका आधार भी गरीबों के रक्तशोषण पर है और उसने आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से हिन्दुस्तान का नाश कर दिया है। इसलिए हमारा विश्वास है कि हिन्दुस्तान को अंग्रेजों से सम्बन्ध-विच्छेद करके पूर्ण स्वराज्य या मुकम्मिल आजादी प्राप्त कर लेनी चाहिए।

“भारत की आर्थिक बरबादी हो चुकी है। जनता की आमदनी को देखते हुए उससे बेहिसाब कर वसूल किया जाता है। हमारी औसत दैनिक आय सात पैसे है और हमसे जो भारी कर लिये जाते हैं उनका २० फी सदी किसानों में लगान के रूप में और ३ फी सदी गरीबों से नमक-कर के रूप में वसूल किया जाता है।

“हाथ-कटाई आदि ग्राम-उद्योग नष्ट कर दिये गये हैं। इससे साल में कम से-कम चार महीने किसान लोग बेकार रहते हैं। हाथ की कारीगरी नष्ट हो जाने से उनकी बुद्धि भी मंद हो गई और जो उद्योग इस प्रकार नष्ट कर दिये गये हैं उनकी जगह दूसरे देशों की भांति कोई नये उद्योग जारी भी नहीं किये गये हैं।

“चुंगी और सिक्के की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि उससे किसानों का भार और भी बढ़ गया। हमारे देश में बाहर का माल अधिकतर अंग्रेजी कारखानों से आता है। चुंगी के महसूल में अंग्रेजी माल के साथ साफ़ तौर पर पक्षपात होता है। इसकी आय का उपयोग गरीबों का बोझा हलका करने में नहीं, बल्कि एक अत्यंत अपव्ययी शासन को कामय रखने में किया जाता है। विनिमय की दर भी ऐसे मनमाने तरीक़े से निश्चित की गई है कि जिससे देश का करोड़ों रुपया बाहर चला जाता है।

“राजनैतिक दृष्टि से हिन्दुस्तान का दर्जा जितना अंग्रेजों के ज़माने में घटा है उतना पहले कभी नहीं घटा था। किसी भी सुधार-योजना से जनता के हाथ में असली राजनैतिक सत्ता नहीं आई। हमारे बड़े-से-बड़े आदमी को विदेशी सत्ता के

सामने सिर झुकाना पड़ता है। अपनी राय आजादी से जाहिर करने और आजादी से मिलने-जुलने के हमारे हक छीन लिये गये हैं और हमारे बहुत-से देशवासी निर्वासित कर दिये गये हैं। हमारी सारी शासन की प्रतिभा मारी गई है और सर्व-साधारण को गांवों के छोटे-छोटे ओहदों और मुंशीगिरी से सन्तोष करना पड़ता है।

“संस्कृति के लिहाज से शिक्षा-प्रणाली ने हमारी जड़ ही काट दी और हमें जो तालीम दी जाती है उससे हम अपनी गुलामी की जंजीरों को ही प्यार करने लगे हैं।

“आध्यात्मिक दृष्टि से, हमारे हथियार जबरदस्ती छीनकर हमें नामर्द बना दिया गया। विदेशी सेना हमारी छाती पर सदा मौजूद रहती है। उसने हमारी मुक़ाबिले की भावना को बड़ी बुरी तरह से कुचल दिया है। उसने हमारे दिलों में यह बात बिठा दी है कि हम न अपना घर सम्हाल सकते हैं और न विदेशी हमलों से देश की रक्षा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चोर, डाकू और बदमाशों के हमलों से भी हम अपने बाल-बच्चों और जान-माल को नहीं बचा सकते। जिस शासन ने हमारे देश का इस तरह सर्वनाश किया है, उसके अधीन रहना हमारी राय में मनुष्य और ईश्वर दोनों के प्रति जुर्म है। किन्तु हम यह भी मानते हैं कि हमें हिंसा के द्वारा स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इसलिए हम ब्रिटिश सरकार से यथा-संभव स्वेच्छा-पूर्वक किसी भी प्रकार का सहयोग न करने की तैयारी करेंगे और सविनय अवज्ञा और करबन्दी तक के साज सजायेंगे। हमारा पक्का विश्वास है कि अगर हम राजी-राजी सहायता देना और उत्तेजना मिलने पर भी हिंसा किये बगैर कर देना बन्द कर सके तो इस अमानुषी राज्य का नाश निश्चित है। इसलिए हम शपथपूर्वक संकल्प करते हैं कि पूर्ण स्वराज्य की स्थापना के लिए क़ायम समय-समय पर जो आजायें देगी, उनका हम पालन करते रहेंगे।”

परिशिष्ट—ख

[यरवड़ा सेन्ट्रल जेल, पुना में सर तेजबहादुर सप्रू और श्री मुकन्दराव जयकर को ता० १५ अगस्त को कांग्रेस-नेताओं द्वारा लिखा गया पत्र, जिसमें सुलह की शर्तें थीं ।]

प्रिय मित्रगण,

आप लोगो ने ब्रिटिश-सरकार और कांग्रेस में शान्तिपूर्ण समझौता करने का जो भार अपने ऊपर लिया है, उसके लिए हम लोग आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। आपका वाइसराय के साथ जो खत-किताबत हुआ है, और आपके साथ हम लोगों की जो बहुत अधिक बातें हुई हैं और हम लोगों में आपस में जो कुछ परामर्श हुआ है, उस सबका ध्यान रखते हुए हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अभी ऐसे समझौते का समय नहीं आया है, जो हमारे देश के लिए सम्मानपूर्ण हो। पिछले पाँच महीनों में देश में जो गजब की जागृति हुई है और भिन्न-भिन्न सिद्धान्त व मत रखनेवाले लोगो में से छोटे-बड़े सभी प्रकार और वर्ग के लोगो ने जो बहुत अधिक कष्ट सहन किया है, उसे देखते हुए हम लोग यह अनुभव करते हैं कि न तो वह कष्ट-सहन काफ़ी ही हुआ है, और न वह इतना बड़ा ही हुआ है कि उससे तुरन्त ही हमारा उद्देश पूरा हो जाय। शायद यहाँ यह बतलाने की कोई आवश्यकता न होगी कि हम आपके या वाइसराय के इस मत से सहमत नहीं हैं कि सत्याग्रह-आन्दोलन से देश को हानि पहुँची है या वह आन्दोलन कुसमय में खड़ा किया गया है या वह अवैध है। अंग्रेजों का इतिहास ऐसे-ऐसे रक्तपूर्ण क्रान्तिकारियों के उदाहरणों से भरा पड़ा है, जिनकी प्रशंसा के राग गाते हुए अप्रेक्ष्य लोग कभी नहीं थकते; और उन्होंने हम लोगो को भी ऐसा ही करने की शिक्षा दी है। इसलिए जो क्रान्ति विचार की दृष्टि से बिल्कुल शान्तिपूर्ण है और जो कार्य-रूप में भी बहुत बड़े पैमाने में और अद्भुत रूप से शान्तिपूर्ण ही है, उसकी निन्दा करना वाइसराय या किसी और समझदार अंग्रेज को शोभा नहीं देता। पर जो सरकारी या गैर सरकारी आदमी वर्तमान सत्याग्रह-आन्दोलन की निन्दा करते हैं, उनके साथ झगड़ा करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। हम मानते हैं कि सर्व-साधारण जिस आश्चर्य-जनक रूप से इस आन्दोलन में शामिल हुए, वही इस बात का यथेष्ट प्रमाण है कि यह उचित और न्यायपूर्ण है। यहाँ कहने की बात यही है कि हम लोग भी प्रसन्नतापूर्वक आपके साथ मिलकर इस बात की कामना करते हैं कि अगर किसी तरह सम्भव हो, तो यह सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द कर दिया जाय या स्थगित कर दिया। अपने देश के पुरुषों, स्त्रियों और

बच्चों तक को अनावश्यक रूप से ऐसी परिस्थिति में रखना कि उन्हें जेल जाना पड़े, लाठीयाँ खानी पड़ें और इनसे भी बढ़-बढ़कर दुर्भावों भोगनी पड़ें, हम लोगों के लिए कभी आनन्ददायक नहीं हो सकता। इसलिए जब हम आपको और आपके द्वारा वाइस-राय को यह विश्वास दिलाते हैं कि सम्मानपूर्ण शान्ति और समझौते के लिए जितने मार्ग हो सकते हैं, उन सबको ढूँढकर उनका अवलम्बन करने के लिए हम अपनी ओर से कोई बात न उठा रखेंगे, तो आशा है कि आप हम लोगों की इस बात पर विश्वास करेंगे। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि अभीतक हमें क्षितिज पर ऐसी शान्ति का कोई चिह्न नहीं दिखाई देता। हमें अभीतक इस बात का कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ता कि ब्रिटिश सरकारी दुनिया का अब यह विचार हो गया है कि खुद हिन्दुस्तान के स्त्री-पुरुष ही इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि हिन्दुस्तान के लिए सबसे अच्छा कौन-सा रास्ता है। सरकारी कर्मचारियों ने अपने शुभ विचारों की जो निष्ठापूर्ण घोषणायें की हैं और जिनमें से बहुत-सी प्रायः अच्छे उद्देश्य से की गई हैं, उनपर हम विश्वास नहीं करते। इधर मूढ़ों से अग्रज इस प्राचीन देश के निवासियों की धन-सम्पत्ति का जो बराबर अपहरण करते आये हैं, उनके कारण उन अंग्रेजों में अब इतनी शक्ति और योग्यता नहीं रह गई है कि वे यह बात देख सकें कि उनके इस अपहरण के कारण हमारे देश का कितना अधिक नैतिक, आर्थिक और राजनैतिक हास हुआ है। वे अपने-आपको यह देखने के लिए तैयार ही नहीं कर सकते कि उनके करने का सबसे बड़ा एक काम यही है कि वे जो हमारी पीठ पर चढ़े बैठे हैं, उसपर से उतर जायें; और लगभग सौ बरसों तक भारत पर उनका राज्य रहने के कारण सब प्रकार से हम लोगों का नाश और हास करनेवाली जो प्रणाली चल रही है, उससे वे बाहर निकलकर विकसित होने में हमारी सहायता करें; और अबतक उन्होंने हमारे साथ जो अन्याय किये हैं, उनका इस रूप में प्रायश्चित्त कर डाले।

पर हम यह बात जानते हैं कि आपके और हमारे देश के कुछ और विज्ञ लोगों के विचार हमारे इन विचारों से भिन्न हैं। आप यह विश्वास करते हैं कि शासकों के भावों में परिवर्तन हो गया है; और अधिक नहीं तो कम-से-कम इतना परिवर्तन जरूर हो गया है कि जिससे हम लोगों को प्रस्तावित परिषद् में जाकर शरीक होना चाहिए। इसलिए हालाँकि हम इस समय एक विशेष प्रकार के बन्धन में पड़े हुए हैं, तो भी जहाँतक हमारे अन्दर शक्ति है वहाँतक हम इस काम में खुशी से आप लोगों का साथ देंगे। हम जिस परिस्थिति में पड़े हुए हैं, उसे देखते हुए, आपके मित्रतापूर्ण प्रयत्न में हम अधिक-से-अधिक जिस रूप में और जिस सीमा तक सहायता दे सकते हैं, वह इस प्रकार है:—

(१) हम यह समझते हैं कि वाइसराय ने आपके पत्र का जो जवाब दिया है, उसमें प्रस्तावित परिषद् के सम्बन्ध में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, वह भाषा ऐसी अनिश्चित है कि पारसाल लाहौर में जो राष्ट्रीय माँग पेश की गई थी, उसका ध्यान रखते हुए हम वाइसराय के उस कथन का कोई मूल्य या महत्व ही निर्धारित नहीं कर सकते; और न हमारी स्थिति ही ऐसी है कि कांग्रेस की कार्य-समिति, और जरूरत हो तो महासमिति के नियमित रूप से अधिवेशन में बिना विचार किये हम लोग अधिकारपूर्ण रूप से कोई बात कह सकें। पर हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर हम लोगों के लिए इस समस्या का कोई ऐसा निराकरण तबतक सन्तोषजनक न होगा जबतक कि (क) पूरे और स्पष्ट शब्दों में यह बात न मान ली जाय कि भारत को इस बात का अधिकार प्राप्त होगा कि वह जब चाहे तब ब्रिटिश साम्राज्य से अलग हो जाय। (ख) भारत में ऐसी पूर्ण राष्ट्रीय सरकार स्थापित हो जो उसके निवासियों के प्रति जवाबदेह हो। उसे देश की रक्षक शक्तियों (सेना आदि) पर और तमाम आर्थिक विषयों पर पूरा अधिकार और नियन्त्रण प्राप्त हो और जिसमें उन ११ बातों का भी सामावेश हो जाय जो गांधीजी ने वाइसराय को अपने पत्र में लिखकर भेजी थी। (ग) हिन्दुस्तान को इस बात का अधिकार प्राप्त न हो जाय कि जरूरत हो तो वह एक ऐसी स्वतंत्र पचायत बँठाकर इस बात का निर्णय करा सके कि, अंग्रेजों को जो विशेष पावने और रियायतें वगैरा प्राप्त हैं, जिसमें भारत का सार्वजनिक ऋण भी शामिल होगा, और जिनके सम्बन्ध में राष्ट्रीय सरकार का यह मत होगा कि ये न्याय-पूर्ण नहीं हैं या भारत की जनता के लिए हितकर नहीं हैं, वे सब अधिकार, रियायतें और ऋण आदि उचित, न्यायपूर्ण और मान्य हैं या नहीं।

नोट—अधिकार हस्तान्तरित होते वक्त भारत के हित के विचार से इस किस्म के जिस लेन-देन आदि की जरूरत होगी, उसका निर्णय भारत के चुने हुए प्रतिनिधि करेंगे

(२) ऊपर बतलाई हुई बातें ब्रिटिश-सरकार को अगर ठीक जँचें और वह इस सम्बन्ध में सन्तोष-जनक घोषणा कर दे तो हम कांग्रेस की कार्य-समिति से इस बात की सिफारिश करेंगे कि सत्याग्रह-आन्दोलन या सविनय-अवज्ञा का आन्दोलन बन्द कर दिया जाय; अर्थात्, केवल आज्ञा-भंग करने के लिए ही कुछ विशिष्ट कानूनों का भंग न किया जाय। पर विलायती कपड़े और शराब, ताड़ी वगैरा की दूकानों पर तब तक शान्तिपूर्ण पिकेटिंग जारी रहेगी, जबतक कि सरकार खुद कानून बनाकर शराब, ताड़ी आदि और विलायती कपड़े की बिक्री बन्द न कर देगी। सब लोग अपने घरों

में बराबर नमक बनाते रहेंगे और नमक-कानून की दण्ड-सम्बन्धी धारयें काम में नहीं लाई जायेंगी। नमक के सरकारी या लोगों के निजी गोदामों पर धावा नहीं किया जायगा।

(३) (क) ज्योंही सत्याग्रह-आन्दोलन रोक दिया जायगा, ज्योंही उसके साथ वे सब सत्याग्रही कैदी और राजनैतिक कैदी, जो सजा पा चुके हैं पर जो हिंसा के अपराधी नहीं हैं या जिन्होंने लोगों को हिंसा करने के लिए उत्तेजित नहीं किया है, सरकार-द्वारा छोड़ दिये जायेंगे। (ख) नमक-कानून, प्रेस-कानून, लगान-कानून और इसी प्रकार के और कानूनों के अनुसार जो तमाम सभ्पतियां अब्त की गई हैं, वे सब लोगों को वापस कर दी जायेंगी। (ग) सजायाफ्ता सत्याग्रहियों से जो जुमनि वसूल किये गये हैं या जो जमानतें ली गई हैं, उन सबकी रकमे लौटा दी जायेंगी। (घ) वे सब राज-कर्मचारी, जिनमे गाँवों के कर्मचारी भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है या जो आन्दोलन के समय नौकरी से छुड़ा दिये गये हैं, अगर फिर से सरकारी नौकरी करना चाहें तो अपने पद पर नियुक्त कर दिये जायेंगे।

नोट—ऊपर जो उपधाराये दी गई हैं, उनका व्यवहार असहयोग-काल के सजायाफ्ता लोगों के लिए भी होगा।

(३) वाइसराय ने अबतक जितने आर्डिनेन्स जारी किये हैं, वे सब रद्द कर दिये जायेंगे।

(३) प्रस्तावित परिषद् में कौन-कौन लोग सम्मिलित किये जायेंगे और उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किस प्रकार का होगा, इसका निर्णय उसी समय होगा जब पहले ऊपर बताई हुई आरम्भिक बातों का सन्तोषजनक निपटारा हो जायगा।

आपके—

मोतीलाल नेहरू
मोहनदास करमचन्द गांधी
सरोजिनी नाथडू
वसुधभभाई पटेल
जयरामदास दौलतराम
सैयद महमूद
जवाहरलाल नेहरू

परिशिष्ट—ग

[२६ जनवरी १९३१ को पढ़ा गया स्मारक-प्रस्ताव]

भारत-माता की उन सन्तानों का, जिन्होंने आजादी की महान् लड़ाई में भाग लिया और देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक कष्ट सहे और कुर्बानी की; अपने उन महान् और प्रिय नेता महात्मा गांधी का, जो कि हमारे लिए सतत स्फूर्ति के स्रोत रहे हैं, और जो हमें सदैव उसी ऊँचे आदर्श और पवित्र साधनों का मार्ग दिखाते रहे हैं; उन सैकड़ों हजारों बहादुर नवयुवकों का, जिन्होंने स्वतंत्रता की वेदी पर अपने प्राणों की बलि चढ़ाई; पेशावर और सारे सीमाप्रान्त और शोलापुर, मिदनापुर और बम्बई के शहीदों का; उन सैकड़ों हजारों भाइयों का, जिन्होंने दुश्मन के नृशंस लाठी-प्रहारों का मुकाबिला किया और उन्हें सहा; गढ़वाली रेजीमेन्ट के सैनिकों और फ़ौज और पुलिस के उन सब भारतीय सिपाहियों का, जिन्होंने कि अपनी जानें खतरे में डालकर भी अपने देशभाइयों पर गोली आदि चलाने से इनकार कर दिया; गुजरात के उन दबंग किसानों का, जिन्होंने कि बिना झुके और पीठ दिखाये सभी नृशंस अत्याचारों का मुकाबिला किया; भारत के अन्य प्रदेशों के उन बहादुर और पीडित किसानों का, जिन्होंने कि सब प्रकार के दमन को सहकर भी लड़ाई में पूरा भाग लिया; उन व्यापारियों और व्यवसाय-क्षेत्र के अन्य समुदायों का, जिन्होंने कि जबरदस्त नुकसान उठाकर भी राष्ट्रीय संग्राम में, विशेषकर विदेशी वस्त्र और ब्रिटिश माल के बहिष्कार में, सहायता की; उन एक लाख स्त्री-पुरुषों का, जो जेल गये और सब प्रकार के कष्ट सहे, यहाँ तक कि कभी-कभी जेल के अन्दर भी लाठी-प्रहार और चोटे सहीं; और खासकर उन साधारण स्वयंसेवकों का, जिन्होंने कि भारत-माता के सच्चे सिपाहियों की तरह बिना किसी प्रकार की ख्याति या पुरस्कार की इच्छा के एक-मात्र अपने महान् ध्येय का ही ध्यान रखकर कष्टों और कठिनाइयों के बीच भी अनवरत और शान्तिपूर्वक कार्य किया, हम.....के निवासी गौरव और कृतज्ञता-पूर्ण हृदय से अभिवादन करते हैं; और हम अभिनन्दन और हार्दिक सराहना करते हैं, भारत की नारी-जाति का, जो कि भारत-माता के संकट के समय अपने घरों की शरण छोड़कर अदम्य साहस और सहिष्णुतापूर्वक, राष्ट्रीय सेना में अपने भाइयों के साथ कंधे-से-कंधा भिड़ाकर अगली कतार में खड़ी रही और बलिदान और सफलता के उल्लास में पूरा-पूरा भाग लिया, और भारत की उस युवकशक्ति और बानरसेना पर जिसे कि उसकी सुकुमार आयु भी लड़ाई में भाग लेने और अपने ध्येय पर कुर्बान होने से न रोक सकी, अपना गर्व प्रकट करते हैं ।

और साथ ही, हम कृतज्ञतापूर्वक इस बात की सराहना करते हैं कि भारत की सब बड़ी और छोटी जातियों और वर्णों ने इस महान् संग्राम में हाथ बंटाय़ा और ध्येय की प्राप्ति के लिए शक्तिभर प्रयत्न किया। खासकर अल्पसंख्यक जातियों— मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई आदि के प्रति और भी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, जिन्होंने अपने साहस और अपनी समान-मातृभूमि के प्रति अपनी एकनिष्ठ भक्ति के साथ, एक ऐसे संयुक्त और अविभाज्य राष्ट्र के निर्माण में, जिसकी कि जय निश्चित हो, सहायता दी, और हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता प्राप्त करने और उसे कायम रखने तथा उस नवीन स्वतंत्रता का भारत के सब समुदाय के लोगों की बेड़ियाँ तोड़कर सबमें से असमानता दूर करने के रूप में मानवता के उच्चतर उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग करने का निश्चय किया। भारत के हित के लिए बलिदान और कष्ट-सहन के ऐसे महान् और स्फूर्तिदायक उदाहरणों को अपने सामने रखते हुए हम स्वतंत्रता की अपनी प्रतिज्ञा को दुहराते हैं और जबतक हिन्दुस्तान आज़ाद नहीं हो जाता तबतक अपनी लड़ाई जारी रखने का निश्चय करते हैं।

निर्देशिका

अ

अण्डमान, टॉपू ३८१, ४६४, ४६५
 अम्बाला १४१
 अन्सारी, मुस्तारअहमद, डॉ० २२, १३३,
 २०७, २०९, २३३, ३००, ३०४,
 ३७१, ५६४
 अकबरपुर ७५
 अकाली १३४
 अजमेर ५५५
 अणे, माधव श्रीहरि ६९८
 अनुराधापुर ३२६
 अपोलोनियस, तयाना के १९
 अमरनाथ ५२१
 अमृतसर ५३-५६, ८८, १३४, १४२,
 २३५
 अमानुल्लाह ६२, ५७१
 अविन, लॉर्डे २४१, २४२, २७७, २७८,
 २८१, ३०१, ३०२, ३०६, ३१०-
 १३, ३१४, ३४१, ३६०, ३८७
 अविन, लेडी ३०१
 अलकाट, कर्नेल २०,
 अल्मोडा, जेल ४३१, ६९१, ६९३, ६९५,
 ७२४, ७२५, ७२९, ७३०,
 अलीगढ़ कॉलेज ५६१, ५६४, ५६९, ५७०,
 ५७२
 अलीपुर जेल ४३३, ५९९, ६०२, ६०९,
 ६१३, ६१५, ६२२, ६७४, ६७५,
 ६८१
 अली, मुन्शी मुबारक ११, १२

अली, मीलाना, मुहम्मद ५७, ५८, ८८,
 ८९, ९६, १०८, १११, १४३-४७,
 १७१, ५६४
मी० शीकत ५८, ५९, ८८, ८९,
 ९६, १११, ५६४
सैयदरजा ५८
 अवध काश्तकारी कानून ७१
के 'गजा' ६६
 अहमदाबाद ५४, १०९, १२३, १५३,
 २५८, २५९, ३०१, ४४२, ६३९,
 ७१७

आ

आवमफोर्ड-ग्रूप-भूवमेट १९१
 आगरा ४-६, ४०८, ५६०
 आगाखी १४३, ३-३, ३५५, ५५३-५७
 आजाद, चन्द्रशेखर ३१५-१७
मौलाना अबुलकलाम १११, २४१,
 २७८, ५६४
 आनन्दभवन ११८, २७५, २८५, ४०१,
 ४०४
 आसनमोल ४३५

इ

इकबाल, सर मुहम्मद ५५६
 इटली १६०, १८६
 इटारसी २८०
 इटावा ३८३, ३८४
 इण्डियन डिफेन्स फोर्स ४१
 इण्डिया हाउस ३०, १८३

इनर टेम्पल ३२, ३३६

इमरसन, मिस्टर ३६०, ३६२

इरशाकिन ४९९

इरादतगंज ३८५

इलाहाबाद ५-१०, १२, १६, २०, ३०,

४०, ४२-४५, ५३, ५८, ६३, ६४,

६६, ६९, ८३, ८८, ९७, ९८, ११०,

११८, १२३, १२४, १३९, १४१,

१४८, १६३, १७३, १७४, १८१,

२२१, २४९, २६०, २६१, २८१-

८४, २८६-८९, २९१, २९२, २९५,

२९८-३०२, ३१७, ३२३, ३४५,

३५९, ३६७, ३७५, ३८१-८४,

३८८, ३९८, ४०४, ४०८, ५४४,

५७२, ५७३, ५८०, ५८२, ५८६,

५९५, ६८२, ६८६, ६८७

इलियट, टी० एस०, ५३६

इस्माइल, सर, मिर्जा ६०७

उ

उदयशंकर ४८८

उबेदुल्ला मीलवी १८६, १९६

उमर सोभानी ३०९

ए

ए० ई० ६६७

एण्डरूज, सी० एफ० ८२, ४५३, ४६४,

४८०

एलिस, हैवलॉक २५

एलूविहार, बर्नार्ड ३८९

एक्टन, ५३५

एविंग, फ्राफ्ट २५

एस्किवथ, ६०४

ऐ

ऐयर, सर पी. एस. शिवस्वामी ५१३

.....सर सी. पी. रामस्वामी, ६४७,

७२६

ओ

ओटावा-पैक्ट, ७०५, ७०६

क

कन्याकुमारी, अन्तरीप ३२८, ५२०

कपूरथला, २३

कमालपाशा, ५७१

करनाटक, ४०७

.....का दौरा, ३८१-८३

कराची, १०८, ३२०, ३२१-२५, ६७८

कगी, सर विलियम, ७०४

कलकत्ता, ५, ३५, ३८, ७३, ७८, ८१-

८३, ९८, १०८, १२३, १६३,

२२७-३२, २३६, २४३, २४८, २८७,

२९२, २९६, ३८०, ३८१, ४३५,

४३६, ४४०, ४४२, ४६९, ४७१,

४७७, ४९१, ५७५, ५८१, ५८२,

५८५, ५९५, ५९६, ६७४

कश्मीर, ३, ११, ३९, ४८, ३२५, ६४६

कानपुर, ५, ६, १८१, ३२५, ३९१,

४०८, ४५४, ६५०

काबुल, १९५, १९६, ५४४

कामा मैडम, १८६

कालका, ३४३

कावसजी, सर ३६०

काशीपुर, ४२२

किंग, मिस्टर ७०५
 किचलू, डॉ० सैफुद्दीन २९
 किदवाई, रफी अहमद, ३६९, ४८५, ५८०
 कीथ, ४४०
 कुंजरू, पण्डित हृदयनाथ, ४९४
 कुमारस्वामी, डॉ. आनन्द ५२३
 कूपर, फ्रेडरिक ३९६
 क्यूमिनटेंग, १९९, २००
 केम्पबेल, राय ५०१
 केम्पबेल-बैनरमैन, सर. एच, २३
 केम्ब्रिज, २५, २८, २९, ३२, ३३, ३३६,
 ४७७
 केलकर, एन. सी., ६४६, ६४८
 केसमेन्ट, रोजर ८६
 केम्ब्राई, ५४१
 कोकनाडा, १४३, १४७, १४८
 कोचीन, ३२८, ३२९, ६४५
 कोमागाटामारू, ५१
 कोलम्बो, २०४
 कोलोन, २०३
 कौल, राजा ३
 फ्राइस्ट-सेवा-संघ, ४५३
 कृष्णवर्मा, श्यामजी, ३०, १८३, १८४
 क्वेटा, ७२९

ख

ख्वाजा, ए. एम. २९
 खां, अब्दुलगफारखां, २४८, ३२०, ३३०,
 ३३४-३६, ३८५, ६७७, ६७८, ६९४
सर सय्यद अहमद, ५५७-५६२,
 ५६९
हकीम अजमल, २०८-२१०

खापर्डे, ४७
 खिड़की, २७९
 खिलाफत, ५१, ५७-५९, ७८, ८५, ८८,
 १०५, १०८, १२२, १२३, २०९,
 ५७१
 खुदाई खिदमतगार, ६७७
 खेड़ा का प्रश्न, ६२
 खेतड़ी, ५

ग

गंगा, १२, ७०, १४८, १४९, ३००
 गदर, १८५७ का, ४, ११, २८, ५२
 गया, १३३
 गांधी, देवदास, ११६
 गांधीजी, ३८, ४५, ५१, ५२, ५५-५९,
 ६२, ६८, ७५, ७८-८५, ८८-९४,
 ९९, १०९, १११, ११७, १२२,
 १२८, १४६, १५१, १५३-६२,
 १६७, १७१, १९०, २०७, २१५,
 २२९, २३६-४१, २४३, २४८, २५४,
 २५६-५८, २६०, २६१, २६३, २७२,
 २७७-७९, २९८-३००, ३०२-१५,
 ३२०-२४, ३३०-३७, ३३९-५१,
 ३५४-५६, ३६०-६२, ३६५, ३६७,
 ३६९, ३७०, ३७२-७७, ३८२-८४,
 ३८६, ३८७, ३९४, ४०५-०८, ४४१,
 ४४२, ४४४, ४४६-५१, ४५८, ४६०,
 ४६४, ४६५, ४८०, ४८५-९५,
 ४९८, ४९९, ५०६, ५४६, ५७२-७९,
 ५९२, ५९८, ६०९-१२, ६२२-२८,
 ६३१-३४, ६३६, ६३७-३९, ६४१,
 ६४६-६५७, ६६०, ६६३, ६६७-६९,

६७६, ६७८, ६७९, ६८६-८८, ६९८,
७०६, ७१७, ७२९
गिडबानी, ए. टी. १३५, १४१, १४२
गुजरात, ६७, १३३, २११, २८२, ३२०,
४०७, ४८९, ५९१, ६५१
गुप्त, शिवप्रसाद, ५५१
गुरू-का-बाग, १३४
गुरूद्वारा आन्दोलन, १३४
.....कमेटी, १४१
गोखले, गोपाल कृष्ण २९, ३५, ३६,
३९, ४७, ७९, २४१, २७२, ५३३
गोग्खपुर, २३६

घ

घोष, अरविन्द २८
.....मोतीलाल ८२
.....सर रास बिहारी ४६, ४७

च

चटगांव, ३७७- ८०
चट्टोपाध्याय, वीरेन्द्र १८९, १९०
चम्पारन, ४५, ६२
चम्बा, १६२, १६३
चर्चिल, ४७२, ७११
चार्वाक, १४५
चिन्तामणि, सी. वाई. ४२, ५११
चेटवुड, सर फ्रिलिफ ५३९
चेम्बरलेन, नेविल ४६६
चेम्सफोर्ड, लार्ड ६५७
चोरी-चोरा, ९९, १०१, १०४, १०५,
१५२, २५६

छ

छिउंकी, ३८३

ज

जम्बूसर, २६०
जमना, २८५
जमशेदपुर, २३२
जयकर, मुकुंद राव २७६-२८१, ३४४,
५६७
जमालपुर, ५८६
जलियानवाला बाग, ५४, ५५, ८८,
२३५, २६०
जबलपुर, ५७२, ५७४
जॉफर, मार्शल ५४१
जाफना, ३०७
जिन्ना, एम. ए. ८३, २४३, ५६४, ६४६
जिनेवा, ३०, १८२-१८५, १९०, १९१,
१९५, २३०, २४६
जुगली (जुबिली), ७२४
जुहू, १५१
जेन्टाइल, ५२९
जेम्स, विलियम ५२७
जेलीको, लार्ड, ५४१
जैतो, १३४-१३७, १४२
जैपलिन, काउन्ट ३३
जोजीला घाटी ४८
जोशी, एन. एम. २००, २३१
जोसफ, जार्ज ११६

झ

झरिया, २३०, २३१

ट

टण्डन पुरुषोत्तमदास ११६, ३५९, ३७०,
३७३, ३८३, ५९५

ट्राटस्की ५०७

टाउनसेण्ड, मैरीडिथ २८

टानी, प्रो० आर. एच. ३०५, ५१०

टॉलर, अन्स्ट १९१

टेम्प्लोफ फील्ड ३३

ठ

ठाकुर, बडा दादा ८२

.....रविन्द्रनाथ ४, ८२, ४६४, ५८५,
५९३, ७१२,

ड

डच-डडीज २८७

डायर, जनरल ५५

डिकिमत, जी लॉवेज २५, ३६

डिगवी, विलियम ५१६

डुमेन्डॉर्फ, २०३

डेवी, प्रो० जॉन ४५९

ड्यूमो-मन्तोम २९

त

ताजमहल ६, १५९

तिलक, लोकमान्य २४, २८, ३१, ३५,
४१, ४७, ५६, ५९, ७९, १११,
४६८,

तिवारी, बेकटेशनारायण ३६९

तुकिस्तान ५१

तेहरान ५४४

थ

थामसन, एडवर्ड ५४

थियोसॉफिकल, कन्वेंशन २०

.....सोसायटी २०

थोरो ४७५

द

दत्त बी० के० २३८

.....रमेशचन्द्र ५१६

दर, पंडित विगननारायण १७

देहरादून ६१, २८४

.....जेल ३२६, ४०५, ४१७, ४१८,
४२२, ४२७, ४३१, ४३३, ४६४,
४८०, ६७४, ६७५, ६८१, ६८२,
७५३

.....कौजी शिक्षणालय ५६२

दाम, जतीन्द्रनाथ २३९

.....चित्तरजन (देशबन्धु) ५४, ६२,
७९, ८०, ८१, ८३, ८९, ९७, १०८,
११७, १२२, १२३, १२८, १२९,
१३३, १५३, १५४, १५६, १६१-
१६३, १९६, १९७, ६४६,

द्वारका ५२१

दिल्ली २, १८, ८८, ५३-५७, १३४,
१३५, १४१, १४५, १७१, १७३,
१९८, २०८-१०, २१७, २२४,
२४१, ३०३, ३०४, ३१०, ३११,
३१७, ३२२, ३६२, ३७१, ४३५,
४६०, ५७२, ५७४,

देशाई, महादेव ११६

न

नर्मदाप्रसाद सिंह २७५, २८१, २८६, ३८९

नागपुर ७४, ८३, ८५, १३३, २४४,
२४५

नाभा १३४-१४२, १५२

.....जेल १४१, १५२, १६४

नायडू, श्रीमती सरोजिनी ४५, ८३,
 २६०, २७९, ३२९, ३५१, ६४६,
 ७७३
 नीत्सो २५
 नुवारा ईलिया ३०१, ३२६
 नेविनसन, एच० डब्लू ३०
 नेहरू, इन्दिरा ३२६, ४१७, ४४८, ५८५,
 ६८४
कमला २६०, २६१, २७३, २७६,
 २८१, २८४-८७, २९२, २९७, ३०१,
 ३२६, ३२९, ३८२, ३८३, ३८९,
 ४१७, ५४४, ५८०-८२, ५८५, ५९५,
 ५९८, ६२२, ६७५, ६८३-९१, ६९४,
 ६९५, ७२९, ७३०,
कृष्णा २६०, २९२, ४८६, ५४४,
 ५९७,
गगाधर ४
जवाहरलाल, कुटुम्ब का परिचय
 ३-८; बचपन ९-१५; 'आनंद-
 भवन' १६; 'प्रायश्चित्त' और 'परदा'
 १७; अंग्रेजी अध्ययन और थियो-
 सॉफी १८-१९; घर के लोगों के साथ
 इंग्लैण्ड को रवानगी २१; हूँरी और
 ट्रिनिटी कॉलेज २२-२६; "मंगपाइ
 और स्टम्प २७; इतरटैम्पल ३२;
 नॉरवे की घटना ३३; बेरिस्टर हुए,
 हिन्दुस्तान को वापसी ३४; बांकीपुर
 कांग्रेस में शामिल ३५; हाईकोर्ट में
 वकालत शुरू की ३६; अंग्रेजों और
 हिन्दुस्तानियों से संबंध ३७-३८;
 भारत-सेवक-समिति ३९; मिसेज

बेसेन्ट और अंग्रेजी राजनीति ४१;
 राजनीति—अज्ञातिप्रद विषय ४४;
 वकालत में दिलचस्पी कम होने लगी
 ४६; शादी ४८; हिमालय की
 एक घटना ४९; रोलट-बिल ५१;
 गांधीजी और सत्याग्रह-सभा ५२;
 अमृतसर गये ५४; अहिंसात्मक
 असहयोग-आन्दोलन ५७-५९; राष्ट्रीय
 अखबारों की कमियाँ ६०; किसान-
 आन्दोलन ६१; उनके कष्ट ६५;
 बाबा रामचन्द्र का आन्दोलन ६६;
 जमींदारी प्रथा की बुराईयाँ ६७; गाँवों
 में भ्रमण, ६९; किसान-आन्दोलन की
 बढ़ती ७०-७३; रायबरेली का तार
 ७४; चरखा, राजद्रोही ७५; फौजाबाद
 में झगड़ा ७५-७६; स्वराज ७८;
 कांग्रेस की राजनीति ८१-८६; अंग्रेज
 हाकिमों की चबराहट, बलवे का
 डर ८७-८८; १९२१ का राष्ट्रीय
 आन्दोलन ९२; स्वराज में रम गये ९३;
 गिरफ्तारी ९८; प्रिंस आफ वेल्स का
 आगमन ९८; सामूहिक गिरफ्तारियाँ,
 सत्याग्रह मुत्तवी ९९; गांधीजी की
 गिरफ्तारी १००; गांधीजी की नीति
 १०१-१०६; साम्प्रदायिक मतभेद
 १०७; मैं छोड़ दिया गया १०९;
 विदेशी कपड़े का बहिष्कार ११०;
 फिर सजा ११०; जेल जीवन १११-
 १२०; छुटकारा १२९; इलाहाबाद
 म्यूनिसिपैलिटी १२३-१२४; सर
 यिमबुड मियर्स १२४-१२५; सामाजिक

नेहरू, जवाहरलाल (चालू)

सम्बन्ध १२४—१२५ मंत्रियों की आलोचना १२६, १२७; आर्थिक अड़चने १३०, १३१; वैतनिक ओहदे १३२; कांग्रेस के झगड़े, स्वराजी और अ-परिवर्तनवादी, गुलद्वारा आन्दोलन १३३-१३४; जैतो, नाभा-जेल और नाभा के कानून १३५-१३८; देशी रियासतों का शासन १३९; नाभा से छुटकारा और बीमारी १४०, १४१, अ. भा. का. कमिटी का मंत्रित्व १४३; धार्मिक मतभेद और साम्प्रदायिक प्रश्न १४४-१४६; हिन्दुस्तानी सेवा-दल १४७; गंगा-स्तन १४८-१५०; जुहू की यात्रा १५१; कांग्रेस में फूट, गांधीजी और स्वराजी; सूत-मताधिकार १५१-१५६; कांग्रेसियों का पतन तथा हिन्दु-मुस्लिम तनाजा १६१-१६७; सुधार या क्रांति १६८; नौकरियों की तलाश १६९; राष्ट्रीय मुस्लिम-पार्टी, ऐक्य परिषद् १७०-१७३; रामलीला का उत्सव १७३ म्युनिसिपैलिटी का काम; स्थानीय संस्थायें क्यों अयोग्य हैं?; १७४-१८०; म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष-पद से इस्तीफा १८१; स्विट्ज़रलैण्ड में शांति के दिन १८२-१८५; निर्वासित भारतीय राजनीतिज्ञ १६३-१९०; इंग्लैण्ड में १९२; नई नेशनलिस्ट पार्टी १९३-१९७; साम्प्रदायिकता का घुन १९७, १९८; बसेल्स में पीड़ित राष्ट्रों की कांग्रेस

१९९-२०१; हिन्दुस्तान को वापस और राजनीति में हिस्सा २०४, २०५; कुछ प्रस्ताव २०६, २०७; काँग्रेस का मन्त्रीत्व, रिपब्लिकन काँग्रेस २०८; ट्रेड-यूनियन-आन्दोलन २१०, २११; किसानों की हलचले २११; सायमन कमीशन और नेहरू-कमिटी २१२, २१३; सर्वदल सम्मेलन में कठिनाइयाँ २१३, २१४; लाहौर की घटना २१५ आतकवाद में कमी, भगर्तसिंह २१५-१७; लखनऊ में साइमन-कमीशन, लाठी-प्रहार का अनुभव २१९-२२२; स्वाधीनता और सामाजिक स्वतन्त्रता २२४-२६ गिरफ्तारी की अफवाह, २२७; अ. भा. ट्रे. यू. काँग्रेस २३०; ट्रे. यू. का. के अध्यक्ष २३१; मजदूर नेताओं की गिरफ्तारी, मेरठ-केस-डिफेंस-कमिटी २३३, २३४; खादी-प्रचार २३६, २३७; आतंकवादियों की हलचलें, भूख-हड़ताल २३८, २३९; कांग्रेस में पिता के उत्तराधिकारी २४०; गेन्सबेज़ परिषद् करने की घोषणा २४१; लाई अविन से मुलाकात २४३; कांग्रेस और मजदूर २४४; व्हिटले कमीशन २४५; मजदूर-आन्दोलन में मतभेद २४५, २४६; लाहौर-काँग्रेस और स्वाधीनता २४७; स्वाधीनता दिवस २४८; यात्रियों का झुंड २४९, २५०; लोकप्रियता और वीर-पूजा २५०-२५५; सविनय भंग

नेहरू, जवाहरलाल (चालू)

२५६; दाण्डी-नमक-यात्रा २५८; मेरी गिरफ्तारी २६१; राष्ट्रीय सग्राम में स्त्रियों का हिस्सा २६२, २६३; नैनी सेन्द्रल जेल २६५; जेल की आबादी जेल सिस्टम के गोमाचकारी तनीजे २६९-७४, समझौते के प्रयत्न २७७-७९; मेरा छूटकाग २८१, करबन्दी आन्दोलन २८२-२८५, गिरफ्तारी २८५, सत्याग्रह का फौलाव २८६; किसानों के उभाड का डर २८९; कोड़ों की सजा २९०, नैनी का जीवन २९१; गोलमेज-परिषद, डोमीनियन स्टेटस, स्थापित स्वार्थों को डर २९३-२९५, 'स्मारक प्रस्ताव', २९६; प्रतिनिधियों का स्वदेशागमन ३०२; दिल्ली की चर्चा, ३०३-१०; दिल्ली का समझौता ३११, ३१२; आतंकवादियों की मनःस्थिति, ३१५, ३१६; सत्याग्रही कैदियों की रिहाई, ३१७; किसान-समस्या, ३१९; कराची-कांग्रेस, ३२०, ३२१; एम एन. राय के साथ मुलाकात, ३२२, ३२३, अहरार पार्टी, हिन्दू-मुस्लिम दंगे, ३२४, ३२५; लका-यात्रा ३२६; हिन्दुस्तान को वापसी, ३२८; गोरे यहूदी, सीरिया के ईसाई ३२९, दूसरी गोलमेज परिषद, ३३२; बंगाल का आतंकवाद, किसानी-दंगे, ३३३, ३३४; खुदाई खिदमतगार, ३३४, ३३५; सीमान्त-गांधी, ३३६; भारत की

मूल समस्या जमीन की है, ३३८; दूसरी गोलमेज परिषद, ३४२; सम्पादकीय मनगढन्त, ३४४-३५०; असन्तोषप्रद परिषद, ३५१, ३५२; नौकरियों की तलाश, प्रतिक्रिया, और स्थापित स्वार्थ ३५२-३५४; युक्तप्रान्त में किसानों-सम्बन्धी दिक्कते, ३५८-६३; भूखे किसान, लगान और कर्जा, ३६४-३७१; दमन-नीति ३७१, आनेवाला खनरा, ३७१, ३७२; हिजली-दुर्घटना ३७७, ३७८; चटगाव की गोलाबारी, ३७९; आतंकवाद की अदूरदर्शिता, ३७९, ३८०; विशेष आर्डिनेन्स सार्वजनिक हलचलों पर हकावट, मेरी गिरफ्तारी, ३८२-३८५, सख्त सजा का दिया जाना, ३८८, काँग्रेस गैर कानूनी, समाचार-पत्रों द्वारा कांग्रेस की निन्दा, ३३८-९-९३; सरकार का बलप्रयोग, ३९४-३९६, स्त्रियों के साथ सक्ती का बरताव ३९७, ३९८; रिहाई और गिरफ्तारी, ४०३; सत्याग्रह की हत्या ४०८; तीसरी गोलमेज परिषद, ४११, ४१२ पुलिस के अतिरिक्त हथियार, कोड़ों की सजा, स्त्री-कैदियों के साथ बरताव ४१३-१५; जेल का कार्यक्रम ४२०; जेल में मानसिक उतार-चढ़ाव ४२३-४२६ देहरादून जेल, ४२७; बरें, ततैये, चमगादड़ और दूसरे जानवर ४३०-४३४; रूस और संसार की परिस्थिति सम्बन्धी विचारा

नेहरू, जवाहरलाल (चालू)

४३६-४३९; कम्युनिस्टों द्वारा कांग्रेस की आलोचना, ४४२, ४४३; कांग्रेस का ध्येय-राजनैतिक स्वतंत्रता, ४४३; किसान-वर्ग, ४४५; अछूत-वर्ग, ४४८, ४४९; धर्म का समावेश, ४५१-४५९; हरिजन-आन्दोलन, ४६० शारदा-एकट की विफलता, ४६१, ४६२; सत्याग्रह फिर म्यगिन ४६३, ४६४ न्हाइट-पेपर, ४६६, लिबरल और प्रति सहयोगियों का मन ४६८-४७०; श्री शास्त्रीजी की मनोवृत्ति, ४७१-७७४, रिहाई, ४८१; हिन्दुस्तान दमन के पजे में, ४८२, ४८३; व्यक्तिगत मामलों पर विचार, ४८५, ४८६; गांधीजी से बातचीत, ४८६, ४८७; भारत में समाजवाद और कम्युनिज्म ४९१, ४९२, भारतीय लिबरल-एक वर्ण-हीन और लुप्तप्राय प्राणिविशेष, ४९४-५००, कांग्रेस मूलत एक मध्यम-वर्गीय संस्था, ५०३, 'भारतीय-करण' ५०४, ५०५, 'डॉमीनियन स्टेटस', ५०५; 'साम्राज्यवाद का भेड़िय', ५०७; ह्वाइट पेपर, उन्नति में एक रुकावट, ५१२; ब्रिटिश-संरक्षण का अर्थ है भारत की गुलामी, ५१६; हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में अंग्रेजों का अज्ञान, ५१९; भारतमाता, ५२१, अंग्रेजी शासन ने भारत के लिए क्या किया, ५२३-५२७; हिन्दुस्तान एक गुलाम मुल्क, ५२८; चापलूसी और

जातीय पक्षपात, ५३१; भारतीय सिविल-सर्विस की चापलूसी, ५३२-५३७; फौजी सर्विसों का भार ५३९; जनरलों की गलतियाँ और बेवकूफियाँ ५४०, ५४१; रोमनलिपि ५४६; हिन्दुस्तान में भाषा का प्रश्न ५४७-५४९; हिन्दु-विश्व-विद्यालय में व्याख्यान, ५५४; हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिकता एक हृद तक मरकारी नौकरियाँ प्राप्त करने का आन्दोलन ५५६-५६७, मुस्लिम गान्ठ ५६७, मुस्लिम मस्कूति, ५६८; धर्म का राजनीति से बहिष्कार ५७१; फिर गिरफ्तारी की सम्भावना, ५७२; मेरे अखबारों के लेख और सेसर की छुरी, ५७५; घरेलू मामलों पर ध्यान ५७९, स्वाधीनता-दिवस ५८०; भूकम्प ५८२; बंगाल के आतंकवाद की निन्दा ५८३; भूकम्प-पीड़ितों की सहायता का काम ५८५-५९१; सहायता के काम से वापसी और दुबारा गिरफ्तारी, ५९५; कोर्ट की कार्रवाई ५९६, सातवीं सजा ५९७, अलीपुर-जेल ५९८-६०१; स्वाधीनता का हास ६०२; स्वभाग्य निर्णय का सिद्धान्त हिन्दुस्तान के लिए नहीं है ६०३ ६०४, सत्याग्रह वापस ले लिया गया, ६०६-९; गांधीजी की दलीले, ६१०-१२; गांधीजी की सेवाओं के प्रति आभार, ६१४-१५; गांधीजी के जीवन-सम्बन्धी सिद्धान्त की

नेहरू, जवाहरलाल (चालू)

आलोचना ६१७-२९; प्राचीन स्वर्ण-युग की भ्रात कल्पना ६२९; दुनिया की बुराइयों का इलाज—समाजवाद ६३३-३४; खादी-आन्दोलन ६३४-३६; गाँव के उद्योग-धन्धे ६३७, ६३८; बड़े पैमाने पर माल तैय्यार करना ६३९, ६४०; हिन्दु-स्तानी रियासतों में स्वेच्छाचारिता ६४४-६४८; ताल्लुकेंदारी प्रथा ६५०-६५१; रक्तशोषक सूदखोर ६५१; अहिंसा के सिद्धान्त की समीक्षा ६५३-६७२; देहरादून को तबादला, ६७४; कांग्रेस में मतभेद, ६७५, ६७६; कांग्रेस का वर्ग-युद्ध पर प्रतिबन्ध लगाना, असेम्बली के चुनावों पर टकटकी ६७८, ६७९; मेरी कहानी का लिखना ६८१; आरजी छुटकारा, ६८२, ६८३; वैवाहिक जीवन का सिंहावलोकन ६८४, ६८५ स्थानीय झगड़े ६८७; नैनी-जेल को वापसी, ६८८; अलमोडा जेल की यात्रा ६९१-६९३; बम्बई कांग्रेस का अधिवेशन, गांधीजी की अलहदगी, ६९८, ६९७ साम्प्रदायिक निर्णय, ४००, ४०१; ओटावा पेक्ट ७०४-७०६; देशी नरेशों की स्थिति में उन्नति ७१०, ७११; भारत और ब्रिटेन की वैदेशिक नीति ७१३, ७१४; परिवर्तन की सम्भावनाओं से स्थापित स्वार्थों को डर ७१४-७१८; किसानों की शरीबी, ७१८; फ्रांसिज्म का

रोड़ा ७१८, ७१९; मार्क्सवाद, ७१९, ७२०; साम्प्रदायिकता का चिन्ह ७२२; संयुक्त मुकाबिला ७२३; 'जुगली' ७२४; मेरी कहानी का अन्त और पिछली हलचलों का निरीक्षण ७२५-७२८; भारतीय सिविल सर्विस का क्रमिक ह्रास, अलमोडा-जेल से मेरी रिहाई, ७२९; ब्लेक फारेस्ट में ७३०;

.....नन्दलाल ५, ७, ११

.....पंडित मोतीलाल ५-८, १४-१७, २०-२२, २९-३३, ४२, ४४, ४५, ४७, ५३, ५५, ५६, ६२, ६३, ७९, ८०, ८१, ९७, १०८, १०९, १२४, १२५, १२८-३३, १३९, १५४, १५७-६३, १९७, २०३, २०४, २१०, २११, २२७, २२८, २४०, २४१, २४८-५२, २५५, २६०-६२, २६४, २७५-८१, २८४-८७, २९२, २९३, २९६, २९८, ३०१, ३४५, ४०१, ४६८

.....मोहनलाल ३८९

.....लक्ष्मीनारायण ४

.....बन्सीधर ५

.....श्रीमती स्वरूपरानी १०, २१, ३००, ३८०, ४०१-४, ४१७, ४८१, ४८२, ४८५, ४८६, ५४५, ५८२, ५९५, ६८८

नैनीताल २७८-२८०, २८५, २८६, २९२, ३३४, ३६८

नैनी-जेल ११४, १४६, २६४, २६५

२७६, २७८, २९०, २९१, २९६-९८,
३३६, ३८५, ३८८-९०, ४०५, ४२२,
४३१, ४८१, ६७४, ६८८, ६८९, ७२४

नेपाल ५९०

नोरवे ३३

नीरोजी, दादाभाई ५१६

न्यूटन १०३,

प

पटना ५८५, ५९४, ६७५, ६७६

पटियाला १३४, ६८३

.....महाराज ६४३

पटेल, विठ्ठलभाई १२३, २३५, २४१,

२४३, ३४४-४६, ५४४

.....सरदार वल्लभभाई १२३, २११,

२७८, २७९, ३२०, ३७१, ३८७,
६३९, ६४७

पजाब २४, ४०, ४५, ५१, ५४, ६७,

७८, ८०, ८५, ८७, १११, १३४,

१७२, १९६, २०९, २१३, २१५,

२१७, २२४, २३५, ३२०, ३२४,

३२५, ५६५, ५६६, ६५१, ६५७,

६७८, ७१८

पण्डित, रणजीत एस० ३८, १८१, २८१,

२८४, २९१, २९८, २९७, ३००,

३८९, ४१७, ६८९

पंत, गोविन्दवल्लभ २२०, २२३, ३१८,

३६७, ३६९, ४१८, ४२२

परताबगढ़ ६४, ६६, ७०, ७३-७५

प्रति-सहयोगी १३२

पायथागोरस १९

पाल, बिपिनचन्द्र २९

पास्कल ६९३

पिरो, ओ. ७०६

पिल्ले, चम्पकरमन १८९

पुरी, जगन्नाथ ५८१

पूना २४, ३१, १५१, २७८, २७९,

२८०, ४४८, ४५३, ४६४, ४७१,

४८६, ४९४, ५४४

पेटर, वाल्टर, २६, ८१

पेशावर, २६२

पेंसवान्डेल, ५४१

पोल, मेजर डी० ग्रैहम, ५३३

फ

फरमान २३

फर्खसियर १

फीडरिश शैफिन ३३

फूड २०, ६२१

फेजाबाद ६६, ७५

फोक, मार्शल ४०३

फोर्स्टर, इ० एम० ३६

ब

बकुलीया ६००

बगलोर ३२८

बंगाल २४, ३०, ३१, ३५, ३८, ४४,

६७, ९७, ९८, १७२, २१६, २३२,

२३८, ३१५, ३३०, ३३२-३३४

३४२, ३७१, ३७५-३७७, ३८६,

४१३, ४१४, ४६४, ४७२, ४७७,

४८९, ५६०, ५६५ ५८०, ६०२,

७०१, ७१२, ७१८

बड़ोदा, ६४७

.....गायकवाड़ २३

बदरीनाथ, ५२१
 बदार्युं, ११
 बनारस, १२, २०, ३२९, ५५१, ५५४,
 ६०६, ६४७
जेल, ४२४
हिन्दू विश्व-विद्यालय, १९५, ५५४,
 ६४७
 बम्बई, ५, ३४, ३८, ५९, १२३, १५१,
 १८१, २२६, २३०, २६४, २७७,
 २७८, २८९, २९८, ३०१, ३०२,
 ३०९, ३३०, ३४३, ३७५, ३८२-
 ८५, ३८६, ३८८, ३९५, ४६०,
 ४४२, ४७७, ४८८, ४८९, ४९१,
 ४९२, ५४४, ६८८, ६९५, ७१७
 बरकतउल्लाह, मौलवी १८६
 बर्लिन, १८६, १८७, १९९
 बसु, भूपेन्द्रनाथ ३६
 बारडोली गत्याग्रह २११
 वाल्डविन, रोजर १९१
 बिहार, ६७, ८०८, ५६०, ५८०, ५८५,
 ५८७, ५९१-९३, ७१८
 बीकानेर, महाराजा, ६४४
 बुशमैन, फंक १९१
 बेडनवीलर, ७२९, ७३०
 बेथमैन हॉलवेग, १८५
 बनेट, मि० ७०५
 बंलगॉव, १६२
 बेसन्ट, मिसेज १८-२१, ४१, ४२, ४५,
 २०६, ६४८
 बेस्टिली ५०१
 बोअर-युद्ध, १६

बोल्सन, ग्लोर्नो, ३४४
 ब्रसेल्स, १९१
 ब्रुक्स, एफ. टी., १८, १९
 ब्रेल्सफोर्ड, एच. एम. ६५०
 ब्लण्ट विलफ्रेड स्केवन, ७९
 ब्लॉक, आईवान २५
 ब्लीरियोट, २३
 ब्लेक फॉरेस्ट, ७३०
 ब्लेवेट्स्की, मॉडम १९

भ

भारत-रक्षा-कानून, ४०
सेवक ममिति, ३९, ४७, ४७१
 भारद्वाज, आश्रम २४९
 भुवाली, ६९१ ३९६, ७२९

म

मजलिम, २८
 मदरास, १३५, २०४, २०६, २०७,
 २०८, २२४, ५७८
 म्योर सेन्ट्रल कालेज, ६
 मलाबार, २२४, ३२८, ३२९
 मसूरी, ६२, ६३, ७१, २६४, २८१,
 २८४
 महमूद, डॉ० मध्यम २५, २६४, २७५,
 २७९,
 २८०, २८१, २८४
 महाराष्ट्र, २४, ३०, ६६
 मातायन, ४८
 मान्टेगु, एडविन २८, ४३
चैम्सफोर्ड रिपोर्ट, ४३, ४५, ५२,
 ५६, ४५३,

मार्क्स, ७२०-२१,
 मार्टिन, लेफ्टिनेण्ट कर्नल, २७९, २८०
 मारसेलीज, २०४
 मालवीय, कपिलदेव १३९
पण्डित, मदनमोहन ४४, ५४,
 १४८-१५०, १९३-१९७, २६४, २७८,
 २९१, ४३६, ५५४, ५५५, ६४७,
 ६४९, ६९९
 मास्को, १९०, २०३, ३२३
 मिन्टो-मार्ले-योजना, ३५
 मिन्टो, लाई ५६३
 मीयर्स, सर ग्रिमबुड १२४, १२५
 मीरा, बहन ३९६
 मुकर्जी, धनगोपाल १९१
 मुजफ्फरपुर, ५८६, ५९०
 मुंगेर, ५८६, ५९०, ५९१
 मुंजे, डाँ ४७१
 मुस्लिम लीग, ४१, ५८, ५९, ८३
 मुसोलिनी, ४११
 मटरानिक, ५२१
 मेहता, डाँ जीवराज २००
 मैनन, बी के कृष्ण ७०९
 मेरठ, ८८
षड्यंत्र-केस, २३३, २४६, ४४०
डिफेन्स-कमिटी, २३४
 मैकडानल्ड, रैम्जे २९५, २९६, ४४६,
 ७०९,
 मैजिनी, ४४०
 मैसूर, ३२८, ६०७
 मैसोपोटेमिया, ५३४
 मोन्टाना, १८२

मोपला, १०७
 मोल्ले, जॉन ४४०, ६०५

य

यरवड़ा, २७८ २८०, २८६, २९६, ४४७
 ४४९, ४६०, ४८०
 युक्तप्रान्त, ६७, २२४, २८२, २८९-२९१
 ३१९, ३३२, ३३३, ३४१, ३४२,
 ३५८, ३६४, ३६५, ३६९, ३७०,
 ३७२, ३७३-३७५, ३८२, ३८६,
 ३९४, ३९५, ३९८-४००, ४०६-०८,
 ४२५, ४३६, ५९१, ७१८

र

रसल, ब्रेन्ड ४६, ५२८
 रगून २८७
 राइट ब्रदर्स २३
 राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती ११७, ४६०
 राजपूताना ५
 राजा नरेन्द्रनाथ २०९
महेन्द्रप्रताप १८५, १८८
 राजेन्द्रप्रसाद, बाबू ४७२, ५८५, ५९१
 ५९२, ७२९
 रादरामियर, लाई ७११
 रामचन्द्र, बाबा ६४, ६६
 रायपुर २६१
 रायबरेली ६६, ७४, ७५, ४००
 राय, एम० एन० १९०, २३३, ३२२,
 ३२३
विधानचन्द्र ३००
 रीडिंग, लाई ८७, १०७
 रोजवेल्ट प्रेसिडेन्ट ७१४
 रूस ४३६

.....जापान की लड़ाई २१

रोम ३८२

रोमां रोलां, १९०, २०१, ४५९

रोलट-बिल ५१, ५२

ल

लखनऊ ४२, ४३, ४५, ६९, १८१,

२०९, २१३, २१५, २१९-२२१,

२४०, २८४, ३००, ३१७, ३६७,

४०८, ४८२, ४८९, ५४४, ५६०

६०८

.....जिला-जेल ११५, ११७, १२१,

४३१, ५५१

.....जेल ११३, २९७

लदन २२, १४७, २०४, ४६०

लाजपतराय, लाला २४, २९, ७८, ७९,

८९, १८६, १९३-१९७, २१५-२१९

२३८

लेन्सबरी, जार्ज २००, २०१

लायड, जार्ज ३९७, ५४१, ७१४

.....लार्ड ५६५, ५६६, ५६७

लाल, मिर्जा, मोहन १८

.....बाजार पुलिस थाना ५९६

लावेज, लिविस ई० २६९

लाहोर ५५, १४७, २१५, २१८, २३५,

२३८-२४१, २४३, २४७, २४८

लिटन, लार्ड ६०६

लिडनबर्ग ३३

लेनिन ४९१, ७२०, ७२१, ७२३,

लैयम २३

लैम्बर्ट, कीम्टे डी० ३३

व

व्हाइट, सर फ्रेडरिक ५१६, ५२०

व्हाइटहेड, डॉ ए. एन. ४९७

वाइल्ड, ओस्कर २६

विद्यार्थी, गणेशशंकर ३२५

विलिंगडन, लार्ड ३४१, ३८६, ३८७,

४६५

विवेकानन्द ५१५

व्हिटले-कमीशन २४५

वीनिंगर, ओटो २५

वीलनव १९०

वेनिस १८१, २०३

वेबलेन ५३३

वेलिंगटन १०३

वोल्सली, लार्ड ६५९

स

सत्याग्रह ७५, ९०, १०३, १०७, १११,

१३४, १४९, १६०, २६०, ३०९,

३४७, ४७३, ६१०-१२, ६७७

..... सभा ५२, १५६

समू, सर तेजबहादुर १६, ४२-४४, १५२

२०९, २१२, २४१, २४३, २७६-

८१, २९६, ३०२, ३४४, ४६६,

४९६, ५६७, ६०८

सर्वेन्ट आफ इंडिया सोसाइटी ४९४, ४९५

सनयात सेन, श्रीमती २०१

सनातनी ४६२, ७००

सन्तानम्, के० १३५, १४१

स्वराज ५१, ७२, ८५, ९०, ९३, २७३

२९५, २९९, ४६७, ५५०

.....धूपनिवेशिक (डोमीनियन स्टेटस)

२१३, २२९, २९४, ५०३, ५०५,
५०८, ५०९, ६०८

.....पार्टी १२९, १३३, १३४, १५३,

१५४, १५६, १६०, १६१, १९३-
९७, २०७, ६०९

.....भवन २६०, २९९, ४०१

स्विट्ज़रलैण्ड १४५, १८१, १८७, १९२

स्विनबर्न १५९

स्पिनीजा ६५२

स्पेगलर ४२३

स्पेडर, जे० ए० ४१२

स्लोकांब, मि० २७७

साबरमती, आश्रम २५९

.....जेल १०९

साहा, गोपीनाथ १५४, १५५

सिक्ख १३४, १३५, १७२, १९६, १९७

सिली ८२

सिग-सिग, जेल २६९, ४२४

सिगापुर २८७

सिष ५९, १७२, १९६, ४८४, ५६५

सिंह, कुवर आनंद ४२२

.....परमजीत २३

.....भगत २१६, २१७, २३८, २३९,

३१५, ३२०, ३२१

.....सरदार अजीत २४, २३९

सीग्रफीद एम० आर्दे ५१७

सुकरात ७२७

सुभाष, बाबू २१४, २४३, ४७७, ६९४

सुलेमान, एस. एम. २९

सूरत ३०

सेनगुप्त, जे० एम० २९, ३७९, ४७७

४७८

सेन फ्रांसिसको १८७

सोहागपुर २८०

श

शर्मा, बालकृष्ण ११६

शान्तिनिकेतन ८२, ५८५, ६८३

शास्त्री, श्रीनिवास ४०, ४१-४३, ४७,

८४, १५२, २९५, २९६, ३०२,

४६९-४७३, ४९४, ४९८, ५०९

शिमला ४७, ३२२, ३४१-३४३ ३६२,

३६७, ३६८, ४६०

शिरोल, सर वेलेण्टाइन ८३, ५६२, ५६३

शोरवानी, तसदुदुक अहमदखा २९, २७८,

३५८, ३६७, ३७०, ३७३, ३७४,

३८३, ३८४, ३८८, ३९९

ह

हरदा २८०

हरदयाल १८८

हर्ड, जेराल्ड ४९७

हण्टर-कमिटी ५५

हर्न, लेफक्रेडियो २१

हन्डरसन, आर्थर ७०९

हावड़ा ६७४

हार्ट, फ्रैण्टन लिडेल ५४०

हार्डीकर, डॉ. एन० एस० १४७, १४८,

३८१

हिजली ३७७, ३७८

हिटलर १८९, ४११, ४४०, ५१३

हिन्दुस्तानी-सेवा-दल १४७, ६७७

७५४

मेरी कहानी

हिन्दू महासभा १९३, १९६, २०९, ४६२

५५४, ५५५, ५६४-५६६, ६४९,

६७७, ६७८, ७०१, ७०२

हुबली ३८१

हेरिसन, मिस्टर ६

हेरो १८, २२, २४

हेली, सर माल्कम ३१९, ३३४, ३६५,

७१८

हेग, लाडं ५०१

.....सर हैरी ७१२

हैदराबाद ३२८-३०, ६४५, ६४६

होमरूल लीग ४१, ४२

होर, सर सैम्युअल ३८८, ३९१, ५९५,

६०६, ७०८

त्र

त्रावणकोर ३२८, ६४५



सस्ता साहित्य मण्डल के प्रकाशन

- १—**दिव्य जीवन** । प्रसिद्ध लेखक श्री स्वेट मार्टेन के The Miracle of Right Thought का अनुवाद । जीवन की कठिन समस्याओं से निराश युवक के लिए संजीवनी विद्या । मूल्य १८)
- २—**जीवन-साहित्य** । गुजराती के मझन विचारक कनका कालेलकर के शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता, राजनीति आदि महत्त्वपूर्ण विषयों पर लिखे निबन्धों का संग्रह । मूल्य १॥)
- ३—**तामिलवेद** । दक्षिण के अछूत ऋषि तिरुवल्लुवर का उत्तम और उत्कृष्ट नैतिक, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक, शिक्षाओं से भरा हुआ ग्रन्थ । मूल्य ॥॥)
- ४—**भारत में व्यसन और व्यभिचार** । [शैतान की लकड़ी] भारत में व्यसन और व्यभिचार सम्बन्धी हिन्दी की सर्वोत्तम पुस्तक । इन दुर्व्यसनों में फंसे देश का नग्न दर्शन तथा उन व्यसनो को दूर करने का उपाय । मूल्य ॥१८)
- ५—**सामाजिक कुरीतियाँ** । [जन्तु : अप्राप्य] मूल्य ॥॥)
- ६—**भारत के स्त्री-रत्न** । प्राचीन भारतीय देवियों के आदर्श जीवन चरित्र, तीन भागों में । मूल्य ३-)
- ७—**अनोखा** । फ्रांस के प्रसिद्ध उपन्यासकार विक्टर ह्यूगो के 'लाफिग मैन' नामक उपन्यास का अनुवाद । राजाओं तथा दरबारियों की कुटिल क्रीडाओं का नग्न दर्शन । मनोरंजक, कथन और गंभीर । मूल्य ११८)
- ८—**ब्रह्मचर्य-विज्ञान** । ब्रह्मचर्य पर अत्युत्तम पुस्तक । उपनिषदों, पुराणों तथा बहुत से अन्य धार्मिक ग्रन्थों के प्रमाणों से युक्त । मूल्य ॥१८)
- ९—**यूरोप का इतिहास** । अर्थात् बलिदान, राजनीति, देशप्रेम तथा स्वाधीनता का इतिहास । मू० २)
- १०—**समाज-विज्ञान** । समाज की रचना उसके विकास तथा निर्माण पर लेखक ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है । 'समाज-शास्त्र' पढ़नेवाले विद्यार्थियों के लिए यह अत्युत्तम ग्रन्थ है । मूल्य १॥॥)
- ११—**खड्ग का संपत्तिशास्त्र** । खादी के अर्थशास्त्र पर श्री० रिचर्ड बी० ग्रेग लिखित The Economics of Khaddar का हिन्दी अनुवाद । खादी की उपयोगिता आपने वैज्ञानिक तथा आर्थिक ढंग से सिद्ध की है । मू० ॥१८)
- १२—**गोरो का प्रभुत्व** । इसमें बतलाया गया है कि ससार की सबर्ण जातियाँ स्वतंत्र होने के लिए किस प्रकार गोरी जातियों से लड़ रही हैं और अपनेको स्वतंत्र कर रही हैं । मू० ॥१८)

- १३—चीन की आवाज़ । [अप्राप्य] मूल्य १-)
- १४—दक्षिण अफ्रिका के सत्याग्रह का इतिहास । सत्याग्रह की उत्पत्ति तथा उसके प्रयोग का स्वयं गांधीजी द्वारा लिखा इतिहास पढ़ें कि किस प्रकार इस शस्त्र द्वारा अफ्रिकावासियों ने अपने अधिकारों की बहादुरी से और बिना दूसरों को तकलीफ पहुँचाते हुए रक्षा की । मूल्य १।)
- १५—विजयी बारडोली । [अप्राप्य] मूल्य २।)
- १६—अनोति की राह पर । ब्रह्मचर्य तथा अप्राकृतिक संतति-निरोध पर लिखी गई महात्मा गांधी की सर्वोत्कृष्ट पुस्तक । मूल्य १।)
- १७—सीताजी की अग्नि-परीक्षा । लंका-विजय के बाद सीताजी की अग्नि-शुद्धि का यह वैज्ञानिक विश्लेषण है । विज्ञान का हवाला देकर यह बताया गया है कि वह घटना सच्ची है । मूल्य १-)
- १८—कन्या-शिक्षा । इसमें बतलाया गया है कि छोटी बालिकाओं को अपने बाल्य-जीवन के विषय में किस तरह शिक्षा देनी चाहिए । मूल्य १।)
- १९—कर्मयोग । [अप्राप्य] मूल्य १।)
- २०—बलवार की करनूत । महर्षि टाल्स्टाय की सरल भाषा में शराब के आविष्कार की मनोरंजक कहानी । मूल्य २।)
- २१—व्यावहारिक सभ्यता । युवकों, बच्चों तथा अवस्थाप्राप्त लोगों के लिए रोज के व्यवहार में आनेवाली शिक्षाओं की पोथी । बोधप्रद, शिक्षाप्रद तथा ज्ञानप्रद । मूल्य १।)
- २२—अंधेरे में उजाला । महर्षि टाल्स्टाय के नाटक का अनुवाद । हृदय-मथन की अनुपम कहानी । मूल्य १।)
- २३—स्वामीजी का बलिदान । [अप्राप्य] मूल्य १-)
- २४—हमारे ज़माने की गुलामी । [जन्तु : अप्राप्य] मूल्य १।)
- २५—स्त्री और पुरुष । स्त्री और पुरुष के पारस्परिक सम्बन्ध तथा ब्रह्मचर्य पर टाल्स्टाय के उत्तम विचार । मूल्य १।)
- २६—घरों की सफ़ाई । घरों व गांवों तथा शरीर की सफ़ाई पर उत्तम पुस्तक । मूल्य १।)
- २७—क्या करें ? टाल्स्टाय की पुस्तक What to do ? का अनुवाद । गरीबों एवं पीड़ितों की समस्याएँ । मूल्य १।)
- २८—हाथ की कनाई-धुनाई । [अप्राप्य] मूल्य १।)
- २९—आत्मोपदेश । यूनान के प्रसिद्ध विचारक महात्मा एपिकटेटस के उत्तम और

- महत्वपूर्ण उपदेशों का संग्रह । मूल्य ॥)
- ३०—यद्यार्थ आदर्श जीवन । [अप्राप्य] मूल्य ॥१)
- ३१—जब अंग्रेज़ नहीं आये थे—तब भारत हरा-भरा था । भारत की दुर्दशा तो अंग्रेजों के यहां आने के बाद से शुरू हुई है । पार्लमेंट द्वारा नियुक्त रिपोर्ट के आधार पर लिखित । मूल्य ॥)
- ३२—गंगा गोविन्दसिंह । [अप्राप्य] मूल्य ॥२)
- ३३—श्रीरामचरित्र । श्री० चिन्तामणि विनायक वैद्य लिखित रामायण की कहानी । कर्ण और मधुर । मर्यादा-पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रजी का उत्तम जीवन-चरित्र । मूल्य १॥)
- ३४—आश्रम-हरिणो । पौराणिक उपन्यास । विधवा-विवाह-समस्या पर पौराणिकों के विचार । मूल्य ॥)
- ३५—हिन्दी-मराठी-कोष । मराठी भाषा-भाषियों को हिन्दी सीखने में बड़े काम की चीज है । मूल्य २)
- ३६—स्वाधीनता के सिद्धान्त । आयरलैण्ड के अमर शहीद टिरेन्स मेक्स्विनी के Principles of Freedom का अनुवाद । आजादी की इच्छावालों की नसों में नया खून, नया जोश और स्फूर्ति भरनेवाली पुस्तक । मूल्य ॥)
- ३७—महान् मातृत्व की ओर । स्त्री-जीवन की प्रारम्भिक कठिनाइयों का दिग्दर्शन कराती हुई मातृत्व की जिम्मेदारी का दिग्दर्शन करानेवाली स्त्री-उपयोगी उत्तम पुस्तक । मूल्य ॥३)
- ३८—शिवाजी की योग्यता । छत्रपति शिवाजी का चरित्र-विश्लेषण । मूल्य ॥२)
- ३९—तरंगित हृदय । गुरुकुल कांगड़ी के आचार्य श्री देवशर्मजी के अनुपम विचार । मूल्य ॥)
- ४०—हालैण्ड की राज्यक्रान्ति [नरमेघ] डच-प्रजा के आत्मयज्ञ का पुनीत और रोमांचकारी इतिहास । हृदय में उथल-पुथल मचा देनेवाली क्रान्तिकारी पुस्तक । मूल्य १॥)
- ४१—दुखी दुनिया या प्रलय-प्रतीक्षा । गरीब और पीड़ित मानवी दुनिया के कर्णचित्र । चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य की सच्ची घटनाओं पर लिखी कहानियां । मधुर, कर्ण और सुन्दर । मूल्य ॥)
- ४२—जिन्दा लाश । टाल्सटाय के The Living Corpse नामक नाटक का अनुवाद । मूल्य ॥)
- ४३—आत्म-कथा । महात्मा गांधी लिखित । संसार के साहित्य का एक रत्न ।

- उपनिषदों की भांति पवित्र और उपन्यासों की भांति रोचक। चरित्र को ऊँचा उठानेवाली। हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा किया गया प्रामाणिक अनुवाद। दो खण्डों में। बड़िया जिल्द, सुन्दर छपाई। मूल्य १॥१
- ४४—जब अंग्रेज आये। [ज़ब्त : अप्राप्य] मूल्य १।२
- ४५—जीवन-विकास। विकासवाद को विषद रूप से समझानेवाली हिन्दी की एक ही पुस्तक। मूल्य १।१॥१
- ४६—किसानों का बिगुल। [ज़ब्त : अप्राप्य] मूल्य २
- ४७—फांसी। विक्टर ह्यूगो लिखित फांसी की सजा पाये हुए एक युवक के मनोभावों का चित्रण। करुण और हलानेवाला। मूल्य १।१
- ४८—अनासक्तियोग और गीता-बोध। गीता पर गांधीजी की व्याख्या। मूल श्लोक तथा महात्मानी के गीता के तात्पर्य—गीताबोध-सहित ३५० पृष्ठों में मूल्य केवल १।२ केवल अनासक्तियोग २।१, सजिल्द १।१ गीताबोध २।१
- ४९—स्वर्ण विहान [ज़ब्त : अप्राप्य] मूल्य १।२
- ५०—मराठों का उत्थान और पतन। मराठा साम्राज्य का विस्तृत और सच्चा इतिहास। मराठी इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान् श्री गो० दा० तामसकर लिखित। मराठी भाषा में भी मराठी का ऐसा इतिहास नहीं है। मूल्य २।१
- ५१—भाई के पत्र। स्त्री-जीवन पर प्रकाश डालनेवाली, उनकी घरेलू एवं रोजमर्रा की कठिनाई में पथप्रदर्शक बहनों के हाथों में दिये जाने योग्य एक ही पुस्तक। अपनी बहनों, बहुओं और बेटियों को इसकी एक प्रति अवश्य दें। मूल्य १।१।२
- ५२—स्वगत। चरित्र को गढ़नेवाले उच्च तथा युवकों को सच्चा रास्ता दिखानेवाले उत्तम विचार। मूल्य १।२
- ५३—युगधर्म। [ज़ब्त : अप्राप्य] मूल्य १।२
- ५४—स्त्री-समस्या। नारी-जीवन की जटिल समस्याओं का गम्भीर अध्ययन। मूल्य १।१।१ सजिल्द २।१
- ५५—विदेशी कपड़े का मुकाबला। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री मनमोहन गांधी लिखित। इसमें बतलाया गया है कि किस प्रकार भारत अपनी आवश्यकतानुसार पूरा कपड़ा तैयार कर सकता है। मूल्य १।२
- ५६—चित्रपट। श्री शान्तिप्रसाद वर्मा के गद्य-गीतों का संग्रह। भावनामय, करुण और मधुर। मूल्य १।२
- ५७—राष्ट्रवाणी। [अप्राप्य] मूल्य १।२

- ५८—**इंग्लैण्ड में महात्माजी** । महात्माजी के प्राइवेट सेक्रेटरी का लिखा हुआ महात्माजी की इंग्लैण्ड की यात्रा का सुन्दर, सरस और सुबोध वर्णन । हिन्दी में अपने ढंग का सर्वोत्तम यात्रा-वृत्तान्त । मूल्य १)
- ५९—**रोटी का सत्राल** । मशहूर रूसी क्रांतिकारी लेखक प्रिंस क्रोपाटकिन की अमर कृति *Conquest of Bread* का सरल अनुवाद । समाजवाद का सुन्दर, सरल और सुबोध विवेचन । मूल्य १)
- ६०—**देवी-सम्पद्** । सर्वोत्तम नैतिक एवं धार्मिक पुस्तक । 'देवी-सम्पद् से मनुष्य को मोक्ष होती है।' गीता की इसी बात का सुन्दर विवेचन है । मनुष्य को मोक्ष का रास्ता बतानेवाली पुस्तक । मूल्य १=)
- ६१—**जीवन-सूत्र** । अंग्रेजी में थॉमस केपिस लिखित सर्व प्रसिद्ध पुस्तक 'इमिटेशन आफ क्राइस्ट' का अनुवाद । जीवन को उन्नत और विचारों को सात्विक बनानेवाली । मूल्य ॥॥)
- ६२—**हमारा बलक** । अस्पृश्यता-निवारण पर महात्माजी के विचारों एवं लेखों का संग्रह, उनके महान् उपवास की कहानी । महात्माजी के आशीर्वाद सहित । मूल्य ॥=)
- ६३—**धुद्धुद्** । (हरिभाऊ उपाध्याय) अपने आदर्शों से जीवन का मेल मिलानेवाले युवकों के लिए विचारणीय पुस्तक है । मूल्य ॥)
- ६४—**संघर्ष या सहयोग ?** प्रिंस क्रोपाटकिन की *Mutual Aid* नामक पुस्तक का अनुवाद । इसमें दिखलाया है कि पशु और पक्षियों से लेकर मनुष्य तक सबके जीवन का आधार सहयोग है; संघर्ष नहीं; एकता है लड़ाई नहीं । मूल्य १॥॥)
- ६५—**गांधी-विचार दोहन** । श्री किशोरलाल घ० मशरूवाला, इसमें महात्माजी के समस्त राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं नैतिक विचारों का बड़ा सुन्दर दोहन किया है । मूल्य ॥॥)
- ६६—**एशिया की क्रांति** । [जून्त : अग्रप्य] मूल्य १॥॥)
- ६७—**हमारे राष्ट्र-निर्माता** । लो० तिलक, स्व० मोतीलालजी, मालवीयजी, महात्मा जी, दास बाबू, जवाहरलालजी, मौ० मुहम्मदअली, सरदार और प्रेसिडेन्ट पटेल की जीवनियां—उनके संस्मरण, जीवन की झांकियां एवं व्यक्तित्व के विश्लेषण के साथ—लिखी गई हैं । हिन्दी में अपने किस्म की एक पुस्तक, मूल्य २॥॥ ३)
- ६८—**स्वतंत्रता की ओर**— । (हरिभाऊ उपाध्याय) इसमें बताया गया है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है ? हम उस लक्ष्य—स्वतंत्रता—को किस प्रकार और

किन् साधनों से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा समाज कैसा हो; हमारा साहित्य कैसा हो हमारा जीवन कैसा बने जिससे हम स्वतंत्रता की ओर बढ़ते चले जावें। हिन्दी में इस पुस्तक का बड़ा आदर हुआ है। मूल्य १।।)

६९—आगे बढ़ो। स्वेट् मार्टेन के Pushing to the Front का संक्षिप्त अनुवाद। कठिनाई में पड़े युवकों को सच्चे साथी के समान रास्ता बतानेवाली। मूल्य १।।)

७०—बुद्ध-वाणी। भगवान् बुद्ध के चुने हुए वचनों का संग्रह। बुद्धधर्म का सार तत्त्व। बौद्ध-धर्म के हिन्दी में मिले सब ग्रन्थों का सार। मूल्य १।।)

७१—कांग्रेस का इतिहास। डॉ० पट्टाभिषीतारामैया की लिखी तथा कांग्रेस की स्वर्ण-जयन्ती पर प्रकाशित अंग्रेजी पुस्तक The History of the Congress का यह प्रामाणिक अनुवाद है। इसकी भूमिका राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र बाबू ने लिखी है। हिन्दी अनुवाद तथा संपादन श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है। यह दूसरा संस्करण है, बड़े आकार के ६५० पृष्ठों की सजिल्द पुस्तक। मूल्य २।।)

७२—हमारे राष्ट्रपति। कांग्रेस के पहले अधिवेशन से अबतक के तमाम सभापतियों के जीवन-चरित्र संक्षेप में इस पुस्तक में दे दिये गये हैं। हिन्दी में अपने विषय की यह उत्तम तथा एक-मात्र पुस्तक है। इसकी भूमिका राजेन्द्र बाबू ने लिखी है। सब सभापतियों के चित्रों के साथ, पृष्ठ संख्या ४०० मूल्य १।।)

७३—मेरी कहानी। पं० जवाहरलाल नेहरू की आत्म-कथा, पृष्ठ सं० ७७५ सजिल्द मूल्य ४।।)

[सस्ता साहित्य मण्डल के ये उच्चकोटि के सस्ते और जीवन निर्माणकारो प्रकाशन १) प्रवेश फीस देकर स्थायी ग्राहक बन जाने पर सबको पौने मूल्य में मिल सकते हैं। ग्राहकों को प्रत्येक पुस्तक की एक-एक ही प्रति मिल सकती है। —व्यवस्थापक]

वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

C-18 नैरद

काल नं०

लेखक उपाध्याय, हरिनाथ (सं०)

शीर्षक मैत्री लहानी (जवाहरलाल नेहरू की कल्पना)